

अन्तर्राष्ट्रीय विधि

[शान्ति, युद्ध तथा तटस्थता की विधियों का विश्लेषण]

लेखक

महेश प्रसाद टण्डन

एम० ए० एल० एल० बी०

(परिशोधित एवं परिर्वाधित)

तृतीय संस्करण

इलाहाबाद लॉ एजेन्सी

लॉ पब्लिशर्स

६, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद

प्रकाशक
इलाहाबाद लॉ एजेंसि,
इलाहाबाद ।

समर्पण

अपने उस परम पूज्य भ्राता की स्मृति में जिसके स्नेह की
रश्मियाँ मेरे मानस-पटल पर चल-चित्र की भाँति दौड़
जाया करती हैं और जिसकी आत्मा अनजाने में
हीं आकर मेरे रोम-रोम में निरन्तर आगे
बढ़ते रहने का आत्म-विश्वास
पैदा कर जाती है !

तृतीय संस्करण की भूमिका

मुझे 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि' के तीसरे संस्करण को राष्ट्रभाषा के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में हर्ष का अनुभव हो रहा है। वस्तुतः इस पुस्तक के प्रथम और द्वितीय संस्करण को पाठकों ने जिस उदारता के साथ अपनाया उससे मेरा उत्साह बढ़ा है और युग की बदलती हुई परिस्थितियों का पुनः समावेश करते हुये पुस्तक के तीसरे संस्करण को प्रस्तुत करने की शीघ्र आवश्यकता का अनुभव हुआ है।

सत्सार के रगमच पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटनायें तीव्रता से घटती जा रही हैं और उन सबका अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर आनुपातिक प्रभाव पड़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि उनमें से प्रत्येक को दृष्टि में रखते हुये अन्तर्राष्ट्रीय विधि का पुनरीक्षण किया जाय और सावदेशिक सिद्धान्तों को मान्यता दी जाय।

भारतीय दर्शन के 'बसुधैव कुटुम्बकम्' के सूत्र को आज के प्रगतिशील विज्ञान न सार्थक कर दिया है और आज का विश्व पृथक् पृथक् राष्ट्रों का एक विश्रुद्धलित समूह नहीं, एक समुक्त परिवार है। प्रत्येक राष्ट्र उस बृहत्तर परिवार का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्र ही क्यों, आज की परिभाषा में व्यक्ति भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति का अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है और निस्सन्देह प्रत्येक राष्ट्र किंवा व्यक्ति का उस विधि के अन्तर्गत कुछ अधिकार है, कुछ अस्तित्व है। आज कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर निरकुश रूप में हावी नहीं हो सकता। बड़ा से बड़ा और शक्तिशाली राज्य भी आज की परिस्थितियों में छोटे से छोटे और निर्बल राज्य की तुलना में समान है। विद्यतनाम जैसे छोटे राज्य और अमेरिका जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्य का सम्ये समय तक का चलने वाला सशस्त्र सघर्ष इस बात के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व उसकी विशालता और साधन-सम्पन्नता पर नहीं निर्भर करता।

विज्ञान की आधुनिकतम प्रगति ने मानव-मात्र के सम्बन्धों के लिये एक नया क्षेत्र खोल दिया है। आज मनुष्य चन्द्रलोक तक की खोज कर ले रहा है और

है कि निकट भविष्य में उसके चरण उस लोक तक भी पहुँच जायेंगे। उस लोक से जब मनुष्य इस पृथ्वी की ओर देखेगा, तब सम्भवतः आज की रही-सही दूरी भी समाप्त हो जायेगी और मानव के नये-नये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का श्रीगणेश होगा।

आज विश्व को ऐसी विधियों की अधिक आवश्यकता है जो सार्वदेशिक हों, अन्तर्राष्ट्रीय हों। विश्व में एक ओर निर्माण हो रहा है, किन्तु दूसरी ओर विध्वंस का ताड़व नर्तन भी होता जा रहा है। न्यष्टि के प्रयोगों और मानव-विनाश के यत्नों की ओर भी वृद्धि हुई है, या यों कहे कि निर्माण का तुलना में आज हम विध्वंस के अधिक निकट हैं ता इसमें कोई अग्रुक्ति नहीं है। अभी तक सोवियत सङ्घ और संयुक्त राज्य द्वारा 'परस्पर आतंक-संतुलन' बनाये रखने के आश्वासनों पर विश्व को अपने अस्तित्व के प्रति कुछ भरोसा भी था किन्तु पिछले वर्षों में साम्यवादी चीन के नुक्सलपर-शिविर में प्रवेश कर जाने तथा विश्व के मध्य राष्ट्रों द्वारा निरंतर विरोध प्रकट किये जाने के उपरान्त भी निरंकुश रूप में विस्फोटक प्रयोगों को करत रहने के कारण विश्व को एक नये खतरे की अशंका हो गयी है। आज के विश्व का अस्तित्व कल के विश्व के अस्तित्व और शान्ति की अपेक्षा अधिक खतरे में है। जहाँ एक ओर मनुष्य को भूख, बीमारी, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, असमानता, दासत्व आदि को दूर करते हुये सहअस्तित्व को बनाये रखने का प्रयत्न करना है, वहाँ दूसरी ओर मानव-विनाश के उपक्रमों को स्थगित करते हुये विश्व में शान्ति स्थापित करने और युद्ध के बढ़ते हुये तनाव को रोकने के प्रयत्न भी करन है।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ धन तिमिर के बीच एक ज्योति-रेखा के सगान है। उस ज्योति-रेखा को प्रस्फुटित करने के लिए राष्ट्रों के परस्पर सौजन्य और स्नेह के तेल की आवश्यकता है। इस तेल के अभाव में वह कभी-कभी बुझता-सा प्रतीत होने लगता है, किन्तु फिर, किसी कोने से कुछ स्निग्धता मिल जाने के कारण ज्योतिर्मान हो उठता है।

भारत सदैव से 'पंचशील' और 'विश्वशान्ति' और 'सह-अस्तित्व' का पोषक रहा है और इस बात के समर्थकों में अग्रणी रहा है कि बिना किसी गुटबन्दी या भेदभाव के विश्व के सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सदस्य हों। लाल चीन के प्रति भी भारत की उदारता और संयुक्त राष्ट्र में उसका समर्थन सर्व-विदित है। फिर भी, १९६२ में चीन द्वारा भारत की उत्तरी सीमा पर बर्बर आक्रमण किये गये। चीन और पाकिस्तान ने दुरभिसंधि में प्रविष्ट होकर भारतीय क्षेत्रों को हड़प लेने का वृचक्र विद्या, किन्तु आज भी भारत विश्व के परिवार में चीन की सदस्यता का पोषक है। यद्यपि साधारण सभा के बीसवें अधिवेशन में भी चीन इस मदस्यता के लिये निर्धारित तीन-चौथाई बहुमत नहीं प्राप्त कर सका, फिर भी विश्व के राष्ट्रों

ने यह अनुभव कर लिया है कि चीन की निरंकुशता को रोकने के लिये उसे अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ के नियन्त्रण में लाना ही विश्व-शान्ति की दृष्टि से उपयोगी होगा ।

सितम्बर १९६५ में पाकिस्तान ने अप्रत्याशित रूप में भारत के ऊपर बहुत बड़ा सशस्त्र आक्रमण कर दिया । यह आक्रमण संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उन उपबन्धों के सर्वथा अतिक्रमण-स्वरूप था जिनमें कि यह स्थापित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा अवश्य ही शान्तिपूर्ण उपायों से किया जाना चाहिये । ब्रिटेन से जो कि कामनवेल्थ का प्रस्तावक सदस्य है, अपेक्षा की जाती थी कि वह पाकिस्तान के ऐसे अनियन्त्रित कार्य की भर्त्सना करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो कम से कम तटस्थ अवस्था रहेगा । किन्तु वह परोक्षतः पाकिस्तान के पक्ष का ही समर्थन करता रहा । संयुक्त राज्य अमेरिका की भी लगभग यही स्थिति थी । वह अपने गुट में सम्मिलित होने के कारण पाकिस्तान की निन्दा न कर सका और उसने आक्रामक और आक्रमित दोनों को समान तुला पर तौलते हुये दोनों की सैनिक सहायता तथा पुनश्च, नागरिक और खाद्यान्न-महायता भी बन्द करने की घोषणा की । पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध उन भयावह और अजेय अमरीकी सशस्त्रों का प्रयोग किया, जिन्हें कि अपने साम्प्रदायी देशों से अपनी रक्षा के बहाने प्राप्त किया था । अमेरिका इसको भी भर्त्सना न कर पाया । विश्व के किसी भी शान्तिप्रिय और सभ्य देश के लिए यह चिन्ता और निराशा की बात थी । भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध किये गये युद्ध में कभी भी शान्त नगरी, अस्पतालों या नागरिक जीवन के महत्वपूर्ण स्थलों पर बमबर्षा नहीं की, किन्तु पाकिस्तान औपचारिक युद्ध की घोषणा न की जाने के उपरान्त भी भारत के शान्त नगरी, अस्पतालों, गिरजाघरों और मस्जिदों पर भयंकर रूप से बमबर्षा करता रहा ।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के ऐसे संकट के समय संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बहुत-कुछ दौड़ धूम करने के उपरान्त भी केवल युद्ध-विराम के प्रस्ताव पारित करता रहा, और यहाँ तक कि वास्तविक आक्रामक कौन है, इसकी भी स्पष्ट घोषणा न कर पाया । यहाँ तक कि नाशकन्द-घोषणा के उपरान्त भी पाकिस्तान हठधर्मी और युद्ध-उत्प्रेरणा के कार्य करता रहा । पूरे शान्ति के समय भी १९६७ में उसका एक युद्ध-अन्वेषक यान भारत के क्षेत्र में भीतर उड़ान भरता हुआ पाया गया और भारतीय नभ-शक्ति का गिकार हुआ । प्रश्न है, ऐसी कार्यवाहियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोकें कौन ?

वियतनाम पर अमेरिकी बमबर्षा निरन्तर जारी है । मसार के मध्य कहे जाने वाले बहुधा राष्ट्रों ने इस कार्यवाही को निन्दा की है और बमबर्षा तत्काल

रोक देने की अपील की है। सयुक्त राष्ट्र सङ्घ की ओर से भी ऐसे ही। प्रस्ताव चाये हैं। किन्तु शक्ति सम्पन्न सयुक्त राज्य पर ऐसी अपीलो ओर ऐसे प्रस्तावो का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखायी पडता।

१९६५ मे पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किये जाने के प्रश्न पर विचार के समय पाकिस्तान क तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री श्री भुट्टो ने स्पष्ट घमकी दी कि यदि काश्मीर प्रश्न का निर्णय पाकिस्तान के पक्ष मे नहीं किया जाता तो वह सयुक्त राष्ट्र सङ्घ छोड देगा। इसी प्रकार इन्डोनशिया न सुरक्षा परिषद् मे मलायोशया की सदस्यता के प्रश्न पर सयुक्त राष्ट्र सङ्घ से अपना सबध विच्छेद कर देने की घोषणा कर दी। कालान्तर मे वह साधारण सभा के बीसव अधिवेशन मे पुन सम्मिलित हो ग्या। सयुक्त राष्ट्र सङ्घ इन दोनो कार्यवाहियो पर कोई प्रभावकारी प्रतिक्रिया न उपबन्धित कर पाया।

दक्षिण अफ्रीका मे काले गोरे के प्रश्न के निपटारे ओर मानव-मात्र को भेद-रहित समानता प्रदान करने के प्रश्न पर सयुक्त राष्ट्र सङ्घ के उल्लेखनीय प्रयत्नो के उपरान्त भी व्यावहारिक मान्यता नहीं मिल सकी है।

पूरब से लेकर पश्चिम तक विश्व के रगमच पर पिछले वर्षों मे कुछ ओर भी घटनाये घटित हुई है जिनसे इस बात पर पुन विचार होन लगा है कि क्या सयुक्त राष्ट्र सङ्घ अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रवर्तन मे पूर्णतया सफल नहीं हो पा रहा है? यदि उसकी यह असफलता बढती रही तो क्या उसे भी लीग आफ नेशन्स के ही भाग्य का सामना करना होगा? आदि। इधर नये स्वतन्त्र होने वाले देश लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था की अपेक्षा सैन्य तन्त्र की ओर अधिक झुक रहे हैं। यह एक ओर भी चिन्तनीय बात है। अस्तु, आज इस बात की आवश्यकता ओर भी बढ गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का गहनतम अध्ययन किया जाय।

इन्ही दृष्टियो से इस संस्करण मे यथाप्रसंग ओर भी प्रकरण बढा दिये गये हैं। उदाहरणार्थ निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं —

अध्याय ८ मे राज्यो की मान्यता के साथ ही इस प्रश्न पर भी प्रकरण बढा दिये गये हैं कि क्या मान्यता एक वैध या राजनीतिक समस्या है। इसके साथ ही मान्यता के भेद, एव मा यता सम्बन्धित अन्य वादित प्रकरण भी सयुक्त कर दिये गये हैं।

अध्याय ९ में राज्य के उत्तराधिकार के प्रकरण मे अन्तर्राष्ट्रीय सगठन मे उत्तराधिकार, सू० ए० द्वार० ओर सू० ए० ए० के गठन की वैध समस्या, सयुक्त प्रबन्धन, सयुक्त प्रबन्ध राज्य, आदि क प्रसंग बढाये गये हैं।

अध्याय १३ में राज्य क्षेत्र का अर्जन तथा अपहरण, काश्मीर समस्या की आधुनिकतम प्रगति फारमूसा (तैवान) की वैध स्थिति, चन्द्र और ग्रहो पर मानव-विजय, आदि के प्रसङ्ग समस्याओं के स्पष्ट विवेचन सहित समुक्त कर दिये गये हैं ।

इसी प्रकार अध्याय १६ में समुद्री डाका के लिए आवश्यक तथ्य, अध्याय २० में राजनयिक अभिकर्ता, राज्याधिक उन्मुक्तियाँ तथा जनता स्वभाव और प्रवर्तन, आन्तराधिक सत्ताधिकार से उन्मुक्ति, आदि के प्रसंग जोड़े गये हैं ।

अध्याय २६ समुक्त राष्ट्र सङ्घ के प्रवरण में चीन का भारत आक्रमण, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का प्रदन, १९५० में न्यायालय की सम्मति, इथियोपिया और लाइबेरिया का मामला, अफ्रीका में राजनीतिक जागृति, चार्टर के अनुच्छेदों में सशोधन, आदि का भी विवचन कर दिया गया है ।

अध्याय ३३ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, के प्रकरण में ऐंग्लो-ईरानियन तेल की कम्पनी का मामला, भारत के कतिपय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों के आधिपत्य के अधिकार का मामला, मशरूफा परामर्श, आदि के प्रसंग बढ़ाये गये हैं ।

इसी प्रकार अध्याय ४२ में हवाई युद्ध की विधियाँ और अणुबम प्रयोग की नैतिकता पर विचार, अध्याय ४३ में युद्ध सम्बन्धी अपराध, बन्धन व्यक्तियों का गण एक युद्धापराध, युद्ध अपराधिया, विवर्जनिता और राजद्रोहियों के लिए क्षरण-स्थान, अध्याय ४८ में सरोध या नाकाबन्दी, और नाकाबन्दी के प्रकार और अध्याय ४९ में विनिपिद्ध, विनिपिद्ध और नाकाबन्दी में सम्बन्ध तथा निरन्तर समुद्र यात्रा के वाद, आदि के प्रसंग और भी बढ़ाये गये हैं ।

इस प्रकार प्रस्तुत सस्करण को और भी पूर्ण आधुनिकतम और प्रामाणिक बनाने के प्रयत्न किये गये हैं । भाषा को और भी प्राञ्जल, शुद्ध और सरल करने की ओर भी यत्न किये गये हैं । विश्वास है कि यह सस्करण छात्रों, प्रतियोगियों और जिज्ञासुओं के लिये और भी उपयोगी हो सकेगा ।

‘गणेश’ भवन,
इलाहाबाद ।

महेश प्रसाद टण्डन

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ संख्या

भाग १—प्रारम्भिक

१—अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्वरूप (Nature of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का महत्त्व हमकी उत्पत्ति, परिभाषा, मार्वाजनिक और वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि, क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि यद्यर्थ में विधि है ? अन्तर्राष्ट्रीय विधि के दोष, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नया स्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार—मूल अधिकारों का सिद्धान्त, सहमति सिद्धान्त, वास्तविक आधार ।

२—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत (Sources of International Law)

प्रकट सहमति, परोक्ष सहमति, सन्धि, रूढियाँ—रूढि तथा प्रथा—विधि के सामान्य सिद्धान्त, न्यायिक निर्णय, न्यायाधिकरण, समुद्र में अभिग्रहीत सम्पत्ति सम्बन्धी समुद्री सेना विभाग के नौजितमाल न्यायालय, राष्ट्र-न्यायालयों के निर्णय तथा प्राइज कोर्ट्स, मूल-पाठों के लेखक, विधि-वेत्ताओं के कार्यों और टीकाकार, अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य, सन्धियों के अतिरिक्त अन्य अन्तर्राष्ट्रीय राज-पत्र, अपने अधिकारियों के निर्देश क लिये राष्ट्रों के अनुदेश, आधुनिक विधिव्यवस्था में तर्क का स्थान ।

३—अन्तर्राष्ट्रीय विधि का इतिहास (History of International Law)

हिन्दू, मुसलमान, यहूदी, यूनानी, रोमन, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास का तीन युगों में विभाजन, ग्रोशस, जाउवे, तीन सम्प्रदाय—प्रकृतिवादी, स्थिर व्यवहारवादी तथा ग्रोशस मतावलम्बी, उन्नीसवी तथा बीसवी शताब्दी, हेग सम्मेलन, लीग आफ नेशन्स की प्रतिज्ञा,

लोकानों की सन्धि, केलोग-विमोड सम्झौता, १९२६ को जेनेवा का सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण, द्वितीय विश्व युद्ध ।

४—प्रकृति-विधि और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास पर इसका प्रभाव (Law of Nature and its Influence on the Development of International Law)

४१

जस्टोनियन, हुकर, यूनानी विचारधारा, रामन विचारधारा, सिसरो, प्राकृतिक नियम पर मेन, ग्राशस के पूर्व प्राकृतिक नियम, ग्रासन, रिचर्ड छाउचे, हानन तथा पफे डाफ, वैकरशाक, आधुनिक युग में प्राकृतिक विधि ।

५—राष्ट्रों की विधि का संहिताकरण (Codification of the Law of Nations)

४७

परिभाषा, लाम, सक्षित इतिहास, हेग सम्मेलन, लदन की घोषणा, लीग ऑफ नेशन्स, सयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकार-पत्र तथा संहिताकरण, अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग, राज्यों के अधिकार तथा वर्तव्यता की घोषणा का मसौदा, नूरम्बर्ग सिद्धान्तों का निरूपण, प्रथागत अन्तर्राष्ट्रीय विधि, अग्रघर्षण की परिभाषा मनुष्य जाति की शान्ति तथा सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की संहिता का मसौदा, प्रधान समुद्रों की शासन पद्धति, सन्धिया की विधि, अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक क्षेत्राधिकार, मानवीय अधिकारों की नार्बोमिक घोषणा, अन्य अभिसमय ।

६—अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि में परस्पर सम्बन्ध (Monistic Theory), द्वैतात्मक सिद्धान्त (Dualistic Theory), रूपान्तर सिद्धान्त (Transformation Theory), अन्तर्राष्ट्रीय विधि का राष्ट्रिय क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में राज्यों की रीति—ब्रेट ब्रिटेन, अमेरिका महाद्वीप वाला की रीति ।

५८

भाग २—शान्ति की विधि

७—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय (Subjects of International Law)

राज्य की परिभाषा, सर्वोच्चतता तथा राज्या की स्वतन्त्रता, राज्या का वर्गीकरण—स्वतन्त्र राज्य तथा परतन्त्र राज्य—, राज्या की

६३

समानता, असंपूर्ण प्रभुत्ताधारी राज्य तथा राज्यो का सङ्घ—राज्य-मंडल, वास्तविक सङ्घ, व्यक्तिगत सङ्घ, सङ्घ राज्य, सहराज्य, राष्ट्रमंडल, भारत की स्थिति, सामंत राज्य—तिब्बत, नेपाल, भारतीय रियासत, संरक्षित राज्य—इजिप्ट, सिक्किम, भूटान, ब्रिटिश संरक्षित राज्य फ्रांसीसी संरक्षित राज्य, प्रादेशित तथा न्यासित प्रदेश—प्रादेशित क्षेत्र न्यसित प्रदेश—स्विटजरलैंड तटस्थीकृत तथा तटस्थ राज्या मे भेद, होली सी ।

८—राज्यों की मान्यता (Recognition of States)

८१

इसका लक्षण, मान्यता के सिद्धांत आपेनहेम का मत, समन्वित विचार, मान्यता क्या एक वैध या राजनीतिक समस्या है ? मान्यता के भेद, प्रतिबंध युक्त मान्यता, सामूहिक अमान्यता, तथ्यत और विधित मान्यता, वैदेशिक कार्यालय से सूचना, तथ्यत और विधित मान्यता में भेद, राज्य के नये अध्यक्ष की मान्यता, निर्वासित सरकार की मान्यता, राज्यों की मान्यता, स्टिमसन का अमान्यता सिद्धान्त स्ट्राडा का सिद्धान्त, मान्यता की पूर्व व्याप्ति, मान्यता के प्रकार तथा परिणाम, अमान्य राज्यों की अनहतायें, मान्यता और लीग, मान्यता तथा संयुक्त राष्ट्र सच, युद्ध सलग्नता की दशा में मान्यता, राज्य प्रतिरोध, सह युद्ध सलग्नता ।

९—राज्य उत्तराधिकार (State Succession)

११२

मावदेशिक उत्तराधिकार, आंशिक उत्तराधिकार, राज्य उत्तराधिकार के परिणाम, सधि अधिकार और वस्तु विधि नियामक सधियों के सम्बन्ध में राज्य उत्तराधिकार, सदस्यता भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन, किसी राज्य के सविधान या राज्य की सीमा के बदल जाने का प्रभाव लोक सन्मति और लोक अधिकार, वैयक्तिक संपत्ति वैयक्तिक अधिकार, सविदात्मक दायित्व, लोक श्रद्धा, दुष्टति, विधियाँ, राष्ट्रीयता, बिद्रोह के दबा दिये जाने के बाद उत्तराधिकार, असदस्यता की स्थिति में उत्तराधिकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उत्तराधिकार, यू० ए० आर० और यू० ए० एस० के गठन की वैध समस्या, संयुक्त अरब गणराज्य, संयुक्त अरब राज्य, वैध परीक्षण, संयुक्त अरब गणराज्य में सीरिया तथा ईमेन का विश्रुद्धन ।

१०—हस्तक्षेप (Intervention)

१२७

हस्तक्षेप क्या है, हस्तक्षेप के प्रकार—भ्रान्तरिक, बाह्य तथा दाडिक—हस्तक्षेप के मूल कारण—आत्मसंरक्षण, सधि अधिकारों का लागू करना, हगरी के मामले में सोवियत रूस का हस्तक्षेप, मानवता के कारण, चार्टर के अनुसार व्यवस्था, शक्ति-संतुलन, व्यक्तियों तथा सम्पत्ति का संरक्षण, गृहयुद्धों में हस्तक्षेप, अन्य कारण, हस्तक्षेप के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न विद्वानों के सिद्धान्त, मुनरो सिद्धान्त, ड्रैगो-सिद्धान्त, नेहरू सिद्धान्त ।

११—आवश्यकता तथा आत्म-संरक्षण का सिद्धान्त (Doctrine of Necessity and Self-Preservation)

१३७

किसी प्रदेश के अतिक्रमण का न्यायोचित होना, अन्तर्निहित अधिकार, प्रथम विश्वयुद्ध, मचूरिया का ऋगडा, रूस का फिनलैंड पर आक्रमण, अमेरिका वालो की तटस्थता, कोरिया का मामला तिब्बत पर आक्रमण, चार्टर के उपबन्ध, निष्कर्ष ।

१२—राज्य-क्षेत्र (State Territory) ✓

१४२

क्षेत्रीय प्रभुपत्ता की सीमाएँ, क्षत्र, सीमाएँ, नदियाँ, नहरें, स्वेज नहर, कील नहर, पनामा नहर, जलडमरूमध्य, सापुद्रिक पेट्री, तटीय व्यापार, खाडियाँ तथा आखात, बन्दरगाह, तीव्र पीछा का सिद्धान्त जेनेवा कांफ्रेंस, १९५८, नम पर सर्वोच्चसत्ता—पेरिस, हवाना, वारसा तथा शिकागो कांवेशन अथवा वायु-परिवहन की पारस्वताएँ, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सङ्घ, वेतार की सवरेँ, किसी राज्य की ऊपरी आकाशीय सीमा की मान्यता और 'यू-२' का दृष्टान्त, सुविधा-भार, या अधिसेविता-स्वीकारात्मक तथा निषेधात्मक सुविधा-भार, सैनिक और आधिक सुविधा-भार, राज्य अधिसेविता (सुविधा-भार) की वैधता, सुविधा-भार का अन्त ।

१३—राज्य-क्षेत्र का अर्जन तथा अपहरण (Acquiring and Losing State Territory)

१५६

बच्चा या दखल, जर्मनी की वैध स्थिति, फारमूसा (तैवान) की वैध स्थिति, चन्द्र और ग्रहों पर मानव विजय, भोगाधिकार, क्षेत्रवाद, परिस्थान, जनमत संग्रह, काश्मीर समस्या और उग्रता अन्तर्राष्ट्रीय,

वैध रूप, जारिन रिपोर्ट, डा० ग्राहम रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संधि में १९६४ का कश्मीर वाद-विवाद, जम्मू और काश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अंग, विजय तथा पराभव, गोआ की स्वतन्त्रता (मुक्ति), मूल तथा उप-रीतियाँ, न्याय निर्णय और पञ्चाट, पट्टे, राष्ट्रीय क्षेत्र की हानि ।

f १४—क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) १८४

खुले हुये समुद्र पर क्षेत्राधिकार, सामुद्रिक मार्ग स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में वैध धारणाएँ, सार्वजनिक जहाज, समुद्री डकैती, खुले हुये समुद्र में मत्स्य-क्षेत्र, समुद्र की सतह, खुले समुद्र पर अणु-परीक्षण, तीन मील के सामुद्रिक क्षेत्राधिकार का प्रश्न, दीवानी तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार, विदेशी राज्यों में विदेशियों की स्थिति, अंतर-देशीयता ।

L १५—सार्वजनिक तथा वैयक्तिक जहाजों पर क्षेत्राधिकार (Jurisdiction over Public and Private Vessels) १९१

सार्वजनिक पोत क्या है ? सार्वजनिक जलयानों की खुले हुए समुद्र पर तथा विदेशीय क्षेत्रीय जलभागों पर वैध स्थिति, टक्कर के मामले, सार्वजनिक सशस्त्र पोत, उन्मुक्तियाँ, वैयक्तिक पोत क्या है ? बड़े समुद्री पर वैयक्तिक पोत की वैध स्थिति ।

✓ १६—समुद्री डाका (Piracy) १९६

समुद्री डाका के लिये आवश्यक तथ्य, किसी सरकार द्वारा प्राधिकृत समुद्री डकैती के कार्य, वैयक्तिक समुद्री डकैती सम्बन्धी जहाजों को गिरफ्तार करना, समुद्री डकैती के प्रसंग में सम्पत्ति का स्वामित्व, समुद्री डकैती और राष्ट्र विधि ।

U १७—राष्ट्रीयता (Nationality) १९८

राष्ट्रीयता क्या है ? राष्ट्रीयता का निर्धारण, राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रीयता तथा स्थायी निवास, राष्ट्रीयता प्राप्त करने का ढग, ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम, अमेरिका का राष्ट्रीयता अधिनियम, दुहरी राष्ट्रीयता, भारत में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का

लोप होना—विमुक्ति, वचित करना, समाप्ति, त्याग, प्रतिस्थापन, राष्ट्रहीनता, देश निकाला ।

१८—क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित प्रत्यर्पण (Extradition connected with Jurisdiction)

२०६

इसकी आवश्यकता, परिभाषा, कठिनाइयाँ, आवश्यक शर्तें, अटॉटॉट खड, प्रमुख मामले तथा सिद्धान्त, सावरकर का मामला, गोडफे का मामला, मुबारक अलो का मामला, ईस्लर का मामला, ह्या डे ला टोरे का मामला ।

१९—अन्तर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति का स्थान (Place of the Individual in International Law)

२१५

पारम्परिक मत, चरम मत, राज्य तथा व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि क विषय, रूस वालो का मत, सन्धि अनुबन्ध, नूरेम्बर्ग परीक्षण, जनवध अभिसमय, अटलांटिक चार्टर, संयुक्त राष्ट्र, मानवीय अधिकारो की सर्वव्यापी घोषणा, मानवीय अधिकारो के संरक्षण के लिये यूरोपीय अभिसमय, विदेशियो के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण, खुले समुद्र की स्वतन्त्रता व्यक्ति की है अथवा राज्य की, व्यक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ ।

२०—राजनयिक अभिकर्ता (Diplomatic Agents)

२२६

दूतकर्म का अधिकार, राजनयिक प्रतिनिधियो की श्रेणियाँ—राजदूत, पोपदूत तथा नसियो, पूर्ण सक्षम मंत्री तथा असाधारण दूत, निवासी मंत्री, कार्यदूत या निस्पृष्ट दूत, निमुक्ति, पहुँचने की विज्ञप्ति, किन दशाओ मे राज्य इन दूत सम्बन्धो को अस्वीकार कर सकते हैं, राजनयिक अभिकर्ताओ की पदसंज्ञा, राजनयिक अभिकर्ता के कार्य, राजनयिक उन्मुक्तियाँ तथा उनका स्वभाव और प्रवर्तन, धापरायिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति, राजनयिक मुविधाये तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान करने के तीन सर्वव्यापी सिद्धान्त, दीवानी क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति, दूतो व कर्मचारीवर्ग की उन्मुक्ति, निवास-स्थान के सम्बन्ध मे उन्मुक्ति, करो (देक्सो) से छूट, माल के अभिग्रहण होने से छूट, उपासना का अधिकार, यातायात की स्वतन्त्रता, उन्मुक्तियों का धारम्भ और उनकी परिसमाप्ति, निष्पट गमन का अधिकार, अस्थायी राजदूत,

राजनयिक मिशन की समाप्ति, दूतकर्म की समाप्ति पर घोष चारिकतायें ।

२१—वाणिज्य दूत (Consuls)

२४४

परिभाषा, उनकी उत्पत्ति, वाणिज्य दूता की श्रेणियाँ, कीसलों की नियुक्ति, उनके कार्य, विशेषाधिकार, वाणिज्य दूत के पद का अन्त ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार

२२—सन्धियाँ (Treaties)

२४८

संधि क्या है ? संधि के प्रकार, संधि में प्रविष्ट होने की शक्ति, अधिराज्यो (डोमिनियनो) की संधि करने की शक्ति, सयुक्त राष्ट्र संधि की संधि करने की शक्ति, सविदाकारा में पारस्परिक सहमति सविदाय तथा संधियाँ, चार्टर से असम्बद्ध तथा अनैतिक संधियाँ सवेधानिक आवश्यकताय, संधियो को करने में भिन्न भिन्न कार्यवाही— प्रतिनिधियो का प्रत्यापन, वार्ता, हस्ताक्षर, सत्याकन, अधिमिलन तथा ससक्ति (आसजन) संधियो का प्रवर्त्तन, पञ्जीकरण, सन्धि का राज्य विधि में निगमन, अवैध संधियाँ, संधियो की समाप्ति, संधियो का पुनरीक्षण, प्रायन मिश्रीय (ब्रिटेन तथा इजिप्ट के मध्य की) सन् १९३६ की संधि, संधियो की व्याख्या ।

२३—सैन्यी और व्यापारिक संधियाँ (Alliances and Commercial Treaties)

२६४

सैन्याय, सङ्घ कारण, गारंटी सन्धियाँ, व्यापारिक सन्धियाँ, परम मित्र राष्ट्र धारा ।

२४—अन्तर्राष्ट्रीय दुष्कृतियाँ और क्षतियाँ (International Torts and Damages)

२६६

अन्तर्राष्ट्रीय दुष्कृतियो के प्रकार, राष्ट्रियता का दावा, स्थानीय उपचारो की परिसमाप्ति, सामूहिक कार्यों का दायित्व ।

अन्तर्राष्ट्रीय सस्थायें

२५—१ लीग ऑफ नेशन्स (League of Nations)

२६८

इसकी उत्पत्ति, सदस्य, उद्देश्य, सविधान, सभा, परिषद्, सचिवालय

विश्वशान्ति का स्थापना, प्रत्याहरण, लीग की स्थिति, लीग की असफलता के कारण ।

२६—२. संयुक्त राष्ट्र सघ (United Nations Organization)

२७५

इसकी उत्पत्ति - लन्दन की घोषणा, ब्रटलॉटिक चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की घोषणा, मास्को तथा तेहरान सम्मेलन, डब्लारटन श्रवण सम्मेलन, सैन फ्रान्सिस्को सम्मेलन, इसके उद्देश्य तथा सिद्धान्त, सदस्यता, चीन का प्रतिनिधित्व, चीन का भारत आक्रमण, चीनियों का भारतीय सीमा पर दावा आधार रहित, संयुक्त राष्ट्र सघ का संविधान—(१) साधारण सभा, कार्य तथा शक्तियाँ, मतदान प्रक्रिया, सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्रों से प्रत्याहरण, शान्ति के लिए सगठित होने का सकल, कार्यों का सिंहावलोकन, (२) सुरक्षा परिषद्, ऋगडो का शान्तिपूर्ण तथा अनुरोधपूर्वक समझौता, सुरक्षा परिषद् में मतदान की प्रक्रिया, निषेधाधिकार, दुइरा निषेधाधिकार, आत्म रक्षा, सत्र की वैध स्थिति, संयुक्त राष्ट्र सघ की साधारण सभा तथा सुरक्षा परिषद् का सम्बन्ध, राष्ट्र सघ में विधि, संयुक्त राष्ट्र सघ तथा लीग, लीग और संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सुरक्षा परिषद् में अन्तर, संयुक्तराष्ट्र सङ्घ के कार्यों में प्रतिबन्ध, (३) सचिवालय, (४) न्याय परिषद्, शक्तियाँ तथा कार्य, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका का प्रश्न, १९५० में न्यायालय का सम्मति, ईथियोपिया और लाइबेरिया का मामला, (५) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, प्रादेशिक तथा सुरक्षा-प्रबन्ध, अफ्रीका में राजनीतिक जागृति, चार्टर के अनुच्छेदों में सशोधन, चार्टर का पुनरीक्षण, संयुक्त राष्ट्र सघ के प्रथम चरण के कार्यों की समीक्षा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का महत्व, पंचशील ।

२७—सुरक्षा परिषद् के कार्य का सिंहावलोकन (Survey of Security Council at Work)

३४१

इटाली, ग्रीस, बर्लिन की ताकाबन्दी, फिनलैंड, सीरिया-लेबानोन, घाग्न ईगनी तेल का ऋगडा, कार्फू चैनल ऋगडा, कोरिया, कोरिया-युद्ध में वैध प्रश्न, ऐनजोरिया का प्रश्न, काश्मीर, स्वेडन नहर, हंगरी, टुनिसिया, दक्षिण अफ्रीका में जातीय रक्तपात, कांगो का संकट, १९६५ का भारत पाक सशस्त्र-सघर्ष, परिणाम ।

२८—सामूहिक सुरक्षा (Collective Security)

३७२

लोग प्रतिज्ञा-पत्र, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का चार्टर, सामूहिक सुरक्षा की असफलता, शक्ति-संतुलन, क्षेत्रीय समझौते—नाटो या उत्तरीय अटलांटिक सन्धि सङ्गठन, सन् १९४७ का रियो पैक्ट, इनकर्स सन्धि, सन् १९४८ की ब्रसेल्स की सन्धि, योरोपीय सुरक्षा समुदाय, ऐन्जु पैक्ट, दक्षिण-पूर्वी एशिया सामूहिक प्रतिरक्षा सन्धि अथवा मनिला पैक्ट, अमेरिका-जापान पैक्ट, बाल्कन पैक्ट, फ्रान तथा लीबिया के मध्य मैत्री सन्धि, इजिप्ट-सीरिया प्रतिरक्षा पैक्ट, सामूहिक सुरक्षा की सोवियत पद्धति, मित्रता सम्बन्ध तथा पारस्परिक सहायता की सन्धि, वारसा सन्धि अथवा पूर्वीय यूरोपीय सन्धि सभ, अमेरिका-फिलिपाइन्स पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि, अरब लीग, बगदाद पैक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका और टर्की तथा ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता समझौता, आर्थिक और राजनैतिक सहकारिता-वेनेलकस, यूरोपीय आर्थिक सहकारिता सङ्घ, अमेरिकी राज्यों का सङ्घ, दूमन प्लान या योरोपीय कोयला व लोहा समुदाय, कोलम्बो योजना, पत्रिणाम ।

२९—निःशस्त्रीकरण (Disarmament)

३८८

लीग आफ नेशन्स, जेनेवा सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, आणविक शक्ति आयोग, शस्त्रों का नियमन तथा न्यूनीकरण, रूस की शिखर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिये पुकार, रपाकी योजना, पुनरीक्षित रपाकी योजना, निःशस्त्रीकरण आयाग, शान्ति के लिए अणु, नभक्षेत्र का शान्तिपूर्ण उपयोग, एटम शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग, १९६०-६१ की संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा, संयुक्त मेमोरेन्डम, संयुक्त राष्ट्र के साधारण सभा का १७वाँ अधिवेशन, न्यष्टि परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (१९६३), निष्कर्ष ।

३०—विशिष्ट अभिकरण

४०१

(१) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सङ्घ, (२) संयुक्त राष्ट्र का स्वास्थ्य तथा वृष्टि सम्बन्धी सङ्घ, (३) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का शिक्षा सम्बन्धी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्घ, (४) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सङ्घ, (५) पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, (६) अन्तर्राष्ट्रीय

घन कोप, (७) विश्व स्वास्थ्य सङ्घ, (८) अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी सङ्घ
(९) सार्वदेशिक डाक सङ्घ, (१०) अन्तर्राष्ट्रीय तार मंडेगवहन सङ्घ,
(११) विश्व-अन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी सङ्घ ।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विधि

३१—१. विवाचन का स्थायी न्यायालय (The Permanent Court of Arbitration)

४०८

उत्पत्ति, इनका ढाँचा, पैनल के सदस्य, प्रशासकीय परिषद्, ब्यूरो (कार्यालय); अर्थ व्यवस्था, न्यायालय का प्रकार, विभाजक निर्णय, न्यायाधिकरण के समक्ष के कुछ मामले—(१) उत्तरीय अटलांटिक महासागरों का मामला (१९१०), (२) सावरकर का मामला (१९११), (३) रूस का दत्तपूति का मामला (१९१२) ।

३२—२. अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय (The Permanent Court of International Justice)

४११

न्यायालय की उत्पत्ति, न्यायालय के सदस्यगण, राजनैतिक विशेषाधिकार, विवाचन न्यायालय पर सुधार, न्यायालय की पहुँच, न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली विधियाँ, स्थायी न्यायालय के प्रमुख निर्णय—(१) एस० एस० विम्बेल्डन, (२) पोलैंड में जर्मन निवासी, (३) पोलैंड प्रवर सिलेशिया का मामला, (४) एस० एस० लोटस, (५) कोरजो वी फेस्ट्रो से सम्बन्धित मामला ।

३३—३. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (The International Court of Justice)

४१६

इसकी उत्पत्ति, न्यायालय का संगठन, न्यायालय की क्षमता, न्यायालय का क्षेत्राधिकार—ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार तथा मन्त्रणा क्षेत्राधिकार, सलाह क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में प्रक्रिया, न्यायाधीशों को उन्मुक्तियाँ, न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली विधि, न्यायालय की प्रक्रिया, अन्तरिम अवकाश अन्तःकालीन उपाय, आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी का मामला, न्यायिक निर्णयों का निष्पादन,

न्यायालय के समक्ष मामले—(१) कोफू चैनल वाला मामला, (२) ह्या डे ला टोरे का मामला, (३) ऐंग्लो-ईरानियन तेल की कम्पनी का मामला, (४) भारत के कतिपय क्षेत्रों पर पुर्नगालियों के आधिपत्य के अधिकार का मामला, मंत्राला परामर्श—(१) सयुक्त राष्ट्र सङ्घ की मदस्यता के लिये किसी राष्ट्र का प्रवेग, (२) किसी राष्ट्र को सयुक्त राष्ट्र सङ्घ में प्रवेश करने के लिये साधारण सभा की क्षमता, (३) सयुक्त राष्ट्र सङ्घ की सेवा में प्राप्त हानि के लिये क्षतिपूर्ति ।

भाग ३—युद्ध की विधियाँ (The Laws of War)

३४—भगड़ों का निवटारा (Settlement of Disputes)

४३५

शान्तिपूर्ण रीतियाँ, वार्ता, सद्भावना, मध्यस्थता, समाधान, अन्तर्राष्ट्रीय जांच आयोग, विवाचन, वाध्यकारी रीतियाँ, शिकायतें, प्रतिकार, प्रत्यपकार (प्रतिशाध), शत्रुतापूर्ण अविरोध, शान्तिपूर्ण सरोध (नाकाबन्दी), हस्तक्षेप, चाटर द्वारा बन्धनकारी रीतियों की अनुशास्ति ।

३५—युद्ध तथा इसका प्रभाव (War and its Effects)

४३६

परिभाषा, युद्ध के प्रकार, पूर्ण युद्ध, क्या यह आवश्यक है कि युद्ध के पूर्व युद्ध की घोषणा की जाय ? युद्ध का तारकालिक प्रभाव, राजनयिक तथा वाणिज्य सम्बन्धों नियम, वाणिज्य सम्पर्क, सविदाये, साभेदारी वाले फर्म, ऋणों का भुगतान, शत्रु के देश में प्राप्त संपत्ति, तटस्थ राज्यों में युद्ध स्थित संपत्ति, युद्ध का सन्धियों पर परिणाम, संधियाँ जिनमें युद्ध संलग्न तथा अन्य शक्तियाँ पक्षकार हैं, सन्धियाँ जिनमें केवल युद्ध-सलग्न राज्य ही पक्षकार हैं ।

३६—शत्रु लक्षण (Enemy Character)

४३७

व्यक्तियों का शत्रु स्वभाव, स्थायी निवास, शत्रु पोत, जहाजों का हस्तान्तरण, नौभार, तटस्थों का माल युद्ध में मलग्न व्यापारिक जहाजों पर तथा इनो का विरोधी, शत्रु संपत्ति, निगम, दबल तथा विजय का प्रभाव ।

- ३७—युद्ध की नई समस्याएँ (New Problems of Warfare) ४६२
युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की नई पद्धतियाँ, लीग, १९२८ का पेरिस वेक्ट,
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ ।
- ३८—स्थल युद्ध की विधियाँ (Laws of Land Warfare) ४६५
१८६४ का जेनेवा अभिसमय, सेट पीटर्सवर्ग का घोषणा, युद्ध की
रीतियाँ, सन् १९०७ का हेग अभिसमय, स्थल युद्ध की विधियों का
विकास, सन् १९४९ का जेनेवा अभिसमय, युद्धबन्दी, अस्वस्थ तथा
घायल, युद्ध-छल, युद्ध-भेदिने और धाधेबाज ।
- ३९—युद्धस्थित के दखल (Belligerent Occupation) ४७२
दखल का अर्थ, इसके परिणाम, उपासना के लिये मम पत सस्थाये,
अचल सम्पत्ति, लटाई न लहने वालों की चल सम्पत्ति, सार्वजनिक
चल सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति, युद्ध-कार्य, सामूहिक दण्ड,
न्यायालय, अधिग्रहण, अनादान तथा अर्थ दण्ड, सन् १९४९ का जेनेवा
अभिसमय ।
- ४०—समुद्री युद्ध की विधियाँ (Laws of Maritime Warfare) ४७७
उद्देश्य, पेरिस की घोषणा, शत्रु के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत पोत
पर आक्रमण, अपवाद, शत्रु की सेना में सलग्न तटस्थ व्यापारी
जहाज, तटस्थ व्यापारी जहाज शत्रु के पररक्षक जहाजों के साथ,
तटीय नगरों पर बम बरसाना, सुरंगे, पनडुब्बियाँ, डाक द्वारा पत्र-
व्यवहार, शत्रु के जहाजों का पकड़ने वाले जहाज, समुद्री युद्ध में
छल, सन् १९४९ का जेनेवा अभिसमय, अस्पताली जहाज, कर्मचारी
वर्ग ।
- ४१—नौजितमाल न्यायालय (Prize Courts) ४८५
नौजितमाल का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्राधिकार, निर्णय का प्रभाव,
प्रक्रिया, नौजितमाल न्यायालयों के कर्तव्य, नौजितमाल न्यायालय की
स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा उनके द्वारा प्रदत्त किये जाने वाली
विधि में उनकी स्थिति, नौजितमाल का विनाश, जर्मन नौजितमाल
न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय नौजितमाल न्यायालय की आवश्यकता ।

- ४०—हवाई युद्ध की विधियाँ (Laws of Air Warfare) ✓ ४६३
 ब्रसेल्स सम्मेलन, हेग सम्मेलन, प्रथम महायुद्ध, वाशिंगटन सम्मेलन, अयोधिया की स्थिति, द्वितीय विश्वयुद्ध, अणुबम प्रयोग की नैतिकता पर विचार, अणुशक्ति प्रायाग, शत्रु क नागरिक जहाज पर आक्रमण ।
- ४३—युद्ध सम्बन्धी अपराध (War Crimes) ✓ ५००
 युद्ध अपराध किम प्रकार से स्थापित होता है, नूरम्बर्ग परीक्षण— इसकी उत्पत्ति नूरम्बर्ग परीक्षण का भौतिक, अपराध की श्रेणियाँ— शान्ति के विरुद्ध अपराध युद्ध अपराध, मानवता व विरुद्ध अपराध— प्रतिरक्षा न्यायाधिकरण का निरूपण, परीक्षण की आलोचना, टोकियो परीक्षण—शान्ति के विरुद्ध अपराध, हत्यायें, अन्य अभि-समयात्मक युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराध—मनभेद प्रकट करने वाला निर्माण, जनवध, अन्तर्राष्ट्रीय दण्ड न्यायालय, बन्वक व्यक्तियों का वध एक युद्धापराध, युद्ध-अपराधियों, विज्रजलिंग और राज्यद्रोहिया के लिये शरण स्थान, युद्धापराध परीक्षण और युद्धविधियाँ ।
- ४४—परावर्तन तथा पुनर्ग्रहण या पुन बन्दोकरण का सिद्धान्त (The Doctrine of Postliminium and Recapture) ५१६
 पृष्ठभूमि, अभिप्राय तथा प्रयोग, तटस्थ प्रदेशों में इसके प्रवर्तन की सम्भावनायें—चल सम्पत्ति पर प्रभाव, अचल सम्पत्ति पर प्रभाव, ऋण शोधन (चुकाना), इसका प्रभाव, सिद्धान्त की परिसीमा, हेसे केसल मामला ।
- ४५—युद्ध का समापन (The Termination of War) ✓ ५२१
 युद्ध समापन की रीतियाँ, शान्ति सन्धि का प्रभाव, अस्थापित, युद्ध विराम सन्धि तथा युद्ध विश्वासि सन्धि, प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध ।
- भाग ४—तटस्थता की विधि
- ४६—तटस्थता (Neutrality) ✓ ५२५
 परिभाषा, तटस्थता क भेद, तटस्थता तथा तटस्थीकरण, तटस्थता सम्बन्धी प्राधुनिक धारणा, हेग का द्वितीय सम्मेलन, लन्दन की

घोषणा, प्रथम विश्वयुद्ध, लीग ऑफ नेशन्स के अधीन तटस्थता, तटस्थता तथा केलोग-ब्रिग्राड पैक्ट, स्पेन का गृह-युद्ध, पनामा की घोषणा, पनामा की घोषणा का महत्व, द्वितीय विश्वयुद्ध, चार्टर के अन्तर्गत तटस्थता, तटस्थता और आवश्यकता का सिद्धान्त, तटस्थों के अधिकार तथा कर्त्तव्य, तटस्थ राज्य के अधिकार अथवा युद्धस्थित राज्य का तटस्थ राज्य के प्रति कर्त्तव्य, तटस्थ राज्यों का युद्धस्थित राज्यों के प्रति कर्त्तव्य अथवा युद्धस्थित राज्यों के अधिकार, परहेज (अलग रहन व कर्त्तव्य), रोकन का कर्त्तव्य, युद्धपोतो का ठहरना तथा उनकी मरम्मत, उपमति के कर्त्तव्य, पुन स्थापन या वापसी के कर्त्तव्य, क्षति-पूर्ति के कर्त्तव्य, निर्णय विधि ।

४७—संकटाधिकार (Right of Angary)

५४३

संकटाधिकार, इसकी उत्पत्ति, ओपेनहेम का मत, पिट कोवेट का मत, फिलीमार का मत, सन् १८७० का फ्राय तथा जर्मनी का युद्ध, परि-सीमन, जमारा ।

४८—सरोध या नाकाबन्दी (Blockade)

५४७

परिभाषा, सरोध या नाकाबन्दी क लक्षण, पेरिस की घोषणा (१८५६), लन्दन की घोषणा (१९६), नाकाबन्दी के प्रकार, वास्त-विक तथा बन्धनकारी नाकाबन्दी के आवश्यक अंग—उचित सस्थापन, प्रभाविकता, निरन्तर बनाये रखना, विज्ञप्ति, निष्पक्षता—नाकाबन्दी का अंग, नाकाबन्दी की समाप्ति, नाकाबन्दी अंग करने के लिए दण्ड, निर्णोत वाद, सम्बन्धी दूरी की नाकाबन्दी—प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, निकट नाकाबन्दी ।

४९—विनिषिद्ध (Contraband)

५५७

परिभाषा, इसका आधार, पर्य का विभाजन, निरपेक्ष विनिषिद्ध, सप्रतिबन्ध विनिषिद्ध, अनिषिद्ध, पीटरहोफ वाला मामला, अपराध के आवश्यक अंग, विनिषिद्ध वस्तु वहन करन क लिये दण्ड, वैध अभि-ग्रहण क लिये मुआवजा, विनिषिद्ध और नाकाबन्दी से सम्बन्ध, अद्वैत यात्रा का सिद्धान्त, अद्वैत यात्रा क सिद्धान्त की नाकाबन्दी, विनिषेध तथा अतटस्थ सेवा मे उपयोगिता, निरन्तर समुद्र यात्रा के महत्वपूर्ण वाद, सन् १७५६ का युद्ध का नियम ।

परस्पर समाज में जीवन-यापन नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक राष्ट्र भी अपने आचरण को नियमित करने वाली परम्पराओं और रूढ़ियों के बिना परस्पर संसर्ग स्थापित नहीं कर सकता। जहाँ व्यक्तियों तथा राष्ट्र की जनता का आचरण नागरिक विधि द्वारा शासित होता है, वहाँ राष्ट्रों का, या राष्ट्रों के कुटुम्ब के सदस्यों, या राष्ट्रों के समाज का परस्पर आचरण अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियमित होता है।

इसकी उत्पत्ति:—अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International Law) का यह शब्द सर्वप्रथम जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham) द्वारा १७८० में रचा गया। यह राष्ट्रों की विधि (Law of Nations) का पर्यायवाची है और इसके समानार्थक फ्रांसीसी तथा जर्मन भाषा में क्रमशः 'droit des gens' 'Volkerrecht' शब्द प्रचलित हैं। बिकरशूक (Bynkershoek) ने राष्ट्रों की विधि की उत्पत्ति को तर्क और प्रथा (reason और usage) अथवा *ex ratione et usu* के कारण माना है और प्रथा को संधियों और अध्यादेशों (*pacta et edicta*) पर आधारित कहा है। दूसरे प्रसंग में उनका कहना है कि—

“Reason commands me to be equally friendly to two of my friends who are enemies to each other; and hence it follows that I am not to prefer either in war”.

तार्पर्य यह है कि तर्क यही कहता है कि हम अपने ऐसे दो दोस्तों से बराबर दोस्ती का सम्बन्ध बनाये रखें जो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं और परिणामतः हम दोनों के बीच किसी को युद्ध में प्राथमिकता न दें।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International Law) की यथार्थता पर विचार करने के पूर्व यह अधिक उपयोगी होगा कि कुछ प्रसिद्ध लेखकों, विधि-शास्त्रियों और प्रकाशकों तथा इस विषय पर कुछ प्रसिद्ध कानूनी नज़ीरो या मुकदमों के दृष्टान्तों में दो हुई परिभाषाओं पर विचार कर लिया जाय।

परिभाषायें

लॉरेंस (Lawrence)—अंग्रेजी के प्रसिद्ध विधि-शास्त्री लॉरेंस ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि की इस प्रकार परिभाषा की है :—“वे नियम जो सम्यक् राज्यों के सामान्य और सामूहिक आचरण को उनके पारस्परिक व्यवहार में निर्धारित करते हैं, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधिकांश भाग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में पृथक् युद्ध के प्रबन्ध के नियम सन्निहित हैं। स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के बीच घसमानता उनके पारस्परिक व्यवहार में बाधा उत्पन्न करती है; उनका अनियंत्रित सम्बन्ध मानवीय समाज में एक ऐसा कारण है जिससे युद्ध का सूत्रपात हो जाता है।

अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में उनके आचरण को नियमित करती है चाहे वे शत्रु-रुन में हो अथवा शान्त की स्थिति में हो ।

आपेनहेम (Oppenheim)—राष्ट्रों की विधि या अन्तर्राष्ट्रीय विधि परंपरागत तथा संधियों से उत्पन्न नियम हैं जो कि सम्य राज्यो द्वारा परस्पर के व्यवहार में वैध रूप में एक-दूसरे पर बाधित माने जाते हैं ।

हॉल (Hall)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि आचरण के उन कतिपय नियमों में निहित है जो कि वर्तमान सम्य राज्य एक-दूसरे के सम्बन्ध में अपने ऊपर उसी शक्ति और मात्रा में बाधित मानते हैं जितनी कि अपने देश के कानूनों को मानने की बाध्यता सचेतन व्यक्तियों पर मानी जाती है और यह भी मानते हैं कि यदि उन नियमों का उल्लंघन किया गया तो उपयुक्त माध्यम द्वारा उनका प्रवर्तन अवश्य किया जायेगा ।

ह्यूग्स (Hughes)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन सिद्धान्तों और नियमों का समूह है जिन्हें सम्य राज्य परस्पर के सम्बन्ध में अपने ऊपर बाधित मानते हैं, और ये संप्रभु राज्यों की सहमति पर आधारित होते हैं ।

हन्स केलसन (Hans Kelsen)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि या राष्ट्रों की विधि उन नियमों के समूह का नाम है जो कि साधारण परिभाषा के अनुसार राज्यों के व्यवहारों को एक-दूसरे के सम्पर्क में नियमित करते हैं । (International Law or the Law of Nations is the name of a body of rules which—according to the usual definition—regulate the conduct of two states in their intercourse with one another)

कैण्ट (Kent)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि सार्वजनिक निर्देशोंकी वह संहिता है जो अधिकारों की व्याख्या करती है और राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों के प्रसंग में उनके कर्तव्यों का निर्धारण करती है ।

सर सेसिल हर्स्ट (Sir Cecil Hurst)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों का समुदाय है जो उन अधिकारों का निर्धारण करते हैं जिन्हें एक राज्य दूसरे राज्य से अपने अथवा अपने नागरिकों की ओर से माँगने का अधिकारी है । (International Law is the aggregate of the rules which determine the rights which one State is entitled to claim on behalf of itself or its nationals against another State)

ब्लौकस्टोन (Blockstone)—राष्ट्रों की विधि नियमों की एक व्यवस्था है जो प्राकृतिक तर्क द्वारा अनुमानित है और विश्व के सम्य नागरिकों की सार्वभौमिक सहमति से प्रवर्तित है । इसका उद्देश्य सभी अंगुष्ठों को तय करना, सभी नागरिक औपचारिकताओं को नियमित करना और अपने उस व्यवहार में जिसे दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों के बीच निरन्तर होना चाहिए, न्याय और सद्भावना को अधिक

सुनिश्चित करना और दोनो के व्यक्तियों के बीच न्याय और सद्भावना उत्पन्न करना हुमा करता है ।

गाउल्ड (Gould)—“अन्तर्राष्ट्रीय विधि यहाँ तक कि व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रसंगों में भी सार्वजनिक विधि है ।”

ब्रायरले (Brierly)—राष्ट्रो की विधि या अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि यह उन नियमों तथा कार्यों के सिद्धान्तों का समूह है जो कि सम्य राज्यों पर उनके एक दूसरे के सम्बन्ध में बाधित हैं ।

पिट कोबेट (Pitt Cobbett)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि इस प्रकार बखित की जा सकती है कि यह उन नियमों का योग है जो कि सम्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति तथा एक दूसरे की जनता के प्रति अपना आचरण निर्धारित करने के लिए स्वीकार किए गए हैं ।

सर हैनरी मैने (Sir Henry Maine)—राष्ट्रो की विधि भिन्न-भिन्न अंशों से रचित एक मिश्रित व्यवस्था है । इसमें नैसर्गिक प्रकार से निष्पक्ष राष्ट्र के व्यक्तियों के आचरण के लिये तथा राष्ट्रों के सम्बन्ध और आचरण के लिए सामान्यतया उपयुक्त अधिकार तथा न्याय के सामान्य सिद्धान्त, प्रथाओं, लोकरीतियों और सम्मतियों का संग्रह, सम्पत्ता तथा व्यापार की वृद्धि और निश्चित अथवा पोजिटिव विधि (Positive Law) की सहिता सम्मिलित हैं ।

स्टार्क (Stalke)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि को यो परिभाषित किया जा सकता है कि यह उन विधियों का समूह है जिनका अधिकांश भाग उन आचारण के सिद्धान्तों तथा नियमों का बना हुआ है जिनको राज्य अपने परस्पर सम्बन्धों में पालन करने के लिये अपने को बाध्य समझते हैं, अतः साधारणतया पालन करते हैं, और जिनमें कि निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं या सगठनों के संचालन-सम्बन्धी विधि के नियम, उनके एक-दूसरे के प्रति सम्बन्ध तथा उनके राज्यों और व्यक्तियों के प्रति सम्बन्ध, और

(आ) व्यक्तियों से सम्बन्धित कुछ विधि-नियम जो कि ऐसे व्यक्तियों के अधिकार या कर्तव्य को निर्धारित करते हो जो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विषय हो ।

स्टार्क की उपरोक्त परिभाषा जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर अमेरिका के प्रमाण पुरुष प्रोफेसर चार्ल्स हेने हाईड (Professor Charles Cheney Hyde) द्वारा दी हुई परिभाषा का ही रूपान्तर है, हमारे समक्ष एक नया दृष्टिकोण उपस्थित करती है । परम्परागत परिभाषाओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि वह पद्धति है जिसमें राज्यों के परस्पर सम्बन्ध को निश्चित करने वाले नियम ही भाते हैं ; युद्धोत्तर प्रगतियों को देखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय सस्थायों तथा सगठनों की भाषातिकभावश्यकता और भी बढ़

गई है, और संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, विश्व-स्वास्थ्यसंघ आदि प्रकट हो गए हैं। इनका अन्तर्राष्ट्रीय वैध व्यक्तित्व मान लिया गया है और ये संस्थायें एक दूसरे से तथा राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करती तथा मानवीय अधिकारों की रक्षा करने और व्यक्तियों की मौलिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा हेतु कार्यवाही करती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विधि की पुरानी परिभाषाएँ अब प्रचलित नहीं हैं तथापि सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि की पुरानी परिभाषाओं में भी सत्य का एक अंश है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रमुख रूप से एक व्यवस्था है जिसके द्वारा राज्यों के अधिकार तथा कर्तव्य परस्पर नियमित किये जाते हैं और इसी कारण यह राष्ट्रों की विधि (Law of Nations) भी कही जाती है।

फ्रैंकोनिया-विवाद—R. v. Keyn (The Franconia) (१८७६)
 में लार्ड कॉलरिज (Lord Coleridge), मुख्य न्यायाधीश, का कथन है कि राष्ट्रों की विधि उन रूढ़ियों या परम्पराओं का समूह है, जिनको कि सभ्य राज्यों ने एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहारों में मानना स्वीकार कर लिया है। ये रूढ़ियाँ क्या हैं, कोई विशेष रूढ़ि स्वीकृत की गई है अथवा नहीं, ये बातें अवश्य साक्ष्य पर निर्भर होनी चाहिये।

वेस्ट रैंड गोल्ड माइनिंग कम्पनी लिमिटेड सम्बन्धित विवाद (West Rand Gold Mining Co. Ltd. v. The King) (१९०५) वाले प्रसिद्ध विवाद में लार्ड अलवर्स्टन (Lord Alverstone) मुख्य न्यायाधीश ने किलोवन के लार्ड रसेल (Lord Russell of Killowen) द्वारा सन् १८६६ में सेराटोगा में दिये गये भाषण में दी गई परिभाषा को इस कथन द्वारा स्वीकार किया था, कि वह इससे उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा नहीं जानते कि "यह उन नियमों तथा रूढ़ियों का योग है जो कि सभ्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहारों में अपने ऊपर बाध्य मान लिये गये हैं।"

एस० एस० लोटस विवाद (S. S. Lotus)—एस० एस० लोटस (१९२७) सम्बन्धित विवाद में जो कि फ्रांस और टर्की के बीच में हुआ, अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice) ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा निम्न रूप से दी थी :—

"International Law was defined as meaning the principles which are in force between all independent nations" तात्पर्य यह है कि ये वे सिद्धान्त हैं जो सभी स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच प्रवर्तित हैं।

यह परिभाषा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के दो महत्वपूर्ण तत्त्वों पर बल देती है— एक तो इसकी सार्वभौमिकता पर और दूसरे इसकी अनन्यता पर। इसमें अधिक बल

‘स्वतन्त्र राष्ट्रों’ शब्द पर है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय के अनुसार वही सिद्धान्त प्रवर्तित किये जाते हैं, जिनका सम्बन्ध सभी राष्ट्रों से नहीं, अपितु सभी स्वतन्त्र राष्ट्रों से हुआ करता है।

पैकट हबाना विवाद (The Paquete Habana Case) - न्यायाधीश ग्रे (Gray, J.) ने यह अवलोकन किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि सयुक्त राज्य (अमेरिका) की विधि का भाग है और उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा प्रशासित होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उस अवस्था में, जहाँ कि कोई सन्धि अथवा कोई शासकीय अथवा विधायनिक अधिनियम (Act) या न्यायिक निर्णय न हो, सम्म राष्ट्रों की ऐसी रीतियों तथा रूढ़ियों का साक्ष्य रूप में सहारा लेना चाहिये जिन्हें न्याय-प्रवीणों तथा भाष्यकारों ने वर्षों के परिश्रम, अनुसंधान और अनुभव के आधार पर अपने ग्रन्थों में इस विषय पर लिखा है।

ऊपर दी गई बहुत-सी परिभाषाएँ यह व्यक्त करती हैं कि भिन्न-भिन्न लेखकों ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों की विविधता पर किस प्रकार बल दिया है। आरम्भिक विद्वान् प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक तर्क और न्याय के सिद्धान्त पर बल देते थे जब कि आधुनिक लेखक विधि के नियमों की सीमा को व्यक्तियों और राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अधिकारों और कर्तव्यों के निर्धारण तक फैला हुआ मानते हैं। आधुनिक विद्वान् रूढ़ियों (रीतियों) और सन्धियों को विधि का मुख्य स्रोत मानते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि को आज हम विधि-शास्त्र का असहाय शिशु नहीं कह सकते। इसका एक न्यायिक आधार है और इसका उद्देश्य समन्वयिक और न्याय-पूर्ण ढंग से विश्व समुदाय के अन्तर्युनिट सम्बन्धों (equitable and just regulation of inter-unit relations within the world community) को नियमित करना है।

सार्वजनिक और वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Public International Law and Private International Law) :—ऊपर दी गई परिभाषाएँ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि से साधारणतया सम्बन्धित हैं। “व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि” उन सिद्धान्तों का समूह है जो क्षेत्राधिकार और उपयुक्त विधि के चुनाव सम्बन्धी प्रश्नों का निर्धारण करते हैं। ये प्रश्न नागरिक विवाद के होते हैं जो निर्णय हेतु किसी एक राज्य या देश के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, किन्तु जिनमें कोई न कोई विदेशी तत्व (foreign element) अवश्य सम्निहित होता है। तदर्थ यह है कि वह प्रश्न विदेशी व्यक्तियों, वस्तुओं या घातियों या पूर्ण रूप से किये गये विदेशी व्यापारों, या किसी विदेशी कानून-व्यवस्था आदि पर प्रभाव अवश्य डालते हैं।” (Pitt Cobbett's Leading Cases on International Law).

“वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

“प्रथम—उन शर्तों को निश्चित करना जिनके अनुसार न्यायालय को कोई वाद प्रतिग्रहण करने के लिए उचित क्षेत्राधिकार प्राप्त हो ,

“द्वितीय—प्रत्येक श्रेणी के वाद के लिए विशिष्ट वैधानिक व्यवस्था निर्धारित करना जिसके अनुसार पक्षकारों के अधिकारों का पता लगाया जा सके ; और

“तृतीय—उन परिस्थितियों का विस्तारपूर्वक वर्णन करना जिनमें कि (अ) कोई विदेशी निर्णय किसी विवादास्पद प्रश्न के निश्चित करने के लिए प्रमाण मान लिया जाय । और (आ) किसी महाजन को किसी विदेशीय निर्णय द्वारा दिये गये अधिकार को कार्यवाही द्वारा इंग्लैंड में प्रवर्तित कराया जा सके ।”

वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रत्येक देश में भिन्न होती है, अतः वैयक्तिक और सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कोई सादृश्य नहीं है ।

डाइसी महोदय (Dicey) इसे ‘विधि-सर्घर्ष’ (Conflict of Laws) कहते हैं क्योंकि यह उन मामला से सम्बन्धित नियमों की व्यवस्था करता है जिनमें भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की नागरिक विधियाँ (Municipal Laws) एक दूसरे के विरोध रूप में उपस्थित होती हैं । ऐसे विधि-सर्घर्ष नागरीकरण, विवाह, तलाक, इच्छापत्र और सविदाओं की वैधता आदि के प्रसंग में उठ सकते हैं । इसको ‘अन्तर-नागरिक राष्ट्रीय विधि’ (Inter-Municipal Laws), ‘अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य’ (International Comity) इत्यादि भी कहते हैं ।

उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि मुख्य रूप से एक शान्ति वा कानून है जो कि राज्यों के एक-दूसरे के व्यवहारों और सम्बन्धों को नियंत्रित करता है । कबल दो राष्ट्रों में सर्घर्ष छिड़ जाने अथवा युद्ध की घोषणा हो जाने व पश्चात् ही युद्ध के कानूनों और युद्ध में लगे हुये और तटस्थ राष्ट्रों के अधिकारों और भावनों का आरम्भ होता है । वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों वा समूह है जो क्षेत्राधिकार के प्रश्नों के निर्णय करने के लिये हैं जो कि किसी राष्ट्र अथवा देश के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले व्यवहार-वादों में जिनमें कोई विदेशीय तत्व भी सम्मिलित हो, उचित विधि चुनने के सम्बन्ध में उपस्थित होते हैं । क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि यथार्थ में विधि (Law) है ?

‘राष्ट्रों की विधि’ के विज्ञान के विकास के प्रारम्भिक काल से ही यह प्रश्न कि क्या ‘अन्तर्राष्ट्रीय विधि’ यथार्थ में विधि है एक विवादास्पद विषय रहा है । क्या हमें बाध्यता की शक्ति है, इस प्रश्न पर विभिन्न सम्मतियाँ हैं । विधिशास्त्र (Jurisprudence) पर प्रमुख अग्रणी लेखक जॉन ओस्टिन (John Austin) ने यह प्रतिपादन किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि यथार्थ में विधि नहीं है बल्कि यह आचरण सम्बन्धी नियमों की संहिता है जिनका बल केवल नैतिक है । हाब्स (Hobbes) तथा

पफेन्डोर्फ (Pufendorf) ने भी इस प्रश्न का निपेधात्मक उत्तर दिया है और कहा है कि राष्ट्रों की कोई ऐसी विधि नहीं है जो कि उचित रूप से सच्चे और वैध बल से युक्त हो और अपने से वरिष्ठ की आज्ञा के समान बाधित हो। वाटेल (Vattel) के अनुसार 'राष्ट्रों की विधि' (Law of Nations) मूल में और कुछ नहीं बरद केवल प्रकृति के नियम है जो राष्ट्रों पर लगाये गये हैं। हालैंड (Holland) ने यह समर्थन किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि साधारण विधि से इस बात में भिन्न है कि इसे राज्य की प्राधिकार शक्ति का समर्थन नहीं प्राप्त है। उनके अनुसार यह केवल वैयक्तिक विधि है जिसे विस्मृत रूप में लिख दिया गया है। इस दृष्टिकोण से देखने पर उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को विधि-शास्त्र को लोप करने वाला विन्दु (vanishing point of Jurisprudence) कह कर वर्णन किया है। वेन्थम (Bentham) ने भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि को उचित रूप से विधि मानने के सम्बन्ध में आपत्ति की है।

इसके विपरीत हाल (Hall) तथा लॉरेन्स (Lawrence) जैसे प्रसिद्ध विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि न केवल विधि के समान कार्य ही करती है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता से अपने नियमों तथा अनुशास्ति दोनों रूपों द्वारा स्पष्टतया पूर्ण रूप से भिन्न है। हाल महोदय यह कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्वभावतः विधि मानी जाती है और जो कुछ इस समय विधि के रूप में स्वीकृत है उसका कुछ भाग प्रकृति से ही उमसे पृथक नहीं किया जा सकता। लॉरेन्स महोदय इस बात पर विशेष महत्व देते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि साधारणतः राज्यों द्वारा व्यवहृत की जाती है, यद्यपि यत्र-तत्र अन्य विधियों के समान ही इसके भी कुछ भादशों की उपेक्षा की जाती है और यदा-बदा की इस उपेक्षा से हम उसे अकृति या अस्तित्वहीनता की सीमा तक नहीं कह सकते।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रश्न को हल करना कानून की उस परिभाषा पर निर्भर करता है, जिसे हम अपना लें।

ऑसिटेन (Austin) का यह मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि कोई विधि ही नहीं है क्योंकि यह किसी ऐसे प्राधिकारी से उत्पन्न नहीं होती जो विधि सृजित करता हो और इसके पीछे कोई अनुशास्ति (sanction) नहीं है। उनका मयन है कि वह विधि जो राष्ट्रों के बीच में मानी जाती है निश्चयात्मक विधि नहीं है क्योंकि प्रत्येक निश्चयात्मक विधि एक सप्रभु द्वारा अपने अधीन राज्य के व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए निर्धारित की जाती है। उनसे अनुसार राष्ट्रों के बीच प्रवर्तित कानून केवल सामान्य सम्मति के आधार पर निर्धारित विधि है और जिन कर्तव्यों को वह आरोपित करता है वह नैतिक शक्ति द्वारा लागू किये जाते हैं। कोई अग्रपूर्वक कार्य बनाने वाली शास्ति जो कि बरिष्ठ मरु से प्राप्त हो यहाँ सम्मन नहीं है, क्योंकि विवाद करने वाले राष्ट्रों के ऊपर कोई सप्रभु शक्त नहीं है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को 'निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय

नैतिकता' (positive international morality) कहा है जिसमें सम्मतियाँ या भाव जो कि राष्ट्रों के बीच साधारणतः प्रचलित हैं (opinions or sentiments current among nations generally) सम्मिलित हैं ।

हालैंड जैसा कि ऊपर कहा गया है थॉस्टिन की सम्मति से सहमत हैं । उनका कथन है कि ऐसे नियम जो कि स्वेच्छासे, यद्यपि स्वभावतः, प्रत्येक राष्ट्र, अन्य के साथ व्यवहार करने में पालन करते हैं, केवल शिष्टाचार के नाते ही विधि कहे जा सकते हैं—
Such rules as are voluntarily, though habitually, observed by every State in its dealings with the rest can be called law only by courtesy "
ये किसी राज्य के प्राधिकार द्वारा समर्थित नहीं होते । उनके अनुसार यह विधि-शास्त्र का लोप-विन्दु है, क्योंकि इसमें किसी सघर्ष की स्थिति में जनता की राय के प्रतिरिक्त अन्य कोई विवाचक नहीं होता ।

लार्ड सैलिस्बरी (Lord Salisbury) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि किसी न्यायाधिकरण द्वारा प्रवर्तित नहीं होती, इसलिये उसे साधारण अर्थों में कानून या विधि कहना भ्रमात्मक है ।

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की गणना सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में है । वे भी इसी सम्मति से सहमत हैं । अन्तर्राष्ट्रीय-विधि-परिषद् की भारतीय शाखा की बैठक में जो कि दिल्ली में मार्च ३१ सन् १९५१ को हुई थी, भाषण करने हुये उन्होने कहा था कि विश्लेषण के द्वारा अन्त में हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय विधि नहीं है । किसी प्रकार एकमत होने के लिये उद्योग किया गया था, परन्तु व्यवहारतः देखा गया है कि अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय विधि अथवा उस विषय में कोई विधि इस प्रकार की एक वस्तु हो जाती है जिसमें किसी वरिष्ठ शक्ति अथवा अधिक शक्ति रखने वाले किसी समुदाय द्वारा शास्त्र का प्रवर्तन होने लगता है । उन्होने अपने भाषण में आगे कहा कि जब कोई सकट, जैसे कि युद्ध, उत्पन्न होता है तो सब विधियाँ समाप्त हो जाती हैं, और अनुमानतः वे केवल वकीलों के वाद-विवाद का विषय मात्र बनकर रह जाती हैं ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि से कम शास्त्र-सूचक तथा कम स्पष्ट है, तथापि यह विधि है । विधि के पीछे केवल दबाव ही शास्त्र नहीं है । इसकी प्रभुति के अन्तर्गत जितना ही अधिक बल महत्वपूर्ण है उतना ही अधिक न्याय भी । इसमें भय की मात्रा भी अनुपस्थित नहीं है । राष्ट्रों को यह भय रहता है कि यदि वे अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के नियमों का प्रकट उल्लंघन करेंगे तो इसका परिणाम उनके लिये अनुचित होगा । साधारण विधि के समान अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भी कभी-कभी उपेक्षा की जाती है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि विधि का अस्तित्व ही नहीं है, या विधि सर्वथा प्रकृति तक पहुँच गई है ।

सर हेनरी मेन ने ऑस्टिन के विधि-सम्बन्धी विचारों की समालोचना करते हुये कहा है कि मनुष्य अदृश्य कभी-कभी नियमों को दड के भय से मानता है परन्तु प्रत्येक समाज के अधिकांश मनुष्यों के साथ ऐसे मनुष्यों की तुलना करने पर यह प्रकट होता है कि इस श्रेणी के मनुष्यों की संख्या कम होती है और सभ्यत उन्हीं लोगों की श्रेणी तक सीमित है जिन्हें हम अपराधी जाति के कहते हैं। अधिकतर नियमों का पालन मनुष्यों द्वारा अनजान में ही मानसिक स्वभाव के कारण होता है।

स्टार्क (Starke) ने ऑस्टिन (Austin) के सिद्धान्त का निम्नलिखित आधार पर विरोध किया है —

(क) आधुनिक विधि-शास्त्र ने विधि के सामान्य सिद्धान्त को कम कर दिया है। यह देखा जाता है कि बहुत से समुदाय ऐसे होते हैं जहाँ कोई प्राधिकारिक वैध शक्ति नहीं होती, फिर भी विधि की एक रीति प्रचलित रही है, और उसका पालन पूर्ण रूप से होता रहा है और ऐसी विधि की बाध्यता में किसी वैध शक्ति-सम्पन्न राज्य की वैधता में कोई अन्तर नहीं रहा है।

(ख) ऑस्टिन के विचार भले ही उन दिनों ठीक रहे हों, किन्तु उन्हें हम आज की परिस्थितियों में लागू नहीं कर सकते।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्नों को उन लोगों द्वारा सदैव वैय प्रश्नों के रूप में माना गया है जा वैदेशिक पदा 'foreign offices' पर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों को करते रहे हैं।

फिलोवेन के लॉर्ड रसेल (Lord Russel of Killowen) भी इस विचार से सहमत हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन समाजों में भी, जिनमें ऑस्टिन (Austin) द्वारा दिये गये अर्थ के अनुसार विधि बनाने की व्यवस्था उपस्थित है ऐसे नियम और ऐसी रूढ़ियाँ विकसित होती हैं जा यथार्थ में 'विधि' हैं। अधिकांशत जनमत पर निर्भर रहते हुये ज्यो-ज्यो शासन व्यवस्थाये स्पष्टतया अधिकाधिक लोकतन्त्रात्मक होती जाती हैं त्यों-त्यों विधियाँ क्रूर सत्ता द्वारा प्रतिष्ठापित अनुज्ञाया व रूप को छोड़ती जाती हैं और अधिकतया स्वभावतः स्वीकृतिपर निर्भर प्रथागत विधि (customary law) का रूप धारण करती हैं और इस विचार उ उन नियमों के योग का, जिन पर अपना आचरण निर्भर करने के लिये राष्ट्र एक दूसरे के प्रति सहमत है उचित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहा जा सकता है।

आधुनिक लखक जैसे हॉल और सॉरिंस, अन्तर्राष्ट्रीय विधि को यथार्थ विधि मानते हैं। उनसे अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्वभावतः विधि रूप में मानी

तथा प्रवर्तित समझी जाती है । कुछ निश्चित विधियों के समान यह भी रूढ़ि से उत्पन्न हुई है । पूर्ववर्ती दृष्टान्त अन्तर्राष्ट्रीय विधि का भी उतना ही स्रोत माना जाता है जितना कि यह निश्चयात्मक (positive) नियम का और इसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है ।

इसके अनन्तर अन्तर्राष्ट्रीय नियम अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लागू किये जाते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में अनुशास्ति (sanction) का विचार एक सस्था अर्थात् सयुक्त राष्ट्र-संघ में एक निश्चित रूप ग्रहण कर रहा है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियों, संधियों और मध्यस्थ निर्णय के करार (agreements) ने कई ऐसे सुनिश्चित सिद्धांतों को जन्म दिया है जो कि राष्ट्रों के प्राकृतिक और पारस्परिक सम्बन्धों में उनके कार्यों को उसी प्रकार सीमित कर देते हैं जिस प्रकार कि इंगलैंड की विधियाँ उनके नागरिकों के कार्यों को सीमित कर देती हैं ।

प्रोफेसर ओपेनहेम (Professor Oppenheim) विधि को इस प्रकार परिभाषित करते हैं—यह किसी समाज के भीतर मनुष्यों के आचरण के लिये उन नियमों का समूह है जो कि उस समाज की सर्वमान्य सम्मति से एक बाह्य शक्ति द्वारा प्रवर्तित किये जायेंगे—“a body of rules for human conduct within a community which by common consent of this community shall be enforced by external power” इस परिभाषा में विधि के अस्तित्व के लिए निम्नलिखित अभिधाराणाएँ मानी गई हैं:—प्रथम एक समुदाय (community), द्वितीय, उनमें मनुष्यों के आचरण के लिए नियमों का एक समूह, तृतीय उन नियमों को एक बाह्य शक्ति द्वारा प्रवर्तित करने के लिए उस समाज की सर्वमान्य सम्मति । ओपेनहेम महोदय का कथन है कि “एक समुदाय कई व्यक्तियों का समूह है जो कि आपसमें ऐसे सर्वमान्य हितों से कुछ न कुछ सम्बद्ध हों जो कि उन प्रत्येक व्यक्तियों के बीच में निरन्तर तथा बहुविधि ससर्ग उत्पन्न करते हों ।” इस परिभाषा में ‘समुदाय’ शब्द में केवल व्यक्तिगत मनुष्य द्वारा बना हुआ समाज ही सम्मिलित नहीं है वरन् इसमें व्यक्तिगत समाज के समूह भी सम्मिलित हैं जैसे व्यक्तिगत राष्ट्र । अब राष्ट्रों के कुटुम्ब को अन्तर्राष्ट्रीय समाज समझ लिया जाय जिसमें कि उसके सदस्य राष्ट्रों के आचरण के लिये नियम विकसित हो गये हैं जिनका आधार अशतः रूढ़ियों और अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकार-पत्र (करार) जैसे पेरिस की उद्घोषणा, १८६४, (Declaration of Paris, 1856) भूमि-युद्ध सम्बन्धी हेग अभिसमय १८६६ और १९०७ (Hague Conventions relating to Land Warfare, 1899 and 1907), पेरिस की सन्धि, १९२८ (Pact of Paris, 1928) तथा सयुक्त राष्ट्रों का अधिकार-पत्र १९४५ (Charter of the United Nations, 1945) हैं । इन नियमों के प्रवर्तन की अनुशास्ति अन्त-

राष्ट्रीय समाज की सहमति द्वारा दी गई है। सुरक्षा परिषद (Security Council) को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह वायु, जल तथा स्थल सेना से ऐसा कार्य ले जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने अथवा पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक हो; और इस प्रयोजन के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे सुरक्षा-परिषद की माँग पर सेना, सहायता तथा सुविधायें, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये उपस्थित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कर्त्तव्य है कि वह आक्रमण तथा शांति-भङ्ग के विरुद्ध प्रभावकारी सामूहिक शक्ति का उपयोग करे।

सुरक्षा-परिषद के जून २७ और जुलाई ७, १९५०, के प्रस्तावों से जिनके द्वारा यह संस्तुति की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य गणतन्त्र कोरिया को ऐसी सहायता दे जो कि सशस्त्र आक्रमण को पीछे हटाने के उपयुक्त हो और वे उस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को पुनः स्थापित करें, और यह कि सभी सदस्य-राष्ट्र अपनी सहायता एवं सेना संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक नियन्त्रण में कोरिया को सहायता हेतु प्रस्तुत करें; विश्व के इतिहास में सबसे पहला एक दृष्टान्त उपस्थित हुआ जिसमें किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने सामूहिक सैनिक कार्यवाही का प्रयोग किया था। इस दृष्टान्त ने सर्वप्रथम इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण उपस्थित किया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में अपने सही अर्थों में विधि है।

इस अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रवर्तन भी ठीक निमित्त और निश्चयात्मक विधि के रूप में किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने १६ राष्ट्रों द्वारा दी गई सैनिक सहायता का कोरिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नेतृत्व किया और ४० राष्ट्रों ने इसी प्रसंग में आर्थिक सहायता पहुँचायी। यही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने १२ दिसम्बर १९५० को अन्तर्राष्ट्रीय रुठियों का खंडन करने वाले व्यक्तियों को दंड निर्धारित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) की स्थापना की भी सहमति दे दी, और १७ राष्ट्रों की समिति ने इसके प्रारूप को तैयार किया जो कि आगे चलकर १९५३ में पुनः 'इंटरनेशनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन' अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक क्षेत्राधिकार की समिति की बैठक के समय पुनः परिशोधित किया गया।

इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच ऐसी अनेक घटनाएँ घटी हैं और आज भी घट रही हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा प्रवर्तित विधियों को पूर्ण रूप से निश्चयात्मक विधि के रूप में माना गया है।

इस विषय पर स्टीमशिप प्रोमैथ्यूस (S. S. Prometheus) में विचार किया गया। सर हेनरी बर्कले, प्रधान न्यायाधीश, ने कहा, "भेरी, सम्मति में विधि स्थापित

की जा सकती है और वह अन्तर्राष्ट्रीय हो सकती है, अर्थात् सब राष्ट्रों पर बाध्य हो सकती है, यदि वे राष्ट्र जो अपने को उससे बाध्य करना चाहें आपस में सहमत हों, यद्यपि उसकी आज्ञा का पालन कराना किसी राष्ट्र द्वारा जो कि उस स्वीकारपत्र पर पक्षकार रहा हो सम्भव न होगा। किसी राष्ट्र का अवरोध उस विधि के लिए जिसके लिये कि वह सहमत हो गया है विधि की अधिकार शक्ति को लघु नहीं करता क्योंकि वह अवरोध सम्भवतः विजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का अवरोध केवल उस अवरोधक राष्ट्र को उस विधि का भंगकर्ता बनाता है जिसके लिए वह अपनी मान्यता प्रदान कर चुका था, पर वह विधि जिसके स्थापित करने में अवरोध करने वाला राष्ट्र पक्षकार रहा है, उसी प्रकार बनी रहती है। क्या यह सफलतापूर्वक प्रतिपादित किया जा सकता है कि चूंकि कोई मान्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह तत्समय के लिये किसी स्थापित नागरिक विधि को अवरोध करने की शक्ति रखे तो ऐसी दशा में विधि का अस्तित्व ही नहीं है ? इस प्रतिपादन का उत्तर यही होगा कि विधि का अर्थ भी अस्तित्व है भले ही तत्समय इसकी आज्ञापालन का प्रवर्तन कराना सम्भव न हो।

जे० एल० ब्रायरले (J. L. Brierly) के मतानुसार "किसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अस्तित्व केवल इस बात का अवश्यभावी परिणाम है कि इस संसार में बहुत से राष्ट्र हैं और वे अनिवार्यतः एक दूसरे के सम्बन्ध में आते हैं और एक साथ रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अस्तित्व का सर्वोत्तम साक्ष्य यह है कि प्रत्येक राष्ट्र, जो वास्तव में अस्तित्व रखता है यह मानता है कि इसका (अन्तर्राष्ट्रीय विधि का) अस्तित्व है, और वह अपने को इसके पालन के लिए बाध्य समझता है। राष्ट्र बहुधा अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे कि व्यक्ति बहुधा नागरिक विधियों का उल्लंघन करते हैं। परन्तु वे भी अपनी प्रतिरक्षा इस आधार पर नहीं करते हैं कि वे कानून के बन्धन से परे हैं।"

इस प्रसंग में सर फ्रेडरिक पोलॉक (Sir Frederick Pollock) का निम्नलिखित कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है —

"यदि अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल एक प्रकार की नैतिकता होती तो राज्य की वैदेशिक नीति को बनाने वाले लोगों ने अपने तर्क बहुधा नैतिकता पर ही आधारित रखे होते। बल्कि वास्तव में वे ऐसा नहीं करते।" (They appeal not to the general feeling of moral rightness, but to precedents, to treaties, and to opinions of specialists. They assume the existence among statesmen and publicists of a series of legal as distinguished from moral obligations in the affairs of nations"—Pollock, Oxford Lectures, 1890, p. 18). अर्थात् वे किसी भी चिन्तक के लिए नैतिकता की सामान्य

भावनाओं का सहारा नहीं लेते बल्कि राष्ट्रों के प्रसंग में पूर्व दृष्टान्तों, संधियों और विशेषज्ञों की सम्मतियों का आश्रय ग्रहण करते हैं ।

सर सेसिल हर्स्ट (Sir Cecil Hurst) का भी कहना है कि कोई राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि की अधीनता से परे नहीं हो सकता—“A state cannot escape from subjection to International Law .”

पुनः ओपेनहेम के शब्दों में—“विज्ञान और कला ने जो कि स्वभावतः अधिक सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय हैं, भिन्न-भिन्न राज्यों की प्रजाओं के बीच विचारों तथा सम्मतियों का निरन्तर आदान-प्रदान स्थापित कर दिया है । इनमें सबसे अधिक महत्त्व के कृषि-उद्योग और विशेषतः व्यापार हैं । यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ही था जिसने कि भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के मध्य से प्रवाहित होने वाले महासागरों तथा नदियों पर यातायात स्थापित कर दिया । सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा मानवीय हितों ने अन्तर्राष्ट्रीय एकाकरण तथा संगठन की भाग का है । लीग ऑफ नेशन्स (राष्ट्रसंघ), संयुक्त राष्ट्र सभ और अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के स्थायी अंगों तथा सस्थाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय और अन्तर्राष्ट्रीय आयोग (कमीशन) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकाशन के लिए स्थापित कर दिये गये हैं और हेग में एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित कर दिया गया है । यद्यपि राज्य व्यक्तिगत रूप से सार्वभौम सत्ता रखते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और उनके ऊपर कोई अन्तर्राष्ट्रीय शासन नहीं है तथापि उन्हें एकता के सूत्र में बाँधने वाले कुछ समान हित अवश्य हैं जिनमें वे बंधे रहते हैं ।”

यह बात सत्य है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब कोई संकट जैसे युद्ध, उपस्थित होता है, सब विधियाँ समाप्त हो जाती हैं और अनुमानतः वे केवल वकीलों के वाद-विवाद में रह जाती हैं । ओपेनहेम ने इस विषय पर समुचित प्रकाश डाला है । उनका कथन है कि “अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन अवश्यमेव प्रायः किया जाता है, विशेषतः युद्ध के बीच में । परन्तु अपराधी सर्वदा यह सिद्ध करने का यत्न करते हैं कि उनके कार्य उल्लंघन की सीमा तक नहीं पहुँचते, और उनको राज्यों की विधि द्वारा इस प्रकार कार्य करने का अधिकार है, भयवा राज्यों की विधि का कोई नियम उनके कार्यों के विरुद्ध नहीं जाता । वास्तव में यह बात है कि राज्य जब ‘राष्ट्रों की विधि’ को भंग करते हैं तो वे इसके अस्तित्व को कभी अस्वीकार नहीं करते, बल्कि वे ‘राष्ट्रों की विधि’ की इस प्रकार व्याख्या करने का प्रयास करते हैं कि जिससे उनका आचरण न्याय्य ठहरे और ऐसा करने में उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का पुनः-पुनः उल्लंघन इसके वैध प्रभाव को प्रायः समाप्त हो कर देता है तथापि यह साधारणतः बहुधा चिढ़ पैदा करने वाला—कथन है कि इसका प्रभाव बाध्यात्मक है, निरर्थक नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के दोष—इसमें सन्देह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि एक कमजोर विधि है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधान-व्यवस्था ऐसी शक्ति-सम्पन्न नहीं है जैसी कि किसी राज्य की विधान-व्यवस्था हुआ करती है। नियमित अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय-विधि का न तो कोई विधान-मंडल है और न कोई अधिशासीवर्ग। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि इसके न्यायाधिकारी वर्ग का प्रतिनिधि स्वरूप है, का न तो कोई ऐसा अधिकार-क्षेत्र है जो सम्पूर्ण विश्व में प्रभावशाली हो और न उसके निर्णय ही राष्ट्रों के बीच के झगड़ों को पूर्णरूप से निपटाने के लिए निश्चित मान जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि कोई अन्तर्राष्ट्रीय विधान-मंडल की बनाई हुई विधि नहीं है बल्कि यह उन रूढ़ियों का समूह है जिनको सम्यक् राष्ट्रों ने अपने एक दूसरे से व्यवहार में पालन करने के लिए स्वीकार कर लिया है। पिट कॉबेट (Pitt Cobbett) महोदय ने तो यहाँ तक लिखा है कि "It is not only less imperative and less explicit than State Law, but it also lacks the coercive force of State Law." अर्थात् यह राज्यों द्वारा निमित्त विधियों से केवल कम प्रभावकारी या बाधित ही नहीं है बल्कि यह राज्य-निमित्त विधि की अधपीडक शक्ति (coercive force) में भी पीछे रह जाती है। पेटन साहब के कथनानुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्बन्धी पक्ष बहुत ही बलहीन है—कोई विधान-मंडल नहीं है और यद्यपि एक न्यायालय वर्तमान है तथापि यह पक्षकारों की सम्मति से ही कार्य कर सकता है और इसमें अपने निर्णयों के प्रवर्तन की वास्तविक शक्ति नहीं है। यह बात सत्य है कि शान्ति के समय अन्तर्राष्ट्रीय विधि कदाचित् ही भंग की जाती हो। परन्तु ज्योंही गभीर स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं हम देखते हैं कि स्वीकृत नियमों की स्पष्ट रूप से उपेक्षा की जाने लगती है। सत्कार का लोचमत्त एक ऐसा विषय हो सकता है जिसकी हम सहज ही उपेक्षा न कर सकें। तथापि किसी नियम भंग करने वाले राष्ट्र से व्यवहार करना एक असम्यक् पुरुष को उसके समुदाय से बहिष्कृत करने से ही कहीं अधिक कठिन है। अतः यद्यपि आदिकालीन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि दोनों में विधि सम्बन्धी व्यवस्था का अभाव है तथापि आदिकालीन विधि की अनुशास्तियाँ वस्तुतः अधिक प्रभावपूर्ण होती हैं क्योंकि वे व्यक्ति पर प्रवर्तित की जाती हैं न कि राष्ट्र पर। अन्तर्राष्ट्रीय विधि की बलहीनता प्रवान न्यायाधीश लार्ड कॉलरिज (Lord Coleridge) द्वारा भी फ्रैंकोनियाँ विवाद (R. v. Keyn : The Franconia) में इस प्रकार उल्लिखित की गई है :

"अपने कथन को नियमित करने पर 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि' एक यथार्थरहित कथन हो जाता है और यदि हम इसकी निर्मूलता को ध्यान में न रखें तो हम धोखे में पड़ सकते हैं। 'विधि' शब्द से विधि का दाता और एक न्यायाधिकारण जो कि

अन्तर्राष्ट्रीय विधि

इसे प्रवृत्त कराने तथा इसके उल्लंघन करने वालों को दंडित करने में समर्थ हो, लक्षित होते हैं। सप्रभु राष्ट्रों के लिये न तो कोई समान विधि का दाता है और न कोई ऐसा न्यायाधिकरण है जो ऐसी शक्ति रखता हो कि अपनी डिगरियों द्वारा उन्हें बाध्य कर सके, या यदि कोई उल्लंघन करे तो उसे दंडित कर सके। राष्ट्रों की विधि उन रूढ़ियों का समूह है जिसको सम्य राष्ट्रों ने अपने एक दूसरे के प्रति व्यवहारों में पालन करना स्वीकार कर लिया है। ये रूढ़ियाँ क्या हैं अथवा कोई विशेष प्रथा स्वीकृत की गई है या नहीं यह साक्ष्य का विषय होना चाहिए। सन्धियों तथा राष्ट्र के अधिनियम कबल राष्ट्रों की स्वीकृति के साक्ष्य हैं और कम से कम इस देश में स्वयं न्यायाधिकरणों पर बाध्य नहीं हैं।”

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विधि की निर्बलता इस बात से भी प्रकट होती है कि यह “राष्ट्रों के कुटुम्ब” को अथवा उसके अनुरूप किसी अन्तर्राष्ट्रीय सघ को उन विषयों में हस्तक्षेप करने को अधिकृत नहीं करती जो कि प्रथमतः किसी राष्ट्र के घरेलू क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हो और इस प्रकार इसका अधिकार क्षेत्र तथा प्रभाव सीमित हो जाता है। सयुक्तराष्ट्र-सघ को अन्तर्राष्ट्रीय विधि अधिशासन करने वाली सर्वोच्च सस्था के रूप में अधिकार होना चाहिये कि वह किसी राज्य के घरेलू अधिकार क्षेत्र में भी उस दशा में हस्तक्षेप कर सके जबकि कोई राज्य ऐसी बातका उल्लंघन करे जिससे मनुष्य का गौरव न्यून होता हो अथवा उसकी सामाजिक स्थिति के घटने की संभावना हो। इसके पश्चात् बहुत से विषय जैसे शुल्कदर (tariffs), अधिदान (bounties), व्यापार और बाजार इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सीमा के बाहर पड़ते हैं और इसके स्वाभाविक कार्यों में रुकावट डालते हैं। इन दोषों के अतिरिक्त कुछ लोग, राज्यों की राष्ट्रीयता की प्रबल भावना के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय विधि को स्वीकार करने को अब भी उद्यत नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि की असफलता का कारण विशेषतः यह भी है कि मनुष्य तथा राष्ट्रों में, जिनके विचार अभी प्रादेशिक हैं एक अन्तर्राष्ट्रीय नमूने का जीवन लादने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्वर्जन्बर्जर (Schwarzenberger) महोदय का कथन है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीनस्थ लोग अत्यधिक स्वार्थ-केन्द्रित हैं और अन्तर्राष्ट्रीय समाज को कर्तव्यों को सौतेले के लिए वे उद्यत नहीं हैं, या वे उनको उचित रूप से पालन करने में समर्थ न हैं। उनका अन्त में अपनी ही शक्ति पर निर्भर रहना एक सर्वांगीण अथवा प्रभावशाली वैध व्यवस्था (legal system) के विकास के लिए बाधक है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नया झुकाव (New Trend in International Law)—एक नई अन्तर्राष्ट्रीय विधि तीव्रता से विकसित हो रही है। इसकी

नीव १९वीं शताब्दी के मध्य से पडी। इस काल को हम एक दूसरे पर आघित रहने की प्रवृत्ति का काल कह सकते हैं। इस सुभाब की स्थिति की बहुत ही उप-युक्त व्याख्या अल्वरेज (M Alvarez) महोदय द्वारा की गई है। यह व्याख्या उन्होंने अपने मतभेद जो कि 'Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations' 'किमी राज्य को संयुक्त राष्ट्रों में प्रविष्टि के संबध में साधारण सभा के साधर्य' में प्रकट किया था, में की गई है। उनका कथन है—

'पहले विधि के नियम हड़ स्थापित अभिसमय (conventions) तथा रूढियों (customs) के अनुसार धीरे-धीरे विकसित किये गये अथवा ये निषम विधिकुशलो (jurists) द्वारा धीरे-धीरे विकसित किये गये। आजकल सामाजिक उलट-फेर के कारण जिसको हमने अभी पार किया है तथा लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तनशीलता के कारण तथा नये अन्तर्राष्ट्रीय सघ तथा उसके द्वारा बनायी गई संस्थाओं और उनके अगो के कारण और अन्त में लोगों की आकाशयें तथा आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के कारण इन नियमों का विस्तार तीव्र गति से किया जा रहा है तथा कभी-कभी यह आवस्मिक भी हो जाता है। इस विस्तार के साधन पूर्वकालीन साधनों से भिन्न हैं और इस रीति में वे कारण जिनका कि हमने अभी उल्लेख किया है अपना प्रभाव डालते हैं।

“यह साधारण सम्मति कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल राज्यों द्वारा ही बनाई जानी चाहिये, आज वैध नहीं है और न यह कभी वैध रही है।” उन्हीं के शब्दों में—
“The common view that the International Law must be created solely by States is, therefore, not valid to-day—nor indeed has it ever been.”

“वास्तव में अभिसमयात्मक विधि (conventional law) के साथ-साथ रूढि विधि (customary law) भी है और इन सब के ऊपर उन विधि-वेत्ताओं के सिद्धान्त हैं, जिनको न केवल रूढियों के ही प्रतिपादन का अवसर है बल्कि जिन्होंने वे नियम बनाये हैं जिनको राष्ट्रों ने मान्यता दी है।

“अविष्य में नये अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लिये हम किसी ओर से अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा विधि-वेत्ताओं की ओर देखेंगे।”

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार

(Basis of International Law)

परम्परा से दो प्रतिद्वन्दी सिद्धान्त हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार की विवेचना करते हैं। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :—

(१) मूल अधिकारों का सिद्धान्त (Theory of Fundamental Rights)—ब्रायली (Brierly) का कथन है कि मूल अधिकारों का सिद्धान्त प्राकृतिक अवस्था (state of nature) के सिद्धान्त के साम्य में है। इस सिद्धान्त में स्वीकार किया गया है कि मनुष्य बिना किसी राजनीतिक समुदाय या राज्य के निर्माण के पूर्व भी भलीभांति जीवन-निर्वाह किया करता था और उस समय भी मनुष्य की यही स्थिति थी जब कि राज्यों के ऊपर किसी बड़े राज्य की कल्पना नहीं की गई थी। अतः प्रत्येक राज्य के स्वरूप में कुछ मूल, जन्मजात या प्राकृतिक अधिकार हुआ करते हैं—जैसे आत्म-रक्षा, स्वतन्त्रता, समानता, सम्मान और पारस्परिक सम्बन्ध।

ब्रायली ने इस सिद्धान्त पर निम्नलिखित आधार पर अभ्याक्रमण किया है :—

(क) इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि मनुष्य या राज्य समाज में अपने साथ कुछ स्वामाधिक अधिकार लेकर उत्पन्न होते हैं, जो कि समाज की सदस्यता के कारण उन्हें नहीं प्राप्त होते अपितु वे अधिकार उनके व्यक्तित्व में निहित होते हैं और इन्हीं अधिकारों के द्वारा एक वैध व्यवस्था का निर्माण होता है; जब कि सत्य यह है कि वैध अधिकार (legal right) या वैध-व्यवस्था उस समय तक एक अर्थहीन शब्द है जब तक कि हम पहले उस वैध-व्यवस्था के अस्तित्व की कल्पना न कर ले जहाँ से इसे वैधता प्राप्त होती है।

(ख) राज्यों के समाज में व्यक्ति-राज्य की स्वतन्त्रता की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि उनमें एक सामाजिक संबंध को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(ग) यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अस्तित्व ही समाप्त कर देता है, क्योंकि इसक अन्तर्गत राज्यों की प्रकृति में ही स्वतन्त्रता की कल्पना की जाती है और इस बात की अवज्ञा हो जाती है कि राज्यों का मिलन केवल ऐतिहासिक विकास की अवस्था का परिणाम है।

(२) सहमति सिद्धान्त (Consent Theory)—प्रोफेसर हेम कुछ अन्य विधि-वेत्ताओं के विचारों के अनुकूल यह विचार प्रकट करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के रुढ़ि नियम राष्ट्रों की सहमति से विकसित हुए हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न राज्यों ने इस रूप में कार्य किया है कि उससे उनकी अग्रकट सहमति इन नियमों के तिर्ये प्रवृत्त होती है। वे कहते हैं कि नये राज्य जिनका जन्म हुआ और जो प्रवृत्त अवस्था परीक्षा रूप में स्वीकृति द्वारा राष्ट्रों के घुट्टुम्ब में प्रविष्ट किये गये उन्होंने अपने प्रवेश के समय अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के समूह की स्वीकृति कर लिया।

राज्यों की समान सहमति पर स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर कई कारणों से अभ्याकरण हो सकता है। सर्वप्रथम जैसा कि फेनविक (Fenwick) महोदय ने कहा है कि यह सिद्धान्त उन सहमतियों की विवेचना के लिये पर्याप्त नहीं है जिन पर कि सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आरम्भ से ही कार्य करती हुई प्रतीत होती हैं। लेखको ने चाहे कैसी ही स्थिति स्वीकार की हो, लेकिन सरकारों ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को सर्वदा बाह्य विषयक प्रकृति के रूप में देखा है और इसे बाध्य इसलिए स्वीकृत किया है कि यह 'विधि' थी; उन्होंने इसलिए नहीं स्वीकार किया कि इसके पालन करने में उन्हें सुविधा मिली।

दूसरा यह कि समान सहमति का सिद्धान्त वास्तविक सहमति की एक प्रकार की कल्पना पर स्थित है। केलसन (Kelsen) महोदय का कथन है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि से अपनी इच्छा के विना या अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बाध्य हैं। उदाहरण के लिए ज्यों ही किसी नये राज्य का जन्म होता है त्यों ही उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियत सब अधिकार तथा कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं और उस राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्वीकृतसूचक कोई कार्य करे। जिस प्रकार एक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी राज्य की विधि के अधीन नहीं होता, वह तो उसकी इच्छा के न रहते हुए भी, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उस पर बाध्य हो जाती है उसी प्रकार राज्य भी स्वेच्छापूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन नहीं होता, वह तो उस पर स्वयम् बाध्य हो जाती है, चाहे वह उसको स्वीकार करे अथवा नहीं।

तीसरा यह तर्क है कि किसी राज्य को जिसे मान्यता दी गई है प्रकट अथवा परोक्ष स्वीकृति द्वारा राष्ट्रों के बुद्धिम्य में प्रवेश करना यह व्यक्त करता है कि उस राज्य ने उस समय के प्रवर्तित सब नियमों के अधीन रहना स्वीकार कर लिया है, भ्रमोत्सादक है। कारण स्पष्ट है कि "मान्यता प्रदान करने का कार्य अन्य राज्यों का कार्य है न कि उस राज्य का जिसे मान्यता प्रदान की जा रही है।" मान्यता के प्रदान करने में राजनीति तथा राजनैतिक भावश्यकता का विचार अन्य बातों से अधिक प्रबल रहता है और इन्हीं के आधार पर यह प्रदत्त की जाती है। मान्यता-प्रदत्त राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की अन्य राष्ट्रों द्वारा नियमानुसार स्वीकृति यह प्रकट नहीं करती कि उस राष्ट्र ने सहमति दे दी है।

चौथा तर्क यह कि जैसा कि स्टार्क (Starke) महोदय ने कहा है "प्रयोग में जब कभी अन्तर्राष्ट्रीय विधि का कोई विनिष्ट नियम विनिष्ट राज्य के विरुद्ध लगाये जाने की मांग की जाती है तो यह आवश्यक नहीं होता कि यह दिखलाया जाय

कि उस राज्य ने उस नियम को राजनैतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। परीक्षण करने की कसौटी यह है कि क्या वह नियम एक ऐसा नियम है जिसे राष्ट्रों के समाज ने साधारणतः स्वीकृत कर लिया है ?" स्मिथ (Smith) महोदय के शब्दों में "अन्तर्राष्ट्रीय विधि रूप से सब सम्य राज्यो पर उनकी व्यक्तिगत स्वीकृति की अपेक्षा बिना ही बाधित है।" ("International Law as a whole is binding upon all civilised states irrespective of their individual consent. No state can by its own act release itself from the obligation either of the general law or of any well-established rule.")

अन्तिम रूप में ब्रायली के शब्दों में कहा जाता है कि सहमति के द्वारा आभार नहीं उत्पन्न किये जा सकते, यह वेदल वहाँ तक बाध्य हो सकते हैं, जहाँ तक कि पक्षकार ने संधि या संबिदा के रूप में अपनी बाध्यता की सहमति प्रकट की है।

वास्तविक आधार :—अन्तर्राष्ट्रीय विधि का वास्तविक आधार जैसा कि ऊपर लिखा गया है यह है कि संसार की वर्तमान घटनाओं की स्थिति में जब कि राजनैतिक विचारों, कला, साहित्य तथा वैज्ञानिक आविष्कारों में अत्यधिक उन्नति हो गई है, कोई आधुनिक राज्य सबसे सम्बन्ध-विच्छेद करके अलग जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। यातायात के साधनों में असाधारण उन्नति तथा स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के स्थापित होने के कारण सारा विश्व एक कुटुम्ब के रूप में बंध गया है; और इस पृथ्वी के किसी कोने में होने वाली घटना का प्रभाव संसार के दूसरे भागों में अवश्य पड़ता है। इसका परिणाम सर सिसिल हर्स्ट (Sir Cecil Hurst) महोदय के कथनानुसार यह होता है कि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन से मुक्त नहीं हो सकता। इसी बात को कुछ भेद से हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्यों पर बाधित इसलिए है कि वे राज्य हैं। बदाबिच यह एक विचित्र स्थिति नहीं है जिस पर कि हम पहुँच जाते हैं, क्योंकि यह स्मरण रखना चाहिये कि राज्य के बारे में हमारी आधुनिक धारणा ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति की हुई है और वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के ही नियम हैं जिनके द्वारा राज्यों के अधिकार तथा कर्तव्य परिभाषित किये जाते हैं।

अध्याय २

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत

(Sources of International Law)

लारेन्स के अनुसार यदि हम विधि के स्रोत का अर्थ विधि के आरंभ से लें और उसे समूची वाच्यता की दृष्टि से प्राथमिक मानें तो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में विधि का केवल एक ही स्रोत है और वह है राष्ट्रों की सहमति। यह सहमति या तो अप्रकट हो सकती है अथवा परोक्ष। सहमति रूढ़ि द्वारा व्यक्त होती है अर्थात् आचरण के कुछ नियत निमम ऐसे हैं जिनको राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में स्वभावतः प्रयोग करते हैं, भले ही उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने को प्रतिज्ञा द्वारा दण्डों में बाध्य न किया हो। प्रकट सहमति सन्धियों द्वारा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेखों (international documents) द्वारा जिनका प्रभाव सन्धियों के ही समान होता है दी जाती है। परोक्ष सहमति अन्तर्राष्ट्रीय आचरण में सन्निहित होती है।

विधि के स्रोत के सम्बन्ध में ओपेनहेम महोदय की सम्मति भी वही है जो लारेन्स महोदय की है। वह कहते हैं कि कोई राज्य ठीक एक व्यक्ति के समान अपनी सहमति या तो सीधे प्रकट रूप में घोषणा द्वारा व्यक्त कर सकता है अथवा अप्रकट रूप में ऐसे आचरण द्वारा जिसे कि वह यदि सहमत न होता तो न करता। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत निम्नलिखित दो हैं :—

(१) प्रकट सहमति—यह उस अवस्था में दी जाती है जब कि राज्यों के बीच में कोई सन्धि होती है जिसमें पक्षकारों के भविष्य में आचरण सम्बन्धी कुछ नियम निर्धारित किये जाते हैं।

(२) परोक्ष सहमति—अर्थात् उपलक्षित सहमति अथवा आचरण द्वारा सहमति। यह उस दशा में दी जाती है जब राज्य अन्तर्राष्ट्रीय आचरण सम्बन्धी कुछ नियमों के अधीन रहने की रूढ़ि को अंगीकार कर लेते हैं।

ओपेनहेम महोदय के मतानुसार राज्यों की विधि के स्रोत केवल सन्धियाँ (treaties) तथा रूढ़ियाँ (customs) ही मानी जानी चाहिये।

प्रोफेसर ब्रायर्ले (Brierly) रूढ़ियों तथा युक्तियों (reasons) को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत बताते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (संयुक्तराष्ट्र मंडल के अधिपत्र द्वारा स्थापित) की सविधि के अनुच्छेद ३८ (१) में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है :—

१ अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (international conventions) चाहे सामान्य हो अथवा विशिष्ट; किन्तु जिनके द्वारा वे नियम स्थापित किये जायें उनको प्रतिस्पर्धी राज्यों ने प्रकट रूप से स्वीकार कर लिया हो (वे शुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधि क अनुरूप हैं) ।

२. अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ (international customs) विधि के समान स्वीकृत सामान्य रीति के साक्ष्य के रूप में ।

३. सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धान्त ।

४. अनुच्छेद ५६ के उपबन्धों के अधीन न्यायिक निर्णय और भिन्न-भिन्न राज्यों के उत्कृष्ट योग्यता वाले लेख-कुशलों की शिक्षाये, विधि के नियमों के निर्धारण करने के लिये सहायक साधनों के रूप में ।

अनुच्छेद ५६ में यह उपबन्धित है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय पक्षकारों के मध्य में तथा किसी विशिष्ट मामले में ही बाध्यकारी प्रभाव रखता है, इनको छोड़कर और किसी में नहीं ।

उपर्युक्त कथन के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्य स्रोत जिनका कि उल्लेख किया जा सकता है वे यह हैं :—

अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार, संधियों के अतिरिक्त राज्यों के प्रलेख (documents), राज्यों के अपन पदाधिकारियों तथा न्यायाधिकरणों के मार्गप्रदर्शन के लिए प्रादेश, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रस्ताव, पार्लियामेंटों के नागरिक अधिनियम, नागरिक न्यायालयों के निर्णय और न्याय-परामर्शदाताओं या सिद्धान्त-विषयक पुस्तक-लेखकों की सम्मतियाँ ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत की यथाक्रम गणना के उपरान्त यह उचित होगा कि उनमें से प्रत्येक की कुछ विस्तारपूर्वक व्याख्या कर ली जाय ।

१. सन्धियाँ (Treaties)—ये अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सबसे मुख्य स्रोत हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में, एक राज्य के भीतरी विधान-मंडलों के समान, कोई ऐसा विधायी अंग नहीं है जिसके बनाये अधिनियम सब राष्ट्रों पर बाध्य हो सकें । तथापि पक्षकार सन्धि द्वारा सविदा करके कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय सगठन स्थापित कर सकते हैं और उसे प्राधिकृत कर सकते हैं कि उसके प्रस्ताव उन पर बाध्य हों अथवा वे अपने पारस्परिक आचरण के लिये नियम भी निर्धारित कर सकते हैं । इस अर्थ में बहुपक्षी सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधान के लिये एक बहुत ही दुर्बल साधन हैं ।

सन्धियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है — (१) विधि-विधायक सन्धियाँ जो ऐसे सामान्य नियम निर्धारित करती हैं जो राज्यों पर बाध्य

होते हैं अथवा राज्यों को भविष्य में मार्गप्रदर्शन के लिये या उनके भावी अन्तर्राष्ट्रीय घाचरण के लिये नये सामान्य नियम घोषित करती हैं ।

(२) सन्धि संविदाये जो सन्धि करने वाले राज्यों के बीच किसी विशेष विषय का ही निपटारा करती हैं ।

केवल विधि निमित्त करने वाली सन्धियाँ ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि की स्रोत हैं और अन्य प्रकार की द्विपक्षी सन्धियाँ नहीं ।

विधि निमित्त करने वाली सन्धि में स्पष्ट रूप से दो भिन्न क्रियायें होती हैं :—

(अ) एक वैधानिक कार्य जिसके द्वारा नियम निर्धारित किये जाते हैं; और
(आ) उन नियमों के अनुरूप कार्य करने के सन्धिदाकर्ता पक्षकारों के बचन ।

विधि निमित्त करने वाली सन्धियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :—

(क) भिन्न-भिन्न शान्ति-सन्धियाँ, उदाहरणार्थ वेस्टफेलिया की सन्धि (१६४८), पेरिस की सन्धि (१८१५) और वर्सलीज की सन्धि (१९१९); जिन्होंने वैधानिक चार्टर को जन्म दिया ।

(ख) पेरिस की घोषणा (१८५६), जेनेवा कन्वेंशन, १८६४, १९०६, १९२९ और १९४९, स्वेज नहर की प्रतिज्ञा, (१८८८), हेग कन्वेंशन १८९९ तथा १९०७, लीग ऑफ नेशन्स का प्रसविदा (१९२०), पोत-चालन योग्य जल-मार्ग तथा सक्रमण स्वतन्त्रता सम्बन्धी बार्सिलोना की प्रतिज्ञाये (१९२१), केलोग-ब्रिग्गाउन्ड पैक्ट (१९२८), युद्ध-स्वागार्थ सामान्य सन्धि तथा स्ट्रेट्स सम्बन्धी मैनटो प्रतिज्ञायें (१९३६) तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का शासपत्र (Charter) (१९४५); जो कि शुद्धरूप में विधि निमित्त करने वाली संधियाँ हैं ।

इस विषय में कोई सन्देह नहीं है कि सन्धि की शर्तें अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ि विधि के नियमों से बड़ी अधिक मान्य हैं । रूढ़ि विधि के नियम संधि की शर्तों की तुलना नहीं कर सकते हैं । यह बात विम्बेडन (S. S. Wimbledon) सम्बन्धी निर्णय में स्वीकार की गई है । उस निर्णय में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने यह राय प्रकट की है कि रूढ़ि-विहित विधि के आगे सन्धिविहित विधि की प्रधानता है ।

२. रूढ़ियाँ (Customs)—ये विधि के प्राचीन और मौलिक स्रोत हैं, यद्यपि गत शताब्दी के मध्यसे रूढ़ियों ने अपनी प्रधानता अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के समक्ष खो दी है । ऐसी दशा में भी ये अन्तर्राष्ट्रीय विधि के द्वितीय मुख्य स्रोत उस सीमा तक हैं जहाँ तक कि ये विधि रूप में स्वीकृत किसी सामान्य रीति के साक्ष्य हों । सन्धियों की व्याख्या में भी सन्धिघावस्था में रूढ़ियों का बहुधा निर्देश किया जाता

है। रूढ़ियाँ इस प्रकार के नियम सदृश हैं जो कि एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक क्रम के उपरान्त विकसित हुए हैं और जिनको अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय समाज ने स्वीकार करके विधि का स्थान दिया है।

रूढ़ि तथा प्रथा (Custom and Usage)—दो शब्द 'रूढ़ि' तथा 'प्रथा' प्रायः एक दूसरे के बदले प्रयोग में लाये जाते हैं परन्तु इन दोनों के बीच एक स्पष्ट पारिभाषिक अन्तर है। जिस प्रकार प्रातः सूर्योदय से पहिले का घुंघला प्रकाश दिन के प्रकाश में तथा सन्ध्या का घुंघला प्रकाश रात्रि के अन्धकार में विलीन हो जाता है उसी प्रकार प्रथा रूढ़ि में विलीन हो जाती है। प्रथा का अन्त रूढ़ि का आरम्भ है। प्रथा अन्तर्राष्ट्रीय आचरण की एक प्रकृति है जिसे अन्तःपूर्णवैध साक्ष्यकन या प्रमाणन (attestation) न मिला हो। प्रथाये परस्पर विरोधी हो सकती हैं किन्तु रूढ़ि एकरूप तथा आत्मसंगत होनी चाहिए। ओपेनहेम महोदय भी रूढ़ि तथा प्रथा के भेद को इन्हीं शब्दों में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं—“अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता कहते हैं कि जब कुछ कार्यों को करने की एक स्पष्ट तथा अप्रतिहत प्रवृत्ति इस दृढ़ विश्वास की छत्रछाया में विकसित हो जाती है कि वे कार्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बाध्य हैं अथवा उचित हैं तो इसे रूढ़ि कहते हैं।” (International jurists speak of a *custom* when a clear and continuous habit of doing certain actions has grown up under the aegis of the conviction that these actions are, according to International Law, obligatory or right) “इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता कहते हैं कि जब कुछ कार्यों को करने की प्रवृत्ति इस दृढ़ विश्वास के बिना विकसित होती है कि वे कार्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बाध्य हैं अथवा उचित है तो इसे प्रथा कहा जा सकता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र की भाषा में 'रूढ़ि' शब्द से जो अर्थ प्रकट होता है वह 'प्रथा' शब्द द्वारा प्रकटित भाव से अधिक सङ्कुचित है क्योंकि कोई दो हुई आचरण विधि (तरीका) रूढ़ि हुए बिना भी सामान्यतया व्यवहृत की जा सकती है।”

भाषा। इस प्रकार की विचारधारा बढ़ती जा रही है कि रूढ़ि की प्रवृत्ति केवल घावणात्मक है न कि सगठनात्मक। यह दृष्टिकोण भी अपना अधिक प्रभाव रखता है और यह प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान के अनुच्छेद ३८ के उपबन्ध से और भी अधिक बढ़ जाता है। उसमें विधि के एक स्रोत की परिभाषा दी गई है—“अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ि, विधि-रूप में अंगीकृत किसी सामान्य रीति व साध्य के रूप में।”

किसी अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ि को राज्य पर बाधित बनाने के लिए आवश्यक नहीं है कि वह राज्य उस रूढ़ि के विकास का एक पक्षकार रहा हो। जब कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का स्वेच्छया सदस्य बन जाता है, तो वह अनन-घात राष्ट्रों व रूढ़ि-बानूनों के अधीनस्थ बन देना है। किन्तु, यदि परिस्थिति-विशेष में कोई राज्य

अन्य राज्यों द्वारा निर्मित रूढ़ियों का पालन न करना चाहे, या उसके विरुद्ध करना चाहे, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है।

३. विधि के सामान्य सिद्धान्त (The General Principles of Law)—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि (statute) न्यायालय को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के दो मुख्य स्रोत 'अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय लोकरोतियों तथा रूढ़ियों' के प्रतिरिक्त, सम्म राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धान्त भी लागू करने को प्राधिकृत करता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इस सहायक स्रोत से उन दगाधों में, जहाँ कि सन्धिया का प्रमाण दना अपवा इस बात का साक्ष्य देना कठिन होता है कि विधि का कोई सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ि-विधि का अंग बन जाता है, न्यायालय का तुल्य दृष्टान्त के रूप में सम्बद्ध की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विधि के शुद्ध अर्थ तथा विकास को पूर्णतया विचार में रखते हुए, न्याय तथा समता के सिद्धान्तों पर विश्वास करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान में इस खड के समावेश से स्थिर नियम द्वारा लगाये हुए अर्थ का खडन हो जाता है जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों को अपने निर्णय निर्धारित कर सकने के लिए केवल सन्धियाँ तथा रूढ़ियाँ ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मान्य स्रोत हैं। यह बात इस पक्ष के भी विरुद्ध पडती है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में अन्तर्राष्ट्रीय भगडा को मौलिक वैध सिद्धान्तों के अनुसार निर्णय करने व लिये लचीलापन नहीं है।

फिलिमूर (Phillimore) महोदय द्वारा रेग० बनाम केईन (Reg v. Keyn) में यह मत प्रकट किया गया है कि "राष्ट्रों की विधि न्याय, साम्या, सुविधा तथा विषय-हेतु पर स्थापित की गई है और दीर्घकालीन प्रथा द्वारा पुष्टीकृत कही जाती है"। (The law of nations is said to be founded upon justice, equity, convenience and the reason of the thing, and confirmed by long usage.)

४. न्यायिक निर्णय, न्यायाधिकरण, समुद्र में अभिगृहीत सम्पत्ति सम्बन्धी समुद्री सेना विभाग के नौ-जितमाल न्यायालय (Prize Courts)—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि विधान के अनुच्छेद ३८ में यह निर्देशित किया गया है कि विधि के नियमों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरणों के न्यायिक निर्णय सहायक साधनों के रूप में हैं। तर्क-वितर्क में तथा निर्णय में अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ि के साक्ष्य के रूप में उनपर बहुधा विश्वास किया जाता है और तथ्यतः उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उन्नति में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है। परस्पर विरोधी राज्यों की संयुक्त सहमति द्वारा नियुक्त मिश्रित न्यायाधिकरणों के निर्णयों को केवल एक राज्य द्वारा नियुक्त समुद्री सेना-विभाग के न्यायालयों के निर्णयों से अधिक गौरव (मान्यता) प्रदान किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि के ५९वें अनुच्छेद

मे जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यह उपबन्धित है कि न्यायालय के निर्णय पक्षकारों तथा उस विशिष्ट विषय को छोड़कर अन्यत्र बाध्य नहीं हैं, तथापि अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के प्रथम स्थायी न्यायालय तथा उसके उत्तराधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, दोनों में ससार की मुख्य विधायी पद्धतियों का विस्तृत प्रदर्शन किया गया है तथा न्यायालयों के न्यायाधीशों की उच्चकोटि की ख्याति एवं निष्पक्षता की दृष्टि से उनके निर्णयों को न्यायिक पूर्व दृष्टान्त के वास्तविक गुणों से युक्त माना गया है ।

राष्ट्र-न्यायालयों के निर्णय (Decisions of Municipal Courts)—विधि के स्रोत के रूप में राष्ट्र-न्यायालयों (Municipal Courts) के निर्णयों को वैसी ही मान्यता नहीं प्रदान की जाती जैसी कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों को । ऐसे न्यायालय सामान्यतया लिखित सविधान के स्पष्ट उपबन्धों के विरुद्ध पडने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विधि को लागू नहीं करते । ब्रिटिश न्यायालयों की यह रीति है कि वे सरकार तथा विदेशीय राज्यों के बीच में हुई, परन्तु पार्लियामेंट से अप्राप्त स्वीकृत सन्धियों को यदि उनके द्वारा सामान्य अथवा वैधानिक विधि का रूपभेद होता हो, तो स्वतः लागू नहीं करते । बहुत से देशों में जहाँ न्यायालयों के समक्ष राजनीति विषयक प्रश्न उपस्थित होते हैं, कार्यपालिका को बहुत बड़े अधिकार होते हैं ।

थर्टी हॉग्सहेड्स बनाम बॉयल (Thirty Hogsheads v. Boyle) वाले वाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल (Chief Justice Marshall) द्वारा यह मत प्रकट किया गया था कि “प्रत्येक देश के न्यायालयों के निर्णय जहाँ तक वे एक ऐसी विधि पर स्थापित हैं जो कि प्रत्येक देश के लिए समान है प्रमाण रूप में नहीं, बल्कि सम्मान की दृष्टि पर स्वीकार किये जायेंगे ।”

प्राइज़ कोर्ट्स (Prize Courts)—इन्हें नौजित माल न्यायालय या समुद्री लूट न्यायालय भी कह सकते हैं । ये न्यायालय योद्धा-राष्ट्रों द्वारा अपने क्रूजरो के अभिग्रहण की वैधता को निर्णय करने के प्रयोजन से स्थापित किये जाते हैं । वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि को किसी विशिष्ट राज्य द्वारा निर्धारित विधि के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी विधि के रूप में प्रयुक्त और कार्यान्वित करते हैं जिसका कि प्रारम्भ मध्य-राष्ट्रों द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहारों में दीर्घकाल तक पालित रीति-रिवाजों अथवा प्रकट अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृतियों में होता है । इसमें सन्देह नहीं है कि वे पार्लियामेंट के अधिनियमों से बाध्य हैं, परन्तु यदि वे (अधिनियम) राष्ट्रों की विधि से असंगत हो तो ऐसे अनुबन्धों को प्रभावयुक्त करने में प्राइज़ कोर्ट्स के तत्समय अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग समाप्त हो जायेगा । ऐसे उपबन्धों से व्याप्त क्षेत्र में उनका प्राइज़-कोर्ट के रूप में अधिकार अपहृत हो जायेगा । लॉरेंस महोदय का मत है कि

सोभाग्यवश राष्ट्रों द्वारा ऐसी सधियाँ कदाचित् ही की जाती हैं। अतः प्राइज कोर्ट्स वे निर्णय, उनके न्यायाधीशों की विद्वत्ता, योग्यता तथा निष्पक्षता की ख्याति के अनुसार मान्य किये जाते हैं। लॉर्ड स्टॉवेल, डॉ० लुशिंगटन, केन्ट तथा स्टोरी (Lord Stowell, Dr. Lushington, Kent and Story) के समान प्रमुख विद्वानों द्वारा दिये गये निर्णयों की जिनसे उत्कृष्ट योग्यता प्रकट होती है अंग्रेजी तथा अमरीकी विधि-दृष्टान्त-पुस्तिकाओं ने मुक्तकठ से प्रशंसा की है।

५. मूल पाठ के लेखक (Text-writers), विधि-वेत्ताओं के कार्य (Acts of Jurists) और टीकाकार (Commentators)—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि अनुच्छेद ३८ न्यायालय को विधि के नियम निर्धारण करने के लिए इस विषय पर भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के सर्वोत्कृष्ट योग्यता रखने वाले प्रवीण लेखकों की शिक्षाओं को सहायक साधन के रूप में लागू करने को प्राधिकृत करती है। पहली बात तो यह है कि लेखकों की कृतियों का अन्तर्राष्ट्रीय विधियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। “वैज्ञानिक महत्व, निष्पक्षता और राज्यों के कार्यों की वैध सिद्धान्तों पर आलोचना करने का उनका दृढ़ निश्चय,” इस महत्व को और भी बढ़ा देता है। दूसरी बात यह है कि लेखकों की रचनाएँ स्वतंत्र रूप से विधि के लिए स्रोत नहीं हैं। यह सही है कि वे कालान्तर में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के रूप-निर्धारण में सहायक होती हैं क्योंकि उनके द्वारा ऐसे साक्ष्य उपस्थित किये जाते हैं कि वस्तुतः विधि क्या है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र सम्बन्धी लेखकों के महत्व पर संयुक्त राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस ग्रे द्वारा पैकीट हवाना (The Paquete Habana) वाले मामले में निम्नलिखित शब्दों में बल दिया गया .

“उन स्थानों में जहाँ कोई सन्धि नहीं है और कोई नियन्त्रक अधिवासकीय अथवा वैधानिक अधिनियम या न्यायिक निर्णय नहीं है, उन दशाओं में इनके साक्ष्य के रूप में सम्य राष्ट्रों की रूढ़ियों तथा प्रथाओं और विधिशास्त्र-विशारदों और टीकाकारों की कृतियों का जिन्होंने वर्षों के परिश्रम, अनुसन्धान और अनुभव द्वारा अपने लेख्य विषयों का विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आश्रय लिया गया होगा। न्यायाधिकरणों द्वारा उनका आश्रय, विधि क्या होनी चाहिये इस सम्बन्ध में उनके लेखकों की कल्पना के लिए नहीं बल्कि विधि वास्तव में क्या है इसके विश्वासनीय साक्ष्य के लिये लिया जाता है।”

जुडिशल कमेटी के न्यायाधीशों ने भी पायरेसी जूरे जेरेंटियम (Re. Piracy Jure Gentium) वाले मामले में यह निर्धारित किया कि मूलपाठ लेखकों के

वृत्तिरव अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतो मे से सबसे अन्तिम स्रोत हैं लेकिन उनका महत्व किसी से कम नहीं है ।

अयाला, जेटिलिम, ग्रोशस, वेटस, केन्ट, जाउचे (Ayala, Gentils, Grotius, Vattel, Kent, Zouche) इत्यादि वे लेखको ने कम समय मे ही प्रथा का भुक्ताव रुढि को प्रोर कर दिया है, प्रोर रुढि ने विधि के एकीकरण मे प्रबल साधक का काम किया है ।

लॉरेन्स महोदय को यह सम्मति है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि वा लेखक एक अर्थ मे स्वय विधि-निर्माता है क्योंकि वह उस सम्मति को जन्म देता है जो वास्तव मे श्रेष्ठ है । उसके तर्कों की प्रबलता के कारण कोई नियम समय आने पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि का भाग हो सकता है, परन्तु जब तक उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त न हो प्रोर वह राज्यों की प्रथाओ मे सम्मिलित न कर लिया जाय लेखक को यह नहीं कहना चाहिये कि यह विधि है ।

क्वीन बनाम कयन (Queen v Keyn) मे ब्रेट् (Brett J A) ने यह प्रश्न उठाया कि विधि-वेत्ताओकी समान सहमति अथवा मोन स्वीकृति का प्राधिकार क्या है—“What is the authority of a common agreement or acquiescence of jurists ?” इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा गया है कि लेखको तथा राजनीतिज्ञो का प्रमाण राष्ट्रो की विधि के सिद्धान्तो के रूप तथा लक्षण वर्णन करने मे ग्रहण करना चाहिये प्रोर यदि ऐसे लेखक प्रोर राजनीतिज्ञ विभिन्न राष्ट्रो के प्रोर भिन्न भिन्न समय के हो प्रोर वे किसी सामान्य सिद्धान्त पर सहमत हो जो अनुचित न हो तो ऐसी सहमति राष्ट्रों की समान सहमति के साक्ष्य के रूप मे ग्रहण की जा सकती है प्रोर उसके द्वारा राष्ट्रो की विधि बनती है ।”

ग्रोशस ने राष्ट्रो की विधि का विकास दार्शनिको, इतिहासकारो, कवियो प्रोर यहाँ तक कि वक्ताओ का भी प्रमाण दे कर किया, इसलिए नहीं कि उन पर बिना विवेक के भरोसा किया जाय, वरन् इसलिए कि जहाँ भिन्न-भिन्न युगो तथा देशो के व्यक्ति एक ही कयन मे सहमत हुये हो तो ऐसा भाव अथवा कर्त्तव्य निर्देश किसी सामान्य हित के लिए कहा जा सकता है ।

व्हीटन (Wheaton) का तो यहाँ तक कहना है कि “Without wishing to exaggerate the importance of these writers, or to substitute, in any case, their authority for the principles of reason, it may be affirmed that they are generally impartial in their judgment. They are witnesses of the sentiments and uages of civilised nations, and the weight of their testimony increases every time that their authority is invoked by statesmen, and every year that passes without the rules laid down in their works being impugned by the avowal of contrary principles”

६. अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (International Comity)—श्रोपेनहेम का मत है कि एक विशेष प्रकार का तत्व जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि को प्रभावित करता है वह तयाकथित सौजन्य है। अपने पारस्परिक सहयोग में राज्य केवल ऐसे ही नियमों का पालन नहीं करते जिससे वे वैध रूप से बाध्य हो अथवा प्रथाओं का लक्षण रखते हो, किन्तु ऐसे नियमों का भी जिनसे विनय (Politeness), सुविधा (Convenience) और कीर्तिस्व या सद्भावना (Goodwill) प्रकट होती हो। अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के ऐसे नियम विधि के नियम नहीं हैं बल्कि वे सौजन्य के नियम हैं। राष्ट्रों का सौजन्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत नहीं है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य क बहुत से पहले के नियम आजकल अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम हैं।

७. सन्धियों के अतिरिक्त अन्य अन्तर्राष्ट्रीय राजपत्र (State Papers)—राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की सरकारी न्याय-विचारदो द्वारा उत्कृष्ट विद्वत्ता तथा योग्यता से राज-पत्रों (State Papers) में प्रायः विवेचना की जाती है। वे अपनी लिखित सम्मतियां अपनी-अपनी सरकारों की गुप्त रीति से देते हैं। कभी कभी अन्तर्राष्ट्रीय विवाद किन्नी विवादप्रस्त वैध विषय को स्पष्ट कर देता है अथवा उन सिद्धान्तों का उपयोग बढा देता है जिनको पहिले एक अव्यावहारिक स्वीकृति से अधिक और कुछ न मिला हो। प्रत्येक देश के विदेशीय कारोबार विभाग के ग्रन्थरक्षायुद्धो में विशेषज्ञों की असूय सम्मति का डेर पडा है जो यदि प्रकाशित किया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य में विशेष रूप से वृद्धि हो सके।

८. अपने अधिकारियों के निर्देश के लिए राष्ट्रों के अनुदेश—विद्वानों द्वारा की गई घोषणाएँ या उनके कार्य, राज्य सरकारों की दी गई वैध सलाह और राज्य की सरकार द्वारा किये गये विवादा के सम्बन्ध में विधि-अधिकारियों के परामर्श अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य राज्यािक पत्रों, इन सबके द्वारा उन प्रथाओं का साक्ष्य मिलता है जो समयानुसार वे अन्य राज्यों द्वारा ज्यों-ज्यों अगीकृत होती गई रूढ़ि में परिणत हो जाती हैं।

९. आधुनिक विधि व्यवस्था में तर्क का स्थान (Place of 'Reason' in the modern system)—न्यायिक तर्क जो कि "पूर्ववर्ती दृष्टान्तों, विवेचनाओं के परिणामों, और प्रवर्तित कानूनों के भीतर पाये जाने वाले सिद्धान्तों की आकस्मिक उपेक्षा" आदि पर निर्भर है, "वैध माने जाते हैं और राज्यों में अनवरत-रूप से व्यवहृत होते हैं—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णयों में और वैदेशिक कार्यालयों द्वारा एक दूसरे के प्रसंग में दिये गये तर्कों में दोनों रूपों में ये मान्य हैं।" यदि कोई ऐसा विवाद उठ खडा होता है जिसके नियन्त्रण करने के नियम नहीं हैं, तो फिर यह कार्य विधि-शास्त्र का हो जाता है कि वह सामान्य सिद्धान्तों और उपस्थित प्रसंग के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विवादप्रस्त अधिकारों और हितों का निपटारा करे।

अध्याय ३

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का इतिहास

(History of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय विधि किसी न किसी रूप में प्रायः सब देशों और सब युगों में विद्यमान रही है। ऐसी दशा में इसकी उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन है। यह सत्य है कि 'राष्ट्रों के कुटुम्ब' अथवा 'एक ससार' की धारणा प्राचीन जगत के लिये विदेशी थी किन्तु राष्ट्र एक-दूसरे के संपर्क में आये और इस संपर्क के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगे तथा सन्धियाँ, युद्ध की घोषणाएँ तथा उनके संचालन सम्बन्धी नियम, सन्धियाँ तथा राजनैतिक विशेषाधिकार उत्पन्न हुए। भारतीयों, यूनानियों, यूनानियों, तथा रोम देशवासियों का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। ज्यो-ज्यो सभ्यता में उन्नति होती गई त्यों त्यों सम्य राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहारों को नियंत्रित करने वाले नियम अधिकाधिक स्पष्ट होते गये, यहाँ तक कि अब राष्ट्रों के लिये चाहे वे बड़े हो या छोटे, सबसे सम्बन्ध-विच्छेद करके एकाकी रहना असम्भव हो गया है।

हिन्दू—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के चिह्न, राजदूतों के विशेषाधिकार, सन्धियाँ तथा युद्ध की घोषणाएँ और उनके संचालन-सम्बन्धी नियमों के रूप में प्राचीन भारत के इतिहास में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। रामायण तथा महाभारत के महाकाव्यों में यद्यपि प्रधानरूप से धार्मिक विवेचन प्रधान विषय है तथापि उनमें युद्ध, शान्ति तथा तटस्थता के नियमों और प्रथाओं को लक्ष्य करके बारम्बार निर्देश किया गया है। वे राजदूतों अथवा युद्ध के मध्य में सदेशवाहक दूतों की अवाध्यता को उचित महत्व देते हैं। हिन्दुओं की धर्म-पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता में जिसकी शिक्षाओं को भारत से बहुत दूर के देशों में भी ग्रहण कर लिया है धर्म तथा अधर्म-युद्धों का पूर्ण रूप से वर्णन है। श्रीवृष्ण ने अर्जुन से, जो कातरतावश कर्तव्य-च्युत हो रहे थे, कहा है—'क्षत्रिय के लिये धर्मयुक्त से अधिक और कोई वस्तु अभिमत नहीं है और दानियों में कोई विरले ही ऐसे होते हैं जिनको युद्ध के लिये, जा कि स्वर्गप्राप्ति का छुला द्वार है ऐसा अवसर बिना मंगे प्राप्त हो जाता है। यदि तुम यह धर्मयुद्ध न करोगे तो तुम कर्तव्य-च्युत हो जाओगे, अपनी कीर्ति को खो दोगे और तुम्हें पाप सगेगा (अध्याय २. श्लोक ३१—३३)।' इसी स्थान पर इस बात की आवश्यकता पर भी महत्व दिया गया है कि युद्ध की घोषणा पहले उभय पक्ष के योद्धाओं द्वारा संत बजाकर होनी चाहिये।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा कामन्दकीय नीतिशास्त्र में सरकारी तथा विदेशी कार्यों के सचालनार्थ विस्तृत नियम निर्धारित किये गये हैं। कौटिल्य इस पक्ष के समर्थक हैं कि युद्ध में नीति के सिद्धान्त अथवा धर्म का पालन त्याग देना चाहिये।

मनु ने धर्मयुद्ध तथा अधर्मयुद्ध के भेद का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि एक वीर क्षत्रिय के लिये धर्मयुद्ध में प्राण देने से अधिक और कोई पुराण का कार्य नहीं है। उन्होंने युद्ध में गुप्त अथवा विप्रेले शस्त्रों का उपयोग, शत्रु की सम्पत्ति का मर्यादाहीन विनाश तथा घायल योद्धा का वध वर्जित किया है। आत्म-समर्पण करने वाले शत्रुपक्षीय व्यक्तियों का वध करना अथवा उनको घायल करना वर्जित था। उन्होंने मन्दिरों की अभ्यन्तता स्वीकार की है तथा युद्धबन्धियों और लड़ाई में भाग न लेने वालों को उन्मुक्ति प्रदान की है। प्राचीन हिन्दू सन्धियों को बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे।

मुसलमान—भारत के मुसलमान-बादशाहों ने भी कुछ विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित किया था। उन्होंने यूरोपीय देशों के राजदूतों का सत्कार किया और सन्धियाँ भी की परन्तु उनके अन्तर्राष्ट्रीय विधि-सम्बन्धी विचार अविकसित थे। उनके यहाँ केवल वे ही नियम परिभाषित हैं जिनमें मुसलमान राज्यों का तथा जनता का सम्बन्ध उन राज्यों से तथा जनता से जो मुसलमान नहीं हैं कैसा होना चाहिये परन्तु उनका भी आधार कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अथवा सौजन्य नहीं है। मुसलमानों का राज्यकाल ऐसे उदाहरणों से परिपूर्ण है जब इस्लाम की रक्षाके लिये किसी विदेशी अथवा शत्रु अमुसलमान राष्ट्र में लड़ाई लड़ी गई जिसे जेहाद कह कर पुकारा जाता है। परन्तु यदि अमुसलमान विदेशी राज्य अथवा उसकी प्रजा इस्लाम ग्रहण कर लेती थी तो कोई लड़ाई नहीं की जाती थी।

यहूदी—यहूदी लोगों की विधियाँ उनके राज्य में रहने वाले विदेशियों के लिये भी वही थी जो अपने लिये थी, यथा "विदेशियों से प्रेम करो क्योंकि मित्र देश में तुम भी विदेशी थे।" *Love...the stranger for ye were strangers in the land of Egypt.* (Deuteronomy अध्याय १०, श्लोक १६)। तथापि बाइबिल को एक बार पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहूदी लोग एकेश्वरवाद के कारण दूसरे लोगों को, जो कि अनेक देवताओं में विश्वास रखते थे अपने बराबर का नहीं स्वीकार करते थे। युद्ध के सब नियमों को धूल में फेर कर उन्होंने उनके साथ निर्दयता से लड़ाईयाँ लड़ीं। यहूदी लोग मित्र-राष्ट्रों से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध रखते थे। उन्होने सन्धियों का निष्कपटता से पालन किया और राजदूतों को पवित्र आत्मा के समान समझा।

यूनानी—यूनानी लोग अपने पड़ोसियों से अधिक सम्य थे और वे जगली जातियों के समान समझते थे। अहंकार के कारण उनको अपने पड़ोसों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने में बाधा पड़ती थी। यूनानी लोग असंख्य छोटे नगर-राज्यों में रहते थे जो कि एक दूसरे से स्वतन्त्र थे। इन राज्यों के निवासी एक ही जाति, रक्त तथा धर्म के थे। इस घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण समय की गति में इन स्वतन्त्र इकाइयों को राज्या के एक समुदाय में जोड़ दिया जो कि युद्ध तथा शान्ति के समय परस्पर कुछ नियमों का पालन करते थे। अपने भगवों को निपटाने के लिये वे प्रायः पञ्चायतों का आश्रय लेते थे, सदेशवाहक दूतों तथा पवित्र अग्नि ले जाने वाले पुरोहिता को पूज्य मानते थे, बिना पहले घोषणा किये कोई युद्ध आरम्भ नहीं करते थे, युद्धक्षेत्र में मरे हुये योद्धाओं के शवों को गाड़ते थे, युद्धबंदियों का विनिमय करते थे, अपालो देवता के मंदिर को स्थायी रूप में अनुल्लंघनीय मानते थे और राजदूतों को असाधारण विशेषाधिकार देते थे तथा उनके शरीर को अनुल्लंघनीय मानते थे।

आपेनहेम का मत है कि यूनानी लोगों ने इतिहास के लिये यह उदाहरण रखा कि स्वतन्त्र सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य एक ऐसे समुदाय में रह सकते हैं जो कि अपने सदस्य राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिये विधि निर्धारित करता हो परन्तु अनुबन्ध यह है कि इन राज्यों को एक सूत्र में बाँधने वाले कोई समान हित तथा लक्ष्य विद्यमान हो।

रोमन—रोम देशवासियों के विचार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्बन्ध में अधिक प्रगतिशील थे। उनके यहाँ २० पुरोहितों की एक श्रेणी होती थी जिनको फेटायल्स (Fetiales) कहा जाता था। वे विदेशी राज्यों के सम्बन्धों की व्यवस्था उन विधियों के अनुसार करते थे जिनको जम फेटायल्स (Jus Fetiales) प्रथम जस सैक्रेल (Jus Sacrale) कहा जाता था। रोम देशवासियों की विधि दो श्रेणियों में विभाजित थी एक अर्थात् दीवानी विधि (Jus Civile) वह जो केवल उन्हीं लोगों में लागू होनी थी और दूसरी अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Jus Gentium) जो विदेशियों के लिये थी और वह ऐसी विधि थी जो उनके और अन्य राज्यों के बीच समान थी। अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Jus Gentium) बाद में प्राकृतिक विधि (Jus Naturale) में प्रोत्त बनकर और भी दृढ़ बन दी गई। यह वह विधि थी जो उन युक्तियों पर स्थापित थी जिनसे प्रकृति तथा मनुष्य में समानता प्रकट होती थी। अन्त में इसी विधि अर्थात् जम फेटायल्स (Jus Fetiales) के अनुसार रोम-देशवासियों के सम्बन्ध विदेशों के साथ शांति और युद्ध के समय में तथा उनके साथ मित्रता की गति स्थापित करने के समय में निर्धारित होने लगे। ऐसी ही विधि

तीन प्रकार की होती थी अर्थात् मित्रता सन्धि (amicitia), आतिथ्य-सन्धि (hospitium) और सहयोग-सन्धि (foedus) ।

रोम-देशवासियों की विधि के अन्तर्गत लड़ाई के चार उचित कारण माने जाते थे :—(अ) रूमों राज्य का उल्लंघन, (आ) राजदूत सम्बन्धी विशेषाधिकारों का उल्लंघन, (इ) सन्धियों का उल्लंघन और (ई) मित्र-राष्ट्र का युद्ध के समय किसी विपत्ती को महायत्ना प्रदान करना । रोम-देशवासियों के अनुसार लड़ाई की समाप्ति (१) शान्ति-स्थापन सन्धि द्वारा, (२) आत्मसमर्पण (deditio) द्वारा अथवा (३) शत्रु के देश की विजय-प्राप्ति द्वारा हो सकती थी ।

सन्धियाँ तीन वर्गों में विभाजित थी —(१) मित्रता-सन्धि, (२) सहयोग-सन्धि और (३) आतिथ्य-सन्धि । रोम-देशवासी सन्धियों की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे और वे सूचना द्वारा समाप्त की जा सकती थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास का तीन युगों में विभाजन—स्थूल दृष्टि से: लॉरेन्स अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास को तीन युगों में विभाजित करते हैं । प्रथम युग का मान आदिकाल से सीज़रो के अधीन रोम राज्य के स्थापन तक है । इस युग का विशिष्ट लक्षण यह विश्वास है कि राष्ट्रों के एक-दूसरे के प्रति कर्तव्य उसी दशा में होते हैं जब वे एक ही जाति के हो अथवा नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय विधि का मूलभूत सिद्धान्त, यथा किसी बन्धन द्वारा एक सूत्र में सम्बद्ध होना ग्रीस-देशवासियों में विद्यमान था, क्योंकि एक ही जाति तथा धर्म के सब यूनानी लोगों का धारण में ऐसा सम्बन्ध था जैसा उनका शेष सभार के अन्य लोगों के साथ नहीं । इस युग की विशेष बात रोडियावासियों की समुद्रीय संहिता (Maritime Code of Rhodians) का विकास है । इसी से ग्रीस-देशवासियों का व्यापार नियन्त्रित होता था और यही वह आधार था जिस पर मध्ययुग की बड़ी समुद्रीय संहिता अर्थात् कॉन्सोलेटो डेल मेयर (Consolato del Mare) स्थापित है ।

द्वितीय युग—यह युग सीज़रो के अधीन रोमराज्य की स्थापना होने से सोलहवीं शताब्दी के धार्मिक विप्लव तक विस्तृत है । लॉरेन्स का कथन है कि इस युग की विशेषता इस धारणा में थी कि कहीं न कहीं सर्वसामान्य प्रवर सत्ता-प्राप्त हो जाती है जो साधारण राजनैतिक समुदायों के पारस्परिक व्यवहारों को नियन्त्रित करती है । रोमन-साम्राज्य यूरोप के बसे हुये भाग पर तथा एशिया और अफ्रीका के अधिकांश भाग पर विस्तृत था । सीज़र अपने अधीनस्थ बहुत से राजाओं का राजनैतिक श्रेष्ठ पुरुष था और उनके झगड़ों का निपटारा अपील के आधार पर होता था । उसने अपने साम्राज्य के लोगों से कर्तव्य का पालन पूर्णरूप

से कराया और वे यह विश्वास करने लगे कि सब राज्यों के ऊपर एक सर्वसामान्य प्रभुसत्ता का अस्तित्व भी संसार की प्राकृतिक व्यवस्था का एक अंग है। अस्तित्व की विचारधारा के अनुसार 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि' का आधार वास्तव में एक सप्रभुसत्ता की आज्ञायें ही हैं। रोमन विधि विदेशी राज्यों के माल तथा सम्पत्ति के संरक्षण की गारंटी उस दशा में लेती थी जब कि रोम तथा उस विदेशी राज्य के बीच मित्रता की सन्धि रहती थी परन्तु यदि इस प्रकार की सन्धि नहीं रहती थी तो माल का बन्दीकरण किया जा सकता था और व्यक्तियों को दास बनाया जा सकता था।

पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में रोम की सम्पत्ता का प्रभाव प्राचीन समूचे सम्य देशों पर पड़ा और व्यक्तिगत राजाओं के भिन्न-भिन्न प्रभाव साम्राज्य पर पड़ते रहे। शासक और पोप अपने को राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रधान के रूप में मानते रहे। परिणामतः मध्य युग में राष्ट्रों के कानून की आवश्यकता नहीं। यह स्थिति उस समय तक रही जब तक कि छोटे-छोटे राज्य उत्पन्न होने लगे और अधिकार-विवेचन की प्रतिद्वन्द्विता शासक और पोप में अत्यन्त गहरी नहीं हो गई।

तीसरा युग—इसके अनन्तर हम तीसरे युग में पहुँचते हैं। यह युग सोलहवीं शताब्दी के धर्म-सुधार (Reformation) से वर्तमान काल तक माना जाता है। लॉरेंस का कथन है कि इस युग में हमें वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय विधि मिलती है जिसका आधार यह सिद्धान्त है कि राज्य एक बड़े समाज के पृथक् और स्वतन्त्र सदस्य हैं और यद्यपि वे किसी सामान्य वरिष्ठ सत्ता द्वारा नियन्त्रित नहीं किये जाते तथापि वे स्वेच्छाचारी नहीं हैं बल्कि आचरण के ऐसे नियमों से शासित हैं जो सब सदस्यों पर बाधित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधुनिक अर्थ में आरम्भ ग्रीशस (Grotius) के समय से (१५८३-१६४५) मानना चाहिये जिसने अपना ग्रन्थ 'डी जूरे बेली ऐक् पेसिस' (De Jure Belli ac Pacis) सन् १६२५ में पेरिस में प्रकाशित किया। उसके पूर्वकालीन थे—(१) बल्हेजार अयाला (Balthazar Ayala) जिसने अपनी पुस्तक 'डी जूरे एट् आफिसिस बेलिसिस' (De Jure et Officiis Bellicis) सन् १५८२ में 'दो आई' में प्रकाशित की और इस सामान्य मत का खडन किया कि लड़ाई कोई नियम नहीं जानती। (२) 'अल्बेरिकस जेंटिलिस' (Albericus Gentilis) (१५५२-१६०८) जिसको अपने धार्मिक विचारों के परिणामस्वरूप अपनी जन्मभूमि इटली छोड़नी पड़ी। वह सन् १५८७ में ऑक्सफोर्ड में विधि-शास्त्र का प्रोफेसर था और उसने सन् १५९८ में अपना महाग्रन्थ 'डी जूरे बेली लिब्रि ट्रेस' (De Jure Belli Libri Tres) प्रकाशित किया और इस पक्ष का समर्थन किया कि लड़ाई का एक

नियम होता है जिसका आधार प्राकृतिक युक्ति है। यद्यपि ग्रीशस ने जेस्टिलस की उसके लोपो, शैली तथा रचना के लिये समालोचना की तथापि अपने ग्रन्थ का अधिकार उसने उसी जेस्टिलस (Gentilis) से ही लिया है। (३) फ्रांसिस सुअरेज (Francis Suarez) (१५४८-१६१७) स्पेन का एक पादरी था जिसने अपनी पुस्तक 'ट्रेक्टेटस डी लेजिबस एट् डिभो लेजिस्लेटोर' (Tractatus de Legibus et Deo Legislatore) सन् १६१२ में प्रकाशित की जिसमें उसने मनुष्य जाति के नैतिक ऐक्य पर महत्व दिया।

ग्रीशस (Grotius)—ह्यूग वैन ग्रूट (Hug Van Groot), जो कि ह्यूगो ग्रीशस (Hugo Grotius) के नाम से प्रसिद्ध है अप्रैल १० सन् १५८३ ई० में हॉलेड में डेलफ (Delft) में पैदा हुआ था। शीघ्र ही उसने ग्रन्थकार, विधिवेत्ता और कवि के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। प्रथम उसने वकालत आरम्भ की परन्तु शीघ्र ही उसने राजनैतिक भ्रमों में भाग लिया जिसके परिणामस्वरूप वह १६१८ में गिरफ्तार किया गया और उसे भाजन्म कारावास का दंड मिला। सन् १६२१ ई० में वह अपनी स्त्री की सहायता से एक सन्दूक में, जो कि उसके द्वारा अपने मित्रों से उधार ली हुई पुस्तकों को रखने के उद्देश्य से बना था, निकल भागा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है उसका सब से प्रसिद्ध 'ग्रन्थ डी जूरे वेली एक् पेसि' (De Jure Belli ac Pacis) (शान्ति तथा युद्ध की विधि) पेरिस में सन् १६२५ में प्रकाशित हुई थी। उसने अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Jus Gentium) अर्थात् राष्ट्रों की व्यावहारिक विधि तथा प्राकृतिक विधि (Jus Naturale) अर्थात् राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से सम्युक्त विधि को पृथक् किया और राज्यों के प्राकृतिक विधि-सम्बन्धी नियमों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। उसने कहा कि अधिकार जो सब के लिये समान हैं वे किसी विशेष राज्य के लिखित विधियों अथवा अध्यादेशों द्वारा नहीं प्रदत्त किये जा सकते। वे प्राकृतिक विधि बुद्धि की आज्ञायें हैं। उसके अनुसार प्राकृतिक समाज केवल ईश्वर को ही अपनी प्रभुसत्ता करके जानता है और मनुष्य के हृदय में केवल ईश्वरीय विधि ही अधिक अंकित है। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि राज्य परस्पर इस अन्धोन्ध्याश्रित दशा में रहते हुये उसी विधि का अनुसरण करते हैं। उसने राज्यों के स्थिर नियम का आधार यह माना कि राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में कुछ निश्चित नियमों के समूह को पालन करने के लिये इच्छा-पूर्वक सहमति देते हैं।

उसने 'युद्ध से घृणा' इस कथन द्वारा प्रकट किया है कि वह देखता है कि संपूर्ण ईसाई सभार में इस प्रकार के युद्ध करने की अनुमति है जिसको देख कर जगली जातियाँ भी अपना सर सज्जा से नीचा कर लेती हैं। उसका कहना है कि

मनुष्य बहुत ही थोड़े कारणों पर युद्ध के लिए दौड़ पड़ता है, और जब हाथ में एक बार ले लिये जाते हैं, तब कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं रह जाता, मने ही वह कानून देवी ही अथवा मनुष्यवृत्त । वह प्रभुसत्ता को प्रादेशिक रूप में मानता था । उसकी सफलता की कुंजी यह रही कि उसने पहिले से ही स्वीकृत विषयों तथा सिद्धान्तों का विवेकपूर्ण प्रयोग किया ।

उसके पुस्तक की ख्याति धीरे धीरे दूर-दूर तक फैल गई और उसके कुछ सिद्धान्तों का ही यूरोप के कांग्रेस ने अपने विचारों में अनुसरण किया । परिणाम स्वरूप सन् १६५८ में वेस्टफालिया की शांति सन्धि हुई और तीस वर्ष के युद्ध का अन्त हुआ ।

जाउचे (Zouche) — अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में थोड़ा सा था Richard Zouche (१५६०-१६६०) का भी है । वह प्रिंसिपल्स ऑफ दीवानी विधि का प्रोफेसर था और नौ-अधिकरण न्यायालय (Admiralty Court) का ब्रिटेन में जेण्टलमैन (Juris et Judicium fecialis, sive Juris inter Gentes) १६५० ई० में प्रकाशित किया । इस पुस्तक को राष्ट्रों के स्थिर नियमों की प्रथम पुस्तक कहा गया है । उसमें और घोषित है कि उसने राज्यों की शान्ति-विधि पर अधिक महत्त्व दिया यद्यपि उसने राज्यों की प्राकृतिक विधि के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया ।

तीन सम्प्रदाय (Three Schools) — सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर तीन विभिन्न सम्प्रदायों के लेखकों को जन्म दिया, अर्थात् प्राकृतिकवादी (Naturalists), स्थिर व्यवहारवादी (Positivists) और प्रोपेगण्डावादी (Grotians) ।

प्राकृतिकवादी यह नहीं मानते कि कानून अथवा सन्धियों के आधार पर स्थापित राष्ट्रों की कोई निश्चयात्मक विधि (Positive Laws) हैं, बरन्, उनकी धारणा यह है कि वे प्राकृतिक नियमों के एक अंश हैं सेमुएल पफेन्डोर्फ (Samuel Pufendorf) (१६३२-१६९४) इस सम्प्रदाय का अनुयायी था । उसने यह प्रतिपादन किया कि राष्ट्र अपने पारस्परिक आचरण को प्राकृतिक नियमों के अनुसार नियंत्रित करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई सामान्य प्रभुसत्ता नहीं है । जर्मन दार्शनिक Christian Thomasius (१६५५-१७२८) पफेन्डोर्फ (Pufendorf) का परम अनुयायी था । इसी प्रकार उसके अन्य अनुयायी अग्रेजी दार्शनिक फ्रान्सिस ह्यूचसन (Francis Hutcheson) और टॉमस ह्यूचरफोर्ड (Thomas Rutherford), फ्रांसीसी

दार्शनिक जीन बरबेयरेक (Jean Barbeyrac) (१६७४-१७४४) तथा जेनेवा का दार्शनिक जीन जैक्स बरलैमाकी (Jean Jacques Burlamaqui) भां थे ।

निश्चयात्मक विधि वालो का प्राकृतिक सिद्धान्त वालो से मूलरूप मे ही अन्तर या ग़ोर वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास का कारण रूडि तथा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियो को बताते थे । वे प्राकृतिक नियम पर कोई महत्व नही देते थे लेकिन संधियो तथा रूडियो पर आधारित रूडि विधि को निश्चयात्मक अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Positive International Law) मानते हैं और इसे सबसे अधिक महत्व देते हैं । इनका प्रभाव अठारहवीं शताब्दी मे बढ गया । इम सम्प्रदाय के प्रमुख टीकाकार डेनमार्क के विधिवेत्ता बिनकरशोक (Bynkorshoek) (१६७३-१७४३), जर्मन लक्षक जॉन जैकब मूसोर (John Jacob Moser) (१७०१-१७८५) और जीर्ज फ्रेडरिक डी मारटेन्स (George Friedrich de Martens) (१७५६-१८२१) थे । यह सम्प्रदाय अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर आधुनिक विचारो को प्रकट करता है ।

ग्रोशस (Grotius) मतावलम्बी प्राकृतिक सिद्धान्तवादियो तथा निश्चयात्मक नियमवादियो के बीच का स्थान ग्रहण करते थे । उन्होने ग्रोशस (Grotius) द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रों की प्राकृतिक तथा ऐच्छिक विधि के अन्तर को स्वीकार किया और दोनों को विधि का स्रोत माना परन्तु ग्रोशस (Grotius) के विपरीत उनकी यह धारणा थी कि राज्यो के स्थिर अथवा ऐच्छिक नियम भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना राष्ट्रों के प्राकृतिक नियम । सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दियो में उनका महत्व बहुत ही बढ गया । इस सम्प्रदाय के दो प्रभावशाली प्रतिपादक क्रिस्चियन वुल्फ (Christian Wolff) (१६७९-१७५४) और वेतेल (Emerich de Vattel) (१७१४-१७६७) थे । पहला एक जर्मन दार्शनिक था और दूसरा एक स्वित्जरलैंड का विधिवेत्ता था जिसने कि अपना महान् ग्रन्थ 'ली ड्रॉयट डी जेन्स' (Les droit des gens) १७५८ मे प्रकाशित किया और यह प्रतिपादन किया कि राष्ट्रों की विधि प्रकृति के नियम हैं जो राष्ट्रों पर लागू किये गये हैं ।

उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी — उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दियो में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास के कई कारण बताये जा सकते हैं । प्रथम—वियना (Vienna) की कांग्रेस के उपरान्त राष्ट्रों की ओर से यह प्रयत्न किया गया कि राष्ट्रों की विधि के नियमो का पालन किया जाय । यह कांग्रेस यूरोप की पहली अन्तर्राष्ट्रीय सभा थी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय नदियो में नौचालन सम्बन्धी नियम बनाये और राजदूतो की कोटि (rank) तथा उनकी पूर्ववर्तिता (precedence) निश्चित की । द्वितीय—यह काल बहुत-सी विधिकारी सन्धियो के होने के कारण अधिक महत्व रखता है, अर्थात् पेरिस की घोषणा (१८५६) जिसमे राष्ट्रों के लिये समुद्री

युद्ध में मार्ग-प्रदर्शनार्थ नियमों का समावेश किया गया है, जेनेवा का अभिसमय (१८६४) भूमियुद्ध में रणों तथा घायलों की दशा सुधारने के लिये, सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा (१८६८) युद्ध में विस्फोटक गोलियों का प्रयोग निषेध करने के लिये, सन् १९०६ का जेनेवा का अभिसमय (Convention) जिसके द्वारा भूमियुद्ध के बीमारों तथा घायलों वाली व्यवस्था समुद्री लड़ाई वालों के लिये भी लागू कर दी गई। अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के निश्चित (Positive) सिद्धान्तों पर डी मार्टेन्स, हेफ्टर, फिलिमूर, मेन तथा वेस्टलेक (De Martens, Heffter, Phillimore, Maine तथा Westlake) जैसे लेखकों द्वारा अधिक महत्व दिया। हॉल, ओपेनहेम, लॉरेन्स, हाइड, व्हीटन और ब्लुन्सली (Hall, Oppenheim, Lawrence, Hyde, Wheaton और Bluntschli) ऐसे अन्य लेखकों ने भी घोषणात्मक (Declaratory) प्रकारों के रूप में अपने लेखों द्वारा अधिकांश में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायता प्रदान की।

यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रों का समाज क्रिस्तानी देशों की सीमाओं को पार करके सम्यता के साथ समानरूप से विस्तृत हो गया, और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम राष्ट्रों की सहमति से विकसित हुये।

हेग सम्मेलन—हेग सम्मेलन १८६६ और १९०७ में जिन अन्तर्राष्ट्रीय महान सभाओं का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्वक निपटाने का था, उन्होंने राष्ट्रों के कुटुम्ब के लिये सम्पूर्ण रूप से नियमों को बनाने का प्रयत्न किया। १८६६ के पहले हेग-सम्मेलन ने भूमियुद्ध के लिये एक संहिता निकाली। सन् १९०७ के दूसरे हेग-सम्मेलन ने बमवर्षा-निषेध-सम्बन्धी प्रतिज्ञायें स्वीकृत की—अरक्षित ग्रहों पर बम बरसाने का निषेध, सम्पर्क विस्फोटक सुरङ्गों का विध्वाना, समुद्री-युद्ध में तटस्थों के अधिकार तथा कर्तव्य, व्यापारी जहाजों का जङ्गी जहाजों में परिवर्तन, समुद्री-युद्ध, सैनिक अस्पताली जहाज, युद्धविश्राम-सन्धि के झूठे इत्यादि। इन सम्मेलनों के परिणाम-स्वरूप पञ्चायत का स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) स्थापित हुआ।

लीग ऑफ नेशन्स की प्रतिज्ञा—मित्र तथा सम्बद्ध राष्ट्रों और जर्मनी के बीच वार्सलीज की सन्धि प्रथम महायुद्ध के बाद जून २८, सन् १९१९ को हुई। इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास के लिये लीग ऑफ नेशन्स की नींव पड़ी। पहले तो यह प्रतीत हुआ कि लीग अपने भिन्न-भिन्न अंगों द्वारा एक सच्चे अन्तर्राष्ट्रीय सच का रूप धारण करेगी और राष्ट्रों के बीच की भिन्नताओं को हटा कर शान्ति तथा मित्रता का युग लायगी परन्तु ये सब आशायें शीघ्र ही मिट्टी में मिल गईं।

लीग आफ नेशन्स के प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १४ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय सन् १९२१ में स्थापित किया गया ।

लोकार्नों की सन्धि—यह सन्धि नवम्बर १६ सन् १९२५ को फ्रांस, ग्रेट-ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और बेलजियम के बीच हुई और इसके द्वारा जर्मनी, फ्रांस और बेलजियम ने अपने पारस्परिक सीमाओं को बनाये रखने का तथा एक-दूसरे के विरुद्ध बलप्रयोग न करने का प्रण किया । ब्रिटेन तथा इटली ने इस समझौते (Pact) को गारंटी ली और विश्वास दिलाया कि उल्लंघन की स्थिति में वे एक दूसरे की सहायता करेंगे । इस सन्धि ने राष्ट्रों के इस विश्वास को दृढ़ किया कि वे अपने झगड़ों का लीग आफ नेशन्स के प्रतिज्ञा के अनुसार शांतिपूर्वक निपटारा कर लेंगे । १९३६ में जर्मनी ने इस सन्धि को इस कथन पर त्याग दिया कि फ्रांस और सोवियत रूस के बीच पारस्परिक सहायता का पैक्ट लोकार्नों के पैक्ट के साथ असंगत है ।

केलोग-ब्रिआंड-समझौता (Kellogg-Briand Pact)—लोकार्नों की सन्धि के थोड़े समय बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका के परराष्ट्रसचिव फ्रैंक बी० केलॉग (Frank B. Kellogg) के भागे बढ़ने पर एक अन्तर्राष्ट्रीय इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये गये जिसके द्वारा संसार के प्रायः सभी राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के निर्णय के लिये युद्ध को साधन बनाने की निन्दा की और प्रण किया कि वे अपने झगड़ों को तय करने के लिये शान्तिपूर्ण उपायों का सहारा लेंगे ।

१९२६ की जेनेवा का अभिसमय—स्विटजरलैंड की सरकार की प्रेरणा पर ४७ सरकारों के प्रतिनिधियों ने जेनेवा में मुद्दबन्दियों से व्यवहार-सम्बन्धी तथा रणक्षेत्र में घामल और बीमार सैनिकों की दशा सुधारने की प्रतिज्ञायें कीं । मुद्दबन्दियों के प्रति व्यवहार वाली प्रतिज्ञा द्वारा प्रतिकार, बन्दियों से अमानुषिक व्यवहार तथा कुछ व्यक्तियों के कार्य के निमित्त औरों पर सामूहिक दंड निषिद्ध किये गये । दूसरी प्रतिज्ञा द्वारा डाक्टरी दलों (units) तथा बीमारों और घायलों की सेवा में लगे हुये व्यक्तियों को उन्मुक्ति प्रदान की गई ।

--

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण (Codification of International Law)—प्रथम विश्वयुद्ध के अन्त तथा लीग आफ नेशन्स के स्थापन के उपरान्त हम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण के लिये सच्चे प्रयत्न किये गये । उसका विस्तारपूर्वक वर्णन संहिताकरण के अगले अध्याय में किया गया है ।

द्वितीय विश्व युद्ध—द्वितीय विश्वव्यापी महामुद्द के अन्त में एक-दूसरे राष्ट्रीय गंध भर्षात् संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation) का जन्म हुआ । इसके चार्टर पर पचास राष्ट्रों द्वारा सैन फ्रान्सिस्को में २६ जून सन्

१९४५ को हस्ताक्षर किये गये । संयुक्त राष्ट्र का जन्म २४ अक्टूबर, १९४५ को हुआ जब इसका चार्टर पाँच मूल सदस्यों तथा बहुसंख्यक अन्य हस्ताक्षर करने वालों द्वारा सत्याकित (ratified) किया गया । इस विश्व-संघ पर मानव-मात्र की आशा सजी हुई है और इसमें संसार की व्यवस्था के वह बीज निहित हैं जो "एक संसार" (One World) की भावना पर स्थापित हैं । यह वह आधार है जिस पर एक ऐसे नये संसार का निर्माण किया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखे और मनुष्य-जाति के कल्याण की वृद्धि करे ।

राष्ट्रों को अपने पारस्परिक सम्बन्धों में बाधित करने वाले विधि के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के महत्त्व को इन दो विश्वव्यापी युद्धों द्वारा बहुत ही घबका लगा, परन्तु शान्ति-स्थापन के अनन्तर इसका महत्त्व पुनः पहले की अवस्था को प्राप्त हो गया क्योंकि पराजित राष्ट्रों और युद्ध के अपराधियों ने अपने कार्यों को न्यायोचित ठहराने तथा दोषों से मुक्त होने के लिये बार-बार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों की शरण ली । फिर भी, हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संघ राष्ट्रों के अपने पारस्परिक व्यवहारों को नियन्त्रण करनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में, एक कीर्तिस्तम्भ है ।

मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (१९४८), मानवीय अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा हेतु यूरोपीय अभिसमय (European Convention for the Protection of Human Rights) (१९५०), जनवध (Genocide) तथा अत्याचारियों की सामाजिक स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा अंगीकृत विभिन्न अभिसमय वास्तव में सन्धियाँ हैं जो विधि द्वारा नियंत्रित अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के नियमों के समूह में वृद्धि करते हैं ।

अभिसमय (Conventions), निर्णयों, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमाणित व्याख्याओं तथा सहिताकरण द्वारा एक विश्व विधि-व्यवस्था बनाने के दीर्घकालीन कार्य के लिये संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा क्रमानुसार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

अध्याय ४

प्रकृति-विधि और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास पर इसका प्रभाव

Law of Nature and Its Influence on the Development of International Law

प्रकृति-विधि नीतिशास्त्र का वह भाग है जिससे मनुष्य जाति को अपने प्रकट कार्यों को अनुशासित करने के लिये अधिक आवश्यक तथा सार्वभौमिक नियम प्राप्त होते हैं। यह प्रकृति की अगुलियों द्वारा मनुष्य के हृदय-पट पर लिखा गया है। इसमें वे नियम सम्मिलित हैं जिनके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है कि उनको प्रकृति ने पय-प्रदर्शक के रूप में प्रकट कर उन पर चलने की आज्ञा दी। ऐसे नियम प्राकृत भौचित्य एवं दोष के सिद्धान्त होते हैं या अपन व्यापक अर्थ में न्याय के सिद्धान्त होते हैं। यूनानी दार्शनिकों का विचार था कि ससार के भौतिक तथा नैतिक विषयों को कुछ साधारण तथा सामान्य नियमों में स्थिर किया जा सकता है और इनको वे प्रकृति के नियम कहते थे।

प्रकृति-विधि को देवी विधि (Divine Law) भी कहते हैं (क्योंकि यह मनुष्यों पर लगाई गई ईश्वर की आज्ञा है) तथा अलिखित विधि (Unwritten Law) (क्योंकि यह ताम्रपत्रों अथवा स्तम्भों पर नहीं लिखी हुई है), सार्वभौमिक अथवा सामान्य विधि (क्योंकि यह सब लोगों के लिये समान रूप से न्याय है), तर्क-विधि (Law of Reason) (क्योंकि यह उस युक्ति पर स्थापित है जिससे सारा ससार अनुशासित होता है) और शाश्वत विधि (Eternal Law) (क्योंकि यह किसी की बनाई हुई नहीं है और अचल है) भी कहते हैं। "प्रकृति-विधि" का वास्तविक अर्थ नीचे लिखे श्रेष्ठ विचारकों की सम्मतियों से प्रकट होगा।

जस्टीनियन (Justinian)—प्रकृति विधि, जिसे जूरा नेचुरैलिया (*jura naturalia*) भी कहते हैं और जिसका पालन समान रूप से सभी राष्ट्रों में होता है, देवी शक्ति द्वारा लागू किये जाने के पश्चात् सदा के लिए निश्चित हो जाती है और फिर बहुत ही दृढ़ हो जाती है, किन्तु वह विधि जिसे प्रत्येक राज्य ने अपने लिए स्थिर किया है वे प्रायः या तो विधायन अथवा लोकमत द्वारा परिवर्तित होती रहती हैं।

हूकर (Hooker)—हूकर महोदय का कहना है कि "The law of reason or human nature is that which men by discourse of natural reason

have rightly found out themselves to be all for ever bound unto in their actions." अर्थात् तर्क-विधि या मानव-प्रकृति उसे कहते हैं जिसे मनुष्यों ने प्राकृत तर्क द्वारा अपने लिए सदैव के लिए उचित पाया है और सदा के लिए उनमें अपने कार्यों को बाँध दिया है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राष्ट्रों की विधि के विकास के आदिकाल में प्रकृति के नियम का उस पर अधिक प्रभाव रहा है । यूनानियों के समय से सत्रहवीं शताब्दी तक व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रों के सम्बन्ध अधिकतर प्राकृतिक नियम द्वारा अनुशासित होते थे । यह नियम उचित-अनुचित के तर्क पर स्थापित था और उसको शक्ति-राष्ट्रों के बीच में हुए किसी विशिष्ट स्वीकार-पत्रों से नहीं बरदा, उचित तथा अनुचित सम्बन्धी उन सार्वभौमिक सिद्धान्तों से प्राप्त होता था जिसका उदय मनुष्य के हृदय में भीतर से होता है और जो अबल तथा सनातन हैं । इसमें सन्देह नहीं कि नीति तथा अनीति के नियम स्पष्ट नहीं थे और न वे ऐसे सारभूत सिद्धान्तों में परिणित किये जा सकते थे जो कठिनाई के बिना हमेशा प्रयोग किये जा सकते थे, तथापि ऐसे शाश्वत न्याय का अस्तित्व सामान्यतः स्वीकृत किया जाता था और अन्ततः इसी से आधुनिक राष्ट्रों की विधि के विकास का बीज बोया गया ।

यूनानी विचारधारा—यूनानी लोग अपने पड़ोसियों से जिन्हें वे जगती समझते थे अधिक सम्य थे । इन्होंने यूनानी मंडल (Hellenic Circle) के तथा उससे बाहर के राज्यों में अन्तर रक्खा । उनका विश्वास था कि म-यूनानी लोग प्रकृति द्वारा ही यूनानी लोगों की दासता के लिये रचे गये हैं । यूनानियों की विधियाँ तर्क के नियम अर्थात् देवी नियम से प्राप्त की गई थी और उनको मनुष्य जाति की प्रकृति के अनुसार, जो कि स्वभावतः विवेकपूर्ण होती है, कार्य करने को बाध्य करती थी । इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप में यूनानी नगर-राष्ट्रों ने इतिहास के लिए एक ऐसे सामुदायिक जीवन का उदाहरण रक्खा जो एक समान जाति, धर्म, रुढ़ियाँ तथा भाषा पर स्थापित था । उन्होंने प्राकृतिक विधि (Jus naturale) की भावना की और दृढ़ किया और सारे विश्व को एक मौलिक सिद्धांत से, जिसे वे प्रकृति का नियम कहते थे, अनुशासित देखा । सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) का कहना है कि "मसार के भौतिक तथा नैतिक तत्व कुछ साधारण तथा सामान्य नियमों में स्थिर किये जा सकते हैं और इनको वे प्रकृति के नियम कहते थे । ये वे नियम हैं जिनको प्रकृति न पथ-निर्देशक दत्ति के रूप में प्रकट किया और उन पर चलने की आज्ञा दी ।"

"They thought that the material and moral phenomena of the world could be resolved into simple and general rules and they called

them the Laws of Nature They are the rules which Nature, personified as a guiding power, is deemed to have evolved and prescribed "

रोमन विचार-धारा—रोम-वासियों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लिये एक बहुस ही प्रगतिशील धारणा थी जिसका विकास उन्होंने प्राकृतिक नियम की सहायता से किया । उनक यहाँ दो प्रकार की विधियाँ थी —

(१) जस सिविली (Jus Civile) अथवा दीवानी विधि जो इस प्रकार की विधि तथा रूढ़ियाँ थी जो रोमन निवासियों पर लागू होती थी, तथा

(२) जस जेन्टियम (Jus Gentium) अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विधि वह विधि थी जो उनमें और अन्य राष्ट्रों में समान थी । वह विधि प्राकृतिक तर्क पर आधारित थी और मनुष्यमात्र के लिए बनाई गई थी । इसी जस जेन्टियम को आगे चलकर जस नेचुरेल (Jus Naturale) अर्थात् प्राकृतिक विधि कहने लगे ।

सिसरो (Cicero)—सिसरो महोदय का कथन है कि सच्चा कानून (lex) वह होता है जिसमें उचित तर्क और प्रकृति का साम्य हो जाता है और जो मनुष्य-मात्र में अपरिवर्तित रूप से निरन्तर के लिए व्याप्त हो जाता है । न तो इस कानून का परिवर्तन हो सकता है, न इसका महत्व कम किया जा सकता है और न कोई इसकी उपेक्षा ही कर सकता है ।

प्राकृतिक नियम पर मेन (Maine) महोदय का मत—सर हेनरी मेन प्राधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में प्राकृतिक नियम के विचार की महत्ता पर जोर देते हुये अपने 'ऐंजियेंट लॉ' "Ancient Law" में कहते हैं कि प्राकृतिक नियम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्राधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा प्राधुनिक युद्ध-विधि को जन्म देने में पूर्ण हुआ । जैसा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मूल निर्माताओं ने लिखा है, उन स्वयं-सिद्ध प्रमाणों में से, जो इसकी अभिधारणा है, तीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं । वह अभिधारणा जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधार है, प्रथम यह है कि निर्धारित किये जाने वाला एक प्राकृतिक नियम ग्रोशस (Grotius) महोदय तथा उनके अनुयायियों ने सीधे रोम निवासियों से लिया, परन्तु उनके निर्धारित करने की रीति के विषय में उनके विचार आपस में एक दूसरे से तथा रोम के विधि-वेत्ताओं से बिल्कुल भिन्न थे । इन्ही ग्रोशस महोदय को प्राधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रवर्तक माना जाता है ।

द्वितीय अभिधारणा यह है कि राष्ट्रीय विधि राज्यों पर आपस में बाध्य है । प्रकृति के राज्य में राष्ट्र मडल एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, अत प्राकृतिक नियम राज्यों पर परस्पर बाध्य हैं । वास्तव में सत्य यह है कि प्राधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि

यद्यपि रोमन विधि (Roman Law) की वडाज है तथापि यह उससे उल्टे ढग से सम्बद्ध है । उपरोक्त से जो साध्य निकलता है यह यह है कि स्वतन्त्र जातियाँ प्राकार तथा शक्ति मे चाहे कितनी ही भिन्न हों विन्तु राष्ट्रों की विधि की दृष्टि में सब समान हैं ।

तीसरी अभिधारणा यह है कि प्रभुसत्ता (sovereignty) प्रादेशिक होती है और सम्पूर्ण प्रभुत्व-सपन्न व्यक्तियों (sovereigns) की परस्पर सार्वभौमिकता (paramount) पर विचार न किया जाय वरन् उन्हें राष्ट्र रूपी प्रदेश का निरंकुश स्वामी समझा जाय ।

प्रोशास के पूर्व प्राकृतिक नियम—इसमे कोई सन्देह नहीं है कि पवित्र रोमन साम्राज्य का टुकडो-टुकडो मे विभाजन तथा पोप-समूह ने प्रभुत्व के धीरे-धीरे कम होने का प्रभाव प्राकृतिक नियम पर बहुत अधिक पडा परन्तु प्राकृतिक नियम के अकुर जो अपनी जड जमा चुके थे पूर्णतः मुरझा नहीं गये । पन्द्रहवीं शताब्दी मे हम देखते हैं कि कला तथा साहित्य का पुनरुत्थान हुआ । यह एव मध्य युग से प्राधुनिक ससार मे प्रवेश करने का लक्षण था । नई दुनिया का भी अन्वेषण हो गया था । इन सब तथ्यों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सह-संबध का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया । स्पेन के अछ्यात्मवादी विटोरिया (१४८०-१५४६) ने स्पष्ट शब्दो मे यह सिद्धान्त घोषित किया कि ससार के राष्ट्र मिलकर एक समुदाय बनाते हैं जो प्राकृतिक तर्क तथा सामाजिक सह-संबध पर आधारित हैं । १५८२ मे बल्येजार अयाला (Balthazar Ayala) (१५४८-१५८४) ने दौभाई (Douai) मे अपनी पुस्तक 'De Jure et Officis Bellicis' प्रकाशित की और समान सहमति द्वारा स्थापित 'Jus Naturale' और 'Jus Gentium' के पक्ष का समर्थन किया । उसका अनुवर्ती अल्बेरिकस जेटिलिस (Albericus Gentilis) (१५५२-१६०८) एक इटली निवासी प्रोटेस्टेन्ट विचारो के कारण इंग्लैंड भागना पडा था । उसने अपना ग्रन्थ 'De Jure Belli Libri Tres' सन् १५६८ मे प्रकाशित किया और प्राकृतिक तर्क तथा सहमति पर आधारित युद्ध के अस्तित्व पर बल दिया । सबसे अन्त मे स्पेन-निवासी सुमारेव (Jesuit Francis Suarez) (१५४८-१६१७) घाता है । उसने अपना ग्रन्थ 'Tractatus de Legibus et Deo Legislatore' १६१२ मे प्रकाशित किया । उसने इस बात पर महत्व दिया कि 'Jus Gentium' नैतिक रूप से बाध्य है और यह कहा कि भिन्न-भिन्न राज्य यद्यपि स्वतन्त्र हैं फिर भी वे मनुष्य जाति के सदस्य हैं, अतः प्राकृतिक तर्क तथा रूढ़ि पर आधारित आचरण की विधि से बाध्य हैं । उसने मनुष्य जाति के नैतिक ऐक्य तथा प्राकृतिक तर्क और साधारण रूढ़ि द्वारा अनुशासित राष्ट्रों के समाज पर महत्व दिया जो अन्तिम विश्लेषण के आधार पर ईश्वरेच्छा पर निर्भर माना गया है ।

ग्रोशस (Grotius) (१५८३-१६४५)—हूग वैन गूट (Hug van Groot) जो जनसाधारण मे हूगो ग्रोशस (Hugo Grotius) के नाम से प्रसिद्ध है, का जन्म हाल्लैंड मे डेलफ (Delft) नामक स्थान में १५८३ मे हुआ । उसको 'राष्ट्रो की विधि का पिता' (Father of the Law of Nations) की उपाधि दी जाती है । उसका सबसे प्रमुख 'ग्रन्थ डी जूरे वेली ऐक् पेसिस' (De Jure Belli ac Pacis) फ्रांस मे प्रकाशित हुआ । व्हीटन (Wheaton) कहते है कि "ग्रोशस (Grotius) तथा उसके निकटवर्ती शिष्यो तथा अनुयायियो का उस विज्ञान मे जिसका वह सस्थापक था, प्रमुख उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि, प्रथम तो न्याय के उन नियमो को निर्धारित किया जाय जिससे सामाजिक स्थिति मे रहने वाले अथवा जैसा साधारण रूप से कहा जाता है 'प्राकृतिक अवस्था मे साथ रहने वाले' मनुष्य पर मानवीय सस्थाओ के स्थिर नियमो से स्वतन्त्र रूप से बाध्य हो, तथा दूसरे यह कि उन नियमो को, प्राकृतिक नियम के नाम मे भिन्न-भिन्न समुदायो के जो कि आपस मे समान दशा मे रहते हैं, पारस्परिक सम्बन्धो मे लागू करना किया जाय ।"

ग्रोशस ने राष्ट्रो की विधि तथा प्राकृतिक विधि मे यह भेद बतलाया कि उनकी उत्पत्ति पृथक है और राष्ट्रो की विधि का यह गुण बतलाया कि इसमे राष्ट्रो की सामान्य सहमति है । उसने दार्शनिको, इतिहासकारो, कवियो तथा वक्ताओ के साक्ष्य का भी प्रयोग अपने द्वारा प्रतिपादित विधि के पक्ष मे किया, इसलिए नहीं कि उस पर निष्पक्ष प्रमाण के रूप मे विश्वास कर लिया जाय, क्योंकि वे अपने-अपने सम्प्रदाय के पक्षपात मे अपने तर्क को अथवा अपने उद्देश्य के लक्ष्य को मोड़ देते थे, परन्तु इसलिए, कि जहाँ भिन्न-भिन्न युगो के तथा देशो के लोग एक ही बात पर सहमत हो वहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अवश्य ही कोई सामान्य कारण है जिसके कारण सभी उन्हे विधि-रूप मे मानते हैं ।

रिचर्ड ज़ाउचे (Richard Zouche) (१५६०-१६६०)—एक और अंग्रेजी विद्वान ज़ाउचे (Richard Zouche) हैं, जिनको 'राष्ट्रो की विधि का द्वितीय सस्थापक' (Second Founder of the Law of Nations) की उपाधि दी जाती है । उसने राष्ट्रो की रूढ़-विधि के पक्ष का समर्थन किया और ऐसा करने में उसका ग्रोशस से अत्यन्त मतभेद हो गया, परन्तु उसने राष्ट्रो के प्राकृतिक नियम का पूर्णतया परित्याग नही किया ।

हॉब्स और पफेनडॉर्फ (Hobbes and Pufendorf)—हॉब्स (Hobbes) ने प्राकृतिक नियम को दो भागो में विभाजित किया—(१) मनुष्यो का प्राकृतिक नियम और (२) राज्मो का प्राकृतिक नियम, जिसे सामान्यतः राष्ट्रो की

विधि कहते हैं। उनका कथन है कि 'दोनो की धारणाएँ एक ही हैं, परन्तु राज्यों ही स्थापित होता है मनुष्य के व्यक्तिगत गुणों का समावेश कर लेता है। मत वह विधि जो व्यक्तिगत मनुष्यों के सम्बन्ध में 'प्राकृतिक नियम' कह कर सम्बोधित की जाती है जब सम्पूर्ण राज्यों, जातियों तथा लोगों में लागू की जाती है तो 'राष्ट्रों की विधि' के नाम से सम्बोधित होने लगती है। पफेनडॉर्फ (Pufendorf) (१६३२-१६९४) ने हॉब्स (Hobbes) के मत को स्वीकार किया और इतना और कहा कि "वरिष्ठ शक्ति की आज्ञाओं में जितनी बाध्यता है, उतनी अन्य किसी भी राष्ट्र की ऐच्छिक श्रयवा निश्चयात्मक विधि में, जिसे कि हम सही और वैध रूप में प्रवर्तित कह सकें, नहीं पायी जाती।" "There is no other voluntary or positive law of nations properly invested with a true and legal force, and binding as the command of a superior power" उन्होंने राष्ट्रों की व्यवहारिकता को बाध्यता की शक्ति से सम्पन्न कदापि स्वीकार नहीं किया।

विंकरशीक (Bynkershoek)—इन्होंने राष्ट्रों की विधि का आधार तर्क तथा रीतियों को माना और सन्धियों तथा अध्यादेशों (प्राडिनेन्सो) के साथ ही रीतियों का उद्भव बताया।

वेटेल (Vattel)—इनका कथन है कि राष्ट्रों की विधि मूल में राष्ट्र किये गये प्रकृति के नियमों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं थी। उन्होंने कहा कि नागरिक समाजों (civitas) का यह स्वत्व है कि उसका प्रत्येक सदस्य अपने अधिकारों का कुछ भाग समाज को त्याग दे और एक ऐसी बरिष्ठ सत्ता विधान मान रहे जो अपने सब सदस्यों को आज्ञा देने में समर्थ हो, उनको विधि दे सके तथा जो आज्ञा न मानें उनको दंडित कर सके। राष्ट्रों के बीच में ऐसी किसी बात का अस्तित्व न तो विचारा जा सकता है न उनकी कल्पना की जा सकती है। प्रत्येक प्रभुसत्ता-धारी राष्ट्र अपने को पूर्णतः स्वतन्त्र दिखाते हैं और वास्तव में ऐसा ही।

आधुनिक युग में प्राकृतिक विधि—ओपेनहेम (Oppenheim) ने ठीक ही कहा है कि प्रकृति के नियमों ने वह बैसाली (crutches) दी जिनकी सहायता से इतिहास न मनुष्य-जाति को मध्ययुग की सस्याओं से निकाल कर प्राधुनिक युग की सस्याओं में आना सिखाया। प्राधुनिक राष्ट्रों की विधि अपने अस्तित्व के लिये ही प्राकृतिक विधि के सिद्धान्त की श्रुती है। प्रोशस ने प्राकृतिक नियमों को असाध्य-वायिक बनाने तथा इसको शुद्ध धार्मिक पथ से मुक्त करने का दृढ़ कदम उठाया। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि यद्यपि प्राकृतिक विधि का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में बहुत बड़ा हाथ है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता

मत
कि
रि

कि यह सिद्धान्त आलोचना से रहित है। प्रोशस ने 'बया होना चाहिये' इस आदर्श विचार को 'यह वास्तव में बया है' इसको साथ मिला कर स्वयं भ्रम में पड़ गया। लारस कहते हैं कि "यदि उसका विचार ठीक होता तो प्राकृतिक नियम के मूलभूत सिद्धान्तों तथा अधिक प्रमुख नियमों के सम्बन्ध में सर्वदा सामान्य सहमति रही होती। परन्तु इस प्रकार की किसी वस्तु का कभी अस्तित्व ही नहीं रहा है। विधि-वेत्ताओं तथा दार्शनिकों में आपस में बहुत मतभेद रहा है क्योंकि मनुष्यजाति के विशाल जनसमूह ने मिथ्या रूप से भी यह नहीं दर्शाया कि वे इस विषय को समझते हैं।" जैसा कि ब्रायली (Brierly) महोदय ने कहा है कि मध्ययुग के लेखकों ने यह घोषणा करके कि विरोध की दशा में प्राकृतिक विधि निश्चयात्मक नियमों को रद्द कर सकती है, एक प्रतिकूल सिद्धान्त को प्रवृत्त कर दिया है, जो भयानक है। उन्होंने विधान के कार्य को वर्तमान विधि बया है इसे ढूँढने के कार्य के साथ मिलाकर गड़बड़ी उत्पन्न कर दी जब कि उनका यह मत था कि विधि के नियम का युक्तिसंगत न होना उसको अवैध कर सकता है।

अध्याय ५

राष्ट्रों की विधि का संहिताकरण

(Codification of the Law of Nations)

परिभाषा :—संहिता सविधियों का एक संकलित रूप है (A code is a consolidation of the statute law.); अथवा यह एक संग्रह है जिसमें किसी विशेष विषय सम्बन्धी सभी सविधियों का संग्रह है। संहिताकरण यह क्रिया है जिसके द्वारा सविधियों (statutes), अभिसमय (conventions) रूढ़-विधि (customary laws) अथवा न्यायाधिकरणों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले नियम स्वल्प अथवा बिना किसी परिवर्तन के लेखबद्ध विधियों के रूप में बदल दिये जाते हैं। यह सामान्य अभिसमय द्वारा राज्यों के बीच में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के बारे में करार प्राप्त करता है तथा एक अकुल के समान कार्य करता है जिससे किसी विशेष विधि का निर्णय केवल न्यायाधीशों के मन पर ही न छोड़ दिया जाय। यह विरोधी विचारों को समाधान करने की प्रवृत्ति रखता है और भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच में सहमति या सोहार्द संभव करना है।

लाभ—सहिताकरण द्वारा किसी विशेष विषय में क्या विधि है इसका शीघ्र ही पता लगाया जा सकता है और एक विशाल क्षेत्र में एकता लाई जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि का दोष यह है कि यह अनिश्चित है। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मशीन इतनी कुशल नहीं है जितनी राज्य की विधानकारी मशीन। सहिताकरण विभिन्न राज्यों के बीच के विरोधी विचारों का समाधान करके उन विभिन्न इकाइयों को विधि के एक बड़े भाग को एक सूत्र में बाँध देना है जो कि अन्यथा विभिन्न तथा विरोधी सम्मतियों के विषय बने रहते हैं।

यद्यत्पूर्वक सकलित सहिता न्यायाधीश को न्याय करने में बड़ी सहायता पहुँचाती है। न्यायाधीश लोग व्याख्या की क्रिया द्वारा बहुत से दोषों का समाधान कर सकते हैं जिनका प्रायः सहिताकरण में समावेश हो जाता है।

रूढ़ि द्वारा विधि के विकास की गति बहुत ही मन्द रहती है। सम्यता का विकास, नये हितों का प्रादुर्भाव तथा नये अविष्कारों के साथ समाज का ढाँचा दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। स्थितियों तथा घातावरण में प्रायः इतनी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है कि किसी राष्ट्र की निश्चयात्मक विधि को उनके साथ चलना कठिन हो जाता है। अतः सहिताकरण इन उन्नतियों तथा विकाशों से उत्पन्न हुई समस्याओं को सुलझाने के लिये आवश्यक हो जाता है और विधि के विज्ञान को प्रोत्साहित करता है।

बहुत से आवश्यक विषयों के सम्बन्ध में जो मतभेद तथा गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है विधि के सहिताकरण से लुप्त हो जावेगी।

विभिन्न विधि के सहिता में एक सकलित रूप में उपस्थित होने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा अन्य न्यायाधिकरणों को, प्रस्तुत विवादों का निर्णय करने में अत्यन्त सहायता पहुँचेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सहिताकरण इसकी स्पष्टता तथा प्रामाणिकता में वृद्धि करता है और इसके फलस्वरूप राष्ट्रों को अपने को न्यायिक अथवा पचासती निर्णयों के अधीनस्थ करने को कुछ सीमा तक बाध्य करता है।

संक्षिप्त इतिहास—राष्ट्रों की विधियों के सहिताकरण के विचार पर सब से प्रथम अठारहवीं शताब्दी के अन्त में वेनियम द्वारा तर्क-वितर्क किया गया। उसने एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि की कल्पना की जो सम्य राष्ट्रों के बीच निरन्तर शान्ति का आधार हो सकती थी।

वास्तविक सहिताकरण का प्रयत्न पेरिस की घोषणा पर सन् १८५६ में किया गया। फ्रीमियाँ के युद्ध के अन्त में इस घोषणा पर ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रान्स, प्रुशिया,

रून, प्रशा, साडोनिया तथा टर्की द्वारा हस्ताक्षर किये गये । चार सिद्धान्त निर्धारित हुये :—

(१) शत्रुओं के जहाजों का लूटना बन्द कर दिया जाय ;

(२) तटस्थ भूके क भावरणमें शत्रु के माल का संरक्षण, युद्ध सम्बन्धी प्रतिपिद्ध पदार्थों को छोड़कर, रहता है ।

(३) शत्रु के भूके के नीचे तटस्थ राष्ट्रों का युद्ध सम्बन्धी प्रतिपिद्ध पदार्थों को छोड़कर अन्य माल उब्त न किया जाय ।

(४) नाकाबन्दी वास्तविक तथा बाध्य होने के लिये कार्य के साधन के रूप में की जानी चाहिये ।

वाशिंगटन की सन्धि जो ८ मई सन् १८७१ को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन के मध्य में हुई उसमें उनके मतभेदों को तय करने के अतिरिक्त तटस्थ राष्ट्र के समुद्र में जहाजों को सुरक्षित करने तथा उसके बन्दरगाहों के उपयोग करने पर उसके क्या कर्तव्य हैं इस सम्बन्ध में भी निर्णय किया गया ।

सन् १८७२ में डडले फ़ील्ड (Dudley Field) ने “अन्तर्राष्ट्रीय विधि की रूपरेखा का मसौदा” (Draft Outlines of an International Code) प्रकाशित किया ।

सन् १८७४ में रूस के अलक्षेन्द्र द्वितीय (Alexander II) की प्रेरणा पर ब्रसेल्स सम्मेलन (Brussels Conference) ने साठ अनुच्छेदों के समूह का मसौदा ‘ब्रसेल्स की घोषणा’ के नाम से किया परन्तु वे अनुच्छेद शक्तियों द्वारा सत्याकित नहीं किये गये ।

हेग सम्मेलन—सन् १८६६ में हेग सम्मेलन न जो रूस के निकोलस द्वितीय के अभिमन्त्रण पर बुलाई गई थी, दो प्रमुख अभिसमय संहिता के रूप में बनाये गये :—

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का दान्तिपूर्वक निपटारा करने के लिये अभिसमय (Convention for the Pacific Settlement of International Disputes), और

(आ) भूमियुद्ध सबंधी विधि तथा उसके रूढ़ि सम्बन्धी अभिसमय (Convention with respect to the Laws and Customs of War on Land) ।

सम्मेलन में २६ शक्तियों ने भाग लिया । इनकी प्रतिज्ञायें अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण की सीमाचिह्न हैं ।

१९०७ के हेग सम्मेलन ने तैरह अभिसमय निर्मित किये जिनमें से कुछ समुद्री विधि के भागों के संहिताकरण हैं । उनमें भूमि तथा समुद्र पर युद्ध और तटस्थता

सम्बन्धी नियमों की भी व्यवस्था की गई है। सम्मेलन में ४४ स्वतन्त्र प्रभु सत्तावादी राष्ट्रों ने भाग लिया।

लंदन की घोषणा (Declaration of London) — सन् १९०६ के लंदन के समुद्रीय सम्मेलन में प्रतिबद्ध करने के प्रयोजन से वस्तुओं की एक संमत सूची बनाने का प्रयत्न किया गया। इसके निर्णय लंदन की घोषणा (१९०६) में सम्मिलित किये गये, परन्तु घोषणा पुष्टीकृत न होने के कारण लागू नहीं हुई। प्रथम विश्वव्यापी महायुद्ध सन् १९१४, और तदनन्तर १९३६, के सघात ने लंदन की घोषणा को प्राधिकार के शेष अंश से भी वंचित कर दिया।

लीग ऑफ नेशन्स (The League of Nations) :— दि लीग ऑफ नेशन्स ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण में तीव्र रुचि दिखलाई। सन् १९२४ में लीग की परिषद् (Council) ने सभा (Assembly) के क्रम में विशेषज्ञों की एक समिति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण पर प्रतिवेदन करने के लिये तथा संहिताकरण के लिये परिपक्व विषयों को छांटने के लिये नियुक्त की। सन् १९२७ में अपने प्रतिवेदन में समिति ने निम्नलिखित विषयों को संहिताकरण के योग्य मान कर प्रस्तुत किया : (१) राष्ट्रिकता, (२) प्रादेशिक समुद्र, (३) किसी राष्ट्र की उसके प्रदेश में विदेशियों के शरीर अथवा सम्पत्ति को पहुँचाई गई हानि के लिये उत्तरदायित्व, (४) राजनैतिक विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ, (५) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा सन्धिओं का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया, (६) समुद्री डकैती, तथा (७) समुद्र के उत्पन्न पदार्थों का उपयोग।

सितम्बर १९२७, में सभा (Assembly) ने समिति द्वारा परिषद् (Council) को दिये गये प्रतिवेदन तथा परिषद् के उस पर कथन का परीक्षण किया और निम्नलिखित तीन विषयों पर विधि के संहिताकरण के प्रयोजन के लिये हेग में एक सम्मेलन बुलाया :—

(१) राष्ट्रिकता,

(२) प्रादेशिक समुद्र,

(३) किसी राष्ट्र की उसके प्रदेश में विदेशियों के शरीर तथा सम्पत्ति को पहुँचाई गई हानि के लिये उत्तरदायित्व।

इसमें अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उत्तरोत्तर संहिताकरण के लिए परमाणु सम्मेलन हेग में सन् १९३० में मार्च १३ से अप्रैल १२ तक हुआ। इसमें तीन सन्धि-नियमों उपरोक्त तीन विषयों में से प्रत्येक के लिये एक-एक बनी। राष्ट्रिकता सम्बन्धी प्रथम समिति के विचारों के परिणामस्वरूप परिषद् ने निम्नलिखित बातों को स्वीकृत किया :

(प्र) राष्ट्रिक विधियो (Nationality Laws) के सघर्ष सम्बन्धी कुछ प्रश्नो व सम्बन्ध मे एक अभिसमय ।

(भा) दाहरी राष्ट्रिकता के (Double Nationality) कुछ मामलो मे सैनिक आभार सम्बन्धी सलेख (Protocol) ।

(इ) ऐसा काई मामला जिसमे कोई राष्ट्रियता ही न हो तत्सम्बन्धी सलेख (Protocol) ।

(ई) राष्ट्रिकतारहित मामला सम्बन्धी एक विशेष सलेख (Protocol) ।

बाद में य अभिसमय कई राष्ट्रो द्वारा सत्याकित किये गये । प्रादेशिक समुद्रो के बारे मे कोई अभिसमय उस समिति द्वारा स्वीकृत नही किया जा सका जिसको यह कार्यभार सौंपा गया था क्योंकि प्रादेशिक समुद्रो की चौडाई के प्रश्न के सम्बन्ध में तथा उसके निकटवर्ती मिले हुए भूमण्डल की समस्या के सम्बन्ध में कोई सविदा नही हो सकी । सम्मेलन मे राष्ट्रिय उत्तरदायित्व के सम्बन्ध मे विशेषत अन्त्य देशीय निवासियो के साथ व्यवहार के सम्बन्ध मे भी कोई सहमति न हो सकी ।

लीग के संरक्षण में युद्ध की विधि के क्षेत्र मे भी बहुत से अभिसमय बनाये गये । वर्साई की सन्धि के अनुच्छेद १७१ द्वारा दम घोटने वाली विपैली अथवा अन्ध गैसो का उपयोग निषिद्ध किया गया और जर्मनी में इसका निर्माण रोक दिया गया । १९२१-१९२२ के वाशिंगटन सम्मेलन में यह यत्न किया गया कि शस्त्रीकरण की परिसीमन पर एक सविदा हो जाय परन्तु सम्मेलन अपने प्रारम्भिक कार्य से दूर चला गया और उसने युद्ध सम्बन्धी नियमो को बताया जिनके द्वारा विपैली गैसो के प्रयोग को रोका और पनडुब्बो जहाजो की युद्ध की रीतियो को निर्धारित किया । इन क्षेत्र में हमके परिश्रम को वर्तमान विधि की सहिताकरण की श्रेणी में नही वरन् एक नये विधान की श्रेणी मे रक्खा जाना चाहिये ।

सन् १९२३ में न्यायविशारदो के एक आयोग ने वायु-युद्ध सम्बन्धी नियमो को बनाया ।

सन् १९२५ में लीग की परिषद् के निमन्त्रण पर कई राष्ट्रों का एक विशेष अधिवेशन हुआ जिन्होंने दम घोटनेवाली विपैली अथवा अन्ध गैसो को निषिद्ध करने वाले एक सलेख (protocol) पर हस्ताक्षर किये । जुलाई १९२६ मे स्विटजरलैंड की सरकार के निमन्त्रण पर ४७ राष्ट्रों के प्रतिनिधियो ने युद्ध-क्षेत्र मे पड़े हुए सेनाप्रा के श्रीमारो तथा घायला और युद्धबन्धियो के प्रबन्ध सम्बन्धी संशोधित अभिसमय को बनाया ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकार-पत्र (Charter) तथा संहिताकरण :—
संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र के अनुच्छेद १३ मे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सहिताकरण के लिये पर्याप्त प्रवसर दिया गया है । उसमे कहा गया है कि—

(१) सामान्य सभा निम्नलिखित प्रयोजन के लिये अध्ययन प्रारम्भ करावेगी तथा प्रतिवेदन करेगी,

(अ) राजनैतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि और इसके संहिताकरण का उत्तरोत्तर विकास ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (The International Law Commission) :-

संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग सामान्य सभा के दिनांक नवम्बर २१, सन् १९४७, के प्रस्ताव द्वारा अधिपत्र (चार्टर) के अनुच्छेद १३ (१) (अ) को पूर्ण करने के लिये नियुक्त किया गया जिसके द्वारा सामान्य सभा को यह भार सौंपा गया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा इसके संहिताकरण के उत्तरोत्तर विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अध्ययन प्रारम्भ करावे और सिफारिश करे ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग की सविधि (Statute) के अनुच्छेद १ में यह व्यवस्था की गई है कि कमीशन का लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उत्तरोत्तर वृद्धि तथा इसका संहिताकरण होगा । यह मुख्यतः सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि से सम्बन्धित है परन्तु इसके लिये वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में प्रवेश करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

संविधि (Statute) :- आयोग (Commission) १५ सदस्यों का बना है जिसमें अनुच्छेद २ के अनुसार ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जिनको अन्तर्राष्ट्रीय विधि में योग्यता के लिये मान्यता प्रदान की गई हो । आयोग के कोई भी दो सदस्य एक ही राज्य के न होने चाहिये । आयोग के सदस्य सामान्य सभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की सरकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की सूची में से निर्वाचित होते हैं । (अनुच्छेद ३)

अनुच्छेद १८ के अन्तर्गत आयोग को इस कार्य का भार सौंपा गया है कि वह संहिताकरण के विषयों का सकलन करने के उद्देश्य से वर्तमान मसौदों (Drafts) को, चाहे वे सरकारी हों अथवा नहीं, ध्यान में रखते हुये अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संपूर्ण क्षेत्र का पर्यवेक्षण करे । जब आयोग समझता है कि किसी विशिष्ट विषय का संहिताकरण आवश्यक है अथवा वाञ्छनीय है तो इसे अपनी सिफारिशों को सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है ।

नवम्बर २१, सन् १९४७ को सामान्य सभा ने आयोग को यह निर्देश किया कि (अ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि जिसका विनूरम्बर्ग न्यायाधिकरण के चार्टर तथा उच्च न्यायालय में मान्यता प्रदान की गई है, उसके सिद्धान्तों को सूत्रित करे, (आ) मनुष्य जाति की शांति तथा सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की संहिता का मसौदा तैयार करे ।

और उसमें यह स्पष्ट रूप से दिसलावे कि उपरोक्त उप-अनुच्छेद (अ) में कथित सिद्धान्तों को क्या स्थान दिया जाय। आयोग से यह भी कहा गया कि यह राष्ट्रों के अधिकार तथा कर्तव्यों की घोषणा का मसौदा तैयार करे और जनवध (genocide) तथा कुछ अन्य अपराधों के परीक्षण के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था के स्थापन की संभावनाओं का अध्ययन करे।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सर्वेक्षण तथा संहिताकरण के लिए विषयों का चुनाव:—
आयोग ने निम्नलिखित तीन विषयों का प्राथमिकता देने का निर्णय किया:—

(१) सन्धियों की विधि (Law of Treaties), (२) पंचायती प्रक्रिया (Arbitral Procedure), (३) समुद्रों की शासन-व्यवस्था (Regime of the High Seas)।

राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की घोषणा का मसौदा (Draft Declaration on Rights and Duties of States):—

आयोग ने राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की घोषणा का मसौदा तैयार करने का कार्यभार अपने ऊपर लिया और इसकी विवेचना का आधार पनामा द्वारा प्रस्तुत किये गये राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की घोषणा का मसौदा रखा और इसके साथ ही इस विषय पर अन्य लेखों तथा मसौदों को भी ध्यान में रखा गया। इसने न कि बंधनकारी नियमों (binding rules) को पद्धति के रूप में वस्तु-आचरण के स्तर के रूप में सामान्य सभा द्वारा ग्रहण तथा घोषित किये जाने के लिये एक घोषणा तैयार की। भिन्न-भिन्न धाराओं के द्वारा जो कि संख्या में १४ धाराओं के चार अधिकारी घोषित किये—स्वतन्त्रता के अधिकार, राष्ट्रीय प्रदेश के ऊपर क्षेत्राधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा स्वीकृत उन्मुक्तियों के अधीन व्यक्तियों तथा वस्तुओं के ऊपर अधिकार, समानता के अधिकार और सैनिक आक्रमण होने पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक-सुरक्षा के अधिकार।

अक्टूबर १९५२ तक १८ सदस्य राष्ट्रों ने अपनी-अपनी टिप्पणियाँ भेज दी। सभा के पाँचवें अधिवेशन की छठी विधिक समिति ने यह निर्णय किया कि राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की घोषणा के मसौदा पर विचार करने के पूर्व अन्तिम प्रतिवेदनों (रिपोर्टों) की प्रतीक्षा की जाय।

नूरम्बर्ग सिद्धान्तों का निरूपण (Formulation of Nuremberg Principles):—अपने दूसरे अधिवेशन में (जून ५-जुलाई २६, १९५०) आयोग ने उन अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सात सिद्धान्तों की एक श्रेणी बनाई जो कि

न्यायाधिकरण के चार्टर तथा उसके निर्णय में स्वीकृत किये गये थे। वे निम्न-लिखित हैं :—

(१) कोई व्यक्ति जो ऐसा कार्य करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत एक अपराध है वह उसके लिये उत्तरदायी है और दंड का भागी है।

(२) यदि कोई कार्य जिसकी गणना अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराध में है, पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत दंडनीय नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा किया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत वह व्यक्ति उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होता।

(३) यदि कोई कार्य जिसकी गणना अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराध में है, किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के अध्यक्ष अथवा उत्तरदायी सरकारी पदाधिकारी के रूप में किया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत वह व्यक्ति उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होता।

(४) यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सरकार अथवा अपने से सर्वोच्च के आदेशानुसार किया जाय तो वह व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत इस अनुबन्ध के साथ कि उस व्यक्ति के लिये नैतिक विकल्प (moral choice) सभ्य रहा हो, दायित्व से मुक्त नहीं होता।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराध के लिये आरोपित किसी व्यक्ति को तथ्य तथा न्यायानुसार उचित विचारण (trial) का अधिकार है।

(६) यथाक्रम रखे हुये अपराध अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराधों के रूप में दंडनीय हैं (अ) शान्ति के विरुद्ध अपराध, (ब) युद्धापराध, (क) मानवता के विरुद्ध अपराध।

(७) सिद्धान्त ६ में यथोल्लिखित शान्ति के विरुद्ध अपराध, युद्धापराध अथवा मानवता के विरुद्ध अपराध में भाग लेना भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराध है।

सन् १९५० के अधिवेशन में प्रायोगिक सिफारिशों को सर्वप्रथम राष्ट्रों की सरकारों के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजा।

प्रायोगिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Customary International Law) प्रायोगिक ने अपने दूसरे अधिवेशन में यह प्रतिवेदित किया कि संयुक्तराष्ट्रों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्बन्ध में किये गये प्रयागनों का यथासंभव विस्तृत रूप में वितरण किया जाय, और यह कि सन् १९५० के सचिवालय (secretariat) को यह अधिकृत करे कि वह प्रयागनों का आठ मसूदा बनावे और उनको विस्तृत रूप में वितरण करे जिससे प्रायोगिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का माध्यम-परिचय सुगमता से

प्राप्त हो सके और यह कि सभा सरकारी का ध्यान अपने राजनैतिक पत्र-व्यवहार के सक्षित समूह के प्रवाशन की उपादेयता की ओर आकर्षित करे ।

अग्रघर्षण (Aggression) की परिभाषा :—यद्यपि आयोग ने अपने तीसरे अधिवेशन में जेनेवा में (मई १६ से जुलाई २७ सन् १९५१ तक) प्रथमतः अग्रघर्षण को परिभाषित नहीं किया था क्योंकि इसकी परिगणना करना कठिन था तथापि इसने पुनर्विचार पर यह निश्चित किया कि अग्रघर्षण की सामान्य परिभाषा का समावेश मनुष्यजाति की शांति तथा सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की संहिता के मसौदे में कर दिया जाय । शब्द 'अग्रघर्षण' में कोई अग्रघर्षण का कार्य जिसमें किसी राष्ट्र के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय अथवा सामूहिक आत्मरक्षा में अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सक्षम अंग के निर्णय अथवा सिफारिश (recommendation) के अनुसार किये गये बलप्रयोग से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध सैनिक बल का उपयोग भी सम्मिलित था ।

मनुष्य जाति की शांति तथा सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की संहिता का मसौदा (Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind) :—आयोग ने अपने दूसरे अधिवेशन में इस विषय पर एक मसौदा तैयार किया जो सभा के समक्ष उसके १९५० के अधिवेशन में उद्घोषित किया गया । सभा ने अपने सदस्य-राज्यों से टिप्पणियाँ माँगी ।

अपने तीसरे अधिवेशन में आयोग ने एक संहिता का मसौदा तैयार किया और अपना तात्पर्य उन्हीं अपराधों तक सीमित रखा जिनमें कोई राजनैतिक तत्व सम्मिलित था तथा जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के अनुपालन में सङ्कट और बाधा उत्पन्न होती थी । संहिता में परिगणित अपराधों को 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराध' के रूप में परिभाषित किया गया । आयोग ने निश्चय किया कि केवल व्यक्तियों को ही ऐसे अपराधों के लिये दण्डित किया जाना चाहिये और भाव-वाचक नामों से सूचित अपराधों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

संहिता के मसौदे में अन्य अपराधों के अतिरिक्त निम्नलिखित अपराध भी सम्मिलित थे, अर्थात् अग्रघर्षण का कार्य, अग्रघर्षण की धमकी, किसी राज्य के अधिकारियों द्वारा किसी अन्य राज्य के विरुद्ध बल-प्रयोग की तैयारी, आत्म-संरक्षण में अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सक्षम अंग के निर्णय अथवा सिफारिशों के अनुसरण में किये गये प्रयोजनों से भिन्न किसी और प्रयोजन के लिये किसी राज्य का सैन्यदल द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से दूसरे राज्य के प्रदेश में आक्रमण, किसी राज्य के अधिकारियों का किसी अन्य राज्य में राजनैतिक भ्रष्टों के मदकाने अथवा भय

उत्पन्न करने वाले कार्य करने से सम्बन्धित कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रतिक्रमण करके किसी प्रदेश का समांमेलन (annexation), राज्य के अधिकारियों द्वारा अथवा वैयक्तिक रूप में जनवध, नागरिक जनता के विरुद्ध अमानुषिक कार्य, युद्ध-नियमों के अतिक्रमण में कार्य । प्रायाग न यह मत प्रकट किया कि किसी व्यक्ति का किसी राज्य के अध्यक्ष के रूप में अथवा एक उत्तरदायी सरकारों पदाधिकारी के रूप में कार्य करना उसको उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता । यदि कोई व्यक्ति अपने सरकार अथवा प्रवर के आदेशानुसार कार्य करे तो केवल उसी दशा में उत्तरदायी माना जा सकता है जब उसके लिये नैतिक विकल्प वास्तव में सम्भव रहा हो ।

एक अन्तर्राष्ट्रीय दरुड न्यायालय के स्थापन के आलम्बित रहने तक प्रायो ने कोई लेख-पत्र संहिता के कार्यान्वित करने के लिये नहीं बनाया और प्रत्येक प्राय राध के लिये एक निश्चित दरुड की व्यवस्था किये बिना उसका प्रयोग राष्ट्रीय न्यायालयों के ऊपर छोड़ दिया ।

प्रधान समुद्रों की शासन-पद्धति (Regime of the High Seas) किनारे का राज्य समुद्र के बलुई किनारे तथा उभरे हुये चट्टान पर (shelf) प्राकृतिक साधनों को उपयोग करने का नियन्त्रण तथा क्षेत्राधिकार रख सकेगा किन्तु निकटवर्ती ऊपर के समुद्र की तथा वायुमण्डल की वैधिक स्थिति पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा ।

सन्धियों की विधि (Law of Treaties) :— यह विषय आयोग के प्रथम अधिवेशन में संहिताकरण के लिये चुना गया । सन्धियों की तैयारी, सन्धि करने की योग्यता, सत्याकन, स्विकृति तथा सन्धियों में प्रवेश सम्बन्धी बहुत सी धारारों के मसौदे आयोग के विचाराधीन थे ।

अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक क्षेत्राधिकार (International Criminal Jurisdiction) :— आयोग ने अपने दूसरे अधिवेशन में जनवध तथा कुछ अन्य अपराधों के विचार के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक अंग के स्थापना की आवश्यकता की परीक्षा की । इसके विचार में एक पृथक अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना सम्भव तथा वाञ्छनीय दोनों थी, पर वह ऐसे न्यायालय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को चैम्बर (chamber) के रूप में स्थापित किये जाने के विरुद्ध था ।

अपने पाँचवें अधिवेशन में सभा (Assembly) ने एक अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के स्थापन तथा सविधि (statute) सम्बन्धी अग्निसमय का मसौदा

तैयार करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की। समिति की बैठक जेनेवा में अगस्त सन् १९५१ में हुई और इसने अन्तर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक न्यायालय के लिये संविधि (statute) का मसौदा तैयार किया।

समिति की रिपोर्ट संविधि (statute) के सहित सरकारों की टिप्पणी तथा अवलोकन के लिये भेजी गई।

मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा :—सन् १९४८ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनुष्य के अधिकारों का पहला अन्तर्राष्ट्रीय वक्तव्य अर्थात् 'मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' घोषित की। अप्रैल ६ सन् १९५० को मानवीय अधिकारों के आयोग ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का विधि द्वारा संरक्षण तथा इसके एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (Convention) में सम्मेलन के सिद्धान्त को स्वीकृत किया।

अन्य अभिसमय (Other Conventions) :—संयुक्त राष्ट्र संघ ने जन-वध (genocide) पर एक अभिसमय तैयार किया है जिसके अनुसार किसी प्रकार के राष्ट्रीय, जातीय अथवा वर्गीय समूहों के विनाश के उपलक्ष्य में किये गये अन्तर्राष्ट्रीय अपराध के कार्य दंडनीय माने गये हैं, उनके लिये उत्तरदायी व्यक्ति चाहे राजा हो, राष्ट्र हों, सरकारी पदाधिकारी हो अथवा सामान्य व्यक्ति हो, सभी माने गये हैं। ३१ जनवरी, १९५६, तक ५६ राज्यों ने इसका अनुसमर्थन किया।

एक अभिसमय का मसौदा सूचना की स्वतन्त्रता तथा समाचारों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रेषण (भेजने) के सम्बन्ध में भी तैयार किया गया है जिस पर साधारण सभा की सामाजिक समिति द्वारा विवेचना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक समुदाय ने एक नीति-सहिता का मसौदा तैयार किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के भिन्न-भिन्न दल विश्व के सामाजिक समस्याओं के सुलझाने में लगे हुये हैं जिनमें बलात् श्रम, दामता, श्रमिक सघों के अधिकारों का संरक्षण, जनसंख्या का अध्ययन, इत्यादि सम्मिलित हैं।

जुलाई सन् १९५१ में शरणार्थियों की प्रास्थिति (status) पर एक अभिसमय संयुक्तराष्ट्र संघ की अध्यक्षता में स्वीकृत की गई जो शरणार्थियों के अधिकारों पर सबसे अधिक विस्तृत लिखित अधिकारपत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आयोग जिममें विधिवेत्ता प्रमाणिक व्यक्ति हैं, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सहिताकरण तथा विकास के प्रयत्न में लगा हुआ है।

अध्याय ९

अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि में
परस्पर सम्बन्ध(Relation between International Law and
Municipal Law)

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार-भूत सिद्धान्तों के अध्ययन करने के पूर्व यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि में क्या सम्बन्ध है इसका संक्षेप में अध्ययन किया जाय। हमने इससे पूर्व यह देख लिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रभु-सत्ताधारी स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को अनुशासित करती है। राष्ट्र-विधि (Municipal Law), राज्य-विधि (State Law) अथवा राष्ट्रीय-विधि (National Law) किसी राष्ट्र अथवा देश की विधि है और इस सम्बन्ध में वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है। केलसेन का कहना है कि राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित करती है और अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के व्यवहार को, अथवा जैसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय विधि के नियम राज्य के 'आन्तरिक सम्बन्ध' अथवा तथाकथित 'घरेलू मामले' हैं। और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय राज्यों के 'बाह्य' सम्बन्ध अर्थात् उनके 'विदेशीय मामले' हैं।

क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि या विभिन्न राष्ट्रीय विधियों को एक ही वस्तु, अर्थात् विधि के ही एक विचार के भिन्न-भिन्न रूप कहा जा सकता है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विधि विधि को एक स्वतन्त्र पद्वति है जो राष्ट्र-विधि से प्रधानतः भिन्न है। इस प्रश्न पर बहुत-सा साहित्य निकल चुका है। प्रथम सिद्धान्त को एकात्मक (Monistic) और द्वितीय सिद्धान्त को द्वैतात्मक (Dualistic) कहा जाता है।

एकात्मक सिद्धान्त (Monistic Theory):—एकात्मक सिद्धान्त के विचार वाले यह प्रतिपादित करते हैं कि विधि की दोनों पद्वतियों अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि के विषय प्रधानतः एक ही है क्योंकि पहला राज्यों के आचरण को निरूपित करता है और दूसरा व्यक्तियों के आचरण को। इस मत के अनुसार विधि प्रधानरूप में एक आज्ञा है जो इसके (विधि के) अधीनस्थ विषयों पर उनकी स्वतन्त्र इच्छा से बंधनकारी है जो (अधीनस्थ विषय) एक दशा में राज्य है और दूसरी दशा में व्यक्ति। इस मत के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि एक ही वस्तु के दो रूप हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि यद्यपि सीधे राज्यों को निगम (corporate bodies) के रूप में सम्बोधित है, तथापि वह व्यक्तियों पर भी लागू है क्योंकि राज्य अन्तर्-

गत्वा केवल व्यक्तियों के ही संगठन हैं। इस सिद्धान्त (doctrine) के पक्ष का समर्थन वियेना स्कूल के केलसन (Kelsen) महोदय द्वारा किया गया है जिनके मतानुसार राष्ट्र-विधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि में एवता है और इसके विरुद्ध कोई विचार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के वैध लक्षण का ही उत्सर्जन करता है। डूगू (Duguit) महोदय एक पग और आगे बढ़ गये और उन्होंने इस मत का प्रबलम्बन किया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन राष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य है। (The subjects of International Law are not States but the individual members of States.—Duguit).

द्वैतात्मक सिद्धान्त (Dualistic Theory) :—द्वैतात्मक सिद्धान्त के विचारों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि की पद्धतियाँ यहाँ तक पृथक् तथा स्वयं परिपूर्ण हैं जहाँ तक एक के नियम दूसरे में ग्रहण नहीं किये जाते। ओपेनहेम का कथन है कि इस विचार के अनुसार राष्ट्रों की विधि (Law of Nations) तथा राष्ट्र-विधि (Municipal Laws) प्रधानतः एक दूसरे से भिन्न हैं। सब से प्रथम तो उनके स्रोतों में ही अन्तर है। राष्ट्र विधि के स्रोत सम्बन्धित राष्ट्रों की सीमाओं के भीतर विकसित रूढ़ियाँ तथा उनमें बनायी गई सविधियाँ (statute) हैं और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत राष्ट्रों के कुटुम्ब के भीतर विकसित रूढ़ियाँ तथा इसके सदस्यों द्वारा की गई विधि-विधायक सन्धियाँ हैं। दूसरे यह कि, राष्ट्र-विधि राज्य के प्रभुत्व के अधीन व्यक्तियों के अथवा व्यक्तियों तथा राज्य के बीच के सम्बन्धों को नियमित करती है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के कुटुम्ब के सदस्य-राष्ट्रों के बीच के सम्बन्धों को नियमित करती है। अन्त में विधि के सार के सम्बन्ध में भेद है क्योंकि राष्ट्र-विधि व्यक्तियों के ऊपर एक सर्वोच्च सत्ता की विधि है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि सर्वोच्चसत्ताधारी राज्यों के बीच की विधि है जो उनके मतेय होने से बनी है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि निर्बल विधि है। इस सिद्धान्त के पक्ष का समर्थन प्रधानतः ट्रिपेल (Triepel), (जर्मनी) तथा अंजिलोटी (Anzilotti) (इटली) द्वारा किया गया है।

रूपान्तर सिद्धान्त (Transformation Theory) :—उपरोक दो सिद्धान्तों के अतिरिक्त स्टार्क (Starke) महोदय एक अन्य सिद्धान्त को निर्देशित करते हैं जिसे हम रूपान्तर सिद्धान्त (Transformation Theory) के नाम से पुकारते हैं।

इस सिद्धान्त के अनुसार "यह सन्धि का राष्ट्रीय विधान में रूपान्तर ही है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों में उल्लिखित नियमों का विस्तार व्यक्तियों के लिये भी वैध होता है। रूपान्तर एक केवल नियमानुसार ही नहीं बल्कि एक वास्तविक सारपूर्ण आवश्यकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय अथवा

राष्ट्र-विधि में तब तक स्थान नहीं पा सकती जब तक वे अपने यन्त्र उस प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये जाने के लिये न दें। अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि का राष्ट्रीय विधान में रूपान्तर का उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन द्वारा की गई प्रत्यर्पण (extradition) सन्धियों से मिलता है। अंग्रेजी विधि में प्रत्यर्पण कार्यवाहियों द्वारा भागे हुए अपराधी को प्रकट सविधिक प्राधिकार (express statutory authority) बिना विदेशी देश को समर्पण करने की शक्ति नहीं है। ऐसा प्राधिकार प्रत्यर्पण अधिनियमों के अधीन परिषद् आदेशों (Orders-in-Council) द्वारा दिया जाता है और केवल उन्हीं में निर्दिष्ट अपराधों से सम्बद्ध होता है। इसी प्रकार अन्य सन्धियों तथा अभियमों को लागू करने के लिये भी राष्ट्रीय विधान अपेक्षित है।

यह सिद्धान्त कई बातों में भ्रान्तिपूर्ण है। प्रथम तो इसका यह पक्ष कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र विधि दो स्पष्टतया भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ हैं, प्रशुद्ध है। दूसरे यह पक्ष कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल राज्यों के लिए बंधनकारी है और राष्ट्र-विधि व्यक्तियों को लागू होती है यह भी सही नहीं है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों का समूह है जो सम्प्र राज्यों द्वारा अपने पारस्परिक आचरण तथा एक दूसरे की प्रजा के प्रति आचरण को निर्धारित करने के लिये स्वीकार किये गये हैं। तीसरे यह कि इस सिद्धान्त द्वारा सन्धियों के लागू होने के लिये राष्ट्रीय विधि में रूपान्तर अपेक्षित है। यह बात विधि-विधायक सन्धियों की दशा में निश्चय ही असत्य है। कुछ सन्धियाँ तो स्वयं ही लागू होती हैं और रूपान्तर की अपेक्षा नहीं करती। उन सन्धियों के सम्बन्ध में जो अपने पूर्ण होने के लिये वैध कार्य की अपेक्षा करती हैं यह पूर्ण होने का कार्य रूपान्तर नहीं कहा जा सकता जब तक कि हम इस पूर्ण होने के कार्य को ही रूपान्तर न मान लें।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रिक क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में राज्यों के प्रचलन — परस्पर विरोधी सिद्धान्तों को जिनको विवेचना ऊपर की गई है दृष्टि में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रिक क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रचलनों को अब परीक्षा की जावेगी।

ग्रेट ब्रिटेन (Great Britain). — ग्रेट-ब्रिटेन में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को प्रयागत अन्तर्राष्ट्रीय विधियों तथा सन्धि द्वारा निर्धारित विधियाँ में उनकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भेद मानत हैं। प्रयागत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के ऐसे नियम जिनकी स्वीकृति सार्वभौमिक मान ली गई है, और जिनको देश की सम्मति प्राप्त हो गई है, देश की विधि के अंग समझे जाते हैं। न्यायाशास्त्र Blackstone के विचार क्रमसे द्वारा उन्होंने सन् १७६२ में यह स्थापित किया कि राज्यों की विधि "यहाँ पूर्णतया सामान्य विधि द्वारा अङ्गीकृत की गई है और देश की विधि का भाग मानी जाती

है" (Law of Nations 'is here adopted in its full extent by the common law and is held to be a part of the law of the land') यह आजकल भी ठीक मानी जाती है। इससे पूर्व १७६४ के त्रिकेट बनाम बाथ (Triquet v. Bath) में लॉर्ड मैन्सफील्ड Lord Mansfield ने अनुमोदन सहित लॉर्ड तालबॉट (Lord Talbot) की सम्मति को एक इससे पूर्व के बारबूत (Bar mit) के मामले में उद्धृत करते हुए कहा है कि "राष्ट्रों की विधि पूर्णतया इंग्लैंड की विधि का भाग है।"

यह परम्परागत विचार वेस्ट रैंड सेण्ट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम किंग (West Rand Central Gold Mining Co Ltd v. The King) वाले मामले में पक्का करके कहा गया था। उसमें मुख्याधीश लॉर्ड अल्वेस्टोन (Lord Alverstone, C J) द्वारा यह मत प्रकट किया गया कि जिस किसी बात को सभी राज्यों की सामान्य सम्मति प्राप्त हो गई हो उसे हमारे देश की भी सम्मति अवश्य प्राप्त हो गई होगी और जिस किसी बात में हम सामान्यतः अन्य राज्यों से सहमत हो गये हो वह उचित रीति से अन्तर्राष्ट्रीय विधि कही जा सकती है। ऐसी दशा में वह हमारे नागरिक न्यायाधिकरणों द्वारा जब कभी उनको ऐसे प्रश्नों का निर्णय करने के लिये यथायोग्य अवसर प्राप्त हो जिनमें कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्त सगत हो स्वीकृत तथा लागू की जावेगी। चुंग ची च्वांग बनाम किंग (Chung Chi Cheung v. The King) वाले मामले में लॉर्ड अट्किन (Lord Atkin) ने यह कहा कि न्यायालय नियमों के एक समूह के अस्तित्व को मानते हैं जिनको कि राज्यों ने परस्पर स्वीकृत कर लिया है। किसी न्यायिक विवाद-प्रश्न में वे अपेक्षित नियम का पता लगाने का यत्न करते हैं और उसको या जाने पर ये उसे घरेलू विधि में समावेशित मानेंगे जहाँ तक कि यह सिफारिशों (recommendations) द्वारा अधिनियमित अथवा उनके न्यायाधिकरणों द्वारा घोषित नियमों से असगत न हो।

अमेरिका (America) —संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सिद्धान्त को कि "अन्तर्राष्ट्रीय विधि देश की विधि का भाग है" ("International Law is part of the law of the land") बिना किसी सदिग्धता के लागू किया है। सब अन्तर्राष्ट्रीय विधियाँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सत्याकित की गई हैं तथा ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़िविधि जिसे संयुक्त राज्य की स्वीकृति प्राप्त हो गई है अमेरिका के न्यायालयों पर बंधनकारी हैं चाहे वे सविधियाँ के अनुबन्धों के प्रतिबन्ध ही क्यों न हों। जिन मामलों में झगडा रहता है उन मामलों में यह मान लिया जाता है कि संयुक्त राज्य की काप्रेस या यह आशय कदापि न रहा होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि को नष्ट

कर दिया जाय। अत्र इस सम्बन्ध में अमेरिका तथा ब्रिटेन द्वारा प्रयुक्त प्रवृत्तियों में घनिष्ठ समता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सन्धियों को सबसे अधिक महत्त्व देता है। उसके अनुच्छेद ६ में से यह विशेष रूप से व्यवस्थित है कि "संयुक्त राज्य के प्राधिकार के अधीन की गईं सब सन्धियाँ अथवा जो भविष्य में की जावेगी देश की सबसे श्रेष्ठ विधि होगी और प्रत्येक राज्य (State) का न्यायाधीश उनसे बाध्य होगा चाहे किसी राज्य के संविधान में अथवा विधियों में उसके विरुद्ध कुछ भी हो।" इसका परिणाम यह होता है कि जो ही प्रेसीडेंट किसी सन्धि को सत्यांकित करता है, यह अमरीकी विधि में परिवर्तित हो जाती है। यदि सन्धियाँ स्वयं निरूपादित होने वाली होती हैं तो वे न्यायालयों पर देश की विधि के अंश के रूप में बन्धनकारी होती हैं। यदि वे ऐसी हुईं कि उनको प्रवृत्त करने के लिये क्षमता प्रदान करने वाले विधान की आवश्यकता हो तो वे देश की विधि तब तक नहीं होती जब तक कि वे आवश्यक विधान द्वारा प्रवर्तित न की जायें।

महाद्वीप वालों की रीति.—फ्रांस में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रथागत विधि, उस समय तक राष्ट्र विधि का अंश मानी जाती है जब तक वे देश के विधान के विरुद्ध न आती हो। सन्धियों के सम्बन्ध में फ्रांस वे न्यायालयों के निर्णयों में कोई एकरूपाता नहीं है। कभी-कभी तो न्यायालयों ने सन्धि को सन्धियों से प्रबल माना है और प्रायः उन्होंने इसके विपरीत अपना दृष्टिकोण रखा है। सन्धियों के लागू करने के सम्बन्ध में भी फ्रांस में स्थिति अस्थिर है। कुछ सन्धियों में विधियों के समान घोषणा अनेकित है और कुछ केवल प्रकाशित की जाती हैं। बेल्जियम तथा पोलैंड में यह आवश्यक है कि सन्धियों को लागू होने के लिए पार्लियामेंट की स्वीकृति लेनी चाहिए। डेनमार्क की विधि भी सामान्यतः स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता प्रदान करती है और इसके विरुद्ध कार्य अवैध माने जाते हैं।

स्पेन के संविधान (१९३१) के अनुच्छेद में यह उपबन्धित है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि देश की विधि का अंश है।

जर्मनी के वीमर संविधान (१९१९) के अनुच्छेद ४ में यह निर्धारित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सार्वभौमिक मान्य नियम जर्मन सब के बाध्यकारी प्रभागों के समान वैध हैं, परन्तु इस अनुच्छेद के स्पष्ट व्यवस्थाओं के हात हुए भी जर्मन न्यायालयों ने इस अनुच्छेद का बहुत सकृचिन अर्थ ग्रहण किया है। सन् १९२८ में जर्मन Reichsgericht ने यह मत ग्रहण किया कि वह *lex posterior derogat priori* (उत्तरवर्ती अधिनियम पूर्ववर्ती को रद्द कर देना है) सिद्धान्त के अनु-

सार कार्य करने को बाध्य है और एक उत्तरवर्ती सविधि (statute) को बर्साई की सन्धि की व्यवस्थाओं के विरुद्ध लागू कर दिया। एक दूसरे मामले में जर्मनी के सर्वोच्च न्यायालय ने सन् १९३३ में यह मत प्रकट किया कि केवल जर्मनी ही अपनी अन्तर्राष्ट्रिक बातों में सर्वोच्च सत्ता होने के कारण यह निर्णय कर सकता है कि सविधान के अनुच्छेद ४ के अर्थ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्यतः मान्य नियमों में क्या-क्या आता है, अतः यह उसको इच्छा पर निर्भर है कि ऐसा विधान बनाव जो सन्धि की व्यवस्था के विरुद्ध आता हो। संक्षेप में न्यायालयों की प्रवृत्ति सविधान के अनुच्छेद को केवल उन्हीं नियमों में लागू करना की रही है जिनका कि जर्मनी का विशेष सम्मति प्राप्त हो गई है।

भाग २

शान्ति की विधि

अध्याय ७

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय

(Subjects of International Law)

“विधि के विषय” क्या हैं? वे वस्तुतः वह विषय हैं जिन पर विधि के नियम ‘Rules of Law’ लागू किये जाते हैं, अथवा जो कह लें कि वे सीधे विधि के नियमों से बाधित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधिकारों और कर्तव्यों से युक्त होते हैं, और अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष अपने अधिकारों के अतिक्रमण का दावा कर सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख विषय राज्य हैं। उन्हीं को केवल राष्ट्रों की विधि में प्रवेश करने का अधिकार है और वे ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का रूप धारण किये हुये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक सम्यक् राज्य राष्ट्रों के कुटुम्ब का सदस्य है और वैध परिभाषा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के नाम से सम्बोधित किया जाता है। राज्य वे व्यक्ति हैं जिनको विधि के अनुसार अधिकार तथा कर्तव्य प्रदान किये जाते हैं यद्यपि यह सत्य है कि वे स्वभावतः पृथक्-पृथक् विभागों से निर्मित होने के कारण एक व्यक्ति की इवाइ के रूप में कार्य नहीं कर सकते और उनको इसके लिये नियुक्त कार्य-कर्ताओं अथवा सोकसेवकों द्वारा कार्य करना पड़ता है।

कट्टर व्यवहारवादियों (Orthodox Positivists) के मतानुसार, केवल राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय बन सकते हैं और वैयक्तिक रूप से व्यक्ति उसके आधार हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि राष्ट्रों की विधि को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति का कोई वैध अस्तित्व नहीं हुआ करता, उसका अस्तित्व तो केवल उसके राज्य के द्वारा ही सिद्ध होता है।

किन्तु आज इस सिद्धान्त पर अनेक तर्क किये जाते हैं। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के परिणाम-स्वरूप और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रतिफल-रूप में व्यक्तियों को भी वैध अस्तित्व प्राप्त हो गया है। अब व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के समक्ष "an object of international compassion a subject of international right" का रूपान्तर हो गया है, और वह केवल अन्तर्राष्ट्रीय अनुकम्पा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि उसे स्वतंत्र अस्तित्व भी प्राप्त हो चुका है। व्यक्ति के आधार-भूत अधिकारों को स्वीकार करके उसे राज्यों के अस्तित्व से पृथक् रूप से व्यक्तित्व प्रदान किया गया है और सीधे व्यक्ति पर अधिकारों और कर्तव्यों का दायित्व सौंपा गया है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एवं अन्य विधि-नियामक संधियों के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार करने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। इससे व्यक्ति सीधे अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय बन गया है।

राज्य की परिभाषायें (Definitions of State) :—राज्य (State) की परिभाषा भिन्न-भिन्न लेखकों ने अपने-अपने मत के अनुसार निर्धारित की है। राज्य की विशेषताओं को भली प्रकार समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ प्रमुख लेखकों के विचारों को जान लें :—

लॉरेंस :—लॉरेंस के मतानुसार राज्य एक राजनैतिक समाज (a political community) है जिसके सदस्य किसी केन्द्रीय सत्ता के समानरूप से अधीनस्थ होने के नाते आपस में बंधे हुए हैं और उनमें से अधिकतर उसकी आज्ञाओं का पालन स्वभावतः करते हैं।

सॉमंड :—सॉमंड की परिभाषानुसार राज्य मनुष्यों का एक समाज (a society of men) है जो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति जैसे आन्तरिक सुव्यवस्था तथा बाह्य सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है।

हॉल्लैंड :—हॉल्लैंड के कथनानुसार राज्य मनुष्यों का एक अनेक जन समूह (a numerous assemblage of human beings organized for law, generally occupying a certain territory) है जो कानून के लिए संगठित हुए हैं और जो साधारणतः एक विनिष्ट प्रदेश में बसे हैं।

हॉलैंड के मतानुसार राष्ट्र के पाँच लक्षण ये हैं—(१) बहुत से मनुष्य, (२) एक ऐसा स्थायी राजनैतिक संगठन कि जिसके द्वारा नागरिकों का स्वाभाविक भ्राजा-पालन सुरक्षित रह सके, (३) एक प्रदेश जिसकी सीमा स्थिर हो, (४) स्वतन्त्रता और (५) सम्यता का वह स्तर जिससे कि इसका प्रवेश राष्ट्रीय कुटुम्ब में हो सके।

श्रोपनहेम —श्रोपनहेम के मतानुसार उपनिवेशों तथा अधिराज्यों के विपरीत दशा में एक राज्य का अस्तित्व तभी होता है जब कि किसी जाति अथवा समाज के लोग किसी देश में अपनी ही सर्वोच्चसत्ताधारी सरकार की अधीनता में बस गये हों।

राज्य के अस्तित्व के लिए चार बातें होनी चाहिये —

(१) लोगों का एक समुदाय होना चाहिए। लोगों का समुदाय व्यक्तियों (पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों) की एक समष्टि है जो एक जाति के समान साथ में रहते हो चाहे वे भिन्न-भिन्न वंश, धर्म अथवा रंग के बने हों।

(२) एक देश होना चाहिये जिसमें लोगों का समुदाय बस गया हो।

(३) एक सरकार होनी चाहिये अर्थात् एक या अधिक व्यक्ति जो उन लोगों के समुदाय के प्रतिनिधि हों और देश की विधि के अनुसार शासन करते हों, अराजक-जाति-राज्य नहीं।

(४) एक सर्वोच्चसत्ताधारी सरकार होनी चाहिये। सर्वोच्चसत्ता सर्वोच्च प्राधिकार है—अर्थात् ऐसा प्राधिकार कि जो सत्तार के किसी भी अन्य प्रभाव से स्वतन्त्र हो।

मोंटेविडो अभिसमय (Montevideo Convention) —राज्यों के अधिकार तथा कर्तव्यों के सम्बन्ध में सन् १९३३ में किया गया मोंटेविडो अभिसमय (जिस पर सयुक्तराज्य अमेरिका तथा कुछ लैटिन अमेरिकीय देशों ने हस्ताक्षर किए हैं) के अनुच्छेद १ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के व्यक्ति के रूप में राज्य के निम्नलिखित लक्षण हैं —

(अ) एक स्थायी जनसमुदाय (a permanent population), (आ) एक प्रदेश जिसकी सीमा स्थिर हो (a defined territory), (इ) एक सरकार (a government), (ई) अन्य राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता (capacity to enter into relations with other states)।

सर्वोच्चसत्ता तथा राज्यों की स्वतन्त्रता —सर्वोच्चसत्ता एक शब्द है जिसका द्वारा वह सर्वोच्च अधिकार व्यक्त होता है जिससे कोई राज्य शासित होता है। साधारण बोलचाल में यह एक राज्य द्वारा बाह्य तथा आन्तरिक मामलों में आत्म-

निश्चय करने का असीमित अधिकार है। जॉन डॉस्टिन ने सर्वोच्चसत्ता को आवश्यक, अविभाज्य तथा अपरिमित कहा है। सर्वोच्चसत्ताधिकार के प्रयोग के परिणाम-स्वरूप दो घेय कल्पनाएँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में आती हैं अर्थात् प्रत्येक सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य की विधि क समझ स्वतन्त्रता तथा समानता और प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य की बाह्य तथा आन्तरिक सर्वोच्चसत्ता में बाधा डालने का निषेध।

परम्परागत प्रभुसत्ता की विचारधारा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गये हैं। सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य क परमाधिकारों में से यह भी एक अधिकार है कि वह अन्य राज्यों से पारस्परिक लाभ तथा सामान्य हितों के लिये सन्धि करे। किन्तु, विपक्ष सम्बन्ध अथवा जमानतदारों स्थापित करने वाली सन्धियों क परिणामस्वरूप सर्वोच्चसत्ताधिकार का प्रयोग निर्बल पक्ष पर एकपक्षीय भार डालने के कारण संमित हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सच यद्यपि अपने सब सदस्यों की सर्वोच्चसत्ता की समानता के सिद्धान्त पर स्थापित हुआ है तथापि इसने महत्व राज्यों की स्वतन्त्रता से उनके अन्यायाश्रय में बदल दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सब लोगों ने अपनी शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाये रखने में तथा अपनी मशीन को सब जातियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की उत्तरोत्तर वृद्धि में लगाये रहने को संयुक्त कर दिया है।

स्वतन्त्र राज्यों का अपने पारस्परिक आवरण में अपने राष्ट्र-विधि की अपेक्षा के बिना अन्तर्राष्ट्रीय विधि से बाध्य होने का विचार ही उनके सीमारहित सर्वोच्चसत्ता के विपरीत है। जैसा ओपनहेम कहते हैं "यह धीरे-धीरे अनुभव किया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उन्नति, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा इसके साथ ही स्वतन्त्र जातीय राज्यों का बनाये रखना अन्त में राज्यों द्वारा अपने सर्वोच्चसत्ताधिकार के आशिक आत्मसमर्पण पर प्रतिबन्धित है जिससे कि एक सीमित क्षेत्र के भीतर अन्तर्राष्ट्रीय विधान की क्रिया तथा एक आवश्यकीय असीमित क्षेत्र के भीतर बाध्यकारी क्षेत्राधिकार से सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा यथानिश्चित विधि का शासन प्राप्त होना सम्भव हो सके।"

संसार के दो शक्तिशाली गुटों में, एक संयुक्तराज्य अमेरिका के नेतृत्व में तथा दूसरा रूसी सामाजिक गणतन्त्रवादी सब के नेतृत्व में विभाजन के कारण, जिसे सामान्यतः शीतयुद्ध (cold war) कहा जाता है, राज्यों का व्यक्तिव लुप्त होता जा रहा है और प्रत्येक पश्चिमीय तथा पूर्वीय गुटों के भीतर पारस्परिक आर्थिक, सैनिक तथा राजनैतिक सहयोग की उन्नति होती जा रही है। प्रत्येक गुट अपने-अपने प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ाने का यत्न कर रहा है।

राज्यों का वर्गीकरण (Classification of States) —अन्तर्राष्ट्रीय विधि क प्रयाजना के लिये राज्या का दा भागो म विभाजित किया जा सकता है (१) स्वतन्त्र राष्ट्र, और (२) अधीनस्थ राज्य ।

स्वतन्त्र राज्य (Independent States) —स्वतन्त्र राज्य राष्ट्रों के कुटुम्ब के पूर्णत प्रभुमत्ताधारी सदस्य हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विधि मे वे प्रभुमत्ताधारी राज्य कह जात हैं । वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि क प्रसामान्य विषय हैं और अपनी सीमाओं व भीतर स्थित सब व्यक्तिओं तथा सम्पत्तियों पर अनन्य अधिकार का प्रयोग करते हैं । वे किसी अन्य व्यक्ति क प्रत्यक्ष नियन्त्रण से स्वतन्त्र ह । अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार प्रभुमत्ताधारी राज्य कुछ विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों के अधिकारी हैं । उनको अन्य राज्यों को कूटनीतिज्ञ मन्त्रियों को भेजने का तथा इन्के स्थान मे उनके प्रतिनिधियों को भेजने यहाँ लेने का विशेषाधिकार प्राप्त है । वे अन्य राज्यों से अपने ही नाम म सन्धियाँ करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो मे पूर्ण समानता के आधार पर मिलते हैं । सक्षम मे उनके अन्य राज्यों से सम्बन्धों के बीच म हस्तक्षेप करने वाला कोई तीसरा पक्षकार नहीं है । अपने घरेलू मामलो मे भी उन्हे पूर्ण क्षमता प्राप्त है ।

परतन्त्र राज्य (Dependent States) —परतन्त्र राज्य निस्सदेह वैदेशिक सम्बन्धो मे सीमित क्षमता रखते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अपूर्ण विषय है । उनकी यथार्थ स्थिति का लक्ष्य केवल सन्धियों के प्रसंग तथा इस बात का पता लगाने से हा सकता है कि अन्य राज्या द्वारा उनकी अधीनता की स्थिति किस सीमा तक स्वीकृत की गई है । अन्य शब्दों मे, वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय उनके स्वराज्यक्षेत्र की सीमा के भीतर हैं ।

केवल राष्ट्रीयता ही राज्यों के कुटुम्ब की सदस्यता का चिह्न नहीं है और ऐसे गुण के अभाव के कारण यह आवश्यक नहीं है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि क क्षेत्र के बाहर पड जाय ।

राज्यों की समानता (Equality of States) —यद्यपि राज्य विस्तार, जनसंख्या, शक्ति, सम्यता की दशा, मात्रा, सम्पत्ति तथा अन्य गुणों मे असमान होते हैं तथापि राष्ट्रों के कुटुम्ब मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के हून मे व समान ही हाते हैं । भोपनहेम के कथनानुसार इस वैध समानता के चार परिणाम निम्नलिखित हैं —

(१) जब कभी कोई ऐसा प्रश्न उठता है जिसका निर्णय सम्मति द्वारा करना हो तो प्रत्येक राज्यों को केवल एक मत का अधिकार होता है ।

(२) नियमानुसार सबसे निर्बल तथा सबसे छोटे राज्यों के मत का उतना ही प्रभाव होता है जितना कि सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राज्य का, भन्ने ही राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली राज्या क समक्ष उनके मत का उतना प्रभाव न माना जाय ।

(३) कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर क्षेत्राधिकार नहीं रख सकता है। अतः यद्यपि राज्य विदेशी न्यायालयों में दावा कर सकते हैं तथापि उन पर नियमानुसार वहाँ दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने को सम्बन्धित विदेशी न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के अधीन स्वेच्छापूर्वक न कर लें : [*Mighell v Sultan of Johore, The Parlement Belge and Duff Development Co Ltd v Government of Kelantan*] ।

(४) एक राज्य के न्यायालय अन्य प्रभुसत्ताधारी राज्य के सरकारी कार्यों अथवा उसके कायकर्ताओं के सरकारी अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों की वैधता पर, कम से कम इस परिणाम तक प्रश्न नहीं उठाते जहाँ तक उन कार्यों का प्राश्य उस राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर हो ।

यद्यपि सिद्धान्त के अनुसार राज्यों के समान अधिकार हैं और प्रत्येक राज्य को एक मत का अधिकार है तथापि व्यावहारिक रूप में यह बड़ी ही शक्तियों के मत होते हैं जो अन्ततः प्रभावकारी होते हैं । वे तराजू के पलड़ों को इधर उधर मुझा देते हैं । वास्तविक व्यवहार में राज्यों की असमानता का ज्वलन्त उदाहरण इस बात से प्रकट है कि पाँच बड़ी शक्तियाँ अर्थात् चीन का प्रजातन्त्र, फ्रान्स, रूसी समाजवादी गणतन्त्रीय सभ, ब्रिटिश तथा संयुक्तराज्य अमेरिका सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं और उनको यह अधिकार है कि सारभूत विषयों में सुरक्षा परिषद् के किसी भी निर्णय को अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करके अस्वीकृत कर दें । साम्यवादी चीन की संयुक्तराष्ट्र सभ की सदस्यता का प्रदान इसी प्रकार के प्रभावों के कारण एक सदस्यता का रूप ल चुका है ।

असंपूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों तथा राज्यों का सभ (Non Sovereign and Union of Stats)

असंपूर्ण प्रभुसत्ताधारी के मुख्य लक्षणों की विवेचना के उपरान्त अब हम कुछ विशेष प्रकार के राज्यों का वर्णन करेंगे जो यद्यपि पूर्णरूप से प्रभुसत्ताधारी नहीं हैं तथापि उनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बहुत से लक्षण विद्यमान हैं —

सविदा (Compact) द्वारा परस्पर स्थायी रूप से संयुक्त प्रभुसत्ताधारी राज्य ता एक राज्यमंडल (Confederation) का ही धारण कर सकते हैं ।

अथवा एक सर्वोच्च सघीय सरकार का, जिसे प्रायः समष्टिक (Composite) राज्य कहा जाता है ।

राज्यमंडल (Confederation).—राज्यमंडल अथवा (Staatenbund) (राज्यों का बन्धन) कई पूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों के एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि द्वारा परस्पर एक सघ में बंध जाने से बनता है जिनमें सरकारी अगो की प्रवृत्ति सदस्य राज्यों के ऊपर तो होती है परन्तु उनकी प्रजा के ऊपर नहीं । वे एक सविदा (Compact) द्वारा पारस्परिक सहयोग अथवा रक्षा के लिये संयुक्त होते हैं और इसका प्रत्येक मौलिक अंश अर्थात् सदस्य अपनी-अपनी प्रभुसत्ता तथा भिन्न सारूप्य बनाये रखता है । इस प्रकार का राज्यमंडल राज्य नहीं है । राज्यमंडल के उदाहरण हमको १५८० से १७६५ तक नीदरलैंड्स में, १७७८ से १७८७ तक संयुक्तराज्य अमेरिका में, १२६१ से १७६८ तथा १८१५ से १८४८ तक स्विटजरलैंड में और १८१५ से १८६६ तक जर्मनी में प्राप्त होते हैं । वर्तमान युग में मंडलित राज्य विद्यमान नहीं हैं ।

वास्तविक संघ (Real Union):—एक विशेष प्रकार का सगठन 'वास्तविक सघ' है जिसका अस्तित्व उस दशा में होता है जब दो या अधिक विभिन्न पूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों का एक ही सम्राट होता है और वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिये तथा बाह्य सम्बन्धों के लिये एक राज्य के समान कार्य करते हैं यद्यपि उसके मौलिक अंश धरेलू विषयों में अपनी-अपनी भिन्नता बनाये रखते हैं । "वास्तविक सघ" स्वयं एक राज्य नहीं है किन्तु यह केवल दो पूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों का सघ है जो मिलकर पृथक् भागों से निर्मित एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति बनाते हैं । वर्तमान काल में कोई वास्तविक सघ विद्यमान नहीं है । आस्ट्रिया तथा हंगरी का "वास्तविक सघ" जो सन् १८६७ में बनाया गया था सन् १९१८ में युद्ध में पराजय के कारण विघटित कर दिया गया । डेनमार्क तथा आइसलैंड का सघ भी सन् १९४४ में समाप्त हो गया । इसका अन्य उदाहरण सन् १८१५ तथा १९०५ के मध्य में नार्वे तथा स्वीडन हैं ।

व्यक्तिक संघ (Personal Union):—व्यक्तिक सघ का अस्तित्व उस समय होता है जब दो संपूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्य तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति केवल इस आकस्मिक बात के कारण परस्पर संयुक्त हो जाते हैं कि उनका एक ही व्यक्ति सम्राट है । ये राज्य बाह्य प्रयोजनों के लिये अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न स्वरूप बनाये रखते हैं । इस प्रकार का व्यक्तिगत सघ १७१४ से १८३७ तक ग्रेट ब्रिटेन तथा हैनोवर के मध्य में, १८१५ से १८६० तक नीदरलैंड्स तथा सक्सेनबर्ग के

मध्य में तथा १८८५ से १९०० तक बेल्जियम तथा कॉंगो स्वतन्त्र राष्ट्र के मध्य में विद्यमान था ।

सघराज्य (Federal State) :—सघराज्य अथवा 'Bundesstaat' बहुते से संपूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों का स्थायी सघ है जिसके अपने अंग होते हैं और जिसको अधिकार न केवल अपने सदस्य-राज्यों पर ही वरन् उनके नागरिकों पर भी होता है । प्रभुसत्ता की साधारण शक्तियाँ अशत सघीय सरकार में तथा अंग विभिन्न राज्यों में निर्दिष्ट होती हैं और दोनों प्राधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं । इसको दी गई शक्तियाँ के क्षेत्र के भीतर यह एक वास्तविक तथा प्रभुसत्ताधारी राज्य है और राज्यमंडल के अस्तित्व इसे केवल सदस्य-राज्यों के ऊपर ही नहीं, वरन् उन राज्यों के नागरिकों पर भी सीधे अधिकार है । प्रभुसत्ता जैसा कि ऊपर कहा गया है सदस्य राज्यों तथा सघराज्य के मध्य में विभाजित है । सघ सरकार को युद्ध की घोषणा करने, सुलह करने का तथा सन्धि करने का अधिकार होता है और सदस्य-राज्य अपने-अपने सूक्ष्म क्षेत्रों के भीतर अधिकार का प्रयोग करते हैं तथा नियंत्रण रखते हैं, और स्वायत्तता (Autonomy) पर्याप्त मात्रा में बनाये रखते हैं ।

मुख्य सघराज्य निम्नलिखित हैं :—सयुक्त राज्य अमेरिका सन् १७८७ से स्वित्जरलैंड १८४८ से, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, कनाडा, ब्राजील, वेनेजुएला, ओस्ट्रेलिया, रूसी सोवियत गणतन्त्र-वर्ग, जर्मनी, भारतवर्ष, पाकिस्तान तथा इटाली १९४६ से ।

भारतीय संविधान अपने सब सामान्य लक्षणों से सघीय है यद्यपि यह सघीय सरकार अर्थात् केन्द्रीय सघ सरकार को अनुमति देता है कि सकटकालीन अवस्था में यह अनुच्छेद ३५२ के अधीन राष्ट्रपति द्वारा घोषित किये जाने पर अपने को एकात्मक (unitary) में परिवर्तित कर ले ।

सहस्रराज्य (Condominium) :—यह दो या अधिक राज्यों का किसी एक प्रदेश में समान राज्य है । इसमें यद्यपि जनता पर सयुक्त प्रभुसत्ताधिकार है तथापि सयुक्त प्रकार से शासन करने वाले राज्यों में से प्रत्येक राज्य अपनी प्रजा के ऊपर भिन्न क्षेत्राधिकार रखता है । एंग्लो-इजिप्शियन सूडान (Anglo-Egyptian Sudan) दक्षिणी समुद्र (South Sea) में फोयनिवस द्वीप (Phoenix Island) जो ब्रिटेन तथा अमेरिका वालों के समान प्रशासन में रहे तथा न्यू हेब्रिड (New Hebrides) जो ब्रिटेन तथा फ्रांसवालों के समान प्रशासन में रहे, सहस्रराज्य के उदाहरण हैं ।

राष्ट्रमंडल (Commonwealth) :— राष्ट्रों की कामनवेलथ के सदस्यों की स्थिति में द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त एक तीव्र परिवर्तन हो गया है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य में उपनिवेश तथा अधीनस्थ राज्य थे और उस साम्राज्य के अंग कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का दावा नहीं करते थे। उसके बाद उनको स्वराज्य वाले उपनिवेशों की पदवी प्राप्त हो गई और अन्त में वे स्वराज्य वाले अधिराज्य हो गये।

कामनवेलथ के सदस्य अब प्रभुसत्ताधारी राष्ट्र हैं और उनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व पूर्ण रूप से उपस्थित है। उनको बाह्य मामलों में असीमित स्वायत्तता प्राप्त है। उनको सन्धि करने तथा दूतों को भी नियुक्त करने का अतिरिक्त अधिकार है। भारत, पाकिस्तान, लका तथा मलेशिया सप को छोड़कर अन्य सब सदस्य राष्ट्र नियमानुसार एक समान अव्यक्त अर्थात् ब्रिटिश सम्राट् के अधीन हैं।

भारत की स्थिति:—अप्रैल १९४६, में कामनवेलथ सरकारों के प्रधान मंत्री लंदन में उस समस्या का विचार करने को एकत्रित हुए जो भारत के अपने को सम्पूर्ण प्रभुसत्ताधारी स्वतन्त्र प्रजातन्त्र घोषित करने के निर्णय तथा कामनवेलथ की सदस्यता जारी रखने की उसकी इच्छा से उत्पन्न हुई थी। उस सम्मेलन में जो निर्णय हुए थे, निम्नलिखित हैं :—

(१) अन्य राज्यों ने जिनके कामनवेलथ की सदस्यता के आधार में परिवर्तन नहीं हुआ था इस बात को अंगीकृत तथा स्वीकार किया कि भारत कामनवेलथ का सदस्य बना रहे।

(२) भारत ने अपनी ओर से सम्राट् को स्वतन्त्र सदस्य राष्ट्रों के स्वतन्त्र सम्मेलन का प्रतीक तथा इस रूप में कामनवेलथ का प्रधान अंगीकार किया। सब सदस्य देशों ने यह घोषणा की कि वे राष्ट्रों के कामनवेलथ के स्वतन्त्र तथा समान सदस्यों के रूप में संयुक्त रहेंगे तथा शान्ति, स्वतन्त्रता और उन्नति के कार्यों में स्वेच्छापूर्वक सहयोग करेंगे।

(३) भारत के साम्राज्यिक अधिमान (Imperial preferences) पूर्णतः जारी रहे।

(४) अधिराज्य या डोमीनियन (Dominion) शब्द का प्रयोग बन्द कर दिया गया।

(५) कामनवेलथ के भीतर भारतीय नागरिकों का उन सब अधिहारों का उपभोग करना जारी रहा जिनका वे पहले उपभोग करते थे।

(६) गवर्नर-जनरल का पद जो सम्राट का प्रतिनिधि हुआ करता था समाप्त हो गया ।

सामन्त और संरक्षित राज्य (Vassal and Protectorates)

सामन्त राज्य (Vassal State) .—सामन्त राज्य वह है जिस पर दूसरे राज्य का पूर्ण रूप से आधिपत्य हो । अन्तर्राष्ट्रीय विधि में इसका कोई स्थान नहीं है । सामन्त राज्य के सब अधिकारों का समावेश अधिपति में हो जाता है । तो भी ऐसे उदाहरण उपस्थित हैं जहाँ सामन्त राज्यों ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाये रखे हैं । अधीनस्थ राज्यों के उदाहरण १८७८ के पूर्व रूमानिया तथा सर्बिया, १८७८ तथा १९०८ के बीच में बल्गेरिया, इजिप्ट, ट्रान्सवाल, ग्रीस की स्टेट्स, तिब्बत तथा बाहरी मंगोलिया रहे हैं ।

तिब्बत —कई शताब्दियों तक भारत का सम्बन्ध तिब्बत के साथ अस्पर दशा में रहा । अन्त में सन् १९१४ में शिमला में एक सम्मेलन सर हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में हुआ जिसमें सुप्रसिद्ध शिमला के अभिसमय का मसौदा तैयार किया गया । इस अभिसमय द्वारा तिब्बत की स्वायत्तता चीन के प्राधिकार के अधीन स्वीकृत की गई । सिक्किम में स्थित ब्रिटिश एजेंट तथा राजनैतिक पदाधिकारी भारत की ओर से तिब्बत सम्बन्धी कार्यों का संचालन करता था । परन्तु १९३६ में चीन तथा तिब्बत के बीच जो घटनाय घटी और जिनके अनुसार चीन का आधिपत्य व्यावहारिकता से अधिक सिद्धान्त में ही रह गया, उनका दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने तिब्बत से प्रत्यक्ष ससर्ग स्थापित किया ।

चीन तथा तिब्बत की सन्धि पर पेरिंग में २३ मई सन् १९५१ को हस्ताक्षर किये गये जिसके अनुसार तिब्बत में एक चीनी सैनिक तथा प्रशासकीय आयोग तथा सैनिक-क्षेत्र का प्रधान कार्यालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई तथा यह निर्धारित किया गया कि चीनी केन्द्रीय जनता की सरकार में तिब्बत के क्षेत्र के सम्पूर्ण बाह्य कार्यों का प्रबन्ध केन्द्रित होगा ।

सितम्बर १९५२ में भारत तथा चीन की सरकारों ने यह घोषणा प्रकाशित की कि वे इन बातों पर सहमत हो गये हैं कि ल्हासा मिशन जो ल्हासा में सोपह वर्षों से स्थित है, उसको अब ल्हासा मिशन के स्थान में कोन्सुलेट जनरल कहा जाय । भारतीय मिशन की प्रास्थिति में यह परिवर्तन ल्हासा की ही राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन का परिणाम था । इसके अनुसार तिब्बत के बाह्य सम्बन्धों का पूर्ण नियन्त्रण अब चीनी सरकार के हाथ में है । इससे भारत का बाह्य मामलों में तिब्बत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध समाप्त हो गया । तिब्बत के बाह्य सम्बन्धों का चीन द्वारा नियन्त्रण

स्वीकृत हो गया और उसी के अनुसार लहासा में भी स्थिति बदल दी गई। तिब्बत की सामान्य जनता के विरोध के उपरान्त भी इस समय तिब्बत चीन का एक अन्तर्गम समझा जाता है और उसी द्वारा प्रशासित है।

नेपाल — ब्रिटिश सरकार तथा नेपाल के बीच हुई सन् १८१५ की सन्धि द्वारा नेपाल को प्रास्थिति एक सामंत राज्य में परिणत कर दी गई। उसके अनुसार नेपाल के बाह्य मामले ब्रिटिश सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये। प्रथम महायुद्ध के उपरान्त ब्रिटिश सरकार ने नेपाल की स्वतंत्रता उसको विदेशों में राजदूत नियुक्त करने का अधिकार देकर स्वीकृत कर ली। उसको अब पूर्णतः प्रभुसत्ताधारी राज्य के अधिकार प्राप्त हैं और उसने भारत तथा तिब्बत से सन्धि-सम्बन्ध स्थापित किये हैं। चीन द्वारा भारत पर किये गये १९६२ के आक्रमण के समय नेपाल ने चीन तथा भारत दोनों से मैत्री सन्धि बनाये रखने का प्रयास किया।

भारतीय रियासतें (Indian States) — ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय रियासतें इङ्गलैंड के सम्राट के अन्तर्गत सामन्य राज्य मात्र थीं। वे केवल आंतरिक बाता में ही प्रभुसत्ता का प्रयोग कर सकती थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ के पारित होने के उपरान्त भारतीय रियासतों के ऊपर सम्राट का आधिपत्य समाप्त हो गया। भारत सरकार के लिये इन प्रादेशिक इकाइयों को जिनकी संख्या ५५० से कम नहीं ऐसे विस्तार का इकाइयों में परिणत करना पड़ा जो एक समान विधि तथा सरकार के अन्तर्गत रह सकें। यह एक कठिन समस्या थी, किन्तु रियासती विभाग ने सरदार बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कुछ रियासतों को पारस्परिकता प्राप्त में मिलाकर, कुछ को रियासतों के साथ में सङ्गठित करके और कुछ को केन्द्रीय प्रशासन में लेकर तथा उनके शासकों द्वारा प्रवेश-पत्र प्राप्त करके इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली। ऐसी रियासतों ने अपना भिन्न व्यक्तित्व खो दिया है और वे अब भारतीय सङ्घ की अभिन्न अङ्ग हैं।

काश्मीर के सम्बन्ध में एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई। काश्मीर की सरकार ने पाकिस्तान के साथ आर्थिक तथा प्रशासकीय सम्बन्ध तथा यातायात, रसद, डाक तथा सार-व्यवस्था जिस प्रकार भारत के विभाजन के पूर्व थी, वैसे ही बनाये रखने की दशा के लिये यथास्थिति करार (standstill agreement) कर ली। तो भी कुछ दिन के बाद पाकिस्तान ने काश्मीर पर आर्थिक दबाव डालना आरम्भ कर दिया जो कि बढ़ते-बढ़ते रियासत के विरुद्ध नाकाबंदी में परिणत हो गया और बाद में कबालियों के दलों के सामूहिक आक्रमण आरम्भ हो गये। २७

अक्टूबर, १९४७ को काश्मीर के महाराजा की प्रार्थना पर भारत की सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर का प्रवेश (accession) स्वीकार किया परन्तु भारत के प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि यह प्रवेश इस प्रतिबन्ध के साथ था कि रियासत की स्थिति में सुधार होने के उपरान्त वहाँ जनमत संग्रह (plebiscite) भी किया जाय। यह बात ध्यान रखने के योग्य है कि जनमत संग्रह के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मन्त्री की घोषणा प्रवेश की स्वीकृति के उपरान्त की गई और प्रवेश इस प्रतिबन्ध के अधीन नहीं था तथा यह प्रतिज्ञा एकपक्षीय थी। रियासत के भारत में प्रवेश करने पर भी आक्रमणकारी अपने पाकिस्तानी अड़ो से हमले करते ही रहे। ३० दिसम्बर १९४७ को भारत की सरकार ने इस झगड़े को सुरक्षा-परिपद के सामने प्रस्तुत किया। इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत प्रयत्न हुये हैं, किन्तु कोई ऐसा सुझाव अभी तक उपस्थित नहीं हो सका है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को मान्य हो। काश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग अभी पाकिस्तानियों के कब्जे में है, जिसे वे 'आजाद-कश्मीर' की सजा देते हैं।

संरक्षित राज्य (Protectorate) :—संरक्षित होने की दशा में ए निर्बल राज्य एक प्रबल राज्य का संरक्षण उससे सन्धि करके प्राप्त करता है परिणाम यह होता है कि मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय कारबार संरक्षक राज्य के ऊपर दिये जाते हैं। संरक्षक राज्य सन्धि के अनुबन्धों के अनुसार निर्बल राज्य के सम्बन्धों तथा कभी-कभी उनके आन्तरिक मामलों में भी कम या अधिक नियन्त्रण रखता है। औपनिवेशिक इस सम्बन्ध को एक प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षकत्व (international guardianship) कहते हैं।

इजिप्ट :—इजिप्ट ग्रेट ब्रिटेन तथा टर्की के बीच सन् १९१४ में युद्ध छिड़ने के पूर्व टर्की का सामन्त राज्य रहा। तब ग्रेट ब्रिटेन ने जो इजिप्ट के कारबारों को सन् १८८३ से नियन्त्रण करता चला आ रहा था, अपने को इजिप्ट का संरक्षक उद्घोषित किया। १९२२ में ग्रेट ब्रिटेन ने इजिप्ट को एक स्वतन्त्र प्रभुसत्तापारी राज्य घोषित किया। इजिप्ट के रक्षासम्बन्धी कुछ विषय, ब्रिटिश यातायात साधनों की सुरक्षा और इजिप्ट तथा मूडान में अल्पसंख्यकों का संरक्षण अपने विवेकानुसार निरक्षय किये जाने के लिये अस्थायी रूप से अपने हाथ में धर लिये गये। अगस्त २६ गन् १९३६ को ग्रेट ब्रिटेन तथा इजिप्ट के बीच एक मित्रता की सन्धि हुई जिसमें अनुसार ब्रिटेन ने इजिप्ट की प्रभुसत्ता को स्वीकार करते हुये भी स्वयं नर पर उसकी रक्षा के लिये सैनिक दलों को रखने का अधिकार अपने हाथ में रखा। घटनाचक्र बड़े वेग से घूमा। अक्टूबर सन् १९५१ में इजिप्ट की पार्लियामेंट

ने ब्रिटिश सैनिक दलों को स्वैज नहर में जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, समाप्त करके सन् १९३६ की सन्धि को भङ्ग कर दिया ।

सिक्किम :—सिक्किम जो हिमालय पर्वत की श्रेणियों के मध्य बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है, सन् १९०५ में भारतीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया । इसके पूर्व वह ब्रिटिश संरक्षण में था ।

सितम्बर ५ सन् १९५० को भारत की सरकार ने सिक्किम से एक सन्धि स्थापित कर ली जिसके द्वारा सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य रहेगा और रक्षा, बाह्य मामले तथा यातायात को छोड़कर आन्तरिक मामलों में स्वायत्तता का उपभोग करेगा ।

भूटान :—भूटान का भी भारतीय संघ के लिये एक बहुत बड़ा सैनिक महत्त्व है । यह राज्य भारत के उत्तर-पूर्वी सीमा पर है और सिक्किम, तिब्बत और नेफा (North East Frontier Agency) को तीन तरफ से स्पर्श करता है । १८६५ की संधि, जो कि भारत सरकार और भूटान के बीच हुई थी, के द्वारा भूटान को भारतीय रियासत का रूप प्रदान किया गया था, लेकिन सिक्किम की भाँति इसे भी एक विशेष स्थिति का राज्य माना गया । इस समय भूटान भारत का संरक्षित राज्य है । इस सम्बन्ध का आधार १९४९ की संधि है । इसके अनुसार भूटान के वैदेशिक नीतियों का नियंत्रण भारत-सरकार करेगी, किन्तु आन्तरिक मामलों में सिक्किम की भाँति भूटान को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है ।

ब्रिटिश संरक्षित राज्य :—बासुटोलैंड, बेचुआनालैंड तथा स्वाजीलैंड तीन ब्रिटिश संरक्षित राज्य दक्षिणी अफ्रीका में हैं । दक्षिणी अफ्रीका उनका हस्तान्तरण ४० वर्षों से माँग रहा है, जबकि उनको दक्षिणी अफ्रीका को अन्तरित करने की ब्रिटिश इच्छा दक्षिणी अफ्रीका अधिनियम में अभिलिखित की गई । किन्तु ब्रिटेन का कहना यह है कि ये संरक्षित राज्य उनकी अफ्रीकी जनता तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट की सम्मति के अतिरिक्त और किसी दशा में संघ को हस्तान्तरित नहीं किये जा सकते ।

फ्रांसीसी संरक्षित राज्य :—दूनोशिया तथा फ्रांसीसी मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में तथा ग्रनाम, टोकित और फंबोडिया दक्षिण-पूर्वी एशिया में फ्रांसीसी संरक्षित राज्य हैं । वर्साई की सन्धि द्वारा मोरक्को के तीन टुकड़े कर दिये गये जिनमें से एक फ्रांस की और दूसरा स्पेन की संरक्षकता में आये और तीसरा टैजियर-तटस्थीकृत परिधि के भीतर पड़ा । फ्रांसीसी सरकार का यह दावा है कि उसके संरक्षित राज्यों में जो कुछ उन्नति हुई है वह फ्रांस के कारण हुई है, अतः ऐसी दशा

मे अपने सरक्षणाधीन प्रदेशों के प्रशासन में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप अपमान समझते हैं। टूनीशिया तथा मोरक्को वाले बार-बार यह माँग पेश हैं कि उनका यह जन्म-सिद्ध अधिकार है कि औपनिवेशिक शासन समाप्त किया जाय। एशिया तथा अफ्रीका सभ के प्रस्ताव पर टूनीशिया तथा मोरक्को १६ अक्टूबर सन् १९५२ को संयुक्तराष्ट्र सभ की साधारण सभा के कारवा किया गया। फ्रांस ने इसके विरुद्ध यह आपत्ति की कि ये दोनों प्रदेश फ्रांस उभयपक्षीय सन्धियों द्वारा सम्बद्ध हैं तथा यह विषय प्रधानतः फ्रांस क्षेत्राधिकार में आता है।

जुलाई २० सन् १९५४ का नवराष्ट्रीय इंडोचीन सम्मेलन इस सहमत हो गया कि कम्बोडिया, लाओस तथा वीयतनाम की लड़ाई समाप्त जाय।

प्रादेशित तथा न्यासित प्रदेश (Mandated and Trust Territ

प्रादेशित क्षेत्र.—प्रादेशित प्रदेशों के प्रयोग का परीक्षण सर्व १९१९ तथा १९२० में लीग ऑफ नेशन्स की अध्यक्षता में किया गया। पहले शत्रु के अधिकार में थे और उनके सम्बन्ध में यह कहा जाता था कि वे आधुनिक सभ्यता की प्रगतिशील स्थिति में अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। लीग ऑफ नेशन्स के प्रतिज्ञापत्र (Covenant) के अनुच्छेद २२ के अधीन ऐसे पूर्व शत्रु-प्रदेश जो जर्मनी तथा टर्की द्वारा मित्र-राष्ट्रों को समर्पण किये गये थे, लीग के अन्तिम उत्तरदायित्व के अधीन एक सरक्षक शासन के अधीनस्थ किये गये। इन प्रदेशों को प्रशासन के लिये प्रादेश (mandate) के अधीन सम्यता में उन्नत ऐसे राष्ट्रों को सौंपा जो अपने साधन, अनुभव अथवा भौगोलिक स्थिति के कारण इस उत्तरदायित्व को उत्कृष्ट रूप से निभा सकते थे और जो इस भार को ग्रहण करने को उद्यत थे। ऐसे राज्यों ने लीग ऑफ नेशन्स की देखभाल तथा प्रतिपक्षीयार के अधीन इन प्रदेशों का प्रशासन किया।

प्रादेश तीन प्रकार के थे :—(अ) कतिपय वे जातियाँ जो पहले तुर्की साम्राज्य के अधीन थीं और जो सतोपजनक रूप से उन्नति में आगे बढ़ी हुई थीं। प्रादेशिक प्रशासन सम्बन्धी सम्मति तथा सहायता उस समय तक दी जब तक वे अपने ही पैरों पर खड़ी न हो सकीं। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा प्राशासित ईराक और फिलिस्तीन (तथा ट्रान्सजोर्डन) और फ्रांस द्वारा प्राशासित सीरिया तथा लेबनान इस प्रकार न उदाहरण थे।

(आ) अन्य जातियाँ, विशेषतः मध्य अफ्रीका की, जो ऐसी स्थिति में थी कि आदेशक उस प्रदेश के प्रशासन का उत्तरदायी इस प्रतिबन्ध के साथ होता था कि वह इस बात का उत्तरदायित्व ले कि वहाँ विश्वास तथा धर्म की स्वतन्त्रता इस शर्त के अधीन बनी रहेगी कि सार्वजनिक सुव्यवस्था तथा नैतिक आचरण का अनुपाचन हो तथा बुरीतियाँ जैसे दासों का व्यापार, शस्त्रों तथा शराब का यातायात इत्यादि समाप्त हो। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा प्रशासित ब्रिटिश केमेरूनस, ब्रिटिश टोगोलैंड तथा टोंगेनिका, फ्रांस द्वारा प्रशासित फ्रान्सीसी केमेरूनस तथा फ्रान्सीसी टोगोलैंड तथा बेल्जियम द्वारा प्रशासित कंगोला उरुण्डी इसके उदाहरण थे।

(इ) वे प्रदेश जैसे दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणीय पैसिफिक समुद्र के कुछ द्वीप जो अपनी जनता की विरलता के कारण अथवा छोटे आकार के कारण अथवा उनके सम्यता के केन्द्रों से अत्यधिक दूरी के कारण अथवा अपनी भौगोलिक स्थिति में आदेशक के प्रदेश से मिले हुए होने के कारण आदेशक के प्रदेश के पूर्ण भागों के समान स्वदेशीय जनता के हितार्थ उपरोक्त संरक्षणार्थ प्रशासित होते थे। वे इस प्रकार हैं — दक्षिणी अफ्रीका सभ द्वारा प्रशासित दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, न्यूजीलैंड द्वारा प्रशासित समोआ, ब्रिटिश साम्राज्य अर्थात् ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड द्वारा प्रशासित संयुक्तराष्ट्र नौरू, भूमध्यरेखा के उत्तर में जापान तथा दक्षिण में आस्ट्रेलिया द्वारा प्रशासित पैसिफिक समुद्र के द्वीप।

इस प्रादेश पद्धति का निरीक्षण लोग एक स्थायी प्रादेश आयोग द्वारा करती थी जिसमें प्रादेशित राज्यों के सदस्यों की संख्या अधिक होती थी।

न्यासित प्रदेश (Trust Territories) :— संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर ने पुरानी सम्राज्य पद्धति के उप-सिद्धान्त के रूप में एक नयी पद्धति “न्यासित प्रदेश” की भारम्भ की। अनुच्छेद ७७ में यह व्यवस्था की गई कि यह न्यास पद्धति (trusteeship system) (अ) उन प्रदेशों को जो इस समय आदेशाधीन हैं, (आ) उन प्रदेशों को जो द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप शत्रु राज्यों से पृथक् कर दिये जायें, तथा (इ) उन प्रदेशों को जो उनके प्रशासन के लिये उत्तरदायी राज्यों द्वारा स्वेच्छापूर्वक इस पद्धति के अधीन किये जायें, लागू होगी।

न्यासपद्धति के उद्देश्य चार्टर के अनुच्छेद ७६ में लिखे हैं। वे हैं अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को आगे बढ़ाना, न्यासित राष्ट्रों के निवासियों की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति तथा उनका स्वराज्य अथवा स्वतन्त्रता की ओर उत्तरोत्तर विकास; जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेद भाव को मिटाकर सबसे समान हितार्थ मानवीय अधिकारों तथा स्वतन्त्रता के मूल

सिद्धान्तों के लिये आदर का प्रोत्साहन; तथा सामाजिक, आर्थिक तथा वाणिज्य-व्यवसाय सम्बन्धी मामलों में संयुक्त राष्ट्र सभ के सब सदस्यों तथा उन राज्यों की जनता के साथ समान व्यवहार ।

संयुक्त राष्ट्र सभ के सन् १९४६ के प्रथम अधिवेशन में ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम तथा कुछ निग्रहों के साथ फ्रान्स ने उद्घोषणापत्रों के द्वारा अपने आजापित प्रदेशों का न्यास पद्धति क अधीन रखने का आशय प्रकट किया । दक्षिण अफ्रीका ने यह दावा किया कि उन प्रादेशिक प्रदेशों को अपने में मिलाने का अधिकार है ।

अपने आजापित प्रदेश अर्थात् दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका द्वारा यह पक्ष प्रहण किये जाने पर उन दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के निवासियों के प्रतिवेदन तथा प्रार्थना-पत्र संयुक्तराष्ट्र सभ को भेजना बन्द कर दिया । अतः संयुक्त राष्ट्र सभ की सामान्य सभा ने एक प्रश्नावली अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को दी ।

जुलाई ११ सन् १९५० को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, जो कि सत्तर का उच्चतम न्यायाधिकरण है, हेतु में यह निर्णय किया कि दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका अब भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रादेशिक अधीन एक प्रदेश है और दक्षिणी अफ्रीका इस सभ की अन्तर्राष्ट्रीय प्रास्थिति को भेदित करने का अधिकारी नहीं है । न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि दक्षिणी अफ्रीका उन अन्तर्राष्ट्रीय वर्तव्या से बाध्य है जो कि लीग ऑफ नेशन्स के अभिसमय के अनुच्छेद २२ में तथा दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के आदेश में उल्लिखित है । उनमें प्रतिवेदनों को प्रत्यपित करना तथा उस प्रदेश के निवासियों का प्रार्थना-पत्र भेजना भी सम्मिलित है और यह भी कि निरीक्षण का वर्तव्य संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा किया जावेगा जिसको वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रार्थना-पत्र दिये जाने चाहिये । इसने यह निर्णय किया कि न्यासपद्धति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सभ अधिकार पत्र के अध्याय १२ के अनुबन्ध दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका को इस अर्थ में लागू हो सकते थे कि वे एक साधन उपस्थित करते थे जिसके द्वारा वह प्रदेश न्यास पद्धति के अधीन लाया जा सके । न्यायालय ने ८ और ६ के अनुपात में बहुमत से यह निर्णय किया कि चार्टर के अध्याय १२ के अनुबन्ध दक्षिणी अफ्रीका सभ पर उस प्रदेश का न्यास पद्धति के अधीन करने व लिये कोई वैध कर्तव्य नहीं आरोपित करता । उपरोक्त न्यायालय ने यह भी मत प्रकट किया कि दक्षिण अफ्रीका सभ अपने कार्य करते हुए दक्षिण पश्चिमी-अफ्रीका के प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को निश्चित करने तथा भेदित करने की क्षमता नहीं रखता और यह कि उस प्रदेश की

तर्राष्ट्रीय स्थिति को निश्चित करने तथा भेदित करने की क्षमता दक्षिणी अफ्रीका को सयुक्त राष्ट्र सभ की सम्मति से कार्य करत हुए ही प्राप्त है ।

स्विटजरलैंड — स्विटजरलैंड न सन् १९४८ से तटस्थता की नीति का पालन किया है । मार्च २० सन् १८१५ का वियना की कांग्रेस में ग्रेट ब्रिटेन, स्ट्रिया, फ्रांस, पोर्चुगाल, प्रशा, स्पेन, स्वीडन तथा रूस ने स्विटजरलैंड को स्थायी तटस्थ राष्ट्र की प्रास्थिति प्रदान की तथा सयुक्त रूप से उसको स्वतन्त्रता का रक्षा दिलाया । स्विटजरलैंड की यह स्थिति लीग की कौन्सिल द्वारा स्वाकृत की है और उसे एक मौलिक सदस्य के समान इस सम्झौते में स्थान दिया गया कि इन तीनों किसी सैनिक कार्यवाही में भाग लेने के लिये बाध्य किया जायगा, न तो वह विदेशी सैनिक दलों को रास्ता देगा और न अपने प्रदेश में सैनिक कार्यवाहियाँ तैयार करने देगा । दोनों युद्ध में युद्धकर्ताओं ने उसकी तटस्थता का सम्मान किया ।

स्विटजरलैंड न सयुक्त राष्ट्र सभ में सम्मिलित होना उसका एक अस्वीकार किया गया कि कहीं सयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता से उसका तटस्थता भंग न हो सके क्योंकि चार्टर में अपराधों राज्या के विरुद्ध सैनिक समाज्ञाओं द्वारा सब सदस्यों के लिये कर्तव्य नियत किया गया है । फिर भी, वह सयुक्त राष्ट्र सभ के सब विशिष्ट कार्यों में भाग लेता है ।

तटस्थीकृत (Neutralised) तथा तटस्थ (Neutral) राज्यों में — तटस्थीकृत राज्य तथा तटस्थ राज्य की स्थिति में जो भेद है वह दृष्टि में अल्प अल्प आवश्यक है । तटस्थता शब्द से यह व्यक्त होता है कि दो राष्ट्रों के बीच एक संधि है जिसके द्वारा वे परस्पर इस बात पर सहमत हो गये हैं कि यदि इनमें से किसी एक पर किसी तीसरे राज्य द्वारा आक्रमण किया जाय तो दूसरा उस आक्रमण के सम्बंध में तटस्थता का रूप धारण करेगा । अतः तटस्थता में दो आवश्यक बातें हैं—(१) युद्ध के कार्यों से अलग रहना तथा (२) इस बात की स्वतन्त्रता कि वेच्छानुसार अलग रहना अथवा न रहना । तटस्थीकरण में पहली बात अर्थात् युद्ध के कार्यों से अलग रहना तो बही बनी रहती है परन्तु दूसरी बात के स्थान में या तो नियत अर्थ में आत्मसंरक्षण को छोड़कर अन्य किसी भी दशा में युद्ध न करने का कर्तव्य रहता है अथवा कुछ स्थानों तथा वस्तुओं का जिनपर अन्तर्राष्ट्रीय सन्धिद्वारा तटस्थता की मुहर लगी रहती है, युद्ध संहिता प्रयोग में लाने से अलग रहने का कर्तव्य रहता है । अतः तटस्थता एक अस्थायी मामला है । तटस्थीकरण एक स्थायी उपाय है जिसमें स्थिति का जन्मा बड़ी शक्तियों की एक सामित सन्धि की स्पष्ट सन्धिद्वारा एक निश्चित अनुशास्ति के साथ किया जाता है । तदनुसार तटस्थीकृत

राष्ट्र की ओर से भी यह कर्त्तव्य होता है कि वह उस प्रकार से रहेगा। अतः तटस्थीकरण का तत्त्व यह है कि यह प्रेरित तटस्थता है। तटस्थीकरण में तटस्थता सम्मिलित है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि तटस्थता में तटस्थीकरण सम्मिलित हो। सक्षेप में तटस्थीकरण स्थायी, सामान्य तथा अनैच्छिक होता है परन्तु तटस्थता अस्थायी, विशिष्ट तथा ऐच्छिक होती है। तटस्थीकरण तटस्थता से मूलरूप में भिन्न है। तटस्थता एक नीति है जिसका अवलम्बन अन्य शक्तियों से सम्बन्धित युद्ध की स्थिति में अस्थायी रूप से किया जाता है। वह तटस्थता घोषणा करने वाले राष्ट्र द्वारा किसी समय में भी समाप्त की जा सकती है। इसके विपरीत तटस्थीकरण एक स्थायी स्थिति है जो कि समान हितों वाली शक्तियों द्वारा प्रदान की जाती है और जो उनकी सम्मति के बिना त्याग नहीं की जा सकती।

होली सी (The Holy See) — चर्च तथा उसकी प्रधान संस्था होली सी (Holy See) ने बराबर लौकिक शक्तियों को अपनी स्वतन्त्रता स्वीकार करने के लिये बाध्य किया है। यद्यपि सन् १८७० में इटली द्वारा पोप की रियासतों को अपने राज्य में संयुक्त करने के उपरान्त होली सी की प्रादेशिक प्रभुसत्ता समाप्त हो गई तथापि उसकी स्वतन्त्रता राज्य की विधियों द्वारा केवल मानी हो नहीं गई वरन् स्वीकार की गई। १८७० से १९२६ के मध्यकाल में भी इटली ने होली सी पर कोई प्रभुसत्ता का दावा नहीं किया। इटली की प्रत्याभूति विधि (Law of Guarantee) पोप को वे व्यक्तिगत मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार प्रदान करती हैं जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रभुसत्ताधारी राज्यों के प्रधानों को दी जाती हैं।

होली सी तथा इटली के बीच में फरवरी ११ सन् १९२६ को हुई लेटरान सन्धि (Lateran Treaty) ने पोप नगर (Vatican city) को जन्म दिया जिसमें प्रायः १०० एकड़ भूमि सम्मिलित है और जो कि पोप की प्रादेशिक प्रभुसत्ता का प्रतीक है। इसमें होली सी को प्रादेशिक अधिकार अर्पित किया गया है जिसे उसने १८७० में खो दिया था।

इटली प्रजातन्त्र का नया संविधान भी इस बात का स्वीकार करता है कि राज्य तथा वैधानिक चर्च अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र तथा प्रभुसत्ताधारी हैं और यह कि उनके सम्बन्ध लेटरान गठबन्धन सन्धि (Lateran Pacts) द्वारा निर्धारित होते हैं।

अध्याय ८

राज्यों की मान्यता

(Recognition of States)

राज्य की मान्यता वह क्रिया है जिसके द्वारा अन्य राज्य यह स्वीकार करते हैं कि राजनैतिक सत्ता जिस मान्यता प्रदान की जा रही है राज्यत्व के गुणों से युक्त है।

इसका लक्षण — मान्यता अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के एक वर्तमान सदस्य द्वारा अब तक उसके साथ अधिकारिक सम्बन्ध न रखनेवाले किसी राज्य अथवा राजनैतिक समुदाय के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की नियमानुसार स्वीकृति है। इससे यह उपलक्षित है कि स्वीकार करने वाले राज्य की सम्मति में नवजात समुदाय में राज्यत्व के आवश्यक गुण विद्यमान हैं और इसलिए वह अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों तथा कर्तव्यों के अधीन है।

मान्यता के सिद्धान्त — मान्यता के दो सिद्धान्त हैं — (१) निर्मायक सिद्धान्त (Constitutive Theory) तथा घोषणात्मक अथवा प्रमाणात्मक सिद्धान्त (Declaratory or Evidentiary Theory)। पूर्ववर्ती सिद्धान्त के अनुसार यह केवल मान्यता का ही कार्य है जिससे राज्यत्व का जन्म होता है और एक नयी सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकार का रूप दिया जाता है। हॉलैंड का भ्रूकाव निर्मायक सिद्धान्त की ओर है और इस अर्थ में उनका मत घोषणात्मक मत के समान है। उनका कहना है कि कोई राज्य तब तक परिपक्व नहीं कहा जा सकता जब तक वह मान्यता की मुद्रा से अंकित न हो जा कि उन अधिकारों के उपभोग के लिये परमावश्यक शब्द 'मान्यता' से व्यक्त होते हैं।

उत्तरवर्ती सिद्धान्त के अनुसार राज्यत्व अथवा नयी सरकार का प्राधिकार मान्यता के पूर्व ही से विद्यमान रहता है और मान्यता का कार्य पहले ही से स्थापित तथ्य की केवल नियमानुसार स्वीकृति है। अन्य शब्दों में इस सिद्धान्त के टीकाकार यह प्रतिपादित करते हैं कि मान्यता केवल घोषणात्मक है न कि निर्मायक प्रभाव रखती है। मान्यता केवल इस विद्यमान तथ्य को उद्घोषित करती है कि कोई विशिष्ट समुदाय अथवा सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अपेक्षित राज्य के गुणों से युक्त है। इस सिद्धान्त के टीकाकार हॉल, वेगनर, फ़िशर और पिट कोबेट हैं।

ओपनहेम का मत :—ओपनहेम निर्मायक सिद्धान्त के पक्ष का समर्थन करते हुए यह मत प्रकट करते हैं कि राज्य अनन्य प्रकार से केवल मान्यता द्वारा ही एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति है तथा हो जाता है। यह यद्यपि आशिक रूप से सत्य है तथापि पूर्णतः सत्य नहीं है। इसमें सदेह नहीं कि मान्यता एक मुख्य पद्धति है जिसके द्वारा किसी राज्य के अस्तित्व पर स्वीकृति की मुद्रा अंकित की जाती है। परन्तु यदि यह मत स्वीकार किया जाय तो फिर यह कारण बतलाना कठिन हो जायगा कि किसी राज्य को कुछ राज्य मान्यता प्रदान करते हैं और कुछ उसे मान्यता प्रदान करने से अस्वीकार करते हैं। लाल चीन की मामोसे तुङ्ग सरकार को यद्यपि भारत, ब्रिटेन, सोवियत रूस तथा एक दर्जन से अधिक अन्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है तथापि इसे सयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा मान्यता नहीं प्रदान की गई है और इसे सयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता नहीं प्राप्त हो सकी है। अमेरिका द्वारा मान्यता प्रदान न किये जाने तथा सयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता न प्राप्त होने पर भी लाल चीन का राज्य अभी, बना ही हुआ है। किसी विशिष्ट प्रदेश के भीतर एक प्रभावशाली स्थिर सरकार का होना ही इस बात को निश्चित कर देता है कि एक नया राज्य विद्यमान है तथा वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन है।

जैसा कि डा० अल्फ़रॉस का इस प्रसंग में कथन है, एक प्रभावकारी स्थिरीकृत सरकार, एक निश्चित भू-क्षेत्र के भीतर नये राज्य के उत्पन्न होने और उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन रहकर कार्य करने के लिए पूर्णतः निर्णायक है।

बुल्फ़शॉन बनाम रूसियन सोशलिस्ट फेडरेटेड सोवियत रिपब्लिक के वाद में, यू० एस० कोर्ट ऑफ़ अपील, न्यूयार्क (१९२२, २३४ एन० वाई० ३७२) का यहाँ तक भ्रवलोकन था कि सोवियत-सभ, भले ही उसकी सरकार सयुक्त राज्य द्वारा मान्यता-प्राप्त नहीं थी फिर भी अमेरिकी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त थी। न्यायालय के ही शब्दों में—“The Russian Federated Soviet Republic is the existing de facto government of Russia Whether or not a Government exists, clothed with the power to enforce its authority within its own territory, obeyed by the people over whom it rules, capable of performing the duties and fulfilling the obligations of an independent power, able to enforce its claims by military force is a fact, not a theory. For its recognition does not create the State, although it may be desirable.” “रूसी फेडरेटेड सोवियत रिपब्लिक रूप की मान्यतः सरकार है। यह प्रश्न कि क्या एक सरकार ऐसे अस्तित्व में

है, अथवा नहीं, या कि वह अपन क्षेत्र में ही अपनी शक्ति क प्रवर्तन की शक्ति से अभिभूत है, या कि उस जनता द्वारा उसकी आजादा का पालन किया जाता है जिस पर वह प्रशासन करता है, एक स्वतन्त्र शक्ति के कर्तव्यों को संपादित करन और उसके अभारो का पूरा करने की क्षमता से युक्त है, अपने दावे को सैन्य शक्ति के बल पर प्रवर्तित कराने में सक्षम है, आदि, एक तथ्य का प्रश्न है, सिद्धान्त का नहीं। मले ही ये तथ्य किसी राज्य के अस्तित्व में होने के लिए आवश्यक हो, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य की संरचना इन तथ्यों की मान्यता पर अवलम्बित है।

किसी राज्य का राजनीतिक अस्तित्व अन्य राज्यों की मान्यता से इस ढंग का बंधा हुआ नहीं है कि उसकी मान्यता के बिना उसके अस्तित्व को ही अस्वीकार किया जा सक। अपितु, यहाँ तक कहा जा सकता है कि इस अस्तित्व का उस मान्यता से कोई अन्योन्याश्रय सम्बन्ध नहीं है।

जर्मन पोलिश आर्बिट्रल ट्रिब्युनल (German Polish Arbitral Tribunal) (१९२६) के प्रसङ्ग में कहा गया था कि किसी राज्य की मान्यता इसका निर्मायक तत्व नहीं, उसके अस्तित्व का घोषणात्मक तत्व है।

इसमें सन्देह नहीं कि मान्यता राज्य को अन्य राज्यों से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ बना देती है। परन्तु यह दृढतापूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यदि किसी राज्य को मान्यता प्रदान नहीं की गई तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त नहीं होती। वास्तव में राज्य जन्म से ही राज्या के कुटुम्ब का सदस्य हो जाता है और मान्यता इसके स्वतन्त्र राज्य रूप में वर्तमान रहने के लिये मार्ग प्रशस्त कर देती है तथा साक्ष्य पैदा करती है। उपरोक्त मत इस तथ्य से और भी अधिक पुष्ट हो जाना है कि मान्यता बीती हुई घटनाओं पर पूर्वगामी (Retroactive) है, अर्थात् इसका समय उस पिछली तिथि से प्रारम्भ होता है जब से उस राज्य में, जिसे मान्यता प्रदान की गई है, राज्यत्व के आवश्यक तत्व वास्तव में आ गये जिससे यह प्रकट होता है कि राज्य मान्यता प्रदान की जाने वाली तिथि के बहुत पहले से ही विद्यमान था।

समन्वित विचार — इस प्रसंग में ठीक ठीक विचार यह प्रतीत होता है कि 'मान्यता' (Recognition) शब्द के अन्तर्गत निर्मायक (Constitutive) और घोषणात्मक (Declaratory) दोनों प्रकार के तत्व उपस्थित हैं। जैसा कि लाउतेरपैच (Lauterpacht) का कथन है, "यह किसी राजनीतिक समुदाय के अस्तित्व का सरल घोषणात्मक तत्व है और घोषणा इस तथ्य का निर्धारण कर लेन

के बाद की जाती है कि उस राजनीतिक समुदाय में परंपरागत राज्यत्व (Statehood) विद्यमान है। ऐसी घोषणा के उपरान्त मान्यता कतिपय वैध परिणामों की निर्मायक (constitutive of certain legal consequences) हो जाया करती है।" स्टार्क (Starke) की भी उपर्युक्त निष्कर्ष से सहमति है, क्योंकि उनका कथन है कि "सत्य इन दोनों सिद्धान्तों के कहीं बीच में (the truth lies somewhere between the two theories) स्थिर करता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के तथ्यों के प्रसंग में दोनों में से एक या दूसरे किसी भी सिद्धान्त का प्रवर्तन किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यास में बहुधा साध्यमूलक सिद्धान्त (evidentiary theory) का उस विस्तार तक प्रयोग होता है, जहाँ तक कि मान्यता राजनीतिक कारणों के आधार पर दी गई रहती है, और इसीलिए वह प्रकृति में निर्मायक सिद्ध होती है। विविध देश यह मान्यता प्रायः वैध सिद्धान्तों (legal principles) और पूर्ववर्ती दृष्टान्तों (precedents) के आधार पर प्रदान करते या उसे प्रदान करने से अस्वीकार करते हैं।" यही नहीं, अपितु किसी एक राज्य द्वारा मान्यता प्रदान करने से अस्वीकृति मात्र उस परिस्थिति में प्रभावकारी नहीं हो सकती, जब कि उससे पूर्व बड़ी संख्या में अन्य राज्यों ने मान्यता प्रदान कर दी है।"

स्वैलिन (Svarlien) भी इसी विचार से सहमत हैं। उनका कथन है कि,

'It might be said that' recognition is always declaratory in that it confirms the existence of a State and recognizes its legal position in the international community. But it may also, at times, be constitutive in so far as it has the effect of actually creating a State where none existed before.' "यह कहा जा सकता है कि मान्यता सदैव घोषणात्मक होती है, क्योंकि यह किसी राज्य के अस्तित्व में होने का पुष्टीकरण करती है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी वैध स्थिति को स्वीकार करती है।"

मान्यता क्या एक वैध, राजनीतिक (a legal or a political problem) समस्या है? —साधारणतः मान्यता वैध सिद्धान्तों के आधार पर प्रदा की जाती, अथवा रोकी जाती है। फिर भी, जिन तथ्यों को मान्यता प्रदान करने या रोकते समय ध्यान में रखा जाता है, वे हैं—प्राथमिक, सैन्यिक या अन्य राजनीतिक हित। ऐसे प्रसंगों में वर्तमान तथ्यों की अपेक्षा नीति अथवा राजनीतिक कालोचितता से अधिक काम लिया जाता है। यदि इस मान्यता के प्रसंग में प्रभावकारी गुटों का दबाव पड़ता है, जैसा कि इजरायल के प्रसंग में, तो मान्यता सर्वोच्च औपचारिकताओं की प्रक्रिया उतनी लंबी नहीं रह जाती और मान्यता छीन दी जाती है। किन्तु जैसा कि कोरबेट (Corbett) का कथन है कि, "एक बार में"

कोई राजनीतिक समुदाय एक निश्चित अथवा तब विकास की स्थिति या लेता है, तो उसे ऐसे अधिकार मिल जाते हैं जो कि वैध उपचार के सबब में राज्यों में दृष्टा करते हैं। इस अर्थ में, और केवल इसी अर्थ में उसे 'मान्यता प्राप्त' (recognised) होने का अधिकार है। औपचारिक मान्यता (formal recognition) का कोई अधिकार नहीं है।" इसके साथ ही कौरवेट का कथन है कि, "This is something which States grant or refuse at discretion. It is a counter in the harsh game of international politics." "यह कुछ ऐसी चीज है जिसे राज्य अपने विवेक पर या तो स्वीकृत करते अथवा स्वीकृति देने से इन्कार करते हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कठिन खेल का एक टिकटद्वार है।" तात्पर्य यह है कि इस मान्यता के मिल जाने के बाद ही कोई नव-उत्पन्न राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो पाता है। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में, जहाँ राजनीतिक विचारों का प्राधान्य है, मान्यता की वैध प्रकृति पर कोई इस तथ्य का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि किसी तथ्य की घोषणात्मकता स्वयं अपने प्रकृति से निर्मायक है।

बैंक आफ वाइना बनाम वेल्स फारगो बैंक और यूनियन ट्रस्ट कम्पनी [(१९५२) १०४ एफ० सु० ५६] के बाद में 'स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट' का अवलोकन था कि अभी निकट-पूर्व में मान्यता की स्वीकृतियाँ और अस्वीकृतियाँ दोनों ही राजनयिक सौदे के सम्बन्ध के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर प्रदान की गई हैं, और यह कि इस सम्बन्ध में सघर्षरत विचारों का समुलन कार्यपालकीय निर्णयों में किया गया है।

प्रोफेसर लाउतरपैच (Lauterpacht) ने अपने नये निर्मायक सिद्धान्त के अन्तर्गत इस बात का संकेत किया है कि मान्यता इस प्रकार की नीति का कार्य (act of policy) नहीं है, जैसा कि परंपरा से मान्य निर्मायक सिद्धान्त के अन्तर्गत माना जाता है, और यह कि प्रत्येक राज्य का अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति यह एक कर्तव्य है कि वह किसी नये राज्य, या ऐसी नई सरकार को, जिसमें कि राज्यत्व की वाछनीयतायें पूरी हो, मान्यता प्रदान करें। यह सिद्धान्त 'अन्तर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय' (International Court of Justice) के बहुमत के उस निष्कर्ष के अनुसार है, जो कि समुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता की शर्तों के सम्बन्ध में न्यायालय ने अपनी परामर्शमूलक सम्मति देते समय व्यक्त किया था। न्यायालय का अवलोकन था कि 'बार्टर' के अनुच्छेद ४ के पैराग्राफ (१) के अन्तर्गत यह भाष्य है कि ऐसी शर्तों और भाषारों जो कि इन सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं, राज्यों को इस सदस्यता के सम्बन्ध में बाधक हो सकते हैं।

स्टार्क (Starke) लाउतरपैत (Lauterpacht) के सिद्धान्त का इस आधार पर विरोध करते हैं कि दृष्टान्तों और व्यवहारों की कसौटी पर विधि के सम्बन्ध में उनके विचार खरे नहीं उतरते । उनका कथन है कि इजरायल के नये राज्य (१९४८-४९) और चीन की साम्यवादी सरकार (१९४९-५७) की मान्यता के सम्बन्ध में जो विभिन्नताये हैं, उनसे कठिनाई से समझौता किया जा सकता है । यही नहीं, अपितु उन्हीं के शब्दों में, "Moreover, if there were such a legal duty to recognise, as stated by him, how would it be enforced? To each duty, these must correspond a correlative right, and how would one define this right? Is it a right of the State claiming to be recognised, or a right of the international community, and how would such claims of right be presented? The answer to these questions must be that the practice of States—particularly of the Great Powers—does not support the existence of the duty or the right mentioned Recognition is treated, for the most part, as a matter of vital policy that each State is entitled to decide for itself" "इससे भी आगे, यदि मान्यता प्रदान करने का कोई ऐसा वैध कर्तव्य हुआ होता जैसा कि लाउतरपैत ने कहा है, तो उसका प्रवर्तन किस प्रकार हो सकता था? प्रत्येक कर्तव्य के साथ अवश्य ही सलग्न अधिकार का होना आवश्यक है, और तब कोई इस अधिकार की कैसे व्याख्या करता? क्या यह राज्य का अधिकार है कि वह इस बात का दावा करे कि उसे मान्यता मिल चुकी है, या यह कि उसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का यह अधिकार मिल चुका है, और फिर इस दावे को किस प्रकार सामने लाया जा सकता था? इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही यह होना चाहिए कि राज्यों में—विशेष रूप से महान शक्तियों में—जो प्रचलन है उससे इस बात का समर्थन नहीं होता कि इस प्रकार के कर्तव्य या अधिकार का कोई अस्तित्व है।" अधिकार भाग के लिए मान्यता एक ऐसे अनिवार्य नीति के विषय के रूप में मानी जाती है, जिसे कि प्रत्येक राज्य अपने-आप के लिए निर्धारित करने का अधिकारी है।" किन्तु प्रत्येक राज्य ऐसी मान्यता प्रदान करते समय इस बात का पूर्ण निश्चय अवश्य कर लेता है कि नव-उत्पन्न राज्य उन सभी शर्तों को पूरा करता है, अथवा नहीं, जिससे कि उसे वैध रूप में 'राज्य' की सजा दी जा सके और एतद्विषयक 'मान्यता' प्रदान की जा सके । इस प्रश्न पर अवश्य ही 'मान्यता' वैध सिद्धान्तों को अपने वृत्त में खींच लिया करती है ।

इस विचार का समर्थन संयुक्त राष्ट्र सच के महासचिव के निदेशन में तैयार किये गये मार्च ८ १९५० के 'मेमोरैंडम' में भी किया गया है कि मान्यता प्रदान करना

एक वैध कार्य होने की अपेक्षा एक राजनीतिक कार्य (a political rather than a legal act) है। इस 'मेमोरैंडम' को महासचिव ने साम्यवादी चीन के इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कि सुरक्षा परिषद् एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध अंगों को उन सीटों पर जिन पर 'चीन की राष्ट्रवादी सरकार' आसीन है, साम्यवादी सरकार के प्रतिनिधि रखे जायें, सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किये जाने के निमित्त तैयार कराया था। प्रसंगगत मुख्य-मुख्य अवलोकन इस प्रकार हैं :—

(१) "वैध सिद्धान्त के दृष्टिकोण से, एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में सम्बन्ध का जुड़ना और एक सरकार की मान्यता दो सस्थाओं का एक द्विविधाजनक संयोग है, जिसमें अनावश्यक समानताये तो दिखाई पड़ती हैं, किन्तु अन्तरात्मा दोनों की भिन्न हैं।

(२) "किसी नये राज्य की मान्यता, या किसी अस्तित्व वाले राज्य के नई सरकार की मान्यता एकपक्षीय कृत्य है, जिसे कि मान्यता प्रदान करने वाली सरकार या तो स्वीकृति कर सकती है, या स्वीकृति रोक सकती है। यह सत्य है कि कुछ विधि-विद्वानों ने सबल भाषा में यह लिखा है कि जब कभी कोई नई सरकार क्रान्तिकारी साधनों से शक्ति में आती है, जिसके स्थायित्व की सम्भावना दिखाई पड़ती है, जनता के अधिकांश वर्ग की स्वभावेन आज्ञाकारिता उसे मिल जाती है, तो अन्य राज्य एक वैध कर्तव्य के अधीन हो जाते हैं कि वे उस राज्य को मान्यता प्रदान करें। फिर भी, राज्य मान्यता प्रदान करने अथवा रोकने में कुछ वैध सिद्धान्तों का अनुसरण करना आवश्यक मान सकते हैं और राज्यों के इस सम्बन्ध के प्रवर्तनों से प्रकट होता है कि अतः भी मान्यता प्रदान करने का कार्य अनिवार्यतः एक राजनीतिक निर्णय (essentially a political decision) माना जाता है, जिसे कि प्रत्येक राज्य प्रसंगगत परिस्थितियों पर अपनी व्याख्या-नुसार स्वतन्त्र इच्छा से निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।"

किसी राज्य को मान्यता प्रदान करना या न करना, एक राजनीतिक विषय है—इसका स्पष्टीकरण और भी इस आधार पर हो जाता है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में कार्यपालकीय निर्णय (executive decisions) या अपने-अपने राज्य के वैदेशिक कार्यालय के प्रतिवेदनों को इस विषय में अन्तिम और प्रभावकारी माना जाता है।

चूँकि किसी राज्य, या सरकार की मान्यता एक वैयक्तिक कार्य (individual act) है, और संयुक्तराष्ट्र संघ में सदस्यता के लिए प्रविष्टि या स्वीकृति या संगठन में प्रतिनिधित्व सामूहिक कृत्य (collective acts) है, अतः किसी राज्य

के लिए वैध रूप में मान्य नहीं हो सकता कि उसे संगठन में वैध रूप में पूर्व-मान्यता प्राप्त ही हो जाय। यह पद्धति 'लीग आफ नेशन्स' और 'संयुक्त राष्ट्र संघ' दोनों की सदस्यता के लिए प्रवर्तित रही है।

नियमानुसार मान्यता अधिकांश दशाओं में अधिक व युद्ध कौशल नीति अथवा अन्य राजनैतिक हितों की दृष्टि से निश्चित होती है। यह वर्तमान तथ्यों की स्वीकृति से अधिक कूटनीति तथा राजनैतिक औचित्य के आधार पर अनुशासन होती है। कौरवेट का कथन है कि जब कोई राजनैतिक समुदाय एक बार उन्नति की एक विशिष्ट स्थिति में पहुँच जाता है तो उसको वैध व्यवहार के लिये ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि राज्यों के बीच विद्यमान हैं। इस अर्थ में और केवल इसी अर्थ में इसको "मान्यता" का अधिकार प्राप्त होता है। नियमानुसार मान्यता के लिये कोई अधिकार नहीं है। इसे राज्य अपने विवेकानुसार देते हैं अथवा देना अस्वीकार करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कठोर दाँव का यह पाँसा है।

मान्यता के भेद :—मान्यता प्रकट (express) अथवा अप्रकट (implied) होती है। प्रकट मान्यता किसी नियमानुसार घोषणा द्वारा दी जाती है। अप्रकट मान्यता सन्धि-स्थापन द्वारा अथवा राजनैतिक प्रतिनिधियों के अधिकार-पत्र प्रदान करके दी जाती है। तथ्यतः मान्यता (De facto recognition) तथा विधितः मान्यता (De jure recognition) में भेद बतलाते हैं। तथ्यतः मान्यता का यह अर्थ है कि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य की सम्मति में नया प्राधिकारी यद्यपि वास्तव में स्वतन्त्र है तथा अपने अधीन प्रदेश में प्रभावपूर्ण अधिकार रखता है तथापि इसने अभी इतनी पर्याप्त स्थिरता नहीं प्राप्त की है जिससे यह प्रकट हो कि यह अपनी स्वतन्त्रता एक दीर्घकालीन अवधि तक बनाये रख सकेगा। यह फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा निर्धारित माँगों को पूरा करता है। विधितः मान्यता का यह अर्थ होता है कि मान्यता प्रदत्त राज्य अथवा सरकार उन कसौटियों में ठीक उतरती है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रभावशाली भाग लेने के लिये निर्धारित किये गये हैं। इससे राजनैतिक प्रतिनिधियों का तथा जमी जहाजों के बीच सलामी का आदान-प्रदान आवश्यक हो जाता है।

प्रतिबन्धयुक्त मान्यता (Conditional Recognition)—राज्यों की कभी-कभी कतिपय प्रतिबन्धों से युक्त भी मान्यता प्रदान की जाती है। १८७८ की बर्लिन कांग्रेस ने बुल्गारिया, रूमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो राज्यों को इस शर्त पर मान्यता प्रदान की थी कि उन्होंने अपनी प्रजा पर किसी प्रकार की धार्मिक अन्वेषण (religious disability) आरोपित नहीं की थी। चूँकि एक बार मान्यता प्रदान

कर दी जाने पर साधारणतया वापस नहीं की जाती, अतः इस शर्त की पूर्ति में उन राज्यों का असफल होना मान्यता को धूम्यवृत्त नहीं करता। मान्यता प्राप्त राज्य यदि किसी अपराध का दोषी हो सकता है, तो वह अपराध अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन (Violation of International Law) ही है। मान्यता प्रदान करने वाला राज्य भी अनुशास्ति (sanction) के रूप में राजनयिक सम्बन्धों को दूर कर सकता है, इससे अधिक कोई वैध दंड नहीं दे सकता।

प्रोफेसर लाउत्तरपैत ने राज्या के इस अभ्यास की भर्त्सना की है कि वे मान्यता प्रदान करने में कुछ प्रत्याभूति (गारंटी) या शर्तनामा (undertaking) प्रारोपित कर देते हैं। यह 'मान्यता' की ठीक-ठीक प्रकृति के विपरीत है, क्योंकि मान्यता राज्यत्व अथवा सरकार की क्षमता की कतिपय वाञ्छनीयताओं के तथ्यों का विनिश्चय और उनकी उद्घोषणा का एक तत्व है। किन्तु स्टार्क इस विचार से सहमत नहीं है, और उनका कथन है कि न्यायमूर्ति लाउत्तरपैत प्रचलन की गुहता को ही दृष्टि से ओझल नहीं कर देते, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर मान्यता के जो महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, उन पर भी दृष्टिपात नहीं करते, उदाहरण के लिए, जहाँ तक कि संपत्ति अधिकारों (property rights) का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य को अपने लिये इन अधिकारों पर विचार करने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति लाउत्तरपैत इस विचार के भी हैं कि नये राज्य या नई सरकार को मान्यता देने में यह कसौटी रखना कि वह अन्तर्राष्ट्रीय आचारों को पूरा करने के लिये इच्छुक है, 'संदिग्ध न्यायिक औचित्य' (doubtful juridical soundness) से युक्त है, क्योंकि इस कसौटी से मान्यता की वास्तविक प्रकृति और प्रयोजन का कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ भी स्टार्क महोदय उपयुक्त विचार से सहमत नहीं हैं, और उनका कथन है कि उपयुक्त अवलोकन राज्या में प्रचलित अभ्यास के विपरीत है। इस विचार में असंगति की ओर इंगित करते हुये उनका कथन है कि समुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता किसी राज्य को राजत्व, या किसी सरकार को सरकारत्व के लिए प्रमाण है, क्योंकि चार्टर के अनुच्छेद ४ में उपबन्धित है कि समुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता ऐसे 'शांति-प्रिय राज्यों' (peace-loving States) के लिए खुली हुई है, जो कि सभ के निर्णयानुसार चार्टर के आचारों (obligations of the Charter) को पूरा करने और उसका अनुशासन करने के लिए समर्थ और इच्छुक (able and willing) हैं।^१

१. स्टार्क 'ऐन इण्ट्रोडक्शन टु इन्टरनेशनल ला', चतुर्थ संस्करण पृ० १३.

के लिए वैध रूप में मान्य नहीं हो सकता कि उसे संगठन में वैध रूप में पूर्व-मान्यता प्राप्त ही हो जाय। यह पद्धति 'लीग आफ नेशन्स' और 'संयुक्त राष्ट्र संघ' दोनों की सदस्यता के लिए प्रवर्तित रही है।

नियमानुसार मान्यता अधिकांश दशाओं में अधिक व युद्ध कौशल नीति अथवा अन्य राजनैतिक हितों की दृष्टि से निश्चित होती है। यह वर्तमान तथ्यों की स्वीकृति से अधिक कूटनीति तथा राजनैतिक अविद्यमान के आधार पर अनुशासित होती है। कौरवेट का कथन है कि जब कोई राजनैतिक समुदाय एक बार उन्नति की एक विशिष्ट स्थिति में पहुँच जाता है तो उसको वैध व्यवहार के लिये ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि राज्यों के बीच विद्यमान हैं। इस अर्थ में और केवल इसी अर्थ में इसको "मान्यता" का अधिकार प्राप्त होता है। नियमानुसार मान्यता के लिये कोई अधिकार नहीं है। इसे राज्य अपने विवेकानुसार देते हैं अथवा देना अस्वीकार करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कठोर दाय का यह पाँसा है।

मान्यता के भेद :—मान्यता प्रकट (express) अथवा अप्रकट (implied) होती है। प्रकट मान्यता किसी नियमानुसार घोषणा द्वारा दी जाती है। अप्रकट मान्यता सन्धि-स्थापन द्वारा अथवा राजनैतिक प्रतिनिधियों के अधिकार-पत्र प्रदान करके दी जाती है। तथ्यतः मान्यता (De facto recognition) तथा विधितः मान्यता (De jure recognition) में भेद बतलाते हैं। तथ्यतः मान्यता का यह अर्थ है कि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य की सम्मति में नया प्राधिकारी यद्यपि वास्तव में स्वतन्त्र है तथा अपने अधीन प्रदेश में प्रभावपूर्ण अधिकार रखता है तथापि इसने अभी इतनी पर्याप्त स्थिरता नहीं प्राप्त की है जिससे यह प्रकट हो कि यह अपनी स्वतन्त्रता एक दीर्घकालीन अवधि तक बनाये रख सकेगा। यह फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा निर्धारित माँगों को पूरा करता है। विधित मान्यता का यह अर्थ होता है कि मान्यता प्रदत्त राज्य अथवा सरकार उन कसौटियों में ठीक उतरती है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रभावशाली भाग लेने के लिये निर्धारित किये गये हैं। इससे राजनैतिक प्रतिनिधियों का तथा जमी जहाजों के बीच सलामी का आदान-प्रदान आवश्यक हो जाता है।

प्रतिबन्धयुक्त मान्यता (Conditional Recognition)—राज्यों की कभी-कभी कतिपय प्रतिबन्धों से युक्त भी मान्यता प्रदान की जाती है। १८७८ की बर्लिन कांग्रेस ने बुल्गारिया, रुमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो राज्यों को इस शर्त पर मान्यता प्रदान की थी कि उन्होंने अपनी प्रजा पर किसी प्रकार की धार्मिक अन्तर्हता (religious disability) आरोपित नहीं की थी। चूँकि एक बार मान्यता प्रदान

कर दी जाने पर साधारणतया वापस नहीं की जाती, अतः इस शर्त की पूर्ति में उन राज्यों का असफल होना मान्यता को शून्यकृत नहीं करता। मान्यता प्राप्त राज्य यदि किसी अपराध का दोषी हो सकता है, तो वह अपराध अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन (Violation of International Law) ही है। मान्यता प्रदान करने वाला राज्य भी अनुशास्ति (sanction) के रूप में राजनयिक सम्बन्धों को दूर कर सकता है, इससे अधिक कोई वैध दंड नहीं दे सकता।

प्रोफेसर लाउतरपैत ने राज्यों के इस अभ्यास की भर्त्सना की है कि वे मान्यता प्रदान करने में कुछ प्रत्याभूति (गारंटी) या शर्तनामा (undertaking) आरोपित कर देते हैं। यह 'मान्यता' की ठीक-ठीक प्रकृति के विपरीत है, क्योंकि मान्यता राज्यत्व अथवा सरकार की क्षमता की कतिपय वाञ्छनीयताओं के तथ्यों का विनिश्चय और उनकी उद्घोषणा का एक तत्व है। किन्तु स्टार्क इस विचार से सहमत नहीं है, और उनका कथन है कि न्यायमूर्ति लाउतरपैत प्रचलन की गुरुता को ही दृष्टि से ओझल नहीं कर देते, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर मान्यता के जो महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, उन पर भी दृष्टिपात नहीं करते, उदाहरण के लिए, जहाँ तक कि संपत्ति अधिकारों (property rights) का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य को अपने लिये इन अधिकारों पर विचार करने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति लाउतरपैत इस विचार के भी हैं कि नये राज्य या नई सरकार को मान्यता देने में यह कसौटी रखना कि वह अन्तर्राष्ट्रीय आचारों को पूरा करने के लिये इच्छुक है, 'संदिग्ध न्यायिक औचित्य' (doubtful juridical soundness) से युक्त है, क्योंकि इस कसौटी से मान्यता की वास्तविक प्रकृति और प्रयोजन का कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ भी स्टार्क महोदय उर्युक्त विचार से सहमत नहीं हैं, और उनका कथन है कि उपर्युक्त अवलोकन राज्यों में प्रचलित अभ्यास के विपरीत है। इस विचार में असंगति की ओर इंगित करते हुये उनका कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किसी राज्य को राजत्व, या किसी सरकार को सरकारत्व के लिए प्रमाण है, क्योंकि चार्टर के अनुच्छेद ४ में उपबन्धित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ऐसे 'शान्ति-प्रिय राज्यों' (peace-loving States) के लिए खुली हुई है, जो कि संघ के नियमानुसार चार्टर के आचारों (obligations of the Charter) को पूरा करने और उसका अनुशीलन करने के लिए समर्थ और इच्छुक (able and willing) हैं।^१

१. स्टार्क: 'ऐन इण्ट्रोडक्शन टु इन्टरनेशनल ला', चतुर्थ संस्करण पृ० १३.

सामूहिक मान्यता (Collective Recognition)—एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्या के माध्यम से सामूहिक मान्यता इन मतभेद या वैषम्य को दूर करती है कि कुछ राज्य उस नये राज्य को मान्यता प्रदान कर रहे हैं, और कुछ ऐसा करने से अस्वीकार कर रहे हैं। लंदन की संधि (Treaty of London) ने १८३० में ग्रीस को और बेल्जियम को १८३१ में मान्यता प्रदान की। १८७८ की बर्लिन कांग्रेस ने सामूहिक रूप से बुल्गारिया, मॉण्टेनिग्रो, सर्बिया और रूमानिया को मान्यता दी, जब कि 'सुप्रीम कौंसिल आफ दो एलाइड पावर्स' ने १९२१ में येश्योनिया और अल्बानिया को मान्यता दी। यह मान्यता फ्रान्स, इटली, जापान और ग्रेट ब्रिटेन की ओर से सामूहिक रूप में दी गई थी और फिर इसके लिये इन राष्ट्रों की पृथक्-पृथक् मान्यता की आवश्यकता न पड़ी।

यह सामूहिक मान्यता मान्यता प्राप्त राज्य के लिए राष्ट्रों के परिवार में सदस्य के रूप में सामने आने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। ऐसी सामूहिक मान्यता कतिपय लेखकों द्वारा 'simultaneous or general recognition' 'क्रमिक या साधारण मान्यता' के रूप में मानी गई है और यह कहा गया है कि आज यदि कोई सामूहिक मान्यता सम्भव है तो केवल किसी राज्य का किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करना है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनी सदस्यता के लिये स्वीकृति।

किन्तु यह भी कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रविष्ट एक ऐसे प्राइवेट क्लब में प्रविष्टि पाने के समान है जो कि प्रविष्टि मिल जाने के बाद 'राजत्व' (Statehood) नहीं प्रदान करता। इसके प्रमाण-स्वरूप यह कहा जाता है कि बाइलो-रूस (Byelo-Russia) और उक्रेन (Ukraine) को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रविष्टि के उपरान्त भी राज्यत्व का उससे अधिक पद नहीं मिल पाया, जितना कि असदस्य राज्य स्विटजरलैंड का रहा। केवल इजरायल और लीबिया जैसे ही प्रसंगों में कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के राजनीतिक कार्यों ने राजत्व के गुण प्रदान किये, किन्तु राज्य का उत्पन्न होना ही इन कार्यों से निर्गमिक रूप में मान्य हो सका, मान्यता का प्रदान किया जाना नहीं।

सामूहिक अमान्यता (Collective Non-recognition)—एक सां-
 दृहिक अमान्यता, जैसे कि पहले 'लोग आफ नेगन्स' और अब संयुक्त राष्ट्र संघ के
 अमान्यता में विमो वर्तमान स्थिति के विरुद्ध विरोध परिलक्षित होता है। 'लीग
 आफ नेगन्स' की मंजूरी पर मंडुगो की सामूहिक अमान्यता ऐसे ही सामूहिक
 विरोधी प्रक्रिया का एक प्रमाण है।

जैसा कि पैलेस्टाइन के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य सभ के प्रतिनिधि ने अवलोकन किया था कि सामूहिक मान्यता के मार्ग में कठिनाई यह है कि एक संप्रभु राज्य की कुछ शक्तियाँ और कुछ अधिकार होते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों द्वारा कम नहीं किये जा सकते हैं और विशेष रूप से एक तात्कालिक सरकार की तत्थ्यत स्वीकृति में कम नहीं किये गये हैं ।

इससे आगे, यह भी उल्लेखनीय है कि राज्यों ने किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से सामूहिक मान्यता प्राप्त करने के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सभ से सामूहिक मान्यता । संयुक्त राष्ट्र सभ को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह या तो किसी नये राज्य को, अथवा किसी अस्तित्वपूर्ण राज्य की सरकार को मान्यता प्रदान कर सके । संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा सामूहिक मान्यता के प्रश्न को स्थिर करने के प्रयोजन के लिये या तो चार्टर में संशोधन वाञ्छित होगा, अथवा कोई ऐसी सन्धि करनी होगी जिसका सम्मान सभी राष्ट्र कर सके ।

तथ्यत. और विधितः मान्यता (De facto and De jure recognition)—राजनीतिज्ञों ने मान्यता को 'तथ्यत' और 'विधित' मान्यता के वर्गों में भी बाँटा है । तथ्यत मान्यता का तात्पर्य है—मान्यता प्रदान करने वाले राज्य की सम्मति में नया प्राधिकारी, यद्यपि वह वस्तुतः स्वतन्त्र है और अपने अधीनस्थ क्षेत्र में शक्ति-सम्पन्न है, फिर भी इतनी पर्याप्त दृढता नहीं प्राप्त कर सका है कि उससे यह प्रकट हो कि वह लम्बो अवधि तक अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखेगा, किन्तु इतना होते हुये भी उसने इतनी क्षमता प्राप्त कर ली है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि की बाध्यताओं को पूरा करता है और चाहे तात्कालिक रूप में, या अस्थायी रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रभावकारी रूप से भाग ले सकता है । विधित मान्यता का तात्पर्य है—मान्यता प्राप्त राज्य या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत निर्धारित कसौटी को पूरा करती है जिससे कि वह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रभावकारी रूप से भाग ले सके । इसके अनुसार उस राज्य द्वारा राजनयिक प्रतिनिधियों के आदान प्रदान और युद्ध की अवस्था में सैनिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है ।

ब्रिटिश प्रचलन के अनुसार किसी नये राज्य या नई सरकार की विधित मान्यता स्वीकृत करने के लिए तीन पूर्ववर्ती शर्तों का होना आवश्यक है—(१) दृढता और स्थायित्व का एक तर्कसंगत आश्वासन (a reasonable assurance of stability and permanence), (२) सरकार को जनता के सर्वसाधारण का

मर्मर्ण प्राप्त है (The Government commands the general support of the population); और (३) वह अपने अन्तर्राष्ट्रीय आभारों (international obligations) को पूरा करने के योग्य और इच्छुक है (it is able and willing to fulfil its international obligations)।^१

राज्यों के प्रचलन के अनुसार 'तथ्यतः' मान्यता अन्तःकालीन (provisional) होती है और उसके परिणाम-स्वरूप संभव है कि पूर्ण राजनयिक अन्त-सम्बन्ध का निर्वाह न हो सके, किन्तु यह 'विधितः' मान्यता के लिए एक प्रथम सोपान है।

लाउत्तरपैत के अनुसार तथ्यतः मान्यता किसी राज्य की उस इच्छा की एक अभिव्यक्ति है कि वह प्रभुता वाले तन्त्र के सहित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रविष्ट करना चाहता है, किन्तु इस इच्छा के साथ सामान्य राजनयिक औपचारिकताएँ नहीं सलग्न हैं।^२

कुछ विद्वान् तथ्यतः मान्यता को राज्यत्व की मान्यता के लिए एक प्रति-बन्ध-युक्त निकाय मानते हैं। इससे नये निकाय की स्थिरता के सम्बन्ध में एक संदेह आभासित होता है और समय से पूर्व प्राप्त विधितः मान्यता से वह मौलिक राज्य के प्रति कोई अपराध कथित करने से बच जाता है।

गागरा (Gagara)^३ के वाद में, जहाँ कि 'इस्थोनियन नेशनल कौंसिल' का प्रश्न उठाया गया था, विधि-अधिकारियों ने न्यायालय को सूचित किया था कि 'हिज मैजेस्टी की सरकार' ने अन्तःकालीन रूप में 'इस्थोनियन कौंसिल' को तथ्यत-स्वतन्त्र निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की थी। 'कोर्ट ऑफ अपील' का अवलोकन था कि इस प्रकार की अन्तःकालीन मान्यता, जो तात्कालिक समय के लिए प्रदान की गई है, 'इस्थोनियन नेशनल कौंसिल' को एक वैदेशिक सप्रभु (A foreign sovereign) की स्थिति प्रदान करती है।

एक विश्रुद्धलित विधितः सरकार और एक तथ्यत नवगठित सरकार के बीच के संघर्ष में अंग्रेजी विधि-न्यायालय का अवलोकन है कि तथ्यतः सरकार के अधिकार और पद विधितः सरकार के ऊपर अधिभावी होते हैं। इस सूत्र का प्रवर्तन दो वादों में किया गया था, अर्थात् "बैंक ऑफ यूरोपिया" बनाम 'नेशनल बैंक

१. स्मिथ: ग्रेट ब्रिटेन ऐंड दी लॉ ऑफ नेशनस, वाल्यूम १, पृ० ७६.

२. लाउत्तरपैत (Lauterpacht) : रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ, पृ० ३५८.

३. (१९१६) प्रोवेट ६५.

भाव इजिप्ट^१ और लिगर और एस० एस० अरन्तजाजू मेडी बनाम स्पेन की रिपब्लिकन सरकार^२ के वाद में ।

वैंक आफ यूथोपिया के वाद मे मान्यता के निर्धारण का प्रश्न १९३६ मे इटली द्वारा अबीसीनिया-विजय के परिणामस्वरूप उठा था । इटली की सरकार ने, अबीसीनिया की तथ्यत मान्यता के उपरान्त कुछ ऐसी विधियों का अधिनियमन किया जो कि अबीसीनिया के निष्कासित सम्राट की विधियों के सघर्ष मे थी, और जो कि निष्कासन मे रहते हुये भी अबीसीनिया का विधितः शासक माना जाता था । न्यायमूर्ति क्लाजन (Clauson J.) का अवलोकन था कि विधितः शासक का प्राधिकार मात्र सैद्धान्तिक है और प्रवर्तन के योग्य नहीं है, जब कि इटली की सरकार अबीसीनिया के नियन्त्रण मे है और तथ्यतः मान्यता प्राप्त कर चुकी है । अन्तः इस सरकार को ही विधियाँ अधिनियमित करने का अधिकार है, विधितः प्रशासक को नहीं ।

एस० एस० अरन्तजाजू मेडी के वाद मे जहाँ कि स्पेन के गृह युद्ध (१९३६-३८) मे वैधानिक और प्रभुत्व वाली सरकारों के बीच सघर्ष था, स्थिति यह थी कि नये प्रभुत्व वाली सरकार ने स्पेन के अधिकांश भाग को जीत लिया था । ग्रेट ब्रिटेन स्पेन की 'रिपब्लिकन गवर्नमेंट' को अब भी स्पेन की विधितः सरकार के रूप में मान्यता दे रहा था, किन्तु साथ ही उसने स्पेन के जीते हुये क्षेत्रों के लिए नई सरकार को भी तथ्यतः मान्यता प्रदान कर दी । जेनरल फ्रान्को की नव-गठित तथ्यतः सरकार के विरुद्ध स्पेन की विधितः सरकार ने 'ब्रिटिश ऐडमिरैल्टी कोर्ट' के समक्ष विचारण हेतु मामला प्रस्तुत किया जिससे प्रसंगत पोत पर उसे कब्जा वापस मिल सके । पोत का पंजीकरण बिलबायो बन्दरगाह पर किया गया था, जो कि फ्रान्को की सरकार द्वारा बच्चे मे कर लिया गया था । जेनरल फ्रान्को की तथ्यतः सरकार ने एक विदेशी राज्य मे अपने विरुद्ध मुकदमे से उन्मुक्ति का दावा किया, क्योंकि वह अपने को एक पूर्णतः मप्रभु राज्य उद्घोषित कर रहा था । प्रसंगत पोत बिलबायो बन्दरगाह पर तथ्यतः सरकार के नियन्त्रण में पकड़ा किया गया था और उसे अर्जन सम्बन्धी डिक्ली (Requisition decree) के संदर्भ में उस सरकार को इंग्लैंड मे, हस्तान्तरित किया गया था । *वॉर्ड स्ट्रॉडन के 'सार्दस् सभा' मे स्मरणीय निर्णय उद्घोषित करते हुये कहा था कि तथ्यतः सरकार के सभी कृत्यों का संपादन कर रही है जो कि विधि और अधिका की बनाने रखने*

१. (१९३७) च० ५१३.

२. (१९३६) ए० सी० २५६.

विधि-न्यायालयों के पोषण और प्रवर्तन को स्थिर रखने; विधियों को धरानाने की लागू करने, आदि के प्रसंग में एक पूर्ण संप्रभु सरकार किया करती है : अतः सर्वोपाय, चाहे युद्ध-योन हो या व्यापारिक पोष हो, उन पर स्वतंत्र तत्पनः सरकार का हा है । विधितः सरकार का यह तर्क कि तत्पनः प्रशासन संप्रभु राज्य गठित नहीं करता, अमान्य कर दिया गया और नवगठित राज्य को उसके दावे के अनुष उन्मुक्ति प्रदान कर दी गई ।

वैदेशिक कार्यालय से सूचना (*Information from Foreign Office*)—संबंधित देशों के वैदेशिक कार्यालयों से उस देश को इस सूचना की प्राप्ति कि किसी नये राजनातिक समुदाय ने ऐसे समुदाय का स्तर प्राप्त कर लिया है, उस देश के न्यायालयों में लिए निर्णयक तत्व है । यह विचार 'गिविल एयर ट्रान्स्पोर्ट इनकारपोरेटेड' बनाम 'सेण्ट्रल एयर ट्रान्स्पोर्ट कारपोरेशन' के प्रसंग में व्यक्त किया गया था । इसी प्रकार का संदर्भ अरन्जामेंटों के भी बाद में विगत हुआ था, जिनका कि उल्लेख पहले किया जा चुका है ।

किसी विदेशी राज्य या सरकार की मान्यता के सम्बन्ध में नार्मल की उपयोगिता अत्यन्त निर्णायक और निष्परिणामक मानी जाती है और उक्त देश के न्यायालय के लिए बाध्यकारी मानी जाती है; और ये उपयोगिताएँ राज्य के कृत्यों के लिये मानी जाती हैं, जो कि राज्य के प्रधान के विवेकाधीन हैं । [सुपर बनाम 'सादीफ', होरा', दूक देवतारमेस्ट बनाम गवर्नमेंट आफ़ दै रएटन' और सुभगत आदर बनाम अगूरेकर टुम्बे]

प्रश्न है, जिसका कि किसी सरकार के विधायी और कार्यपालकीय विभागों का निर्धारण वहाँ के न्यायाधीशों के लिए बाध्यनापूर्णा है, साथ ही उस निर्धारण की उतनी ही बाध्यता वहाँ के अन्य अधिकारियों, नागरिकों और उस सरकार की प्रजाओं के लिए भी है।

न्यायालयों की मान्यता और अमान्यता के सम्बन्ध में विदेशी सरकारों के कार्याग की नीति को निस्सार या निर्णयोजन नहीं समझना चाहिए। किसी भी विशिष्ट स्थिति में कार्याग की नीति महत्वपूर्ण हो सकती है। किन्तु यह एक तथ्य है जिस पर कि न्यायालय में अन्य तथ्यों के साथ ही अवश्य विचार कर लिया जाना चाहिये। (बैंक ऑफ चाइना बनाम वेल्स फारगो बैंक और यूनिफन ट्रस्ट कम्पनी ।^१) ।

तथ्यतः और विधितः मान्यता (Distinction between De Facto and De Jure Recognition)—तथ्यतः और विधितः मान्यताओं के बीच अन्तर स्पष्ट करते हुये स्वार्जेंनबर्जर (Schwarzenberger) का निम्नलिखित अवतरण बहुत ही महत्वपूर्ण है—“De facto recognition is by nature provisional and may be made dependent on conditions with which the new entity has to comply It differs from de jure recognition of a State. There is not yet a formal exchange of diplomatic representatives The Jurisdiction of the new international person is merely recognised to exist within its own territory and any extra territorial effects of such jurisdiction are ignored. Thus, if a State which has received de jure recognition, should nationalise companies within its territory, its ownership in the property of such companies abroad (securities, land or ships) cannot be denied. If, however, such a State had merely obtained de facto recognition, such acts are without effect if purporting to apply to property in the country that has granted such de facto recognitionthere is an increasing tendency, both in decisions of national courts and amongst writers, to assimilate the effects of de facto recognition of a State to those of de jure recognition.... In contrast to de facto recognition, de jure recognition is considered to be retrospective, that is to say, to date back to the time when the newly recognised entity actually came into existence.”^२ अर्थात् “तथ्यतः

१. १०४ एफ० सुपर० ५६.

२. जार्ज स्वार्जेंनबर्जर : ए मैनुअल ऑफ इंटरनेशनल ला, पृ० २८-२९.

मान्यता स्वभावेन अन्तःकालीन है और ऐसी शर्तों के अधीन की जा सकती है जिसे कि नई इकाई को पूरा करना है। यह किसी राज्य की विधित मान्यता से भिन्न है। इसमें अभी तक राजनयिक प्रतिनिधियों के आदान-प्रदान की औपचारिकता शेष रहती है। इसमें नये अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति का क्षेत्राधिकार स्वयं अपने क्षेत्र में अस्तित्व में होने की बात मान्य कर ली जाती है और ऐसे क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी क्षेत्राधिकार की उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रकार यदि एक राज्य को, जिसने कि विधितः, मान्यता प्राप्त कर ली है, अहिंकार है कि वह अपने क्षेत्र के भीतर की कंपनियों का, और देश के बाहर उन कंपनियों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करे (प्रतिभूति, स्थल अथवा पोत) और उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किन्तु, यदि ऐसे राज्य को केवल तथ्यतः मान्यता मिली है, तो उसके ऐसे कृत्य उस समय प्रभावशून्य होंगे यदि उस देश में विहित संपत्ति के सदर्थ में हैं, जिसने कि ऐसी तथ्यत मान्यता दी है। एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति राष्ट्रीय न्यायालयों और लेखकों, दोनों में दिखाई पड़ रही है कि किन्हीं राज्यों की तथ्यत मान्यता को विधितः मान्यता के प्रभावों से घुला-मिला दिया जाता है। ... तथ्यतः मान्यता के विपरीत, विधितः मान्यता पूर्वलक्षी प्रभाव से युक्त मानी जाती है। तात्पर्य यह है कि इसका प्रभाव आज की तिथि से पीछे उस तिथि तक रहता है, जब कि नव-निर्मित इकाई वस्तुतः अस्तित्व में प्रकट हुई थी।"

जैसा कि ऊपर कहा गया है, तथ्यतः मान्य स्वभाव से अन्तःकालीन या अन्तिमकालीन होती है और इससे व्यक्त होता है कि मान्यता प्रदान करने वाला राज्य मान्यता-प्राप्त राज्य को, "as an authority in fact, with disputed control within the territorial limits of that State" उस राज्य को एक तथ्यत ऐसे प्राधिकार के रूप में मानता है जिसका नियंत्रण उस क्षेत्रीय सीमा के भीतर ही निहित है। ऐसी तथ्यतः मान्यता व्यावहारिक कारणों से प्रदान की जाती है और इसमें राजनयिक सह-संबंध की प्रतिभूति नहीं होती। न तो, ऐसी तथ्यतः मान्यता के अन्तर्गत यह प्रश्न ही अन्तर्ग्रस्त होता है कि तथ्यतः सरकार ने वैध साधनों से शक्ति प्राप्त की है, अथवा अवैध साधनों से। दूसरी ओर विधितः मान्यता अपने प्राप्ति से ही पूर्ण मान्यता है, और इसके अन्तर्गत पूर्ण और सामान्यतः सभी राजनयिक सम्बन्ध उपस्थित होने का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त रहता है। दोनों के वैध प्रभावों में सामान्यतः कोई अन्तर इसलिए नहीं पड़ता कि विधितः मान्यता पूर्वलक्षी प्रभाव से युक्त होती है, और उसके मिल जाने पर अपने देश से बाहर स्थित अपनी संपत्ति पर भी पूर्वलक्षी प्रभाव मसबूत हो जाता है। दोनों को, युद्ध-स्थिति के अन्वया, सामान्यतः अन्तर्ग्रस्त से समान उन्मुक्ति प्राप्त है।

मान्यता के लिए विचारणीय तथ्य (Considerations for Recognition)—परंपरागत विचार यह रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि किसी राज्य पर यह कर्तव्य आरोपित नहीं करती कि वह नये राज्यों को मान्यता प्रदान करे। वास्तविकता तो यह है कि मान्यता अधिकांशतः एक नीति का प्रश्न है, विधि का नहीं। राज्यों ने बहूधा नव-गठित राज्य या सरकार को मान्यता प्रदान करने में विलंब किया है, इन्कार कर दिया है, या सहसा फिर प्रदान कर दिया है। कारण बृटनीतिक या राजनयिक रहे हैं। प्रथम विश्व महायुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स और संयुक्त राज्य और अन्य शक्तियां न पोलैंड और जेरोस्लोवाकिया को उस समय से पहले ही मान्यता दे दी थी, जबकि वस्तुतः इनका अस्तित्व स्वतंत्र राज्य या सरकार के रूप में सामने आया। रूस की सावियत सरकार के प्रसंग में जिसकी स्थापना १९१७ में हुई, संयुक्त राज्य और अन्य शक्तियों द्वारा कुछ वर्षों तक मान्यता देने से रोक लगा दिया गया। अंशतः कारण यह था कि उस सरकार की अधिधि और निरंतरता के संबंध में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता था और अंशतः कारण यह था कि वे बोलशेविक सिद्धान्तों के विरुद्ध थे।

इस प्रसंग में मार्च २१, १९२३ को सचिव ह्यूम्स ने कहा था कि, "In the case of Russia we have a very easy test in a matter of fundamental importance, and that is of good faith in the discharge of international obligations I say that good faith is a matter of essential importance because words are easily spoken. Of what avail to speak of assurances, if valid obligations and rights are repudiated and property confiscated." "रूस के प्रसंग में हमारे समक्ष एक बहुत ही सरल, किन्तु मौलिक रूप से महत्वपूर्ण कमीटी है, और वह कसीटी है—अन्तर्राष्ट्रीय आचारों के निर्वहन में सद्भावना की। मैं कहता हूँ कि सद्भावना एक नितान्त महत्व का विषय है क्योंकि शब्द तो सरलता से कहे जा सकते हैं। किन्तु केवल आश्वासनों की बात करने से ही क्या लाभ, जब कि वैध कर्तव्य और अधिकार का खंडन किया जाता रहे और संपत्ति जब्त की जाती रहे।"

लाउतरपेत के अनुसार किसी को राज्य या नई सरकार की मान्यता के लिए इस कमीटी को व्यवहृत करना कि वह अन्तर्राष्ट्रीय आचारों की पूर्ति के लिए कहाँ तक इच्छुक है, एक सदिग्ध न्यायिक अधिवित्य से युक्त है और मान्यता के प्रयोजन से असंबंध है।

मान्यता प्रायः अपरिपक्व स्थिति में ही दे दी जाती है, या देने से राक दी जाती है और कारण केवल राष्ट्रीय नीति (national policy) रहती है। तथ्यतः

और तदुपरान्त विधितः मान्यता, जो संयुक्त राज्य द्वारा पनामा को विद्रोह की अवधि के केवल तीन दिन के भीतर प्रदान की गई, राष्ट्रीय नीति के अग्रसरण हेतु अस्तित्व के पूर्व ही मान्यता प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है। इन्हीं प्राधारों पर फ्रान्स ने १७७८ में केवल संयुक्त राज्य को मान्यता ही नहीं दी, अपितु इंग्लैंड के विरुद्ध के विद्रोहों में सहायता भी की। इजरायल के नये राज्यों की मान्यता (१९४८-४९) के संघर्ष में मतों में अनेक राजनीति कालोचितता के ही विचार का परिणाम था। इन्हीं विचारों को दृष्टि में रखते हुये, अर्थात् राजनीतिक मतभेदों को देखते हुये संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी राज्य चाऊ-एन-लाई की लाल-चीनी सरकार को मान्यता प्रदान करने से रुके। वे अब भी फारमूला में स्थिर राष्ट्रवादी सरकार को चीन की वैध सरकार मानते हैं; और अवास्तविकताओं के होते हुये भी कुम्रोमिन्तांग बर्ग—एक चीनी राष्ट्रीय प्रत्यायुवन को—सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिली हुई है। फिर भी, ब्रिटेन ने चीन की जनवादी सरकार को अपने व्यापारिक हितों की दृष्टि से मान्यता प्रदान कर दी। यह मान्यता फिर भी राजनीतिक दृष्टिकोण को न बदल सकी और ग्रेट ब्रिटेन चीन की केन्द्रीय जनवादी सरकार की संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता में विरोध करता जा रहा है। विडबना यहाँ तक है कि अक्टूबर १९६२ में संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा के सत्रहवें अधिवेशन में ब्रिटेन ने रूस के इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया कि साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र में प्रविष्टि दे दी जाय, फिर भी प्रस्ताव अमान्य हो गया।

चीन की नई जनवादी सरकार को मान्यता प्रदान करते हुये स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत न जनवादी चीन को कोई कारणों से मान्यता दी है। समुचित, दृढ़ और निरस्थायी सरकार सूर्य महाद्वीपीय चीन पर अस्तित्व में है। उनका कथन कि देशों को मान्यता प्रदान करते समय किसी की किसी के प्रति रुचि या अनरुचि का प्रश्न विचारणीय नहीं है, अपितु केवल इतना ही विचारणीय है कि उन्होंने एक दृढ़ सरकार गठित कर लिया है और उनके निकाल दिये जाने की कोई संभावना नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा किये गये इस निवेदन पर कि 'पनामा ड्रैफ्ट डिवलैरेशन' के अनुच्छेद २ पर जो कि राज्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण करता है, अवलोकन कर लिया जाय, इसके उत्तर में 'युनाइटेड किंगडम का अवलोकन था कि (१) जहाँ पर कोई इकाई राज्यत्व की शर्तों को पूरा करती है, अन्य सभी राज्यों का कर्तव्य है कि उसे मान्यता प्रदान करे; और (२) सभी राज्यों पर यह भी एक कर्तव्य आरोपित है कि वे किसी ऐसी इकाई को राज्य की मान्यता न दें, जो कि इन शर्तों को पूरा नहीं करती। वे इस बात से सहमत

ये कि राज्यों की मान्यता भ्रमवा भ्रमान्यता एक वैध कर्तव्य का प्रश्न है नीति का प्रश्न नहीं; और यह कि किसी राज्य का अस्तित्व में होना उसकी मान्यता पर निर्भर नहीं करता, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि मान्यता का कर्तव्य उत्पन्न हो गया है। यह भी कहा गया था कि किसी इकाई की राज्य के रूप में मान्यता उस इकाई के साथ राजनयिक संबंध के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। यह तो विदुष्य रूप में राजनीतिक दृष्टिकोण का विषय है। दूसरी ओर किसी इकाई के साथ राजनयिक संबंधों में प्रविष्टि के अन्तर्गत अन्तर्निहित है कि वह इकाई किसी अस्तित्व के रूप में मान ली गई है। उस इकाई को विधितः या तथ्यतः राज्य की मान्यता मिली है, या युद्धसलग्न समुदाय, या यह कि उसे अधिभावी सरकार के रूप में मान्यता मिली है, आदि का प्रश्न उन विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करता है जिनके आधार पर उनकी प्रविष्टि हुई थी।

बैंक ऑफ चाइना बनाम वेल्स फारगो बैंक ऐंड यूनिवर्सल ट्रस्ट कंपनी^१ के बाद में अवलोकन था कि यहाँ तक कि न्यायालय भी हमारी कार्यपालकीय वैदेशिक नीति से ही संबद्ध है, किसी मान्य सरकार के प्रत्येक कृत्य को अन्ध-प्रभाव-कारिता और अमान्य सरकार के प्रत्येक कृत्य को काल्पनिकता की संज्ञा देना भी समीचीन नहीं है।

राज्य के नये अध्यक्षों की मान्यता :—जब किसी राज्य का जो पहले ही से एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति है अध्यक्ष साधारणतया वैध प्रकार से बदलता है तो ऐसा परिवर्तन अन्य राज्यों को अधिसूचित कर दिया जाना है जो राज्य के नये अध्यक्ष को बधाई के सन्देश भेज कर स्वीकार करते हैं। कठिनाई उम समय उत्पन्न होती है जब कि राज्य में परिवर्तन क्रान्तिकारी उपायों से अर्थात् वर्तमान सरकार को उलट देने से होता है। ऐसी स्थितियों में इस प्रश्न के विचार के लिये दो कसौटियाँ हैं; अर्थात् क्या यह नयी सरकार वास्तव में एक ऐसी सरकार है जिसके नियन्त्रण में राज्य प्रभावशाली रूप में है और वह उस प्रदेश के एक पर्याप्त भाग पर बिना किसी प्रभावपूर्ण विरोध के प्राधिकार का प्रयोग कर रही है? इसे बाह्य आधार अथवा वस्तुनिष्ठ परीक्षण (objective test) कहा जाता है। दूसरा परीक्षण यह है कि क्या नई सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा सयुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर द्वारा नियत किये गये कर्तव्यों को पालन करने के लिये तैयार है? इसको अधिकरण सम्बन्धी भ्रमवा आत्मनिष्ठ परीक्षण (subjective test) कहते हैं? यदि नई सरकार स्थिर न हुई अथवा वहाँ बारम्बार क्रान्तियाँ हो रही हो जिससे सरकार में

^१ यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट १६५२, १०४ एफ० सप्य० ५६.

परिवर्तन आवश्यक हो जाता हो तो मान्यता प्रदान करने वाले राज्य मान्यता प्रदान करने में विलम्ब करते हैं ।

किसी सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने की बात स्वीकार कर ली जाय या इन्कार कर दी जाय उस राज्य की स्वयं मान्यता के लिये महत्वपूर्ण नहीं है । यदि कोई वैदेशिक राज्य किसी पहले से ही चले आने वाले राज्य की नई प्रकार की सरकार के प्राख्य में होने वाले परिवर्तन को मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर देता है, तो केवल इसी कारण वह पुराना राज्य अपना अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं समाप्त कर देता ।^१

किसी राज्य की सरकार कितनी ही हिंसक या उग्रवादी क्यों न हो गई हो किन्तु राज्य अस्तित्व में बना रहता है । कहा जा सकता है कि किसी राज्य के अमान्यता किसी राज्य की सरकार के अस्तित्व का द्योतक भी नहीं है । विसंग अमान्य सरकार के कृत्य इस मान्यता के न होने के कारण अवैध नहीं हो जाते ।^२

गाउल्ड (Gould) का कथन है कि "Changes in the form of government of a State no more extinguish the international personality of the State than did military occupation and even anarchy does not remove a community from the roster of states. A parliamentary system may be replaced by a dictatorship of the proletariat, a monarchy by a military junta. But such changes do not involve the substitution of a new state for an old one." अर्थात् "किसी राज्य की सरकार के प्राख्य में होने वाले परिवर्तन, उस राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को उससे अधिक नहीं समाप्त कर सकते जितना कि मिलिट्री के कब्जा के उपरान्त भी जर्मनी के राज्यत्व का अस्तित्व बना रह गया था । बान्धव में, अराजकता की भी कोई स्थिति किसी समुदाय को राज्यत्व पद से वृद्ध कर सकती । लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिनायकत्व में और राजतन्त्र मिलिट्री शासन में बदल सकता है, किन्तु इन परिवर्तनों के कारण किसी पुराने राज्य के स्थान पर नया राज्य अस्तित्व में नहीं आया करता ।"^३

यह परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि नये परिवर्तन ने नये सरकार के रूप में ही परिवर्तन किया है, अथवा परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि

१ ले-हार्डि वैली रल राड कम्पनी बनाम रूप राज्य (१६२७), २१ एफ० ३६६

२ १८ ए० जे० माई० एल० (१६२४), पृ० १२७

राज्य मे से ही भू-क्षेत्र की कटौती, आदि करके, किसी नये राज्य या नई इकाई का प्रादुर्भाव हुआ है। १९४७ के पूर्व भारत अपने अखंड रूप मे एक ही राज्य था और वे हिस्से जा अब पाकिस्तान के क्षेत्र मे हैं, भारत के ही क्षेत्र थे। किन्तु, स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरान्त देश के भू-क्षेत्र, जनता और नैतिक साधनों का विभाजन करते हुये 'पाकिस्तान' नामक एक नये राज्य का गठन किया गया। 'पाकिस्तान' उस समय से राज्य की एक इकाई है। वहाँ सरकार के प्रचारों मे बीच-बीच मे परिवर्तन होते रहे, फिर भी उस 'राज्यत्व' के पद मे इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

'सर्व क्रोट स्लोवीन किंगडम' के बाद मे 'जर्मन युगोस्लेव सम्मिलित आर्बो-ट्रल ट्रिब्युनल' ने निर्णय किया था कि यह सर्बिया-माझाज्य की ही निरन्तरता का प्रश्न है, न कि वरसाइल्स की संधि के अनुच्छेद २९७ (एच) के अर्थों मे किसी नये राज्य के अस्तित्व का प्रश्न हो। इसी प्रकार से १९१७ की क्रान्ति के बाद रूसी राज्य वही राज्य माना गया जो कि वह १९१७ की क्रान्ति के पूर्व था। दूसरी ओर, ऑस्ट्रियन रिपब्लिक प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् शान्ति-सन्धियों के परिणाम-स्वरूप इतना विभ्रंखलित हो गया था कि ऑस्ट्रियन रिपब्लिक न्यायालयों ने उसे सम्राट् वाले ऑस्ट्रिया से भिन्न एक नया राज्य माना। इसके ठीक विपरीत दूसरा उदाहरण उस समय का है, जबकि 'ओटोमन डेट् आर्बिट्रेशन' (Ottoman Debt Arbitration), १९२५ के एकमात्र विवाचक जूर्जन बोरेल (Lurgene Borel) का निष्कर्ष था कि टर्की का रिपब्लिक पूर्ववर्ती ओटोमन-साम्राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को धारण किये हुये हैं। इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों मे इस प्रसंग में कोई सामान्य परिभाषा देना कठिन है और जैसा कि गाउल्ड (Gould) का कथन है—“...Ordinarily, neither territorial changes nor changes in the form of government affect the continuity of the State. Only in exceptional cases when simultaneous territorial change and change in form of government are so fundamental that the new entity, even in the national and cultural make-up of the population, hardly resembles the old, is the continuity to be regarded as broken”

“साधारणतया, न तो क्षेत्रीय परिवर्तन और न सरकार के प्रकार मे परिवर्तन ही राज्य की निरन्तरता को प्रभावित करते हैं। केवल अपवादपूर्ण स्थितियों मे, जबकि भू-क्षेत्र और सरकार के प्रकार मे साथ-साथ परिवर्तन होते हैं, और इतने आधारभूत रूप मे होते हैं कि नई इकाई, यहाँ तक कि जनता के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक क्षेत्र मे पुरानी स्थितिसे भिन्नता आ जाने की स्थिति में रहती है तभी यह निरन्तरता टूटी

हुई कही जा सकती है ।" उपर्युक्त 'पाकिस्तान' राज्य के सम्बन्ध में यही बात कही जा सकती है ।

निर्वासित सरकार की मान्यता (Recognition of Government in Exile) :— किसी राज्य की सरकार निर्वासित तब कही जाती है जब उस राज्य का प्रदेश शत्रु की सेना के अधिकार में हो । शत्रु द्वारा किसी प्रदेश पर अधिकार यह नहीं व्यक्त करना कि निर्वासित सरकार का उस प्रदेश पर प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं है । ऐसी सरकार उस समय तक अधिष्ठित प्रदेश की सरकार मानी जाती है जब तक वह खोये हुये प्रदेश पर पुनः नियन्त्रण पाने में प्रयत्नशील रहती है । यदि युद्ध की समाप्ति तथा सन्धि-स्थापना होने पर निर्वासित सरकार खोये हुए प्रदेश पर फिर से नियन्त्रण पाने में असमर्थ रहती है तो यह अपना उस राज्य की सरकार मानी जाने का अधिकार खो देती है ।

राज्यों की मान्यता (Recognition of States) :— पहले के स्वतंत्र राज्य द्वारा यदि कोई नया राज्य-संघ बनाया जाता है, तो उस नये राज्य को अन्य राज्यों की मान्यता की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार राष्ट्रों के कुटुम्ब में सम्मिलित होने में भी यह मान्यता आवश्यक होती है । यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी राज्य को एक राज्य मान्यता दे दे, तो अन्य राज्य भी अपनी मान्यता दे दें । इतना अवश्य है कि यदि किसी राज्य को किसी बड़े और प्रभावशाली राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है, तो उससे प्रभावित होकर अन्य राज्य भी मान्यता प्रदान करने लगते हैं ।

स्टिमसन का अमान्यता सिद्धान्त (Stimson's Doctrine of Non recognition)— जून १९३२ में चीन के मन्चूरिया प्रान्त पर जापान वालों का आक्रमण हो गया । उस समय संयुक्त राज्य के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Mr. Henry L. Stimson थे । उन्होंने यह कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथ्यत (de facto) स्थिति की वैधता को नहीं स्वीकार करता और न तो यह किसी ऐसी संधि या समझौते को ही मान्यता देता है जो कि इन सरकारों या उनके अभिकर्ताओं के बीच हुआ है जो कि संयुक्त राज्य के संधि अधिकारों के बीच आये और यह कि वे ऐसी संधि किसी स्थिति, संधि या समझौते को मान्यता नहीं देते जो कि क्वेन्ट तथा वेरिन के पैक्ट (१९२०) के सिद्धान्तों के विपरीत हो जिनमें कि चीन, जापान और संयुक्त राज्य पक्षकार थे । उनका कहना था कि कोई भी परिस्थिति यदि वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करती है तो मान्यता प्रदान करने से बचकर वैध नहीं कही जा सकती । उन्होंने आगे कहा था कि "ऐसे मामलों पर एक अवरोध लगा दिया जायेगा जो कि

हम विश्वास करते हैं कि किसी स्वत्व या अधिकार की वैधता को दबाव से भंग करने में अथवा सधि के उपबन्धों के अतिक्रमण पर प्रभावकारी रूप से बाधा उत्पन्न करेगा ।” इस सिद्धान्त को मार्च ११, १९३२, को लीग आफ नेशन्स ने अपने प्रस्ताव द्वारा घोषित किया और प्रवर्तित किया ।

यह सिद्धान्त राष्ट्रीय नीति का एक कथन-मात्र है और यद्यपि इसके सिद्धान्त लीग आफ नेशन्स द्वारा मार्च १९३२ के प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों में मान लिये गये थे

“It is incumbent upon the members of the League of Nations not to recognize any situation, treaty or agreement which may be brought about by means contrary to the Covenants of the League of Nations or to the Pact of Paris ”

द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् महान् शक्तियों ने समुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा इन मान्यताओं को जो कि चार्टर के उपबन्धों के विरुद्ध हैं, अस्वीकार कर दिया है ।

स्ट्राडा का सिद्धान्त (The Estrada Doctrine).—यह सिद्धान्त मान्यता के अम्यास को किसी न किसी रूप में समाप्त कर देने का समर्थन करता है । सितम्बर २७, १९३०, को मैक्सिको के विदेश सम्बन्धी सचिव Senor Estrada ने एक घोषणा की जा कि उन्ही के नाम से पुकारी जाती है । यह घोषणा निम्न-लिखित थी :—“मैक्सिको की सरकार ने अपने भत्रियों को आदेश दे दिया है कि वर्तमान राजनीतिक उथल-पुथल से प्रभावित देशों में इस आशय का आदेश भेज दिया गया है कि मैक्सिको की सरकार मान्यता के रूप में कोई घोषणा नहीं कर रही है, क्योंकि राष्ट्र की यह व्याख्या है कि यह एक अपमानजनक अम्यास है । इसके साथ ही साथ यह दूसरे राष्ट्रों की सम्प्रभुता पर घातक होता है । इसका अभिप्राय यह होता है कि उन राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में कुछ निर्णय दूसरी सरकारें करें क्योंकि दूसरी सरकारें सम्भव है—मान्यता के पक्ष का समर्थन करें अथवा न करें और यदि समर्थन करने के स्थान पर आलोचना करती हैं तो यह प्रत्यक्षत एक हस्तक्षेप का रूप है जो कि बाहरी देशों की ओर से आता है इसलिये मैक्सिको की सरकार अपने आपको जहाँ तक उचित होगा राजनयिक अभिवर्तियों की स्थापना और प्रत्याहरण तक सीमित रखेगी और जब तक यह उचित समझेगी इस तरह के राजनयिक अभिवर्तितमक सबंध उन देशों में जारी रखेगी जो मैक्सिको से ऐसा सम्बन्ध बनाये रखते हैं । ऐसा करने में वह कोई निर्णय नहीं करेगी जो कि विदेशी राष्ट्रों के अधिकार में है कि वह अपनी सरकार या प्राधिकारियों को स्वीकार करेगी बनाये रखेगी या बदल देगी ।

Briggs (ब्रिग्स) का कथन है कि यद्यपि 'स्ट्राडा सिद्धान्त' से सरकारों की मान्यता का अभ्यास समाप्त होने का संकेत है अपेक्षा इसके कि वह मान्यता के प्रवर्तित वैध अधिकारों के लिये एक प्रस्ताव सा करता है, किन्तु इससे राजनयिक तथ्यों की समाप्ति नहीं हो जाती। पहली बात तो यह है कि यह निश्चित करना आवश्यक है कि कौन से पदाधिकारी विदेशी राजनयिक आचारों को पूरा करने या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अर्न्तगत दावा प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। दूसरी बात यह है कि कौन सी सरकार उन आचारों को स्वीकार करेगी और क्या ?

एस्ट्राडा के सिद्धान्त पर टिप्पणी करते हुये फेनविक (Fenwick) का कथन है कि यदि इसे इस रूप में माना जाय कि मान्यता अभिप्राय तथ्यत राज की नई सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आचारों की पूर्ति करने की योग्यता और इच्छा से है, और इसलिए उसे मान्यता दी जाये, या यह कि इस मान्यता से राजनयिक सम्बन्ध अविच्छिन्न ढंग से बना रहेगा, और इसके माध्यम से यह प्रकल्पना कर कि तथ्यत सरकार राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय आचारों को आवश्यकता के रूप में पूरा करती रहेगी, सयुक्त राज्य की नीति के उस कथन से भिन्न नहीं है जहाँ कि पूरा महत्व तथ्यत प्रकार की सरकार को प्रदान किया गया था। दूसरी ओर, व्यवहार के रूप में, अमेरिकी राज्यों में उत्पन्न होने वाली शक्तियों के बीच नई सरकारों के अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आचारों को पूरा करने में अपने आशय में किसी कठिनाई की कभी भी उद्घोषणा नहीं की है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक विषय सधियों की पूर्ति में सद्भावना के विषय रहे हैं।^१

यहाँ Svarlien के शब्दों में—“The Estrada Doctrine of Recognition clearly assumes that diplomats are accredited to states (than to Governments. It also recognises the clear proposition of International Law that states have a continuous existence, whereas Governments do not.” अर्थात् मान्यता का स्ट्राडा सिद्धान्त स्पष्टतः यह मानता है कि राजनयिकों का सम्बन्ध राज्यों से होता है, सरकारों से नहीं। यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इस सूत्र को भी स्पष्ट रूप से मानता है कि राज्यों का एक निरंतर अस्तित्व होता है, जब कि सरकारों का नहीं।

मान्यता की पूर्ण व्याप्ति (Retroactivity of Recognition)—यह कि कोई ऐसी सरकार किसी राज्य द्वारा उस देश की विधितः सरकार (de jure Government) के रूप में मान्यता प्राप्त करती है, जो कि क्रान्ति या विद्रोह

परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है, तो ऐसी मान्यता प्रभाव में पूर्व व्याप्ति के प्रभाव से युक्त होनी है और उस राज्य के अस्तित्व में आने की तिथि से, ऐसी मान्यता उसके समस्त कृत्यों और व्यवहारों का वैधकरण कर देनी है।^१

'सिबिल एयर ट्रांसपोर्ट इनकारपोरेटेड' बनाम सेट्टल एयर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन^२ के बाद में यह भ्रूलोकन था कि प्रथम-दृष्ट्या मान्यता (prima facie recognition) पूर्वव्यापी रूप में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों का वैधकरण के लिए व्यवहन नहीं होती, अपितु ऐसी तथ्यत सरकार के कार्यों के वैधकरण के लिए होनी है जो कि अब नई विधित सरकार बन गई है।

मान्यता की पूर्व व्याप्ति के विषय पर संयुक्त राज्य के सुप्रीम कोर्ट में 'गारटी-ट्रस्ट कंपनी न्यूयार्क बनाम युनाइटेड स्टेट्स'^३ के बाद में विचार-विमर्श किया गया था और यह भ्रूलोकन था कि "सरकार का तर्क यह है कि सावियत सरकार के कार्य की मान्यता जिसने कि अनेक प्रयोजनों के लिए यहाँ वैधकरण कर दिया है कि सरकार के पूर्वव्यापी कार्य जो कि अपने ही क्षेत्र का अन्तर्गत किये गये हैं, संयुक्त राज्य द्वारा अन्न कालीन सरकार और उससे प्रतिनिधिया की पूर्व मान्यता के सभी वैध परिणामों को दृष्टव्युत कर देते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मान्यता कभी भी प्रदान नहीं की गई थी।" किन्तु इसका तापर्य यह नहीं है कि मान्यता पूर्व-मान्य सरकार के व्यवहारों को उस सीमा तक प्रभावित नहीं करती जहाँ तक कि हमारी सरकार की उद्घोषित नीति की अनुकूलता है। हमारी सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने का मात्र प्रयोजन यह है कि हमारे राष्ट्रीय नागरिकों का परिणाममूलक ऐसा परामर्श दिया जा सके कि किन-किन सरकारी के माय वे सुरक्षापूर्वक व्यापार-संबंध स्थापित कर सकते हैं और उन सरकारी के समुचित प्रतिनिधि कौन है। यदि वे सह-सम्बन्ध, प्रविष्टि के समय वैध थे, किन्तु उत्तरवर्ती सरकार की मान्यता के उपरान्त भ्रवैष हो जाये—तो मान्यता केवल एक ऐसी निष्क्रिय औपचारिकता के रूप में रह जायेगी जो पूर्वस्थापित राजनीतिक सम्बन्धा के प्रति लाभप्रद परिणाम नहीं दे पायेगी और न तो व्यापार सम्बन्ध ही भागे बढ़ सकेंगे और उन व्यापार-सम्बन्धा को चालू रखने में हमारे राष्ट्रीय नागरिकों को कोई सुरक्षण नहीं मिल सकेगा।" तदनुसार यह निष्कर्ष था कि सावियत-सरकार की नवीन मान्यता पहल की अन्त कालीन सरकार की मान्यता के वैध परिणामों पर या उनका प्रतिनिधियों

१ Oetjca v. Central Leather Co (1918) 246 U. S. 297, 302.

२. (१९५२) २ All E. R. 733

३. (१९३८), ३०४ यू० एस० १२६, १४०.

की मान्यता के वैध परिणामों पर किसी प्रकार से अन्याय रूप में प्रभावकारी न होगी ।

मान्यता के प्रकार (Methods of Recognition) :—तत्त्वपूर्ण अथवा न्यायिक मान्यता निम्नलिखित रीतियों से दी जाती है :—

- १—सन्धि में प्रवेश द्वारा ।
- २—संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता द्वारा ।
- ३—राजनैतिक प्रतिनिधियों का 'आदान-प्रदान', भेजने तथा ग्रहण करने द्वारा ।
- ४—एकपक्षीय अथवा सामूहिक घोषणा द्वारा ।
- ५—अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश द्वारा ।
- ६—अपने वाणिज्य दूत (Consul) की नियुक्ति द्वारा ।

मान्यता के परिणाम :—नई सरकार की मान्यता से जो परिणाम होते हैं उनको ओपनहेम ने निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप रूप में लिखा है :—

(१) इसके द्वारा यह अन्य राज्यों से राजनैतिक सम्बन्ध तथा सन्धि-स्थान की क्षमता प्राप्त कर लेता है ।

(२) सीमाओं के भीतर दो राज्य (यह मानते हुए कि यह पुराना राज्य है, न कि एक नया राज्य) के बीच पूर्व-स्थापित संधियाँ स्वतः पुनर्जीवित तथा प्रवृत्त हो जाती हैं ।

(३) इसको इसके द्वारा वह अधिकार प्राप्त हो जाता है जो इसे किसी प्रकार से अंग्रेजी विधि द्वारा पहले प्राप्त न था । वह मान्यता प्रदत्त करने वाले राज्य के न्यायालयों में दावा कर सकता है ।

(४) इसके द्वारा यह अपने लिए तथा अपनी सम्पत्ति के लिए उसको मान्यता प्रदत्त करने वाले राज्य के न्यायाधिकारियों के अधिकार-क्षेत्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है ।

(५) इसको मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सम्पत्ति पर जो कि पहले पूर्ववर्ती सरकार की उसके अलग होने के समय की कब्जा माँगने तथा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है ।

(६) मान्यता बीती हुई घटना पर प्रभावकारी होने के कारण तथा उस दावा से आरम्भ होने के कारण जिस तिथि को नई मान्यता प्रदत्त सरकार ने अपना अधिकार स्थापित किया, इसका प्रभाव यह होता है कि यह मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के न्यायालयों को उस सरकार के पिछले तथा भागामी, वैध तथा

प्रशासकीय कार्यों की वैधता अथवा मान्यता पर प्रश्न उठाने से रोक देती है। अतः यह जहाँ तक उन न्यायालयों का सम्बन्ध है कुछ सम्पत्ति के हस्तान्तरणों तथा अन्य व्यापारों को वैध बना देती है जिनको वे मान्यता प्रदत्त होने के पूर्व कर सकते थे।

अमान्य राज्यों की अर्हतायें (Disabilities of Unrecognised States) :—अमान्य राज्य अथवा सरकार की वैध अर्हतायें निम्नलिखित हैं :

(१) जिस राज्य ने इनको मान्यता प्रदान न की हो उसके न्यायालयों में यह दावा नहीं कर सकता। *Russian Socialist Federated Soviet Republic v. Cibrario* (235 New York Court of Appeals, 255) में यह निरूपित है कि विदेशी शक्ति को अमेरिकन न्यायालयों में दावा करने का प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ऐसा करने का इसका अधिकार शिष्टाचार से जनित है और जब तक ऐसी सरकार को सशुक्त राष्ट्र सभ द्वारा मान्यता प्रदान न की जाय कोई शिष्टाचार विद्यमान नहीं रहता।

(२) इसके प्रतिनिधि विदेशी राज्यों में वैध प्रवृत्ति से मुक्ति का दावा नहीं कर सकते।

(३) इसको अन्य राज्यों से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा उनसे सन्धि करने की क्षमता नहीं प्राप्त होती।

(४) मान्यता अग्रदत्त राज्य को देय सम्पत्ति उलटे हुए राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा वास्तव में प्रत्युद्धृत की जा सकती है।

मान्यता और लीग (Recognition and the League)—यह स्वीकार किया गया था कि लीग ऑफ नेशन्स की सदस्यता के लिए किसी राज्य की प्रविष्टि से ही मान्यता अन्तर्निहित हो जाती है। वर्ष १९३५ में लक्षेमबर्ग के कामिश्नियल ट्रिब्युनल का सोवियत सभ बनाम लक्षेमबर्ग और सार कम्पनी के वाद में अवलोकन था कि 'लीग ऑफ नेशन्स' में सोवियत रूस के प्रवेश पाने में ही लक्षेमबर्ग द्वारा सोवियत सरकार की मान्यता अन्तर्निहित है। किन्तु, इस नियम का अनुपालन समरून में सभी प्रसंगों में नहीं किया गया और स्विटजरलैंड तथा बेल्जियम ने यहाँ तक कि रूस की सरकार को 'लीग ऑफ नेशन्स' में प्रवेश पा जाने के उपरान्त भी मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया। फिर भी बहुमत इस पक्ष का रहा कि एक बार यदि कोई राष्ट्र किसी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी सस्था का सदस्य मान लिया जाता है, तो उसमें राज्यत्व के पद का सामान्यतः आरोप किया जा सकता है।

मान्यता तथा संयुक्त राष्ट्र संघ :—संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के अनुच्छेद ४ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता उन शान्तिप्रिय राज्यों के लिए खुली हुई है जो चार्टर के कर्तव्यों को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार का प्रवेश सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव पर सामान्य सभा के निर्णय द्वारा होता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई मान्यता अर्पित राज्य भी सदस्यता में प्रविष्ट किया जा सकता है। इसका सक्षित उत्तर यह है कि राज्य को संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता में प्रविष्ट करने से ही वास्तविक अथवा न्यायानुसार मान्यता प्रदत्त हो जाती है। जो ही कोई राज्य संयुक्त राष्ट्र सभ का सदस्यता ग्रहण करता है, चाहे अन्य राज्यों द्वारा उसे मान्यता प्रदत्त की गई हो अथवा नहीं, तब ही वह वास्तविक अर्थपर द्वारा स्थापित सब कर्तव्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य सिद्धान्तों के अधीन हो जाता है। सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर सामान्य सभा द्वारा राज्य के संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता में प्रवेश किये जाने का परिणाम यह होता है कि उसको संयुक्त राष्ट्र सभ के सब सदस्य राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से मान्यता मिल जाती है। इसमें सम्बन्धित राज्यों की सामूहिक इच्छा का समावेश है।

इस प्रकार की मान्यता के प्रत्याहरण के सम्बन्ध में चार्टर के अनुच्छेद ६ में यह व्यवस्था की गई है कि संयुक्तराष्ट्र संघ का जो सदस्य चार्टर के सिद्धान्तों का उल्लंघन करने का हठ करे, उसे संघ की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया जाय।

युद्ध-संलग्नता (Belligerency) की दशा में मान्यता :—जब किसी देश में राज-विद्रोह अथवा विप्लव होता है तो बाह्य शक्तियाँ उस देश के घरेलू मामलों में सामान्यतः तटस्थता का व्यवहार रखती हैं। फिर भी प्रायः ऐसा भी सम्भव है कि दूसरे राज्यों के लिए तटस्थता का व्यवहार रखना असम्भव हो जाय। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो इस कारण से कि विप्लवकारी शक्ति प्राप्त कर चुके हों या उनके तथा मूल सरकार के मध्य युद्ध एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया हो जब कि बाहरी शक्तियाँ इसे केवल परस्पर का बल ही न मानें परन्तु उसमें उनके विनाश के लक्षण दिखाई पड़ते हों। बलह-स्थित राज्य तथा बाहरी शक्तियाँ या तो देश की स्थिति व कारण अथवा वाणिज्य या व्यापारिक सम्बन्धों के कारण परस्पर इनमें सम्बद्ध हो सकते हैं कि एक देश का युद्ध प्रताप परिणाम दूसरे देश में अक्षय्य डालता हो। ऐसी दशा में राजनैतिक समुदाय जो एक स्वतन्त्र राज्यत्व प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनका बहनुतः (De facto) मान्यता प्रदान कर दी जाती है किन्तु यह मान्यता युद्ध की स्थिति के लिए ही होती

है और बाद में आवश्यक होता है कि या तो उनको नियमानुसार सदस्यता में प्रविष्ट कराया जाय या फिर नियमानुसार अधीनस्यता में वापिस लाया जाय ।

युद्ध सलग्नता की मान्यता से केवल इस बात का निश्चय होता है कि राज-द्रोही अपने द्वारा अधिकृत प्रदेश पर आधिपत्य प्रयोग करने की स्थिति में हैं । इसमें मूल-राज्य को क्रुद्ध होने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता और न इस मान्यता से तटस्थता का ही उल्लंघन हाता है ।

ब्रिटिश प्रचलन यह है कि विद्रोहियों द्वारा केवल इस बात की उद्घोषणा कर दिया जाना, कि उन्होंने एक अन्त कालीन सरकार (Provisional Government) का गठन कर लिया है युद्धसलग्न मान्यता के लिए पर्याप्त नहीं है । यह तभी संभव है जब कि नवगठित इकाई इतनी शक्ति और सरकार समोजित कर ले कि वह विदेशी राज्यों से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाये रख सके । मान्यता प्रदान करने वाला राज्य ऐसे तटस्थ अधिकारी के लिये अधिकृत हो जाता है जो कि प्रतिद्वन्दी पक्षकारों से मान्य होते हैं । इस प्रकार की मान्यता से युद्ध-सलग्न पक्ष भूमि, जल और नभ-क्षेत्र में आक्रामक या घुसपैठ की सजा से मुक्त हो जाते हैं ।

युद्ध-सलग्नता की मान्यता युद्ध में लगे हुये लोगों को युद्ध के प्रयोजनों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्रदान करती है । यद्यपि राजदूतों का आदान-प्रदान अथवा सन्धि स्थापन नहीं होता तथापि वाणिज्य व्यापार सम्बन्धी हितों के संरक्षणार्थ वाणिज्य-दूतों का विनिमय होता है । मान्यता प्रदान करने वाला राज्य अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विद्रोही सरकार के झुंडे को भी मान्यता प्रदान करता है ।

परन्तु युद्ध-सलग्नता की मान्यता उस देश की वैध स्थापित सरकार की मान्यता से भिन्न है । युद्ध-सलग्नता की मान्यता से केवल उस मान्यता को देने वाले और उस मान्यता को प्राप्त करने वाले का परस्पर हित होता है । देश की वैध सरकार द्वारा दी गई मान्यता एक पूर्ण-कार्य है और इससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की वैध सदस्यता प्राप्त हो जाती है ।

युद्ध सलग्नता की मान्यता का प्रश्न सरकार के उस प्रशासकीय विभाग से सम्बन्धित है जिसकी घोषणा न्यायालय पर बन्धनकारी है । ऐसी मान्यता एक नीति का प्रश्न हुआ करती है न कि विधि का । यह कई बातों पर आश्रित है जैसे क्या युद्ध में प्रवृत्ति रखने वाले समुदाय में एक संगठित सरकार है जिसमें युद्ध को स्वीकृत नियमों तथा रीति के अनुसार चालू रखने की क्षमता है ? क्या उस समय वास्तव में युद्ध वर्तमान है ? और क्या मान्यता प्रदत्त करने वाले राज्य के हित युद्ध छिड़ने से प्रभावित हो रहे हैं ?

विप्लवकरियों को युद्ध-संलग्नता की मान्यता केवल युद्ध के प्रयोजनों के लिए प्रदान की जाती है और यह उनको कोई अन्य अधिकार प्रदान नहीं करती।

युद्ध-संलग्नता वाले राज्य जब अपनी स्थिति संघटित कर लेते हैं तो उनके स्वतन्त्र-राज्य के रूप में मान्यता दे दी जाती है। चांग काई शेक की राष्ट्रीय सरकार के फारमोसा को बहिष्कृत किये जाने के उपरान्त भारत, रूस, ग्रेट ब्रिटेन तथा कुछ अन्य राज्यों द्वारा माओ से तुंग की लाल चीन को सरकार को मान्यता प्रदान किया जाना उपरोक्त का उदाहरण है।

युद्ध संलग्नता की मान्यता के सम्बन्ध में एक दृष्टान्त दिया जा सकता है। अमेरिका के कमिश्नर नेल्सेन (Commissioner Nielsen) ने Oriental Navigation Co. के विवाद में General Claims Commission के सामने अपने विचार व्यक्त किये थे। यह विवाद मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच था। उनका कहना था कि तथाकथित रूप में युद्ध संलग्नता की दशा में सरकार की ओर से किसी राज्य की मान्यता यदि एक नये राज्य के रूप में है तो इसके अन्तर्गत बहुत से राजनीतिक विचार उठ खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध-स्थित राज्यों के लिए वही मान्यता न्यायिक हो सकती है जिसे हम लोक युद्ध (Public War) कह सकते हैं। जब तक कि गृह-युद्ध को लोक-युद्ध न कह लें तब तक युद्ध-संलग्न पक्षकारों में राजनीतिक समुदाय को वास्तविक (de facto) शक्ति का होना आवश्यक है और राज्य क्षेत्र जनता हित आदि के प्रसंग में उसे एक स्वतन्त्र इकाई होना चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि यह भी आवश्यक है कि तटस्थ राज्यों और उनके नागरिकों के हित भी ऐसी मान्यता के पूर्व प्रभावित होने चाहिये।

युद्ध-संलग्नता की मान्यता में एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय इकाई उत्पन्न करने की क्षमता है जिसमें स्वतन्त्र-राज्यों के सभी अधिकार और कर्तव्य सन्निहित होते हैं। किन्तु इसका सम्बन्ध युद्ध तक ही होता है। मान्यता-प्रदान करने वाला राज्य तटस्थता की स्थिति में होते हुये भी युद्ध में लगे हुए पक्षकारों को युद्ध-संलग्नता की मान्यता प्रदान करता है। इससे उस नये राज्य को मान्यता देने वाले राज्य की सीमा में समुद्री जहाजों को ले जाने, समुद्र में दूसरे जहाजों का निरोधन करने और तलाशी लेने और श्रवण सामानों के ले जाने से रोकने आदि के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता युद्ध में लगे हुये समुदाय को और पैनुक राज्य को युद्ध के सम्बन्ध में समान अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व प्रदान करते हैं।

हम कह सकते हैं कि युद्ध-संलग्नता के अधिकार द्वारा मान्यता देने वाले और मान्यता प्राप्त करने वाले दोनों को सुविधायें मिलती हैं।

राज्य प्रतिरोध (Insurgency)—ऐसा भी सम्भव है कि एक गृह-युद्ध बाहरी शक्तियों द्वारा युद्ध-सलग्नता की दशा तक न पहुँचे। सम्भव है कि क्रान्तिकारी दल किसी सगठित प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य न कर रहा हो या युद्ध के लिए मान्य नियमों का पालन न कर रहा हो। ऐसी स्थिति में अन्य राज्यों द्वारा उन क्रान्तिकारियों को एक विचित्र अथवा अनियत प्रकार की मान्यता (precarious form of recognition) प्रदान की जा सकती है, जैसे राज्य प्रतिरोधक की स्थिति, उन्हें कानून तोड़ने वालों के रूप में न मान कर अधिकृत क्षेत्र के वास्तविक प्राधिकारियों के रूप में मानना।

राज्य प्रतिरोध की मान्यता के लिए निम्नलिखित शर्तें हो सकती हैं :—

(१) यह आवश्यक है कि राज्य प्रतिरोधक एक निश्चित भू-भाग पर अधिकार कर चुके हो।

(२) उस राज्य की बहुमत की जनता उस राज्य प्रतिरोधक शक्ति के पक्ष में हो। यहाँ यह आवश्यक है कि जनता का यह सहयोग उनकी स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भर हो न कि किसी दबाव पर।

(३) राज्य प्रतिरोधक शक्ति में इस बात की क्षमता और इच्छा हो कि वे अन्तर्राष्ट्रीय आभारों को वहन कर सकें।

युद्ध प्रतिरोधक स्थिति की मान्यता एक नये राज्य की मान्यता नहीं कही जा सकती और न उसे सभी प्रकार के वैध अधिकार ही दिये जा सकते हैं। इसे युद्ध-सलग्नता की स्थिति भी नहीं कह सकते।

गार्नर (Garner) के अनुसार राज्य प्रतिरोध की स्थिति सम्बन्धित मान्यता के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं :—

युद्ध में सलग्न दोनों पक्षों को युद्ध संलग्नता की मान्यता दे दी जाती है और इस मान्यता से उन्हें कुछ ऐसे अतिरिक्त अधिकार मिल जाते हैं जो इसके पूर्व नहीं मिले होते किन्तु मान्यता प्रदान करने वाला राज्य, प्रतिरोध करने वाले दोनों पक्षों की ओर से कोई नया अधिकार नहीं प्राप्त करता। उसकी स्थिति दोनों पक्षों की ओर से तटस्थ की स्थिति हो जाती है। यही नहीं बल्कि उसे अपने एक अधिकार को खोना भी पड़ता है। मान्यता प्रदान करने के पूर्व वह उस सरकार का जिसे कि वैध मानता, दूसरे पक्ष के विरोध में पहले सहायता कर सकता था किन्तु मान्यता प्रदान करने के बाद उसे इन दोनों पक्षों को समान रूप से देखना होगा। अब वह यदि किसी पक्ष को सहायता करता है तो वह तटस्थता की नीति का उल्लंघन करता है।

स्वाजेनबर्जर (Schwarzenberger) के अनुसार राज्य-प्रतिरोध (Insurgency) की मान्यता और युद्ध-सलग्नता (Belligerency) की मान्यता में श्राशय का अन्तर है कि युद्ध-सलग्न पम्कारो को ही जल या नभ-क्षेत्र में युद्धसलग्न के कृत्यो को मान्यता मिल सकती है, इसके अन्यथा नहीं ।

सह-युद्ध-संलग्नता (Co-belligerency):—प्रथम विश्व-युद्ध में सहाय शक्तियो ने जेकोस्लोवाक् और पोलिश नेशनल आर्मीज को स्वायत्त्वपूर्ण की सहाय और सह-युद्ध सलग्न (Allied and Co-belligerent) की मान्यता दी । सयुक्त राष्ट्रो ने द्वितीय विश्वयुद्ध में ऐसे इटालियन सैन्य को सह-युद्ध-सलग्नता के अधिकार स्वीकृत किये थे जो कि शत्रु के विश्व सयुक्त राष्ट्रो के साथ युद्धरत थे । इस रूप में उन्हें किसी भी मान्य राज्य के समस्त सैन्य-शक्ति सम्बन्धित अधिकार प्राप्त थे ।

अध्याय ६

राज्य उत्तराधिकार

(State Succession)

जब एक राज्य का प्रदेश उसके प्रभुत्व से दूसरे के प्रभुत्व में चला जाता है तो इसे राज्य का उत्तराधिकार कहा जाता है । वह राज्य जिसका प्रदेश अन्य राज्य को चला जाता है पूर्वधिकार राज्य (Predecessor State) कहलाता है और जिस यह उत्तराधिकार में प्राप्त होता है उत्तराधिकारी राज्य (Successor State) कहलाता है । Oppenheim के शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं.—A succession of International Persons occurs when one or more International Persons take the place of another International Person in consequence of certain changes in the latter's conditions (International Law—8th Ed. p 157) अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों को उत्तराधिकार उस समय होता है जब कि एक या एक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति का रूप ले लेते हैं और बाद के व्यक्ति में कुछ निश्चित परिवर्तन हो जाते हैं ।

एक राज्य को दूसरे राज्य का उत्तराधिकार उसके कुछ निश्चित दू-भाग पर आधिपत्य प्राप्त कर लेने से मिल सकता है । एक राज्य एक से अन्य छोटे-छोटे दो या दो से अधिक राज्यों में बट सकता है । या लुप्त होने वाले राज्य के सब

पर दूसरे नये राज्य उत्पन्न हो सकते हैं, जैसा कि प्रथम विश्वयुद्ध में आस्ट्रो-हंगेरियन एकतन्त्र में देखा गया था। इसी प्रकार का विभाजन द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मन रीश के भू-भाग में भी देखा गया था। एक राज्य दूसरे राज्य में अपनी इच्छा से सन्धि के आधार पर प्रविष्ट हो सकता है, या किसी एक राज्य द्वारा उसका भू-भाग बलपूर्वक छीना जा सकता है; या कई राज्य मिलकर किसी एक राज्य के भू-भाग का अपहरण कर सकते हैं। वागो का स्वतन्त्र राज्य १६०८ में अपनी स्वतन्त्रता खोकर बेल्जियम में मिल गया था, १६१० में कोरिया जापान का अंग बन गया था और इसी प्रकार १६०१ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा आइरेज के स्वतन्त्र राज्य और दक्षिणी अफ्रीका के गणराज्य पर विजय प्राप्त किया गया था। एक राज्य का भू-भाग किसी उत्पन्न होने वाले नये राज्य के सन्धि के द्वारा हासिल हो सकता है, या ऐसा भी सम्भव है कि किसी राज्य का कोई भू-भाग अलग होकर एक नये राज्य का रूप ले ले, जैसे स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का भू-भाग पृथक् होकर पाकिस्तान के नये राज्य के रूप में बदल गया।

उत्तराधिकार प्रारम्भिक रूप में वैयक्तिक विधि (Private Law) का सिद्धांत है और इसके अन्तर्गत राज्य में राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं। उत्तराधिकार दो प्रकार के होते हैं :-

सार्वदेशिक उत्तराधिकार (Universal Succession)—सार्वदेशिक उत्तराधिकार उस दशा में होता है :-

(१) जब एक राज्य अन्य राज्य द्वारा समामेलन अथवा विजय के परिणामस्वरूप अपने में पूर्णरूप से समाविष्ट कर लिया जाता है, जैसे दक्षिणी अफ्रीका प्रजातन्त्र का समामेलन ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सन् १६०१ में, कोरिया का जापान द्वारा सन् १९१० में तथा एबीसीनिया का इटली द्वारा सन् १९३६ में।

(२) जब बहुत से राज्य एक सघोय राज्य अथवा सघ में मिलने को सहमत हो जाते हैं जिस प्रकार सन् १८७१ में जर्मनी के राज्य जर्मन साम्राज्य बनाने के लिए परस्पर सङ्गुक्त हो गये, इसी प्रकार २२ फरवरी, १९५८ में सङ्गुक्त अरब गणतन्त्र बनाने के लिए इजिप्ट और सीरिया तथा बाद में २ मार्च, १९५८ में ईमेन विलयित हो गये, या जैसे १४ फरवरी १९५८ में अरब सघ राज्य में जार्डन और ईराक का विलयन हुआ था।

(३) जब एक या अधिक राज्य बनाये जाते हैं अथवा एक या अधिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति अन्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति का स्थान पहले एक राज्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के विभाजन द्वारा ग्रहण करते हैं और प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य उत्तराधिकारी राज्य होता है।

आंशिक उत्तराधिकार (Partial Succession)—आंशिक उत्तराधिकार निम्न दशा में होता है :—

(१) उत्तराधिकार द्वारा, जब किसी प्रदेश का एक भू-भाग पेशिक राज्य से अलग हो कर अन्य राज्य बन जाता है और इसके द्वारा वह अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का पेशिक राज्य ग्रेट ब्रिटेन से सन् १७७६ में पृथक होना ।

(२) परित्याग अथवा विजय द्वारा, जब एक राज्य अन्य राज्य के प्रदेश के एक भाग को प्राप्त कर लेता है और उस परित्याग किये हुए भाग पर पूर्णसत्ता-धिकार ग्रहण कर लेता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में कैलीफोर्निया का परित्याग सन् १८४७ में ।

(३) अंग विच्छेद द्वारा, जब कि एक पूर्ण प्रभु-सत्ताधारी राज्य अपनी स्वतन्त्रता आंशिक रूप से संघीय राज्य में संयुक्त किये जाने से अथवा एक अधिक शक्तिशाली शक्ति के आधिपत्य अथवा संरक्षण में आने से खो देता है, अथवा जब एक अपूर्ण सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य अर्थात् एक अधिपति अथवा संरक्षित राज्य अथवा संघीय राज्य का कोई सदस्य पूर्ण सर्वोच्चसत्ताधारी हो जाता है । उदाहरणार्थ सन् १९३८ में म्युनिच नियमपत्र के परिणामस्वरूप जेकोस्लोवाकिया का विच्छेद ।

राज्य उत्तराधिकार के परिणाम

संधि-अधिकार और कर्त्तव्य (Treaty Rights and Obligations):— अधिकार तथा कर्त्तव्य जो उत्तराधिकारी राज्य को प्राप्त होते हैं, उत्तराधिकार के ढंग पर निर्भर हैं । सर्वव्यापी उत्तराधिकार की दशा में जब एक राज्य स्वेच्छा से दूसरे राज्य में सम्मिलित हो जाता है अथवा जब वह अन्य राज्य द्वारा अधीनस्थ किया जाता है, तो उत्तराधिकारी राज्य वही अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति बना रहता है, परन्तु पूर्वाधिकारी राज्य जो सम्मिलित हुआ है अथवा अधीनस्थ किया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में पूर्णतः लुप्त हो जाता है । राजनैतिक सन्धियाँ तथा सम्बन्ध और उनके अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अधिकार तथा कर्त्तव्य व्यक्तित्व की सारभूत अविच्छिन्नता के अभाव में लुप्त तथा अवैध हो जाते हैं और उत्तराधिकारी राज्य अन्तर्धान हुए राज्य के ऐसे अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त करता । वाणिज्य, नौचालन तथा प्रत्यर्पण सम्बन्धी सन्धियों के सम्बन्ध में मतेष्य यह है कि वे उत्तराधिकार के अधीन नहीं हैं । इसके विपरीत राज्य-समानत्व की सन्धियाँ पूर्ण प्रभाव के साथ उसके द्वारा प्राप्त नये क्षेत्रों पर लागू होती हैं ।

दो राज्यों के सम्मिलन में प्रायः पूर्ववर्ती संधियाँ अपने मूल रूप में प्रवर्तित मानी जाती हैं। इनका प्रवर्तन उस समय तक उचित माना जाता है, जब तक कि वे सध राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच द्वन्द्व नहीं उत्पन्न करती। किन्तु यदि सम्मेलन इस प्रकार का होता है कि प्रभुसत्ता के बँटवारा का प्रश्न नहीं आता, तो प्रायः सधि-प्रधिकार और कर्तव्य लुप्त हो जाते हैं।

यदि बहुत से राज्य मिलकर एक सध स्थापित करते हैं, तो सभी संधियाँ जिसके वे पक्षकार थे, समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह का परिणाम उस समय भी होता है, जब कि एक राज्य को छिन्न-भिन्न करके अनेक राज्य उत्पन्न हो जाते हैं।

व्यक्तिगत संधियाँ जो कि अनन्य प्रकार से सविदा करने वाले पक्षकारों के व्यक्तिगत से सम्बन्धित हैं, जैसे सम्बन्ध स्थापन, पचायत अथवा तटस्थता की संधियाँ, आदि। ये संधियाँ उस कुटुम्ब के लुप्त होने पर समाप्त हो जाती हैं और इनके सम्बन्ध में कोई उत्तराधिकार नहीं होता।

व्यक्तिगत संधियाँ, जिनका कि एकान्तिक रूप से किसी सविदा में सम्मिलित होने वाले पक्षकारों से व्यक्तिगत संबंध है, जैसे मैत्री-संधियाँ (treaties of alliances), विवाचन (arbitration) या तटस्थता (neutrality), परिवार की समाप्ति और उत्तराधिकार की धूम्यता की स्थिति में समाप्त हो जाती हैं। जहाँ तक वाणिज्य संधियों (Treaties of Commerce), नौबालन (navigation) और प्रत्यर्पण (extradition) का सम्बन्ध है, यह सर्वथा उस राज्य पर निर्भर करता है, जो कि उसे अपने में मिला रहा है, कि क्या वह उन संधियों के उपबन्धों का अनुगमन करने को तैयार है, अथवा उसका प्रत्याख्यान (repudiate) करता है। इस बात पर मतैक्य है कि ये संधियाँ उत्तराधिकार के अधीन नहीं हैं।

तेरल्लिंडन बनाम एम्स^१ के वाद में सयुक्त राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया था कि सयुक्त राज्य एवं प्रशा के बीच सपक्ष की गई प्रत्यर्पण-सधि, जो कि जर्मन साम्राज्य के गठन के पूर्व की गई थी, इस गठन के उपरान्त भी इस आधार पर व्यवहार में प्रवर्तित रही कि सधि को जर्मनी ने अधिकारिक रूप से मान्य कर लिया।

विधि-नियामक संधियों के सम्बन्ध में राज्य-उत्तराधिकार.—परंपरागत विचार यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का एक नया सदस्य सधि आभारों के सम्बन्ध में एक कोरी पटिया से आरम्भ करता है, छूट यदि है तो केवल उन संधियों के प्रसंग में जो स्थानीय आधार उत्पन्न करती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय विधि की रूढ-विधियों के प्रवर्तन में भी यही छूट रहती है।

१. Terlinden v. Ames, 184 U. S. 270.

संधियों के प्रसंग में, कोरीपट्टिया (clean slate) होने के प्रसंग में विद्वानों में कुछ मतभेद है। क्लियातिबियन (Klatibian) का विचार है कि वे संधियाँ जिनकी उपयोगिता समान है, प्रवर्तित रहती हैं, जैसे पोस्टल, टेलीग्राफिक, और टेलीफोन अगिसमय, घायलो की देखरेख सम्बन्धी जेनेवा कन्वेंशन, गुलाम व्यापार के विनाश सम्बन्धित वुसेल्स कन्वेंशन आदि।

ह्यूबर (Huber) का कथन है कि किसी पुराने राज्य से विभाजित होकर नये राज्य के बनने में, सभी संधियाँ प्रत्यावर्तित हो जाती हैं, यहाँ तक कि बाह्य संधियों का भी प्रत्यावर्तन हो जाता है, किन्तु संधियों तथा गारंटियों में ऐसा नहीं होना। ह्यूबर तो यहाँ तक कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को जीन लेने के प्रसंग में भी सिद्धान्ततः संधियों के प्रत्यावर्तन को स्वीकार करते हैं।

दूसरी ओर ऐसे भी विद्वान हैं जिनकी सम्मति है कि इस प्रकार की संधियों के लुप्त हो जाने के बहुत से साक्ष्य उपस्थित हैं कीथ (Keith) का विचार है कि बिजेता अथवा उत्तराधिकारी राज्य को किसी भी सन्धि का उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होता। जब कि नव-निर्मित राज्य अपने पूर्वाधिकारी राज्य की ही भाँति अथवा पक्षकारों से व्यवहार करने लगता है, तो वह परोक्ष या प्रकट रूप में उन पक्षकारों से एक प्रकार की नई सन्धि में प्रविष्ट होने लगता है। नया राज्य अपने पेटुक राज्य की संधियों पर ज्यों का त्यों चलने का अधिकारी नहीं है।

मैकनेयर (McNair) ब्रिटिश पद्धति को सक्षिप्त करते हुए लिखा है कि "It is believed to be the view of the United Kingdom Government that the general position governing the treaty position of truly new States is that newly established States which do not result from political dismemberment and cannot fairly be said to involve political continuity with any predecessor, start with a clean slate in the matter of treaty obligations" अर्थात् "ऐसा विश्वास किया जाता है कि युनाइटेड किंगडम की सरकार का यह विचार है कि वास्तविक नये राज्यों की संधि स्थिति को नियंत्रित करने वाली सामान्य परिस्थिति यह है कि नये स्थापित राज्य, जो राजनीतिक असदस्यता के परिणाम से उत्पन्न हैं, और जिनके विषय में यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनमें राजनीतिक निरंतरता किसी पूर्ववर्ती राज्य से संधि-ग्रामारों के प्रसंग में त्रिलकुन नये सिरे से आरम्भ करते हैं।"

क्रैंडल (Crandall) ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित पद्धति को निम्न प्रकार सक्षिप्त किया है— "A State formed by separation from another State whether the personality of the original State still exists or is completely extinct"

tely lost by disintegration, succeeds to such treaty-burdens of the parent State as are permanent and attached to the territory embraced in the new State.' "बोई ऐसा राज्य, जो कि किसी दूसरे राज्य से पृथक् होकर गठित हुआ है, तो भले ही पैतृक राज्य का अस्तित्व अब हो, या विभाजन के कारण सर्वथा लुप्त हो गया हो, पैतृक राज्य की ऐसी संधियों के आभारों का उत्तराधिकारी है जो कि स्थायी ढंग की रही हैं और नये राज्य के राज्य क्षेत्र से सलग्न हैं।"

अमेरीकी विद्वानों, जैसे हॉल (Hall), हॉलैंड (Holland), ओपनहेम (Oppenheim) और ब्रायली (Brierly) ने कोरी पटिया (clean slate) के नियम का समर्थन किया है, किन्तु वेस्टलेक (Westlake) ने विपरीत विचार प्रकट किया है। अमेरिकी विद्वान व्हीटन (Wheaton), टेलर (Taylor), हर्शी (Hershey) और फेनविक (Fenwick) ने भी उपर्युक्त कोरी पटिया के नियम का समर्थन किया है, जब कि केन्ट (Kent), फील्ड (Field), हॉलेक (Halleck) और वूल्से (Woolsey) ने विपरीत विचार अपनाया है।

ऐसा कि ऊपर कहा जा चुका है, संधियाँ प्रायः ऐसी सायोगिकताओं के लिए उपबन्ध करती हैं। जब कि बर्मा १९३७ में भारत से पृथक् हुआ था, यह स्वीकार किया गया था कि बर्मा ऐसे सभी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-अभिसमयों (International Labour Conventions) के आभारों को भंग करने के लिए बाध्य होगा जिनमें कि वह भारत के अंग के रूप में उपस्थित रहा है।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, १९४७, में भी भारत और पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों और आभारों की नियुक्ति के उपबन्ध थे। समस्त अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों की सदस्यता, समस्त अधिकारों और आभारों सहित भारत को प्राप्त हुई, ऐसे अधिकार और आभार जिसका कि एकान्तिक रूप से भारत या पाकिस्तान की क्षेत्रीय व्यवहारिता से सम्बन्ध था, क्रमशः भारत और पाकिस्तान अधिराज्यों को मिले। इनके अतिरिक्त अन्य सभी अवशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्तव्य दोनों अधिराज्यों को प्राप्त हुये।

सदस्यता (Membership) :—यह निश्चित है कि अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों की सदस्यता और उनसे उत्पन्न प्रासंगिक आभार या कर्तव्य उत्तराधिकारी राज्य में प्रत्यावर्तित नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य पूर्ववत् बना रहा, किन्तु पाकिस्तान को ३० सितम्बर १९४७ को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक नये राज्य के रूप में सदस्यता प्राप्त हुई।

भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन (Separation of India and Pakistan) :—ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम

सन् १९४७ के विधायन के अनुसार भारत को दो स्वतन्त्र अधिराज्यो अर्थात् भारत तथा पाकिस्तान मे खडित कर दिया गया । दोनो राज्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार तथा कर्त्तव्यों के अधिकार देने के सम्बन्ध मे यह स्वीकृत हुआ कि सब अन्तर्राष्ट्रीय सघो की सदस्यता ऐसी सदस्यता से सलग्न अधिकार तथा कर्त्तव्यों सहित केवल भारत के अधिराज्य पर अन्तरित होगी और यह कि अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन अधिकार तथा कर्त्तव्य जो अनन्य प्रकार से प्रदेश के केवल एक विशिष्ट भाग पर ही लागू है, उस अधिराज्य पर अन्तरित होंगे जिसमे वह क्षेत्र पडता है ।

भारत के दो उपखंडो मे विभाजित होने के परिणामस्वरूप (भारत का एक भाग विभिन्न होकर एक नया राज्य होने पर) उत्पन्न हुए दो राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार स्थिति के सम्बन्ध मे भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति मे कोई परिवर्तन नही हो सकता था । यह एक राज्य के रूप मे सन्धियों के संपूर्ण अधिकार तथा कर्त्तव्यों सहित बना रहा । विच्छिन्न होने वाला प्रदेश पाकिस्तान एक नये राज्य के रूप मे आया जिसको पुराने राज्य के कोई सन्धि के अधिकार तथा कर्त्तव्य नही थे । संयुक्त राष्ट्र सघ के ऐसिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने यह कहा कि उनकी समिति मे इस प्रश्न पर इसकी स्थिति आइरिश फ्री स्टेट के ग्रेट ब्रिटेन से और बेल्जियम के नीदरलैंड से पृथक् होने के अनुरूप है । इन अवस्थाओ मे वह भाग जो पृथक् हुआ एक नया राज्य माना गया और शेष वर्तमान राज्य के रूप मे अपने पूर्ववर्ती अधिकारो तथा कर्त्तव्यों के सहित बना रहा ।

ऐसिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की इस स्पष्ट सम्मति के विचार से खडित होने की दशा मे भी भारत समुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना रहा और पाकिस्तान एक नये राज्य के रूप में सितम्बर ३०, सन् १९४७, को समुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता मे प्रविष्ट हुआ ।

किसी राज्य के संविधान या राज्य की सीमा के बदल जाने का प्रभाव:—यह एक सामान्य नियम है कि समुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य की सदस्यता केवल इसलिए नही लुप्त हो जाती कि उसका संविधान या उसकी भूमि-सीमाएँ बदल गई हैं । इसी प्रकार उनके अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्त्तव्य भी उन्हीं के त्यों बने रहते हैं । नवीन सदस्यता उस राज्य को प्राप्त करनी होती है, बिना नया निर्माण होता है ।

लोक-सम्पत्ति तथा लोक अधिकार :—जब एक राज्य अन्य राज्य का वास्तविक रूप से उत्तराधिकारी होता है तो वह लुप्त हुए राज्य के सम्पूर्ण स्वामित्वाधिकारों को उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त करता है । राज्य की सम्पत्ति तथा

राजस्व कोष उत्तराधिकारी राज्य को चले जाते हैं। उत्तराधिकारी-राज्य विजित राज्य के सब पावनों को लेता है जिनमें ऐसे पावने भी सम्मिलित हैं जैसे राजकीय कोष, बाह्य लगाई हुई पूंजी और चल तथा अचल सम्पत्ति। यह बदले हुये सरकारों को देय करों से समाहरण का अधिकार भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे स्थानीय विषयों जैसे नदियाँ, सड़क तथा रेल इत्यादि के सम्बन्ध में भी अन्तर्हित राज्य के अधिकारों को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त रहता है। उत्तराधिकारी राज्य को पहले क अन्तर्हित राज्य की प्रजा से और जो लोग उसक प्रदेश में रहते हैं, उनसे राजनिष्ठा अपेक्षित करने का अधिकार होता है।

वैयक्तिक सम्पत्ति (Private Property) :—किसी प्रदेश के एक राज्य से दूसरे में चले जाने पर उत्तराधिकारी राज्य को उस भूमि में कोई वैयक्तिक सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता क्योंकि उत्तराधिकार केवल सर्वोच्चसत्ता के सार्वजनिक अधिकारों से ही सम्बन्धित है न कि वैयक्तिक स्वामित्व के अधिकारों से। नागरिकों के वैयक्तिक अधिकार और उनके पारस्परिक सम्बन्ध जब तक कि वे विजेता द्वारा विशेष रूप से परिवर्तित न कर दिये जायें वही रहते हैं।

वैयक्तिक अधिकार (Private Rights) —लोक विधि का यह एक सामान्य नियम है कि जब कभी किसी एक राज्य या प्रभुसत्ता का राजनैतिक क्षेत्राधिकार अथवा भूमि पर विधायन शक्ति दूसरे में हस्तान्तरित हो जाती है, तो देश की राष्ट्र-विधियाँ—अर्थात् वे कानून जो वैयक्तिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाये जाते हैं, उस समय तक प्रवर्तित रहते हैं, जब तक कि नई सरकार या प्रभुसत्ता द्वारा बदल नहीं दिये जाते।

पेरु में व्यवस्थित जर्मन नागरिकों के प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice) का अद्य लोकन था कि "Private rights acquired under existing law do not cease on a change of sovereignty. No one denies that the German Civil Law, both substantive and adjective, has continued without interruption to operate in the territory in question. It can hardly be maintained that, although the law survives, private rights acquired under it have perished. Such a convention is based on

no principle and would be contrary to an almost universal opinion and practice.

“A cession of territory does not operate as a cession of the property belonging to its inhabitants.”

अर्थात् “वर्तमान विधि के अन्तर्गत अर्जित किया गया अधिकार एक संप्रभु के परिवर्तित होने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। कोई भी अस्वीकार नहीं करता कि जर्मन-नागरिक-विधि, सारभूत और गुणात्मक दोनों रूपों में प्रसारित क्षेत्र में, बिना किसी विघ्न के निरंतर व्यवहारिता में रही है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि भले ही विधि अस्तित्व में बनी रहे और उसके अन्तर्गत अर्जित व्यक्तिगत अधिकार समाप्त हो गये। इस प्रकार की अवधारणा किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है और प्रायः सार्वदेशिक सम्मति और अभ्यास के विपरीत होगी।

“किसी क्षेत्र का अधिमिलन नागरिकों की संपत्ति के भी अधिमिलन के रूप में व्यवहार्य नहीं है।”

लोक-विधि का यह एक सामान्य नियम है कि जब कभी राजनीतिक क्षेत्र-अधिकार और किसी भी क्षेत्र के ऊपर विधायिनी शक्ति का हस्तान्तरण किसी एक राष्ट्र या संप्रभु से किसी दूसरे राष्ट्र या संप्रभु के हाथ किया जाता है तो देश की नागरिक विधि, अर्थात् ऐसी विधियाँ जो वैयक्तिक अधिकारों के संरक्षण के लिए निमित्त हैं, उस समय तक प्रभावकारी रहती हैं जब तक कि उन्हें नयी संप्रभु सरकार द्वारा रद्द न कर दिया जाय, या परिवर्तित न कर दिया जाय।^१

संविदात्मक दायित्व (Contractual Liability) —
अधिकारिता: प्रमाणिक लेखक इस विचार के समर्थक हैं कि उत्तराधिकारी राज्य अन्तर्धान हुये राज्य की सविदाओं से बाध्य हैं। नया राज्य सब स्थानीय ऋणों तथा सविदा सम्बन्धी कर्तव्यों के लिये उत्तरदायी हो जाता है। फिर भी उत्तराधिकारी राज्य के लिये यह न्यायसंगत है कि वह उस समय पूर्ववर्ती राज्य के ऋणों को मानना अस्वीकार कर दे यदि वे उसके विरुद्ध युद्ध के प्रयोजनों के लिये किये गये हों।

सुविधाजनक अधिकार जो राज्य द्वारा अपने अन्तर्धान होने के पूर्व दिये गये हैं, वे सामान्यतः अन्तर्धान के बाद भी जीवित रहते हैं। समावेश करने वाले राज्य के ऊपर वे बंधनकारी भी होते हैं। उत्तराधिकारी राज्य का यह कर्तव्य होता है

१. शिकानो रॉक आईलैंड ऐंड पैसिफिक रेलवे कंपनी बनाम मैकगिल्लन, ११४ यू०

कि उसके पूर्वाधिकारो द्वारा जो अधिकार न्यायोचित रीति से किसी विदेशी को दिये गये हो उनका आदर करें ।

ऐसी सविदायें जो अन्तर्हित राज्य की वैयक्तिक होती हैं, प्रायः जीवित नहीं रहती ।

वेस्ट रैंड सेट्रल माइनिंग कंपनी, लिमिटेड बनाम रेश^१ के वाद में अग्रेजी न्यायालय ने इस बात को स्थिर किया है कि यह पूर्ववर्ती विचार कि किसी विजेता राज्य का संप्रभु विजित देश के आभारो के प्रति बंधा हुआ नहीं है, सारभूत रूप में परिवर्तित हो गया है और वर्तमान प्रचलनो न अनुत्तराधिकार क सिद्धान्त की रूढ़ि को सशोधित कर दिया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने पोलैंड में जर्मन-नागरिको के व्यवस्थित होने के वाद^२ में अवोकन किया था कि वर्तमान विधि के अन्तर्गत अजित वैयक्तिक अधिकार, सहित उन अधिकारो के, जो कि राज्य स संपत्ति के स्वामी के रूप में अजित किये गये हैं, संप्रभुता के किसी उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी के प्रति वैध हैं, अर्थात् संप्रभुता में परिवर्तन होने पर वे अधिकार समाप्त नहीं हो जाते । फिर भी उत्तराधिकारी राज्य अधिमिलित राज्य के ऐसे आभारो को स्वीकार करने में न्यायोचित हैं जिन्हें कि उसने इस उत्तराधिकारी राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के प्रयोजन से स्थिर किया था ।

किसी राज्य की समाप्ति के पहले जहाँ तक कि उसके द्वारा सुविधाजनक अधिकार, स्वीकृत किये गये हैं, सामान्यतया ऐसी समाप्ति के बाद भी बाध्यतापूर्ण रहते हैं । उत्तराधिकारी राज्य ऐसे अधिकारो के प्रति बाधित हैं जो कि पूर्ववर्ती राज्य द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति को वैध ढंग पर प्रदान किये गये हैं । मैग्नेम्पेटिस पैलेस्टाइन वनसेशन के वाद में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय क स्थायी न्यायालय ने अवलोकन किया था कि पैलेस्टाइन, जिसने कि टर्की के एक क्षेत्र का उत्तराधिकार पाया, ग्रीक-प्रजा पर दिये गये सुविधा अधिकारो को, जो कि जेरूसलम में किये गये कार्यों के प्रति हैं, स्वीकृत करने के लिए बाधित है, फिर भी ऐसी सुविधामूलक अधिकार उत्तराधिकारी राज्य द्वारा अपनी विधायिनी क्षमता के भीतर, जहाँ तक कि उनका सबंध विदेशियों के प्रति है, मुघारे या विनिश्चित किये जा सकते हैं ।

सोप्रान कौस्जेग लोकल रेलवे कंपनी अर्बोर्ट्रल एवार्ड (Sopran Koszeg Local Railway Co. Award)^३ के प्रसंग में विवाचको का कथन था कि सिद्धान्त

१. एल० धार० (१९०५) २ के० बी० ३६१

२. पी० सी० आई० जे० (१९२३) तिरीज बी० न० ६, पृ० ३६

३. २४ ए० जे० आई० एल० (१९३०) १६५

रूप में 'डीड आफ कन्सेशन' द्वारा किसी कंपनी को जो व्यक्तिगत अधिकार दिये गये हैं केवल इस आधार पर धुन्यकृत नहीं किये जा सकते, या प्रभावित नहीं हो सकते कि उस क्षेत्र की राष्ट्रीयता परिवर्तित हो गई है जिसमें कि लोकसेवा व्यवहृत हुई थी।

फिर भी, सविदाये जो कि विलुप्त राज्य के प्रति विशुद्धत. वैयक्तिक हैं, उन विलुप्ति के बाद अस्तित्व में नहीं रहती।

लोक ऋण (Public Debts) :—लोक ऋण के उत्तराधिकार का व्यवहार के सम्बन्ध में मतभेद है। अधिक अञ्छा सिद्धान्त तो यह प्रनीत होता है कि यह केवल विवेक का विषय है और इस विषय का व्यवहार में बड़ा अन्तर रहा है। यद्यपि हाल में इस मत का महत्व बढ़ रहा है कि उत्तराधिकारी अपने पूर्वधिकारों के सार्वजनिक ऋणों को इस शर्त पर अपने ऊपर ले लेता है कि वे ऐसे प्रयोजन में सम्बन्धित न हों जो स्पष्टतः स्थानान्तरित प्रदेश के निवासियों के हितों के विरुद्ध हों अथवा यदि वे उत्तराधिकारी राज्य के विरुद्ध युद्ध तथा अन्य युद्ध-कार्यों को करने के हेतु न लिये गये हों।

सार्वजनिक ऋणों के सम्बन्ध में साधारणतः सन्धि द्वारा व्यवस्था की जाती है।

सन् १९४७ में भारत के दो स्वतन्त्र राज्यों में विभाजन के उपरान्त भारत तथा पाकिस्तान दोनों पहले अविभाजित भारत के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी राज्य हो गये। दोनों राज्यों के बीच तत्कालीन केन्द्रीय सरकार के पावनों तथा ऋणों के बँटवारे के लिये आपस में करार किया गया। रेलवे, तार की लाइनें, डाकघराने, टकसाल इत्यादि के बँटवारे का हिसाब पावने तथा ऋणों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की समिति के विभागीय उप-समिति द्वारा किया गया। अविभाजित भारत के स्टलिङ्ग बेलेन्सेज भारत तथा पाकिस्तान के बीच अनुपात के अनुसार बँटिये। निष्क्रान्तजन-सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्न फिर भी निरंतर सघर्ष का विषय रहा है।

दुष्कृति (Torts) :—उत्तराधिकारी राज्य किसी प्रकार से लुप्त हुये राज्य के अपराधों या किसी प्रकार की दुष्कृतियों के लिये उत्तरदायी नहीं हैं। उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले राज्य, वे भले ही विजित हो अथवा अपनी इच्छा से किसी राज्य में मिले हों, लुप्त होने वाले राज्य के अपराधों के लिये ज़ाबत नहीं हो सकते। अमेरिकन तथा ब्रिटिश बेलेन्स आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल ने नवम्बर १९२३ में यह निश्चय किया था कि दक्षिणी अफ्रीकन गणतन्त्र की विजय के उपरान्त उनकी दुष्कृतियों का अनुगमन ब्रिटिश सरकार में नहीं हुआ।

सिद्धान्त रूप से विजेता राज्य को विजित राज्य की सरकार द्वारा की गई दुष्कृतियों के लिये उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दुष्कृतियाँ उस सरकार की ओर से की गई थी, उस राज्य-क्षेत्र की ओर से नहीं ।

विदेशों में पड़ी हुई सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार :—उत्तराधिकारी राज्य किसी राष्ट्रीय सम्पत्ति का दावा कर सकता है जो उस प्रदेश में स्थित हो जिस पर यह सर्वोच्चसत्ता प्राप्त करे ।

विधियाँ (Laws):—पूर्व प्रभु-सत्ताधारी राज्य को दीवानी विधि उस समय तक प्रवृत्त रहती है जब तक कि यह उत्तराधिकारी राज्य द्वारा परिवर्तित न कर दी जाय, परन्तु सार्वजनिक विधि प्रभुसत्ता के हस्तान्तरण के साथ ही परिवर्तित हो जाती है । प्रादेशिक अन्तरण के उपरान्त जो कोई सार्वजनिक विधि प्रवृत्त रहती है वह अपना बल निश्चित नियम के रूप में प्राप्त करती है क्योंकि यह प्राप्त करने वाले राज्य द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

राष्ट्रीयता :—राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में लुप्त अथवा विजित प्रदेश के निवासी सम्मिलित राज्य की प्रजा हो जाते हैं और पहले राज्य की नागरिकता खो देते हैं । साधारणतः नागरिकों को अपने लिये एक निश्चित भविष्य का अवसर यह चुनने के लिए दिया जाता है कि वे किस राज्य की राज्यभक्ति स्वीकार करना चाहते हैं । भारत के विभाजन के उपरान्त अधिभाजित भारत के पूर्व नागरिकों को यह स्वेच्छा दी गई थी कि वे अपने लिये यह चुन लें कि वे भारत तथा पाकिस्तान के बीच किसकी राष्ट्रीयता स्वीकार करते हैं ।

विद्रोह के दबा दिये जाने के बाद उत्तराधिकार (Succession on suppression of revolt) :—“Changes in the government or the internal policy of a State do not as a rule, affect its position in International Law. A monarchy may be transformed into a republic or a republic into a monarchy: absolute principles may be substituted for constitutional, or the reverse; but, though the government changes, the nation remains, with rights and obligations unimpaired....The principle of the continuity of States has important results. The State is bound by engagements entered into by governments that have ceased to exist.”^१ अर्थात् “सरकार में परिवर्तन, या किसी राज्य की अन्तरिक नीति में होने वाले परिवर्तनों का अन्तर्राष्ट्रीय विधि में नियमतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता । एक राजतन्त्र बदल कर गणतन्त्र वा रूप से

सकता है, या कोई गणतन्त्र बदल कर राजतन्त्र का रूप धारण कर सकता है। निरपेक्ष सिद्धान्तों को हटाकर संवैधानिक सिद्धान्त या इसके विपरीत भी प्रवर्तित हा सकते हैं, किन्तु इन परिवर्तनों से सरकार भले ही बदल जाय, राष्ट्र भ्राने अधि कारो और आभारा सहित पूर्ववत् रहता है। "राज्यों की निरन्तरता के सिद्धान्त का अग्रना महत्वपूर्ण परिणाम है। राज्य उन सह-सम्बन्धों के प्रति बाध्य है, जिनमें समाप्त होने वाली सरकारें सम्मिलित हुई थी।"

यदि किसी राज्य में विप्लव हो जाता है, और प्रतिक्रियावादी सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दबा दी जाती है, तो यह प्रश्न उठ सकता है कि दबा दी गई सरकार की सम्पत्तियों का स्वत्व किसका होगा। जहाँ तक कि पूर्ववर्ती राज्य की क्षेत्रीय सीमा में निहित सम्पत्ति का प्रश्न है, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। जहाँ तक कि ऐसी सम्पत्ति का प्रश्न है जो कि पहले पैत्रिक राज्य की थी, किन्तु विदेशी राज्यों में विद्रोही सरकार द्वारा छीन ली गई थी, उसे पैत्रिक राज्य परमाधिकार स्वत्व (title paramount) के द्वारा वह किसी विदेशी न्याया लय में कृत कार्यवाही के आधार पर ले सकता है। अन्य सम्पत्तियों के प्रसंग में भी विदेशों में स्थित विद्रोही सरकार की ऐसी सम्पत्ति, जो पहले पैत्रिक राज्य की थी, का उत्तराधिकार अब पैत्रिक राज्य का ही होगा।

प्रश्न यह उठता है कि विद्रोही, किन्तु दबा दी गई सरकार के ऋणों, दायित्वों और अपकृत्यों के प्रति किसे उत्तरदायी माना जाय। इस प्रसंग में वाशिंगटन की संधि, १८७१ द्वारा नियुक्त सम्मिलित आयोग (Mixed Commission appointed by the Treaty of Washington, 1871) का अवलोकन था कि सयुक्त राज्य अमेरिका 'कॉन्फेडरेसी' के ऋणों के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय रूप से दायी नहीं है और न तो ऐसी शक्तियों के कृत्यों के प्रति ही दायी है।

फिर भी, ग्रेट ब्रिटेन और मैक्सिको की सन्धि १८२६ में यह निर्धारित हुआ था कि एक पैत्रिक राज्य, यदि चाहे तो क्रान्तिकारी शक्तियों द्वारा की गई क्षतियों की पूर्ति करना 'स्वीकार कर सकता है। किन्तु, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, कि ऐसी क्षति पूर्ति के लिये उस पर वैध रूप में कोई बाध्यता नहीं है।

असदस्यता की स्थिति में उत्तराधिकार (Succession in case of dismemberment) — जब कि कोई राज्य विभिन्न टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और वे टुकड़े या तो स्वतन्त्र हो जाते हैं या किसी अन्य राज्य में मिला लिये जाते हैं, तो इस प्रसंग में भी उत्तराधिकार के वही नियम लागू होंगे जो अधि-मिलन, विलीनीकरण या मिला लिये जाने की स्थिति में वर्णित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में उत्तराधिकार (Succession in International Organisation) :—ओपेनहेम का कथन है कि, “अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में उत्तराधिकार का प्रश्न उस समय उठता है जब कि लोक-अन्तर्राष्ट्रीय-भ्रम जो कि विशिष्टोक्त प्रयोजनों के लिए गठित था, विघटित हो जाता है और अन्य संगठन समान प्रयोजनों के लिए गठित कर दिया जाता है।” द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरान्त ‘लीग ऑफ नेशन्स’ का स्थान ‘संयुक्त राष्ट्र सघ’ ने लिया, स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थान अन्तर्राष्ट्रीय न्याय-न्यायालय (International Court of Justice) ने लिया, आदि। अतः निष्कर्ष रूप में ओपेनहेम का कथन है कि, “एक नियम के रूप में अधिकारों और क्षमताओं का हस्तान्तरण या तो प्रसंगगत संगठनों के विधायी साधनों; अथवा उनके भ्रमों के विशिष्ट समझौते या निर्णयों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में निरंतरता बनाये रखने की माँग है कि यह मान लिया जाना चाहिए कि उत्तराधिकार का नियम उन सभी प्रसंगों में लागू होता है जिनमें कि उन दोनों संगठनों के प्रयोजनों के आशय में सम-रूपता है।”

दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति^२ से सम्बन्धित वाद में अन्तर्राष्ट्रीय-न्याय-न्यायालय ने अपनी सलाह में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा उन सभी पर्यवेक्षकीय कार्यों (Supervisory functions) का निर्वहन करने के रूप में सक्षम है जिन्हें कि ‘लीग ऑफ नेशन्स’ दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के परमादेशित क्षेत्र के प्रशासन के निमित्त किया करता था। इस प्रकार दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को अब भी दिसम्बर १९२० के ‘मैण्डेट’ के अन्तर्गत अधीन क्षेत्र स्वीकार किया गया।

यू० ए० आर० और यू० ए० एस० के गठन की वैध समस्या (Legal Aspects of the Formation of U. A. R. and U. A. S.) :—यहाँ यू० ए० आर० का अभिप्राय ‘दी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक—संयुक्त अरब गणतन्त्र’ और ‘यूनाइटेड अरब स्टेट्स—संयुक्त अरब राज्य’ से है। फरवरी १, १९५८ को मिस्र के राष्ट्रपति गेमेल अब्देल-नासर और सीरिया के राष्ट्रपति सुक्रीयेल कुवैलत्ती ने परस्पर वार्ता के उपरान्त मिस्र और सीरिया को मिलाकर एक ‘संयुक्त अरब गणतन्त्र’ गठित करने की घोषणा की। इस गणतन्त्र का अन्तःकालीन संविधान मार्च ५, १९५८ को तैयार हुआ। ईमेन का साम्राज्य संयुक्त अरब गणतन्त्र के साथ, संयुक्त अरब राज्य गठित करने के लिए सघट्ट हुआ। फरवरी १४, १९५८

१. Oppenheim: International Law, Vol. 1, p. 168.

२. (१९५०) आई० सी० जे० रिपोर्ट्स ७९.

को ईराक और जॉर्डन ने अरब-सघ (Arab Union) गठित की, किन्तु ईराक में सैनिक सत्तारोहण के कारण पाँच मास बाद ही यह सघ विघटित हो गया।

संयुक्त अरब गणतन्त्र — उपर्युक्त घोषणा से यह गणतन्त्र एक राज्य के रूप में गठित हुआ और घोषणा के अनुसार इस गणतन्त्र के लिए एक विधान प्राधिकार, एक संविधान, एक ध्वज, एक सेना और एक ऐसे लोक का उपबन्ध हुआ जो अधिकारों और कर्तव्यों में समान हो, और जो कि हृदय और आत्मा से एक होकर संयुक्त अरब गणतन्त्र की रक्षा और उसके एकीकरण में योगदान करें। इस गणतन्त्र के अन्तर्गत कालीन संविधान ने इस बात को पुनः पुष्ट किया कि संयुक्त अरब राज्य एक लोकतन्त्रात्मक (democratic), स्वतन्त्र (independent) और संप्रभु (sovereign) गणतन्त्र है और इसके लोक अरब राष्ट्र के लोक हैं।

यहाँ उल्लेखनीय है कि इस संयोजन के उपरान्त यह गणतन्त्र न तो वैयक्तिक सघ है और न 'कनफेडरेशन' (confederation) ही है, क्योंकि इसके दोनों सदस्य न तो राज्य हैं और न पृथक् अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति ही हैं। यूजीन कोट्रान (Eugene Cotran) ने इसे 'एक नया और अमूर्तपूर्व विधीनीकरण का दृष्टान्त (a new and unprecedented type of merger)' कहा है, यह एक सघ की अपेक्षा एक एकता (a unity rather than a Union) का रूप है।

संयुक्त अरब राज्य — ईमेन के संयुक्त अरब गणतन्त्र से सघकृत हो जाने के कारण संयुक्त अरब राज्य की स्थिति कुछ भिन्न रही। यह एक पृथक् राज्य नहीं हुआ और दोनों सदस्य राज्य अर्थात् संयुक्त अरब गणतन्त्र और ईमेन साम्राज्य अपनी संप्रभुता बनाये रहे और अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व भी स्थिर किये रहे। इस प्रकार यह दो पूर्णतः संप्रभु ऐसे राज्यों के एक 'कनफेडरेशन' की स्थिति को ही प्राप्त कर सका, जो कि एक सघ के सूत्र में बँध गये और जिन्होंने अपना एक सघ अपने मृथक् अगो की रचना द्वारा गठित कर ली।

वैध परीक्षण — संयुक्त अरब गणतन्त्र को मिस्र और सीरिया से पूर्ववर्ती सदस्य राज्यों की सदस्यता का संयुक्त उत्तराधिकार राष्ट्र सघ में एक ही सदस्य मानकर दिया गया।

इसी तथ्य को यूजीन कोट्रान (Eugene Cotran) ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि संयुक्त राष्ट्र सघ एवं विशिष्ट अभिकरणों ने बिना किसी विवाद के यह स्वीकार किया कि मिस्र और सीरिया की उभय सदस्यता को संयुक्त अरब गणतन्त्र की एकात्मक सदस्यता में परिणत कर दिया जाय। संयुक्त अरब गणतन्त्र को मिस्र सगठन ने एक नये सदस्य के रूप में नहीं माना, इसलिए उसे नई सदस्यता का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।

संयुक्त अरब गणतंत्र से सीरिया तथा ईमेन का विशृंखलन (Syria and yemen break away from U. A. R.) :—सितंबर १९६१ में सीरिया में एक सैनिक उत्क्रान्ति हुई और सीरिया उपर्युक्त गणतन्त्र से पृथक् हो गया और परिणामतः ईमेन के साथ गठित संघ भी दिसम्बर २३, १९६१ को विघटित हो गया। सीरिया की नई सरकार को अधिकांश देशों ने मान्यता प्रदान कर दी।

फरवरी १९५८ के पूर्व सीरिया संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मौलिक सदस्य था और अब संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी यह पूर्ववर्ती सदस्यता भी पुनर्जीवित हो गई।

अध्याय १०

हस्तक्षेप

(Intervention)

हस्तक्षेप क्या है :—प्रत्येक राज्य का यह अहरणीय अधिकार है कि वह अपने मामलों का अपनी इच्छानुसार प्रबन्ध करे, जो सविधान चाहे वह स्वीकृत न हो, जब चाहे इसे विधि के शब्दों के भीतर परिवर्तित करे अथवा अन्य राज्यों से सम्बन्ध तथा सन्धि स्थापित करे। लेकिन जैसा लोरेन्स कहते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अन्य राज्य अथवा राज्यों का समूह इसके कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करता है और इसको ऐसा कार्य करने को बाध्य करने का प्रयत्न करता है जैसा यदि इसको अपने ही ऊपर छोड़ दिया जाता तो यह नहीं करता अथवा इसको ऐसा कार्य करने से रोकता है जैसा कि यह अपने ही ऊपर छोड़ दिये जाने पर करता। इस प्रकार के हस्तक्षेप को कानून की दृष्टि से वास्तविक हस्तक्षेप कहा जाता है।

ओपेनहेम का कहना है कि हस्तक्षेप एक अधिनायकतात्मक दखल होता है जो एक बड़े राज्य द्वारा दूसरे राज्य के मामलों में वस्तुओं की वास्तविक स्थिति बनाये रखने अथवा परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। केवल कल्याणकारी उपदेश अथवा सामान्य राजनैतिक प्रभाव इस शब्द के अधीन नहीं आते क्योंकि हस्तक्षेप की सारभूत आवश्यक वस्तु अर्थात् बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी का इसमें अभाव रहता है।

स्टार्क (Starke) का कथन है कि साधारणतया भन्तर्राष्ट्रीय कानून किसी दूसरे राज्य के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने को मना करता है। यहाँ इस हस्तक्षेप का तात्पर्य साधारण दखल देने, मध्यस्थता या राजनैतिक सुझाव से

कही अधिक बलवान है। जहाँ तक निषेध का सम्बन्ध है, इसमें अधिनायकत्व से भरा हस्तक्षेप होता है। इसका प्रभावित होने वाले राज्य की इच्छामो के विरुद्ध प्रभाव पड़ता है और प्रायः सदैव ही ऐसा होता है। जैसा कि हाईड (Hyde) ने सकेत किया है, इसे हम "serving by design or implication to impair the political independence of that State", अर्थात् हम उस राज्य की राजनैतिक स्वतन्त्रता का अपहरण कहेंगे।

जैक्सन (Jackson) के अनुसार हस्तक्षेप "the dictatorial or imperative violation by one state of the independence of another", अर्थात् एक राज्य द्वारा अधिनायक रूप में दूसरे राज्य की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण कहेंगे।

हस्तक्षेप के प्रकार (Kinds of Intervention) :—हस्तक्षेप के तीन भिन्न-भिन्न प्रकार हैं।

(१) आंतरिक (Internal) :—यह एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के समुदाय के झगड़ते हुए सम्प्रदायों के बीच हस्तक्षेप है जो या तो वैध सरकार के अथवा बलवाइयों के संरक्षण के लिए किया जाता है।

(२) बाह्य (External) :—यह एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के सम्बन्धों—सामान्य रूप से विरोधी सम्बन्धों—में हस्तक्षेप है। अन्य शब्दों में यह अन्य राज्य के विदेशी मामलों में हस्तक्षेप है और ऐसा हस्तक्षेप ऐसे राज्य के विरोधी सम्बन्धों के विरुद्ध किया जाता है। इस प्रकार का हस्तक्षेप युद्ध-घोषणा के समान होता है।

(३) दण्डिक (Punitive) :—यह एक दण्डिक उपाय है जो कुछ के थोड़ा कम है और अन्य राज्य के हाथों से हुई हानि के प्रतिकार के रूप में है। इसका प्रयोग अधिकतर बलिष्ठ राज्यों द्वारा निर्बल राज्यों पर किया जाता है।

हस्तक्षेप के मूल कारण.—प्रोकेमर ब्रेयारले के मतानुसार हस्तक्षेप वस्तुतः वैध अवसर तीन शीर्षकों के भीतर लाये जा सकते हैं अर्थात् मान्य-स्वतन्त्रता (self-defence), प्रतिवार (reprisal) तथा सन्धि अधिकारों का प्रयोग (exercise of a treaty right)।

कुछ हस्तक्षेप ऐसे हैं जिनका न्यायोचित होना अधिकार द्वारा ठहराना सखता है और ऐसी दशा में उनको हस्तक्षेप करने वाले राज्य द्वारा अन्य राज्य स्वतन्त्रता का भंग नहीं कहा जा सकता। उनकी विवेचना अन्य कारणों द्वारा हस्तक्षेप के लिए न्यायोचित दुक्ति के अनुसार नहीं, नीचे दी जाती है :—

१—आत्मसंरक्षण (Self-Preservation) —राज्य का सर्वोच्च हित

विधि के भी ऊपर है । आत्म-संरक्षण का अधिकार अन्य राज्यों की स्वतन्त्रता का सम्मान करने के कर्तव्य से भी कहीं अधिक पवित्र है । एक राज्य को अन्य राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार उस दशा में होता है जब पूर्ववर्ती राज्य की सुरक्षा तथा सन्निहित हितों में गड़बड़ी पड़ती हो । अतः हस्तक्षेप करने वाले राज्य के अति-सन्निहित भय के निवारणार्थ किये गये हस्तक्षेप परिस्थितियों के प्रभाव के कारण वैध कहे जा सकते हैं । भय प्रत्यक्ष तथा अतिसन्निहित होना चाहिये न कि असदिग्ध तथा दूरस्थ । कैरोलिन वाले वैध निर्दर्शक वाद (leading case) में उन नियमों की व्यवस्था की गई है जिनके अनुसार आत्मसंरक्षण का सिद्धान्त निश्चित होता है । सन् १८३७ के कॅनेडा के राजद्रोह के बीच में स्टोमर कैरोलिन विप्लवकारियों द्वारा अमेरिका से नियाग्रा के उस पार शस्त्र तथा मनुष्यों को भेजने के लिये उपयोग में लाया गया था । विप्लवकारियों का उद्देश्य ब्रिटिश प्रदेश पर नियाग्रा के अमेरिका की ओर के भाग से एकाएक आक्रमण करने का था । अमेरिका की सरकार ने उपस्थित प्रस्थान को दवाने का कोई प्रयत्न नहीं किया । कुछ ब्रिटिश सैनिक दलों ने नदी को पार कर लिया और कैरोलिन को ऐसे समय में पकड़ा जब वह अमेरिका के प्रदेश में वैधो हुई पड़ी थी और उसको बहते हुए छाड़ दिया । अमेरिका ने अपने प्रदेश के उल्लंघन का कठोर विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि उसके प्रादेशिक अधिकारों के इस प्रकार के उल्लंघन के लिये ब्रिटिश सरकार का यह दिखलाना चाहिये कि "आत्म-संरक्षण के लिये एक ऐसी अतिसन्निहित तथा तीव्र आवश्यकता थी जिसमें कोई अन्य उपाय नहीं चुना जा सकता था और विचार के लिये कोई समय नहीं था"—(a necessity of self-defence, instant, overwhelming and leaving no choice of means and no moment for deliberation) और यह कि कॅनेडा के अधिकारियों ने कोई ऐसी बात नहीं की जो "अयुक्त हो अथवा मर्यादा का उल्लंघन कर गई हो (did nothing unreasonable or excessive) ।" ग्रेट ब्रिटेन इस परीक्षा के आधार पर अपने कार्य को वैध नहीं ठहरा सका । अतः उसे इस घटना पर खेद प्रकट करना पड़ा जो संयुक्त राज्य द्वारा स्वीकृत किया गया ।

घणित राष्ट्र द्वारा आत्मसंरक्षण के आधार पर हस्तक्षेप को प्रोफेसर हॉल उस दशा में न्यायोचित ठहराते हैं जब पार्श्ववर्ती राज्य इतना अशक्त हो गया हो कि वह अपनी प्रजा के अपने पड़ोसी पर वास्तविक आक्रमणों को रोकने में असमर्थ है अथवा यह बाहर विप्लव भड़काता है अथवा यह ऐसे विरोधों की घमकी देता है जो इसको चलट देने से हटा दिये जा सकें ।

२—सन्धि अधिकारों का लागू करना (Enforcement of Treaty Rights) :—एक राज्य का अन्य राज्य के मामले में दखल देना उस समय संभव माना जाता है जब कि किसी सन्धि के अनुबन्ध पूर्ववर्ती को उत्तरवर्ती की स्वतन्त्रता भंगवा तटस्थता की रक्षा करने को विवश करते हैं। ऐसा हस्तक्षेप स्वतन्त्रता के किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि राज्य जो करना चाहता है उसे ऐसे हस्तक्षेप करने की स्वतन्त्रता सन्धि द्वारा स्वीकार कर ली होती है।

हंगरी के मामले में सोवियत रूस का हस्तक्षेप—हंगरी का सम्बन्ध रूस की ही भाँति है। १८ अगस्त १९४६ में हंगरी संसद ने हंगरी को 'जन गण तन्त्र' (People's Republic) घोषित किया। अक्टूबर १९४६ में हंगरी के कम्युनिस्ट गणराज्य में एक बड़ी संख्या में हंगरी की जनता के द्वारा पुराने प्रो रूसी सरकार (old Pro-Russian Government) के विरुद्ध विद्रोह को प्राय मंजूर। इस विद्रोह ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि वहाँ पर मार्शल विधि (Marshall Law) लागू किया गया। २४ अक्टूबर १९४६ को वारसा-सन्धि के अनुसार, हंगरी सरकार ने सोवियत रूस से सैनिक-सहायता माँगी जिसकी सहायता से हंगरी की सरकारी अधिकारी वहाँ शान्ति और सुरक्षा को स्थापना करने में समर्थ हो सके। इमरे नेगी (Imre Nagy) प्रधान मंत्री ने भी समाजवादी व्यवस्था के हित में हंगरी की सैनिक-सहायता को आवश्यक समझते हुए समर्थन किया। कई दिनों बाद सोवियत रूस ने हंगरी सरकार की सम्मति से हंगरी से सेना हटा ली। शीघ्र ही विद्रोहियों ने पुनः विद्रोह किया और घोर अतक फैला दिया। राष्ट्रीय नेगी को जो दल के स्टालिन समर्थकों द्वारा निकाल दिये गये थे, वापस करने का माँग की। इमरे नेगी ने निरंकुश साम्यवादी शासन का अन्त करने समुक्त सोवियत सैनिकों की सरकार का निर्माण किया किन्तु यह सरकार भी स्थिति के संभाल नहीं कर सकी और स्थिति भयंकर होती गयी। अन्त में नेगी सरकार ने उपस्थित जन जनैनास केदार (Janos Kadar) ने क्रान्तिकारी मजदूरों और किसानों की सरकार बनायी जिसने इस विषय में समझौते के पूर्ववत् स्थिति लाने के लिये हंगरी रूस से सैनिक सहायता माँगी। यह माँग वारसा सन्धि के अनुसार ही थी। हंगरी सेना की सहायता से थोड़े समय में विद्रोही दबा दिये गये।

४ नवम्बर, १९४६ को प्रमैन्टिका ने सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया कि मासिक हंगरी के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करें और यह भी कहा कि यह हंगरी सरकार से उचित व्यवस्था करके परिवर्तित ही नहीं हो सके। सोवियत गण ने इस प्रस्ताव का विरोध किया जिससे समुक्त राज्य सन्धि के अन्त में सामान्य सभा (General Assembly) की समीक्षा के लिए

गयी । इसमें सोवियत रूस को हंगरी से सेना हटाने के लिये कहा गया जिससे सयुक्त राष्ट्र सभ के सरक्षण में हंगरी में स्वतन्त्र निर्वाचन हो सके । इस अधिवेशन के एक प्रस्ताव द्वारा यह पुनः माँग की गई कि जो विदेशी हस्तक्षेप हंगरी में हुआ है उसकी जाँच सेक्रेटरी जनरल करें ।

यह प्रकट है कि द्वितीय विश्वयुद्ध जब से समाप्त हुआ है रूसी सेना का हंगरी, पोलैंड, और रुमानिया पर अधिकार रहा है । वारसा सन्धि (जो कि उत्तरी अटलांटिक सन्धि सभ के उत्तर में निर्माण की गई) के अनुसार रूस का यह वैध अधिकार था कि उसकी सेना हंगरी में रहे । अतः सोवियत रूस का यह कर्तव्य था कि हंगरी सरकार की सहायता की माँग पर और वहाँ की शान्ति और सुरक्षा के लिये अपनी सेना भेजती रहे जो वारसा की सन्धि की ही शर्त थी । इसके परिणाम-स्वरूप रूस के बीच में पड़ने से वहाँ की विपन्न स्थिति सुधर गयी जो कि किसी भी दशा में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता ।

१९ नवम्बर १९५६ में रूस के विदेश मंत्री ने साधारण सभा को बतलाया कि रूस हंगरी की स्थिति पूर्ववत् होने पर सेना हटा लेगी और इस सम्बन्ध में वारसा-सन्धि के एक पक्ष के रूप में हंगरी सरकार से समझौता करना आरम्भ करेगी । रूस के प्रतिनिधि ने यह भी व्यक्त किया कि हंगरी के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध का कोई भी प्रस्ताव सयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर की धारा २ पैरा ७ के विरोध में होगा ।

३—मानवता के कारण (Grounds of Humanity) —हस्तक्षेप का अन्य उचित कारण मानवता के आधार पर स्थापित है । लीरेस का कथन है कि बहुत से लेखकों की सम्मति में ऐसे हस्तक्षेप वैध हैं किन्तु वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत नहीं आ सकते जो राज्यों पर अपने पड़ोसियों की बर्बरता को रोकने का कोई कर्तव्य नहीं सौंपते ।

चार्टर के अनुसार व्यवस्था (Provisions in the Charter) —सयुक्त राष्ट्र सभ का चार्टर वर्ण, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेद-भाव को मिटाकर सब के लिए मानवीय अधिकार तथा मौलिक सारभूत स्वतन्त्रताओं के लिये आदर बढ़ाने तथा प्रोत्साहन देने में अपने विश्वास का पुनः पोषण करता है ।

दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय उत्पत्ति के लोगों के विरुद्ध जिस जातीय भेद-भाव की नीति का प्रचलन दक्षिणी अफ्रीका सभ द्वारा किया जा रहा है वह भारत के द्वारा मूलतः सन् १९४६ में वाद उपस्थित करने पर सयुक्त राष्ट्र सभ के विचाराधीन है । जातीय भेद-भाव राज्य के नागरिकों के आधारभूत मानवीय अधि-

कार तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं पर कुठाराघात है। तो भी दक्षिणी अफ्रीका ने अपने पक्ष का समर्थन अनुच्छेद ७२ के परिच्छेद द्वारा किया है और यह प्रतिपादन किया है कि साधारण सभा इस मद को विचार करने में सक्षम नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो वास्तव में उसके (दक्षिणी अफ्रीका के) घरेलू क्षेत्राधिकार के भीतर है। दक्षिणी अफ्रीका का यह विवाद निराधार है क्योंकि उपरोक्त अनुबन्ध जिसके अनुसार एक सदस्य राज्य के मुख्यतः घरेलू क्षेत्राधिकार के मामलों में हस्तक्षेप निषिद्ध है, इस प्रकार से लागू नहीं किया जा सकता कि जिससे चार्टर के आधारभूत अनुबन्धों द्वारा निर्धारित कर्तव्य निरर्थक हो क्योंकि मानवीय अधिकारों को बिना भेदभाव के गारंटी (guarantee) चार्टर के मुख्य अभिप्रायों में से एक है।

४—शक्ति-सन्तुलन (Balance of Power) :—यूरोप की कूटनीति शक्ति के सन्तुलन का संरक्षण एक सदेहरहित सिद्धान्त के रूप में सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से ही रहा है। Fenwick का कथन है कि शक्ति-संतुलन की आवश्यकता के सिद्धान्त ने निदर्शक राज्यों के बीच में पारस्परिक आरम-संरक्षण के आधार का काम किया है। इस सिद्धान्त ने एक प्रकार से १९वीं शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी प्रभावित किया है। यूरोप की राजनीति-व्यवस्था में यह सिद्धान्त बहुत ही प्रबल रूप से प्रभावकारी रहा है। शान्ति, सुव्यवस्था और आरम-स्वतन्त्रता के संरक्षण के लिए यह अनिवार्य रहा है कि शक्ति का केन्द्रीकरण न हो जाय। अन्यथा भय था कि शक्ति का संतुलन न होने पर कोई बलशाली राज्य दूसरों को अपने अधीन कर लेगा। अनेक दृष्टान्त हैं, जब कि शक्ति-सन्तुलन के लिये बड़े-बड़े राष्ट्रों को युद्ध की भाग में दूसरों के हित के लिये कूदना पड़ा है। १८५४ में ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस की क्रिमियाँ युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की ओर से शक्ति-सन्तुलन के अभिप्राय से आना पड़ा था। बालकन पेनिंगुला के अधिकांश हस्तक्षेप भी इसी अभिप्राय से हुये थे।

शक्ति के सन्तुलन के संरक्षण के आधार पर हस्तक्षेप की प्रथा की निम्न प्रायः सभी युग के विधि-वेत्ताओं द्वारा की गई है।

५—व्यक्तियों तथा सम्पत्ति का संरक्षण :—अपने राष्ट्रीय जनो के शान्ति, सम्पत्ति तथा हितों का संरक्षण हस्तक्षेप के लिये उचित कारण उपस्थित कर सके है। संरक्षण की आवश्यकता भारी अन्याय अथवा अनुचित भेदभाव के कारण होने क्रिये जाने के कारण उपस्थित हो सकती है।

दक्षिणी अफ्रीका में संघीय सरकार द्वारा भारतीय उत्पत्ति के (यद्यपि वास्तव में भारत के राष्ट्रीय नहीं हैं) व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव का व्यवहार किया जाना है उसकी तीव्र आलोचना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने अंग

प्रस्तावों में की गई है । इन प्रस्तावों में इसके द्वारा चार्टर में स्थापित मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन कहा गया है, किन्तु संधीय सरकार ने समुक्त राष्ट्र संधि के प्रस्तावों को अस्वीकारना इस आधार पर की है कि वे उन विषयों में हस्तक्षेप करते हैं जो वास्तविक रूप से उसके घरेलू क्षेत्राधिकार के भीतर आते हैं । उनका यह भी कहना है कि सब से बंधन से यह अपेक्षित नहीं किया जा सकता कि वह इस विषय पर उन प्रस्तावों की कार्यान्विति करे चाहे उनका (प्रस्ताव का) अभिप्राय कितना ही अच्छा हो अथवा चाहे उनकी बारम्बार पुनरावृत्ति ही क्यों न हुई हो, क्योंकि वे संधि की शक्ति के बाहर हैं ।

६—गृहयुद्धों में हस्तक्षेप (Intervention in Civil Wars)—समुक्त राष्ट्र संधि की स्थापना के पश्चात् अब वैयक्तिक राज्यों को किन्हीं अन्य राज्यों के गृहयुद्धों में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं रह गया है । समुक्त राष्ट्र संधि का चार्टर राज्यों पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी राज्य की प्रादेशिक पूर्णता अथवा राजनैतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध बल-प्रयोग की धमकी देने से अथवा बल प्रयोग से अपने भाग को रोके ।

अन्य कारण —हस्तक्षेप के अन्य कारण ये हैं —अथवा हस्तक्षेप को रोकने के लिये, अनेतिक्रम के विरुद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय असद्वृत्तियों को हटाने तथा राष्ट्रीय सम्मान की प्रतिरक्षा के लिये अथवा विदेश में स्थित राष्ट्रों के जनता के हितों के संरक्षण के लिये ।

हस्तक्षेप के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विद्वानों के सिद्धान्त :—

स्टार्क (Starke) :—स्टार्क के अनुसार कुछ निम्नलिखित मुख्य परिस्थितियाँ हैं जब कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में एक राज्य को दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का वैध अधिकार है,—

(क) समुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर के अनुसार सामूहिक हस्तक्षेप, उदाहरण के लिये चार्टर के अध्याय ७ के क्रम में सुरक्षा-परिषद के प्राधिकार के अन्तर्गत सामूहिक कार्यवाहियों का प्रवर्तन ।

(ख) दूर-स्थित अपने नागरिकों के अधिकारों और हितों तथा वैयक्तिक सुरक्षा हेतु ।

(ग) आत्म-सुरक्षा—यदि सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध के लिये हस्तक्षेप का होना आवश्यक हो गया हो ।

(घ) किसी प्रोटेक्टोरेट का अपने उपनिवेश के मामले में ।

(ड) यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि की किसी दूसरे राज्य के प्रति व्यवहार में पूर्णतया उपेक्षा कर गया हो, जैसे धर्मरूप में स्वतः उसने हस्तक्षेप किया हो, आदि ।

ओपेनहेम (Oppenheim) :— ओपेनहेम ने ऐसे सात कारणों को उचित माना है, जब कि एक राज्य दूसरे के प्रसंग में हस्तक्षेप कर सकता है । वे कारण निम्न हैं :—

(१) कोई राज्य जिसके अन्तर्गत कुछ संरक्षित राज्य हैं, इस अधिकार में सम्युक्त कहा जा सकता है कि वह संरक्षित राज्य के समस्त बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करे ।

(२) यदि किसी एक राज्य का बाहरी मामला किसी प्रकार से एक साथ ही दूसरे राज्य का भी बाह्य मामला बन गया हो, तो यदि एक राज्य प्रकृति ही उद्ये तय कर लेना चाहता हो, तो उसमें दूसरे को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है ।

(३) कोई राज्य जो किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि से अपने बाह्य-प्रसंगों के लिये आबद्ध हो, या उसकी क्षेत्रीय भयवा वैयक्तिक प्रभुता उन शर्तों से प्रतिबन्धित हो रही हो, तो दूसरे पक्ष या पक्षों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है ।

(४) यदि शान्ति या युद्ध के समय में कोई राज्य ऐसे राष्ट्रिक कार्यों को उपेक्षा करता है, जो रूढ़ि-रूप में या विधि-नियामक-संधि रूप में सार्वभौमिक बन चुके स्वीकार किये जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अन्य राज्यों को अधिकार है कि हस्तक्षेप कर सकें और दोषी-राज्य को उन नियमों को मानने पर विवश कर सकें ।

(५) यदि किसी एक राज्य ने संधि के आधार पर किसी दूसरे राज्य की सरकार की गारंटी दी है, या अपने साम्राज्य का कुछ अंश उसके अधिकार में प्रदान किया है, तो उस सरकार के परिवर्तन या साम्राज्य में परिवर्तन उपस्थित होने पर वह हस्तक्षेप कर सकता है । इस हस्तक्षेप की शर्त यह है कि गारंटी की संधि दोनों राज्यों के बीच हुई हो, न कि उनके अधिनायकों द्वारा वैयक्तिक रूप से की गई हो ।

(६) बाहरी देशों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार जो कि एक राज्य में निहित है, हस्तक्षेप अपने उस अधिकार द्वारा उपस्थित कर सकता है जिसमें दूसरा पक्ष वैध रूप से बाधित है ।

(७) लीग ऑफ नेशन्स के सगमन तथा सम्युक्त राष्ट्र संधि के चार्टर में स्वीकार किया गया है कि यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में अशान्ति-प्रवृत्ति के कारण विघ्न उपस्थित करता है, तो अन्य सदस्य राज्यों द्वारा राष्ट्रिय हस्तक्षेप किया जा सकता है । सम्युक्त राष्ट्र संधि के चार्टर द्वारा मंच को यह शक्ति

सौंपा गया है कि वह असदस्य राष्ट्रों के कार्यों में भी वहाँ तक हस्तक्षेप करे, जहाँ तक कि उनसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में बाधा पड़ती है ।

मुनरो सिद्धांत (The Monroe Doctrine) — इस सिद्धांत में सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो द्वारा सन् १८२३ में घोषित अमेरिका की नीति की व्यवस्था दी गई है जिसके द्वारा अमेरिका महाद्वीप के राजनैतिक मामलों में यूरोप वालों के हस्तक्षेप का अन्त कर दिया गया । यह नीति कभी कांग्रेस द्वारा प्रमाणित नहीं की गई, न किसी सन्धि का विषय बनाई गई और ऐसी दशा में यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नियम नहीं है । घोषणा निम्नलिखित प्रकार की है —

(१) अमेरिका के महाद्वीप को उसकी मुक्त तथा स्वतन्त्र दशा के कारण, जिसे उसने ग्रहण किया है तथा धारण किया है, अब से किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा भविष्य में उपनिवेशन के लिए विषय नहीं समझना चाहिए ।

(२) यूरोपीय शक्तियों के युद्धों में, उन विषयों में, जो उन्हीं से सम्बद्ध हैं हमने कभी कोई भाव नहीं लिया है और न ऐसा करना हमारी नीति के योग्य है ।

(३) सयुक्त राज्य ने यूरोप के युद्धों में न कभी हस्तक्षेप किया है और न करेगा । इसके विपरीत वे अपनी ही शान्ति तथा सुख के हितार्थ अपनी राजनैतिक पद्धति को अमेरिका के किसी भाग में विस्तृत करने तथा दक्षिणी अमेरिका के प्रजातन्त्रों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने नहीं दे सकते । उनकी ओर से इस गोलार्थ के किसी भाग में अपनी पद्धति विस्तृत करने के प्रयत्न को हम अपनी शान्ति तथा सुरक्षा के लिए अग्रप्रद समझेगे ।

मुनरो सिद्धान्त का लक्षण अधिकतर राजनैतिक है न कि वैध । इसने अमेरिका की नीति का एक प्रधान सिद्धान्त यह घोषित करके स्थापित किया कि किसी अमेरिकन शक्ति द्वारा अमेरिका की भूमि पर प्रादेशिक शक्ति का अभ्युदय न होना चाहिए और इससे इस बात का भी समावेश किया गया कि सयुक्त राज्य यूरोपीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

सैन फ्रान्सिस्को का सम्मेलन जिसने सयुक्तराष्ट्र संधि का चार्टर का मसौदा तैयार किया, उसके समय प्रादेशिक संधी जैसे अमेरिकीय राज्यों के संधि की स्थिति विश्व संधि के सम्बन्ध में क्या होगी, इस ऋग्ण को मिटाने का कठिन कार्य उपस्थित हुआ । यह कठिनाई अनुच्छेद ५१ में रखे हुए अनुबंधों द्वारा दूर कर दी गई है जिसके अनुसार सयुक्त राष्ट्र संधि के किसी सदस्य के विरुद्ध सैनिक-आक्रमण की दशा में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आत्म-रक्षा का अधिकार उस समय तक के लिए स्वीकृत कर लिया गया है जब तक सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये

रखने के लिए आवश्यक उपाय न कर ले। इस प्रकार चार्टर मुनरो सिद्धान्त को उसके द्वारा स्थापित सामूहिक सुरक्षा की सार्वभौमिक पद्धति के अनुरूप बना देता है। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी तथा जापान ने हाल में अपने प्रभाव-युक्त क्षेत्रों में उसी नीति का अवलम्बन किया जो हमें मुनरो सिद्धान्त का स्मरण दिलाती है।

उत्तरीय अटलांटिक सन्धि (१९४९) द्वारा हस्ताक्षर करने वाले इस बल पर सहमत हो गए कि यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसी एक अथवा अधिक के विरुद्ध सैनिक आक्रमण उन सब के विरुद्ध आक्रमण समझा जायगा, पद शक्तिय प्रतिक्रिया समुदाय सघ (१९५२) ने पट्टराष्ट्रीय यूरोपीय सेना को जन्म दिया है तथा अन्य ऐसी सन्धियाँ प्रादेशिक वर्गीकरण विचार पर स्थापित हैं, और इन्हें मुनरो सिद्धान्त की गंध पाई जाती है।

क्यूबा के गृह-युद्ध में राष्ट्रपति कैनेडी ने अप्रैल १९६१ में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव को लिखा था कि क्यूबा में यदि किसी बाहरी सैनिक शक्ति ने किसी भी प्रकार हस्तक्षेप किया तो अमेरिकी प्रया के अनुसार वे अपना बाह्य आक्रमण का प्रतिरोध करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति मुनरो ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, वह आज भी अमेरिका में ज्यों का त्यों माना जाता है।

ड्रैगो सिद्धान्त :—“ड्रैगो-सिद्धान्त” का भी निर्देश यहाँ करना आवश्यक है। अर्जेन्टाइना के विदेशीय सचिव लुई एन ड्रैगो ने सन् १९०२ में जब ग्रेट ब्रिटेन तथा जर्मनी द्वारा अपने राष्ट्रीय जनो की ओर से वेनेजुएला की शांतिपूर्वक नाव बन्दी कर दी गई थी यह नियम घोषित किया था। इस घोषणा के अनुसार एक की सरकार से दूसरे देश की सरकार द्वारा अपनी प्रजा को देय कर के अधिकार की सविदा सम्बन्धी श्रद्धाओं के प्रत्युद्धरण के लिए किसी राष्ट्र को सैनिक बल का सह नही लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने सार्वजनिक श्रद्धाओं को देने में किसी की असफलता हस्तक्षेप के अधिकार को उत्पन्न नहीं करती। यह अभिप्राय १९०७ की दूसरी हेग सम्मेलन में संयुक्त कर लिया गया है, किन्तु इसे यह जोड़ निबन्धित कर दिया गया कि सैनिक बल-प्रयोग उस दशा में लागू हो सकता है श्रद्धा पचायत करना अथवा उसका निर्णय मानना अस्वीकार करे।

ड्रैगो-सिद्धान्त मुनरो-सिद्धान्त का एक प्रकार से उपसिद्धान्त है।

नेहरू-सिद्धान्त (Nehru Doctrine) — भारत के प्रधानमंत्री ए. पी. जवाहरलाल नेहरू ने मुनरो-सिद्धान्त को और भी विस्तार दिया था जो उन्होंने जुलाई २६ सन् १९५५ में मसद में अवलोकन किया था कि पुर्तगाल द्वारा गोवा को अपने कब्जे में बनाये रखना, भारत की स्थापित राज्यों

व्यवस्था में निरन्तर हस्तक्षेप करते रहना है। उन्होंने आगे कहा था, 'I go a step further and say that any interference by any other power would also be interference with the political system of India' अर्थात् "मैं एक कदम और आगे यह कह सकता हूँ कि किसी अन्य शक्ति द्वारा हस्तक्षेप करने का तात्पर्य भारत की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना होगा।" उन्होंने उन परिस्थितियों को दोहराया जिनमें कि राष्ट्रपति मुन्रो ने १८२३ में योरोपीय शक्तियों को यह सूचना दी थी कि संयुक्त राज्य किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा अमेरिकीय महाद्वीप की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का तात्पर्य स्वयं अपने प्रति अमैत्रीपूर्ण कार्य मानेगा। इस प्रकार की अमैत्री और इस प्रकार का हस्तक्षेप भविष्य के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है।

— — —

अध्याय ११

आवश्यकता तथा आत्म-संरक्षण का सिद्धान्त

(Doctrine of Necessity and Self-Preservation)

किसी प्रदेश के अतिक्रमण का न्यायोचित होना :—पूर्वकाल से ही यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि का एक स्थिर रूप से माना गया नियम रहा है कि एक राज्य को आत्म-संरक्षण के अधिकार के प्रयोग में अन्य राज्य के अधिकारों को उल्लंघन करने का अधिकार है। ऐसे उल्लंघन केवल आवश्यकता की ही दशा में क्षम्य होते हैं। ग्रीशस (Grotius) के कथनानुसार आवश्यकता एक निश्चित अधिकार उत्पन्न कर देती है और केवल एक बहाना नहीं समझी जा सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र सचिव द्वारा कैरोलीन वाले मामले (१८३७) में यह कहा गया था कि "यद्यपि यह उचित है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के विशेषतः राज्यों की प्रादेशिक पूर्णता के सिद्धान्त के, जो आत्मरक्षा के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त से विकसित हुआ है, अपवाद विद्यमान है फिर भी निस्सन्देह न्यायोचित यही है कि ये अपवाद उन्हीं मामलों में सीमित करने चाहिए जिनमें उस आत्मरक्षा की आवश्यकता तात्कालिक हो, घबराहट उत्पन्न करने वाली हो तथा उसके समानान्तर अन्य कोई साधन न रह गया हो और विचार के लिए समय न हो। (Those exceptions should be confined to cases in which the 'necessity of that self-defence is instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moment for deliberation) इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो कार्यवाही की गई हो उसमें "कोई अनौचित्य या अति न की गई हो, क्योंकि

रखने के लिए आवश्यक उपाय न कर ले। इस प्रकार चार्टर मुनरो सिद्धान्त को उसके द्वारा स्थापित सामूहिक सुरक्षा की सार्वभौमिक पद्धति के अनुरूप बना देना है। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी तथा जापान ने हाल में अपने प्रभाव-युक्त क्षेत्रों में उसी नीति का अवलम्बन किया जो हमें मुनरो सिद्धान्त का स्मरण दिलाती है।

उत्तरीय अटलांटिक सन्धि (१९४६) द्वारा हस्ताक्षर करने वाले इन बात पर सहमत हो गए कि यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसी एक पर अधिक वे विरुद्ध सैनिक आक्रमण उन सब के विरुद्ध आक्रमण समझा जायगा, पर शक्तीय प्रतिरक्षा समुदाय संधि (१९४२) ने पट्टराष्ट्रीय यूरोपीय सेना को जन्म दिया है तथा अन्य ऐसी सन्धियाँ प्रादेशिक वर्गीकरण विचार पर स्थापित हैं, और इन्हें मुनरो सिद्धान्त की गंध पाई जाती है।

क्यूबा के गृह-युद्ध में राष्ट्रपति केनेडी ने अप्रैल १९६१ में सोवियत सचिव प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव को लिखा था कि क्यूबा में यदि किसी बाहरी सैनिक शक्ति ने किसी भी प्रकार हस्तक्षेप किया तो अमेरिकी प्रयास के अनुसार वे प्रत्येक बाह्य आक्रमण का प्रतिरोध करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति मुनरो ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, वह आज भी अमेरिका में ज्यों का त्यों माना जाता है।

ट्रैगो-सिद्धान्त :—“ट्रैगो-सिद्धान्त” का भी निर्देश यहाँ करना आवश्यक है। मार्लेटाइन के विदेशीय सचिव लुई एन ट्रैगो ने सन् १९०२ में जब डेट रिय तथा जर्मनी द्वारा अपने राष्ट्रीय जनो की ओर से वेनेजुएला की शांतिपूर्वक सन्धि बन्दी कर दी गई थी यह नियम घोषित किया था। इस घोषणा के अनुसार एक देश की सरकार से दूसरे देश की सरकार द्वारा अपनी प्रजा को देव कर के अधिकार सविदा सम्बन्धी श्रृणों के प्रत्युद्धरण के लिए किसी राष्ट्र को सैनिक बल का प्रयोग नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने सार्वजनिक श्रृणों को देने में किसी राष्ट्र की असफलता हस्तक्षेप के अधिकार को उत्पन्न नहीं करती। यह घोषणा सन् १९०७ की दूसरी हेग सम्मेलन में समुक्त कर लिया गया है, किन्तु इसे यह श्रेष्ठता निबन्धित कर दिया गया कि सैनिक बल-प्रयोग उम्र दाना में लागू हो सकता है पर श्रृणी पचायत करना अथवा उम्र दाना निर्णय मानना अस्वीकार करे।

ट्रैगो-सिद्धान्त मार्लेटाइन सिद्धान्त का एक प्रकार से उपसिद्धान्त है।

नेहरू-सिद्धान्त (Nehru Doctrine) :—भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मार्लेटाइन सिद्धान्त को ओर भी विस्तार दिया था। उन्होंने जुलाई २६ सन् १९५५ में मंगद में घोषणा कर दिया था कि युद्ध के द्वारा गोदा को अपने कब्जे में बनाने रतना, भारत की स्थापित शांति

व्यवस्था में निरन्तर हस्तक्षेप करते रहना है। उन्होंने आगे कहा था, "I go a step further and say that any interference by any other power would also be interference with the political system of India" अर्थात् "मैं एक कदम और आगे यह कह सकता हूँ कि किसी अन्य शक्ति द्वारा हस्तक्षेप करने का तात्पर्य भारत की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना होगा।" उन्होंने उन परिस्थितियों को दोहराया जिनमें कि राष्ट्रपति मुन्रो ने १८२३ में योरोपीय शक्तियों को यह सूचना दी थी कि सयुक्त राज्य किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा अमेरिकीय महाद्वीप की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का तात्पर्य स्वयं अपने प्रति अमैत्रीपूर्ण कार्य मानेगा। इस प्रकार की अमैत्री और इस प्रकार का हस्तक्षेप भविष्य के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है।

— — —

अध्याय ११

आवश्यकता तथा आत्म-संरक्षण का सिद्धान्त

(Doctrine of Necessity and Self-Preservation)

किसी प्रदेश के अतिक्रमण का न्यायोचित होना :—पूर्वकाल से ही यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि का एक स्थिर रूप से माना गया नियम रहा है कि एक राज्य को आत्म-संरक्षण के अधिकार के प्रयोग में अन्य राज्य के अधिकारों को उल्लंघन करने का अधिकार है। ऐसे उल्लंघन केवल आवश्यकता की ही दशा में क्षम्य होते हैं। ग्रीशस (Grotius) के कथनानुसार आवश्यकता एक निश्चित अधिकार उत्पन्न कर देती है और केवल एक बहाना नहीं समझी जा सकती। सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र सचिव द्वारा कैरोलीन घाले मामले (१८३७) में यह कहा गया था कि "यद्यपि यह उचित है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के निशेषतः राज्यों की प्रादेशिक पूर्णता के सिद्धान्त के, जो आत्मरक्षा के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त से विकसित हुआ है, भ्रमवाद विद्यमान है फिर भी निस्सन्देह न्यायोचित यही है कि ये भ्रमवाद उन्हीं मामलों में सीमित करने चाहिए जिनमें उस आत्मरक्षा की आवश्यकता तात्कालिक हो, घबराहट उत्पन्न करने वाली हो तथा उसके समानान्तर अन्य कोई साधन न रह गया हो और विचार के लिए समय न हो। (Those exceptions should be confined to cases in which the 'necessity of that self-defence is instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moment for deliberation) इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो कार्यवाही की गई हो उसमें "कोई अनौचित्य या भ्रति न की गई हो, क्योंकि

कार्य का औचित्य आवश्यकता एवं संरक्षण के लिए ही है, अस्तु उसे केवल आवश्यकता तक ही स्पष्टतः सीमित होना चाहिए।”

व्हीटन (Wheaton) का विचार है कि रक्षा के साधनों के प्रयोग में “कोई भी स्वतन्त्र राज्य किसी दूसरी वैदेशिक शक्ति द्वारा प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता। किन्तु कोई दूसरा राष्ट्र, यदि वह चाहता है, तो अपने आत्म-संरक्षण के अधिकार का प्रयोग में, यदि इन तैयारियों में वह किसी प्रकार से सावधान हो जाने का अवसर सम्भ्रता है, या वह किसी आक्रमण की आशंका से भयभीत है तो उस सम्बन्ध में निराकरण माँग सकता है।”

अन्तर्निहित अधिकार (Inherent Right) — राष्ट्र सचिव फ्रैंक बी केलोग ने सन् १९२८ में ब्रिआड-केलॉग-गठबन्धन (Briand-Kellogg Pact) तय करने के प्रसंग में कहा था कि आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक प्रभुसत्ताधारी राज्य में अन्तर्निहित है और प्रत्येक सन्धि में निस्सन्देह विद्यमान है। प्रत्येक राज्य हर समय सन्धियों के अनुबन्धों का बिना ध्यान किये अपने प्रदेश को घावे प्रपञ्च आक्रमण से बचाने के लिए स्वतन्त्र है और यही अकेले इस बात को निर्णय करने के लिए सक्षम है कि परिस्थितियों में आत्मरक्षा हेतु युद्ध का सहारा लेना न्यायोचित है अथवा नहीं।

सिनेटर रूट (Senator Root) के अनुसार “It is well understood that exercise of the right of self-protection may, and frequently does, extend in its effect beyond the limits of territorial jurisdiction of the state exercising it” उनके अनुसार इस अतिक्रमणकारी प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण किसी एक शक्ति की तात्कालिक सीमा पर दूसरी शक्ति द्वारा भारी सख्या में सैन्य-संग्रह है। यद्यपि यह सैनिक कार्यवाही अपनी ही सीमा में हो सकती है, फिर भी आतंकित राज्य को अपनी रक्षा हेतु युद्ध छेड़ देने का अधिकार है।

प्रथम विश्वयुद्ध — प्रथम विश्वयुद्ध के बीच सन् १९१४ में जर्मनी ने आत्मरक्षा के सिद्धान्त के बहाने बेल्जियम तथा लक्सम्बर्ग की तटस्थता भंग कर दी। जर्मनी ने लक्सम्बर्ग तथा बेल्जियम की स्थायी तटस्थता का उल्लंघन इस आधार पर किया कि उसको दो घात से रूस तथा फ्रांस द्वारा आक्रमण की घमकी दी जा रही है और आत्म-संरक्षण के आधार पर उसका यह अधिकार है कि उसको दोनों आत्मरक्षार्थ फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए लक्सम्बर्ग तथा बेल्जियम में प्रवेश करें। जर्मनी के रीख-स्टीग (Reichstag) के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करते हुए कहा : “हमारी सेनाओं ने लक्सम्बर्ग पर अधिकार कर लिया है।”

का प्रयत्न किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश कार्य-सचिव श्री रिचर्ड स्टोवस ने यही तक कहा कि उनकी समझ में यह नहीं आता कि जब विदेशी सेनाएँ चाहे वे किसी प्रकार की हो हूस व मचूरिया की सीमा तक पहुँच गईं हो, तो यह कैसे प्राशा की जा सकती है कि चीनी लोग मौन रहते।

तिब्बत पर आक्रमण —समान दृष्टान्त के अनुसार चीन ने सन् १९५० में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया जिसका भारत ने तीव्र विरोध किया। किन्तु चीन ने अपने आक्रमण का इस आधार पर समर्थन किया कि मित्र राष्ट्रों को सेनाओं द्वारा कोरिया में ३८वें अक्षांश के पार किया जाने तथा उनके मचूरिया की सीमा में घाँव बढ़ाने से चीन के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा के उपायस्वरूप तिब्बत पर आक्रमण करना आवश्यक कर्तव्य हो गया था।

इस सिद्धान्त का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह निश्चय राज्यों के हार्थों में एक शक्तिशाली यंत्र दे देता है जिससे वे छोटे राज्यों की स्वतन्त्रता का उल्लंघन करते हैं तथा विश्व की शान्ति को भंग करते हैं।

चार्टर के उपबन्ध (Provisions in the Charter) —संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के अनुच्छेद ५१ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की दशा में उस सदस्य राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आत्म-रक्षा का अधिकार सुरक्षित किया गया है, परन्तु आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में जो उपाय सदस्य द्वारा लिये जायें तत्काल सुरक्षा परिषद् को प्रतिवेदित करना चाहिये। यह आत्म-रक्षा का अधिकार उस समय तक जारी रहता है जब तक सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने के उपाय न कर ले। इस प्रकार आत्म-रक्षा का अधिकार केवल उस दशा में विद्यमान रहता है यदि यह (राज्य) स्वयं सैनिक आक्रमण का विषय हो, न कि उस दशा में जब आक्रमण की प्राप्ति जाती हो अथवा ऐसी शत्रुता के सम्बन्ध विद्यमान हो जो सैनिक आक्रमण से न्यून हों।

यह सामूहिक आत्म-रक्षा का विचार हाल में मित्र-मित्र सन्धियों के स्थापन द्वारा प्रवृत्त किया गया है अर्थात् अन्तर-अमेरिकीय पारस्परिक सहायता सन्धि (१९४७), पश्चिम-यूरोपीय सहकार्यता तथा सामूहिक आत्म-रक्षा सन्धि (१९४८), अमेरिकी राज्य सभ का बगोटा अधिपत्र (१९४८) तथा उत्तर अटलांटिक सन्धि (१९४९)। राज्य उत्तर अटलांटिक सन्धि के अनुच्छेद ५ में यह व्यवस्था की गई है कि यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में किसी एक अथवा अधिक पक्षधारों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण उन सब के विरुद्ध आक्रमण ममत्ता जायगा और उनमें में प्रत्येक उत्तर अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा को बनाये रखने तथा पुनः स्थापित करने के निर

चार्टर के अनुच्छेद ५१ द्वारा स्वीकृत वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्म-रक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा कार्य कर के जैसा यह आवश्यक समझे (जिसमें सैनिक बल-प्रयोग भी सम्मिलित है) आश्रयित पदाधार को सहायता करेगा। इस प्रकार के उपाय जो किये जायें तत्काल सुरक्षा परिषद् को प्रतिवेदित किये जायेंगे और उस समय समाप्त हो जायेंगे जब परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखन तथा पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक उपाय कर ले।

निष्कर्ष — ऐतिहासिक घटनाओं पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि साधारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत निस्संदेह आत्म-संरक्षण के अधिकार का अस्तित्व विद्यमान है। यह अधिकार चार्टर के अनुच्छेद ५१ में भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। १८३७ में केरोवीन के मामल में यह सिद्ध हो गया था कि दूसरे राज्यों को राज्य मामला में आश्रयित राज्य द्वारा अतिप्रमण क्षम्य है, किन्तु शर्त यही है कि ऐसा अतिप्रमण आत्म संरक्षण हेतु ही किया गया हो। प्रोपेनहेम का कहना है कि यदि कोई तात्कालिक अतिप्रमण या पहले के किए अतिप्रमण की पुनरावृत्ति आश्रयित राज्य द्वारा बिना किसी अतिक्रमण के रोकी जा सके, तो यह बाद वाला अतिक्रमण आवश्यक नहीं है और इसीलिये यह न्यायोचित नहीं है। ग्रायल्ले का कथन है कि १९३१ में मञ्चूरिया में जापानिया द्वारा बल-प्रयोग के जो भी विचार रहे हों, उसे हम आत्म-संरक्षण के अन्तर्गत नहीं समझ सकते।

चार्टर के अनुच्छेद ५१ के अन्तर्गत आत्म-रक्षा के अधिकार को "armed attack against a member of the United Nations" तक सीमित कर दिया गया है और वह भी उस समय तक के लिए, जब तक कि सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के समुचित उपाय नहीं कर लेती।

इस प्रसंग में कठिनाई यह है कि संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर में भी सशस्त्र आक्रमण (armed attack) की व्याख्या नहीं की गई है। इसकी व्याख्या सम्बन्धित राज्यों पर ही उस समय तक के लिए छोड़ी गई है, जब तक कि सुरक्षा परिषद् उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। अस्तु, प्रोपेनहेम के अनुसार इस बात का निर्णय करना कि किस कार्यवाही को वे आत्म-रक्षा के अन्तर्गत की गई कार्यवाही पढ़ेंगे, उन राज्यों पर ही छोड़ा गया है। ऐसे कार्यों की वैधता के प्रसंग में सुरक्षा परिषद् या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को प्रतिवेदित किया जा सकता है। प्रोफेसर ग्रायल्ले के अनुसार—

"It is therefore clear that the defensive or non-defensive character of any State's action is universally regarded as a question capable of determination by an objective examination of the relevant facts"

अर्थात् यह स्पष्ट है कि तथ्य ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि कोई कार्य राज्य द्वारा आत्म रक्षा हेतु अथवा आक्रामक रूप में किये गये हैं।

अध्याय १२

राज्य-क्षेत्र

(State Territory)

राज्य-क्षेत्र भूतल का वह भाग है जिस पर कोई राज्य सर्वोच्च तथा प्रत्यक्ष सत्ता का प्रयोग करता हो। इसमें भूमि प्रदेश, प्रादेशिक जलभाग, राष्ट्रीय जलभाग तथा प्रदेश के ऊपर के आकाश का भाग तथा भूमि के नीचे का भाग भी सम्मिलित है।

क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की सीमाएँ :—सामान्यतः राज्य की क्षेत्रीय प्रभुसत्ता अविभाज्य है परन्तु इस सामान्य नियम के अपवाद हैं। सहाधिपत्य की दशा में प्रदेश दो या अधिक शक्तियों द्वारा बाँट लिया जाता है और प्रभुसत्ता कई राज्यों में विभक्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में अधिपति-राज्य द्वारा किसी विदेशी राज्य को पट्टे पर दिया जा सकता है अथवा बन्धक किया जा सकता है। सन् १६४१ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राज्य को न्यूफॉण्डलैंड, बमुडा तथा जर्मेका इत्यादि में नाविक तथा हवाई अड्डों के लिए प्रदेश के छोटे-छोटे टुकड़ा का पट्टे पर देना इसके अन्य उदाहरण हैं। संयुक्त राज्य तथा जापान का फरवरी सन् १९४२ का सुरक्षा समझौता, जिसके द्वारा संयुक्त राज्य को जापान में कुछ अड्डों को स्थायी रूप से उपयोग करने से दे दिया गया है तथा संयुक्त राज्य के सर्विस कोर्ट (न्यायालय) को अपने व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के ऊपर अनन्य क्षेत्राधिकार रखने की व्यवस्था की है, यह जापान की असंमित प्रभुसत्ताधिकार के विच्छेद जाता है। कभी कभी एक प्रदेश के ऊपर प्रभुसत्ता अन्य राज्य द्वारा न्यास रूप में प्रयोग की जा सकती है क्योंकि उस प्रदेश में ऐसी पिछड़ी जातियाँ बसी हुई हैं जिन्होंने किसी भी सीमा में स्वराज्य प्राप्त नहीं किया, उदाहरणार्थ एक मात्र शित प्रदेश अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यास रखने की पद्धति। प्रभुसत्ता संघीय राज्य तथा सदस्य राज्यों के मध्य में भी विभक्त हो सकती है। भारत में प्रभुसत्ता की परम्परागत धारणा में तीव्र परिवर्तन हो गया है जिसके अनुसार अप्रतिबधित भारत निश्चय व्यक्त होता था। रूस द्वारा निर्दिष्ट पूर्वीय यूरोप तथा अमेरिका द्वारा प्रभावित पश्चिम के गुटों के बनने के कारण जिसको पूर्व और पश्चिम का द्वितीय युद्ध भी कहा जाता है, राज्य-रूरी व्यक्तियों को पारस्परिक आर्थिक, सैनिक तथा राजनैतिक सहयोग पर आधारित समुदायात्मक परिवर्तन करने की प्रवृत्ति हो गई है जिसके द्वारा उनमें से किसी गुट में पड़ने वाले राज्य का बाह्य मामलों में प्रतिबधित भाग निश्चय सशित हो गया है।

क्षेत्र :—किसी राज्य के क्षेत्र में प्रथम तो वह भूमि आती है जो उसकी सीमाओं के भीतर स्थित है। दूसरे, इसमें आन्तरिक जलभाग जैसे झील, नहर, नदियाँ, बन्दरगाह तथा जलयानों की रक्षा के स्थान होते हैं। तीसरे, इसमें वह प्रादेशिक जलभाग होता है जिसमें किनारे के जलभाग की वह समुद्रीय पेट्टी सम्मिलित है जो निचले जल-चिह्न से नाप में तीन मील चौड़ी है। चौथे, इसमें इसके क्षेत्रीय भूमि तथा जलभाग के ऊपर के आकाश का भाग सम्मिलित है।

सीमाएँ :—सीमाएँ एक राज्य के क्षेत्र की सीमाओं को दूसरे राज्य के क्षेत्र से पृथक् करती हैं, और राज्य के क्षेत्रीय अधिकार के भाग हैं। सीमाएँ प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक हो सकती हैं। प्राकृतिक सीमाओं में नदियाँ (जिस प्रकार रावी नदी जो कि पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब की, जो भारत तथा पाकिस्तान के यथाक्रम भाग है, सीमाओं को अलग करती है), पर्वत जिस प्रकार हिमालय (जो भारत की सीमा को रक्षा करता है), मरुभूमि, जंगल तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ हैं। अप्राकृतिक सीमाएँ काल्पनिक सीमा की रेखाएँ हैं जो प्रदेशों के विभाजन के प्रयोजन से बनाई जाती हैं। उनमें दीवारें, स्तम्भ, लकड़ी के टुकड़े इत्यादि सम्मिलित हैं। मेकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच की विभाजक रेखा मानी गई है।

सीमा पर स्थित झील भी दो या अधिक राज्यों के बीच के भू-भाग को एक काल्पनिक सीमा रेखा द्वारा निश्चित करती है जो झील के मध्य से पार होती है।

समुद्रीय पेट्टी की सीमा-रेखा अनिश्चित है और यह किनारे से तीन मील से अधिक समीप नहीं जा सकती है।

अप्राकृतिक सीमाएँ एक प्रकार से कल्पना से उत्पन्न सीमाएँ होती हैं जो साधारणतया एक राज्य को दूसरे राज्य से पृथक् कर देती हैं। उनके अन्तर्गत दीवार, स्तम्भ, खम्भे आदि आ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कैनाडा के बीच की आधे से अधिक सीमा-रेखाएँ इसी प्रकार की कृत्रिम रेखाएँ हैं।

अनेक प्रसंगों में विवाद-ग्रस्त सीमाओं ने बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय अथवा अन्तर-राज्य विवादों (arbitrations) का प्रश्न उत्पन्न किया है। १९०३ का अलास्का-वाउएण्डरी आर्बिट्रेशन इस बात का सबसे प्रबल उदाहरण है। यह आर्बिट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच कैनाडा की ओर से किया गया था। प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् से अब तक अनेक सीमा-रेखाकन आयुक्तों की नियुक्ति की जा चुकी है। विवादों का निर्णय किसी देश के वास्तविक आधिपत्य और उसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर किया जाता है।

अध्याय १२

राज्य-क्षेत्र

(State Territory)

राज्य-क्षेत्र भूतल का वह भाग है जिस पर कोई राज्य सर्वोच्च तथा प्रभुसत्ता का प्रयोग करता हो। इसमें भूमि प्रदेश, प्रादेशिक जलभाग, राष्ट्रीय जलभाग तथा प्रदेश के ऊपर के आकाश का भाग तथा भूमि के नीचे का भाग भी सम्मिलित है।

क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की सीमाएँ :—सामान्यतः राज्य की क्षेत्रीय प्रभुसत्ता अविभाज्य है परन्तु इस सामान्य नियम के अपवाद हैं। सहाधिपत्य की दशा में प्रदेश दो या अधिक शक्तियों द्वारा बाँट लिया जाता है और प्रभुसत्ता कई राज्यों में विभक्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में अधिपति-राज्य द्वारा किसी विदेशी राज्य को पट्टे पर दिया जा सकता है अथवा बन्धक किया जा सकता है। सन् १८४१ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राज्य को न्यूफॉर्डलैंड, बमुडा तथा जर्नेका इत्यादि में नाविक तथा हवाई अड्डों के लिए प्रदेश के छोटे-छोटे टुकड़े का पट्टे पर देना इसके अन्य उदाहरण हैं। संयुक्त राज्य तथा जापान का फरवरी सन् १९१२ का सुरक्षा-समझौता, जिसके द्वारा संयुक्त राज्य को जापान में कुछ अड्डों को स्थानीय रूप से उपयोग करने को दे दिया गया है तथा संयुक्त राज्य के सर्विस कोर्ट (न्यायालय) को अपने व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के ऊपर अनन्य क्षेत्राधिकार रखने की व्यवस्था की है, यह जापान की असीमित प्रभुसत्ताधिकार के विरुद्ध प्रयोग की जा सकती है क्योंकि उस प्रदेश में ऐसी विच्छेद जातियाँ बसी हुई हैं जिन्होंने किसी भी सीमा में स्वराज्य प्राप्त नहीं किया, उदाहरणार्थ एक असीमित प्रदेश अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यास रखने की पद्धति। प्रभुसत्ता सधीय राज्यों तथा सदस्य राज्यों व मध्य में भी विभक्त हो सकती है। अन्त में प्रभुसत्ता की परम्परागत धारणा में तीव्र परिवर्तन हो गया है जिसके अनुसार अप्रतिबंधित मान-निश्चय व्यक्त होना या। रूस द्वारा निर्दिष्ट पूर्वोप्य यूरोप तथा अमेरिका द्वारा प्रभावित पश्चिम के गुटों के बनने के कारण जिसको पूर्व और पश्चिम का द्वै-युद्ध भी कहा जाता है, राज्य-रूपी व्यक्तियों को पारस्परिक भाषिक, सैनिक तथा राजनैतिक सहयोग पर आधारित समुदाय में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति हो गई है जिसके द्वारा उनमें से किसी गुट में पड़ने वाले राज्य का बाह्य मामलों में अतिरिक्त अतिबंधित मान-निश्चय सशक्त हो गया है।

क्षेत्र :—किसी राज्य के क्षेत्र में प्रथम तो वह भूमि आती है जो उसकी सीमाओं के भीतर स्थित है। दूसरे, इसमें भान्तरिक जलभाग जैसे झील, नहर, नदियाँ, बन्दरगाह तथा जलयानों की रक्षा के स्थान होते हैं। तीसरे, इसमें वह प्रादेशिक जलभाग होता है जिसमें किनारे के जलभाग को वह समुद्रीय पेटो सम्मिलित है जो निचले जल-चिह्न से नाप में तीन मील चौड़ी है। चौथे, इसमें इसके क्षेत्रीय भूमि तथा जलभाग के ऊपर के आकाश का भाग सम्मिलित है।

सीमाएँ :—सीमाएँ एक राज्य के क्षेत्र की सीमाओं को दूसरे राज्य के क्षेत्र से पृथक् करती हैं, और राज्य के क्षेत्रीय अधिकार के भाग हैं। सीमाएँ प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक हो सकती हैं। प्राकृतिक सीमाओं में नदियाँ (जिस प्रकार रावी नदी जो कि पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब की, जो भारत तथा पाकिस्तान के यथाक्रम भाग है, सीमाओं को अलग करती है), पर्वत जिस प्रकार हिमालय (जो भारत की सीमा की रक्षा करता है), मरुभूमि, जंगल तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ हैं। अप्राकृतिक सीमाएँ काल्पनिक सीमा की रेखाएँ हैं जो प्रदेशों के विभाजन के प्रयोजन से बनाई जाती हैं। उनमें दीवारें, स्तम्भ, लकड़ी के टुकड़े इत्यादि सम्मिलित हैं। मेकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच की विभाजक रेखा मानी गई है।

सीमा पर स्थित झील भी दो या अधिक राज्यों के बीच के भू-भाग को एक काल्पनिक सीमा रेखा द्वारा निश्चित करती है जो झील के मध्य से पार होती है।

समुद्रीय पेटो की सीमा-रेखा अनिश्चित है और यह किनारे से तीन मील से अधिक समीप नहीं जा सकती है।

अप्राकृतिक सीमाएँ एक प्रकार से कल्पना से उत्पन्न सीमाएँ होती हैं जो साधारणतया एक राज्य को दूसरे राज्य से पृथक् कर देती हैं। उनके अन्तर्गत दीवार, स्तम्भ, खंभे आदि आ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कैनाडा के बीच की भाषे से अधिक सीमा-रेखाएँ इसी प्रकार की वृत्तम रेखाएँ हैं।

अनेक प्रसंगों में विवाद-ग्रस्त सीमाओं में बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय अथवा अन्तर-राज्य विवादों (arbitrations) का प्रश्न उत्पन्न किया है। १९०३ का अलास्का-बाउण्डरी आर्बीट्रेशन इस बात का सबसे प्रबल उदाहरण है। यह आर्बीट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच कैनाडा की ओर से किया गया था। प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् से अब तक अनेक सीमा-रेखांकन आगुत्तों की नियुक्ति भी जा चुकी है। विवादों का निर्णय किसी देश के वास्तविक आधिपत्य और भौगोलिक स्थिति को देखकर किया जाता है।

(State Te

राज्य-क्षेत्र भूतल का वह भाग है । सत्ता का प्रयोग करता हो । इसमें भूमि प्रदेश तथा प्रदेश के ऊपर के आकाश का भाग तथा

क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की सीमाएँ :—

अविभाज्य है परन्तु इस सामान्य नियम के प्रदेश दो या अधिक शक्तियों द्वारा बाँट लिए में विभक्त हो जाती है । इसके अतिरिक्त कुछ किसी विदेशी राज्य को पट्टे पर दिया जा सकता है । सन् १८४१ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राज्य इत्यादि में नाविक तथा हवाई झुंडों के लिए प्रदेश देना इसके अन्य उदाहरण हैं । संयुक्त राज्य तथा का सुरक्षा-समझौता, जिसके द्वारा संयुक्त राज्य को रूप से उपयोग करने को दे दिया गया है तथा (न्यायालय) को अपने व्यक्तियों तथा उनके अधिकार रखने की व्यवस्था की है, यह जापान की असीमित जाता है । कभी-कभी एक प्रदेश के ऊपर प्रभु-सत्ता अन्य प्रयोग की जा सकती है क्योंकि उस प्रदेश में ऐसी विद्य जिन्होंने किसी भी सीमा में स्वराज्य प्राप्त नहीं किया, तित प्रदेश अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय रखने की पद्धति । तथा सदस्य राज्यों के मध्य में भी विभक्त हो सकती है । परम्परागत धारणा में तीव्र परिवर्तन हो गया है जिसके अनुसार निश्चय व्यक्त होना था । रूस द्वारा निर्दिष्ट पूर्वीय यूरोप प्रभावित पश्चिम के गुटों के बनने के कारण जिसको पूर्व युद्ध भी कहा जाता है, राज्य-रूढ़ी व्यक्तियों को पारस्परिक राजनैतिक सहयोग पर आधारित समुदायों में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति अग्रे के द्वारा उनमें से किसी गुट में पड़ने वाले राज्य का बाह्य मामलों में अतिरिक्तित धारण-निश्चय संश्लिष्ट हो गया है ।

के व्यापारी तथा युद्ध-योजी के लिए खोल दी गई। नहर में स्थायी रूप से कोई दुर्ग बनाने की अनुमति नहीं दी गई।

नहर इजिप्ट के प्रदेश में स्थित है। किन्तु इसकी रक्षा ब्रिटेन की दुर्गरक्षक सेना द्वारा होती रही। नहर ब्रिटिश कागनवेल्य की जीवन पक्ति समझी जाती है और ग्रेट ब्रिटेन ने इसकी रक्षा अपने हाथों में ले रखी थी।

ब्रिटेन तथा इजिप्ट, दीर्घकालीन समझौता बार्ता के उपरान्त ब्रिटिश सेनाओं को स्वेज नहर के क्षेत्र से हटाने पर सहमत हो गये। स्वीकार-पत्र पर २७ जुलाई सन् १९५४ को काहिरा में हस्ताक्षर किये गए। इसमें यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश सेनाओं को नहर के क्षेत्र से २० मास के अन्दर खाली कर दिया जाय और यदि अरब राज्यों अथवा टर्की द्वारा आक्रमण हो तो इनमें पुनः कार्य-संचालन आरम्भ कर दिया जाय तथा इस झूठे की देन-मान ब्रिटेन के एक नागरिक ठेका देने वाले फर्म द्वारा किया जाय। नये स्वीकार-पत्र की प्रथम सात वर्ष की थी।

स्वेज नहर का जुलाई १९५६, को जनरल नगीर द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फलस्वरूप युद्ध की प्रवृत्ति तैयारियाँ होने लगी। गुरखा परिपद तथा आघारण सभा के हस्तक्षेप से दान्तिमय वातावरण बाधित नाया जा सता। स्वेज नहर का विस्तृत विवरण 'गुरखा परिपद के बापों का निहायलारन' नामक अध्याय में दिया गया है।

कोल नहर :—यह बाल्टिक तथा उत्तर मागर का जाहनी है। यह पूर्णतः जर्मन प्रदेश के भीतर से होकर चलती है। प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व अथवा जर्मनी ने इसे अन्य राज्यों के अंतर्गत के लिए खोल रखना था, फिर भी उसे यह अधिकार था कि अपनी इच्छानुसार बन्द कर दे। बर्लिन की सन्धि (१९१६) में यह व्यवस्था की गई कि कोल नहर तथा उनमें पहुँचने के मार्गों की देखभाल बिना किसी कर लगाये की जायगी तथा यह उन सभी राज्यों के व्यापारिक तथा युद्ध-योजी के लिए पूर्ण गमनता की शर्तों पर खुला रहना चाहेगी या जर्मनी के माप मीरी का सम्बन्ध रखेगी।

नवम्बर १४ सन् १९३६ का जर्मनी न बर्लिन की सन्धि में खोल नहर संबंधी व्यवस्था को देखते हुए से भंग कर दिया। इस उपरान्त जनवरी १६, सन् १९३७ को जर्मनी के नीचेना अधिनियमों ने एक अधिनियम निराना अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत से यह घोषणा की गई कि वे नहर में प्रवेश करने के पूर्व आज्ञा प्राप्त करें।

पनामा नहर—पनामा नहर की अन्तर्राष्ट्रीय विधि 'द पनामा-कैनल सन्धि' (Hay-Pauncefote Treaty) के अनुबन्धों द्वारा निर्दिष्ट की गई है जो अन्तः

नदियाँ :—नदियाँ तटस्थ राज्य के क्षेत्र की भाग है। जहाँ कोई नदी किसी राज्य के क्षेत्र अथवा सीमाओं के भीतर पूर्णरूप से पड़ती है, पूर्णतः उसी राज्य की हो जाती है, जैसे टेम्स नदी। ऐसी नदियों को राष्ट्रीय नदियाँ कहा जाता है। किसी विदेशी राज्य के सार्वजनिक तथा वैयक्तिक जहाज राष्ट्रीय नदियों में सन्धि अधिकारों के बिना नहीं चल सकते। वे नदियाँ जो कई राज्यों के मध्य से पार होती हैं राष्ट्रीय नदियाँ नहीं हैं और प्रत्येक राज्य नदी के उस भाग का अधिकारी होता है जो उसके प्रदेश के मध्य से पार होती है। ऐसी नदियों में नदी के तट पर स्थित राज्य नदी के ऐसे भागों पर जो उसके प्रदेश में पड़ती हैं, जल में यातायात को नियमित कर सकते हैं और नदी से असम्बद्ध राज्यों के जलयानों को बहिष्कृत कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी नदियाँ हैं जो सन्धियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बना दी गई हैं। पेरिस की सन्धि (१८५६) ने अन्तर्राष्ट्रीय डेन्यूब आयोग नियुक्त किया जिसमें डेन्यूब नदी पर जलयानों का यातायात नियमित किया गया। सन् १९४७ के पेरिस के सन्धि सम्मेलन ने यह निर्धारित किया कि डेन्यूब सब राज्यों के लिये बिना किसी अवरोध के खोल देनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ने वाली नदियाँ भी इस प्रकार उभय राष्ट्रीय नदियाँ हैं।

नहरें :—नहरें कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं और ऐसी दशा में वे उस देश की भाग हैं जिसके क्षेत्र में वे स्थित हैं। नहरों को कभी-कभी तटस्थ अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बना दिया जा सकता है जब सामुद्रिक शक्तियाँ उन जल-भागों के भीतर सामुद्रिक शत्रुता न करने के लिए सहमत हो जाते हैं। स्वेज नहर, दार्दनेलीस, बोसफोरस, कील नहर तथा पनामा नहरें ऐसी झीलों के उदाहरण हैं जिनको सदा समय पर अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

स्वेज नहर :—यह मध्य सागर तथा लाल सागर को मिलाती है। यह पहले एक फ्रांसीसी कम्पनी के अधिकार में थी। इस पर नियन्त्रण का अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। इस नहर के चार्टर की अवधि नवम्बर १७ ई १९६६ को समाप्त होती। उस समय यह मिस्र देश की पूर्णतः सम्पत्ति होने की घोषणा मार्च सन् १९४६ तक कम्पनी के ३२ सचालकों में से केवल दो इजिप्टवासी थे किन्तु उसी मास की सातवी तिथि को हस्ताक्षरित एक स्वीकार-पत्र द्वारा पाँच और इजिप्ट देशवासी सचालक नियुक्त किये गये।

सन् १८८८ की बुस्तुननुनियाँ के अभिमतमय में जो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड, इटली, स्पेन, रूस तथा टर्की के मध्य में हुई थी, स्वेज नहर को खोल कर दिया गया। इस सन्धि द्वारा नहर सन्धि तथा युद्ध के समय सब राज्यों के

के व्यापारी तथा युद्ध-पोतों के लिए खोल दी गई। नहर में स्थायी रूप से कोई दुर्ग बनाने की अनुमति नहीं दी गई।

नहर इजिप्ट के प्रदेश में स्थित है। किन्तु इसकी रक्षा ब्रिटेन की दुर्गरक्षक सेना द्वारा होती रही। नहर ब्रिटिश कागनवेल्य की जीवन-पंक्ति समझी जाती है और ग्रेट ब्रिटेन ने इसकी रक्षा अपने हाथों में ले रखी थी।

ब्रिटेन तथा इजिप्ट, दीर्घकालीन समझौता वार्ता के उपरान्त ब्रिटिश सेनाओं को स्वेज नहर के क्षेत्र से हटाने पर सहमत हो गये। स्वीकार-पत्र पर २७ जुलाई सन् १९५४ को काहिरा में हस्ताक्षर किये गए। इसमें यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश सेनाओं को नहर के क्षेत्र से २० मास के अन्दर खाली कर दिया जाय और यदि अरब राज्यों अथवा टर्की द्वारा आक्रमण हो तो इसमें पुनः कार्य-संचालन आरम्भ कर दिया जाय तथा इस अड़्डे की देख-भाल ब्रिटेन के एक नागरिक ठेका सेने वाले फर्म द्वारा किया जाय। नये स्वीकार-पत्र की अवधि सात वर्ष की थी।

स्वेज नहर का जुलाई १९५६, को कर्नल नसीर द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फलस्वरूप युद्ध की प्रबल तैयारियाँ होनी लगी। सुरक्षा परिषद तथा माघारण सभा के हस्तक्षेप से शांतिमय वातावरण वापस लाया जा सका। स्वेज नहर का विस्तृत विवरण 'सुरक्षा परिषद के कार्यों का सिंहावलोकन' नामक अध्याय में दिया गया है।

फील नहर :—यह बाल्टिक तथा उत्तर सागर का जाड़नी है। यह पूर्णतः जर्मन प्रदेश के भीतर से होकर बहती है। प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व यद्यपि जर्मनी ने इसे अन्य राज्यों के जलपोतों के लिए खोल रखवा था, फिर भी उसे यह अधिकार था कि अपनी इच्छानुसार बन्द कर दे। वर्साई की सन्धि (१९१९) में यह व्यवस्था की गई कि फील नहर तथा उसमें पहुँचने के मार्गों की देखभाल बिना किसी कर लगाये की जायगी तथा यह उन सभी राज्यों के व्यापारिक तथा युद्ध-पोतों के लिए पूर्ण गमनना की शर्तों पर खुला रखी जायेगी जो जर्मनी के साथ सैन्यी का सम्बन्ध रखेंगे।

नवम्बर १४ सन् १९३६ को जर्मनी ने वर्साई की सन्धि में जिन नहर संवधों व्यवस्था को देखते पक्ष से भंग कर दिया। इसके उपरान्त जनवरी १६, सन् १९३७ को जर्मनी के नौसेना अधिकारियों ने एक अधिनियम निकाला जिसके अनुसार विदेशीय जलपोतों से यह अपेक्षा की गई कि वे नहर में प्रवेश करने से पूर्व आज्ञा प्राप्त करें।

पनामा नहर—पनामा नहर की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 'द पॉन्ड-कोटे सन्धि' (Hay-Pauncefote Treaty) के अनुबंधों द्वारा निरिक्त की गई है जो मंजूर

राज्य तथा ग्रेट ब्रिटेन के मध्य सन् १९०२ में हुई थी । । इसके अनुसार यह नहर सब राज्यों के व्यापारिक तथा युद्ध-पोतों के लिए खोल दी गई है ।

वस्तुतः इस नहर का क्षेत्र पनामा के गणतंत्र का भाग है । १९०३ में समुद्र राज्य अमेरिका और पनामा गणतंत्र के बीच एक सन्धि हुई थी । इस सन्धि के अनुसार पनामा की स्वतन्त्रता की गारंटी अमेरिका ने दी थी जिसमें पाँच मील की दूरी तक निर्माण-अधिकार को संचित कर लिया गया था । १९३६ में इस सन्धि में सुधार किया गया और पनामा के गणतंत्र को नहरी क्षेत्र में और भी व्यापक क्षेत्र-अधिकार प्राप्त हो गये । अमेरिका के उपरोक्त प्रभुता को छोड़कर अन्य सभी प्रवर्तों में यह नहर अपनी तटस्थता को स्थिति को बनाये हुए है ।

जलडमरूमध्य—सब जलडमरूमध्य क्षेत्रीय होते हैं जो ६ मील से अधिक चौड़े नहीं होते । कुछ जलडमरूमध्य विशेष स्थानीय विनियमों (regulations) के अन्तर्गत हैं, जैसे दार्देनेल्लोज तथा बासफोरस के जलडमरूमध्य ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कर्फू चैनल केस, आई० सी० जे० प्रतिवेत १९४९, पृ० ४ (Corfu Channel Case I. C. J. Reports 1949, p. 4) में यह कहा गया है कि यह सामान्यतः स्वीकृत है और अन्तर्राष्ट्रीय हडि के अनुसार है कि राज्यों को शान्ति के समय अपने युद्ध-पोतों को उन जलडमरूमध्य के बीच से जो दो समुद्रों के भागों के मध्य में अन्तर्राष्ट्रीय नौचालन के लिए उपयोग में लाये जाते हैं, तटवर्ती राज्य की विना पूर्व अनुमति प्राप्त किये भेजने का अधिकार है, किन्तु अनुबन्ध यह है कि यात्रा निर्दोष हो ।

सामुद्रिक पेटो—सामुद्रिक पेटो समुद्र का वह भाग है जो तट के राज्य के प्रभुत्व में हो । इस बात पर सर्वसम्मति यही है कि समुद्र का खुला भाग राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं हो सकता । समुद्र का केवल ऐसा भाग जो तटवर्ती जल-भाग है, तट के राज्य की सम्पत्ति है । पुनः ये जलभाग राष्ट्रीय नहीं हैं वरन् क्षेत्रीय हैं मर्तों उस घेरे में अथवा पेटो में सम्मिलित हैं जिनमें विदेशी राज्यों को अपने ध्वजारों जलपोतों को निर्दोष रूप से चलाने का अधिकार है । उनको क्षेत्रीय जल में अथवा 'पार्श्ववर्ती पेटो' भी कहा जाता है जिन पर तट के राज्य को सन्तुष्ट क्षेत्रीय-प्रभुयत्ता प्राप्त है । सामुद्रिक पेटो की चौड़ाई के सम्बन्ध में ब्रिन्करशूक (Brinkerhoek) का मत यह है कि समुद्र का उतना भाग जितनी दूर तक कि तट का एक गोला पहुँच सके, तटवर्ती राज्य की सम्पत्ति होनी चाहिए । यह मत भारत में बहुत से लेखकों द्वारा ग्रहण किया गया । १८वीं शताब्दी के अन्त में तोर का लोन खगमग ३ मील तक पहुँच सकता था, किन्तु इस नियम के अनुसार यह सीमा निर्दिष्ट नहीं रह सकती क्योंकि ज्यों-ज्यों आधुनिक भ्रान्तेय अस्त्रों के गोलों की मार हो

दूरी बढ़ती जायगी त्यों-त्यों यह भी बढ़ती जायगी। ग्रोशस (Grotius) ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि प्रभुत्व उस दूरी तक सीमित कर दिया जाय जहाँ तक कि सरक्षण तट से पहुँच सके। वैटेल (Vattel) का यह कथन था कि सामान्यतः राज्य का प्रभुत्व पार्श्ववर्ती समुद्र पर वहाँ तक रहता है जहाँ तक यह उसकी सुरक्षा के लिये आवश्यक हो तथा वह अपनी शक्ति से स्थापित कर सके।

ग्रेट ब्रिटेन ने भी क्षेत्रीय जल भाग क्षेत्राधिकार अधिनियम (१८७८) (Territorial Waters Jurisdiction Act, 1878) की धारा ७ को अधिनियमित करके पेट्टी की चौड़ाई को तीन समुद्रीय मील निर्धारित किया अर्थात् जल-विन्ह के नीचे से तीन समुद्रीय मील, और अंग्रेजी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय जल भागों पर किये गये अपराधों के ऊपर भी बढ़ा दिया। यह अधिनियम फ्रैंकोनिया बाले मामले (R. v. Keyn, 1876, 2 Ex D 63) में दिये गये निर्णय के निराकरण के लिए पारित किया गया जिसमें यह निर्णय किया गया था कि विधि के नियमों की अनुपस्थिति में ब्रिटेन के दंड-न्यायालयों को एक विदेशी द्वारा विदेशी जलपोत पर उसके क्षेत्रीय जल-भाग में किये गये अपराधों के ऊपर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। सन् १८८८ के स्वेज नहर अभिसमय (Suez Canal Convention, 1888) द्वारा भी तीन मील का फैलाव स्वीकृत किया गया।

यद्यपि पेट्टी के फैलाव के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हैं तो भी यह रुढ़ि के नियम के रूप में स्वीकृत किया गया है कि न्यूनतम चौड़ाई तीन मील है और तट के राज्य तटस्थ जल-भाग की उस चौड़ाई पर प्रभुत्व रख सकते हैं जो किनारे से तीन मील के भीतर पड़े। ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का भी यही विचार है। नार्वे तथा डेनमार्क चार मील की सीमा मानते हैं, टर्की तथा यूरागवे पाँच मील तथा फ्रांस और स्पेन छ मील की सीमा पर सहमत हैं।

सामुद्रिक पेट्टी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सब राज्यों के व्यापारिक पातों के लिए निष्कपट रूप से नाव-संचालन के लिए खुली है, यद्यपि तट के राज्य का यह अधिकार है कि वह सामुद्रिक शिष्टाचारों के सम्बन्ध में ऐसे विदेशी व्यापारिक जलपोतों द्वारा किये जाने के लिए विधियाँ तथा विनियम बनाये। इस प्रकार की निष्कपटता से नाव-संचालन का अधिकार छुने हुए समुद्रों की स्वतन्त्रता का ही परिणाम है। तट के राज्य विदेशी जलपोतों के ऐसे आवागमन के लिए कोई पथ-कर नहीं ले सकते और न तो यह शान्ति के समय में वैदेशिक युद्ध-पातों के आवागमन को अपने सामुद्रिक पेट्टी में रोक सकते हैं। किन्तु तट के राज्य को यह अधिकार है कि वह मरस्यालयों को तथा तटवर्ती व्यापार को अपनी प्रजा के लिए सुरक्षित रखे तथा पुलिस अधिकारों का प्रयोग करे तथा नियन्त्रण रखे अथवा

सामुद्रिक पेटो के भीतर सामुद्रिक शिष्टाचार लागू करे। सक्षेप में जैसा सर राबर्ट फिलिमोर (R. Phillimore) द्वारा R. v. Keyn में व्यक्त किया गया है, इस प्रकार का तीन मील की दूरी पर आधिपत्य सीमित ढग का होता है। यह समीप वर्ती तट के सरक्षण के प्रयोजन तक सीमित है जिसके लिए यह दिया गया था और सब जाने-जाने वाले जहाजों पर सामान्य प्रभु-सत्ता के रूप में फैला हुआ नहीं है।

तटीय व्यापार :— तटीय व्यापार के सम्बन्ध में नियम यह है कि तट के राज्य को यह अधिकार है कि यह इसे केवल अपने लिए सुरक्षित रखे। प्राग्ग में तटीय व्यापार से उसी किनारे पर स्थित दो बन्दरगाहों के बीच का व्यापार समझा जाता था किन्तु अब इसका अर्थ उस देश के किसी दो बन्दरगाहों के बीच के व्यापार में विस्तृत हो गया है, चाहे वे उसी तट पर स्थित हों या उसी देश के भिन्न-भिन्न तटों पर।

खाड़ियाँ तथा आखात (Bays and Gulf) .— आखात तथा खाड़ियाँ, जिनका समुद्र से प्रवेश-द्वार छ मील से अधिक चौड़ा नहीं है (पार्वर्ती पेटो की चौड़ाई का दुगुना) आन्तरिक अथवा क्षेत्रीय हैं। यदि यह आर-पार छ मील से अधिक हो तो दोनों ओर के तीन-तीन मील क्षेत्रीय शक्ति की सम्पत्ति होती है, और का जलमार्ग और खुले हुए समुद्र का भाग है जो किसी राज्य की सम्पत्ति नहीं है वरन् सबके समान उपयोग के लिए है। फिर भी यह नियम दृढ नहीं है क्योंकि कुछ ऐतिहासिक आखात भी हैं जो यद्यपि अधिक चौड़े हैं किन्तु क्षेत्रीय जल-मार्ग माने जाते हैं। कुछ अन्य लोग हैं जो १० मील से भी आखात को क्षेत्रीय जल मानते हैं। यह मत सन् १८८२ की उत्तरीय समुद्र अभिसंमम द्वारा ग्रहण किया गया था और सन् १९१० में स्थायी पचासवीं न्यायालय द्वारा निर्णय किये गये उत्तरी अटलांटिक तटीय महसूलायों वाले मामले में भी स्वीकृत किया गया। इस नियम के अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का दावा चौड़ाई की अपेक्षा न करते हुए भी किया जा सकता है, जिसका आधार दीर्घकालीन उपयोग अथवा ऐतिहासिक प्राप्ति जो अनन्तर अन्य राज्यों द्वारा स्वीकृत की गई हो।

बन्दरगाह (Ports) .— अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इन्स्टीट्यूट ने स्टोक्होम १९२८ में घोषित किया था कि बन्दरगाह वास्तविक स्वतन्त्र राज्य के माने जायेंगे, किन्तु उन पर विदेशी पोतों के आवागमन की भी व्यवस्था रहेगी।

बन्दरगाहों पर उस राज्य का अधिकार होते हुये भी वैदेशिक जहाजों के उनके प्रयोग से सर्वथा वंचित नहीं किया जा सकता। नियम तो यह है कि बन्दरगाहों की शान्ति के समय सदैव अन्तर्राष्ट्रीय मातामता के लिए खुला रहना

चाहिये, किन्तु सैनिक बन्दरगाहों को विदेशी जहाजों के रुकने या व्यापारिक जहाजों के जाने से रोक देना भी रक्षा की दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

तीव्र पीछा का सिद्धान्त

(The Doctrine of Hot Pursuit)

“किसी पोत का समुद्र में पीछा किया जा सकता है अथवा उसे पकड़ा जा सकता है यदि वह पोत अथवा उसमें बैठा हुआ व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के कानून का उस समय अतिक्रमण करता है जबकि वह उसकी क्षेत्रीय जलसीमा में पहुँच गया है । इसे तीव्र पीछा का सिद्धान्त अथवा 'The Doctrine of Hot Pursuit' कहते हैं । यह सिद्धान्त किसी सलग्न राज्य के युद्धपोत को यह अधिकार देता है कि वे समुद्र में ऐसे पोत का तुरन्त ही पीछा करें, उन्हें गिरफ्तार करें और विचारण के लिये बन्दरगाह तक वापस ले आवें । इसके अन्तर्गत वे सभी व्यापारिक पोत माने हैं जिन्होंने किसी राज्य की क्षेत्रीय जलसीमा का उल्लंघन किया है ।”

राष्ट्रों की विधि के सहितकरण सम्बन्धित हेग कांफ्रेस (१९३०) के अंतिम अधिनियम, जो कि क्षेत्रीय सागर की वैध स्थिति (Legal Status of the Territorial Sea) के सबब में था, द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया । उसके अनुसार “विदेशी पोतों का पीछा करना या बिना तटवर्ती राज्य के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उस समय आरम्भ होता है जबकि विदेशी पोत राज्य के भीतरी जल-क्षेत्र में या क्षेत्रीय समुद्र के भीतर है । यदि पीछा का विरोध न किया गया तो क्षेत्रीय सीमा के बाहर भी उस पोत का पीछा किया जा सकता है । पीछा करने का अधिकार उसी समय समाप्त हो जाता है जबकि वह पोत जिसका कि पीछा किया गया है, अपने राज्य के क्षेत्रीय समुद्र या तीसरे राज्य के क्षेत्रीय समुद्र में प्रवेश कर जाता है ।”

तीव्र पीछा का अधिकार Story J. द्वारा 'Mariana Flora' [(1826) 11 Wheaton 1, 42] में माना गया है । यद्यपि ऐसा कहा गया था कि “ऐसे मामला में पक्षकार अपने खतरे पर पात का गिरफ्तार करने हैं । यदि वह गिरफ्तार करने के काम को सिद्ध कर देते हैं तो वह न्यायोचित माना जायगा । अगर वह असफल रहते हैं तो वह क्षतियों की पूर्ति के उत्तरदायी होंगे ।”

इस सिद्धान्त को दो नार्थ (१९०६) ["The North" (1906) 37 Can. S. C. Rep. 385], के मामले में मान्यता मिली जब कि कैनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये थे :—राष्ट्रा की विधि के अनुसार जबकि कोई पोत किसी विदेशी क्षेत्र में उपस्थित होता है तो वह कानूनों को तोड़ना है, भले ही वह मत्स्यालयों (fisheries) की सुरक्षा के लिये अथवा उसके घर के लिये

या किनारों तक पहुँचने के लिये भाया हो और उसका खुले समुद्र में क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर तुरन्त पीछा किया जा सकता है और गिरपतार किया जा सकता है ।”

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इन्स्टीट्यूट (The Institute of International Law) ने 'तीव्र पीछा' के सिद्धान्त को स्वीकार किया था और यह व्यवस्था की थी कि ऐसी गिरपतारियों की सम्बन्धित भूँडे वाले राज्य के नाम अबिलम्ब विज्ञापित निकाल दी जाय ।

'माई ऐम एलोन' (I'm alone) [(1933 : 1935) 3 Reports of Arbitral Awards, 1609] के मामले में आयुक्तों का यह कथन था कि संयुक्त राज्य अभिसमय के अनुरूप आवश्यक और उचित और प्रभावकारी शक्ति का प्रयोग पोत को ढूँढने, पकड़ने और बन्दरगाह तक ले आने के सम्बन्ध में कर सकता है और यदि अकस्मात् पोत डूब जाय और इसका कारण तीव्र पीछा में प्रयोग की गई शक्ति हो, तो पीछा करने वाला पोत बिल्कुल निर्दोष माना जाएगा किन्तु आयुक्तों (Commissioners) का विचार था कि किसी सदेहजनक पोत को डुबो देना अभिसमय के अनुसार न्यायोचित नहीं है । आयुक्तों-का अन्तिम प्रतिवेदन यह था कि पोत को डुबो देना अन्तर्राष्ट्रीय विधि से न्यायोचित नहीं है और तीव्र पीछा का सिद्धान्त ऐसे मामले में नहीं लागू किया जा सकता ।

जेनेवा कान्फ्रेंस, १९५८ :—सामुद्रिक क्षेत्र के सम्बन्ध में १९५८ में जेनेवा कान्फ्रेंस के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय विधि कमीशन की निम्नलिखित संस्तुतियाँ थीं :—

- (१) कमीशन इस बात पर सहमत है कि सामुद्रिक क्षेत्राधिकार के प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में एकरूपता नहीं है ।
- (२) कमीशन इस बात पर सहमत है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि क्षेत्रीय समुद्र की सीमा को १२ मील से परे नहीं स्वीकृत करता ।
- (३) कमीशन समुद्र की चौड़ाई के सम्बन्ध में कोई निर्णय न करते हुये भी इस निष्कर्ष तक पहुँचता है कि बहुत से राज्यों ने अपनी सीमा ३ मील से अधिक निर्धारित कर रखी है और कुछ तो इस सीमा को मानते ही नहीं ।
- (४) कमीशन का विचार है कि क्षेत्रीय समुद्र का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा होना चाहिये ।

परामर्श के पश्चात् पारस्परिक ३ मील की परिधि का प्रस्ताव दो विधायक बहुमत से कान्फ्रेंस में पारित न हो सका ।

नभ पर सर्वोच्च-सत्ता (Sovereignty over the Air) :—यह सार्वभौमिक रूप से मान्य है कि ऊपर आकाश का क्षेत्र तथा समुद्र का खुला हुआ भाग पूर्ण स्वतन्त्र हुमा करता है ।

जहाँ तक आकाश का सम्बन्ध है, उसके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आधिपत्य के सम्बन्ध में न्याय-विचारदो में परस्पर मतभेद है । भिन्न-भिन्न सिद्धान्त इस प्रसंग में प्रतिपादित किये गये हैं । पहला सिद्धान्त यह है कि आकाश का भाग पूर्णरूप से स्वतन्त्र है और बिना किसी रोक-टोक के सब के लिये खुला है । दूसरे सिद्धान्त के अनुसार आकाश का निचला हिस्सा युद्ध आदि की दृष्टि से उस राज्य के अधीन है जिस पर नीचे प्रभुत्व है और ऊँचे का आकाशीय भाग इस प्रभुत्व से मुक्त है । तीसरा सिद्धान्त यह है कि आकाश का सुदूरवर्ती धूम्र-प्रदेश उस राज्य के अन्तर्गत आता है जिसके राज्य के ऊपर वह स्थित है । तीसरे सिद्धान्त के अनुसार आकाश का ऊपर का भाग पूर्णतः अनिश्चित दूरी तक नीचे के राज्य के प्रभुत्व में आता है । चौथा और अन्तिम सिद्धान्त इस सम्बन्ध में यह है कि जहाँ तक शान्ति-यातायात का सम्बन्ध है, आकाश का भाग सब के लिये खुला है, किन्तु युद्ध-काल में अथवा सैनिक जहाजों की उड़ानों के लिये यह स्वच्छन्दता नहीं प्रदान की जा सकती ।

पेरिस कान्फ्रेंस :—प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत था कि खुले हुये समुद्र तथा अनधिभूत प्रदेश में ऊपर के आकाश का भाग सबके लिए दिना बाधा के खुला रहना चाहिये । सन् १९१६ में पेरिस में हुए मुख्य राज्यों के सम्मेलन द्वारा एक प्रलेख स्वीकृत किया गया जो आकाशीय यात्रा संचालन विनियम के सम्बन्ध में अभिसमय (Convention for the Regulation of Aerial Navigation) के नाम से प्रसिद्ध है । यह अभिसमय केवल शान्ति के समय लागू रहता है । संयुक्त राज्य अमेरिका इस अभिसमय में पक्षकार नहीं रहा । इस अभिसमय द्वारा संविदा करने वाले राज्यों ने यह स्वीकृत किया कि प्रत्येक राज्य की अपने प्रदेश तथा प्रादेशिक जलभाग के ऊपर स्थित आकाश-भाग पर सम्पूर्ण तथा अनन्य सर्वोच्च सत्ता है किन्तु प्रत्येक पक्षकार ने यह वचन दिया कि शान्ति के समय में यह अन्य पक्षकारों के व्यक्तिगत वायुयानों को निष्कपट आवागमन की स्वतन्त्रता उस समय तक देगा जब तक वे अभिसमय के नियमों का पालन करेंगे । प्रत्येक संविदा करने वाले राज्य ने सैनिक अथवा सार्वजनिक सुरक्षा के कारणों के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के ऊपर वैयक्तिक उड़ान का विरोध करने का अधिकार अपने लिए सुरक्षित रखा ।

हवाना कान्वेशन :—फरवरी १९२८ में कई अमेरिकीय राज्यों ने मिल कर संयुक्त राज्य सम्मिलित था, एक अभिसमय स्थापित किया जो हवाना अभिसमय के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्यापारिक विमान चालन के लिये है और उसी आधार पर है जिस पर पेरिस का अभिसमय।

चारसा कान्वेशन :—चारसा अभिसमय जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के सम्बन्ध में नियम निर्धारित किये गये अक्टूबर १२, सन् १९१९ में हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय वायु-परिवहन के शर्तों को नियमित करने वाले नियमों में सामञ्जस्य आ जाय।

शिकागो कान्वेशन अथवा वायु-परिवहन की पाँच स्वतन्त्रताएँ—सन् १९४४ में शिकागो में एक अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सम्मेलन (International Civil Aviation Conference) व्यापारिक वायु-परिवहन के अधिकारों के लिये विश्वव्यापी व्यवस्था स्थापित करने तथा इस विषय सम्बन्धी विशेष बातों को ध्यान-बालन सम्बन्धी विषयों को निश्चित करने के निमित्त हुआ।

शिकागो के कान्वेशन के अनुच्छेद १ द्वारा प्रत्येक राज्य की अपन क्षेत्र के ऊपर स्थित आकाश-भाग पर सम्पूर्ण तथा अनन्य सर्वोच्चसत्ता स्वीकृत की गई। फिर भी सविदा करने वाले राज्यों के क्षेत्र के अन्तर्गत बिना उतरे हुए उड़ने तथा उनके क्षेत्र में यातायात सम्बन्धी विषयों के लिये उतरने की स्वतन्त्रता इस अभिसमय द्वारा दे दी गई। सितम्बर १९४८ की पुलिस कार्यवाही के पूर्व सिडनी बार की भारतीय सरकार की आज्ञा प्राप्त किये बिना भारतीय क्षेत्र के ऊपर से होकर हैदराबाद के उडान की भारतीय सरकार द्वारा इस आधार पर कटु आलोचना की गई कि उसकी यह यात्रा निष्कपट नहीं थी क्योंकि वह सख्त तथा गोला-बारूक हैदराबाद को ले जाने में लगा हुआ था। भारत के परिवाद पर ब्रिटिश हवाई मंत्रिमंडल ने सिडनी काटन के उडान का लाइसेंस निलम्बित कर दिया था।

शिकागो कान्वेशन में आकाश-उडान के लिये ५ प्रकार की स्वतन्त्रताएँ निर्धारित की गईं। इन्हें 'नम की पाँच स्वतन्त्रताएँ' 'Five Freedoms of the Air' कहा जाता है :—

- १—विदेशी क्षेत्र में बिना उतरे हुये उडान।
- २—अनायातायात उद्देश्यों से उतरना।
- ३—राज्य के वायु यातायात के उद्गम के सम्बन्ध में किसी विदेशी वायुयान सम्बन्धी प्रसंगों में उतरना।
- ४—यात्रियों को या डाक को जो उस राज्य क्षेत्र के लिये बर्ती है, वहाँ पहुँचाना जहाँ का वह वायुयान नागरिक—

५—दो विदेशी देगो मे यातायात-सचालन ।

इस स्वीकार-पत्र पर जो कि पारवहन की पाँच स्वतन्त्रताएँ प्रदान करना था केवल १६ राज्यों ने हस्ताक्षर किये, और अधिकांश राज्यों ने, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन भी था, हस्ताक्षर नहीं किये । इससे पश्चात् एक दूसरा स्वीकार-पत्र अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेना पारवहन सविदा (International Air Services Transit Agreement) तैयार किया गया जो कि केवल प्रथम दो स्वतन्त्रताएँ प्रदान करता था, अर्थात् विदेशी क्षेत्र में बिना उतरे हुये उड़ान तथा अनायातायात उद्देश्या से उतरना । इस स्वीकार-पत्र पर १९४५ में ३३ राज्या द्वारा हस्ताक्षर किये गये और १९५१ में ४१ राज्यों में यह लागू था, परन्तु साविद्यत रूस इसमें पक्षकार नहीं था ।

अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सघ (International Civil Aviation Organization) —शिकागो सम्मेलन में की गई स्वीकृतियों के परिणाम-स्वरूप एक अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन सघ सन् १९१९ में अन्तर्राष्ट्रीय वायुयान चालन-प्राधाय के स्थान में स्थापित किया गया है । यह नया सघ समुक्त राष्ट्र सघ के विशिष्ट माधना में से एक है और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अपीलाधिकार के अन्तर्गत अभिसमय की शर्तों के लागू होने के सम्बन्ध में सदस्या के मध्य झगडा का निर्णय करता है । सन् १९५६ तक ७३ देश इस सघ में सम्मिलित हुए थे ।

वेतार की खबरें —किसी राज्य की सीमा के ऊपर आकाशीय क्षेत्र का प्रभुत्व हाता है । इसी प्रभुत्व के कारण वे दूसरे राज्या को अपनी नभ-सीमा में विपैली गैसा या सक्रिय किरणो को भेजने से रोकते हैं । १९०६ में बर्लिन में अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर एक वायरलेस टेलीग्राफ कान्वेशन किया गया था । उस कान्वेशन में केन्द्रों से चलते हुए जहाजों पर खबरें भेजने के सम्बन्ध में निश्चय किये गये थे । इसके पश्चात् १९१२ और १९१४ में क्रमश लन्दन रेडियो टेलीग्राफो कान्वेशन और लन्दन कान्वेशन किये गये थे । १९२७ में बार्सिलोन कान्वेशन किया गया जिसने एक सविदा अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो टेलीग्राफ अभिसमय (International Radio Telegraph Convention) नाम पर तैयार किया । इस कान्वेशन के अनुच्छेद २ में लिखा गया कि सविदा से सम्बन्धित सरकारें वेतार की खबरों को अन्तर्राष्ट्रीय सेवा और लोकहित के लिये उपयोग में लायेगी । १९३२ में अन्तर्राष्ट्रीय टेली कम्युनिकेशन कान्वेशन मैड्रिड में किया गया । उसमें अन्तर्गत सविदा के पत्रकारों के बीच वेतार की खबरों को नभ में भेजने के सम्बन्ध में निश्चित और स्पष्ट नियम बना दिये गये । १९४८ में युरोपियन ब्राडकॉस्टिंग कान्वेंशन के आधार पर ब्राडकॉस्टिंग के केन्द्रों के निश्चित आधार और आभार स्थित कर दिये गये ।

किसी राज्य की ऊपरी आकाशीय सीमा की मान्यता और 'यू-२' का दृष्टान्त :—१ मई १९६० को अमेरिकन लाकहीड यू-२ टर्को और पाकिस्तान से होता हुआ सोवियत भूमि की नभ सीमा में अतिक्रमण कर गया। उसका उद्देश्य सैनिक और आयोगिक रहस्यों का पता लगाना था। यह अमेरिकी जहाज सोवियत रूस की सीमा में २००० किलोमीटर तक भीतर घुस आया। किन्तु सोवियत राकेट द्वारा स्वर्डलोवस्क (Sverdlovsk) क्षेत्र में गिराया गया। नैतिक, राजनैतिक और वैध दृष्टि से सयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की ओर से किया गया यह कार्य सर्वथा उचित नहीं कहा जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस सिद्धान्त पर दृढ़ है कि किसी देश की प्रभु-सत्ता उसकी सीमाओं के ऊपर आकाश में अनन्त दूरी तक फैली हुई है। यदि यहाँ तक की बाहरी वायुयानों को शान्तिपूर्ण उद्देश्यों से उड़ान की अनुमति प्राप्त है जैसा कि सेटलाइट (satellite) की विदेशी क्षेत्रों में उड़ान, फिर भी जहाँ तक जगी जहाजों का सम्बन्ध है और विशेष तौर से अमेरिकी यू-२ का सोवियत भूमि में इतनी दूर तक घुस आना न्यायोचित नहीं है।

अमेरिकी उड़ाकू ने रूस की भूमि के ऊपर नभ की सीमा में आकर अन्तर्राष्ट्रीय विधि की अवज्ञा की। उसका पहला अपराध तो यह था कि वह अवैध ढंग से सोवियत राज्य की सीमा में आया था और दूसरा यह कि सैनिक रहस्यों का पता लगाकर वह अमेरिकी सरकार को सूचना देना चाहता था जो कि किसी राज्य का विशेष रूप से सुरक्षित रहस्य था। यह अपराध अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वास्तव में एक अपराध और अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था।

सयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सभी सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता को समान दृष्टि से देखने का आश्वासन दिया गया है। अमेरिकी जेट विमान सोवियत भूमि अफगानिस्तान होते हुए पहुँचा। यहाँ भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से एक अपराध हुआ, क्योंकि उस विमान ने अफगानिस्तान की नभ-सीमा को बिना अफगान सरकार की सूचना के पार किया। सयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं नभ-सीमा की प्रभुता पर बल देता है। अस्तु सोवियत भूमि में अमेरिकी विमान का जाना एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध था।

२५ जनवरी, १९६१, को अमेरिका के नये राष्ट्रपति जॉन एफ० केनेडी ने यह स्वीकार कर लिया कि भविष्य में यू-२ के ढग की सीमा अतिक्रमण जैसी घटना सोवियत नभ क्षेत्र में नहीं पड़ेगी।

मुविधा-भार या अधिसेविता (Servitudes) .—घर बेवत राष्ट्रीय मुविधा-भार के प्रश्न की विवेचना करना ठीक है। अन्तर्राष्ट्रीय मुविधा-भार एक विशिष्ट धन्य है जो गन्धि द्वारा किसी विशेष राज्य की क्षेत्रीय प्रभु-सत्ता पर

सगाया जाता है जिसके द्वारा उस राज्य का क्षेत्र किसी शर्तों अथवा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन कर दिया जाता है जिससे अन्य राज्यों के हितों का साधन हो। इस प्रकार स्वीकृति द्वारा किसी राज्य को यह बाध्य किया जा सकता है कि वह समीपवर्ती राज्य की सेना को आने-जाने दे अथवा उसको समीपवर्ती राज्य के हित में अपने सीमान्त क्षेत्रों पर किलाबन्दी करने से रोका जाय।

स्वीकारात्मक तथा निषेधात्मक सुविधा-भार (Positive and Negative Servitudes) — सुविधा-भार स्वीकारात्मक अथवा निषेधात्मक रूप से हो सकता है। प्रथम का अर्थ यह है कि किसी राज्य को अन्य राज्य के क्षेत्र में किसी विशिष्ट कार्य करने का अधिकार है, जैसे किसी विशेष क्षेत्र पर रेल-निर्माण करने तथा उसको चलाने का, चुंगी घर स्थापित करने का, तथा अन्य राज्य के क्षेत्रीय जल-भागों पर मछली पकड़ने का अधिकार, इत्यादि है। निषेधात्मक से यह अर्थ प्रकट होता है कि सुविधा भार से बाध्य राज्य उस क्षेत्र पर कुछ कार्य करने से अपने को रोके अथवा किसी प्रकार से अपने क्षेत्रीय अधिकारों का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाय। इस प्रकार इसके द्वारा एक राज्य को यह अनुज्ञा दी जा सकती है कि वह राज्य यह माँग करे कि एक समीपवर्ती राज्य अपने सीमान्तों पर किलाबन्दी न करे अथवा कुछ विशिष्ट सीमा के बाहर अपनी भूमि तथा नौ-सेना को न बढ़ावे।

सैनिक और आर्थिक अधिसेविता (सुविधा-भार) (Military and Economic Servitudes) :—ओपेनहेम ने दो प्रकार के सुविधा-भारों का और भी वर्णन किया है। उसे सैनिक और आर्थिक सुविधा-भार कहा जाता है। सैनिक सुविधा-भार सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होता है जैसे विदेशी क्षेत्र में अपनी टुकड़ियाँ रखने का अधिकार या विदेशी क्षेत्र से सशस्त्र टुकड़ियाँ भेजना या यह माँग करना कि विदेशी समुद्र क्षेत्र में किलेबन्दी नहीं की जा सकती, या इसी प्रकार के अन्य अधिकार। आर्थिक सुविधा-भार व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होता है, तथा इसका उद्देश्य यातायात, या सामान्य व्यवहार के हेतु भी होता है, जैसे विदेशी क्षेत्रीय जल में मछली पकड़ने का अधिकार, किसी नदी में नौ-चालन में चुंगी के लिये मुक्त क्षेत्र, रेलवे संचालन या विदेशी क्षेत्र से टेलीग्राफ, प्रादि की सुविधाएँ प्रादि इसके अन्तर्गत आती हैं।

राज्य अधिसेविता (सुविधा-भार) की वैधता :— यदि एक राज्य दूसरे राज्य के अधीन हो जाता है या उसमें विलीन हो जाता है तो उसके सुविधा-भार दूसरे में प्रत्यावर्तित हो जाते हैं। राज्य के उत्तराधिकार पर क्षेत्रीय होने के कारण सुविधा-भार समाप्त नहीं हो जाते। सबधित राज्यों की इच्छा या अनुबन्ध के आधार पर सुविधा-भार समाप्त हो सकते हैं, किन्तु साधारण स्थिति में उसका एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रत्यावर्तन हो जाता है।

अधिसेविता (सुविधा-भार) का अन्त :—सुविधाभार जो कि लोक-लक्षी अधिकार (rights in rem) हैं अनुबद्ध करने वाले राज्य अपने में संपुक्त अथवा सम्मिलित कर लेते हैं यदि सम्बन्धित राज्य उसमें विलीन होता है। सुविधा भार का अन्त अपने सम्बन्धित राज्यों के मध्य की गयी स्वीकृति द्वारा अथवा उस लाभ के अधिकारी राज्य की ओर से प्रकट अथवा अप्रकट त्याग द्वारा किया जा सकता है। उसका अन्त परिस्थितियों में अत्यन्त आवश्यक परिवर्तनों (rebus sic stantibus) के कारण भी हो सकता है।

अध्याय १३

राज्य-क्षेत्र का अर्जन तथा अपहरण

(Acquiring and Losing State Territory)

प्रदेश प्राप्त करने के पाँच सामान्य प्रकार हैं :—

(१) कब्जा ता दखल (Occupation) :—प्रोपेनहेम का कथन है कि दखल किसी राज्य का विनियोजन (appropriation) का वह कार्य है जिसके द्वारा वह स्वेच्छापूर्वक ऐसे प्रदेश के ऊपर प्रभुसत्ता प्राप्त कर लेता है जो उस समय अन्य राज्य की प्रभुसत्ता के अन्तर्गत न हो। अतः यह किसी ऐसे राज्य के ऊपर प्रभुसत्ता स्थापना करने में सम्बन्धित है जो या तो किसी के दखल में न रहा हो अथवा हाल ही में उसका पता लगा हो। अन्य शब्दों में राज्य को दखल के प्रयोजन के लिए यह किसी की भी सम्पत्ति न होना चाहिए। दखल के लिए क्षेत्र को अथवा ही अनधिकृत (res nullius) होनी चाहिए अर्थात् किसी के भी अधिकार में उसे न होना चाहिए जिससे किसी राज्य का उस पर दखल हो सके। यह या तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी बसा न हो अथवा उसमें ऐसी जातियाँ बसी होनी चाहिए जो किसी ऐसे सभ के अधीन हो जो राज्य न समझा जाय।

वैटेल (Vattel) के अनुसार "All men have an equal right to things which have not yet come into the possession of any one, and these things belong to the person who first takes possession. When, therefore, a nation finds a country uninhabited and without an owner, it may lawfully take possession of it, and after it has given sufficient signs of its intention in this respect, it may not be deprived of it by another nation" अर्थात् ऐसी वस्तु, जिस पर पहले से किसी का दखल न हो किसी की भी समान रूप से हो सकती है। ऐसी वस्तु उसी की हो जाती है जो

पहले दखल कर लेता है। इसलिए जब कोई राष्ट्र किसी देश को निवासियों से रहित और किसी के स्वत्व से परे पाता है तो वह वैध ढंग से उस पर आधिपत्य कर लेता है। उस राष्ट्र की जब कुछ समय तक दृढ़ इच्छा उस क्षेत्र का अपने अन्तर्गत दखल रखने की बनी रहती है, तो फिर कोई अन्य राष्ट्र उसे दखल के अधिकार में वंचित नहीं कर सकता।

दखल के लिए राज्य की अनधिकृत सम्पत्ति पर कब्जा करने का विचार अथवा प्रबल इच्छा होनी चाहिये तथा उग पर उसे बस जाना चाहिये, अर्थात् दखल किये हुये क्षेत्र पर किसी न किमी प्रकार का नियन्त्रण स्थापित होना चाहिये। ओपेनहेम कहते हैं कि अधिकार प्राप्त करना तथा प्रशासन दो आवश्यक तथ्य हैं जिनसे दखल प्रमादपूर्ण होता है। अधिकार करने से उनका आशय यह है कि दखल करने वाला राज्य-क्षेत्र को अपने निकाय (corpus) में उस पर प्रभु-सत्ता स्थापना करने के सक्ल्प (animus) से ले ले। यह संकल्प क्षेत्र पर बसने तथा उसके साथ ही साथ कोई ऐसा नियमानुसार कार्य करने से होता है जिससे ये दोनों ही बातें प्रकट हो कि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है और कब्जा करने वाला उसको अपनी प्रभु-सत्ता के अधीन रखने की इच्छा रखता है। यह सामान्यतः नियमानुसार विनियोजन की घोषणा द्वारा अथवा झंडा को गाड़ने द्वारा किया जाता है जो प्रभुसत्ता का प्रतीक है। प्रशासन से ओपेनहेम का यह आशय है कि कब्जा करने वाले को उस क्षेत्र पर किसी प्रकार का प्रशासन स्थापित करना चाहिये जिससे कि यह प्रकट हो कि क्षेत्र वास्तव में नये कब्जा करने वाले द्वारा शासित होता है।

जर्मनी की वैध स्थिति (Legal Status of Germany).—जर्मनी की पराजय और मित्र-राष्ट्रो को बिना किसी शर्त के समर्पण कर देने से उसकी वैध स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं उपस्थित हुआ, क्योंकि उसकी इस पराजय का परिणाम यह नहीं हुआ कि जर्मनी न्यायिक रूप से (de jure) विजेता राष्ट्रों के अधीन हो गया। पहले तो मित्र-राष्ट्रो की सेना ने जर्मनी का संपूर्ण क्षेत्र जीत लिया और जर्मनी की सरकार को उलट दिया गया। किन्तु युद्ध की समाप्ति पर तीन महान् शक्तियों (The Big Three) की बैठक वॉशिंग्टन के पोट्सडम नामक स्थान में हुई। सम्मेलन जुलाई १७, से अगस्त २, १९४५ तक हुआ। इसमें एक समझौते पर सौम्य पहुँचे जिसके अनुसार विदेश-मंत्रियों की एक परिषद बनाई गई जिसके ऊपर शान्ति समझौता की प्रारम्भिक तैयारी करने का कार्य दिया गया। इस परिषद् में युनाइटेड किंगडम, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ, चीन, फ्रान्स और संयुक्त राज्य के विदेश मंत्री रहे गये। समझौते के अनुसार जर्मनी के प्रशासक मशीनरी का जहाँ तक सम्बन्ध था, जर्मनी में सर्वोच्च प्राधिकार का प्रयोग उनकी क्रमशः सरकारों

के निर्देश पर होना था जिसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के कमाण्डर-इन-चीफ, युनाइटेड किंगडम, सोवियत सोशलिस्ट गणतन्त्र संघ, और फ्रेंच गणतन्त्र अपने-अपने दखल की सीमा में निर्देशक थे। संयुक्त रूप से भी ऐसे प्रसंगों में जिनका कि पूरी जर्मनी से सम्बन्ध था, कन्ट्रोल-कौंसिल के सदस्य होने के नाते उन्हा प्रभुत्व था।

कुछ विद्वानों, जैसे जेनिंग्स, फोडमैन और केलसन (Jennings, Friedman and Kelsen) का कहना है कि जर्मनी पर प्राधिकार के इस प्रकार पृथक् रूप से ग्रहण करने के कारण तथा नाजी सत्ता के पूर्णतः समाप्त कर देने और प्रतिद्विधा का पूर्ण रूप से लोप कर देने के कारण जर्मनी का अन्तर्राष्ट्रीय वैध ब्यक्तित्व पूर्णतया समाप्त हो गया और तथ्यतः उसके क्षेत्रों पर उन शक्तियों का प्रभुत्व हो गया जिन्होंने उसे जीता था।

किन्तु यह निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मित्र-राष्ट्रों ने यह स्पष्टतया घोषित कर दिया था कि वे किसी प्रकार से जर्मनी को अपने अधीन नहीं करना चाहते। ठीक इसके विपरीत उन्होंने घोषित किया था कि वे जर्मनी के राजनीतिक जीवन को फिर से प्रजातन्त्र के आधार पर निर्मित करना चाहते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी जर्मनी द्वारा शान्ति-स्थापन कराना चाहते हैं। मसु, मित्र-राष्ट्रों ने जर्मनी पर जो प्रभुत्व स्थापित किया उसका तात्कालिक परिणाम केवल इतना हुआ कि उस समय की सरकार उलट दी गई, किन्तु कहीं इस बात की घोषणा नहीं की गई कि जर्मनी इन शक्तियों द्वारा अधीन कर लिया गया।

स्टार्क (Starke) का भी कहना है कि मित्र-राष्ट्रों द्वारा नियन्त्रण की प्रणाली स्पष्टतः एक अस्थायी व्यवस्थामूलक नियन्त्रण (of a provisional character) था, इसके अन्तर्गत किसी प्रकार के अधीनस्थ करने का प्रश्न नहीं था, पूर्ण रूप से वह ढाँचे में सैनिकों या और उसका आधार जर्मन राज्य पर ही था और प्राविधिक युद्ध की स्थिति की निरन्तरता का परिणाम था।

सन् १९४६ में ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने [R. v. Bottrill, Ex Parte Kuechenmester (1946, 1 All E. R. 635) के मामले में] घोषित किया था कि जर्मनी पूर्व ढग से अब भी एक राज्य है और उससे युद्ध का अर्थ नहीं हुआ है। चार विजेता शक्तियों ने जर्मनी को दखल रूप से चार क्षेत्रों (Four Zones) में बाँट दिया है और उनके कमाण्डर-इन-चीफ के हाथ में उन क्षेत्रों का नियन्त्रण और प्रशासन दे दिया गया है और एक नियन्त्रण परिषद् बना दी गई है जिनमें चारों शक्तियों के कमाण्डर-इन-चीफ हैं और जो उन प्रसंगों का प्रशासन और नियन्त्रण करते हैं जिनका सम्बन्ध जर्मनी से सम्बन्ध है।

१९४८ में बर्लिन में सोवियत 'वाक्-भाउट' के कारण 'मित्र-राष्ट्रो के कन्ट्रोल कमीशन' ने काम करना बन्द कर दिया और पश्चिमी शक्तियों ने एक एकीकृत 'West German State' (पश्चिमी जर्मन राज्य) की स्थापना का कार्य आरम्भ किया। इस प्रकार जर्मनी की 'फेडरल रिपब्लिक' की औपचारिक घोषणा २३ मई १९४९ को कर दी गई और बॉन (Bonn) को पश्चिमी जर्मनी राज्य की राजधानी घोषित किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में साम्यवादियों के नेतृत्व में 'जर्मन पीपुल्स कौंसिल' अर्थात् जर्मन जन-परिषद् ने ७ अक्टूबर १९४९ को अपने घोषणा "दो पीपुल्स एसेम्बली आफ दी जर्मन डीमोक्रेटिक रिपब्लिक" अर्थात् जनतन्त्रात्मक जर्मन गणतन्त्र की जनता की सभा घोषित किया और जर्मन ऐक्य के पुनः स्थापन की अपील की और पूर्ण जर्मन प्रभुसत्ता को बल दिया गया तथा दखल करने वाली सेनाओं से वापस चली जाने का आग्रह किया गया।

अस्तु स्पष्ट है कि मित्र-राष्ट्रो द्वारा जर्मनी के क्षेत्रों को दखल में करना कभी भी वैध अधीनता के रूप में परिणत नहीं हुआ। यह एक प्रकार का नया प्रयोग था जिसमें युद्ध-स्थित दखल और अधीनत्व, दोनों तथ्यों की समान प्रबलता थी। समूचे युद्धों के इतिहास में यह एक अद्भुत और अपन ढंग का अकेला प्रयोग था।

फारमूसा (टैवान) की वैध स्थिति [Legal Status of Formosa (Taiwan)] :—फारमूसा और पेस्केडोर्स, जो कि पहले चीनी क्षेत्र के अंग थे, १८ अप्रैल, १८६५ की शिमोनोस्की संधि द्वारा जापान को मिल गये। कैरो कांफरेंस में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, युनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री चर्चिल और चीन के राष्ट्रपति च्यांग काई शेक ने दिसंबर १, १९४३ को उद्घोषित किया कि वह समस्त क्षेत्र, जिसे कि चीन से जापान ने ले लिया था, जैसे कि मन्चूरिया, फारमूसा और पेस्केडोर्स, चीन के गणतन्त्र का वापस कर दिया जायेगा। बर्लिन (पोट्सडम) के कांफरेंस में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, चीनी गणतन्त्र की राष्ट्रीय सरकार के राष्ट्रपति और ग्रेट-ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने २६ जुलाई १९४५ को पुनः इस बात का निश्चय किया कि कैरो उद्घोषणा की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा और जापान के साथ शान्ति स्थापित करने के लिए अन्य शर्तों में यह एक निश्चित शर्त है।

सितम्बर २, १९४५ को जापान ने बिना किसी शर्त के सहायक शक्तियों के सामने समर्पण कर दिया और संयुक्त राज्य, चीन और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानों द्वारा प्रस्तावित उर्युक्त शर्तों को जुलाई २६, १९४५ को पोट्सडम में स्वीकार कर लिया और बाद में 'सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक' के यूनियन द्वारा भी इस शर्त पर

स्वीकृति दे दी गई। च्यांग काई शेक ने इस द्वीप का प्रशासन अक्टूबर १९४१ में अपने हाथों में लिया। ८ सितम्बर १९५१, की सैन फ्रान्सिस्को की शान्ति-सन्धि में जापान ने कारिया, फारमूसा और पेस्केडोर्स के सभी अधिकारों और स्वत्वों को छोड़ दिया।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर फारमूसा (तेवान) की वेध दिवसि और उसके महत्व का निर्धारण करना है।

केरो और पोट्सडम उद्घोषणाओं के समय फारमूसा पर दावा करने वाली एक पार्टी थी, और वह थी चीनी गणतन्त्र की राज्यवादी सरकार। विवाद न उस समय अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का रूप धारण कर लिया जब कि चीन को राष्ट्रवादी सरकार तायपी (तेवान की राजधानी) की ओर दिसम्बर १९४९ में बढ़ते लगे और पेकिंग सरकार फारमूसा को अपने द्वारा शासित क्षेत्र में निगमित न कर सकी।

वर्ष १९४३ की केरो-उद्घोषणा में निस्सन्देह एक सामान्य प्रयोजन का वक्तव्य था। फिर भी, वह जुलाई १९४५ की पोट्सडम उद्घोषणा में परिष्कृत किया गया और अन्तिम रूप में जापान से शान्ति-स्थापना की शर्तों में से एक शर्त के रूप में माना गया। ब्रिटिश को यह धारणा कि केरो-उद्घोषणा केवल सामान्य प्रयोजन का एक वक्तव्य है और पक्षकारों पर बाध्यतापूर्ण नहीं है, प्रवर्तनीय धारणा नहीं प्रतीत होती।

यह अवलोकन किया गया है कि फारमूसा में मित्र शक्तियों के नुजीब कमांडर के निदेश पर एक अन्तरिम प्रशासनिक नियंत्रण की प्रवर्तना में इस द्वीप पर चीन के पूर्ववर्ती प्रभुत्व को स्थिर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जापान के संप्रभुता को चीन के हाथों में हस्तान्तरित करने की बाध्यता भी नहीं है। ब्रिटिश वैदितिक सचिव, सर एन्थोनी ईडेन ने फरवरी १९५५ में कहा था कि इन प्रश्नों के संप्रभुता के परिष्कृत होने का प्रश्न नहीं उठता। पुनश्च, अप्रैल १९५२ की शान्ति-सन्धि के अन्तर्गत जापान ने औपचारिक ढंग पर सभी अधिकारों, स्वत्वों और शर्तों को फारमूसा और पेस्केडोर्स के हितों में छोड़ दिया, किन्तु इसमें फिर भी चीन के संप्रभुता को हस्तान्तरित करने का प्रश्न अन्तर्गत्त नहीं होता। यह निष्कर्ष चीन के जनवादी गणतन्त्र या चीनी राष्ट्रवादी प्राधिकारियों दोनों के प्रश्नों में समान रूप से लागू होगा। इसलिए फारमूसा और पेस्केडोर्स ब्रिटिश-सरकार की धारणा के अनुसार ऐत क्षेत्र हैं जिन पर विधितः संप्रभुता (de jure sovereignty) अन्तिम और अनिर्धारित है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि कब्जा (Occupation), भोगाधिकार (Prescription), क्षेत्र-वृद्धि (Accretion), परित्याग (Cession) और विजय (Conquest) को क्षेत्र अर्जित करने (Acquiring territory) के पाँच साधन मानती है। चीन द्वारा जापान से युद्ध की उद्घोषणा के समय, जो कि दिसम्बर ८, १९४१ को की गई थी, चीन ने औपचारिक ढंग से शिमोनोस्की की संधि को तोड़ा था। इस संधि के द्वारा फारमूसा का क्षेत्र जापान को मिला था। संधि का इस प्रकार तोड़ा जाना एक एक-पक्षीय कार्य था और अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुसार यह वाछित नहीं था। जहाँ तक कि विजय और अधिग्रहण के आधार पर पेरिंग द्वारा इस क्षेत्र पर दावा किये जाने का प्रश्न है, स्थिति यह है कि जापान ने सहायक शक्तियों को आत्मार्पित कर दिया था, किन्तु उसने एकमात्र चीन को आत्मार्पण नहीं किया था। इसलिए केवल एक शक्ति के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने फारमूसा द्वीप को विजित कर लिया और यह कि चीन को इस आधार पर फारमूसा वापस मिलना चाहिये।

राष्ट्रवादी चीन का तर्क है कि जब जापान ने आत्मार्पण कर दिया, तो चीन की गणतंत्र सरकार के अन्तर्गत: पुन तैवान और पेंगू धा गया और इसलिए इन क्षेत्रों को चीन को वापस किया जाना चाहिये।

अप्रैल २८, १९५२ को चीनी गणतंत्र और जापान के बीच हस्ताक्षरित शान्ति-संधि में विशिष्टतः कहा गया था कि सभी संधियाँ, अभिसमय और करार, जो कि दिसम्बर ८, १९४१ के पूर्व किये गये थे, चीन और जापान के युद्ध के कारण अब शून्यकृत एवं प्रभावरहित हो चुके हैं। संधि के इस महत्वपूर्ण खंड का परिणाम यह है कि १९४१ में चीन द्वारा एकपक्षीय रूप से शिमोनोस्की की संधि का तोड़ा जाना जापान की सहमति प्राप्त कर गया और इसीलिए चीन का आरम्भिक कार्य दोनों पक्षकारों की ओर से अप्रैल २८, १९५२ की शान्ति-संधि की ओर उत्तरवर्ती घोषणा के आधार पर वैधकृत हो गया।

यह सत्य है कि जापान ने एकमात्र चीन के हाथों आत्मार्पण नहीं किया, अपितु सहायक शक्तियों की पूर्ण इकाई को उसने समर्पण किया था, किन्तु उसी समय चीन-गणतंत्र और जापान के बीच विशिष्ट रूप से १९५२ में हस्ताक्षरित शान्ति-संधि हुई और उसने १८९५ की शिमोनोस्की की उस संधि को प्रभावशून्य घोषित कर दिया जिसके आधार पर फारमूसा जापान को मिला था। इसके अग्रे भी, उल्लेखनीय है कि परावर्तन (पोस्टलीमिनियम) के सिद्धान्त (doctrine of Postluminium) के अन्तर्गत उपबधित है कि यदि कोई ऐसा राज्य जो कि अस्थायी

रूप में किसी अन्य राज्य के अधीनस्थ है, विजय की पूर्णता होने के पहले ही अपनी स्वतंत्रता फिर से प्राप्त कर लेता है, भले ही यह पुनर्प्राप्ति युद्ध के बीच में हो, या उसकी समाप्ति पर, तो अधीनता या अग्रघर्षक कब्जे के पूर्व की वैध स्थिति पुनः स्थापित हो जाती है। यह सिद्धांत पूर्ण तौर पर फारमूसा की असफलता के सम्बन्ध में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि १८६५ की शिमोनोस्की की संधि को, कियो भी प्रकार अस्थायी या अपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

फारमूसा निश्चय रूप से तथ्यतः राष्ट्रवादी चीन का अंग है। मार्शल च्यांग-काई-शेक उस क्षेत्र पर सप्रभुता का प्रयोग करते रहे हैं, और भले ही फारमूसा की स्थिति उस तिथि के उपरान्त जब से कि चीन ने शिमोनोस्की की संधि को भंग किया, बिल्कुल ही बदली हुई न मानी जाय, फिर भी इसने निश्चित रूप से उस समय से एक वैध रूप धारण कर लिया जब से कि वहाँ राष्ट्रवादी सरकार ने प्रशासन करना आरम्भ किया, क्योंकि १९४५ में इसी सरकार को फारमूसा को एक सैनिक-कब्जे के रूप में सौंपा गया था और जिसकी स्थिति को गणतंत्र चीन और जापान के बीच हुई शान्ति-संधि ने जो कि अप्रैल २८, १९५२ को हस्ताक्षरित हुई, वैधकृत कर दिया।

डॉ० स्वाजेनबर्जर इस विचार के हैं कि सैन फ्रान्सिस्को सन्धि के सह-हस्ताक्षरकर्ता, जापान की अपेक्षा अन्य सभी विधि द्वारा च्यांग-काई शेक के साथ फारमूसा और पेस्कैडोर्स के मामले में एक प्रकार के सहराज्य (Condominium) का प्रयोग कर रहे हैं, और उनके अभिकर्ता के रूप में तथ्यतः कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार मार्शल च्यांग फारमूसा में एक प्रत्यायोजित प्राधिकार (delegated authority) का प्रयोग कर रहे हैं। ये राज्य समुक्त राष्ट्र के बाहर फारमूसा और पेस्कैडोर्स के भविष्य के बारे में सामूहिक रूप में निश्चय करने के लिए स्वतंत्र हैं, या समुक्त राष्ट्र सभ के परामर्श पर निश्चय कर सकते हैं। यह विचार ब्रिटिश विचार के अनुरूप है। दूसरी ओर समुक्त राज्य अमेरिका तथ्यतः कब्जाकार, अर्थात् फारमूसा पर च्यांग काई शेक की सरकार को समुक्त अधिकारों की मान्यता देने के लिए अधिक आकृष्ट मालूम पड़ता है। ब्रिटिश और अमेरिकी विचार में भेद यह है कि ब्रिटिश चीन के जनवादी गणतन्त्र को मान्यता प्रदान करता है, जब कि अमेरिका चीन की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता प्रदान करता है, क्योंकि वही सरकार उस द्वीप पर प्रशासनिक नियन्त्रण व्यवहृत करती है।

समुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के अनुच्छेद १०३ में उपबोधित है कि वर्तमान चार्टर के अन्तर्गत समुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के आभास और कितनी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय करार के आभासों के बीच के संघर्षों में चार्टर के आभास ही प्रवर्तित होंगे।

यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि १९४३ में ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य को केरो उद्घोषणा के आधार संयुक्त राष्ट्र सच क वर्तमान चार्टर से उत्पन्न आभारों के पीछे धुंधले पड़ गये ।

अब स्थिति यह है कि राष्ट्रवादी चीन के फारमूसा विपक्षक अधिकार और नियन्त्रण निश्चित और निर्धारित हो चुके हैं, और तैवान की तथ्यतः संप्रभुता चीन की राष्ट्रवादी सरकार की विधित. संप्रभुता बन चुकी है ।

वास्तविकता यह है कि फारमूसा की वैध स्थिति ने महत्व का स्थान तब लिया, जब कि चीन के जनवादी गणतन्त्र की स्थापना हुई । किन्तु, यह संयोग एक स्थापित तथ्य को विचलित नहीं कर सकता, और कहा जा सकता है कि यदि अब इन दोनों के बीच कोई सघर्ष उत्पन्न होता है तो उस सघर्ष को चीन के जनवादी गणतन्त्र (Peoples Republic of China) और चीन की राष्ट्रवादी सरकार (Nationalist Government of China)के बीच का आन्तरिक मामला कहा जायेगा । विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस स्थिति में इस प्रसंग में संयुक्त राष्ट्र सच अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय-न्यायालय (International Court of Justice) का हस्तक्षेप मामले को सुलझाने के बदले और भी उलझाने का कारण बन सकता है ।

चन्द्र और ग्रहों पर मानव-विजय (Man's Conquest of Moon and Mars).—ओपेनहेम के अनुसार दखल किसी राज्य द्वारा विनियोग का एक कार्य है और उसके द्वारा वह राज्य स्वेच्छया धारण किये गये राज्य-क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता स्थापित करता है और उसके लिए वह अनुमान करता है कि विनियोग के समय वह क्षेत्र किसी दूसरे राज्य के स्वत्व में नहीं था । इसलिए यह एक ऐसे क्षेत्र पर संप्रभुता स्थापित करने से सम्बन्धित है, जो कि या तो पहले से किसी के अधिकार में नहीं था या हाल में उसकी नयी खोज की गई है । यह ऐसा क्षेत्र प्राप्त करने का एक साधन है जो पहले से किसी राज्य के अधीन न हो । दखल को स्थिर करने के लिए सम्बन्धित राज्य में सकल्प (intention) या इच्छा (will) का विद्यमान होना आवश्यक है जिससे उस राज्य-क्षेत्र पर वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके और वह किसी न किसी प्रश्न का नियंत्रण उस भूमि पर स्थापित कर सके ।

ओपेनहेम ने दखल (possession) और प्रशासन (administration) को दो आवश्यक तथ्य माना है जो कि प्रभावकारी दखल का कारण बनते हैं । इसमें दो बातों का होना आवश्यक है—एक तो कोई राज्य-क्षेत्र किसी राज्य के अधिकार में आवे और उसके उपरान्त उस राज्य की इच्छा उस क्षेत्र को अपने अधिकार में रखने की हो । प्रशासन का अभिप्राय यह है कि धारणकर्ता उस क्षेत्र पर किसी न

किसी प्रकार का प्रशासन चालू करे जिससे यह प्रकट हो कि नये राज्य-क्षेत्र पर उस राज्य की संप्रभुता है।

उपरोक्त शर्तों को देखते हुये कहा जा सकता है कि चन्द्रमा या चन्द्रलोक पर यदि किसी राज्य का राकेट उतर जाता है तो किसी राज्य का क्षेत्रीय दावा वहाँ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि चन्द्रलोक में कोई राज्य यदि अपना झंडा भी गाड़ देते हैं तो केवल झंडा गाड़ देने से वह राज्य उस लोक पर अपनी संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। वास्तव में संप्रभुता को नाम-मात्र की होने के स्थान पर वास्तविक होना चाहिए और न तो यह ऐरे-नैरे किसी द्वारा दावा करने का विषय ही है। दावेदार को अवश्य ही ऐसे रूप में व्यवहार करना चाहिए जो कि अन्तर्राष्ट्रीय संप्रभु व्यक्ति के लिए वैध हो जिससे वह अपनी संप्रभुता का प्रयोग कहीं कर सके। यदि मनुष्य चन्द्रलोक तथा ग्रहों को जीत भी लेता है, तो इससे कोई नया विलक्षण स्वत्व नहीं प्राप्त हो जाता। केवल किसी भूमि को खोज कर लेना या चन्द्रमा को जीत लेना ही इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है, कि वहाँ उसका दखल हो गया। इस खोज या विजय से उसे एक अपूर्ण ढंग का स्वत्व प्राप्त हो सकता है जो कि प्रभावकारी नियंत्रण और प्रशासन की पूर्णता से रहित होगा। उसके स्वत्व को दखल के एक कार्य की व्यवस्था मानेंगे। यह स्वत्व दखल के वास्तविक स्वत्व (real title of occupation) के रूप में कदापि परिवर्तित नहीं हो सकता। पूर्ण दखल के स्वत्व के लिए इसमें उचित रूप से पर्याप्त समय की अपेक्षा होगी और इसकी निकट भविष्य में चन्द्रलोक के विजय के उपरान्त भी दखल सम्बन्धी कोई अन्तर्राष्ट्रीय विधि की समस्या उत्पन्न होती हुई नहीं प्रतीत होती।

२—भोगाधिकार (Prescription) :—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार भोगाधिकार का यह अर्थ है कि क्षेत्र कुछ अवधि तक लगातार प्रतिरूत कब्जा (adverse possession) के प्रयोग से प्राप्त कर लिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार यह अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि नियत नहीं है। परन्तु यह आवश्यक है कि कब्जा बिना विरोध के शान्तिपूर्वक होना चाहिए और दीर्घकालीन अवधि तक निरन्तर रहना चाहिए। भोगाधिकार के लिए किन्ती अवधि व्यतीत होनी चाहिए इस पर बहुत मतभेद है।

यद्यपि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है कि कब्जे की अवधि के समय में कोई सामान्य नियम नहीं है किन्तु वाशिंगटन की सन्धि (१८७१) का यहाँ निर्णय किया जा सकता है जिसके द्वारा भोगाधिकार के लिए ५० वर्ष की प्रतिरूत कब्जा की अवधि निर्धारित की गई थी, तथा ग्रेट ब्रिटेन और वेनेजुएला के मध्य की सन्धि

सन्धि (१८६७) को भी निर्देशित किया जा सकता है जिसके द्वारा भी इस अधिकार के लिए ५० वर्ष का प्रतिफल कब्जा परमाप्त माना गया था ।

ग्रोशस (Grotius) का विचार है कि, 'a possession beyond memory, not interrupted, nor disturbed by appealing to an arbitrator, absolutely transfers dominion.' अर्थात् कोई भी दखल जब स्मरणातीत समय से चल रहा हो, उसमें न तो किसी प्रकार की रुकावट डाली गई हो और न तो किसी पक्षकार ने किसी विवाचक के समक्ष उस दखल की न्यायिकता को चुनीती दी हो, तो क्षेत्र पूर्णरूप से दखलकर्ता का हो जाता है । लेकिन वैटल (Vattel) विषय कब्जा पर बल देते हैं । उनका कहना है कि वास्तविक स्वामी जब अपने स्वत्व से एक लंबी अवधि तक उदासीन हो जावे या उसके सम्बन्ध में लम्बे समय तक मौन रहे, तो उसका स्वत्व वास्तविक दखलकर्ता के साथ चला जाता है ।

स्वार्जेनबर्जर (Schwarzenberger) के अनुसार इस सम्बन्ध में चार सूत्र दिये गये हैं :—

(१) जो राज्य स्वत्व का दावा भोगाधिकार के आधार पर करता हो, उस क्षेत्र पर वास्तविक प्रभुत्व प्राप्त कर चुका हो ।

(२) प्रभुत्व उचित समय तक लगातार बना रहे ।

(३) प्रभुत्व शान्तिपूर्वक हो और विशेष रूप से अन्य राष्ट्रों से शान्ति का सम्पर्क बना रहे ।

(४) प्रभुत्व सार्वजनिक होना चाहिए ।

यदि ये चारों शर्तें पूरी होती हैं तो भोगाधिकार वास्तव में एक स्वत्व है जिसका प्रभाव उतना ही प्रबल होता है, जितना कि राज्य-क्षेत्र प्राप्त करने के साधनों का हुंम करता है ।

३—क्षेत्र-वृद्धि (Accretion) :—यह नदियों के कार्य द्वारा अधिकार प्राप्त करने की विधि है जिससे नयी भूमि की उत्पत्ति से भूमि-वृद्धि हो जाती है । पानी का कार्य किसी राज्य की प्रभुसत्ता के अधीन तत्काल वर्तमान क्षेत्र में नई भूमि जोड़ देता है ।

४—परित्याग (Cession) :—यह एक राज्य द्वारा द्विगर्ग व्यवहार के रूप में दूसरे राज्य को क्षेत्र का हस्तान्तरण है । क्षेत्र के हस्तान्तरण से क्षेत्र के किसी निश्चित भाग पर प्रभुसत्ता का हस्तान्तरण व्यवहृत होता है । परित्याग सन्धि द्वारा होता है जिसमें हस्तान्तरण की शर्तें निश्चित होती हैं । ऐसी सन्धि ऐच्छिक ही सक्ती है अर्थात् शान्तिपूर्वक समझौते का परिणाम (विक्रय, दान अथवा विनिमय) अथवा बाध्य विद्ये जाने पर की जा सकती है, अर्थात् युद्ध के परिणामस्वरूप तथा इसकी

व्यवस्था शान्ति-सन्धि द्वारा की जाती है, अथवा पालन न किये जाने की प्रवृत्ति में अंशकर परिणामों की धमकी के अधीन हो सकती है। परित्याग, क्षतिपूर्ति अथवा बिना क्षतिपूर्ति की शर्त पर लिया जा सकता है।

जनमत संग्रह (Plebiscite) — इस प्रकार की शान्तिपूर्ण संधि परित्याग की दशा में उस राज्य के निवासियों के जनमत द्वारा भी हो सकती है। प्रोपेनहेप का कथन है कि इस बात में संदेह है कि सदैव राष्ट्रों की विधि क्षेत्र परित्याग को जनमत संग्रह से पुष्ट कराने की बात मानेगी।

काश्मीर समस्या — १९४७ के स्वतंत्रता अधिनियम से भारत स्वतंत्र होने पर जम्मू काश्मीर अपनी वैध स्थिति चुनने के लिए स्वतंत्र हो गया। सितम्बर १९४७ से काश्मीर सीमा के उत्तरी पश्चिमी सीमा से कबीले या जनजाति (tribal people) काश्मीर क्षेत्र में घावा बोलते हुए लूटमार मचाने लगे। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान सरकार से प्रोत्साहन और सहायता मिलती रही। काश्मीर क महाराजा ने भारत से जन जाति के आक्रमणों से काश्मीर की सुरक्षा के लिए सैनिक सहायता मांगी। काश्मीर राज्य के भारत राज्य में अधिमिलन (accession) के बिना भारत सरकार का काश्मीर क आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करना उसके क्षेत्राधिकार के बाहर था। अतः २७ अक्टूबर १९४७ को भारत सरकार ने काश्मीर महाराजा के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए काश्मीर राज्य का भारत में अधिमिलन ग्रहण किया जिससे काश्मीर भारत राज्य का अखंड भाग हो गया किन्तु भारत सरकार ने राजनैतिक के साथ ही वैध कारणों से यह चाहा कि भारत में काश्मीर का अधिमिलन जनमत द्वारा हो। सितम्बर १९४७ में भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् में यह प्रश्न रखवा कि जन जातियों को काश्मीर में आक्रमण करने में पाकिस्तान द्वारा सहायता दिये जाने से पाकिस्तान सरकार को रोका जाय। सुरक्षा परिषद् ने काश्मीर समस्या को बहुत प्रकार के प्रस्तावों द्वारा सुलझाने का प्रयास किया किन्तु पाकिस्तान ने जबर्दस्ती उलझन उत्पन्न करके काश्मीर समस्या को विवादपूर्ण बना दिया।

भारत सरकार की प्रभुता जम्मू-काश्मीर के तीन विषय सुरक्षा, यातायात और विदेशी मामलों में सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के अनुसार भी काश्मीर भारत राज्य क्षेत्र का भाग है। भारत सरकार का यह तर्क भी सही है कि जनजाति की सहायता देकर पाकिस्तान ने विदेशी होकर आक्रमणकारी का कार्य किया जो कि अनुचित था। फरवरी १९६४ में काश्मीर विधान सभा ने अन्तिम रूप से भारत में प्रवेश करने का निर्णय किया। भारत सरकार ने काश्मीर का भारत में अधिमिलन जनमत द्वारा चाहा था किन्तु पाकिस्तान द्वारा इसकी दत्तने दिनों तक उपेक्षा होने के

कारण यह अग्र्याय भी समाप्त हो जाता है। काश्मीर समस्या का महत्वपूर्ण वैध रूप यह है कि दोनों राज्यों (भारत सरकार और काश्मीर राज्य) के परस्पर समझौते के कारण काश्मीर का अधिमिलन भारत राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि का रूप ले लेता है। इसके समर्थन में अन्तर्राष्ट्रीय विधि भी स्पष्ट है कि विशेष स्थिति में ही समझौता करने वाले पक्ष इसे तोड़ सकते हैं। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, १९४७, द्वारा देशी राज्य के नरेश इसके लिए बाध्य नहीं थे कि वे अधिमिलन हेतु निर्णय जनमत संग्रह द्वारा ही करें। उन्हें पूर्ण अधिकार था कि वे स्वेच्छा से अपने राज्य को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित करते अथवा स्वयं स्वतन्त्र हो जाते। फिर पाकिस्तान ने स्वयं जूनागढ़ का अपने राज्य में अधिमिलन जनमत की उपेक्षा करते हुए किया था। इस प्रकार काश्मीर का भारत राज्य में अधिमिलन पूर्ण रूप से वैध है।

काश्मीर-समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय वैध रूप :—जम्मू और काश्मीर भारतवर्ष के उत्तरी सीमा पर स्थित हैं। सयुक्त सोवियत संघ, सिक्याम और तिब्बत उत्तर तथा उत्तर-पूर्व की ओर हैं और पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिम की ओर पाकिस्तान है। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पूर्व भारत की अन्ध रियासतों की तरह काश्मीर भी ब्रिटिश सम्राट के सीधे शासन में था। १९४७ की स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के पश्चात् जिसके आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सत्ता का हस्तान्तरण भारतीय हाथों में किया था, उस समय से ब्रिटिश सम्राट का प्रभुत्व भारतीय रियासतों से समाप्त हो गया था। भारतीय रियासतें इस बात के लिये स्वतंत्र थी कि वे भारतीय डोमिनियन अथवा पाकिस्तान डोमिनियन में सम्मिलित हों। काश्मीर का शासक इस बात के लिये स्वतंत्र था कि वह अपने भावी संवैधानिक स्थिति का चुनाव कर सके।

पाकिस्तान और भारतवर्ष के विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान और काश्मीर राज्यों में आर्थिक, प्रशासकीय, यातायात, सप्लाई आदि के लिये संबंध निरंतर चलते रहने के समझौते हुए। उस समय काश्मीर की सरकार ने यह शिकायत की कि पाकिस्तान के अधिकारी आवश्यक सामग्रियों, जैसे खाद्य पदार्थ, नमक, चीनी और पेट्रोल की सप्लाई से इन्कार कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार के आचरण ने यह भासित कर दिया कि काश्मीर पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि वह पाकिस्तान में मिल जाय।

बहुत ही दृढ़ आर्थिक दबाव जो कि पाकिस्तान की ओर से आरंभ हुआ था अपने चलकर पूर्ण अवरोध की स्थिति तक पहुँच गया। सितम्बर १९४७ में कबालियों ने उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत पर कुछ उग्रत्व करने आरंभ कर दिये। उन्होंने पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों के साथ काश्मीर की सीमा के गाँवों को सूटना-खसोटना

श्रीर कत्ल करना आरम्भ कर दिया । काश्मीर की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध इस बात का कड़ा विरोध किया कि आक्रामक उनकी राज्यसीमा से होकर काश्मीर तक आने से रोके जाय, किन्तु इससे कोई लाभ न हुआ । आक्रामक बहुत ही संगठित रूप में आ रहे थे और उन्होंने थोड़े ही समय में काश्मीर राज्य क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अधिकार में कर लिया । उनका यह अधिकार पूँज क्षेत्र तक था । उन्होंने श्रीनगर को अपने अधिकार में कर लेने की धमकी दी । कबालियों के इस सामूहिक आक्रमण ने जिसे पाकिस्तान द्वारा भी सहायता दी जा रही थी, काश्मीर की सरकार को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में डाल दिया । उन लोगों ने ऐसा मनु भव किया कि बिना किसी बाहरी सहायता के वे कबालियों से अपने राज्य की स्वतंत्रता नहीं बचा सकते । तदनुसार काश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार को सैनिक सहायता देने की सन्तुति की । भारतवर्ष को इस बात का क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त था कि वह बिना काश्मीर राज्य के भारतीय सभ में अधिमिलन हुये, उसके भीतरी मामलों में हस्तक्षेप कर सके । इस कठिनाई को हल करने के लिये २६ अक्टूबर १९४७ को काश्मीर के महाराज ने अपने राज्य को भारत में मिला लिये जाने का अनुरोध किया । भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ क अन्तगत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसी रियासत का राज्य में मिला लने के पूर्व वहाँ का जनता से इस आशय का जनमत प्राप्त किया जाय । वहाँ के शासकों की इच्छा ही राज्य की इच्छा के रूप में मानी जाती थी । अस्तु भारतवर्ष को काश्मीर के महाराजा के अनुरोध पर काश्मीर को अन्तिम रूप से भारतवर्ष में मिला लेने में कोई आपत्ति न थी । २७ अक्टूबर १९४७ को भारतवर्ष ने काश्मीर का अधिमिलन स्वोकार कर लिया और उसके पश्चात् काश्मीर भारत का अन्त-य अंग बन गया ।

कुछ राजनीतिक अथवा सविधानिक कारणों से भारतवर्ष इस बात का समर्थक था कि राज्य में साधारण स्थिति उत्पन्न हो जाने के पश्चात् काश्मीर की जनता से भी अधिमिलन के सम्बन्ध में राय ले ली जाय । भारत के प्रधान मंत्री का कहना था कि भारतवर्ष सकट की घड़ी में जल्दी से कोई निश्चय नहीं कर सकता और काश्मीर की जनता की अपनी इच्छा प्रकट कर देने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये । यहाँ पर उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा कि भारत के प्रधान मंत्री की यह घोषणा काश्मीर के अधिमिलन के पश्चात् हुई थी । जनमत सग्रह का कोई प्रतिबंध काश्मीर के अधिमिलन पर न था ।

३० दिसम्बर १९४७ को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद ३५ के अनुसार इस विवाद को सुरदा परिषद के समक्ष उपस्थित किया और सुरदा परिषद से इस बात का आग्रह किया कि पाकिस्तान सरकार कबालियों को

सैनिक श्रयवा अन्य किसी प्रकार की सहायता जम्मू काश्मीर पर आक्रमण करने के लिये न दे और आक्रमणकारियों को अपने राज्यक्षेत्र की सीमा से होकर आने की अनुमति न दे । पाकिस्तान ने भारत के इस आरोप का खडन किया और कोई सतोपजनक उत्तर देने की अपेक्षा उल्टे भारत सरकार पर ही आक्रमण करने का आरोप लगाया ।

अप्रैल १९४८ में सुरक्षा परिषद ने एक आयोग इस हेतु नियुक्त किया कि वह कवालियों और पाकिस्तानी राष्ट्रीय जनो, जो कि काश्मीर राज्य में घुस आये थे, को हटाकर राज्य में शांति स्थापित करे । इस आयोग ने दोनों सरकारों से कई बार विचार-विमर्श किया, और अगस्त १३, १९४८, को एक प्रस्ताव फायरबन्दी तथा विराम-संधि का पारित किया, जो कि जनवरी १, १९४९, को दोनों सरकारों की ओर से प्रवर्तित किया गया । युद्ध-विराम के परिणामस्वरूप आयोग ने एक दूसरा प्रस्ताव जनवरी ५, १९४९, को किया जिसमें भारत पाकिस्तान की सरकार की स्वीकृतियों का विवरण दिया गया और उन भिन्न भिन्न सिद्धांतों का भी विवरण दिया गया जो कि सहायक रूप में थे । इस प्रस्ताव में जनतांत्रिक ढंग पर एक निष्पक्ष जनमत गणना की बात कही गयी । जनवरी ५ १९४९ के प्रस्ताव के क्रम में संयुक्त राज्य के नेवी के ऐड-मिरल चेस्टर निमिट्ज (Chester Nimitz) को संयुक्त राष्ट्र सभ के महासचिव ने भारत, पाकिस्तान और काश्मीर की सहमति पर जनमत गणना का प्रशासक नियुक्त किया । मतभेद धारम्भ हो गये क्योंकि पाकिस्तान ने यह माँग की कि तथाकथित आजाद काश्मीर की पाकिस्तानी सेना में वहाँ की सेना को सम्मिलित कर लिया जाय । यह प्रस्ताव अगस्त १३, १९४८ के मान्य प्रस्ताव का बिलकुल उल्लंघन करता था ।

संयुक्त राष्ट्र सभ आयोग ने इस विवाद के पूरे प्रसंग को दिसम्बर १९४९ में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष फिर से इस सन्तुति के साथ भेजा कि इस बीच में इस प्रसंग में एक विवाचक नियुक्त किया जाय । प्रसैनिकीकरण का प्रश्न इस विवाद के सुलभाय में बाधक बनकर खड़ा रहा और सुरक्षा परिषद ने सर ओवेन डिक्सन (Sir Owen Dixon) एक विधिवेत्ता और आस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट के जज को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया । उन्हें सफलता न मिल सकी क्योंकि दोनों सरकारों में आपस में प्रसैनिकीकरण की ठीकरी की प्रक्रिया के प्रसंग में मतभेद था और निष्पक्ष जनमत गणना का प्रशासन कठिन था । कवालियों के निरन्तर काश्मीर में प्रवेश करते रहने और वहाँ पाकिस्तानी सेना के बने रहने के कारण सर ओवेन डिक्सन (Sir Owen Dixon) ने कहा था कि काश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान सेना का बार बार घाते रहना अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल नहीं है और यह कि पाकिस्तान काश्मीर में आक्रमण

१७०]

उन्होंने अन्तिम रूप से यह सस्तुति की कि दोनों पक्षों पर अपने आप बातचीत बन
भीताँ द्वारा समस्या को सुलझाने का काम छोड़ दिया जाय ।

३० अप्रैल, १९५१ को सुरक्षा परिषद् ने नार्थ कैरोलिना के विश्वविद्यालय
के अध्यक्ष डॉ० फ्रैंक ग्राहम (Dr. Frank Graham) को काश्मीर में सयुक्त राष्ट्र
का प्रतिनिधि नियुक्त किया । उन्हे यह निर्देश था कि वे अधिक से अधिक प्रयत्न इस
बात का करे कि भारत व पाकिस्तान इस योजना को स्वीकार कर लें कि जम्मू और
काश्मीर राज्य का असेनिकीकरण कर लिया जाय और यूनीसिप (U. N. C. I P)
के प्रस्तावों के सिद्धान्तों के अनुरूप यह कार्य हो । डॉ० ग्राहम भी अपने कार्य में
असफल रहे यद्यपि उन्होंने सुरक्षा परिषद् को ३ रिपोर्टें दिये और सारी समस्या का
केवल असेनिकीकरण के समझौते से सम्बन्धित आरम्भिक तैयारी तक सजुचित कर
दिया, जैसे युद्धविराम रेखा के दोनों ओर असेनिकीकरण के पश्चात् किस ढंग की और
कितने मात्रा में सेना रखी जाय । २५ अगस्त १९६२ को डॉ० ग्राहम द्वारा जेनेवा
में एक मन्त्रिमंडलीय स्तर का सम्मेलन बुलाया गया किन्तु भारत और पाकिस्तान ने
सरकारें जम्मू और काश्मीर में अपने अस्तिरव के सम्बन्ध में एकमत नहीं हो सकीं ।

पाकिस्तान की सरकार काश्मीर में भारत की समानता का स्तर चाहती है ।
काश्मीर चूँकि भारत का एक अङ्ग बन चुका है, भारत सरकार उस राज्य की सुरक्षा
के लिये उत्तरदायी है । दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार काश्मीर का एक बहुत बड़ा
हिस्सा बलपूर्वक अपने अधिकार में किये हुये है । अतः काश्मीर में भारतीय सेना का
उपस्थित होना एक अधिकार और कर्तव्य की बात है जबकि पाकिस्तानी सेना में
आक्रमण किया है ।

डॉ० ग्राहम न १० अक्टूबर १९५२ को सुरक्षा परिषद् के मसदा अपना प्रति-
वेदन प्रस्तुत किया और भारत तथा पाकिस्तान के बीच काश्मीर के असेनिकीकरण
के सम्बन्ध में समझौता कराने में, जिससे जनमत द्वारा यह तय हो जाय कि कानून
भारत के साथ रहना चाहता है अथवा पाकिस्तान के साथ, अपनी प्रसन्नता
व्यक्त की ।

नवम्बर ६, १९५५, को एंग्लो अमेरिकी सयुक्त प्रस्ताव ब्रिटेन के सर ग्लेड
विन जेब (Sir Gladwyn Jebb) द्वारा सुरक्षा परिषद् में रखा गया जिसे
अनुसार यह प्रस्ताव किया गया कि दोनों सरकारें सयुक्त राष्ट्र सभ के मुद्दानुसार
सर्वप्रथम समझौता बातचीत करें और असेनिकीकरण के अत तक युद्ध विराम रेखा
व दोनों ओर कितनी सेना रखी जाय यह निर्धारित करें । यह भी उचित था कि
पाकिस्तानी सैन्य-शक्ति ३ हजार से ६ हजार तक और भारतीय सैन्य-शक्ति
२२ हजार से १८ हजार तक अपने-अपने क्षेत्र में रहें ।

पाकिस्तान की सरकार की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद् ने इस प्रश्न पर जनवरी १९५७ में फिर विचार किया। २५ जनवरी को ५ शक्तियों का एक प्रस्ताव जिसमें संयुक्त राज्य, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कोलम्बिया और क्यूबा थे, प्रस्तावित किया कि काश्मीर में यथापूर्व स्थिति रखी जाय। उनका यह प्रस्ताव पाकिस्तान सरकार को इस शिकायत पर आधारित था कि भारत सरकार जनवरी २६, १९५७, को जम्मू और काश्मीर राज्य का एकीकरण करने जा रही है। भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्टतः बतला दिया कि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के विरुद्ध है क्योंकि यह प्रस्ताव एक मुलभे हुये मामले को और भी उलझा देता है और यह कि आभारों की पूर्ति का कोई दोषारोपण यदि किया जा सकता है तो पाकिस्तान पर, भारत पर नहीं।

जारिंग-रिपोर्ट (Jarring Report) :—सुरक्षा परिषद् ने काश्मीर की समस्या पर फरवरी १९५७ में पुनः विचार किया। ब्रिटेन ने औपचारिक ढंग से चार शक्तियों का एक प्रस्ताव रखा जो कि ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, क्यूबा और संयुक्त राज्य की ओर से था। इसके अनुसार स्वीडन के श्री गुन्नार वी० जारिंग (Mr. Gunnar V. Jarring) से जो कि उस महीने के लिये सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष थे, भारत व पाकिस्तान सरकार से काश्मीर के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने को कहा गया और काश्मीर में सैनिकीकरण की पूर्ति तक के लिये संयुक्त राष्ट्र की सेना रखने की बात कही गई। भारतीय प्रतिनिधि श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि भारत सरकार अपने क्षेत्र में किसी भी विदेशी सेना को किसी भी रूप में उतरने न देगी। कोलम्बिया ने चार शक्तियों के प्रस्ताव पर कुछ सशोधन प्रस्तुत किया। सोवियत सभ ने १८ फरवरी १९५७ को सुरक्षा परिषद् में यह घोषणा कर दी कि काश्मीर में जनमत-गणना का कोई प्रश्न नहीं रह गया है और यह कि रूस की सरकार यह समझती है कि काश्मीर का प्रश्न स्वयं उस राज्य की जनता द्वारा सुलझाया जा चुका है और काश्मीर का क्षेत्र भारत का एक अविभाज्य भाग है।

चार शक्तियों ने मौलिक रूप से जिन्होंने काश्मीर में श्री जारिंग को भेजने का प्रस्ताव किया था और यह प्रस्ताव था कि वे भारत व पाकिस्तान के बीच काश्मीर के सैनिकीकरण के प्रश्न पर विचार-विमर्श करें और इस प्रश्न को देखें कि तात्कालिक रूप में काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र सभ की सेना रखी जाने की कहीं तक सम्भावना है उस प्रस्ताव पर रूस ने निवेदाधिकार का प्रयोग किया। अस्तु वह सफल न हो सका।

दूसरा प्रस्ताव उन्ही चार शक्तियों द्वारा पहले के ही प्रस्ताव के आधार पर सुरक्षा परिषद् द्वारा फरवरी २१, १९५७, को स्वीकार कर लिया गया किन्तु उसमें संयुक्त राष्ट्र सघ की सेना को काश्मीर में रखने की चर्चा नहीं थी। श्री जारिन के अप्रैल १५, १९५७, तक अपना प्रतिवेदन सुरक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। भारत व पाकिस्तान की सरकारों को श्री जारिन के कार्यों में सहयोग देने का निवेदन किया गया ऐसा ही निवेदन इन दोनों देशों के संयुक्त राष्ट्र सघ स्थित प्रतिनिधियों से किया गया।

श्री जारिन ने अपने प्रतिवेदन में यह लिखा कि वे एक बात स्पष्ट काश्मीर में देख चुके हैं जो कि अवश्य विचारणीय है। परिस्थितियाँ राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से बहुत तीव्रता से बदल रही हैं। अस्तु इस प्रश्न को अवश्य ही नवीन दृष्टिकोण से देखना होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि, यद्यपि वे परिषद् के समक्ष समस्या का कोई ठोस सुलभाव प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, फिर भी उन्होंने परिस्थितियों का जो कुछ निरीक्षण किया है उससे प्रकट होगा कि वर्तमान अवरोध के उत्पन्न होने के उपरांत भी दोनों सुलभाव ढूँढने के उत्सुक हैं।

जारिन के रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में जनमत गणना से नई कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। जारिन रिपोर्ट के प्रतिवेदन पर सुरक्षा-परिषद् ने सितम्बर १९५७ में विचार किया। २ दिसम्बर १९५७ की सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया जिससे उन्होंने काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि से निवेदन किया कि आगे की उचित कार्यवाहियों की सिफारिश करें जिससे १३ अगस्त १९४८ और ५ जनवरी १९४९ के संयुक्त राष्ट्र आयोग के सुझावों के अनुसार समस्या का शांतिपूर्ण ढङ्ग से सुलभाव हो सके।

डॉ० ग्राहम रिपोर्ट (Dr. Graham's Report)—२ दिसम्बर, १९५७, के सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव के क्रम में डॉ० फ्रैंक ग्राहम (Dr. Frank Graham) के उपमहाद्वीप का निरीक्षण किया। उनका उद्देश्य काश्मीर के प्रश्न का शांतिपूर्ण ढंग से सुलभाव प्राप्त करना और सुरक्षा परिषद् के पहले के प्रस्तावों को लागू करना था। उन्होंने दोनों सरकारों से ५ प्रस्ताव किये थे। वे सदन में निम्नलिखित हैं :—

१—दोनों सरकारों की ओर से एक नई घोषणा हो जिसमें अपनी-पारतन्त्र जनता से ऐसे वातावरण को बनाये रखने की अपील की जाय जिससे आगे की शान्ति-वार्त्ता अनुकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ सके।

२—दोनों सरकारें युद्ध-विराम-रेखा की अनिवार्यता की पुनः प्रतिज्ञा कर ।

३—काश्मीर से पाकिस्तानी सेना हटाने के सम्बन्ध में अगस्त १३, १९४८, के प्रस्ताव की सभावनाओं पर विचार ।

४—संयुक्त राष्ट्र सभ का प्रतिनिधि दोनों सरकारों से उन साधनों और समय की भविष्य पर विचार करेगा जिस पर अगस्त १३, १९४८, के प्रस्ताव के आधार पर जनमत संग्रह सम्भव हो सके ।

५—दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन डॉ० ग्राहम की सरक्षता में हो ।

इन प्रस्तावों को प्रधान मंत्री नेहरू ने पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया । यह डॉ० ग्राहम द्वारा काश्मीर के प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने का दूसरा प्रयत्न था ।

यदि कोई जम्मू और काश्मीर के विकास के स्तर का जो कि १९४८ से अब तक हुआ है विचार करे तो यह अनुभव करेगा कि काश्मीर भारतीय गणतंत्र का एक अविभाज्य अंग बन चुका और यह कि उस राज्य की जनता और भारत की जनता के सबंध इतने घनिष्ठ हो चुके हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता ।

२२ जून, १९६२, को आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसने सुरक्षा परिषद के पूर्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाते हुये भारत व पाकिस्तान दोनों की सरकारों से समझौता-वार्ता करने का निवेदन किया और यह कहा कि चार्टर के अनुच्छेद ३३ के अनुसार समस्या का यथाशीघ्र सुलभाव कर लिया जाय । इस प्रस्ताव का पश्चिमी गुट ने समर्थन किया । इसी दिन सोवियत सभ ने इस प्रस्ताव पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर एक भवरोध उपस्थित किया । यह एक नियति का व्यंग ही है कि पश्चिमी गुट ने आयरलैंड के ऐसे प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिस सम्बन्ध में ८ साल पहले ही निपटारा किया जा चुका था ।

१९६३ के आरम्भ में पाकिस्तान और भारत सरकारों ने परस्पर समझौता द्वारा काश्मीर की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया । इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न स्थानों में मन्त्रि-मंडलीय स्तर के भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की ५ बैठकें हुईं । किन्तु इन ५ बैठकों के उपरान्त भी भारत व पाकिस्तान के बीच काश्मीर के सम्बन्ध में कोई उपयोगी परिणाम न निकल सका । भारतवर्ष पाकिस्तान से सदैव मित्रता का सम्बन्ध बनाये रखना चाहता है फिर भी काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान की हठधर्मों और बढ़ती हुई माँग के कारण समस्या का कोई ठोस सुलभाव अभी तक सामने नहीं आ सका है ।

संयुक्त राष्ट्र-संघ में १९६४ का काश्मीर चाद-विवाद [U N Kashmir Debate (1964)] :—पाकिस्तान ने पुन फरवरी १९६४ में काश्मीर विवाद को सुरक्षा-परिषद में प्रस्तुत किया । उसके प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सचदे जम्मू और काश्मीर राज्य में जनमत-संग्रह कराने का तर्क रखा ।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अग्रणी श्री एम० सी० चागला ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि के तर्क को इस कथन द्वारा अस्वीकृत कर दिया कि यद्यपि पाकिस्तान काश्मीरी जनता के अधिकारों की बात करता है, किन्तु तथ्यतः उसके नेताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे काश्मीर को अन्य आधारों पर हड़पना चाहते हैं । उन्होंने उन अतिक्रमणों की तालिका प्रस्तुत की, जब कि पाकिस्तान ने यूनीसिप (UNCIP) का बड़ा-बड़ा उल्लंघन किया है—यथा, काश्मीर में पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों का बना रहना, कब्जा किये हुये क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य-सज्जा का संग्रह, कब्जा किये हुये क्षेत्र में हवाई-भट्टों का निर्माण और इस प्रकार भारत के विरुद्ध आक्रमण करने का आधार तैयार करना और उसकी सुरक्षा को खतरे में डालना, जम्मू और काश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र का पाकिस्तान में विलीनीकरण, 'मिलिट्री पैक्ट्स' की सदस्यता का लाभ उठाकर काश्मीर में पाकिस्तानी सैन्यशक्ति को बढ़ाना और तथाकथित आजाद सैन्य-शक्तियों को मजबूत करना, पाकिस्तान द्वारा अर्जात और सज्जित सैन्य-अधिकारियों की इस क्षेत्र में नियुक्ति, उत्तरी क्षेत्र पर हवन बनाये रखना, बल-प्रयोग की निरन्तर की धमकियाँ और युद्ध विराम रेखा पर नुक़्त का अतकपूर्ण वातावरण का बनाये रखना, जम्मू और काश्मीर में तोड़ धोड़ की बाधबाधियों को उकसाना, बढ़ावा देना और संगठित तथा सज्जित करना, बर्तन चानों गणतंत्र से पाकिस्तान की कोई सामान्य सीमा-रेखा न थी, फिर भी पाकिस्तान द्वारा काश्मीर की सीमा पर सिग्नाक के मामले में चीन से गठबंधन और इस प्रकार जम्मू और काश्मीर राज्य की क्षेत्रीय एकात्मता को विशृंखलित करना, आदि कार्य हैं जो पाकिस्तान की ओर से निरन्तर किये जा रहे हैं और शान्ति-भंग होने और युद्ध विराम-रेखा पर युद्ध का अतकपूर्ण वातावरण बना हुआ है ।

श्री चागला ने आगे और भी कहा था कि पाकिस्तान काश्मीर पर दावा जाति, इतिहास या परम्परा के आधार पर सामान्य हित के प्रयोजन से नहीं पणितु बस धर्म के आधार पर करता है, और यह कि भारतीय समाज और गविधान की मूलभूत धारणा बहु-जातीय समाज पर आधारित है, जहाँ कि धर्म का अनुयायी एक मात्र धानन्द से जीवन-यापन कर सकते हैं और धर्म का प्रयोग किया है और गविधानिका समाज का माध्यम से, प्रियम वि धर्म के

काश्मीर राज्य के प्रतिनिधियों ने भारत की जनता के साथ सहकार किया था और अपने आपको सविधान उपबधित करते हुये उस सविधान के हाथो अर्थात्पित किया था, वह सविधान १४ वर्षों से प्रवर्तन में रहा है। भारत में, जिसमें कि काश्मीर भी सम्मिलित है, तीन सामान्य निर्वाचन हो चुके हैं और जम्मू और काश्मीर में रहने वाली भारतीय जनता ने उस अर्थात्-निर्धारण में पूर्णतः हिस्सा लिया है।

भारतीय प्रतिनिधि ने तथ्यो से स्पष्ट कर दिया कि काश्मीर में पाकिस्तान और चीन दोनों आक्रामक की स्थिति में हैं—एक ने ३२,००० वर्ग मील का क्षेत्र अर्थात् रूप से अपने कब्जे में कर रखा है ता दूसरे ने १७,००० वर्ग मील क्षेत्र। दोनों ने उक्त क्षेत्र का अर्जन बल-प्रयोग द्वारा किया है और सबसे आश्चर्य की बात यह कि विश्व ने जब अपनी आँखो से देख लिया था कि चीन ने भारत की उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी सीमा पर अर्थात्पूर्ण आक्रमण किया है, तब पाकिस्तान के प्रतिनिधि घूम घूमकर विश्व को यह भुलावा देने में लगे थे कि चीन ने भारत पर नहीं, अपितु भारत ने ही चीन पर आक्रमण किया है। भारत ने अर्थात् यह स्पष्ट कर दिया कि यदि पाकिस्तान अपने अर्थात्क्रमण को नहीं रोकता और पाकिस्तानी सेना जम्मू काश्मीर राज्य के उस हिस्से को रिक्त नहीं कर देती, जिसे कि उसने विधि-विपरीत ढंग से हथिया लिया है, तब तक जम्मू और काश्मीर राज्य का कोई अर्थात्चित्त सुलभाव हो नहीं सकता।

मई १६, १९६४ को सुरक्षा परिषद की बैठक बिना किसी सुलभाव, प्रस्ताव या मतैक्य के अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, किन्तु इस स्थगन के साथ ही कार्यवाहियों का सक्षितीकरण प्रस्तुत करते हुये परिषद के अध्यक्ष ने यह कहा कि परिषद के सदस्य ऐसा अनुभव करते हैं कि दोनों पक्षकार यथा सम्भव शीघ्र परस्पर एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करें ताकि मध्यस्थता द्वारा उनके मतभेदो को सुलभाया जा सके।

१९६२ में चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तान ने और १९६५ में पाकिस्तानी आक्रमण के समय चीन ने भारत के विरुद्ध एक दूसरे को खुलकर समर्थन, सहायता और बढावा दिया था। पाकिस्तान १९६५ की युद्ध-समाप्ति और ताशक द-समझौते के उपरान्त भी काश्मीर के प्रश्न को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच के सम्बन्धो का निर्णायक कहता है और उसकी धमकियाँ निरन्तर जारी हैं कि जब तक उसे जम्मू और काश्मीर की समस्या का उसके सतोप के युक्त सुलभाव नहीं हो जाता, वह अन्य किसी विवाद पर समझौता करने और युद्ध विराम रेखा पर युद्ध के समाप्त को कम करने को प्रस्तुत नहीं है। इसपर जम्मू और काश्मीर राज्य ने अपने को भारत संघ में पूर्णतः तथ्यत और विधित दोनों रूपो में बिलयित कर लिया

है और वहाँ की जनता ने भारतीय संविधान के सभी उपबन्धों को साधारणतः अंगीकृत करते हुये यहाँ तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस दल को भी अपना विश्व है और वहाँ के 'सदरे रियासत' एवं 'प्रधान मंत्री' ने भी क्रमशः राज्यपाल और मुख्य मंत्री पदों को ग्रहण कर लिया है।

यहाँ स्मरणीय है कि १९४७ में पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर राज्य पर जो आक्रमण किया था उसे संयुक्त राष्ट्र सभ के मध्यस्थ सर भोवेन बिस्मन ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल घोषित किया था। उन्होंने राज्य में भारतीय सैनिकों का रहना वैध स्थिर किया था। अतः प्रश्न स्पष्ट है—आक्रामक को अपने आक्रमण का परिणाम भुगतना ही चाहिए, अतः यहाँ वास्तविक प्रश्न जो अन्तर्गत है वह काश्मीर राज्य की स्थिति का नहीं, अपितु पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण का है।

भारतीय दृष्ट निश्चय भी इस प्रसंग में स्पष्ट है कि जम्मू और काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और उस पर किसी प्रकार की मध्यस्थता वार्ता का प्रस्ताव करना भारत की आन्तरिक स्थिति में हस्तक्षेप करना है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है, और यह कि पाकिस्तान तथाकथित आंग काश्मीर पर बलपूर्वक कब्जा किये हुये है, यह अवैध है, और यह कि पाकिस्तान द्वारा वर्ष १९६५ में पाकिस्तान और चीन के सम्झौता के परिणामस्वरूप चीन को नेफा और लद्दाख क्षेत्र में दिया गया २७,००० वर्ग मील का क्षेत्र भारत की क्षेत्रीय सीमा पर एक ऐसा अतिक्रमण है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत किसी प्रकार वैध नहीं माना जा सकता।

जम्मू और काश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अंग—प्रश्न यह है कि सुरक्षा-परिपद में समय समय पर हुई कार्यवाहियों के उपरान्त भी जम्मू और काश्मीर राज्य की भारत-सभ में वैध स्थिति क्या है।

जम्मू और काश्मीर राज्य पर भारतीय सभ की सप्रभुता के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुसार जम्मू और काश्मीर राज्य भारत के क्षेत्र का अंग है। पाकिस्तान ने जातीय आक्रामकों को सहायता करके भारत के इस राज्य पर आक्रमण किया था। कोई भी विदेशी शक्ति भारत से काश्मीर राज्य की माँग करने के लिए अधिवृत्त नहीं है, क्योंकि जम्मू और काश्मीर राज्य का ही रूप में भारतीय सभ में विलीनीकरण संपन्न हो चुका है, और यह कि वहाँ के लोग प्रिय प्रशासन एवं जन साधारण की पूर्ण सहमति पर हुआ है। जम्मू और काश्मीर राज्य इस आभार के अधीन है कि वह किसी विदेशी राष्ट्र से किसी सम्बन्ध

प्रवेश न करे, क्योंकि सविधान के १९५० के जम्मू और काश्मीर आदेश के अन्तर्गत पूर्ण विलय सम्पन्न हो चुका है ।

फरवरी, १९५४ में काश्मीर सविधायिका सभा ने अन्तिम रूप से भारत में सम्मिलित होने का निर्णय किया । काश्मीर के प्रधान मंत्री ने उस समय घोषणा की कि जनमत संग्रह वा आह्वान स्वयं भारत द्वारा आज से छ वर्ष पूर्व पाकिस्तान को दिया गया था, किन्तु पाकिस्तान इस आह्वान के प्रति उदासीन रहा । राज्य की जनता ने लंबे छ वर्षों तक प्रतीक्षा की और ऐसा अनुभव किया की अब वे इससे अधिक द्विविधा और अतस्थिरता की स्थिति को राज्य और जनता की प्रगति में बाधक नहीं होने देंगे । इसलिये उन्होंने अपना विलय भारत सघ में अन्तिम रूप से करके इस अध्याय को सदा सदा के लिए निर्णीत और समाप्त कर दिया ।

प्रायः यह तक दिया जाता है कि अगस्त १५, १९४७ के बाद जम्मू और काश्मीर राज्य एक स्वतंत्र राज्य बन गया और इसके उपरान्त इस राज्य का भारत में विलय, दो सप्रभु राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय सधि का परिणाम है । इस प्रसंग में स्मरणीय है कि भारत से पाकिस्तान के हाथों शक्ति हस्तान्तरण के अवसर पर लॉर्ड माउण्ट बैटन ने भारतीय रियासतों को व्यवहारतः स्वतंत्र कर दिया था और कहा था कि, 'My scheme leaves you with all the practical independence that you can possibly use and makes you free of those subjects which you cannot possibly manage on your own.' 'मेरी योजना आपको ऐसी समस्त व्यावहारिक स्वतन्त्रताओं के साथ छोड़ती है, जिसे कि आप सभाव्यतः प्रयोग में ला सकते हैं, और उन विषयों से पूर्णतया मुक्त करती है जिसे कि आप सभाव्य रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते ।' उस समय केवल जूनागढ़, हैदराबाद और काश्मीर तीन राज्यों को छोड़कर शेष सभी या तो पाकिस्तान या भारतवर्ष में सम्मिलित हो गये । भारत और पाकिस्तान के बीच सवप्रथम मतभेद नवाब जूनागढ़ द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा और पाकिस्तान द्वारा उसकी स्वीकृति मिल जाने के प्रश्न पर घोरम्भ हुई । उस समय पाकिस्तान की सरकार ने न तो भौगोलिक अनिवार्यताओं पर ही बल दिया और न जनमत संग्रह पर ही । किन्तु वही पाकिस्तानी सरकार काश्मीर के प्रश्न पर, जब कि काश्मीर वैध ढंग पर भारत में सम्मिलित हुआ, तब भीगालिक अनिवार्यता और जनमत संग्रह पर बल देने लगी । पाकिस्तान का दृष्टिकोण इन राज्यों पर समान न रहा क्योंकि जूनागढ़ के प्रसंग में उसने वहाँ की जनता की इच्छा और भौगोलिक तारतमिकता को पूर्णतया उपेक्षित कर केवल वहाँ के नवाब की घोषणा को पाकिस्तान में सम्मिलन के

लिए पर्याप्त मान लिया था, किन्तु काश्मीर के प्रश्न पर अन्यथा रूप में सांप्रदायिक आधार का आश्रय लिया ।

जम्मू और काश्मीर राज्य भारत सघ में अपनी स्वेच्छा से सम्मिलित हुआ, भले ही एक ऐसे समय यह कार्य हुआ जब कि पाकिस्तानी आक्रमण के कारण इस राज्य की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ गई थी, फिर भी, किसी राज्य पर कोई बाह्य सिकट आ जाने के कारण उसके द्वारा अपनी संप्रभुता में किया गया पूर्णतः वैध कार्य अवैध नहीं कहा जा सकता । भारत सघ की सरकार ने काश्मीर की इस आसन्न स्थिति से कोई लाभ नहीं उठाया, और न तो काश्मीर राज्य पर कोई दबाव ही डाला । इन परिस्थितियों में राज्य का सम्मिलन विधि और तथ्य दोनों होंगे उस दिन पूरा हो गया जिस दिन अधिमिलन के साधन का कार्यान्वयन किया गया ।

जॉन्सन के शब्दों में कहा जा सकता है कि, "The legality of the accession is beyond doubt. On this particular issue Jinnah has been honest with his own petard, as it was he who chose over Junagadh to take his stand on the overriding validity of the ruler's personal decision"। अर्थात् राज्य के अधिमिलन की वैधता किसी भी शका से मुक्त है । इस विशेष प्रश्न में श्री जिन्ना अपनी ही परिभाषा के प्रतिकूल हो गये हैं, क्योंकि यह श्री जिन्ना ही सुझाव था कि जूनागढ़ के प्रसंग में प्रशासक के वैयक्तिक निर्णय को अधिभाषा वैधता से युक्त माना जाय ।

यह अधिमिलन आगे चलकर और भी दृढ़ हो गया जब कि जम्मू और काश्मीर राज्य ने भारत की संविधानिका सभा में अपना प्रतिनिधि भेज कर संसद के तत्रात्मक गणतंत्र के संविधान को निर्मित करने में सक्रिय भाग लिया और उसके भारत के संविधान को अंगीकृत किया । उस समय से ही यह राज्य भारतीय सघ का सदस्य है । अतः जम्मू और काश्मीर राज्य का भारत-सघ में अधिमिलन बिना किसी शर्त के था और किसी वैध जनमत सप्रह के अधीन नहीं था । भारत के प्रधान मंत्री ने काश्मीरी जनता को आत्म-निर्णय का पूरा अवसर दिया था और विश्व सामान्य निर्वाचनों में काश्मीर जनता ने इस अधिमिलन के पश्चात् भी भारत में अपनी सदस्यता को परिपुष्ट कर दिया है ।

वर्ष १९६५ में पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर क्षेत्र के साथ ही भारत की सख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिया न जम्मू और काश्मीर में तोड़-फोड़ की कार्यवाही के द्वारा वहाँ के जनजीवन और प्रशासन व्यवस्था को ठप कर देना चाहा था । वहाँ

जनता ने इन छद्मवेशी घुसपैठियों को मार भगाने तथा पाकिस्तान के खुले आक्रमण का सामना करने में जिस हृद्द निश्चय और सतत्प को व्यक्त किया उससे भारत से उसकी अविभाज्यता और भी पुष्ट और प्रमाणीकृत हो गई। पाकिस्तान अब भी मन्तराष्ट्रीय परिवार के बीच अपनी पुरानी राग अलाप रहा है, किन्तु भारत ने सुरक्षा परिषद् की बैठका में स्पष्टतः सत्तार के समक्ष घोषित कर दिया है कि काश्मीर को यदि कोई समस्या सुलझने को छोड़ रह गई है, तो यही कि पाकिस्तान अपने द्वारा इस राज्य के हृदये हुये २७,००० वर्ग मील क्षेत्र को, जिसे उसने 'आजाद काश्मीर' का नाम दे रखा है, भारत को लौटा दे। इसके प्रतिरिक्त काश्मीर के सबंध में कितनी अन्य प्रश्न को उठाना भारत की भ्रान्तरिक व्यवस्था और सप्रभुता पर हस्तक्षेप करना है, भारत और भारतीय जनता किसी भी मूल्य पर अपने भ्रान्तरिक मामलों में तथा अपनी सप्रभुता पर कोई भी बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता।

५—विजय तथा पराभव (Conquest and Subjugation)—विजय शत्रु के क्षेत्र को युद्ध के समय में सैनिक शक्ति द्वारा प्राप्त करने को कहते हैं। विजय द्वारा वैध अधिकार तब उत्पन्न होता है जब क्षेत्र सैनिक विजेता द्वारा पूर्णतः दखल और नियंत्रित कर लिया जाता है, तथा विजयी राज्य विजित क्षेत्र को घोषणा द्वारा अपने में समुक्त कर लेता है।

विजय की घोषणा के उपरान्त शत्रु-राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके स्थान पर विजेता का राज्य क्षेत्र वह मान लिया जाता है। युद्ध की समाप्ति कर दी जाती है। युद्ध की इस प्रकार समाप्ति को ओपेनहेम ने पराभव (subjugation) की सजा दी है। उनके अनुसार तो विजय के द्वारा किसी राज्य-क्षेत्र को नहीं प्राप्त किया जाता, बल्कि पराभव के द्वारा ही राज्य क्षेत्र की प्राप्ति होती है। विजित शत्रु-राज्य का क्षेत्र विजेता शत्रु-सप्रभु के अधीन रहता है। किसी राज्य को अपनी सप्रभुता में ले लेना ही विजय को पराजय या पराभव में बदल देता है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विजय का वैध-स्वत्व तभी उत्पन्न होता है, जब कि सैनिक विजेता द्वारा उस राज्य पर पूरा अधिपत्य कर लिया जाता है और समुचित घोषणा द्वारा उस राज्य का विजेता राज्य में अधिमिलन हो जाता है।

गोआ की स्वतन्त्रता (मुक्ति)

(Liberation of Goa)

घटनाचक्र का विवेचन :—गोवा अब स्वतंत्र है। अब वहाँ फिर से भारत का अपना शासन स्थापित हो चुका है। गोआ अब एक पुर्तगाली उपनिवेश नहीं, भारत के अविभाज्य अंग के रूप में एक पूर्ण प्रभुता-संपन्न राज्य की इकाई है।

भारत छोड़कर अंगरेज चले गये थे। लेकिन पुर्तगालियों की हठधर्मिता परिराम या कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत की ओर से सद्भावनापूर्ण बार-बार गोधा को मुक्त करने की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई। सहन-शक्ति की एक सीमा होती है और जब यह पूर्णतया निश्चित हो गया कि पुर्तगाल के प्रशासकों ने शान्तिपूर्ण उपायो से सद्बुद्धि नहीं जग सकेगी तो विवश होकर भारत को सैन्य पार्यवाही की शरण लेनी पड़ी।

गोआ, डामन और ड्यू को स्वतंत्र कराने के लिए भारत की ओर से सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी उससे भारत के भाग स्वतंत्र तो हो गये, किन्तु विषय को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में एक विशेष चहल-पहल का विषय बना कि गया। कुछ राष्ट्रों ने तो भारत की इस कार्यवाही का मुक्त कंठ से समर्थन किन्तु कुछ राष्ट्रों ने इस विषय पर मतैक्य नहीं रखा। इस कार्यवाही को एको-एशिया देशों ने पूर्णतः समर्थन किया किन्तु ब्रिटेन और अमेरिकी गुट ने इसकी मान्यता भी की। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि यह कार्यवाही समुक्त राष्ट्र के चार्टर के बन्धों के सर्वथा प्रतिकूल है।

गोआ, डामन और ड्यू का कुल क्षेत्र १५३८ वर्ग मील है। वहाँ की जनसंख्या लगभग ६ लाख के है। यह भू-भाग दिसम्बर १९६१ के पूर्व तक पुर्तगाल की अधीनता में लगभग साठे चार सौ वर्ष से था। पुर्तगाल ही पहला यूरोपीय देश था जिसने भारतीय क्षेत्र की कुछ भूमि पर अधिकार किया था। तीन यूरोपीय महाशक्तियों में से पुर्तगाल ही सबसे अन्तिम था जिसे भारतीय स्वतंत्रता के विवश होकर भारत ने सैनिक कार्यवाही की ओर कदम बढ़ाया जिसके परिणामस्वरूप पुर्तगालियों को इन बस्तियों को छोड़कर दिसम्बर १९६१ में भागना पड़ा। भारत अब अधिनिवेशिता के बन्धनों से पूर्णतः मुक्त है।

राज्य-क्षेत्र या टेरिटरी (Possession of the Territory) — अधीनता से निकल कर अपने मौलिक राज्य की सीमा में या तब और वहाँ जाय या मौलिक राज्य उस विदेशी सत्ता से अपनी क्षेत्र बलपूर्वक वापस कर ले विदेशी शासन स्वतः उसे मुक्त कर दे, तो वह क्षेत्र विदेशी सत्ता के नियंत्रण से बापम प्राप्त कर पुनः अपने राज्य-सीमा में सम्मिलित कर लिया, तो उन बस्तियों पर पूर्ण वैध हक स्थापित हो गया। राज्य-क्षेत्र के इन प्रकार के

यन की वैधता को 'ईस्टर्न ग्रीनलैंड विवाद' [१९३३ ए/बी० ५६] में अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय ने स्वीकार किया था ।

समुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर के अनुच्छेद २ के अन्तर्गत विश्व-शान्ति और सुरक्षा के निमित्त राज्यो पर यह आभार रखा गया है कि क्षेत्रीय हक या राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग न किया जाय । किन्तु इस प्रकार राज्य-क्षेत्र की पुनर्प्राप्ति ऐसी परिस्थिति में वैध होती है जब कि किसी विशिष्ट परिवाद की न्यायिकता का श्रमाण पहले से ही सिद्ध हो चुका हो ।

भारत की नीति शान्ति की नीति सदैव स ही रही है । यह किसी सैनिक-संधि से न तो बंधा है और न गुटबन्दी को प्रथम ही देता है । शान्ति-प्रियता के साथ ही तटस्थता की नीति भी उसकी अकाट्य रही है । पुर्तगाल नार्य अटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन की नींव डालने वाले में मुख्य रहा है । उस संधि की धारा ५ में यह विशिष्ट रूप से व्यवस्था है कि यूरोप या अमेरिका के समस्त सदस्य-राष्ट्रो में स किसी भी सदस्य पर सैनिक आक्रमण किया जाता है तो वह पूरे सगठन पर आक्रमण माना जायेगा और यह कि उत्तर अटलांटिक क्षेत्र की शान्ति को सुरक्षित रखने के लिए वे सैनिक सहायता भी आक्रमण करने वाले के विरुद्ध करेंगे । गोआ में पुर्तगालिया की शक्ति अत्यन्त ही सघन रूप से केन्द्रीभूत हो गई थी । उत्तर अटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन का सदस्य होने के नाते यह सभावना भी बढ़ रही थी कि गोआ को ये शक्तियाँ नूक्लियर अड्डा (nuclear base) के रूप में परिवर्तित करे ।

आत्म-रक्षा का सिद्धांत — भारत ने १४ वर्षों तक लगातार इस बात की प्रतीक्षा की कि पुर्तगाली बुद्धिमत्ता-पूर्वक भारतीय क्षेत्र को शान्ति पूर्ण ढंग से स्वतंत्र कर दगे । सैनिक संधि से बंधे होने के कारण पुर्तगालियो न गोआ में सैनिक-शक्ति को निरन्तर बढ़ाना ही जारी रखा । अन्य कई उपाय जब न रह-गया, तब भारत को विवश होकर अपनी स्वाधीनता की रक्षा और छोये हुये राज्य-क्षेत्र की प्राप्ति हेतु सैनिक शक्ति को प्रयोग में लाना पडा । यह सैनिक कार्यवाही किसी दूसरे देश पर राज्य विस्तार की आकांक्षा से आक्रमण नहीं था । भारत ने इस कार्यवाही में किसी भी प्रकार समुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रतिबन्धों को नहीं तोडा । गोआ की भूमि, वहाँ की धमारतें, वहाँ की जनता कुछ भी पुर्तगाल वालों का नहीं था । भारत ने केवल अपने छोये हुये राज्य क्षेत्र को मुक्त करने के उद्देश्य से यह सैनिक कार्यवाही की थी । पुर्तगाली प्रशासन गोआ में विदेशी सत्ता के विद्यमान होने की प्रतीक रह गई थी । समुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सदस्य राष्ट्रों का यह दायित्व है कि उन क्षेत्रों में जहाँ आत्म-शासन प्रवर्तित नहीं है, अधिक से अधिक आत्म-शासन

करने की ओर ध्यान दें। साधारण सभा ने कई बार अपने प्रस्तावा द्वारा उपनिवेशवाद को समाप्त करने की ओर सक्रिय कार्यवाही की धपील की है, किंतु वे प्रस्ताव अनसुने कर दिये गये। ऐसी स्थिति में कोई भी राज्य अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता और राज्य-क्षेत्र की रक्षा हेतु सैनिक बल का ही प्रयोग करता। भारत ने भी इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अस्तु, उसकी न्यायिकता पर किसी भी प्रकार की द्विविधा नहीं उत्पन्न हो सकती।

चार्टर और सैनिक संधियाँ (U. N' Charter and Military Alliances) — आज उपनिवेशवाद को समाप्त करने की ओर बल दिया जा रहा है और हर देश को अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने के अधिकार को बढ़ावा दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सैनिक-गुटबन्धियों या सैनिक सन्धियों का समर्थन नहीं किया गया है। पुर्तगाल 'नाटो' का एक सक्रिय सदस्य है। अस्तु, चार्टर का विरोध स्वभाव से पुर्तगालियों ने ही किया था।

सैनिक कार्यवाही की वैधता (Legal Aspect of Military Operation) — गोष्ठा की स्वतंत्रता के लिए भारत की ओर से जो सैनिक कार्यवाही की गई उसे हम अन्तर्राष्ट्रीय विधि में आक्रमण नहीं कह सकते। पुर्तगाली स्व आक्रमण की स्थिति में ये और भारत की ओर से सैनिक कार्यवाही अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा तथा अपने राज्य की पुन प्राप्ति हेतु ही किया गया था।

भारत आक्रमणकारी नहीं था। उसने राज्य-विस्तार के लिए किसी दूसरे राज्य-क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। उसने अपने राज्य-क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए पुर्तगालियों से निवेदन किया। १४ वर्ष तक शान्तिपूर्ण ढंग से प्रतीक्षा करते के उपरान्त भी जब समस्या का कोई हल पुर्तगाली उपनिवेशवादियों की ओर से नहीं हुआ तो प्रतिक्रिया का होना आवश्यक था।

अन्त में दिसम्बर १५, १९६२, को संयुक्त राष्ट्र सच की साधारण सभा ने पुर्तगाल-उपनिवेशों के विरुद्ध निश्चित रूप से प्रस्ताव भी पारित हुये थे।

इन सब तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए भारत को गोष्ठा की स्वतंत्रता हेतु किये गये कार्य कदापि अघघर्षक कार्य नहीं कहे जा सकते। विश्व में जन तंत्र प्रणाली एवं सभी देशों की सर्वव्यापी स्वतंत्रता के सिद्धान्त में जिसे किंचित भी विश्वास है, वह भारत-पुर्तगाल सम्बन्धी यथार्थता को देखते हुये भारत की कार्यवाही का समर्थन करने से कभी पीछे नहीं रहा है।

मूल तथा उप-रीतियाँ (Original and Derivative Methods) — उपयुक्त कथन की समीक्षा करने से यह प्रकट होगा कि क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि

सामान्य रीतियों में से परित्याग क्षेत्र प्राप्त करने की उपरीति है किन्तु दखल, भोगाधिकार, वृद्धि तथा विजय या परामव क्षेत्र प्राप्त करने की मूल रीतियाँ हैं। विजय क्षेत्र प्राप्त करने की दो रीतियाँ अर्थात् मूल तथा उप के बीच में है। इसके अनन्तर परित्याग का होना आवश्यक है।

क्षेत्र प्राप्त करने की रीति के रूप में दखल विजय से कुछ भिन्न है। विजय की दशा में क्षेत्र अन्य राज्य की सम्पत्ति होती है किन्तु दखल की दशा में प्रभुसत्ता ऐसे क्षेत्र पर स्थापित की जाती है जैसा उस समय अन्य राज्य की प्रभुसत्ता के अधीन नहीं है अथवा जो कि किसी की सम्पत्ति नहीं है। इसे हम अनधिकृत (res nullius) क्षेत्र कहते हैं।

दखल परित्याग से इस बात में भिन्न है कि परित्याग द्वारा प्राप्त करने वाले राज्य का सम्बन्धित क्षेत्र के ऊपर प्रभुसत्ता पहले अधिकारी राज्य से सन्धि द्वारा प्राप्त होती है किन्तु दखल की दशा में सर्वोच्च सत्ता ऐसे क्षेत्र के ऊपर स्थापित होती है जो किसी की भी सम्पत्ति नहीं है। इस प्रकार परित्याग प्राप्त करने की उपरीति है किन्तु दखल क्षेत्र प्राप्त करने की मूल रीति है।

अन्त में परित्याग तथा विजय के बीच का भेद भी ध्यान में रखने योग्य है। जब कोई सैनिक दल किसी राज्य के क्षेत्र पर विजय द्वारा दखल करता है जिसे युद्ध की समाप्ति पर शान्ति की सन्धि द्वारा पुष्ट किया जाता है तो क्षेत्र के ऊपर वैध अधिकार परित्याग द्वारा उत्पन्न होता है न कि विजय द्वारा। ओपेनहेम इसे परामव (subjugation) का रूप देते हैं।

६—न्याय-निर्णय और पंचाट (Adjudication and Award) :— प्रादेशिक प्रभुसत्ता प्राप्त करने के अतिरिक्त राज्यों के सम्मेलन द्वारा न्यायिक अथवा पंचायती निर्णय की रीति है। इन्हे पारिभाषिक शब्दावली में न्याय-निर्णय (adjudication) और पंचाट (award) कहते हैं। वर्साई के शान्ति-सम्मेलन में यूरोप का प्रादेशिक पुनर्वितरण इस विषय का एक उदाहरण है।

७—पट्टे (Leases) :— क्षेत्र प्राप्त करने की एक और भी रीति है जो पट्टे द्वारा की जाती है। सन् १८६८ में चीन द्वारा कियोचाऊ का जर्मनी को, स्वागधुवान का फ्रांस को तथा पोर्टस्मार्थर का २५ वर्ष के लिए रूस को पट्टे पर देना तथा सन् १९०३ में पनामा प्रजातन्त्र द्वारा पनामा नहर का समुक्त राज्य को सर्वदा के लिए पट्टे पर देना इस रीति से क्षेत्र प्राप्त करने के उदाहरण हैं।

राष्ट्रीय क्षेत्र की हानि :— क्षेत्र प्राप्त करने की ५ सामान्य रीतियाँ उमको खो देने की रीतियों के अनु रूप हैं। अतः क्षेत्रीय प्रभुसत्ता त्याग (जो प्राप्त करने की

दखल की रीति के समान है), भोगाधिकार, प्राकृतिक कार्य (जो प्राप्त करने की रीति अर्थात् वृद्धि के अनुरूप है), परित्याग तथा विजय या पराभव द्वारा खोयी जा सकती है। राष्ट्रीय क्षेत्र को खो देने की इन ५ रीतियों में एक छोटी रीति बोधी जा सकती है, वह है विप्लव।

सन् १५७६ में नीदरलैंड का स्पेन से अलग हो जाना, १७७६ में संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट ब्रिटेन से, सन् १८२२ में ब्रेजील का पुर्तगाल से तथा सन् १८३० में बेल्जियम का नीदरलैंड से विच्छेद विप्लव द्वारा ही क्षेत्र के अलग हो जाने के उदाहरण हैं।

अध्याय १४

क्षेत्राधिकार

(Jurisdiction)

प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र के भीतर स्थित सब व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर अधिकार है। ऐसे व्यक्ति ऐसी प्रजा के अन्तर्गत आते हैं जिनका जन्म वही हुआ हो अथवा जिनको उसी देश का बना लिया गया हो। वे अन्य-देशीय भी हो सकते हैं जो अपना स्थायी निवास वहाँ बना लिये हो। वस्तुओं के सम्बन्ध में तो राज्य के नियन्त्रण में जितनी सम्पत्ति है वह सब सम्मिलित है। इसका अधिकार क्षेत्र इसके क्षेत्रीय जलभागों तथा बन्दरगाहों पर स्थित अपने जहाजों तथा उन पर किये गये सब कार्यों पर भी है। इसका अधिकार क्षेत्र अपने बन्दरगाहों तथा क्षेत्रीय जलभागों पर भी है। इन व्यक्तियों तथा वस्तुओं के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व के भीतर यह (अधिकार) अनन्य तथा परम है।

जहाँ तक एक देश के क्षेत्रीय जल का सम्बन्ध है शान्तिपूर्ण उद्देश्य से विदेशी राज्य के जहाजों को चलने का अधिकार है। १६३० के हेग कोडिफिकेशन कानून में इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम, उप-नियम भी बनाये गये थे। इन नियमों का उल्लेख पूर्व के प्रसंगों में किया जा चुका है।

खुले हुए समुद्र पर क्षेत्राधिकार :—क्षेत्रीय जलभागों के अतिरिक्त खुला समुद्र किसी राज्य के प्रभुत्व के अन्तर्गत नहीं है। इसकी स्वतन्त्रता अब पूर्णतः निश्चित है : The Behring Sea Arbitration, १८६३। अन्तर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का यह एक असन्दिग्ध निर्देश है कि बड़े समुद्रों में सब राज्यों के जहाजों की

चलाने का अधिकार है। उसका कारण यह है कि खुले हुए समुद्र पर निरन्तर अधिकार नहीं रखा जा सकता तथा यह स्थायी रूप से विनियोजित नहीं हो सकता। इसका कारण यह भी है कि इसका उपयोग अनन्त है, अतः यह सम्पूर्ण मनुष्य जाति के लिए समान है। नौचालन की स्वतन्त्रता एक ऐसा तथ्य है जो समस्त सम्य राज्यों द्वारा स्वीकृत है।

कोई राज्य फिर भी निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में बड़े-बड़े समुद्रों पर भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है :—

(१) अपने जलपोतो, वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर जो उन पर स्थित हो।

(२) समुद्री डाकैती (piratical acts) के कार्यों के सम्बन्ध में।

(३) विदेशी जलपोतो के सम्बन्ध में जो अनधिकृत रूप से इसका भङ्ग लगाये हो।

(४) युद्ध में लगे हुए राज्य द्वारा तटस्थ राज्य के व्यापारी जहाजों को इन बातों के निरीक्षण तथा तलाशी सेना के सम्बन्ध में कि क्या वे नाकाबन्दी तोड़ने के प्रयत्न में अथवा निषिद्ध वस्तुओं के ले जाने में अथवा शत्रु की ऐसी सेवाएँ करने में जो तटस्थता के नियम के विरुद्ध हो, लगे तो नहीं है।

(५) शान्ति के समय में खुले हुए समुद्रों पर 'तोत्र पीछा' करने (hot pursuit) के सम्बन्ध में जब कि विदेशी जलपोत क्षेत्रीय जलभागों के भीतर किसी स्थानीय नियम को भंग करने के उपरान्त खुले हुए समुद्र में भाग जाते हैं इस अनुबन्ध के साथ कि उसका तत्काल पीछा किया जाय।

सामुद्रिक मार्ग-स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में वैय धारणाएँ (Legal conceptions on the freedom of the High Seas) :—सामुद्रिक मार्ग-स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में दो भिन्न वैय धारणाएँ हैं। पहला सिद्धान्त ता यह है कि समुद्र किसी की वैय सम्पत्ति नहीं है। इसे अनधिकृत (res nullius) क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि समुद्री मार्गों पर किसी की संप्रभुता विद्यमान नहीं है। दूसरा सिद्धान्त यह है कि समुद्र प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति है। इसे हम सार्वजनिक सम्पत्ति या सर्वाधिकृत (res communis) कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि समुद्र अन्तर्राष्ट्रीय नौचालन या व्यापार के महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए सबके अधिकार में समान रूप से है। उक्त दोनों सिद्धान्त धारणाओं से मुक्त नहीं हैं। Fauchille का कथन है कि यदि यह मान लिया जाय कि समुद्र सर्वथा अनधिकृत (res nullius) है, तब भी रोमन विधि के अनुसार मानना पड़ेगा कि वह वस्तु जो किसी की नहीं है, किसी की बनायी जा सकती है। दूसरी ओर यदि समुद्र को

सार्वजनिक (res communis) मान लिया जाय तो सभी राज्य समानरूप से इनके अधिपति हो जाते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इन्स्टीट्यूट ने निम्नलिखित तथ्य स्वीकार किये थे —
(१) समुद्री भाग की स्वतन्त्रता, (२) मछली पकड़ने की स्वतन्त्रता, (३) सब मेरीन की स्वतन्त्रता तथा (४) समुद्र पर हवाई उड़ान की स्वतन्त्रता ।

सार्वजनिक जहाज :—सार्वजनिक जहाज विदेशीय बन्दरगाहों में स्थानर क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त हैं, फिर भी वे बन्दरगाह के विनियमों के अन्तर्गत हैं । जहाँ जो किसी राज्य का राष्ट्रीय झंडा लगाये रहता है क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए उस राज्य का तैरता हुआ एक क्षेत्र समझा जाता है चाहे जहाज मुख्य समुद्र में हो अथवा विदेशीय क्षेत्रीय जलभागों के भीतर हो ।

समुद्री डकैती (Piracy) :—प्रत्येक राज्य को अपने जलपोतों द्वारा पकड़े गये समस्त डाकुओं पर क्षेत्राधिकार रहता है । समुद्री डकैती, समुद्रों पर डाक डालना अथवा समुद्र पर सशस्त्र बलात्कार करना है जो युद्ध का एक न्यायोचित रूप नहीं है । ऐसे कार्य प्रभु सत्ताधारी राज्य द्वारा अधिकृत नहीं किये जाते । अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार यह एक अपराध है । यह सम्य राज्यो के सम्पूर्ण समुद्रान्तर्विषय अपराध है और किसी विशिष्ट राज्य के विरुद्ध लक्षित नहीं है ।

खुले हुए समुद्र में मत्स्य क्षेत्र (Fisheries in the Open Sea)
खुले हुए समुद्र की स्वतन्त्रता के कारण यह स्पष्ट है कि उस पर स्थित मत्स्य-सब राज्यों के जलपोतों के लिए खुले हैं । मछलियाँ तथा समुद्रीय जन्तु उन्त तक किसी की 'सम्पत्ति' नहीं है जब तक वे पकड़ी न जाय । अतः प्रत्येक राज्य यह अधिकार है कि खुले समुद्र पर अपने जलपोतों द्वारा मछली पकड़ने के अर्थ के प्रयोग के लिए विधि बनाये ।

समुद्री पेटों के सम्बन्ध में फिर भी तटीय राज्य को मत्स्य-क्षेत्र को प्रजा के लिए सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है ।

समुद्र की सतह :—बहुत से मामलों में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर पहुँचा गया है कि समुद्र की सतह का स्वामी क्राउन होता है । न्यायाधीश ने Lord Fitzhardinge v. Purcell (1908) 2 Ch. 139, 166 के मामले में अपना विचार प्रकट किया था कि "Clearly the bed of the sea, at a considerable distance below low water mark, and the beds of navigable rivers, are prima facie vested in the Crown, and there is no good reason why the ownership thereof by the Crown should also, subject to the rights of the public, be a beneficial ownership."

अर्थात् "स्पष्टतः समुद्र का तल किसी भी दर पर पानी के अध तल से कुछ दूर तक और ऊर्मिल नीचालन योग्य नदियों तक प्रथमदृष्ट्या रूप में 'क्राऊन' में निहित है और इस बात का कोई पर्याप्त कारण नहीं मिलता कि 'क्राऊन' का उस पर-स्वामित्व भी क्यों न, लोक-अधिकारों के अधीन रहते हुये, एक लाभकारी स्वामित्व माना जाय ?"

सर सेसिल हर्स्ट (Sir Cecil Hurst) ने दो प्रमुख विवादों के निष्कर्ष-स्वरूप प्राधिकारिक रूप से लिखा है कि कुछ भी हो जहाँ तक ग्रेट ब्रिटेन का सम्बन्ध है, तीन मील के भीतर समुद्र की सतह का स्वामित्व इस बात के लिए और भी मार्ग खोल देता है कि समुद्र के सतह के स्वामित्व और उसकी प्रभुसत्ता की विस्तृत माँग की जाय। जहाँ पर तीन मील की सीमा के बाहर दखल मजबूती से स्थापित किया गया है वहाँ उसमें वैधता आ गई है और उस वैधता को अन्य राज्यों ने स्वीकार भी किया है।

पुराना सिद्धान्त यह है कि चूँकि समुद्र या समुद्री मार्ग किसी राज्य विशेष की सम्पत्ति नहीं है, इसलिए समुद्र की ऊपरी और भीतरी सतह किसी राज्य की प्रभुसत्ता के अन्तर्गत नहीं आ सकता। यह सिद्धान्त अब नहीं माना जाता। अब यह स्वीकार किया जाता है कि समुद्र की भीतरी सतह में भी तटवर्ती राज्यों का आधिपत्य हो सकता है और उन पर वे विविध प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि अभी तक ऐसे कोई नियम नहीं बने हैं जिन्हें हम राज्यों को नियन्त्रित करने वाले कानून कह सके फिर भी समुद्र की भीतरी सतह में भिन्न-भिन्न प्रयोगों को आजकल न्यायतः माना जाता है।

ओपेनहेम के अनुसार पाँच नियम बनाये गये हैं जो कि समुद्र की भीतरी सतह पर आधिपत्य के प्रश्न का निराकरण करते हैं। ये नियम सूत्र रूप में हैं :—

१—छुले हुए समुद्र की भीतरी सतह किसी भी राज्य के अधिकार की सीमा में नहीं आती किन्तु तटवर्ती राज्यों द्वारा दखल के आधार पर उस पर स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है।

२—यह दखल तत्पक्ष रूप में स्थापित होता है।

३—भीतरी सतह के दखल की सीमा दूसरे राज्य के क्षेत्रीय जल-पेटी की सीमा की रेखा तक निर्धारित की जा सकती है क्योंकि छुले समुद्र की भीतरी सतह को प्राकृतिक रूप से अपने अधिकार के अन्तर्गत करने का स्वत्व किसी एक राज्य को नहीं प्राप्त है।

४—समुद्र की भीतरी सतह में दखल का उद्देश्य यदि छुले समुद्र की स्वतन्त्रता में बाधा डालना है तो यह किसी भी प्रकार मान्य नहीं हो सकता।

५—इसी प्रकार से यदि पहले से ही खुले हुए समुद्र की भीतरी सतह पर दखल स्थापित किया गया है तो खुले समुद्र की स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाला ऐसा स्वत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

खुले समुद्र पर अणु-परीक्षण :—सयुक्त राष्ट्र सघ की साधारण सभा की लीगल कमेटी में दिसम्बर १९५६ में भारतवर्ष ने इस बात का सबल समर्थन किया था कि समुद्रों पर थर्मो-न्यूक्लियर (thermo-nuclear) प्रयोग स्पष्ट रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अतिक्रमण करेये । भारतीय प्रतिनिधि श्री जी० एस० पाठक ने कहा था—“If the claim to conduct thermo nuclear tests in the open seas were to be recognised, the whole law of the sea will have to be rewritten and we will have to start anew from the 18th century”

अर्थात् यदि खुले समुद्र में थर्मो-न्यूक्लियर परीक्षणों के दावे को मान्यता प्रदान की जाय, तो समुद्र की समस्त विधि को फिर से, नये सिरे से लिखे जाने का आवश्यकता होगी और हमें अठारहवीं शताब्दी के बाद से एक नये रूप में आरम्भ करना होगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग की साधारण बहस में भाग लेते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा था कि “भारतवर्ष इन आणविक प्रयोगों से असम्बद्ध नहीं रह सकता और यह कहना अनुचित न होगा कि रेडियो-ऐक्टिव धूल कलकत्ता की गलियों तक पहुँचती है । आयोग द्वारा बनाये गये सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि समुद्र हर राष्ट्र के लिए मुक्त रूप से खुले हुए हैं और कोई भी राष्ट्र समुद्र के किसी एक हिस्से पर अपनी सम्प्रभुता के अन्तर्गत नहीं कर सकता । अपने यह निष्कर्ष निकला कि खुले हुए समुद्र पर किसी की सम्प्रभुता का प्रयोग कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है, भले ही दखल की अवधि और दूरी कितनी ही क्यों न हो ।

“जब कोई राष्ट्र थर्मो-न्यूक्लियर प्रयोगों में व्यस्त होता है तो वह समुद्र के एक हिस्से को जहाँ वह निषिद्ध क्षेत्र (prohibited area) घोषित करता है अर्थात् वास्तविक रूप में वह उस भाग को अपने एकाधिकार में सुरक्षित कर सता है और उसे अपने राज्य क्षेत्र के रूप में प्रयोग में लाता है ।” इस प्रकार समुद्र के एक भाग पर वह अपनी प्रभुता स्थापित करता है किन्तु समुद्र पर एकाधिकार इतिहास और कानून की गतिशीलता को देखते हुए अभी मान्य नहीं किया जा सकता” जहाँ के शब्दों में “The argument that the seven seas have large areas and one State can confine its operations to only a small part of certain seas is obviously not valid” अर्थात् यह तर्क कि सात समुद्रों के अन्तर्गत व्यापक क्षेत्र हैं और एक राज्य अपने प्रयोगों को कुछ समुद्रों के किसी छोटे टुकड़े तक सीमित रख सकता है,—एक वैध और मान्य तर्क नहीं है ।

इस प्रश्न का निराकरण करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा था कि इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है और वह यह है कि ऐसे आणविक और रेडियो-ऐक्टिव प्रयोग समुद्री क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अतिक्रमण करेंगे। संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवीय अधिकारों और सदस्य-राज्यों के हितों का संरक्षक है और ऐसे प्रयोग मानवता के प्रतिकूल हैं तथा चार्टर के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं।

तीन मील के सामुद्रिक क्षेत्राधिकार का प्रश्न—तटवर्ती राज्यों का क्षेत्रीय सामुद्रिक अधिकार साधारणतया तीन मील की दूरी तक माना जाता है किन्तु भारतीय प्रतिनिधि ने उसे भी समीचीन नहीं माना है। उनका कहना था कि जिन कारणों से क्षेत्राधिकार की सीमा निर्धारित की गई थी वे अब समय की गति के अनुकूल नहीं हैं, इसलिए अब हम उस नियम को नहीं मान सकते। भारत ने यह सीमा साथ और खनिज पदार्थों की दृष्टि से ३ मील बताई, किन्तु आणविक महत्व की दृष्टि से वह घटाई बढ़ाई भी जा सकती है।

दीवानी तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार (Civil and Criminal Jurisdiction) :—समुद्री क्षेत्र में अपराध करने वाले विदेशी वैयक्तिक पोटों पर भी राज्य अपने क्षेत्राधिकार का दावा करते हैं। यह दावा आपराधिक कार्यों (criminal acts) तथा राष्ट्रिक या नागरिक अपराधों (municipal offences) दोनों के सम्बन्ध में किया जाता है। व्यवहारिक क्षेत्राधिकार बन्दरगाह के विनियमों तथा संक्रामक रोग सम्बन्धी-नियमों के पालन तक विस्तृत है। यदि कोई व्यक्तिगत पोत भोसम भ्रमवा देवी उत्पात के कारण भाग कर आ जाय तो बन्दरगाह की स्थानीय विधि उस पर लागू नहीं की जाती, किन्तु जहाज को तटवर्ती राज्य की किसी विधि का उल्लंघन न करना चाहिए।

एस० एस० लोटस (S. S. Lotus) वाले मामले में टर्की ने एक फ्रांसीसी वाष्पचालित पोत द्वारा छुले हुए समुद्र पर किये कार्य पर जिसका कि प्रभाव टर्की के जहाज पर पड़ा, क्षेत्राधिकार का दावा किया था। इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। अगस्त २ सन् १९२६ को फ्रांसीसी डाक ले जाने वाले स्टीमर 'लोटस' (Lotus) तथा टर्की का कोयलावाही जहाज 'बोज-कोर्ट' (Boz Kourt) परस्पर टकरा गये। परिणामस्वरूप टर्की का जहाज नष्ट हो गया। टर्की के उन ८ राष्ट्रीय जनों की मृत्यु हो गई जो जहाज पर थे। जब 'लोटस' कुस्तुनतुनिया पहुँचा तो टर्की की सरकार ने टर्की के जहाज के कप्तान 'हसन बे' तथा फ्रांसीसी जहाज 'लोटस' की रक्षा में नियुक्त पदाधिकारी लेफ्टीनेन्ट 'डेमों' (Demons) के विरुद्ध संयुक्त आपराधिक कार्यवाहियों का आरोप लगाया। इस आरोप में मानव-हत्या का भी अपराध सम्मिलित था। उन दोनों को कारावास के दण्ड का भाविश हुआ।

फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांसीसी पदाधिकारी की मुक्ति के लिए कूटनीतिक दबाव किया। उन्होंने यह दावा किया कि उनके जहाजों पर मुख्य समुद्रों पर किये गये कार्यों पर उनका ही अन्तर्गत क्षेत्राधिकार है। किन्तु टर्की के दंड विधान में विदेशियों के लिए भी जो टर्की अथवा टर्की की प्रजा के विरुद्ध कार्य करें उसके क्षेत्राधिकार की व्यवस्था की गई थी। क्षेत्राधिकार का झगड़ा एक स्वीडन-पत्र द्वारा हेग में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय को निर्देशित किया गया। न्यायालय ने अध्यक्ष (President) के निर्णायक मत से यह निर्णय किया कि टर्की ने फ्रांसीसी पदाधिकारी के विरुद्ध दंड कार्यवाहियाँ प्रचलित करने में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों के विरोध में कोई कार्य नहीं किया क्योंकि 'लोटम' जहाज पर किये गये कार्य ने अपना प्रभाव 'बोज-कोर्ट' जहाज पर उत्पन्न किया जो टर्की का झण्डा लवाये था, अतः ऐसी जगह में जो टर्की के क्षेत्र में सम्मिलित था और इसके अतिरिक्त विदेशियों द्वारा वहाँ किये गये अपराधों के सम्बन्ध में भी टर्की के दंड विधि के लागू किये जाने का विरोध नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी सम्मति प्रकट की कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का कोई नियम ऐसा नहीं था जिसके द्वारा उस राज्य को जिसका वह जहाज था और जिस पर कि अपराध का प्रभाव हुआ, उस अपराध को अपने क्षेत्र में किया गया मानने से और अपराधों पर अभियोग लगाने से निषिद्ध किया जाय। यह निर्णय किया गया कि अपराध जिसके लिए लैफ्टिनेन्ट डैमो पर अभियोग लगाया गया एक असावधानी अथवा अविवेक का कार्य था जिसकी उत्पत्ति 'लोटम' जहाज पर हुई किन्तु उसका प्रभाव 'बोज-कोर्ट' जहाज पर प्रकट हुआ, अतः प्रत्येक राज्य इस घटना के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

विदेशी राज्य में विदेशियों की स्थिति :—किसी राज्य का विदेशियों पर उतना ही क्षेत्राधिकार होता है जितना कि अपने नागरिकों पर। इस नियम को इसलिए स्वीकार किया गया है कि कोई भी विदेशी उस राज्य की विधियों की अवज्ञा नहीं कर सकता जहाँ वह रह रहा हो, भले ही उसके भावास की अवधि अस्थायी क्यों न हो। किन्तु कोई भी राज्य उन कार्यों के लिए विदेशियों को दंडित नहीं कर सकता जो उन्होंने अपने राज्य में किया हो।

अपरदेशीयता (Exterritoriality) :—एक राज्य को विदेशियों के ऊपर अपने नागरिकों के समान ही क्षेत्राधिकार है, इस सामान्य नियम का अपवाद राज्यों की अपरदेशीयता में पाया जाता है। यह एक वैध कल्पना है जिसके द्वारा कुछ व्यक्ति तथा वस्तुएँ क्षेत्राधिकार तथा नियन्त्रण के प्रयोजन से उस राज्य के जिसमें कि वे वास्तव में हैं, क्षेत्र के बाहर तथा किसी अन्य राज्य के क्षेत्र के भीतर सम्मिली जाती

हैं। अपरदेशीयता का अधिकार इस सिद्धान्त पर आधारित है कि यह बात किसी राज्य के लिए निर्दोष होगी यदि उसकी वैधिक स्थिति एवं समान राज्य के न्यायालयों द्वारा निश्चित की जाय। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से ऐसी मुक्तियां निम्नलिखित स्थिति में दी जाती हैं —

१—सप्रभु व्यक्ति (राजा) जब कि वे यात्रा कर रहे हों अथवा विदेश में रहते हों —यह विशेषाधिकार सम्राटों के लिए जिन समय वे विदेश में भ्रमण-वास कर रहे हों तब भी विस्तृत किया जाता है। सन् १८६३ में निर्णित मिघेल बनाम जोहोर के सुल्तान [Mighell v Sultan of Johore L R (1894) Q B Div 149]] वाले मामले में बादी मिघेल ने प्रतिवादी जाहार के सुल्तान के विरुद्ध जा मलबर्ट बेकर के कल्पित नाम से भ्रमणवास कर रहे थे, विवाह प्रतिज्ञा-भंग का वाद उपस्थित किया। वाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी ने अपना वास्तविक स्वल्प अर्थात् मलाया स्थित स्वतन्त्र राज्य जोहोर के सुल्तान प्रकट किया जिस पर न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण कार्यवाहियों को खारिज कर दिया।

२—विदेशी राज्य —कोई विदेशी राज्य किसी अन्य राज्य में होने वाली कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। क्रिस्टीना (Cristina) वाले मामले में [(1938) A C 485] लॉर्ड राइट द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार एक सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य अन्य सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य के अधिकार क्षेत्र से उन्मुक्त माना जाता है।

लॉर्ड एटकिन ने क्रिस्टीना (Cristina) में यह कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के दो सिद्धान्त, जो हमारी दीवानी विधि में समुक्त हो गए हैं, और जो हृद् प्रकार से स्थापित तथा निर्विवाद प्रतीत होते हैं, वे यह हैं—प्रथम तो यह है कि किसी देश के न्यायालय एक विदेशी सम्राट को पक्षकार नहीं बनावेंगे अर्थात् वे अपने आदेश पत्र द्वारा उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध वैध कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं बनावेंगे, चाहे कार्यवाहियों में आदेश पत्र उसके व्यक्तित्व के विरुद्ध निकाले जाने हों अथवा उसके द्वारा उससे विशिष्ट सम्पत्ति अथवा क्षतिपूर्ति प्रकट की जानी हो। दूसरे यह कि वे अपने आदेश पत्र द्वारा उस सम्पत्ति को जो उसकी है अथवा जो उसके अधिकार अथवा नियन्त्रण में हो, अभिग्रहण अथवा निरुद्ध नहीं करेगा चाहे सम्राट कार्यवाहियों में पक्षकार हो अथवा नहीं।

३—राजदूत तथा अन्य राजनैतिक अभिकर्तागण —आपराधिक क्षेत्राधिकार में राजदूत पूर्णरूप से छूटे हुए हैं किन्तु नागरिक क्षेत्राधिकार में यह उन्मुक्ति सशर्त है, कारण राजनयिक अभिकर्तागण नागरिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति

का परिचयाग कर सकते हैं। यह उन्मुक्ति राजनयिक अभिकर्ताओं के कुटुम्ब तथा उनके परिजनो के लिए भी लागू है।

४—सार्वजनिक जलपोत जब वे विदेशी बन्दरगाहों अथवा क्षेत्रीय जलभागों में हों —पार्लमेट वेल्ज [Parlement Belge L. R., 5 P. D. 197 (1880)] में इङ्ग्लैंड के अपीलीय न्यायालय ने यह निर्णय किया कि बेल्जियम राज्य का जलपोत जो सार्वजनिक सम्पत्ति थी एक टक्कर से उत्पन्न हुई क्षति-पूर्ति के सार्वजनिक अधिकार के दावे से उन्मुक्त था।

५—किसी राज्य के सैनिकदल जब वे एक विदेशीय क्षेत्र से निकल रहे हों :—एक राज्य जो अपने क्षेत्र में किसी मित्र राज्य के सैन्य दल को जाने की अनुमति देता है, तो स्वतः इस बात को मान लेता है कि वह उस सैन्य-दल पर अपना कोई हस्तक्षेप न रखेगा। उस पर न तो वह सामूहिक रूप से और न उनके वैयक्तिक सदस्यों पर किसी प्रकार के क्षेत्राधिकार प्रयोग कर सकता है।

नैटो अर्थात् उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization) ने विदेशी देशों में सैन्य-दल को इकट्ठा करने के सम्बन्ध में अधिकार दिये हैं, किन्तु ये अधिकार पैक्ट के सदस्यों तक ही सीमित कर दिये गये हैं। भेजन वाले राज्य का क्षेत्राधिकार जहाँ तक कि नियंत्रण, सुरक्षा एवं व्यवस्था का प्रश्न है, प्रमुख माना जाता है।

६—यूरोपीय अथवा अमेरिकीय वंशज विदेशी जन कुछ पूर्वीय राज्यों में :—वे देशीय न्यायालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अथवा अधिकार से उन्मुक्त हैं तथा सामान्यतः कोन्सली-न्यायालयों (Consular Courts) के क्षेत्राधिकार में रखे जाते हैं।

७—अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें :—अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी भिन्न शाखाओं को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्रदान कर दी गई है।

राज्यों की न्यायिक शक्ति :—व्हीटन (Wheaton) का कथन है कि प्रत्येक स्वतंत्र राज्य को न्यायिक शक्ति जिन तथ्यों से उपबन्धित है, निम्नलिखित है :—

१—राज्य के राष्ट्रिक विधि के विरुद्ध अपराधों पर दण्ड देने की शक्ति। वे अपराध उसके राज्य-क्षेत्र में भले ही किसी भी व्यक्ति अथवा राज्य द्वारा किये गये हों।

२—उसके वैयक्तिक और सार्वजनिक मोतों पर किये गये अपराधों के विरुद्ध दण्ड देने की शक्ति—भले ही वे अपराध किसी विदेशी शक्ति द्वारा किये गये हों।

३—अपने नागरिकों को चाहे वे जहाँ हों—ऐसे अपराधों पर दंड देने की शक्ति ।

४—राष्ट्रों की विधि में समुद्री डकैती के सम्बन्ध में जलदस्युओं को दंडित करने की शक्ति—भले ही वे किसी भी राज्य के क्यों न हों ।

अध्याय १५

सार्वजनिक तथा वैयक्तिक पोत पर क्षेत्राधिकार

(Jurisdiction over Public and Private Vessels)

सार्वजनिक पोत क्या है ?—“एक सार्वजनिक पोत वह है जो एक सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य की सरकार द्वारा अधिष्ठित हो, अथवा यह भी प्रतीत होता है कि एक अर्थ सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य की सरकार द्वारा अधिष्ठित हो, जब तक वह बाहरी रूप से एक भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में स्वीकृत हो तथा उसके द्वारा उसकी कमीशन दिया गया हो”—(Pitt Cobbett) । सार्वजनिक जहाजों को अर्थात् में केवल युद्धपोत ही नहीं बरन् निःशस्त्र जलयान, गुदाम के तथा यातायात के यान भी सम्मिलित हैं ।

जलपोत का सार्वजनिक लक्षण उसके भंडे तथा उस कमीशन से निश्चित होता है जो उसके स्वामी राज्य द्वारा जारी किया जाय ।

सार्वजनिक जलयानों की खुले हुए समुद्र पर तथा विदेशीय क्षेत्रीय जलभागों पर वैध स्थिति —ओपेनहेम के मतानुसार राज्यों की विधि का यह रूढ़ नियम है कि किसी राज्य के युद्ध-पोत तथा अन्य सार्वजनिक जलयान जब वे खुले समुद्र में हों अथवा विदेशीय क्षेत्रीय जल भागों में हों, प्रत्येक विषय में अपने गृह-राज्य के तैरते हुए भागों के समान समझे जाते हैं ।

चीफ जस्टिस मार्शल ने उपरोक्त सिद्धान्त पर ‘इक्सचेंज’ (Schooner Exchange 1812, 7 Cranch 116) वाले मामले में विचार किया और यह मत प्रकट किया कि एक सार्वजनिक सशस्त्र जहाज अपने राज्य की सैनिक शक्ति का भाग है तथा सर्वोच्चसत्ताधारी के तात्कालिक तथा सीधे आदेश के अधीन कार्य करता है और उसके द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए कार्य में लगाया जाता है ।

यह विषय पुनः चुंग ची च्यांग बनाम किंग [Chung Chi Cheung v The King (1939) A C 160] में विचार के लिए उपस्थित हुआ । लॉर्ड एटकिन ने यह मत प्रकट किया कि विदेशीय जलभागों में स्थित सार्वजनिक जहाज

अपने राज्य के क्षेत्र नहीं समझे जाते। घरेलू न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्त के अनुसार जहाज तथा उसके मालाहों को कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ तो उचित रूप से निश्चित हैं। अन्य के विषय में कुछ झगडा भी है। इस दृष्टि से उन्मुक्तियाँ अन्तरदेशीयता के बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं हैं बरन् घरेलू विधि के आशय पर। वे प्रतिबन्ध सहित हैं और किसी भी दशा में उस राज्य द्वारा जिसकी सार्वजनिक जहाज एक सम्पत्ति है, त्याग किये जा सकते हैं।

अन्त में लार्ड एटकिन ने ओपेहेम के शब्दों में प्रकटित अन्तरदेशीयता का सिद्धान्त जिसके अनुसार जहाज "जिस राज्य का वह झडा लगाये रहे उसका वैराज हुआ भाग" माना गया था, अस्वीकार किया, और यह निर्धारित किया कि बात विक रूप में बात यह थी कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि की रूढियों के अनुसार प्रादेशिक सर्वोच्चसत्ताधारी विदेशी सर्वोच्चसत्ताधारी तथा उनके राजदूतों, सार्वजनिक जहाजों तथा ऐसे जहाजों द्वारा ले जाये जाने वाले नाविक दलों को कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान करती हैं जिनमें से कुछ तो पूर्णतः निश्चित हैं तथा कुछ अनिश्चित हैं।

टक्कर के मामले (Cases of Collision) — टक्कर के मामले में क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में एस० एस 'लोटस' वाला मामला इस विषय में प्रमाण माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने यह निर्णय किया कि टर्की ने फ्रांसीसी वाष्प-चलित जहाज 'लोटस' तथा टर्की के जहाज 'बोज कोट' के बीच में हुई टक्कर तथा उसके परिणामस्वरूप, बोज कोर्ट' में हुई हानि के सम्बन्ध में जिसमें टर्की के आठ राष्ट्रिय जनों की मृत्यु भी सम्मिलित थी, टर्की को विधि के अनुसार 'लोटस' जहाज की रक्षा का अधिकारी लेफिटेनेन्ट डेमो के विरुद्ध प्राधिकार कार्यवाहियाँ प्रवर्तित करने में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई बात नहीं की।

सार्वजनिक सशस्त्र पोत (Public Armed Vessels) — युद्ध के समय युद्ध-प्रवृत्त राज्य के पोतों को तटस्थ वैयक्तिक पोता की छानबीन करने का अधिकार है। उन्हें यह भी अधिकार है कि उन्हें यदि किसी प्रकार का यह संदेह हो जाय कि यह पोत सुरक्षा को आघात पहुँचाने की कार्यवाहियों में सलग्न है, उन्हें बन्दी बनाकर अपने यहाँ रोक लें। शान्ति के समय में भी सार्वजनिक सशस्त्र पोतों को अधिकार है कि दूसरे राज्यों के पोतों को निम्नलिखित परिस्थितियों में बन्दी कर लें—

(१) समुद्री डकैती के मामलों में, (२) सार्वजनिक पोत जिस राज्य का यदि उसकी सुरक्षा के विरुद्ध की कार्यवाहियों में वह पोत सलग्न हो, या जो

ऐसा सदेह करने के समुचित कारण दिखायी पडते हो, (३) तीव्र पीछा करने के अधिकार में, (४) यदि उन पोतों द्वारा परस्पर राज्यों में की गई किसी सन्धि का उल्लंघन किया जा रहा हो ।

उन्मुक्तियाँ (Immunities)—सार्वजनिक जहाज न तो स्थानीय विधि के अधीन है और न वह स्थानीय करो यथा बन्दरगाह अथवा प्रकाश कर को देने के लिए अथवा बहि शुल्क पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिये बाध्य किया जा सकता है । उसे ऋण अथवा हानि के लिये पकड़ा नहीं जा सकता । उसके पदाधिकारी तथा चालकाण जब तक वे जहाज में रहे वही उन्मुक्तियाँ उपभोग करते हैं । इसके उपरांत उससे यह भी आशा की जाती है कि वह उन राज्यों की विधियों का जिसके जलभागों में वह रहे यथोचित आदर करे ।

वैयक्तिक पोत क्या है ?—वैयक्तिक पोत वे जलयान है जिसका वैयक्तिक स्वामित्व किसी व्यक्ति को प्राप्त हो किन्तु अपने राष्ट्रीय स्वरूप से उत्पन्न अधिकार के कारण तथा किसी राज्य के समुद्री झुंड के न्यायानुसार प्रयोग के कारण उस राज्य की सम्पत्ति समझे जाते हैं । ऐसे जलयान यद्यपि वे राष्ट्रीय क्षेत्र से बाहर भी हैं तथापि अपने राज्य से संरक्षण पाने के अधिकारी हैं और उसके अधिकार तथा क्षेत्राधिकार के अधीन हैं ।

बड़े समुद्रों पर वैयक्तिक पोतों की वैध स्थिति—वैयक्तिक पोत जब बड़े समुद्रों में होते हैं, उस राज्य की सर्वोच्चसत्ता के अधीन होते हैं, जिसकी वे सम्पत्ति तथा जिसका वह झुंडा लगाये हो । उस राज्य को जिसका वह झुंडा लगाये हो अधिकार होता है कि वह अपनी प्रजा अथवा विदेशियों से सम्बन्धित जहाज पर ले जाने वाले सब विषयों में प्रशामकीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे ।

अपने वैयक्तिक पोतों के सम्बन्ध में झुंडे वाले राज्य का क्षेत्राधिकार फिर निम्नलिखित अपवादों के अधीन है जो कि रूढ़ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार हैं—

१—प्रत्येक युद्ध में सलग्न युद्धपोत को यह अविच्छिन्न अधिकार है कि वह किसी व्यापारी जहाज के पास जावे और उसकी तलाशी ले और अन्त में यदि वह पकड़ा जाय तो या यदि वह किसी अवैध कार्य में लगा हो अथवा प्रमाण पत्र के न होने के कारण उसका स्वरूप निश्चित न हो सकता हो तो उसे बन्दी कर ले ।

२—युद्ध के समय में तटस्थ व्यापारी जहाज जो प्रतिशोध अथवा नाकाबन्दी के नियमों को उल्लंघन करने का प्रयास करे पकड़ा जा सकता है ।

३—सब राज्यों के युद्धपोतों को यह अधिकार है कि वे बड़े समुद्रों पर किसी व्यापारी जहाजों से यह पता लगाने के लिए मुठभेड़ करे कि कहीं वे समुद्रों में तो नहीं हैं ।

सद्वर्ती राज्य के युद्धपोत किसी विदेशीय जलयान का उसके विधियों
 मो का उल्लंघन करने के कारण तीव्र पीछा कर सकते हैं।

५—प्रत्येक राज्य के युद्धपोतों को यह अधिकार होता है कि वे जलयान
 को जो उनके राज्य का झंडा लगाकर तैर रहा हो, पकड़ें तथा दंडित किये जाने के
 लिए अपने बन्दरगाह पर लावें।

अध्याय १६

समुद्री डाका

(Piracy)

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार समुद्री डाका समुद्रों में वैयक्तिक लक्ष्यों के वि
 किसी राज्य की सरकार के बिना प्राधिकृत किये हुए सम्पत्ति को लूट-खसोट अपरा
 व्यक्तियों के विरुद्ध बलात्कार के कार्य करने के लिए तैरना है। बड़े समुद्रों पर यह
 जहाँ किया जा सकता है व्यापार की सुरक्षा के विरुद्ध अपराध समझा जाता है।
 समुद्री केवल अन्तर्राष्ट्रीय विधि से सम्बन्धित है। उसके प्रावश्यक न

निम्नलिखित हैं—

(१) यह एक कार्य है जो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जब वह दो
 समुद्रों पर तैर रहा हो।

(२) ऐसा कार्य किसी राज्य के प्राधिकार अथवा सहमत (commen
 sion) के बिना होता है।

(३) समुद्री डाके के अपराध के लिए वास्तविक लूट आवश्यक अथवा
 है, लूट करने का निष्कपट प्रयत्न भी समुद्री डाका के समान है।

(४) इस प्रकार की लूट एक वैयक्तिक पोत द्वारा अन्य पोतों के विरु
 अथवा विद्रोही चालको द्वारा अपने ही जलयान के विरुद्ध की जाती है।

(५) समुद्री डाके का तत्त्व यह है कि इसमें सार्वजनिक लक्ष्यों के लिये
 वैयक्तिक उद्देश्य निहित होते हैं।

समुद्री डाका के लिए आवश्यक तत्त्व—अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनु
 समुद्री डाका उस समय होता है, जब कि समुद्र में अपने वैयक्तिक हितों की दृष्टि
 पोत चलाये जाते हैं, और उसके पोत-संचालन में किसी भी राज्य की ओर से
 प्राधिकार नहीं मिला रहता। ऐसे जहाजों का प्रायः उद्देश्य अन्य लोगों की संपत्ति

को छूटना तथा हिंसात्मक कार्यवाहियाँ होती हैं। यह समुद्री मार्ग पर एक प्रकार का अपराध है जो कि समुद्री व्यापार के विरुद्ध है।

ह्वीटन (Wheaton) ने इसे इन शब्दों में लिखा है :—Piracy is the offence of "depredating on the seas, without being authorised by any foreign state, or with commissions from different sovereigns at war with each other" अर्थात् 'समुद्री डाका' समुद्रों पर बिना किसी विदेशी राज्य के प्राधिकार के ही अतिक्रमण करना, या युद्धरत विभिन्न सप्रभुओं की सहमति के बिना अपराध कारित होता है।

मूर (Moore) ने 'डाइजेस्ट प्राव इंटरनेशनल लॉ' में समुद्री डकैत की निम्नलिखित परिभाषा की है.—"One who, without legal authority from any state attacks a ship with intention to appropriate what belongs to it. The pirate is a sea brigand. He has no right to any flag and is justiciable by all" अर्थात् "वह व्यक्ति, जो कि बिना किसी राज्य के वैध अधिकार के ही इस आशय से किसी पोत पर आक्रमण करता है कि उसमें जो कुछ है उसे हड़प सके। समुद्री डाकू एक जल-दस्यु हुमा करता है। उसे कोई ध्वज रखने का अधिकार नहीं है और वह सभी के न्याय-प्रशासन का विषय है।"

किसी सरकार द्वारा प्राधिकृत समुद्री डकैती के कार्य—कोई व्यक्ति हो नहीं, बल्कि एक स्वतन्त्र राज्य भी समुद्री डकैती के कार्यों के लिए दोषी हो सकता है। प्रोफेसर हाइड (Hyde) का कथन है कि "national authorisation of the commission of piratical acts would not free pirates from internationally illegal aspects" अर्थात् समुद्री डाके कामों को कारित करने, राष्ट्रीय प्राधिकरण समुद्री डाकुओं को अन्तर्राष्ट्रीय अवैध पक्षों से मुक्त नहीं कर देता। वाशिंगटन कान्फेन्स में १९२२ में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि कोई भी व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करता है, भले ही वह अपने विरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर कर रहा हो, उसके विरुद्ध किसी भी राज्य के न्यायालय में 'समुद्री डकैती' का मुकदमा चलाया जा सकता है।

वैयक्तिक समुद्री डकैती सम्बन्धी जहाजों को गिरफ्तार करना—सभी पुरुष-पोतों को यह अधिकार है कि समुद्री डकैती, या उसका पीछा करने के प्रयत्न में लगे हुए सभी जहाजों का निरीक्षण कर सकते हैं। वे उन्हें बन्दी कर सकते हैं और उनके विरुद्ध अपने देश के न्यायालय में मुकदमा चला सकते हैं। समुद्री डकैत को किसी प्रकार का झुंटा लगाने का अधिकार नहीं रहता।

समुद्री डकैती के प्रसंग में सम्पत्ति का स्वामित्व—समुद्री डकैती में लूटी गई सम्पत्ति पर से उसके वास्तविक स्वामी का हक समाप्त नहीं हो जाता। यदि वह फिर से पकड़ ली जाती है, तो उसी व्यक्ति या राज्य की मानी जाती है।

समुद्री डकैती और राष्ट्र-विधि—अन्तर्राष्ट्रीय विधि में वर्णित 'समुद्री डकैती' और राज्यों के राष्ट्र-विधि के अन्तर्गत वर्णित 'समुद्री डकैती' में किसी प्रकार का भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। किसी राज्य में 'समुद्री डकैती' के प्रसंग में जो विधियाँ बनाई गई हैं, वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि की अपेक्षा महत्व में न्यून हो सकती हैं या उनमें गुरुता (gravity) की कमी हो सकती है। राज्य में निर्मित समुद्री डकैती विधि को सीमित होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी राज्य केवल अपने नागरिकों को दण्ड देने की विधि निर्मित कर सकता है, विदेशी नागरिकों को दण्ड करने के नियम बनाने में कोई राज्य सक्षम नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में समुद्री डकैती के क्षेत्राधिकार व्यापक हैं, क्योंकि इस विधि के अन्तर्गत किसी भी देश के वासियों को कोई भी राज्य समुद्री डकैती के अपराध में दण्डित कर सकता है क्योंकि समुद्री डकैती पूरी सभ्य मानवता के विरुद्ध किया गया अपराध है।

अध्याय १७

राष्ट्रीयता

(Nationality)

राष्ट्रीयता क्या है ? —राष्ट्रीयता वह लक्षण अथवा गुण है जो किसी विशिष्ट जाति अथवा राष्ट्र की सदस्यता से उत्पन्न होता है और जो किसी व्यक्ति की राजनैतिक स्थिति अथवा निष्ठा निश्चित करता है। यह एक व्यक्ति को राज्य के बीच परस्पर बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। ओपेनहेम के मतानुसार व्यक्ति का "किसी राष्ट्र की प्रजा और इसलिये उसके नागरिक" होना वास्तव में यह एक प्रकार का निरन्तर चलने वाला वैध सम्बन्ध है जो कि प्रभुता-राज्य और नागरिक के बीच स्थापित होता है। इस वैध सम्बन्ध के अन्तर्गत जो एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य मिले होते हैं। एक मनुष्य की राष्ट्रीयता उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्यों की त्यों ही बनी रहे—यह धारण कर सकता है। वह किसी दूसरे राज्य का नागरिक भी बन सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीयता में परिवर्तन होते रहते हैं।

इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के मत नीचे दिये जा रहे हैं :—

केल्सन (Kelsen) :—नागरिकता या राष्ट्रीयता एक व्यक्ति की स्थिति है, जो कि वैध रूप में किसी राज्य का सदस्य है, और उसे भालंकारिक रूप से उस समुदाय का सदस्य कहा जा सकता है ।

हाइड (Hyde) —राष्ट्रीयता एक व्यक्ति और राज्य के उस सम्बन्ध का द्योतन करता है जो इस प्रकार है कि राज्य बहुत से आधारों पर समझ लेता है कि व्यक्ति की निष्ठा उसके प्रति है ।

स्टार्क (Starke) —“Nationality may be defined as the status of membership of the collectivity of individuals whose acts, decisions and policy are vouchsafed through the legal concept of the State representing those individuals.” अर्थात् “राष्ट्रीयता की परिभाषा ऐसे व्यक्तियों की सामूहिकता की सदस्यता की स्थिति से दी जा सकती है जिसके कृत्य, निर्णय और नीति ऐसे राज्य की वैध व्यवधारणा के माध्यम से सरक्षित हैं जो कि उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है ।”

राष्ट्रीयता का निर्धारण :—राष्ट्रीयता के निर्धारण का प्रश्न राष्ट्र विधि के क्षेत्र के भीतर आता है, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क तथा यातायात बढ़ने के कारण नागरिक राष्ट्रीयता के विधियों में प्रायः विरोध उत्पन्न हो जाता है । सन् १९३० के हेग के संहिताकरण सम्मेलन ने राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में बहुत से लेखों को स्वीकार किया, उदाहरणार्थ राष्ट्रीयता के विधियों के विरोध में अभिसमय, राष्ट्रीयता के अभाव पर सलेख (protocol), इत्यादि ।

राष्ट्रीयता का अधिकार कोई प्राकृतिक (natural) अधिकार नहीं है । राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है, क्योंकि वह व्यक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के बीच की एक कड़ी है । यह कड़ी उतनी महत्वपूर्ण है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । और जिन अभिसमयों एवं सम्मेलनों की चर्चा की गई है, उनमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक राज्य स्वयं निश्चय करे कि उनकी विधि के अनुसार कौन लोग उसके नागरिक हैं और बिन्हे उस देश की राष्ट्रीयता प्राप्त हो सकती है । यद्यपि वे राज्य अपने राज्य-क्षेत्र में विधियों के निर्मित करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में बनायी गयी विधियों को, जहाँ तक उनका अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा कड़ियों से सम्बन्ध है, अन्य राज्यों द्वारा भी मान्यता प्राप्त हानी चाहिये । उन्हें राष्ट्रीयता के सामान्य रूप से मान्य सिद्धांतों के अनुरूप भी होना चाहिये ।

संयुक्त राज्य की 'सुप्रीम कोर्ट' ने U. S v Wong Kum Ark (169 U. S. 649) के विवाद में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किया था—“It is the inherent right of every independent nation to determine for itself and according to its own constitution and laws what classes of persons shall be entitled to its citizenship” अर्थात् “प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का यह अन्तर्निहित अधिकार है कि वह अपने आपके लिए निर्धारित कर सके कि स्वयं उसके सविधान के अनुसार तथा उसकी विधि के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति उसकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं।”

इसी प्रकार स्टोइक बनाम पब्लिक ट्रस्टी [Stoeck v Public Trustee (1921) 2 Ch 69] के विवाद में कहा गया है—“The question to what State a person belongs must ultimately be decided by the municipal law of the State to which he claims to belong to or to which it is alleged that he belongs” अर्थात् “इस प्रश्न का, कि कोई व्यक्ति किस राज्य का है अवश्य ही उस राज्य की नागरिक विधि द्वारा अंतिम रूप में निर्णीत होना चाहिए जिसका कि नागरिक होने का वह व्यक्ति दावा करता है या जिसके लिए यह माना जाता है कि वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक है।”

राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि —अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न महत्व की प्रासंगिक बातें हैं—(१) बाह्य कूटनीतिक धर क्षण के लिए अधिकार, (२) किसी अन्य राज्य में उसके राष्ट्रीयजन द्वारा किये जाने वाले किन्हीं अनुचित कार्यों को रोकने की अथवा उनके जाने के उपरांत उनके लिए दण्ड देने की असफलता के लिए राज्य का उत्तरदायित्व, (३) राज्य को अपने नागरिकों को वापस प्राप्त करने का कर्तव्य, (४) जिस राज्य की वह राज्य भक्ति करे उस राज्य की सैनिक सेवा करने का राष्ट्रीय जन का कर्तव्य, (५) अपने नागरिकों को उनका समर्पण माँगने वाले अन्य राज्य को प्रत्यर्पण करने से अस्वीकार करने का किसी राज्य का सामान्य अधिकार, (६) सम्बन्धित व्यक्ति की राष्ट्रीयता के अनुसार युद्ध के समय में शत्रुत्व की स्थिति का निर्दिष्ट करना, तथा (७) राष्ट्रीयता के आधार पर राज्यों द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग।

सर जान फिशर-विलियम्स (Sir John Fischer Williams) ने ठीक ही लिखा है कि “वर्तमान विश्व, ऐसे व्यक्तियों का विश्व है जो किसी राज्य में प्रवासी किसी राज्य के अधीनस्थ संगठित हुए हैं, कौन-सा नागरिक किस राज्य का है, इस बात का निर्धारण उतना ही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है, जितना कि इस प्रश्न का निर्धारण कि, समुक्त राज्य-क्षेत्र किस राज्य का है। अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार की

कर्त्तव्य पूर्णरूप से व्यक्तियों की राष्ट्रीयता पर निर्भर करती है। यह कहना कि राष्ट्रीयता के प्रश्नों के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के बहुत से प्रश्नों को अराजकता के हाथों सौंप देना होगा। किन्तु यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार राष्ट्रीयता, सामान्य नियम के रूप से, राष्ट्र-विधियों द्वारा ही निर्धारित की जाती है।”

राष्ट्रीयता तथा स्थायी निवास —राष्ट्रीयता तथा स्थायी निवास में सूक्ष्म अन्तर है। राष्ट्रीयता किसी विशिष्ट राष्ट्र अथवा राज्य की सदस्यता से उत्पन्न होने वाला लक्षण अथवा गुण है तथा किसी व्यक्ति की राज्य-भक्ति को निश्चित करती है। स्थायी निवास राष्ट्रीयता का गुण है और किसी व्यक्ति के निवास स्थान को सुरक्षित करता है—यह व्यक्ति तथा स्थान का सम्बन्ध है जहाँ कि उसका स्थायी निवास है। इस प्रकार राष्ट्रीयता स्थायी निवास से प्राप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति को स्थायी निवास प्राप्त करने का अधिकारी बना देने वाली समय को अर्वाधि दशो में भिन्न-भिन्न है। किसी व्यक्ति की राजनैतिक स्थिति को, जिसके कारण से वह किसी विशिष्ट देश की प्रजा होकर प्राकृतिक राज्य-भक्ति की गाँठ से बँध जाता है उसका राष्ट्रीय लक्षण कहा जाता है। उसकी व्यावहारिक स्थिति का जिसके कारण वह किसी देश के नागरिक का लक्षण प्राप्त कर लेता है और जिस नागरिकता के अधिकार प्राप्त होते हैं, तथा जो कुछ कर्त्तव्यों के अधीन होता है, 'स्थायी निवास' शब्दों से निर्देशित किया जाता है। 'राज-भक्ति' एक ऐसा शब्द है, जिसका साम्य उस राष्ट्रीय रूप से होता है, जिसके फलस्वरूप कोई व्यक्ति अपने राज्य के प्रति आस्था रखता है।

राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ढंग :—ओपेनहेम के मतानुसार राष्ट्रीयता प्राप्त करने के पाँच ढंग हैं। वे निम्नलिखित हैं।

राष्ट्रीयता प्राप्त करने की सबसे प्रथम और सबसे महत्व की रीति जन्म (birth) है। यह भूमि सम्बन्धी नियम (jus soli) अर्थात् जन्म का क्षेत्र अथवा स्थान के अनुसार अथवा रक्त सम्बन्धी नियम (jus sanguinis) अर्थात् जन्म के समय माता पिता की राष्ट्रीयता के अनुसार अर्थात् वंशानुक्रम के अनुसार अथवा दोनों के अनुसार हो सकती है।

विश्व के अधिकांश लोगों को जन्म से ही राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। जर्मनों में पैतृकता को राष्ट्रीयता का द्योतक माना जाता है—मले ही बच्चा अपने देश में पैदा हुआ हो, अथवा विदेश में, पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर उसकी राष्ट्रीयता भी निर्धारित कर दी जाती है। अर्जेंटीना में राज्य-क्षेत्र को महत्व

दिया जाता है अर्थात् नवजात शिशु यहीं का राष्ट्रिय माना जाता है, जिस राज्य क्षेत्र में उसका जन्म हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में मिली-जुली पर्यटन अपनायी जाती है।

राष्ट्रियता प्राप्त करने का दूसरा ढंग देशीयकरण (naturalisation) है। यह उस समय होता है जब कोई व्यक्ति किसी राज्य का जिनके लिए वह पहले विदेशी था, प्रजा हो जाता है। यह व्यक्ति तथा राज्य जिनमें वह रहता है क मन्त्र में राज्य-भक्ति का एक कृत्रिम बन्धन है। देशीयकरण की छ रीतियाँ हैं अर्थात् (१) विवाह अर्थात् पत्नी द्वारा पति को राष्ट्रियता को ग्रहण करना (२) औरमकरण (legitimation) जिसके द्वारा जारज (illegitimate) बालक अपने पिता की राष्ट्रियता को प्राप्त करना है (३) विकल्प (option), (४) स्वामी निवाम की प्राप्ति (५) सरकारी पद पर नियुक्ति तथा (६) राज्य अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देने पर स्वीकृति।

केलसन (Kelsen) व अनुगाम देशीयकरण किसी राज्य का एक प्रशासकीय कार्य होता है जो कि किसी विदेशी का नागरिकता प्रदान करता है, किन्तु एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नियम भी है कि विदेशियों का किन-किन शर्तों पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। देशीयकरण तभी सम्भव है, जबकि विदेशी इस भाष्य का आवेदन करता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विदेशी व्यक्ति देशीयकरण का दावा नहीं कर सकता।

राष्ट्रियता प्राप्त करने का तीसरा ढंग पुन प्राप्ति अथवा पुनर्ग्रहण (redintegration or resumption) है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विचर काल तक बाहर रहे अथवा वहाँ पर देशीयकरण होने के कारण अपनी मौलिक राष्ट्रियता खो दी हो उसे कुछ शर्तों की पूर्ति करने पर पुन प्राप्ति अथवा ग्रहण कर सकते हैं।

राष्ट्रियता प्राप्त करने का चौथा तथा पाँचवा ढंग अधीनस्थ किया जाना तथा राज्य क्षेत्र का अधिमिलन (subjugation and cession of territory) है। अधीनस्थ करने में विजित प्रदेश का विजय तथा संयोजन व्यक्त होता है। संयोजन द्वारा प्रदेश विजयी के सम्पूर्ण प्रभुत्व में आ जाता है तथा अधीनस्थ अथवा अधिमिलित किये गये क्षेत्र के निवासी राज्य की राष्ट्रियता प्राप्त कर लेते हैं।

ब्रिटिश राष्ट्रियता अधिनियम — इस प्रसंग में ब्रिटिश राष्ट्रियता ऐक्ट और १९१४-१९२२ विदेशी की स्थिति के अधिनियम, (Status of Aliens Act 1914 1922) का उल्लेख किया जा सकता है। वहाँ निम्नलिखित को प्राकृतिक एवं नये जन्म सिद्ध प्रजा माना जाता है।

(१) कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटिश राज्य के राज्य-क्षेत्र या उपनिवेशों में पैदा हुआ हो । (२) ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश उपनिवेशों की सीमा से बाहर पैदा हुआ हो, किन्तु या तो उसका पिता उस समय ब्रिटिश उपनिवेश की प्रजा जन्म-सिद्ध रूप से अथवा क्राउन की ओर स दिये गये किसी पद का अधिकारी रहा हो या उनका जन्म एक वर्ष के भीतर (किसी-किसी प्रसंग में २ वर्ष भी) ही ब्रिटिश कामुलेट में लिखा गया हो ।

अमेरिका का राष्ट्रीयता अधिनियम .—इमीग्रेशन ऐंड नेशनैलिटी ऐक्ट, १९५२, के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीयता प्राप्त है —

१—कोई व्यक्ति जो संयुक्त राज्य के भीतर पैदा हुआ हो और उसके क्षेत्राधिकार के भीतर आता हो ।

२—कोई व्यक्ति जो भारतीय, एस्किमो, येल्यूशियन या अन्य मूल जातियों का हो किन्तु संयुक्त राज्य की सीमा में पैदा हुआ हो ।

३—कोई व्यक्ति जो संयुक्त राज्य के बाहर या उसकी बाहरी सीमा के पार पैदा हुआ हो, किन्तु उसके माता-पिता दोनों संयुक्त राज्य के नागरिक हो और उनमें से एक का निवास संयुक्त राज्य में पैदाइश के पूर्व से रहा हो ।

४—कोई व्यक्ति जो संयुक्त राज्य से बाहर या उसकी बाहरी सीमा के पार पैदा हुआ हो, किन्तु माँ-बाप में से कोई एक संयुक्त राज्य के नागरिक हो और जन्म के पूर्व लगातार एक वर्ष से अधिक से वहीं रह रहे हो तथा उन दोनों में कोई संयुक्त राज्य का राष्ट्रीय होते हुये भी नागरिक नहीं है ।

५—कोई व्यक्ति जो अमेरिका की बाहरी सीमा के भीतर पैदा हुआ हो किन्तु ऐसे माता-पिता से जिसमें से एक संयुक्त राज्य का नागरिक हो और वहाँ शारीरिक रूप से विद्यमान रहा हो या उसकी बाहरी सीमा के भीतर जन्म के लगातार एक वर्ष पूर्व से रहा हो ।

६—ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता का कुछ पता न चल रहा हो यदि संयुक्त राज्य में ५ वर्ष की आयु के भीतर पाया जाय जब तक कि २१ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले और उस बीच में यह तथ्य प्रमाणित न हो जाय कि वह संयुक्त राज्य में नहीं पैदा हुआ है ।

७—कोई व्यक्ति जो संयुक्त राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर या उसकी बाहरी सीमा के पार पैदा हुआ हो, किन्तु उसके माता पिता में से कोई एक विदेशी हो, और दूसरा संयुक्त राज्य का नागरिक हो, जो कि ऐसे व्यक्ति के जन्म के पूर्व वहाँ या उसकी बाहरी सीमा के भीतर शारीरिक रूप से विद्यमान रहा हो और कम से

कम लगातार १० वर्ष या कुल मिला कर १० वर्ष से वहाँ रहा हो जिसमें से कम से कम ५ वर्ष १४ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद का हो ।

दुहरी राष्ट्रीयता (Double Nationality) :—क्या राष्ट्रीयता जन्म के

समय माता-पिता की राष्ट्रीयता से प्राप्त होती है अथवा क्षेत्र से या जन्म-स्थान से, इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न राज्यों में कोई समान नियम नहीं है । इसका परिणाम यह है कि राज्यों की रीति में बड़ा भारी अन्तर है । ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा बहुत से लैटिन अमेरिकीय राज्य *jus soli* अर्थात् भूमि पर केवल जन्म लेने से ही राष्ट्रीयता प्रदान करने के सिद्धान्त का अवलम्बन करते हैं । किसी विदेशीय के शिशु को भी जिसका जन्म इंग्लैंड अथवा अमेरिका में हुआ हो यथा-स्थिति ब्रिटिश अथवा अमेरिकीय राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है । फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देश प्रधानतः *jus sanguinis* अर्थात् रक्त-सम्बन्ध सिद्धान्त का अवलम्बन करते हैं जिसके अनुसार शिशुओं की राष्ट्रीयता उनके माता-पिता की राष्ट्रीयता का अनुसरण करती है जिससे उनकी प्रजा से उत्पन्न शिशु स्वतः उनकी प्रजा हो जाती हैं चाहे वे स्वदेश में उत्पन्न हुईं हो अथवा विदेश में । इस नियम में जारज शिशु सम्मिलित नहीं हैं जो अपनी माँ की राष्ट्रीयता को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार उस दशा में जब कोई बालक किसी राज्य को भूमि में ऐसे माता-पिता से उत्पन्न हो जो अन्य राष्ट्र के नागरिक हो, क्षेत्राधिकार का भगडा उत्पन्न हो सकता है । उदाहरणार्थ एक बालक जो संयुक्त राज्य में फ्रांसीसी माता-पिता से उत्पन्न हो, *jure soli* (भूमि सम्बन्धी नियम) के अनुसार अमेरिकीय है किन्तु उसी समय वह *jure sanguinis* (रक्त सम्बन्धी नियम) के अनुसार फ्रांसीसी नागरिक है । इस दशा में उसकी प्रभावपूर्ण नागरिकता उस क्षेत्राधिकार पर आश्रित रहेगी जहाँ का वह होता । संयुक्त राज्य में वह अमेरिकीय है, फ्रांस में फ्रांसीसी और किसी अन्य देश में दोनों । इसी प्रकार से यदि कोई बालक ग्रेट ब्रिटेन में जर्मन माता पिता से उत्पन्न होता है तो उसे एक ही समय में दुहरी राष्ट्रीयता प्राप्त होगी अर्थात् ब्रिटिश तथा जर्मन, किन्तु इस दुहरी राष्ट्रीयता का अन्त हो सकता है यदि वह व्यक्ति वयस्क होने पर अपनी राज्यभक्ति घोषित कर दे ।

दुहरी राष्ट्रीयता शादी से भी उत्पन्न हो जाती है । जब एक अमेरिकी महिला किसी अंग्रेज पुरुष से शादी कर लेती है, तो ब्रिटिश कानून के अनुसार वह अमेरिकी महिला ब्रिटिश-राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेगी । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस नयी राष्ट्रीयता से उसकी मौलिक राष्ट्रीयता का लोप हो गया । वह साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय बनी रहेगी । उसकी मौलिक राष्ट्रीयता का

लोप तभी होगा जब वह श्रौपचारिक रूप से किसी न्यायालय के समक्ष अपनी नागरिकता के बदले जाने का प्रत्यावेदन कर लें ।

सन् १९३० के हेग के संहिताकरण कान्फ्रेंस ने यह व्यवस्था की थी कि कोई व्यक्ति जिसकी दो या अधिक राष्ट्रियता हो, प्रत्येक राज्य द्वारा राष्ट्रिक माना जायेगा और वह व्यक्ति उस राज्य की अनुज्ञा से उस राज्य की राष्ट्रिकता परित्याग करके दूसरे राज्य का राष्ट्रिक बना रहता है । एक तीसरा राज्य भी दुहरी राष्ट्रियता रखने वाले व्यक्ति की केवल प्रभावोत्पादक राष्ट्रियता स्वीकार करेगा । प्रभावोत्पादक राष्ट्रियता का अर्थ या तो उस राज्य की राष्ट्रियता होती है जिसमें वह स्वभावतः तथा मुख्यतः रहता हो अथवा उस राज्य की राष्ट्रियता जिससे उसका अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध हो । (The Canevaro case, William Mackenzie Claim and Kramer v. Attorney General).

भारत में राष्ट्रियता :—राष्ट्रियता के सम्बन्ध में भारत के सविधान में विशेष व्यवस्था पाई जाती है । सम्पूर्ण भारत के लिये एक ही नागरिकता है और सविधान में राष्ट्रियता निश्चित करने के लिये कोई विस्तृत व्यवस्था नहीं है, किन्तु यह विषय निर्धारित करने के लिये ससद पर छोड़ दिया गया है । अनुच्छेद ५ में यह कहा गया है कि सविधान के आरम्भ में अर्थात् जनवरी २६ सन् १९५० को प्रत्येक व्यक्ति जिसका स्थायी निवास भारतीय राज्यक्षेत्र में है तथा जो

(अ) भारतीय राज्य-क्षेत्र में पैदा हुआ हो, अथवा

(आ) जिसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय क्षेत्र में पैदा हुये हो, अथवा

(इ) जो ऐसे आरम्भ के तत्काल पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारतीय क्षेत्र में सामान्यतः रहा हो, भारत का नागरिक होगा ।

अनुच्छेद ६ उन व्यक्तियों की नागरिकता से सम्बन्धित है जिन्होंने पाकिस्तानी क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में प्रव्रजन किया हो । अनुच्छेद ६ में यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति जो अथवा जिसके पिता अथवा पितामहों में से कोई एक ने भारत में जन्म लिया हो तथा जिसने भारत से बाहर किसी देश में जन्म लिया हो, भारत का नागरिक समझा जायगा यदि वह जिस देश में वह रह रहा हो वहाँ के भारतीय राजनयिक (diplomatic) अथवा वाणिज्यिक (consular) प्रतिनिधि द्वारा उनको आवेदन प्रपत्र देने पर भारत का नागरिक पजीकृत कर दिया गया हो । अनुच्छेद ६ में यह उल्लिखित है कि कोई भी व्यक्ति जिसने विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, भारतीय नागरिक नहीं रह सकता ।

१९५५ के नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के ढङ्गों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान लागू होने के उपरान्त नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं :—जन्म (birth), वंशक्रम (descent), पंजीकरण (registration), देशीयकरण (naturalisation) और राज्य-क्षेत्र का विनियोग (incorporation of territory)। धारा ३ के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो कि २६ जनवरी १९५० को या उसके बाद भारतवर्ष में पैदा हुआ है, वह यहाँ का जन्म में नागरिक होगा। धारा ४ के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो २६ जनवरी १९५० को या उसके बाद भारत की सीमा के बाहर पैदा हुआ है, यदि उसका पिता जन्म के समय भारतीय नागरिक होगा, तो वह भी वंशक्रम से भारत का नागरिक कहा जायेगा। धारा ५ के अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त करने के आशय का आवेदन प्राप्त करके प्राधिकृत अधिकारी उसे भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कर सकता है, जो कि संविधान की प्रतिष्ठा के अनुसार वास्तविक रूप में नागरिक न हो या नागरिकता सम्बन्धित किसी अधिनियम के अन्तर्गत न आता हो। धारा ६ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार समुचित रूप से आवेदन करने पर प्रार्थी को देशीयकरण का प्रमाण-पत्र दे सकती है यदि वह तीसरी अनुसूची (Third Schedule) की व्यवस्थाओं के अनुसार हो। अन्तिम रूप से धारा ७ में यह व्यवस्था है कि यदि कोई राज्य-क्षेत्र भारत का भंग बन जाता है, तो केन्द्रीय सरकार यदि चाहे तो आफिसियल गजेट के नोटिफिकेशन के आधार पर आवेदन निर्गत कर सकती है कि कौन से व्यक्ति उस क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण भारत के नागरिक माने जायेंगे।

राष्ट्रीयता का लोप होना (Loss of Nationality) :—प्रोपेनहेट के मतानुसार राष्ट्रीयता का पाँच प्रकार से लोप हो सकता है जो निम्नलिखित हैं :—

१—विमुक्ति (Release) :—कुछ राज्य जैसे जर्मनी अपने नागरिकों को राष्ट्रीयता से मुक्त करने की प्रार्थना करने का अधिकार देते हैं।

२—धंचित करना (Deprivation) :—कुछ राज्यों ने कुछ नागरिक विधियाँ बनाई हैं जिनका उनके नागरिकों द्वारा भंग किये जाने के परिणामस्वरूप उनकी राष्ट्रीयता छीन ली जाती है।

३—समाप्ति (Expiration) :—कुछ राज्यों में ऐसा विधान है कि दीर्घकाल तक बाहर रहने के कारण नागरिकता समाप्त हो जाती है।

४—त्याग (Renunciation) :—शिशुओं को दुहरी राष्ट्रीयता की शर्तों में कुछ राज्यों (ग्रेट ब्रिटेन) की नागरिक विधि उनको अधिकार देती है कि वयस्क

होने पर वे घोषित करें कि क्या वे उनमें से किसी एक राज्य का नागरिक होना समाप्त करना चाहते हैं ।

५—प्रतिस्थापन (Substitution) :—कुछ राज्यों की विधि क अनुसार उनकी प्रजाओं की नागरिकता उनके बाहर नागरिकता अर्जन करने के कारण समाप्त हो जाती है ।

भारत के संविधान में निम्नलिखित दो दशाओं में नागरिकता के अन्त होने की व्यवस्था की गई है—

(१) कोई व्यक्ति जो पहली मार्च सन् १९४७ के उपरान्त भारत के राज्य-क्षेत्र से पाकिस्तान के राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर गया हो, भारत का नागरिक नहीं समझा जायगा (अनुच्छेद ७) ।

(२) ऐसा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ली हो (अनुच्छेद ८) ।

१९५५ के भारतीय नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकता की समाप्ति और उसके छीन लिये जाने की भी व्यवस्था है । उसके लिए विशेष परिस्थितियाँ उत्तरदायी होंगी । अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि कोई भारतीय नागरिक जो कि वयस्क हो चुका हो, और जो किसी दूसरे देश का भी नागरिक या राष्ट्रीय है, यदि भारतीय नागरिकता छोड़ने की समुचित रीति से घोषणा करता है, तो उसका पजीयन समुचित प्राधिकारी करेंगे और उस पजीयन के पश्चात् ऐसे व्यक्ति भारत की नागरिकता से वंचित मान लिये जायेंगे । धारा ९ के अन्तर्गत भारत का कोई नागरिक जो कि देशीयकरण, पजीयन या विक्ल के आधार पर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, या २६ जनवरी १९५० से अधिनियम लागू होने की तिथि के बीच स्वेच्छया दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो इस प्राप्ति पर परिस्थिति के अनुकूल वह भारत का नागरिक नहीं रह जायेगा । धारा १० के अन्तर्गत कोई भारतीय नागरिक देशीयकरण या संविधान की किसी व्यवस्था के आधार पर यदि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इन धाराओं के अन्तर्गत नागरिकता के अधिकार से वंचित किया गया है, तो भारत का नागरिक नहीं माना जायेगा ।

राष्ट्रहीनता (Statelessness)—राष्ट्रहीनता की समस्या न हाल में राष्ट्रीयता सम्बन्धी विधियों में परस्पर विरोध होने के कारण कुछ प्रमुखता प्राप्त कर ली है । कुछ ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें कुछ राज्यों के राष्ट्रीय जनों क, अपने देश में वापस न हो सकने पर उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता खो दी है । अगणित

ने क्रांति के बाद अपनी राष्ट्रीयता खो दी क्योंकि वे रूस के लिए लौटने को इच्छु नही थे ।

न्यायाधीश रसल ने स्टोयक बनाम पब्लिक ट्रिस्टी [*Stoeck v. The Public Trustee (1921) 2 Ch 67*] वाले मामले में यह कहा था कि राष्ट्रहीनता एक दशा है जिसे अंग्रेजी विधि स्वीकार करती है । उन्होंने ओपेनहेम के निम्न लिखित कथन को अनुमोदन करते हुए उद्धृत किया—

“कोई व्यक्ति जानते हुए अथवा अनजाने, इच्छापूर्वक अथवा अपने किसी दोष के बिना राष्ट्रहीन बनाया जा सकता है ।”

ओपेनहेम राष्ट्रहीनता की बहुत सी स्थितियाँ बतलाते हैं । उनका कहना है कि जन्म से भी व्यक्ति राष्ट्रिकताहीन हो सकता है । इस प्रकार एक जारब सिगु जो जर्मनी में एक अंग्रेजी माँ से पैदा हुआ हो वास्तव में राष्ट्रियतारहित है क्योंकि न तो वह जर्मन विधि के अनुसार जर्मन राष्ट्रियता प्राप्त करता है और न ब्रिटिश विधि के अनुसार ब्रिटिश राष्ट्रियता । और भी यह कि सब बच्चे जो जर्मनी में ऐसे माता-पिता से पैदा हो जो राष्ट्रियतारहित हो जर्मन विधि के अनुसार स्वयं राष्ट्र हीन हैं । जन्म के बाद भी राष्ट्रहीनता हो सकती है अर्थात् राष्ट्रियता के छीन लिये जाने पर । सब व्यक्ति जिन्होंने अपनी मौलिक राष्ट्रियता बिना दूसरी राष्ट्रियता प्राप्त किये खो दी है, वास्तव में राष्ट्रियतारहित हैं । इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रियता विरोध विधि सम्बन्धी सन् १९३० हेग अभिसमय में राष्ट्रहीनता की दशा को समाप्त करना चाहते थे किन्तु उसमें दी गई व्यवस्थायें अधिक सहायक सिद्ध नहीं हुईं क्योंकि राज्यों ने उनको स्वीकार नहीं किया ।

वह राज्य जिसके अन्तर्गत ऐसे राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति निवास करते हैं, यदि उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो उनसे देशीकरण के लिए आवेदन-पत्र देने के लिए अपेक्षा कर सकता है अथवा उन्हें देशत्याग करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है । जो राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति किसी देश के नहीं हैं और कोई राष्ट्रियता नहीं रखते हैं उनसे वे लाभ छीन लिये जाते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार किसी राज्य के नागरिक को प्राप्त होते हैं ।

mission) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह विवाद ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच उठा था। उसमें यह कहा गया कि समुक्त राज्य की कांग्रेस ने मार्च २, १६०७, को देश-निकाले के अधिकार को सामान्य रूप से स्वीकार किया है। देश-निकाले का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है।

अध्याय १८

क्षेत्राधिकार से सम्बद्ध प्रत्यर्पण

(Extradition connected with Jurisdiction)

इसकी आवश्यकता :—जहाँ कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करके दूसरे में भाग जाय तो दूसरे देश का उसके सम्बन्ध में क्या कर्तव्य है? क्या शरण देने वाले को उसे अपने ही न्यायालयों में अपनी ही विधि के अनुसार विचार करना चाहिए अथवा उसे उस देश को समर्पण करना चाहिए जिसकी विधि की उसने भग किया हो? अन्तर्राष्ट्रीय विधि इस सामान्य प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं देती। राज्यों की सार्वभौमिक रीति यही रही है कि भागे हुए अपराधियों को केवल उसी दशा में समर्पित किया जाय जब मागने वाले देश के साथ कोई विशेष सन्धि हो और अब बहुत कम विधि-वेत्ता इसे सामान्य अथवा सम्पूर्ण कर्तव्य बतलाते हैं। यह सन्धि के अनुसार तथा नियमानुसार माँग के अनुवर्तन में समर्पण प्रत्यर्पण के नाम से प्रसिद्ध है।

परिभाषा :—प्रत्यर्पण एक राज्य द्वारा अन्य राज्य को उस व्यक्ति का समर्पण है जो उस राज्य के क्षेत्र के भीतर पाया जाय तथा जो अन्य राज्य के प्रदेश के भीतर किसी अपराध करने वा दोषी ठहराया गया हो अथवा जो अन्य राज्य के प्रदेश के बाहर अपराध करे तथा उसकी प्रजा हो और ऐसी दशा में उसकी विधि के अनुसार उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्तरदायी हो।

प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ :—

लॉरेंस (Lawrence):—लॉरेंस ने प्रत्यर्पण की परिभाषा निम्न की है:—

Extradition is the surrender by one state to another of an individual who is found within the territory of the former, and is accused of having committed a crime within the territory of the latter, or who, having committed a crime outside the territory of the latter, is one of its subjects and, as such, by its law amenable to its jurisdiction.

ओपेनहेम (Oppenheim) :—ओपेनहेम के अनुसार "Extradition is the delivery of an accused or a convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of, a crime, by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be."

स्टार्क (Starke) :—स्टार्क प्रत्यर्पण की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि प्रत्यर्पण को हम वह समर्पण कहेंगे जो कि एक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में है, जिस पर एक राज्य द्वारा अपराध करने का आरोप है, भले ही यह अपराध बरख लेने वाले राज्य-क्षेत्र में किया गया हो, अथवा उसके अपने राज्य-क्षेत्र में या कहीं अन्यत्र। (Extradition is "the surrender of a person accused or convicted of a crime by the state in the territory of which he has taken refuge to the state in whose territory the crime has been committed or which has convicted him of the crime.")

कठिनाइयाँ :—प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में दो व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण इस विषय पर एक समान नियम के विकास में बाधा पड़ती है। वे हैं विभिन्न देशों द्वारा ग्रहण की गई अपराध की परिभाषाओं में विभेद तथा प्रत्यर्पण सम्बन्धी प्रक्रिया का ऐसे व्यक्ति के पकड़ाने के सम्बन्ध में उपयोग करने की संभावना जो कि उसके देश के द्वारा वास्तव में न कि किसी सामान्य अपराध के लिए बल्कि राजनैतिक अपराध के लिए चाहा जाता हो। आधुनिक राज्य प्रायः बिना हेर-केर के राजनैतिक लक्षण के अपराधी को प्रत्यर्पण विधि के प्रभाव से अलग करते हैं।

यह अब सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि प्रत्यर्पण एक शिष्टाचार का विषय है न कि अधिकार का। प्रत्येक राज्य सन्धि की शर्तों का सहारा लेता है और उनके अभावों में उसको अधिकार होता है कि भागे हुए व्यक्तियों का प्रत्यर्पण इन्कार कर दे और उनकी क्षेत्रीय सर्वोच्चसत्ता की दृष्टि से आशय देना भारतीय प्रत्यर्पण, अधिनियम, सन् १९०३ में सच सरकार के लिए यह प्रक्रिया अनुबन्ध की गई है कि वह भागे हुए अपराधियों को मजिस्ट्रेट द्वारा को गई जाँच के आधार पर अपना समाधान करके कि अधियाचन (Requisition) के समर्पण में प्रथम दृष्टि में मामला प्रतीत होता है, भागे हुए अपराधियों को प्रत्यर्पण कर सकती है। यदि अपराध राजनैतिक रूप का हो तो वह भागे हुए अपराधी को पकड़ने से इन्कार कर सकती है।

आवश्यक शर्तें—प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक शर्तें जो सामान्यतः प्रत्यर्पण सन्धियों में मरी जाती हैं, निम्नलिखित हैं :—

(१) राजनैतिक अपराध — यदि अपराध राजनैतिक रूप का हो जिसके कि सम्बन्ध में अपराधी का प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है तो उस भागे हुए व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जायगा। 'राजनैतिक अपराध' शब्दों को पारिभाषित करना सरल नहीं है। यह एक सूक्ष्म विषय है। इसके अर्थ के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य भिन्न-भिन्न प्रमाण ग्रहण करते हैं। कुछ अपराध का आशय ग्रहण करते हैं और अन्य विशिष्ट अपराधों को। फिर भी यह न्यायिक निर्णयों के अनुसार मान लिया गया है कि राजनैतिक अपराध होने के लिए दो या अधिक पक्षकार होने चाहिए जिनमें से प्रत्येक अपनी रूचि की सरकार दूसरे पर लादना चाहे अथवा वह उसे राज्य में जहाँ अपराध किया जाय राजनैतिक नियंत्रण के लिए यत्न कर रहा हो तथा अपराध उस उद्देश्य की पूर्ति में किया गया हो। इससे स्वभावतः भराजकता प्रचार करने वाले तथा भ्रातक उत्पन्न करके राज्य करने वाले अलग कर दिये गये हैं। राजविप्लव का मुख्य उद्देश्य सामान्यतः विधि को अस्वीकार करना होता है। यह केवल स्थापित विधि के ही नहीं वरन् प्रत्येक प्रकार की वैध विवशता के विरुद्ध होता है। यह विधि को पूर्णतः हटा देना चाहता है और इसी प्रकार सरकारी व्यवस्था को ही अलग कर देना चाहता है। अतः भराजको का दल सब सरकारी का शत्रु है और इसके प्रयत्न मुख्यतः नागरिकों के सामान्य समुदाय के विरुद्ध लक्षित होते हैं।

कैस्टिमोनी वाले मामले में [(1891) 1 Q. B. 149] कैस्टिमोनी ने जो एक स्विटजरलैंड का प्रजाजन था, वहाँ एक राजनैतिक उपद्रव में भाग लिया था जिसमें उसने एक नगरपालिका के सदस्य की हत्या कर दी। प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्य-वाहियों में जो स्विटजरलैंड की सरकार की ओर से प्रचलित की गईं मजिस्ट्रेट ने कैस्टिमोनी का कारावास दिया और यह सम्मति प्रगट की कि उसका अपराध जो स्विटजरलैंड में किया गया था राजनैतिक रूप का नहीं था। उसने बन्दी-प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of habeas corpus) के लिए आवेदन-पत्र दिया जो सड न्यायालय द्वारा जारी किया गया। यह निर्णय किया गया कि उन क्षणों में जिसमें कैस्टिमोनी ने गोली चलाई यह अनुमान करना युक्तिसंगत है कि उसने गाली इस विचार से चलाई कि इसका द्वारा उसका उद्देश्य भाग बढेगा और यह एक कार्य था जो उस उद्देश्य की उत्पत्ति के लिए था, तथा इस भाशय से किया गया था कि उसी उद्देश्य की वृद्धि होगी जिसके लिये विप्लव हुआ था, अर्थात् उसको बढाने के लिए और उस सरकार को अलग करने के लिए जिसकी वि वह सावता था कि जब तक वह उसकी जगह न ले ले, लोगों की उस स्थान पर प्रवेश करने से रोक रही थी। मॉन्स बेंच डिवीजन ने कैस्टिमोनी को यह निर्णय करके छोड़ दिया कि उसका अपराध

राध राजनैतिक है और उसने उसका म्विटरलैंड को प्रत्यर्पण करने का आदेश देने से इन्कार कर दिया ।

म्यूनियर वाले मामले में [(1891) 2. Q. B. 415] अभियुक्त ने पेरिस के एग फाफी-शूह में विस्फोट किया था । यह अपराधकतावादी था । वह अपराध जिसका उसके ऊपर आरोप लगाया गया था राजनैतिक रूप का अपराध नहीं माना जा सकता था । ब्रिटिश न्यायालय द्वारा यह माना गया कि राजनैतिक स्वराध अपराध होने के लिए राज्य में दो या अधिक पक्षकारों को होने चाहिये जिनमें से प्रत्येक अपनी रूचि की सरकार दूसरे पर लादना चाहे और यह कि यदि अपराध एक पक्ष अथवा दूसरे द्वारा उस लक्ष्य की पूर्ति में किया जाय तो यह राजनैतिक अपराध है अन्यथा नहीं । इस मामले तथा क्वेन्टिनीनी वाले मामले के अनुपात में बड़ा फरक है । यह निर्णय स्पष्टतः पहले वाले निर्णयों के विपरीत है ।

अट्टेण्टाट क्लॉज (Attentat Clause) :—यह नियम कि राजनैतिक अपराधों का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता, अपवाद के अधीन है जो प्रदेसलॉड खंड में दिया गया है और वह यह है कि विदेशी सरकार के अधिष्ठाता अथवा उनके कुटुम्ब के सदस्य की हत्या राजनैतिक अपराध नहीं है ।

(२) सेना संबंधी अपराध :—उदाहरणार्थ भाग जाना तथा धार्मिक अपराध भी सामान्यतः प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाहियों के अधीन नहीं है । नियम ४ है कि तुच्छ मामलों के विषय में प्रत्यर्पण की आज्ञा नहीं दी जाती ।

(३) स्पेशैलिटी का नियम :—मांगा हुआ व्यक्ति जो मांगा जाय, उसके प्रत्यर्पण सम्बन्धी प्रार्थना में लिखित विशिष्ट अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी अपराध के लिये जो उसके समर्पण के पूर्व किया गया हो, उस समय तक विचारार्थ न किया जायगा जब तक उसे मुक्त न कर दिया जाय तथा देश छोड़ने का अवकाश न मिले । यह स्पेशैलिटी का नियम कहलाता है ।

United States v. Rauscher (1886) वाले मामले में रौशर एक नाविक था और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सयुक्त राज्य अमेरिका को हत्या के आरोप पर प्रत्यर्पित किया गया । फिर भी वह सयुक्त राज्य अमेरिका में उस व्यक्ति को, जिसकी हत्या के लिये वह पहले अभियुक्त था, निर्दय तथा असामान्य दंड देने के छोटे आदेश पर परीक्षित तथा सिद्ध-दोष किया गया । अपील पर सयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने दोष-सिद्धि का खंडन किया और बन्दी को इस आधार पर मुक्त करने का आदेश दिया कि जब तक सन्धि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो बन्दी केवल अपराध के लिये आरोपित किया जा सकता था जिसके लिये उसका प्रत्यर्पण किया

गया हो जब तक उसे समर्पित करने वाले देश को लौटने के लिये उचित समय न दिया गया हो ।

(४) अपराध दोनों राज्यों में अपराध की परिभाषा में हो :—अपराध दोनों राज्यों में अपराध की परिभाषा में होना चाहिये । यह दुहरी अपराधिता के सिद्धान्त पर आधारित है (Eisler's case) । किसी भी व्यक्ति को उस समय तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक उसका कार्य प्रत्यर्पण माँगे जाने वाले तथा प्रत्यर्पण माँगने वाले दोनों राज्यों के दृढ-विधि के अनुसार अपराध न हो ।

(५) परीक्षण के पश्चात् प्रत्यर्पण :—कोई भगा हुआ अपराधी जो ऐसे अपराध से दोषित हो जो उस अपराध से जिसके लिये उसका प्रत्यर्पण माँगा जा रहा है, भिन्न हो तो उसका प्रत्यर्पण उस समय तक नहीं किया जायगा जब तक वह प्रत्यर्पण माँगे जाने वाले देश में परीक्षित न किया गया हो तथा अपने दण्ड को भोग न चुका हो ।

(६) युक्तियुक्त साक्ष्य —अभियुक्त क अपराध का ऊपर से देखने में युक्तियुक्त साक्ष्य होना चाहिये । प्रार्थित राज्य अपना समाधान कर लेगा कि प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाहियों का औचित्य सिद्ध है कि नहीं, किन्तु मामले को उसके यथार्थ तथ्यों के आधार पर परीक्षण करना ऐसे राज्य के न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र के भीतर नहीं है ।

प्रमुख मामले तथा सिद्धान्त

१. सावरकर का मामला (Savarkar's Case) —सावरकर जो एक भारतीय तथा ब्रिटिश प्रजाजन थे, पी ऐड ओ कम्पनी के जहाज मोरिया द्वारा भीषण राजद्रोह तथा हत्या की अभिप्रेरणा के आरोपों पर परीक्षण के लिये भारत का लाये जा रहे थे । अक्टूबर २५, सन् १९१०, को जब जहाज मार्सलीज के बंदरगाह में था वह किनारे को भाग गये । फिर भी वह फ्रांसीसी पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये जिसने अपने वर्तव्य के अन्तर्गत पालन में प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही किये बिना ही उसका बस्तान न सिपुर्द कर दिया । सावरकर एक राजनैतिक अपराधी थे इसलिए फ्रांस न यह माँग की कि ग्रेट ब्रिटेन को उसे दे देना चाहिये तथा उसका प्रत्यर्पण अन्तर्राष्ट्रीय विधि व नियमानुबूल नियमित रीति से माँगना चाहिये । ग्रेट ब्रिटेन ने यह माँग पूर्ण नहीं की । पक्षकारा की सम्मति से यह विषय हेग-स्थित पञ्चायत के स्थायी न्यायालय को निर्देशित किया गया । पञ्चायत ने यद्यपि यह स्वीकार किया कि सावरकर को ब्रिटिश अधिकारिया को देने में अनियमितता की गई थी तथापि ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में यह राय प्रकट करते हुए निर्णय

दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कोई ऐसा नियम नहीं था जिसके अनुसार ऐसी परिस्थितियों में उस शक्ति के ऊपर जिसकी रक्षा में बन्दी हो, उसको वापस करने का कोई कर्तव्य निर्धारित किया गया हो, इसलिए क्योंकि विदेशी अभिकर्ता द्वारा कोई गलती की गई जिसने उसे समर्पित किया।

२. गौडफ्रे का मामला :—Rex. v. Godfrey [(1923) 1 K B 24] वाले मामले में शब्द 'फरार' (fugitive) व्याख्या के लिये उपस्थित हुए और लॉर्ड हिबर्ट सी० जे० ने यह कथन किया कि यद्यपि "सर्वप्रथम यह प्रतीत है कि जब कोई मनुष्य 'फरार' शब्द से सम्बोधित किया जाता है तो इसका यह अर्थ होता है कि वह एक देश से दूसरे देश को भाग गया है। यह प्रतीत होता है कि चाहे वह मनुष्य शारीरिक रूप से उस देश में उपस्थित रहा हो अथवा नहीं, यदि उसने अपराध वह किया हो तो 'फरार अपराधी' का आशय इसी तरह पूर्ण करता है।

३. मुबारक अली का मामला.—Re Government of India and Mubarak Ali Ahmad [1 All E. R. 1060] में Queen's Bench ने अनुमोदन के साथ Re. Castioni [(1891) 1 Q. B. 149] का निर्देश दिया जिनमें न्यायालय ने प्रत्यर्पण इसलिये अस्वीकार किया था कि सम्बन्धित फरार व्यक्ति का अपराध (टिसीनिओ के कैंटन में राज-विद्रोहात्मक आन्दोलन में भाग लेते हुए सरकारी सदस्य को गोली से मार देना) राजनैतिक समझा गया, लेकिन वर्तमान मामला ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित था जो बूट-रचना अथवा जाल से घातक था। यद्यपि मामले में कुछ राजनैतिक झुंझट थे जिनकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता था फिर भी यह मानने के लिये कोई कारण नहीं था कि उसका न्याय में न्याययुक्त परीक्षण न होगा। यह कहना कि ऐसा नहीं होगा 'इस न्यायान्तः लिए एक असम्भव स्थिति को अंगीकार करना' तथा 'भारतीय न्यायालयों के निःसम्मान-जनक' होगा है।

४. ईस्लर का मामला (Esler's case) —ईस्लर प्रत्यर्पण करने (१९४६) में गरहर्ट ईस्लर एक परदेशी कम्युनिस्ट जा कि अमेरिका में कुछ होने वाले अपराधों के लिए सिद्ध-दोष किया गया था, न्यूयार्क से पोर्टलैंड को प्रेषित किया गया। वह ब्रिटिश पुलिस अफसरों द्वारा पकड़ा गया तथा बो स्ट्रीट मॉन्टेनेरो के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित किया गया। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने ईस्लर को अतिरिक्त से इन आचार पर मुक्त कर दिया कि अपराध जिनके लिए ईस्लर को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, अर्थात् मिथ्या मादक, इगर्बेट में मिथ्या मादक के प्रयोग

धिक शीर्षक में नहीं पड़ता था। यह मामला दुहरी अपराध्यता अर्थात् अपराध दोनो राज्यों का अपराध होना चाहिए इस सिद्धान्त को पुष्ट करता है।

५. ह्या डे ला टोरे का मामला [Haya de la Torre's Case (I. C. J. Reports 1951, p 71)] — इस मामले में विक्टर रोल ह्या डे ला टोरे जो पेरूविद्या का एक राष्ट्रीयजन तथा राजनैतिक नेता था, तथा जो एक सैनिक विप्लव भडकाने क अपराध क लिए आरोपित किया गया था, उसको सीमा-स्थित कोलम्बिया के राजदूतावाग द्वारा आश्रय दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि यद्यपि हवाना के अभिसमय द्वारा यह स्पष्टत निर्धारित किया गया था कि सामान्य अपराधी स्थानीय अधिकारियों को समर्पित कर दिये जाय तथापि राजनैतिक अपराधिया के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई कर्तव्य विद्यमान नहीं था। इसने अपने विचार को पुन व्यक्त किया कि आश्रय अनियमित प्रकार से दिया था और यद्यपि उस आधार पर पेरू उसके अवसान को मागने का अधिकारी था, तथापि कोलम्बिया शरणार्थी को प्रत्यर्पण करने के लिए बाध्य नहीं था।

अध्याय १६

अन्तर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति का स्थान

(Place of the Individual in International Law)

पारम्परिक मत :—हृद्धिमें से प्रायः यही माना गया है कि केवल राज्य ही न कि व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल उन राज्यों के सम्बन्धों को नियमित करती है जो अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार तथा कर्तव्यों के अधिकारी होते हैं। सर फ्रेडरिक स्मिथ का कथन है कि 'राज्य और केवल राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रवेश, अथवा हस्ताक्षर करने की अधिकारिता का उपभोग करते हैं और वे ही केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का वेश धारण किये हुए हैं। "States and states alone enjoy a locus stand in the law of nations and that they are the only wearers of international personality"—Sir Fredric Smith घोषेनहेम इस मत के अनुरूप यह प्रतिपादन करते हैं कि चूँकि राष्ट्रों की विधि मुख्यत राज्यों की विधि हुआ करती है, राष्ट्रों की विधि विषय भी साधारणतया राज्य ही हुआ करते हैं और व्यक्ति अन्तिम रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विधि क आधार होते हैं। कुछ विशेष दायित्व भी कुछ व्यक्तियों पर सौंपे जाते हैं जैसे शासकों पर, राज्यों के अधिष्ठाता पर, राजदूतों पर, और यहाँ तक कि

साधारण नागरिकों पर भी। ये दायित्व अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप होते हैं। इस सम्बन्ध में ओपेनहेम का कथन है कि विदेशी राज्य, जो कि विदेशी व्यक्तियों को ऐसे अधिकार प्रदान करते हैं, वे अपने राष्ट्र-विधि के अन्तर्गत ही ऐसा करते हैं। इसीलिए इन अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार नहीं कहा जा सकता। वे ऐसे ही अधिकार हैं जो राज्य द्वारा व्यक्ति को उन कर्तव्यों के पालन के निमित्त सौंपे गये हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत राज्यों को करना चाहिए।

यह सच है कि इन अधिकारों की पृष्ठभूमि में अन्तर्राष्ट्रीय विधि ही हुआ करती है, किन्तु इन अधिकारों की उत्पत्ति राष्ट्र-विधियों (municipal laws) से ही होती है। इसी प्रकार वे सभी कर्तव्य, जो कि राष्ट्रों की विधि के अनुसार वैयक्तिक व्यक्ति पर आरोपित होने चाहिए, उन्हें रुद्धिगत विचारों के अनुसार इन अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों की सजा नहीं दे सकते। उन्हें हम ऐसे ही कर्तव्य कहेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत राज्यों पर सौंपे गये अधिकारों और कर्तव्यों के पालन के लिए उसी के अनुरूप राष्ट्रों द्वारा व्यक्तियों को सौंपे गये हैं।

ओपेनहेम के उपरोक्त विचारों को इस तथ्य द्वारा और भी बल मिल जाता है कि यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि (Statute) भी केवल राज्यों की ही अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कार्यवाही करने का दायित्व स्थिर करता है। अनुच्छेद ३४ में स्पष्टतः लिखा गया है कि "Only States may be parties in cases before the Court" अर्थात् न्यायालय के समक्ष उपस्थित किये गये विवादों में केवल राज्य ही पक्षकार होंगे।

चरम मत :— इसके विपरीत दूसरा संप्रदाय यह प्रतिपादन करता है कि राज्य केवल मस्तिष्क की कल्पना (fiction of a brain) है किन्तु विश्लेषण करने पर अन्त में केवल व्यक्ति ही है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय ठहरता है। यह कथन वेस्टलेक ने कथन से पर्याप्त मात्रा में पुष्ट हो जाता है जो यह है कि "राज्य के कर्तव्य तथा अधिकार उन मनुष्यों के अधिकार तथा कर्तव्य हैं जिनसे मिलकर वे बने हैं।" "The duties and rights of the States are the duties and rights of the men who compose them."—Westlake). इस मत की व्याख्या करने वाले इस अधिकार से कहते हैं कि राज्य केवल एक सत्ता है जो कि व्यक्तियों के अधिकारों के बचाव तथा सुरक्षा के लिए बनी है जिनसे मिलकर वे स्वयं बनी हुई हैं। इसका व्यक्तित्व भी उन्हीं व्यक्तियों के व्यक्तित्व का योग है। यह मत अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उस नई विचारधारा के प्रकाश में अधिक उन्नत प्रतीत होता है जो व्यक्तियों पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है।

हान्स केल्सन (Hans Kelsen) के अनुसार, "सभी विधियों की तरह, अन्तर्राष्ट्रीय विधि भी मानवीय आचरण का नियम है। (Like all law, International Law, too, is a regulation of human conduct) । वे केवल मनुष्य ही होते हैं जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि लागू होती है और वे मनुष्य ही होते हैं जिनके विरुद्ध अनुज्ञाएँ जारी की जाती हैं। अगर अन्तर्राष्ट्रीय विधि कर्तव्यों, दायित्वों और अधिकारों को आरोपित करती है, तो ये कर्तव्य, ये दायित्व और ये अधिकार केवल मानवीय आचरण की ही अपेक्षा करते हैं। ऐसा कर्तव्य, जो कि किसी व्यक्ति का कर्तव्य न हो, उसे हम किसी भी प्रकार वैध कर्तव्य नहीं कह सकते। ऐसा दायित्व जिसमें किसी प्रकार की ऐसी अनुज्ञा न हो जिसे मनुष्यों द्वारा पूरा करना हो, या जो मनुष्यों के ऊपर लागू न होती हो, उसे हम वैध दायित्व (legal responsibility) भी नहीं कह सकते।

पी० एम० ब्राउन (P. M. Brown) ने तो यहाँ तक लिखा है कि "The most serious error committed by the defenders of International Law has been found in their parrot-like reaffirmation that it applies only between sovereign States." अर्थात् वह इस बात को एक बहुत बड़ी भूल मानता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल प्रभुता-संपन्न राज्यों का विषय माना जाय।

लौटरपैट (अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा मानवीय अधिकार, १९५० संस्करण, पृष्ठ ६६ तथा ७०) (International Law and Human Rights (1950 Ed pp 69-70) इस मत का खंडन करते हैं कि केवल राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। उनका कथन है कि "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में राज्य की ओर से अखंड अनन्यता का दावा उस समय सही था जब व्यक्ति के हितों की वास्तविकता तथा अन्योन्याश्रयत्व का राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर निकलना आजकल की तुलना में कम स्पष्ट था। यह वाद का तथ्य है जो इस बात को समझता है कि क्यों व्यक्ति के अधिकारों की परिधि का निरंतर विकास जो वैध विकास का एक चिरस्थायी लक्षण है राज्य की सीमाओं पर रुक नहीं सकता।

संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि में अन्य परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यक्ति ने एक स्थिति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। अब यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के स्थान में अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार का विषय है क्योंकि चार्टर तथा अन्य स्थानों में समाविष्ट अन्तर्राष्ट्रीय विधि जहाँ तक व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों को राज्य की विधि के अनाश्रित स्वीकार करती है वहाँ तक यह व्यक्ति को राज्यों की विधि का विषय बना देती है।

राज्य तथा व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय-वस्तु (States and individuals subjects of International Law) :—एक तीसरी विचारणा है जिसके अनुयायी अधिक सख्या में होते जा रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं किन्तु व्यक्ति भी वही स्थान ग्रहण कर सके हैं जो राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के समक्ष है। फेनविक (Fenwick) का दृष्टि है कि, 'इन तथ्यों के बीच यह कहना गलत होगा कि व्यक्ति किसी अंश तक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं है। खासतौर से सारभूत विधि (substantive law) के सम्बन्ध में तो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। जहाँ तक प्रक्रियात्मक विधि (procedural law) का सम्बन्ध है, जब कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रवर्धन के लिए अपने राज्य की ओर देखता है, तो प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात् ऐसे भी दृष्टान्त हैं जब कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मशीनरी बनाई गई है।'

श्वरजेनबर्जर (Schwarzenberger) के अनुसार 'यह कहना एक विरोधाभास होगा कि व्यक्ति, जो कि राष्ट्रीय समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों का आधार है, उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि का केवल एक लक्ष्य मान लिया जाए।' (It may be considered paradoxical that the individual, the basis both of national communities and of international society, should be merely an object of International Law.)

रूस वालों का मत :—उपर्युक्त मत सयुक्त समाजवादी सोवियत प्रजातंत्र द्वारा नहीं ग्रहण किया जाता। उनके दार्शनिक विचार बिल्कुल ही भिन्न हैं। उनके अनुसार राज्य की कर्मण्यताओं को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है। प्रायः व्यक्ति का निषेध ही कर देते हैं। सयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के विधि-वेत्ता की क्षमता में रूस के एम० वी० एम० कोरेत्सकी ने प्रतिपादित रूप से यह घोषित किया था कि उनका देश इस मत से अपने को विमुक्त रखता है कि व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय है।

मन्धि-अनुबन्ध (Treaty Stipulations) :—व्यक्तियों के अधिकारों के मरदाण के लिए राज्यों के बीच में प्रायः मन्धियाँ की जाती रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने हैनजिग के न्यायलय के क्षेत्र

क्षेत्र [Jurisdiction of the Court of Danzig] (1921) P. C. I. J. Series B. No. 15] में यह अधिकृत रूप से निर्धारित किया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्य नविदाकर्ता पञ्चकारों के प्राणय के अनुसार यह ही सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत उद्भव हो जो राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त किये जायें।

नूरेंबर्ग परीक्षण (Nuremberg Trial)—नूरेंबर्ग के अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत किया हुआ निवेदन विचार के लिए आया। निवेदन यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि सर्वोच्च सत्ताधारी राज्यों से सम्बन्धित है, और उसमें व्यक्तिगत रूप से दंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यह कि जहाँ विवादपूर्ण कार्य राज्य का कार्य हो वहाँ व जिन्होंने उसे कार्य रूप में परिणत किया हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हैं वरन् वे, राज्य की सर्वोच्च-सत्ता से सुरक्षित हैं। न्यायाधिकरण ने इन दोनों निवेदनो को अस्वीकार किया और घोषित किया कि यह बात कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यवितयो तथा राज्यों पर कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सौंपती है विरुद्ध से स्वीकृत है।

येक्स पार्टे क्विरिन [Ex Parte Quirin, (1942), 317 U. S. 1] के विवाद में समुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश स्टोन ने कहा है कि :—

“अपने इतिहास के आरम्भ काल से ही इस न्यायालय ने युद्ध की विधि को राज्यों की विधि के उस भाग को सम्मिलित करते हुए लागू किया है जिसमें युद्ध के संचालन, शत्रु-राज्यों तथा शत्रु-व्यक्तियों की स्थिति, अधिकार तथा कर्तव्यों के लिए नियम निर्धारित किये गये हैं।

“व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन के लिए दंडित किये जा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अपराध व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं न कि भाववाचक सत्ताओं द्वारा, और केवल व्यक्तियों को जो ऐसे अपराध करते हैं दंडित करने से ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उपबन्ध प्रवृत्त किये जा सकते हैं।

“इसके विपरीत चार्टर का निष्कर्ष ही यह है कि व्यक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य होते हैं जो अलग-अलग राज्यों द्वारा लगाये गये होते हैं और राष्ट्रीय कर्तव्य से बढ़ कर होते हैं। युद्ध की विधियों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति राज्य के अधिकार के अनुसरण में कार्य करने से मुक्ति नहीं पा सकता, शर्त यह है कि राज्य कार्य को प्राधिकृत करने में अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा दी गई क्षमता के बाहर जाता है।”

प्रोफेसर ग्रीन का विचार है कि नूरेंबर्ग न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में जो कि मेजर नाजी युद्ध अपराधियों के सम्बन्ध में था, जो विचार प्रकट किया था वह वर्तमान प्रगतिशील भावनाओं की अपेक्षा रुढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि की धारणाओं से अधिक निकट था। न्यायाधिकरण ने घोषणा की थी कि “to constitute crimes against humanity, the acts relied on before the outbreak of war must have been in execution of, or in connection with, any

crime within the jurisdiction of the Tribunal." जब कि निर्णय में इस विषय का पूरा विवरण दिया गया कि जर्मनी की सरकार ने अपने राष्ट्रीय जनों में से एक बहुत बड़ी संख्या के साथ जो भी उचित अथवा अनुचित व्यवहार किये थे, अभियुक्तों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे जर्मनों के विरुद्ध बुरे व्यवहार का अपराधी ठहराया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि यह सिद्ध किया जाता कि वेसे व्यवहार युद्ध-अपराधों के अभिन्न अंग हैं। यहाँ तक कि (१) 'डॉक्टर के परीक्षण (The Doctor's Trial, Annual Digest, 1947, p 296) और (२) फ़ील्ड मार्शल मिलच के परीक्षण (The Trial of Field Marshal Milch) में भी यह हृदयगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि की बात नहीं जिससे जर्मनी के नागरिकों के प्रति अपकार करने के अपराधियों के विरुद्ध परीक्षण करने का अधिकार सैनिक-न्यायाधिकरण को दिया गया। जर्मनी के शर्तहीन समर्पण कर देने के कारण और कंट्रोल कौन्सिल ला न० १० के कार्य-रूप में आ जाने के कारण, सभी उद्देश्यों से यह न्यायाधिकरण एक जर्मन-म्युनिसिपल न्यायाधिकरण ही रह गया था, जिसने विजेता राष्ट्रों द्वारा निर्धारित जर्मनी की राष्ट्रविधियों का ही प्रवर्तन किया था।

जनवध अभिसमय (Genocide Convention) — जनवध का अभि-समय जो कि अपराधों को रोकने एवं दंड निर्धारित करने के प्रसंग में था ६ दिसम्बर, १९४८ को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इससे व्यक्तियों पर सीधा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व आकर टिक जाता है, क्योंकि इससे इन व्यक्तियों को दंड देने की व्यवस्था की गई है जो जनवध के कार्यों के अपराधी ठहराये जायेंगे—भले ही वे व्यक्ति सवैधानिक रूप से उत्तरदायी माने जायें, पब्लिक आफिसर हों, अथवा वैयक्तिक व्यक्ति हों। (अनुच्छेद ४)। यह निर्धारित किया गया है कि जनवध को देशनिकाले के प्रसंग में एक राजनीतिक अपराध के रूप में व्यवहृत नहीं किया जायेगा। अभिसमय के अन्तर्गत, राज्यों ने स्वीकार किया कि जनवध तथा जनवध के कृत्यों के लिए पड़्यन्त राष्ट्र न्यायालयों द्वारा दंड निर्धारित करने के लिए विचाराधीन होंगे, अथवा इन पर विचार अन्तर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय भी कर सकेंगे। किन्तु यहाँ यह उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि उन मनुष्यों का जिन पर आक्रमण किया गया है, अपनी धार से पड़्यन्तकारियों या आक्रमणकारियों पर मुकदमा चलाने या दावा करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अटलांटिक चार्टर—१९४१ के अटलांटिक चार्टर में मानवीय स्वतंत्रता के चार आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया था भय से स्वतंत्रता (freedom from fear), कमियों से स्वतंत्रता (freedom from want), भाषण की स्वतंत्रता

(freedom of speech) और पूजा की स्वतंत्रता (freedom of worship) । इन सिद्धान्तों ने पूर्व मान्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उस मान्यता को तोड़ दिया कि केवल प्रभुता-संपन्न राज्य ही इसके विषय हा सकते हैं । इन सिद्धान्तों ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि में एक नवीन व्यक्ति 'a new person' को लाकर खड़ा कर दिया—जिसे हम मनुष्य कहते हैं । अब यह अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य हो गया कि 'the State is an instrument to serve the people and not an end for man to serve' अर्थात् राज्य साधन है, साध्य नहीं ।

संयुक्त राष्ट्र (United Nations).—संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना में महत्व लीग ऑफ नेशन्स के "उच्चकोटि के सविदाकर्ता पक्षकारों" से "संयुक्त राष्ट्र सभ की जनता" में परिवर्तित कर दिया गया है । इसके द्वारा मूलभूत मानवीय अधिकारों में, मानवीय व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा पुरुष और स्त्रियों के समानाधिकारों में पुनः दृढ़ निश्चय के साथ विश्वास किया गया है ।

चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म व भेद-भाव का मिटाकर सब के हितार्थ मानवीय अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं की उन्नति तथा अदला-बदली के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति है ।

मानवीय अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) —मानवीय अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा दिसम्बर १०, सन् १९४८ को स्वीकृत की गयी । इसमें नागरिक, राजनैतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रताओं का सारांश दिया गया है, जिनके लिये मनुष्यों ने इतने काल तक प्रयास किया है । इसमें नये धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार, जो आज केवल धीरे-धीरे स्वीकृत किये जा रहे हैं, भी सम्मिलित किये गये हैं ।

घोषणा की प्रस्तावना "मानवीय व्यक्ति के गौरव तथा महत्व" पर विशेष बल देती है । प्रथम दो अनुच्छेद इस बात पर जोर देते हैं कि अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रत्येक पर तथा सब स्थानों पर लागू हैं । प्रत्येक बिना किसी प्रकार के भेद के जैसे जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा अन्य विचार, जातीय अथवा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म अथवा स्थिति-भेद घोषणा में उल्लिखित सम्पूर्ण अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का अधिकारी है ।

अनुच्छेद ३ से १५ तक जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्ति की सुरक्षा, विधि के समक्ष सब स्थानों में व्यक्ति के रूप में स्वीकृत तथा विधि के समान सरक्षण के अधिकारों

को वर्णित करते हैं। किसी को भी अविहित गिरफ्तारी, परिरोध प्रयत्न निर्वान के अधीन न किया जाय। घोषणा द्वारा दासता, यातना देना, निर्दय अमानुषिक प्रयत्न अपकृष्टकारी दंड, गृह, कुटुम्ब अथवा पत्र-व्यवहार में अविहित हस्तक्षेप, विधि-विरुद्ध किये गये हैं। राष्ट्रियता का अधिकार स्वीकृत किया गया है और बाधा तथा उद्भव से अन्य देशों में आश्रय ढूँढने के अधिकार का विश्वास दिलाया गया है।

अनुच्छेद १६ द्वारा पूर्णव्यस्क पुरुषों तथा स्त्रियों को जाति, राष्ट्रियता अथवा धर्म के प्रतिबन्ध के बिना विवाह करने तथा कुटुम्ब स्थापित करने के अधिकार का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद १७ द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार की गारंटी दिलाई गई है। यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी की संपत्ति अविहित रूप से उससे छीनी नहीं जायेगी। अनुच्छेद १८ तथा १९ में व्यक्ति के विचार, बुद्धि और धर्म तथा मत और भाव अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद २० और २१ में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक को शान्तिपूर्ण एकत्रित होने तथा समागम करने की, अपने देश की सरकार में भाग लेने की तथा अपने देश की सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने की स्वतन्त्रता का समान अधिकार है।

२२ से २६ तक के अनुच्छेद आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की घोषणा करते हैं। इनमें कार्य करने का अधिकार, व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता, समान वेतन समान कार्य का, विश्राम तथा अवकाश का, बेकारी, अस्वस्थता, अयोग्यता, वैधन, वृद्धावस्था अथवा अन्य प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में जो कि किसी के नियंत्रण के बाहर हो, जीविका के अभाव के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार सम्मिलित है। घोषणा द्वारा यह भी स्वीकृत किया गया है कि प्रत्येक को एक जीवन स्तर रखने का अधिकार है जो उसके तथा उसके कुटुम्ब के स्वास्थ्य तथा हित के लिये पर्याप्त हो, जिसमें भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सम्बन्धी ध्यान तथा आवश्यक सामाजिक सेवाएँ सम्मिलित हैं। अनुच्छेद २६ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार की गारंटी लेता है जो कम से कम प्रारम्भिक तथा मूलभूत अवस्थाओं में निःशुल्क तथा मानवीय व्यक्तित्व के पूर्ण विकास तथा मानवीय अधिकारों तथा मूलभूत स्तन्त्रताओं के सम्मान की प्रारंभ लक्षित होनी चाहिये।

घोषणा का महत्त्व :—घोषणा एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर स्थापित करती है। इतिहास में प्रथम बार पृथ्वी में अधिकांश सरकारों के प्रतिनिधि इतना पर सहमत हो गये हैं कि कोई अधिकार किसी विशेष जाति अथवा समुदाय की ही सम्पत्ति नहीं है वरन् वे प्रत्येक मानव की मानवता की सम्पत्ति हैं। समुदाय

राष्ट्र सभ न यह घोषणा की है कि लोगो को यह अधिकार इसलिये नहीं मिले हैं कि वे स्वीडन देशवासी हैं अथवा अरब हैं या ईसाई अथवा बुद्ध हैं, या इस्किमो, होटेन्टाट अथवा दक्षिणी समुद्र के द्वीपवासी हैं वरन् इसलिए कि वे मनुष्य हैं। सर्व-व्यापी घोषणा का वास्तविक अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री अपने-अपने गुणों के आधार पर योग्य सम्झा जाना चाहिये और प्रत्येक को पूर्ण तथा सुखी जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलना चाहिये।

करण का वैध पक्ष (Legal aspect of the Instrument) :— यद्यपि सयुक्त राष्ट्र के सदस्य घोषणा के महत्व पर अधिकारों की घोषणा के रूप में विशेष महत्व देने में एकमत थे, फिर भी वे अपने मन में सामान्यतः स्पष्ट थे कि इसके द्वारा इसको प्रवृत्त करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस घोषणा द्वारा सदस्यों पर मानवीय अधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं को जा यह सामने रखता या सम्मान करने का वैध कर्तव्य भी नहीं सौंपा गया है। घोषणा का कोई वैध करण नहीं था और न कोई वैध बाध्यकारी प्रभाव था। प्रोफेसर लौटरपैट (Professor Lauterpacht) का कथन है कि घोषणा उन बातों को प्रवृत्त करती है जो समय आने पर सयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य-राष्ट्रा द्वारा सामान्यतः स्वीकृत तथा कार्यरूप में परिणित विधि के सिद्धान्त होना चाहिये। उनकी सम्मति में यह घोषणा सामान्य सभा के अभिस्ताव के रूप में नहीं सम्झा जा सकती क्योंकि घोषणा का प्रमुख भाग केवल "घोषणा करता है," लेकिन सयुक्तराष्ट्र सभ के सदस्यों से यह अभिस्ताव नहीं करता कि वे इसके सिद्धान्तों का पालन करें।

घोषणा का अप्रत्यक्ष वैध प्राधिकार :— चार्टर की घोषणा में "सभी राष्ट्रों के सभी मनुष्यों के लिये एक सामान्य सफलता का स्तर निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग, इस घोषणा को अपने मस्तिष्क में रखते हुये, इन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान की भावना रखने के लिए शिक्षित किये जा सकेंगे और राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों रूपों से उसका पालन करेंगे।"

प्रोफेसर लौटरपैट का कहना है कि यद्यपि यह घोषणा भले ही एक वैध लेख्य न हो और इसके अन्तर्गत भले ही वैध आभार न उत्पन्न होते हों, फिर भी इसका वहाँ तक अवश्य ही वैध महत्व है जहाँ तक कि वह प्राधिकारिक रूप में "अन्तर्राष्ट्रीय स्वतन्त्रताओं और मानवीय अधिकारों" को व्याख्या करते हैं। यह व्याख्या अवश्य ही एक आभार उत्पन्न कर देती है, जो कि भले ही पूर्ण अथवा अपूर्ण हो, फिर भी सयुक्त राष्ट्र के सदस्यों पर बाध्यकारी है। उन्हीं के शब्दों में— "To say, therefore, that a document is not legally binding and that it embodies,

nevertheless, an authoritative interpretation of a legally binding instrument is to make a statement the first part of which contradicts the second." अर्थात् "यह कहना कि इस आधार पर एक प्रलेख बाध्यकारी नहीं है कि उसमें धैर्य बाध्यताकरण का निर्वचन निहित नहीं है, एक ही तथ्य के दो कथनों में द्विविधा उत्पन्न करना होगा।"

घोषणा का नैतिक प्रभाव (Moral Force of the Declaration)—घोषणा, जिसमें सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों ने वास्तविक स्वर में एकमत होकर मत दिया, एक नैतिक प्रभाव तथा प्राधिकार है। यह सत्कार के इतिहास में एक अपूर्व वस्तु है और इसमें अन्तर्राष्ट्रीय विधि की पद्धति का प्रारम्भ है। अथ एक साधारण मनुष्य की आवाज जो कुछ अधिकारों की माँग करता है जगल में एक निःसहाय व्यक्ति के चिल्लाने के समान न होगी वरन् यह एक प्रभाव होगी जिसका समर्थन सत्कार के सब लोग करेंगे और जिसका प्रतिनिधित्व इन सभी में है।

सामान्य सभा के समक्ष ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने यह कथन किया था कि "अवश्य ही यह ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि यद्यपि ये प्रलेख ही एक बड़ी वस्तु है तथापि इससे पूर्व कभी इतने राज्य व्यक्ति के आधारभूत तथा मूलभूत अधिकारों तथा स्वतन्त्रता सम्बन्धी अपने विचारों में संयुक्तरूप से एकमत नहीं हुए थे।"

प्रोफेसर लौटरेवेट ने प्रसंगानुकूल बहुत ही उचित कहा है कि "इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाओं का अधिकार तथा प्रभाव राज्यों की सर्वोच्चता के त्याग की मात्रा के सीधे अनुपात में होना चाहिये जो इससे सम्बद्ध है।" उनके अनुसार "इस प्रकार की घोषणाओं का अधिकार उसके लिए ऐसे प्राधिकार का दावा करने वाले अभिसमय से नहीं उत्पन्न किया जा सकता। घोषणा में व्यक्तियों के अधिकार स्पष्टतः प्रकट किये गये हैं। किन्तु इसने राज्यों के कर्तव्यों को निश्चित करना सदेह में रख दिया है और व्यक्ति के कोई अधिकार उस समय तक निश्चित नहीं किये जा सकते जब तक कि "उसके प्रतिरूप" राज्य के कर्तव्य स्पष्टतया परिभाषित न कर दिये जायं। कोई अधिकार उस समय तक अधिकार नहीं होते जब तक उनके प्रवृत्त करने के उपाय न दिये गये हों।

परिणाम :—इस घोषणा को हमें पूर्णरूप से लक्ष्य-सिद्ध नहीं कहना चाहिए। यह तो वाञ्छित उद्देश्य की प्राप्ति का पहला कथन है। सभी मानव अधिकारों की ऐसी पूर्ण घोषणा (Complete declaration of human rights) का कार्य पूरा नहीं हुआ है जो सभी सदस्य राज्यों पर पूरी तरह बन्धनकारी है। फिर भी यह पहला कदम इस घोषणा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

इससे इतना तो अवश्य ही हो जाता है कि जनता के अधिकारों के सम्बन्ध में कोई वितर्क पैदा होने पर इस घोषणा से एक व्यावहारिक और महत्वपूर्ण आधार मिल जाता है। मानवीय अधिकारों के प्रवर्तन में इसी कारण इस घोषणा का अपना विशिष्ट महत्व है। सयुक्त राष्ट्र सभ इसे और व्यापक बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए यूरोपीय अभिसमय (European Convention for the Protection of Human Rights)—सन् १९४८ के मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा को वैध प्रबलता देने के लिये यूरोप की सभा के सदस्यराष्ट्रों ने ४ नवम्बर सन् १९५० को ऐसे मानवीय अधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं का संरक्षण के लिए यूरोपीय अभिसमय पर हस्ताक्षर किये। यह पंद्रह राज्यों की सरकारों द्वारा वैध रूप से बचनबद्ध होकर मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में स्थापित आदर्शों पर पहुँचने की दिशा में पहला पग था। अभिसमय में दो नये वैकल्पिक वाक्य-खंड जोड़ दिये गये हैं—अपने अधिकारों के लिए प्रत्येक व्यक्ति की किसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्था में पहुँच तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक सस्था का संस्थापन जो राज्य-सरकारों के ऊपर तथा उससे बढ़कर निर्णय कर सके। यह वाक्य-खंड यद्यपि वैकल्पिक है तथापि व्यक्ति के लिये उसके मानवीय अस्मित्व की रक्षा के लिए जीवन का एक नया दृश्य सामने उपस्थित कर देता है। यह सुरक्षा उस सभी प्रकार की क्रूरताओं एवं निरंकुश शासन व विरुद्ध मिलेगी।

मानवीय अधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय एक अपूर्ण वरण है किन्तु यह प्रगति की ओर एक बहुत बड़ा पग है। यह सयुक्त राष्ट्र सभ के मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा से कहीं आगे बढ़ गया है। यह घोषणा अन्तिम इच्छाओं को प्रकट करने से और अधिक कुछ नहीं थी, जब यूरोपीय अभिसमय में विशिष्ट वैध अभिसमय है जो पन्द्रह सरकारों द्वारा स्वीकृत है। सबसे अधिक महत्व की नई बातें दो हैं जिनकी आशा की जाती थी कि यूरोपीय अभिसमय में रहेगी, अर्थात् अधिकार से वंचित किये गये व्यक्तियों का संरक्षण करने में समर्थ अन्तर्राष्ट्रीय अंग में सीधी पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर एक न्यायिक सस्था का संस्थापन जो राज्य-सरकारों के ऊपर न्याय करने में सक्षम हो। दुर्भाग्यवश इस अवसर पर इन दो उपबन्धों पर एकमत से स्वीकृति प्राप्त करना सम्भव न हो सका। अतः इनमें से प्रत्येक इस अर्थ में वैकल्पिक रह जाता है कि यह अभिसमय हस्ताक्षर करने का आवश्यक परिणाम नहीं है, वरन् सम्बन्धित राज्यों की प्रकट अनुपूरक घोषणा पर आधारित है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के समस्त राष्ट्रीयता :—जब कभी कोई व्यक्ति किसी विदेश में घायल हो जाता है या उसे क्षति पहुँचायी जाती है, तो उसे अपराध के उपचार के लिए उस राज्य की विधियो या न्यायाधिकरण की शरण लेनी पड़ती है। यदि, किसी प्रकार, उसे अपने प्रति किये गये दुष्कृत्यों का पूरा उपचार नहीं मिल पाता, तो वह उस राज्य के माध्यम से इस उपचार के लिए प्रयत्न करता है, जिसका कि वह नागरिक है और जिसके प्रति राज-भक्ति की भावना उत्पन्न है। रा राज्य ऐसे उपचार की पूर्ति विरोध-प्रदर्शन (Representation), प्रत्यक्ष (Remonstrance) या अन्य कार्यों द्वारा करता है : De Huber v. The Queen of Portugal (17 Q. B. p. 151.) इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्यक्ष अवश्य ही किसी न किसी राज्य का राष्ट्रीयजन हो। हाईड (Hyde) का कथन कि "Nationality is the relationship between a state and an individual owing allegiance to itself."

मानवीय अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा (The Universal Declaration of Human Rights) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार नही छीनी जा सकती और न तो राष्ट्रीयता निर्दुन ढंग पर उसे संबोधित किया जा सकता है (मनुच्छेद १५)। किसी विशेष राज्य की शरण प्राप्त करने के लिये एक व्यक्ति को कुछ आवश्यक शर्तों पूरी करनी पड़ती हैं जैसे किसी विशेष समुदाय से उसका परिचय, जन्मस्थान, रक्त और निवास की माध्यम से।

राष्ट्रीयता-विधि की कुछ उपमनों के सम्बन्ध में सन् १९३० में रोसनेट्स का निर्णय हस्ताक्षरित किया गया था। उसमें स्पष्टतः लिखा गया था कि राज्य का निर्णय करना कि कौन उम्मे राष्ट्रीय-जन है, राज्य पर ही निर्भर करता है। यह कानून अन्य राज्यों द्वारा भी मान्य होगा, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के अन्तर्गत है। (मनुच्छेद १)।

निदेशियों के अधिकार और समन्वय का निर्धारण :—राष्ट्रीयता के अभाव में व्यक्ति के अधिकारों पर यह एक स्वाभाविक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से विदेशियों को अपने राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करने में बाधक है, या निर्धारण करने के अभाव में राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे। यह शर्त सभी व्यक्तियों के लिये, प्रत्यक्ष रूप से विदेश मान्य की कोई शक्ति की नहीं हो। अन्तर्राष्ट्रीय

दूसरे के सम्पर्क और एक दूसरे पर निर्भर स्वतन्त्रता के कारण प्रत्येक राज्य अपने राज्य-क्षेत्र में विदेशियों के प्रवेश के सम्बन्ध में अपना पृथक् कानून बनाता है। यदि राज्य ऐसा समझता है कि विदेशी उसके राष्ट्रीय-जनो से किसी भी प्रकार की होड़ लेने भा रहे हैं, तो वह उनके प्रवेश को पूर्णतया रोक सकता है। इसी प्रकार कोई भी राज्य उन विदेशियों को विवासित (deportation) कर सकता है जिनकी उन-स्थिति उसके विचार से अवाञ्छित है क्योंकि यह पूर्णतया उसकी प्रभुमत्ता से अवधित प्रश्न है।

जब कभी कोई विदेशी, किसी दूसरे राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह उस राज्य की विधियों का दायित्व अपने ऊपर ठीक उसी प्रकार ले लेता है जैसे उस राज्य के स्वयं नागरिक लिया करते हैं। अगर वह उस राज्य में स्थायी रूप से रहने लगता है तो वह उस देश द्वारा लगाये गये टैक्सों या अन्य आभारों से अपने को मुक्त नहीं कर सकता। विदेशी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह एक विदेशी की जान-माल की उचित ढंग से रक्षा करे और उसे उचित न्याय दे। उसे उस राज्य द्वारा सैनिक सेवा करने के लिये उस समय तक विवश नहीं किया जा सकता, जब तक कि इस आशय की अनुमति उसके देश से न ले ली जाय। दूसरी ओर मातृक देश अपने सभी नागरिकों को किसी भी समय दुनिया के किसी भी कोने से वापस बुला सकता है और अपनी सेवा में उनका उपयोग कर सकता है। एक विदेशी अपने मातृक देश द्वारा सुरक्षित रहने के अधिकार से पूर्णतया वंचित नहीं हो जाता। यह बात दूसरी है कि ऐसे हस्तक्षेप हर समय उचित और उपयोगी न हों।

कोई भी व्यक्ति अपने देश को पासपोर्ट के आधार पर छोड़ता है। पासपोर्ट एक लिखित प्रमाण है जो उस देश के सप्रभु की ओर से व्यक्ति के नाम दिया जाता है। उसका अभिप्राय विदेशी राष्ट्रों की सरकारों के अन्तर्गत उपस्थित होने से होता है। इसका उपयोग व्यक्ति की सुरक्षा के लिये किसी विदेशी नागरिक की हैसियत से किया जाता है। यह एक प्रकार की रसीद है जो कि परिचय के लिये उपयोगी रहती है। इस लेख्य प्रमाण के उपस्थित करने पर किसी व्यक्ति को विदेशी राज्य में उसी सुरक्षा का अधिकार मिल सकता है, जो वहाँ के नागरिकों को साधारणतया प्राप्त है।

प्रोफेसर एल० सी० ग्रोन का कथन है, "The minimum standard of International Law in respect of the treatment of aliens does not operate to give the alien any rights which he can exercise himself. Any infringement of this minimum standard will remain uncorrected

unless the state of which the injured alien is a national decides to take the matter up with the offending state." इसी प्रसंग में उनका कथन है कि यदि विदेशी राष्ट्र-हीन है, तो किसी ऐसी सधि के न होने के कारण कि राष्ट्र-हीन व्यक्तियों की सुरक्षा का दायित्व किस पर है, कोई राज्य इस विषय का आभार अपने ऊपर लेने के लिये विवश नहीं है।

खुले समुद्र की स्वतन्त्रता व्यक्ति की है, अथवा राज्य की :—इन्होंने सन्देह नहीं है कि समुद्र यातायात के लिए सभी के लिये समान रूप से खुले हुये हैं। किन्तु यहाँ 'आस्या' जल-पोत (Motor Vessel Asya) का दृष्टान्त दिया जा सकता है। मार्च २७, १९४६, को ब्रिटिश ध्वंसक द्वारा मेडीटेरेनियन सागर में जाफा के लगभग १०० मील उत्तर-पश्चिम में 'आस्या' नामक पोत देखा गया। उस पर कोई झंडा न था, बाद में उस पर टर्की का झंडा लगा दिया गया और उसके बाद फिर जीयनवाद झंडा बदलकर लगा दिया गया। वह पोत हैफा नामक स्थान में लाया गया। वहाँ इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि उसमें बैठे हुये ७३१ यात्रियों में से किसी के पास भी पासपोर्ट नहीं था और न तो पैलेस्टाइन में प्रवेश करने के लिये उनके पास कोई यात्रा सम्बन्धित लिखित प्रमाण-पत्र था। १९४१ के इम्मीग्रेशन आर्डिनैन्स के सुरक्षा-संशोधन के अनुसार पैलेस्टाइन के न्यायालय में अपराधन की कार्यवाही आरम्भ की गई। 'आस्या' के मालिक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि समुद्री मार्ग सभी के लिये खुले हुये हैं, अस्तु उसके जहाज को पकड़ना एक गलत काम था। किन्तु न्यायालय इस तर्क से सहमत न हो सका। न्यायालय का निष्कर्ष था कि समुद्री स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रीय अन्य सभी स्वतन्त्रता की ही भाँति व्यक्ति को प्राप्त होने की अपेक्षा राज्य को ही प्राप्त है और इसी कारण पर उस पोत की अपराधन या निन्दा (condemnation) की गई। इस निर्णय को वहाँ की प्रिवी कौंसिल की जुडीशियल कमिटी ने भी स्वीकार किया और न्याय विचार प्रकट किया कि किसी भी राष्ट्र की ध्वजा और प्राधिकार के प्रभाव में 'आस्या' समुद्र-संचालन का अधिकारी न था और इसलिए उसे गिरफ्तार कर लेने से पैलेस्टाइन की ओर से किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि का भंग होने का प्रयोजन नहीं उठता।

व्यक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ :—अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में सर्वप्रथम करने वाले पक्षों में राज्य ही दृष्टा करते हैं और उस रूप में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। किन्तु इस प्रसंग में भी अन्तिम हिताधिकारी व्यक्ति ही दृष्टा किये जाते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में व्यक्ति का स्थान ही अन्तिम हिताधिकारी व्यक्ति ही दृष्टा किये जाते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में व्यक्ति का स्थान ही अन्तिम हिताधिकारी व्यक्ति ही दृष्टा किये जाते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में व्यक्ति का स्थान ही अन्तिम हिताधिकारी व्यक्ति ही दृष्टा किये जाते हैं।

राजनयिक अभिकर्ता]

कारो का प्रवर्तन राज्य मे निहित होने से उसके अधिकारी में कोई अन-
 क्योकि राज्य मे भी उसके हित और अधिकार सुरक्षित हैं—यह
 रूप से अन्तर्राष्ट्रीयकरण द्वारा नियमित की जाती है ।

अध्याय २०

राजनयिक अभिकर्ता

(Diplomatic Agents)

राजनयिक अभिकर्ता राजदूत होते हैं जो विदेश मे उस राज्य के प्रतिनिधि
 के रूप मे रहते हैं जिसके द्वारा वे भेजे गये हैं । लॉरेन्स का कथन है कि विदेशो राज-
 त्वाओं में स्थायी रूप से रहने के लिए राजदूतों को भेजने की रीति का आरम्भ
 उपयोगिता से कही अधिक राजनैतिक कारणों पर निर्भर है ।

स्थायी दूतावासों की स्थापना प्राधुनिक सम्प्रदाय की उत्पत्ति है । फिर भी
 यह प्रतीत होता है कि दूतावास पहला ही विषय था जिसकी ओर अन्तर्राष्ट्रीय विधि
 का ध्यान आकृष्ट हुआ । मध्ययुग मे राज्यों के मध्य सम्पर्क बहुत कम रहता था ।
 ऐसे सम्पर्क बाहर भेजे हुये राजदूतों द्वारा सम्पन्न किये जाते थे जिन्हे किसी विशिष्ट
 कार्य करने का भार सौंपा जाता था । उस कार्य के समाप्त होने पर वे तत्काल ही
 वापस आ जाते थे । स्थायी राजदूतों की भेजने की पद्धति चौदहवीं शताब्दी मे इटली
 के बडे-बडे प्रजातन्त्रों मे, विशेषकर वनिस मे, आरम्भ हुई । फ्रांस का लुई ग्यारहवां
 (१४६१-१४८३) यूरोप मे प्रथम सम्राट् था जिसने अन्य राज्यों की राजधानियों मे
 रहने के लिये स्थायी प्रतिनिधि भेजे थे । अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क की सुविधा तथा याता-
 यात-साधनों की वृद्धि के कारण यह पद्धति सामान्यतः ग्रहण की जाने लगी और
 सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक राजदूतों का स्थायी निवास सामान्य हो गया । यहाँ
 तक कि राज प्राधुनिक स्थिति मे वे गृह-सरकार तथा उस राज्य के बीच में
 जिसका कि उनको अधिकार पत्र प्राप्त है, बन्धुत्व के सम्बन्ध को स्थापित करने तथा
 उसको पुष्ट करने मे एक बहुत ही प्रमुख कड़ी बन गये हैं ।

स्थायी दूत-कर्म के लिए बहुत ही विशेष सन्धियों की गयी हैं जैसे १५२०
 मे इङ्ग्लैंड के राजा और जर्मनी के प्रशासक के बीच हुई थी । सर सेसिल हर्स्ट
 (Sir Cecil Hurst) का कथन है, "१६४८ की वेस्टफेलिया की संधि ने सम्प्रभुता
 को उद्घाटित किया और यूरोपीय शक्तियों के एकाधिकार और उनमें परस्पर

राजनैतिक और व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाने में आधार का काम किया, जिस पर कि राजनैतिक सम्बन्धों का पूरा ढाँचा खड़ा हुआ।" अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों को सुविधा और यातायात की बढ़ती हुई सुविधाओं के कारण यह व्यवहार और नै प्रयुक्त होने लगा। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में स्थायी निवासी दौत्यपद की इस सामान्य रूप से ग्रहण कर ली गयी। आज तो स्थिति यह है कि दूतावास एक देश की सरकार और दूसरे राज्य के बीच मित्रता का सम्बन्ध बनाये रखने और उसे दृढ़ करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

१९१२ में Russian Indemnity के स्थायी विवाचक न्यायालय ने विचार प्रकट किया था, "Diplomatic channels are the normal and regular means of communication between states in their relations governed by International Law." अर्थात् राजनयिक स्रोत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा नियन्त्रित राज्यों के बीच आवागमन या सम्बन्ध के साधारण साधन हैं।

१९६१ में राजनयिक सम्बन्धों पर वियना में एक अभिसमय (Convention) किया गया था जिसने अपने प्रतिज्ञा-पत्र में यह प्रकट किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय राजनयिक सम्पर्कों, प्रतिष्ठाओं तथा उन्मुक्तियों के लिए कि राज्यों में परस्पर मित्रता ने सम्बन्धों को बढ़ा सके। भले ही वे राजनीतिक और सामाजिक रीतियों की दृष्टि से एक दूसरे से मित्र हों। ऐसी सुविधाओं और उन्मुक्तियों का उद्देश्य राजनयिक अभिवर्तियों को अपने राज्य के प्रतिस्पर्धियों में अधिक सफलता के साथ कार्य करने के निमित्त साधन देना है।

(Aix la-Chapelle) की कांग्रेस न उसमें एक चौथी श्रेणी जोड़ दी। वरिष्ठता के क्रम से वे श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं —

१ राजदूत-पोपदूत तथा नसियो (Ambassador, Papal Legates and Nuncios) — वे अधिकार-पत्र देने वाले सम्राट् के अथवा राज्य के अध्यक्ष के व्यक्ति तथा प्रतिष्ठा के प्रतिनिधि हैं। विदेशी राजधानी में पहुँचने पर जब वे अपना अधिकार प्रदत्त करने वाला मुद्रांकित परिचय पत्र उपस्थित करते हैं तो वे उस राज्य के अध्यक्ष का जिसके नाम अधिकारपत्र दिया गया है, सार्वजनिक रूप से दर्शन पाने के अधिकारी हा जाते हैं। उनको यह भी विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे राज्य के अध्यक्ष से माक्षात् सम्पर्क स्थापित करें। उनको "एक्सलेन्सी" करके सम्बोधित किये जाने का अधिकार है। कवल वे ही राज्य जिनको राजकीय सम्मान प्राप्त हो, राजदूत भेज सकते हैं।

धर्म क अधिष्ठाता द्वारा जो राजनयिक दूत भेजे जाते हैं उन्हें पोपदूत (Papal Legates) या नसियो (Nuncios) कहते हैं।

२ पूरा सक्षम मंत्री तथा असाधारण दूत (Ministers Plenipotentiary and Envoys Extraordinary) — ये अपने सम्राटो अथवा राज्यों के अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं होते, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं है कि वे उनका अधिकार-पत्र प्राप्त किये होते हैं। विदेशी राजधानी में पहुँचने पर जब वे अपना परिचय-पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उनका राज्य के अध्यक्ष के साथ वैयक्तिक साक्षात्कार होता है। उनका राज्य क अध्यक्ष के साथ व्यक्तिगत रूप से ही, अधिकार के रूप से नहीं साक्षात्कार होता है, और वे "एक्सलेन्सी" के सम्बोधन से केवल शिष्टता के नाते सम्बोधित किये जाते हैं।

३ निवासी मंत्री (Ministers Resident) — ये सम्राटों के पास अधिकार-पत्र द्वारा राजदूत बना कर भेजे जाते हैं, और पूरा सक्षम मंत्री तथा असाधारण दूतों की श्रेणी से नीचे होते हैं। वे नम्रता की दृष्टि से भी "एक्सलेन्सी" उपाधि का उपभाग नहीं कर सकत। यह श्रेणी १८१८ में जोड़ी गई है।

४ कार्यदूत या निरूपण दूत (Charges d' Affaires) — इनको अधिकार-पत्र किसी राज्य के अध्यक्ष द्वारा किसी दूसरे राज्य क अध्यक्ष का नहीं दिया जाता वरन् एक वैदेशिक विभाग क मंत्री द्वारा दूसरे विभाग के मंत्री को दिया जाता है। विदेशी राजधानी में पहुँचने पर वे अपना अधिकार-पत्र वैदेशिक विभाग क मंत्री क समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

हालांकि (Holv Sec) अर्थात् धर्म अधिष्ठाता द्वारा भेजे गये राजदूत, पोपदूत या पोपल वेगेटीज अथवा नन्सियो कहे जात है। वामनवेत्थ क चर्चया के बीच एक दूसरे के पास भेजे गये राजदूत हाई कमिशनर कहे जात हैं।

राजनयिक कार्यकर्ताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के मध्य का अन्तर केवल शिष्टाचार मात्र है क्योंकि वे सब एक ही प्रकार की राजनयिक मुक्तियों का उन्मूलन करते हैं।

राजनयिक अभिकर्ताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों में भेद प्रायः उपचारात्मक होता है क्योंकि सभी अभिकर्ताओं को, चाहे किसी भी श्रेणी के क्यों न हो समान उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। यहाँ तक कि राजदूत का यह विशेषाधिकार है कि वह उस राज्य के प्रसाशक या सम्प्रभु अधिष्ठाता से मिलकर किसी विषय का निवारण कर ले, व्यवहारतः किसी विशेष महत्व का नहीं हुआ करता क्योंकि प्रसिद्ध विषयों की देख-रेख वैदेशिक मामलों के मन्त्रों ही किया करते हैं।

सम्बन्धता के विकास के साथ-साथ विचारों का आदान-प्रदान, वैज्ञानिक अनुसन्धान और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के लिए राज्य के सम्प्रभु पदाधिकारियों का अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में बिना राजनयिक दूतों के माध्यम से सम्पर्क सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्र जो राजनयिक अभिकर्ताओं से लाभ नहीं उठाए वह राष्ट्रों के कुटुम्ब में अपने-आप बहुत पीछे रह जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त Commonwealth के हाई कमिश्नर, संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य, राज्यों के प्रतिनिधि और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का भी राजनयिक उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। यहाँ उन राजनीतिक व्यक्तियों में जो कि अस्थायी रूप में कुछ विशेष कार्यों के उद्देश्य से जैसे कॉरोनेशन, विवाह, मृत्यु प्रपत्र का-फ्रेन्स में, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें जो स्थायी रूप में राजदूत हैं एक औपचारिक भेद ही माना जा सकता है।

नियुक्ति (Appointment) :—अन्तर्राष्ट्रीय विधि में राजनयिक अभिकर्ताओं के लिए कोई विशेष योग्यता स्थिर नहीं की गयी है भले ही राज्यों में राष्ट्र विधि के अन्तर्गत किसी विशेष योग्यता का निर्धारण किया गया हो। किसी व्यक्ति की राजदूत, दूत-मन्त्री अथवा कार्यवाहक दूत की नियुक्ति अधिकारिक पत्रों द्वारा जिस राज्य को भेजे जाते हैं, घोषित की जाती है। पहले अधिकारिक पत्र के Letter of Credence या lettres de Creance कहने हैं। इन पत्रों में राजनयिक अभिकर्ता का नाम लिखा रहता है और उसके भेजे जान का अभिप्राय भी अंकित रहता है। दूत अपने साथ उस परिचय-पत्र का, एक प्रति शुन पत्र के रूप में और दूसरी प्रति मुहरबन्द ले जाता है। राजदूतों और मन्त्रियों के मन्त्र में यह परिचय-पत्र राज्य के सम्प्रभु प्रमुख द्वारा उस राज्य के प्रमुख को दिया जाता है जहाँ यह भेजा जा रहा है। किन्तु कार्यदूत (Charge d'affaires) के सम्बन्ध में यह पत्र राज्य के विदेश मन्त्री द्वारा दूसरे राज्य के विदेश मन्त्री के

नाम लिखा जाता है। राजनयिक अभिकर्ता जो कुछ विशेष कार्यों के उद्देश्य से दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं उनके पास एक अधिकार पत्र रहता है जिसे Full Powers (Pleins Pouvoirs) कहते हैं। यह अधिकार-पत्र राज्य के प्रमुख द्वारा अपने हस्ताक्षर से पत्र के रूप में दिया जाता है।

पहुँचने की विज्ञप्ति (Notification of Arrival)—राजनयिक दूत जब अपने गन्तव्य राज्य की राजधानी में पहुँच जाता है तो वह अपने पहुँचने की विज्ञप्ति उस देश के विदेश मन्त्री के पास भेजता है और उससे प्रार्थना करता है कि उसे राज्य के प्रमुख से मिलने का समय दिया जाय जिससे वह अपना परिचय-पत्र उसे दे सके। राजनयिक अभिकर्ता अपने साक्षात्कार के समय उस राज्य के प्रमुख के समक्ष अपना सम्भाषण करता है और दास्ती का विश्वास दिलाता है। बदले में उस राज्य का प्रमुख भी उसकी नियुक्ति का स्वागत करता है और अपने देश की ओर स दोस्ती का विश्वास दिलाता है।

किन्तु दशाश्रों में राज्य इन दूत-सम्बन्धों को अस्वीकार कर सकते हैं :—

कोई राज्य किसी विशिष्ट व्यक्ति को दूत-रूप में ग्रहण करने से निम्नलिखित दशाश्रों में अस्वीकार कर सकता है .—

(१) यदि वह उस देश के सम्राट् को जहाँ वह भेजा जाय, अपने व्यक्तिगत चरित्र के कारण वैयक्तिक रूप से आपत्ति का कारण हो। उदाहरणार्थ, फ्रान्स द्वारा ड्यूक आफ बर्किंगम को इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम के दूत के रूप में स्वीकार न करना क्योंकि अपनी एक पूर्वकालिक यात्रा में उसने अपने को सम्राज्ञी का प्रेमी प्रकट किया था, अथवा आस्ट्रिया हंगरी द्वारा सन् १८८५ में मिस्टर कीली को सयुक्त-राज्य अमेरिका के मन्त्रों के रूप में स्वीकार न करना, क्योंकि मिस्टर कीली को स्त्री यहूदी थी।

(२) यदि उसने अपने को अपने सार्वजनिक कथना से अथवा दूसरे रूपों में जिस क्षेत्र के लिये उसको अधिकार पत्र दिया गया हो, उस देश के लोगों अथवा सत्ताश्रों का घोर विरोध प्रकट किया हो। उदाहरणार्थ इटली द्वारा मिस्टर कीली को सयुक्त राज्य के राजदूत के रूप में सन् १८८५ में अस्वीकार करना, क्योंकि सन् १८७१ में उसने इटली द्वारा पोप की रियासती के सयाजन का विरोध किया था।

(३) यदि वह उस राज्य का प्रजाजन हो जिसको वह भेजा जा रहा हो और वह राज्य जिसके नाम अधिकार-पत्र हो, उसको वे उन्मुक्तिर्मा न देना चाहे जो इस पद से सलग्न है। लेकिन यदि वह एक बार स्वीकृत हो जाय तो उसे पूर्ण राजनैतिक विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। यही बात सर हैल्डे मीकार्टनी के प्रसंग में

व्यवहार की गई जो यद्यपि एक ब्रिटिश प्रजाजन थे, फिर भी जिन्होंने सन् १८६० में सदन में चीन के राजदूत के सेक्रेटरी का कार्य किया था ।

१८६१ के वियता वनवेन्शन ने जो कि राजनयिक सम्बन्धों के लिए किया गया था निर्धारित किया है कि राजनयिक कर्मचारीगण सिद्धान्ततः उस राज्य के राष्ट्रीय होने चाहिए जहाँ से वे भेजे गये हैं । उस राज्य के राष्ट्रीयों में से भी हो सकते हैं जहाँ वे भेजे जा रहे हैं किन्तु ऐसी नियुक्ति के पूर्व उस राज्य की अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है । जिस राज्य में राजनयिक अभिकर्ता भेजे जा रहे हैं उसे भी ऐसे राष्ट्रीय जनो की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो कि किसी तीसरे राज्य के राष्ट्रीय हैं तथा राजनयिक दूत भेजने वाले राज्य के भी राष्ट्रीय नहीं है, समस्त अधिकार हैं ।

राजनयिक अभिकर्ताओं की पदसंज्ञा (Designation of Diplomatic Agents) — राजनयिक दूतों को भेजने वाले राज्या को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह किस देश को किस श्रेणी का राजदूत भेज । प्रायः यह दोनो राज्यों के करार पर निर्भर करता है । साधारणतया व्यवहार यह है कि समान कोटि के मनो ही आपस में एक दूसरे से बदले बदले जाते हैं ।

कामनवेल्थ देशों में जिन राजनयिक अभिकर्ताओं को दिया गया जाता है उन्हें उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर कहते हैं । इन्हें अब राजदूत या (Ambassador) भी कहने लगे हैं तथा इनके सम्बोधन के लिए "Your Excellency" भी कहा जाता है ।

राजनयिक दूत भेजने वाले राज्य का प्रभुता-सम्पन्न प्रमुख राजदूत को अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण अधिकार प्रदान कर सकता है ।

राजनयिक अभिकर्ता के कार्य (Functions of Diplomatic Agent) — राजनयिक अभिकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं । वह अपने राज्य के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस रूप में वह अपने राज्य में गृह सरकार के प्रमुख हैं । उन्हें अपने सरकार की नीति को व्यख्यात करके राज्य से करनी पड़ती है जिसके नाम उनको अधिकार पत्र दिया गया है तथा अपने और उस राज्य के मध्य सद्भावना स्थापित करना पड़ता है । यदि उनके देश को किसी प्रकार से निरादर किया जाय अथवा उनके देशवासियों को हानि की स्थिति दी जाय तो उनका कर्तव्य होता है कि उस विषय को तुरन्त अधिकार पत्र द्वारा राज्य के वैदेशिक मन्त्री के सामने प्रस्तुत करें । सक्षेप में उन्हें अपने देश की नीति को यथासम्भव प्रत्येक रीति से बढ़ाना होता है । डॉक्टर रीस का कथन है कि

तक मन्तराष्ट्रीय विधि का सम्बन्ध है एक राजदूत अपने देशीय राज्य में मक्षम प्राधिकारियों के लिये पारस्परिक सम्पर्क का साधन होता है ।

एक राजदूत का मुख्य कार्य इस प्रकार है—“To create in the country to which one is accredited, the greatest possible degree of understanding of one's own nation its hopes and fear, its achievements, and the objectives towards which it aspires” उसका कार्य यह भी है कि वह वही ही सतर्कतापूर्वक इस बात का निरीक्षण करे कि उस राज्य में जो घटनाएँ घट रही हैं उनका अपने राज्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है । इस प्रकार की सूचना वह अपनी सरकार को भी भेजता है ।

एक राजनयिक दूत को उस राज्य में स्थित अपने देशवासियों की जान-माल की सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है ।

उसके कार्यालय में उसके अपने राज्य के प्रजाजना के जन्म, मृत्यु तथा विवाह पजीवृत किये जाते हैं । उसे अपने राज्य को अधिकार-पत्र प्रदत्त राज्य की राज-नैतिक तथा सामाजिक दशाओं के सम्बन्ध में आवश्यक पत्रादि भेजन पड़ते हैं, जिससे उसके गृह-राज्य के हिता में प्रभाव पड़ता हो । उसको अपने जातीयजन के प्रत्यर्पण के लिए उस देश में जब उसने कोई अपराध किया हो, अधिकार पत्र प्रदत्त राज्य के वैदेशिक कार्यालय से व्यवहार करना पड़ता है । वह पासपोर्ट जारी करता है तथा अपने देश के जातीय जनो की सम्पत्ति तथा हितो का संरक्षण करता है ।

यह आशा की जाती है कि राजनयिक अधिकर्ता उस राज्य के स्थानीय मामलो तथा अन्य आन्तरिक अथवा राजनैतिक मामलो में भाग नहीं लेगा । उसको उस राज्य में विचाराधीन किसी विधान की वाङ्मनीयता अथवा अवाङ्मनीयता की विवेचना नहीं करनी चाहिये अथवा अधिकार पत्र प्रदत्त राज्य को उसके आन्तरिक मामलो में अपने हस्तक्षेप द्वारा असंतुष्ट या किसी भी प्रकार से अप्रसन्न नहीं करना चाहिये ।

प्रोपेनहेम बहुत ही उचित रूप से दूत के कृत्यों को तीन शीर्षको में सक्षिप्त करत हैं— वार्ता (negotiation) अर्थात् अपने गृह-राज्य तथा विदेशी राज्य के बीच में वह मध्यस्थ का कार्य करता है (acting as a medium between his home state and the foreign state), निरीक्षण (observation) अर्थात् विदेशी राज्य में होने वाली घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखना तथा संरक्षण (protection) अर्थात् अपने गृह-राज्य के बाहर रहने वाले राष्ट्रीय जनो के शरीर तथा संपत्ति का संरक्षण ।

राजनयिक उन्मुक्तिया तथा उनका स्वभाव और प्रवर्तन (Diplomatic Immunities—Nature and Enforcement)। —अधिकार क्षेत्र तथा नियंत्रण के प्रयोजन के लिये कूटनीतिक राजदूत उस राज्य के क्षेत्र के बाहर समझा जाता है जिसमें वह वास्तव में है। वह उस राज्य के अध्यक्ष के समान पवित्र गिना जाता है जिनका वह प्रतिनिधि है तथा उन्मुक्तियों का उपभोग करता है जिससे वह अपने कृत्यों को कुशलता से और निर्भय के वातावरण में कर सके। उन्मुक्तियों का आधार राज्यों का सामान्य व्यवहार तथा उनकी मोन स्वीकृति है। “आधुनिक सार्वभौमिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि अपरदेशीयता के सिद्धान्त को अस्वीकृत करती है, वरन् राजदूत को प्रतिनिधि के रूप में भेजने वाले राज्य के पूर्ण गौरव को स्वीकृत करने की आवश्यकता का अधिक आदर करती है। संक्षेप में राज्य अपने आपस में अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की समानता स्वीकार करते हैं तथा प्राधिकार और क्षेत्राधिकार को पूर्ण समता देते हैं।”

राजनयिक सुविधायें तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान करने के तीन सर्व-साधारण सिद्धान्त —

(१) अपरदेशीयता (Exterritoriality) —अपरदेशीयता का सामान्य यह कल्पना है कि कोई राजदूत जब कि वह किसी राज्य में रहता है उसके क्षेत्राधिकार का प्रयोग ऐसा ही होना चाहिए कि वह जैसे वहाँ उपस्थित न हो अपरदेशीयता एक ऐसी कल्पना है कि जिसकी नींव न तो कानून में है और न व्यवहार की कोई कार्यवाही यह सिद्ध करने में सफल न होगी कि दूतावास के पदाधिकारी और उसका भवन जो कि यदि “क” राज्य में है वह एक ऐसे राज्य-क्षेत्र में है जो राज्य के प्रश्नों की दृष्टि में विदेशी है।

(२) राजनयिक का प्रातिनिधिक व्यक्तित्व (Representative character of diplomat) —दूसरा सिद्धान्त राजनयिक सुविधायों का उन्मुक्तियाँ प्रदान करने का आधार यह बतलाता है कि राजनयिक व्यक्तियों का प्रातिनिधिक होता है। किन्तु यह सिद्धान्त सर्वमान्य इसलिए नहीं है कि राजनयिकों को ये सुविधायें और उन्मुक्तियाँ केवल प्रातिनिधिक मामलों में ही न बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मिली रहती हैं।

(३) कार्य के हित (Interest of work) —तीसरा सिद्धान्त है कि दो राज्यों के बीच बिना किसी रुकावट के सम्बन्धों के बने रहने के लिये उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

व्यक्तिगत सुरक्षा (Personal safety) —सार्वभौमिक मन्त्री का पवित्र तथा अनुत्प्रेषणीय माना जाता है। जो कोई उस पर आक्रमण करता है

केवल उस सम्राट् का ही अपमान नहीं करता है जिसका कि वह प्रतिनिधि है, वरन् राज्यों की समान सुरक्षा तथा उनके कल्याण को आघात पहुँचाता है । वह समस्त ससार के विरुद्ध अपराध का दोषी है ।

राजनयिक अभिकर्ता को यदि वह उसको ग्रहण करने वाले राज्य के अध्यक्ष, अथवा स्वयं राज्य के विरुद्ध पङ्कत्र करे अथवा पङ्कत्र या गुप्तचर का कार्य करने के अपराध में दोषी पाया जाय अथवा आंतरिक सुव्यवस्था तथा शांति में बिघ्न डाले तो निकाला जा सकता है, तथा यदि आवश्यक हुआ तो गृह-राज्य को वापस भेजने के लिये गिरफ्तार किया जा सकता है । उसी रीति पर उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं होता यदि उसे अपने असंगत अथवा अनुचित आचरण के कारण किये गये प्रतिकार से कोई हानि पहुँचे ।

आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति (Immunity from criminal jurisdiction) — अधिकार-पत्र देकर किसी राज्य को भेजा गया राजदूत आपराधिक क्षेत्राधिकार से पूर्ण उन्मुक्ति का उपभोग करता है क्योंकि वह किसी भी अर्थ में उसके वैध प्राधिकार के अधीन नहीं समझा जाता । यदि कोई राजनयिक अभिकर्ता अपराध करे तो केवल उपाय जो अधिकार-पत्र प्रदत्त राज्य के लिये खुला है वह यह है कि इस विषय को उसके गृह सरकार को प्रतिवेदन करे तथा यह माग प्रस्तुत करे कि उसे वापस बुला लिया जाय तथा अपने देश की विधि के अनुसार दंडित किया जाय । यदि वह सन्धि-पत्र प्रदत्त राज्य को उलट देने का पङ्कत्र करे तो वह उस समय गिरफ्तार किया जा सकता है जिससे उसे उचित समय पर सुरक्षित रूप से गृह को भेजा जा सके । उसे उस राज्य की विधि के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता जहाँ वह दूत बनकर आया है ।

राजनयिक अभिकर्ताओं की उन्मुक्ति प्रत्येक देश की स्थानीय विधि में उन्नत होती है । इङ्ग्लैण्ड की सामान्य विधि, सन् १९२८ की सर्वप्रमेरिडियन अभिनियम तथा सर्वोच्च सोवियत की १४ जतवरी, सन् १९२७, की डिगरी गान्तरिक अभिकर्ताओं तथा दूतमंडल के अन्य सदस्यों को विदेशी सम्राटों के प्रतिनिधि होने के नाते व्यक्तिगत उन्मुक्ति देते हैं ।

१९६१ के वियना कन्वेंशन के २६वें अनुच्छेद में, निर्धारित किया गया है कि राजनयिक दूतों को किस प्रकार आवागमन की मुक्ति तथा अन्य उन्मुक्ति प्रदान की जाये । सर सिसिल हर्स्ट का कथन है कि गान्तरिक व्यक्ति को उस का नागरिक न माना जाना स्थानीय विधि में स्वीकार किया जाता है क्योंकि व्यक्ति का राजनयिक अभिकर्ता के रूप में किया दूतों के रूप में उन्मुक्ति उद्देश्य से होता है कि वह अपने राज्य और दूसरे राज्य के सम्बन्धों के

स्थापन के लिए एक कड़ी का काम करे। उसे जो सुविधायें प्रदान की जाती हैं वे केवल उन उद्देश्यों की पूर्ति की शर्तों पर प्रतिबधित हैं। अगर भेजने वाला राज सम्बन्ध-स्थापन के अलावा उन्हें अन्य कार्य सौंपता है तो उसे पहले की उन्मुक्तियों की त्यों नहीं दी जा सकती।

दिवानी क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति (Immunity from Civil Jurisdiction) :— राजनयिक अभिकर्ता तथा उसके अनुचर स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त होते हैं। वह स्थानीय विधि तथा वैयक्तिक प्रतिबन्ध से स्वतंत्र है। उनके विरुद्ध अधिकार-प्रदत्त राज्य के न्यायालय में किसी प्रकार का कोई व्यवहार या दिवानी विवाद नहीं लाया जा सकता। वह न्यायालय में उपस्थित होने के लिये तथा पैरवी करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। किन्तु यदि वह अपने विशेषाधिकार का परित्याग कर दे तो न्यायालय उसके साथ साधारण नागरिक के समान व्यवहार करेगा।

दूतों के कर्मचारीवर्ग की उन्मुक्ति (Immunity of Envoy's Retinue) :—

दूत के कर्मचारीवर्ग में निम्नलिखित आते हैं :—

- (अ) दूतक्षेत्र सम्बन्धी पदाधिकारीगण तथा अन्य परिचारक।
- (आ) स्त्री, बालक तथा उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्य जो उसके साथ रहते हैं।
- (इ) उसके निजी सेवक, तथा
- (ई) हरकारे।

राजनयिक अभिकर्ता को अपने तथा अपने परिचारकों के शरीर के सम्बन्ध में पूर्ण उन्मुक्ति है। यह उन्मुक्ति अल्पतम मात्रा में प्रसारित की गई है जो उसके स्त्री, बालक, सरकारी पदाधिकारी वर्ग, सचिवगण, दुभाषिया, नाविक तथा सैनिक सहगामी लोग, पादरी तथा नौकरो को भी प्राप्त हैं जिनका उसके आश्रय तथा सुविधा के लिये साथ होना आवश्यक है।

राज्य के क्षेत्राधिकार से वैयक्तिक उल्लंघनीय अधिकार दूतावास के दरवाजे तथा पिछलग्गुओं को नहीं प्रसारित किया जाता।

राजनयिक अभिकर्ताओं के परिचारकों के अन्य सदस्य जैसे दूतमहल के दरवाजे, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भी उपरिलिखित उन्मुक्तियों का उपभोग करते हैं। किन्तु ऐसे विशेषाधिकार केवल उन्हीं को दिये जाते हैं जो सरकारी हथ से दूतावास से सलग्न हो।

राजनयिक अभिकर्ताओं के साथ रहने वाले तथा उन पर आश्रित उनके सम्बन्धी भी दिवानी तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त हैं तथा अन्य विशेषाधिकार का उपभोग करते हैं। उनके निजी नौकरो क सम्बन्ध में अभी तक कोई नियम स्पष्टतः स्थापित नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि वे दिवानी अथवा राष्ट्रिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त हैं लकिन आपराधिक विषयो में ग्रेट ब्रिटेन का दावा है कि यदि अपराध नौकरो द्वारा राजनयिक अभिकर्ता क निवास-स्थान के बाहर किया जाय तो उन पर उस राज्य को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

हरकार अथवा सदेशवाहक सरकारी तोर पर दूतावास से सम्बन्धित होने के कारण दिवानी तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त हैं। उनको एक विशेष पास-पोर्ट अपने कत्तव्यों के पालन के लिए दिया जाता है तथा राज्या क बीच से निश्चय यात्रा करने का अधिकार है।

निवास स्थान के सम्बन्ध में उन्मुक्ति (Immunity connected with residence) — राजदूत का सरकारी निवासस्थान, असबाब, सामान, अस्तबल तथा गाडियाँ सहित ऐसा समझा जाता है कि माना यह सधि पत्र प्रदत्त राज्यों के बाहर स्थित है। यह पवित्र माना जाता है और स्थानीय क्षत्राधिकार से उन्मुक्त है। यह वस्तुतः सधि-पत्र देने वाले राज्य का भाग माना जाता है। अन्य शब्दों में अन्तरदेशीयता की कल्पना राजनयिक अभिकर्ता क निवासस्थान के सम्बन्ध में लागू की जाती है।

यह उन्मुक्ति निवासस्थान के अतिरिक्त उन सभी भवना को भी दी जाती है जो राजनयिक अभिकर्ता के अधिकार में राजनयिक कार्य के लिये हो। यह उन गाडियों को भी लागू की जाती है जो वे अभिकर्ता अपने कृत्यों क पूरा करने में उपयोग करे। ऐसी उन्मुक्ति का यह अर्थ होता है कि कोई पुलिस पदाधिकारी अथवा कर (टैक्स) वसूल करने वाला अपने कर्तव्यों के पालन के लिये उसके निवास-स्थान में बिना उसके सहमति क प्रवेश नहीं कर सकता।

इस सम्बन्ध में वैटल (Vattel) का कहना है कि "the independence of the ambassador would be very imperfect and his security very precarious if the house in which he lives were not to enjoy a perfect immunity and to be inaccessible to the ordinary officer of Justice to insult it is a crime both against the State and against all other nations" अर्थात् "राजदूत की स्वतन्त्रता बहुत ही अपूर्ण होगी और उसकी सुरक्षा बहुत ही सदिग्ध होगी, यदि वह घर, जिसमें वह रहता है पूर्ण उन्मुक्ति का उपभोग नहीं करता, और वह साधारण न्याय अधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर

नहीं है। उसकी अवमानना करना एक अपराध है—उस राज्य और अन्य सभी राष्ट्रों के विरुद्ध किया गया अपराध है।”

(करों) टेक्सों से छूट (Exemption from Taxes) — राजदूत उनके निवासस्थान पर लगाये गये करों को देने से उन्मुक्त हैं क्योंकि कर को प्राप्त करने वाले राज्य का उसके निवासस्थान पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उससे भाषा की जाती है कि वह नाली, प्रकाश तथा जल-सम्बन्धी करों को देगा लेकिन वह उनको देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि वह वैध कार्यवाही से उन्मुक्त है। प्रायः इस प्रकार के कर उससे नहीं लिये जाते।

माल के अभिग्रहण होने से छूट — राजदूत पर ऋणसम्बन्धी दावे नहीं किये जा सकते चाहे ये ऋण उसने दूतकर्म करने के पहले किये हो अथवा बाद में। वह गिरफ्तारी से उन्मुक्त है और उसका माल उससे अभिग्रहण अथवा कुर्ब नहीं किया जा सकता। बिकरशोक (Bynkershoek) का कथन है कि राजदूत का माल न तो ऋण देने के लिये और न सेक्यूरिटी के लिये अभिग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि वे उसके शरीर से सम्बद्ध मान जाते हैं।

यदि कोई सार्वजनिक मन्त्री व्यापार में लगा हो तो सम्भवतः उसकी व्यक्तिगत वस्तुएँ किसी दावे के उत्तरदायित्व में उसे बाध्य करने के लिये कुर्ब की जा सकती हैं।

अंग्रेजी तथा अमेरिकी न्यायालयों ने यह निर्णय किया है कि किसी राज्य नयिक अभिवर्ता के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही सम्भव नहीं है, तथा कोई व्यक्ति जो ऐसा करता है वह राज्य की विधि का उल्लंघन करता है तथा सार्वजनिक शांति में बाधा डालता है। फिर भी, यदि वह किसी स्थानीय न्यायालय में दावा करे तो वह न्यायालय के नियमों को पालन करने के लिये तथा यदि हार जाय तो व्यय के लिये बाध्य है। [In re Suarez Suarez v. Suarez (1917) 2 Ch 131 The Amazone (1940) Probate 40, Bergman v. De Steyes (1946) 71 F Supp 334]

उपासना का अधिकार (Right to Worship) — राजदूत को अपने होटल में अपने धर्मानुसार एक निजी मंदिर रखने का अधिकार है। उनको अपने ही रीति पर ईश्वर की उपासना करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, मले ही वह अति मरुत न रह रहा हो, उसके अनुसार यह निषिद्ध हो।

यातायात की स्वतन्त्रता (Freedom of Communication) — राजदूत नदिक अभिवर्ता अपने शून्या का उचित रूप से निमाने में समर्थ होने के लिये अपने

यात की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। उसके सन्देश स्थानीय क्षेत्राधिकार तथा सेन्सर स तीसरे देशों में भी उन्मुक्त हैं।

उन्मुक्तियों का आरम्भ और उनकी परिसमाप्ति (Commencement and discontinuance of Immunities) — राजनयिक अधिकारी उसी समय से उन्मुक्तियाँ प्रदान करने लगते हैं जिस समय कि वे उस राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं जहाँ वे राजनयिक उद्देश्यों से भेजे जा रहे हैं। ये उन्मुक्तियाँ उम समय तक चलती हैं जब तक कि उनका राजदूतत्व या मिशन निलम्बित नहीं कर दिया जाता। और यहाँ तक कि वह मिशन समाप्त कर दिया जाता है तो एक उचित समय तक उस समाप्ति के पश्चात् भी दूतावास उन्मुक्तियाँ और सुविधायें प्रदान की जाती हैं जिनसे वे अपना सामान आदि बाँधकर सुरक्षित ढंग से अपने राज्य वापस चले जायें।

निष्कपट गमन का अधिकार (Right of Innocent Passage) — अभी हाल में निष्कपट गमन क पक्षा में सम्मति स्थिर हो गई है। राजनयिक अभिकर्ता पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपभोग करने के अधिकारी हैं तथा उनकी कोई हानि अथवा उनका कोई अपमान सधि पत्र प्रदत्त राज्य तथा शृङ्ग राज्य दोनों की हानि तथा अपमान समझा जाता है। उपरोक्त सम्मति *Bergman v De Sieyes* [(1946) 71 T Supp 334] के मामले से पुष्ट होती है। प्रतिवादी बोलीविया का फ्रांसीसी मंत्री था। जब वह फ्रांस से बोलीविया को न्यूयॉर्क से जा रहा था तब वादी ने उस पर व्यावहारिक आदेशिका तामील की। प्रतिवादी ने अपनी उन्मुक्ति का अभिभाषण किया। यह निर्णय किया गया कि वैदेशिक मंत्री जो मार्ग में हों, चाहे वह अन्य देश में अपने पद से आ रहा हो अथवा वहाँ का जा रहा हो एक तीसरे देश से निष्कपट गमन करने का अधिकारी है, तथा वह तीसरे देश के अधिकार क्षेत्र से उन्मुक्तियाँ का भी अधिकारी है जो यदि वह वहाँ का निवासी होता तो उसे मिलती।

सर्व अमेरिकीय अभिसमय में जिस पर हवाना में २० फरवरी, १९२८ का हस्ताक्षर हुये, यह स्पष्टरूप से अनुवर्धित है कि राजनयिक कार्य करने वाले उस राज्य में जिसको कि वे अपने पद पर पहुँचने के लिये अथवा अपने देश में वापस आने के लिये पार कर रहे हों और जिसकी सरकारों का उन्होंने अपनी स्थिति विदित करा दी हो, उन्ही उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकारों का उपभोग करेंगे।

जब तीसरा राज्य उस राज्य से जिसने नाम अभिकर्ता सधि पत्र दिया गया हो, युद्ध पर हो तो स्थिति भिन्न हो जाती है। एनी दशा में यदि तीसरा राज्य

विरुद्ध राज्य के दूत को गरपतार कर ले, तो यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि को किसी प्रकार से भंग नहीं करता ।

अस्थायी राजदूत :—अस्थायी राजनैतिक राजदूत जिनके विशेष दूतत्व होते हैं यथा अपने राज्य का भिन्न-भिन्न राज्यों की काँग्रेस में प्रतिनिधित्व करना, अथवा अराजनैतिक राजदूत जिनके कृत्य शिष्टाचार के होते हैं यथा अपने राज्य का किसी दरबार में प्रतिनिधित्व करना, वे भी अपरदेशीयता, अपने शरीरों का रक्षक सरक्षण तथा जातीय टैक्सो तथा सार्वजनिक मांगों के सम्बन्ध में भी उन्हीं विशेष अधिकारों का उपभोग करते हैं ।

राजनयिक मिशन को समाप्ति (Termination of Diplomatic Mission).—राजनयिक कार्य भिन्न-भिन्न कारणों से समाप्त हो सकता है । ये निम्नलिखित हैं :—

१. सन्धि-पत्र प्रदत्त करने वाले राज्य द्वारा राजदूत का वापस बुला लेना :—राजदूत सन्धि-पत्र प्रदत्त करने वाले राज्य द्वारा वापस बुलाया जा सकता है, यदि वह अस्थायी रूप से किसी गम्भीर कारण के लिए राजनैतिक संबंध तोड़ दें। दक्षिणी अफ्रीका संघ का भारतीय हाई कमिश्नर मई सन् १९४६ में वहाँ रहने वाले भारतीय उत्पत्ति के लोगों के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका द्वारा जातीय भेद-भाव नीति व्यवहार किये जाने के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिये वापस बुला लिया गया था तथा हाई कमिश्नर के कार्यालय का भार एक कनिष्ठ पदाधिकारी को सौंप दिया गया था । भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्य के सम्बन्धों का यह पता धागा भी संघ के भारतीय हाई कमिश्नर के कार्यालय को जुलाई सन् १९५४ से हट कर देने से टूट गया । इस प्रकार की वापसी सम्बन्धों के टूटने का चिह्न है और दो देशों के बीच की तनावनी को प्रकट करता है । भारतीय सरकार ने अपने दूत (legation) को जुलाई १९५३ में पुर्तगाली सरकार द्वारा भारत सरकार से स्पेन के सम्बन्ध में समझौता की बातचीत चलाने से इन्कार करने के कारण लिखतें वापस बुला लीं ।

२. राजनयिक मिशन का प्रयोजन पूरा हो जाना :—जब दूत-वर्ग किसी विशेष प्रयोजनों के लिये होता है तो उस प्रयोजन के पूरा होने पर वह हटा हो जाता है । ये वे दूत होते हैं जो सम्मेलनों, काँग्रेसों और महोत्सवों में प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजे जाते हैं ।

३. दो राज्यों में से किसी एक में प्रान्तिकारी परिवर्तन :—यदि एक में से किसी एक में प्रान्तिक परिवर्तन होने पर अथवा उन्हीं

रामस्वरूप नयी सरकार बनने पर उदाहरणार्थ प्रजातन्त्र राज्य के राजतन्त्र में परिवर्तित होने पर अथवा इसके विपर्यय अथवा एक सम्राट् को गद्दी से उतार कर दूसरे को बैठाने पर दूत का भी अपने सरकार का प्रतिनिधित्व करना समाप्त हो जाता है और उसे एक नया परिचय-पत्र प्राप्त करना होता है ।

४. राजदूत की मृत्यु :—दूत की मृत्यु पर दूतकर्म समाप्त हो जाता है और परिचय-पत्र अपने प्रभाव खो देता है । जब एक नया दूत नियुक्त होता है तो एक नया परिचय-पत्र जारी करना होता है ।

५. दो राज्यों में से किसी एक के अध्यक्ष की मृत्यु अथवा उसके द्वारा पद-त्याग :—इस प्रकार की घटना भी दूतकर्म को समाप्त कर देती है और अपने पदों में स्थित राजदूतों को नये परिचय-पत्र बदलकर लेना पड़ता है ।

६. स्थायी मंत्री की अपने स्थान पर धापसी :—जब किसी मंत्री को मध्यवर्ती काल के लिये सधि-पत्र प्रदत्त किया गया हो तो स्थायी मंत्री के लौटने पर दूतकर्म समाप्त हो जाता है ।

७. राजनयिक अभिकर्ता के पदवी में परिवर्तन :—जब सन्धि-पत्र प्रदत्त राजनयिक अभिकर्ता की पदवी में बिना स्थानान्तरण किये वृद्धि कर दी जाय तो दूतकर्म समाप्त हो जाता है । ऐसे समय में भी एक नये परिचय-पत्र को आवश्यकता होती है ।

८. भेजने वाले तथा ग्रहण करने वाले राज्यों के बीच में युद्ध :—युद्ध के समय भी दोनों देशों में परस्पर दूतकर्म समाप्त हो जाता है तथा दूतों को अपना-अपना पासपोर्ट मिल जाता है ।

९. किसी एक राज्य का सम्मेलन अथवा संयोजन द्वारा अंत :—ऐसी दशा में दूतकर्म समाप्त हो जाता है ।

१०. भेजने वाले अथवा ग्रहण करने वाले राज्य द्वारा राजदूत का अधिकार से हटाया जाना :—किसी राजदूत का ग्रहण करने वाले राज्य द्वारा हटाया जाना अन्तिम पग है जो वह उस समय लेता है जब उसको वापस बुलाने की उसकी मांग का अनुवर्तन नहीं होता । भेजने वाले राज्य तथा ग्रहण करने वाले राज्य में मतभेद हो सकता है तथा ग्रहण करने वाले राज्य द्वारा राजदूत को पासपोर्ट दिया जा सकता है जो उसको हटाये जाने का द्योतक है ।

११. संधि-पत्र दिये गए राज्य द्वारा वापस बुलाये जाने की मांग :—ग्रहण करने वाला राज्य किसी राजदूत को वापस बुलाये जाने की मांग प्रस्तुत कर सकता है यदि उसने अपने को उस देश की सरकार का अग्रिम बना दिया हो ।

ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें सधि-पत्र प्रदत्त राज्य ने राजदूत को राज्य के प्रति दुःखदायी आचरण अथवा आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने के कारण वापस बुलाये जाने की माँग प्रस्तुत की है।

१२. पासपोर्ट के लिये प्रार्थना:—राजनयिक अभिकर्ता द्वारा ग्रहण करने वाले राज्य के दुर्व्यवहार के कारण पासपोर्ट के लिये प्रार्थना करना दूतकर्म की समाप्ति का द्योतक है।

१३. परिचय-पत्र की अवधि की समाप्ति :—यदि परिचय-पत्र सीमा-अवधि के लिये है तो राजदूत का दूतकर्म उस अवधि के अन्त होने पर समाप्त हो जाता है।

दूतकर्म की समाप्ति पर औपचारिकताएँ.—जब किसी दूत का अपने उसके वापस बुलाये जाने के कारण समाप्त होता है तो यदि वह राजदूत हो अथवा मन्त्री हो तो अपने राज्य के अध्यक्ष से और यदि कार्यवाहक दूत (Charged Affairs) हो तो अपने वैदेशिक मन्त्री से वापसी का पत्र पाता है। अपनी विधि पर भी उसका उसी प्रकार का एक औपचारिक साक्षात्कार होता है जहाँ राजदूत अथवा मन्त्री अपने वापस बुलाये जाने के पत्र को ग्रहण करने वाले राज्य के अध्यक्ष को तथा कार्यवाहक वैदेशिक मन्त्री को अर्पण करता है।

अध्याय २१

वाणिज्य-दूत

(Consuls)

परिभाषा :—वाणिज्य दूत व्यापारिक अभिकर्ता होते हैं जिनको भारत-राज्य अन्य राज्यों के क्षेत्रों में राजनयिक अभिकर्ताओं के अतिरिक्त बनाये रहता है। उनका कर्त्तव्य अपने देश के व्यापार, नीचालन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों की सरक्षण है। वे उपरोक्त प्रयोजन के लिये निवासी अभिकर्ताओं के रूप में भेजे जाते हैं।

हॉल (Hall) न वाणिज्य दूत की परिभाषा करते हुये लिखता है कि वे वे व्यक्ति होते हैं जो किसी एक राज्य द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, उनका उद्देश्य किसी राज्य में रहना होता है और उन्हें विदेशी राज्य द्वारा भी इस बात की अनुमति मिलती है कि वे वहाँ रहकर अपना राज्य के हितों को देता करें और उन

के सौजन्य से महत्वपूर्ण लाभ के कार्य करे, उनका यह कार्य प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों हो सकता है ।

उनकी उत्पत्ति .—उनका अस्तित्व स्थायी राजनयिक दूत-मंडल स्थापना के बहुत पूर्व से ही रहा है । उनकी उत्पत्ति की निधि पीछे मध्य युग में पहुँचती है जब इटली, स्पेन तथा फ्रांस के व्यापारी जो व्यापार के लिये मध्य सागर के किनारे बसते थे अपने एष आदमों को उनके व्यापारिक भण्डों को पचायत द्वारा तय करने के लिये छाँट लेते थे । बाद में मध्यसागर के मुसलमान देशों ने व्यापारियों की जातियों के भीतर बसने के कारण वाणिज्य दूत पद्धति ग्रहण की । समय बीतने पर तथा मुसलमान युवराजों के तथा व्यापारियों के गृह-राज्यों के बीच सन्धि होने के परिणामस्वरूप वाणिज्य दूतों का यह कृत्य हो गया कि वे नगर में रहने वाले स्वदेशीय नागरिकों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा करें । पन्द्रहवीं शताब्दी में इटली के वाणिज्य दूतों को इंग्लैंड तथा नोदर्लैंड के बन्दरगाहों में रहने वाले इटली के व्यापारियों पर पूर्ण क्षेत्राधिकार था । सत्रहवीं शताब्दी में स्थायी राजदूत पद्धति के प्रचलित होने के कारण वाणिज्य-दूत पद्धति की महत्ता कम हो गई और इससे दीवानों तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार के विशेषाधिकार छीन लिये गये । उन्नीसवीं शताब्दी में व्यापार तथा नौचालन की वृद्धि के कारण वाणिज्य-दूत पद्धति ने यूरोपीय राज्यों में प्रगति प्राप्त की । भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच असन्ध संधियों की गईं जिनमें उनका स्वरूप तथा कृत्य परिभाषित थे । संधियों के प्रतिबन्ध अब प्रायः समान हैं और वाणिज्य दूतों की रीति अब रूढ़ अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अनुशासित होती है ।

वाणिज्य दूतों की श्रेणियाँ .—वाणिज्य दूतों की अनेक श्रेणियाँ हैं अर्थात् कौन्सल-जनरल, वाइस-कौन्सल, कौन्सुलर-एजेण्ट तथा प्रो-कौन्सल । कौन्सल-जनरल कई वाणिज्य दूतीय जिलों के अथवा एक बड़े जिले के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हैं तथा उनके अधीन कई वाणिज्य-दूत होते हैं । कौन्सल जो श्रेणी में उनका बाद आते हैं केवल छोटे जिलों अथवा बस्त्रों और बन्दरगाहों के लिये नियुक्त किये जाते हैं । वाइस-कौन्सल जैसा कि नाम से ही व्यक्त है कौन्सल-जनरलों तथा कौन्सलों के सहायक है । कौन्सुलर एजेंट सबसे निम्न श्रेणी के होते हैं जो कौन्सल जनरलों अथवा कौन्सलों द्वारा स्वदेशीय सरकार की स्वीकृति के अधीन नियुक्त किये जाते हैं । प्रो कौन्सल अल्पकालीन अवधि अर्थात् कौन्सल-जनरल अथवा कौन्सल की अनुपस्थिति अथवा अस्वस्थता में नियुक्त किये जाते हैं तथा कौन्सल के अपने कार्य पर लौटने के साथ उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाती है ।

कौन्सलों की नियुक्ति :—बोम्बे एव विशिष्ट अधिकार-पत्र प्रथा का प्रयोग द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जिसे *Lettre de provision* कहा जाता है और जा नियुक्त करने वाले राज्य के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है। उसे ग्रहण करने वाला राज्य एक अनुमति-पत्र जारी करता है, जिसे इक्वेटर (Exequatur) कहते हैं जिसके द्वारा वे उस राज्य में अपने कृत्य करने में सफल होते हैं। इक्वेटर (Exequatur) का अनुदान उनके प्रयोग को पूर्ण करता है।

उनके कार्य :—वारिज्य-दूत अपने राज्य के व्यापारिक हिता की देख-रेख रखते हैं, अपने व्यापारियों को परामर्श देते हैं तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करते हैं। उनको अपने-अपने गृह-राज्यों तथा उनकी स्वीकृत करने वाले राज्यों के मध्य हुई व्यापारिक संधियों का निष्पादन ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। वे जिस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके नागरिकों के व्यापारिक हितों की देख-भाल करते हैं। वे बहुत से अन्य विविध कार्यों का संचालन करते हैं, जैसे वसीयत बिहीन मृत प्रजाजनो की रियासतो का प्रबन्ध, कप्तान तथा नाविका के झगडों का निपटारा अपने राज्य के जहाजों के स्वामियों से प्रतिवेदन प्राप्त करना, अपने अपने देश के जहाजों की समुद्र में जो हानि हुई हो तथा उसके सम्बन्ध में प्रश्नों को तय करना इत्यादि। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे अपने-अपने सरकारों को उस राज्य के व्यापार, उद्योग तथा कृषि के सम्बन्ध में सूचना देते रहें जिसमें वे रहते हो। उनको अपने-अपने गृह-राज्यों के व्यापारियों तथा शिल्पकारों को उनके व्यापारिक हितों के संरक्षण सम्बन्धी किसी भी विषय में परामर्श देना पड़ता है।

वारिज्य-दूतों को अपने अपने गृह-राज्यों के प्रजाजनो का संरक्षण करना पड़ता है जो कार्य ठीक वैसा ही है जैसा कि राजनयिक अधिकारियों का। उनको एक रजिस्टर रखना पड़ता है जिसमें वारिज्य दूतों के नामों में रहने वाले उनके अपने राज्य के नागरिकों के नाम तथा पते दिये होते हैं। वे विवाह, जन्म तथा मृत्यु को पंजीकृत करते हैं और इच्छा-पत्रों का भार ग्रहण करते हैं।

वारिज्य दूतों को अपने अपने राज्यों के नौचालन की भी देख-भाल करनी पड़ती है। उनको अपने व्यापारी जहाजों की देख-रेख करनी पड़ती है, सड़क में पड़े हुये जलपोतों की सहायता करनी पड़ती है तथा जैसा ऊपर कथित है जलपोतों के स्वामियों तथा उनके नाविकों के बीच के झगडे तय करने पड़ते हैं।

वे प्रमाणित करने वाले अधिकारियों के कार्यों को भी करते हैं, यथा हस्ताक्षरों को सही तथा प्रमाणित करना, साक्षियों से पृच्छा करना, शपथ देना, विवाहों का

पंजीकृत करना, इच्छा-पत्रों का भार ग्रहण करना, जन्म तथा मृत्यु का पंजीकृत करना तथा दत्तक-ग्रहण की प्रमाणीकृत करना ।

विशेषाधिकार (Privileges) c—वाणिज्य-दूत राजनयिक अभिकर्ता नहीं हैं तथा ऐसी दशा में वे स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त नहीं हैं जब तक यह बात सन्धि द्वारा स्वीकृत न कर ली जाय । वे कुछ रूढ़ विशेषाधिकारों का उपभोग करते हैं जिनके अनुसार वे स्थानीय, दिवानी तथा सम्भवतः अपने पदोप अधिकार में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में आपराधिक कार्यवाहियों से भी उन्मुक्त समझे जाते हैं । आपराधिक विषयों में भी उनके विरुद्ध कार्यवाही केवल गम्भीर अपराधों के लिये की जाती है । उनके पदोप पत्र तथा प्रथम रक्षाशुद्ध प्रथानुसार अभिग्रहण किये जाने से उन्मुक्त हैं । व्यापारिक तथा वाणिज्यदूतीय सन्धियों द्वारा वे स्थानीय उप-शुल्कों तथा करों से प्रायः उन्मुक्त किये जाते हैं ।

राजदूत के समान वाणिज्य-दूत का पद राज्य के अध्यक्ष के परिवर्तन पर अथवा दोनों राज्यों में से किसी एक के सम्राट् की मृत्यु पर समाप्त नहीं होता ।

वाणिज्य-दूत के पद का अन्त (Termination of Consular Office) .—निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक के होने पर वाणिज्य-दूत के पद का अन्त होना है .—

(१) वाणिज्य-दूत की मृत्यु ।

(२) ग्रहण करने वाले राज्य के मान्यता-पत्र (exequatur) के वापस ले लिये जाने पर ।

(३) वाणिज्य-दूत के वापस बुला लिये जाने पर अथवा अलग कर दिये जाने पर ।

(४) भेजने वाले तथा ग्रहण करने वाले राज्यों के बीच युद्ध की घोषणा होने पर ।

दोनों राज्यों में से किसी एक के सम्राट् अथवा अध्यक्ष की मृत्यु पर वाणिज्य-दूत के पद का अन्त नहीं होता ।

भारतीय सरकार ने अपने कौन्सुलेट जनरल को गोवा से सितम्बर १९५५ से वापस बुला लिया तथा पुर्तगाल वालों के कौन्सुलेट-जनरल को बम्बई में तथा उनके भवैतनिक कौन्सुलेटों को कलकत्ता तथा मद्रास में उसी दिनांक पर अथवा उससे पहले बन्द करने को इस कारण से कहा कि भारतीय सत्याग्रहियों पर गोली चलाई गई जो कि सम्यक सरकारों की प्रथा के विरुद्ध थी तथा यह निश्चय तथा अहिंसक भारतीयों के विरुद्ध भयानक तथा अमानुषिक बल-प्रयोग था ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार

अध्याय २२

सन्धियाँ

(Treaties)

संधि क्या है ?—संधि एक स्वीकारोक्ति अथवा सविदा है जो दो या अधिक राज्यों के बीच की जाती है जिसके द्वारा वे उन कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं जो उनमें से प्रत्येक के ऊपर आरोपित किये जाते हैं।

संधियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रमुख मूलाधार हैं। वे पक्षकारों के मध्य के वैध सम्बन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्वीकृत रूढ़ नियमों से भिन्न आधार पर निश्चित कर सकती हैं अथवा वे पूर्वस्थित अन्तर्राष्ट्रीय विधि की न्यूनता की पूर्ति कर सकती हैं, या उसको रूपभेदित अथवा परिभाषित कर सकती हैं।

संधि की परिभाषा कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित ढंग से की है :—

ओपेनहेम (Oppenheim) :—“अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ सविदात्मक प्रकृति के वे करार हैं जो दो राज्यों के बीच में या राज्यों के समूहों के बीच में किये जाते हैं और जो वैध अधिकार और पक्षकारों के बीच आधार उत्पन्न करते हैं।”

स्टार्क (Starke) :—संधि एक वह करार है जिसमें दो या दो से अधिक राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपने आप में सम्बन्ध स्थापित करते या सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। (A treaty is an agreement whereby two or more States establish or seek to establish a relationship under International Law between themselves.)

हार्डिङ्ग ड्रैफ्ट कन्वेंशन :—इस कन्वेंशन के अनुसार ‘Treaty’ शब्द को “a formal instrument of agreement by which two or more states establish or seek to establish a relation under International Law between themselves” मानते हैं जो कि स्टार्क के कथन से बहुत ही श्रेष्ठ है।

सन्धियों के प्रकार :—ओपेनहेम संधियों को विधि-विधायक संधियों से बहुत राज्यों के बीच आचरण के सामान्य नियम निर्धारण करने के लिये की जाती हैं, तथा अन्य प्रयोजन के लिये की गई संधियों में वर्गीकृत करते हैं।

विषयानुसार वर्गीकरण में संधियाँ निम्नलिखित हैं :—संधि स्थापन करने वाली सन्धियाँ, प्रतिभूति देने वाली सन्धियाँ, व्यापारिक सन्धियाँ, और किसी राज्य को तटस्थ बनाने वाली सन्धियाँ।

वत्स (Vattel) सन्धिया की समाप्त, धनमान, वास्तविक तथा व्यक्तिगत में वर्गीकृत करते हैं ।

वास्तविक सन्धिया सविदा करने का पक्षकारी के व्यक्तिगत व धनाश्रित केवल धर्ममय व विषय से ही सम्बन्धित होती हैं । ये राज्य पर उसके शासका के वैयक्तिक परिवर्तनों से अनपक्षित निरन्तर वास्तविक होती हैं । व्यक्तिगत सन्धिया सविदाकार पक्षकार व व्यक्तिगत से सम्बन्धित हानी है और मर्याद की मृत्यु पर समाप्त हो जाती है ।

एक पक्ष अथवा उभय पक्ष में बाध्यकारी हो के मर्यादा सन्धियों की एक-पक्षीय तथा उभयपक्षीय में बाँटा जा सकता है । बहुपक्षीय सन्धिया भी हानी हैं जो दो से अधिक राज्यों पर पक्षकार व रूप में बाध्यकारी होती हैं । ऐसी सन्धिया या ना राजनैतिक अथवा अराजनैतिक होती हैं । विधि विधायक सन्धिया भी होती हैं जैसे परिस का पैक्ट, सींग आफ नेशन का कान्टेंट तथा सयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ।

उद्देश्य व अनुसार वर्गीकृत किये जाते पर सन्धिया निम्नलिखित हैं— राजनैतिक, व्यापारिक, सामाजिक सन्धिया तथा प्रतिभूति, सटस्यता, परित्याग तथा प्रत्यर्पण की सन्धिया ।

सन्धिया स्थायी तथा अस्थायी भी होती हैं ।

सर्वांगीण परिपूर्ण वर्गीकरण मैकनायर व अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रिटिश द्यर बुक (१९३०) में पाया जाता है । यह जेता जैक्सन द्वारा अपनी पुस्तक 'ए मैनुअल ऑफ इण्टरनशनल लॉ' व पृष्ठ ४७ में उद्धृत किया गया है निम्न-लिखित हैं :—

(घ) प्रलेखस्वरूप सन्धिया ।

(आ) सविदास्वरूप सन्धिया ।

(इ) विधि-विधायक सन्धिया जिनका निम्न प्रकार से उपविभाजन किया जा सकता है —

(१) सन्धिया जिनके द्वारा सवैधानिक विधि बनाई जाती है यथा स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की लेखबद्ध सन्धिया (Statutes) (अथ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय) ।

(२) शुद्ध विधि-विधायक सन्धिया, उदाहरणार्थ भिन्न-भिन्न धर्म सम्बन्धी अभिसमय जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सघ द्वारा तय की गई हैं ।

(३) निगमन (Incorporation) के चार्टर के समान प्रकृति की सन्धिया, उदाहरणार्थ सन्धिया जिनके द्वारा विश्व बैंक सघ १९०४ में स्थापित हुआ था ।

को पारिभाषित कर सकती है जिनके अनुसार सबन्धित अभिकरण (एजेन्सी) समुक्त राष्ट्र के सम्बन्ध में लाया जायगा ।

न्यास पद्धति (trusteeship system) सम्बन्धों स्वीकृतियों के सम्बन्ध में प्रासंगिक उपबन्ध अध्याय १२ में दिये गये हैं । अनुच्छेद ७७ में यह अनुबन्धित है कि न्यासपद्धति ऐसे प्रदेशों को लागू की जायगी जैसे उसके अधीन न्यासस्वीकृतियों द्वारा रखे जायें तथा यह वाद की स्वीकृतियों का विषय होगा कि कौन प्रदेश न्यास पद्धति के अन्तर्गत लाये जायें और किन शर्तों पर । इसमें कोई सन्देह नहीं कि न्यास प्रदेशों के प्रशासन में समुक्त राष्ट्र सच का दखलाल का कर्तव्य रहेगा । क्लाइव पैरी का कथन है कि "चार्टर के अध्याय १२ पर विचार करने के उपरान्त परिणाम इतने अधिक नहीं निकलता कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि न्यास-समझौता (trusteeship agreements) का जिनके सम्बन्ध में उसका कथन है कि अपने ही प्रकार के विधि (sui generis) प्रलेख है, 'सन्धियों' के नाम से संबोधित किये जाने के लिये बनाया जा चुका भी हो, विधि के अनुसार ऐसे कार्य हैं जिनसे अधिकार तथा कर्तव्य उत्पन्न होते हैं ।"

अब विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों के सम्बन्ध में समझौता पर विचार करना शेष रह गया है । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने समुक्त राष्ट्र की सेवा में सही हुई हानियों के लिये क्षतिपूर्ति वाले मामले में, अनुच्छेद १०५ में यथाव्यवस्थित, सच के अधीन सच के अधिकारों का उपभोग करने तथा कर्तव्य को पालन करने की क्षमता के विषय में निर्देशित करते हुए यह घोषित किया कि चार्टर में सच तथा उसके सदस्यों के बीच सविदा करने की व्यवस्था की गई है तथा सच एक बड़ी मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व तथा क्षमता रखता है जिससे वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य कर सके (Clive Parry Article in Br. Year Book of I. L. 1949, F 108 at p 127)

सविदाकारों में पारस्परिक सहमति — चूंकि सन्धि एक प्रकार का समझौता है, अस्तु सविदा के पक्षकारों में परस्पर विचारों की सहमति होना चाहिए । यह सहमति कुछ चिह्नों, कथित शब्दों या लिखित शब्दों के रूप में होना चाहिए । पक्षकारों को पारस्परिक सहमति का होना आवश्यक है । केवल एक पक्ष प्रस्ताव कर दे और दूसरा उसे न माने तो यह सन्धि नहीं कही जा सकती है । यह दूसरे पर बन्धनकारी नहीं है ।

सविदायें तथा संधियाँ (Contracts and Treaties) — नागरिक विधि में सविदा स्वीकारित है जो विधि के अनुसार लागू की जा सकती है ।

एक राज्य के नागरिकों के बीच की जाती हैं। इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ वे स्वीकारोक्तियाँ हैं जो उनके बीच स्थित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से उत्पन्न होने वाले भिन्न-भिन्न व्यवहारों को पूर्ण करने के प्रयोजन से की जाती हैं।

वैयक्तिक सविदाओं में स्वतंत्र प्रस्ताव तथा स्वतंत्र स्वीकृति होनी चाहिये और इससे अतिरिक्त ठोस परिणाम होना चाहिये। तदनुसार नागरिक विधि में सम्मति की स्वतंत्रता प्रत्येक स्वीकारोक्ति की वैधता के लिये सारभूत और सविदाएँ जा किसी बन्धन के अधीन प्राप्त की गई हैं अथवा धमकी देकर या बलपूर्वक प्राप्त की गई हों, पक्षकारों पर बन्धनकारी नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में बन्धन कुछ परिमाण तक सन्धियों के करने में स्वीकृत किये गये हैं। युद्ध के अन्त में विजयी राज्य ऐसी स्थिति में रहता है कि वह जिन शर्तों को चाहे लिखा ले। पराजित राज्य को वे शर्तें माननी ही पड़ती हैं। पराजित राज्य की दयनीय दशा के कारण कोई भी सन्धि जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी, कुछ न कुछ बल प्रयोग का धब्बा अवश्य होगा। हाल (Hall) भी इस विचार से सहमत है कि "अन्तर्राष्ट्रीय विधि में बलप्रयोग तथा धमकी अपकारों के प्रतिकार के लिये अनुज्ञात साधन हैं, तथा यह असम्भव है कि अनुज्ञात साधनों को स्वीकारोक्ति को भंग करने वाला माना जाय जब वे (स्वीकारोक्तियों) उनके (साधनों के) प्रयोग में की जाय, जिनसे प्रतिकार की व्यवस्था की गई है।" ह्यूटन के भी विचार उसी के अनुसार हैं "समाज का कल्याण इस बात की अपेक्षा करता है कि किसी राज्य द्वारा ऐसे बन्धन के अधीन, जैसा इसके सैन्य बलों के पराजय, इसकी जनता के वध तथा इसके क्षेत्रों के शत्रु द्वारा दखल किये जाने के कारण, वे बन्धनकारी माने जायें, क्योंकि यदि ऐसे न माने जायें तो युद्धों का अन्त केवल दुर्बल पक्ष के सम्पूर्ण दमन तथा नाश से ही हो सकता है। और न राज्यों के बीच अपर्याप्त प्रतिकार अथवा सन्धि की शर्तों की असमानता जैसा अलोक व्यक्तियों के बीच की सविदा का भंग करने के लिये भारी असमानता अथवा अपकार के कारण पर्याप्त होती, सन्धि के निष्पादन को असंभव करने के लिये पर्याप्त कारण होती है।"

वर्साई की सन्धि इसका एक उदाहरण है जहाँ सन्धि करने के बिना किसी बहाने जर्मनी पर शर्तें आरोपित की गई थी। जर्मन प्रजातंत्र वर्साई सन्धि की दुसह शर्तों तथा प्रतिबन्धों को स्वीकार करने के लिये बाध्य किया गया, केवल इसलिये कि मित्र तथा संयुक्त सरकारों का बल घबड़ा देने वाला था और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बीज का वपन हुआ।

यह भी स्मरण रहे कि सम्राट् अथवा राजनयिक अभिकर्ता के विरुद्ध शक्ति-रूप में बल-प्रयोग अथवा धमकी देकर की गई सन्धि बन्धनकारी नहीं है।

बर्नहेड का कथन है कि "सन्धिकर्ता को डराकर उसे मानने को बाध्य करने के लिए सम्मेलन के कमरे में सैनिक बल का प्रवेश कराना उससे इस प्रकार बलपूर्वक प्राप्त की गई स्वीकारोक्ति का भ्रवेष कर देगा।" (to introduce an armed force into the Conference Chamber for terrorising a negotiator into submission would invalidate the agreement extorted from him—Lord Birkenhead.)

यदि सहमति किसी सारपूर्ण गलती पर आधारित हो अथवा धोखा या मिथ्या-वर्णन के कारण दी गई हो तो इसके अनन्तर नागरिक विधि की सिद्धियों के समान सन्धियाँ बन्धनकारी नहीं होती।

संयुक्त राष्ट्र सभ के स्थापन ने विश्व के लोगों के हृदयों में बड़ी-बड़ी माया उत्पन्न कर दी हैं तथा यह आशा करनी चाहिये कि सन्धियों के करने के विषय में राज्या के कार्य की स्वतन्त्रता को अनुचित दबाव, धमकी अथवा बल-प्रयोग द्वारा सामित करने का बहुत ही कम अवसर होगा।

चार्टर से असंबद्ध तथा अनैतिक सन्धियाँ :—संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद १०३ में यह दिया गया है कि विरोध की दशा में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन कर्तव्य उनके किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अधीन कर्तव्यों से अधिक प्रबल होंगे। इसके अनुसार जहाँ तक वे चार्टर के सिद्धान्तों से असंगत हैं, सन्धि के अधीन कर्तव्य वैध नहीं होंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रथा के अनुसार यह स्वीकृति है कि वे अनैतिक कर्तव्य पक्षकारों पर बन्धनकारी नहीं होते जो सधियों अथवा सार्वजनिक रीति के विरुद्ध सधियों द्वारा लागू किये गये हों।

संवैधानिक आवश्यकतायें :—पूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों की दशा में सधि करने की शक्ति राज्यों के अध्यक्ष तथा उनके अभिकर्ताओं के ऊपर रहती है। उन दशा में जब वे अपने-अपने राज्यों की नागरिक विधि द्वारा किये गये संवैधानिक सीमितियों का उल्लंघन करें, वे पक्षकारों पर बन्धनकारी नहीं मानी जातीं। कुछ राज्यों में जैसे ब्रिटानिया में सन्धि का करना एक प्रशासकीय कार्य है किन्तु उनके पालन करने में यदि उनसे वर्तमान घरेलू विधि में परिवर्तन होता है तो संवैधानिक कार्य अपेक्षित है।

सन्धियों का करना :—सन्धियों के करने के लिये कोई विशिष्ट प्राण नहीं है। राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच की मौखिक स्वीकारोक्ति, जिनको समझौता-वार्ता करने का भार सौंपा गया हो तथा जिन्हें अपने-अपने देशों को बाध्य करने के लिये सशक्त किया गया हो, बाध्यकारी प्रभाव रखने के लिये पर्याप्त होता है यदि

प्रतिनिधियों का यह आशय हो कि वैधिक रूप से वाध्यकारी व्यवहार किया जाय । फिर भी' विवेचनीय प्रश्नों के असाधारण महत्व के कारण यह आवश्यक होता है कि नियमानुसार अपेक्षित बातों का पालन किया जाय तथा स्वीकाराक्ति का प्रलेख में परिवर्तित कर दिया जाय ।

सन्धि करने में जो भिन्न-भिन्न कार्यवाहियाँ करनी पड़ती हैं वे निम्नलिखित हैं —

१. प्रतिनिधियों का प्रत्यापन (Accrediting of Representatives) :— समझौता वार्ता चलाने वाला प्रत्येक राज्य एक प्रतिनिधि अथवा पूर्ण शक्तियुक्त दूत इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करता है । उसको वैदेशिक मामलों के मन्त्री द्वारा प्राप्त एक प्रलेख मिलता है जिसमें उसका प्राधिकार उन समझौता-वार्ता वा चलाने के लिये लिखा रहता है और जिसको पूर्ण शक्ति कहते हैं । ऐसा ही प्रलेख जब वह सम्राट् द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तथा "बड़ी मुद्रा" से मुद्राङ्कित किया जाता है तो यह "विशिष्ट पूर्ण शक्ति" कहा जाता है ।

२. वार्ता (Negotiation) — अपना कार्य आरम्भ करने के पूर्व दोनों पूर्ण शक्तियुक्त राजदूत अपनी-अपनी पूर्ण शक्तियों की अथवा उनके प्रतिलिपियों की बदला-बदली कर लेते हैं । तब वे समझौता वार्ता आगे बढ़ाते हैं और अन्तिम मसौदा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये तैयार करते हैं ।

३. हस्ताक्षर (Signature) — जब सन्धि का अन्तिम मसौदा बन जाता है तो प्रलेख हस्ताक्षरित होने के लिये तैयार हो जाता है । हस्ताक्षर यथारूप अन्तिम बैठक में किया जाता है । यदि पक्षकार उनके सत्याकन के अधीन न करना चाहे तो सन्धि सामान्यतः सविदाकार राज्यों के पूर्ण अधिकारयुक्त दूतों के हस्ताक्षर होने पर लागू होती है ।

४. सत्याकन (Ratification) — अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि का उसके पक्षकारों द्वारा स्वीकृत करने का कार्य है । अन्य शब्दों में सत्याकन यह प्रकट करता है कि वह सन्धि अनुसमर्थित कर दी गई है जो भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई है । जब तक सन्धि का देश के संविधान के अन्तर्गत उचित प्राधिकारी द्वारा सत्याकन नहीं किया जाता, तब तक इसमें वैधता तथा प्रामाणिकता का अभाव रहता है । यद्यपि सन्धियाँ बाद में पुष्ट की जाती हैं, फिर भी उनके वैध प्रभावों के होने की तिथि हस्ताक्षर के क्षण से ही मानी जाती है । हस्ताक्षर तथा वास्तविक सत्याकन के बीच का समय सन्धि के पक्षकार राज्यों को इसलिये दिया जाता है कि वे उस विषय पर विचार करें तथा स्वीकाराक्ति को किन्हीं वैध कारणों से पुष्ट अथवा सत्याकन करने से अस्वीकार कर दें । इससे उनको यदि आवश्यक हो तो

संसद की स्वीकृति प्राप्त करने तथा अन्य प्रकार से जनमत प्राप्त कर लेने का अवसर भी प्राप्त होता है। किसी संधि का सत्याकन करने से अस्वीकार करने के कारण मनमाने अथवा अस्थिर न होने चाहिये। किसी संधि का सत्याकन निम्नलिखित कारणों से रोका जा सकता है —

(१) यदि प्रतिनिधि अथवा पूर्णशक्तियुक्त राजदूत ने उसको प्रत्यक्ष शक्ति की सीमा से बाहर कार्य किया हो।

(२) यदि तथ्य के विषयो में उसके साथ धोखा किया गया हो।

(३) यदि संधि के अधीन कर्तव्यों का पालन करना असम्भव हो जाय।

(४) यदि एक ही विषय के सम्बन्ध में (consensus ad idem) संधि सहमति न हो।

सत्याकन का प्राख्य के लिये जैसा ऊपर कहा गया है कोई स्पष्ट नियम नहीं है। यह प्रकट रूप से अथवा अप्रकट रूप से किया जा सकता है। प्रायः सत्याकन निग्रहों के साथ किया जाता है। ऐसे निग्रहों के लिये इससे पूर्व कि संधि बंधनकारी प्रभाव रख सके, संधि के अन्य पक्षकार राज्यों की सहमति नियमानुसार इच्छित होती है।

द्विपक्षीय संधियों में सत्याकन के प्रतिबन्ध :—जैसा कि ऊपर कहा गया है सत्याकन सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने का कार्य है। दूसरे शब्दों में सत्याकन के अन्तर्गत संधि में प्रविष्ट हुए राज्यों के प्रतिनिधियों की ओर से संधि के पुष्टीकरण को सत्याकन (ratification) कहते हैं किन्तु यदि यह सत्याकन अथवा अनुसमर्थन कुछ शर्तों पर प्रतिबन्धित है तो संधि के प्रतिबन्ध ही बदल जायगी। ओपेनहेम का कथन है कि प्रतिबन्ध एक प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दूसरे प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है इसलिए सिद्धान्त रूप में आवश्यक प्रतीत होता है कि दूसरा पक्ष प्रकट या सम्बद्ध रूप में इस प्रतिबन्ध को स्वीकार करे।

बहुपक्षीय अभिसमय (Multilateral Conventions) :—बहुपक्षीय अभिसमयों के प्रसंग में, जो कि विधि-विधायक ढंग की हैं और जो आवश्यक रूप से समान सिद्धान्त प्रस्तुत करती हैं, पक्षकारों के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की जाती है, इसलिए यहाँ भी वही सामान्य सिद्धान्त लागू होने जो द्विपक्षीय संधियों में होते हैं।

५. अधिमिलन तथा ससक्ति (आसंजन) (Accession and Adhesion) — कोई तीसरा राज्य वर्तमान संधि या पक्षकार अधिमिलन द्वारा

सकता है। यह या तो तीसरे राज्य के प्रारम्भिक पक्षकारों की सहमति से नियम-पूर्वक सम्मिलन द्वारा होता है, अथवा जैसा ओपेनहेम का कथन है "अन्य राज्यों के बीच में हुई संधि के सम्यक् रूप से पालन के लिये प्रतिभूति होने के प्रयोजन से पक्षकार होकर" जिसके द्वारा सम्मिलन करने वाला राज्य भी संधि का पक्षकार हो जाता है।

सत्ति या आसजन से एक तीसरे राज्य का केवल कुछ शर्तों अथवा सिद्धान्तों के लिये, जो संधि का भाग हैं, किसी वर्तमान संधि में अधिमिलन प्रकट होता है।

६. संधियों का प्रवर्तन (Coming into force of treaties) —संधि का यदि सत्याकन आवश्यक न हो तो वह हस्ताक्षरित होने के दिनारू से लागू हो जाती है। सत्याकन की दशा में संधि हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के सत्याकनों को जमा करने का उपरान्त लागू होती है। बहुपक्षीय संधियाँ नियत सख्या के सत्याकनों के जमा किये जाने के उपरान्त लागू होती हैं।

७. पंजीकरण (Registration) —इस प्रकार सत्याकित होने के उपरान्त संधि को अन्तर्राष्ट्रीय सच के मुख्यालय में पंजीकृत कराना पड़ता है। लीग के कावेनेन्ट (Covenant) के अनुच्छेद १८ में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक संधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अभियुक्ति लीग के सचिवालय में पंजीकृत करना चाहिए तथा उसके द्वारा यथासम्भव शोधातिशोघ्न प्रकाशित करना चाहिए। इस प्रकार की कोई संधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अभियुक्ति किसी राज्य पर उस समय तक बन्धनकारी नहीं होती जब तक वह इस प्रकार पंजीकृत न किया जाय। इसका यह अर्थ हुआ कि विवाद की दशा में संधि पर यदि वह पंजीकृत न हुई तो विश्वास नहीं किया जा सकता। समुक्त राष्ट्र सच के चार्टर में अभिसन्धिदाओं का भी वही प्रभाव है। चार्टर के अनुच्छेद १०२ में यह दिया गया है कि —

(१) "वर्तमान चार्टर के लागू होने के उपरान्त प्रत्येक संधि तथा प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धिदा जो समुक्त राष्ट्र सच के किसी सदस्य द्वारा की जाय, यथासम्भव शोधातिशोघ्न सचिवालय में पंजीकृत की जायगी तथा उसके द्वारा प्रकाशित की जायगी।

(२) ऐसी संधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धिदा का, जो इस अनुच्छेद के खंड (१) के अनुबन्धों के अनुसार पंजीकृत नहीं है, कोई पक्षकार, उस संधि अथवा सन्धिदा को कोई सहायता समुक्त राष्ट्र सच के किसी अंग के समक्ष नहीं ले सकता है।"

अनुच्छेद १०२ का द्वितीय भाग राज्यों को किसी गुप्त संधि को विश्वसम्मति के कटघरे के समक्ष लाने से स्पष्टतया वर्जित करता है। रजिस्ट्री न कराने का

प्रभाव केवल यही तक सीमित है कि संधि के पदाकार सयुक्त राष्ट्र के किसी अंग के समक्ष उसकी सहायता की प्रार्थना नहीं कर सकते ।

८. संधि का राज्य-विधि में निगमन :— संधि की अंतिम स्थिति उसके संविदाकार राज्यों की नागरिक विधियों में वास्तविक निगमन है जहाँ ऐसा संपोषक बन्धनकारी प्रभाव रखने के लिये आवश्यक हो ।

अवैध संधियाँ :— अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार संधियाँ निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के आधार पर अवैध मानी जा सकती हैं :—

(१) जहाँ संधि का उद्देश्य अवैध हो । संधियाँ जिनमें अनैतिक कर्तव्यों की शर्त हो, आरम्भ से ही प्रभावहीन होती हैं ।

(२) जहाँ संधि करने में पक्षकारों के साथ धोखा अथवा मिथ्याख्यापन किया गया हो ।

(३) जहाँ धमकी देकर, अनुचित दबाव डालकर अथवा भय दिखाकर संधि कराई गई हो ।

(४) जहाँ संधि करने में धोखे से उत्पन्न हुई कोई गलती हो गई हो ।

(५) जहाँ संधि में ऐस कर्तव्यों की व्यवस्था की गई हो जिनका कला असम्भव हो ।

(६) जहाँ संधिकर्ता पक्षकारों की स्थिति ही उनको अयोग्य बना देती हो ।

(७) जहाँ सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों का उल्लंघन करती हैं अथवा चार्टर के सिद्धान्तों को गौरवहीन करती हो ।

सन्धिया की समाप्ति :— सन्धियाँ निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण समाप्त हो सकती हैं :—

(अ) उस विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर जिसके लिये सन्धि की गई थी ।

(आ) जब सन्धि का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो गया हो । उन सन्धियों की दशा जिनमें निरन्तर जारी रहने वाले कर्तव्य न आरोपित किये गये हो, वे (संधियाँ) उद्देश्य के पूर्ण होने के उपरान्त लागू नहीं होती ।

(इ) सन्धि के पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से । किसी सन्धि के पक्षकार उसके स्वामी हैं, अतः यदि पारस्परिक सहमति से वे संधि को समाप्त करना चाहें अथवा संधि में उसके किसी एक पक्ष का अथवा सब पक्षों को संधि-भंग का एक-पक्षीय अधिकार दिया गया हो तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि उनके मार्ग में कोई रोड़े नहीं भरकाती ।

(ई) कुछ आवश्यक शर्तों का न पूरा करना । यदि सन्धि में कुछ आवश्यक शर्तों के पालन करने में असफल रहने की दशा में प्रतिस्पर्धी राज्यों में से किसी एक

अथवा सब राज्यों को सन्धि भंग करने का एक-पक्षीय अधिकार दिया गया हो, तो ऐसा घटित होने पर सन्धि समाप्त हो जाती है।

(उ) जब सन्धि के कर्तव्य सयुक्त राष्ट्र के चार्टर से असंगत हो जायें। अनुच्छेद १०३ में यह विशिष्टतया प्रतिबन्धित है कि सयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के कर्तव्यों तथा उनके अन्य सविदाभा के अन्तर्गत कर्तव्यों का विरोध की दशा में उनके कर्तव्य या चार्टर के अधीन हैं, प्रबल रहेंगे।

(ऊ) जब सविदाकार पक्षकारों के बीच युद्ध छिड़ जाय। फिर भी आधुनिक मत यह है कि युद्ध छिड़ना सन्धि का अश्वमेव ही भंग नहीं कर देता। [Techt v. Hughes, (1920) 229 N. Y. 222].

(ए) जब कि सविदाकार पक्षकारों में से कोई एक अधिमिलन अथवा सम्मेलन द्वारा वितण्डित हो गया हो। सयुक्त राज्य अमेरिका तथा त्रिपोली के बीच सन्धि का अस्तित्व समाप्त हो गया जब त्रिपोली इटली द्वारा सन् १९१२ में मिला लिया गया।

(ऐ) प्रबल शक्ति (Force Majeure) तथा कार्य करने की असंभाव्यता। रूस का क्षतिपूर्ति वाला मामला (Russian Indemnity Case, Permanent Court of Arbitration, 1912, No XI) जो रूस तथा टर्की के बीच हुआ था उसमें पचायत के स्थायी न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि प्रबल शक्ति (vis major) के अपवाद की अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय तथा वैयक्तिक विधि में की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अपने को राजनैतिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना चाहिये। रूस ने तुर्की के इस तर्क के साथ कि "यदि राज्य का अस्तित्व ही सकटग्रस्त हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना सम्बन्धित राज्य के प्रति आत्म-घातकारी हो तो राज्य की सन्धियों की शर्तों को पूरा करने के कर्तव्य हट जाने चाहिये", यद्यपि सहमति प्रकट की तथापि उस (रूस) ने यह बहस किया कि सन् १८८१ से १९०२ तक तुर्की में अत्यन्त भयंकर आर्थिक सकट रहे लेकिन फिर भी उस अधि के भीतर तुर्की को अन्य ऋणों तथा सार्वजनिक ऋण के एक बड़े भाग को चुकाने के लिये अनुकूल दरो पर ऋण प्राप्त हो सका। न्यायालय रूस के इस तर्क से सहमत हो गया और उसने मत प्रकट किया कि रूसी दावेदारों को एक छोटी सी साठ लाख फ्रैंक की धनराशि देने को बाध्य किये जाने से तुर्की के राज्य का अस्तित्व न तो सकटग्रस्त हुआ और न उसकी आन्तरिक अथवा बाह्य स्थिति किसी प्रकार से हीन हुई। अतः तुर्की द्वारा उठाया गया प्रबल शक्ति का अपवाद नहीं माना गया।

(शो) तदवस्था का सिद्धान्त (Rebus sic stantibus)। इस सिद्धान्त का यह अर्थ है कि जब किसी राज्य का अस्तित्व अथवा विकास उसके सन्धि के अन्तर्गत के कर्तव्यों के अपरिहार्य विरोध में हो तो राज्य तथा उसके अति आवश्यक अभ्युत्थानों के अनुसार आत्मसंरक्षण तथा विकास के लिये सन्धि के कर्तव्य शिथिल हो जाने चाहिये। प्रोफेसर हॉल इस सिद्धान्त से सहमत होते हुये कहते हैं कि "अतः सन्धि ज्योंही राज्य के जीवन के लिये भयावह हो जाती है, अथवा उसकी स्वतन्त्रता में असंगत हो जाती है तो वह निष्प्रभाव हो जाती है, इस अनुबन्धन के साथ कि इनके करने के समय दोनों सविदाकार पक्षकारों का आशय उसके हानिकारक प्रभावों से नहीं रहा है। "A treaty, therefore, becomes voidable so soon as it is dangerous to the life or incompatible with the independence of a State, provided that its injurious effects are not intended by the two contracting parties at the time of its conclusion."—Professor Hall

इस सम्बन्ध में लौरन्स का यह मत है कि "यह बात निश्चित है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्य के कुटुम्ब के किसी प्रतिकूल चलने वाले सदस्य को जो अपने प्राचीन-ग्रन्थरक्षा गृह से किसी अप्रचलित सन्धि को निकाल सके और हस्तान्तरण करने वाली अन्य शक्तियों की इच्छा के विरुद्ध उसकी शर्तों को पूरा करने का हठ रखे अपने विशेषाधिकार द्वारा उन्नति में रोड़ा अटकाने का अधिकार नहीं देती है। "International law certainly does not give a right of veto on political progress to any reactionary member of the family of nations who can discover in its archives some obsolete treaty, on the fulfilment of whose stipulations, it insists against the wishes of all the contemporary signatory powers."—Lawrence.

इस प्रकार प्रत्येक सन्धि में यह प्रतिबन्ध व्यक्त है कि सविदाकार पक्षकारों को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण राज्य का सतत अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में भय में हो तो वे सन्धि लागू किये गये कर्तव्यों से उन्मुक्त किये जाने की माँग करें।

रूस द्वारा पेरिस की सन्धि १८५६ की सन्धि के उस भाग के अंग के अन्तर्गत में जो वाले समुद्र के तटस्थीकरण क तथा रूस के ऊपर वाले समुद्र में सन्धि रखने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाने के विषय में था, शक्तियों ने १८७० में सन्धि किया कि तदवस्था के सिद्धान्त (rebus sic stantibus) के अन्तर्गत सन्धि लागू करने के लिये आधार रूप में माँगी जा सकती थी किन्तु यह कथन कि रूस एक पक्षीय रूप से सन्धि भंग नहीं कर सकता था।

सन्धियों का पुनरीक्षण :—सन्धियों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में लीग आफ नेशन्स के कावनेट (१९२०) के अनुच्छेद १९ में यह व्यवस्था की गई थी :—

“समा समय-समय पर उन सन्धियों को जो लागू करने के अयोग्य हो गई हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय दशाओं को जिनका जारी रहना विश्व-शान्ति के लिये भयप्रद हो विचार करने के लिये लीग के सदस्यों को परामर्श दें ।”

इसमें सन्देह नहीं कि इस अनुच्छेद में सन्धियों में जो एक नई स्थिति के उत्पन्न होने के कारण लागू रहने के अयोग्य हो गई है परिवर्तन करने तथा उनको रद्द करने की अनुमति दी गई है किन्तु सन्धि केवल उसी दशा में पुनरीक्षित हो सकती थी जब ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एकमत से निर्णय प्राप्त हो सके । अतः कावनेट के अनुच्छेद १९ द्वारा तदवस्था के सिद्धान्त (rebus sic stantibus) के खड को पुष्ट किया गया लेकिन साथ ही उसे एकपक्षीय रूप से लागू करने के किसी दावे को अस्वीकृत किया गया । उस अनुच्छेद में केवल उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण को सामने रखने का अवकाश देने की व्यवस्था की गई है जो सन्धि का पुनरीक्षण चाहते थे । लीगेस का कथन है कि यह सम्मति को जाँचने के साधनरूप में लाभदायक है । समझौता, जाँच तथा समझाने-बुझाने से सन्धि में परिवर्तन करने की रीति अवश्य ही असफल रहेगी क्योंकि इसमें उन आवश्यक बातों का अभाव है जो एक राष्ट्रीय सभ में होती हैं जिसके द्वारा मानव-जाति को शान्ति, सुरक्षा तथा सुख के हित में पुनरीक्षण चाहने वाले बहुमत को इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है ।

गत शताब्दी से यह सम्मति जोर पकड़ती जा रही है कि परिस्थितियों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के होत ही राज्य को तदवस्था के सिद्धान्त (rebus sic stantibus) के आधार पर तत्काल ही सन्धि के अन्तर्गत कर्तव्यों को भंग करने का अधिकार न मिलना चाहिये, किन्तु उसे उनसे उन्मुक्त किये जाने का अधिकार केवल सन्धि के अन्य पक्षकार अथवा पक्षकारों की सम्मति से ही मिलना चाहिये । यही प्रक्रिया तुर्की द्वारा सन् १९३६ में की गई जब उसने यूरोप की राजनैतिक तथा सैनिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के कारण हार्डेनेलोज तथा वास्फोरस खाडियों सम्बन्धी सन् १९२३ की लीसाने की सन्धि को समाप्त करना चाहा । तुर्की प्रार्थना पर भौट्रो में सन् १९३६ में सम्बन्धित राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसने एक नई सन्धि करके पहली सन्धि को समाप्त कर दिया ।

सयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर में कावनेट के अनुच्छेद १९ के समान सन्धियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है । चार्टर में इससे सम्बद्ध अनुच्छेद १०३ है जिसमें यह लिखा है कि :—

“सयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के कर्तव्यों के वर्तमान चार्टर तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकार-पत्रों के अधीन कर्तव्यों के विरोध की दशा में उनके वर्तमान अधिकार के अधीन कर्तव्य प्रबल रहेंगे।”

इस सम्बन्ध में चार्टर के अनुच्छेद १४ की अभिसन्धिदाये भी ध्यान देने योग्य हैं, जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि सामान्य सभा की सम्मति में उससे राष्ट्र का सामान्य-हित अथवा उनके बीच के मित्रता के सम्बन्धों में बाधा पड़ती हो तो सामान्य सभा किसी स्थिति में शान्तिपूर्ण समाधान के लिये उपायों का अभिस्तार कर सकती है चाहे वह स्थिति किसी प्रकार उत्पन्न हुई हो। सामान्य-हित के विचार से सन्धि का पुनरीक्षण आवश्यक हो सकता है। उसी प्रकार से यदि संधियाँ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दे जिनसे सभा की राय में सामान्य-हित अथवा राज्यों के बीच की मित्रता के सम्बन्धों में बाधा पड़ती हो तो वह ऐसी स्थितियों के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकती है। ऐसी सिफारिशें सामान्य सभा द्वारा अनुच्छेद १० के अधीन भी की जा सकती हैं जिनके अनुसार सयुक्त राष्ट्र संघ को वर्तमान चार्टर के क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रश्न अथवा विषय के विवेचन की शक्ति दी गई है तथा कोई भी स्थिति जिससे सामान्य-हित अथवा राज्यों के बीच की मित्रता के सम्बन्धों में बाधा पड़ती हो चार्टर के क्षेत्र के भीतर आता है।

आंग्ल-मिश्रीय (ब्रिटेन तथा इजिप्ट के मध्य की) सन् १९३६ की संधि.—सन् १९३६ में इटली ने ऐबीसीनिया पर कब्जा कर लिया तथा अपने नीत नदी के चारों ओर के उपनिवेशों में बड़ी भारी सेनाएँ भेजी। प्रसाधारण स्थिति के कारण इजिप्ट ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ सहयोग करने को हाथ बढ़ाया तथा अगस्त २६, सन् १९३६ को ग्रेट ब्रिटेन तथा इजिप्ट के बीच सहयोग की संधि हो गई जिसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन को स्वेज नहर के समीप नहर की रक्षा के लिये सेनाएँ रखने दिया गया। यद्यपि स्वेज नहर इजिप्ट का अन्तर्गत भाग माना जाता था फिर भी परिस्थितियों के कारण ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी। सन् १९५० में इजिप्ट ने यह माँग प्रस्तुत की कि ब्रितानिया की सेनाएँ स्वेज नहर से तत्काल हटा ली जावें तथा सूडान को इजिप्ट के सम्राट के अधीन कर दिया जाय। इस पर वैदेशिक विभाग के सचिव मिस्टर अर्नेस्ट बेविन ने उत्तर दिया कि ब्रितानिया का कोई इरादा मध्य पूर्व को अस्थिर दशा में छोड़ कर चले जाने का नहीं है और इस पर महत्व दिया कि सन्धि रूपभेदित अथवा पुनरीक्षित करने का, पारस्परिक सहयोग से अन्य और कोई बन्ध नहीं है। इजिप्ट का यह दावा था कि सन् १९३६ की संधि अपने प्रदान अधिक दिनों तक जीवित रह गई है तथा सयुक्त राष्ट्र संघ को सब देशों को स्वीकारना चाहिये तथा उसको मध्यपूर्व के सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा

करनी चाहिये तथा यह उसी दशा में किया जा सकता है जब ब्रितानिया का बला-त्कार मध्यपूर्व में समाप्त कर दिया जाय ।

इजिप्ट ने सन् १९३६ की सन्धि तथा १८९९ का सूदान का सहाराज्य-सम-झौता-पत्र (Condominium agreement) को सन् १९५१ में भंग कर दिया ।

ब्रिटेन और इजिप्ट में ब्रितानिया की सेनाओं को स्वेज नहर क्षेत्र से हटाने के सम्बन्ध में जुलाई २७, सन् १९५४ को समझौता हो गया जिसके द्वारा ब्रितानिया की सेनाओं को हटाने का कार्य बीस मास में पूर्ण कर दिया जाने को था । इस बात की व्यवस्था कर दी गई कि अरब राज्य अथवा तुर्की पर आक्रमण की दशा में अड़्डे को पुनः चालू कर दिया जायगा । नई सविदा की अवधि सात वर्ष की थी ।

एक जनवरी १९५७ को राष्ट्रपति नसीर ने ब्रितानिया से की हुई १९५४ की संधि को रद्द कर दिया । ब्रितानिया ने पुनः इजिप्ट के इस एकपक्षीय अधिकार को अस्वीकृत किया ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि संधियों के पुनरीक्षण की शक्ति एक अन्तर्राष्ट्रीय सभ के हाथ में देना चाहिये क्योंकि सम्बन्धित पक्षकारों की सम्मति से पुनरीक्षण प्राप्त करने की संभावना बहुत कम रहती है । लीग के कावनेण्ट के अनु-च्छेद १९ में इस दिशा में एक सिविल प्रयत्न था तथा सयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर इन विषयों को और अधिक आगे नहीं ले जाता है ।

संधियों की व्याख्या :—अन्तर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या के नियम जिनको भिन्न-भिन्न न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों द्वारा प्रशंसा की गई है निम्न-लिखित प्रकार में सक्षित किये जा सकते हैं :—

(१) सब संधियों की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिये जिससे मूल के प्रत्येक शब्द का कारण तथा अर्थ निकले (लाइट होस वाला मामला) ।

(२) यदि संधि दो भाषाओं में लिखी हो जिससे कुछ परस्पर विरोधी अर्थ निकलता हो तो वह व्याख्या ग्रहण करनी चाहिये जो पक्षकारों की इच्छा तथा दोनों पाठों के अनुरूप हो ।

(३) किसी संधि के अनुबन्धों का ऐसा संकुचित अर्थ नहीं करना चाहिये जिससे किसी राज्य की सार्वभौमिक सत्ता घट जाय ।

(४) जब कोई प्रलेख अस्फुट हो तो उसका अर्थ इस प्रकार का लेना चाहिये जिससे उसका आभार उस व्यक्ति पर कम पड़े जो सन्धि के अधीन भार वहन करने के उत्तरदायी हो ।

(५) यदि दो व्याख्यायें संभव हो तो वह व्याख्या जिससे पक्षकारों पर कम से कम कर्तव्य भार पड़ता हो ग्रहण की जानी चाहिये ।

(६) अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों की केवल व्याकरण के अनुकूल परिभाषा का स्थान पर रूक जानी चाहिये जहाँ से वह परस्पर विरोधी अथवा असंभव परिभाषा पर ले जाती हो अथवा जो पक्षकारों की इच्छा के ती हुई प्रतीत होती हो। (विम्बल्डन वाला मामला)

(७) संधि को सम्पूर्णतः पढा जाना चाहिये तथा इसका अर्थ केवल उनके किसी विशिष्ट वाक्यखण्ड पर ही निश्चित नहीं करना चाहिये यदि उस वाक्य का, सन्दर्भ से अलग किये जाने पर, एक से अधिक अर्थ निकलते हो।

(८) जब संधि में किसी अनुच्छेद का उद्देश्य साम्या (equity) का हो तो उसकी बहुत रूक्ष प्रकार से व्याख्या नहीं करनी चाहिये।

(९) अन्तर्राष्ट्रीय विधि में जब पक्षकारों के आशय के सम्बन्ध में संदेह तो ऐतिहासिक व्याख्या की रीति प्रयोग करने की अनुमति है। इसके अनुसार पक्षकारों के आशय को ज्ञात करने की अनुमति है। इसके अनुसार पक्षकारों के लिये जिनके अनुसार उन्होंने अपने आशय को प्रकट करने का प्रयत्न किया है बातचीत के इतिहास का परीक्षण किया जाता है अथवा प्रारम्भिक कार्य का निर्देश किया जाता है।

(१०) ऐसी व्याख्या जिससे संधि के अनुबन्ध निरर्थक अथवा प्रभावहीन हो जाय, अंगीकार करने योग्य नहीं है।

(११) संधि की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये जिससे वह प्रयोग भागे बड़े जिसके लिये यह की गई हो।

(१२) संधियों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये जिससे कि संभव हो तथा उनका प्रयोग सद-भावना से हो सके।

(१३) राजनैतिक तथा आर्थिक बातों का विचार जिनके अनुसार ही प्रारम्भ में की गई थी संधि की व्याख्या करने के समय किया जा सकता है।

अध्याय २३

मंत्री और व्यापारिक सन्धियाँ

(Alliances and Commercial Treaties)

मैत्रियाँ (Alliances) :—मैत्रीय संधि के वाक्य के अनुसार मैत्रियाँ जो वाक्य के अनुच्छेदों के विपरिणत थीं, स्वीकार की गईं। समस्त राष्ट्र महा के चार्टर में क्षेत्रीय व्यवस्थाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय और सुरक्षा की रक्षा करें, की स्थिति को सम्बोधित नहीं किया।

है। शर्त यही है कि ऐसी व्यवस्था या ऐसे अभिकरण अपने कार्यों के सम्पादन में संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सिद्धान्तों का उल्लंघन न करें। [अनुच्छेद ५२(१)]

संघ कारण (Casus Foederis) :—ओपेनहेम का कथन है कि संघ कारण वह घटना है जिसके घटित हो जाने पर यह एक परम आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि सम्मिलित इकाइयाँ एक दूसरे की सहायता करने के लिये कटिबद्ध हो गयी हैं। इस प्रकार किसी सुरक्षात्मक मैत्री में संघ कारण तब उपस्थित होता है जब कि मित्र राष्ट्रों में से किसी एक पर युद्ध की घोषणा कर दी जाती है अथवा युद्ध छेड़ दिया जाता है।

गारन्टी सन्धियाँ (Guarantee Treaties) .—प्रतिभूति या गारन्टी सन्धियाँ दो राज्यों के पारस्परिक अथवा एकपक्षीय समझौते को कहते हैं जब कि पक्षकारों में से कोई एक दूसरे पक्षकार के हित में कोई कार्य करने को वचनबद्ध होता है। यह गारन्टी सामूहिक भी हो सकती है जैसा कि लक्षमबर्ग की तटस्थता के सम्बन्ध में हुआ था।

व्यापारिक सन्धियाँ (Commercial Treaties) :—व्यापारिक सन्धियों का सम्बन्ध सविदाकार राज्यों के व्यापार और नीचालन से होता है। उनके अन्तर्गत वाणिज्य दूत तथा अन्य सम्बन्धित प्रसङ्ग आते हैं। पूर्ण प्रभुतासम्पन्न राज्य किसी भी व्यापारिक सन्धि में प्रविष्ट होने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं।

परम-मित्र-राष्ट्र धारा (Most-favoured-nation Clause) :—प्रविकाश व्यापारिक सन्धियाँ “परम-मित्र-राष्ट्र धारा” पर आधारित रहती हैं। इस परम-मित्र-राष्ट्र धारा की परिभाषा करते हुये ओपेनहेम ने लिखा है कि वे सभी पक्ष जो कि सविदाकारों ने भूतकाल में स्वीकार किया है या भविष्य में स्वीकार करेंगे जो कि किसी तीसरे राज्य के हित में होगा, वह दूसरे पक्ष को स्वीकृत किया जावेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में १९२३ तक इसका एक सीमित अर्थ लिया गया। इस अर्थ के अनुसार प्रतिभूति की शर्तों को पूरा करने पर ही यह स्वीकृत किया जाता था, तात्पर्य यह कि यदि पक्ष बिना किसी शर्त के दिया गया है तो दूसरे पक्षकार को भी बिना किसी शर्त के स्वीकार करना पड़ेगा। ओपेनहेम इस शर्तयुक्त पक्ष को इस कारण से न्याय उचित नहीं मानते कि इसमें अनेक आपत्तियाँ उठायी जा सकती हैं। पहली आपत्ति तो यह है कि यह कहना ही कठिन है कि समान अथवा बराबर मूल्य का प्रतिफल किस प्रकार स्थिर किया जाय। दूसरी आपत्ति यह है कि उन देशों के लिए यह ठीक न होगा जिनके ऊपर बहुत कम कर्तव्य आरोपित किये गये हैं और वे जिनके ऊपर बहुत से कर्तव्यों का भार सौंपा गया है। १९१९ के अमेरिकन टेरिफ कमीशन की सिफारिश तथा १९२२ के टेरिफ ऐक्ट के आधार पर

संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों के समतुल्य आ गया है कि वह परम विन-राष्ट्र व्यवहार के सिद्धान्त को बिना किसी शर्त के निगमिन करे।

कामनवेल्थ सदस्यों के बीच टैरिफ की जो प्रथा प्रचलित है वह परम-निन राष्ट्रधारा में सम्मिलित नहीं की गयी है क्योंकि उनका पारस्परिक सम्बन्ध एक विशेष प्रकार का है जो कि ऐसे सम्बन्धों का अन्तर्राष्ट्रीय न मानकर घरेलू मानता है।

अध्याय २४

अन्तर्राष्ट्रीय दुष्कृतियाँ और क्षतियाँ

(International Torts and Damages)

अन्तर्राष्ट्रीय दुष्कृतियों के प्रकार :—अन्तर्राष्ट्रीय दुष्कृति या तो एक राज्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दूसरे राज्य का अपकार करने से उत्पन्न होती है या दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रीय जनो के प्रति कुछ अपकार करने से होती है। दोनों मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व की उपस्थिति बनी रहती है। दो शर्तें अवश्य ही विद्यमान रहती हैं जब कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत किसी राज्य के राष्ट्रीय जनो को क्षति पहुँचती है। पहला दावे की राष्ट्रीयता (nationality of the claim) और दूसरा स्थानीय उपचारों की परिसमाप्ति (exhaustion of local remedies)।

दावे की राष्ट्रीयता :—राजनयिक कार्यों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रिया की शरण लेने का अधिकार अपने ही राष्ट्रीय जनो की मध्यस्थता में विद्यमान रहता है। इसका उद्देश्य अपने राष्ट्रीय जनो में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान उपस्थिति करना होता है क्योंकि राज्य और व्यक्ति के बीच में राष्ट्रीयता का प्रतिबन्ध यह है जिसके एकमात्र कारण से राज्य को राजनयिक सुरक्षा का अधिकार मिलता है (Panevezys Saldutisks Railway, 1939)।

स्थानीय उपचारों की परिसमाप्ति :—उपरोक्त प्रकार के दावे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के सम्बन्ध में 'यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि दुष्कृतियों के सम्बन्ध में स्थानीय उपचारों का परिसमापन कर बिना जाय जिससे राज्य अपने राष्ट्रीय जनो की ओर से दूसरे राज्य के विरुद्ध दुष्कृतियों का दावा कर सके। यह केवल प्रक्रिया का नियम नहीं है और न तो यह सामान्य आचरण का ही नियम है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मौलिक विधि का नियम है जिसे हम राज्य का राज्य से दायित्व (State to State responsibility) कहते हैं।'

है । यदि एक व्यक्ति को अपने प्रति की गई दुष्टियों का बदला मिल जाता है तो फिर अब राज्य का अधिकार नहीं रह जाता कि अपने राष्ट्रीय जनो की ओर से दूसरे राज्य के विरुद्ध दावा कर सके । जब तक कि उपचार की स्थानीय प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व नहीं उत्पन्न हो सकता ।

सामूहिक कार्यों का दायित्व (Liability for mob action).—यह निर्धारण करने में एक कठिनाई उत्पन्न होती है कि एक विदेशी व्यक्ति की क्षतियों के लिए कोई राज्य उत्तरदायी है अथवा नहीं, सामतौर से यदि यह क्षति सामूहिक हिंसात्मक कार्यवाहियों का रूप ले लेती है । अगर सामूहिक हिंसा की कार्यवाही सिद्ध हो जाती है तो राज्य का कोई दायित्व नहीं रह जाता किन्तु दूसरी ओर यदि यह सिद्ध हो जाता है कि यह क्षति राज्य के प्राधिकारियों की उपेक्षा या उदासीनता के परिणामस्वरूप हुई है और एक विदेशी को सम्पत्ति अरक्षित हुई है तो निश्चय ही इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य का दायित्व माना जायेगा ।

हारवर्ड रिसर्च (Harvard Research) ने यह एक सिद्धान्त निर्धारित किया था कि यदि किसी विदेशी को किसी व्यक्ति या सामूहिक हिंसा द्वारा क्षति पहुँचती है तो इसके लिए सम्बन्धित राज्य पर दायित्व होगा, किन्तु शर्त यह कि वह राज्य उस हिंसात्मक कार्यवाही को रोकने में उदासीन रहा हो । कुछ व्यक्तियों या किसी समूह द्वारा एक विदेशी पर क्षति पहुँचाये जाने के आधार पर राज्य का जो दायित्व आ जाता है, सिद्धान्त रूप में उस नियम से भिन्न नहीं कहा जा सकता कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गये कार्यों के दायित्व का नियन्त्रण राज्य ही किया करता है किन्तु यदि उस क्षति में किसी बहुत बड़े समूह का हाथ है तो क्षतियों को रोकने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है । विदेशियों के सम्बन्ध में राज्य के दायित्व के सिद्धान्त का निरूपण रिचार्ड ओलेनी (Richard Olney) जो अमेरिका के सेक्रेटरी आफ स्टेट थे, ने निम्नलिखित शब्दों में किया है :

“The general position is that the responsibility of an established government for acts committed by rioters or insurgents depends upon the failure of the constituted authorities to exercise due diligence for protection of alien property when in a position to protect it and the imminence of danger is known.” अर्थात् “साधारण स्थिति यह है कि लुटेरों द्वारा कारित किये गये कार्यों के प्रति किसी प्रस्थापित सरकार का उत्तरदायित्व सविधायिक प्राधिकारियों की उस असफलता पर निर्भर करता है कि वे विदेशी संपत्ति के संरक्षण में उस समय पूरी सतर्कता न कर सके, जब कि ऐसे खतरे का भावना हुआ कि उस संपत्ति का संरक्षण आवश्यक है ।”

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें

अध्याय २५

१. लीग ऑफ नेशन्स

(The League of Nations)

इसकी उत्पत्ति — लीग की स्थापना वसर्ग की सन्धि के अन्तर्गत जो विश्व तथा समुक्त राज्या और जर्मनी के मध्य हुई जून २८ सन् १९१९ को हुई। शान्ति सम्मेलन में कई मसौदों पर विचार किया गया और प्रतिज्ञा पत्र सम्मेलन द्वारा अप्रैल २८ सन् १९१९ को अंगीकृत किया गया। इसके अनुसार लीग एक २९ अनुच्छेद वाल प्रतिज्ञा पत्र के अधीन सन् १९२० में स्थापित की गई। यह प्रतिज्ञा-पत्र वसर्ग की शान्ति सन्धि तथा अन्य शान्ति संधियों का प्रथम भाग था। लीग की स्थापना किया जाना प्रेसीडेंट विल्सन के १४ बिन्दुओं (points) में से एक था किन्तु समुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने वसर्ग संधि का अनुसमर्थन अस्वीकार कर दिया जिसके कारण अमेरिका को लीग के बाहर रहना पड़ा।

सदस्य — लीग के सदस्य शान्ति-संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले विश्व राष्ट्र थे जिन्होंने बाद में अपनी संधियों का अनुसमर्थन किया—उदाहरणार्थ ब्रिटिश साम्राज्य, इटली, जापान, चीन, इत्यादि, तटस्थ राज्य जिन्होंने आरम्भ में ही लीग के प्रतिज्ञा पत्र को स्वीकृत कर लिया था अर्थात् स्विटजरलैंड, नॉर्वे, फारस, इत्यादि तथा वे राज्य जो प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १ के अनुबन्धों के अधीन सदस्य बने गये थे।

उद्देश्य — लीग के मुख्य उद्देश्य दो थे अर्थात् (१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाय रखना, तथा (२) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की उत्पत्ति और प्रतिज्ञापत्र की निम्नलिखित प्रस्तावना से प्रकट है।

‘उच्च सविदाकार पक्षकार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की उत्पत्ति के निमित्त तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा प्राप्त करने के लिये, युद्ध से विमुक्त रहने के कर्तव्यों को मान कर, राज्यों के बीच में सर्वसामान्य न्याय तथा सम्मानपूर्ण सम्बन्धों की व्यवस्था करके सरकारों के मध्य पारस्परिक व्यवहार के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विधि का समुचित ज्ञान के अनुसार आचरण ही को वास्तविक नियम मानकर तथा संगठित लोगों के पारस्परिक व्यवहार में न्याय तथा सजग सम्मान को स्थापन करने लीग ऑफ नेशन्स के इस प्रतिज्ञा-पत्र से सहमत हाते हैं।’

संविधान — लीग एक सभा, एक ससद तथा एक स्थायी सचिवालय से मिलकर बनी थी।

सभा (The Assembly) .—लीग की सभा की बैठक प्रतिवर्ष जेनेवा में होती थी । प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद ३ में यह व्यवस्था की गई थी कि लीग का प्रत्येक सदस्य सभा में तीन प्रतिनिधि भेज सकता था किन्तु सदस्यों में से प्रत्येक को केवल एक ही वोट का अधिकार था । सभा का अधिवेशन जनता के ममत्त होता था तथा इसके निर्णय एकमत से होने चाहिये थे यदि प्रतिज्ञा-पत्र में अन्यथा उपबन्धित न हो तो । सभा अपने अधिवेशनों में किसी विषय पर विचार कर सकती थी जो लीग के क्षेत्र के भीतर घाता हो अथवा जिससे विश्व-शान्ति पर प्रभाव पड़ता हो (अनुच्छेद २), परन्तु ऐसे भी विषय थे जो केवल परिषद् व विचार के लिये ही भेज रखे हुए थे और वे सभा द्वारा अपने अधिवेशनों में नहीं लिये जा सकते थे । प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद ५ के अनुसार सभा के किसी अधिवेशन में किये गये निर्णयों के लिये सभा में उपस्थित लीग के सब सदस्यों की स्वीकृति अपेक्षित थी । इसके अपवाद प्रक्रिया के विषय थे जिनके सम्बन्ध में निर्णय सभा में उपस्थित लीग के सदस्यों के बहुमत से किये जा सकते थे ।

परिषद् (Council) :—यह लीग की कार्यकारिणी समिति थी । प्रारम्भ में लीग की कौंसिल पांच मुख्य मित्र तथा सम्बन्धित शक्तियों जिनके स्थायी स्थान थे तथा चार अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों तक ही सीमित थी जो सभा द्वारा निर्वाचित होते थे, किन्तु संयुक्त राज्य की कांग्रेस ने वर्साई की संधि को सन् १९२० में अनुसमर्थन करने तथा लीग में सम्मिलित होने से अस्वीकार कर दिया । सभा के बहुमत की स्वीकृति से कौंसिल लीग के लिये और अधिव सदस्यों का नाम प्रस्तावित कर सकती थी जिनके प्रतिनिधि सदस्य के सदस्य होते थे । लीग के सदस्य का तदर्थ (ad hoc) प्रतिनिधित्व भी होता था जब उसके हित विचाराधीन होते थे किन्तु अनुबन्धन यह था कि उसका कौंसिल में नियमित प्रतिनिधित्व न हो । सन् १९२६ में कौंसिल का संगठन जर्मनी को लीग में प्रवेश करने तथा कौंसिल में एक स्थायी स्थान दिये जाने के कारण बदल दिया गया और अन्त में कौंसिल में भी ११ अस्थायी सदस्य हो गये जिनमें से तीन प्रत्येक वर्ष तीन वर्षों के लिये निर्वाचित होते थे ।

परिषद् भी लीग के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत के अथवा विश्व शान्ति पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय पर भी विचार कर सकती थी, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय थे जो केवल इसी के प्रसंग में थे यथा सेक्रेटरी-जनरल द्वारा की गई कर्मचारी गणों की नियुक्ति वा पुष्टिकरण, नि रक्षीकरण की योजनाओं का बनाना, प्रतिज्ञा-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण किसी सदस्य का निकालना, आदेशित प्रदेशों से व्यवहार तथा उनका निरीक्षण, इत्यादि । इसके

निर्णय सामान्यतः उन विषयों को छोड़ कर जो प्रक्रिया सम्बन्धी होते थे प्रथम जिनमें अन्यथा उपबन्धित होता था एवमत से होने चाहिए थे । सामान्यतः परिषद् का अधिवेशन वर्ष में तीन बार होता था ।

सचिवालय (The Secretariat) :—सचिवालय के सर्वोच्च पद पर सेक्रेटरी जनरल होता था जो संसद की स्वीकृति पर अन्य सचिवों तथा कर्मचारियों को नियुक्त करता था । सचिवालय एक स्थायी संस्था थी जो जेनेवा में स्थापित की गई थी । सचिवालय का व्यय लीग के बजट से होता था जिसका लीग के सदस्य सभा द्वारा निर्णित अनुपात में वहन करते थे । सचिवालय परिषद् तथा सभा का कार्यक्रम बनाता था तथा अधिवेशनों का विवरण रखता था और प्रशासकीय कार्य का प्रारूप रखता था । सचिवालय भिन्न-भिन्न खंडों में विभाजित था और प्रत्येक खंड उसका दिये गये विशेष कार्य को करता था ।

लीग के प्रतिज्ञा-पत्र में परिषद् को सैनिक, नाविक तथा वायु सम्बन्धी प्रस्ताव पर सामान्यतः सम्मति देने के लिये तथा निःशस्त्रीकरण की योजनाओं के निष्पत्तियों के लिये, स्थायी आदेशित प्रदेश सम्बन्धी आयोग, स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संधि के स्थापन के लिये एक स्थायी आयोग की व्यवस्था की गई थी ।

विश्व-शान्ति का पोषण (The Maintenance of World Peace)—लीग का मुख्य उद्देश्य भगडों के शान्तिपूर्वक समाप्ति द्वारा युद्ध का निराकरण था तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रतिज्ञा-पत्र में अनेक व्यवस्थाएँ की गईं । प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद ८ में यह स्वीकृत किया गया कि शान्ति-स्थापना में यह अपेक्षित है कि राज्य की सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन के लिये सामान्य कार्य-शैली के अनुरूप राज्य का शस्त्रीकरण जितना कम हो सके उतना कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये इसके द्वारा परिषद् से यह अपेक्षित था कि वह भिन्न-भिन्न सरकारों के विचारार्थ तथा कार्य-शैली के लिये ऐसे आभाव के निमित्त योजनाएँ बनाये । अनुच्छेद १० के अधीन लीग के सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे लीग के सब सदस्यों की क्षेत्रीय अखंडता तथा वर्तमान राजनैतिक स्वतंत्रता का बाह्य आक्रमण के विरुद्ध सम्मान करेंगे तथा उसे बनाये रखेंगे । इस अनुच्छेद द्वारा वसाई की संधि के फलस्वरूप सुलह के उपरान्त किये गये क्षेत्रीय प्रबन्धों का बाह्य आक्रमण के विरुद्ध बनाये रखने की प्रतिभूति थी । प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद ११ से १७ में भगडों का शान्तिपूर्वक समाप्ति करने की योजना थी । अनुच्छेद ११ में सदस्यों को यह आज्ञा दी गई थी कि किसी भगडे को तय करने के लिये इन प्रयोग न करें वरन् उसे या तो पंचायत के अथवा न्यायिक निर्णयार्थ प्रेषित करें

द्वारा जाँच के लिये प्रत्यपित करें। यदि लीग अथवा विवाचक भगड़े के सौंपे जाने के उपरान्त छः मास के भीतर एकमत से निर्णय पर न पहुँच सकें तो वे राज्य जिनके आपस में झगड़ा था, पंचायती फैमले अथवा न्यायिक निर्णय अथवा परिपद् की रिपोर्ट के उपरान्त तीन मास तक युद्ध नहीं कर सकते थे। अनुच्छेद १४ द्वारा सभा अथवा परिपद् को यह अधिकार दिया गया था कि वे किसी भगड़े अथवा प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय को सम्मति के लिये निर्देशित करें। अनुच्छेद १६ में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई लीग का सदस्य पंचायत, न्यायिक निर्णय अथवा परिपद् द्वारा जाँच सम्बन्धी अपनी प्रतिज्ञा को उल्लंघन करके युद्ध करे तो यह समझा जायगा कि उसने स्वतः लीग के सब सदस्यों के विरुद्ध युद्ध का कार्य किया है और वे तदुपरान्त तत्काल ही प्रतिज्ञा भंग करने वाले राज्य से सब व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध तोड़ देंगे तथा अपने तथा उसके राष्ट्रीय जनों के बीच सब आवागमन निवृद्ध कर देंगे। अनुच्छेद १७ में लीग के किसी सदस्य तथा बाहरी जनों के बीच झगड़े को तय करने की भी व्यवस्था की गई थी। उस दशा में बाहरी राज्य के नाम एक निदेश जारी किया जाता था कि वह ऐसे झगड़े के प्रयोजन के लिये उसकी सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकृत करे, किन्तु यदि उसने लीग के किसी सदस्य के लिये युद्ध करके उसे स्वीकृत करने से इन्कार किया तो अनुच्छेद १६ के अनुबन्ध ऐसे कार्य करने वाले राज्य के विरुद्ध लागू कर दिये जाते थे।

प्रत्यहरण (Withdrawal) :—लीग के सदस्य को दो वर्ष की नोटिस देकर अलग हो जाने का अधिकार था। वह प्रतिज्ञा को उल्लंघन करने के लिये, संसद के निर्णय से जिससे अन्य सदस्यों के प्रतिनिधि सहमत हो जायें, निकाला जा सकता था। इसी प्रकार कोई सदस्य अपनी सदस्यता को, प्रतिज्ञा-पत्र के किसी संशोधन से, यदि वह संशोधन संसद तथा सदस्यों के बहुमत से अनुसमर्थित कर दिया गया हो तो सहमत होने से सदस्यता समाप्त कर सकता था।

लीग की स्थिति (Position of League) :—लीग अफ़ नेशन्स कोई चरिष्ठ राज्य नहीं था तथा उसमें कोई सर्वव्यापी वैधानिक शक्ति नहीं थी। अपने निर्णयों को प्रवृत्त करने के लिये यह पूर्णतः अपने सदस्य राज्यों की सद्भावना पर आश्रित था। लीग के सम्पूर्ण ढाँचे की जड़ ही सदस्यों की सम्मति पर थी। लीग के प्रतिज्ञा-पत्र में दी गई व्यवस्थायें सदस्यों की स्वतन्त्रता को पूर्णतः संरक्षित करती थी क्योंकि बहुत से प्रमुख विषयों में उनमें परिपद् अथवा सभा का एकमत से निर्णय अपेक्षित था। उनमें लीग के सदस्यों को कुछ विशेष अवस्थाओं के उत्पन्न होने पर लीग से अलग हो जाने की अनुमति थी।

लीग ऑफ नेशन्स की एक सभा थी जिसके द्वारा वे कुछ विषयों में अन्तर-सहयोग की उन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा प्राप्त करने के निवे-
रने की स्वतन्त्रता को पारस्परिक रूप से सीमित कर देते थे। वह निरिक्त
स न तो सध था और न प्रसय, क्योंकि प्रत्येक सदस्य अपने बाह्य व्यापार
नियमित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रखता था और लीग अपने सदस्य राज्य
जो कुछ उन्हेने लीग को इच्छापूर्वक तथा सहमति से आत्मसमर्पण किया था,
अतिरिक्त और कोई नियमन का प्रयोग नहीं कर सकती थी। किन्तु इन
लीग के निर्णय केवल सम्मति की प्रकृति के होते थे, और अधिकांश में सदस्य
के निर्णयों के एकमत होने की अपेक्षा करते थे। इसको राज्य भी नहीं बर्हा
सकता था। इसमें राज्य के लक्षणों का अभाव था क्योंकि यद्यपि यह स्थायी
से संगठित सभा थी तथापि इसका कब्जा एक विशिष्ट क्षेत्र पर, जिसके ऊपर
सर्वोच्च प्राधिकार हो, नहीं था। लीग का प्रतिज्ञा-पत्र इस समय तक अनेक
राज्यों के कुटुम्ब को एक लिखित सविधान द्वारा संगठित करने का एक प्रयत्न
था, तथा लीग संगठित राज्यों के एक कुटुम्ब के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी।

लीग की असफलता के कारण (Causes of the Failure of the League) :—महायुद्ध का अन्त सन् १९१९ में जर्मनी के साथ शान्ति की संधि
स्थापित करके हुआ जो वर्साई की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है जिसके सबसे अग्रज
पर लीग ऑफ नेशन्स का प्रतिज्ञा-पत्र था। प्रतिज्ञा-पत्र बाद में चीन, रूस, पेरिस
जर्मनी तथा उसके मित्रों को छोड़कर विश्व की प्रत्येक शक्ति द्वारा स्वीकृत
गया। प्रेसीडेंट विल्सन ने वर्साई की सन्धि पर जिसमें लीग ऑफ नेशन्स का प्रति-
पत्र सम्मिलित था, हस्ताक्षर किये थे जिसके द्वारा सयुक्त राज्य अमेरिका लीग
संस्थापक सदस्य बन गया। तथापि सयुक्त राज्य के सेनेट ने प्रवेश का अनुमति
रोक देने का निश्चय किया और सयुक्त राज्य अमेरिका को लीग के बाहर
रूप में इसीलिये रखा क्योंकि कांग्रेस यूरोप के क्षेत्रीय स्थिति (व्यवस्था) में
होने अथवा उसकी प्रतिभूति करने के लिये उद्यत न थी।

सन् १९१४-१८ के विश्वयुद्ध के विजेताओं तथा पराजितों में बड़ा व्या-
सतभेद था और पराजित जर्मनी पर दुसह शतों को आरोपित किये जाने के कारण
किसी विश्व-संघ को सफलतापूर्वक कार्य करने का अवसर बहुत ही कम हो गया।
अतः लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना आगे आने वाले कष्टों के निवारणार्थ केवल एक
उपाय थी। लीग के आरम्भ से ही इससे सदस्य इस बात से सतर्क रहे कि
कोई खड न भरा जाय जिससे उसकी वैयक्तिक सार्वभौमिकता में किरा पड़े।
अवश्यभावी परिणाम यह हुआ कि लीग अपने इतिहास के आरम्भ में ही, अ

इसके सगठित होने के सक्त्पूर्ण वर्षों में ही सयुक्त राज्य अमेरिका के अलग हो जाने से तथा रूस और प्रथम विश्वयुद्ध के मित्र राष्ट्रों के शत्रुओं के प्रवेश न किये जाने से लंगडी हा गई ।

लीग वर्साई सन्धि की अश थी और उसकी पूर्ति के साथ बधी हुई थी । प्रारम्भ मे जितने शक्तिशाली राज्य लीग मे सम्मिलित हुये थे, उन्हे वर्तमान सधियाँ तथा क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के लिये किसी वस्तु की आवश्यकता थी । लीग का प्रत्येक सदस्य विजेता राज्यों द्वारा पेरिस मे बनाये गये मानचित्र मे दिये हुये प्रत्येक दूसरे सदस्य क प्रादेशिक ऐक्य तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्रत्याभूति करने की पूर्ण प्रतिज्ञा किये हुए था ।

लीग आफ नेशन्स का 1 न शस्त्रीकरण सम्मेलन अपने उद्देश्य मे असफल रहा । जर्मनी ने वर्साई की सन्धि के सेना सम्बन्धी खड्डो को अस्वीकृत करके अपने शस्त्रीकरण तथा सैनिक शक्ति को बढाना आरम्भ किया । लीग का पवित्र प्रस्ताव जिसके द्वारा यह उद्घोषित किया गया कि जर्मनी ने वर्साई की सन्धि को भंग किया है, किसी प्रयोजन का न रहा ।

जब जर्मनी लीग मे सन् १९२५ मे सम्मिलित हुआ तो लीग क सम्बन्ध मे लोगो की यह आशा बढ गई थी कि यह सफलतापूर्वक कार्य करेगी किन्तु सन् १९३३ मे हिटलर के अधिनायक-तन्त्र शासन की स्थापना के उपरान्त जर्मनी ने लीग को पुनः त्याग दिया । सन् १९३१ में लीग मच्चूरिया मे चीन के विरुद्ध जापानी आक्रमण को रोकने मे असफल रही । इसमे सन्देह नही कि लीग ने जापान द्वारा प्रतिज्ञा पत्र के कर्तव्यों का उल्लंघन किये जाने की तीव्र निंदा की लेकिन इससे जापान लीग से हट गया और लीग मौन रही । सन् १९३४ मे रूस लीग मे सम्मिलित हुआ तथा लीग की गति कुछ तीव्र हुई, किन्तु यह शक्ति की प्राप्ति केवल क्षणिक थी । सन् १९३५ में इटली ने ऐबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया तथा उसी वर्ष सितम्बर मे ऐबीसीनिया ने प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १० के अन्तर्गत लीग से अगील की । इस अनुच्छेद के अन्तगत सदस्यों को लीग के सब सदस्यों की क्षेत्रीय अखड्डता तथा वर्तमान राजनैतिक स्वतन्त्रता का सम्मान करने तथा उनको बाह्य आक्रमण के विरुद्ध रक्षा करने को बाध्य किया गया था । जब लीग ने इटली के विरुद्ध आधिक तथा द्रव्य सम्बन्धी रोक आज्ञाये लगाना चाहा तो इसको पता लगा कि इसके हाथ बँधे हुए थे क्योंकि भिन्न-भिन्न सदस्य जो इसके अवयव थे अपने-अपने कर्तव्यों का पालन नही कर रहे थे, और तब आक्रमणकारी को शान्ति के लिये बाध्य करने का लीग का कार्य असफल रहा । इटली लीग से अलग हो गया और ऐबीसीनिया को जीतने से नही राका जा सका, क्योंकि लीग ने अपनी रोक-अनुशास्तियों (sanctions) को कवल व्यापार तक

ही सीमित रक्खा और सैनिक रोक अनुशास्त्रियों को देने के लिये आगे न बढ़ सकी। जर्मनों ने सन् १९३६ में राइनलैंड पर पुनः कब्जा कर लिया। जर्मनी द्वारा १९३८ में ओस्ट्रिया के, तथा म्यूनिच की सन्तुष्टीकरण नीति के होने पर भी १९३९ में चेकोस्लोवाकिया के संयोजन के विरुद्ध लीग आवाज नहीं उठा सकी। जब स्वयं फिनलैंड पर आक्रमण किया तो लीग असहाय भवस्था में खड़ी रही तथा अपने अपनी प्रभावरहित अप्रसन्नता तथा नैराश्य सोवियत सरकार को निकाल कर दिखलाई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लीग का अन्तिम कार्य था। विश्व भर के असंख्य लोगों के लिये शान्ति प्राप्त करने में लीग की इस नैराश्यपूर्ण असफलता का यह परिणाम हुआ कि शक्ति का संतुलन स्थापन करने के लिये लीग पर विश्वास करने के स्थान पर राज्य गठबन्धनों, संधियों तथा गुटों की पुरानी रीति पर वापस चले गये।

लीग की असफलता के अन्य कारण भी ध्यान देने योग्य हैं। लीग में सब महत्वपूर्ण निर्णयों में एकमत का होना अपेक्षित था। सभा तथा परिषद के बीच के कृत्यों की कोई स्पष्ट सीमा नियत नहीं थी। परिषद को केवल अभिस्ताव करने ही (सिफारिशों) शक्तियाँ थी तथा यह अपने निर्णयों को सैनिक अनुशास्त्र लगाकर लागू नहीं कर सकती थी। लीग एक सर्वोच्च सार्वभौमिक राज्य नहीं था तथा सैन्य हिक उपायों का, जो किसी विश्वसथ के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये आवश्यक अंग है, अवलम्बन नहीं कर सकता था। लीग राज्यों की एक सभा थी तथा विश्व के लोगों की आवश्यकताओं का अधिक ध्यान नहीं रखती थी। राज्यों को भार के सामान्यतः मामान्य हितों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का भार अपने ऊपर ही की अनिच्छा थी। निःशस्त्रीकरण पर बारम्बार असहमति होने के कारण अन्तिम उन्नति अवरुद्ध रही। वसाई की सन्धि पर विजित राज्यों के साथ जो प्रत्यापन किया गया वह उनके मस्तिष्क में अभी ताजा था क्योंकि सन्धि के अनुबन्ध अन्तिम प्राप्ति में कहीं अधिक कठोर थे और लीग में सन्धि के पुनरोद्धार की व्यवस्था सदस्यों के एकमत निर्णय को छोड़कर अन्यथा कोई नहीं की थी। कोई सदस्य परिषद में सभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुसमर्थित सशोधन से सहमत होने से प्रसोहारित पर निकाला जा सकता था अथवा अपनी सदस्यता समाप्त कर सकता था। इस परिणाम यह हुआ कि हठी सदस्य लीग के निर्णयों के अनुसार चलने को नहीं नहीं किया जा सकता था। फिर अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के अन्तर्गत उल्लंघन करने दिया गया अथवा उनको आत्महानि के बिना विश्व की शान्ति की सुरक्षा को संकट में डालने दिया गया। किसी बड़ी शक्ति द्वारा किये गये

के साथ प्रभावोत्पादक रीति से व्यवहार करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे अधिक सीमा का किसी राज्य द्वारा युद्ध के नियमों का उल्लंघन क्रिय जाने की दशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। दोनों युद्धकारियों द्वारा युद्ध के नियमों का कठोरता से पालन प्रवृत्त कराने के लिये अपराध दंडनीय बना दिया जाना चाहिये थे।

अन्त में यह कहा गया है कि लीग आफ नेशन्स इसलिये असफल रही कि इसके दाँत नहीं थे। यह बात जहाँ तक इसका सम्बन्ध है, सत्य है। लीग की असफलता का मुख्य कारण यह था कि इसके सदस्य उन सिद्धान्तों को जिसके लिये यह खड़ी थी पालन नहीं करते थे। वे उन बातों को पूर्ण नहीं करते थे जिनके लिये वे बचनबद्ध थे।

अध्याय २६

२. संयुक्त राष्ट्र संघ

(United Nations Organization)

इसकी उत्पत्ति (Its Genesis)—सन् १९३८ तक लीग आफ नेशन्स एक निष्क्रिय संस्था के रूप में रह गई थी। जापान, इटली तथा जर्मनी के हठ के कारण जो बाधाएँ इसके समक्ष उपस्थित हुईं वे अलक्ष्य प्रमाणित हुईं। इसका कारण यह था कि बड़ी बड़ी शक्तियाँ उन विषयों में ढीला-ढाला दृष्टिकोण रखती थी, जो उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते थे। ये बड़ी-बड़ी शक्तियों का सन्तुलन स्थापना करने के निमित्त गठबन्धनों, सन्धियों तथा गुटों की नीति को अपना रही थी। सन् १९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ। ज्यों-ज्यों युद्ध का रोमांचकारी भय तथा क्रूर विनाश भोषण होता गया त्यों त्यों शान्ति स्थापना करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की उत्पत्ति के लिये राज्यों के एक सामान्य संघ की स्थापना करने के विचार का महत्त्व बढ़ता गया। इस विषय में अल्प कुछ संदेह था कि क्या लीग आफ नेशन्स को पुनर्जीवित किया जाय किन्तु इस सर्वसामान्य सम्मति के कारण कि एक नया विश्वसंघ होना चाहिये जो विश्व के असह्य प्राणियों में अटल शान्ति की प्राप्ति का संचार कर सके तथा उनमें विश्वास उत्पन्न कर सके, यह विचार त्याग दिया गया। संक्षेप में वह क्रम निम्नलिखित है जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ बना।

१. लन्दन की घोषणा (London Declaration) :—लन्दन की घोषणा जून १२ सन् १९४१ को सेंट जेम्स पैलेस में ब्रितानिया, केनेडा, ओस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका तथा बहुत सी निर्वासित सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित की गई। प्रलेख ने पृथक शान्ति के विरुद्ध घोषणा की और कहा कि उनका विचार परस्पर तथा अन्य स्वतंत्र लोगों के साथ शान्ति के समय तथा युद्ध में संयुक्त रूप से कार्य करने का है।

२. अटलांटिक चार्टर (Atlantic Charter) :—अगस्त सन् १९४१ में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट तथा मिस्टर चर्चिल एक सम्मेलन में अटलांटिक महासागर में ब्रिफ वेल्स नामक जहाज में मिले। उन्होंने १४ अगस्त सन् १९४१ को एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया जो अटलांटिक चार्टर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा नव प्रयोग की तथा क्षेत्रों की हड़प जाने की निंदा की गई तथा आक्रमण से सुरक्षा का प्रश्न सामने रखा गया और लोगों को अपनी स्वेच्छा से शासन व्यवस्था चुनने की स्वतंत्रता दी गयी।

३. संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा (United Nations Declaration) :—इसके उपरान्त संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा आयी है जिस पर २६ राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा जनवरी १ सन् १९४२ को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किया गया। इस घोषणा में अटलांटिक चार्टर के सिद्धान्तों का समर्थन किया गया और प्रत्येक राष्ट्र ने शपथ ली कि वह अपने सम्पूर्ण साधनों को शत्रु के विरुद्ध प्रयोग करेगा। प्रत्येक सदस्य-राज्य की सरकार ने प्रत्येक सरकार के साथ सहयोग करने का वादा लिया और वैयक्तिक रूप से शत्रु से शान्ति करने या लोहा लेने से अपने को दूरी धरित कर लिया।

४. मास्को तथा तेहरान-सम्मेलन (Moscow and Teheran Conferences) :—१ नवम्बर, सन् १९४१ की मास्को की घोषणा में ब्रितानिया, यू.एस. राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन के परराष्ट्र-मंत्रियों ने यह स्वीकृत किया कि राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि वर्तमान तत्काल एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्था स्थापित की जाय जा सब शान्तिपूर्ण तरीकों की सार्वभौमिक एकता के सिद्धान्तों पर आधारित हो और ऐसे सब मामलों को दूर से दूर छोटी हों अथवा बड़ी, सदस्यता के लिये खुली हुई हो।

दो मास उपरान्त रूजवेल्ट, स्टैलिन तथा चर्चिल ने तेहरान में यह घोषणा की कि उनको इस बात का विश्वास है कि उनका ऐवय अमर शान्ति सन्देश।

५. डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन (Dumbarton Oaks Conference) :—अटलांटिक चार्टर तथा मास्को और तेहरान की घोषणाओं के सिद्धान्तों को

में परिणत करने के लिये सितम्बर १९४४ में वाशिंगटन में ब्रितानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन के प्रतिनिधियों के बीच एक भवन में जिसे डब्लारटन ओवस कहा जाता है वातालाप हुआ । सम्मेलन अक्टूबर ७ सन् १९४४ को समाप्त हुआ जब विश्वसंध की रूपरेखा के लिये प्रस्ताव प्रकाशित किए गए । यह संयुक्त राष्ट्र संध को प्रथम सरकारी रूपरेखा (blue print) थी ।

डब्लारटन ओवस के प्रस्तावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संध में विश्वशांति स्थापित करने के लिये प्रमुख संस्था सुरक्षा परिषद् (Security Council) की स्थापना का अभिप्राय था जिसमें पाँच बड़ी शक्तियाँ (Big Five) अर्थात् चीन, फ्रांस, संयुक्त समाजवादी राष्ट्रीय प्रजातंत्र, ब्रितानिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थायीरूप से प्रतिनिधित्व था । किन्तु परिषद् में मत देने की प्रक्रिया प्रस्तावों में वर्णित नहीं थी । इसकी विवेचना रूजवेल्ट, चर्चिल तथा स्टेलिन के मध्य में याल्टा (क्रीमिया) में हुए सम्मेलन में की गई । ११ फरवरी सन् १९४१ को सम्मेलन ने यह घोषणा की कि यह विषय निश्चित हो गया है । यह भी निश्चय हो गया कि संयुक्त राष्ट्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में अप्रैल २५ सन् १९४५ को एक सम्मेलन में ऐत संध का डब्लारटन आवक में परस्पर हुई वातालापों में प्रस्तावित क्रमानुसार एक चार्टर तैयार करने को बुलाया जाय ।

६ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (The San Francisco Conference) — अन्त में ५० राज्यों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में २५ अप्रैल तथा २६ जून सन् १९४५ के बीच मिले । डब्लारटन ओवस के प्रस्ताव, याल्टा की सविदा तथा उन पर विभिन्न राज्यों द्वारा सुझाये गए सशोधनों पर विचार करते हुए सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र संध का चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि (Statute) निर्मित किया । चार्टर को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा सभी प्रतिनिधियों ने उस पर २६ जून सन् १९४५ को हस्ताक्षर किया । संयुक्त राष्ट्र संध का चार्टर २४ अक्टूबर सन् १९४५ का लागू हुआ जब पाँच मूल सदस्यों ने अर्थात् चीन, फ्रांस, रूस, ब्रितानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आधिकार में अन्य हस्ताक्षर करने वालों ने अपने-अपने अनुमोदन के अलेख प्रस्तुत किए । उस समय से २४ अक्टूबर निरन्तर "संयुक्त राष्ट्र-दिवस" स्मरणोप दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

इसके उद्देश्य :—संयुक्त राष्ट्र संध के उद्देश्य उसका चार्टर में व्यक्त किये गये हैं । अन्य विवरणों को दृष्टि से हटा देने पर चार्टर की प्रस्तावना निम्नलिखित है ।—

"हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, अपने भावों सन्तानों को युद्ध के उत्पात से बचाने के लिए जिससे कि दो बार हमारे जीवनकाल में ही मानवता का भवणनाय कष्ट

१. लन्दन की घोषणा (London Declaration) — लन्दन की घोषणा जून १२ सन् १९४१ को सेंट जेम्स पैलेस मे ब्रितानिया, केनेडा, ओस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका तथा बहुत सी निर्वासित सरकारा के प्रतिनिधियो द्वारा हस्ताक्षरित की गई । प्रलेख ने पृथक् शान्ति के विरुद्ध घोषणा की ओर कहा कि उनका विचार परस्पर तथा अन्य स्वतन्त्र लागो क साथ शान्ति के समय तथा युद्ध म सयुक्त रूप से वाय करने का है ।

२. अटलांटिक चार्टर (Atlantic Charter) — अगस्त सन् १९४१ में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट तथा मिस्टर चर्चिल एक सम्मेलन मे अटलांटिक महासागर मे प्रिंस आफ वेल्स नामक जहाज मे मिले । उन्होने १४ अगस्त सन् १९४१ को एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया जो अटलांटिक चार्टर के नाम से प्रसिद्ध है । इसके द्वारा बल प्रयोग की तथा क्षेत्रो की हड़प जाने की निंदा की गई तथा आक्रमण से सुरक्षा का प्रश्न सामने रखा गया और लागो का अपनी स्वेच्छा से शासन व्यवस्था चुनने की स्वतन्त्रता दी गयी ।

३. सयुक्त राष्ट्र सघ की घोषणा (United Nations Declaration) — इसके उपरान्त सयुक्त राष्ट्र सघ की घोषणा आयी है जिस पर २६ राज्यों के प्रतिनिधियो द्वारा जनवरी १ सन् १९४२ को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किया गया । इस घोषणा मे अटलांटिक चार्टर के सिद्धान्तो का समर्थन किया गया और प्रत्येक राज्य ने शपथ ली कि वह अपने सम्पूर्ण साधनो को शत्रु के विरुद्ध प्रयोग करेगा । प्रत्येक सदस्य-राज्य की सरकार ने प्रत्येक सरकार के साथ सहयोग करने का व्रत लिया और वैयक्तिक रूप से शत्रु से शान्ति करने या लोहा लेने से अपने को प्रतिबन्धित कर लिया ।

४. मास्को तथा तेहरान-सम्मेलन (Moscow and Teheran Conferences) — १ नवम्बर, सन् १९४१ की मास्को की घोषणा में ब्रितानिया, सयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन के परराष्ट्र-मंत्रियो ने यह स्वीकृत किया कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि यथासम्भव तत्काल एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्था स्थापित की जाय जो सब शान्तिप्रिय राज्यों की सार्वभौमिक एकता के सिद्धान्तो पर आधारित हो और ऐसे सब राज्यों की बाहें वे छोटी हो अथवा बड़ी, सदस्यता के लिये खुली हुई हो ।

दो मास उपरान्त रूजवेल्ट, स्टेलिन तथा चर्चिल ने तेहरान मे यह घोषणा की कि उनको इस बात का विश्वास है कि उनका ऐक्य अमर शान्ति लायेगा ।

५. डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन (Dumbarton Oaks Conference) — अटलांटिक चार्टर तथा मास्को और तेहरान की घोषणाओ के सिद्धान्तो को कार्यरूप

में परिणत करने के लिये सितम्बर १९४४ में वाशिंगटन में ब्रितानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन के प्रतिनिधियों के बीच एक भवन में जिसे डंबारटन भोक्स कहा जाता है वार्तालाप हुआ। सम्मेलन अक्तूबर ७ सन् १९४४ को समाप्त हुआ जब विश्वसंध की रूपरेखा के लिये प्रस्ताव प्रकाशित किए गए। यह संयुक्त राष्ट्र संध को प्रथम सरकारी रूपरेखा (blue print) थी।

डंबारटन भोक्स के प्रस्तावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संध में विश्वशान्ति स्थापित करने के लिये प्रमुख सस्या सुरक्षा परिषद् (Security Council) की स्थापना का अभिप्राय था जिसमें पाँच बड़ी शक्तियाँ (Big Five) अर्थात् चीन, फ्रांस, संयुक्त समाजवादी रूसीय प्रजातंत्र, ब्रितानिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थायीरूप से प्रतिनिधित्व था। किन्तु परिषद् में मत देने की प्रक्रिया प्रस्तावों में वर्णित नहीं थी। इसकी विवेचना रूजवेल्ट, चर्चिल तथा स्टेलिन के मध्य में याल्टा (क्रीमिया) में हुए सम्मेलन में की गई। ११ फरवरी सन् १९४१ को सम्मेलन ने यह घोषणा की कि यह विषय निश्चित हो गया है। यह भी निश्चय हो गया कि संयुक्त राष्ट्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में अप्रैल २५ सन् १९४५ को एक सम्मेलन में ऐसे संध का डंबारटन भोक्स में परस्पर हुई वार्तालापों में प्रस्तावित क्रमानुसार एक चार्टर तैयार करने को बुलाया जाय।

६. सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (The San Francisco Conference).— अन्त में ५० राज्यों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में २५ अप्रैल तथा २६ जून सन् १९४५ के बीच मिले। डंबारटन भोक्स के प्रस्ताव, याल्टा की सविदा तथा उन पर विभिन्न राज्यों द्वारा सुझाये गए सशोधनों पर विचार करते हुए सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र संध का चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि (Statute) निर्मित किया। चार्टर को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा सभी प्रतिनिधियों ने उस पर २६ जून सन् १९४५ को हस्ताक्षर किया। संयुक्त राष्ट्र संध का चार्टर २४ अक्तूबर सन् १९४५ को लागू हुआ जब पाँच मूल सदस्यों ने अर्थात् चीन, फ्रांस, रूस, ब्रितानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आघकाश में अन्य हस्ताक्षर करने वाला ने अपने-अपने अनुसमर्थन के प्रलेख प्रस्तुत किए। उस समय से २४ अक्तूबर निरन्तर "संयुक्त राष्ट्र-दिवस" स्मरणीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

इसके उद्देश्य :— संयुक्त राष्ट्र संध के उद्देश्य उसका चार्टर में व्यक्त किये गये हैं। अन्य विवरणों को दृष्टि से हटा देने पर चार्टर की प्रस्तावना निम्नलिखित है.—

“हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, अपने भावों सन्तानों को युद्ध के उत्पात से बचाने के लिए जिससे कि दो बार हमारे जीवनकाल में ही मानवता का भवणनाश कष्ट

मिला है; मनुष्य के मौलिक अधिकारों और उसके व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्त्व में तथा पुरुषों और स्त्रियों के तथा छोटे और बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों में अपना विश्वास। पुनः एक बार दृढ़ बनाने के लिये तथा स्थितियाँ उत्पन्न करने के लिये जिनमें न्याय और सधियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय से अन्य मूलभूत आचारों से उत्पन्न होने वाले वर्तव्यों को प्रति सम्मान स्थापित हो सके, तथा स्वतन्त्रता के और अधिक विस्तृत क्षेत्र में सामाजिक उन्नति बढ़ाने और जीवन स्तर और अधिक उन्नत करने के लिये, तथा इन लक्ष्यों को निमित्त सहिष्णुता का अभ्यास करने तथा शान्तिपूर्वक प्रच्छेद पडोसियों के समान रहने के लिये, तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के लिये अपनी शक्ति को संयुक्त करने के लिये, तथा इस बात को निश्चित करने के लिए कि सैनिक बल प्रयोग सामान्य हित के अतिरिक्त अन्य किसी अवसर पर नहीं किया जायेगा, तथा अन्तर्राष्ट्रीय यत्र का सब जातियों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति में प्रयोग करने के लिये यह दृढ़ निश्चय करते हैं कि इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये अपने प्रयासों को संयुक्त कर दें।

“इसी के अनुसार हमारी अपनी सरकारें...संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान चार्टर से सहमत हो गई हैं तथा इसके द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय सघ स्थापित करती हैं जो संयुक्त राष्ट्र सघ कहा जायगा।”

इस प्रस्तावना के मूल शब्द इस प्रकार हैं—“We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of International Law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom, and for these ends to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure... that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples, have resolved to combine our efforts to accomplish these aims.

Accordingly, our respective governmentshave agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations”

चार्टर के अनुच्छेद १ में उद्देश्यों को और भी अधिक विस्तार में व्यक्त किया गया है। उममें यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन निम्नलिखित हैं :—अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जन समुदाय के लिये समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धान्त पर आश्रित भैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक अथवा मानव जाति के लिये प्रेम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रों के कार्यों को समन्वय करने के निमित्त एक केन्द्र का कार्य करना।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्त :—चार्टर के अनुच्छेद २ में वे सिद्धान्त दिये गये हैं जो सघ तथा उनके सदस्यों द्वारा उपर्युक्त प्रयोजनों की सिद्ध करने में अनुसरण किये जाने चाहिये। वे निम्नलिखित हैं —

१. सघ अपने सब सदस्यों की सर्वव्यापी समानता के सिद्धान्त पर आधारित है। यह खड्ड कुछ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत है। सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के अधिकार संयुक्त राष्ट्र सघ के अन्य सदस्यों की अपेक्षा विशद हैं। परिषद् तथा सभा दोनों के प्रमुख निर्णयों की वैधता के लिए परिषद् के स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। चार्टर के मशोधन के लिये, संयुक्त राष्ट्र सघ में अन्य सदस्यों को प्रवेश करने के लिये, भगडों को तय करने के सम्बन्ध में निर्णयों तथा सस्तुतियों के लिये तथा उनको लागू करने के लिये उनकी सहमति आवश्यक है। इसके उपरान्त किसी विषय को प्रवृत्त करने के उपाय उनकी सहमति के बिना उनके विरुद्ध लागू नहीं किए जा सकते। इन विशद अधिकारों के अन्तर्गत स्थायी सदस्यों की समानता सार्वभौम राष्ट्रों के रूप में किसी प्रकार कम नहीं होती है।

२. सब सदस्य उन सब के लिये सदस्यता से उत्पन्न होने वाले अधिकारों तथा लाभों को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिये वर्तमान चार्टर के अनुसार अपने ऊपर लिये गये कर्तव्यों का सत्यता से पालन करेंगे।

३. सब सदस्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय भगडों को इस प्रकार तय करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय को भय की भासना न हो।

४. सब सदस्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी राज्य की क्षेत्रीय अखण्डता अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध बल प्रयोग की धमकी देने से अथवा बल प्रयोग करने से अलग रहेंगे।

५. सब सदस्य संयुक्त राष्ट्र सघ को किसी कार्य में जा इस चार्टर के अनुसार ही, सब प्रकार की सहायता देंगे तथा ऐसे किसी राज्य को जिसके विरुद्ध

संयुक्त राष्ट्र सघ प्रवर्तन (enforcement) कार्य कर रहा हो, सहायता देने से अपने का रोकेंगे ।

६. संयुक्त राष्ट्र सघ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि संयुक्त राष्ट्र सघ के ऐसे राज्य जो सदस्य नहीं हैं, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये चाटर के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेंगे ।

७ चाटर में दिया हुआ कोई भी विषय संयुक्त राष्ट्र सघ का उन विषयों में हस्तक्षेप करने को प्राधिकृत न करेगा जो वस्तुतः किसी राज्य के आन्तरिक क्षेत्राधिकार के भीतर हो अथवा सदस्यों से यह अपेक्षा करेगा कि ऐसे विषयों को वर्तमान चाटर के अन्तर्गत तय किये जाने के लिये प्रत्यर्पित करें, किन्तु इस सिद्धान्त से अध्याय ७ के अन्तर्गत प्रवर्तन (enforcement) के उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

मुख्य प्रतिबन्ध के साथ सलग परिशिष्ट में सुरक्षा परिषद् का यह अनुमति प्रदान की गई है कि उस भगड़े को प्रसजान में ले जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को धमकी दी जाती हो तथा जो उसे मुलभाने के लिये प्रवृत्त उपायों को अपेक्षित करता हो चाहे वह उस राज्य के आन्तरिक क्षेत्राधिकार के भीतर ही क्यों न आता हो ।

यह प्रश्न कि क्या यह मामला पूर्णतया राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार के भीतर है, प्रायः बहुत उलझन उत्पन्न कर दिया करता है । इसलिये विवादग्रस्त मामलों को संयुक्त राष्ट्र सघ के किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित होना चाहिये । भारत दक्षिणी अफ्रीका विवाद में, जो कि रङ्गभेद और जाति-भेद से सम्बन्धित है, दक्षिणी अफ्रीका का कहना है कि भारत की ओर से यह शिकायत कि मूल भारतीय निवासियों के प्रति यहाँ के लोगों के व्यवहार ठीक नहीं हैं संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में नहीं उठाया जा सकता क्योंकि यह प्रश्न चाटर के अनुच्छेद २ पैरा ७ के अन्तर्गत दक्षिणी अफ्रीका के घरेलू क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है ।

दक्षिण-अफ्रीका की सच्ची सरकार ने जातिभेद की जो नीति अपनायी है वह भ्रष्ट मानवीय अधिकारों का पूर्णतया अतिक्रमण करना है और उन्होंने अपनी इस नीति से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिये एक खतरा उत्पन्न कर दिया है । संयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा दक्षिण अफ्रीका की इस नीति के विरोध में अनेक बार प्रस्ताव पारित किये गये हैं, किन्तु दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इन प्रस्तावों पर कोई ध्यान नहीं दिया है और इसका आधार यह बताया जाता है कि यह उनका घरेलू मामला है ।

इसी प्रकार हज़ारी के प्रसङ्ग में भी क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुये । साम्यवादियों के बढ़ते हुये गणतन्त्र की प्रतिक्रिया अक्टूबर १९५६ में यह हुई कि बहुत संख्या में वहाँ के देशवासी परिवर्तन की माँग करने लगे । हज़ारी के कार्य-वाहक प्रधानमन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को यह सूचना दी कि इस परिस्थिति का सामना करना विलकुल हज़ारी के घरेलू क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है और साधारण सभा यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पारित करती है तो उसका तात्पर्य यह होगा कि वह हज़ारी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और चार्टर के अनुच्छेद २ पैरा ७ के प्रतिकूल है ।

सदस्यता :—सब राज्य सदस्य हैं जिन्होंने चार्टर को हस्ताक्षरित तथा अनुसमर्थित किया है । सदस्यता सब अन्य शांति-प्रिय राज्यों के लिये भी खुली है जो वर्तमान चार्टर में दिये गये कर्तव्यों को स्वीकार करें तथा सभ के निर्णय में उन कर्तव्यों के पालन करने के योग्य तथा इच्छुक भी हो । किसी राज्य का संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता में प्रवेश सुरक्षा परिषद की सन्तुति पर सामान्य सभा के निर्णय होने पर किया जाता है ।

संयुक्त राष्ट्र सभ में प्रवेश चार्टर द्वारा नियन्त्रित है । संयुक्त-राष्ट्र के सदस्य अनुच्छेद ३ के अनुसार मौलिक रूप से स्थायी सदस्य हैं और अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत नये अपनाये गये सदस्य आते हैं । चार्टर के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत मौलिक सदस्य जो कि संयुक्त राष्ट्र सभ को निर्मित किये थे वही राष्ट्र हैं जिन्होंने सन् १९४५ में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था, या जिन्होंने जनवरी १, १९४२, की संयुक्त राष्ट्र सभ की घोषणा पर हस्ताक्षर किया था । अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र सभ के नये सदस्य भी अपनाये जाते हैं किन्तु इसके लिये साधारण सभा की दो-तिहाई बहुमत और सुरक्षा परिषद की सन्तुति होनी चाहिये । सुरक्षा परिषद में परिषद के ९ सदस्यों का बहुमत और स्थायी सदस्यों की सहमति का होना आवश्यक है ।

अनुच्छेद ४ ने यह व्यवस्था की गई है कि संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता सभी शांतिप्रिय राज्यों के लिये खुली हुई है किन्तु उन्हें चार्टर के आभारों को स्वीकार करना होगा और उन आभारों को पूरा करने की इच्छा प्रकट करनी होगी । चार्टर में सदस्यता के लिये दूसरा कोई प्रतिबन्ध नहीं, बल्कि "शांतिप्रिय" (peace-loving) होना आवश्यक है । सदस्यता के सम्बन्ध में स्वीकार करने का सारा अधिकार साधारण सभा को और मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद का है यदि वे सद्भावनापूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि सदस्यता के लिये अभ्यर्षी राज्य शांतिप्रिय

है और चार्टर के अनुबन्धों या प्राभारों को मानने की इच्छा या सामर्थ्य रखता है तो वह नया सदस्य बनाया जा सकता है ।

नयी सदस्यता के लिये निम्नलिखित ५ मुख्य बातें हैं —

१—वह एक राज्य हो ।

२—शांतिप्रिय हो ।

३—चार्टर के प्राभारों को स्वीकार करता हो ।

४—संघ के निर्णयों के अनुसार उन प्राभारों को पूरा करने में समर्थ हो ।

५—संघ के निर्णयानुसार उन प्राभारों का पूरा करने की इच्छा रखता हो ।

बिस्वी नये राज्य को सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिये साधारण सभा उस समय तक निर्णय नहीं कर सकती जब तक कि उसकी सदस्यता के लिये सुरक्षा परिषद् की सन्तुष्टि न हो जिसमें स्थायी सदस्यों की सहमति अवश्य सम्मिलित होनी चाहिये ।

चीन के पीपुल्स रिपब्लिक अर्थात् साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न बहुत समय से सयुक्त राष्ट्र के सामने है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि चीन एक बहुत बड़ा देश है और बहुत शक्तिशाली भी है । उस संघ से चीन के पृथक् रहने का अभिप्राय विश्व के ६० करोड़ लोगों का विश्व-सत्या से पृथक् रहना है । अस्तु चीन की सदस्यता के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों पर यहाँ विचार कर लेना उचित होगा ।

चीन का प्रतिनिधित्व (The Representation of China)

जूलियस स्टोन (Julius Stone) का कहना है कि चीन की सदस्यता के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् में जो विवाद उत्पन्न हुआ है वह इसलिये है कि चीन की दो सरकारें हैं जो कि अपने-अपने को राज्य कहती हैं और प्रतिनिधित्व की माँग करती हैं ।

सर्वप्रथम चीन के प्रतिनिधित्व का प्रश्न चीन गणतन्त्र द्वारा १८ नवम्बर १९४९ को सुरक्षा परिषद् के समक्ष लाया गया । १९५० में सोवियत रूस ने अपने को अनुपस्थित करना शुरू किया जिससे १३ जनवरी १९५० की बैठक में प्रस्ताव को इस कारण से अस्वीकृत कर दिया गया कि राष्ट्रवादी चीनियों का प्रतिनिधित्व उचित नहीं था ।

इस प्रसङ्ग में सयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष कई बार प्रस्ताव आ चुके हैं किन्तु सयुक्त राज्य अमेरिका का रुख राष्ट्रवादी चीन और रूस का रुख साम्यवादी चीन की ओर है । इस गुटबन्दी के कारण तथा चीन द्वारा समय-समय पर अपनाये गये

अग्रघर्षक मार्गों के कारण यह विषय अभी तक नहीं सुलभ सका है। भारत, ग्रेट-ब्रिटेन और सोवियत सरकार का कहना है कि राष्ट्रवादी सरकार द्वारा चीन का प्रतिनिधित्व पूरा प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार का चीन के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार नहीं है। अस्तु चार्टर के अनुच्छेद २३ के अन्तर्गत सुरक्षा परिपद में चीन का आंशिक प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रीय विधि क अनुकूल नहीं है।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुये महासचिव ने यह स्पष्टीकरण किया था कि चीन के प्रसंग में अनुच्छेद ४ के अनुसार विचार होना चाहिये जिसमें यह एक आवश्यक प्रतिबन्ध है कि सदस्यता के लिये अभ्यर्थी राज्य इस योग्य हो और ऐसी इच्छा रखता हो कि सदस्यता से सम्बन्धित आभारों का पालन कर सके। उनका कहना था कि दो प्रतिद्वंद्वी सरकारों के बीच वास्तव में जो सरकार इस आभार को ग्रहण कर सक और सदस्यता के आभार अपनी जनता पर भी आरोपित कर सके उसी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

परिस्थितियाँ जो कुछ भी हो साम्यवादी चीन के अन्तर्गत जितना बड़ा अभिप्रेत है और जितनी जनता उस राज्य में है तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन की जो स्थिति है उसे देखते हुये यह उचित नहीं प्रतीत होता कि चीन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्धों से बाहर रखा जाय।

चीन का भारत-आक्रमण (Chinese Aggression against India) — भारत आरम्भ से ही साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रबल समर्थक रहा है। उसने स्वतः कई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में राष्ट्र सभ के समक्ष रखे हैं, किन्तु १९६२ में चीन ने भारतीय सीमा पर प्रबल आक्रमण कर दिया और निरकुश रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध कार्य किया। इस आक्रमण को देखते हुये संयुक्त राष्ट्र सभ ने साम्यवादी चीन की सदस्यता के प्रश्न का पुनरीक्षण आवश्यक प्रतीत हाता है। चीनियों ने १९५९ में मैकमहन रेखा को पार किया था और यह सीमा-भतिक्रमण ५ वर्ष पहले लद्दाख में किया गया था। उसी समय स वे भारतीय राज्य-क्षेत्र का १२ हजार स्क्वायर मील अपने अधिकार में अवैध रूप से कर लिये थे। २० अप्रैल १९६२ को उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा आक्रमण किया जो कि (नेपा) नार्थ ईस्ट फ्रान्टियर एजेन्सी तथा लद्दाख दोनों क्षेत्रों में समान रूप से किया गया था। आक्रमणों की सहार से आती रही तथा भारी मार्टार तथा मशीनगनों से लैस चीनी सना ने उत्तरीय दोनों क्षेत्रों में बहुत बड़ी भारतीय भूमि का अग्रहण कर लिया। इस प्रकार भारतीय सीमा से बढ़कर चीनियों ने अपनी आक्रमण नीति का और भी बढ़ावा दे दिया।

चार्टर के अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था दी गई है कि सयुक्त राष्ट्र सङ्घ की सदस्यता सभी शांतिप्रिय राज्यों के लिये तथा उनके लिये जो चार्टर के आभारों को सङ्घ के निर्णयानुसार स्वीकार कर सकें और उन आभारों को पूरा करने के इच्छुक हो सबके लिये खुली हुई है। उपरोक्त उपबन्ध को देखते हुये कहा जा सकता है कि साम्यवादी चीन इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। उसने अपनी आक्रामक नीति के द्वारा यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि वह चार्टर के आभारों को पूरा करने की इच्छा से रहित है। एक ओर तो साम्यवादी चीन भारतीय सीमा के समीप बहुत बड़ी सैनिक शक्ति इकट्ठा कर रहा है और किसी भी समय आक्रमण की आवृत्ति होने की सम्भावना बनी हुई है। हिमालय पर किये गये इस आक्रमण से विश्व-शांति को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन की यह नीति कोई नई नहीं है। १९५० में कोरिया के युद्ध में भी उसकी आक्रामक कार्यवाहियों को देखा जा चुका है।

चीनियों का भारतीय सीमा पर दावा आधार-रहित—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार चीनियों का लद्दाख पर इसलिये दावा करना कि वह क्षेत्र उनके (अर्थात्) दखल में रहा है, इनकी सम्प्रभुता को नहीं सिद्ध करता कि वहाँ उनकी सम्प्रभुता है। Aksai Chin भी चूँकि उनके आक्रमण के कारण उनके अधिपत्य में आ चुका था वे इसलिये सम्प्रभुता का दावा नहीं कर सकते कि वह क्षेत्र वस्तुतः उनका है, क्योंकि वह क्षेत्र भारत का है और भारत ने अपन हक का विलोप नहीं किया है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि का यह मान्य सिद्धान्त है कि कोई राज्य जिसने सधि द्वारा किसी क्षेत्र पर दूसरे राज्य का दावा स्वीकार कर लिया है फिर उस क्षेत्र के सम्बन्ध में स्वतः दावा करना बन्द कर देता है। डा० वृष्ण राव भारत सरकार के वैदेशिक मन्त्रालय के लीगल ऐडवाइजर का कहना है कि यह सत्य है कि भारत ने आक्रमणकारियों को बाहर नहीं निकाला है बल्कि चीनियों ने भारतीय क्षेत्र पर अपनी आक्रामक कार्यवाहियों को निरन्तर जारी रखा है।

जहाँ तक नेफा क्षेत्र का सम्बन्ध है चीन ने मैकमहन रेखा को मानने से इन्कार कर दिया है और उस रेखा को बल प्रयोग द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित करने का आशय प्रकट किया है। यह रेखा वही रेखा है जो भारत को तिब्बत से अलग करती है और इतिहास परम्परा और सन्धियों के द्वारा बहुत पहले से विभाजक रेखा के रूप में रही है। चीन ने स्वतः कई रूपों में समय-समय पर इस रेखा को माना है यद्यपि वे फिर इन रेखा को अर्थात् कहने लगे हैं। चीन की वर्तमान सरकार की स्थापना के पूर्व ही इस रेखा की मान्यता रही है और तिब्बत ने सभी भी इसका विरोध नहीं किया था।

जहाँ तक साम्यवादी चीन के संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की सदस्यता का प्रश्न है सोवियत रूस ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के १७वें अधिवेशन में एक प्रस्ताव का प्राख्य रखा जिसके अनुसार ब्यूमिनतांग चीनी प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सभी अङ्गों से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव किया और बदले में साम्यवादी चीन को रखने की संस्तुति की। अक्टूबर १९६२ में इस प्रस्ताव पर साधारण सभा द्वारा विचार किया गया और भारतीय प्रतिनिधि ने यह दोषारोपण करते हुये कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर खुला आक्रमण किया है, कहा कि चीन की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति को रोकने और चीन को अन्तर्राष्ट्रीय आभारों को स्वीकार करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसे विश्व-संघ के उपबन्धों में बाँधा जाय। आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और कहा था कि भारतीय सीमा पर चीन की आक्रामक कार्यवाहियों से जहाँ हमारी चिन्ताएँ बढ़ती हैं वहाँ हमारा सन्देह भी बढ़ता है कि क्या साम्यवादी चीन चार्टर के आभारों को मानने का इच्छुक है या उसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को मानने का संकल्प ग्रहण नहीं है ?

भारत और ब्रिटेन ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया किन्तु अभी तक यह निर्णय नहीं हो सका है कि वास्तव में चीन इस बात के लिये तत्पर है कि वह चार्टर के अनुसार आभारों को ग्रहण कर सकेगा किन्तु उसकी कार्यवाहियाँ ऐसी उत्तेजक हैं कि उसे पूर्णतः निरक्षुण्ण रहने देना भी उचित नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान (The Constitution of the U. N.) :—संयुक्त राष्ट्र सघ के निम्नलिखित मुख्य अंग हैं :—(१) साधारण सभा, (२) सुरक्षा परिषद, (३) सचिवालय, (४) न्याय परिषद, (५) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद तथा (६) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय।

१. साधारण सभा

(The General Assembly)

इसमें संयुक्त राष्ट्र के सब सदस्य सम्मिलित हैं जिनका प्रतिनिधित्व पाँच-पाँच सदस्यों से होता है। साधारण सभा की प्रक्रिया की नियमावली का नियम २१ निम्नलिखित है—

“किसी सदस्य का प्रतिनिधि मंडल पाँच प्रतिनिधियों, पाँच वैकल्पिक प्रतिनिधियों तथा उतने ही मंत्रणा देने वालों, विनिष्ट विषयक मंत्रणा देने वालों, विशेषज्ञों तथा उसी प्रकार की स्थिति के इतने व्यक्तियों से जितने कि प्रतिनिधि-मंडल द्वारा अपेक्षित किए जायें, से और अधिक न होगा।”

साधारण सभा एक अध्यक्ष (President) तथा सात उपाध्यक्ष (Vice-Presidents) निर्वाचित करती है जो उस सत्र के अन्त तक पद ग्रहण करते हैं जिसमें वे चुने जाते हैं। साधारण सभा का अधिवेशन नियत वार्षिक सत्रों में तथा ऐसे विशेष सत्रों में होता है जैसे अक्सर के अनुसार आवश्यक हो। विशेष सत्र महासचिव (Secretary General) द्वारा सुरक्षा परिषद् अथवा संयुक्त राष्ट्र सभ के अधिकांश सदस्यों को प्रार्थना पर बुलाया जा सकता है।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा ने भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को अपने आठवें सत्र के लिये सभारति निर्वाचित किया था और श्रीमती पंडित विश्व की पहली महिला हैं जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ।

कार्य तथा शक्तियाँ—साधारण सभा के कार्य चार्टर के अनुच्छेद १० से १७ तक में दिये गये हैं। सभा चार्टर के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले किसी प्रश्न पर विवेचना आरम्भ करवा सकती है तथा किसी ऐसी प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों से अथवा सुरक्षा परिषद् से अथवा दोनों से सिफारिश कर सकती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना सम्बन्धी किसी प्रश्न पर विवेचना कर सकती है जो इसके समक्ष संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य अथवा सुरक्षा परिषद् अथवा किसी असदस्य राज्य द्वारा रखा जाय तथा इस प्रकार के किसी प्रश्न के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य तथा राज्यों का अथवा सुरक्षा परिषद् को अथवा दोनों को सिफारिश कर सकती है। ओपेनेहेम का कथन है कि यद्यपि यह सभा वैधानिक शक्तियों से विनिहित नहीं है तथा इसकी सिफारिशें वैधानिक रू से बन्धनकारी नहीं हैं तथापि वे सिफारिशें संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों पर विश्व जन-साधारण की सम्मति का प्रभाव डालने के लिये प्रमुख साधन बन जाती हैं।

साधारण सभा सुरक्षा परिषद् का ध्यान उन स्थितियों की ओर आकर्षित करा सकती है जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा का संकट में पड़ना सम्भव हो। यह किसी स्थिति का जिससे राष्ट्रों के कल्याण तथा उनके मध्य मैत्री के सम्बन्धों में बाधा पड़ना सम्भव हो, शान्तिपूर्ण निपटारे के लिये सिफारिश कर सकती है।

अनुच्छेद १३ में यह विशिष्ट रूप से अनुबन्धित है कि साधारण सभा निम्नलिखित विषयों के लिये अध्ययन आरम्भ करावेगी तथा सिफारिश करेगी :—

(अ) राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि और इनके सहिताकरण के उत्तरोत्तर विकास को प्रोत्साहित करना।

(घा) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को वृद्धि करना तथा जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव को मिटा कर सब के लिये मानवीय अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहायता देना ।

अनुच्छेद १२ सभा के कृत्यों को सीमित कर देता है क्योंकि इसमें यह अनुबन्धित है कि जब सुरक्षा परिषद् किसी ऋण स्थिति के सम्बन्ध में बर्न-मान चार्टर व अनुसार सौंपे गये कृत्यों में से किसी कृत्य को कर रही हो तो साधारण सभा उस ऋण स्थिति के सम्बन्ध में कोई सिफारिश न करेगी जब तक कि सुरक्षा परिषद् ऐसी प्रार्थना न करे ।

अन्य कृत्य जो साधारण सभा का दिये गये हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यास पद्धति के सम्बन्ध में हैं जिनमें ऐसे क्षेत्रों के लिये प्रत्येक स्वायत्त भू सम्मिलित हैं जिनका नाम सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों में नहीं लिखा गया है । यह सब के बजट को तथा विशिष्ट एजेन्सियाँ के साथ दिये गये कितने आर्थिक तथा बजट सम्बन्धी प्रबन्धों पर विचार करती है तथा उनको स्वायत्त करती है, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन में भाग लेती है, सुरक्षा परिषद् के छ अस्थायी सदस्यों, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के सदस्यों तथा न्याय परिषद् के कुछ सदस्यों का निर्वाचन करती है । यह सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महा-सचिव को निर्वाचित करती है तथा सचिवालय के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति के लिए नियम बनाती है । यह सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र सत्र के किसी सदस्य को चार्टर के सिद्धान्तों का उल्लंघन करने के लिये निकाल सकता है ।

मतदान प्रक्रिया (Voting Procedure) — साधारण सभा के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है । प्रमुख प्रश्नों पर उदाहरणार्थ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना के सम्बन्ध में सिफारिश, सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन, न्याय परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र सत्र में नये सदस्यों का प्रवेश, सदस्यता के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का निर्यात, सदस्यों का निष्काशन, प्रत्यास पद्धति के लागू होने के सम्बन्धी प्रश्न तथा बजट विषयक प्रश्न साधारण सभा के निर्णयों के लिये उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत अपेक्षित है । अन्य प्रश्नों के निर्णय के लिये, जिनमें दो-तिहाई बहुमत से निर्णय किया जाने वाले प्रश्नों के अतिरिक्त वर्गों का निर्णय भी सम्मिलित है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का केवल बहुमत अपेक्षित है ।

सङ्गठन (Organisation) :—साधारण-सभा के कार्य प्रायः समितियों में हुआ करते हैं जिन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया है ।

- (१) मुख्य समितियाँ (Main Committees)
- (२) प्रक्रियात्मक समितियाँ (Procedural Committees)
- (३) स्टैंडिंग समितियाँ (Standing Committees)
- (४) तदर्थ समितियाँ (Ad hoc Committees)

१— मुख्य समितियों में ६ समितियाँ सम्मिलित हैं : १—राजनीतिक और सुरक्षा सम्बन्धी, २—आर्थिक-व्यवस्था सम्बन्धी, ३—सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक, ४—न्यायिता सम्बन्धी, ५—प्रशासकीय और बजट सम्बन्धी, तथा ६—वैध ।

२—प्रक्रियात्मक समितियों में साधारण सभा के सङ्गठन और व्यवहार सम्बन्धी विषय रहते हैं । ये दो हैं : १—साधारण समिति और २—प्रत्यय-पत्र-समिति (क्रीडेन्शियलस-समिति) ।

३—स्टैंडिंग कमेटी में लगातार चलने वाली समस्याओं पर विचार किया जाता है । उनमें से कुछ प्रशासन और बजट के प्रश्नों पर सलाहकार समिति के रूप में होती है और कुछ चन्दा समिति, बोर्ड ऑफ़ आडिटर, इन्वेस्टमेन्ट कमेटी और संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी पेंशन कमेटी ।

४—तदर्थ समितियों में साधारण सभा या उसकी कोई भी समिति विशेष प्रयोजनों के कारण ऐसी समितियाँ निर्मित कर सकती है ।

एक अन्तरिम समिति और होती है जिसे "लिटिल एसेम्बली" या लघु सभा कहते हैं जिसकी स्थापना १९४७ में हुई थी ।

संयुक्त राष्ट्रों से प्रत्याहरण (Withdrawal from the United Nations)—संयुक्त राष्ट्र-चार्टर में किसी सदस्य के प्रत्याहरण, या संघ से अपनी सदस्यता वापस लेने का उपबन्ध नहीं है । डम्बार्टन ओक्स के से उन संकल्पों में, जिनमें कि एक साधारण अन्तर्राष्ट्रीय संघटन (General International Organization) का प्रस्ताव था, और जिसका कि प्राख्य संयुक्त राज्य, सोवियत सभ, ग्रेट ब्रिटेन और चीन द्वारा तैयार किया गया था, सदस्यता के प्रत्याहरण के उपबन्धों को पूर्णतया लुप्त कर दिया गया था । यह व्यवस्था संभवतः इस कारण से की गई थी कि लीग-कवनेन्ट का अनुभव सामने था और कवनेन्ट जिस कमजोरी का शिकार हुआ, अब उस कमजोरी से वे इस नये अन्तर्राष्ट्रीय संघ को बचाना चाहते थे । कवनेन्ट में उपबन्धित था कि यदि किसी सदस्य-राज्य के सभी अन्तर्राष्ट्रीय पूरे हो, तो वह दो वर्ष की अधिमूर्चना के आघार पर लीग से अपनी सदस्यता

प्रत्याहारित कर सकता था (कवनेट का अनुच्छेद १, पैरा ३)। कवनेट को इस व्यवस्था से लोग भ्रॉव नश-म में यह स्थिरता और स्थायित्व न था सारा, जिसको अपेक्षा को गई थी। इस उपरान्त भी कवनेट के अनुच्छेद २६ में यह भी उप-बधित था कि यदि कोई सदस्य कवनेट के किना सशाधन से असतुष्ट या असहमत है तो उस असहमति का उल्लेख करते हुये अपनी सदस्यता वापस ले सकेगा।

सान-फ्रांसिस्को सम्मेलन में मई २१, १९५४, को एक उपसमिति गठित की गई जिसमें चार महान् शक्तियों का प्रतिनिधित्व हुआ। इस उपसमिति ने संघ से सदस्यता वापस लेने के प्रश्न पर विचार किया और यह सम्मति प्रकट की कि समिति को एक व्याख्यामूलक घोषणा (interpretative declaration) देना उचित होगा जिसमें कि निम्नलिखित कथन सम्मिलित हो। नीचे दिया कथन जून २५, १९४५ को सम्मेलन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया—

"The Committee deems that the highest duty of the nations which will become members is to continue their co-operation within the Organization for the preservation of international peace and security. If, however, a member because of exceptional circumstances feels constrained to withdraw, and leave the burden of maintaining international peace and security on the other members, it is not the purpose of the Organization to compel that member to continue its co-operation in the Organization; nor would it be the purpose of the Organization to compel a member to remain in the Organization if its rights and obligations as such were changed by Charter amendment in which it has not concurred and which it finds itself unable to accept, or if an amendment duly accepted by the necessary majority in the Assembly fails to secure the ratification necessary to bring such amendment into effect." अर्थात् "समिति का विचार यह है कि ऐसे राष्ट्रों को, जो कि सदस्य बनें, उच्चतम कर्तव्य यह है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिये संघ में अपने सहयोग को निरन्तर बनाये रखें। फिर भी यदि कोई सदस्य किन्हीं विशेष अपवादजनित परिस्थितियों में सदस्यता वापस लेने के लिये अपने को विवश ही पाता है, और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का भार अन्य सदस्यों पर ही छोड़ना चाहता है, तो संघ का उद्देश्य यह नहीं होगा कि एक सदस्य को उस समय भी संघ में बने रहने के लिये विवश किया जाय, जबकि चार्टर के सशाधन द्वारा उस सदस्य के ऐसे अधिकारों और प्रभारों को ही परिवर्तित कर दिया गया हो, जिसके लिये कि अपने पहले से सम्मति नहीं दी

धी; और यह कि जिस संगोपन को यह अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है, या यह कि महा द्वारा बहुमत से मान्य किसी संगोपन को प्रभावकारी होने के लिये जिस रुग्णभेदन की आवश्यकता थी, यह न दिया जा सके।”

सोवियत संघ ने यह दावा किया कि किसी राज्य की सम्प्रभुता में किसी सत्या से अपने को पृथक् कर लेने की गति स्वयमिच्छा गति है, किन्तु इन विचार को उस आयोग द्वारा पुष्ट नहीं किया जा सका जिनमें कि मान्-फ्रान्सिस्को सम्मेलन के नये प्लेनरी-अधिवेशन में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे।

यही विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या किसी सदस्य-राष्ट्र को चार्टर में किसी विशिष्ट एतद्विषयक उपबंध के न रहते दृष्टे संघ से प्रत्याहरण कर लेने का अधिकार है, अथवा नहीं। डा० पस्वोल्स्की (Dr. Pasvol'sky) ने जो कि मान्-फ्रान्सिस्को सम्मेलन में 'इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन ऐंड सेक्यूरिटी अफेयर्स' के राज्य-मंत्री के विशेष सहायक थे, सम्मति प्रकट की थी कि मूल डंबार्टन ओक्स संकल्पों (Original Dumbarton Oaks Proposals) के अन्तर्गत, जहाँ कि न तो प्रत्याहरण का कोई उपबन्ध है, और न प्रत्याहरण के निषेध का उपबन्ध है, तो एक विधि-प्रसंग के रूप में यह तात्पर्य हुआ कि प्रत्याहरण के अधिकार का अस्तित्व है, कारण यह है कि वरार एक ऐसे प्रकार का नहीं है जो कि किसी भी अर्थ में सदस्य-राज्यों को एक नई सरकार के हाथों में या उसके अन्तर्गत अपनी स्वतंत्रता सौंप देने का उपबन्ध करता हो। यह भी कहा जा सकता है कि प्रसंग का एक पक्ष यह भी है कि सम्प्रभु राज्यों के किसी संघ में सभी सदस्यों में प्रत्याहरण की समता विद्यमान होती है। अतः चार्टर में प्रत्याहरण करने की शक्ति स्वयमेव अन्तर्निहित मानी जानी चाहिए।

दूसरा पक्ष यह है कि चूँकि लीग-कवनेंट ने प्रत्याहरण के अधिकार को एक ऐसे अन्तर्निहित-अधिकार की मान्यता दी थी, जो कि सभी सदस्य-राज्यों में विद्यमान है, और यह कि वह इसका प्रयोग किसी कारण के आधार पर एक बिना कारण के भी कर सकता है; अतः चार्टर के प्रसंग में भी प्रत्याहरण स्वीकृत किये जाने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये, किन्तु इस बात पर भी ध्यान रहे कि इस स्वीकृति के लिये प्रसंगगत मामले में पर्याप्त आधार होने चाहिये। इस पर्याप्त कार्य-कारण आधार के सिद्धान्त का शास्त्रीय भाषा में 'क्लाजुला रिवस-सिक स्टैंटिबस' (*clausula rebus sic stantibus*) कहा गया है। यह सिद्धान्त परिस्थितियों के अनिवार्य परिवर्तन के आधार पर प्रत्याहरण को अनुमति देता है और वे परिस्थितियाँ उस राज्य के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली हो सकती हैं, जिनमें कि वह अपने-आप को संघ से आभारों से मुक्त कर दिये जाने की माँग कर रहा

है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसा प्रत्याहरण एकपक्षीय (unilateral) नहीं हो सकता। जो राज्य सदस्यता में मुक्त होना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम सदस्यता से मुक्त किये जान के लिये सभ से आवेदन करे। केलसन (Kelsen) का कथन है कि कार्य-कारण आधार न तो कोई प्रत्याहरण का अधिकार उनकी सप्रभुता की एक अभिव्यक्ति के रूप में प्रदान करता है और न तो अपवाद जनितपरिस्थितियों (exceptional circumstances) में ही यह अधिकार प्रदान किया गया है।^१

यह प्रश्न उस समय और भी विचारणीय हो गया जब कि इण्डोनेसिया ने इस आधार पर कि १९६३ में जेकोस्लावाकिया द्वारा जनवरी १, १९६५ को रिक्त किये गये स्थान पर एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद में मलायेशिया का चुनाव हो गया, और चूंकि इंडोनेसिया मलायेशिया से प्रतिस्पर्धी रूप में रहा है, इंडोनेसिया ने संयुक्त राष्ट्र सभ से अपने प्रत्याहरण की अधिसूचना कर दी। इस प्रसंग में भी वही तर्क सामने रखे गये कि संयुक्त-राष्ट्र के चार्टर में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं प्रतीत होता कि कोई भी देश, जिसने कि उस पर हस्ताक्षर किये हैं, निकाय से प्रत्याहरण नहीं कर सकता। और राष्ट्रा की लोग के कवेंनेंट क ठीक विनयीत चार्टर के उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि कोई सदस्य राष्ट्र अपनी सदस्यता स्वेच्छया वापस नहीं ले सकता। इनमें सदेह नहीं है कि कोई देश सभा का बहिष्कार कर सकता है, या किसी सस्तुतिमूलक संकल्प (recommendatory resolution) का पालन करने, या उसका सम्मान करने से इनकार कर सकता है किन्तु एक हस्ताक्षरकर्ता के लिये चार्टर पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से उसके आधारों से अपने को मुक्त कर लेने का मार्ग नहीं खुला हुआ है। चार्टर के अनुच्छेद ६ के द्वारा सदस्य-राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध भी उनको सदस्यता समाप्त की जा सकती है, क्योंकि इस अनुच्छेद में उपबन्धित है कि संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य, जिसने कि वर्तमान चार्टर में निहित सिद्धान्तों का निरंतर उल्लंघन किया है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा निष्काषित किया जा सकता है।

इस प्रसंग में यहाँ उल्लेखनीय है कि W. H. O. या (World Health Organisation) विश्व-स्वास्थ्य-सभ के सविधान में ऐसा कोई खंड नहीं है जो कि किसी राष्ट्र को इस घोषणा के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर सदस्यता वापस करने का अधिकार दे सके कि सभ के सविधान में कोई ऐसा परिवर्तन या संशोधन हो गया, जो कि उसके सर्वथा अहित में है, या यह कि कोई ऐसा संशोधन हुआ है, जिस पर कि उसने पहले हस्ताक्षर के समय कदापि सहमति

१. Hans Kelsen: The Law of the United Nations, p. 128.

नहीं दी थी। जब कि सयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व-स्वास्थ्य-सभ में प्रविष्ट होना चाहा, तो कांग्रेस के दोनों सदनों ने स्पष्टतः प्रस्थापित किया कि सयुक्त राज्य उस सभ से पृथक् हो जाने के अपने अधिकार को धारित किये हुये है और यह कि यह प्रत्याहरण १ वर्ष की अधिसूचना के आधार पर हो मकेगा। जुलाई २, १९४८, को विश्व-स्वास्थ्य-सभा (World Health Assembly) ने, फिर भी, सयुक्त राज्य द्वारा सविधान के उस रूप में ग्रहण किये जाने की वैधता को मान्यता प्रदान की।

१२ फरवरी, १९४९ को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकस ने विश्व-स्वास्थ्य-सभ की क्रियाविधि से असंतुष्ट होकर घोषित किया कि अब वह इस सभ का सदस्य नहीं है। उक्रनियन सोवियत समाजवादी गणतंत्र और बार्सेलोनोमी सोवियत समाजवादी गणतंत्र ने भी तदनन्तर अपने प्रत्याहरण को अधिसूचित कर दिया। डायरेक्टर जनरल ने, फिर भी, सयुक्त समाजवादी सोवियत सभ का सूचित किया कि चूंकि विश्व स्वास्थ्य-सभ के सविधान में प्रत्याहरण का कोई उपबन्ध नहीं है, अतः वे उसकी अधिसूचना को सभ से प्रत्याहरण के रूप में स्वीकृत नहीं कर सकते। इस तर्क को सभा ने २५ जून, १९४९, का अनुमोदित किया। जुलाई १९५५, में सोवियत सभ ने पुनः उद्धोषित किया कि वह विश्व स्वास्थ्य सभ में सम्मिलित हो रहा है। एकमात्र कठिनाई केवल उस अधिध के बकाये के चन्दे की थी, जिसमें कि प्रत्याहरण करने वाले राज्यों ने अपने को सभ से पृथक् मान लिया था। इस कठिनाई का समाहार ५ प्रतिशत प्रतीकात्मक चन्दे की पूर्ति द्वारा कर लिया गया और प्रत्याहार स्थिर न हो पाया।

फियनबर्ग (Fenberg) का कथन है कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से प्रत्याहरण करने का अधिकार अस्तित्व में नहीं है। यह न तो सप्रभुता या समता के सिद्धांत में निहित है और न तो किसी सघात्मक राज्य या राज्यों के कंफेडरेशन के सिद्धांत में ही पाया जाता है। यह अधिकार केवल तभी अस्तित्व में है, जब कि उसे मान्यता दी गई हो, और यह मान्यता सविधान में स्पष्टतः दी गई हो, यह आवश्यक नहीं है। यदि ऐसी मान्यता सविधान में दी गई हो, तब तो यह विचारों की भिन्नताओं से बचने का सर्वोत्तम उपाय हो सकता था। दूसरे शब्दों में, प्रत्याहरण का अधिकार अन्तर्निहित रूप में भी दिया जा सकता है, अर्थात् प्रत्येक प्रसंग में यह अवश्य ही सिद्ध हो जाना चाहिए कि यद्यपि लिखत (instrument) में प्रत्याहरण उपबन्धित नहीं है, फिर भी पक्षकारों का आशय यह है कि इसे स्वीकार कर लिया जाय। किसी अन्तर्राष्ट्रीय सभ से, जब कि उसके सविधान में प्रत्याहरण का उपबन्ध नहीं है, फिर भी यह अधिकार मिन सके, ऐसा दृष्टांत सयुक्त राष्ट्र सभ

मे है। सैन फ्रान्सिस्को में सघ की विशेष अनुज्ञात्मक घोषणा में पक्षकारों के अभिप्राय को अभिव्यक्ति मिली। यद्यपि कुछ लेखकों ने आदेशात्मक घोषणा की वैधता को स्वीकार नहीं किया है (विशेष रूप में केलसन ने 'दो लॉ ऑव दी युनाइटेड नेशन्स' पृ० १२२) किन्तु जैसा कि फियनबर्ग ने लिखा है इस तर्क का समर्थन अधिकांश विद्वानों ने नहीं किया है। केलसन ने निष्कर्ष रूप में कहा है कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय सघ से एकपक्षीय प्रत्याहरण के अधिकार का समर्थन नहीं किया जा सकता और इसलिये प्रत्याहरण केवल तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब कि इसका स्पष्टतः उपबन्ध हो या यह कि अन्तर्निहित तात्पर्य के रूप में इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है।^१

अब भी प्रसंग कठिनाइयों से मुक्त नहीं है। विश्व-स्वास्थ्य-सघ ने मूल सवैधानिक समस्या का सुलभाव प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि रूस ने जब प्रत्याहरण के प्रस्ताव के उपरान्त ५ प्रतिशत बकाया प्रतीकात्मक शुल्क भ्रष्टा करके सदस्यता बनाये रखा, तब सघ बहुत अधिक वैध तर्क-वितर्क में पड़ने नहीं गया। इस विवाद का सुलभाव इस प्रकार हो सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को यह प्रसंग प्राधिकारिक सम्मति के लिये सर्वाभित कर दिया जाय। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि चूकि चार्टर में प्रत्याहरण का उपबन्ध नहीं है, और सघ अपनी प्रवृत्ति और प्रयोजनों के लिये इस उद्देश्य से अनुप्राणित है कि जहाँ तक संभव है, अपनी परिधि में विश्व के समस्त देशों को धावुत कर ले, अस्तु सार्वभौम आशय सघ की सार्व-देशिकता से है और यह कि एक सदस्य को प्रत्याहार का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये और न ता उसे अपने आभारा से उस समय तक भागने की ही अनुमति दी जानी चाहिये जब तक कि परिस्थितियों से एकपक्षीय प्रत्याहरण के लिए पर्याप्त आधार और कारण न उपस्थित हो गये हों, यहाँ तक कि उपसम्मति की आदेशात्मक घोषणा के आधार पर, जिसे कि प्रथम आयोग ने अनुमोदित किया था, और बाद में जिसका अनुसमर्थन सैन फ्रान्सिस्को की साधारण सभा ने किया था, स्पष्टतः प्रस्थापित हो गया कि सदस्य बनने वाले राज्यों का यह सर्वोत्तम कर्तव्य होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिये वे सघ में अपना सदस्यता निरन्तर जारी रखें, और यह कि सघ का उद्देश्य यह नहीं था कि ऐसी स्थिति में भी किसी सदस्य को सदस्यता जारी रखने के लिए विवश किया जाय जब कि अपवादजनित परिस्थितियाँ इस योग्य उपस्थित हो गई हों कि प्रत्याहरण तर्कसंगत

१. The British Year Book of International Law, 1963 Unilateral Withdrawal from an International Organization by N. Fienberg, 189, 215, 218

उपाय प्रतीत होने लगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि सभ से प्रत्याहरण की अनुमति देने के लिए, और उसे न्यायोचित कहे जाने के लिए पर्याप्त न्यायोचित कारण का होना आवश्यक है। ऐसे अपवादजनित कारण 'रिक्स सिक् स्टैन्डिक्स' या पर्याप्त कार्य-कारण आधार के अन्तर्गत परिवर्तित परिस्थितियाँ होंगी क्योंकि यदि प्रत्याहरण सम्बन्धित पक्षकार की इच्छा पर स्वीकृत कर दिया जाता है, तो इसका स्पष्टतः बुरा प्रभाव विश्व-संगठन की दृढ़ता पर पड़ेगा।

शास्त्र (Schachter) का कथन है कि, "The omission of the usual clause permitting denunciation or withdrawal was evidently due, not to an oversight, but to a general policy which favoured universality and deprecated unilateral action." अर्थात् सामान्यतः विमुक्ति या प्रत्याहरण की अनुमति उपबन्धित करने वाले खंड का लोप किसी अपवादधानी के कारण नहीं हुआ है, अपितु एक सामान्य नीति के आधार पर इस लोप को रखा गया है, जिससे सार्वदेशिकता का समर्थन हो सके और एकपक्षीय कार्यवाही रोकੀ जा सके। जनवरी १७, १८७१ के लन्दन प्रोटोकॉल द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय विधि में इस सिद्धान्त को और भी बल मिला, क्योंकि इस प्रोटोकॉल में महात्त शक्तियों ने घोषणा की कि यह राष्ट्रों की विधि का एक अनिवार्य सिद्धान्त है कि कोई भी शक्ति के अधिभार से अपने-आप को विमुक्त नहीं कर सकता, जब तक कि अन्य सविदाकार शक्तियों द्वारा सौहार्द्रता-पूर्वक मान्य न हो जाय। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना उचित होगा कि इटालीयान संयुक्त राष्ट्र सभ में पुनः वापस आ गया और उसने सितम्बर, १९६६ में हुई संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के २१वें अधिवेशन में भाग ले लिया।

"शान्ति के लिये संगठित होने" का संकल्प (Uniting for Peace Resolution)—चार्टर की संरचना इस अन्तर्निहित विचार के साथ की गई थी कि इससे महात्त शक्तियों की एकता होगी। वस्तुतः जब चार्टर प्रभावकारी हुआ, उस समय यह एकता अस्तित्व में थी। किन्तु, बाद में यह देखा गया कि यह एकता स्थायी या अविच्छिन्न नहीं रह गई। संयुक्त राष्ट्र के पुलिस बल का, जिसका कि उपबन्ध चार्टर द्वारा किया गया था, सुरक्षा परिषद के नियन्त्रण में रहे जाने का आशय था, जिसमें कि महात्त शक्तियाँ अपने निषेध-अधिकार (right of veto) को लेकर बैठी हुई हैं। इसलिये, यदि महात्त शक्तियाँ किसी अपघर्षण के विरुद्ध नहीं खड़ी होना चाहती, तो सम्भावना यह थी कि पुलिस की शक्ति द्वारा संयुक्त राष्ट्र ऐसी स्थिति में दान्ति प्रवर्तित न कर सके। इस कठिनाई को दूर करने के लिए

संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे 'शान्ति के लिये एकता' (Uniting for Peace) का नाम दिया गया। नवम्बर ३, १९५०, को साधारण सभा ने प्रस्ताव को अंगीकृत कर लिया, जिसमें कि निम्नलिखित कहा गया —

If the Security Council because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to peace, breach of the peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to members for collective measures, including in the case of a breach of the peace or act of aggression the use of armed force when necessary to maintain or restore international peace and security. If not in session at the time, the General Assembly may meet in emergency special session within twenty-four hours of the request therefor. Such emergency special session shall be called if requested by the Security Council on the vote of any seven members or by a majority of the members of the United Nations."

'यदि सुरक्षा परिषद, स्थायी सदस्यों में एकमत हा सकने के अभाव में, किसी ऐसे प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के अपने प्राथमिक कर्तव्य व अनुपालन में विफल हो जाती है, जहाँ कि शान्ति के लिए खतरा प्रतीत होता हो, या शान्ति भंग होने की स्थिति हो, या अग्रघर्षण का कार्य किया गया हो, तो साधारण सभा प्रसंग पर तत्काल विचार करगी जिससे कि वह सदस्यों के पास सामूहिक उपाय अपनाने की सत्तुति कर सके, जिसमें कि प्रसंग में निहित शान्ति क भंग हो, या ऐसे अग्रघर्षण के कार्य में, जहाँ कि सैन्य बल का प्रयोग आवश्यक हो गया हो, जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को या तो बनाये रखा जा सके, या फिर से स्थिर किया जाय। यदि उस समय साधारण सभा सत्र में न हो, तो सभा आपात्काल में, इस आशय के निवेदन पर २४ घंटे के भीतर बैठक के लिए बुलाई जा सकती है। इस प्रकार का आपात्कालीन विशेष सत्र सुरक्षा परिषद द्वारा उसके किसी भी सात सदस्यों के बहुमत के आधार पर किये गये निवेदन पर, या संयुक्त राष्ट्रों के सदस्यों के बहुमत के निवेदन पर आयोजित किया जा सकेगा।'

सभा ने एक 'सामूहिक उपाय समिति' (Collective Measures Committee) की भी संरचना की जिसके उत्तरदायित्व में यह काम दिया गया कि यह समिति का रोबन व लिये संघ की प्रथम योजना तैयार करे। इसी मंत्रालय के द्वारा एक 'शान्ति-निरीक्षण-प्रयोग' (Peace Observation Commission) का भी गठन किया गया।

'शान्ति के लिये सगठित होने' (Uniting for Peace) के संकल्प का संयुक्त समाजवादी सोवियत गणतन्त्र द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि इससे सुरक्षा परिषद कमजोर हो जायेगी, क्योंकि परिषद के शान्ति और सुरक्षा संबंधित पूर्ण दायित्व को उससे छीना जायेगा और चार्टर में निषेध (veto) के आधार पर जिस समरूपता की प्रकल्पना की गई है, वह मिथ्या माना जायेगा।

'शान्ति के लिये सगठित होने' के संकल्प के अन्तर्गत महासभा को जाति प्रदान की गई है, उसके अनुसरण में महासभा का एक विशेष प्रापात्कालीन अधिवेशन नवम्बर, १९५६ के प्रथम सप्ताह में बुलाया गया। इन अधिवेशन के लिये विचारणीय प्रश्न अक्टूबर, १९५६ में मिल पर डिजरायल-एंग्लो-फ्रेंच-प्रारूपण पर उस स्थिति में विचार करना था जबकि सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका के इस प्रस्ताव पर ब्रिटेन और फ्रान्स ने निषेध का प्रयोग कर दिया था कि मिल में सभी राष्ट्रों से बल प्रयोग या आतंक को रोकने का आग्रह किया जाय।

'शान्ति के लिये सगठित होने' के संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दो महत्वपूर्ण अंगों अर्थात् महासभा और सुरक्षा परिषद के बीच विश्व शान्ति को बनाये रखने के प्रसंग में परस्पर के आधारभूत संबंधों को ही बदल डाला। इसने महासभा को वह सान्दर्भ्य प्रदान कर दी कि वह ऐसी स्थिति में स्वयं आगे कदम उठा सके, जब कि परस्पर महान् शक्तियों की मत-भिन्नता के कारण सुरक्षा परिषद प्रभावकारी कदम उठा सक्ने में असफल हो रही हो; और यह कि सभा ऐसी संस्तुतियाँ भी कर सके जिनमें सैन्य-बलों के प्रयोग के भी उपबन्ध हो। इस संकल्प के विभिन्न उपबन्धों का उद्देश्य है सामूहिक उपायों को शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावकारी कर सक्ने और उनमें त्वरितता से आना। प्रभाव रूप में प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया है कि जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, जिसका कि उल्लेख ऊपर किया गया है, तो महासभा, जिसके समूह में महत्वपूर्ण प्रस्तावों के लिये वांछित है कि उपस्थित और मतदान करने वाले राज्यों में से दो तिहाई का बहुमत हो, इस बहुमत के आधार पर अपने हाथ में प्रसंगगत मामले को ले सकती है और सदस्य राज्यों के नाम कोई भी संस्तुति कर सकती है।

१९६० में काँगो विवाद में जिसमें बि-सुरक्षा परिपद ने ८ और २ के अनुपात के बहुमत से सक्ल्प पारित किया था कि महासभा का विशेष सत्र बुलाया जाय, उसकी वैधता को गोल्लेड और सयुक्त समाजवादी सोवियत गणतन्त्र न चुनौती दी थी। सोवियत रूस की चुनौती का आधार यह था कि शान्ति क लिये सगठित होने का सक्ल्प चार्टर के उन उपबन्धों के प्रतिबूल अंगीकृत हुआ है जिनमें कि वांछित है कि आपातकालीन सत्रों की बैठक बुलाय क लिये सुरक्षा परिपद के स्थायी सदस्यों का एकमत होना आवश्यक है। सुरक्षा परिपद के प्रस्ताव की वैधता को दी गई इस चुनौती में इस आधार पर शान्ति क लिये सगठित होने क सक्ल्प की सवैधानिकता का प्रश्न नहीं उठा क्योंकि महासभा की सक्षमता चार्टर के अनुच्छेद ११ क पैरा २ और अनुच्छेद १२ के सम्बन्ध में सीमित है। इसका कारण यह है कि इससे पूर्व दो अवसरों पर सोवियत रूस ने इस आधार पर सभा के विशेष आपातकालीन अधिवेशन को बुलाने के प्रश्न पर स्वीकृत मतदान का प्रयोग किया था क्योंकि सुरक्षा परिपद का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने से सम्बन्धित जो प्राथमिक दायित्व है, उसके निर्वाहन में परिपद के स्थायी सदस्यों की एकमतता के अभाव से बाधा पड़ी थी। वे अवसर इन प्रकार थे—(१) अक्टूबर, १९५६ में इजरायल, फ्रांस और युनाइटेड किंगडम ने जब अगस्त, १९५५ में मिस्र पर आक्रमण किया था, उस समय सशस्त्र हस्तक्षेप क सम्बन्ध में, और (२) लेबनान और जार्डन में शान्ति के भंग होने की आशका के सम्बन्ध में प्रस्तावित सक्ल्प के प्रसंग में। १९५६ सुरक्षा परिपद में यह आपत्ति, जब कि दो स्थायी सदस्यों, अर्थात् फ्रांस और युनाइटेड किंगडम ने के स्वेज हस्तक्षेप के सम्बन्ध में नकारात्मक मतदान किया था फिर भी इस आपत्ति को बढ़ावा न मिल सका।

चार्टर के अनुच्छेद २० के अन्तर्गत विशेष अधिवेशन महासचिव द्वारा सुरक्षा परिपद के निवेदन पर बुलाये जाने का उपबन्ध है। उसके अन्तर्गत ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि कोई विशेष अधिवेशन सयुक्त राष्ट्र के ऐसे किसी भी सात सदस्यों के निवेदन पर बुलाया जा सके जिनका कि सुरक्षा परिपद में प्रतिनिधित्व है। चूँकि सोवियत रूस ने महासभा के उत्तरवर्ती आपातकालीन विशेष अधिवेशन की वैधता को चुनौती नहीं दी थी अतः मामले को सुलझा हुआ मान लेना चाहिये और महासभा के इस अधिकार को भी स्वीकार कर लेना चाहिये कि विशेष सत्र के बुलाने की प्रक्रिया वह स्वयं निर्धारित करे।

गोल्लेड ने दूसरी आपत्ति इस आधार पर उत्पन्न की थी कि सुरक्षा परिपद को जहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के बनाये रखने के प्राथमिक दायित्व का प्रश्न है, यह दायित्व अवश्य नहीं हुआ है क्योंकि परिपद ने काँगो के

२६८]

प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से तीन सकल्पों को अंगीकृत किया है। इनमें विशेष अघिवेशन बुनाये जाने के लिये जो शर्तें बाँधित थी वह पूरी नहीं हुईं। इस आपत्ति के उत्तर में केवल इतना कहा जा सकता है कि इन तथ्यों में कि सुरक्षा परिषद् ने तीन सकल्पों को अंगीकृत किया है, यह अर्न्तनिहित नहीं है कि सदस्य आगे फिर इस आधार पर सभा का विशेष अघिवेशन बुलान का आग्रह न कर सके कि सोवियत रूस द्वारा ऐसे सकल्प पर निषेध, जिसमें कि काँगो सरकार को संयुक्त राष्ट्र निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने का उपबन्ध था, परिषद् को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने के दायित्व के प्रयोग पर बाधक सिद्ध हुआ है। सात मतों की बाँधनीयता की शर्त वास्तव में पूरी हो चुकी है।

शान्ति के लिये सगठित होने के सकल्प के अंगीकृत किये जाने के उपरान्त भी "सुरक्षा परिषद् शान्ति बनाय रखने में सम्बन्ध में वैध रूप में प्रस्थापित प्राथमिकता को अग्र भी बनाये हुये है और इसके पूर्व लबनान, जार्डन और काँगों की विकट परिस्थितियों में परिषद् न स्थिति का सभालने के लिये अपने अधिकार का प्रयोग किया है, किन्तु जब तक कि शीत युद्ध का तनाव बना रहता है, यह सम्भव है कि महासभा अधिक प्रभावकारी कार्य सम्पन्न कर सके।" (जे० एल० ब्रायली, दो लॉ आफ नेशनस, सालहर्षा संस्करण, पृष्ठ ११८)।

कार्यों का सिंहावलोकन — साधारण सभा ने केवल एक क्षेत्र (forum) ही नहीं प्रस्तुत किया है वरन् उसने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में निश्चित निर्णय करने की क्षमता भी व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र सभ के क्षेत्राधिकार में माने वाले सभी विषयों पर वह बहस कर सकती है और यह कहना ठीक ही है कि 'काई भी ऐसी बात जो कि सूर्य की किरणों की सीमा में मानवीय हित की है अथवा मानव अधिकारों से सम्बन्धित है या मनुष्य के भोजन, उसके शरण और उसने वस्त्रादि से सम्बन्धित है' वह साधारण सभा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है।

स्टार्क (Starke) के अनुसार "It is remarkable that in practice the General Assembly has been able to take a leading role in questions of international peace and security."—वास्तव्य यह कि साधारण सभा ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रश्नों के निपटारा के लिये प्रशसनीय कार्य किया है। पैलास्टाइन, ग्रीस, स्पेन, कोरिया, काश्मीर, बांग्ला आदि, सभी विवादों में उसने विचार-विमर्श किया है तथा सभ स्यामों के मुक्तकाने का भरसक प्रयाग किया है।

साधारण सभा ने ३ जनवरी, १९५० को (Uniting for Peace) अर्थात् शांति के लिये संयुक्त होने का प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव से साधारण सभा की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ गई हैं। इस प्रस्ताव ने पाँच महान् शक्तियों द्वारा प्रयोग किये गये निषेधाधिकार की प्रखरता को आंशिक रूप से कम कर दिया है।

२ सुरक्षा परिषद् (Security Council)

सुरक्षा परिषद् में प्रारम्भिक रूप में संयुक्त राष्ट्र के ग्यारह सदस्य होते थे। चीन का गणतन्त्र, फ्रांस, रूस का समाजवादी गणतन्त्र सभ, ग्रेट-ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका पाँच स्थायी सदस्य हैं और छ अस्थायी सदस्य साधारण सभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिये निर्वाचित होते थे।

महासभा द्वारा दिसम्बर १७, १९६३, को स्वीकृत किये गये संशोधन जो प्रभावकारी रूप में अगस्त ३१, १९६५, को अस्तित्व में आया, सुरक्षा परिषद् पंद्रह सदस्यों द्वारा गठित होगी जिनमें महासभा दस अन्य संयुक्त राष्ट्र सदस्यों को सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्वाचित करेगी। अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन में विशेष रूप से उन राष्ट्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य में संयुक्त राष्ट्र सभ को विशेष सहयोग दिया है। इसके साथ ही इस निर्वाचन में समान भौगोलिक वितरण के भी सिद्धान्त को व्यवहृत किया जाएगा।

चार्टर में यह भी अनुबन्धित है कि संयुक्त राष्ट्र सभ का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद् का सदस्य न हो मतदान का अधिकार न रखते हुये भी किसी प्रश्न की विवेचना में जो सुरक्षा परिषद् के समक्ष रखा गया हो, यदि उस सदस्य के हितों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता हो तो भाग ले सकता है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सभ का कोई सदस्य जो सुरक्षा परिषद् का सदस्य न हो अथवा कोई राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र सभ का सदस्य न हो यदि वह सुरक्षा परिषद् के विचाराधीन किसी झगड़े में पक्षकार हो तो उसे मतदान के अधिकार के बिना उस झगड़े संबंधी विवेचना में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया जायगा।

सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष पारी-पारी से सुरक्षा परिषद् के सदस्यों द्वारा उनके नाम से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमानुसार ग्रहण किये जाते हैं। प्रत्येक अध्यक्ष कैलेंडर के एक मास के लिये पद ग्रहण करता है।

सुरक्षा परिषद् की शक्तियाँ और कार्य — संयुक्त राष्ट्र सभ के सम्पूर्ण वैधानिक रूप से प्रमुख कार्यों का संचालन सुरक्षा परिषद् को दिया गया है जो उन्हें

या तो अकेले अथवा साधारण सभा से परामर्श करके करती है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्यों द्वारा सुरक्षा परिषद् को सौंपा गया है। सुरक्षा परिषद् सयुक्त राष्ट्र सघ का एक अंग है। इसका अधिक अथवा कम मात्रा में कार्य-कारिणी के रूप में कार्य करने पड़ते हैं। अतः यह चार्टर अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत सयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्यों की ओर से कार्य करती है तथा सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे सुरक्षा परिषद् के निर्णयों को स्वीकार करेंगे तथा उनका पालन करेंगे।

भगडों वा शान्तिपूर्ण तथा अनुरोधपूर्वक समझौता — सुरक्षा परिषद् प्रमुख दो कार्य करती है। यह चार्टर के अध्याय ६ के अन्तर्गत भगडों के बारे में जांच करती है तथा अध्याय ७ के अन्तर्गत शान्ति भंग क सम्बन्ध में कार्यवाही करती है। अध्याय ६ के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् जब कभी आवश्यक समझती है भगडे के पक्षकारों को बुलाती है जब कि भगडे क जारी रहने से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना सकटापन हो तथा उनसे उनका वाता-समझौता, जांच, मध्यस्थता, सात्वना, पचायत, न्यायिक नियम, प्रादेशिक अभिकर्तृत्व अथवा प्रबन्धक का अवलम्बन अथवा उनकी इच्छा के अन्य शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा करने का कहती है। ऊपर निर्देशित प्रकार के भगडों के पक्षकार बतायी गयी रीतियों से यदि इस तय करने में असफल रह तो सुरक्षा परिषद् यह निर्णय करती है या तो ठीक ठीक प्रक्रियाओं की अथवा तय करने की रीतियों की सिफारिश की जाय अथवा तय करने के वास्तविक निबन्धना की सिफारिश की जाय। सुरक्षा परिषद् स्वतः अथवा सयुक्त राष्ट्र सघ के किसी सदस्य द्वारा निर्देशित किये जाने पर अथवा किसी असदस्य द्वारा जो भगडे में पक्षकार हो अथवा साधारण सभा द्वारा निर्देशित किये जाने पर किसी ऐसे भगडे अथवा स्थिति की जांच कर सकती है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष उत्पन्न हो। भिन्न-भिन्न कार्यवाहियाँ जो सुरक्षा परिषद् द्वारा भगडों के शान्तिपूर्वक समझौते की दिशा में की गईं वे निम्नलिखित हैं :—

सन् १९४७ में नीदरलैंड तथा इटालीयाना स युद्ध बन्द करने को कहना, सुरक्षा परिषद् के २५ अंगस्त सन् १९४७ के प्रस्ताव पर इटालीयाना के मामले में गुस्सेवा मध्यस्थता, अयाग, पैनस्टाइन के मामले में मध्यस्थ की तथा बाद में समन्धान आयोग की नियुक्ति तथा भारत और पाकिस्तान के भगडे में मैत्रीपूर्ण समझौते पर पहुँचने का प्रयास आदि हैं।

अध्याय ७ के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् यह निश्चय करती है कि शान्ति के विरुद्ध कोई घमकी अथवा शान्ति भंग अथवा आक्रमणकारी कार्य तो विद्यमान नहीं है तथा सिफारिश करती है अथवा निर्दिष्ट करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा

सुरक्षा स्थापित रहने के लिये अथवा उनका पुनः स्थापनार्थ किन् उपायों का अवलम्बन किया जाय। सुरक्षा परिषद् द्वारा जो उपाय अवलम्बित किए जाय वे प्रवर्तक कार्य व भीतर आते हैं तथा दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उपाय वे हैं जिनमें सैनिक बल प्रयोग सम्मिलित नहीं है जैसे कि अनुच्छेद ४१ में अनुबन्धित है। इस अनुच्छेद व अनुबन्धों व अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् समुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों से यह माँग कर सकती है कि ऐसे उपायों को लागू करें जैसे आर्थिक सम्बन्धों, यातायात व मापना तथा कूटनीतिक सम्बन्धों का विच्छेद। दूसरे प्रकार के उपाय अनुच्छेद ४२ व अन्तर्गत लागू किए जाते हैं जब उपरोक्त अनुच्छेद ४१ में अनुबन्धित उपाय अपर्याप्त सिद्ध होते हैं तथा उनमें स्थल, जल अथवा वायु सेनाओं द्वारा ऐसा कार्य सूचित है जिसमें नाकाबन्दी भी सम्मिलित है जैसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना के अथवा पुनः स्थापना के लिए आवश्यक हो। इन वर्तव्यों का पालन करने व लिये समुक्त राष्ट्र सभ व सब सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि सुरक्षा परिषद् द्वारा मंगे जान पर तथा विशेष स्वीकार-पत्र अथवा स्वीकार-पत्रों के अनुसार वे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना के निमित्त आवश्यक सैनिक दल, सहायना तथा सुविधायें जिनमें यातायात अधिकार भी सम्मिलित हैं उसको प्रदान करेंगे। चार्टर के अनुच्छेद ४५ में यह व्यवस्था की गई है कि पाँच स्थायी सदस्यों की सेनाओं के प्रधानों की एक सैनिक दल-समिति बनगी जो सुरक्षा परिषद् को प्रवर्तक कार्य में सैनिक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में सम्मति तथा सहायता प्रदान करेगी। समुक्त राष्ट्र सभ की प्रति आवश्यक समय पर सैनिक उपायों के अवलम्बन करने योग्य बनाने के लिये सदस्यों ने यह भी प्रतिज्ञा की है कि वे राष्ट्रीय वायु सैनिक दलों की टुकड़ियों का समुक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रवर्तक कार्य के लिए तत्काल ही प्राप्त करावेंगे।

सुरक्षा परिषद् ने सर्वप्रथम निराकरणकारी अथवा प्रवर्तक कार्यवाही का कारिया की लड़ाई में प्रयोग किया जब इसने अपने जून २७ तथा जुलाई ७ सन् १९५० के प्रस्तावों द्वारा उत्तरी कोरिया में आक्रमण की निन्दा की तथा सदस्यों से यह प्रार्थना की कि वे सैनिक दल तथा अन्य सहायता दें तथा उनको समुक्त राष्ट्र के अधीन एक सम्मिलित कमान (unified command) को उपलब्ध करें। जुलाई ७ के प्रस्ताव द्वारा समुक्त राष्ट्र से प्रार्थना की गई कि वे इन सेनाओं के समावेश को नियुक्त करें तथा सम्मिलित कमान को यह प्राधिकृत किया गया कि वह स्वेच्छानुसार समुक्त राष्ट्र सभ के भंडे का उपयोग करे। कोरिया प्रजातंत्र की सेनाओं को अमेरिका के लड़ाकू तथा बम फेंकनेवाले वायुयानों द्वारा सहायता प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त समुक्त राष्ट्र सभ ने सदस्य तथा असदस्य राष्ट्रों द्वारा कम्प्यूनिस्ट चीन तथा उत्तरी कोरिया को सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पदार्थों के निर्यात

३०२]

मे रोक लगा दी। इसके पूर्व सुरक्षा परिषद ने पैलेस्टाइन, इजिप्टिया तथा काश्मीर के मामले में अपने को मुख्यतः पत्रकारों के बीच में समझौता होने पर गोलाबारी बन्द कराने के कार्य तक ही सीमित रखा।

तो भी यह अभी तक अनिश्चित ही है कि यदि एक राष्ट्र ऋग्ण्डे को शान्तिपूर्ण उपायों से निर्णय करने में असफल रहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू की गई प्रवर्तक कार्यवाही कहीं तक प्रभावपूर्ण होगी। चार्टर के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद को छोड़कर अन्य किसी रीति से प्रवर्तक कार्यवाही सम्भव नहीं है। सुरक्षा परिषद में बड़े पाँच को निषेधाधिकार (Veto Right) है जिसके परिणामस्वरूप किसी बड़ी शक्ति के विरुद्ध प्रवर्तक कार्यवाही पूर्णतः बहिष्कृत है।

सुरक्षा परिषद में तीन प्रस्तावों के अन्तर्गत उत्तरी कोरिया के विरुद्ध कार्यवाही करना या सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति में भी पारित हुये। अनुच्छेद २७ (३) के अनुसार सुरक्षा परिषद के निर्णय प्रक्रियात्मक प्रसंगों के अलावा अन्य सभी प्रसंगों में ७ (तथा संशोधन के पश्चात् ९) सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट द्वारा होता है जिसमें स्थायी सदस्यों का निर्णायक वोट भी रहता है।

कोरिया में की गई कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ऋग्ण्डे के वाष्पक समाधान के क्षेत्र के अन्तर्गत घाती है।

Dr Murray का कथन है कि "सुरक्षा के उपबन्ध संघ को बहुत ही तेज दाँत और बहुत ही प्रबल शक्ति प्रदान कर देते हैं और नया चार्टर पुराने कावनेट की अपेक्षा सुरक्षा परिषद को कहीं ऊँचे स्तर पर ला देना है। पहली बार पठन पर ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन आगे सन्देशों के कारण भी उत्पन्न हो जाते हैं। अधिक शक्ति से सम्पन्न राज्य प्रायः विश्व-शान्ति को खतरे में डाल दिया करते हैं। उनकी निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति यह सन्देश उत्पन्न कराती है कि शान्ति के लिये स्थापित किया हुआ संघ उन्हें अपने प्राधिकार में न ला सकेगा। वे बहुत सी साधारण प्रतिज्ञायें करते हैं कि अच्छा व्यवहार करेंगे किन्तु मनमाने व्यवहार के लिये स्वतन्त्र रहते हैं किन्तु हमें इस बात के लिये अपने आपको बधाई देना चाहिये कि नए संघ के दाँत हैं।"

सुरक्षा परिषद के अग्र वृत्त स्थानीय ऋग्ण्डों को शान्तिपूर्वक निर्णय के हैं। यह न्यासित प्रदेश का नियन्त्रण और निरीक्षण का अधिकार रखती है। यह साधारण सभा के समस्त सदस्यों के प्रवेश, निलम्बन तथा निष्कासन की सिफारिश करती है।

सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया (Voting Procedure) — सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मतदान का अधिकार है। प्रक्रिया सम्बन्धी

विषयो मे सुरक्षा परिपद का निर्णय सात (तथा सनाधन के पश्चात् ६) सदस्यों के अग्रीकारसूचक मतदान से होता है। अन्य सभी विषयों में सुरक्षा परिपद के निर्णय सात (तथा सनाधन के पश्चात् ६) सदस्यों के अग्रीकार-सूचक मतदान द्वारा होता है जिसमें स्थायी सदस्यों वा सहमतिसूचक मतदान भा सम्मिलित है। इन स्थितियों में स्थायी सदस्यों के अग्रीकारसूचक मतदान उस विशिष्ट निर्णय के पक्ष में आवश्यक हैं अन्यथा वह निर्णय भ्रष्ट हो जाता है अथवा विशेषाधिकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है और पड़ा रह जाता है।

निषेधाधिकार (Veto Right) :—स्थायी सदस्यों के निषेध सम्बन्धी निषेधाधिकार का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हा गया है, अतः इस विषय पर कुछ विवेचना की आवश्यकता है। प्रारम्भ में सैन फ्रान्सिस्को सम्मेलन में यह योजना बनाई गई थी कि पाँच बड़ी शक्तियों पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने का विशेष उत्तरदायित्व है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जी द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्तिम दिनों में विश्वसंध के विचार को विवादपूर्ण विषय बनाने के लिये उत्तरदायी थे, उनका यह विचार था कि युद्धोत्तर काल में बड़ी शक्तियों के लिये ससार की गाड़ी साथ-साथ खीचना आवश्यक है तथा इस उद्देश्य पर वे तभी पहुँच सकते थे यदि वे परस्पर सहाय्य करें तथा एक दूसरे से न लडे। वे इस बात को पहले से ही समझते थे कि अमेरिका तथा रूस ऐसी बड़ी-बड़ी शक्तियों के लिये यह कदापि सम्भव नहीं था कि वे एक ऐसी सभा में सम्मिलित हो जहाँ कुछ छोटे-छोटे राष्ट्र एकत्रित हो तथा केवल बहुमत के बल से उन्हें अपनी इच्छानुसार नचायें। वे समझते थे कि ये राष्ट्र भिन्न प्रकार से संगठित हैं तथा उनके आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में भिन्नता है। बड़े राष्ट्रों के लिये अपने को इस प्रकार सकटापन्न करना बड़ा ही कठिन था, अतः विश्व को उस स्थिति में निषेध का विशेषाधिकार आवश्यक हो गया, अन्यथा वे सयुक्त राष्ट्र किसी दशा में नहीं हो सकते थे। अतः उन्होंने इसको एक निश्चित विडम्बना के रूप में वास्तविकता प्रकट करने वाली स्थिति मानकर ग्रहण किया। अतः निषेधाधिकार का अभिप्राय यह था कि सयुक्त-राष्ट्र बड़ी शक्तियों में से किसी को न तो बाध्य कर सकता था और न ऐसा करना चाहिये था क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा करने का मतदान के बल पर प्रयास किया तो वह शक्ति अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर सकती थी। इसका अर्थ अन्य शब्दों में यह हुआ कि किसी बड़ी शक्ति को बलपूर्वक बाध्य करने का परिणाम निस्सन्देह एक विश्वयुद्ध होगा और अभिप्राय यह था कि उस विश्वयुद्ध का बचाया जाय तथा सधर्ष और विरोध को सम्मेलन के मेज पर ही रखा जाय और उसे युद्धक्षेत्र में न ले जाया जाय।

चार्टर के अन्तर्गत कोई प्रवर्तक कार्य (enforcement action) सुरक्षा परिषद् को छोड़कर किसी अन्य द्वारा सम्भव नहीं है। सुरक्षा परिषद् में बड़ी शक्तियों को निषेध का विशेषाधिकार है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी शक्तियों के विरुद्ध प्रवर्तक कार्य पूर्णतया बहिष्कृत हैं। केन्सन का कथन है कि सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों का निषेध का विशेषाधिकार जिसके द्वारा विशेषाधिकार संयुक्त राष्ट्र सभ की विधि के ऊपर हो जाते हैं, यह स्थापित करना है कि उनका वैश्विक प्रभुत्व संयुक्त राष्ट्र सभ के सब सदस्यों के ऊपर है तथा इपको (संयुक्त राष्ट्र सभ) एक निरंकुश अथवा कुलीनतन्त्र राज्य की मुद्रा से अंकित करता है। उनका यह भी कथन है कि चार्टर में यह उद्घोषित किया गया है कि इसका प्रथम सिद्धान्त इसके सब सदस्यों की सर्वव्यापी समानता है, अतः संयुक्त राष्ट्र सभ के राजनैतिक भावार्थ तथा इसके वैधानिक सगठन में स्पष्ट विरोध है। इस चार्टर से वह बड़ा लाभ पूर्णतः कुण्ठित हो सकता है जो चार्टर ने सुरक्षा परिषद् को प्रायः सरकार को समान शक्तियाँ प्रदत्त करके कावनेरट की शर्तों से अधिक प्राप्त करने का प्रयास किया।

निषेध का विशेषाधिकार इस भाषा से आरम्भ किया गया था कि बड़ी शक्तियाँ सभ के शान्तिपूर्ण तथा निर्विघ्न संचालन का निश्चित करने के लिये वही सद्वृद्धि स्थापना करने में सफल होंगे जो उन्होंने युद्ध के मध्य में प्रदर्शित की थी। यह निरर्थक समझा गया कि विभिन्न देशों के विस्तार, जनसंख्या, शक्ति की अपेक्षा किये बिना एक छोटे देश यथा आइसलैंड को वही मतदान तथा बोलने का अधिकार द दिया जाय जैसा रूस, ब्रिटेन अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका को। स्थायी सदस्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की उत्कट इच्छा असत्य सिद्ध हुई है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच के शीतयुद्ध ने संयुक्त राष्ट्र सभ को अपन लक्ष्य पर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति पर पहुँचने के बीच में रोड़ा अटका दिया है।

संयुक्त राष्ट्र सभ के निर्माण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में निषेध के विशेषाधिकार द्वारा बड़ी शक्तियाँ अपनी विदेशीय अथवा आन्तरिक नीति को संयुक्त राष्ट्र सभ के बहुमत निर्णयों से सुरक्षित करने में समर्थ हुई थीं। यह 'अनैच्छिक दामता के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में, बड़े राष्ट्रों के भाग्य को विदेशी वक्तव्यों के अधीनस्थ किये जाने के सम्बन्ध में समुचित भय के पूर्ण उत्तर के रूप में तथा अन्तर्राष्ट्रीय वक्तव्य की शाश्वत स्वतन्त्रता की गारन्टी के रूप में समझी जाती थी। इसमें सदेह नहीं कि रूस अपने निषेधाधिकार को किसी भी मात्रा में कम किये जाने के बहुत ही विरुद्ध है। यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद् का सुचारु रूप से संचालित

करने के लिये सुभेच्छापूर्वक किये गये प्रयासों को भी वह सदेह को दृष्टि से देखता है। उसने इस सदेह को ममभूना अपेक्षावृत्त मरल है क्योंकि रूस वालों के साथ उनके निषेधाधिकार की नीति के सबंध में दूसरे पक्ष वाले निष्पक्ष नहीं रहे हैं। यदि रूस वालों ने अपने निषेधाधिकार का दुरुपयोग किया है तो दूसरे पक्ष वालों ने भी उनको इस दुरुपयोग के लिये अपराध कहने में चूक नहीं की है। निश्चय ही कुछ स्थितियों में निषेधाधिकार का प्रयोग स्पष्ट रूप से रूस के अनुयायियों की रक्षा के लिये किया गया था तथा अन्य दशाभ्यां म रूस का अभिप्राय संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी आपेक्षिक शक्ति स्थिति बनाय रखने का था, न कि उसके कार्यों में रोड़ा अटकान का। निषेधाधिकार का उपयोग नये सदस्यों के प्रवेश के विरुद्ध भी किया गया जिस साधारण सभा में बहुमत वालों की संख्या में वृद्धि न हो जाय तथा दोष निषेधाधिकार साधारण सभा की क्षमता की वृद्धि का रोकने में उपयोग किये गये।

निषेधाधिकार के प्रभाव को कम करने के लिये साधारण सभा ने सोवियत रूस के मत के विरुद्ध नवम्बर ३, १९५० को यह प्रस्ताव किया कि सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्यों के मतैक्य में अभाव में अपने प्रमुख दायित्व को प्रशान्ति अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाती। जहाँ कहीं भी शान्ति के लिए धमकी दी जाती है या शान्ति भंग की जाती है या आक्रमण किया जाता है, उन सभी मामलों में ऐसा ही मतविभेद देखने को मिलता है। इसलिये इस विषय पर साधारण सभा तत्काल ही विचार करेगी जिससे सदस्यों के सामूहिक कार्यवाही के सम्बन्ध में सिफारिश की जा सके जिससे शान्ति भंग की अवस्था में और आक्रमण के समय यदि आवश्यक हो तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिये सैनिक कार्यवाही की जा सके। यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि यदि साधारण सभा उस समय अपने सत्र में नहीं है तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के २४ घंटे के भीतर उसकी आपातकालिक बैठक बुलाई जा सके। ऐसी बैठक सुरक्षा परिषद् के किसी भी सात सदस्यों से वोट पर या संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की बहुमत पर बुलाई जा सकती है।

M. Alvarez ने अपनी पसहमति सूचक निष्कर्ष "साधारण सभा की क्षमता पर कि वह नये राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित करने में कहीं तक सक्षम है", के वाद में अवलोकन किया है कि— "To decide that the right of veto may be freely exercised in every case in which the Security Council may take action would mean deciding that the will of a single Great Power could frustrate the

will of the other members of the Council and of the General Assembly, even in matters other than the maintenance of peace and security, and that would reduce the U. N. O. to impotence." अर्थात् यह निश्चय करना कि हर मामले में निषेधाधिकार का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग किया जाय जिसमें कि सुरक्षा परिषद् को कार्यवाही करना आवश्यक होता है, अभिप्राय यह होगा कि केवल एक महान् शक्ति परिषद् के अन्य सदस्यों की इच्छाओं को दबा सकती है और यहाँ तक कि साधारण सभा की इच्छाओं को उन मामलों में भी जो कि शांति और सुरक्षा की अपेक्षा अन्य हैं। इससे सयुक्त राष्ट्र सभ पूर्ण रूप से अक्षम हो जायेगा।

दुहरा निषेधाधिकार (Double Veto).— सुरक्षा परिषद् की मतदान-प्रक्रिया में देखा जा चुका है कि इस परिषद् में प्रत्येक सदस्य का एक मत देने का अधिकार प्राप्त है। प्रक्रिया सम्बन्धी (procedural) विषयों में सुरक्षा परिषद् का निर्णय कोई सात (और अनुच्छेद २७ के सशोधन के पश्चात्, नौ) सदस्यों के अग्रीकार सूचक मत (affirmative vote) से होता है। अन्य सब विषयों में सुरक्षा परिषद् का निर्णय सात (और अनुच्छेद २७ के सशोधन के पश्चात्, नौ) सदस्यों के अग्रीकारसूचक मतदान से होता है जिसमें स्थायी सदस्यों की सहमतिमूचक मतदान भी सम्मिलित है। यदि स्थायी सदस्य किसी ऐसे विषय पर जो प्रक्रिया सम्बन्धी न होकर मौलिक विषय हो, निषेधात्मक (negative) मत देता है तो उसे विशेषाधिकार द्वारा निषेध अधिकार (veto) कहा जाता है।

सुरक्षा परिषद् के मतदान प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता तब प्रकट होती है जब उसके विषयों का अंतर प्रक्रिया (procedure) और मौलिक विषयों (matters of substance) में होता है। सयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर में भी इन दो विषयों के संबन्ध में व्याख्या नहीं दी गई है। जिन विषयों से सुरक्षा परिषद् का कार्य सगठित रूप से निरन्तर चलता रहता है, वे विषय प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों के अन्तर्गत आते हैं, जैसे सुरक्षा परिषद् के अधिवेशन का समय तथा स्थान निश्चित करना, सदस्यों को आमन्त्रित करना, उसके प्रक्रिया के लिये नियम बनाना, आदि। सन् १९४५ में २३ विषयों का एक लेखपत्र बनाया गया लेकिन जहाँ तक विशेषाधिकार के द्वारा निषेध के अधिकार का प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों पर लागू होने का सम्बन्ध है, इस लेखपत्र ने उसे सीमित नहीं किया। लेकिन दुहरे निषेधाधिकार द्वारा निषेध के अधिकार (Double Veto) नामक एक अन्य नियम द्वारा यह सीमित हो गया है; यद्यपि विशेषाधिकार द्वारा निषेध के अधिकार के समान ही इसका विवरण भी चार्टर में नहीं है। जहाँ भी एक स्थायी सदस्य को एक वास्तविक निर्णय पर

विशेषाधिकार द्वारा निषेध करना होना है चाहे वह प्रश्न प्रक्रिया सम्बन्धी हो अथवा मूल विषय हो, वही दुहरा विशेषाधिकार द्वारा निषेध का अधिकार (Double Veto) होता है। जब प्रारम्भिक प्रश्न यह होता है कि कोई प्रक्रिया सम्बन्धी विषय है या नहीं तब उसे विशेषाधिकार द्वारा निषेध किया जा सकता है। एक निषेधात्मक मतदान द्वारा किसी प्रश्न को पहिले तो प्रक्रिया सम्बन्धी विषय बनाने से रोका जाता है। उसके उपरान्त प्रस्ताव की मौलिकता (substance) के विरोध में दुबारा मत दिया जाता है। इसी नियम से निषेध का अधिकार दुहरे निषेधाधिकार द्वारा निषेध के अधिकार में बदल जाता है।

सुरक्षा परिपद में मत प्रदान करने की प्रणाली में एक विभेद प्रक्रियात्मक तथा अन्य तथ्य सम्बन्धी मामलों में उपस्थित होता है। चार्टर में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। यह तो १९४५ में महाद्व शक्तियों द्वारा एक समझौता के आधार पर विभेद मान लिया गया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस वक्तव्य (Statement) पर कोई औपचारिक कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप यद्यपि व्यवहारतः यह वर्गीकरण मान्य है फिर भी वैध प्राधिकार सयुक्त राष्ट्र सभ के प्रति कोई नहीं है।

Andrew Martin John और Edwards के शब्दों में "जहाँ तक सीमावर्ती मामलों का सम्बन्ध है यह प्रारम्भिक प्रश्न कि क्या विषय प्रक्रियात्मक है स्वतः एक निषेधाधिकार का विषय है। वास्तव में इसी नियम ने निषेधाधिकार को दुहरे निषेधाधिकार के रूप में बदल दिया है। पहले तो एक नकारात्मक वोट दिया जाना है जिससे कि किसी विषय को सुरक्षा परिपद प्रक्रियात्मक न मान ले, और उसके बाद दूसरी बार मतदान किया जाता है कि प्रस्ताव का तत्त्व ही निष्कन हो जाय।" (First a negative vote is cast to prevent the Council from treating a question as procedural, and a vote is then cast for the second time to defeat the substance of the motion.)

निषेधाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में १९४८ में साधारण सभा द्वारा गम्भीरता से विचार किया गया था। सभा ने सुरक्षा परिपद को यह सिफारिश की थी कि कम से कम ४५ प्रकार के प्रक्रियात्मक ढङ्ग के निर्णय मान लिये जायें जिससे कि बड़ी शक्तियाँ दुहरे निषेधाधिकार का प्रयोग न कर सकें। यह प्रस्ताव सुरक्षा परिपद द्वारा नहीं माना गया जिसका परिणाम यह हुआ कि "निषेधाधिकार का केवल उन प्रसंगों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है जिनमें जून १९४५ के Interpretative Statement के अन्तर्गत प्रक्रियात्मकता आरोपित कर दी गई है।

आत्मरक्षा (Self Defence) *—चार्टर के अनुच्छेद ५१ में संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध आक्रमण की स्थिति में वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्म-रक्षा का स्वाभाविक अधिकार स्वीकृत किया गया गया है। यह अधिकार उस समय तक रहता है जब तक कि सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने के लिए उपाय न कर ले। इस प्रकार के आत्मरक्षण का प्रयोग किये गये उपाय तत्काल सुरक्षा परिषद् को प्रतिवेदित कर दिये जाने चाहिये तथा वे वर्तमान चार्टर के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना अथवा पुनः स्थापना के लिए किसी समय में ऐसे कार्यों के करने के प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व को जैसे कि यह आवश्यक समझे किसी प्रकार से प्रभावित न करेंगे। किन्तु यह आत्मरक्षा का अधिकार केवल शत्रु आक्रमण की स्थिति में उत्पन्न होता है और इसका उपयोग किसी अन्य उल्लंघन के लिये नहीं होना चाहिये। जैसे किमी पड़ोसी राज्य द्वारा भयोत्पादक सैनिक एकत्रीकरण के कारण उस राज्य के लिये यह उचित नहीं होगा जिसकी शान्ति पर आघात किये जान की घमकी दी जाय कि आत्मरक्षा की क्रिया द्वारा बल प्रयोग करे। इससे उसको केवल यह अधिकार होगा कि ऐसे एकत्रीकरण को जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा पर प्रभाव पडना अथवा उसको घमकी दिया जाना सम्भव हो सुरक्षा परिषद् से प्रतिवेदित करे।

अतः चार्टर सैनिक आक्रमण के विरुद्ध आत्म रक्षा के अधिकार को छोड़कर अन्य दशाओं में सदस्यों द्वारा बल प्रयोग का निषेध करता है।

अनुच्छेद ५१ की व्यवस्था के अनुसार "The right of individual or collective self-defence shall have precedence in fact over the functions assigned to the organs of the United Nations" अर्थात् वैयक्तिक या सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार की प्राथमिकता उन सभी तथ्यों में होगी जो कि कार्यरूप में संयुक्त राष्ट्र सभ के अङ्गों को सौंपे गये हैं।

आत्म सुरक्षा की व्यवस्था का जहाँ तक सम्बन्ध है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर शीघ्र आफ नेशनल के कावनेन्ट से तथ्य रूप में भिन्न है। कावनेन्ट आत्म-सुरक्षा के अधिकार को सभी मामलों में जिसमें कि लीग ऑफ नेशन्स का निपटारा नहीं कर सकती थी, सदस्यों को प्रदान करती थी, किन्तु चार्टर में ऐसी बात नहीं है।

सभ की वैध स्थिति (Legal Status of the Organization)—वेल्सन का कथन है कि संयुक्त राष्ट्र सभ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में तथा सदस्य राष्ट्रों के जातीय विधि के क्षेत्र में न्यायिक व्यापकत्व रखता है और इस रूप में वैध वर्तमानों तथा अधिकारों के अधीन होने, वैध व्यापारों को करने तथा न्यायालयों में दावा करने और इनके विरुद्ध दावा किये जाने के योग्य है। संयुक्त राष्ट्र सभ को

उन अन्तर्राष्ट्रीय सविदाओं के करने का अधिकार है जिनके करने के लिए इसे चार्टर के विशेष अनुबन्धों द्वारा प्राधिकृत किया गया है। सुरक्षा परिषद् का प्रायः एक सरकारी सस्था का स्वरूप है। चार्टर के अनुच्छेद २६ के अधीन इसे युद्धसामग्री नियमित करने के लिए पद्धति-स्थापना करने के निमित्त संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये योजनाये बनाने के लिये प्राधिकृत किया गया है। इसके उपरान्त अनुच्छेद १०४ द्वारा यह प्रतिबन्धित करके कि सभ अपने प्रत्येक सदस्य के प्रदेश में ऐसी वैध क्षमता का उपभोग करेगा जैसा इसको अपने कृत्यों के संपादन तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक है, सभ को राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में न्यायिक व्यक्तित्व प्रदत्त किया गया है। अनुच्छेद ४३ में सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्र सभ के बीच अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा-स्थापना के निमित्त सुरक्षा परिषद् के समक्ष सैनिक बल, सहायता तथा सुविधाये प्राप्त करने के लिये अनुबन्धित किया गया है। अनुच्छेद ८१ में संयुक्त राष्ट्र सभ को प्रत्यास सविदा क अधीन प्रदेशों के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी तथा विधायी शक्तियाँ उपभोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

सभ अपने प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में ऐसे विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ रखता है जो उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के प्रतिनिधि तथा सभ के पदाधिकारी भी ऐसे विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का उपभोग करते हैं जो सभ के सम्बन्ध में उनको अपने कृत्यों को स्वतन्त्रतापूर्वक करने के लिये आवश्यक हैं।

इस प्रकार सभ के वे कार्य हैं तथा वह उन अधिकारों का उपभोग करता है जिनको केवल इस आधार पर समझाया जा सकता है कि वह अधिक सोमा में अन्तर्राष्ट्रीय अखण्डत्व रखता है तथा उसको अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य करने की क्षमता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के कथनानुसार यह एक सर्वोच्च प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय सभ है और यदि यह अन्तर्राष्ट्रीय अखण्डत्व से रहित होता तो यह अपने सस्थापकों का अभिप्राय पूरा न कर पाता। इसके सदस्यों ने इसको कुछ कृत्य उनसे संलग्न कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व सहित देकर इसे उम क्षमता से संलग्न कर दिया है जो कि उन कृत्यों को प्रभावपूर्ण रीति से करने के लिये योग्य बनाने के लिये अपेक्षित है।

फैन्बिक का कथन है कि स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र सभ एक 'वरिष्ठ राज्य' (super-State) नहीं है क्योंकि चार्टर के अनुच्छेद २ में यह घोषित किया गया है कि सभ अपने सब सदस्यों की सर्वव्यापी समानता के सिद्धान्त पर आधारित है परन्तु यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सभ को अपने व्यक्तिगत सदस्यों से भिन्न एक निरिक्त वैध व्यक्तित्व का एक अपना ही निगम निकाय रखता है। लीग के समान यह भी

अपने नाम में सम्पत्ति का स्वामित्व ग्रहण करने, निगम निकाय के समान संविदा करने तथा अधिकार प्राप्त करने और कर्तव्यों को अपने ऊपर लेने में समर्थ होगा। यह सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं के अधिशासन करने तथा व्यक्तिगत राज्यों के लिये न्यायी के रूप में कार्य करने योग्य होगा। यह क्षेत्र पर अपने मनोनीत अभि-कर्ताओं द्वारा शासन कर सकेगा तथा अधीनस्थ अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए संरक्षक तथा पालनकर्ता के रूप में कार्य करेगा। इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये राज्यमंडल (confederation) शब्द प्रयोग किया जा सकता है, फेनविक का कथन है कि यह एक शास्त्र-विषयक प्रश्न है और इसका विवेचन भविष्य के लिये छोड़ा जा सकता है। ओपेनहेम का मत यह है कि संयुक्त राष्ट्र, सभ की अपेक्षा राज्यमंडल के अधिक निकट पहुँचना है। “यह विशेषतः इन कारणों से है कि सभ से अलग हो जाने का अधिकार है, संयुक्त राष्ट्र सभ में व्यावहारिक रूप से कोई वेध शक्तियाँ निहित नहीं हैं तथा संयुक्त राष्ट्र सभ और सदस्य राज्यों के राष्ट्रीय जनो के बीच किसी प्रत्यक्ष सम्बन्ध का अभाव है।”

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने “संयुक्त राष्ट्र की सेवा में सहन की गई हानियों के लिये क्षतिपूर्ति” वाले मामले में यह कथन किया है कि “सभ एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह एक राज्य है। यह निश्चित रूप से राज्य नहीं है, अथवा यह कि इसका वेध व्यक्तित्व तथा अधिकार और कर्तव्य वही है जो एक राज्य के होते हैं। यह अर्थ इसे बरिष्ठ राज्य कहने में तो और भी अधिक कम निकलेगा। इससे यह भी व्यक्त नहीं होता कि इसके सब अधिकार तथा कर्तव्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिये जैसा यह एक राज्य के सम्बन्ध में भी नहीं प्रकट होता। इसका यह अर्थ है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत है और अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार तथा कर्तव्यों को धारण करने योग्य है तथा इसे अपने अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय वाद प्रस्तुत करके स्थापित करने की श्रमता प्राप्त है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा तथा सुरक्षा परिषद् का संबन्ध (Relation of the United Nations Assembly with the Security Council)—सुरक्षा परिषद् प्रायः एक शासकीय सस्था का स्वरूप धारण करती है। ओपेनहेम के कथनानुसार यह मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना से संबंधित है। दूसरी ओर साधारण सभा अधिकांश में एक विचार विमर्श का अंग है जो संयुक्त राष्ट्र सभ के क्षेत्र के भीतर पढ़ने वाले संपूर्ण विषयों से संबंधित है। किसी भगड़े अथवा स्थिति जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के स्थापित रहने के लिये सकट उत्पन्न होना सम्भव हो, उसके सम्बन्ध में केवल सुरक्षा परिषद् को विशेष श्रेयाधिकार प्राप्त है। इसमें सन्देह नहीं कि साधारण सभा अनुच्छेद १५ के अधीन

सुरक्षा परिषद् से उसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना के लिये निश्चित अथवा किये गये उपायों के वार्षिक प्रतिवेदनो को प्राप्त करती है तथा उन पर विचार करती है । परन्तु ओपेनहेम का कथन है कि चार्टर से यह विचार प्रकट नहीं होता कि ऐसे प्रतिवेदनो को प्राप्त करने में तथा उन पर विवेचना करने में साधारण सभा सुरक्षा परिषद् की कार्यवाहियों पर इस प्रकार से मत प्रकट करेगी कि जिससे यह प्रकट हो सके कि यह भगड़ो के निर्णय करने के सम्बन्ध में समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त कर रही है अथवा यह कि परिषद् सभा के अधिभावी प्राधिकार (overriding authority) के अधीनस्थ है ।

बहुत से विषयों के सम्बन्ध में साधारण सभा सुरक्षा परिषद् के साथ कार्य करती है । उदाहरणार्थ सदस्यों का प्रवेश तथा निष्कासन, महासचिव (Secretary-General) की नियुक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का निर्वाचन ।

सुरक्षा परिषद् प्रायः एक निरन्तर कार्य करने वाली संस्था है और साधारण सभा जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक है नियमित वार्षिक सत्रों में अथवा विशेष सत्रों में बैठती है जो महासचिव द्वारा सुरक्षा परिषद् के अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सदस्यों के बहुमत से बुलायी जाती है । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल जो सभा के सत्र में भाग लेने आता है, अपने किये जाने वाले कार्यों के प्रकृति के कारण अधिकतर राजनीतिक व्यक्तियों का बना होता है और सुरक्षा परिषद् में कूटनीतिज्ञ तथा पदाधिकारी होते हैं । सभा का वादानुवाद ससद का स्वरूप ग्रहण कर लेता है किन्तु सुरक्षा परिषद् के अधिवेशन कूटनीतिज्ञों की अधिवेशनों के समान प्रतीत होती है ।

सभा जिसमें १२१ राष्ट्र हैं अधिक प्रतिनिधित्व का रूप धारण करती है तथा जन-साधारण की सम्मति के प्रभाव की ओर ११ (अनुच्छेद २३ के संशोधन के पश्चात्, १५) सदस्यों की सुरक्षा परिषद् से कहीं अधिक ध्यान आकर्षित करती है ।

१९५० का "Uniting for Peace" अर्थात् शांति के लिये संगठित होने के प्रस्ताव ने चार्टर में दिये गये सुरक्षा परिषद् और साधारण सभा के सम्बन्धों में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है और साधारण सभा में बहुत अधिक शक्तियों का आरोपण कर दिया है क्योंकि स्थायी सदस्यों के मतैक्य के अभाव में सुरक्षा परिषद् अपने प्रमुख उत्तरदायित्व अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करने में असफल हो जाती है; खासतौर से उन मामलों में जहाँ वि-शांतिमङ्ग की घमकी दी गई हो, शांति भङ्ग की गई हो या आक्रमण की कार्यवाही की गई हो ।

राष्ट्र संघ मे विधि (Law in the United Nations)—सयुक्त राष्ट्र सङ्घ का चार्टर अन्तर्राष्ट्रीय विधि क बहुत ही उदार सिद्धान्त को मानता है और न्याय तथा सहिष्णुता, स्त्री और पुरुष के समान अधिकार, मानवीय अधिकारो के लिये सम्मान और बिना किसी जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव क मनुष्य की स्वतंत्रताओ का सम्मान, सन्धियो से उत्पन्न होने वाले आभारो के प्रति सम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्य स्रोतो तथा सभी राष्ट्रो के समान अधिकार भल ही छोटे हो अथवा बडे, सभी के प्रति समान न्याय और सहिष्णुता के सिद्धान्तो का अपनाता है ।

कुछ प्रसङ्ग ऐसे भी हैं जिन्हे लेकर कभी-कभी विवाद भी उठ खडे हुये हैं जैसे चार्टर के अन्तर्गत ५ महान् शक्तिया को दो गई निरकुश शक्तियाँ । इनसे ५ महान् शक्तियो की प्रभुता स्थापित होती है और अन्य छोटे-छोटे राष्ट्र पृष्ठभूमि मे चले जाते हैं । इसमे सन्देह नहीं है कि चार्टर अनुच्छेद २ (१), के अनुसार सङ्घ की स्थापना सभी प्रभुता-सम्पन्न सदस्य-राज्यो की समानता के सिद्धान्त पर हुई है किन्तु अनेक ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिनके परिणामस्वरूप महान् शक्तियाँ ही एक दूसरे क साथ समानता का व्यवहार कर सकती हैं ।

सयुक्त राष्ट्र संघ तथा लीग (U. N. and the League):—लीग आफ नेशन्स का प्रतिज्ञा-पत्र वर्साई की सन्धि का अंश था तथा इसकी पूर्ति से सम्बन्ध था । सब शक्तिशाली राज्य प्रारम्भ मे लीग मे इस प्रयोजन से सम्मिलित हुये थे कि उनको वर्तमान सन्धियो तथा वर्तमान क्षेत्रीय व्यवस्थाओ की पुष्टि क लिए कुछ आवश्यक था । सयुक्त राष्ट्र सघ का जन्म विजित राष्ट्र पर लादो गई शान्ति की सन्धि से सम्बन्धित नहीं है, वरन् उसका सम्बन्ध सयुक्त हुये राष्ट्रो के लोगो के अपने अपने वाली सन्तानो को युद्ध की विभीषिका से बचाने क निश्चय से है ।

अपनी उत्पत्ति के अतिरिक्त लीग तथा सयुक्त राष्ट्र सङ्घ दोनो क उद्देश्य मूलरूप मे प्रायः एक ही हैं अर्थात् राष्ट्रो के परस्पर क झगडो को मैत्रीपूर्ण रीति से घिना बलप्रयोग किये, निर्णय करने को प्रोत्साहित करके अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना ।

सयुक्त राष्ट्र सङ्घ क छ मुख्य अङ्ग हैं अर्थात् साधारण सभा, सुरक्षा परिषद् धार्मिक तथा सामाजिक परिषद्, न्याय परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय । लीग मे केवल तीन मुख्य अङ्ग थे अर्थात् सभा, परिषद् और सचिवालय । अतः लीग मुख्यतः अपन को राजनैतिक क्रियाएँ तक ही सीमित रखती थी और सयुक्त राष्ट्र सघ मे अधिक महत्त्व अर्थात् धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानव-प्रेम सम्बन्धी विषयो पर भी बल दिया गया है जो मानव समाज के सुख से

घनिष्ठता से सम्बन्धित हैं। वर्तमान संघ मानवीय व्यक्तित्व के विकास तथा व्यक्तिगतों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण पर अधिक महत्त्व प्रदान करता है।

चार्टर के अधीन प्रमुख प्रश्नों पर साधारण सभा के निर्णयों के लिये उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत अपेक्षित है और अन्य विषयों के निर्णयों के लिये उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का केवल बहुमत अपेक्षित है। सुरक्षा परिषद् में प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों में केवल सात (अनुच्छेद २७ के सशोधन के पश्चात्, नौ) सदस्यों का स्वीकारात्मक मतदान अपेक्षित है। अन्य सब विषयों के लिये सात (अनुच्छेद २७ के सशोधन के पश्चात्, नौ) सदस्यों के स्वीकारात्मक मतदान अपेक्षित है जिसमें स्थायी सदस्यों के सहमतिसूचक मतदान भी सम्मिलित हैं। लीग में सब महत्वपूर्ण निर्णयों के लिये मतैक्य अपेक्षित था क्योंकि राष्ट्र अपने सार्वभौमत्व का कोई भी अंश त्यागने को उद्यत न थे। अतः संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की मतदान प्रक्रिया लीग की मतदान प्रक्रिया से स्पष्टतः सुधरी हुई है।

इसमें सन्देह नहीं कि बड़ी शक्तियों का निषेध का विशेषाधिकार सङ्घ की प्रगतियों के लिये बाधक प्रमाणित हो सकता है। यहाँ बात मतैक्य निर्णय के अन्वय के कारण लीग के सम्बन्ध में भी थी। बड़ी शक्तियों का निषेधाधिकार उनके विरुद्ध प्रवर्तक कार्य किये जाने में बाधा डालता है। किन्तु इसके साथ ही यह भी स्मरण रखने योग्य है कि लीग की परिषद् के निर्णय केवल परामर्श अथवा सिफारिश का स्वरूप रखते थे क्योंकि लीग के सदस्य जिनका प्रतिनिधित्व परिषद् में नहीं होता था, परिषद् के निर्णय को पालन करने के लिये बाध्य नहीं थे।

सुरक्षा परिषद् तथा साधारण सभा के कार्यों के बीच एक स्पष्ट सीमा बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सदस्यों ने सुरक्षा परिषद् पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने का प्रारम्भिक उत्तरदायित्व सौंपा है। लीग की सभा तथा परिषद् के कार्यों के बीच ऐसी कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी तथा ऐसी स्थिति में लीग निर्बल थी और उसमें किसी विश्व संघ के उन लक्षणों का अभाव था जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा सफलतापूर्वक स्थापित की जा सकती थी। सुरक्षा परिषद् यद्यपि इससे कार्य लीग की परिषद् के कार्यों से अधिक सीमित है, तथापि यह अपने निर्णयों का प्रवर्तन कराने के लिये अधिक शक्तिशाली साधन प्रयोग कर सकती है।

प्रवर्तक उपायों के सम्बन्ध में लीग तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में वृत्त बड़ा अन्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को धमकी दिये जाने की दशा में भी प्रवर्तक उपायों का प्रयोग कर सकता है। इसके विपरीत लीग की शक्ति सीमित थी कि यह उपायों का प्रयोग केवल उसी दशा में कर सकती थी

राज्य अपनी प्रतिज्ञायों को भङ्ग करके युद्ध में प्रवृत्त होते थे। सुरक्षा परिषद् को यहाँ तक प्राधिकृत किया गया है कि यह आवश्यकता पडने पर सैन्य बल का उपयोग कर सकती है अथवा वायु या जलसेना से भी युद्ध का संचालन कर सकती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापन के लिये सयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्यों से यह माँग कर सकती है कि वे माँगे जाने पर सुरक्षा परिषद् को सैनिक बल, सहायता तथा सुविधा प्रदान करें जिनमें यातायात अधिकार भी सम्मिलित है। इस कार्य के लिए सुरक्षा परिषद् को सैनिक पदाधिकारी समिति द्वारा सहायता दी जाती है। लीग के उपयोग के लिए कोई सैनिक बल नहीं था तथा इसके निर्णय भी केवल सिफारिश के रूप के होते थे। इसके परिणामस्वरूप कोई धृष्ट सदस्य लीग के निर्णयों को पालन करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता था।

सयुक्त राष्ट्र सघ के चार्टर तथा लीग आफ नेशन्स के कावनेट के मध्य एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराने योग्य अन्तर है। कावनेट से यह उपलक्षित होता है कि इसमें प्रवर्तक उपायों के लागू किये जाने की प्रक्रिया के केन्द्रीभूत होने का पूर्णतः अभाव है। लीग के इस प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १६ में यह बात इसके सदस्यों पर छोड़ दी गई थी कि वे निर्णय करें कि क्या किसी अन्य सदस्य ने प्रतिज्ञा पत्र के अधीन कर्तव्या का उल्लंघन किया है तथा क्या प्रवर्तक उपायों को लागू किये जाँय जिनमें सैनिक बल प्रयोग सम्मिलित नहीं था। इसके अनुसार समद को केवल सिफारिश करने के लिये प्राधिकृत किया गया था। इसके विपरीत चार्टर ने इन दोनों बातों के निर्णय को अर्थात् इस प्रश्न का निर्णय कि क्या शान्ति भंग की धमकी अथवा शान्ति भङ्ग अथवा आक्रमणकारी कार्य विद्यमान है या नहीं तथा प्रवर्तक उपायों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय केन्द्रीभूत कर दिया है तथा सदस्यों पर उस निर्णय के पालन का कर्तव्य सौंप दिया है।

भारतमरक्षा के बारे में लीग आफ नेशन्स ने कोई बात वैयक्तिक अथवा सामूहिक भारतमरक्षा के अधिकार के सम्बन्ध में नहीं कही है। जो युद्ध प्रतिज्ञा-पत्र में अनुबन्धित किया गया है वह अनुच्छेद १५, खंड ७ में दिया गया है जो निम्नलिखित है —

“यदि परिषद् ऐसे प्रतिवेदन पर पहुँचने में असमर्थ हो जो झगड़े के पक्षकारों के एक अथवा अधिक प्रतिनिधियों से भिन्न उसके सदस्यों द्वारा एकमत से स्वीकृत हो ता लीग के सदस्य अपने लिये यह अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसी कार्यवाही करेंगे जैसा वे अधिकार तथा न्याय के लिये आवश्यक समझेंगे।”

चार्टर के अनुच्छेद ५१ में इस विषय को स्पष्ट किया गया है। इसमें लीग के अधिकार का क्षेत्र तथा विस्तार स्पष्टतः परिभाषित है तथा इसमें

संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध आक्रमण की दशा में वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार उस समय तक स्वीकृत है जब तक सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये आवश्यक उपायों का प्रयोग न करे। किन्तु इस बात पर महत्त्व देना आवश्यक है कि वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार केवल उसी दशा में उत्पन्न होता है जब सैनिक आक्रमण हुआ हो, न कि सीमा पर सैन्य एकत्रीकरण की दशा में, और यह उस समय तक जारी रहता है जब तक सुरक्षा परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये आवश्यक उपाय न कर लिया हो। इस प्रकार की आत्मरक्षा के उपाय सुरक्षा परिषद् में तरनाल ही प्रतिवेदित किये जाने चाहिये।

दोनों सभों से अलग हो जाने के सम्बन्ध में प्रतिज्ञा-पत्र में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि लीग के किसी सदस्य ने किसी सशोधन के विरुद्ध मतदान किया तथा उसको अनुसमर्थन करने से अस्वीकृत किया तो वह स्वेच्छापूर्वक हट सकता था। किन्तु संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य यदि वे चार्टर के किसी सशोधन को अनुसमर्थन करना अस्वीकार कर दें तो उनका सदस्य बना रहना समाप्त नहीं हो जाता वरन् वे ऐसे सशोधन से बाध्य हो जाते हैं।

न्याय परिषद् के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना आवश्यक है। लीग के प्रतिज्ञा-पत्र के अन्तर्गत आदेश पद्धति प्रचलित थी जो प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी तथा टर्की से विवाजित प्रदेशों के सयोजन का स्थान ग्रहण करने के लिये प्रयुक्त की गई थी। पद्धति का विशिष्ट अंग स्थायी आयाग था जो परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों से निर्मित था और जिसमें सरकारों के प्रतिनिधि नहीं होते थे। चार्टर के अन्तर्गत न्याय परिषद् है जो न्यास पत्रों को प्रशासन करने वाले सदस्यों से बनी है जिसमें सुरक्षा परिषद् के सभी स्थायी सदस्य हैं तथा साधारण सभा के निर्वाचित सदस्य हैं। इस प्रकार केवल संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य ही न्याय परिषद् के सदस्य हो सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्याय-पद्धति लीग के आदेशों के अन्तर्गत एक स्पष्ट सुधार है।

किसी भी दृष्टि से विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सभ लीग आफ नेशन्स की तुलना में एक स्पष्ट सुधार की हुई तथा सशोधित सस्था है और अधिक व्यापक अधिकारों से विभूषित है।

लीग और संयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा परिषद् में अन्तर (The Council of the League and the Security Council) — यद्यपि लीग की परिषद् की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा परिषद् को अधिक प्रतिबद्धित कार्य करने पड़ते हैं, फिर भी सुरक्षा परिषद् में अपने निर्णयों के प्रवर्तन के लिये अधिक

शक्तियाँ विद्यमान हैं। सुरक्षा परिषद् और साधारण सभा दोनो व कार्यों में स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है जब कि लीग में ऐसा वाई विभाजन न था।

लीग की कौंसिल एक शक्तिहीन सस्था थी और उसके पास अपने निर्णय के प्रवर्तन के लिये वाई सना नहो थी। सुरक्षा परिषद् क पास अपनी भूमि, हवाई और नौ-सना की शक्तियाँ उसके पास सदस्य राज्यों का और स दी गई होगी, और प्राणा-तिक परिस्थतिया म प्रत्येक सदस्य-राज्य सक्रिय सहायता करने के लिये बाध्य है।

सयुक्त राष्ट्र सघ के कार्यों में प्रतिबध (*Limitations on the functions of the United Nations*) — निम्नलिखित व्यवस्थाओं के द्वारा चार्टर में सयुक्त राष्ट्र सघ के कार्यों पर प्रतिबध लगा दिये गये हैं —

१—सयुक्त राष्ट्र सघ किसी भी ऐसे विषय पर कोई कार्यवाही नही कर सकता जो कोई किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार के भीतर घाता है, परन्तु यह सिद्धान्त प्रवर्तन क उपाय पर लागू नही हाता जो अध्याय म ७ उपबन्धित है। (अनुच्छेद २, पैराग्राफ ७)

२—वर्तमान चार्टर के अनुसार वैयक्तिक या सामूहिक आत्मसुरक्षा का अधिकार उस समय तक बना रहता है जब तक कि सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नही कर लेती। (अनुच्छेद ५१)

३—वर्तमान चार्टर म दूसरे विश्वयुद्ध क ऐसे देशो व शत्रुओं, जो कि चार्टर पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, के विरुद्ध कार्यवाही करने से नही रोकता। (अनुच्छेद १०७)

३ सचिवालय (The Secretariat)

सचिवालय सामान्यत लीग के सचिवालय का प्रतिरूप है। चार्टर में सचिवालय को अत्यधिक महत्व दिया गया है क्योंकि इमे सौंपे गये कार्य के सम्यक् सम्पादन पर सघ का निर्विघ्न रूप से कार्य करना बहुत अशों में आश्रित है। सचिवालय में एक महासचिव तथा ऐसे कार्यकर्तागण सम्मिलित है जिसे सघ अपेक्षित कर। महासचिव (*Secretary General*) सघ का प्रमुख अधिशासी पदाधिकारी है और साधारण सभा द्वारा सुरक्षा परिषद् की सन्तुति पर नियुक्त किया जाता है। महासचिव उस रूप में साधारण सभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् तथा न्यास परिषद् के सभी अधिवेशनों में कार्य करता है। वह सघ के कार्यों क विषय में साधारण सभा को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्ताव करता है। इसके अतिरिक्त उसे यह भी प्राधिकृत दिया गया है कि वह सुरक्षा परिषद् का ध्यान किसी भी ऐसे विषय की ओर आकर्षित करे जिससे उसकी सम्मति में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना में बाधा पडती हो। चार्टर के

अनुच्छेद १०० में यह व्यवस्था दी गई है कि सचिवालय, का अन्तर्राष्ट्रीय स्वल्न की प्रतिभूर्ति के लिये महासचिव तथा कर्मचारीगण अपने-अपने कर्तव्यों के पालन में सध से बाह्य किसी सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी से अनुदेश न तो मांगेंगे और न प्राप्त करेंगे । अनुच्छेद ६७ में यह व्यवस्था की गई है कि महासचिव साधारण सभा द्वारा सुरक्षा परिषद् की सस्तुति पर नियुक्त किया जायेगा जो सात (और अनुच्छेद २७ के सशोधन के पश्चात्, नौ) सदस्यों के स्वीकारसूचक मतदान द्वारा होगा जिसमें परिषद् के स्थायी सदस्यों के सहमतिसूचक मतदान भी सम्मिलित हैं ।

कर्मचारीगण महासचिव द्वारा साधारण सभा द्वारा स्थापित नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त किये जाते हैं किन्तु सबसे विशेष ध्यान जो कर्मचारीगण की नियुक्ति में रखा जाता है वह उत्कृष्ट कुशलता, योग्यता तथा सत्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है ।

महासचिव तथा सब सहायक महासचिव पूर्ण राजनैतिक उन्मुक्तियों का उपभोग करने हैं । समुक्त राष्ट्र सघ के पदाधिकारी अपने पदीय क्षमता में कथित अथवा लिखित शब्दों तथा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में वैध प्रक्रिया से उन्मुक्त हैं । वे उनको राष्ट्र सघ द्वारा दिये गये वेतनों तथा उपलब्धियों पर कर देने से मुक्त हैं ।

४. न्यास-परिषद् (Trusteeship Council)

न्यास परिषद् के अधीन न्यास क्षेत्रों की विवेचना अन्य स्थान में एक दूसरे अध्याय में पूर्ण रूप से की गई है और यहाँ पर इसी क्रम में प्रसंग में कुछ बतलाने की आवश्यकता है ।

समुक्त राष्ट्र सघ ने अपने प्राधिकार के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यास-पद्धति ऐसे प्रदेशों के अधिशासन तथा निरीक्षण के लिए स्थापित की है जो इनके अधीन उत्तरवर्ती वैयक्तिक स्वीकार-पत्रों द्वारा रखे जाय । न्यास-पद्धति निम्नलिखित प्रदेशों पर लागू है जो उसके अधीन न्यास स्वीकृतियों द्वारा रखी जा सकती हैं ।

(१) प्रदेश जो इस समय आदेश के अधीन रखे गये हैं ।

(२) प्रदेश जो द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप शत्रु-राष्ट्रों से पृथक किये जाय, तथा

(३) प्रदेश जो उन राष्ट्रों द्वारा जो उनके अधिशासन के लिये उत्तरदायी हैं स्वच्छा से उस पद्धति के अधीन रखे गये हों ।

न्यास-पद्धति (Trusteeship System) के आधारभूत लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को अग्रसर करना, न्यास क्षेत्रों के निवासियों की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी उन्नति को बढ़ाना, उनका स्वराज्य अथवा

उनकी स्वतन्त्रता की ओर क्रमशः विकाम करना तथा मानवीय अधिकारों के लिये ओर जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेद-भाव को मिटाकर सबके निमित्त मौलिक स्वतन्त्रताओं के लिये सम्मान का प्रोत्साहन करना तथा सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक विषयों में समुक्त राष्ट्र सभ के सब सदस्यों और उनके राष्ट्रीय जन के लिये समानता का व्यवहार निश्चित करना है।

न्यास क्षेत्रों का निरीक्षण तथा अधिशासन न्यास परिषद् (ट्रस्टीशिप कौंसिल) के हाथ में है। इस परिषद् में न्यास क्षेत्रों को अधिशासन करने वाले सदस्य, सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य तथा समुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य होते हैं जो माधारण सभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की सख्या न्यास क्षेत्रों को अधिशासन करने वाले परिषद् के सदस्यों की सख्या के समान न्यास क्षेत्रों को अधिशासन न करने वाले सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की सख्या को घटाकर होगी।

शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions) :—सामान्य सभा के प्राधिकार के अधीन न्यास परिषद् की शक्तियाँ तथा कृत्य अधिशासन करने वाले प्राधिकारियों द्वारा आवेदित प्रतिवेदनो पर विचार करना अधिशासन करने वाले प्राधिकारियों की सम्मति के साथ प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत करना तथा उनका परीक्षण करना, न्यास स्वीकार-पत्रों की शर्तों के अनुसार अलग-अलग न्यास क्षेत्रों के निश्चित अवधि के निरीक्षण के लिये व्यवस्था करना तथा उनको और अन्य कार्यों को करना है। इसका यह भी कार्य है कि प्रत्येक न्यास क्षेत्र के देशवासियों की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी उन्नति पर एक प्रश्नावली तैयार करे, तथा ऐसी प्रश्नावली अधिशासन करने वाले प्राधिकारी द्वारा साधारण सभा को दिये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन का आधार ग्रहण करेगी।

सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र :—न्यास स्वीकारपत्र में न्यास क्षेत्रों के भागों को सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के नाम से प्रतिष्ठित किया जा सकता है। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में समुक्त राष्ट्र सभ के सब कृत्य सुरक्षा परिषद् द्वारा किये जाते हैं, जिनमें न्यास स्वीकारपत्रों के शर्तों की स्वीकृति तथा उनका परिवर्तन तथा सशोधन भी सम्मिलित हैं। सुरक्षा परिषद् सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में सुरक्षा सम्बन्धों विचारों को बिना हानि पहुँचाये न्यास परिषद् की सहायता का लाभ समुक्त राष्ट्र सभ के न्यास-व्यवस्था के अधीन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी विषयों के संबंध में उठा सकती है।

दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का प्रश्न .—केवल एक प्रसंग को छोड़कर अन्य सभी राज्य क्षेत्र जो कि लीग आफ नेशन्स के समावेश के अन्तर्गत थे या ता स्वतन्त्र राज्य बन चुके हैं या अन्तर्राष्ट्रीय न्याय पद्धति व अन्तर्गत आ चुके हैं । अणुवाद केवल पूर्व जर्मन उपनिवेश अर्थात् दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका का है ।

१९४६ में दक्षिण अफ्रीका व प्रसितिधि ने साधारण सभा के अन्तर्गत कहा था कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका बहुत ही घना आबाद है और अपनी व्यवस्था अपने आप न कर सकने के कारण राज्य क्षेत्र के बहुमत के निवासी दक्षिण-अफ्रीका सघ राज्य में सम्मिलित होना चाहते हैं ।

१९४७-४८ में साधारण सभा ने यह सिफारिश की कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका न्याय पद्धति के अन्तर्गत आ जाय ।

१९४६ में मुरुभा परिषद् ने साधारण सभा का विज्ञप्ति दी कि सघ सरकार दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के प्रशासन के सवध में अब कोई प्रतिबन्धन देने का तैयार नहीं है । १९४६ में ही Reverend Michael Scott ने यह कहा कि जब तक दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के हेरेरो और बर्ग-डमारा जातियों (Herero and Berg-Damara tribes) से न पूछ लिया जाय दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के सवध में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता ।

१९५० में न्यायालय की सम्मति (Court's opinion in 1950)—महासभा ने १९४६ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के प्रश्न पर परामर्शात्मक सम्मति की माँग की । जुलाई ११, १९५०, को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपनी परामर्शात्मक सम्मति प्रस्तुत की, जिसमें न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह प्रस्थापित किया कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका दिसम्बर १७, १९२० के दक्षिण अफ्रीका के सघ (Union of South Africa) की मान्यता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय परमादेश के अधीनस्थ एक क्षेत्र है । न्यायालय का इसके आगे निष्कर्ष था कि उर्ध्वत सघ राष्ट्रों की लीग के क्वेन्ट और मैन्डेट के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय आचारों से युक्त बना हुआ है, जिसमें क्षेत्र से पेट्रीशन अग्रसरित करने का आभार भी सम्मिलित है, और यह कि चार्टर के अध्याय १२ के उपबन्ध उस पर इस अर्थ में लागू हैं कि उन्होंने एक ऐसा साधन प्रस्तुत किया है जिससे कि यह क्षेत्र न्यायित क्षेत्र व्यवस्था के अन्तर्गत लाया जा सकता है । फिर भी न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि चार्टर में अफ्रीकी सघ सरकार के ऊपर इस बात के लिए कोई वैध आभार आरोपित नहीं की है कि वह क्षेत्र को न्यायित व्यवस्था के अन्तर्गत सौंप दे । इतना होते हुए भी न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि कथित सघ सरकार एकाधिकार रूप से कार्य करते हुए, क्षेत्र के अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व को रूपभेदित करने में सक्षम नहीं है । सघ-

सरकार मे ऐसी क्षमता तभी आ सकती है जब कि वह संयुक्त राष्ट्र की सहमति मे कार्य करे ।

अपने १९५० के सत्र मे, महासभा ने पुनः सकल्प पारित किया कि क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को रूपभोदित करने का सामान्य ढग न्यासित-करार (trusteeship agreement) ही हो सकेगा, जो कि चार्टर के अध्याय १२ के उपबन्धो के अनुकूल है । सभा ने एक समिति का भी गठन किया जो कि सघ-सरकार मे क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध मे न्यायालय की परामर्शात्मक सम्मति के प्रक्रियात्मक प्रसंगो मे मार्ग दर्शन करे । समिति को एक अन्तरिम व्यवस्था के रूप मे प्राधिकृत किया गया था कि वह किसी ऐसे प्रतिवेदन का परीक्षण करे जो कि सघ-सरकार द्वारा क्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध मे प्रस्तुत की जाय, तथा पेट्रीशनो और ऐसे किन्ही भी प्रश्नो का परीक्षण करे जो कि महासचिव को समर्पित किये जाय ।

महासभा के आठवे सत्र, १९५३ मे दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि ने अपनी सरकार के विचारो को फिर से दुहराया कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की १९५० की सम्मति केवल विशुद्धरूप मे परामर्शात्मक (purely advisory) थी और उसका वही प्रभाव नहीं है जो कि विधि-न्यायालय के निर्णय का हुमा करता है । उनका कथन था कि अफ्रीकी सघ-सरकार पूर्ववर्ती भिन्न शक्तियो से समझौता वार्ता करने को प्रस्तुत है, किन्तु वह संयुक्त राष्ट्र सघ के साथ ऐया समझौता करने को प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि उनका कथन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ मैन्डेट बरार का पक्षकार नहीं था । वाद-विवाद के प्रसंग मे प्रतिनिधियो के बहुमत ने इस बात का दावा किया कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सम्मति से असह-मति न्यायोचित नहीं है, और कई प्रतिनिधियो का यह विचार था कि अफ्रीकी सघ न वस्तुतः क्षेत्र को एक पाँचवे प्रान्त के रूप में निगमित कर लिया है ।

चौथी समित के वाद-विवाद के उपरान्त महासभा ने फिर से दक्षिण अफ्रीका मघ मे गम्भीर अपील की, कि वह क्षेत्र की स्थिति के सम्बन्ध मे फिर से विचार करने और उमे संयुक्त राष्ट्रो की न्यासित व्यवस्था के अधीनस्थ कर दे । सभा न एक नई सान सदस्यीय समिति दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के प्रसंग मे गठित की, जिसके दामिस्थ म मैन्डेट व्यवस्था की प्रक्रियामो का परीक्षण करने का काम दिया गया और यह भा निर्धारित किया गया कि इस परीक्षण के उपरान्त सभा को क्षेत्र की परिस्थितियो के सम्बन्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तथा प्रतिवेदनों और पेट्रीशनो के प्राचिण्ट किया गया कि यह संघ सरकार से इन प्रसंग में वार्ता जारी रहे कि

१९५० की वह सम्मति जिसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दी थी, पूर्णतः व्यवहृत कर ली जाय। एक दूसरे सबल ने सभा के पूर्ववर्ती संवलों पर यहाँ तक बल दिया कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को ही चार्टर के अध्याय १२ के अनुसार न्यसित व्यवस्था के अधीन कर दिया जाय।

दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के प्रश्न पर गठित नई समिति ने महासभा के नवे सत्र में अपने प्रयत्नो का पुनर्विलाकन इस प्रकार किया—(१) दक्षिण अफ्रीका सघ से वार्ता जारी रखना जिससे कि क्षेत्र की स्थिति के प्रश्न का सुलभाव अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सम्मति के अनुसार किया जा सके, (२) सघ सरकार द्वारा परमादेशित क्षेत्र के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कराना, प्रतिवेदनो के परीक्षण में समिति को सहयोग दिलाना; और (३) दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में मूल निवासियो के पेट्रीशनो को सघ सरकार द्वारा अप्रसरित कराना तथा उनके परीक्षणो में समिति को सहयोग दिलाना। समिति ने प्रतिवेदन किया कि उसके यह सभी प्रयत्न विफल हो गये। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने समिति को यह सूचना दी थी कि उसे इस बात में सन्देह है कि समिति को सन्दर्भित किये गये क्षेत्र के अन्तर्गत की जाने वाली नई वार्ताओं से कोई ठास परिणाम निबल सकेगा और उसने प्रतिवेदन तथा पेट्रीशन प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि ने इस विचार पर बल दिया कि चूँकि राष्ट्रों की लीग का मॅन्डेट लुप्त हो चुका है, अतः दक्षिण अफ्रीका के ऊपर इस बात का कोई वैध आभार नहीं है कि वह इस क्षेत्र के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रों से समझौता-वार्ता करे।

महासभा ने अपने दसवे सत्र में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर गठित अपनी समिति के एक दूसरे प्रतिवेदन पर विचार किया, जिसमें यह कहा गया था कि देशी निवासियों के बल्ल्याण के सम्बन्ध में उस क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं हुई है; और यह कि जातिगत विभेद (Racial Discrimination) प्रखर रूप में प्रबलित है; और यह कि प्रशासन के मुख्य प्रयत्न इस दिशा में हैं कि यूरोपीय निवासियों के पक्ष का ही एकाधिक रूप से समर्थन किया जाय। सभा ने अपनी समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया और इस स्वीकृति में केवल दक्षिण अफ्रीका ही अकेला प्रतिनिधि था जिसने असहमति सूचक मतदान किया। सभा ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की उस परामर्शात्मक सम्मति का भी अनुमोदन किया जो कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में मतदान की प्रक्रिया उपबन्धित करती थी और इस बात को पुष्ट किया कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के सम्बन्ध में गठित की गई समिति को पेट्रीशन-कर्त्ताओं के प्रति मौखिक सुनवाई स्वीकृत करने का स्वत्व है।

अन्तिम रूप में, दक्षिण-अफ्रीकी सरकार ने दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रों की मदभावना समिति (United Nations Good Offices Committee on South-West Africa) को इस बात के लिये ग्राह्य किया कि वह जून १२, १९५८ से आरम्भ होने वाली वार्ता में प्रिटोरिया जाय। संयुक्त राज्य अमरीका के राजनयिक प्रतिनिधियों ने समिति गठित की, यही समिति महासभा द्वारा इसके पूर्व भी गठित की गई थी।

दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका की स्थिति, जो कि १९२० के लोग आफ नेशनल मेन्डेट के द्वारा संघ-प्रशासन के अधीन थी, १९४६ में लोग के विघटन के बाद से ही संघ (Union) और संयुक्त राष्ट्रों के बीच विचार-वैषम्य के लिये एक विषय बनी हुई है।

सभा या वह सकल्प जिसमें कि एक समझौता का आधार तैयार करने का उपबन्ध था, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका से क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में अब भी एक समझौता वार्ता या विषय बना रहा और सभा ने समिति को आदेश किया कि वह सभा के अगले सत्र में अपने प्रयत्नों की प्रगति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

संयुक्त राष्ट्र की दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका-समिति (U. N.'s South-West Africa Committee) के सभापति श्री विक्टोरिया कारपियो (Victoria Carpio) ने इस बात का तर्क प्रस्तुत किया कि परमादेशित क्षेत्र से दक्षिण अफ्रीका के प्रभुत्व को हटाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ बल का प्रयोग करे। दशान्दियों से, दक्षिण अफ्रीका के गौरांग प्रशासकों ने दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को अवैध रूप से अपने बच्चे में कर रखा है और कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का गम्भीर प्रयत्न करता चला आ रहा है कि वे विश्व सब के निर्णय से अपने को बाधित कर लें। निरन्तर विफलताओं के उपरान्त मई १९६२, में समिति ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर वस्तुस्थिति के अवलोकन करने की अनुमति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस वस्तुस्थिति के परिज्ञान से भी दक्षिणी अफ्रीका पर कोई प्रभाव न पड़ा। अब समिति को अपने दूसरे कदम के सम्बन्ध में विचार करना था। श्री कारपियो ने यह सुझाव दिया कि दक्षिण-पश्चिम-अफ्रीका के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का संकल्प केवल उसी स्थिति में कार्यान्वित हो सकेगा जब कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र संघ की सैन्य शक्ति उपस्थित रहे। किसी प्रश्न के सुलभाव के प्रति किये गये शान्तिपूर्ण प्रयत्न सार्वस्वत् नहीं हो सकते और अवश्य ही किसी प्रश्न के सुलभाव के लिये समय की कोई अवधि निर्धारित

होनी चाहिये जिसे कि उस अवधि के भीतर सुलभाव न किया गया तो न्याय की व्यवस्था स्थापित करने के लिये अन्यथा उपाय भी काम में लाये जा सकें। भारत द्वारा गोआ की विमुक्ति के सम्बन्ध में की गई सैनिक कार्यवाही इस बात के लिये प्रबलतम दृष्टान्त है।

दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने १२ जून १९५८, को संयुक्त राष्ट्र सभ की सद्भावना समिति से यह प्रार्थना किया कि वह प्रिटोरिया में बातचीत के लिये जाय। ब्रिटेन, ब्राजील और अमेरिका के राज्य प्रतिनिधियों की समिति साधारण सभा द्वारा बनाई गई।

यूथोपिया और लाइबेरिया का मामला :—नवम्बर ४, १९६० को यूथोपिया और लाइबेरिया ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का अन्य बातों के साथ यह भी घोषित करने के लिए कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने समादेश की शर्तों को दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के सम्बन्ध में हेर-फेर कर लिया और इसलिये उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वहाँ प्रचलित जातीय पृथक्वासन (apartheid) को मिटाने की कार्यवाही करे। दक्षिण अफ्रीका ने तर्क किया कि यूथोपिया और लाइबेरिया को यह अधिकार नहीं है कि वह दक्षिण पश्चिम सभ का मामला राष्ट्र सभ के सामने ले आवे। वास्तविकता यह है कि लीग की समिति के परचात्र राष्ट्र-सभ ने दक्षिण अफ्रीका के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को उसके साथ मिला दिया जाय। इसीलिये दक्षिण अफ्रीका ने न्यायिता का ममकीता मानने से इन्कार कर दिया। २१ दिसम्बर १९६२, को न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका की इस आपत्ति को अस्वीकार कर दिया कि सम्बन्धित विषय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। कानून की दृष्टि से इसने यह भी निर्णय किया कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के ऊपर दक्षिण अफ्रीका का समादेश एक अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्ध है जो कि सन्धि या अभिममय के रूप में है।

१८ जुलाई, १९६६ को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक वोट से छ वर्ष पुराने विवाद को और दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसी दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के नियंत्रण को समाप्त करने का सकल्प विघटित कर दिया। न्यायालय ने अस्पष्ट, ऑस्ट्रेलिया के सर पर्सि स्पेण्डर (Sir Percy Spender) (न्यायालय के अन्य १४ सदस्यों में ७-७ का मतदान रहा) ने निर्णायक वोट द्वारा यह व्यवस्था दी कि यूथोपिया और लाइबेरिया ने ऐसा वैध अधिवार का प्रस्थापित नहीं किया है जिससे कि वे लीग आव नगस्त वे उस मिनडेट के तोड़े जाने के सम्बन्ध में वाद उपस्थित कर सकें, जिसके अवीन रहकर दक्षिण अफ्रीका वे गोराम प्रशासक क्षेत्र का प्रशासन करें। इस निर्णय के द्वारा, जो कि इस प्राविधिकता पर निर्भर करता है कि न तो यूथोपिया,

श्रीर न लाइबेरिया को ही इस बात का वैध अधिकार था कि वे न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका के प्रशासन के विरुद्ध दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका पर लीग-ऑफ नेशन्स सैनडेट के अन्तर्गत शिकायत कर सके, परिणाम यह हुआ कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या अब भी दक्षिण अफ्रीकियों के औपनिवेशिक और जातीय भेदभाव की शिकार बनी रहेगी ।

५ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्

(The Economic and Social Council)

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा केवल संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा लगाये गये कर्तव्यों के सत्यनिष्ठापूर्वक पालन पर ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य सम्बन्धित विषयों के सफलतापूर्वक संचालन पर भी आश्रित है । इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सभ ने सामान्य सभा के प्राधिकार में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् स्थापित की है । इस परिषद् में संयुक्त राष्ट्र सभ के १८ सदस्य होते थे किन्तु अब २७ सदस्य होते हैं । इनके चुनाव की प्रक्रिया और अवधि का उल्लेख आगे किया जा रहा है ।

कार्य तथा शक्तियाँ.—अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग के क्षेत्र में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् संयुक्त राष्ट्र सभ का प्रमुख अंग है । आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के कार्य निम्नलिखित हैं.—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य तथा अन्य सम्बन्धित विषयों का अध्ययन करना अथवा प्रारम्भ कराना तथा किसी विषय के सम्बन्ध में साधारण सभा से, संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों से तथा सम्बन्धित विशिष्ट अभिवृत्तियों से सिकांरिश करना, (२) सब के लिए मानवीय अधिकारों तथा साधारण स्वतन्त्रताओं के प्रति आदर की भावना बढ़ाने तथा उन पर आचरण करने के लिये सिकांरिश करना, (३) इसकी क्षमता के भीतर आगे वाले विषयों के सम्बन्ध में साधारण सभा को आवेदन करने के लिये प्रतिज्ञापत्रों की रूप रखा तैयार करना, और (४) इसकी क्षमता के भीतर आगे वाले विषयों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना ।

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् को विशिष्ट अभिवृत्तियों के कार्यों के एकीकरण का कार्य, उनके सम्बन्ध में परामर्श देकर तथा सिकांरिश करने तथा साधारण सभा को और संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों को प्रतिवेदन करने के लिये सीता गया है । परिषद् विशिष्ट अभिवृत्तियों से नियमित प्रतिवेदनों को प्राप्त करन

के लिये उपयुक्त उपाय कर सकती है और इन प्रतिवेदनो पर अपने विचारो को साधारण सभा का सूचित कर सकती है । इसे सुरक्षा परिषद् को, उसके प्रार्थना पर सहायता भी करनी पडती है । इसे आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र मे मानवीय अधिकारो की उन्नति के लिये आयोगो को नियुक्त करनी पडती है । प्रादेशिक आर्थिक आयोग भी होते हैं जो विशिष्ट क्षेत्रो मे विशिष्ट समस्याओ को हल करते हैं ।

प्रादेशिक तथा सुरक्षा-प्रबन्ध (Regional and Security Arrangements)—लीग आफ नेशन्स का प्रतिज्ञा पत्र अन्तर्राष्ट्रीय अभियुक्तियों की वैधता को प्रभावित नहीं करता था, उदाहरणार्थ शान्ति स्थापना के लिये पचासती सधियाँ अथवा प्रादेशिक सम्झौते, जैसे मुनरो-सिद्धान्त । सयुक्त राष्ट्र सघ का चार्टर भी प्रादेशिक प्रबन्धको के सम्बन्ध मे इसी प्रकार की व्यवस्था करता है । अनुच्छेद ५२ (१) मे यह अनुबन्धित है कि :—

“वर्तमान चार्टर मे कोई विषय प्रादेशिक प्रबन्धो तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापन सम्बन्धो ऐसे विषयो से व्यवहार करने वाले अभिकर्तृत्वो को नहीं रोकतो है जो प्रादेशिक कार्यशीलो के लिये उपयुक्त हा, किन्तु अनुबन्ध यह है कि ऐसे प्रबन्ध अथवा अभिकर्तृत्व तथा उनके कार्य सयुक्त राष्ट्र सघ के उद्देश्य तथा सिद्धान्तो के अनुरूप हो ।”

प्रादेशिक प्रबन्ध-सन्धयो का स्वरूप प्रादेशिक है । “प्रादेशिक अभिकर्तृत्व” शब्द से ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकर्तृत्व व्यक्त होते हैं जो प्रादेशिक प्रबन्ध द्वारा स्थापित किये गये हो ।

सयुक्त राष्ट्र सघ का चार्टर, प्रादेशिक प्रबन्धो अथवा अभिकर्तृत्वो पर, स्थानीय झगडो का, उनके सुरक्षा परिषद् मे निर्देशित होने के पूर्व शान्तिपूर्वक सम्झौता कराने का कार्य सौपता है । प्रादेशिक प्रबन्ध अथवा अभिकर्तृत्व प्रवक्त कार्य मे भी सयुक्त राष्ट्र सघ व अंग के रूप में भी कार्य कर सकते हैं क्योंकि सुरक्षा परिषद् को ऐसे प्रादेशिक प्रबन्धो अथवा अभिकर्तृत्वो को अपने प्राधिकार के अधीन उपयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है । सुरक्षा परिषद् को सर्वदा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापनार्थ जो जो कार्य किये जाय अथवा जो प्रादेशिक प्रबन्धो अथवा अभिकर्तृत्वो के अन्तर्गत विचाराधीन हो उनसे अवगत रखा जाता है ।

अफ्रीका मे राजनीतिक जागृति — पिछले समयों मे अफ्रीका मे बहुत ही राजनीतिक परिवर्तन हुये हैं । १९४६ मे ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम ने अफ्रीका के सम्बन्ध मे अपने समादेश को सयुक्त राष्ट्र सघ की न्यासिता पद्धति के अन्तर्गत कर दिया । परिणाम यह हुआ कि पहले के समादेशित राज्य तांगान्या, कैमरून,

तोगोलैंड और व्हांडा-उरुंडी न्यास क्षेत्र माने गये जो कि उन्ही समादेशक शक्ति के अन्तर्गत थे । दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका इसमें सम्मिलित न किया जा सका ।

लीबिया के संयुक्त राज्य ने १९५१ में अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी । १९५२ में इरीट्रीया यूयोविया से मिल गया । १९५६ में सुडान स्वतन्त्र गणतन्त्र हो गया । १९५६ में मोरोक्को ने फ्रांस से समझौता करके सम्प्रभुता प्राप्त कर ली और आगे चलकर १९५८ में स्पेन से भी स्वतन्त्र हो गया । १९५६ में टुनीशिया भी स्वतन्त्र हुआ । १९५७ में पश्चिम अफ्रीका में गोल्डकोस्ट घाना नाम से स्वतन्त्र हो गया और नीग्रो राज्य की स्थापना हुई । १९६० में घाना ने अपने आपको वामनवेल्य के अन्तर्गत गणतन्त्र घोषित किया । १९६० और १९६१ में क्रमशः नाइजीरिया और सियरालियोन स्वतन्त्र हो गये । इस प्रकार बढ़ी ही तीव्र गति से वहाँ राजनीतिक परिवर्तन उपस्थित हुये हैं । १९६० में कांगो भी स्वतन्त्र हो गया और कासाबुबु (M. Kasavubu) वहाँ के राष्ट्रपति तथा लुमुम्बा (M. Patrice Lumumba) प्रधान मंत्री हुये । इन दोनों पदाधिकारियों का चुनाव जनतांत्रिक प्रणाली पर वेलजियम प्रशासकों की देखरेख में हुआ था । कटंगा प्रान्त में थोम्बे (M. Tshombe) ने संयुक्त कांगो के विरुद्ध एक क्रांति खड़ी कर दी । कटंगा घानुओ से भरा-पुरा एक प्रान्त है जिसको वेलजियम कांगोलियों के हाथ नहीं देना चाहते थे । रूस, चीन और जेकोस्लो-वाकिया की सरकारों ने लुमुम्बा की सरकार की सहायता की जब कि पश्चिमी शक्तियों ने वेलजियम को कांगो वापस आने में सहायता दी । पैट्रिस लुमुम्बा निरपतार कर लिये गये और १३ फरवरी, १९६१ को यह घोषणा की गई कि लुमुम्बा और उनके दो साथी मार डाले गये हैं । यह घोषणा थोम्बे (Tshombe) की सरकार द्वारा की गई थी ।

२२ फरवरी १९६१ को सुरक्षा परिषद् ने इन घृत्यों की भरसना का प्रस्ताव पारित किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को, यदि आवश्यकता पड़े तो सैन्य-शक्ति द्वारा भी परिस्थिति को काबू में लाने का प्रस्ताव किया । यहाँ संयुक्त राष्ट्र की ओर से भेजी गई सेना में भारत की ओर से ५००० सैनिक भी भेजे गये थे ।

२५ नवम्बर, १९६५ को कांगोली सेना के कमाण्डर जनरल जोसेफ मोवेतु ने प्रेसिडेंट कासाबुबु को रक्तहीन सैन्य-क्रान्ति में अपदस्थ कर दिया और अपने-आप के निदेशन में सैनिक-सरकार का गठन किया । कर्नल लिओनार्ड मुलाम्बा को श्री बिवा के स्पान पर प्रधान मंत्री घोषित किया गया । श्री बिवा दस दिन पूर्व ही प्रेसिडेंट कासाबुबु द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नाम-निर्देशित किये गये थे । इस अवसर पर १३ सूत्रीय उद्घोषणा में कहा गया कि उच्चस्तरीय सैन्य पदाधिकारियों की बैठक ने इस कारण से कासाबुबु सरकार को अदम्य कर देने का निश्चय किया

कि वह राजनीतिक क्षेत्र में पूर्णतः अक्षय हो गई है और 'मिस्टर किंवा की सरकार की अक्षयता' को दृष्टि में रखते हुये भी यह कदम आवश्यक हो गया था। जेनरल मोघुतु, जो कि अब राष्ट्रपति मोघुतु हो गये थे, ने घोषणा की, कि विद्रोही नेताओं से कोई संपर्क नहीं रखा जायेगा और यह कि संपर्क उस समय तक जारी रहेगा, जब तक कि विद्रोह सैन्य साधनों से पूर्णतया दबा नहीं दिया जाता। सैन्य अवरोहण क पश्चात् प्रेसिडेण्ट कासाबुतु और पूर्ववर्ती यटागा नेता मोयसे थॉम्बे व बीच घोर संपर्क हुआ। थॉम्बे अक्टूबर १३, १९६५ को प्रेसिडेण्ट द्वारा वागोली प्रधान मंत्री पद से हटा दिए गये थे। नई सरकार ने वागोली पार्लियामेंट में विश्वास का मत प्राप्त कर लिया और वह मोयसे थॉम्बे द्वारा अभिनन्दित हुई। अल्जीरिया, सोवियत रूस और साम्यवादी चीन ने नई सरकार का गठन की भर्त्सना की, किन्तु पश्चिमी देशों ने सामान्य रूप से इस सरकार का स्वागत किया।

रुआण्डा-उरुण्डि, जो कि एक न्यास-क्षेत्र था और जिसपर बेल्जियम का प्रशासन था, जनवरी १९६१ में गणतंत्र हुआ गया और यद्यपि बेल्जियम ने रुआण्डा-उरुण्डि के गणतंत्र को मान्यता प्रदान करने के निश्चय की घोषणा की, फिर भी, ऐफ्रो एसियन राष्ट्र कांग्रेस के प्रसङ्ग में उसके द्वारा किये गये कार्यों को देखते हुये उसके आशय पर विश्व-मन नहीं थे। बेल्जियन प्रशासित रुआण्डा-उरुण्डि का क्षेत्र जुलाई १, १९६२ का स्वतंत्र हुआ और उसी समय से उसका दो भाग हो गये—रुआण्डा गणतंत्र और बुरुण्डि साम्राज्य। फिर भी, बेल्जियन सेनाओं को दो कन्द्रीय अफ्रीकी राज्यों से वापस बुलाये जाना का प्रश्न कठिनाइयों से मुक्त नहीं रहा।

पूर्वी अफ्रीका में, इटली ने अपने न्यास-क्षेत्र सामालीलैंड को स्वतंत्रता के लिये तैयार कर लिया और ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सोमालीलैंड को जून १९६० में स्वतंत्रता प्रदान करने का निश्चय किया जिससे कि वह न्यास-क्षेत्र से सगठित हो सके। अप्रैल १९६० में दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि परस्पर मिले और दोनों क्षेत्रों को मिलाकर सगठित सोमालिया-गणतंत्र के लिए सहमत हो गये।

वह राजनीतिक जागरण, जिसने कि अफ्रीका के मानचित्र में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये, अथवा जो अफ्रीकी औपनिवेशिक क्षेत्रों में तीव्र गति से बढ़ रहा है और इससे और भी परिवर्तन सम्भावित है। अफ्रीका में जीवन की हँकार गूजने लगी है। वर्ष १९५० के आरम्भ में केवल चार अफ्रीकी राज्य—मिस्र, यूथोपिया, लाइबेरिया और दक्षिण अफ्रीका सघ ही स्वतंत्र थे, जब कि दोष महाद्वीप किसी न-किसी रूप में पश्चिमी युरोपीय शक्तियों के औपनिवेशिक परतन्त्रता में था। अगस्त १९६०, में २० राज्य स्वतंत्र हुए गये थे और १९६०-६१ तक ८ और राज्य स्वतंत्र होने के लिए तत्पर हो चुके थे। इन परिवर्तनों के कारण बेल्जियम को

अपने एकमात्र अफ्रीकी उपनिवेश कांगो से हटना पड़ा, ब्रिटेन अपने ११,२७,३१६ वर्ग-मील के क्षेत्र से वापस हटा और फ्रान्स के पास अब केवल ८,५५,००० वर्ग-मील का औपनिवेशिक क्षेत्र शेष रहा, जब कि पहले यह क्षेत्र ४०,५५,६०० वर्ग-मील तक फैला हुआ था ।

कुल ६८ वर्षों के निरन्तर ब्रिटिश-संरक्षण के उपरान्त ६ अक्टूबर, १९६२ को उगाण्डा अफ्रीका का ३३वाँ राष्ट्र स्वतन्त्र हुआ । उन तारोख को ब्रिटेन ने उगाण्डा के ऊपर से अपना संरक्षण और आधिपत्य हटाया और अफ्रीका के इन नये राष्ट्र की स्वतन्त्रता स्वीकार की ।

अफ्रीकी देशों में अल्जीरिया भी एक ऐसा देश था, जहाँ विद्यमान कई वर्षों तक स्वतन्त्रता का सपना चलता रहा । फ्रान्सीसी निवासी, जो कि अल्जीरिया में जाकर बस गये थे, अब भी अल्जीरिया पर अपना प्रभुत्व बनाये रखना चाहते थे । साम्यवादी देशों तथा अफ्रीका के अधिकांश देशों ने स्वतन्त्र अल्जीरिया की निष्कासित सरकार को, जो कि फरहत-अब्बास (Ferhat Abbas) की अध्यक्षता में गठित थी, मान्यता प्रदान की । फिर भी, अल्जीरिया में ७ वर्षों का पुराना युद्ध १८ मार्च, १९६२ को समाप्त हुआ और परिणाम यह था कि फ्रान्सीसी और अल्जीरिया के वार्ता प्रतिनिधियों के बीच एक युद्ध-विराम समझौता हो गया । प्रेसिडेण्ट डी-गोले को पूर्ण शक्ति प्रदान की गई कि वे अल्जीरिया के माघ सहयोग की सधि पर हस्ताक्षर कर सकें । अक्टूबर ८, १९६२, को अल्जीरिया औपचारिक रूप से सयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता में प्रविष्ट होने की अनुमति प्राप्त कर सका । ब्रिटेन पूर्वी और मध्य अफ्रीका स्थित अपने क्षेत्रों के लिये एक संविधान की रूपरेखा तैयार करने का प्रयत्न कर रहा है जिससे कि अफ्रीकी जनता की महत्वाकांक्षाओं और वहाँ जाकर बसने वाले यूरोपीय लोगों की माँगों के बीच संतुलन स्थापित करते हुये दोनों को सन्तुष्ट किया जा सके । केवल पुर्तगाल ही ऐसा औपनिवेशिक प्रभुत्व का देश है, जो कि निरन्तर युग की पुकार को सुनने से इन्कार करता जा रहा है और अपनी उपनिवेशवादी दमन-नीति में किंचित् भी परिवर्तन करने को प्रस्तुत नहीं है । दक्षिण-अफ्रीका संघ को सरकार भी अपनी जातिगत विभेद की नीति को ज्यों का त्यों अपनाती जा रही है और वह भी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को किसी प्रकार की राजनीतिक या सवैधानिक विमुक्ति देने को तत्पर नहीं है । अंगोला भी जो कि पश्चिमी अफ्रीका में एक पुर्तगाली उपनिवेश है, स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए सपर्य कर रहा है और इस देश को, जिसे कि कोई भी नहीं जानता था, पुर्तगालियों द्वारा अंगोली जनता पर किये गये अत्याचारों ने अब प्रकाश में ला दिया है । अफ्रीका से यूरोपीय दमनकारी उपनिवेशवाद युग की पुकार के मागे

दुम दबाकर पीछे की ओर भाग रहा है और वह दिन भी अब दूर नहीं है, जब पुर्तगाली साम्राज्य का वहाँ से समापन हो जायेगा ।

नये स्वतन्त्र होने वाले देशों के कारण व्यापक स्तर पर अफ्रीकी एकता के विचारों को प्रस्फुटित होने की प्रेरणा मिली है । पूर्वी अफ्रीका में एक पूर्वो-अफ्रीकी संघ (East African Federation) का स्वप्न साकार रूप ले चुका है, क्योंकि १९६४ में तागान्यका, जाजीवार, उगाण्डा और केन्या ने मिलकर इस संघ को स्वप्निल सप्ताह से निश्चालकर यद्यार्थ जगत में एक संघ का रूप प्रदान किया था जो 'तागान्यका और जाजीवार के संयुक्त गणतन्त्र' के नाम से विहित हुआ । न्यासालैंड, जिसे अब मालावी के नाम से जाना जाता है, जून १९६४ में स्वतन्त्र हुआ । पश्चिम की ओर घाना के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री डा० क्वामे नुकुम्मा घाना, गामना और माली का एक यूनियन गठित किया । महात्मा के पाँचवें सत्र में ये नव-उत्पन्न राज्य संयुक्त-राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में स्वीकृत हुये । अब इन राज्यों का संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना विशिष्ट महत्त्व और स्थान है । अफ्रीका में हाने वाले व्यापक राजनीतिक परिवर्तनों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ का नया बल प्रदान कर दिया है और पूर्वो-पश्चिमी दशों के मघर्ष में ये देश सफल सुलभभाव का रूप बनते जा रहे हैं ।

जांबिया गणतंत्र (Republic of Zambia)—१४, अक्टूबर, १९६४ को उत्तरी रोडेशिया, जिसे अब जांबिया के नाम से जाना जाता है, एक स्वतन्त्र सभ्रभु राज्य बन गया । इसका नया नामकरण जांबेई नदी के नाम पर किया गया । उत्तरी रोडेशिया जांबिया के राज्य का स्वतन्त्र हाना ब्रिटिश औपनिवेशिक-विस्तार के टूटने का एक महत्त्वपूर्ण सोपान है । घाना, नाइजीरिया, सियरा लिओन, तागान्यका, उगाण्डा, जाजीवार (जो कि अब तागान्यका के साथ संगठित है), कन्या और मालावी के उपरान्त यह नवाँ अधीनस्थ राज्य था जो कि स्वतन्त्र हो गया ।

डा० केन्नेथ कौंडा (Dr. Kenneth Kaunda), जो कि उत्तरी रोडेशिया की स्वतन्त्रता-संग्राम के नेता थे, जांबिया के स्वतन्त्र गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति हुये ।

अन्य सभी स्वतन्त्र अफ्रीकी राष्ट्रों की भाँति जांबिया एक तटस्थ राष्ट्र है । राष्ट्रपति केन्नेथ कौण्डा ने स्वतन्त्र सभ्रभुता बनाये रखने के अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा की तथा विश्व के उन दो दशकों के बन्धना में अपने को बाँध लेने से असहमति व्यक्त की, जिसमें आज का विश्व उथल-पुथल के मायाजाल में पड़ा हुआ है । उनका कथन था कि उनका राष्ट्र एक स्वतन्त्र और तटस्थ राष्ट्र

रहेगा तथा इस बनाव या उस बनाव में सम्मिलित होने के स्थान पर दोनों के बीच एक सन्तुलन बनाये रखने का प्रयत्न करेगा। फिर भी जांबिया का यह आग्रह नहीं है कि परिस्थितियों में वह किसी एक पक्ष का समर्थन करे, भले ही वह शक्ति-राजनीति (power politics) का क्षेत्र हो, या सहायता प्राप्त करने का प्रसंग हो, और यह राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र या राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली किसी भी शर्त-रहित सहायताओं को सहर्ष स्वीकार करेगा।

चार्टर के अनुच्छेदों में संशोधन

संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के कतिपय अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। इनमें अनुच्छेद २३, अनुच्छेद २७ और अनुच्छेद ६१ का संशोधित रूप अब इस प्रकार है—

अनुच्छेद २३

(१) सुरक्षा-परिषद् में संयुक्त राष्ट्रों के पन्द्रह सदस्य^१ होंगे। चीन गणतन्त्र, फ्रान्स, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन सभ, ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड, और संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य होंगे। साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र के अन्य दस सदस्यों को सुरक्षा-परिषद् के अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्वाचित करेगी और ऐसा करने में वह सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के प्रयत्नों को प्रथम रूप में दृष्टि में रखेगी और इसी प्रकार संघ के अन्य प्रयोजनों के हित में और सामन्याधिक भौगोलिक विभाजन के हित में किये गये कार्यों को ध्यान में रखेगी।

(२) सुरक्षा-परिषद् के अस्थायी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होंगे। सुरक्षा-परिषद् के सदस्यों की संख्या ११ से बढ़कर १५ हो जाने के बाद निर्वाचन एवं वर्ष की अवधि के लिये होगा। निवृत्त होने वाला कोई सदस्य उसके सुरन्त बाद ही पुनर्निर्वाचन के योग्य नहीं होगा।

(३) सुरक्षा-परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

अनुच्छेद २७

(१) सुरक्षा-परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक 'वोट' होगा।
 (२) प्रक्रियात्मक मामला (Procedural matters) में सुरक्षा-परिषद् के निर्णय ९ सदस्यों की स्वीकृतिपरमत्र यन्निमत पर मान्य होंगे।

१. पहले सुरक्षा-परिषद् के ऐसे सदस्यों की संख्या ११ थी।

(३) सुरक्षा परिषद् के अथ सभी विषयों पर निर्णय ६ सदस्यों व स्वीकृति सूचक मत स किये जायेंगे जिनमें कि स्थायी सदस्यों की सहमति के मत सम्मिलित होंगे, परंतु अध्याय ६ के और अनुच्छेद ५२ के पैराग्राफ ३ के निर्णयों के अन्तर्गत किसी विवाद का पक्षकार वोट देने में सम्मिलित न होगा ।^१

अनुच्छेद ६१

(१) आर्थिक और सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council) का गठन संयुक्त राष्ट्र सभ की महासभा द्वारा निर्वाचित २७ सदस्यों से मिल कर किया जायेगा ।

(२) पैराग्राफ ३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये आर्थिक और सामाजिक परिषद् के ६ सदस्य प्रत्येक वर्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होंगे । एक निवृत्त सदस्य अपनी निवृत्ति के ठीक बाद वाले निर्वाचन के लिये पात्रन होगा ।

(३) आर्थिक और सामाजिक परिषद् की सदस्य-संख्या १८ से बढ़कर २७ हो जान के बाद क प्रथम निर्वाचन में उस वर्ष ६ निवृत्त सदस्यों के स्थान पर ६ अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा । इन ६ अतिरिक्त सदस्यों में, इन प्रकार निर्वाचित सदस्यों में से ३ की अवधि १ वर्ष बीतने पर समाप्त हो जायेगी और ३ सदस्यों की अवधि दो वर्ष बाद समाप्त होगी । इस प्रकार का समापन महासभा द्वारा की गई व्यवस्था क अनुरूप होगा ।

(४) आर्थिक और सामाजिक परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधि होगा ।

चार्टर का पुनरीक्षण (Revision of the Charter) — चार्टर क अनुच्छेद १०८ में यह अनुमति दी गई है कि साधारण सभा के सदस्यों के दो-तिहाई मतों से जो संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के दो तिहाई मतों से जिसमें सुरक्षा परिषद् के सब स्थायी सदस्य भी सम्मिलित हैं, अनुसमर्थित कर दिया जाय, तो चार्टर का संशोधन हो सकता है । अनुच्छेद १०९ में यह अनुबन्धित है कि चार्टर क पुनरीक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों का एक साधारण सम्मेलन किसी भी समय में साधारण सभा व सदस्यों के दो तिहाई स्वीकृति-सूचक मता से तथा सुरक्षा परिषद् के सात सदस्यों के मत से हो सकता है और यदि ऐसा सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव साधारण सभा के दसवें वार्षिक अधिवेशन के पूर्व न हुआ हो तो ऐसा सम्मेलन

१ अनुच्छेद २७ का संशोधित रूप जो कि १७ दिसम्बर, १९६३ को साधारण सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और ३१ अगस्त, १९६५ को प्रवर्तन में आया । इसके पूर्व खंड (२) और (३) में सदस्यों के मतों की संख्या ७ थी ।

बुलाने का प्रस्ताव उस अधिवेशन के कार्यक्रम में रक्खा जायगा तथा यदि ऐसा साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत के तथा सुरक्षा परिषद् के सात सदस्यों के मत से निश्चित किया जाय तो सम्मेलन होगा।

उपरोक्त कथन से यह प्रस्ट होगा कि चार्टर के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में भी स्थायी सदस्यों का बहुत बड़ा हाथ है और पाँच बड़ी शक्तियों में से कोई भी जिसे निषेधाधिकार प्राप्त है, चार्टर के किसी भी उचित सशोधन को रोक सकती है। चार्टर का जन्म सन् १९४५ में सैन फ्रान्सिस्को के सम्मेलन में हुआ तथा उस तिथि पर जो कुछ स्वीकारोक्ति हो सकती थी, उसका कुल निचोड़ यह प्रकट करता है। बड़ी शक्तियों के सम्बन्ध बहुधा परस्पर सामंजस्य पूर्ण नहीं हो पाये हैं। मतः यह यदि असंभव नहीं तो कठिन घबराहट ही प्रतीत होता है कि किसी सभा में इन वर्षों के मध्य चार्टर की कार्यशैली में प्राप्त हुये अनुभव के परिणामस्वरूप जो सशोधन इसमें आवश्यक समझे जाते हैं, उनके सम्बन्ध में मतैक्य हो जाय। यदि सयुक्त राष्ट्र सघ को जीवित तथा स्वस्थ अवस्था में संचालित रखना है तथा इस बात को रोकना है कि यह लीग आफ नेशन्स की गति को न प्राप्त कर ले, तो इसक पिछले वर्षों के चालू रहने के अनुभव बहुत ही सहायक मिद्ध होंगे जिससे वे शोध दूर हो जाय जिन्होंने सयुक्त राष्ट्र सघ को अशत- लगडा बना दिया है।

सयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्र सचिव मिस्टर जॉन फीस्टर डलेट ने चार्टर को 'पूर्वाणु चार्टर' (pre-atomic Charter) कहा है और यह कि इस अर्थ में यह प्रवर्तन होने के पूर्व ही अप्रचलित था।

निषेधाधिकार तथा बड़े पाँच (Veto and the 'Big Five') :--प्रथम विषय जो विचारणीय है वह यह कि सुरक्षा परिषद् के कार्यक्रम में "निषेधाधिकार" का अनुबन्ध है। निषेधाधिकार-पद्धति इसलिये आविष्कृत की गई थी कि बड़ी शक्तियाँ सयुक्त राष्ट्र सघ में अपने भाग्य को छोटे राष्ट्रों के वोटों के किसी प्रकार अधीनस्थ किये बिना ही सम्मिलित हो सके। निषेधाधिकार का उद्देश्य, जैसा अनुच्छेद २७ के खंड ३ में दिया गया है, बड़ी शक्तियों में एकता की प्रतिभूति करना है। चार्टर के इस अनुबन्ध के बिना न तो सयुक्त राष्ट्र सघ होता और न चार्टर ही होता। इसमें सन्देह नहीं कि इस विशेष निषेधाधिकार का उपयोग उचित सीमितियों के भीतर रखना चाहिये। इस अधिकार का दुरुपयोग न होना चाहिए। निषेधाधिकार आज मेल क प्रतीक होने के स्थान में सघर्ष का प्रतीक हो गया है। रूस तथा पश्चिमी शक्तियों ने अपनी विवेक-शून्य कार्य-प्रणाली से इसका समय-समय पर दुरुपयोग किया है और जैना एम० ऐलबेरेज ने किसी राष्ट्र को सयुक्त राष्ट्र-सघ में प्रवेश करने के लिए सामान्य सभा की क्षमता वाले मामले में (I. C. J. Reports, 1950 pp. 3-4) अपने मतभेद प्रकट करने वाली सम्मति में कहा था, "यह निर्णय

करने का कि प्रत्येक विषय में जिनमें सुरक्षा परिषद् उपार्यों का अयनम्बन कर।सके विशेष निषेधाधिकार का उपयोग स्वतन्त्रतापूर्वक किया जाय, यह अर्थ हीगा कि शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना के अनिश्चित अन्य विषयों में भी एक बड़ी शक्ति की इच्छा उस परिषद् के अन्य सदस्यों की तथा सामान्य गभा की इच्छा की निरर्थक बना दे, तथा उनसे समुक्त राष्ट्र सच निकम्मा हो जाय ।”

विशेष निषेधाधिकार के प्रतिबन्ध की तेज धार व्यावहारिक प्रयोग में बहुत-कुछ कूटन कर दी गई है। इसका यह अर्थ माना गया है कि जब तक पाँच बड़ी शक्तियों में से कोई भी स्पष्ट रूप से निषेधात्मक मतदान न करे उस समय तक किसी बड़ी शक्ति द्वारा अलग रहना कोई विशेष निषेधाधिकार का उपयोग नहीं है। इसी प्रकार किसी स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति विशेष निषेधाधिकार का उपयोग नहीं मानी जाती। यह सिद्धान्त सबसे प्रथम सन् १९४६ में निर्धारित किया गया जब रूस ने ईरान तथा इंग्लैण्ड के भगडे के बाद विवाद के बीच अपनी अतहमति उठकर चले जाने से प्रदर्शित की और इसके उपरान्त रूस सुरक्षा परिषद् से इस मापार पर अलग हो गया कि उसमें वास्तविक चीन का प्रतिनिधित्व नहीं है।

विशेष निषेधाधिकार की धार को और अधिक कूटित करने के लिए सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों को चाहिये कि वे कोई ऐसी आचार विधि बना लें जिससे निषेधाधिकार का उपयोग कम से कम हो सके। सबसे अधिक जो वस्तु आवश्यक है वह यह कि मतैक्य पर पहुँचने की इच्छा बिना निषेधाधिकार को उठा देने से समुक्त राष्ट्र सच में जो कुछ भी समुक्तता है वह भी छिन्न-भिन्न हो जायगी। एक दूसरा सुझाव यह है कि मतैक्य नियम अनुच्छेद २७ (३) के स्थान में बहुमत निर्णय के नियम को रख दिया जाय।

आन्तरिक विषय (Domestic Matters) :—दूसरा विषय जो विचार-शील है वह चार्टर के अनुच्छेद २ के खंड ७ में किसी राज्य के आन्तरिक क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले विषयों के सम्बन्ध में है। यह वाक्य कि किसी एक राज्य के आन्तरिक क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले विषय, सन्देह से मुक्त नहीं हैं, और समुक्त राष्ट्र संघ में ऐसे विषयों पर विचार के समय जैसे दक्षिणी अफ्रीका द्वारा व्यवहार की गई भारत-विरोधी नीति, कोरिया का भगडा तथा ब्रिटेन और ईरान का तेल के भगडा आदि पर विचार विमर्श हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने Tunis-Morocco Nationality Decrees (P. C. I. J. Series B. No. 4) वाले मामले में इस विषय पर विचार किया और कहा कि “केवल आन्तरिक क्षेत्राधिकार के भीतर” का आशय ऐसे विषयों में प्रतीत होता है जो यद्यपि वे एक से अधिक राज्यों के हितों से अनिच्छित रूप से सम्बन्धित हो

सिद्धान्त में अन्तर्राष्ट्रीय विधि से नियमित नहीं होते। ऐसे विषयों के सम्बन्ध में केवल प्रत्येक राज्य ही निर्णायक हैं। इस सङ्घ के उत्तरवर्ती भाग में निम्न सन्धीय वाङ्मनीय है जिससे यह पढ़ने में ऐसा हो जाय कि "परन्तु इस सिद्धान्त से अध्याय ७ के अन्तर्गत निराकरण तथा प्रवर्तक कार्यों के लागू किये जाने में तथा उन विषयों में कोई बाधा नहीं पड़ेगी जो अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के अन्तर्गत हैं और जिनमें मानवीय अधिकारों तथा आधारभूत स्वतन्त्रताओं का पालन तथा उनके लिए सम्मान भी सम्मिलित है।"

चार्टर के अनुच्छेद २ (७) में इस प्रतिबन्ध होने से चार्टर के अनुच्छेद ६ को प्रायः निरर्थक कर दिया है कि कोई सदस्य यदि वह चार्टर के सिद्धान्तों का उल्लंघन करे तो सघ से निष्कासित किया जा सकता है। यदि इस सङ्घ का पुनरीक्षण न किया गया तो मयुक्त्त राष्ट्र सघ का जलयान जिस पर कि इस अनुच्छेद में आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया है, सर्वव्यापकता की चट्टान से टकराकर डूब सकता है।

सदस्यता (Membership).—अनुच्छेद ४ में यह दिया गया है कि कतिपय नियमों के अन्तर्गत सयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता ऐसे सब शान्ति-प्रिय राज्यों के लिए खुली हुई है जो चार्टर के कर्तव्यों को स्वीकार करे। प्रथम दखिन हस्तगत करने वाली राजनीति ने सदस्यता को सार्वजनिक बनाये जाने से रोका है। प्रत्येक गुट इस बात पर महत्त्व देता है कि 'उसी विचार के' देशों का प्रवेश किया जाय तथा विरोधी दल के देशों का प्रवेश का विरोध करता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये अनुच्छेद ४ में यह अनुबन्धित कर दिया जाय कि सयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता किसी भी ऐसे राज्य के लिये खुली है जो ऐसी सदस्यता के कर्तव्यों को बिना अधिक नियामिकता के पालन करने को उद्यत हो। एक कठिनाई उन राज्यों का सम्बन्ध में उत्पन्न होती है, जैसे स्विटजरलैण्ड, जो अध्याय ७ के अन्तर्गत प्रवर्तक उपाय सम्बन्धी कर्तव्यों को अपनी स्थायी तटस्थता को भंग किए बिना स्वीकार करने को उद्यत न हो। अतः चार्टर के अनुच्छेद ४ में और सन्धीय की आवश्यकता है जिससे ऐस राज्य भी अध्याय ७ के सैनिक अपेक्षण सम्बन्धी कर्तव्यों का पालन किए बिना सघ में सम्मिलित हो सके।

अनिवार्य क्षेत्राधिकार (Compulsory Jurisdiction):—दूसरा सुझाव जो दिया गया है वह न्यायालय को अनिवार्य क्षेत्राधिकार उपयोग करने के लिए सक्षम किए जाने के सम्बन्ध में है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को युद्ध के बीच में मधुदो अभिग्रहणों के सम्बन्ध में निर्णय करने वाले नागरिक न्यायालयों के निर्णयों से अपीलें सुनने का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जाय। इसके प्रतिरिक्त न्यायानय का

व्यवस्थान इस प्रकार सशोधित कर दिया जाय जिससे न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अपराधो से धारापित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सके ।

असदस्य राज्यों का भाग लेना :—चार्टर के अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि असदस्य राज्य भी मुरदा परिपद के उन बहुसा में सम्मिलित हो सकते हैं जिसमें कि वे पदाकार हैं किन्तु उन्हें वोट देन का कोई अधिकार नहीं है । चार्टर में यह भी उपरन्वित होना आवश्यक है कि साधारण सभा किसी असदस्य राज्य को सम्मिलित हाने के लिए आमन्त्रित करे जब कि वह किसी ऐसे विषय पर विचार कर रही हो जिसमें कि असदस्य राज्य पक्षकार हो ।

न्यास-पद्धति (Trusteeship System) :—अनुच्छेद ७६ (ब) जिसमें न्यास-पद्धति के लिए अनुबन्धित किया गया है स्पष्ट नहीं है । इसमें प्रत्येक प्रदेश को जो आत्म-शासन न कर रहा हो स्वतन्त्रता दिए जाने के लिए एक निश्चित समायावधि की व्यवस्था होनी चाहिए । समायावधि समुक्त राष्ट्र सभ के आयोग द्वारा प्रशासक शक्ति की सहमात के साथ प्रत्येक प्रदेश के विकास का दृष्टि में रखत हुए नियत होनी चाहिए ।

अनुच्छेद ७७ (अ) भी पुनरीक्षित होना चाहिए जिससे पूर्व आदेशित प्रदेश अनिवार्य रूप से न्यास-पद्धति के अधीन रख दिए जाय । यह संशोधन दक्षिणी अफ्रीका द्वारा अपने पूर्व आदेशित प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को न्यास-पद्धति के अधीन रखने को स्वीकार करने के कारण आवश्यक हो गया है ।

अनुच्छेद ७७ (स) में यह व्यवस्था की गई है कि न्यास-पद्धति उन क्षेत्रों में लागू होगी जो उनका प्रशासन के लिए उत्तरदायी राज्यों द्वारा स्वेच्छापूर्वक उस पद्धति के अधीन रखे जाय । इस वाक्य खंड के भीतर राज्यों के उपनिवेश भी इस अनुबन्ध के साथ सम्मिलित होना चाहिये कि वे न्यास में स्थानीय लागो के समुक्त राष्ट्र सभ को प्रार्थना पत्र देने पर सम्मिलित किए जाएंगे ।

सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र (Strategic Areas) —यह समय है जब सामान्य तथा सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न्यास क्षेत्रों का भेद इस अनुबन्ध के साथ हटा दिया जाय कि अधीनस्थ प्रदेश एवं नियत अवधि में स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें । जिन्में वे सब साधारण सभा के निरीक्षण में प्रशासित हो सके, इसके लिए चार्टर के अनुच्छेद ८३ तथा ८५ (१) का संशोधन आवश्यक होगा ।

प्रादेशिक सुरक्षा (Regional Security) .—चार्टर के अनुच्छेद ५२ (१) में यह अनुमति दी गयी है कि प्रादेशिक व्यवहार के यथानुरूप अन्तर्राष्ट्रीय

शान्ति तथा सुरक्षा स्थापनार्थ सम्बन्धी विषयो को निपटाने के लिए प्रादेशिक प्रबन्ध अथवा अभिकर्तृत्व बनाए जायें, किन्तु अनुबन्ध यह है कि ऐसे प्रबन्ध सयुक्त राष्ट्र सघ के उद्देश्य तथा सिद्धान्तों के अनुरूप हो। ८ सितम्बर १९५४ को दक्षिणी पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा सघ (SEATO) की स्थापना उपरांत अनुबन्धों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके धर्मपिता सब अष्टाध्यायई शक्तियाँ हैं अर्थात् वे सयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड आठ राष्ट्रों में से हैं। यह उपनिवेशीय शक्तियों का एक शक्तिशाली भुंड है जो उन लोगों को सरक्षण देने के उत्सुक हैं जो किसी का सरक्षण नहीं चाहते। इस वान की ध्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसी सधियों की जाँच उनका वास्तविक स्वरूप निश्चित करने के लिए की जानी चाहिए।

अस्पष्टता (Vagueness) — चार्टर के भिन्न-भिन्न अनुबन्धों में कुछ अस्पष्टता विद्यमान है। सुरक्षा परिषद् तथा साधारण सभा की शक्तियाँ निपुणता से वर्णित नहीं हैं तथा जैसा भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने दिसम्बर सन् १९५३ में नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय वैध सम्मेलन में व्यक्त किया कि पूरे चार्टर को सरसरी दृष्टि से पढ़ने से भी प्रत्येक मनुष्य के मन में एक अस्पष्ट छाप रह जाती है कि यहाँ एक सस्या वर्तमान है जो कुछ मतों के एक प्रकार से उपयोग किए जाने पर अन्य की अपेक्षा जातीय हितों को हानि पहुँचा सकती है, यदि वे केवल बिशिष्ट जातीय वर्गों के दृष्टिकोण से देखे जायें। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि सदस्य राज्य सयुक्त राष्ट्र सघ को जो-जो शक्तियाँ देने को उत्सुक हो उनको स्पष्टतः घोषित कर दिया जाय।

प्रक्रिया सम्बन्धी विषय (Procedural Matters) :— इसके उतरांत अनुच्छेद २७ में यह निर्दिष्ट है कि 'प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों' तथा 'अन्य सब विषयों' के सम्बन्धों में सुरक्षा परिषद् का निर्णय प्राप्त करने के लिए मत प्राप्त किए जायें। यह आवश्यक है कि ऐसे प्रक्रिया सम्बन्धी विषय अनुच्छेद २७ में एक व्याख्या का वाक्यपल्लव भरकर स्पष्टतः परिभाषित कर दिए जायें।

चीन का प्रतिनिधित्व — इसके अतिरिक्त चीन के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सयुक्त राष्ट्र सघ में अद्यपर्यन्त दशा विद्यमान है। इस समय सुरक्षा परिषद् में चीन का प्रतिनिधि पुरानी सरकार का प्रतिनिधि है जिसका चीन में नाममात्र का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार अवास्तविकता को रोकने के लिये वही न कही ध्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। चीन की बढ़ती हुई उप आक्रमणवादी नीति को रोकते दृष्टे यह और भी आवश्यक हो गया है कि यह राष्ट्रों के कुटुम्ब में नियमित किया जाय।

• भारित मतदान (Weighted Voting) :—इसके अतिरिक्त साधारण सभा के प्रतिनिधि-रूपक स्वरूप को उन्नत करने के लिये कुछ भारनिष्ठ मतदान की पद्धति प्रवर्तित करनी चाहिये जिससे आईसलैंड के १,४१,००० निवासियों को वहाँ वही मतदान का अधिकार न प्राप्त हो जाय जैसा चान के ५२^३ करोड़ निवासियों को ।

सुरक्षा-परिपद् में स्थायी स्थानों की वृद्धि :—अन्त में शीतयुद्ध से उत्पन्न हुई तनातनी को कम करने के लिये एशियाई देशों को संयुक्त राष्ट्र सघ में सामान्यतः तथा सुरक्षा परिपद् में विशेषतः अधिक प्रभावपूर्ण मतदान मिलना चाहिये । यह सुरक्षा परिपद् में स्थायी स्थानों की वृद्धि करके छ. कर देने तथा एक स्थान भारत को दे देने से किया जा सकता है जो कि पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश था परन्तु अब एशिया की एक प्रमुख लोकतन्त्रात्मक शक्ति है । इन समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की मर्यादा १२१ है किन्तु एफ्रो-एशिया के देशों का सुरक्षा परिपद् में अब भी प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बहुत ही कम है ।

संयुक्त राष्ट्र सघ के प्रथम चरण के कार्यों की समीक्षा—आज का युग आणुविक युग है । मानव-मात्र का जीवन आज बहुत अनिश्चित-सा हो गया है । बढ़ती हुई शक्ति की होड़ न यह आवश्यक-भा कर दिया है कि कोई एक ऐसी सस्था हो जिसका समूचे विश्व पर प्रभुत्व हो, और जो मानव-मात्र की रक्षा में तत्पर हो । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र सघ ने अपने कार्यों से अपने आपका एक ऐसी ही प्रभावकारी विश्व-संस्था के रूप में सिद्ध किया है ।

बर्लिन, तेहरान, ग्रीक, जेरुसलम, काश्मीर और कोरिया के मामलों में संघ ने जो सुझाव रखे उनका अपना विशेष महत्व है । एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी उत्पत्ति के प्रथम दस वर्षों में ही ५ युद्धों को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य किया—वे युद्ध ग्रीस की सीमा, काश्मीर की सामा तथा पैलेस्टाइन, इन्डोनेशिया और मिस्र के प्रसंगों में सम्भावित युद्ध थे । कोरिया में राष्ट्र-मञ्च न ही शांति स्थापित की । इसने सीरिया, लेबनान, बर्मा और ईरान से विदेशी मेंना को हटाया और बर्लिन अवरोध को तोड़ने में सहायता की ।

युद्धों को रोकने और शांति स्थापित करने के साथ ही दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य संयुक्त राष्ट्र ने किया है वह है आणुविक शक्ति को युद्ध और विनाश से मोड़कर शांति और निर्माण की ओर लगाना । १९५५ में ७२ राष्ट्रों की एक "पीस बान्फेन्स" आणु-शक्ति के सम्बन्ध में जेनेवा में हुई थी । उन सम्मेलन में यह आशा बंधी थी कि "यच० बाम्ब" की प्रबल शक्ति प्रगले २० वर्षों में मनुष्य की बिजली और शक्ति सम्बन्धित माँगों को पूरा करने में लग जायेगी ।

३३८] भारम्भ मे राष्ट्र सङ्घ ५० राष्ट्रों की सदस्यता से भारम्भ हुआ था किन्तु

अक्टूबर १९६६ तक १२१ सदस्य ही चुके थे ।
कोरिया का प्रश्न समुक्त राष्ट्र संघ के लिये एक बहुत ही कठिन परीक्षा का प्रश्न था । नवम्बर १९५२ में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा कोरिया के सम्बन्ध में एक दान्ति-योजना प्रस्तुत की गई और कोरिया में युद्ध की विभीषिका ने दान्ति का रुख लिया । इन्डोनेशिया मे समुक्त राष्ट्र प्रायोग ने युद्ध को समाप्त किया जिसमें कि इन्डोनेशिया ने नीदरलैण्ड से स्वतन्त्रता की माँग की थी । इन्डोनेशिया स्वतन्त्र होने के पश्चात् २८ सितम्बर, १९५० को समुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हो गया ।
काश्मीर-विवाद के सम्बन्ध मे संयुक्त राष्ट्र प्रायोग ने भारत व पाकिस्तान के बीच एक खुले युद्ध को विराम की स्थिति तक पहुँचाया; यद्यपि यह प्रश्न प्रागे और भी उलझता गया ।

समुक्त राष्ट्र संघ ने अपना ध्यान नि.शस्त्रीकरण (disarmament) की ओर केन्द्रित किया ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के अन्य संगठन जैसे 'अन्तर्राष्ट्रीय लेबर भारगेनाइजेशन', 'अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय', 'अन्तर्राष्ट्रीय मानेटरी फंड', 'विश्व हेल्थ भारगेनाइजेशन' और 'संयुक्त-राष्ट्र-शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सङ्गठन' अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति मे बहुत अधिक सफल रहे हैं ।

१९५६ के अन्त मे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई मानो मिस्र में एक विश्व-युद्ध हो जायेगा । यह भाषणा 'इजरायली एंग्लो फ्रेंच' कार्यक्रम के कारण उत्पन्न हुई थी । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ इस स्थिति मे दृढ़ रूप से खड़ा हुआ, और राष्ट्रों की नैतिक भावाज इतनी सबल सिद्ध हुई कि युद्धरत राज्य समुक्त राष्ट्र सङ्घ के आदेशों की अवज्ञा न कर सके । सोवियत रूस को भी हंगरी के आन्तरिक मामलों के हस्तक्षेप के सम्बन्ध मे सङ्घ की भावाज को मानना पडा ।

१९५८ मे लेबनान मे मध्य-पूर्वी संकट के समय तथा जार्डन के मामले मे राष्ट्र सङ्घ ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अतिक्रमण करने वाले आक्रामक राज्यों को रोका । १९६१ मे "कगो" के संकट मे सफलतापूर्वक परिस्थिति का सामना किया ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्त्व—जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का बयन था कि यह कहना गलत है कि 'लीग आफ नेशन्स' इस कारण अपने उद्देश्यों मे असफल रही कि वह अपने अस्तित्व के प्रभाव से द्वितीय विश्व-युद्ध न रोक सकी । असफलता लीग में नहीं, वरन् उन राष्ट्रों में निहित है जो अपनी

प्रतिज्ञा के पालन में असमर्थ रहे और लोग में इतनी शक्ति न उत्पन्न कर सके कि वह एक आवश्यक सस्या बन सके ।

सयुक्त राष्ट्र सघ का चार्टर पहले से ही यह अनुमान करता है कि महान् शक्तियों में ऐक्य स्थापित है किन्तु जैसा कि Hans J Morgenthau ने लिखा है कि इसमें वे अवयव नहीं हैं जिनके द्वारा इसे दृढ़ता से स्थापित किया जा सके । उन्हीं के शब्दों में—“The United Nations was originally envisaged as the second storey of an edifice, built upon the foundations of the continuing unity of the Great Powers to be maintained by the traditional methods of diplomacy With that unity having crumbled, the United Nations, as intended by the Charter, has no foundation upon which to rest. The only foundation that is left is the unity of the Western alliance under the leadership of the United States, and what is—politically speaking called—the United Nations today is but a wing of the original structure resting on that foundation.”

तात्पर्य यह कि सयुक्त राष्ट्र सघ और कुछ नहीं बल्कि महान् शक्तियों पर आधारित एक परम्परागत राजनयिक महल है । महान् शक्तियों को एकना टूटने के पश्चात् अब केवल पाश्चात्य मित्र-राष्ट्रों को एकता है जो कि सयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में है, और जिसे कि राजनीतिक परिभाषा में सयुक्त राष्ट्र सघ कहने हैं । वह और कुछ नहीं बल्कि उसी नींव पर आधारित मौलिक संरचना है ।

मपनी अनेक कमियों के उद्धार-त भी सयुक्त राष्ट्र सघ एक बहुत ही शक्ति-शाली और प्रभावकारी सस्या के रूप में कार्य कर रहा है और त्रिपक्षा सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय शांति-समझौता और सुनभाव से है । राष्ट्रपति 'माइजनर' ने इसे मनुष्य की सबसे अच्छी सङ्गठित आशा कहा था, जो कि युद्ध का सम्झौता तर्तु बदलने में सहायक है । यह सस्या इस बात का अवसर प्रदान करती है कि शांति और सुरक्षा की व्यवस्था हो तथा जनता का सार्वभौमिक विकास हो । धार्मिक और सामाजिक जीवन की प्रगति में भी सस्या ने अनेक विविध सङ्गठनों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया है ।

पञ्चशील—इस प्रकरण की समाप्ति के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पञ्चशील के सिद्धान्तों का परिज्ञान कर लिया जाय । इस सिद्धान्त का प्रवर्तन भारत और चीन के द्वारा हुआ था और यह आशा की गई थी कि यदि इसे सही ढंग से अपनाया गया तो विश्व-शांति का ढाँचा ही बदल जायेगा । चीन के प्रधान

मन्त्रों चाऊ एन लाई जून १९५४ र्म भारत आये थे । जून २८ को भारत और चीन के प्रधान मन्त्रियों का संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसके अनुसार निम्न के सम्बन्ध में भारत और चीन के ५ समझौते के सिद्धान्त पुष्ट किये गये । वे निम्न-लिखित हैं :—

१—प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र और सम्प्रभुता का पारस्परिक सम्मान (Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty) ।

२—आक्रमण का न करना (Non-aggression);

३—परस्पर किसी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना (non-interference in each other's internal affairs);

४—समानता और पारस्परिक लाभ (Equality and mutual benefit); और

५—शांतिपूर्ण सहअस्तित्व (peaceful co-existence) ।

दोनों प्रधान मंत्रियों ने यह स्वीकार किया था कि एशिया और विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की सामाजिक और राजनैतिक प्रथाएँ विद्यमान हैं । अगर किसी प्रकार उपरोक्त सिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये और उनका अनुशीलन किया गया तथा एक-दूसरे के भीतरी मामलों में प्रत्येक देश हस्तक्षेप न करे तो ये भिन्नताये शांति स्थापित करने के मार्ग में बाधक न बनेगी । किसी राज्य के भू-भाग और उसकी सम्प्रभुता का जब सम्मान किया जायेगा और राष्ट्र आक्रमण न करने की नीति अपनायेगी तो शांति-पूर्ण सहअस्तित्व और देशों में आपस के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनेंगे । इनसे आज के विश्व की बढती हुई तनातनी कम होगी और शांति का वातावरण उत्पन्न होगा । पंचशील का सिद्धान्त “जीवित रहो और जीने दो” (Live and let live) पर आधारित है ।

यह सिद्धान्त एक दूसरे से बहुत ही सम्बद्ध है किन्तु इनमें शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का एक विशेष स्थान है ।

मधुवन राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद १, पैरा २ में यह उद्देश्य लिखा हुआ है कि “राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढाये जाय, समान अधिकारों के सिद्धान्त का आधार हो तथा जनता का आत्म-निर्णय तथा सार्वभौमिक शांति को बढाने व उचित उपाय किये जाय ।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पाँचो सिद्धान्त मधुवन राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्यों को अधिक व्यावहारिक रूप में माने बढाते हैं । इस सिद्धान्त को मुख्यतः भारत, सोवियत रूस, गणतन्त्र चीन, इन्डोनेशिया,

बर्मा, सीरिया, नेपाल, कम्बोडिया, लाओस, सीदी-प्रख, पोलैंड और योगोस्लाविया द्वारा माना गया ।

पञ्चशील के सिद्धान्त से विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था और ऐसी आशा की जाती थी कि इस सिद्धान्त के आधार पर सह-अस्तित्व शान्ति, निरस्त्रीकरण तथा विपैले विस्फोटक बम के प्रयोग को रोकने में सहायता मिलेगी ।

किन्तु, पञ्चशील का सिद्धान्त व्यापक रूप से प्रभावकारी हो, इसके पूर्व ही इस सिद्धान्त के प्रवर्तकों में से एक ने इन सिद्धान्तों का पूर्णतया उलट्टन कर दिया । भारत, तिब्बत व चीन की सीमाओं का हमेशा सम्मान करता रहा और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता रहा; किन्तु चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर निरकुश ढङ्ग से आक्रमण कर १९६२ में मानो इस सिद्धान्त की रीढ़ को ही हिला दिया । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय जगत की बहुत ही विलक्षण घटना थी, कि जिन सिद्धान्तों का प्रति-पादन भारत और चीन द्वारा सर्वप्रथम किया गया और जिन्हे विश्व में बहुत सम्मानपूर्वक देखा गया, उन्ही सिद्धान्तों का अतिक्रमण चीन ने ही भारत के विरुद्ध कर दिया ।

आज पंचशील का सिद्धान्त फिर भी उपयोगी है और यदि विश्व के राष्ट्र एक दूसरे की राज्य-सत्ता का सम्मान करना सीख लें तो निश्चय ही यह सिद्धान्त सह-अस्तित्व और शांति के लिए व्यापक रूप से अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर देगा ।

अध्याय २७

सुरक्षा परिषद् के कार्य का सिंहावलोकन

(Survey of Security Council at Work)

सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है । इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्यारह (संशोधन के पश्चात् अब १५) सदस्य होते हैं । चीन का गणतन्त्र, फ्रान्स, सोवियत समाजवादी गणतन्त्रों का संघ, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके पाँच स्थायी सदस्य हैं और छ. (तथा संशोधन के पश्चात् अब १०) अस्थायी सदस्य साधारण सभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिये निर्वाचित होते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायः सभी प्रमुख वैधानिक कृत्यों के करने का उत्तर-दायित्व सुरक्षा परिषद् पर है । यह इन्हें या तो अकेले अथवा साधारण सभा के

परामर्श से कर सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने का प्राग्भिक उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा परिषद् को दिया गया है। प्रायः इसे अधिशासी प्रकार का कार्य सम्पन्न करना पड़ता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कार्य करती है और चार्टर के अनुच्छेद २३ के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने सुरक्षा परिषद् के निर्णयों को स्वीकार करने तथा पालन करने की प्रतिज्ञा की है।

सुरक्षा परिषद् दो प्रकार के कार्यों को करती है। यह झगड़ों को जीव करती है तथा शान्ति-भंग के सम्बन्ध में कार्यवाही करती है। यह इन बात का निश्चय करती है कि शान्ति के विच्छेद कोई धमकी अथवा अग्रघर्षण का कार्य तो नहीं है तथा इस सम्बन्ध में संस्तुति करनी है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने अथवा उसे पुनः संस्थापित करने के लिये जो उपाय अवलम्बन किये जाय, उनका निर्णय करती है।

यहाँ पर हम कतिपय सर्वाधिक महत्व के झगड़ों तथा स्थितियों पर विचार करेंगे जो इस समय तक सुरक्षा परिषद् के सामने लाये गये हैं।

इंडोनेशिया :— द्वितीय विश्वयुद्ध में जापानियों ने डच लोगों को पूर्वी इण्डोनेशिया से बाहर भगा दिया था। इंडोनेशिया जो कि पहले नीदरलैंड के नियन्त्रण में था, राष्ट्रवादियों ने वहाँ पर जापानी सैन्यों के आक्रम-समर्पण के उपरान्त ही एक गणतन्त्र स्थापित कर लिया। उन्होंने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। नीदरलैंड्स तथा भारत ने स्थिति को सुरक्षा परिषद् के समक्ष रखला, जिसने अपनी सेवायें इस झगड़े को निपटाने के लिये प्रदान की। इसने मध्यस्थता समिति (Good Offices Committee) की नियुक्ति की। इस समिति ने अगस्त १९४७ में युद्ध-विराम की स्थिति उत्पन्न कर दी। नीदरलैंड और गणतन्त्र ने एक शान्ति-समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके उपरान्त नीदरलैंड की ओर से शान्ति भंग कर दी गई। सुरक्षा परिषद् ने युद्ध बन्द करने का निर्देश किया, किन्तु नीदरलैंड की सरकार ने इस पर कोई ध्यान न दिया। मध्यस्थता समिति के प्रतिवेदन पर जनवरी २८, १९४९ को सुरक्षा परिषद् ने नीदरलैंड सरकार की सैनिक कार्यवाही को रोक देने का आदेश दिया और यह भी आदेश दिया कि सभी राजनैतिक बन्धियों को छोड़ दिया जाय। परिषद् ने यह भी संस्तुति की कि एक स्वतन्त्र, सप्रभु और संघीय, संयुक्त राज्य इंडोनेशिया की स्थापना की जाय तथा १ जुलाई १९५० तक दोनों सरकारें सत्ता नये संघ-राज्य को हस्तान्तरित कर दें। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निरन्तर प्रोत्साहित किये जाने पर नीदरलैंड की सरकार ने गणतन्त्र को एक स्वतन्त्र सर्वमौलिक राज्य

माना । साधारण सभा के सन् १९५० में हुये दूनरे सत्र में इडोनेशिया का प्रवेश सयुक्त राष्ट्र सभ के साठवे सदस्य के रूप में हुआ ।

ग्रीस —द्वितीय विश्व-युद्ध ने ग्रीस को बहुत ही बुरी दशा में छोड़ा था । इसकी सेना तितर बितर हो गई थी । उधर साम्यवादी गुरिल्लो के छाये पड़ते जा रहे थे । उन छापो की पृष्ठभूमि में अल्बानिया, युगोस्लेविया और बुल्गारिया के साम्यवादी राज्य सहायक थे । ब्रिटिश सेना ने ग्रीस को आत्म-रक्षा में सहायता की । २१ जनवरी १९४६ को सोवियत साम्यवादी रूस ने सुरक्षा परिषद् में शिकायत की कि ब्रिटिश की निरन्तर सेना ग्रीस में रहने के कारण वहाँ के आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप होता है और इससे शान्ति और सुरक्षा के खतरे में पड़ जाने की आशंका है । ग्रीस ने ऐसे किसी हस्तक्षेप के होने से इन्कार किया, अस्तु इस और सुरक्षा परिषद् ने कोई विशेष ध्यान न दिया । इसके पश्चात् ग्रीस की ओर से सुरक्षा परिषद् में शिकायत पहुँची कि साम्यवादी राज्य गुरिल्लो को सहायता पहुँचा रहे हैं । परिस्थिति को जाँच के लिये सुरक्षा परिषद् की ओर से विशेष आयोग नियुक्त किया गया । इस आयोग ने मई २७, १९४७ को एक बहुमत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि तीन उत्तरी राज्यों अर्थात् युगोस्लाविया और कुछ मात्रा में अल्बानिया और बल्गेरिया ने ग्रीस के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध को बढ़ावा दिया है ।

परिणामत ग्रीस को आर्थिक रूप से सहायता पहुँचाने का कार्य सयुक्त राज्य द्वारा आरम्भ किया गया और उसका विवेचन सुरक्षा परिषद् में भी कर दिया गया ।

ग्रीस के प्रश्न पर साधारण सभा ने सितम्बर १९४७ को विचार करना शुरू किया । सभा ने सस्तुति की कि ग्रीस और उसके तीनों पड़ोसी भगडो का निपटारा करे और इसके लिए समुचित ढंग से राजनायिक संपर्क आपस में स्थापित करे । सभा ने युगोस्लाविया, अल्बानिया और बल्गेरिया को निर्देश किया कि वे गुरिल्ला-युद्ध को किसी भी प्रकार सहायता न पहुँचावें ।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालकान पर सयुक्त राष्ट्र सभ ने एक विशेष समिति निर्मित की, किंतु यह समिति साधारण सभा की सस्तुतियों का कार्यान्वित कराने में असफल रही ।

धीरे-धीरे परिस्थिति में सुधार हुआ । युगोस्लाविया ने ग्रीस में गुरिल्ला-युद्ध को सहायता देना बन्द कर दिया । ग्रीक सेना भी इतनी सशक्त हो चुकी थी कि शान्ति को फिर से स्थापित कर सके । २५ हजार ग्रीक बच्चों के निर्यात का प्रश्न अब भी एक समस्या बनकर खड़ा था । सभा की सस्तुति पर युगोस्लाविया ने इस बात पर सहयोग दिया कि जो बच्चे अपने घर वापस जाना चाहते हों, उनके

जाने की व्यवस्था कर दी जाय। इस सम्बन्ध में अन्य पूर्वी यूरोपीय राज्यों ने अनुदार नीति बर्ती और इस कार्य में व सहायक नहीं हुये।

बर्लिन की नाकाबन्दी (The Berlin Blockade) :—सन् १९४८ में फ्राम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने यू० एस० एस० आर० की सरकार द्वारा एकपक्षीय तौर पर जर्मनी के दक्षल किये गये पश्चिमी क्षेत्रों तथा बर्लिन के बीच लगाये गये उद्वहन तथा यातायात सम्बन्धी अवरोधों के कारण जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसकी और सुरक्षा परिपद का ध्यान आकर्षित किया और बतलाया कि यह कार्य चार्टर के अनुच्छेद २ के अन्तर्गत लगाय गये कर्तव्यों के विरुद्ध था तथा यह शान्ति के लिये एक धमकी थी। यह प्रश्न परिपद के कार्यक्रम में रक्वा गया। संयुक्त राष्ट्र सभ में दखल करने वाली चार शक्तियों के प्रतिनिधियों ने परस्पर मई १९४९ को बर्लिन की समस्या पर वार्तालाप किया तथा वे इस बात पर सहमत हो गई कि यू० एस० एस० आर० द्वारा बर्लिन तथा पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के बीच लगाये गये यातायात, उद्वहन तथा व्यापार सम्बन्धी सब अवरोध हटा दिय जाय।

फिलस्तीन (Palestine) —यूनाइटेड किंगडम के प्रस्ताव पर अप्रैल २ सन् १९४७ को फिलस्तीन का प्रश्न सभा के कार्यक्रम में रक्खा गया। अप्रैल तथा मई में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उसने फिलस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र सभ की विशेष समिति को स्थापित किया। समिति ने यह सन्तुति किया कि फिलस्तीन को अरब राष्ट्र, यहूदी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन एक विशेष क्षेत्र में जिसमें जेरूसलम सम्मिलित हो, विभाजित कर दिया जाय। यह योजना सभा द्वारा स्वीकृत की गई जिसका परिणाम यह हुआ कि यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटेन का फिलस्तीन के ऊपर आजापत्र के अन्तगत अनुशासन समाप्त हो जाय तथा ब्रिटेन की सेना अगस्त १ सन् १९४८ तक हटा ली जाय। सभा ने योजना की कार्यरूप में परिणत करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सभ का फिलस्तीन आयोग वैठाया। आयोग ने यह प्रतिवेदन किया कि फिलस्तीन की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और यह सम्मति प्रकट की कि ब्रिटेन के चले जाने के उपरान्त सम्पूर्ण फिलस्तीन में शासन अव्यवस्थित हो जायेगा तथा भुलमरी और झगड़े होंगे। सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसने न्यास परिपद (Trusteeship Council) से प्रार्थना की कि वह जेरूसलम में मुख्यवस्था स्थापित करने के निमित्त एक योजना तैयार करे। परिपद अरब तथा यहूदियों के प्रतिनिधियों से यह सप-भौता प्राप्त करने में सफल हुई कि युद्ध बन्द (cease-fire) हो तथा तत्पश्चात् विराम-संधि हो। एक विराम संधि आयोग बनाया गया किन्तु स्थिति में सुधार नहीं

हुआ । ब्रिटेन ने आज्ञापत्र के अधीन अपना अनुशासन १५ मई को त्याग दिया । १७ सितम्बर को मध्यस्थ बॉट बर्नाडोट (Count Bernadotte) तथा फ्रान्सीसी प्रेक्षकों का मुखिया Colonel Andre Serot जेरूमलम क इसरायली क्षेत्र में गानी से मार डाले गये । निरन्तर लड़ाई क उपरान्त मध्यस्थता के प्रयत्न सफल सद्ध हुए तथा इजिप्ट और इसरायली सरकारों न फरवरी २४ सन् १९४६ का रोडम में एक सामान्य युद्ध निवृत्ति सन्धि के स्वोवृत्तिपत्र पर हस्ताक्षर किये ।

सीरिया-लबानॉन :—फरवरी ४ सन् १९४६ को लेबानॉन तथा सीरिया ने सुरक्षा परिषद् का ध्यान बढ़ी पर ब्रिटिश तथा फ्रान्सीसी फौजों को निरन्तर उपस्थिति की ओर आकर्षित किया । सुरक्षा परिषद् में एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसमें यह विश्वास प्रकट किया गया कि विदेशी सेनाओं को यथासम्भव शीघ्राति-शीघ्र हटा लिया जायेगा किन्तु यह रूस के निषेधाधिकार के कारण रुक गया । फिर भी ब्रिटेन और फ्रान्सीसी सेनाओं का वहीं से हटाने का कार्य प्रायः दो मास में पूर्ण हो गया ।

आंग्ल-ईरानी तेल का झगडा (Anglo-Iranian Oil Dispute) :—

ईरान के तेल-उद्योग को मई सन् १९५१ में राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी आंग्ल-ईरानी झगडे में ब्रिटेन द्वारा अस्थायी कार्यवाही के लिये प्रार्थनापत्र दिये जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ईरानी-तेल झगडे में ब्रिटिश सरकार को "रोक दो" (Freeze) प्रार्थना को स्वोकार कर लिया । ईरान ने विश्व न्यायालय क निर्णय को अस्वोकार कर दिया । यह झगडा सुरक्षा परिषद् को निर्देशित किया गया जिसने १६ अक्टूबर सन् १९५१ को इस पर विचार-विमर्श उस समय तक के लिये स्थगित कर दिया जब तक कि न्यायालय यह निर्णय न दे कि क्या यह विषय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है । न्यायालय ने अन्तिम रूप में जुलाई २२ सन् १९५२ को यह निर्णय दिया कि यह आंग्ल-फारस के तेल के झगडे को निपटाने के लिये योग्य नहीं है तथा ब्रिटेन के इस दावे को अस्वीकृत किया कि न्यायालय फारस क विरुद्ध उनके (ब्रिटेन के) अधिकार के तेल-उद्योग को राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में ब्रिटेन के परिवाद को निपटाने के योग्य है ।

कार्फू चैनल झगडा (The Corfu Channel Dispute) :—

अक्टूबर सन् १९४६ में ब्रिटिश जमी जहाजों को अलबेनिया के क्षेत्रीय जलभागों में सुरगों में टकराने के कारण भारी क्षति पहुँची । ग्रेट ब्रिटेन ने इस विषय को सुरक्षा परिषद् के समक्ष इस कथन के साथ उठाया कि चैनल में सुरगों की उपस्थिति के लिये अलबेनिया उत्तरदायी है । यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय क समक्ष आया जिनने यह निर्णय दिया कि विस्फोट के लिये अलबेनिया उत्तरदायी है तथा यह कि उन अवसर पर जब विस्फोट हुआ ब्रिटेन अलबेनिया के जलभागों में अन्धकृत प्रकार से

नहीं जा रहा था, किन्तु हमने यह निर्णय दिया कि ब्रिटेन ने प्रत्येकिया के जन-भागों का उत्सर्जन दूसरे ही मामले में किया था तथा इन परिस्थितियों में जो कुछ क्षतिपूर्ति दी जा सकती थी वह न्यायालय के निर्णय द्वारा जो घोषणा की गई थी वही थी।

कोरिया (Korea)—कोरिया की घटना का भारत दिसम्बर १९४३ में उस समय हुआ जब चीन, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों का बहिर्भाग में यह निर्णय किया कि समय आने पर कोरिया एक स्वतन्त्र राज्य हो जायगा। यह निर्णय उन तीनों शक्तियों द्वारा पोट्सडम में जुलाई सन् १९४५ को पुष्टीकृत किया गया। जून सन् १९५० में उत्तरा कोरिया ने बिना किसी प्रकार का उत्तेजना के दक्षिणी कोरिया गणतन्त्र पर आक्रमण कर दिया। सुरक्षा परिषद् का एक तारकालिक बैठक बुलाई गई किन्तु जनवरी १३ सन् १९५० को रूस का प्रतिनिधि इस बात का विरोध में सभा छोड़कर बाहर चला गया था कि परिषद् ने कम्युनिस्ट चीन को स्थान देना अस्वीकार किया। जून २५ को सुरक्षा परिषद् को पुन बैठक हुई तथा एक प्रस्ताव किया गया जिसमें सब सदस्यों से प्रार्थना की गई थी कि वे संयुक्त राष्ट्र सभ को प्रस्ताव के निष्पादन में सहायता दें तथा उत्तरी कोरिया का प्राधिकारियों को सहायता देना बन्द कर दें। सदस्य-देशों द्वारा भेजी गई सेनाएँ संयुक्त राष्ट्र सभ के समावेश में संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडे के नीचे संयुक्त कर दी गई। सुरक्षा परिषद् ने सर्वप्रथम कोरिया के मामले में अग्रद्वेषण को रोकने के निमित्त सैनिक कार्यवाही करके बल प्रयोग की स्वीकृति दी। एक दीर्घकालीन युद्ध के उत्तरात् जिसमें कम्युनिस्ट चीन के साथ संयुक्त राष्ट्र सभ की सेनाओं का खुले रूप में संघर्ष हुआ तथा सुरक्षा परिषद् के भिन्न भिन्न कार्य सोवियत नियंत्रण के कारण रुके, अप्रैल सन् १९५२ के अन्त तक दोनों पक्ष युद्धविराम (cease-fire) की सब शर्तों पर सहमत हो गये, केवल इस प्रश्न को छोड़ कर कि युद्धबन्दी अपने अपने स्वदेशों को लौट जाने के लिये बाध्य किये जायें। अन्त में इस विषय पर भी वदिया की अनुक्ति को निरीक्षण करने के लिये 'स्वदेश पुनरागमन आयोग' (repatriation commission) का भारतीय प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र सभ की बुद्धिमत्ता तथा शान्ति की शक्तियाँ जो निरन्तर कार्य करती रही सराहनीय हैं कि कोरिया दूसरा मच्छरिया नहीं हुआ और अत में वहाँ शान्ति स्थापित हो गई।

कोरिया-युद्ध में वैध प्रश्न—द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त में सोवियत और अमेरिकी सेना ने कोरिया के क्षेत्र को जापानियों के हाथ से छीन लिया और एक विभाजक रेखा खींच दी गई। कोरिया पक्षकारों से परामर्श के संदर्भ में रूस और अमेरिका में मतभेद उत्पन्न हो गया। अमेरिका ने कोरिया के पूरे प्रश्न को सितम्बर १९४७ में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के समक्ष रखा। सभा ने उस देश में

प्रतिनिधियों के चुनाव के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण करने के लिये एक अस्थायी आयोग नियुक्त किया । उत्तरी कोरिया ने इसी बीच दक्षिणी कोरिया गणतन्त्र पर आक्रमण कर दिया । सुरक्षा परिषद ने २५ जून १९५० को एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार शत्रुतापूर्ण कार्यों को तत्काल समाप्त करना था, और सेनाओं को पीछे हटाना था । उत्तरी कोरिया ने समुक्त राष्ट्र के उक्त प्रस्ताव की उपेक्षा की और धीरे-धीरे यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय शांति के भङ्ग करने का प्रश्न बन गया । इसके पश्चात् सुरक्षा परिषद ने २७ जून १९५० को एक दूसरा प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार उपबन्धित किया गया कि चूँकि उत्तरी कोरिया ने लडाई बन्द नहीं की है, अतः सदस्यों से सिफारिश की गई कि वे सैन्य आक्रमण को रोकने के लिये तथा शान्ति स्थापना के लिये हर सम्भव सहायता करे । अमेरिका की सैन्य-शक्ति कोरिया सरकार की सहायता के लिये आगे बढ़ आयी । ७ जुलाई १९५०, को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव द्वारा सदस्य राष्ट्रों से सैनिक सहायता की अपील की जिससे समुक्त राष्ट्र सभ के कमान के अन्तर्गत वहाँ शान्ति स्थापित की जा सके ।

इस सम्बन्ध में दो प्रकार के प्रश्न ऐसे थे जिनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधि से था —

१—क्या उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणी कोरिया पर सशक्त आक्रमण वास्तविक अभिघर्षण का कार्य और शान्ति के भङ्ग करने का कार्य कहा जायगा ?

२—क्या सुरक्षा परिषद द्वारा कोरिया में की गई कार्यवाही वैध थी और क्या युद्धरत न होने वाले सदस्य-राष्ट्रों पर इसका कोई आभार था ?

जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है सुरक्षा परिषद ने चार्टर के अनुच्छेद ३६ के अनुसार यह निश्चय किया था कि उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया के विरुद्ध सशक्त आक्रमण किया है जिसमें शान्ति भङ्ग होने का भी प्रश्न सन्निहित है । यहाँ यह प्रश्न नहीं उठता कि युद्धरत दोनों पक्षकार चार्टर के अन्तर्गत राष्ट्र-सभ के सदस्य थे या नहीं अथवा उन्हें राज्य भी कहा जा सकता है या नहीं, क्योंकि सुरक्षा परिषद को उन प्रसङ्गों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार है जो सदस्य-राज्य नहीं हैं किन्तु जहाँ की घटनाओं का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पर पड़ सकता है । तदनुसार उत्तरी कोरिया को समुक्त राष्ट्र सभ द्वारा आक्रामक घोषित किया गया और शान्ति-भङ्ग के लिये उत्तरदायी ठहराया गया ।

जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है सुरक्षा परिषद को चार्टर के अनुच्छेद ३६, ४०, ४१ तथा ४२ में सैन्य-शक्ति सग्रह करने का प्राधिकार दिया गया है ।

इस सम्बन्ध में प्रो० जूलियस स्टोन का विचार बहुत ही उपयुक्त मालूम पड़ता है कि जून २७ और जुलाई ७ को सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव रूप में जो सिफारिशें

की गई, वे सदस्य-राष्ट्रो की वैयक्तिक इच्छाओं की एक सामूहिक अभिव्यक्ति मात्र थी जिसमें किसी प्रकार का भार सदस्य-राष्ट्रा पर प्रवर्तित नहीं होता था।

अलजीरिया का प्रश्न—जनवरी ५, १९५५, को सौदी अरब ने सुरक्षा परिपद का ध्यान अलजीरिया की गम्भीर स्थिति की ओर आकृष्ट किया।

अलजीरिया द्वारा स्वतन्त्रता की माँग का समर्थन विश्व के सभी न्यायप्रिय लोगों ने किया। यहाँ का प्रश्न निम्नलिखित कारणों से बहुत ही उलझन में पड़ गया था :—

१—अलजीरिया में आकर बस जाने वालों का प्रश्न जो कि अब वहाँ स्थायी निवास चाहते थे।

२—वहाँ के आदिमवासी जो लगातार स्वतन्त्रता की माँगकर रहे थे।

३—फ्रांस की अर्थ-व्यवस्था अलजीरिया को छाड़ने के लिये तत्पर न थी।

अलजीरिया का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लाया गया। फ्रांस ने यह घोषणा की कि वह अलजीरिया के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी भी प्राधिकार को स्वीकार न करेगा। उसने यह दावा किया कि अलजीरिया फ्रांस का एक अंग है। ब्रिटेन और अमेरिका ने १९५७ की फरवरी में फ्रांस का पक्ष-समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र की राजनयिक समिति में फरवरी १९५७ में एशिया-अफ्रीका राष्ट्रों की १८ शक्तियों ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें फ्रांस को अलजीरिया की जनता के आत्म-निर्णय पर उचित प्रक्रिया करने की माँग की गई।

संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा के १२वें अधिवेशन में फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सभ को यह चेतावनी दी कि संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा अलजीरिया में यदि कोई हस्तक्षेप किया गया तो इसका अभिप्राय रक्तपात का अवधि को बढ़ाना होगा। फ्रांस के प्रतिनिधि ने स्पष्टतः कहा था कि फ्रांस को सरकार जिस राज्य क्षेत्र में अपनी अनुपस्थिति से अराजकता, दुष् और गृहयुद्ध की स्थिति का अनुभव करनी है उसे वह किसी के दबाव के कारण नहीं छोड़ सकता। उसका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र सभ को ऐसे मामले में हस्तक्षेप न करना चाहिए जिसमें हस्तक्षेप करने का उसे न तो अधिकार हो और न सामर्थ्य। १० दिसम्बर १९५७ को अलजीरिया के संघ में १५ शक्तियों का समझौता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा ने स्वीकृत किया। किन्तु १३वें अधिवेशन में १७ शक्तियों का एक प्रस्ताव रखा गया और १९५८ में इसे अंगीकार करने का समुचित वोट न मिल सका।

अप्रैल ८, १९६२ को फ्रांस के मतदाताओं ने राष्ट्रपति डि गाले के फ्रांस-अलजीरिया गति-समझौता का स्वीकार कर लिया। ३ जुलाई, १९६२ का अलजीरिया स्वतन्त्र हुआ।

इस प्रकार अलजीरिया १३२ वर्षों के बाद स्वतन्त्र हुआ जिसका स्वागत समुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, समुक्त अरब गणतन्त्र, टुनेशिया, भारत, आदि देशों द्वारा किया गया और अलजीरिया को प्रभुता-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य मान लिया गया ।

काश्मीर :—काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् के समक्ष आरम्भ से ही एक उलझन के रूप में रहा है । अक्टूबर १९४७ में कवानियो द्वारा पाकिस्तान से सहायता तथा प्रेरणा पाने पर काश्मीर के क्षेत्र पर सामूहिक रूप से आक्रमण किया जा रहा था । काश्मीर के महाराजा ने भारतीय सरकार से सैनिक सहायता के लिये निवेदन किया । भारत सरकार को काश्मीर रियासत का आन्तरिक मामला में, जब तक कि वह भारत में अपने को अधिमिलित न कर ले हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था । इस कठिनाई को दूर करने के लिये काश्मीर के महाराजा ने रियासत को भारत में अधिमिलित कर लिया तथा भारत के प्रधानमंत्री ने इस अधिमिलन (accession) का स्वीकृत किया । उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थिति के वापस आने उपरान्त काश्मीर के लोगों की जनमत गणना होगी । भारत ने जनवरी १ सन् १९४८ को सुरक्षा परिषद् के सामने यह शिकायत की कि आक्रमणकारियों को पाकिस्तान क्षेत्र के भीतर से जाने दिया जाता है तथा उसे सक्रियता (operation) के अड़्डे के रूप में प्रयोग करने दिया जाता है । सुरक्षा परिषद् ने लड़ने वाले राज्यों के मध्य झूठे की जाँच करने तथा मध्यस्थता करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया । इसने गोलाबारी तो बन्द करवा दी किन्तु सुरक्षा परिषद् आयोग के संरक्षण में जनमत (plebiscite) के लिये मार्ग स्पष्ट करने को समर्थ न हुई । जम्मू तथा काश्मीर की वैध स्थिति इस प्रकार है कि यह भारतीय क्षेत्र का भाग है जिसमें अपने तीन दायित्व अर्थात् प्रतिरक्षा, यातायात और विदेशी विषय भारत को सौंप दिये हैं । पाकिस्तान सरकार ने कबान्नी आक्रमणकारियों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देकर भारतीय संध के विरुद्ध अप्रमर्षण का कार्य किया । काश्मीर के भारत में सम्मिलन का प्रश्न का पूर्ण तथा अन्तिम रूप से निर्णय काश्मीर की जनता द्वारा उस समय किया गया जब काश्मीर की विधान सभा ने काश्मीर के भारत में सम्मिलन का सत्यापित करने का निर्णय किया ।

पाकिस्तान की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद् ने काश्मीर के प्रश्न पर जनवरी सन् १९५७ में पुन विचार विमर्श किया । २५ जनवरी सन् १९५७ को समुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कोलंबिया तथा क्यूबा इन पाँच शक्तिशाली देशों द्वारा पुन प्रस्तुत (पुन) एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें काश्मीर में यथा-पूर्व स्थिति बनाए रखने के लिये कहा गया था । पाकिस्तान ने यह विवाद प्रस्तुत

किया कि भारतीय सरकार ऐसा पग रख रही है जिसमें जम्मू तथा काश्मीर को रियासत भारतीय सघ में जनवरी २६, सन् १९५७ को सम्मिलित कर लिया जाय। भारतीय प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव को चार्टर के विरुद्ध बतलाया क्योंकि इसके द्वारा एक निश्चित तथ्य को अनिश्चित होने का रूप दिया जा रहा था और यह कि यदि किन्हीं कर्तव्यों की उपेक्षा का आरोप लगाया जाय तो वह भारत पर न लगाकर स्वयं पाकिस्तान पर लगाया जाना चाहिए था।

सुरक्षा परिषद् ने काश्मीर के प्रश्न पर फरवरी, सन् १९५७ में पुनः विवेचना प्रारम्भ की। ब्रिटेन ने अपने, आस्ट्रेलिया, क्यूबा तथा समुक्त राज्य अमेरिका, इन चार शक्तियों की ओर से एक प्रस्ताव नियमित रूप से उपस्थित किया जिसमें स्वीडन के जॉरिग (Gunnar V. Jarring) को, जो उस मास में सुरक्षा परिषद् के सभापति थे, पाकिस्तान तथा भारत की सरकारों के साथ काश्मीर के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने को कहा गया था। यह कल्पना की गई थी कि निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी जटिल कठिनाई को दूर करने के लिये काश्मीर में समुक्त राष्ट्र सघ की सेना बरपायी रूप में रखी जाय। तत्कालीन भारतीय प्रतिनिधि श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या चार्टर के अधीन समुक्त राष्ट्र सघ को भारतीय प्रदेश में सैनिकों के रखने का अधिकार है? उन्होंने स्पष्ट रूप से यह व्यक्त कर दिया था कि भारत सरकार किसी भी दशा में विदेशीय सेनाओं को अपने भूमि पर आने की अनुमति न देगी। कोलंबिया के प्रतिनिधि ने इस उक्ति में नये विचारों का समावेश किया कि वर्तमान प्रस्ताव में दो बातों को मुच्छ नहीं समझना चाहिये अर्थात् यह कि यू० एन० सी० भाई० पी० ने जम्मू तथा काश्मीर के राज्य की सार्वभौमिकता तथा काश्मीर में पाकिस्तानी सेनाओं की उपस्थिति की अव्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। इसके अनुसार कोलंबिया ने मूल चार शक्तियों के प्रस्ताव में संशोधन का सुझाव दिया। सोवियत सघ ने फरवरी १८ सन् १९५७ को सुरक्षा परिषद् में यह धोपणा की कि काश्मीर में जनमत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता तथा यह कि रूसी सरकार के विचार में काश्मीर का प्रश्न वास्तव में रियासत क लागे द्वारा निर्णय कर दिया गया था जिनके विचार में उनका क्षेत्र भारत का अन्तिम अंग है।

मूल चार शक्तियों वाला काश्मीर सम्बन्धी प्रस्ताव जिसमें यह उपबन्ध किया गया था कि स्वीडन के मिस्टर गुनार जॉरिग काश्मीर के निःशस्त्रीकरण प्रश्न की विवेचना के लिये भारत तथा पाकिस्तान भेजे जाय तथा यह सुझाव रखा गया था कि काश्मीर में समुक्त राष्ट्र की एक बरपायी सेना रखने के पाकिस्तान के प्रस्ताव का परीक्षण किया जाय, सोवियत सघ द्वारा नियेधाधिकार लगा कर रद्द कर दिया गया।

एक दूसरा प्रस्ताव जिसकी रूपरेखा उन्ही चार शक्तियों द्वारा पहले वाले प्रस्ताव के उन्ही आधारों पर बनायी गयी थी, किन्तु जिसमें संयुक्त राष्ट्र की सेना का निर्देश छोड़ दिया गया था, सुरक्षा परिषद् द्वारा फरवरी २१ सन् १९५७ का स्वीकृत किया गया। इसमें सुरक्षा परिषद् के सभापति जो स्वीडन के प्रतिनिधि थे से यह प्रार्थना की गई कि वे भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के साथ सुरक्षा परिषद् से तथा भारत तथा पाकिस्तान के लिये संयुक्त राष्ट्र सभ के आयोग के पूर्व प्रस्तावों की अपेक्षा करते हुए उन सुझावों की परीक्षा करें जिनसे उनकी सम्मति में मगड़े के निपटारे में सहायता मिलना सम्भव हो। उनसे निवेदन किया गया कि वे इस प्रयोजन के लिये उप-महाद्वीप में जायें तथा सुरक्षा परिषद् को प्रतिवेदन करें जिसमें १५ अप्रैल सन् १९५७ से अधिक विलम्ब न हो। इसमें भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों को इन कार्यों के करने में उसके साथ सहयोग करने को आमन्त्रित किया गया तथा सेक्रेटरी-जनरल और संयुक्त राष्ट्र सभ के भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से प्रार्थना की गई कि वे उनकी प्रार्थना के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करें।

उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार स्वीडन के मिस्टर गुनार जारिंग, सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष, फरवरी १९५७ में पाकिस्तान तथा भारत की सरकारों में काश्मीर-समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिये इस उप-महाद्वीप में आये। इन्होंने इस विषय पर ३० अप्रैल को सुरक्षा परिषद् में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उन्होंने व्यक्त किया कि वे कोई ठोस सुझाव देने में असमर्थ हैं जिससे काश्मीर समस्या सुलभ सके, यद्यपि दोनों सरकार इस समस्या के लिये इच्छुक हैं। इस रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हुआ कि जनमत द्वारा काश्मीर समिलन का निर्णय अनेक नयी कठिनाइयों को उत्पन्न कर देगा क्योंकि भारत सरकार के विचार के अनुसार पाकिस्तान के सैनिक-गठबंधनों ने काश्मीर की स्थिति बदल दी है और काश्मीर की जनता के विचार भी काश्मीर की द्रुत प्रगति के कारण जनमत से विचलित हो गए हैं।

सितम्बर १९५७ में सुरक्षा परिषद् ने जारिंग रिपोर्ट पर विचार किया। इसके उपरान्त २ दिसम्बर १९५७ में सुरक्षा परिषद् ने अपने प्रतिनिधि डाक्टर फ्रेन्क ग्राहम को भेजा जिन्हें सुरक्षा परिषद् के पूर्व प्रस्तावों के अनुसार काश्मीर के प्रश्न का दार्शनिक-पूर्वक निपटारा करने के सुझाव देने को कहा गया। डाक्टर ग्राहम ने दोनों सरकारों के समक्ष १५ फरवरी १९५८ को कुछ प्रस्ताव किये जो सारास में निम्नलिखित हैं :—

(१) दोनों सरकारें जनता में समझौते या अन्युक्त वातावरण बनाने रवें।

- (२) दोनो सरकारें युद्ध-विराम की स्थिति मुटुठ रखें ।
- (३) पाकिस्तान की सेना हटाकर 'पाकिस्तान जम्मू काश्मीर की सीमा पर' पाकिस्तान की ओर संयुक्त राष्ट्र संधि की सेना रखनी जाय ।
- (४) संयुक्त राष्ट्र सन्ध के प्रतिनिधि दोनो सरकारों के साथ सुरक्षा परिपद् के पूर्ण प्रस्तावों पर मुख्यतः जनमत द्वारा निर्णय वाले ढंग पर विचार करें ।
- (५) शीघ्र ही डाक्टर ब्राह्म के नेतृत्व में दोनो सरकारों के प्रधान मन्त्रियों की कान्फ्रेंस हो ।

डाक्टर ब्राह्म की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को तो उद्युक्त पक्षी प्रस्ताव स्वीकार थे, किन्तु भारत सरकार को एक भी प्रस्ताव स्वीकार न हुये । सुरक्षा परिपद् द्वारा काश्मीर समस्या को मुनक्का के यह दूसरा प्रयास प्रमथन रहा । वस्तुतः काश्मीर की वैधिक स्थिति भारत में सम्मिलन की इतनी मुटुठ और न्यायोचित है कि सुरक्षा परिपद् के सभी अन्यथा प्रयास निष्फल सिद्ध होते रहे हैं । काश्मीर का प्रश्न अब समाप्त इसलिये माना जाना चाहिये कि काश्मीर की जनता भारत व साथ अपनी अखंडनीयता का वैपत्तः और तत्पत्तः अन्तिम निर्णय कर चुकी है ।

स्येज नहर (The Suez Canal) :—एक बहुत बड़ा प्रश्न जो सुरक्षा परिपद् का ध्यान आकर्षित किये हुये था, वह कर्नल नसीर द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा किये जाने का प्रश्न था । मौलिक विवाद का विषय यह था कि क्या नहर के ऊपर कोई अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण हो सकता है । इजिप्ट (मिस्र) ने नहर का प्रबन्ध करने वाली फ्रांसीसी कम्पनी के अंशभागियों को, जिसमें नियन्त्रण-हित ब्रिटिश सरकार के हाथ में था, पूर्ण क्षतिपूर्ति देने की प्रतिज्ञा की थी । यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस ने राष्ट्रीयकरण की बहुत गम्भीर आलोचना की तथा काहिरा में कड़े विरोधपत्र भेजे और दावे के साथ यह कहा कि नहर का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप सन् १८८८ की हुस्तुनुनिया की सन्धि तथा प्रतिज्ञा द्वारा स्थापित हो गया था और यह कि इजिप्ट द्वारा की गई कार्यवाही से नहर की स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा को घमकी दी जा रही है जैसा कि वह सन् १८८८ की प्रतिज्ञा से प्रतिभूत है । इजिप्ट ने विरोध-पत्रों को अस्वीकार कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि अगस्त सन् १९५६ में लन्दन में एक २४-राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया । ब्रिटेन, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किये गये नियन्त्रण पर २२ राज्यों के प्रतिनिधि आये । इस सम्मेलन में स्वेज नहर के भंगड़े को निर्णय करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के मिस्टर डलेस ने एक योजना फिर से स्थापित की तथा यह कहा कि जैसा सन् १८८८ की प्रतिज्ञा की प्रस्तावना में कहा गया है, सद्बुद्धीय

स्वेज नहर को सब समय में सब शक्तियों के स्वतन्त्र उपयोग के लिये एक निश्चित पद्धति स्थापित होनी चाहिये। इसमें इजिप्ट की सार्वभौमिकता के लिये सम्मान व्यक्त किया गया किन्तु यह व्यवस्था की गई कि एक स्वेज नहर मडल (बोर्ड) स्थापित किया जाय जिसको अपने कार्य करने के लिये इजिप्ट सब प्रकार के उपयुक्त अधिकार तथा सुविधाएँ प्रदान करेगा। मडल सयुक्त राष्ट्र सभ को समय-समय पर इसका विवरण देता रहेगा।

भारत ने एक अन्य योजना का सुझाव रखा जिसमें भौगोलिक प्रतिनिधित्व तथा हितों के आधार पर उपयोग करने वाले हिन्दों की एक परामर्शदात्री सस्था बनाई जाती जिसे परामर्श, विचार तथा मेल के कार्य दिये जाते। भारतीय योजना ने इजिप्ट के सार्वभौमिक अधिकारों को तथा स्वेज नहर को उसका अन्तरंग होना तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का एक जलमार्ग होना स्वीकृत किया तथा सन् १८८८ की कुस्तुन्तुनिया की प्रतिज्ञा के अनुसार सब राज्यों के लिये स्वतन्त्र तथा अबाध्य नौका-परिवहन की व्यवस्था की।

सत्रह राष्ट्रों ने नहर का प्रबन्ध करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय मण्डल स्थापित करने की डलेस (Dulles) योजना का समर्थन किया तथा लन्दन सम्मेलन की कार्यवाहियों के अभिलेख इजिप्ट को भेज दिये गये। प्रेसिडेन्ट नमीर ने स्वेज नहर का अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की डलेस-योजना को इजिप्ट के लोगों के लिये आराम-पराजयकारिणी तथा उत्तेजक कहकर उसकी निन्दा की। इसके उतरात सितम्बर १२ सन् १९५६ को ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि ब्रिटेन, फ्रांस तथा सयुक्त राज्य अमेरिका एक "उपयोग कर्ताओं का सम्मेलन" स्थापित कर रहे हैं जो स्वेज नहर के भीतर यातायात का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा। इजिप्ट द्वारा गत जुलाई में अन्तर्राष्ट्रीय स्वेज नहर कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के हेतु जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसके कारण ब्रिटेन तथा फ्रांस ने स्वेज नहर का मामला सुरक्षा परिषद् को निदेशित किया।

अक्टूबर १३ सन् १९५६ को सुरक्षा परिषद् ने एकमत से इस प्रस्ताव के एक भाग को स्वीकृत कर लिया। प्रस्ताव पर दो भागों में मतदान लिया गया, और स्वीकृत भाग में छ. सिद्धान्तों पर महत्व दिया गया जो भविष्य में स्वेज नहर के झगड़े के सम्बन्ध में आधार बनेंगे—(१) नहर के भीतर से स्वतन्त्र तथा खुला याता-यात बिना भेदभाव के होगा, (२) इजिप्ट की सार्वभौमिकता का सम्मान किया जायगा, (३) नहर का संचालन किसी भी देश की राजनीति से अलग रखा जायगा, (४) चुगी तथा व्यय निर्धारण करने की रीति इजिप्ट तथा उपयोगकर्ताओं के बीच सहमति से निर्णय की जायगी, (५) प्राप्त धन का एक पर्याप्त भाग विकास

मे लगाया जायगा, और (६) भगडो की दगा म स्वज नहर कम्पनी तथा इजिप्ट की सरकार के मध्य जो मामले सुलभे हुये नही होंगे पचायत द्वारा तय किये जायेंगे जिसमे निर्देश के ममुचित शर्त (terms) होंगे तथा देय पाई गई धन राशि के चुकाने की समुचित व्यवस्था होगी ।

आंग्ल फ्रांसीसी प्रस्ताव का द्वितीय भाग जिसमे स्वज नहर के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के लिये १८ राष्ट्रों की योजना का अनुमोदन किया गया था, सोवियत रूस द्वारा निषेधाधिकार द्वारा रद्द कर दिया गया जिसका प्रयोग उसने सुरक्षा परिपद मे ७८वीं बार किया था । रूसी निषेधाधिकार का प्रभाव यह हुआ कि स्वज सम्बन्धी समझौते का केवल प्रत्यक्ष परिणाम जो निकला यह था कि छ सित्ताती का अनुमोदन शेष रह गया ।

अक्टूबर २६ सन् १९५६ को इजरायली सैन्य दलों ने स्वज नहर के क्षेत्र में इजिप्ट के स्थानों पर आक्रमण किया । दो दिन उपरांत यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस ने भी वही किया । सुरक्षा परिपद के समक्ष सयुक्त राष्ट्र सङ्घ द्वारा प्रस्ताव, जिसमे सब राष्ट्रों से कहा गया था कि इजिप्ट में बल-प्रयोग करने अथवा बल प्रयोग की धमकी देने से रुके रहे, ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा अक्टूबर ३१ सन् १९५६ को निषेधाधिकार प्रयोग करके रद्द कर दिया गया ।

नवम्बर २ सन् १९५६ को सयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा ने एक विशेष आंधवेशन में अत्यधिक बहुमत से अमेरिका के उस प्रस्ताव पर मतदान किया जिसमे स्वज नहर क्षेत्र में ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायली की सैनिक क्रियाशीलता पर बड़ी चिन्ता प्रकट की गई थी तथा तत्काल गोलाबारी बन्द किये जाने पर महत्व दिया गया था । नवम्बर ४ को सभा ने केनाडा के उस प्रस्ताव को स्वीकृति किया जिसमे महासचिव (Mr Dag Hammarskjöld) से यह कहा गया था कि इजिप्ट में लडाई की समाप्ति को सुरक्षित रखने तथा निरीक्षण करने के लिये एक सकटवालीन सयुक्त राष्ट्र सभ दल रखने की योजना प्रत्यपित करें ।

नवम्बर ५ सन् १९५६ को रूस ने ब्रिटेन तथा फ्रांस को यह चेतावनी दी कि वह सयुक्त राष्ट्र सङ्घ के अन्य सदस्यों के साथ मध्यपूर्व में अग्रघर्षण को कुचलने तथा पुन शान्ति स्थापित करने का दृढ निश्चय रखता है ।

नवम्बर ७ सन् १९५६ को सयुक्त राष्ट्र सङ्घ की साधारण सभा द्वारा एक एशिया तथा अफ्रीका का प्रस्ताव पारित किया गया जिसमे ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायली सनाओं को इजिप्ट के प्रदेश से तत्काल हटा लने को कहा गया था । सभा ने इस पर भी मतदान किया कि स्वज-क्षेत्र में सयुक्त राष्ट्र सङ्घ का एक पालिस दल कार्य करे ।

इन प्रस्तावों व परिणामस्वरूप लडाई के क्षेत्र में गोलाबारी बन्द कराई गई ।

इजिप्ट ने सयुक्त राष्ट्र सङ्घ से सैन्यदल को इजिप्ट में स्थापित करना सब प्रतिभूतियों (गारण्टियों) क लन क उपरान्त कि उसके ऐसा करने से इजिप्ट की सार्वभौमिकता को किसी प्रकार से धक्का न पहुँचेगा, सप्रतिबन्ध स्वीकृत किया गया ।

नवम्बर २४ सन् १९५६ को साधारण सभा ने ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायली सैन्यदल को इजिप्ट से तुरन्त हटा दिये जाने की माँग की तथा सेक्रेटरी-जनरल को प्राधिकृत किया कि विश्वसङ्घ के संरक्षण में नहर को साफ करने की योजनायें अग्रसारित करें ।

८ अप्रैल सन् १९५७ को स्वेज केनाल की परिवहन के लिये खोल दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने इजिप्ट को स्वेज केनाल का देय चुकाना आपत्तिसहित स्वीकार किया ।

२५ अप्रैल १९५७ को इजिप्ट सरकार ने १८८८ के कुस्तुन्तुनिया के समझौता और सयुक्त राष्ट्र सङ्घ के चार्टर के अनुबन्धों को मानना स्वीकार किया । इसके अतिरिक्त नहर प्रशासन के विरुद्ध कोई भी परिवाद उस विवाचन-समिति में प्रतिप्रेषण करना स्वीकार किया जिसके निर्णय के लिये पक्षकार बद्ध थे । उसने सयुक्त राष्ट्र सङ्घ में नहर के प्रयोग के सम्बन्ध में एक घोषणा प्रस्तुत की और यह भी प्रस्तुत किया कि यदि पक्षकारों के मध्य १८८८ के कुस्तुन्तुनिया के समझौता के उपबन्धों की व्याख्या या प्रयोग के सम्बन्ध में कोई वैध विवाद उठेगा तो वह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मान्य होगा ।

हंगरी — हंगरी में सोवियत नमूने का संविधान है । अगस्त १८ सन् १९४९ को हंगरी की संसद ने हंगरी को "जनतन्त्र" उद्घोषित किया । अक्टूबर सन् १९५६ में हंगरी के कम्युनिस्ट जनतन्त्र में हंगरी की जनता के एक बहुत बड़े भाग ने अपनी पुरानी रूस की समर्थक सरकार के विरुद्ध क्रान्ति किया । अक्टूबर २३ को बुडापेस्ट में बहुत बड़ी अशांति देखी गई जो क्रान्ति में परिणत हो गई । हंगरी में सेना विधि (मार्शल ला) स्थापित किया गया, तथा अक्टूबर २४ सन् १९५६ को हंगरी की सरकार ने यू० एस० एस० आर० की सरकार से यह प्रार्थना की कि वह बुडापेस्ट में शान्ति तथा सुव्यवस्था के लिए प्राधिकारियों को सहायता देने के लिए वारसा सन्धि के अधीन हंगरी में रखी हुई सैनिक टुकड़ियों को उपयोग करने की अनुमति दें । कई दिनों के उपरान्त यू० एस० एस० आर० की सरकार

ने हंगरी की सरकार की अनुमति से अपने सैन्यदलों को हटा लिया। उनके हटाने जाने के उपरान्त शीघ्र ही क्रान्तिकारियों ने पुनः जोर पकड़ लिया तथा कारखानों और अस्पतालों को तोड़-फोड़ दिया और थियेटर तथा संग्रहालयों में आग लगा दी।

जिस समय रूसी सेनाएँ बुडापेस्ट में अभियान (march) कर रही थी Mr. Imre Nagy, भूतपूर्व हंगरी के प्रधान मंत्री, ने कलह-विदीर्ण हंगरी की स्थिति को सुरक्षा परिपद के पास निर्देशित किया। सोवियत प्रतिनिधि ने स्थिति को हंगरी की वैध सरकार के विरुद्ध फैसिल्ट प्रकार के अपराधी तत्वों की क्रान्ति बता कर खारिज कर दिया।

नवम्बर ४ सन् १९५६ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुरक्षा परिपद के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसमें सोवियत यूनियन से कहा गया था कि वह तुरन्त अपने को किसी प्रकार के भी हस्तक्षेप से रोके। इसमें परिपद से यह कहा गया था कि वह सच्ची भाषा प्रकट करे कि यू० ए० ए० द्वारा हंगरी की सरकार के साथ यथोचित प्रबन्ध करके सब रूसी सेनाओं को हंगरी से तुरन्त हटा लेगा। सोवियत सभ ने इस प्रस्ताव के विद्युत् नितेषाधिकार का प्रयोग किया जिसपर संयुक्त राज्य अमेरिका ने साधारण सभा के संकटकालीन अधिवेशन किए जाने की प्रार्थना की।

नवम्बर ६ सन् १९५६ को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने रूस से अपनी सेनाओं को हंगरी से हटा लेने को कहा जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में वहाँ स्वतन्त्र रूप से चुनाव हो सके। एक प्रस्ताव में सेक्रेटरी-जनरल से की गई इस प्रार्थना को दुहराया गया कि विदेशी हस्तक्षेप के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो गई हो, उसका अनुसंधान अपने प्रतिनिधियों द्वारा जारी रखें, तथा यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र उसका प्रतिवेदन करें।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी-जनरल ने नवम्बर ३० को यह प्रतिवेदन किया कि वह साधारण सभा के प्रस्ताव का पालन हंगरी के लोगों द्वारा कराने में अपने प्रयत्नों में अग्रफल रहे हैं।

दिसम्बर १२ सन् १९५६ को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने हंगरी की स्वच्छंदता तथा स्वतन्त्रता का अपहरण तथा उसके लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों का प्रयाग करने से रोकने के फलस्वरूप सोवियत यूनियन द्वारा चार्टर का उल्लंघन किए जाने के कारण उसकी निन्दा की। इसने सोवियत यूनियन से अपनी सेनाओं की तत्काल कलह-विदीर्ण हंगरी से संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षण में हटाने को कहा।

सोवियत रूस के, उस माग की उपेक्षा करने पर, कि उसकी सेना हंगरी से हटा ली जाय, साधारण सभा ने १० जनवरी १९५७ को अपने प्रस्ताव द्वारा एक

विशेष समिति की नियुक्ति की। इस विशेष समिति में फ्रांस, इटली, डेनमार्क, टुनीसिया तथा उरुग्वे के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस समिति का विशेष लक्ष्य सही तथ्यों तथा प्रमाणों के माध्यम से हंगरी की स्थिति का निरीक्षण करना था। २० जून को इस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रूस के सशस्त्र हस्तक्षेप से हंगरी की राष्ट्रीय क्रान्ति के दमन का इस समिति ने रूस को उत्तरदायी बतलाया। समिति को यह भी ज्ञात हुआ कि हंगरी की क्रान्ति विद्यार्थियों, श्रमिकों, सैनिकों, विद्वानों तथा साम्यवादियों द्वारा संचालित हुई थी। समिति की रिपोर्ट ने बतलाया कि यह असत्य था कि क्रान्ति प्रतिक्रियावादी अथवा शाही वर्ग के द्वारा हुई। रिपोर्ट ने आगे व्यक्त किया कि सोवियत रूस के हस्तक्षेप से स्वतन्त्रता-संग्राम के सैनिकों का प्रयास शिथिल रहा।

समिति को यह ज्ञात हुआ कि २३ अक्टूबर को प्रथम तो इस क्रान्ति का प्रदर्शन शान्तिपूर्ण ढंग से होता रहा किन्तु जब राज्य की सुरक्षा पुलिस ने प्रदर्शन-कारियों पर गोली चलायी और रूस की सेना का पदार्पण हुआ तो क्रान्ति ने भीषण रूप ले लिया।

हंगरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सभ की निरीक्षण समिति की रिपोर्ट को मिथ्यापूर्ण तथ्यों का संग्रह कहा और उन्हें समिति के कार्यों को अपने घरेलू मामलों में एक हस्तक्षेप समझा। यद्यपि समिति की इस सस्तुति पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा सकी किन्तु इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा उत्पन्न करने में सहायता की। इस प्रश्न ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि साधारण सभा निरीक्षण करने की सस्तुति करने का और निर्णयों को घोषित करने का अधिकार तो रखती है किन्तु उसे निर्णयों को पालन करवाने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है। चार्टर के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् को ही केवल अधिकार है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिए बल का प्रयोग करे।

१० सितम्बर १९५७ को साधारण सभा में इस समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष में ३६ राष्ट्रों द्वारा, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी थे, एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस प्रस्ताव ने रूस के इस कार्य की निन्दा की कि उसने हंगरी की स्वतन्त्रता से, विशेष रूप से राजनैतिक स्वतन्त्रता से, हंगरी को वंचित किया। साधारण सभा के प्रेसीडेंट प्रिंस वैन वेदायकन के प्रति हंगरी की स्थिति का निरीक्षण के लिए विशेष मिशन ले जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। हंगरी के स्थायी प्रतिनिधि ने समिति पर अभियोग लगाया कि हंगरी के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करके साधारण सभा ने चार्टर का अतिक्रमण किया है। उसने साधारण सभा से उस मिथ्यापूर्ण रिपोर्ट को अस्वीकृत करने के लिये कहा। इसके अतिरिक्त हंगरी के प्रतिनिधि ने हंगरी के

प्रश्न को साधारण सभा के एजेन्डा से हटाने की भी माँग की। स्मृति प्रतिनिधि ने भी साधारण सभा के हगरी व प्रश्न व प्रस्ताव का विरोध किया।

१३ सितम्बर की बर्मा के प्रतिनिधि ने साधारण सभा में हंगरी और अल्जीरिया व इत्यादि पर खेद प्रकट करते हुए यह भाव्य प्रकट किया कि दोनों अपने भाग्य का स्वयं निर्णय कर लें। प्रतिनिधि ने यह भी राय दी कि इस के काय की निंदा न करके, खेद प्रकट किया जाय किन्तु यह मत अनगुना ही रहा गया।

१७ जून १९५८ को हमारे नेगी के और उनके तीन सहयोगी के प्राणदण्ड की घोषणा गोपनीय मुकदमे के उपरान्त युटापेस्ट की एक सूचना के द्वारा हुई। साधारण सभा की विशेष समिति १९५६ के विद्रोह के बन्दी नतामो के सम्बन्ध में और उनके प्राणदण्ड पर विचार करने के लिये बुलायी गई। इन्होंने २१ जून को हमारे नेगी व प्राणदण्ड पर खेद प्रकट करते हुये हम प्रश्न में रुचि रखने वाली सरकार से निवेदन किया कि इनके बन्दी हान, इनके मुकदमे और प्राणदण्ड की स्थितियाँ के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें।

१२ दिसम्बर १९५८ को संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा ने सोवियत रूस की निंदा की क्योंकि उनमें हंगरी के प्रश्न पर साधारण सभा की अनेक सिफारिशों की उपेक्षा की थी। इस सभा ने पुनः हमारे नेगी की दुःखद हत्या पर बड़ा आक्षेप किया। हंगरी के प्रतिनिधि डाक्टर पीटर ने इसके उत्तर में कहा कि हमारे नेगी ने कई वर्षों तक ऐसे गुप्त पद्धत किए थे जिसका उद्देश्य हंगरी में स्थापित वैध सरकार को नष्ट करना था। रूस के प्रतिनिधि श्री बैलेरियन जारिन ने भी पुनः इस पर महत्व दिया कि यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सभ का नहीं है। अमेरिका तथा ब्रिटेन हंगरियन जनता या उसके रचनात्मक कार्यों की चिन्ता न करके मिथ्या सहानुभूति दर्शाते हैं।

इसी सभा ने बहुमत से प्रिंस बैन वेदकायन के स्थान पर न्यूजीलैण्ड के सर लेजली मुनरो को हंगरी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया।

टुनीसिया (Tunisia) — जून १९५८ में टुनीसिया ने सुरक्षा परिषद् में फ्रांस पर यह आरोप लगाया कि फ्रेंच सेना उनकी भूमि पर उसकी इच्छा के विरुद्ध उपस्थित है। इस सेना से वहाँ की सरकार और जनता में बड़ी उत्तेजना बढ़ रही है। १७ जून को फ्रांस की सरकार इस पर सहमत हो गई कि वह अपने समस्त सशस्त्र सैनिकों को बिजरेटा के जल और वायु के आस्थान को छोड़कर ४ मास के अंदर हटा लेगी। दोनों सरकारों इस बात पर भी सहमत हुईं कि सेना के हट जाने पर वे लोग सैनिक आस्थान की उपयुक्त स्थिति के सम्बन्ध में समझौता करना आरम्भ करेंगे।

दक्षिण अफ्रीका के जातीय रक्तपात — २१ मार्च १९६० को दक्षिणी अफ्रीका में जातीय भेदभाव ने एक बहुत बड़ा रक्तपात उपस्थित कर दिया, जब कि अफ्रीकियों ने सरकार द्वारा पारित कानूनों के विरोध में बहुत ही हिंसक दम प्रारम्भ कर दिये। बहुत बड़ा जन-समुदाय पुलिम स्टेशन के सामने आइडेन्टिटी पास (परिचय-पत्र) न रखने तथा अपने आपको गिरफ्तार कराने के लिये खड़ा हो गया। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों पर शार्पेविले और लांग मे खुने-आम गोली चलायी जिससे बहुत से अफ्रीकियों की मृत्यु हुई। २३ मार्च को श्री नेहरू ने लोकसभा में कहा कि वे केपटाउन के समीप बहुत बड़ी जनसंख्या को कत्ल करने की भर्त्सना करते हैं। उनका कहना था कि इस घटना ने दुनियाँ की चेतना-शक्ति और खास तौर से एशिया और अफ्रीका की जनता को बहुत अधिक धक्का पहुँचाया है।

सयुक्त-राज्य अमेरिका न भी इस हिंसा-कांड की भर्त्सना को। इङ्ग्लैण्ड में भी यही प्रतिक्रिया हुई। रूस ने इसे बीसवीं शताब्दी की गुलामी-प्रथा के पुनर्जागरण की सजा दी।

२६ सदस्यों की एफ्रो-एशिया दल ने सयुक्त-राष्ट्र के समक्ष सुरक्षा परिपद की आपातकालीन बैठक में यह माँग की कि दक्षिणी अफ्रीका की सरकार को जातीय हिंसा से रोका जाय। भारत के स्वामी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिपद को बताया कि अफ्रीका की जनता की, सघ सरकार द्वारा जाति का पक्षपात करते हुए हिंसक रूप से हत्या करना तथा उसे दबाना सयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

अप्रैल १, १९६० को सुरक्षा परिपद न शून्य के विरुद्ध ६ मतों में एक प्रस्ताव पारित किया जिनमें ब्रिटेन और फ्रांस अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव एफ्रो एशिया सदस्य राज्यों की ओर से था। इसमें कहा गया था कि इस घटना से अन्तर्राष्ट्रीय सत्तातन्त्र बढ सकती है। महासचिव श्री डेग हैमर्सजोल्ड से निवेदन किया गया कि वे अफ्रीका की सघ सरकार को सयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धान्तों के अनुसार समानता के व्यवहार के सिद्धान्तों को अपनाने का प्रयत्न करे।

कांगो का संकट (Congo Crisis) — कांगो के संकट के प्रसंग में पहले भी लिखा जा चुका है। यहाँ इस सम्बन्ध में हम सुरक्षा परिपद के कतिपय प्रस्तावों और उनमें निहित वैध प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सुरक्षा परिपद ने जुलाई १४, जुलाई २२ और अगस्त ६, १९६० को क्रमशः तीन प्रस्ताव पारित किये। १४ जुलाई के प्रस्ताव में परिपद ने बेलजियम की सरकार को कांगो के क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेने की माँग की और महासचिव को प्राधिकृत किया कि वे कांगो की गणतंत्र सरकार से आवश्यक कार्यवाही हेतु परामर्श करे जिसे वहाँ की सरकार की आवश्यकतानुसार सैनिक सहायता उस समय तक दी जा सके जब तक कि

परिषद् की सेना कंगोली सरकार की प्राविधिक सहायता से पूर्णतः शान्ति स्थापित न कर दे। जुलाई २२ के प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद् ने बेलजियम की सरकार को परिषद् के १४ जुलाई वाले प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करने को कहा। अगस्त ६ के प्रस्ताव में परिषद् ने बेलजियम की सरकार को कटागा प्रान्त से अपनी सेना को तुरन्त वापस लेने की मांग की।

१४ जुलाई १९६० के प्रस्ताव के आधार पर जो सैनिक कार्यवाही की गई वह वास्तव में पुलिस या आपराधिक विधि का कार्य था जो कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था जिससे कि वे बेलजियम सेनाएँ शीघ्रता से वापस की जा सकें। उसे हम सैनिक अनुशासन की प्रवर्तन की कार्यवाही नहीं कह सकते।

१४ जुलाई १९६० के आधार पर कांगो में सयुक्त राष्ट्र सच की जो सेना सग्रहीत की गई वह सयुक्त राष्ट्र सकटकालीन कारिया सैन्य-शक्ति से भिन्न थी। इस मामले में कांगो में जो सेना झकटूठी हुई उसका प्रवर्तन महासचिव ने सुरक्षा परिषद् के प्राधिकार पर किया था। यह सेना सहायक अंग के रूप में सुरक्षा परिषद् की ओर से महासचिव को अभिकरण मान कर उनके कमान के अन्तर्गत कार्य कर रही थी।

कांगो के गणतंत्र ने एक आधारभूत समझौते पर सयुक्त राष्ट्र सच में महा-सचिव के साथ हस्ताक्षर किया जिसमें यह कहा गया कि यहाँ की सरकार ने अपने सप्रभु-अधिकारों के प्रयोग में सयुक्त राष्ट्र सच से सैनिक सहायता की मांग की थी, इससे देश के भीतरी भाग में सना स्वतंत्रता से भ्रा-जा सकेगी और उम समस्त उन्मुक्तियाँ प्रदान की जायगी। निश्चय ही सयुक्त राष्ट्र सच की सेना वहाँ शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये भेजी गई थी। महासचिव इस बात से सह-करने के लिये दबाने का प्रयत्न करेगी। वहाँ की निरन्तर बढ़ने वाली हिमक घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वे घटनाएँ केवल घरेलू नहीं हैं बल्कि उनका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय शांति पर भी पड़ेगा।

२१ फरवरी, १९६१ को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव द्वारा सयुक्त राष्ट्र सेना को प्राधिष्ठित किया कि कांगो में गृहयुद्ध रोकने के सम्बन्ध में शक्ति का प्रयोग किया जाय। कांगो के राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी की निन्दा की गई। सियोवार्ड विले, एलिजाबर्थ विले और वासाइ में अधिकारियों को ऐनी कार्यवाहियों से दूर रहने की बात कही गई।

१९६५ का भारत-पाक सशस्त्र-सघर्ष

(Indo-Pak. Armed Conflict of 1965)

काश्मीर में घुसपैठियों का प्रवेश—अगस्त, १९६५ में पाकिस्तान ने काश्मीर के प्रश्न को सैनिक दल के प्रयोग के आधार पर अपने पक्ष में निर्णीत करा लेने के उतावलेपन में काश्मीर में सहस्रो घुसपैठियों को भेज दिया। इन घुसपैठियों का उद्देश्य काश्मीर में तोड़-फोड़ करना और अव्यवस्था उत्पन्न करना था। भारतीय प्रतिरक्षा के सजग प्रहरियों ने इन छद्मवेशी पाकिस्तानी घुसपैठियों को समय पर पहचान लिया और वे इन घुसपैठियों का काश्मीरी जनता के पृष्ठ सहयोग से सफाया करने में लगे हुये थे, कि पाकिस्तान के खुले सैन्य आक्रमण के आतक भी विराम रेखा के इस ओर फैल गये। परिस्थिति और भी गंभीर रूप ले, इससे पूर्व भारतीय सुरक्षा फौज ने आत्मरक्षा के अधिकार के अन्तर्गत काजिल में तीन पर्यवेक्षण चौकियों पर कब्जा कर लिया। काश्मीर-स्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सैनिक पर्यवेक्षक लेफ्टिनेंट जेनरल निम्मो ने महासचिव का इस प्रतिवेदन के साथ लिखा कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों की जाँच ने इस तथ्य को प्रतिस्थापित किया है कि भारतीय युद्ध-विराम-रेखा की सीमा के भीतर आक्रमण किये गये हैं। इस प्रतिवेदन में पाकिस्तानी घुसपैठियों का तोड़-फाड़ का कार्यवाही का भाँ पुष्टीकरण किया गया और विशेष रूप से घुसपैठियों द्वारा भारत-सीमा के भीतर की कतिपय ध्वंसात्मक कार्यवाहियों का भी उल्लेख किया गया।

पाकिस्तान ने जब यह अनुभव किया कि उसके द्वारा किया गया यह कुचक्र विफल हो गया है, तो निराश होकर उसके अधिकारियों ने सीधी कार्यवाही करने का ही अन्तिम मार्ग अपनाया। सितम्बर १, १९६५ को वायुयानों और भारी अस्त्र-दस्त्रों सहित पाकिस्तानी सेना ने युद्ध-विराम-रेखा और जम्मू और काश्मीर राज्य तथा पश्चिमी पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा दोनों का पार जम्ब क्षेत्र के समीपवर्ती भाग पर भारी संख्या में आक्रमण कर दिया। बदले में सितम्बर ६ को भारतीय फौज सीमा के उस पार लाहौर क्षेत्र में आगे बढ़ी। भारतीय सेना ने ऐसा इसलिये किया कि पाकिस्तान लडाई का दूसरा मोर्चा न खोल दे। यह भी उद्देश्य था कि इस कदम द्वारा भारतीय सीमाओं की भी रक्षा की जा सके। उसी समय पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र के भीतर पैदूरूपों को अनेक स्थानों पर एक साथ ही गिराया। उसी दिन राष्ट्रपति अयूब ने पाकिस्तान को राष्ट्रव्यापी रेडियो-संदेश में बताया कि 'हम युद्धरत हैं' (We are at war)। एक क्षण ऐसा आ गया था, मानो अब औपचारिक ढङ्ग से राष्ट्रपति अयूब भारत के विरुद्ध खुले युद्ध की घोषणा कर देंगे। किन्तु, दोनों पक्षों से यह औपचारिक घोषणा नहीं हुई। घटनाओं की विभीषिका युद्ध का कठिनतर वातावरण उत्पन्न करती जा रही थी। भारतीय

स्थल और नभ-शक्ति अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए घोरता के साथ युद्ध-कौशल दिखाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। इसी बीच ग्रेट-ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विस्सन ने भारत और पाकिस्तान को ब्रिजेंट अपील भेजी कि तुरन्त युद्ध-विराम कर दिया जाय, और उन्होंने राष्ट्रमंडल के सभी राष्ट्रों से यह आग्रह किया कि इस प्रसंग में संयुक्त राष्ट्र सघ की गतिविधियों और उसके प्रस्तावों को सफल बनाने में सहयोग दिया जाय।

सितंबर ४, १९६५ का सुरक्षा-परिषदीय प्रस्ताव—सितंबर ४, १९६५ को संयुक्त राष्ट्र सघ की सुरक्षा-परिषद् ने काश्मीर में तुरन्त युद्ध-विराम का एक प्रस्ताव सव-सम्मति से पारित किया और भारत-पाकिस्तान से आग्रह किया कि दोनों देश क्षेत्र में युद्ध-विराम-रेखा का सम्मान करें, और सभी प्रकार की सैन्य-शक्ति को विराम-रेखा से अपनी-अपनी ओर वापस कर लें। भारत की ओर से आरंभ से ही इस बात की माँग की जा रही थी कि सर्वप्रथम पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र में आक्रामक घोषित करते हुये उमसे कट्टा जाय कि जम्मू और काश्मीर-क्षेत्र से वह अपनी सेनाएँ और अपने छात्रवेणी घुमपैठिये सैनिकों एवं असैनिकों को वापस बुलाये। सितंबर ६ को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने विश्व के समस्त राष्ट्रों से इस बात की अपील की कि वे निष्पक्ष होकर इस बात का निर्णय और घोषणा करे कि प्रथम आक्रामक कौन है, और भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध छेड़ने की सर्व-प्रथम कुचेष्टा किसने की है? पाकिस्तान ने फिर भी इस बात को दुहराया कि शान्ति तभी संभव होगी, जब कि जम्मू और काश्मीर में जनमत-संग्रह की बात स्वीकार कर ली जाय। पाकिस्तान ने इस बात पर भी बल दिया कि युद्ध-विराम की घोषणा के पूर्व इस जनमत-संग्रह की गारंटी मिल जानी चाहिए।

पाकिस्तान ने अन्य राष्ट्रों को भी झूठी सूचनाओं से भ्रान्ति में रखने का प्रयत्न किया। फलतः साम्यवादी चीन, इंडोनेशिया और उत्तरी वियतनाम ने पाकिस्तान का पक्ष समर्थित किया और टर्की तथा ईरान ने अपने सैनिक समर्थिते के आधार पर पाकिस्तान को सैन्य सहायता पहुँचाना आरम्भ किया। सभी राष्ट्रों के बीच मलायेशिया, सिंगापुर और साइप्रस ने भारतीय स्थिति का निष्पक्ष, किन्तु सबल समर्थन किया। अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सघ के प्रस्तावों का समर्थन इस उद्देश्य से किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में तुरन्त शान्ति स्थापित की जा सके। अतः उन्होंने इस समर्थन के अतिरिक्त, आक्रामक कौन है, इस विषय पर मौन रहना ही परिस्थितियों को देखते हुये, शान्ति-स्थापना के प्रयोजन में हितकर माना।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विधि की पूर्णतः उपेक्षा—इसी बीच युद्ध अपने पूरे रोप पर आ चुका था। साहस हार जाने वाला योद्धा युद्ध के नियमों को भूल-

कर इधर उधर हाथ-पैर मारने और अपनी शक्ति का दुस्प्रयोग करने लगता है। पाकिस्तान ने भी ठीक यही काम करना आरम्भ किया। उसने अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयो और सम्य देशों के बीच युद्ध-कौशल की प्रस्थापित नीतियों की पूर्णतः उपेक्षा करके निहत्थी नागरिक जनता एवं शान्तिपूर्ण नगरों पर दुर्घर्ष रूप में बर्बादिक्रम करना आरम्भ कर दिया। विध्वंस का ताड़व नर्तन होने लगा, किन्तु भारतीय सेनाओं ने कभी भी सम्य देशों के बीच प्रस्थापित युद्ध-कौशल को नहीं छोड़ा और उन्होंने पाकिस्तानी फौजी महत्व के स्थानों, शस्त्रागारों और फौजी अड्डों को छोड़कर अन्यत्र नागरिक जनता पर वही भी बम नहीं गिराये। पाकिस्तान ने खुल रूप में भारतीय गाँवों और नगरों की निहत्थी जनता स्कूलों, कालेजों, मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों को यहाँ तक कि विशाल नेपाम बमों (Napalm Bomb) से ध्वस्त करना आरम्भ कर दिया था और यहाँ तक कि बिना किसी निशाने के पाकिस्तानी युद्धको द्वारा फेंके गये भयंकर बम ज्यों के त्यों बालू या रिक्त स्थानों में गिरकर भारतीय फौजों के हाथ लगे।

सितंबर ६ का सुरक्षा-परिपदीय प्रस्ताव—६ सितंबर, १९६५ को, जब कि महासचिव ने यह रिपोर्ट दी कि दोनों में से किसी सरकार द्वारा युद्ध-विनाश-प्रस्ताव को स्वीकार करने की औपचारिक स्वीकृति नहीं दी है, तब सुरक्षा-परिपद के छ अस्थायी सदस्यों बोलीविया, आइवरीकोस्ट, जोर्डन, मलायेशिया, नीदरलैंड्स और ऊरुगुये ने सम्मिलित रूप से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें दोनों पक्षकारों को तुरन्त युद्ध-विराम करने के लिए कहा गया और महासचिव से निवेदन किया गया कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए वे जो भी उचित समझे हर समभव प्रयत्न करें, साथ में सितंबर ४ के भी प्रस्तावों को कार्यान्वित करावे। यह प्रस्ताव परिपद द्वारा निर्विरोध रूप में सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस प्रस्ताव द्वारा प्रत्यानिधित अधिकार के परिणामस्वरूप महासचिव ने दोनों देशों के नेताओं से व्यक्तिगत रूप में मिलने का निश्चय किया।

पाकिस्तान की रूढ़ि-प्राप्तता के कारण महासचिव का शान्ति-संदेश विफल हो गया।

सितंबर १७ को समुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सुरक्षा परिपद से कहा कि भारत और पाकिस्तान को युद्ध समाप्त करने का आदेश करे। इसी समय चीन ने भारत को एक चुनौती दी कि इस टिप्पणी को प्राप्त करने की तिथि के तीन दिन के भीतर वह चीनी-सिम्बिकम सीमा पर अपने द्वारा तैयार किये गये आक्रामक निर्माणों को ध्वस्त कर दे।

भारत के तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री मुहम्मद करीम चागला ने १८ सितंबर को समुक्त राष्ट्र में भारत की वास्तविक स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुये कहा कि

इतने साक्ष्यो एव प्रमाणो के होते हुये भी यदि सुरक्षा-परिपद् विवाद का निर्णय करने से इन्कार करती है और दोनो पक्षकारो को समान स्थिति पर व्यवहृत करती है, तो अब सुरक्षा परिपद् की आवश्यकता ही क्या रह गई है ?

सितंबर २० का सुरक्षा-परिपदीय प्रस्ताव—सितंबर २० को सुरक्षा परिपद् ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमे यह मांग की गई कि दोनो सरकारों युद्ध विराम की घोषणा करे, जो कि सितम्बर २२, के १२-३० बजे अपराह्न से लागू हो ।

सितंबर २२ को भारत-सरकार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का एक संदेश मिला जिसमे भारत को सलाह दी गई थी कि सुरक्षा परिपद् के सर्दभिर्न प्रस्ताव के अनुपालन-स्वरूप वह एकपक्षीय युद्ध-विराम घोषित कर दे, किन्तु यह भी उपबध रहे कि यदि उसपर आक्रमण किया गया तो फिर भारतीय फौजें गोली का जवाब गोली से देगी । भारतीय सरकार इस प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकृत करन को विवश हो गई कि युद्ध जब चल रहा है तो एक पक्ष के लिए यह संभव नहीं है कि वह कवल अपनी सेना को गोली चलान से रोककर दूसरे पक्ष को अग्घाघुग्घ गोली चलाने का खुला अवसर दे दे ।

युद्ध-विराम (Cease Fire)—सितंबर २२ को पाकिस्तान दूसरे दिन ३.३० बजे पूर्वाह्न मे युद्ध-विराम की घोषणा के लिए सहमत हो गया । फिर भी, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को यह धमकी दी कि यदि काश्मीर का प्रश्न एक युक्तिसंगत अवधि के भीतर नहीं सुलझाया जाता, तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सघ को छोड देगा ।

सितम्बर १६ को चीन ने भारत के नाम दी गई अपनी चुनौती की धमक को तीन दिन तक के लिये विस्तारित कर दी । सितम्बर २२ को चीन ने यह घोषित किया कि कतिपय 'सैनिक निर्माणो' को जिन्हें कि 'सीमा के चीनी क्षेत्र की ओर' भारत ने बना रखा था, उसने अब स्वयं नष्ट कर दिया है ।

पाकिस्तान द्वारा नागरिक लक्ष्यों पर धम वर्षा—उपर्युक्त तीन सप्ताह की धमक के भारत पाक युद्ध के बीच पाकिस्तानी धम-वर्षको ने भारतीय नागरिक लक्ष्यो पर धम-वर्षा करने का लक्ष्य किया । भारतीय नागरिक जीवन को नष्ट-भ्रष्ट करना, विरोध रूप से उस समय जब कि भारतीय नम-शक्ति ने बम्बी भी पाकिस्तानी नागरिक जीवन को नष्ट करने का लक्ष्य नहीं धननाया और अपनी कार्यवाही का लक्ष्य पाकिस्तानी सैन्य-शक्ति तक ही सीमित रखा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और सन्ध राष्ट्रों मे प्रस्थापित युद्ध-विधि के प्रतिनिधन का कार्य था । पाकिस्तानी धम वर्षको ने मन्बाला और जायपुर में दा बडे-बडे घसतालों को

घराशायी कर दिया । उन्होंने अम्बाला में १५० वर्ष पुराना सम्मानित सेण्ट पॉल्स कैथिड्रल (गिरजाघर) को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला और क्षम्ब क्षेत्र में एक विशाल मस्जिद को तहस-नहस कर डाला, जबकि इस्लाम धर्म के अनुयायी नमाज के लिए मस्जिद में एकत्र हुये थे । पाकिस्तान की अन्धाधुन्ध बम-वर्षा के कारण सैरुडों लोग या तो अकाल और अप्रत्याशित मृत्यु के शिकार हुये, या बेघरबार हो गये । पाकिस्तानी बमवर्षको ने दो संयुक्त राष्ट्र के यानों को भी नष्ट कर डाला । पाकिस्तान में इतना भी अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य शेष नहीं रह गया था कि वह संयुक्त राष्ट्र-संघ के भी ध्वज को उचित सम्मान दे सके ।

युद्ध-विराम पर विश्व के प्रायः समस्त देशों ने सन्तोष व्यक्त किया ।

सितम्बर २८ का सुरक्षा-परिषदीय प्रस्ताव—सितम्बर २८, १९६५ को सुरक्षा-परिषद् ने सर्वसम्मति से पुनः अपने प्रस्तावों दिनांक ४, ६, और २० का पुष्टीकरण किया और भारत और पाकिस्तान को आह्वान किया कि वे सुरक्षा-परिषद् के युद्ध-विराम-सम्बन्धित प्रस्तावों पर अपनी पूर्व स्वीकारोक्तियों का अग्रसरण करें । इस प्रस्ताव में दिनांक सितम्बर २० के प्रस्ताव के क्रम में सेनाओं के प्रत्याह्वरण पर बल दिया गया । भारतीय प्रतिनिधि ने सुरक्षा-परिषद् को बतलाया कि पाकिस्तान का आशय अब भी अगस्त ५, १९६५ की भाँति युद्ध की अग्नि भडकाने का है, जिससे कि उसके द्वारा तथाकथित काश्मीर के प्रश्न का हल उसके हित में हो सके । उन्होंने परिषद् को यह भी सूचना दी कि भारत-पाकिस्तान की समूची सीमा पर पाकिस्तान उत्तेजनापूर्ण कार्यवाहियाँ कर रहा है और भारतीय सैनिकों पर गोलियाँ चला रहा है, और यह कि जम्मू और काश्मीर में सैन्य घुस-पैठियों ने अपनी कार्यवाहियों को समाप्त नहीं किया है, और यह कि पाकिस्तान इस सम्बन्ध में कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है । यही नहीं, पाकिस्तानी रेडियो उन्हें अपनी तोड़-फोड़ की कार्यवाहियाँ जारी रखने की उत्प्रेरणा देता जा रहा है । उनका कथन था कि ऐसी परिस्थिति में, परिषद् के लिये इस प्रश्न पर विचार करना कि सेनाएँ वापस बुलाई जाँय, व्यर्थ का समय गँवाना होगा ।

नवम्बर ५ का सुरक्षा-परिषदीय प्रस्ताव—नवम्बर ५, १९६५ को, फिर भी, सुरक्षा-परिषद् ने दूसरा प्रस्ताव पारित किया । इस प्रस्ताव का लक्ष्य यह था कि भारत-पाक-सघर्ष की स्थिति को सुलझाने की दिशा में परिषद् के पूर्वोक्त प्रस्तावों का अनुपालन किया जाय । इस बात पर भी बल दिया गया कि भारत और पाकिस्तान अपने-अपने प्रतिनिधियों के नाम घोषित करें जो कि ऊँचों के प्रतिनिधि से मिलकर अगस्त ५ की स्थिति की वापसी की योजना तैयार करें ।

सोवियत सङ्घ एवं जोरडन ने मतदान नहीं किया। भारत ने परिषद् की बैठक का बहिष्कार इस आधार पर कर दिया कि यदि बैठक में जम्मू और काश्मीर के राजनैतिक प्रश्न पर विचार किया ही जाता है, तो वह इस बैठक की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

भारत-पाक-सघर्ष का वैध पक्ष

(Legal Aspects of the Indo-Pak. Conflict)

अघोषित युद्ध (Undeclared War)—भारत-पाक-शस्त्र सघर्ष में कुछ असाधारण विशेषताएँ रही हैं। य विशेषताएँ साधारणतया युद्ध की विधियों और अभिसमयों से अनुशास्त नहीं हैं। युद्ध का संचालन आधुनिक शस्त्रास्त्रों से किया गया और पाकिस्तान की ओर से बहुत ही आधुनिकतम शस्त्र जैसे पैटन टैंक, सेवर जेटो, क्षेप्यास्त्रा और १,००० वॉड तक क बमों का खुलकर प्रयोग किया गया। ये सभी शस्त्र पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा दिये गये थे। इतने भयकर और विनाशकारी शस्त्रों के प्रयोग और राष्ट्रपति अयूब के इस रेडियो प्रसारण के उपरांत भी, कि 'हम युद्धरत हैं—We are at war' युद्ध अघोषित और अनौपचारिक ही रहा। क्षत्र क्षेत्र में तथा भारत की लम्बी सीमा पर चारों ओर से पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किये जान, तथा भारतीय सेना द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में जमकर सामना करने और युद्ध की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाने के बाद भी दोनों देशों के राजनयिक सस्थान ज्यों के त्यों बने रहे और उनके वापस बुलाने का प्रश्न किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक रूप में नहीं उठाया गया। फिर भी, रावलपिंडी में भारतीय दूतावास के लोगों के साथ जो दुर्घटनाएँ किये गये और उन्हें जिन बन्धनों में रखा दिया गया, वे अत्यन्त ही कठोर तो थे ही, साथ ही अत्यन्त अमानवीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के सम्बन्धों के विरोधी थे। युद्ध घोषित नहीं हुआ, फिर भी, पाकिस्तान-स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की अवैध तलाशी पाकिस्तानी पुलिस द्वारा ली गई और उनकी सम्पत्तियों को बलात् छीन लिया गया। उनके परिवार को तंग किया गया और अनेक अन्य अपमानजनक कृत्य किये गये।

प्राइज कोर्ट की कार्यवाहियाँ

(Prize Court Proceedings)

युद्ध की औपचारिक घोषणा न की जाने के उपरान्त भी, पाकिस्तान ने भारतीय 'वार्षों' पर, जिसे कि उनमें अवैध रूप से पकड़ रखा था, प्राइज कोर्ट-कार्यवाही आरम्भ की, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारिक पोत, जिसमें कि

जूट और चाय भरी हुई थी, जप्त कर लेने का अर्थ आदेश किया गया। जूट और चाय का 'कार्गो' किसी भी प्रकार से विनिपिद्ध नहीं कहा जा सकता था। यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लिये एक बहुत बड़ी प्रतिबन्धता का कार्य था जिसके लिये पाकिस्तानी अधिवारी उत्तरदायी थे, क्योंकि दोनों देश औपचारिक रूप से युद्ध-सलग्न नहीं थे। यहाँ तक कि कतिपय विदेशी पोता को भी, जा कि व्यापारिक और नागरिक लक्ष्यों के लिये भारत आ रहे थे, पाकिस्तान ने मनमाने ढंग पर रोक लिया। यह सब कार्य किसी भी सम्म्य राष्ट्र के लिये उचित नहीं कहे जा सकते और न तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत प्रस्थापित अभिसमयों के अनुकूल ही कहे जा सकते।

नैपाम बमों का प्रयोग—जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, पाकिस्तान ने भारत के अधिकांश नागरिक लक्ष्य, अस्पतालों, मस्जिदों, गिरजाघरों, आदि पर उपर्युक्त सघप न नैपाम-बमों जैस आग्नेय शस्त्रों का खुलकर प्रयोग किया। यहाँ स्मरणीय है कि नभ युद्ध-कौशल के अन्तर्गत ऐसे बमों का प्रयोग निषिद्ध है। आश्चर्य का विषय है कि इसके उपरान्त भी अमेरिका ने पाकिस्तान में यह पृथक् को आवश्यकता का अनुभव नहीं किया कि उसके द्वारा दिये गये शस्त्रास्त्रों का इस प्रकार अन्तर्गल प्रयोग क्यों किया गया ?

संयुक्त राष्ट्र सघ, कालोचितता का एक माध्यम—उपयुक्त भारतीय सघट के समय संयुक्त राष्ट्र सघ एक प्रभुत्वपूर्ण स्वतन्त्र निकाय के रूप में अग्रने को न सिद्ध कर सका, अपितु महान् शक्तियों के निष्णया को कालोचितता प्रदान कर देने वाला एक साधन मात्र ही बनकर रह गया। यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद् में स्पष्ट परिस्थितियों को भारतीय प्रतिनिधि द्वारा सामने रखने, बार बार आग्रह करने और महासचिव द्वारा स्वयं परिस्थितियों का अवलोकन कर लेने के उपरान्त भी सघ अपने आप में इतना साहस नहीं सँजो सका कि वह दोनों में से, जिस किसी को आक्रामक समझता, आक्रामक होने की घोषणा कर देता या नाम-निर्दिष्ट कर देता। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि सितम्बर २० का सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के लिये युद्ध विराम का आदेश उपबन्धित था, स्वयं सुरक्षा-परिषद् का प्रस्ताव १९४९ का अतिक्रमण का स्वरूप था। वर्ष १९४९ के प्रस्ताव में यह निर्देशित था कि पाकिस्तान काश्मीर से अपनी सेना वापस बुला ले। इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि पाकिस्तान वहाँ पहले से ही आक्रामक की स्थिति में रहा है। पाकिस्तान न १९४९ के प्रस्ताव का अनुपालन नहीं किया और काश्मीर में पन्द्रह वर्षों तक आक्रामक की स्थिति में बना रहा। सितम्बर २०, १९६५ का प्रस्ताव में दानो दशों

के बीच केवल युद्ध-विराम का निर्देश था। यदि इसका यह तात्पर्य हुआ कि पाकिस्तान अगस्त ५, १९६५ की स्थिति में रहकर भी, काश्मीर क्षेत्र में अपनी सेना रखे रहे, तो यह प्रस्ताव स्वयं वर्ष १९४९ के प्रस्ताव के विरुद्ध है।

आत्म-प्रतिरक्षा में भारतीय कार्यवाही—विगत सघर्ष में भारत की ओर से की गई कार्यवाही पूर्णतः आत्म-प्रतिरक्षात्मक रही है। यह पाकिस्तान ही था जिसने कि छद्म-वेशी सैनिकों को काश्मीर में भेजा। यह पाकिस्तान ही था जिसने कि भारत-भूमि पर सशस्त्र सैनिकों द्वारा भारी संख्या में आक्रमण किया। यह पाकिस्तान ही था जिसने कि युद्ध की घोषणा किये बिना ही भारत के नगरों को ध्वस्त करने के लिये पहले अपने बम-वर्षकों को भेजा। भारत की ओर से की गई कार्यवाही प्रतिरक्षा और सीमा पर पाकिस्तान की आक्रामक कार्यवाहियों को रोक देने के उद्देश्य से प्रत्युत्तर रूप में की गई। यहाँ तक कि भारतीय सेना ने कहीं भी पाकिस्तानी जन-जीवन को न तो नष्ट किया और न तो कहीं भी भारतीय सेना या भारतीय बम-वर्षकों ने किसी भी पाकिस्तानी नगर पर बम-वर्षा की। इक्षोमिल नहर के चारों ओर भारतीय जवान लाहौर को घेरे खड़े रहे; भारतीय वायुयान और बम-वर्षक पाकिस्तानी सीमा के उस छोर पर पेशावर तक सैनिक अड्डों को नष्ट कर सकने में समर्थ हो सके; किन्तु कहीं भी पाकिस्तानी क्षेत्र में किसी नगर पर बम गिराये जाने का दृष्टान्त सामने नहीं आया।

पाकिस्तान ने पाँच हजार सशस्त्र व्यक्तियों को, जो कि पाकिस्तानी सेना के व्यक्ति थे, नागरिकों के छद्म-वेश में भारत के काश्मीर-क्षेत्र में घुसाया। वे तोड़-फोड़ की कार्यवाही तथा काश्मीर के उच्च अधिकारियों को बदल करने के प्रयास में भेजे गये थे। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से इन घुसपैठियों का अपनी ओर से भेजा जाना अस्वीकार किया और उसने यह घोषित किया कि काश्मीर की जनता भारतीय प्रशासकों के विरुद्ध विद्रोह कर बैठी है। उनकी इस भ्रान्तिपूर्ण उद्घोषणा का खण्डन सयुक्त राष्ट्र के मुख्य पर्यवेक्षक जेनरल निम्मो के प्रतिवेदन में किया गया, जिन्होंने स्पष्टतः कहा कि ये व्यक्ति युद्ध-विराम-रेखा पार कर आक्रमण के प्रयोजन से घुस आये थे। इस प्रकार पाकिस्तान १९४९ के युद्ध-विराम समझौते को भंग कर अन्तर्राष्ट्रीय अघराव का भागी था।

उपर पाकिस्तानी रेडियो और समाचार-पत्र भारत के विरुद्ध द्वेष उत्पन्न करने के जघन्य प्रचारों में लगे हुये थे, इधर पाकिस्तानी फौजें भारतीय सीमा पर आक्रमण हेतु बढ़ आयीं। पाकिस्तानी कार्यवाहियों से दिवंगत होकर अगस्त १६, १९६५ को भारतीय सेना ने विराम-रेखा के पार बाजिल क्षेत्र में प्रतिरक्षा के उद्देश्य से तीन पाकिस्तानी खानियों को बमों में कर लिया। इन कार्यवाही का

का कारण यह था कि पाकिस्तानी निरन्तर जीवन प्रदायिनी श्रीनगर लेह-रेखा को काट देने के प्रयत्न में लगे हुये थे। यहाँ स्मरणीय है कि इ ही चौकियों को पहले भी १७ मई, को भारतीय जवानों ने अपने कब्जे में कर लिया था, किन्तु सयुक्त-राष्ट्र के इस आश्वासन पर जून में रिक्त कर दिया था कि उसक पर्यवेक्षक पाकिस्तान की ओर भारतीय प्रतिरक्षा-रेखा पर होने वाले किसी भी आक्रमण को रोकेंगे। जबकि पाकिस्तान ने अपने आक्रमणों की शृंखला विराम-रेखा के पार गुलमार्ग, धम्ब, ऊरो, तिथवाल और नोसेरा क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया, तब विवग होकर भारतीय सेना को भी अगस्त २५, १९६५, को दो स्थानों पर विराम-रेखा को पार करना पडा और तिथवाल क्षेत्र में नई स्थिति प्रस्थापित करनी पडी। अगस्त २८ को भारतीय जवान विराम-रेखा के पार ऊरी क्षेत्र में घुसे, जिससे कि वे पाकिस्तानी सशस्त्र एवं भयकर जमाव को रोक सकें और काश्मीर-घाटी में प्रवेश करने वाले पाक घुसपैठियों का रोक सक। दो दिन पश्चात् भारतीय सेना ने हाजीपीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। यह दर्रा पाकिस्तानियों के काश्मीर-प्रवेश का मुख्य द्वार था। इसके साथ ही भारतीय जवानों ने १२ ३०० फीट ऊँची पहाड़ी विदूर और कतिपय अन्य पाकिस्तानी चौकियों पर भी कब्जा कर लिया।

उपयुक्त पृष्ठभूमि के आधारे पर ही भारतीय सैन्य शक्तियों ने अपनी सीमित कार्यवाहियाँ अपनी सीमाओं की प्रतिरक्षा की दृष्टि से की। ये कार्यवाहियाँ सयुक्त-राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद ५१ के उपबन्धों के अन्तर्गत पूर्णतः न्याय सगत थी। पाकिस्तान ने जब एक साथ काश्मीर, पंजाब और राजस्थान क्षेत्रों में बबरतापूर्ण आक्रमण कर दिया तब इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों के लिये दूसरा कोई माग शेष न रह गया कि वे लाहौर और स्यालकोट क्षेत्रों की ओर आगे बढ़। इधर चीन की असामयिक चेतावनियों ने स्पष्ट कर दिया कि दानों शत्रु भारत का दो मोर्चों पर एक साथ ही उलभा लेने के कुचक्र में हैं। अतः भारत के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह एक शत्रु की सैन्य शक्तियों पर प्रहार कर उसे निर्बल कर दे जिससे कि वह उससे बाद उससे भी प्रबल शत्रु की ओर पूरी शक्ति से अपने आप को लगा सके।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, कुछ महान शक्तियाँ, जैसे सयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन ने पाकिस्तान के इन दुष्टतापूर्ण कार्यों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया और विश्व के परिवार में किसी न किसी प्रकार पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया। चीन, इण्डोनेशिया, टर्की और ईरान ने स्पष्टतः पाकिस्तान का समर्थन किया, और भारत के विरुद्ध हर प्रकार की सैनिक सहायता प्रदान करने

का आश्वासन दिया। परिस्थितियों की इस विभीषिका में पाकिस्तान को भारत-क्षेत्र के उपर और भी भयकर आक्रमण करने में रोक देने के अभिप्राय से यदि भारतीय सेना युद्ध विराम-रेखा के पार घुसी, तो उसने कोई भी विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया। प्रतिरक्षा की सक्रिय कार्यवाही के अन्तर्गत केवल इतना ही नहीं अपेक्षित है कि आक्रामक को अपनी सोमा से बाहर मार भगाया जाये, अपितु यह भी सन्निहित है कि वह बढ़कर अपने शत्रु को उसके घोंसले में ही नष्ट कर दे, जहाँ से कि शक्ति लेकर वह आगे की ओर बढ़ता आ रहा है।

मलायेशिया द्वारा भारत के पक्ष का समर्थन—भारत के कठिन सकट के समय, जबकि चीन, इण्डोनेशिया, टर्की और जोर्डन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, और ग्रेट ब्रिटेन एक समुक्त राज्य अमेरिका ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को समर्थन और बढावा दिया, वहाँ मलायेशिया ने न्याय का पक्ष लेकर भारतीय हित का खुले शब्दों में समर्थन किया और सुरक्षा परिपद् के समक्ष भारत की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर दिया। भारत ने अपने विरुद्ध बोलने वाली और पाकिस्तान को खुली अथवा गुप्त सहायता करने वाले किसी भी राष्ट्र के प्रति बैर-भाव नहीं स्थापित किया और उसके राजनयिक सम्बन्ध सभी देशों से ज्यों के त्यों बन रहे, और यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय सभी नियमों की अवहेलना कर जब इण्डोनेशिया में भारतीय दूतावास पर अनाचार के घटाटोप गिराये गये, तब भी, भारत शान्त होकर उन अनाचारों को सहता रहा, किन्तु पाकिस्तान में इतनी भी अन्तर्राष्ट्रीय उदारता शेष न रह गई थी कि वह किसी भी राष्ट्र द्वारा सुरक्षा-परिपद् में अपना विरोध और भारत का समर्थन सहन कर सके। परिणामतः पाकिस्तान ने मलायेशिया के साथ अपना दौलत-सम्बन्ध तोड़ लिया। एक कामनवेल्थ राष्ट्र के प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार पाकिस्तान ने किया, फिर भी, ग्रेट ब्रिटेन, जो कि कामनवेल्थ का जनक-स्थान है, पाकिस्तान को लोरियाँ गा गाकर दुलराता रहा और पाकिस्तान एक लड्डेते शिशु की भाँति जहाँ कहीं भी हाथ पैर मारता रहा, युद्ध की स्थिति उत्पन्न करता रहा।

पाकिस्तानी घम-व्यपकों द्वारा भारतीय जीवन पर घण्टाघात—ऊपर हम उल्लेख कर चुके हैं कि भारतीय सेनाप्रा ने अपनी उपर्युक्त कार्यवाही में अपना लक्ष्य केवल सैनिक महत्त्व के स्थानों का बनाया, उन्होंने कभी भी नागरिक जीवन को नष्ट नहीं किया। किन्तु, पाकिस्तान ने इसके ठीक विपरीत सभी मानवीय मायताप्रा के विपरीत शान्त नगरों, पूजा व स्थानों और भस्मताला को अपना लक्ष्य बनाया। ये कार्य सवया बबरतापूर्वक थे और सम्य राष्ट्रों व बीच मान्य युद्ध-विधियों के सर्वथा विपरीत थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान द्वारा इन अनौपचारिक युद्ध में की गई कतिपय कार्यवाहियाँ पिछले दो महान् विश्व-युद्धों में भी नहीं मुनी

गई थी। ऐसे नगरों पर, जिनका कोई भी सैनिक महत्व नहीं था, पाकिस्तान ने नृशंस रूप में नैपाम बमों, और यहाँ तक कि १०,०० पौंड तक वजन के विनाशकारी बमों का प्रयोग किया। पाकिस्तानी नम-शक्ति ने अम्बाला में सेण्ट पॉल्स कैथोड्रल पर दो बार बम-बर्षा की—पहले आक्रमण ने गिरजाघर को नष्ट कर दिया और दूसरे ने उसे बिलकुल ही चूर-चूर कर डाला। पाकिस्तान का सम्भवतः सबसे प्रबल अमानवीय कृत्य अस्पतालों और रेड-क्रास केन्द्रों पर बम गिराना था। पूँव में एक अस्पताल ध्वस्त कर दिया गया और अम्बाला सैनिक अस्पताल के बाठ वार्ड धराशायी कर दिये गये। जोधपुर के जेन-अस्पताल को भी नष्ट कर दिया गया और फिरोजपुर में चार एंबुलेस गाड़ियाँ विदीर्ण कर दी गईं। पाकिस्तानी जहाजों ने भारतीय नागरिक जहाजों पर भी आक्रमण किये और ऐसे ही एक आक्रमण में गुजरात के मुख्यमन्त्री अपने परिवार-सहित मारे गये। ये सभी कृत्य पाकिस्तान की ओर से सम्यतापूर्ण राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले कार्यों और मान्यताओं की सर्वथा उपेक्षा के कृत्य थे। खेद का विषय है कि सुरक्षा-परिपद् न पाकिस्तान द्वारा किये गये अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार-सहिता के उल्लंघन के कृत्यों को कभी भी अपने विचार-विमर्श का विषय नहीं बनाया और सितम्बर मास में पारित उनके विभिन्न प्रस्ताव पाकिस्तान और भारत को समान स्तर पर लड़ाकू मानते रहे। सम्पूर्ण विश्व इस तथ्य को जानता है कि भारत ने कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, फिर उसे पाकिस्तान जैसे आक्रामक देश के समकक्ष मानना आज भी विचारशील राष्ट्रों के लिये एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है।

परिणाम :—इन तथ्यों के होते हुये भी यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक वर्तमान ऐसा सक्षम और व्यापक यंत्र है जो विश्व में शान्ति स्थापित कर सकता है। इन छोटे बर्षों के भीतर जो बर्लिन, तेहरान तथा ग्रीस सम्बन्धी मामलों तथा जेरूसलम, काश्मीर की स्थिति, कोरिया, इजिप्ट और अन्त में हंगरी और कांगो या कटागा के मामले के चारों ओर जो विनाशकारी कार्य-वाहियाँ हुई हैं उनके धक्के को हमने सम्हाल लिया है। हमने ग्रीस, काश्मीर, पेलेस्टाइन, इटाली तथा कोरिया और मित्र की सोमामा में पाँच युद्धों को रोक रखा है। हमने कोरिया में पुनः शान्ति स्थापित की है। हमने सोरिया, लेबनान, यमन तथा ईरान से विदेशी सेनाओं को हटाया है तथा बर्लिन की नाकाबन्दी के जो भवरोध उत्पन्न हो गये थे, उसे तोड़ा है। हमने जार्डन और लेबनान से विदेशी सेनाओं को हटा दिया है। विश्व की भाग्यें संयुक्त राष्ट्र संघ में उन भादनों की पूर्ति के लिये केन्द्रित हैं जिनके लिये संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया है, और शान्ति तथा

सुरक्षा की प्राप्ति और अपने निष्पक्ष और सार्वदेशिक दृष्टियों से मानव-मान के सर्वांगीण विकास का एक दोष-स्तम प्रमाणित हो सकता है। इसकी और विश्व आसामरी प्रतीक्षा से देख रहा है।

अध्याय २८

सामूहिक सुरक्षा (Collective Security)

लीग प्रतिज्ञा-पत्र (League Covenant) :—प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १० के अन्तर्गत लीग के सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे लीग के सब सदस्यों की क्षेत्रीय एकता तथा वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे तथा बाह्य अप्र-धर्षण के विरुद्ध संरक्षण करेंगे। अनुच्छेद ११ के अन्तर्गत कोई युद्ध अथवा युद्ध की धमकी चाहे उसका प्रभाव लीग के किसी सदस्य पर तत्काल पड़ता हो अथवा नहीं सम्पूर्ण लीग के लिये एक चिन्ता का विषय थी तथा लीग से यह अपेक्षा की गयी कि वह राज्यों की शान्ति सुरक्षित रखने के लिये कोई कार्यवाही करे जो विवेक युक्त तथा प्रभावपूर्ण समझी जाय। कोई ऐसा संकट उपस्थित होने पर सेक्रेटरी-जनरल से यह अपेक्षा की गई थी कि लीग के किसी सदस्य की प्रार्थना पर तत्काल परिपद की बैठक बुलायी जाय।

अनुच्छेद १२ के अन्तर्गत लीग के सदस्य इस बात पर सहमत थे कि यदि उनके मध्य कोई झगडा उठता हो, जिससे सम्बन्ध-विच्छेद की संभावना हो तो वे उस विषय को या तो पचायत अथवा न्यायिक निर्णय या परिपद द्वारा जांच के लिये प्रत्यपित करेंगे तथा वे इस बात पर भी सहमत थे कि वे किसी भी दशा में उस समय तक युद्धरत न होंगे जब तक पक्षों के निर्णय, न्यायिक निर्णय अथवा परिपद के प्रतिवेदन के उपरान्त तीन मास न व्यतीत हो जाय। पक्षों का निर्णय अथवा न्यायिक निर्णय आवश्यक समय के भीतर दे देना चाहिये था तथा परिपद का प्रतिवेदन झगडे के प्रत्यर्णण के उपरान्त छः महीने के अन्दर हो जाना चाहिये था।

अनुच्छेद १३ के अन्तर्गत लीग के सदस्य इस पर भी सहमत हुए कि जब कभी उनके मध्य कोई ऐसा झगडा उठता हो जिसे वे स्वोकार करे कि पचायत अथवा न्यायिक निर्णय के लिये प्रत्यर्णण करना उचित है, तथा आ कूटनीति के द्वारा सतोपजनक रीति से तय नहीं हो सकता हो तो वे सम्पूर्ण विवादपूर्ण विषय को पचायत अथवा न्यायिक निर्णय के लिये प्रत्यपित करेंगे।

अनुच्छेद १५ में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि लीग के सदस्यों के बीच सम्भवतः सबंध-विच्छेद में परिणत होने वाला कोई झगडा उत्पन्न हो जो अनुच्छेद १३ के अन्तर्गत पचायत अथवा न्यायिक निर्णय के लिये प्रवृत्त न किया गया हो तो लीग के सदस्य इस विषय पर सहमति थे कि वे उस विषय को परिपद् को निवेदित करेंगे ।

अनुच्छेद १६ में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि लीग का कोई सदस्य लीग की प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १२, १३ अथवा १५ के अन्तर्गत प्रतिज्ञाओं की उपेक्षा करके युद्ध में प्रवृत्त हो तो उसके द्वारा स्वतः लीग के सब अन्य सदस्यों के विरुद्ध युद्ध करने वाला समझा जायगा । सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की कि उससे तत्काल सब व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्धों का विच्छेद कर दिया जायगा, उनके राष्ट्रीयजनो तथा प्रतिज्ञा-भंग करने वाले राज्य के राष्ट्रीयजनो के बीच सब सम्पर्क तोड़ दिये जायेंगे तथा प्रतिज्ञा-भंग करने वाले राज्य के राष्ट्रीयजनो तथा किसी अन्य राज्य के राष्ट्रीयजनो के बीच सब सम्पर्क रोक दिये जायेंगे चाहे वे लीग के सदस्य ही अथवा नहीं ।

प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १७ के अन्तर्गत लीग के सदस्य तथा असदस्य अथवा असदस्यों के बीच के झगडे में असदस्य राज्य अथवा समूह ऐसे झगडे के प्रयोजनों के लिये लीग की सदस्यता के कर्त्तव्यों को स्वीकृत करेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर (Charter of the United Nations) :—चार्टर के अध्याय ६ में झगडों की जाँच तथा शान्तिपूर्ण समझौते के विषय में विवरण दिया गया है । यह किसी ऐसे झगडे के पक्षकारों पर जिसके जारी रहने से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिये सकट उत्पन्न होता हो यह कर्त्तव्य सौंपता है कि उसकी निवृत्ति प्रथमतः बातचीत, जाँच, मध्यस्थता, सात्वना, पचायत, न्यायिक निर्णय, क्षेत्रीय अभिकरणों के पास पहुँच कर अथवा उनसे प्रबन्ध करके अथवा किसी अपनी इच्छानुसार अन्य शान्तिपूर्ण उपायों से करे ।

चार्टर के अनुच्छेद ७ में शान्ति के लिये धमकी अथवा शान्ति-भंग होने का निर्णय करके सामूहिक सुरक्षा के लिये व्यवस्था की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने के लिये कौन-सी सन्तुति अथवा उपाय का अवलम्बन किया जायेगा (अनुच्छेद ३६) । स्थिति का धीरे धीरे अधिक बिगडन देने से रोकने के लिये सुरक्षा परिपद् सन्तुति करने अथवा उपायों का निर्णय करने के पहले सम्बन्धित पक्षकारों से यह माँग करे कि वे कुछ बाल के लिये ऐसे उपायों का अवलम्बन करे जैसा कि वह (सुरक्षा परिपद्) आवश्यक अथवा बांछित समझे (अनुच्छेद ४०) । यह इस बात का निर्णय करे कि अपने निर्णयों

को प्रभावित करने के लिये कौन से उपाय प्रयुक्त हो जिसमें सैनिक बलप्रयोग सम्मिलित नहीं है, तथा सम्युक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों से ऐसे उपायों का प्रयोग करने को कह सकती है। इनमें आर्थिक सम्बन्धों तथा रेल, समुद्र, वायु, ढाकू, तार तथा रेडियो और अन्य यातायात साधनों का पूर्ण अथवा आंशिक अवरोध तथा कूटनीति सम्बन्धों का विच्छेद भी सम्मिलित है (अनुच्छेद ४१)। यदि इसके विचार में अनुच्छेद ४१ में व्यक्त किये गये उपाय अर्पयति हो अथवा अर्पयति सिद्ध हो तो यह वायु, जल अथवा स्थल सेनाओं से ऐसे कार्य करवा सकती है जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थायी रखन अथवा पुनः स्थापित करने के निमित्त आवश्यक हो। ऐसे कार्यों में प्रदर्शन, नावावन्धी तथा अन्य सम्युक्त राष्ट्र सङ्घ के सदस्यों के वायु, जल अथवा स्थल सेनाओं द्वारा अन्य कार्य सम्मिलित हैं (अनुच्छेद ४२)।

सम्युक्त राष्ट्र सङ्घ के सब सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखन में सहयोग देने के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि वे सुरक्षा परिषद् के पास उसके द्वारा मगि जाने पर तथा विशिष्ट सविदा अथवा सविदाओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से आवश्यक सैन्य बल, सहायता तथा सुविधाये प्राप्त करायेंगे जिनमें आने-जाने के अधिकार भी सम्मिलित हैं (अनुच्छेद ४३)।

जब सुरक्षा परिषद् बल प्रयोग करना निश्चित कर ले तो किसी सदस्य के जिसका प्रतिनिधित्व उसमें (परिषद् में) न हो, उससे सैन्य बल देने के लिये कहने के पूर्व उस सदस्य से यदि वह ऐसी इच्छा प्रकट करे तो उस सदस्य के सैन्य बल की टुकड़ियों को प्रयोग करने से सम्बन्धित सुरक्षा परिषद् के निर्णयों में भाग लेने को आमन्त्रित करे। सम्युक्त राष्ट्र सङ्घ को आवश्यक सैनिक उपायों के अवरुद्ध करने योग्य बनाने के लिये सदस्यगण अन्तर्राष्ट्रीय हवाईदल की टुकड़ियों को सम्युक्त राष्ट्रीय प्रवृत्तिकारी कार्यों के लिये प्राप्त करायेंगे। इन टुकड़ियों की शक्ति तथा तैयारी की सीमा तथा उनकी समुक्त कार्यवाही की योजनाएँ मिलिटरी स्टाफ कमेटी की सहायता से सुरक्षा परिषद् द्वारा निश्चित की जायेगी। सैन्य बल प्रयोग की योजनाएँ मिलिटरी स्टाफ कमेटी की सहायता से सुरक्षा परिषद् द्वारा बनाई जायेंगी।

अन्त में अनुच्छेद ५१ में यह व्यवस्था की गई है कि यदि समुक्त राष्ट्र सङ्घ किसी सदस्य के विरुद्ध सैनिक आक्रमण हो तो चार्टर में दिया गया वैयक्तिक अन्तर्भूत अधिकार अथवा सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार में उस समय तक बनी होगी जब तक सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को स्थायी बनाये

रखने के लिये आवश्यक उपाय न कर ले । इस आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में सदस्यों द्वारा किये गये उपाय तुरन्त सुरक्षा परिषद् को प्रतिवेदिन किये जायेंगे, तथा वे किसी भी प्रकार से चार्टर के अधीन सुरक्षा परिषद् के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने अथवा पुनः स्थापित करने के निमित्त ऐसी कार्यवाही करने जैसे कि यह आवश्यक समझे, अधिकार तथा उत्तरदायित्व को प्रभावित न करेंगे ।

सामूहिक सुरक्षा की असफलता (The Failure of Collective Security) :—प्रतिज्ञा पत्र में जैसी शान्ति का लक्ष्य मानने था, उसको सुरक्षित रखने में लीग आफ नेशन्स असफल रही । सन् १९३१ में यह मच्चूरिया में चीन के विरुद्ध जापानियों के अग्रघर्षण को रोकने में असफल रही । सन् १९३५ में अग्नी-सीनिया में इटली का आक्रमण हुआ तथा अग्नीसीनिया ने प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १० के अन्तर्गत लीग में अपील की । इस पर लीग ने इटली के विरुद्ध आर्थिक अनुज्ञानों का प्रयोग किया, किन्तु उनके भिन्न-भिन्न अग्रभूत सदस्यों ने अपने कर्तव्यों का प्रतिपालन नहीं किया तथा अग्रघर्षक पर बलपूर्वक शान्ति रखवाने की लीग की कार्यवाही असफल रही । इटली लीग से अलग हो गया तथा उसने अग्नीसीनिया पर विजय प्राप्त की । राइनलैण्ड पर जर्मनी द्वारा सन् १९३६ में दखल किया गया । जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया सन् १९३८ में तथा चेकोस्लोवाकिया सन् १९३९ में संयोजित कर लिया गया, किन्तु लीग अग्रघर्षक के विरुद्ध कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं कर सकी । जब रूस ने सन् १९३९ में फिनलैण्ड पर आक्रमण किया तो लीग असहाय अलग खड़ी रही । यह अपनी अग्रसन्नता केवल रूसी सरकार को निकाल कर ही प्रकट कर सकी । शान्ति की स्थापना करने में लीग की असफलता का भयकर दुःखद परिणाम द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ ।

युद्ध की रीतियों में वैज्ञानिक उन्नति के कारण द्वितीय विश्वयुद्ध के साथ नवीन समस्याएँ उत्पन्न हुईं । लोगों को परस्पर मिल-जुल कर शान्तिपूर्वक रहने के लिये एक प्रभावशाली साधन की व्यवस्था करने के लिये विश्व की आशाएँ तथा इच्छायें संयुक्त राष्ट्र सघ के चारों ओर केन्द्रीभूत हुईं तथा इसी आशा ने शान्तिप्रिय लोगों को शीतयुद्ध (cold war) तथा रूसी सत्ता और पश्चिमीय देशों के आदर्शवादों में सघर्ष होते हुये भी जीवित रखा है । कभी-कभी अन्य देशों के लोगों के प्रति साद्भावना रखने की आवश्यकता विस्मृत हो जाती है और इसी कारण विश्व के देशों के दृष्टिकोण में विभिन्नता आ जाती है । इसी का परिणाम यह हुआ है कि क्षेत्रीय गठबन्धनों के द्वारा शान्ति की स्थापना करने के लिये व्यापक तथाअग्र-विश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है । संयुक्त राष्ट्र सघ की उपयोगिता का ठीक-

ठीक अनुमान लगाने के लिये हमको इसके किसी विशिष्ट समस्या का हल प्राप्त करने के लिये सफलता अथवा असफलता पर दृष्टिपात नहीं करना है वरन् यह देखना है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा बन्धुत्व स्थापित करने के लिये एक साधन है अथवा नहीं। निस्सन्देह इस बात के होते हुये कि इसका संगठन इसके सब सदस्यों की सार्वभौमिक समानता पर आश्रित है इसने विश्व-बन्धुत्व का भावना को कुछ अंग तक अवश्य उत्पन्न कर दी है।

सुरक्षा परिषद् को सन् १९५० में कोरिया में अग्रघर्षण तथा शान्ति-भंग के विरुद्ध प्रभावशाली सामूहिक उपाय किये जाने की अनुज्ञा देनी पड़ी तथा इसको अक्टूबर सन् १९५६ के अन्त में इजिप्ट के प्रदेश में इजरायली अग्रघर्षण को जिसमें बाद को आग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण हुआ रोकने के लिये प्रभावपूर्ण पग उठाना पड़ा व भिन्न-भिन्न उपाय इससे पूर्व बहुत विस्तारपूर्वक वर्णित किये जा चुके हैं। यह पर इतना कहना पर्याप्त होगा कि संयुक्त राष्ट्र सघ इन उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में शान्ति पुनः स्थापित करने तथा अग्रघर्षण को रोकने में बहुत ही सफल रहा है। कागों और कटागा के उथल-पुथल में भी इसकी सहायता देखी जा चुकी है।

शक्ति-संतुलन (Balance of Power) :—यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का झुकाव 'शक्ति-संतुलन' को 'सामूहिक सुरक्षा' (Collective Security) के रूप में परिणत कर देने की ओर है। इस प्रश्न पर विचार करते हुये हमें यह विचार करना ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र सघ 'सामूहिक सुरक्षा' के प्रयोजन की पूर्ति में कहीं तक सफल रहा है।

भूतकाल में, खासतौर से १८वीं और १९वीं शताब्दी में यूरोप की मुख्य शक्तियाँ अपने को यूरोपीय महाद्वीप के लिये भाग्य-विधायक प्राधिकार से युक्त मानती थीं। उन्होंने कम शक्तिशाली देशों पर एक प्रकार से अपना स्वत्व स्थापित कर रखा था और उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के निर्धारण के प्रश्नों के अन्तम विवाचक बन बैठे थे। उन्होंने बहुत से कान्सर्ट (concert), लीग (leagues), मैत्री सम्बन्ध (alliances) और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं का निर्माण कर लिया था, किन्तु वास्तविकता यह थी कि इस उदार भ्रातृत्व के पीछे यह भावना अवश्य विद्यमान थी कि कहीं कोई प्रबल शक्ति घरेली ही छोटे-छाटे राज्यों की शक्तियों पर उनके पारस्परिक झगड़ों में अपने स्वार्थों के हित में हाथ न हो जाय। पारस्परिक अविश्वास और दूसरे राष्ट्रों की शक्तियों का अनुमान करके घातकित रहने की बात इन सभी बड़ी शक्तियों वाले राष्ट्रों में विद्यमान था, और एकमात्र शक्ति-गुलन के साधन के द्वारा या सपेव स्थिति बनो रहने (status quo) के सिद्धान्त के द्वारा वे ऐसा विश्वास कर लिया करते थे कि कोई राष्ट्र किसी दूसरे पर हाया होकर एकमात्र प्रभुपूर्ण राष्ट्र नहीं बन सकेगा।

शक्ति सतुलन का प्रत्यक्षत. सिद्धान्त तो समान न्याय और प्रभुत्व की तथैव स्थिति बनी रहने का पोषक है। वस्तुतः छोटे राज्य लगातार बड़े राज्यों का अपन ऊपर आभार मानते रहे हैं कि उन्होंने उन्हें अन्य राज्यों से आक्रमण किये जाने की स्थिति में बचाने का आश्वासन दे रखा है और ऐसी स्थितियों में सहायता करने का भी प्रलाभन दे रखा है। किन्तु, बड़ी शक्तियों की इस सदाशयता का वास्तविक उद्देश्य बहुधा यह रहा है कि बड़ा सभ्यता में राज्य उनके आश्रित बने रहे ताकि विश्व में प्रतिद्वन्द्वी रूप में कोई दूसरा राष्ट्र न खड़ा हो सके। यहाँ तक की बड़ी शक्तियाँ ने इन बातों को भाँ अपने अधीनस्थ रखा कि कौन-सा छोटा राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में व्यक्ति रूप में सामने आ सकता है, और यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को भंग करने या हस्तक्षेप व विशेषाधिकार, आदि को वे पूर्णतया अपने अधिकार में रखते थे और ऐसा वे इस परदे में किया करते थे कि यूरोपीय महाद्वीप में शान्ति और सुरक्षा को बनाय रखने में उत्तरदायित्व का उन्हें ही निर्वाह करना है किन्तु वास्तविकता यह था कि यह सब आश्वासन और तर्क थोड़े थोड़े और इस आशय से गढ़े हुये थे कि युद्ध या आक्रमण की स्थिति में जा अस्त-व्यस्तता फैलेगी उससे कहीं कोई एक राज्य अकेले ही लाभ न उठा ले।

जहाँ तक राष्ट्रा की विधियों का सम्बन्ध है कल्पन न लिखा है कि सयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सिद्धान्त रूप से "सामूहिक सुरक्षा सयुक्त राष्ट्र सभ का मुख्य उद्देश्य है और चार्टर के प्रतिबन्धों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि इस उद्देश्य के पीछे बड़े पाँच राज्यों की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो अपनी राजनैतिक सप्रभुता के प्रयोग करने की अनुमति अन्य सदस्य-राज्यों पर दे सके और यहाँ तक कि सयुक्त राष्ट्र सभ के असदस्य राज्यों के लिए भी यही बात है। अनुच्छेद १ में व्यवस्था दी गई है कि सयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखेगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह प्रभावकारी सामूहिक कार्यवाहियाँ के लिये दी जाने वाली धमकियों को राकेगा तथा आक्रमण की कार्यवाहियों को दबायेगा तथा शान्तिभंग होने की स्थिति को दूर करेगा और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रभावकारी और सामूहिक कार्यवाहियाँ करेगा जिससे कि शान्ति पर होने वाले आघातों को रोक जा सके और आक्रमक कार्यों का दबाया जा सके या शान्ति का भंग करने वाली अन्य स्थितियों पर अवरोध किया जा सके। चार्टर सयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों का सामूहिक कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य क्रिया भी रूप में बल-प्रयोग करने से स्पष्टः वर्जित करता है और अनुच्छेद २, पैराग्राफ ४ के अनुसार सयुक्त राष्ट्र व प्रयाजन की प्रसंगत में किसी भी प्रकार के प्रयाजन से बचन-बद्धता का है। अनुच्छेद २४ उपबन्धित करता है कि सयुक्त राष्ट्र द्वारा तात्कालिक, समुचित और प्रभावकारी

कदम उठाये जान का मुनिद्वय करन व उद्देश्य से इसके सदस्य सुरक्षा परिषद् को यह प्राथमिक उत्तरदायित्व सौंपत हैं कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रसे। अनुच्छेद २१ यह भी उपबन्धित करता है कि सभी सदस्य-राष्ट्र इस चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् द्वारा शान्ति और सुरक्षा की दिशा में किये गये निर्णयों का पालन करने को महमत हैं। यही नहीं, अनुच्छेद २, का पैराग्राफ ५, इस बात का भी उपबन्धित करता है कि वर्तमान चार्टर के अनुसार संपुन्य राष्ट्र द्वारा किये गये किसी भी वाय में, सभी सदस्य अपनी सहायता करेंगे और ऐसे किसी भी राज्य को सहायता नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संपुन्य राष्ट्र सप कार्यवाही कर रहा है, या करना आवश्यक मान रहा है।

चार्टर के मर्दभित उपदन्धों के सम्बन्ध में, जैसे अध्याय ६ जिसका सम्बन्ध भ्रगडों की जाँच में है, और अध्याय ७ जिसका सम्बन्ध सामूहिक सुरक्षा के पापण से है, की पहले क प्रकरणा में चर्चा की जा चुकी है। इनके भागे अनुच्छेद ५१ यहाँ उल्लेखनीय है, क्योंकि यह अनुच्छेद उपबन्धित करता है कि इस चार्टर का कोई भी तत्व किसी सदस्य-राष्ट्र को यदि उस पर आक्रमण किया जाता है तो उस समय तक व्यक्निगत और सामूहिक आत्म प्रतिरक्षा के आरमनिहित अधिकार से वचित नहीं करेगा, जब तक कि सुरक्षा परिषद् ने ऐसे आवश्यक उपाय अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखन की दिशा में न लिया हो। आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार की रक्षा की दिशा में उठाये गये सदस्य-राष्ट्रों के कदम तुरन्त ही सुरक्षा परिषद् के समक्ष प्रतिवेदित हागे और इन कदमों का किसी भी प्रकार चाटर के अन्तगत सुरक्षा परिषद् को प्रदत्त प्राधिकार और उत्तरदायित्व पर अयथा प्रभाव न पडेगा और परिषद् इस बात के लिये किसी भी समय प्राधिकृत है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के पोपण के लिये वह जो भी कार्यवाही उचित समझे, कर सके।

तथ्यों के अवलोकन से पता चलता है कि चार्टर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे ५ महान् शक्तियाँ छोटे राज्यों पर जो कि राष्ट्र सप के सदस्य हैं अपनी प्रभुता का प्रयोग कर सकें। शक्ति सतुलन के सिद्धान्त को पुनर्जीवित करने का प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि जो भी कार्यवाही की जान को है राष्ट्र-गड्ड उन ५ महान शक्तियों के स्थान पर स्वत किया करता है। यही नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियों जब कि सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता आ पडती है, वैध धारणाओं पर निर्भर हैं जो कि जब कभी शान्ति भंग या आक्रमण के समय छोटी और बड़ी शक्तियों का कोई भेदभाव नहीं रखती। ऐसे सामूहिक कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने तथा फिर से स्थापित करने के लिये बड़ी शक्तियों में से सभी के लिये भयवा सभी में से एक के हित के लिये नहीं किये जाते।

संयुक्त राष्ट्र सभ सामूहिक सुरक्षा की स्थापना में कोरिया, स्वेजनहर, कांगा आदि के प्रसंगों में अने प्रयत्नों में सफल रहा है। स्वेज के मामले में अक्टूबर १९५६ के अन्त में, जब कि इजरायली द्वारा मित्र-क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था, और फिर उस आक्रमण का अनुगमन ऐंग्लो फ्रेंच आक्रमणों ने किया था संयुक्त राष्ट्र सभ ने आक्रमणों को रोक करवाया और पुन शान्ति स्थापित की। सोवियत-सभ भी हंगरी के आन्तरिक मामला में हस्तक्षेप करने में सफल हुए। इस विश्व-संगठन द्वारा प्रेरित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हेबेनान और ग्रेट-ब्रिटेन द्वारा जुलाई १९५८ में जार्डन के मामलों में हस्तक्षेप के प्रसंग में भी इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र सभ प्रभावकारी रहा। कांगो के संकट में अन्त-युद्ध के कारण छिन्न-भिन्न हुये राज्य की पुन शान्ति व्यवस्थित करने में भी बहुत अधिक सफल रहा है।

क्षेत्रीय समझौते (Regional Pacts) — इस स्थान पर यह उपयुक्त होगा कि उन विभिन्न क्षेत्रीय समझौता का निर्देश किया जाय जिन्हें उनके पक्षकारों द्वारा विश्वशान्ति के आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है। संयुक्त राष्ट्र सभ का चार्टर एमि क्षेत्रीय समझौता अथवा अभिकरणों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता जो प्रादेशिक कार्यवाही के लिये उचित अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना से सम्बन्धित विषयों के निपटाने के लिये हो, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रबन्ध अथवा अभिकरण संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रयोजनों तथा सिद्धान्तों के अनुरूप हो (अनुच्छेद ५२)। इसमें सदेह नहीं कि चार्टर के अनुबन्ध सरल है क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रयोजनों तथा सिद्धान्तों से समत प्रादेशिक गठबंधनों को दृष्टि में रखते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बचाने तथा संरक्षण करने के निमित्त मूलसंस्था की तुलना में सीमित सभ स्वीकृतियों पर अधिक महत्व दिया गया है। ये सचीकरण "शक्ति-संतुलन" के पुनरुत्थान सिद्ध हुये हैं, तथा इनके द्वारा विश्वव्यापी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को अपित विश्वसभ को निम्नतर स्तर में उतारा गया है।

'नाटो' या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (The North Atlantic Treaty Organization) :— यह अप्रैल ४, सन् १९४९ को बारह राज्यों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में बीस वर्ष की प्रतिज्ञात अवधि के लिये इस आशय से हस्ताक्षरित किया गया कि प्रजातन्त्र, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, तथा विधि के नियम पर आधारित उनकी जनता की स्वतन्त्रता, सामान्य पैतृकता तथा सम्यता सुरक्षित रह सके। एन० ए० टी० ओ० के बारह मूल सदस्य बेल्जियम, केनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, ग्राइसलैण्ड, इटली, लक्जेंबर्ग, नीदरलैंड्स, नार्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड

किंगडम तथा सयुक्त राज्य अमेरिका से । ग्रीस तथा इटली फरवरी मन् १९५२ में सम्मिलित हुये । पश्चिमी जर्मनी का प्रवेश 'नाटो' परिषद् द्वारा मई ५ मन् १९५५ को प्राधिकृत किया गया ।

सगठन इस शब्द के वास्तविक अर्थ में क्षेत्रीय प्रबन्ध नहीं है क्योंकि इसमें ऐसे देश सम्मिलित हैं जिनमें भौगोलिक प्रादेशिकता नहीं है, जैसे इटली, ग्रीस और टर्की । यह एक गठबन्धन है जिसका उद्देश्य साम्यवादो रुस का परिवर्तन की ओर फैलना बन्द करना है तथा इस दृष्टि से यह एक आत्मरक्षा की पद्धति है अथवा मेल है । इसके अतिरिक्त यह एक सामूहिक सुरक्षा की पद्धति केवल उन्ही भिन्न भिन्न राज्यों के आन्तरिक सम्बन्धों के विषय में है जिन्होंने परस्पर मेल कर रखा है । किन्तु जहाँ तक यह अन्य राज्यों अथवा राष्ट्रों की पद्धतियों के विरुद्ध लक्षित है, इसे सैनिक मेल के परिचित वर्ग में समझना चाहिये । यह बात उत्तरी अटलांटिक संधिपत्र के अनुच्छेद ५ में स्पष्ट कर दी गई है—“पक्षकार इस बात पर सहमत होते हैं कि यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका में उनमें से एक अथवा अधिक के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण उन सबके विरुद्ध आक्रमण समझा जायेगा । अतः वे इस बात पर सहमत होते हैं कि यदि इस प्रकार का सशस्त्र आक्रमण हो तो उनमें से प्रत्येक सयुक्त राष्ट्र संधि के चाटर के अनुच्छेद ५१ द्वारा स्वीकृत वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में, उस पक्षकार अथवा पक्षकारों को जिन पर इस प्रकार आक्रमण किया जाय, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा पुन स्थापना करने तथा बनाये रखने के निमित्त ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे, जिसमें सशस्त्र बल-प्रयोग सम्मिलित है, वैयक्तिक रूप से तथा अन्य पक्षकारों के साथ मिल कर सहायता करेगा ।

११ दिसम्बर १९५६ को १५ राज्यों के अटलांटिक पैक्ट कौन्सिल के अधिवेशन में मिस्टर डलेस अमेरिका के राष्ट्र सचिव ने चेतावनी दी कि विश्व बहुत ही सकट-पूर्ण स्थिति में रहा है और सङ्घ अपनी सैनिक शक्ति बनाये रखे । निस्सन्देह इसका प्रयोग आवश्यकता पडने पर ही हो । तभी वे लोग इससे निश्चित रह सकते हैं कि लाल सेना कर्टेक जो बुड पेस्ट में गये, वे पश्चिमी यूरोप में नहीं जायेंगे ।

मन् १९४७ का रियो पैक्ट (The Rio Pact, 1947) --इस "Inter-American Defence Treaty of Reciprocal Assistance", अर्थात् आन्तरिक अमेरिका सुरक्षा एवं पारस्परिक सहायता सन्धि भी कहा जाता है । यह एक सामूहिक सुरक्षा नियम पत्र है जो चाटर के अनुच्छेद ५१ के अन्तर्गत एक अनिश्चित काल के लिये किया गया है तथा जो पारस्परिक सहायता की अन्तर-अमेरिकी संधि के नाम से प्रसिद्ध है । इस पर सितम्बर २ मन्

१९४७ को रियो डे जैनीरा मे हस्ताक्षर किये गये । यह संधि सभी अमेरिकीय राज्यों क लिये खुली हुई है । इस संधि न एक परामर्श का अंग उत्पन्न किया है जिसमे हस्ताक्षर करने वाल राज्यों व जिन्हान संधि का सत्यापित किया है, दो-तिहाई मतों से निर्णय लिये जान हैं । अनुच्छेद ३ मे यह व्यवस्था की गई है कि किसी अमेरिकीय राज्य के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण अमेरिका के सब राज्यों व विरुद्ध आक्रमण समझा जायगा तथा उनमे स प्रत्येक न यह प्रतिज्ञा की है कि वह वैयक्तिक अथवा सामूहिक प्रातरक्षा व अधिकार क प्रयोग न उसका विरोध करने मे सहायता करेगा ।

डनर्क संधि (Dunkirk Treaty) — उत्तरो अटलांटिक क्षेत्र मे अन्य संधि डनर्क संधि है जो फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम के मध्य ४ मार्च सन् १९४७ को ५० वर्ष के लिये बना गई । इसमे यह व्यवस्था की गई है कि (अ) जर्मनी द्वारा सशस्त्र आक्रमण किये जाने पर, (आ) जर्मनी द्वारा अग्रघर्षण सरल करने के लिए कार्यवाही किये जाने पर या अग्रघर्षण की नीति धारण किये जाने पर, (इ) सम्युक्त राष्ट्र संधि की सुरक्षा परिषद द्वारा जर्मनी क विरुद्ध प्रवर्तक कार्यवाही किये जाने पर जर्मनी के साथ युद्ध छिड़ने की दशा मे हस्ताक्षर करने वाले अपनी शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सैनिक तथा अन्य सहयोग तथा सहायता प्रदान करेगे । इसमे आर्थिक सहयोग के लिये निरन्तर परामर्श करने की व्यवस्था की गई है ।

सन् १९४८ की ब्रसेल्स की संधि (The Brussels Treaty, 1948) — आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहकारिता तथा सामूहिक आत्मरक्षा की संधि मार्च १७ सन् १९४८ को ब्रसेल्स मे ग्रेट ब्रिटेन, बेलजियम, फ्रांस, लक्जमबर्ग तथा नीदरलैंड्स द्वारा पश्चिमी यूरोप मे सामूहिक सुरक्षा प्राप्त करने के हेतु हस्ताक्षरित की गई । संधि मे प्रतिज्ञा की अवधि ५० वर्ष है । संधि क अनुच्छेद ४ मे यह व्यवस्था की गई है कि “यदि उच्च सविदाकार पक्षकारों मे से कोई यूरोप मे सशस्त्र आक्रमण का लक्ष्य हो तो अन्य उच्च सविदाकार पक्षकार सम्युक्त राष्ट्र संधि के चार्टर क अनुच्छेद ५१ क उपबन्धों के अनुसार उस पक्षकार का जिस पर आक्रमण किया जाय, यथाशक्ति सब प्रकार की सैनिक तथा अन्य सहायता देगा ।” पश्चिमी शक्तिवाले ने एक यूरोपीय परिषद बनाई है जिसमे परामर्श के लिये वैदेशिक मंत्रियों की एक समिति है ।

यूरोपीय सुरक्षा समुदाय (European Defence Community) — एक संधि जिसे यूरोपीय शिक्षा समुदाय कहते हैं, ६ देशों से निर्मित थी जिसमे फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, बेलजियम तथा लक्जमबर्ग थे । संधि पर २७ मई १९५२ को हस्ताक्षर किये गये । इसके अनुसार छहों देशों की एक सम्मिलित सुरक्षा सेना बनने की थी और यह सगठन नाटो मे पूर्ण एकाकी सगठन के रूप मे

सम्मिलित होने को था। फ्रांस को पार्लियामेंट ने इस संधि को मानने से इन्कार कर दिया जिससे १९५४ में संधि विश्रंखलित हो गई।

ऐन्जु पेक्ट (Anzus Pact) :—यद्यपि आरम्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका किसी पैसिफिक सुरक्षा पैक्ट के विरुद्ध था जो कि नार्थ ऐटलांटिक ट्रीटी के समकक्ष हो, १९५० में एशिया में जो घटनाएँ घटी उससे अमेरिका ने भी अपना विचार बदला। उस समय क अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमन ने १८ अप्रैल १९५१ को एक बयानव्य दिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड के बीच के सुरक्षा पैक्ट के सम्बन्ध में था और कहा कि "आस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड को सुरक्षा कारो ने आपस में और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव किया है जो संयुक्त राष्ट्र की चार्टर धारा ५१ और ५२ के अनुकूल है। इससे स्पष्ट होगा कि किसी सशस्त्र आक्रमण के समय में जो कि इनमें से किसी पर भी पैसिफिक क्षेत्र पर किया गया तो ये तीनों शक्तियाँ खतरे का मिल कर सामना करेगी और प्रभावकारी और पारस्परिक सहायता को जारी रखते हुये सुरक्षा को दृढ़ रखेगी।" जून १९५१ को यह स्वीकार कर लिया गया और मैन फ्रांसिस्को में १ सितम्बर १९५१ को इस पर हस्ताक्षर किये गये।

दक्षिण-पूर्वी एशिया सामूहिक प्रतिरक्षा संधि अथवा मनिला पैक्ट (South-East Asia Collective Defence Treaty or Manila Pact):— सन् १९५४ में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र सचिव मिस्टर डलेस ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिस्टों का बढ़ना रोकने के लिये एक दान्तिपूर्ण प्रादेशिक गठबंधन का प्रस्ताव किया। उनी साल सितम्बर के महीने में मनिला में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें आस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजिलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तीन एशियाई प्रदेश अर्थात् फिलिपाइन, थाईलैंड तथा पाकिस्तान सम्मिलित थे। सम्मेलन ने ८ सितम्बर सन् १९५४ को दक्षिणपूर्वी एशिया सामूहिक प्रतिरक्षा संधि स्वीकृत की तथा पक्षधारो ने यह प्रतिज्ञा की कि यदि किनो गदम्य पर आक्रमण किया जाय तो वे प्रतिरक्षा के लिये संयुक्त हो जायेंगे अथवा कोई अन्य क्षेत्र जो सदस्यो के एकमत से सहमत होने पर अपने सामान्य प्रतिरक्षा पक्ष में सम्मिलित कर लें। संधि के अन्तर्गत सायोन, बम्बोडिया तथा वियतनाम का वह भाग जो कम्युनिस्ट नहीं था, अर्थात् दक्षिणी वियतनाम तथा इन्डाचीन के तीन राष्ट्रों की रक्षा का यह गठबंधन एवं प्रतिरक्षा के लिये मेव है जिसमें नाटो (NATO) के सदस्य कोई संयुक्त गैरनिष्क बल नहीं है। संधि को प्रतिज्ञा की अर्थात् अनिश्चित काल के लिये है लेकिन एच. बर्ग की नोटिस देने पर कोई भी पक्षकार परित्यक्त बनना है।

अमेरिका-जापान पैक्ट (U. S.-Japanese Defence Pact) :— संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान के बीच ८ सितम्बर सन् १९५१ को अनिश्चित काल के लिये एक संधि की गई जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि जापान पर बाहर से आक्रमण हो अथवा बाह्य शक्ति अथवा शक्तियों के अभिप्रेरणा अथवा हस्तक्षेप द्वारा किये गये भीषण रूप के क्रान्ति तथा उपद्रव हो तो जापान का सहायता प्रदान की जाय। इस संधि के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका उपर्युक्त समावनामो में तथा सामान्यतः सुदूर पूर्व में शान्ति तथा सुरक्षा स्थापनार्थ भूमि, वायु तथा समुद्रीय बल को जापान में तथा उसके चारों ओर लगाने का अधिकार रखता है। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वोच्छृति बिना पहले प्राप्त किये किसी तीसरी शक्ति को अड़्डे बनाने अथवा सेना रखने अथवा यातायात का अधिकार नहीं दे सकता।

बाल्कन पैक्ट (Balkan Pact) :— ६ सितम्बर सन् १९५४ को २० वर्ष की प्रतिज्ञा की अवधि के लिए ग्रीस, टर्की तथा यूगोस्लेविया का मध्य संधि हुई तथा उसमें एक अथवा अधिक हस्ताक्षर करने वालों के विशुद्ध सैनिक अग्रघर्षण की दशा में सैनिक तथा अन्य सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

फ्रांस तथा लीबिया के मध्य मैत्री संधि (Treaty of Friendship between France and Libya) :— उत्तरी अफ्रीका के प्रदेश में १० अगस्त १९५५ को मित्रता की संधि की गई तथा उसमें उस क्षेत्र में युद्ध अथवा युद्ध की धमकी की दशा में सब प्रकार की सैनिक तथा अन्य सहायता की व्यवस्था की गई। संधि में फ्रान्स को कुछ सुविधायें देने की व्यवस्था उपलक्षित है। संधि की अवधि २० वर्ष की है किन्तु यह १० वर्ष के उपरान्त पुनः समीक्षा की जाने को है।

इजिप्ट-सीरिया प्रतिरक्षा पैक्ट (Egypt-Syria Defence Pact) :— यह गठबन्धन २० अक्टूबर सन् १९५५ को पाँच वर्ष के लिये किया गया। इसमें सशस्त्र आक्रमण की दशा में समस्त प्रकार की सैनिक तथा अन्य सहायता की व्यवस्था की गई है। एक सर्वोच्च परिषद् संगठित की गयी है जिसमें दोनों सरकारों के वैदेशिक तथा प्रतिरक्षा मन्त्री होंगे और उसके साथ एक युद्ध-परिषद् होगी जिसमें दो चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ होंगे जो सर्वोच्च परिषद् के लिये एक परामर्शदात्री सस्था होंगे। इसमें सब उपलब्ध सैन्य बलों के लिये एक संयुक्त कमान (Joint Command) की व्यवस्था है।

सामूहिक सुरक्षा की सोवियत पद्धति (The Soviet System of Collective Security) :— कम्युनिस्ट देश भी द्विपक्षीय संधियों की श्रेणी में आबद्ध हैं जो पश्चिमी बहुमुखी संधिदामो में भिन्न हैं। इस प्रकार सोवियत संधि प्रायः

मभी बम्बूनिस्ट देशों से पारस्परिक सहायता की संधियों ने सबद्ध है, उदाहरणार्थ यूगोस्लेविया, पोलैंड, रूमानिया, जेकोस्लावाकिया, हङ्गेरी, बल्गेरिया तथा पोलैंड और ये देश स्वयं पारस्परिक सहायता के पैक्टों से सम्पन्न हैं। इन द्विपक्षीय संबि-दाओं से सोवियत सघ तथा उनके अनुयायियों के मध्य मास्को के लिये केवल एक लाइन ही स्थापित नहीं हो जाती वरन् ये लाइनें मक्की के जाले के समान इमों प्रकार की अन्य संधियों से पार करती हैं जिमसे "जनता के प्रजातन्त्र" परस्पर सम्बद्ध हो जात हैं। (Svarlien : Introduction to the Law of Nations, p. 318).

मित्रता सम्बन्ध तथा पारस्परिक सहायता की संधि (Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance) —यह संधि यू० एस० एस० आर० तथा सेंट्रल पीपुल्स गवर्नमेण्ट आफ चाइना के मध्य १४ फरवरी सन् १९५० को ३० वर्ष की अवधि के लिये की गई। इसमें जापान अथवा जापान के मित्र किसी अन्य राष्ट्र द्वारा मत्सूख आक्रमण की दशा में पूर्ण सैनिक तथा अन्य सहायता की व्यवस्था की गई है।

वारसा सन्धि अथवा पूर्वोच्च यूरोपीय सन्धि संघ (Warsaw Treaty or East European Treaty Organization) —मई १४, १९५५ को वारसा में एक पूर्वोच्च यूरोपीय संधि सघ का जन्म नियमित रूप से हुआ जब आठ यूरोपीय राज्यों के बीच जिनको पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना का समर्थन प्राप्त था, मित्रता-सहयोग तथा पारस्परिक सहायता के निमित्त बीस वर्ष की अवधि के लिये संधि संपादित की गई। इसके सदस्य अल्बेनिया, बल्गेरिया, जेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रूमानिया तथा यू० एस० एस० आर० है। संधि में उस पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के सैन्यबलों के संयुक्त कमान की व्यवस्था की गई है। आठ दशों के सैन्यबलों के संयुक्त कमान का मुख्यालय (headquarter) मास्को में होगा तथा उसके सर्वोच्च पदाधिकारी सोवियत सघ के मार्शल आई० एस० कोनोव, होंगे। हस्ताक्षर करने वाले देशों के प्रतिरक्षा मंत्री अथवा अन्य सेनानायक डिप्टी कमांडर इन चीफ नियुक्त किये गए तथा उनको अपने-अपने देश द्वारा संयुक्त कमान में दिये गये सैन्यबलों का समावेशक नियुक्त किया गया।

अमेरिका-फिलिपाइन्स पारस्परिक प्रतिरक्षा संधि (U. S Philippines Mutual Defence Treaty) —संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फिलिपाइन्स के बीच ३० अगस्त सन् १९५१ को संधि संपादित हुई तथा इसमें व्यवस्था की गई है कि पैसिफिक क्षेत्र में अथवा किसी भी पक्षकार पर सशस्त्र आक्रमण की स्थिति में पारस्परिक सहायता प्रदान की जाय। संधि अनिश्चित अवधि के लिये है।

अरब लीग (Arab League) .—यह अरब राज्यों का एक मंडल है जो २२ मार्च सन् १९४५ को अनिश्चित काल की अवधि के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य अरब देशों की परस्पर एकता को बनाये रखना है। लीग के सदस्य इजिप्ट, ईराक जोर्डन, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, येमेन तथा लीबिया हैं। यह एक क्षेत्रीय पद्धति है जो आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग तथा सामूहिक आत्मरक्षा के लिये संगठन की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के अन्तर्गत सविदाकार पक्षकारों पर पड़ने वाले किसी भी अधिकार तथा कर्तव्यों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती।

बगदाद पैक्ट (Baghdad Pact) —यह गठबन्धन मध्यपूर्व प्रदेश में सुरक्षा स्वामतार्थ हुआ। यह २४ फरवरी सन् १९५० को सम्पादित हुआ और इसके सदस्य ईराक, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान तथा ईराक थे जिनमें यूनाइटेड किंगडम सबसे अधिक शक्तिशाली था। संधि की अवधि पाँच वर्ष है किन्तु संधि पुनः नवीन की जा सकती है। इसमें सविदाकार पक्षकारों में से एक या अधिक के विरुद्ध सशस्त्र अग्रघर्षण अथवा उसकी धमकी की स्थिति में पारस्परिक सैनिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य इस प्रदेश से सोवियत सभ के प्रभाव को छुड़ाना था किन्तु इन गठबन्धन द्वारा सोवियत सभ का ध्यान मध्यपूर्व में और अधिक आकर्षित हुआ है तथा यह एक बड़ा कारण बना जिससे पश्चिमी एशिया के देश परस्पर ही एक दूसरे से भिड़ गये हैं। मित्र ने इस गठबन्धन का विरोध इस आधार पर किया है कि अरब सभार की प्रतिरक्षा अरब देशों की सामूहिक सुरक्षा गठबन्धन से निकलनी चाहिये जिनमें बड़ी शक्तियों को भाग न लेना चाहिये तथा यह कि अरबों को ऐसा कोई मेल स्वीकार न करना चाहिये जो सामूहिक सुरक्षा गठबन्धन के क्षेत्र से बाहर जाता हो। मित्र ने यह दावे के साथ व्यक्त किया कि बगदाद पैक्ट ने ईराक को यथार्थ में ब्रिटेन का उपनिवेश तथा ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र का भाग बना दिया है।

१९५८ की जुलाई के मध्य में ईराक गणतन्त्र घोषित हुआ और जनरल नूरी एल सईद के शासनतन्त्र से मुक्त हुआ। ईराक की नयी सरकार ने २४ मार्च १९५९, को बगदाद पैक्ट से अलग होने की घोषणा भी कर दी।

बगदाद पैक्ट का नाम अब बदलकर केंद्रीय संधि संगठन अर्थात् "Central Treaty Organization" कर दिया गया है। यह परिवर्तन ईराक के पैक्ट से अलग हो जाने के कारण हुआ है। इस परिवर्तन को सदस्य देशों ने अगस्त १९५९ में स्वीकार कर लिया।

संयुक्त राज्य अमेरिका और टर्की तथा ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता समझौता —नेटो, सीटा, एन्जु और बहुपक्षीय सैनिक

संधियों के अतिरिक्त सयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रकार से द्विपक्षीय समझौते (Bilateral Pacts) का भी नेतृत्व करता है जिसमें समझौते के अन्तर्गत आने वाले राज्य की आवश्यकता के समय में अमेरिका को ओर से सहायता की शर्त रहती है। सयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार के द्विपक्षीय समझौते में मुख्यतः राष्ट्रवादी चीन, कोरिया, जापान, फिलिपाइन्स और पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हुआ है।

तथ्यों के अध्ययन और प्रलेखों के अवलोकन से पता लगता है कि सबसे निकटवर्ती समझौते के आधार पर सयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को केवल आर्थिक और सैनिक सहायता ही नहीं करते रहेगे, बल्कि उसकी प्रार्थना पर पाकिस्तान की सरकार को सयुक्त राज्य की सेना की भी सहायता मिलेगी किन्तु यह सहायता पाकिस्तान पर बाहरी आक्रमण के समय होगी।

आर्थिक और राजनैतिक सहकारिता

बेनेलक्स (Benelux) :—आर्थिक और राजनैतिक सहकारिता के द्वारा भी शक्ति स्थापित करने के प्रयत्न बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जम्बर्ग के बीच समझौते द्वारा हुए है जिसे बेनेलक्स कहते हैं।

यूरोपीय आर्थिक सहकारिता संघ (Organization of European Economic Co-operation) :—इस सङ्गठन को आईसी (O. E. E. C.) का नाम से पुकारते हैं। यह १९४८ में यूरोपीय राज्यों के कार्यों को मार्शल प्लान के साथ एकबद्धता में बाँधने के लिये किया गया था। इसका मुख्य कार्य EPU अर्थात् European Payments Union के रूप में दिखाई पड़ता है।

अमेरिकी राज्यों का संघ (The Organization of American States) :—इसे OAS भी कहते हैं। नगोटा की बैठक में १९४८ में पान-अमेरिकी संघ तथा अमेरिकी गणतन्त्र के बीच व्यापार की उन्नति के लिये किया गया था। OAS सदस्यों को आर्थिक, वैश्व और सांस्कृतिक क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

शुमन प्लान या यूरोपीय कोयला व लोहा समुदाय (The Schuman Plan or the European Coal and Steel Community)—६ मई १९५० का फ्रांस की ओर से प्रस्ताव किया गया कि यूरोप में कोयले और लोहे से संबन्धित समुदाय पर राजनीतिक नियन्त्रण रखा जाय। १८ अप्रैल १९५१ को पेरिस में फ्रांस, जर्मनी के सघीय गणतन्त्र, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जम्बर्ग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

कोलम्बो योजना (The Colombo Plan) —यह एक क्षेत्रीय समझौता है जो एशिया के देशों के बीच म ब्रिटिश कामनवे थ के सदस्यों को सम्मिलित करते हुये तकनीकी सहायता हेतु किया गया है ।

परिणाम (Conclusion) —मिश्र में इसरायल और आंग्ल-फ्रांसीसी तथा हंगरी में रूसी सेनाप्रा के आक्रमण के कारण जो हाल में दुःखद घटनाये हुई हैं उनसे सैनिक मैत्री तथा गठबन्धनों को निरर्थकता स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई है । जन-सम्पत्ति न इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि प्रत्येक अप्रघर्षक को उपर्युक्त देशों से पीछे हटना पडा । पंडित नेहरू ने २० दिसम्बर सन् १९५६ को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र सभ की सभा में भाषण देते हुए कहा कि विश्व की सम्पत्ति, जो मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र सभ की सभा तथा अन्य स्थानों में प्रकट हुई है, एक प्रमुख तथ्य है जो भविष्य में सम्भवतः किसी राष्ट्र द्वारा सदाचार के पथ से इस प्रकार के व्यतिक्रम को रोकेंगे तथा प्रत्येक देश को चाहे वह सन्न हो अथवा निबल, विश्व-सम्पत्ति को क्रुद्ध बनने वाले किसी कार्य को करने क पूरा दा बार विचार करना पड़ेगा । अपने भाषण को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत का लक्ष्य है जैसा प्रत्येक विवेकयुक्त व्यक्ति का होना चाहिए कि विश्व में शान्ति रहे । इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि 'शीतयुद्ध' नहीं होना चाहिये । यदि हम 'शीतयुद्ध' नहीं चाहते तो उसका अवश्यम्भावी परिणाम यह है कि हमको अपने शान्ति के विचार का पुराने सैनिक संस्थापनों, गठबन्धनों तथा मेलों पर आश्रित न रखना चाहिये ।

'शीतयुद्ध' का परिणाम यह हुआ है कि राज्यों के बड़े-बड़े सैनिक गुट बन गये हैं जिनमें से प्रत्येक अपने को प्रतिरक्षा का गुट कह कर दूसरे से भयभीत रहता है । इस प्रकार के किसी भी प्रतिरक्षा गुट को प्रवृत्त यह हातो है कि उनके परिणामस्वरूप अन्य देशों के मस्तिष्क में आक्रमणकारी गुट का प्रभाव उत्पन्न होता है तथा दोनों गुट एक दुश्चक्र (vicious circle) में पड जाते हैं ।

छोटे राज्य बड़ी शक्तियों से भयभीत रहते हैं जब कि बड़ी शक्तियाँ सुरक्षा सम्बन्धी विषयों को संयुक्त राष्ट्र सभ की परिधि के बाहर विशेष सम्मेलनों में विवेचना करती हैं । यह आलोचना मान्य है कि बड़ी शक्तियाँ सैनिक मैत्री करके संयुक्त राष्ट्र सभ को कतराकर निकल जा रही हैं । प्रादेशिक गठबन्धनों का सामान्यतः यह लक्ष्य होना चाहिये कि वे उन समस्याओं को विवेचना कर जो एक विशेष प्रदेश में समान हो तथा उसमें उन शक्तियों को सम्मिलित न करना चाहिये जो भौगोलिक प्रादेशिकता के लिए विदेशी हो । जीवन का स्तर उच्च करने के लिये अथवा मानवीय कल्याण के लिये जो गठबन्धन हैं जैसे Benelux तथा

an अथवा कोलम्बो योजना ठीक दिशा में है तथा प्रोत्साहन के

मन्त्री पंडित नेहरू ने इस विचार पर विशेष महत्व दिया कि तत्त विश्व की आवश्यकता पचशील में विश्वास रखने में है। सिद्धान्त जो इसमें समावेशित हैं वे ये हैं :- प्रत्येक के प्रादेशिक एवम तथा सार्वभौमिकता के लिये पारस्परिक समादर, अग्रघर्षण न करना, प्रत्येक के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता, पारस्परिक लाभ तथा शान्तिपूर्वक साय-साय रहना। नाटो (NATO), सामूहिक सुरक्षा की रूनी पद्धति, संयुक्त राज्य अमेरिका का पाकिस्तान के साथ सहायता का गठबन्धन अथवा बगदाद पैक्ट के रूप में गठबन्धन शान्ति के दूत नहीं हैं वरन् यह विचार किया जाता है कि उनसे युद्ध का बीज-वपन ही अधिक होता है।

अध्याय २६

निःशस्त्रीकरण

(Disarmament)

आज निःशस्त्रीकरण की समस्या ने अत्यधिक प्रमुखता प्राप्त कर ली है। इसके कारण हैं युद्ध के नवीन शस्त्रों के आविष्कार। आग्नेय और विप्ले शस्त्र विनाशकारी हैं। यहाँ तक कि तापवृष्टि (thermo-nuclear) विस्फोट से मानव जाति ही का समूलोच्छेद हो सकता है। निःशस्त्रीकरण की समस्या ने आज विश्व के प्रमुख राजनीतिज्ञों का ध्यान विशेषरूप से आकर्षित किया है। प्रश्न है कि अतनी भावी मानव-सन्तान को युद्ध के भयकर उत्पात से किस प्रकार बचाया जाय।

सैन्यदलों का अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण तथा उनको कम करने का विचार सर्व-प्रथम सन् १८६६ में रूस के जार द्वारा आमंत्रित एक शान्ति-सम्मेलन में उठाया गया। शान्ति-सम्मेलन की सुरक्षिता में नियुक्त की गई विदोपज्ञों की एक समिति ने यह प्रतिवेदन किया कि वह सेना तथा नौसेना के कम करने के विषय में सहमति प्राप्त करने के अपने प्रयासों में असफल रही है। दूसरा शान्ति-सम्मेलन जो सन् १९०७ में बुनाया गया वह शस्त्रों के कम करने के सम्बन्ध में एकरत नहीं हो सका।

लीग ऑफ नेशन्स :- प्रथम विश्वयुद्ध ने निःशस्त्रीकरण प्राप्त करने की परमावश्यकता को सामने रखा। लीग के प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद ८ में यह दबीष्ट

किया गया है कि शान्ति की स्थापना में यह अपेक्षित है कि राष्ट्रीय अस्त्र-शस्त्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से जितना कम हो सके उतना कम किया जाय । लीग-परिपद् से यह अपेक्षा की गई कि वह विभिन्न सरकारों के विचार के लिये तथा कार्यरूप में परिणत करने के लिये इस प्रकार कमी किये जाने की योजनाएँ बनावे । लीग के सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे अपने अस्त्र-शस्त्रों के परिमाण अपने सैनिक, नौसैनिक तथा हवाई कार्यक्रमों तथा अपने ऐसे उद्योगों की दशा के सम्बन्ध में जो युद्ध सहज प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं, सूचनाओं का परस्पर पूर्ण और स्पष्ट आदान-प्रदान करेंगे । निश्चय किया गया था कि अपेक्षित स्थितियों की पूर्ति के लिये परिपद् को मत्रणा देने के लिये एक आयोग निर्मित किया जाय ।

सन् १९२१ में नियुक्त किये गये एक आयोग ने यह सिद्धान्त निर्धारित किया कि कोई योजना उस समय तक कार्य नहीं कर सकती जब तक कि प्रत्येक राष्ट्र उसमें सहयोग न दे । ऐसा निश्चय किया गया कि सभी राष्ट्रों को प्रत्येक ऐसे देश की सहायता करनी चाहिये जिस पर किसी अन्य देश ने आक्रमण कर दिया है । ये सिद्धान्त लीग सभा द्वारा सन् १९२२ में स्वीकृत किये गये तथा एक पारस्परिक सहायता की प्रस्तावित संधि का मसौदा सन् १९२३ में सैनिक रहस्यों को पूर्णरूप से प्रकट करने, सदस्यों की सर्वव्यापकता, सामूहिक सुरक्षा इत्यादि के आधार पर तैयार किया गया । किन्तु यूरोप के राष्ट्रों के लिये संधि के मसौदे में दी गयी ऐसी प्रबल आकांक्षापूर्ण योजना पर सहमत होना कठिन था, अस्तु लीग सभा नेशन्स के समाप्त होते ही यह योजना लुप्त हो गई ।

जेनेवा सम्मेलन :—सन् १९३२ में ६१ राष्ट्रों का सम्मेलन जेनेवा में हुआ जिसमें कुछ शस्त्रों के निषेध जैसे वायुयानों से गिराये जाने वाले बमों अथवा गुब्बारों, शस्त्रों को सीमित करने की आवश्यकता, शस्त्र के बारम्बार के अन्तर्राष्ट्रीय निरोक्षण तथा शस्त्र सम्बन्धी बजटों के प्रकाशन के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त हुई, किन्तु भिन्न-भिन्न राष्ट्र अपनी-अपनी स्थितियों को कार्यरूप में पूर्ण करने में असफल रहे ।

जब लीग को पता चला कि जर्मनी पुनः शस्त्रोत्पत्ति के लिये उन्मत्तना से प्रयास कर रहा है तो उसने निःशस्त्रोत्पत्ति-वृद्धि के अपने प्रयत्न त्याग दिये ।

संयुक्त राष्ट्र संधि :—द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर निःशस्त्रोत्पत्ति सम्बन्धी धार्तालाप संयुक्त राष्ट्र संधि के भीतर तथा बाहर समुचित उत्साह के साथ चलता रहा । संयुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर के अनुच्छेद २६ में सुरक्षा परिपद् को यह प्राधिकृत किया गया है कि वह शस्त्रों को नियमित करने के लिये एक पद्धति स्थापित

करने के निमित्त योजनाये बनावे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को निवेदित की जाये। चार्टर के हस्ताक्षरित किये जाने के शीघ्र ही उपरान्त तथा द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के ठीक पहले अणुबम के आविष्कार ने निःशस्त्रीकरण के प्रश्न को और भी अग्रिम महत्त्व दे दिया।

आणविक शक्ति आयोग — (Atomic Energy Commission):— संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा न जनवरी २४ सन् १९४६ को आणविक शक्ति को शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के निमित्त नियन्त्रण तथा राष्ट्रों द्वारा उत्पन्न तथा कपट से बचाने के निमित्त निरीक्षण रूप से प्रभावपूर्ण सुरक्षा के हेतु सुझाव देने के लिये एक आणविक शक्ति आयोग स्थापित किये जाने के लिये एक प्रस्ताव स्वीकृत किया। दिसम्बर १३ को अपने प्रथम प्रतिवेदन में आयोग ने यह व्यवस्था किया कि आणविक शक्ति के नियन्त्रण की प्रभावपूर्ण पद्धति अन्तर्राष्ट्रीय होनी चाहिये तथा एक प्रवर्तक बहुपक्षीय संधि अथवा प्रतिज्ञा-पत्र द्वारा स्थापित होनी चाहिये जो अपनी पारी में संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर स्थित एक अन्तर्राष्ट्रीय अग अथवा अभिकरण द्वारा अग्रशासित तथा संचालित हो।

सितम्बर ११ सन् १९४७ को आयोग ने सुरक्षा परिषद को अपना दूसरा प्रतिवेदन निवेदित किया तथा आणविक शक्ति के नियन्त्रण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण के कृत्य तथा शक्तियों पर विभिन्न सुझावों की रूपरेखा दी जिनमें निम्न-लिखित आधारभूत सिद्धान्त प्रकट किये गये हैं :—

(१) आणविक शक्ति के उत्पादन तथा प्रयोग सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रों के हाथों में नहीं छोड़ने चाहिये।

(२) आणविक शक्ति के उत्पादन तथा प्रयोग सम्बन्धी नीतियाँ जो वास्तव में विश्व की सुरक्षा को प्रभावित करती हो उन सिद्धान्तों के अनुशासित होनी चाहिये जो सन्धि अथवा प्रतिज्ञा पत्र में स्थापित हो जिनको अभिकरण को पूर्ण करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

(३) राष्ट्र सन्धि या अभिसमय में प्रतिज्ञा करे कि वे अभिकरण को अपने राज्य-क्षेत्र के किसी भी हिस्से का निरीक्षण करने का अधिकार देते हैं, भले ही यह निरीक्षण उचित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं और सीमाओं से प्रतिबन्धित हो। सन् १९४८ में साधारण सभा ने आयोग के प्रतिवेदनो पर विचार किया तथा ४ नवम्बर सन् १९४८ को यू० एम० एस० प्रार० का यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया कि आणविक शक्ति का निषेध तथा आणविक शक्ति पर प्रभावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापना के लिये एक प्रतिज्ञा-पत्र का मसौदा तैयार किया जाय। सभा ने आयोग के सामान्य निर्णयों को स्वीकृत किया। मुख्य कठिनाई यह

है कि सयुक्त राज्य अमेरिका अपने अधिकार में इस समय तक बनाये गये जितने बम हैं उनको छोड़ने तथा अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की प्रतिभूति दिये बिना उनका बराबर उत्पादन जारी रखने का कार्य रोकने के लिये उद्यत नहीं है। दूसरी ओर रूस अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की योजना में स्वीकृत करने के लिये प्रस्तुत नहीं है जो उसके अनुसार मार्क्सवादीयता के सिद्धान्त के लिये अपमानजनक है।

साधारण सभा नवम्बर २३ सन् १९४६ को सरकारों से कहा कि वे आणविक शस्त्रों का प्रभावपूर्ण निषेध करने तथा उन्हें हटाने का प्रयास करे। इसने आयोग के स्थायी सदस्यों में निवेदन किया कि वे अपने परामर्श जारी रखें तथा आयोग और सभा को अपनी प्रगति से अवगत कराते रहे।

साधारण सभा के सन् १९५० के पाँचवें अधिवेशन में बारह व्यक्तियों की एक समिति इस विषय पर विचार तथा प्रतिवेदन करने के निमित्त गठित की कि आणविक शक्ति आयोग तथा लौकिक शस्त्र आयोग का कार्य किम प्रकार एकीकृत किया जाय। बारह की समिति ने सितंबर २८ सन् १९५१ को यह सन्तुति की कि आणविक शक्ति आयोग तथा लौकिक शस्त्र आयोग को सीधे गये कार्य को आगे बढ़ाने के लिये सभा एक नया आयोग स्थापित करे और यह कि नये आयोग की स्थापना होने पर ये दोनों आयोग लुप्त हो जाय।

शस्त्रों का नियमन तथा न्यूनीकरण :—दिसम्बर १४ सन् १९४६ को साधारण सभा ने सन्तुति दी कि सुरक्षा परिषद् शस्त्रों तथा सेनाओं को तत्काल सामान्य नियमन और न्यूनकरण के लिये आवश्यक व्यावहारिक उपायों पर विचार करे। सभा ने यह भी सन्तुति दी कि सुरक्षा परिषद् चार्टर के अनुच्छेद ४३ में यथा व्यवस्थित सैन्यबल को अपने अधीन रखने के उपायों को शीघ्रता से लागू करे। उपर्युक्त उद्देश्य-प्राप्ति के लिये सुरक्षा परिषद् ने १३ फरवरी सन् १९४७ को एक आयोग लौकिक शस्त्रों के सम्बन्ध में बनाया। अगस्त १२ सन् १९४८ को आयोग ने दो प्रस्तावों को स्वीकृत किया। प्रथम में सुझाव था कि सामूहिक विनाश के शस्त्रों की परिभाषा में स्वयं विस्फोटक शस्त्र, शस्त्र जिनमें रेडियो क्रियाशील पदार्थ हो, प्राणघातक रासायनिक तथा कीटाणु शस्त्र सम्मिलित होने चाहिये। दूसरे प्रस्ताव में शस्त्रों तथा सैन्यबलों के नियमन तथा न्यूनकरण को अधिशासित करने वाले निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्त समावेशित थे --

(१) शस्त्रों तथा सैन्यबलों के नियमन तथा न्यूनकरण सम्बन्धी किसी भी पद्धति में समस्त राष्ट्र अन्तर्गत होने चाहिये।

(२) ऐसी पद्धति को प्रभावपूर्ण बनाने के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास तथा सुरक्षा होनी चाहिये, किन्तु शस्त्रों का नियमन तथा न्यूनकरण और विश्वास की विद्यमानता परस्पर सम्बद्ध हैं ।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक शर्तों में चार्टर के अनुच्छेद ४३ क अन्तर्गत स्वीकृतियों की एक पर्याप्त पद्धति, आणविक शक्ति का प्रभावपूर्ण नियन्त्रण तथा जर्मनी और जापान के साथ व्यवस्था सम्मिलित हैं ।

(४) चार्टर क अनुच्छेद २६ के अनुरूप होने के लिये ऐसी पद्धति के अन्तर्गत तथा सैन्यबल को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना हेतु जितना सङ्गत हो तथा परिरत्याग करने योग्य न हो, उतने ही पर सीमित कर देना चाहिये तथा उनको सदस्यों के कर्त्तव्यों को पूर्ण करने और चार्टर के अन्तर्गत उनके अधिकारों के सरक्षण के लिये जितना आवश्यक हो, उससे अधिक न होना चाहिये ।

(५) इनका पालन निश्चित करने के लिये ऐसी पद्धति में पर्याप्त बचाव देना चाहिये जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की एक स्वीकृत पद्धति भी सम्मिलित है ।

(६) उल्लघन की दशा में प्रभावपूर्ण प्रवृत्ति के लिये व्यवस्था होनी चाहिये ।

दिसम्बर ५ सन् १९४६ को सभा ने सदस्य-राष्ट्रों द्वारा अपने लौकिक शस्त्रों तथा सैन्य बलों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना निवेदित तथा सत्यापित करने का आयोग के प्रस्तावों को स्वीकृत किया ।

सन् १९५० म साधारण सभा की पाँचवे अधिवेशन के मध्य कोरिया का युद्ध जारी था तथा "प्रतिरक्षा उपाय" के रूप में शस्त्रों के ढेर पर ढेर लग रहे थे । सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें अग्रघर्षक के विरुद्ध तत्परता से कार्यवाही करने को कहा गया था तथा जैसा पहले कह दिया गया है बारह व्यक्तियों की एक समिति इस बात को विचार करने तथा दूसरे अधिवेशन में प्रतिवेदन करने के लिये स्थापित की गई कि आणविक शक्ति आयोग तथा लौकिक शस्त्र आयोग के कार्य को एकीकृत करने के लिये क्या रीति तथा साधन उपयोग में लाये जाय तथा क्या वे इस बात पर सम्मति देगे कि उनके कृत्य परस्पर मिला दिये जाय तथा एक नये और एकीकृत नि शस्त्रीकरण आयोग के अन्तर्गत कर दिये जाय ।

बारह व्यक्तियों की समिति नव दिसम्बर २८ सन् १९५१ का छठवाँ सभा से सस्तुति की कि दोनों आयोगों के कार्य का भाग बढ़ाने के लिये एक नया नि शस्त्रीकरण आयोग स्थापित किया जाय तथा यह कि नये आयोग के स्थापित

होने पर दोनों आयोग विसर्जित कर दिये जायें। सभा ने जनवरी सन् १९५२ में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का यह सिद्धान्त स्वीकृत किया जिसमें नये आयोग व पथ-प्रदर्शन के लिये कुछ सिद्धान्तों के सुझाव दिये गये थे। रूस का यह सतोषन प्रस्वीकृत कर दिया गया कि सत्र आणविक संस्थापनों का सरकाल निरीक्षण किया जाय तथा सामान्यतः एक-तिहाई दस्र घटा दिये जायें।

नये नि.राष्ट्रीयकरण आयोग का अधिवेशन फरवरी ४ सन् १९५२ में हुआ तथा निम्नलिखित विषयों के अध्ययन के लिये एक प्रांतीय योजना स्वीकृत की गई जैसे सब दस्र तथा सैन्यबलों का प्रकटीकरण तथा संस्थापन जिसमें आणविक तथा अन्य सामूहिक विनाशकारी शस्त्रों का हटा देना सम्मिलित है तथा इस हटा दिये जाने को निश्चित करने के लिये नियन्त्रण, सामान्य शस्त्रों की परिमितता तथा ममभीता के गोपनीय उल्लंघन को रोकने के लिये नियन्त्रण भी हैं। कार्य की योजना पर सहमति होने पर भी आयोग इस बात पर एकमत नहीं हो सका कि कार्यों का क्रम (order of steps) क्या रहे।

सामान्य सभा के सुझाव पर मई तथा जून सन् १९५४ में लन्दन में प्रमुख रूप से सम्बन्धित पाँच राष्ट्रों अर्थात् कनाडा, फ्रांस, यू० ए० ए० आर०, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के जो स्थायी सदस्य भी हैं के प्रतिनिधियों की एक बैठक एकमत से समस्या का हल ज्ञात करने के लिये हुई। इसका परिणाम उत्साहजनक नहीं हुआ। नवम्बर ४ सन् १९५४ को सभा ने एकमत से पाँचों शक्तियों के पुनः वार्तालाप के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। सन् १९५५ में वार्तालाप पुनः आरम्भ की गई। सोवियत संघ ने न्यूक्लियर (अणु) शस्त्रों (nuclear weapons) के निषेध तथा अधिक से अधिक सेनायों तथा लौकिक शस्त्रों के रकबे जाने के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से कार्य करने के विषय में एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा कम्युनिस्ट चीन दस लाख से पन्द्रह लाख तक, ब्रिटेन तथा फ्रांस केवल ६,५०,००० तथा अन्य सब देश डेढ़ लाख से दो लाख तक सशस्त्र दलों को रख सकते थे। शिखर सम्मेलन (Summit Conference) जा जुलाई सन् १९५५ में सरकारों के अध्यक्षों के मध्य हुआ उसमें प्रेसीडेंट आइजनहोवर ने हवाई निरीक्षण द्वारा अपनी "खुले आकाश" वाली योजना को सामने रक्खी। यू० ए० ए० आर० इस योजना से सहमत नहीं हुआ और इसके बदले उसने अपनी पूर्व यात्रना को दुहराया।

गत सम्मेलन में उठाई गई समस्याओं की विवेचना के लिये पाँचों सरकारों के वैदेशिक मन्त्रियों की बैठक जेनेवा में अक्टूबर २७ सन् १९५५ को हुई, किन्तु वे भी किसी प्रकार से सहमत नहीं हो सके।

समुक्त राष्ट्र सङ्घ की नि शस्त्रीकरण उप समिति की बैठक लन्दन में मार्च १६ तथा मई ४ सन् १९५६ के मध्य हुई । ब्रिटेन तथा फ्रांस की सरकारों ने कार्यवाहियों का प्रारम्भ जून सन् १९५४ की मूल आग्र-फ्रांसीसी योजना का पुनः सशोधित पाठान्तर उपस्थित किया जिसमें सोवियत सरकार के गत प्रस्तावों को सन्तुष्ट करने के लिये व्यवस्था थी । सोवियत प्रतिनिधि ने पुनः सशोधित आग्र फ्रांसीसी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और उसके बदले व्यावहारिक सैन्यबल तथा व्यावहारिक शस्त्रों को विस्तृत रूप से कमी की व्यवस्था करने वाली एक योजना निवेदित की किन्तु उसमें न्यूक्लियर अस्त्रों को पूर्णतः गणना से बाहर रखना । यद्यपि इसमें कुछ विषय आग्र फ्रांसीसी योजना के समान थे किन्तु नियंत्रण संगठन के वृत्त्या तथा शक्तियाँ के सम्बन्ध में रूसी सरकार तथा ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के मध्य महत्वपूर्ण मतभेद था । रूसी सरकार ने मित्रों के हवाई निरीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करना अस्वीकार किया जा कि यदि निरीक्षण विमान क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण होता तो आवश्यक समझा जाता ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के नि शस्त्रीकरण आयोग के १२ राष्ट्रों की बैठक में, जो न्यूयार्क में १२ जुलाई, सन् १९५६ को हुई तत्कालीन भारतीय मंत्री श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने जो और न्यूक्लियर परीक्षणों पर निषेध सबंधी भारतीय दृष्टिकोण को महत्व देने के लिये इसके समक्ष उपस्थित थे, कहा कि भारत ब्रिटेन के विस्फोटों को सीमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं कर सकता क्योंकि सीमित चाहे कितना ही किया जाय फिर भी विनाश की शक्ति बची ही रहेगी ।

श्री मेनन ने भारत की ओर से सप्ताह के नि शस्त्रीकरण के लिये निम्न लिखित पत्र उठाया जाने का सुझाव दिया ।

(अ) बमों के उत्पादन के लिये विकीर्ण होने वाला विस्फोटक पदार्थ और अधिक प्राप्त न होने दिया जाय । यदि परीक्षण रोक दिये जायँ तथा कोई नया बम न बनाया जायँ तो न्यूक्लियर शस्त्रों के लिये कोई और उपयोग न रह जायगा क्योंकि वे पुराने हो जायँगे और पुराने नमूने को कोई नहीं चाहता ।

(आ) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत सङ्घ के सन्देशरहित न्यूक्लियर नि शस्त्रीकरण की ओर साकेतिक पत्र के रूप में कुछ सीमित सख्या के गणों को तोड़ने के लिये हो जाना चाहिये तथा विकीर्ण हानि वाले विस्फोटक पदार्थों को शक्तिपूर्ण प्रयोजन के लिये लगा देना चाहिये ।

(इ) सैनिक बजटा में वह चाहें घोषणा ही क्यों न हो, कुछ बर्मी होने चाहिये ।

रूस की शिखर नि शस्त्रीकरण सम्मेलन के लिये पुकार :- नवम्बर १७ सन् १९५६ को रूस न प्रेसीडेंट भाइजनहोवर की "पुले भावाग" वाली निरो-क्षण योजना को सीमित रूप से स्वीकृत करत हुय तथा उत्तरीय अटलांटिक सन्धि बरन वाली शक्ति तथा कम्युनिस्ट वारसा गठबन्धन बरने वाली शक्तियों के मध्य मध्यपण न होने के गठबन्धन का सुभाव देते हुये चारो बड़ी शक्ति तथा भारत की एक "शिखर नि शस्त्रीकरण सम्मेलन" की पुकार की। सावियत सरकार ने यह प्रस्ताव किया कि यूरोप के पूर्वी पश्चिमी किनारे के दानो घोर जो प्रदेश हैं घोर जहाँ पर नाटो (NATO) तथा वारसा गठबन्धन वाली के मुख्य सैन्य दल रहते हैं, उनकी हवाई फोटोग्राफी की जाय।

प्रेसीडेंट भाइजनहोवर ने श्री निकोलाई बुत्गानिन के नवम्बर १७ सन् १९५६ क पत्र के उत्तर मे अपने जनवरी २ सन् १९५७ के दिनांकित पत्र में कहा कि यह ऐसी बड़ी शक्तियों के सम्मेलन का समय नहीं है तथा यह कि सयुक्त राष्ट्र सङ्घ क ढाँचे के भीतर विचार विमर्श से यह प्रतीत होता है कि बहुत सम्भव है कि नि शस्त्रीकरण क अत्यन्त जटिल विषय मे एक पग आगे बढा जाय। मार्शल बुत्गानिन क यूरोप मे हवाई निरीक्षण मध्य क्षत्र स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव के विषय में प्रेसीडेंट ने व्यक्त किया कि यद्यपि शस्त्रों की समस्या के सम्बन्ध मे रूस की हवाई निरीक्षण को सदेहरहित तथ्य के रूप मे विचार करने की इच्छा भाशाजनक थी, फिर भी रूसी सरकार की घोषणा इस विषय पर यह इच्छा व्यक्त नहीं करती कि वह प्रेसीडेंट भाइजनहोवर के जेनेवा प्रस्ताव अर्थात् अचानक आक्रमण को उनके सैनिक शक्ति क वेढा के निरीक्षण द्वारा रोकने के आधारभूत तत्व पर सहमत होना चाहती है।

सयुक्त राष्ट्र सङ्घ के नि शस्त्रीकरण क आयोग की पाँच राष्ट्रीय उपसमिति जो कि साधारण सभा क १९५३ के प्रस्ताव के अनुसार गठित हुई थी, ने १९५७ क मार्च से सन् ६० में अपनी बैठक आरम्भ की। रूस द्वारा तीन प्रस्ताव सामने लाये गये। वे निम्नलिखित हैं—(१) सभी प्रकार के आणुविक परीक्षण दो या तीन वर्ष के लिये स्थगित कर दिये जाय। (२) एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया जाय जो कि इस बात का निरीक्षण करे कि परीक्षणों का स्थगन किया गया है या नहीं। (३) सयुक्त राष्ट्र सङ्घ मे हर वैज्ञानिक यन्त्रों से युक्त एक नियन्त्रण केन्द्र खोला जाय जो कि अमेरिका, रूस, इङ्ग्लैंड, घोर पैसिफिक क्षेत्र मे एक स्थगन समझौता करा सके।

६ नवम्बर १९५७ को सयुक्त राष्ट्र राजनैतिक समिति न सयुक्त पार्षवात्य प्रस्तावों को स्वीकार किया। भारत की घोर से रक्षे गये सुभाव भी माने

(ग) वे शक्तियाँ जिनके पास न्यूक्लियर शस्त्र हैं, इस क्षेत्र के विरुद्ध इन न्यूक्लियर शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे ।

(घ) दूसरे राज्य इस क्षेत्र के भीतर जिनकी सेना है वे भी इसी प्रकार का आभार ग्रहण करेंगे ।

३—भाग दा के आभारों का पुष्ट करने के लिये सबंधित राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इन क्षेत्र में न्यूक्लियर शस्त्रों का विस्तृत और प्रभावकारी रूप से नियन्त्रण हो सक ।

नाटो के सुप्रीम कमांडर नारस्टड ने मध्य यूरोप में न्यूक्लियर मुक्त क्षेत्र उत्पन्न करने का विरोध किया । उनका कहना था कि इससे नाटो की शक्ति और पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी ।

पुनरीक्षित रपाकी प्लान (Revised Rapacki Plan)—पोलैंड के विदेश मंत्री नवम्बर १९५८ में पूर्व प्रस्तावित प्लान में बहुत से परिवर्तन कर दिये । उन्होंने इस योजना पर एक सम्मेलन बुलाने का विचार किया जहाँ कि सम्बंधित पक्षकारों में ममभीता होता । उनके विचार से जो पक्षकार सीधे सबंधित थे, वे निम्नलिखित हैं —

१—प्रस्तावित न्यूक्लियर मुक्त क्षेत्र के चार राज्य अर्थात् पोलैंड, जेको-स्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी ।

२—चार महान् शक्तियाँ अर्थात् ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत सङ्घ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ।

३—वे अथ सभी देश जिनके पास जर्मन क्षेत्र में सेना थी अर्थात् बेलजियम, कनाडा डेनमार्क ।

नि शस्त्रीकरण आयोग —जेनेवा के न्यूक्लियर परीक्षण निलम्बित करने के सम्मेलनों तथा संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के १९५८ और १९५९ के अधिवेशनों में इस और काफी प्रयत्न किये गये हैं । नि शस्त्रीकरण आयोग में नवम्बर १९५७ में २५ सदस्य बढ़ाकर कर दिय गये । रूस ने सदस्यता स्वीकार कर ली किन्तु आयोग में काम करने से अपने को पृथक् रक्ता । भारत युगोस्लेव द्वारा प्रेरित संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की राजनीतिक समिति ने ३ नवम्बर १९५८ को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया कि संयुक्त राज्य नि शस्त्रीकरण आयोग का पुनर्गठन किया जाय जिससे कि उसमें संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सभी सदस्य सम्मिलित किये जा सकें । भारत-युगोस्लेव प्रस्ताव के अनुसार नि शस्त्रीकरण आयोग १९५९ में ऐड हाक अर्थात् तदर्थ आधार पर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सभी सदस्यों द्वारा बनाया जाय और यदि आवश्यक हो तो साधारण सभा की विशिष्ट बैठक में यह आयोग रचनात्मक प्रस्ताव

१९५७ के अन्त तक निःशस्त्रीकरण सम्बन्धित मध्यस्थता-वार्ता के आचार पर इस तथ्य तक पहुँचा जा चुका था कि एक सिद्धान्त ऐसा मान लिया जाय जिससे न्यूक्लियर परीक्षणों का स्थगन अन्तर्राष्ट्रीय देख-रेख का विषय रहे और यह कि हवाई तथा स्थलीय आकस्मिक निरीक्षण को किसी तात्कालिक आक्रमण की रक्षा का एक साधन माना जाय। किन्तु अभी तक इस बात का कोई समझौता नहीं हो सका है कि विषैले शस्त्रों के उत्पादन की मात्रा को कैसे रोका जाय या वर्तमान सैनिक शक्ति को किस प्रकार घटाया जाय; सैनिक शक्ति पर किये जाने वाले व्यय पर परस्पर एक-दूसरे के साथ सूचना का आदान-प्रदान, तथा इन पर अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण और नियन्त्रण कैसे आरम्भ किया जाय।

सोवियत सरकार ने तर्क प्रस्तुत किया था कि न्यूक्लियर शस्त्रों के प्रयोग पर पूर्णतया रोक लगा दी जाय या पूर्णतया रेडियो-सक्रिय शस्त्रों को समाप्त कर दिया जाय, विदेशी मिलिट्री छावनियों को भी समाप्त किया जाय और जर्मनी, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन और वारसा पैक्ट स्थित चार महान् राष्ट्रों की सेना कम कर दी जाय। किन्तु अभी तक इस प्रश्न का कोई ठोस और सर्वमान्य सुझाव सामने नहीं आ सका है।

रपाकी योजना (Rapacki Plan) :— १४ जनवरी १९५८ को, पोलैंड के वैदेशिक मामलों के मन्त्री श्री अदम रपाकी ने एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था कि मध्य यूरोप में सक्रिय किरण-मुक्त एक क्षेत्र बनाया जाय। उनका यह प्रस्ताव उनके २ अक्टूबर, १९५७ के प्रस्तावों के तारतम्य में था। प्रस्ताव निम्न-लिखित थे :—

१—मध्य यूरोप में डी-न्यूक्लियराइज्ड क्षेत्र के अन्तर्गत स्थायी रूप से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य और जर्मन सङ्घीय गणराज्य भी सम्मिलित कर लिये जाय। इस क्षेत्र में न्यूक्लियर शस्त्र न तो बनाये जाय और न सग्रहीत किये जाय।

२—निम्नलिखित क्षेत्रों में डी न्यूक्लियराइज्ड क्षेत्रों के आभार होंगे :—

(क) इस क्षेत्र के राज्य यह आभार ग्रहण करेंगे कि वे न्यूक्लियर शस्त्र न तो बनायेंगे और न सुरक्षित रखेंगे और न बाहर से मँगायेंगे। इसमें मिसाइल (missile) भी सम्मिलित है।

(ख) चार शक्तियाँ—फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत रूस—यह आभार ग्रहण करेंगी कि इस क्षेत्र में किन्हीं प्रकार का न्यूक्लियर शस्त्र नहीं सुरक्षित रखा जायगा और न तो किसी तरह से इन शक्तियों का स्थानान्तरण ही होगा।

(ग) वे शक्तिन्याँ जिनके पास न्यूक्लियर शस्त्र हैं, इस क्षेत्र के विरुद्ध इन न्यूक्लियर शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे ।

(घ) दूसरे राज्य इस क्षेत्र के भीतर जिनकी सेना है वे भी इसी प्रकार का आभार ग्रहण करेंगे ।

३—भाग दा के आभारों का पुष्ट करने के लिये सबधित राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इन क्षेत्र में न्यूक्लियर शस्त्रों का विस्तृत और प्रभावकारी रूप से नियन्त्रण हो सके ।

नाटो के सुप्रीम कमांडर नारस्टड ने मध्य यूरोप में न्यूक्लियर मुक्त क्षेत्र उत्पन्न करने का विरोध किया । उनका कहना था कि इससे नैटो की शक्ति और पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा खतरों में पड़ जायेगी ।

पुनरीक्षित रपाकी प्लान (Revised Rapacki Plan)—पोलैंड के विदेश मंत्री न नवम्बर १९५८ में पूर्व प्रस्तावित प्लान में बहुत से परिवर्तन कर दिये । उन्होंने इस योजना पर एक सम्मेलन बुलाने का विचार किया जहाँ कि सम्बन्धित पक्षकारों में समझौता होता । उनके विचार से जो पक्षकार सीधे सबधित थे, वे निम्नलिखित हैं —

१—प्रस्तावित न्यूक्लियर मुक्त क्षेत्र के चार राज्य अर्थात् पोलैंड, जेको-स्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी ।

२—चार महात् शक्तिन्याँ अर्थात् ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत सङ्घ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ।

३—वे अन्य सभी देश जिनके पास जर्मन क्षेत्र में सेना थी अर्थात् बेलजियम, डेनमार्क ।

नि शस्त्रीकरण आयोग —जेनेवा के न्यूक्लियर परीक्षण निलम्बित करने के सम्मेलनों तथा संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के १९५८ और १९५९ के अधिवेशनों में इस और काफी प्रयत्न किये गये हैं । नि शस्त्रीकरण आयोग में नवम्बर १९५७ में २५ सदस्य बढाकर कर दिये गये । रूस ने सदस्यता स्वीकार कर ली किन्तु आयोग में काम करने से अपने को पृथक् रक्खा । भारत युगोस्लेव द्वारा प्रेरित संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की राजनीतिक समिति ने ३ नवम्बर १९५८ को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया कि संयुक्त राज्य नि शस्त्रीकरण आयोग का पुनर्गठन किया जाय जिससे कि उसमें संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सभी सदस्य सम्मिलित किये जा सकें । भारत-युगोस्लेव प्रस्ताव के अनुसार नि शस्त्रीकरण आयोग १९५९ में ऐड हाक अर्थात् सदर्थ आधार पर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सभी सदस्यों द्वारा बनाया जाय और यदि आवश्यक हो तो साधारण सभा की विशिष्ट बैठक में यह आयोग रचनात्मक प्रस्ताव

और सिफारिशो निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत करे और यह कि यह भाषण अपने ढंग की प्रक्रिया वा अनुसरण करे और सुरक्षा परिपद् तथा साधारण सभा को प्रतिवेदन भेजे ।

शान्ति के लिये अणु :—दिसम्बर ८, सन् १९५३ को प्रेसीडेंट आइजन-होवर ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की साधारण सभा में भाषण करते हुये आणुविक तथा हाईड्रोजन बमो से सम्पूर्ण विध्वंस वा निर्देश किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी को कम करने के लिये एक नवीन "शान्ति के लिये अणु" योजना वा समर्थन किया । प्रेसीडेंट ने यह सुभाव दिया कि शक्तियाँ जिनके पास न्यूक्लियर सम्बन्धी पदार्थ हो उनमें से कुछ अंश को वितरण के लिये एक कोष में दान कर दें जो आणुविक शक्ति के शान्तिपूर्ण विकास क लिए उपयोग में लाई जाय । उन्होंने सुभाव दिया कि एक अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति अभिकरण बनाया जाय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में रहे । रूसी सरकार आइजनहोवर योजना में सुभावे गये मुख्य सिद्धान्तो पर सहमत हो गई किन्तु उसने चाहा कि सब देश प्रथम आणुविक शस्त्रो के विपक्ष में सहमत हो जाय तथा अभिकरण नियन्त्रित न होना चाहिये । दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात पर आप्रह किया कि अभिकरण अन्य विनिष्ट अभिकरणो के समान संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के अधीन होना चाहिये और उसे साधारण सभा को प्रतिवेदन करना चाहिये तथा सुरक्षा परिपद् द्वारा नियन्त्रित न होना चाहिये ।

नवम्बर १५, सन् १९५४ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरेनियम २३५ के १०० किलोग्राम तथा एक दिन उपरान्त यूनाइटेड किंगडम ने २० किलोग्राम शान्ति के लिए 'अणु योजना' की आर दने को कहा ।

दिसम्बर ४, सन् १९५४ को सभा ने एकमत से प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय आणुविक शक्ति अभिकरण को हट कराने वाले प्रस्ताव को स्वीकृत किया । अक्टूबर २३, सन् १९५६ को ८२ राष्ट्रों के एक सम्मेलन ने एकमत से एक २३ अनुच्छेद वाले व्यवस्थान के मूलवाक्य को स्वीकृत किया, जिसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय "शान्ति के लिये अणु" अभिकरण को प्रवृत्त करने की योजना थी । सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय आणुविक शक्ति अभिकरण का मुख्यालय वियेना में रहेगा । नियमपत्र के अन्तर्गत अभिकरण विकीर्ण होने वाले विस्फोटक पदार्थो को सदस्य-राष्ट्रो को रासायनिक क्रिया के लिए देगा । गवर्नरों के बोर्ड (मनु-शासन करने वालो की परिपद्) को यह प्राधिकार होगा कि वह निरीक्षको को प्राप्त करने वाले देशो में यह बात निश्चित करने के लिये भेजे कि ये पदार्थ अथवा उनके से गोए उत्पादित वस्तुएँ केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाय ।

व्यवस्थान में समान के ढेर लगाये जाने को रोकने के लिये रक्षा के उपाय रखे गये हैं तथा यह व्यवस्था की गई है कि अभिकरण द्वारा रासायनिक क्रिया के लिये दिये गये पदार्थ चालाकी से सैनिक प्रयोजनों के लिये न भेज दिये जाय ।

नभक्षेत्र के शान्तिपूर्ण उपयोग (Peaceful Uses of Outer Space)—
नवम्बर १९५८ में साधारण सभा ने २० राष्ट्रीय एक पुनरीक्षित प्रस्ताव पारित किया जो कि नभ-क्षेत्र के शान्ति पूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में था । इस प्रस्ताव में इस आवश्यकता पर बल दिया गया कि नभ के नवीन क्षेत्र में राष्ट्रीय होड न बढे । इस प्रस्ताव में नभ क्षेत्र के उपयोग सम्बन्धित एक तदर्थ समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया । यह निरवय किया गया कि यह समिति साधारण सभा के १४वें अधिवेशन में अन्य बातों के साथ समुक्त राष्ट्र सङ्घ के साधना, उसके कार्य, उसके विशिष्ट अभिकरण और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ जिनका सम्बन्ध नभ-क्षेत्र के शान्तिपूर्ण उपयोग से था, आदि बातों पर विस्तृत प्रतिवेदन करेगी ।

एटम शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग —समुक्त राष्ट्र के एटम शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग सम्बन्धी द्वितीय सम्मेलन की बैठक जेनेवा में सितम्बर १९५८ में हुई । ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस ने यह घोषणा की कि उन्होंने निम्नलिखित अवर्गीकरण किया है । अर्थात् थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया के नियन्त्रित कार्यक्रम सम्बन्धी शोध से सुरक्षा प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं । सम्मेलन में सुरक्षा संहिता तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

१९६०-६१ की समुक्त राष्ट्र साधारण सभा (U. N. General Assembly, 1960-61) :—दिसम्बर १९६० में साधारण सभा द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें सभी सरकारों से न्यूक्लियर शस्त्रों के रोक पर स्थायी समझौता करने पर जोर दिया गया । साधारण सभा की राजनीतिक समिति ने पूर्णमत के साथ ३० मार्च १९६० में एक अमेरिकी-रूसी प्रस्ताव स्वीकार किया जिससे कि आगामी सितम्बर तक निःशस्त्रीकरण सबन्धित बहस स्थगित कर दिया गया । सोवियत संघ ने पाँच तटस्थ देशों को १० राष्ट्रीय समुक्त राष्ट्र उपसमिति में सम्मिलित कर लेने का प्रस्ताव किया किन्तु अमेरिका ने इसे केवल भारत और मैक्सिको तक सीमित रखा और यह भी कि उसने इन दोनों देशों को बोट के अधिकार से वंचित माना ।

संयुक्त मेमोरेण्डम :—आठ तटस्थ राष्ट्रों अर्थात् ब्राजील, बर्मा, एथोपिया, भारत, मैक्सिको, नाइजीरिया, स्वीडन और समुक्त अरब गणतन्त्र ने एक समझौता-प्रस्ताव रखा जिसके आधार पर न्यूक्लियर-परीक्षण रोकने और अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक आयोग निर्मित करने का सुझाव था । यह प्रस्ताव १४ अप्रैल

और सिफारिशों नि शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर और यह कि यह प्रायोग
अपने ढंग की प्रक्रिया का अनुसरण करे और सुरक्षा परिपद् तथा साधारण सभा
को प्रतिवेदन भेजे ।

शान्ति के लिये अणु — दिसम्बर ८, सन् १९५३ का प्रेसीडेंट आइजन-
होवर ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की साधारण सभा में भाषण करत हुये आणुविक तथा
हाईड्रोजन बमों से सम्पूर्ण विध्वंस का निर्देश किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को
बम बनाने के लिये एक नवीन "शान्ति के लिये अणु" योजना का समर्थन किया ।
प्रेसीडेंट ने यह सुझाव दिया कि शक्तिशाली जिनका पास न्यूक्लियर सम्बन्धी पदार्थ
हो उनमें से कुछ अणु का वितरण के लिये एक कोष में दान कर दें जो आणुविक
शक्ति के शान्तिपूर्ण विकास के लिए उपयोग में लाई जाय । उन्होंने सुझाव दिया
कि एक अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति अभिकरण बनाया जाय जो संयुक्त राष्ट्र सभ के संरक्षण
में रहे । रूसी सरकार आइजनहोवर योजना में सुझाये गये मुख्य सिद्धान्तों पर
सहमत हो गई किन्तु उसने चाहा कि सब दश प्रथम आणुविक शस्त्रों के निषेध के
लिये सहमत हो जाय तथा अभिकरण निषेधाधिकार के अधीन सुरक्षा परिपद् द्वारा
नियन्त्रित किया जाय । दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात पर धारण
किया कि अभिकरण अन्य विद्विष्ट अभिकरणों के समान संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के
अधीन हाना चाहिये और उस साधारण सभा को प्रतिवेदन करना चाहिये तथा
सुरक्षा परिपद् द्वारा नियन्त्रित न होना चाहिये ।

नवम्बर १५, सन् १९५४ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरेनियम २३५ के
१०० किलोग्राम तथा एक दिन उपरांत यूनाइटेड किंगडम ने २० किलोग्राम शक्ति
के लिए 'अणु योजना' का आरंभ करने को कहा ।

दिसम्बर ४, सन् १९५४ को सभा ने एकमत से प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय
आणुविक शक्ति अभिकरण का दृढ करने वाले प्रस्ताव को स्वीकृत किया ।

अक्टूबर २३, सन् १९५६ को ८२ राष्ट्रों के एक सम्मेलन ने एकमत से एक
२३ अनुच्छेद वाले व्यवस्थान के मूलवाक्य को स्वीकृत किया, जिसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय
"शान्ति के लिये अणु" अभिकरण को प्रवृत्त करने की योजना था । सम्मेलन ने
यह निर्णय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय आणुविक शक्ति अभिकरण का मुख्यालय वियेना
में रहेगा । नियमपत्र के अन्तर्गत अभिकरण विकीर्ण होने वाले विस्फोटक पदार्थों
को सदस्य राष्ट्रों को रासायनिक क्रिया के लिए देना । गवर्नरों के बोर्ड (या
शासन करने वालों की परिपद्) को यह प्राधिकार होगा कि वह निरीक्षकों व
करने वाले देशों में यह बात निश्चित करने के लिये भेजे कि ये पदार्थ
से गौरव उत्पादित वस्तुएँ केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये उपयोग में

एक बार जब इस राक का आरम्भ हो चुका है, तो अवश्य ही आशा की जाती है कि इससे एक अंश तक ऐसी सद्भावना उत्पन्न होगी जो कि आगे चलकर पूर्ण परीक्षण-रोक को प्रभावकारी कर सके। इस संधि के प्रमुख उपबन्ध इस प्रकार हैं—

संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संयुक्त साम्राज्य और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सभ का सरकार, जिन्हें कि यहाँ आरम्भिक पक्षकारों के रूप में सदाभित किया गया है, अपने प्रमुख लक्ष्य की घोषणा करते हैं कि कठिन अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण क अन्तर्गत सामान्य और पूर्ण निशस्त्रीकरण क लिए जहाँ तक सम्भव हो सक, अति शीघ्र एक समझौता हो। यह समझौता संयुक्त राज्यों क उद्देश्या क तारतम्य में हो, जो कि शस्त्रीकरण को होड का रोक सक और सभी प्रकार क शस्त्रों, न्युक्लियर-शस्त्रों सहित, के उत्पादन और परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा सक, इसके साथ ही सभी समयों के लिए अर्थात् सदा-सदा के लिये न्युक्लियर-शस्त्रों के परीक्षात्मक-विस्फोटों को बन्द कर देने के उपाय हूँडे जाय। ये सरकारें इस बात के लिए भी वृत्त-सकल्प हैं कि वे इस सम्बन्ध में समझौता-वार्ता जारी रखेंगी और मानवीय वायुमण्डल को रेडियोऐक्टिव तत्वों से भर देने क विरुद्ध अपने प्रयत्न जारी रखेंगी। इतनी बातों पर सहमत होते हुये निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार किया जा रहा है—

अनुच्छेद १—(१) इस संधि का प्रत्येक पक्षकार इस बात का मत लेता है कि वह किसी प्रकार के न्युक्लियर शस्त्रों के परीक्षात्मक विस्फोटों को निषेधित करेगा, रोकेंगा और स्वयं इस प्रकार का कोई परीक्षण नहीं करेगा या अपने क्षेत्राधिकार या नियन्त्रण में किसी भी स्थान पर होने वाले किसी भी अन्य न्युक्लियर विस्फोटों को नहीं होने देगा,

(क) वातावरण में, अपनी सीमा के बाहर, बाहरी तम या अघाजल में या श्रेणीय जल या ध्रुव समुद्र में, या

(ख) किसी भी अन्य वातावरण में, यदि ऐसे विस्फोट 'रेडियो-ऐक्टिव डेप्रीज' उत्पन्न करत ह, उस राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं में, जिसके क्षेत्राधिकार या नियन्त्रण में ऐसे विस्फोट किये जा रहे हैं।

ये उपबन्ध सभी प्रकार क न्युक्लियर विस्फोटक प्रयोगों को स्थायी रूप से वर्जित करने वाली संधियों का समर्थन करते हैं, जिसमें कि अथ तन के ऐसे विस्फोट भी सम्मिलित होंगे जिन्हें कि संधि की प्रस्तावना में पक्षकारों ने वर्जित करना निदिष्ट माना है।

(२) इन संधि का प्रत्येक पक्षकार इस बात क लिए बचन-बद्ध है कि वह किसी भी प्रकार क न्युक्लियर परीक्षात्मक विस्फोटों का करान, प्रातनाहित करन,

१९६२ को नि शस्त्रीकरण समिति की १८वीं बैठक में जेनेवा में किया गया। इसमें १५ सदस्य वा प्रस्ताव था जिसमें रूस, फ्रेन्च ब्रिटेन और अमेरिका स्थायी सदस्य थे। आयोग वा साधारण दायित्व यह था कि वह न्यूक्लियर-परीक्षण सम्बन्धित सभी प्रकार के आविष्कृत इकट्ठा करे तथा जहाँ कहीं भी न्यूक्लियर-परीक्षण की आशका दिखाई पड़े उस सम्बन्ध में समुक्त राष्ट्र सघ को प्रविवेदन करे। इत पर-क्षण पर रोक निम्नलिखित क्षेत्राधिकार में होगा।

(ब) वातावरण के भीतर और ऊपर या क्षेत्रीय अथवा खुले समुद्र में।

(ख) किसी ऐसे वातावरण में जहाँ से सक्रिय किरण दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में पहुँच सकें।

समुक्त राष्ट्र सघ के साधारण सभा का १७वाँ अधिवेशन :—२१ सितम्बर, १९६२ को सोवियत प्रतिनिधि ने साधारण सभा के समक्ष घोषित किया कि सोवियत सरकार ने पहले से ही १८ राष्ट्रीय नि शस्त्रीकरण समिति का प्रस्ताव ग्ल दिया है। उन्होंने सभा के अध्यक्ष के पास एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ऐसे सभी राज्य जिनके पास न्यूक्लियर शस्त्र हैं, वह सर्वप्रथम उनके प्रयोग से अपने को रोकें और दृढतापूर्वक प्रतिज्ञा करें कि वे उन शस्त्रों का प्रयोग न करेंगे।

न्यूक्लियर परीक्षण प्रतिबन्ध संधि (१९६३)—अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस तथा अन्य देशों ने १९६३ में न्यूक्लियर परीक्षण के आशिक प्रतिबन्ध की संधि पर हस्ताक्षर किये जो १० अक्टूबर १९६३ को कार्यान्विन हुई। इस सन्धि से सम्भावना है कि शीघ्र ही अविष्य में परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा सके जो नि शस्त्रीकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा शांति की प्रगति में सहायक हो। इसके अनुसार प्रत्येक पक्षकार न्यूक्लियर शस्त्रों के विस्फोट को अपने क्षेत्र में किसी भी स्थान में न तो करेगा और न किसी को करने देगा —(क) नभ क्षेत्र में, उसकी सीमा के बाहर जिसमें बाहरी नभ भी सम्मिलित है, या पानी के भीतर जिसमें क्षेत्रीय जल या उमुक्त समुद्र भी सम्मिलित है। या (ख) अन्य किसी भी वातावरण में यदि ऐसा विस्फोट होना है जिसके कारण राज्य की क्षत्रीय सीमाओं के बाहर रेडियो-सक्रिय मलवा (डिब्रो) के उपस्थित होने की सम्भावना है।

इस प्रकार यह न्यूक्लियर परीक्षण सन्धि पूर्ण नि शस्त्रीकरण की ओर लक्षित होकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को सुदृढ और मैत्रीपूर्ण बनाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति स्वर्गीय कैनेडी के अनुसार यह सन्धि पूर्व-परिचय के शीत युद्ध के गहन अचकार में प्रकाश की किरण है।

यह संधि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सूक्ष्म-युद्ध के इतिहास में एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि परीक्षण पर रोक एक मौलिक प्रकृति तर्क है, किन्तु

एक वार जब इस राक का प्रारम्भ हो चुका है, तो अवश्य ही आशा की जाती है कि इससे एक अश तक ऐसी सद्भावना उत्पन्न होगी जो कि आगे चलकर पूर्ण परीक्षण-रोक को प्रभावकारी कर सके। इस संधि के प्रमुख उपबन्ध इस प्रकार हैं:—

संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संयुक्त साम्राज्य और सोवियत सोसलिस्ट रिपब्लिक संधि का सरकार, जिन्हें कि यहाँ प्रारम्भिक पक्षकारों के रूप में सदाभित किया गया है, अपने प्रमुख लक्ष्य की घोषणा करता है कि कठिन अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत सामान्य और पूर्ण निश्चिन्ताकरण के लिए जहाँ तक संभव हो सके, प्रति शीघ्र एक समझौता हो। यह समझौता संयुक्त राज्यों के उद्देश्यों के तारतम्य में हो, जो कि शस्त्रीकरण को होड का रोक सके और सभी प्रकार के शस्त्रों, न्युक्लियर-शस्त्रों सहित, के उत्पादन और परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा सके, इसक साथ ही सभी समयों के लिए अर्थात् सदा-सदा के लिये न्युक्लियर-शस्त्रों के परीक्षात्मक-विस्फोटों को बन्द कर देने के उपाय ढूँढे जायें। ये सरकारें इस बात के लिए भी वृत्त-सकल्प है कि वे इस सम्बन्ध में समझौता-वार्ता जारी रखेंगी और मानवीय वायुमण्डल को रेडियोऐक्टिव तत्वों से भर देने के विरुद्ध अपने प्रयत्न जारी रखेंगी। इतनी बातों पर सहमत होते हुये निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार किया जा रहा है—

अनुच्छेद १—(१) इस संधि का प्रत्येक पक्षकार इस बात का व्रत लेता है कि वह किसी प्रकार के न्युक्लियर शस्त्रों के परीक्षात्मक विस्फोटों को निषेधित करेगा, रोकेंगा और स्वयं इस प्रकार का कोई परीक्षण नहीं करेगा या अपने क्षेत्राधिकार या नियंत्रण में किसी भी स्थान पर होने वाले किसी भी अन्य न्युक्लियर विस्फोटों को नहीं होने देगा,

(क) वातावरण में, अपनी सीमा के बाहर, बाहरी नभ या अघाजल में या श्रेणीय जल या छुले समुद्र में, या

(ख) किसी भी अन्य वातावरण में, यदि ऐसे विस्फोट 'रेडियो-ऐक्टिव डेब्रीज' उत्पन्न करते हों, उस राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं में, जिसके क्षेत्राधिकार या नियंत्रण में ऐसे विस्फोट किये जा रहे हैं।

ये उपबन्ध सभी प्रकार के न्युक्लियर विस्फोटक प्रयोगों को स्थायी रूप से वर्जित करने वाली संधियों का समर्थन करते हैं, जिसमें कि अथ तब के ऐसे विस्फोट भी सम्मिलित होंगे जिन्हें कि संधि की प्रस्तावना में पक्षकारों ने वर्जित करना निदिष्ट माना है।

(२) इस संधि का प्रत्येक पक्षकार इस बात के लिए बद्ध-बद्ध है कि वह किसी भी प्रकार के न्युक्लियर परीक्षात्मक-विस्फोटों का करान, प्रोत्साहित करन,

या उसमें किसी भी रूप में भाग लेने से अपने को दूर रखेगा, या किसी भी अन्य विस्फाटा से दूर रहेगा, जिनका कि उपग्रह्य पैराग्राफ १ में किया जा चुका है।

अनुच्छेद २—(१) कोई भी पक्षकार इस संधि में सशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। किसी भी प्रस्तावित संशोधन की मूल भाषा समुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सावियत गणतन्त्र की सरकारों के पास भेजी जायेगी, जो कि सभी पक्षकारों का इस प्रचारित कर दगी। इसमें उपरान्त यदि ऐसा करना आवश्यक माना गया, तो एक तिहाई या इससे अधिक पक्षकारों की सहमति पर ये सरकारें एक सम्मेलन बुलायेंगी और व उस सम्मेलन में सभी पक्षकारों को प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने के लिए आमन्त्रित करेंगी।

(२) इस संधि में कोई भी संशोधन इस संधि के सभी पक्षकारों के बहुमत द्वारा अग्रदत्त ही स्वावृत्त होना चाहिये, जिसमें कि सभी आरम्भिक पक्षकारों के भी वाट सम्मिलित होना चाहिये। संशोधन सभी पक्षकारों के लिए सुधार के सवित साधन के रूप में उसी प्रकार प्रभावकारी होगा, जिस प्रकार कि आरम्भिक पक्षकारों के लिये।

अनुच्छेद ३—(१) यह संधि सभी राज्यों के लिए हस्ताक्षर करने के लिए खुली रहेगी। यदि कोई राज्य इस संधि के प्रवर्तन के समय इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (३) के अनुसार इसमें प्रविष्ट नहीं होता, तो वह कभी भी तदनुसार हस्ताक्षर करके संधि में प्रविष्ट हो सकता है।

(२) संधि का संशोधन हस्ताक्षरकर्ता सभी राज्यों के संशोधन के अध्याधीन होगा।

(३) यह संधि सभी आरम्भिक पक्षकारों के संशोधन साधनों द्वारा संचित होने के उपरान्त प्रभावकारी होगी।

यह संधि आरम्भिक सरकारों द्वारा समुक्त राष्ट्रों के चार्टर के अनुच्छेद १०२ के क्रम में पञ्जाकृत होगी।

अनुच्छेद ४—यह संधि असीमिन् अवधि की होगी। प्रत्येक पक्षकार अपनी राष्ट्रीय सभ्यता के प्रयोग में इस संधि से अपने को अलग करने का अधिकारी होगा किन्तु यह तभी होगा जब कि वह निश्चय करता है कि इस संधि के विपय-वस्तु में सम्बन्धित असाधारण घटनाएँ घटी हैं और उससे उसके देश के संप्रभु हिता पर अंधि आई हैं। वह पक्षकार संधि के प्रत्येक सभी पक्षकारों को अपने प्रत्याह्वय मन्त्रों के सूचना ३ मास पूर्व देगा।

यह संधि १० अक्टूबर, १९६३ को प्रभाव रूप में सामने आई। इस संधि पर सर्वप्रथम तीन मन्त्र शाक्तियों द्वारा अगस्त ५, १९६३ को मास्को में हस्ताक्षर विषय और अक्टूबर, १९६३ तक लगभग १०० देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर

चुके थे । चीन, फ्रांस और अल्बानिया ने आशिक न्युट्रि प्रयोग रोक नी सधि पर हस्ताक्षर नही किया है ।

मास्को टेस्ट बैन ट्रीटा और न्युक्लियर शस्त्रा की सामग्रिया के उत्पादन में कमी की सोवियत सङ्घ द्वारा घोषणा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा १९६४ में एतद्विषयक घोषणा नि शस्त्रीकरण के माग में प्रथम मोचान थी ।

५ अगस्त १९६४, को सोवियत सङ्घ, ग्रट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य ने इस बात की प्रतिज्ञा की कि वे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुनझाने क लिये ययामम्भव समझौता वार्ता का सहारा लगे । मास्को-टेस्ट बैन-ट्रीटी के प्रथम वार्पिकोत्भव पर तीनों सरकारों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि शस्त्रों की होड और प्रभावकारी नि खीकरण के प्रश्नों को सुलझाने के लिये गहनतम समस्याओं को सुनझाना है । हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने पुन इस बात को पुष्ट किया कि यह सधि शान्ति को बढ़ावा देने और शस्त्रों की घुडदोड को निर्वान्धत करने के मार्ग में एक मागदर्शक तारा के रूप में है । यह भी खेद वे साथ व्यक्त किया गया कि जहाँ ना से अधिक राष्ट्र इन सधि में हस्ताक्षर कर चुके हैं, कुछ शक्तियाँ जैसे चीन, फ्रांस और अल्बानिया इस पर अभी हस्ताक्षर नहीं कर सके हैं । यह भी प्रस्तावित किया गया कि आशिक-परीक्षण रोक सधि का विस्तार अधोभूमि में किये जाने वाले परीक्षणों तक भी होना चाहिये ।

अक्टूबर १६, १९६४ को अपने पश्चिमी अंचल में चीन द्वारा किया गया एटम-बम विस्फोट शान्ति के पोषण को दिशा में एक भयावह खतरा है । भले ही चीन अभी ऐसे परीक्षणों की अल्पतम उपलब्धि कर सका हो कि नु उनके लगातार के प्रयोग संपूर्ण एशिया और अफ्रीका को आतंकित किये हुये हैं । राष्ट्रानि जाँचपन ने भले ही एशिया के देशों को इस आतंक के विरुद्ध आश्रयान दिया है कि नु चीन की निरकुशता का आतंक किमी भी समय राष्ट्र पर बना रहना, उम समय तक स्वभाविक है जब तक कि प्रभावकारी रूप में चीन को ऐस प्रयोगों से रोक नही दिया जाता ।

निष्कर्ष —अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग से सम्बन्धन प्रस्ताव इन प्राणा को व्यक्त करता है कि विश्व को वह युद्ध से दूर हटायेगा, वरानि संयुक्त राजा अमेरिका के प्रतिनिधि के शब्दों में —“It is a new prism through which we can look at the problem of the world” अर्थात् यह एक नया स्रात है जिसके आधार पर हम विश्व की समस्याओं को एक नये ढंग से दख सकते हैं । यह एक ऐना कदम है जहाँ से हमे चलना आरम्भ करना है । पूर्ण विश्नेषण में पता चलता है कि युद्ध की सम्भावनाओं और शस्त्रों के अबाध सग्रह को रोक जा सकता

है, केवल यदि राज्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाय और दूसरे से भय कम हो जाय। प्रत्येक देश में जनता पूर्ण बहुमत के साथ शांति चाहती है। यही एक ऐसी किरण है जिससे राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति शत्रुता और सन्देह के कम होने की आशा की जा सकती है।

अभी तक निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं अपनाया जा सका है। एक ओर निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में वार्ताएँ चलती रहती हैं और दूसरी ओर दो महान् कर्हा जाने वाली शक्तियाँ न्यूक्लियर-परोक्षण भी करती रहती हैं। वास्तव में निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर ही मान्यता एवं विश्व-शांति तथा सुरक्षा का भविष्य निर्भर करता है। महान् शक्तियों ने जो शस्त्र तैयार कर रखे हैं और आज भी जो निरन्तर तैयार हाते जा रहे हैं, उन्हें पूर्णतया त्याग देना और फिर यह विश्वास कर लेना कि दूसरा प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र भी इन शस्त्रों को त्याग देगा और नया नहीं बना लेगा, एक कठिन समस्या है। इसके लिये क्रमशः प्रयत्न होते रहे तो आशिक सफलता मिल सकती है, पूर्ण सफलता तो अभी एक दूरस्थ कल्पना ही प्रतीत होती है।

अध्याय ३०

विशिष्ट अभिकरण

(The Specialized Agencies)

विशिष्ट अभिकरण वे सघ हैं जो अन्तर-सरकारी स्वीकार-पत्रों द्वारा स्थापित किये गये हैं तथा जिनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा-सम्बन्धी, स्वास्थ्य तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में बहुत विस्तृत उत्तरदायित्व है। स्वीकारोक्तियों की वार्ता जिनके द्वारा उनका सम्बन्ध समुक्त राष्ट्र सघ से स्थापित हो जाता है पहले अभिकरणों के साथ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित एक स्थायी समिति द्वारा की जाती है जिसे 'अन्तर-सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वित की समिति' कहा जाता है। इसके उपरान्त वे स्वीकृत के लिये आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के पास भेजी जाती हैं तथा परिषद् द्वारा सामान्य सभा को प्रवर्तन होने के पूर्व प्रत्येक स्वीकार पत्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के सम्बन्धित विशिष्ट अभिकरण के समुचित भ्रम द्वारा स्वीकृत भी किया जाना चाहिये।

समुक्त राष्ट्र सघ के भिन्न विशिष्ट अभिकरण निम्नलिखित हैं —

१. अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सघ (International Labour Organization : I. L. O.)—यह समुक्त राष्ट्र से सम्बन्धित सघ में पुराने अभिकरणों में

से एक है और प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त जो अन्तर सरकारी सस्थाये स्थापित की गईं उनमें से अकेला बचा हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सङ्घ के संविधान में जो सन् १९१६ में बनाया गया वह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि सार्वजनिक तथा स्थायी शान्ति केवल उसी दशा में स्थापित की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। इसका त्रिकोणाकार संयुक्त राष्ट्र सङ्घ में अनोखा है, तथा इसके विशिष्ट श्रमिकरण श्रमिकों के प्रतिनिधि, प्रबन्ध तथा सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सङ्घ के निर्णयों को देने तथा उसकी नीति को आकार देने में योग देते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन न फिलैडेलफिया में सन् १९४४ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सङ्घ को शान्ति में निष्ठा को पुनः दृढतापूर्वक व्यक्त किया। फिलैडेलफिया की घोषणा में पुनः जो सिद्धान्त दृढतापूर्वक कहे गए, वे निम्नलिखित हैं —

- (अ) श्रम पदार्थ (वस्तु) नहीं है,
- (आ) किसी एक स्थान की भी दरिद्रता सभी स्थानों की समृद्धि के लिये भयजनक है।
- (इ) अभिव्यक्ति तथा सङ्घ की स्वतन्त्रता स्थायी उन्नति के लिये परमावश्यक है।
- (ई) दरिद्रता के विरुद्ध युद्ध प्रत्येक राष्ट्र के भीतर दृढ उत्साह के साथ किये जाने की आवश्यकता है।

२. संयुक्त राष्ट्र सघ का खाद्य तथा कृषि सखन्धी सघ (Food and Agriculture Organization of the United Nations F. A. O.)— यह प्रथम अन्तर-सरकारी श्रमिकरण है जो सन् १९४५ में द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् स्थापित हुआ। यह एक सम्मेलन द्वारा कार्य करता है जिसमें ७७ सदस्य-राष्ट्रों (जनवरी १९५६) में से प्रत्येक का एक वोट है। इस सम्मेलन का प्रत्येक दो वर्षों में श्रविवेशन होता है किन्तु जब बहुमत यह इच्छा व्यक्त करता है तो इसका श्रविवेशन बीच के वर्ष में हो सकता है। सघ के मध्य में एक ० ए० ओ० परिषद् प्रशासकीय सस्था का कार्य करती है जो १८ सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से निर्मित होती है।

इसके मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों को अपना जीवनस्तर उच्च करने में, सब दशों के लोगों के आहार का सुधारने में, कृषि, वन तथा मरुस्थालयों की क्षमता को बढ़ाने में, ग्रामवासियों की दशा को सुधारने में तथा इन सब साधनों द्वारा सब लोगों का उत्पादन कार्य में अवकाश को और अधिक विस्तृत करने में सहायता देने का है।

३. संयुक्त राष्ट्र सघ का शिक्षा मन्त्रन्धी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सघ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-

ganization : UNFSCO.)—राजनैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में यह प्रजातन्त्र का मुख कहा जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान तथा सभ्यता के क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ाकर शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना करने में भाग लेने का है जिससे न्याय, विधि शासन, मानवीय अधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं के लिये सावभौमिक सम्मान और अधिक व्यापक हों, जो संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर द्वारा जात, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव को हटा कर सभार के लोगों के लिये मान्य की गई है।

इसका संस्थान निम्नलिखित से निर्मित है —

(१, साधारण सम्मेलन (८७ सदस्य राज्यों के एक-एक प्रतिनिधि सहित), (२) २० सदस्यों का एक इक्जीक्यूटिव बोर्ड, (३) सचिवालय (जिसमें कि डायरेक्टर जनरल और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी जो कि ६ प्रमुख विभागों—शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक कार्य क्रम, सामूहिक विनियम और प्राविधिक सहायता, के होते हैं।)

४ अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ (International Civil Aviation Organization . I C A . O)—इसके उद्देश्य और लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय वायु-उड्डयन कला के सिद्धांत तथा यंत्र कला का विकास करना है तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात की योजनाओं को बनाने तथा उनके विकास में वृद्धि करने का है जिससे सभार भर में अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का सुरक्षित तथा नियमित रूप से विकास हो सक।

५. पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development)—पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के वृत्त सदस्यों के प्रदेशों के पुनर्निर्माण तथा विकास में उत्पादक प्रयोजनों के लिये पूंजी को लगाने की सुविधा प्रदान कर सहायता करना, वैयक्तिक विदेशी पूंजी के लगाने जाने को वैयक्तिक पूंजी लगाने वालों द्वारा दिये गये ऋणों तथा अन्य लगाई गई पूंजी की प्रतिभूति देकर तथा भाग लेकर प्रोत्साहित करना तथा वैयक्तिक पूंजी लगाई जाने की दोषभूति उत्पादक प्रयोजनों के लिये अपनी पूंजी में सघन की व्यवस्था करके सघन एकत्र करके तथा अन्य साधनों से करना है।

६ अन्तर्राष्ट्रीय धन कोष (International Monetary Fund . I . M . F .)—यह राष्ट्रों का एक मण्डल है जिसने स्वीकार-यंत्र के कोष सम्बन्धी अनुच्छेदों को स्वीकृत करके यह प्रतिज्ञा की है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग तथा विश्व-व्यापार को और अधिक बढ़ावेंगे। इससे उद्देश्य मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

के विस्तार और सतुलित विकास को सुगम करना, तथा इसके द्वारा व्यवसाय और वास्तविक आय की उन्नति में तथा उसमें एक उच्च स्तर स्थापित करने में सहयोग देना, विनिमय में स्थिरता को बढ़ाना तथा समुचित रक्षणों के अधीन सदस्यों को कोष के साधन प्राप्त कराकर उनमें विश्वास उत्पन्न करना है ।

७. विश्व स्वास्थ्य संघ (World Health Organization : W. H. O.)—यह सब से बड़े विशिष्ट अभिकरणों में से एक है तथा १९५६ में इसके ८८ राष्ट्र सदस्य हैं । इसका उद्देश्य सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य का उच्च स्तर प्राप्त करना है ।

८. अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ (International Refugee Organization : I. R. O)—अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ शरणार्थियों अथवा देशों से निकाल गये व्यक्तियों को अपने मूलदेश को अथवा अपने पुराने घर का लौटाने में सहायता करता है तथा सामूहिक पुनर्वास सम्बन्धी याजनामा को पूर्ण करता है जिसके द्वारा प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ के साथ एक स्वीकार-पत्र लिखता है जिसमें शरणार्थी देशान्तरवासी सम्बन्धी ग्रहणीयता की माप, पुनर्वासोत्तर दशायें, वैधिक स्थिति तथा वास्तविक छाँटने की प्रक्रियायें दी रहती हैं ।

९. सार्वदेशिक डाक संघ (Universal Postal Union U P U.)—सार्वदेशिक डाक संघ प्रथमतः जुलाई १ सन् १८७५ को स्थापित हुआ जब बर्न की डाक कांग्रेस द्वारा अक्टूबर ६, सन् १८७४ को सार्वदेशिक डाक प्रतिज्ञा अंगीकृत की गई । यह अन्तर्राष्ट्रीय डाक यातायात को अनिश्चितता, गड़बड़ों तथा अत्यधिक व्यय को, अपने सदस्य देशों को डाक के परस्पर विनियम के लिये एक डाक प्रदेश में बाँध कर दूर करने के लिये स्थापित किया गया है । डाक प्रतिज्ञा विभिन्न डाक कांग्रेसों द्वारा विस्तृत तथा उन्नत की गई है ।

१०. अन्तर्राष्ट्रीय तार संदेश ग्रहण संघ (International Telecommunication Union : I. T. U.)—अन्तर्राष्ट्रीय तार संदेश सङ्घ के तीन मुख्य उद्देश्य हैं अर्थात् तार संदेशग्रहण के सुधार तथा युक्तियुक्त उपयोग के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का स्थापित करना तथा उसका विस्तार करना, उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिये यांत्रिक कला विज्ञान सम्बन्धी सुविधाओं का विकास तथा उसका सबसे अधिक दक्षता से चालन, तथा यथासंभव उनको सामान्यतः जनता को प्राप्त कराना और इन समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राष्ट्रों के कार्यों को एक-रूप करना ।

११. विश्व-अन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी संघ (World Meteorological Organization: W. M. O.)—यह विश्व के अन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी कार्यों

को एकरूप करने, मानकीकरण करने तथा उनमें सुधार करने के लिये तथा मानवीय कार्यों के सहायताार्थ देशों के बीच में अन्तरिदा विद्या सम्बन्धी सूचना का दक्षतापूर्ण विनिमय प्रोत्साहित करने के लिये स्थापित किया गया है।

यह सबसे नया अन्तर-सरकारी अभिकरण है जो समुन्नत राष्ट्र संघ के अधीन हुआ है। यह अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिदा विद्या सम्बन्धी सत्र का उत्तराधिकारी है जो अस्तु सूचना सम्बन्धी सेवाओं को अपने सदस्यों व बीच सन् १८७८ से एकरूप कर रहा था।

अध्याय ३१

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विधि

१. विवाचन का स्थायी न्यायालय

(The Permanent Court of Arbitration)

उत्पत्ति — विवाचन के स्थायी न्यायालय की उत्पत्ति दो प्रतिज्ञाओं के कारण हुई जो अन्तर्राष्ट्रीय भण्डों के शान्तिपूर्ण समझौते के बारे में सन् १८६६ तथा १९०७ में हुईं। पहली प्रतिज्ञा सन् १८६६ के हेग सम्मेलन में विवाचन के एक स्थायी न्यायालय के संगठन का विचार प्रस्तुत किया गया जिसमें हेग में एक अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो (कार्यालय) भी बनाने का निश्चय था, जो इसके सचिवालय तथा स्थायी प्रशासकीय परिषद् के रूप में कार्य करे।

इसका ढाँचा — विवाचन के स्थायी न्यायालय के ढाँचे में तीन सस्थाएँ सम्मिलित हैं अर्थात् (१) न्यायालय के सदस्यों का पैनल, (२) एक प्रशासकीय परिषद् तथा (३) एक अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो (कार्यालय)।

पैनल के सदस्य — प्रत्येक राष्ट्र को जो सन् १८६६ तथा १९०७ की प्रतिज्ञाओं में से किसी एक में भी पक्षकार रहा हो यह अधिकार है कि वह चार सदस्यों का नाम भेजे "जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्नों के सम्बन्ध में योग्यता की प्रतिष्ठा हो तथा जिनकी नैतिक प्रतिष्ठा सर्वोच्च हो और विवाचन के कार्यभार जिसे पुनः बढ़ाया जा सकता है। राज्यों द्वारा इस प्रकार जिनका नाम भेजा गया है उन व्यक्तियों की सूची में से, जो प्रतिज्ञा के पक्षकार सब राज्यों के सम्यक् रूप से विज्ञापित की जाती है, किसी भण्डों के पक्षकारों को यह स्वतन्त्रता है कि किसी

न्यायाधिकरण के सदस्यों को निर्वाचित करें। उस स्थिति में जब पंचों को छांटने में मतभेद हो जाय तो प्रत्येक पक्षकार को दो दो नियुक्त करने पड़ते हैं और इस प्रकार छट्टि गये चारों पंच एक सरपंच नियुक्त कर लेते हैं और यह सब उची तालिका में से छाटे जाते हैं। दूसरी प्रतिज्ञा अर्थात् सन् १९०७ के हेग सम्मेलन ने इस योजना में कुछ सुधार किये तथा गौण महत्व के मामलों के विषय में झगडा के सम्बन्ध में एक सक्षित प्रक्रिया की व्यवस्था की। प्रत्येक पक्षकार को जिसका मतभेद हो जाय दो पंच नियुक्त करने पड़त थे जैसा पहले कहा जा चुका है, परन्तु केवल एक ही व्यक्ति इसका जातीय हो सकता था अथवा उन व्यक्तियों में से चुना जा सकता था जो इसके द्वारा स्थायी विवाचन न्यायालय के सदस्य निर्वाचित हुए हो।

प्रशासकीय परिपद् — परिपद में नीदरलैण्ड के वैदेशिक विभाग का मंत्री सभापति के रूप में रहता है तथा प्रतिज्ञा के पक्षकार राज्यों द्वारा हेग क लिये अधि-कार प्रदत्त राजनैतिक प्रतिनिधि रहते हैं।

द्यूरो (कार्यालय) :— न्यायालय का कार्यालय हेग में शांति-महल (Peace Palace) में स्थापित है और इसमें विवाचन का स्थायी न्यायालय वा महासचिव तथा थोड़े स कर्मचारी वर्ग हैं। कार्यालय प्रशासन करता है तथा प्रलेखा-गार का भार वहन करता है। यह न्यायाधिकरणों के संगठन सम्बन्धी पत्र व्यवहार भी करता है।

अर्थ-व्यवस्था — न्यायाधिकरण के व्यय सविदाकार राज्यों द्वारा नियत अनुपात में वहन किये जाते हैं। प्रतिज्ञा-पत्र में यह भी दिया गया है कि पचासत का प्रत्येक पक्षकार अपना-अपना व्यय वहन करेगा तथा न्यायाधिकरण क अन्य पक्षकारों द्वारा समान भाग में वहन किये जायेंगे।

न्यायालय का प्रकार — वस्तुतः विवाचन का स्थायी न्यायालय कोई न्यायालय नहीं है वरन् पंचों की केवल एक तालिका है जिसमें से न्यायाधिकरण संगठित किया जा सके। ऐसी स्थिति में शब्द के वास्तविक अर्थ में इसमें कोई स्थिरता नहीं है। मैन्ली ओ हूडसन का कथन है कि 'विवाचन का स्थायी न्याया-लय' का नाम वास्तव में एक मिथ्या नाम है तथा ऐसी भासाएँ उत्पन्न करके जो पूरी नहीं की जा सकती थी सार्वजनिक विचारधारा को कुछ धोखा देन क लिये उत्तरदायी हो सकता है। विवाचन का स्थायी न्यायालय वास्तव में कोई न्यायालय नहीं है, यह यथार्थ में एक न्यायाधिकरण है, यद्यपि यह प्राय 'हेग का न्यायाधि-करण' इस नाम से निर्दिष्ट विवा जाता है। इसके स्थान में यह 'तदर्थ (ad hoc)

न्यायाधिकरणों को सगठित करने में सुविधा प्रदान करने की एक युक्ति है। यह स्थायी केवल इस अर्थ में है कि एक तालिका स्थायी रूप से प्राप्य है।

विवाचक निर्णय — सन् १९०० तथा १९३२ के बीच में हेग के विवाचन के स्थायी न्यायालय द्वारा बीस निर्णय दिये गये जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच का उत्तरी अटलांटिक मत्स्यालयों का झगडा (१९१०), सावरकर का मामला (१९११), नीर्वे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में नीर्वे के जहाजों के प्रथम महायुद्ध में अधिवाचन सम्बन्धी मामला (१९२२) सम्मिलित हैं।

न्यायाधिकरण के समक्ष के कुछ मामले

१. उत्तरीय अटलांटिक मत्स्यालयों का मामला (१९१६) :— जनवरी २७, सन् १९०६, को एक विशेष स्वीकार पत्र लिखा गया जिसके द्वारा अमेरिका तथा ब्रिटेन की सरकारें इस बात पर सहमत हो गयी कि कुछ प्रश्नों को हेग के विवाचन के स्थायी न्यायालय के सदस्यों में से चुने गये विवाचन न्यायाधिकरण के निर्णय पर छोड़ दिया जाय। संयुक्त राज्य अमेरिका यह दावा करता था कि उसको न्यूफाउण्डलैंड के कुछ भागों में मछली लेने का अधिकार है तथा यह भी दावा किया कि मत्स्यालयों के सम्बन्ध में विनियम, केनाडा, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाना चाहिये न कि ग्रेट ब्रिटेन तथा केनाडा द्वारा अकेले। न्यायाधिकरण ने अपने पंचाट में यह प्रकट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई मत्स्यालयों की स्वतन्त्रता से उनके पक्ष में कोई अन्तर्राष्ट्रीय दाम्तर्य उत्पन्न नहीं होता। इसने यह भी मत प्रकट किया कि ग्रेट ब्रिटेन का संयुक्त राज्य अमेरिका की सम्मति के बिना विनियम बनाने के अधिकार का उपयोग इन बात पर सीमित था कि ऐसे विनियम भाव युक्त होने चाहिये तथा उनको सन् १८१८ की संधि का उल्लंघन न करना चाहिये।

२. सावरकर का मामला (१९११) :— सावरकर एक भारतीय नेता, जो ब्रिटेन के डाक जहाज मोरिया में बन्दी के रूप में इंग्लैण्ड से भारत को ले जाये जा रहा था, का जब जहाज मार्सलीज पहुँचा तो वे भाग गये। वह फ्रांस की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तथा जहाज के कप्तान को, बिना प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही किये, हस्तगत कर दिया गया। फ्रांस की यह माँग कि भागे हुये बन्दी को वापस कर दिया जाय ब्रिटेन की सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी। प्रश्न जो विवाचन के स्थायी न्यायालय के पाँच सदस्यों से बने हुये न्यायाधिकरण के सामने विचार के लिये उपस्थित हुआ वह यह था कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के अनुसार भागा हुआ बन्दी फ्रांस की सरकार को वापस कर दिया जाय? न्यायाधि-

करण ने इस प्रश्न का उत्तर इस कथन के साथ नकारात्मक दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कोई नियम ऐसा नहीं है जिसके द्वारा ऐसी दशाओं में किसी शक्ति पर जिसके अभिग्रहण में कोई बन्दी हो उसको वापस कर देने का कर्तव्य आरोपित किया गया हो इसलिये कि विदेशी अभिवर्त्ता द्वारा गलती की गई थी जिसने कि उस शक्ति को हस्तगत किया ।

३ रूस का क्षतिपूर्ति वाला मामला (१९१२) — यह भगडा जनवरी २७ तथा फरवरी ८ सन् १८७९ की कुस्तुनुनियों की सन्धि के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति की घनराशि पर सूद दिये जाने के सम्बन्ध में था जो (घनराशि) टर्की द्वारा रूसी प्रजाजनो तथा सस्थाओं को उस क्षति के लिये देय थी जो उन्होंने युद्ध के बीच में सहन किया । यह भगडा विवाचन के स्थायी न्यायालय के सदस्यों से संगठित एक न्यायाधिकरण को निर्देशित हुआ । न्यायाधिकरण ने यह घोषित किया कि रूस का दावा ग्राह्य था किन्तु उन्होंने यह मत प्रकट किया कि तुर्की की सरकार सूद-क्षति देने को बाध्य नहीं है ।

विवाचन का स्थायी न्यायालय अब भी विद्यमान है यद्यपि सन् १९३२ से इसके अनुबन्धों के अधीन संगठित न्यायाधिकरण को कोई मामला निर्देशित नहीं हुआ है ।

इसके प्रतिरिक्त समय समय पर पायस फड केस (१९०२), जापानी गृहकर का मामला (१९०५), वैसाब्लाका का मामला (१९०६), वेनेवरा का मामला (१९१२), आदि विशेष उल्लेखनीय हैं ।

अध्याय ३२

२. अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय

[The Permanent Court of International Justice]

न्यायालय की उत्पत्ति :—अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय सन् १९२१ में लीग ऑफ नेशन्स की प्रतिज्ञा के, जिस पर वार्सलीज में जून २८ सन् १९१९ को हस्ताक्षर किये गये, अनुच्छेद १४ के अनुसार स्थापित किया गया । उस अनुच्छेद में यह व्यवस्थापित है .—

“परिषद् लीग के सदस्यों द्वारा ग्रहण किये जाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के स्थापनार्थ योजनाएँ बनायेगी तथा उनको समर्पित करेगी” ।
“The Council shall formulate and submit to the members

न्यायाधिकरणों को सगठित करने में सुविधा प्रदान करने की एक युक्ति है। यह स्थायी केवल इस अर्थ में है कि एक तालिका स्थायी रूप से प्राप्य है।

विवाचक निर्णय — सन् १९०० तथा १९३२ के बीच में हेग के विवाचन के स्थायी न्यायालय द्वारा बीस निर्णय दिये गये जिनमें सयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच का उत्तरी अटलांटिक मत्स्यालयों का झगडा (१९१०), सावरकर का मामला (१९११), नीर्वे तथा सयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में नीर्वे के जहाजों के प्रथम महायुद्ध में अधिवाचन सम्बन्धी मामला (१९२२) सम्मिलित हैं।

न्यायाधिकरण के समक्ष के कुछ मामले

१. उत्तरीय अटलांटिक मत्स्यालयों का मामला (१९१६) — जनवरी २७, सन् १९०६, को एक विशेष स्वीकार पत्र लिखा गया जिसके द्वारा अमेरिका तथा ब्रिटेन की सरकारें इस बात पर सहमत हो गयी कि कुछ प्रश्नों को हेग के विवाचन के स्थायी न्यायालय के सदस्यों में से चुने गये विवाचन न्यायाधिकरण के निर्णय पर छोड़ दिया जाय। सयुक्त राज्य अमेरिका यह दावा करता था कि उपरोक्त न्यूफाउण्डलैंड के कुछ भागों से मछली लेने का अधिकार है तथा यह भी दावा किया कि मत्स्यालयों के सम्बन्ध में विनियम, कैनाडा, ग्रेट ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सयुक्त रूप से बनाया जाना चाहिये न कि ग्रेट ब्रिटेन तथा कैनाडा द्वारा अकेले। न्यायाधिकरण ने अपने पचाट में यह प्रकट किया कि सयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई मत्स्यालयों की स्वतन्त्रता से उनके पक्ष में कोई अन्तर्राष्ट्रीय दाम्त्व उत्पन्न नहीं होता। इसने यह भी मत प्रकट किया कि ग्रेट ब्रिटेन का सयुक्त राज्य अमेरिका की सम्मति के बिना विनियम बनाने के अधिकार का उपयोग इस बात पर सीमित था कि ऐसे विनियम भाव युक्त होने चाहिये तथा उनको सन् १८१८ की संधि का उल्लंघन न करना चाहिये।

२. सावरकर का मामला (१९११) :— सावरकर एक भारतीय नेता, जो ब्रिटेन के डाक जहाज मोरिया में बन्दी के रूप में इंग्लैण्ड से भारत को ले जाये जा रहा था, का जब जहाज मार्सलीज पहुँचा तो वे भाग गये। वह फ्रांस की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तथा जहाज के कप्तान को, बिना प्रत्यक्ष सम्बन्धी कार्यवाही किये, हस्तगत कर दिया गया। फ्रांस की यह माँग कि भागे हुये बन्दी वापस कर दिया जाय ब्रिटेन की सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी। विवाचन के स्थायी न्यायालय के पाँच सदस्यों से बने हुये न्यायाधिकरण विचार के लिये उपस्थित हुआ वह यह था कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि अनुसार भागा हुआ बन्दी फ्रांस की सरकार को वापस कर दिया

‘कार्यरूप में परिणत करना बड़ा ही कठिन, समय नष्ट करने वाला तथा अधिक अप्रत्यक्ष था’ तथा “न्यायशास्त्र के समूह को एकत्रित करने का कोई आधार नहीं था” । यद्यपि १९०७ की प्रतीति द्वारा एक ऐसे न्यायालय का संगठन अपेक्षित था जो स्वतंत्र हो, सुविधा से प्राप्त हो और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बना हो जो विश्व की विभिन्न न्यायिक पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करते हो तथा विवाचन न्याय शास्त्र में अविच्छिन्नता सुनिश्चित करने के लिये योग्य हो, तथापि जो न्यायाधिकरण हेतु में बना वह एक स्थायी न्यायालय नहीं था । इसके न्यायाधीश भी स्थायी पदाधिकारियों के वर्ग में नहीं थे । वास्तव में न्यायाधिकरण को न्यायालय केवल सीज यथा से कहा जा सकता था । यह कवल एक उपाय ‘तदर्थ’ (ad hoc) न्यायाधिकरणों को संगठन करने का था । इसके विपरीत भारतीय न्याय का स्थायी न्यायालय एक स्थायी न्यायालय था जिसमें न्यायाधीशों तथा पदाधिकारियों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए थी । यहाँ राज्यों को अपने न्यायाधीशों को एक सूची में छानने का विकल्प नहीं था जैसी दशा कि विवाचन के स्थायी न्यायालय में थी ।

न्यायालय की पहुँच (Access to Court) — सविधि के अनुच्छेद ३४ में यह व्यवस्था की गई थी कि केवल राज्य अथवा लीग आफ नेशन्स के सदस्य न्यायालय के समक्ष मामलों में पक्षकार हो सकते थे । अनुच्छेद ३५ ने न्यायालय को लीग आफ नेशन्स के सदस्यों तथा उन राज्यों के लिये खोल दिया जो प्रतिज्ञापत्र की अनुसूची में उल्लिखित थे, किन्तु लीग आफ नेशन्स के उन सदस्यों के लिये नहीं जो दिसम्बर ६, सन् १९२० के हस्ताक्षरक मसौदे में पक्षकार हुए थे ।

न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the Court) — सविधि के अनुच्छेद ३६ के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वे सब मामले आते थे जिनमें किसी भगड़े का पक्षकार उसे निर्दिष्ट करे चाहे उस समय उसका प्रवर्तन किसी संधि अथवा प्रतिज्ञापत्र के विशेष प्रतिबंध के अधीन अथवा एक घोषणा द्वारा जिसमें न्यायालय का क्षेत्राधिकार “अनिवार्य स्वतः सिद्ध तथा बिना किसी विशेष स्वीकार पत्र के” स्वीकार किया गया हो । अनुच्छेद ३७ में यह व्यवस्था की गयी थी कि जब उस समय उसका प्रवर्तन किसी संधि अथवा प्रतिज्ञापत्र में यह अनुबन्धित हो कि किसी विषय को लीग आफ नेशन्स द्वारा संगठित किये गये न्यायाधिकरण में निर्देशित किया जाय तो उस दशा में न्यायालय ही सम्यक् न्यायाधिकरण था । यह भी व्यवस्था की गई थी कि सदस्यगण वैकल्पिक खंड को एक भिन्न मसौदे पर हस्ताक्षर करके स्वीकृत कर ले जिस पर हस्ताक्षर से यह भाव प्रकट होता था कि निम्नलिखित विषयों पर न्यायालय में निर्णय किया जाय अर्थात् —

of the League for adoption plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice") । इसके अनुसार परिषद् ने फरवरी १३, सन् १९२० को कुछ सुविख्यात न्यायविशारदों को न्यायालय के स्थापनार्थ योजनाएँ बनाने तथा परिषद् को प्रतिवेदित करने के लिए एक समिति बनाने के लिये निमंत्रित किया । इस पर उन्होंने एक योजना बनायी जो मुख्यतः परिषद् तथा सभा द्वारा ग्रहण की गयी ।

न्यायालय के सदस्यगण — न्यायालय सभ्या में १५ स्वतंत्र विचार के न्यायाधीशों का एक समूह था जिसमें उनकी राष्ट्रीयता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था और ये लोग उन व्यक्तियों में से होते थे जो उच्च नैतिक चरित्र के थे तथा अपने-अपने देश में सर्वोच्च न्यायिक पद में नियुक्ति की योग्यता रखते थे । वे नौ वर्षों के लिये निर्वाचित होते थे तथा पुनः निर्वाचित हो सकते थे । विवाचन के न्यायालय में जातीय वर्गों द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्तियों की सूची में से न्यायाधीशों का निर्वाचन सभा तथा परिषद् को सौंपा गया था । किसी निर्वाचन के लिए मतों का पूर्ण बहुमत होना आवश्यक था । निर्वाचन केवल उसी दशा में निरिचन माना जाता था जब प्रार्थी उसे स्वीकृत कर ले । उपबन्ध के अनुच्छेद ३१ में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी पक्षकार के जातीय न्यायाधीशों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में बैठन का अधिकार है ।

न्यायालय नौ न्यायाधीशों की गणपूर्ति (कोरम) से बनता था ।

अनुच्छेद २१ में यह व्यवस्था की गई कि न्यायालय अपना सभापति तथा उप-सभापति तीन वर्ष के लिये निर्वाचित कर लेगा और एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा ।

न्यायालय का स्थान हग में स्थापित किया गया ।

न्यायालय ने फरवरी १५, सन् १९२२ को १५ सदस्यों से अर्थात् ११ न्यायाधीशों तथा ४ उप-न्यायाधीशों से उस समय कार्य करना आरम्भ किया जब उन्होंने शपथ ग्रहण की ।

राजनैतिक विशेषाधिकार :—सर्विधि के अनुच्छेद १८ में यह व्यवस्था की गई थी कि "न्यायालय के सदस्यगण जब ये न्यायालय के कार्य में लगे हों राजनैतिक विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ या उपभोग करेंगे ।"

विवाचन न्यायालय पर सुधार : (Improvement on the Arbitration Court) — अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय विवाचन के स्थायी न्यायालय पर एक स्पष्ट गुहार था । यह एक उचित पथन था कि विवाचन न्यायालय को जिसका विचार सन् १८६६ की प्रतिज्ञा में सामने रखा गया था,

“व्यवस्थापन में परिणत करना बड़ा ही कठिन, समय नष्ट करने वाला तथा अधिक अपेक्षणीय था” तथा “न्यायशास्त्र के समूह को एकत्रित करने का कोई आधार नहीं था” । यद्यपि १९०७ की प्रतिज्ञा द्वारा एक ऐसे न्यायालय का संगठन अपेक्षित था जो स्वतन्त्र हो, सुविधा से प्राप्त हो और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बना हो जो विश्व की विभिन्न न्यायिक पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करते हों तथा विवाचन न्यायशास्त्र में अविच्छिन्नता सुनिश्चित करने के लिये योग्य हों, तथापि जो न्यायाधिकरण हेतु में बना वह एक स्थायी न्यायालय नहीं था । इसके न्यायाधीश भी स्थायी पदाधिकारियों के वर्ग के नहीं थे । वास्तव में न्यायाधिकरण को न्यायालय केवल सौजन्यता से कहा जा सकता था । यह केवल एक उपाय ‘तदर्थ’ (ad hoc) न्यायाधिकरणों को संगठन करने का था । इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय एक स्थायी न्यायालय था जिसमें न्यायाधीशों तथा पदाधिकारियों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए थी । यहाँ राज्यों को अपने न्यायाधीशों को एक सूची में छानने का विकल्प नहीं था जैसी दशा कि विवाचन के स्थायी न्यायालय में थी ।

न्यायालय की पहुँच (Access to Court) —सविधि के अनुच्छेद ३४ में यह व्यवस्था की गई थी कि केवल राज्य अथवा लीग आफ नेशन्स के सदस्य न्यायालय के समक्ष मामलों में पक्षकार हो सकते थे । अनुच्छेद ३५ ने न्यायालय को लीग आफ नेशन्स के सदस्यों तथा उन राज्यों के लिये खोल दिया जो प्रतिज्ञापत्र की अनुसूची में उल्लिखित थे, किन्तु लीग आफ नेशन्स के उन सदस्यों के लिये नहीं जो दिसम्बर ६, सन् १९२० के हस्ताक्षर के मसौदे में पक्षकार हुए थे ।

न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the Court):—सविधि के अनुच्छेद ३६ के अन्तर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वे सब मामले आते थे जिनमें किसी झगड़े का पक्षकार उसे निर्देशित करे चाहे उस समय उसका प्रवर्तन किसी संधि अथवा प्रतिज्ञा-पत्र के विशेष प्रतिबन्ध के अधीन अथवा एक घोषणा द्वारा जिसमें न्यायालय का क्षेत्राधिकार “अनिवार्य स्वतःसिद्ध तथा बिना किसी विशेष स्वीकार-पत्र के” स्वीकार किया गया हो । अनुच्छेद ३७ में यह व्यवस्था की गयी थी कि जब उस समय उसका प्रवर्तन किसी संधि अथवा प्रतिज्ञा-पत्र में यह अनुबन्धित हो कि किसी विषय को लीग आफ नेशन्स द्वारा संगठित किये गये न्यायाधिकरण में निर्देशित किया जाय तो उस दशा में न्यायालय ही सम्पूर्ण न्यायाधिकरण था । यह भी व्यवस्था की गई थी कि सदस्यगण वैकल्पिक खड को एक भिन्न मसौदे पर हस्ताक्षर करके स्वीकृत कर ले जिस पर हस्ताक्षर से यह आशय प्रकट होता था कि निम्नलिखित विषयों पर न्यायालय में निर्णय किया जाय अर्थात् :—

(१) किसी सन्धि की व्याख्या (The Interpretation of a Treaty),

(२) अन्तर्राष्ट्रीय विधि क कोई प्रश्न (Any Question of International Law),

(३) किन्हीं तथ्यों (facts) का अस्तित्व जिनके प्रमाणित होने पर अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन हो जाये (The existence of any fact, which, if proved, would involve a breach of international obligation),

(४) अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य के उल्लंघन के लिये जो क्षतिपूर्ति की जाय उसका स्वरूप तथा विस्तार (The nature or extent of the reparation to be made for breach of an international obligation)।

बीस से अधिक राष्ट्रों ने इस मसौदा का स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार ने न्यायालय का क्षेत्राधिकार सन् १९२७ में कुछ नियमों के साथ स्वीकार किया।

न्यायालय अपनी परामर्शदात्री सम्मति स्वतः नहीं दे सकता था। न्यायालय केवल उसी दशा में कार्य कर सकता था जब कोई प्रार्थना उसके अधिकार क्षेत्र में होती थी और यह क्वचन उसी स्थिति में सम्भव था जब परिषद् अथवा लोग आफ नेशन्स की सभा ऐसा करे।

न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली विधियाँ — सविधि के अनुच्छेद ३८ में चार वग के विधि के स्रोत दिये गये थे जिनको लागू करने के लिये न्यायालय को निर्देशित किया गया था। वे निम्नवत् थे —

(१) अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Conventions),

(२) अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ (International Custom),

(३) सम्य राज्यों द्वारा विधि के स्वीकृत सामान्य सिद्धान्त (General Principles of Law accepted by civilized States), और

(४) न्यायिक निर्णय तथा भिन्न भिन्न राष्ट्रों के उच्च विद्वानों के उपदेश (Judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists of the various nations)।

स्थायी न्यायालय के प्रमुख निर्णय

१ एस० एम० विन्डेलडन [(1923) P C I J Ser A No 1] — २१ मार्च, सन् १९२१ का विन्डेलडन नामक एक विवादायक के जहाज को जर्मन प्राधिकारियों द्वारा कील नहर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वासलीज की सन्धि व अनुच्छेद ३८० के अर्थ के अंतर्गत जर्मनी के विन्डेलडन को कील नहर में निकल जाने की अनुमति देनी चाहिये थी

क्योंकि सन्धि में यह दिया गया है कि कोल नहर उन सभी राष्ट्रों के व्यापारी तथा जमीन जहाजों के लिये स्वतन्त्र रूप से खुली रखी जायगी जिनकी कि जर्मनी के साथ सन्धि है।

२. पोलैंड में जर्मन निवासी (German Settlers in Poland) :—

लीग ऑफ नेशन्स की कौन्सिल ने न्यायालय के समान परामर्श के लिये जर्मन निवासियों की समस्याओं को पोलैंड में बसे हुए थे, रखा। न्यायालय का निष्कर्ष था कि "यहाँ तक कि वे लोग जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में एक सामान्य सिद्धान्त के रूप में राज्य के उत्तराधिकार का दावा करते हैं, यह नहीं कहते कि वैयक्तिक अधिकार जिनमें कि राज्य से प्राप्त अधिकार भी सम्मिलित हैं, जहाँ तक कि सम्प्रभुता में उत्तराधिकार के विरुद्ध हैं, अवैध है।"

३. पोलैंड प्रवर साइलेसिया का मामला (Polish Upper Silesia Case) — पोलैंड प्रवर साइलेसिया के मामले में जर्मन हिता का ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अपनाया, जो कि भले ही अन्ततः जिनेवा अभिसमय का एक अंग बना।

४. एस० एस० लोटस [(1927) P. C. I. J. Ser. A No 10] —

अगस्त २, सन् १९२६ को फ्रांसीसी डाक जहाज लाटस तथा टर्की के कायला डाने वाले जहाज बोज कोर्ट के बीच में टक्कर हा गई जिसके परिणामस्वरूप टर्की के आठ जातीय जनो को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। न्यायालय ने यह कथन किया कि "अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्वतन्त्र राज्यों के बीच के सम्बन्धों को अनुशासित करती है। अतः राज्यों पर बाध्यकारी विधियाँ उन्हीं की स्वतन्त्र इच्छा से उत्पन्न होनी हैं जो प्रतिज्ञाओं द्वारा अथवा रूढ़ियों द्वारा प्रकट की जाती हैं जिन्हें विधि के सिद्धान्तों का द्योतक माना जाता है तथा जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये माय साथ रहने वाला स्वतन्त्र जातियों के बीच के सम्बन्धों को नियमित करने के लिये स्थापित की गई हैं। अतः राज्यों की स्वतन्त्रता पर बन्धना वा अनुमान नहीं किया जा सकता।" न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि तुर्कों ने तुर्की विधि के अनुसार लेफि-नॉट डेमो पर जो टक्कर के समय लोटस जहाज पर पहरे का पदाधिकारी था, दार्डि-कार्यवाहियों चलाकर अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य नहीं किया था। अपराध जिसके लिये लेफि-नॉट डेमो के विरुद्ध अभियोगन चलाया गया था एक असावधानी तथा भ्रविक्क का कार्य था जो लाटस जहाज पर उत्पन्न हुआ और उसका परिणाम बोजकोर्ट पर प्रकट हुआ। यह दोनों तथ्य ऐसे हैं कि वे वैधिक रूप से पूणत प्रविभेद हैं यहाँ तक कि उनके पृथक् करने से अपराध का अस्तित्व ही लुप्त हो जायगा और ऐसी स्थिति में दोनों राष्ट्रों में से प्रत्येक इन घटना के सम्बन्ध में पूर्णरूप से क्षेत्त्राधिकार का उपयोग कर सकता है।

५. कोरजो की फैक्ट्री से सम्बन्धित मामला (The Case concerning the Factory of Chorzow) :—न्यायालय का मत था “यह एक विधि का सिद्धान्त है कि किसी करार के भंग करने में प्रतिकार का घाभार सम्मिलित है। यदि किसी अभिसमय को पूरा न किया गया तो उसकी क्षति-पूर्ति उसके द्वारा होगी।”

अन्य मामले अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय द्वारा निर्णीत कुछ अभियोगों में प्रमुख निम्नलिखित हैं—डैन्जिग और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्घ, पूर्वोप ग्रीनलैंड का मामला, ग्रेको टर्किश समझौते की व्याख्या, मेमेल की सविधि (Statute of Memel) की व्याख्या, लीसान की सन्धि की व्याख्या, डैन्जिग के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, मलवानिया के मत्पसख्यको और ट्यूनिश और मोरक्को की राष्ट्रीयता सम्बन्धित डिग्रियाँ, डैन्जिग में पोलैंड के नागरिकों का व्यवहार, डैन्जिग में पोलैंड की डाक व्यवस्था और रोबर्ट और के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, आदि।

अध्याय ३३

३. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

(The International Court of Justice)

इसकी उत्पत्ति—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का अंग है क्योंकि इसकी सविधि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के चार्टर का एक अभिन्न अंग है। इसका परिणाम यह है कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सब सदस्य सविधि के स्वन पक्षकार हैं। केवल इसी अर्थ में यह अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय से भिन्न है क्योंकि यह वैधिक रूप से लीग ऑफ नेशन्स का अंग नहीं था और उसकी सविधि प्रतिज्ञा-पत्र से भिन्न एक पृथक् अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकार पत्र था। इसका व्यवस्थान प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के व्यवस्थान की अक्षरशः प्रतिलिपि है।

द्वितीय महायुद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के कार्य में, विशेषतः जर्मनी द्वारा होलैण्ड के कारागार, अन्नमञ्जु किया, किन्तु दो महायुद्धों के बीच में इसके कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास करने तथा झगड़ों का शान्तिपूर्वक समाप्ती प्राप्त करने की क्षमता के कारण एक नई आशा का संचार किया। इसके निर्णय इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि इसने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के जटिल

प्रश्नों की गुत्थियों को सुलझा कर अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने का निष्कपट प्रयास किया। अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्थायी न्यायालय अन्न में लीग आफ नेशन्स की अन्तिम सभा द्वारा अप्रैल सन् १९४६ में विधित्त कर दिया गया। इसके पूर्व संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के चार्टर ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के मुख्य अंग के रूप में स्थापित किए जाने की व्यवस्था पहले से ही कर ली थी। वर्तमान न्यायालय की बैठक हेग में सर्वप्रथम अप्रैल ३, सन् १९४६ को हुई।

चार्टर के अनुच्छेद ९२ में यह विशेष रूप से उल्लिखित है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का मुख्य न्यायिक अंग होगा और सलग्न सबिधि के अनुसार कार्य करेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के व्यवस्थान पर आधारित है।

न्यायालय का संगठन:—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के समान पन्द्रह न्यायाधीश एक सभापति तथा एक उप-सभापति के अधीन होते हैं जो न्यायालय के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से निर्वाचित किये जाते हैं। न्यायालय के न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की सुरक्षा परिषद् तथा साधारण सभा द्वारा उन उम्मीदवारों में से निर्वाचित होते हैं जो पहले विवाचन के स्थायी न्यायालय के जातीय वर्गों द्वारा मनोनीत किये गये हैं। न्यायाधीश उनकी जातीयता की अपेक्षा किये बिना उन व्यक्तियों में से छाटे जाते हैं जो बहुत उच्च नैतिक चरित्र के हों तथा जो ऐसी योग्यता रखते हों जो उनके अपने देश में सबसे उच्च न्यायिक पद की नियुक्ति के लिये अपेक्षित हों अथवा जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले न्याय-विशारद हों, किन्तु इस बात के स्पष्ट अनुबन्ध हैं कि कोई भी न्यायाधीश उसी राष्ट्र के जातीयजन नहीं हो सकते। वे न तो कोई राजनैतिक अथवा प्रशासकीय कृत्य कर सकते हैं और न व्यावसायिक रूप के किसी कार्य में लग सकते हैं। न्यायालय के न्यायाधीश नौ वर्ष के लिये निर्वाचित किये जाते हैं और उनका पुनः निर्वाचन हो सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सबिधि के अनुच्छेद ३१ में ऋग्दे के प्रत्येक पक्षकार के जातीय न्यायाधीशों को यह अनुशा दी गई है कि वे न्यायालय के समक्ष मामले में अपने बैठने के अधिकार को बनाये रखें। यदि न्यायालय न्यायसभा में केवल एक ही पक्षकार का न्यायाधीश है तो दूसरे पक्षकार को यह अधिकार है कि वह अपने ही मनोनीत व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित करे। यदि न्यायालय न्याय-सभा में पक्षकारों के जातीय कोई न्यायाधीश सम्मिलित नहीं हैं तो प्रत्येक पक्षकार अपनी इच्छा के अनुसार किसी न्यायाधीश को मनोनीत कर सकता है।

न्यायालय के बैठने का स्थान हेग में स्थापित किया गया है किन्तु जब कभी इसे वांछनीय हो तो न्यायालय अन्य स्थान में भी बैठ सकता है ।

न्यायालय की क्षमता (Competence of the Court) :—संविधि के अनुच्छेद ३४ के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि न्यायालय के समस्त राज्य ही पक्षकार के रूप में प्रकट होंगे । इस नियम की दृढ़ता आगे के दो अनुच्छेदों द्वारा कुछ कम हो गई है । पहले तो नियमों के अन्तर्गत सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से न्यायालय निवेदन करेगा जिसमें मामलों की सूचना दी जायेगी और ऐसी सूचनाएँ वह ऐसे संगठनों द्वारा उन्हीं की इच्छा के आधार पर प्राप्त करेगा । संविधि में सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा नहीं दी गई है । ओपेनहेम इसकी परिभाषा करते हुए इसे "A body created by a treaty between states and composed, at least in part, of representatives of states", कहते हैं, अर्थात् यह एक ऐसा संगठन है जो कि इसे निमित्त करने वाले राज्यों के बीच की सन्धि के आधार पर कम से कम अंश रूप में ही राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा निमित्त है । दूसरी बात यह है कि जब कभी सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ को निमित्त करने वाले तथ्यों या किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को स्वीकृत करने का प्रश्न न्यायालय के समक्ष आता है तो रजिस्ट्रार इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक सङ्घ की विज्ञप्ति करेगा और इसकी समस्त लिखित कार्यवाहियों की सूचना देगा ।

न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the Court) :— न्यायालय उन राज्यों के ऊपर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है जो संविधि के पक्षकार हैं तथा उन राज्यों पर जो न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास एक घोषणा जमा कर दे जिसमें चार्टर के अनुसार न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्वीकृति व्यक्त हो तथा यह प्रतिज्ञा की गई हो कि वे न्यायालय के निर्णयों का सद्भावनापूर्वक पालन करेंगे और चार्टर के अनुच्छेद ६४ के अनुसार कर्तव्यों को स्वीकृत किया गया हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के चार्टर का अनुच्छेद ६४ निम्नलिखित है—

"संयुक्त राष्ट्र सभ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि किसी मामले में जिसमें वह पक्षकार हो वह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करेगा ।" Each member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party."

न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन भागों में विभाजित है, अर्थात् [१] ऐच्छिक, [२] अनिवार्य तथा, [३] मंत्रणा ।

१ ऐच्छिक क्षेत्राधिकार (Voluntary Jurisdiction) — न्यायालय की सविधि के अनुच्छेद ३६ में यह उपबन्धित है कि इसके क्षेत्राधिकार के अन्दर वे सब मामले आते हैं जो पक्षकार न्यायालय की स्वीकारोक्ति द्वारा निर्दिष्ट करे। भगड़े को निर्दिष्ट करने की स्वीकारोक्ति दोनों पक्षकारों द्वारा की जा सकती है अथवा केवल एक पक्षकार मामले को निर्दिष्ट करे और दूसरा पक्षकार निर्दिष्ट के लिये अपनी सहमति प्रकट करे।

२ अनिवार्य क्षेत्राधिकार (Obligatory Jurisdiction) — अनुच्छेद ३६ के खंड २ में यह उपबन्धित है कि वे राष्ट्र जो वर्तमान सविधि क पत्रकार हैं किसी समय भी यह घोषणा कर सकते हैं कि वे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अनिवार्य स्वतः सिद्ध तथा उसी कर्तव्य को स्वीकार करने वाले किमी अथ राज्य के सम्बन्ध में किसी विरोध स्वीकारोक्ति बिना निम्नलिखित से सम्बन्धित सब वैधिक भगड़ों में स्वीकार करते हैं।

(अ) किमी सन्धि की व्याख्या (The interpretation of a treaty),

(आ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि का कोई प्रश्न (Any Question of International Law),

(इ) किसी तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाय। (Existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation), और

(ई) किसी अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप तथा परिमाण। (Nature and extent of the reparation for the breach of an international obligation),

राज्या द्वारा की गई उपरोक्त घोषणा स्वीकारोक्ति द्वारा अनिवार्य क्षेत्राधिकार को व्यवस्था करती है क्योंकि न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल उसी दशा में कर सकता है जब भगड़े के दोनों पक्षकारों ने घोषणा की हो जैसा अनुच्छेद ३६ के खंड २ में उपबन्धित है।

सविधि में यह उल्लिखित है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की सविधि के पुराने वैकल्पिक वाक्यखण्ड के अन्तर्गत की गई घोषणाओं से यह समझा जायेगा कि वर्तमान न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार की स्वीकृति कर ली गई है। वर्तमान न्यायालय के बनने के समय १७ राज्यों की घोषणाएँ उस समय प्रवृत्त थीं जो इसको अन्तर्हित कर दी गयीं। अधिकांश घोषणाएँ प्रदला-बदली की शर्त के अधीन हैं अथवा उनमें कुछ निग्रह है।

न्यायालय का अनिवार्य अथवा आवश्यक क्षेत्राधिकार भी उस दशा में है जब सम्बन्धित पक्षकार किसी ऐसी प्रतिज्ञा से बद्ध हो जिसके अधीन उन्होंने उस मामले को किसी न्यायाधिकरण को निदिष्ट करने के लिये स्वीकृत दी हो जो सीण आफ नेशनस द्वारा बनाया जाने वाला या अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय को निदिष्ट करने के लिये स्वीकृत दी हो और व्यवस्थान के अनुच्छेद ३७ के अनुसार ऐसे विषय स्वतः अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को निदिष्ट किये जाते हैं। न्याय सम्बन्धी स्वीकारोक्तियाँ भी हैं जिनमें किसी स्वीकार-पत्र की व्याख्या अथवा उसके लागू किये जाने क सम्बन्ध में प्रशासकीय अधिकारी तथा समुक्त राष्ट्र सङ्घ क किसी अन्य सदस्य के बीच भगडा उठने में उस विषय को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में निदिष्ट किये जाने की व्यवस्था की गई है। इसके उपरान्त कुछ विशिष्ट अभिकरण भी हैं जिन्होंने भगडे को न्यायालय में निदिष्ट करने की व्यवस्था की है किन्तु यहाँ फिर यह कहा जा सकता है कि ऐसे मामले न्यायालय के समक्ष केवल उसी दशा में रचे जाते हैं जब प्रशासकीय अधिकारी तथा समुक्त राष्ट्र सङ्घ अथवा विशिष्ट अभिकरणों के बीच कोई स्वीकृति हो।

चार्टर में विशेष रूप से उपबोधित विषयों के सन्ध में उसके अनुच्छेद ३६ के खड ३ में यह उपबोधित है कि वैधिक भगडे सामान्यतः पक्षकारों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को न्यायालय की सविधि के अनुबन्धों के अनुसार निदिष्ट किये जाने चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सामान्य सिद्धान्त जहाँ तक न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित है इस प्रकार सक्षित किया जा सकता है। राज्यों को बिना उनकी सहमति के अपने भगडों को न्यायालय के समक्ष वादानुवाद करने को बाध्य नहीं किया जा सकता है और न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन मामलों तक सीमित है जो स्वेच्छा से इसके समक्ष रचे जाय, केवल उस दशा को छोड़कर जब भगडे के पक्षकारों में से एक ने अपने वा स्पष्टतया इस बात के लिये पहले से बद्ध कर दिया है कि वह किसी विशिष्ट भगडे अथवा भगडों के वर्ग के सम्बन्ध में न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार करेगा।

३. मंत्रणा क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) :— न्यायालय सुरक्षा परिषद् अथवा सामान्य सभा द्वारा इसको निदिष्ट किये गये वैध विषयों में परामर्शदाता का कार्य कर सकता है। समुक्त राष्ट्र सङ्घ के अन्य अंग तथा विशिष्ट अभिकरण भा सामान्य सभा द्वारा सज्ज किये जाने पर वैध प्रश्नों पर परामर्शदाता सन्मति माँग सकते हैं। इन विषय पर संयुक्त चार्टर का अनुच्छेद ६६ प्रवर्तित है जो कि निम्नलिखित है :—

१. साधारण सभा अथवा सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी वैध प्रश्न पर परामर्शदात्री सम्मति देने के लिये प्रार्थना कर सकती है ।

२. संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग तथा विशिष्ट अभिकरण भी सामान्य सभा द्वारा इस सम्बन्ध में कभी भी प्राधिकृत किये जाने पर अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न होने वाले वैध प्रश्नों पर न्यायालय की परामर्शदात्री सम्मति के लिये प्रार्थना कर सकते हैं ।

स्वीकार-पत्रों से अधिकांश में जिनके द्वारा कुछ विशिष्ट अभिकरण संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति घनिष्ठ संपर्क में कार्य करने के समक्ष होते हैं ऐसी व्यवस्थायें हैं जिनसे उन्हें प्राधिकृत किया गया है कि वे अपने-अपने कार्य-क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न होने वाले वैध प्रश्नों पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शदात्री सम्मति के लिये प्रार्थना कर सकते हैं ।

ऐसी परामर्शदात्री सम्मति पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं है किन्तु राज्य न्यायालय द्वारा इस प्रकार दी जाने वाली सम्मति के सम्बन्ध में अपने को पहले से ही सधि अथवा स्वीकार पत्र द्वारा बाध्य कर सकते हैं । यह उस संधि में किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों पर सामान्य प्रतिज्ञा के नाम से प्रसिद्ध है जिसकी धारा ३० में यह उपबन्धन है कि एक ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरी ओर से किसी सदस्य के बोच में वर्तमान प्रतिज्ञा की व्याख्या तथा उसके लागू किये जाने के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले सब मतभेद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को किसी वैध प्रश्न के सम्बन्ध में परामर्शदात्री सम्मति के लिये निर्दिष्ट किये जायेंगे और न्यायालय द्वारा दी हुई सम्मति पक्षकारों द्वारा निर्णायक स्वीकार की जायगी ।

परामर्श क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रक्रिया (Procedure with regard to exercise of advisory jurisdiction) :—ऐसा प्रश्न जिनके सम्बन्ध में न्यायालय से परामर्श मांगा जाता है लिखित निवेदन के माध्यम पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है । उसमें प्रश्न का ठीक-ठीक वक्तव्य होता है जिसमें कि परामर्श की आवश्यकता होती है । उसके साथ सभी लेख्यप्रमाण जो कि उस प्रश्न पर प्रकाश डाल सके, सलग्न होते हैं । रजिस्ट्रार उन सभी राज्यों से जिनके कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की संभावना रहती है उस निवेदन की परामर्श हेतु सूचना देता है । वह विशिष्ट और सीधे पत्र-व्यवहार द्वारा किसी राज्य को सूचना दे सकता है जिसे कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है या यह सूचना न्यायालय के विचार के अनुसार किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ को भी दी जा सकती है । राज्य और संघ जब लिखित या मौखिक वक्तव्य दे लेते हैं तो संघ के अन्य राज्यों

द्वारा उसकी व्याख्या होती है और रजिस्ट्रार समय के क्रम से ऐसे किसी भी लिखित वक्तव्य की सूचना राज्यों और सभों की समानान्तर वक्तव्य के रूप में दे सकता है। न्यायालय को अपनी सलाह खुले न्यायालय में देनी होती है। इसकी सूचना पहले से ही सयुक्त राष्ट्र सभ के महासचिव और सदस्य प्रतिनिधियों को दे दी जाती है। ये प्रतिनिधि दूसरे राज्यों और अन्तर्राष्ट्रीय सभों से तात्कालिक रूप में सम्बद्ध होते हैं। अपने परामर्शदात्री वक्तव्य के पालन में न्यायालय वर्तमान सविधि की भी सहायता लेता है।

न्यायाधीशों की उन्मुक्तियाँ (Immunities of the Judges) — न्यायाधीशों के सदस्य जब न्यायालय के कार्य में लगे हो राजनैतिक विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का उपभोग करते हैं। न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के अभिक्ता, अभिवक्ता तथा अधिवक्ता भी अपने-अपने वक्तव्यों के स्वतन्त्रतापूर्वक पालन के आवश्यक विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का उपभोग करते हैं। न्यायालय के सदस्यों तथा रजिस्ट्रार का वेतन, भत्ता तथा प्रतिकार सब कसों से उन्मुक्त हैं।

न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली विधि — सविधि के अनुच्छेद ३८ में यह व्यवस्था की गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार ऐसे झगड़ों का निर्णय करना है जैसा कि इसके समक्ष रखे जायें लागू करेगा :—

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों (International Conventions) को चाहे वे सामान्य हो अथवा विशेष जिनसे वे नियम स्थापित हो जो प्रतिस्पर्धी राज्यों द्वारा स्पष्टतया स्वीकृत किये गये हो।

(आ) अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियों (International Custom) को इस बात के साक्ष्य में कि कोई सामान्य प्रथा विधि के रूप में स्वीकृत है।

(इ) सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धान्त।

(ई) न्यायिक निर्णय तथा भिन्न-भिन्न राज्यों के अत्यन्त उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले लेखकों के उपदेश, विधि के नियमों को निश्चित करने के लिये सहायक उपायों के रूप में।

सविधि के अनुच्छेद ५९ के अनुसार न्यायालय का निर्णय पक्षकारों तथा उस विशिष्ट मामले को छोड़ कर और कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता।

न्यायालय की प्रक्रिया (Procedure of the Court) — न्यायालय के समक्ष मामले या तो विशेष स्वीकारोचित की अधिसूचना द्वारा अथवा रजिस्ट्रार के नाम दिये गये एक लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा लाये जाते हैं। किसी झगड़े के निर्णय के लिये जब तक व्यवस्थान में अन्याय उपस्थित न हो पूरा न्यायालय बैठता है।

नौ न्यायाधीशों की गणपूर्ति (फोरम) से न्यायालय बनता है । सब प्रश्न, निर्णय को सम्मिलित करते हुए, बहुसंख्या से निर्णित होते हैं । मतों के समान होने की दशा में समाप्ति अथवा उस न्यायाधीश को जो उसका स्थान में कार्य करता है निर्णायक मत देने का अधिकार है । निर्णय अन्तिम होता है और उसकी अपील नहीं होती । निर्णय का पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा केवल उसी दशा में किया जाता है जब कोई तथ्य इस प्रकार का उपलब्ध हो जो निर्णायक तथ्य के रूप में हो तथा जो निर्णय देने के समय न्यायालय को तथा पुनरीक्षण चाहने वाले पक्षकार को अज्ञात रहा हो, किन्तु उपबन्ध यह है कि ऐसी अज्ञानता असावधानी के कारण न हुई हो । निर्णय के लिये कारण दिए जाते हैं । जैसा ऊपर कहा जा चुका है न्यायालय के निर्णय उत्तरवर्ती मामलों में वैध रूप से बाध्यकारी नहीं हैं और प्रत्येक निर्णय अपने ही तथ्यों पर रहता है । न्यायालय यदि ऐसा करना चाहे तो अपने पूर्ववर्ती निर्णयों की आत्महानि के बिना उनकी उपेक्षा कर सकता है । न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी है किन्तु न्यायालय अन्य भाषा का भी प्रयोग अधिकृत कर सकता है ।

अन्तरिम अथवा अन्तःकालीन उपाय (Interim or Provisional Measures) :—न्यायालय की सविधि के अनुच्छेद ४१ में उन अन्तःकालीन उपायों की व्यवस्था की गई है जिन्हें न्यायालय झगड़े के निर्णय के अलंबित रहने तक निर्दिष्ट करे । इसमें लिखा है —

१. न्यायालय को यह अधिकार होगा कि यदि वह निश्चय करे कि परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित है तो कोई अन्तःकालीन उपाय बतावे जो प्रत्येक पक्षकार के यथाक्रम अधिकारों के सुरक्षण के लिए करना चाहिये ।

२ अन्तिम निर्णय के अलंबित रहने तक प्रस्तावित उपायों का नोटिस तत्काल पक्षकारों को तथा सुरक्षा परिपद को दे दी जायेगी ।

आग्ल-ईरानी तेल कम्पनी का मामला (I C J Report 1952, p 93) —फारस के तेल उद्योग राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी आग्ल-ईरानी झगड़े में ब्रिटेन ने आग्ल-ईरानी कम्पनी के साथ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह प्रार्थना-पत्र दिया कि फारस में उसके अधिकारों की रक्षा के लिये मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय होने तक अन्तःकालीन उपाय अवलम्बन किये जायें । इसी बीच में फारस ने अपनी जून २६ सन् १९५१ को जारी की गई डिग्री के आधार पर आग्ल-ईरानी तेल उपकरणों के अभिग्रहण का आदेश दिया । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने जुलाई ५, सन् १९५१ के निर्णय द्वारा ब्रिटिश सरकार की इस

प्रार्थना का समर्थन किया कि फारस के तेल के भण्डे में स्थिति यथापूर्व रहने दी जाय। न्यायालय ने अपने बहुमत की सम्मति से यह निर्णय किया कि दानो सरकारें ऐसे उपायो का प्रबलम्बन करने से अपने को अलग रखें जिनसे तेल का बहाव उस आधार पर रुक जाय जैसा कि यह १ मई से पहले था जब फारस ने राष्ट्रीयकरण विधि को पारित किया। न्यायालय ने यह संस्तुति की कि यह निश्चित करने के लिये कि तेल-उद्योग बराबर बिना बाधा के जारी रहेगा एक निरीक्षक बोर्ड बने जिसमें प्रत्येक सरकार के दो-दो सदस्य रहे तथा एक पाचवाँ भी हो जो एक तीसरे राष्ट्र का जातीय जन हो और ब्रिटेन तथा फारस की स्वीकृति से चुना गया हो।

फारस सरकार ने अंग्ल-ईरानी तेल प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर अस्वीकार किया कि न्यायालय को इस विषय में कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, क्योंकि आदेश का अर्थ वास्तव में एक सार्वभौमिक राज्य के विरुद्ध एवं आदेश था जिसके द्वारा उसे आदेश दिया गया था कि अपने आन्तरिक मामलो की न्यायालय के निर्देशानुसार व्यवस्था करे।

इस बीच में ब्रिटेन ने इस विषय को सुरक्षा परिषद् को निर्देशित कर दिया और वह इस बात पर सहमत हो गई कि फारस के विरुद्ध ब्रिटेन की शिकायत पर वादानुवाद करे। अक्टूबर १९, सन् १९५१ को सुरक्षा परिषद् ने अंग्ल-फारस तेल भण्डे पर वादानुवाद उस समय तक स्थगित कर दिया जब तक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय यह निर्णय न करे कि वास्तव में वह अंग्ल-फारस तेल भण्डे को निबटाने के लिये सक्षम है अथवा नहीं। जुलाई २२, सन् १९५२ को न्यायालय ने पाँच के विरुद्ध नो वोटो से यह निर्णय किया कि वह ब्रिटेन के इस आरोप का विचार नहीं कर सकता कि फारस ने अंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी की ५० लाख पौंड स्टर्लिंग की फारसी सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन किया। इसके अनुसार न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह अंग्ल-फारस तेल-भण्डे को निबटाने में सक्षम नहीं है और फारस के विरुद्ध ब्रिटेन की इस शिकायत का अस्वीकृत कर दिया कि उसने ब्रिटिश स्वत्वाधिकार वाले तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया।

न्यायिक निर्णय का निष्पादन (Execution of Judicial Decisions) :—अब हम अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के निष्पादन के प्रश्न पर आते हैं। न्यायालय की सविधि न्यायिक निर्णयों को प्रवर्तन करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं करती। जो कुछ व्यवस्था सयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के अनुच्छेद ९४ में दी गई है, वह यह है :—

“यदि किसी मामले का पक्षकार न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अधीन इसके द्वारा प्रतिपाद्य किसी कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहे तो अन्य पक्षकार सुरक्षा परिषद् के पास जा सकता है, जो कि यदि वह आवश्यक समझे तो उन उपायों का अभिस्ताव कर सकती है अथवा निर्णय कर सकती है जो निर्णय प्रभावित करने के लिए करना चाहिये।” “If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.”

उपरोक्त व्यवस्थायें सुरक्षा परिषद् के लिये यह आवश्यक नहीं करती कि न्यायालय के निर्णयों को हठी पक्षकार के विरुद्ध प्रवर्तन करे। वे कवल सुरक्षा परिषद् के पास एक अपील की प्रक्रिया को प्रकट करती हैं, जो निर्णय को प्रभावित करने के लिए जिन उपायों का अवलम्बन करना चाहिये उनका अभिस्ताव करे या निर्णय करे। सुरक्षा परिषद् के अभिस्तावों के लिये ७ (तथा, अब, अनुच्छेद २७ के सशोधन के पश्चात्, १०) सदस्यों का बहुमत अपेक्षित है जिसमें स्थायी सदस्यों के वोट भी सम्मिलित हैं। यदि सुरक्षा परिषद् न्यायालय के निर्णय का प्रभावित करने के लिये प्रवर्तक उपायों का अवलम्बन करना चाहे तो ऐसा अधिन के अनुच्छेद ४१ अथवा ४२ के अन्तर्गत कर सकती है। अनुच्छेद ४१ में सुरक्षा परिषद् को यह प्राधिकृत किया गया है कि वह सैनिक बल प्रयोग का छोड़ कर ऐसे उपायों का अवलम्बन करे जिनमें आर्थिक सम्बन्ध, रेल समुद्र, डाक, टेलिग्राफ, रेडियो तथा अन्य यातायात साधना का तथा राजनैतिक सम्बन्धों का विच्छेद सम्मिलित है। अनुच्छेद ४२ उस दशा में लागू होता है जब सुरक्षा परिषद् यह विचार करती है कि अनुच्छेद ४१ में अनुबन्धित उपाय अपर्याप्त हैं और उस दशा में यह वायु, जल तथा स्थल सेनाओं द्वारा ऐसा कार्य कर सकती है जैसा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक हो। इस कार्य में ऐसे भी कार्य सम्मिलित हो सकते हैं जैसे प्रदर्शन, नाकाबन्दी इत्यादि। फिर भी वेल्सन का बयान है कि “इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि चार्टर में न्यायालय के निर्णय के अनुपालन न होने की दशा में अपील की प्रक्रिया दी हुई है यह विचार करना कठिन है कि ऐसे अनुपालन को शान्ति के विरुद्ध घमकी अथवा शान्ति को भंग करना कहा जाय।” (Hans Kelsen : The Law of United Nations, p 541)। अपेक्षित का कहना है कि “चार्टर के अनुच्छेद ६४ को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका सशोधन इस प्रकार हो जिससे कि सुरक्षा परिषद् का कार्य आदेशात्मक हो

जाय, न कि केवल अनुज्ञापक तथा इस विषय में सुरक्षा परिषद् का कार्य इसके स्थायी सदस्यों के मतवय होने की आवश्यकता के बन्धन से मुक्त हो जाय।"

(Oppenheim : International Law, Vol. II, p. 77).

न्यायालय के समक्ष मामले

१. कौफू चैनल वाला मामला (I. C. J. Reports 1949, p. 4) :—
 अक्टूबर २२, सन् १९४६ को कुछ ब्रिटेन के जंगी जहाजों को अल्बेनिया के प्रादेशिक जल भागों में सुरंगों के साथ टकराने के कारण क्षति पहुँची। नवम्बर १२ तथा १३ को ब्रिटिश नौसेना द्वारा अल्बेनिया के प्राधिकारियों की बिना सहमति प्राप्ति किये खाड़ी की सफाई किये जाने पर एक हाल ही में लगाई गई लंगड डाली हुई सुरंगों की लाइन उसी स्थान पर पाई गई जहाँ अक्टूबर में घडाके हुये थे। ग्रेट ब्रिटेन का यह भ्रांक्षेप था कि खाड़ी में सुरंगों की उपस्थिति के लिये अल्बेनिया उत्तरदायी था।

भागड़े के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्दिष्ट किये जाने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अक्टूबर सन् १९४६ को अल्बेनिया के जल भागों में हानि वाले घडाको के लिये तथा उसके फनस्वरूप उत्पन्न होने वाली क्षति तथा मानव जीवन की हानि के लिए अल्बेनिया की जनता का गणतन्त्र उत्तरदायी था तथा यह ब्रिटेन ने ब्रिटिश नौसेना द्वारा अक्टूबर २२ सन् १९४६ को उसके द्वारा अल्बेनिया के जलभागों में किये गये कार्य के कारण अल्बेनिया की जनता के गणतन्त्र की सार्वभौमिकता का उल्लंघन नहीं किया और यह कि अल्बेनिया के जल-भागों में ब्रिटिश नौसेना द्वारा जो नवम्बर १२ तथा १३ सन् १९४६ के कार्यक्रम में किये गये ब्रिटेन ने अल्बेनिया की जनता के गणतन्त्र की सार्वभौमिकता का उल्लंघन किया तथा न्यायालय की इस घोषणा से ही स्वतः उचित समुचित हो गई। इसके परिणामस्वरूप अल्बेनिया ८,४३,६४७ पौण्ड ब्रिटेन को देने के लिये उत्तरदायी ठहराया गया।

२. ह्या डे ला टोरे का मामला (I. C. J. Reports, 1951, p. 71) :—
 विक्टर रोल ह्या डे ला टोरे वेरुविया या एक नागरिक तथा राजनैतिक नेता को, जो एक सैनिक बगावत भडकाने के लिये दोषारोपित था सोमा के कोलम्बिया के राजद्रोतावास में धाप्रय दिया गया। इस विषय को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्दिष्ट किये जाने पर न्यायालय ने यह बयन किया कि यद्यपि हवाना की प्रतिज्ञा में यह स्पष्टनः निर्धारित है कि सामान्य अपराधियों को स्थानीय प्रधिकारियों को समर्पित कर दिया जाय तथापि राजनैतिक अपराधियों के सम्बन्ध में ऐसा कोई बर्तव्य विद्यमान नहीं है। फिर भी, इसने अपने पूर्व मत को पुनः दुहराकर कहा कि धाप्रय अनिर्दिष्ट

रूप से दिया गया है और यह कि यद्यपि इस आधार पर वेह इनकी सम्मति की माँग करने का अधिकारी है तथापि कोलम्बिया शरणार्थी को समर्पण करने के लिये बाध्य नहीं है ।

३. ऐंग्लो-ईरानियन तेल की कम्पनी का मामला—इस विवाद के विषय में पूर्व के प्रसंग में विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है ।

४. भारत के कतिपय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों के आधिपत्य के अधिकार का मामला—भारत के कतिपय क्षेत्रों में पुर्तगालियों के आधिपत्य के बने रहने के मामले में, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष दिसम्बर २२, १९५५ को लाया गया था, भारत ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चार बंध, तथा दो बंध और तथ्य विपक्षक आधारों पर यह कहकर चुनौती दी कि पुर्तगाल ने इस मुकदमे को जिस पद्धति से न्यायालय के समक्ष रखा है, उसमें न्यायालय-प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है ।

न्यायालय ने नवम्बर २६, १९५७ को अपने निर्णय में कहा कि वह भारत के इस तर्क को मानने में अपने को असमर्थ पा रहा है कि २२ दिसम्बर, १९५५ को पुर्तगाल ने अपना आवेदन पत्र देने में संविधि की असंगति में कार्य किया है । न्यायालय ने ऐसा निश्चय किया कि सयुक्त राष्ट्र सङ्घ के महामन्त्री के साथ न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्वीकृति की घोषणा के उपरान्त अनुच्छेद ३६ के अन्तर्गत दोनों पक्ष समान आभारों के विषय बन जाते हैं । दोनों पक्षकारी के बीच संविदात्मक सम्बन्ध और उत्पन्न होने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार की तथ्यतः स्थापना हो जाती है, और यह स्थापना एतदविषयक घोषणा करने के बिना किसी विशेष समझौते पर ही होती है ।

प्रथम सामान्य आपत्ति, जिसमें कि आवेदन प्रस्तुत किये जाने की पद्धति पर आक्षेप था, न्यायालय ने कहा कि भारत का कथन है कि पुर्तगाली घोषणा भ्रष्ट है इस कारण है कि इसकी शर्तों के अनुसार पुर्तगाल उस घोषणा के किसी भी वर्ग के संघर्ष से किसी भी समय वंचित किया जा सकता है और इसके लिए मात्र महा-सचिव को सूचना देना ही आवश्यक होगा, किन्तु शर्तों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, यदि उनका साधारण अर्थ ग्रहण किया जाय तो सीधा-सा अर्थ यह है कि उस शर्तों के अन्तर्गत विजिति की व्यवहृति केवल ऐसे विवादों पर होगी जो कि इस विजिति के बाद न्यायालय के समक्ष लाये जाएँगे । इस सम्बन्ध में किसी पूर्वगामी प्रभाव की कल्पना नहीं करनी चाहिये । अतः न्यायालय का निष्कर्ष था कि पुर्तगाली घोषणा की शर्त संविधि की असंगति में नहीं थी ।

भारत की ओर से उठायी गई चौथी आपत्ति, जो कि पुन प्रक्रिया से संबंधित थी, के सम्बन्ध में न्यायालय ने कहा था कि प्रावेदन को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी ऐसी नहीं है जिसे कि सविधि की असंगति में कहा जा सके क्योंकि सविधि में स्वीकृति की घोषणा और प्रावेदन प्रस्तुत करने की अवधि में किसी मध्यान्तर का उपबन्ध नहीं है ।

तीसरी आपत्ति में प्रावेदन प्रस्तुत करने के पूर्व किसी राजनीतिक समझौते या मध्यस्थता-वार्ता के अभाव की बात उठाई गई थी । इस सम्बन्ध में न्यायालय का अवलोकन था कि दोनों पक्षकारों के बीच जो पत्र व्यवहार हुये हैं, उन्हें समझौता वार्ता के सम्बन्ध में गतिरोध उत्पन्न हो जाने का अभास मिलता है । अतः यह प्रकल्पना करते हुये कि सविधि के अनुच्छेद ३६ के पैरा २ जिसमें कि वैय भगडो का सदर्थ है, समझौता-वार्ता के द्वारा भगडे की स्थिति की परिभाषा अपेक्षित थी, और यह कि उस परिभाषा में शर्तें पूरी हो गई थी ।

पाँचवी आपत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय का कथन था कि भारत स्वयं अपनी स्वीकृति की घोषणा में एक आरक्षण पर आश्रित है जिसके अन्तर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ऐसे भगडे बाहर कर दिये गये हैं, जिनमें कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रश्न भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एकांतिक रूप से आते हैं, और यह कि भारत ने इस तथ्य की स्वीकार किया है कि न्यायालय के समक्ष आये हुये तात्विक और वैध विचार इस निष्कर्ष को नहीं स्वीकृत करते कि प्रस्तुत प्रश्न की विषयवस्तु भारत के घरेलू-क्षेत्राधिकार की सीमा से एकांतिक रूप में बाहर थी । न्यायालय ने कहा कि जिन तर्कों पर भारत आश्रय ले रहा है, पुर्तगाल उसे मानने को तैयार नहीं है, अतः बिना 'मेरिट' के पूर्व निर्णय किये इस प्रश्न का परीक्षण नहीं किया जा सकता । तदनुसार न्यायालय ने पाँचवी आपत्ति के प्रश्न को 'मेरिट' के प्रश्न के लिये संयुक्त कर दिया ।

अन्तिम रूप में, भारत द्वारा उठायी गई छठी आरम्भिक आपत्ति पर, जो कि समय की अवधि के आधार पर उठायी गई थी, न्यायालय ने कहा कि यह निश्चय करने के लिये कि ठीक-ठीक किस तिथि को यह भगडा आरम्भ हुआ, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या यह भगडा १९३० में आरम्भ हुये मार्गाधिकार के भगडे की निरन्तरता में है अथवा नहीं । दोनों ओर से एक-दूसरे के तर्कों को खंडन करने वाले तथ्य प्रस्तुत किये गये और न्यायालय प्रस्तुत प्रश्न का निर्णय न कर सका । अतः इस प्रश्न को भी उसने 'मेरिट' के प्रश्न के लिये संयुक्त कर दिया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुर्तगाल विवाद के प्रसंग में भारत की ओर से प्रत्यायुक्त तदर्थ न्यायाधीश श्री एम० सी० चागला ने, जो कि बम्बई के मुख्याधीश थे, एक असहमतिसूचक निर्णय दिया और कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनपर किसी भी प्रकार दो मत नहीं हो सकते। पहली बात यह है कि पुर्तगाल जिस भू क्षेत्र से आवागमन या परिवहन का अधिकार माँग रहा है, वह एकान्तिक रूप से भारतीय भू-क्षेत्र है और उस पर उसकी संप्रभुता अखंड है। इसके साथ ही यह भी एक विवादरहित बात है कि प्रथम दृष्ट्या कोई राज्य जब क्षेत्रीय संप्रभुता का उपभोग कर रहा है, तो उसे यह अधिकार है कि किसी अन्य राज्य को उस क्षेत्र से आवागमन या परिवहन की अनुमति दे, अथवा ऐसा करने से निषेधित कर दे, या ऐसे आवागमन या परिवहन की अनुमति अपने द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों की सीमा में प्रदान करे।

श्री चागला ने आगे कहा था कि पुर्तगाली डामन, दादरा और नगर हवेली के बीच से आवागमन एवं परिवहन की अनुमति चाहते हैं जिससे कि वे डामन और इन स्थानों से संचार-सम्पर्क बनाये रखें। जब कोई राज्य इस न्यायालय के समक्ष इस दावे को लेकर आता है कि दूसरे राज्य के प्रति उसका अधिकार है, तो वह अधिकार अवश्य ही ऐसा होना चाहिये जिसका कि प्रवर्तन किया जा सके। इस प्रसंग में पुर्तगालिया के दावे की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि यदि वह अपने तर्कों में सफल भी हो गये, तो भी जो निर्णय इस न्यायालय द्वारा उन्हें मिलेगा, भारत उसे कदापि भी प्रभावकारी रूप नहीं लेने देगा। इस सम्बन्ध में श्री चागला ने तर्क प्रस्तुत किया था कि "If the Court were to declare that Portugal had a right of transit over Indian territory, from Daman to the enclaves, it would be impossible for India to know what the nature, extent or content of that right would be. Would Portugal be entitled under this right to transport a whole army from Daman to the enclaves in order to suppress the revolt which taken place there? Would she be able to transport tanks and artillery and all the paraphernalia of modern arms and armaments? Would she be able to fly aeroplanes over Indian territory in order to bomb the enclaves in order to reduce them to subjection"—अर्थात् "यदि न्यायालय यह घोषित भी करे कि पुर्तगाल को डामन के भारतीय क्षेत्र में यातायात करने का अधिकार है, तब भी भारत के लिए यह जान पाना एक असम्भाविता होगी कि उस अधिकार की वास्तविक प्रकृति, विस्तार और विषय तत्व क्या होगा? क्या इस अधिकार के अन्तर्गत पुर्तगालियों को यह अधिकार होगा कि वे डामन से होकर अपनी पूरी सेना,

१७७६ की सधि तथा १७८३ और १७८५ के सवाद में मराठों का आशय पुर्तगालियों को केवल जागीर सौंप देने का था, या सरजाम दे देने का था, और उन गाँवों की पूरी संप्रभुता ही उन्हें सौंप देने का आशय न था, क्योंकि मात्र राजस्व संप्रह करने के अधिकार का तात्पर्य संप्रभुता सौंप देने का अधिकार नहीं हुआ करता ।

इसके बाद जब मराठों से आधिपत्य अंग्रेजों ने लिया, तब भी न तो अंग्रेजों ने स्वयं उस क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा किया और न कभी भी पुर्तगालियों की संप्रभुता को ही मान्यता प्रदान की ।

पुर्तगाल अपने अधीनस्थ उन क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी नियन्त्रण के बिना आवागमन का अधिकार चाहता था । दोनों पक्षकारों के बीच यह एक सामान्य आधार था कि व्यक्तिगत व्यक्तियाँ और नागरिक अधिकारों के बीच दैनिक नियन्त्रण की अपेक्षा कोई अन्य प्रतिबन्ध नहीं है । इसका प्रतिकूल सिद्ध करने का कोई दूसरा प्रमाण नहीं था । इसलिये न्यायालय का निष्कर्ष था कि वैयक्तिक व्यक्तियों के नागरिक अधिकारियों और माल के सम्बन्ध में सामान्यतः डामन से होकर आवागमन की स्वतन्त्रता ब्रिटिश और उत्तर-ब्रिटिश काल में दी गई है और सरकार के बदलते रहने पर भी यह परंपरा ज्यों की त्यों बनी रही है और यहाँ तक भारत के स्वतन्त्र हो जाने के उपरांत भी इस परंपरा का पालन किया गया है । अतः न्यायालय का निर्णय था कि व्यक्तिगत व्यक्तियाँ, नागरिक अधिकारियों और माल के इस यातायात का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक मान्यता मिल चुकी है और अब भी उस मान्यता का प्रवर्तन किया जा सकता है ।

जहाँ तक सैन्य-शक्तियों के आवागमन का प्रश्न है, न्यायालय का अवलोकन था कि ब्रिटिश और उत्तर-ब्रिटिशकाल में भी पुर्तगाल वालों को डामन से होकर सशस्त्र सेनाएँ ले आने और ले जाने का अधिकार नहीं था और १८७८ के बाद से, इस प्रकार का यातायात केवल ब्रिटिश के प्राधिकार और तदनन्तर भारत के प्राधिकार पर ही सम्भव था । वाद की विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुये न्यायालय की अभिमति थी कि इस प्रकार के प्राधिकार प्राप्त करने की शर्त का अर्थ है स्वाभाविक रूप में उस अधिकार को न प्राप्त किया जाना । मन्मथ यह प्रमाणित करता है कि क्षेत्रीय संप्रभु को यह शक्ति थी कि वह अपने विवेक के अनुसार यह अनुमति दे, अथवा देने में इन्कार कर दे । अतः यह अनुमति स्वेच्छया दी जा सकती है, आभार और बाध्यता के रूप में नहीं । न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि भारत द्वारा आवागमन में गतिरोध उत्पन्न कर देना परिस्थितियों

४३०]

किसी विद्रोह को दबाने के लिए भेज सकें ? क्या वे वहाँ से टैंक, मार्टिलरी तथा
 आधुनिक शस्त्रों की पूरी साज सज्जा भेज सकेंगे ? क्या वे क्षेत्र को सम्पूर्णतः प्रयत्न
 बना लेने के लिए वहाँ तक भारत क्षेत्र से होकर हवाई जहाज भेज सकेंगे, जिससे कि
 वहाँ से बम वर्षा कर सकें ?

‘मेरिट’ पर निर्णय — (Decision on merits) १२ अप्रैल, १९६० को
 मेरिट के आधार पर निर्णय करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उपर्युक्त वाद के
 प्रसंग में कहा था कि पुर्तगालियों को भारतीय नियमों के अधीन रहते हुये अपने
 वैयक्तिक व्यक्तियों को ले जाने का अधिकार है, किन्तु सशस्त्र सैनिकों को ले जाने
 का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने निष्कर्ष पाया कि भारत ने पुर्तगाल वालों के
 वैयक्तिक व्यक्तियों के प्रति आभारों के प्रतिशूल आचरण नहीं किया है। साथ ही
 न्यायालय ने भारत की ओर से उठाई गई दो आरम्भिक आपत्तियों को न मानते हुये
 कहा कि न्यायालय को प्रस्तुत विवाद में विचारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

दिसम्बर २२, १९५५ के अपने आवेदन में पुर्तगाल ने अन्तर्राष्ट्रीय न्याया-
 लय से कहा था कि वह पुर्तगाली डामन से होकर अपने अधीनस्थ क्षेत्र दादरा और
 नगर हवेली तक नागरिक और सशस्त्र सैनिकों को ले आने और ले जाने के अधि-
 कार को मान्यता प्रदान करे, जहाँ से वह अब प्रभावकारी नियन्त्रण छोड़ चुका है।
 पुर्तगाल का यह भी कहना था कि न्यायालय यह भी व्यवस्था करे कि भारत पुर्त-
 गालियों के आवागमन को अनुमति देकर वहाँ की तथ्यपूर्ण स्थिति का समापन
 करे।

भारत ने पुर्तगाली आवेदन का इस आधार पर विरोध किया था कि
 पुर्तगालियों द्वारा माँग किये गये आवागमन के अधिकार को उस समय तक स्वीकृत
 नहीं किया जा सकता जब तक कि वह क्षेत्रीय संप्रभु की स्वकीय इच्छा या अनुमति
 या सहमति पर न दी जाय। भारत का यह भी तर्क था कि न्यायालय के समक्ष
 प्रस्तुत किये गये तथ्य यह नहीं प्रकट करते कि क्षेत्रीय संप्रभु की ऐसी कोई प्रकृत
 सहमति या अनुमति नहीं है जो भारत के क्षेत्राधिकार को परिमोमित कर सके।

न्यायालय ने यह निष्कर्ष पाया कि १७७६ की संधि का अनुच्छेद १७ वैध
 है किन्तु पुर्तगाल वालों का संप्रभुता नहीं प्रदान करता। पुर्तगाल का दावा था कि
 उस दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र संधि के अनुच्छेद १७ के क्रम में मिले थे और
 यह कि मराठा ने उन्हें संप्रभुता भी सौंप दी थी। इधर भारत का कहना था कि
 यह क्षेत्र मराठा द्वारा कबल जागीरा की हैतियत से अपनी संप्रभुता में बतल
 १२,००० ६० रु मूल्य पर दिया गया था। न्यायालय ने घबलौशन किया कि

१७७६ की संधि तथा १७८३ और १७८५ के सवाद में मराठों का आशय पुर्तगालियों को केवल जागीर सौंप देने का था, या सरजाम दे देने का था; और उन गाँवा की पूरी संप्रभुता ही उन्हें सौंप देने का आशय न था, क्योंकि मात्र राजस्व संग्रह करने के अधिकार का तात्पर्य संप्रभुता सौंप देने का अधिकार नहीं हुआ करता ।

इसके बाद जब मराठों से आधिपत्य अंग्रेजों ने लिया, तब भी न तो अंग्रेजों ने स्वयं उस क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा किया और न कभी भी पुर्तगालियों की संप्रभुता को ही मान्यता प्रदान की ।

पुर्तगाल अपने अधीनस्थ उन क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी नियन्त्रण के बिना आवागमन का अधिकार चाहता था । दोनों पक्षकारों के बीच यह एक सामान्य आधार था कि व्यक्तिगत व्यक्तियों और नागरिक अधिकारों के बीच दैनिक नियन्त्रण की अपेक्षा कोई अन्य प्रतिबन्ध नहीं है । इसके प्रतिकूल सिद्ध करने का कोई दूसरा प्रमाण नहीं था । इसलिये न्यायालय का निष्कर्ष था कि वैयक्तिक व्यक्तियों के नागरिक अधिकारियों और माल के सम्बन्ध में सामान्यतः डामन से होकर आवागमन की स्वतन्त्रता ब्रिटिश और उत्तर-ब्रिटिश काल में दी गई है और सरकार के बदलते रहने पर भी यह परंपरा ज्यों की त्यों बनी रही है और यहाँ तक भारत के स्वतन्त्र हो जाने के उपरांत भी इस परंपरा का पालन किया गया है । अतः न्यायालय का निर्णय था कि व्यक्तिगत व्यक्तियाँ, नागरिक अधिकारियों और माल के इस यातायात को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक मान्यता मिल चुकी है और अब भी उस मान्यता का प्रवर्तन किया जा सकता है ।

जहाँ तक सैन्य-शक्तियों के आवागमन का प्रश्न है, न्यायालय का अवलोकन था कि ब्रिटिश और उत्तर-ब्रिटिशकाल में भी पुर्तगाल वालों को डामन से होकर सशस्त्र सेनाएँ ले आने और ले जाने का अधिकार नहीं था और १८७८ के बाद से इस प्रकार का यातायात केवल ब्रिटिश के प्राधिकार और तदनन्तर भारत के प्राधिकार पर ही सम्भव था । वाद को विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुये न्यायालय की अभिमति थी कि इस प्रकार के प्राधिकार प्राप्त करने की शर्त का अर्थ है स्वामाविक रूप में उस अधिकार को न प्राप्त किया जाना । अग्न्यास यह प्रमाणित करता है कि क्षेत्रीय संप्रभु को यह शक्ति थी कि वह अपने विवेक के अनुसार यह अनुमति दे, अथवा देने में इन्कार कर दे । अतः यह अनुमति स्वेच्छया दी जा सकती है, आभार और बाध्यता के रूप में नहीं । न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि भारत द्वारा आवागमन में गतिरोध उत्पन्न कर देना परिस्थितियों

४३०]

किसी विद्रोह को दबाने के लिए भेज सकें ? क्या वे वहाँ से टैंक, मार्टिलरी तथा आधुनिक दालों की पूरी साज-सज्जा भेज सकेंगे ? क्या वे क्षेत्र को सम्पूर्णतः ब्रवीन बना लेने के लिए वहाँ तक भारत-क्षेत्र से होकर हवाई जहाज भेज सकेंगे, जिससे कि वहाँ से बम वर्षा कर सके ?.....”

‘मेरिट’ पर निर्णय :—(Decision on merits) १२ अप्रैल, १९६० को मेरिट के आधार पर निर्णय करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उपर्युक्त वाद के प्रसंग में कहा था कि पुर्तगालियों को भारतीय नियमों के अधीन रहते हुये अपने वैयक्तिक व्यक्तियों को ले जाने का अधिकार है, किन्तु सशस्त्र सैनिकों को ले जाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने निष्कर्ष पाया कि भारत ने पुर्तगाल वालों के वैयक्तिक व्यक्तियों के प्रति शांतिपूर्ण आचरण नहीं किया है। साथ ही न्यायालय ने भारत की ओर से उठाई गई दो आरम्भिक आपत्तियों को न मानते हुये कहा कि न्यायालय को प्रस्तुत विवाद में विचारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

दिसम्बर २२, १९५५ के अपने आवेदन में पुर्तगाल ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से कहा था कि वह पुर्तगाली डामन से होकर अपने अधीनस्थ क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तक नागरिक और सशस्त्र सैनिकों को ले आने और ले जाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करे, जहाँ से वह अब प्रभावकारी नियन्त्रण खो चुका है। पुर्तगाल का यह भी कहना था कि न्यायालय यह भी व्यवस्था करे कि भारत पुर्तगालियों के आवागमन को अनुमति देकर वहाँ की तथ्यपूर्ण स्थिति का समापन करे।

भारत ने पुर्तगाली आवेदन का इस आधार पर विरोध किया था कि पुर्तगालियों द्वारा माँग किये गये आवागमन के अधिकार को उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि वह क्षेत्रीय संप्रभु की स्वकीय हृच्छा या अनुमति या सहमति पर न दी जाय। भारत का यह भी तर्क था कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्य यह नहीं प्रकट करते कि क्षेत्रीय संप्रभु की ऐसी कोई प्रकट सहमति या अनुमति नहीं है जो भारत के क्षेत्राधिकार को परिधीनित कर सके।

न्यायालय ने यह निष्कर्ष पाया कि १७७६ की संधि का अनुच्छेद १७ वैध है किन्तु पुर्तगाल वालों को संप्रभुता नहीं प्रदान करता। पुर्तगाल का दावा था कि उसे दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र संधि के अनुच्छेद १७ के क्रम में मिले थे और यह कि मराठों ने उन्हें संप्रभुता भी सौंप दी थी। इधर भारत का कहना था कि यह क्षेत्र मराठों द्वारा केवल जागीरों की हैसियत से अपनी संप्रभुता में से केवल १२,००० रु० के मूल्य पर दिया गया था। न्यायालय ने अवलोकन किया कि

१७७६ की संधि तथा १७८३ और १७८५ के सवादा में मराठों का आशय पुर्तगालिया को केवल जागोर सौ देने का था, या सरजाम दे देने का था, और उन गाँवा की पूरी संप्रभुता ही उन्हें सौंप देने का आशय न था, क्योंकि मात्र राजस्व संग्रह करने के अधिकार का तात्पर्य संप्रभुता सौंप देने का अधिकार नहीं हुआ करता ।

इसके बाद जब मराठों से अधिपत्य अग्रजों न लिया, तब भी न तो अग्रजों ने स्वयं उस क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा किया और न कभी भी पुर्तगालियों की संप्रभुता को ही मान्यता प्रदान की ।

पुर्तगाल अपने अधीनस्थ उन क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी नियन्त्रण के बिना आवागमन का अधिकार चाहता था । दोनों पक्षकारों के बीच यह एक सामान्य आधार था कि व्यक्तिगत व्यक्तियों और नागरिक अधिकारों के बीच दैनिक नियन्त्रण की अपेक्षा कोई अन्य प्रतिबन्ध नहीं है । इसके प्रतिबन्ध सिद्ध करने का कोई दूसरा प्रमाण नहीं था । इसलिये न्यायालय का निष्कर्ष था कि वैयक्तिक व्यक्तियों के नागरिक अधिकारियों और माल के सम्बन्ध में सामान्यतः डामन से हाकर आवागमन की स्वतन्त्रता ब्रिटिश और उत्तर ब्रिटिश काल में दी गई है और सरकार के बदलते रहने पर भी यह परंपरा ज्यों की त्यों बनी रही है और यहाँ तक भारत के स्वतन्त्र हो जाने के उपरांत भी इस परम्परा का पालन किया गया है । अतः न्यायालय का निर्णय था कि व्यक्तिगत व्यक्तियाँ, नागरिक अधिकारियों और माल के इस यातायात को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक मान्यता मिल चुकी है और अब भी उस मान्यता का प्रवर्तन किया जा सकता है ।

जहाँ तक सैन्य-शक्तियों के आवागमन का प्रश्न है, न्यायालय का अवलोकन था कि ब्रिटिश और उत्तर ब्रिटिशकाल में भी पुर्तगाल वालों को डामन से होकर सशस्त्र सेनाएँ ले आने और ले जाने का अधिकार नहीं था और १८७८ के बाद से इस प्रकार का यातायात केवल ब्रिटिश के प्राधिकार और तदनन्तर भारत के प्राधिकार पर ही सम्भव था । बाद की विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुये न्यायालय की अभिमति थी कि इस प्रकार के प्राधिकार प्राप्त करने की शक्त का अर्थ है स्वाभाविक रूप में उस अधिकार को न प्राप्त किया जाना । अभ्यास यह प्रमाणित करता है कि क्षेत्रीय संप्रभु को यह शक्ति थी कि वह अपने विवेक के अनुसार यह अनुमति दे, अथवा देने में इन्कार कर दे । अतः यह अनुमति स्वेच्छया दी जा सकती है, आभार और बाध्यता के रूप में नहीं । न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि भारत द्वारा आवागमन में गतिरोध उत्पन्न कर देना परिस्थितियों

की विशिष्टताओं को देखते हुये किसी प्रकार से पुर्तगाल के आवागमन के अधिकार के प्रतिकूल नहीं था, क्योंकि इस प्रकार का भारत को घोर से नियन्त्रण, प्रस्तुत परिस्थितियों में विधि-प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता ।

परिणाम-स्वरूप न्यायालय ने ४ के विरुद्ध ११ वोटों से यह निष्कर्ष पाया कि पुर्तगाल को १९५४ में भारत-क्षेत्र और दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र में तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों में आवागमन का अधिकार था जो कि विदेशी सुरक्षण में थे, जिससे कि पुर्तगाली उन सुरक्षित क्षेत्रों में संप्रभुता का प्रयोग कर सकें और भारतीय नियन्त्रण और नियमों के अधीन रहते हुये व्यक्तिगत व्यक्तियों, नागरिक अधिकारियों और सामानों को भेज सके या मंगा सके, तथा ७ के विरुद्ध ८ वोटों से यह भी निष्कर्ष पाया कि पुर्तगालियों को १९५४ में इन क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं, सशस्त्र पुलिस, और शस्त्र आदि ले आने और ले जाने का अधिकार नहीं था और ६ के विरुद्ध ९ वोटों से यह निष्कर्ष पाया कि भारत ने पुर्तगालियों के व्यक्तिगत व्यक्तियों, नागरिक अधिकारियों और साधारण सामानों को ले आने या ले जाने के अधिकार के सवध में आचारों के प्रतिकूल कार्य नहीं किया है ।

सोवियत न्यायाधीश एफ० आई० कोजेविनकोव ने अपना निर्णय स्वतन्त्र ही रखा कि प्रस्तुत तथ्यों में न्यायालय को विवाद के मेरिट पर विचारण करने और निर्णय करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त है । उनका कथन था कि, "Portugal did not possess and does not possess any sovereign right over Dadra and Nagar Aveli and since it never had and has not now any right of passage over Indian territory to these regions and between each of them." अर्थात् पुर्तगाल को दादरा और नगर हवेली पर न पहले कभी संप्रभु अधिकार था, और न अब है, और चूँकि उसे भारतीय क्षेत्र से इन क्षेत्रों तक आवागमन का कोई अधिकार पहले से नहीं रहा है, अस्तु अब भी वह अधिकार नहीं है ।

कतिपय अन्य न्यायाधीशों ने तो स्पष्टतः यह कहा कि पुर्तगाल के सीमित आवागमन का अधिकार, जो कि वैयक्तिक व्यक्तियों, नागरिक अधिकारियों और साधारण सामानों के सम्बन्ध में है, वह भी १९५४ में घटित दादरा और नगर-हवेली की घटनाओं के कारण अब समाप्त हो चुका है ।

अर्जेन्टाइना के न्यायाधीश कुइनताना ने तो यहाँ तक कहा था कि "To support the Portuguese claim in this case, which implies survival of

the colonial system, without categorical and conclusive proof is to fly in the face of the United Nations Charter." इस प्रसंग में पुर्तगालियों के पक्ष का समर्थन करने का तात्पर्य औपनिवेशिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना और बिना किसी स्पष्ट और निर्णायक प्रमाण के, संयुक्त राष्ट्र सभ के स्वयं-चार्टर के ऊपर कीचड़ फेरना है ।"

मंत्रणा परामर्श

१. संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता के लिये किसी राज्य का प्रवेश (I. C. J. Reports, 1948, p. 57) .—१९४६ तथा १९४७ के बीच में बहुत से राज्यों को संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता में प्रवेश करने से अस्वीकार किया गया विशेषतः इस कारण से कि सोवियत रूस ने सुरक्षा परिषद् में विशेष निषेधाधिकार का उपयोग किया । पूर्वोक्त यूरोप के पूर्व शत्रु राज्यों के सम्बन्ध में सोवियत रूस ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि वह अपने विशेष निषेधाधिकार का उपयोग नहीं करेगा यदि परिषद् के अन्य सदस्य उन राज्यों के प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृत कर लें जिन्हें सोवियत सरकार का समर्थन प्राप्त हो । नवम्बर सन् १९४७ को सामान्य सभा ने सुरक्षा परिषद् का यह प्रश्न निर्दिष्ट किया कि क्या संयुक्त राष्ट्र सभ का कोई सदस्य जिसे किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता में प्रवेश करने के लिये मत देने को कहा जाय प्रवेश के लिये अपनी सहमति इस शर्त पर आश्रित कर सकता है या नहीं कि अन्य राज्य भी संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता में प्रवेश किये जाय । न्यायालय ने दो मतों के विच्छेद नौ मतों से इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया ।

२. किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र सभ में प्रवेश करने के लिए साधारण सभा की क्षमता (I. C. J. Reports, 1950, pp. 4-34) .—नवम्बर २२, सन् १९४९ को साधारण सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से यह कहा गया कि वह अपनी परामर्शदात्री सम्मति इस प्रश्न पर दे कि क्या साधारण सभा अपने ही निर्णय से किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता में उस दशा में प्रवेश कर सकती है जब सुरक्षा परिषद् ऐसी सन्तुष्टि न करे । न्यायालय ने दो मतों के विच्छेद बारह मतों से इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया ।।

३. संयुक्त राष्ट्र सभ की सेवा में प्राप्त हानि के लिये क्षतिपूर्ति (I. C. J. Reports, 1949, p. 174) .—कौट फोक बर्नाडट की, जो पैलेस्टाइन में संयुक्त राष्ट्र सभ का मध्यस्थ था, जब कि वह शान्तिदल के अध्यक्ष का कार्य कर रहा था १७ सितम्बर, १९४८ को हत्या कर दी गई । इस पर संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को परामर्शदात्री सम्मति के लिये यह प्रश्न भेजा कि क्या

४३४]

उस दशा में जब संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के किसी अभिकर्ता को अपने कर्तव्य-पालन के बीच में, ऐसी परिस्थितियों में जब कि उसका उत्तरदायित्व किसी राज्य पर हो कोई हानि पहुँचे तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ को एक सङ्घ के रूप में यह क्षमता है कि नहीं कि वह वैध रूप से अथवा वास्तविक रूप से उत्तरदायी सरकार के विरुद्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय दावा उस हानि की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कर सके जो (अ) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का तथा (आ) पीड़ित व्यक्ति को अथवा उस व्यक्ति को जो उसके द्वारा अधि-कारो हो, पहुँची है।

न्यायालय ने प्रश्न के दोनो भागों का स्वोकारात्मक उत्तर दिया।

इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की मन्त्रणा की चर्चा पूर्व प्रसंगों में यथास्थान की जा चुकी है।

इन मामलों के अतिरिक्त जो प्रमुख मामले इस न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु आये, उनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं—
 ऐंग्लो नार्वे महत्वालय का मामला, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के मोरक्को सम्बन्धित अधिकार, ऐम्बेटेलियो का मामला (Ambatielos Case), नाटेबहम का मामला (Nottebohm case)—
 (Leichtenstein v. Guatemala), मिनक्वूरस ऐक्रेपास का मामला (Minquers and Ecrebos Case), घन-सम्बन्धित स्वर्ण-अभियोग (Monetary Gold Case), फ्रांस में दिये गये नार्वे के ऋण का मामला (Case of the Norwegian Loans issued in France), १९०२ के अभिसमय को लागू करने से सम्बन्धित मामला जो कि शिशुओं की सरक्षता के नियन्त्रण के सम्बन्ध में था (Case concerning the application of the Convention of 1902 governing the guardianship of infants), हवाई घटना का मामला (Aerial Incident case - Israel v. Bulgaria) आदि। विषय विस्तार की दृष्टि से इन विवादों के पूर्ण विवरण यहाँ देना उपयुक्त न होगा। फिर भी, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इन सभी विवादों में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं।

भाग ३ युद्ध की विधियाँ

(The Laws of War)

अध्याय ३४

झगड़ों का निपटारा

(Settlement of Disputes)

राष्ट्रों के बीच में राजनैतिक तथा वैध मतभेदों को मिटाने की भिन्न भिन्न रीतियाँ हैं। ऐसे मतभेद या तो शान्तिपूर्ण रीतिशा से अथवा बन्धनकारी रीतिशा से मिटाये जा सकते हैं, जो युद्ध से कुछ ही कम हो।

शांतिपूर्ण रीतियाँ (Amicable Means) :— झगड़ों को तय करने के लिये विभिन्न शान्तिपूर्ण रीतियाँ निम्न प्रकार से परिगणित का जा सकती हैं —

(१) वार्ता (Negotiation), (२) सद्भावता और मध्यस्थता (Good Offices and Mediation), (३) समाधान (Conciliation), (४) अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग (International Commission of Enquiry), (५) विवाचन (Arbitration), (६) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा न्यायिक निपटारा (Judicial Settlement through International Court of Justice) तथा (७) संयुक्त राष्ट्र सच के माध्यम से (Machinery of the U. N. O.)।

वार्ता (Negotiation) :— यह शब्द झगड़े के निर्णय पर पहुँचने के प्रयोजन के लिये राज्यों के बीच में समागम या अन्तर्राष्ट्रीय तनावनी को कम करने का द्योतक है। ऐसी वार्ता या तो राज्यों के अद्वयों द्वारा की जाती है अथवा उनके प्रमाणपत्र-प्राप्त अधिकारियों द्वारा प्रायः झगड़े को स्पष्ट करने के लिये पत्र-व्यवहार किया जाता है। भारत तथा पाकिस्तान द्वारा जो भिन्न-भिन्न प्रयत्न अपने कुछ मुख्य-मुख्य झगड़ों को तय करने के लिये किये गए वे वार्ता के उदाहरण हैं। सबसे हाल का उदाहरण अलसखको के विषय में भारत तथा पाकिस्तान का स्वीकार-पत्र है।

न्यायाधीश मूर ने (Moore J.) ने *Mavrommatis Palestine Concession* के विवाद के प्रसंग में लिखा था कि, "in the international sphere and in the sense of International Law, negotiation is the legal and

विवाचन (Arbitration) :—अन्तर्राष्ट्रीय झगडों को शान्तिपूर्वक विधियों से तय कराने के लिये विवाचन सब से प्रमुख रीति है। जैसा लीरेंस का कथन है:—इसका महत्त्व इसके न्यायिक अथवा न्यायिक-कल्प स्वरूप में रहता है। यह झगड़े का एक व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों के छोटे समूह को निर्दिष्ट करना प्रकट करता है जिससे पक्षकार अपने-अपने पक्षों को व्यक्त करते हैं और जिसके निर्णय को वे प्रतिष्ठावश मानने के लिये बाध्य हैं और वस्तुतः सर्वदा माना है। इसके विपरीत उदाहरण केवल उसी दशा में मिलता है जब पक्ष अपनी शक्ति के बाहर गया हो। जब कोई झगडा किसी पक्ष को सौंप दिया जाता है तो मामला एक न्यायालय के समक्ष परीक्षण का रूप धारण करता है (Lawrence : The Principles of International Law, p. 566)। राज्यों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे अपने झगड़े को विवाचन के हाथ उस समय तक सौंपे जब तक उन्होंने अपने को पहले से एक संधि द्वारा बाध्य न कर लिया हो। परन्तु जहाँ उन्होंने मामले को एक बार विवाचन को निर्दिष्ट किया उसके निर्णय की अपेक्षा का अर्थ होता है प्रतिज्ञा भंग, जब तक वह धोखा, कपट तथा उसी प्रकार की अन्य बातों से दूषित न हो, अथवा पक्ष जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपनी शक्तियों के बाहर न गया हो।

१९५१ में संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रतिनिधि डा० फ्रैंक ग्राहम की नियुक्ति काश्मीर के झगड़े का निपटारा विवाचन द्वारा करने के लिये हुई। भारतवर्ष ने इस झगड़े को विवाचन में भेजने से इंकार किया क्योंकि वह महान् शक्तियों का खेल बनना नहीं चाहता था और इसके अतिरिक्त इससे काश्मीर के आत्म-निर्णय के अधिकार पर मूलतः भारत की स्थिति पर आघात होता, किन्तु सुरक्षा परिषद् में ब्रिटिश प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट किया कि विवाचन असैनिकीकरण संबंधित उन विषयों पर विचार करेगा जिस पर भारत तथा पाकिस्तान सहमत हैं। अन्त में भारत उसका परामर्श और सुझाव लेने के लिये राजी हो गया।

सन् १८६६ के प्रथम हेग सम्मेलन ने विवाचन का स्थायी न्यायालय एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यूरो सहित हेग में स्थापित किया जो उनके सचिवालय का कार्य करे तथा एक स्थायी प्रशासकीय परिषद् स्थापित किया। प्रत्येक हस्ताक्षर करने वाली शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्नों में विशिष्ट योग्यता रखने वाले तथा सर्वोच्च नैतिक चरित्र रखने वाले व्यक्तियों को विवाचन के स्थायी न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने के लिये चुनती थी। समस्त न्यायाधीशों की सूची में से पक्षकारों को यह स्वतन्त्रता थी कि किसी न्यायाधिकरण के लिये सदस्यों को चुनें। सन् १९०७ के हेग सम्मेलन ने इस योजना में कुछ सुधार किये तथा गौण महत्त्व के झगड़ों को मामलों के विषय में सक्षम प्रक्रिया की व्यवस्था की। वस्तुतः विवाचन का स्थायी

orderly administrative process by which Governments, in the exercise of their unquestionable powers conduct their relations with one another and discuss, adjust and settle their differences" तात्पर्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के भावार्थ में वार्ता वैध और नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपने दृढ़-प्रवर्तित अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में बातचीत, विचार विमर्श तथा परस्पर के मतभेदों का निपटारा करती हैं। प्रायः मतभेदों के निवारण के लिए सरकारों में आपस में पत्र व्यवहार किये जाते हैं। यहाँ तक कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में और उसके पश्चात् भी, तेहरान, याल्टा, पोर्टस्डम, आदि के प्रसंगों में बहुत से मतभेदों को इन देशों की सरकारों ने वार्ता द्वारा ही सुलझाया है।

यह आवश्यक नहीं है कि वार्ता का परिणाम अवश्य ही पक्षकारों के बीच के हर मतभेद को दूर कर दे। इससे यह भी सम्भव है कि दोनों सरकारों के बीच एक समझौता हो जाय या एक पक्ष दूसरे पक्ष के दावों को स्वीकार कर ले या दावों को बम कर दिया जाय अथवा आपत्तियाँ उठाई जाय। वार्ता से विश्व के जनमत के समक्ष यह भी प्रकट हो जाता है कि एक राज्य जब कि वार्ता के लिए प्रस्तुत था, दूसरे ने हठ नहीं छोड़ा और इसलिए पहले को विवश होकर मुद्रत होना पड़ा।

सद्भावना (Good Offices) — जब पक्षकार परस्पर वार्ता करना अस्वीकार कर देते हैं तो एक तीसरा राज्य आगे बढ़ सकता है तथा अपनी सेवायें समझौते के लिये दे सकता है। "सेवायें" शब्द से झगड़ते हुए पक्षकारों को एक साथ बैठाना तथा उनको मन्नता देना अथवा बिना वार्ता में भाग लिये हुए तय करने का सुझाव देना प्रकट होता है। ऐसे सुझाव तथा मन्नताओं की उपेक्षा झगड़े के किसी पक्षकार द्वारा बिना किसी मनोव्यथा अथवा विधि के भग के की जा सकती है।

यहाँ 'good offices' शब्द के प्रयोग से तात्पर्य विवादग्रस्त दोनों पक्षकारों को एक साथ बैठकर सलाहा के आदान-प्रदान या बिना वार्ता में प्रविष्ट हुये ही निपटारे के ढंग के सुझाव देने से है। झगड़े के एक पक्ष द्वारा ऐसी सलाह या ऐसे सुझाव को अस्वीकृत भी किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कानून के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत-पाक तनाव के प्रसंग में आस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने सद्भावना कार्यालय का उपयोग १९५१ में किया था जिससे उनके वर्तमान झगड़ों का निपटारा हो सके। किन्तु भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने कहा था कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच आस्ट्रेलिया के इस सद्भावना प्रयत्न कोई से लाभ सम्भव नहीं है।

मध्यस्थता (Mediation) .—मध्यस्थ भगडते हुए पक्षकारों के बीच में किसी तीसरे पक्षकार के अभिकरण द्वारा वार्ताओं को चलाता है। मध्यस्थ को या तो उसके अपने ही अभियंत्रण पर अथवा भगडते हुए पक्षकारों की प्रार्थना पर यह कार्यभार सौंपा जाता है कि वह भगडे को देखे तथा शान्तिपूर्ण समझौते का कोई ढंग निकाले। उसके सुझाव कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते तथा पक्षकार उनको स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा ह्वाभेदित करने के लिये स्वतन्त्र रहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सभ ने अरब तथा यहूदियों के भगडे में कोट फोक बर्नाडाट को सन् १९४८ में पैलेस्टाइन में मध्यस्थ नियुक्त किया तथा उनको यह कार्यभार सौंपा कि जा घटनायें घटे उनका प्रतिवेदन करें तथा पैलेस्टाइन की भावी स्थिति को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करने में सहायता करे। इसी प्रकार अप्रैल १२, सन् १९५० को सुरक्षा परिषद् ने सर ओवेन डिक्शन आस्ट्रेलिया के एक न्यायाधीश को काश्मीर सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान के भगडे में मध्यस्थ नियुक्त किया और उनको यह कार्यभार सौंपा कि भगडे के क्षेत्र में नि शस्त्रीकरण कार्यक्रम बनाने तथा उसके निरोद्धा करने में सहायता करे, तथा कोई ऐसा सुझाव दे जिससे भगडे के निपटारे में सहायता हो।

अन्तर्राष्ट्रीय भगडों के शान्तिपूर्वक समझौते के लिये की गईं हेंग प्रतिज्ञा ने इस आवश्यकता पर अधिक महत्व दिया था कि शक्तियां द्वारा बारम्बार सद्भावनाएँ दी जाँच तथा मध्यस्थता की जाय तथा यह निर्धारित किया या कि कोई राज्य जो कि भगडे में पक्षकार नहीं है उसको उसमें मध्यस्था करने का, तथा अपने सद्भावनाएँ देने का अधिकार है जो परामर्शदायक रूप में हो तथा बिना किसी बाध्यकारी प्रभाव के हों और शत्रुता क कार्य-रूप में न हो।

चार्टर के अनुच्छेद ३४ तथा ३५ में भी यह अनुबन्धित है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिससे अन्तर्राष्ट्रीय भगडा पैदा हो, संयुक्त राष्ट्र सभ सामूहिक मध्यस्थता करे।

सद्भावना-प्रयत्न तथा मध्यस्थता का अन्तर मूक्षम है जो केवल परिमाण का है। प्रथम अवस्था में तीसरा राज्य भगडे की जाँच कर सकता है अथवा सुझाव दे सकता है, किन्तु वह वार्ता में भाग नहीं लेता। तीसरा राज्य प्रतिस्पर्धी पक्षकारों को केवल एक साथ लाता है। दूसरी दशा में मध्यस्थता करने वाला राज्य भगडे के शान्तिपूर्ण समझौते के लिये किये गये विचार-विमर्श में व्यावहारिक भाग लेता है। अन्य शब्दों में यही तीसरा राज्य पक्षकारों के बीच में वार्ता चलाता है। "वस्तुतः राज्य का उस दशा में 'सद्भावना प्रयत्न प्रदान करना कहा जाता है जब यह पक्ष-

orderly administrative process by which Governments, in the exercise of their unquestionable powers, conduct their relations with one another and discuss, adjust and settle their differences." तात्पर्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के भावार्थ में वार्ता वैध और नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपने दृढ़-प्रवर्तित अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में बातचीत, विचार विमर्श, तथा परस्पर के मतभेदों का निपटारा करती हैं। प्रायः मतभेदों के निवारण के लिए सरकारों में आपस में पत्र व्यवहार किये जाते हैं। यहाँ तक कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में और उसके पश्चात् भी, तेहरान, याल्टा, पोद्सडम, आदि के प्रसंगों में बहुत से मतभेदों को इन देशों की सरकारों ने वार्ता द्वारा ही सुलझाया है।

यह आवश्यक नहीं है कि वार्ता का परिणाम अवश्य ही पक्षकारों के बीच के हर मतभेद को दूर कर दे। इससे यह भी सम्भव है कि दोनों सरकारों के बीच एक समझौता हो जाय या एक पक्ष दूसरे पक्ष के दावों को स्वीकार कर ले या दावों को कम कर दिया जाय अथवा आपत्तियाँ उठाई जाँय। वार्ता से विश्व के जनमत के समक्ष यह भी प्रकट हो जाता है कि एक राज्य जब कि वार्ता के लिए प्रस्तुत था, दूसरे ने हठ नहीं छोड़ा और इसलिए पहले को विवश होकर युद्धरत होना पड़ा।

सद्भावना (Good Offices) :—जब पक्षकार परस्पर वार्ता करना अस्वीकार कर देते हैं तो एक तीसरा राज्य आगे बढ़ सकता है तथा अपनी सेवार्थें समझौते के लिये दे सकता है। "सेवाये" शब्द से भ्रगडते हुए पक्षकारों को एक साथ बैठाना तथा उनको मंत्रणा देना अथवा बिना वार्ता में भाग लिये हुए तय करने का सुझाव देना प्रकट होता है। ऐसे सुझाव तथा मंत्रणाओं की उपेक्षा भ्रगडे के किसी पक्षकार द्वारा बिना किसी मनोव्यथा अथवा विधि के भ्रग के की जा सकती है।

यहाँ 'Good offices' शब्द के प्रयोग से तात्पर्य विवादग्रस्त दोनों पक्षकारों को एक साथ बैठकर सलाहों के आदान-प्रदान या बिना वार्ता में प्रविष्ट हुये ही निपटारे के ढग के सुझाव देने से है। भ्रगडे के एक पक्ष द्वारा ऐसी सलाह या ऐसे सुझाव को अस्वीकृत भी किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कानून के उल्लघन का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत-पाक तनावों के प्रसंग में आस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने सद्भावना कार्यलय का उपयोग १९५१ में किया था जिससे उनके वर्तमान भ्रगडों का निपटारा हो सके। किन्तु भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने कहा था कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच आस्ट्रेलिया के इस सद्भावना प्रयत्न कोई से लाभ सम्भव नहीं है।

मध्यस्थता (Mediation) :—मध्यस्थ भगडते हुए पक्षकारों के बीच में किमी तीसरे पक्षकार के अभिकरण द्वारा वार्ताओं को चलाता है। मध्यस्थ को या तो उसके अपने ही अभियंत्रण पर अथवा भगडते हुए पक्षकारों की प्रार्थना पर यह कार्यभार सौंपा जाता है कि वह भगडे को देखे तथा शान्तिपूर्ण समझौते का कोई ढंग निकाले। उससे मुझाय कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते तथा पक्षकार उनको स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा रूभाभेदित करने के लिये स्वतन्त्र रहते हैं।

सयुक्त राष्ट्र सभ ने अरब तथा यहूदियों के भगडे में कौंट फोक बर्नाडाट को सन् १९४८ में पैनैस्टाइन में मध्यस्थ नियुक्त किया तथा उनको यह कार्यभार सौंपा कि जा घटनाये घटे उनका प्रतिवेदन करें तथा पैनैस्टाइन की भावी स्थिति का शांतिपूर्ण ढंग से तय करने में सहायता करें। इसी प्रकार अप्रैल १२, सन् १९५० को सुरक्षा परिषद् ने सर ओवेन डिवसन आस्ट्रेलिया के एक न्यायाधीश को काश्मीर सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान के भगडे में मध्यस्थ नियुक्त किया और उनको यह कार्यभार सौंपा कि भगडे के क्षेत्र में निःशस्त्रीकरण कार्यक्रम बनाने तथा उसके निरोक्षण करने में सहायता करे, तथा कोई ऐसा मुझाय दे जिससे भगडे के निपटारे में सहायता हो।

अन्तर्राष्ट्रीय भगडों के शान्तिपूर्वक समझौते के लिये की गई हेग प्रतिज्ञा ने इस आवश्यकता पर अधिक महत्व दिया था कि शक्तियां द्वारा बारम्बार सद्भावनाएँ दी जाय तथा मध्यस्थता की जाय तथा यह निर्धारित किया था कि कोई राज्य जो कि भगडे में पक्षकार नहीं है उसको उसमें मध्यस्था करने का, तथा अपनी सद्भावनाएँ देने का अधिकार है जा परामर्शदायक रूप में हो तथा बिना किसी बाध्यकारी प्रभाव के हो और शत्रुता के कार्य-रूप में न हो।

चार्टर के अनुच्छेद ३४ तथा ३५ में भी यह अनुबन्धित है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिससे अन्तर्राष्ट्रीय भगडा पैदा हो, सयुक्त राष्ट्र सभ सामूहिक मध्यस्थता करे।

सद्भावना-प्रयत्न तथा मध्यस्थता का अन्तर मूझम है जो केवल परिमाण का है। प्रथम अवस्था में तीसरा राज्य भगडे की जाँच कर सकता है अथवा मुझाय दे सकता है, किन्तु वह वार्ता में भाग नहीं लेता। तीसरा राज्य प्रतिस्पर्धी पक्षकारों को केवल एक साथ लाता है। दूसरी दशा में मध्यस्थता करने वाला राज्य भगडे के शान्तिपूर्ण समझौते के लिये किये गये विचार-विमर्श में व्यावहारिक भाग लेता है। अन्य शब्दों में यहाँ तीसरा राज्य पक्षकारों के बीच में वार्ता चलाता है। “वस्तुतः राज्य का उस दशा में ‘सद्भावना प्रयत्न प्रदान करना कहा जाता है जब यह पक्ष-

वारो को परस्पर वार्ता करने के लिये प्रोत्साहित करता है और इसका 'मध्यस्थ बनना उस दशा में कहा जाता है जब यह वार्ता में भाग लेता है परन्तु स्पष्टत एक प्रकार की रीति दूसरे में विलय हो जाती है ।'

समाधान (Conciliation) — इस शब्द द्वारा व विभिन्न रीतियाँ व्यवहती हैं जो एक तीसरे पक्षकार द्वारा दो या अधिक राज्यों के बीच में झगड़े को शान्तिपूर्वक तय करने के लिये ग्रहण की जाती हैं । इसमें तथ्या के अनुसंधान के उपरांत तय करने के लिए प्रस्तावों का बनाना सम्मिलित है । ऐसे प्रस्ताव झगड़े के पक्षकारों पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते । हेग की १८६६ तथा १९०७ की प्रतिज्ञाओं में समाधान के आयोगों द्वारा झगड़ों का शांतिपूर्वक समझौता अनुबन्धित है ।

समाधान तथा मध्यस्थता में यह अन्तर है कि प्रथम तो तथ्यों को ज्ञात करने तथा निपटारे की शर्तों को सुझाने के लिए झगड़े को एक व्यवस्थित की सस्था को निर्दिष्ट किया जाना प्रकट करता है और दूसरे पक्षकारों के बीच में एक तीसरे पक्षकार के अतिकरण द्वारा वार्ता चलाया जाता व्यक्त होता है । समाधान विवाचन से भी इस बात में भिन्न है कि पहली दशा में किसी झगड़े के पक्षकार वार्ता के परिणाम की उपेक्षा करने के लिए स्वतन्त्र हैं लेकिन दूसरी दशा में पक्ष का एक वैध निर्णय पक्ष के निर्णय के रूप में होता है जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग (International Commissions of Inquiry) — यद्यपि ये आयोग कंसिलियेशन आयोगों से जिनका कि ऊपर बखन किया जा चुका है भिन्न हैं जब आयोग झगड़ों के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल करने और जब तक कि प्रतिवेदन न कर लें तब तक के लिए शत्रुतापूर्ण कार्यों को निरन्वित करने में सहायक होते हैं । १८६६ के हेग सम्मेलन के पहले अभिसमय में सुझाव दिया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के लिए जिसमें कि न तो सम्मान का प्रदान और न आवश्यक हित का ही प्रश्न सम्मिलित है और तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में जिससे कि तथ्या का निराकरण हो सके तथा अज्ञान की अवस्था को दूर करने, जिससे कि शत्रुता दूर हो सके, आयोग सहायक होता है । सम्मेलन में यह व्यवस्था दी गई कि ऐसे आयोग, सम्बन्धित पक्षकारों के विशिष्ट समझौते के आधार पर निर्मित हो सकते हैं और आयोग के अभिसमय के अनुच्छेद ३२ के आधार पर नियुक्त होंगे । यह अनुच्छेद विवाचन (Arbitral Tribunals) की नियुक्ति के सम्बन्ध में है ।

विवाचन (Arbitration) :—अन्तर्राष्ट्रीय झगडों को शान्तिपूर्वक विधियों से बचाने के लिये विवाचन सब से प्रमुख रीति है। जैसा सौरेंस का कथन—इसका महत्व इनके न्यायिक धर्मवा न्यायिक-वस्तु स्वरूप में रहता है। यह ठीक का एक व्यक्ति को धर्मवा व्यक्ति को छोटे समूह को निर्दिष्ट करना प्रवृत्तता है जिससे पक्षकार अपने-अपने पक्षों को ध्यान करते हैं और जिसके निर्णय वे प्रतिष्ठावान माना के लिये बाध्य हैं और यस्तुत गम्यमाना है। इसके परीत उदाहरण कबल उलो दगा म मिसता है जब पक्ष अपनी शक्ति के बाधक है। जब कोई झगडा किमी पक्ष को सौंप दिया जाता है तो मामला एक न्यायालय व समझ परीक्षण का रूप धारण करता है (Lawrence - The Principles of International Law, p. 566)। राज्या का यह कर्त्तव्य नहीं कि वे अपने झगडे को विवाचन के हाथ उस समय तक सौंपे जब तक उन्होंने अपने पहले से एक सधि द्वारा बाध्य न कर लिया हो। परन्तु जहाँ उन्होंने मामले को पक्षकार विवाचन को निर्दिष्ट किया अपने निर्णय की उपेक्षा का धर्म होता है किंजा भग, जब तक वह घोषा, कपट तथा उलो प्रकार की धर्म बातों में दूषित न हो, धर्मवा पक्ष जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपनी शक्तियों को बाहर न गया हो।

१९५१ में संयुक्त राष्ट्र सचिव प्रतिनिधि डा० फॉक्स गार्हम की नियुक्ति अमीर व झगडे का निपटारा विवाचन द्वारा करने के लिये हुई। भारतवर्ष ने उ झगडे को विवाचन में भेजने में इकार किया यद्यपि वह महान् शक्तिवा काल बनना नहीं चाहता था और इसके प्रतिरिक्त इससे अमीर के आत्म-निर्णय के विचार पर मूलतः भारत की स्थिति पर आघात होता, किन्तु सुरक्षा परिषद् में प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट किया कि विवाचन अस्वीकृतकरण संबंधित उन तथ्यों पर विचार करेगा जिम पर भारत तथा पाकिस्तान सहमत हैं। अन्त में अखिर उसका परामर्श और सुझाव लेने के लिये राजी हो गया।

सन् १८६६ के प्रथम हेग सम्मेलन ने विवाचन का स्थायी न्यायालय एक अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो सहित हेग में स्थापित किया जो उसके सचिवालय का कार्य करेगा एक स्थायी प्रशासकीय परिषद् स्थापित किया। प्रत्येक हस्ताक्षर करने वाली शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्नों में विशिष्ट योग्यता रखने वाले तथा सर्वोच्च नैतिक चरित्र रखने वाले व्यक्तियों को विवाचन के स्थायी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिये चुनती थी। समस्त न्यायाधीशों की सूची में से पक्षकारों को यह स्वतन्त्रता थी कि किमी न्यायाधिकरण के लिये सदस्यों का चुने। सन् १९०७ के हेग सम्मेलन ने इस योजना में कुछ सुधार किये तथा गौण महत्व के झगडों को मामलों के विषय में सक्षित प्रक्रिया की व्यवस्था की। वस्तुतः विवाचन का स्थायी

न्यायालय कोई न्यायालय नहीं था वरन् यह केवल एक पक्षी की सूची थी जिससे न्यायालय बनाए जा सकते थे । ऐसी दशा में यह वास्तविक अर्थ में कोई न्यायालय नहीं था इसलिये इसमें स्थिरता नहीं थी ।

सन् १६०२ तथा १६३२ के बीच में विवाचन के स्थायी न्यायालय द्वारा बीस निर्णय दिये गये जिनमें सयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच का उत्तरीय अटलान्टिक महासागर मत्स्यालयों वाला मामला (१६१०), सावरकर का मामला (१६११) तथा प्रथम महायुद्ध में नीर्वे तथा सयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का नीर्वे के जहाजों को अधिवाचन का मामला (१६२२) सम्मिलित हैं ।

सन् १६१६ की वार्सलीज की संधि से उत्पन्न हुए क्षेत्रीय झगड़ों का निर्णय करने के लिए यूरोप में बहुत से मिश्रित न्यायाधिकरण नियुक्त किये गये । ऐसे झगड़े या तो एक अकेले व्यक्ति द्वारा पक्ष के रूप में अथवा प्रतिस्पर्धी राज्यों द्वारा मनोनीत किये गये सदस्यों से बने आयोग द्वारा अथवा बाहरी लोगों द्वारा तथा प्रतिस्पर्धी राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्णीत किये गये ।

राज्य के बीच में झगड़ों को शान्तिपूर्वक निपटाने के साधनों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सयुक्त राष्ट्र सभ की विवेचना पहले की जा चुकी है ।

बन्धनकारी रीतियाँ (Compulsive means) :—अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने की प्रतिरोधी रीतियों का अथवा अन्य राज्य से बलपूर्वक बदला लेने की रीतियाँ का जो युद्ध की सीमा को न पहुँचती हो अब अध्ययन किया जाय । वे निम्नलिखित हैं —

शिकायतें (Complaints) :—अनिवार्य साधनों का वर्णन करने के पहले यह आवश्यक होगा कि यहाँ दूसरे सरल साधनों का, जिससे कि ऐसे झगड़ों को निपटारे हो सके जो कि सेना के कमांडरों के बीच की शत्रुता से उत्पन्न होते हैं, अध्ययन कर लिया जाय । वे प्रायः एक दूसरे के विरुद्ध अवैध युद्ध विधि अपनाने की शिकायत करते हैं । ऐसे कार्य या तो युद्ध विराम के झड़े के अपमान सम्बन्धित होता है या जेनेवा अभिसमय के अतिक्रमण के सम्बन्ध में होता है या इसी प्रकार के अन्य । ऐसी शिकायतें शत्रु के पास परलैंग आर्म्स टू स अर्थात् शांति के झड़े के संरक्षण में भेजी जाती है और शत्रु का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ऐसी शिकायतों को छानबीन करे तथा यदि शिकायतें न्यायोचित हैं तो अपराधियों को दण्डित करे ।

प्रतिकार (Retorsion) :—यह एक बदले का उपाय अथवा जवाबी कार्य-वाही है जो किसी राज्य द्वारा अन्य राज्य के शत्रुतापूर्ण अथवा अशिष्ट व्यवहार के

लिये प्रयोग किया जाता है। अपराधी राज्य के विरुद्ध जो उपाय निर्देशित किये जाते हैं युद्ध का कारण तो नहीं होते तथा वस्तुतः उनको अवलम्बन करने वाले राज्य के वैध अधिकारी के भीतर आते हैं। ऐसे उपाय भिन्न-भिन्न रूप धारण कर सकते हैं। वे अपराधी राज्य द्वारा पीड़ित राज्य के प्रजाजनो के ऊपर लगाये गये निरोधो के बदले में अपराधी राज्य के प्रजाजनो के ऊपर उसी प्रकार के निरोधो को लगाने के रूप में, राजद्रुत को वापस बुलाने के रूप में, राजकर तथा पण्य शुल्क सम्बन्धी रियायतो को वापस लेने के रूप में हो सकता है। बदले के सम्बन्ध का हाल का उदाहरण उन उपायो से प्राप्त होता है जो भारत द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध उसके भारत विरोधी रूढ़ तथा जातीय भेदभाव की नीति के लिये अवलम्बन किये गये। जब भारत द्वारा भारतीय उत्पत्ति के नागरिको को दशा सुधारने के लिये बारम्बार के प्रतिवेदन विफल हो गये तो वह दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिकार के उपायो का अवलम्बन करने के लिये बाध्य हो गया जिनके द्वारा भारत में दक्षिण अफ्रीका निवासियो पर अयोग्यताये लादी गईं। फिर भी, दक्षिण अफ्रीका में भारत-विरोधी विधान नहीं रूढ़ और भारत को अपने हाई कमिश्नर को दक्षिण अफ्रीका से वापस बुलाना पडा तथा व्यापारिक सम्बन्धो को तोड देना पडा।

प्रत्यपकार (प्रतिशोध) (Reprisal) .—यह शब्द बहुत व्यापक है और इसमें बलपूर्वक बाध्य करने के वे सब उपाय सम्मिलित हैं जो किसी राज्य द्वारा बदला लेने के प्रयोजन से ग्रहण किये जाते हैं। यह बदले से इस बात में भिन्न है कि इसमें वे कार्य भी सम्मिलित हैं जो ऐसे नियम विरुद्ध हैं, किन्तु जो विशिष्ट परिस्थितियो में न्याययुक्त हा जाते हैं, जब बदले की दशा में बदले के उपाय के सम्बन्ध में कोई वैध आपत्ति नहीं हा सकती क्योंकि वे कवल शत्रुता के कार्य हैं जो पीड़ित राज्य की क्षमता के भीतर हैं।

लोरेस ने प्रत्यपकार (प्रतिशोध) की परिभाषा इस प्रकार की है कि यह अपराधी पर दबाव डालने की रीतियाँ हैं जो भयकर रूप की हैं यद्यपि वे वास्तविक युद्ध की सीमा तक नहीं पहुँचती। वे प्रत्यपकार का प्रक्रिया को दृढ, निपेयात्मक, विशेष तथा सामान्य में विभाजित करते हैं। दृढ बदले का अर्थ असम्यो की विधि के सिवा और कुछ नहीं है जो 'सर के बदले सर' है अथवा जैसा कि इसे परिभाषानुसार प्रत्यपकार नियम 'lex talionis' कहा जाता है। निपेयात्मक बदला शत्रुतापूर्वक किन्तु शान्तिपूर्वक रीति से काय करने वाले राज्य के विरुद्ध उसी प्रकार स आचरण करना है जैसा उसने किया है। उनका बलप्रयोग अथवा युद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनमें किसी राष्ट्रीय ऋण को चुकान अथवा सधि के आभारों को

पालन करने से अस्वीकार करना सम्मिलित हो सकता है। वे किसी प्रकार से उग्र कार्य नहीं है वरन् केवल बदले हैं। विशेष प्रत्यपकार जिनका कि मध्ययुग में अधिकतर उपयोग किया जाता था, वे हैं जो वैयक्तिक जनो को अन्य राष्ट्र के प्रजा-जनो द्वारा पहुँचाई गई हानि की क्षतिपूर्ति के लिये किये जाते हैं। जिनको हानि होती थी उनको सम्राट द्वारा मुद्रांकित पत्र दिये जाते थे, और उनको प्राधिकृत किया जाता था कि वे अपराधी राष्ट्रकता के जहाजो तथा उसमें लादे हुए माल का अभिग्रहण करके अपनी क्षतिपूर्ति कर ले। सामान्य बदला उस दशा में होता है जब कोई राज्य जो अपने को पांडित समझता है और बिना युद्ध करने के विचार के युद्ध सट्टा कार्यवाहियाँ करता है अर्थात् अपराधी राज्य पर उसकी सम्पत्ति का अभिग्रहण अथवा उसे नष्ट करके, उसके क्षेत्र को ग्रहण करके अथवा उसके स्थानो या जहाजो को अभिग्रहण करके दबाव डालता है।

बदला लेने के उपाय केवल अपराधी राज्य के विरुद्ध कार्य करने तक ही सीमित नहीं हैं परन्तु वे राज्य के नागरिको के विरुद्ध भी लागू किये जा सकते हैं। सन् १९३५ में जब मार्सलीज में यूगोस्लेविया के सम्राट अलेक्जेंडर को हत्या के परिणामस्वरूप हंगरी के लाग, जिन पर हत्या करने का सन्देह किया गया था प्रत्यपकारस्वरूप यूगोस्लेविया से निकाल दिये गये।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यपकार उस दशा में अनुज्ञात है जब न्याय न प्राप्त हो अथवा कोई अन्तर्राष्ट्रीय अपराध किया गया हो। हानि पहुँचाये गये राज्य के लिए वे आत्म-सहायता के कार्य हैं। नोलिला वाले मामले में विवाचन के विशेष अधिकरण द्वारा यह कहा गया कि वैध बदले की रीति का अवलम्बन करने के लिये दो बातें आवश्यक हैं अर्थात् हानि पहुँचाये गये राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति के लिये एक असफल माँग जिससे कि बल-प्रयोग आवश्यक हो गया तथा अपराधी राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति के लिये अस्वीकार किया जाना। पुनः उपाय जो अवलम्बन किये जाय अत्यधिक अथवा प्राप्त हुए प्रकोप के अनुपात से बहुत अधिक नहीं होने चाहिये।

प्रत्यपकार के उपरोक्त उप-विभाजनो के अतिरिक्त दो उप-विभाजन जिनकी विवेचना करना शेष रह गया है वे हैं—शत्रुतापूर्ण अधिरोध (Hostile Embargo) तथा शान्तिपूर्ण नावाबन्दी (Pacific Blockade)।

शत्रुतापूर्ण अधिरोध (Hostile Embargo)—इसका अर्थ अपराधी राज्य के व्यापारी जहाजो अथवा संपत्ति का क्षतिपूर्ति चाहने वाले राज्य के बन्दर-गाहो में अभिग्रहण अथवा रोकना है। यह शान्तिपूर्ण अथवा नागरिक जहाजो के

रोक से भिन्न है जो एक राज्य द्वारा अपने ही जहाजों पर अपने ही बन्दरगाह पर लगाया जाता है। अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम भाग में शत्रुतापूर्ण अधिरोध का अवलम्बन प्रायः शत्रुता की आशा में किया जाता था, किन्तु यह रीति बाद में व्यापारिक हितों की वृद्धि के कारण त्याग दी गई जिसका परिणाम यह हुआ कि योद्धा राज्य शत्रु के व्यापारी जहाजों को जो उनके बन्दरगाहों में पाये जायें रियायती दिनों के भीतर चले जाने को अनुमति प्रदान कर दे।

शांतिपूर्वक संरोध (नाकाबन्दी) (Pacific Blockade)—यह किसी अपराधी अथवा हठी राज्य के व्यापार को अस्थायी रूप से कुछ काल के लिये रोकना है। यह अपने समुद्री किनारे में अथवा उसक किसी विशेष भाग में प्रवेश रोकने से होता है किन्तु यह बिना किसी उग्र विरोधी कार्यों का अवलम्बन करते हुए होना चाहिये, केवल उतना छोड़कर जितना कि इस रुकावट को प्रवर्तन करने के लिये आवश्यक हो।

यह साधारणतः प्रयोग में इस प्रकार लाया जाता है अर्थात् या तो (१) बलपूर्वक बदले के रूप में अथवा प्रतिकार के उपाय के रूप में जो युद्ध से कुछ ही कम हो, अथवा (२) अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस उपाय के रूप में। इस उपाय का निर्वल राज्यों के विरुद्ध उन राज्यों द्वारा अवलम्बन किया जाता है जिनके पास बहुत बड़ी नाविक शक्ति हो अथवा जा बहुत बलशाली शक्तियाँ हैं; अन्यथा यदि दोनों प्रतिस्पर्धी राज्य सामान्यतः बलशाली हो तो युद्ध अवश्यभावी हो जाय। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व नाकाबन्दी पूर्णतः एक युद्ध का उपाय था। शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी को अर्थात् इसे अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्ति के समय में निपटाने के लिये एक बलपूर्वक वाच्यकारी उपाय के रूप में लागू किया जाना उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे चौथाई काल से स्वीकृत हुआ।

सन् १८८७ में हीडलबर्ग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी उस दशा में वैध है जब कि यह प्रभावपूर्ण हो, सम्यक् रूप से अधिसूचित हो, पर्याप्तबल से स्थापित हो तथा विदेशी झण्डे के जहाजों से हस्तक्षेप न करता हो। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि जब तक नाकाबन्दी संचालित रहे रोकने के अतिरिक्त और कोई कठोरता का व्यवहार न करे तथा उसकी समाप्ति पर वे बिना क्षतिपूर्ति के छोड़ दिये जायें।

संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अपराधी राज्यों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा उसकी ओर से शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी की प्रवृत्ति प्राधिकृत करता है।

हस्तक्षेप (Intervention) :—यह राज्यों के बीच झगड़ों को निपटाने के लिये एक दूसरा बन्धनकारी उपाय है जो युद्ध की सीमा तक नहीं पहुँचता। पूर्व प्रसंग में इस विषय पर विस्तार से लिखा जा चुका है।

चार्टर द्वारा बन्धनकारी रीतियों की अनुशास्ति (Sanction of Compulsive Means by the Charter) .—अब सयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के सम्बन्ध में बन्धनकारी रीतियों की स्थिति के विषय में अध्ययन किया जाय। चार्टर का अनुच्छेद २ (३) सदस्यों को यह प्राधिकृत करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्ण रीतियों से इस प्रकार निपटावे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के लिये कोई भय उत्पन्न न हो। इस अनुबन्ध का प्रभाव यह है कि प्रतिरोध तथा प्रत्यपकार उदाहरणार्थ शत्रुतापूर्ण जहाजों का अधिरोध तथा शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी केवल तभी तक अनुमति प्राप्त हैं जब तक वे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिये भयोत्पादक न हों। अनुच्छेद २ (४) द्वारा सदस्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी राज्य की क्षेत्रीय एकता अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध बल प्रयोग की धमकी न दें अथवा बलप्रयोग न करें अथवा किसी ऐसी अन्य रीति से व्यवहार न करें जो सयुक्त राष्ट्र सभ के उद्देश्यों से असंगत हो। कोई प्रत्यपकार अथवा हस्तक्षेप जिसका परिणाम किसी राज्य के समीप क्षेत्रीय ऐक्य अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध बल-प्रयोग करने की धमकी अथवा बल प्रयोग हो स्वतः सयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के स्पष्ट अनुबन्धों के विरुद्ध अवैध होगा, तथापि प्रवर्तक अनुबन्ध जिनका उल्लेख चार्टर के अध्याय ७ में किया गया है सुरक्षा परिषद् को यह प्राधिकृत करता है कि चूक करने वाले सदस्य-राज्यों के विरुद्ध तथा चार्टर के अनुच्छेद २ (६) के अनुसार असदस्य राज्यों के विरुद्ध सामूहिक उपायों को लागू करे जो आर्थिक सम्बन्धों, रेल, सड़क, वायु, डाक, तार, रेडियो तथा अन्य यातायात साधनों में बाधा डालने तथा राजनीतिक सम्बन्धों के विच्छेद में जिसमें शान्ति भंग को रोकने के प्रयाजन से नाकाबन्दी भी सम्मिलित है, से सम्बद्ध है।

अध्याय ३५

युद्ध तथा इसका प्रभाव

(War and its Effects)

परिभाषा :—लीरेंस के अनुसार युद्ध को हम प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह राज्यों के बीच में अथवा राज्यों तथा जातियों के बीच में जिनको

प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध में राज्य के अधिकार हो, सार्वजनिक बल से की गई एक प्रतिस्पर्धा (contest) है जिसमें पक्षकारों का यह आशय रहता है कि शान्तिपूर्ण संबंध समाप्त कर दिये जायें तथा उनके स्थान में शत्रुता को उसके समस्त वैध परिणामों सहित बदल दिया जाय। "War is a contest carried on by public force between States, or between States, and communities living with regard to the contest the rights of States, the parties to it having the intention of ending peaceful relations, and substituting for them those of hostility with all the legal incidents thereof." (Lawrence The Principles of International Law, p. 309)। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार युद्ध के दो प्रमुख लक्षण प्रतिस्पर्धा तथा आशय हैं जिनका अस्तित्व युद्ध होने के लिये साथ ही साथ रहना चाहिये। दूसरे के बिना पहले का परिणाम युद्ध न होकर प्रत्यपकार में परिणित होता है।

ग्रीफेनर वेस्टलेक की परिभाषा में युद्ध सरकारों की वह दशा अथवा स्थिति है जब वे बलपूर्वक परस्पर लड़ते हो। ग्रीशस (Grotius) ने भी युद्ध को एक स्थिति (condition) माना है। लीरेस इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। वह शत्रुता में लगे रहने की दशा को युद्धकारिता अथवा युद्ध सलग्नता (belligerency) कहते हैं तथा लड़ाई के मध्य में जो एक के बाद दूसरे शत्रुतापूर्ण कार्य होते हैं उनको 'युद्ध' (war)। उनके अनुसार युद्ध एक प्रतिस्पर्धा है न कि एक स्थिति और इसके अनन्तर यह उन प्रतिस्पर्धाओं तक ही सीमित है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों द्वारा दिये गये राज्य के प्राधिकार के अन्तर्गत किये जाते हैं।

रूसों के विचार में युद्ध दो राज्यों के बीच में बल प्रयोग द्वारा झगडा (a contention by force between two states) है। यह विचार इस अर्थ में अप्रचलित है क्योंकि आधुनिक युद्ध निर्दयता से नैतिक विचारों की अपेक्षा किए बिना लड़े जाते हैं जो युद्धों को अधिक प्रमानुषिक बनाने का यत्न करते हैं। आजकल का युद्ध का विचार सर्वाङ्गीण युद्ध है जहाँ प्रत्येक वस्तु युद्ध में विजय प्राप्त करने के सर्वोच्च कार्य के अधीन रखी जाती है। लड़ने वाले तथा न लड़ने वाले तथा सैनिक और असैनिक लक्ष्यों का पुराना अन्तर अब मान्य नहीं है। नागरिकों के जीवन को अब पवित्र नहीं समझा जाता।

ग्रीफेनहेम युद्ध को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि यह दो या अधिक राज्यों के मध्य में अपने सैनिक बल द्वारा एक दूसरे को पराजित करने तथा शान्ति को आरोपित करने के लिए जैसा विजयी राज्य चाहे, लड़ाई है—
a contention between two or more States through their armed forces for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases

अतः युद्ध की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है—यह दो या अधिक राज्यों के मध्य में सैनिक बल द्वारा की गई प्रतिस्पर्धा है जिसमें प्रत्येक लड़ने वाले का चरम लक्ष्य दूसरे को जीतना तथा अपनी ही शान्ति की शर्तों को आरोपित करना है।

हॉल (Hall) के अनुसार "When differences between States reach a point at which both parties resort to force or one of them does acts of violence which the other chooses to look upon as a breach of the peace, the relation of war is set up in which the combatants may use regulated violence against each other, until one of the two has been brought to accept such terms as his enemy is willing to grant" अर्थात् दो राज्यों में मतभेद जब बढ़कर इस स्थिति तक पहुँच जाता है कि दोनों पक्ष बल-प्रयोग पर उतर आते हैं या उनमें से एक हिंसा के कार्य करने लगता है और जिसे प्रतिद्वन्द्वी राज्य शान्ति-भंग की एक कार्यवाही मानता है, तो उनके बीच युद्ध का सबंध स्थापित हो जाता है जिनमें दोनों एक दूसरे पर हिंसात्मक कार्यवाहियाँ कर सकते हैं, यह क्रम उस समय तक जारी रहता है, जब तक कि एक पक्ष अपने शत्रु की इच्छाओं को मानने के लिए विवश न कर दिया जाय।

युद्ध के प्रकार (Kinds of War)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्राचीन लेखकों ने युद्ध को लोक (Public) और व्यक्तिगत (Private), सम्मिलित युद्ध (mixed war), पूर्ण या अपूर्ण युद्ध (perfect or imperfect war), न्यायोचित या न्याय-प्रतिकूल युद्ध (just or unjust war) और औपचारिक या अनौपचारिक युद्ध (formal or informal war) में विभाजित किया है।

स्वतन्त्र सम्प्रभु राज्यों के बीच के बल-प्रयोग को लोक-युद्ध कहते हैं। हाईड (Hyde) के अनुसार यह राज्यों के बीच सशस्त्र शत्रुता की एक शर्त (a condition of armed hostility between states) है। सम्पत्ता के विकास के साथ ही वैयक्तिक युद्ध समाप्त हो गये, और वैयक्तिक व्यक्ति या कि शान्ति भंग करने का प्रयत्न करते हैं, वे शान्ति के तोड़ने वालों के रूप में माने जाते हैं। आज के युग में सभी युद्ध एक प्रकार से लोक युद्ध हुआ करते हैं और युद्ध-सम्मतिता और यहाँ तक कि विद्रोह की स्थिति में भी राज्य की सत्समता के कारण लोक-युद्ध के तत्त्व विद्यमान होते हैं।

ग्रोशस (Grotius) ने एक ही समाज के विभिन्न सदस्यों द्वारा किए जाने वाले गृह-युद्ध को सम्मिलित युद्ध की संज्ञा दी थी। उनके अनुसार एक पक्ष प्रस्थापित सरकार के पक्ष में लोक रहता है और दूसरी ओर उसके प्राधिकार का

विरोध करने वाले वैयक्तिक लोग होते हैं, जिन्हें द्रोही कहा जाता है। आज की परिस्थितियों में यह वर्गीकरण सत्य नहीं स्थिर होता, क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, युद्ध सलमता की मान्यता के साथ ही साथ युद्ध का समूचा रूप ही बदल गया है। ओपेनहेम के अनुसार एक ग़रब युद्ध उस समय अस्तित्व में होता है, जबकि एक ही राज्य में दो एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी पक्षकार राज्य में प्रभुत्व में आने के लिए शस्त्रों की शरण लेते हैं या जबकि एक राज्य की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग वैध सरकार के विरुद्ध शस्त्र उठाकर सामने आ जाता है।

एक पूर्ण युद्ध वह है, जहाँ कि सम्पूर्ण राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से युद्ध-रत हो, जबकि एक अपूर्ण युद्ध कतिपय स्थानों, व्यक्तियों और वस्तुओं तक ही सीमित हो।

जहाँ-कहीं युद्ध के लिए न्यायोचित कारण उपस्थित रहते हैं, उस न्यायोचित युद्ध कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी राष्ट्र की राजनीतिक स्वतन्त्रता और क्षेत्रीय एकता के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध न्यायोचित युद्ध कहा जायेगा। दूसरी ओर, एक न्याय प्रतिकूल युद्ध वह है जो कि न्याय-विरुद्ध आघातों पर लड़ा जाता है। अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा की पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य की क्षेत्रीय सीमा में घुसकर उस प्राप्त करने के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध न्याय-प्रतिकूल युद्ध कहा जायेगा।

एक औपचारिक युद्ध वह है जो कि वांछित सभी औपचारिकताओं के साथ घोषित कर दिया जाता है और उसका संचालन लोक-प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। एक अनौपचारिक युद्ध किसी दूसरे राज्य पर सहसा आक्रमण कर देने से उत्पन्न हो जाता है।

अन्तिम रूप से, ओपेनहेम (Oppenheim) के अनुसार, गुरिल्ला युद्ध-कोशल उस युद्ध में अपनाये गये कोशल को कहते हैं जो कि शत्रु द्वारा विजित क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो सशस्त्र और संगठित सेना के अंग नहीं हैं।

पूर्ण युद्ध (Total War) :—वर्तमान युग के युद्ध ने पूर्ण युद्ध का रूप धारण कर लिया है जिसमें वे नैतिक विचार जा उन अभिसमयों पर आधारित हैं जो युद्ध को अधिक मानुषिक बनाना चाहते हैं अथवा युद्ध के नियम नियत करते हैं कोई युद्ध अथवा अथवा रखने वाल नहीं माने जाने। प्रत्येक वस्तु युद्ध-शासित करने वाली आत्माओं के अन्तर्गत रखी जाती है। नियम, विनियम, आश्वासन, सन्धियाँ तय-शुद्ध युद्ध धूल में मिला दिये जाते हैं तथा इस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अर्थ देने वाले प्रभावों से उन्मुक्त होकर, बलपूर्वक अपने शत्रु को परास्त करने के

लक्ष्य से और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रीतियो तथा उपायो की अपेक्षा न करते हुये युद्ध किया जाता है (R. W. Cooper : The Nuremberg Trial, p. 299) । इस प्रकार गत युद्ध में अणुबम का प्रयोग स्पष्टतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अति प्राचीन सभ्य युद्ध के नियमों का उल्लंघन था तथा मानवता के विरुद्ध एक अपराध था ।

क्या यह आवश्यक है कि युद्ध के पूर्व युद्ध की घोषणा की जाय ? (Prior Declaration of War) :—किसी समय राज्यों के बीच में शत्रुता को वैध करने के लिये यह आवश्यक समझा जाता था कि एक राज्य अपनी ओर से शत्रु-राज्य को नियमपूर्वक अधिसूचना द्वारा यह घोषित करे कि हमकी ओर उसकी लड़ाई है । इस रीति का रोमन तथा यूरोप के राज्यों द्वारा सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक समान रूप से अनुकरण किया गया । लड़ने के लिये ललकारने के पत्र अथवा अग्रदूत अन्य पक्षकार के पास भेजे जाते थे जिनके द्वारा सन्देश पहुँचने तथा युद्ध आरम्भ होने के बीच में तीन दिन का समय दिया जाता था । इस लोकाचार का सबसे आधुनिक उदाहरण सन् १६३५ में व्रसेल्स में युद्ध की घोषणा है जिसमें सशस्त्र अग्रदूतों द्वारा जो अत्यधिक शिष्टता से भेजे गये थे, शत्रु को आवश्यक सूचना दी गयी । अग्रदूतों को भेजने की इस रीति को त्याग देने के उपरान्त अन्य पक्ष को युद्ध आरम्भ करने की सूचना देने के लिए एक नियमानुसार राजनैतिक वक्तव्य देने की प्रथा प्रचलित हुई, किन्तु अठारहवीं शताब्दी तक ऐसे राजनैतिक वक्तव्य भी प्रायः त्याग दिये गये और हम देखते हैं कि बहुत सी दशाओं में ऐसे वक्तव्य केवल युद्ध आरम्भ करने के उपरान्त ही किये गये । सन् १७०० तथा १८७० के बीच में यह ज्ञात किया गया है कि दस मामलों में युद्ध की घोषणा की गयी परन्तु १०७ मामलों में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई । युद्ध आरम्भ करने के पूर्व उसकी घोषणा करने की प्रथा उन्नीसवीं शताब्दी के बाद के वर्षों में पुनः सामान्य रीति से व्यवहार की जाने लगी और उस समय यह प्रायः स्वीकृत कर लिया गया था कि कुछ प्रकार की घोषणा अथवा अन्तिम चेतावनी आवश्यक है ।

राज्यों की रीति के पुनरावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विषय में कोई सामान्य नियम नहीं निकाला जा सकता कि शत्रुता के कार्य आरम्भ करने के पूर्व कोई पूर्वकालिक अथवा नियमपूर्वक युद्ध की घोषणा आवश्यक है या नहीं, किन्तु यह प्रकट है, जैसा कि लौरेंस न सकेत किया है, कि इसमें सदेह नहीं कि राजनैतिक आचरण के अनुसार यह आवश्यक है कि बिना सावधानी के शत्रुता के कार्य आरम्भ न किये जायें । किसी राज्य को परम शान्ति की व्यवस्था

कर देना चाहिये और यह उनके सम्बन्ध में तब तक प्रभाव न रखेगा जब तक कि अधिसूचना प्राप्त न हो जाय, जो तार द्वारा भी दी जा सकती है।

इस प्रसिद्ध अभिसमय का शोचनीय रूप से भग उस समय हुआ जब सन् १९३१ में जापान ने मन्चूरिया का अभिग्रहण सन् १९३५ में किया और शाघाई पर आक्रमण किया तथा जब इटली ने अबीसीनिया पर नाममात्र को भी चेतावनी दिये बिना आक्रमण कर दिया। जापान ने इस इतिहास की पुनरावृत्ति जुलाई सन् १९३७ में की जब उसने बिना पहले कोई चेतावनी दिये हुये चीन के विरुद्ध पुनः युद्ध आरम्भ कर दिया। उसके उपरान्त द्वितीय महायुद्ध हुआ जिसका भी आरम्भ सितम्बर १९३९ में जर्मनी द्वारा पोलैण्ड पर बिना किसी सूचना के आक्रमण करने तथा आकाश से बमबर्षा करने के कारण हुआ। रूस द्वारा फिनलैण्ड पर जो आक्रमण किया गया वह भी बिना किसी सूचना के किया गया था। जून १९४१ में जर्मनी ने रूसी संधि पर भी बिना किसी सूचना के आक्रमण कर दिया। इन सब के शिखर पर दिसम्बर १९४१ का पर्ल हारबर का मामला आता है जब जापान ने पर्ल हारबर में स्थित समुक्त राज्य अमेरिका के जहाजी बेड़े पर अचानक ही आक्रमण कर दिया। जापान ने इस कार्य का समर्थन अन्तर्राष्ट्रीय विधि के युद्ध-संचालन सम्बन्धी किसी भी सिद्धान्त पर नहीं किया जा सकता। १९६२-६३ में भारत की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर जो चीन की ओर से प्रबल आक्रमण हुआ था, उसकी भांति चीन की ओर से कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और युद्ध में रत होने के पश्चात् भी दोनों देशों ने युद्ध की घोषणा नहीं की थी।

युद्ध का तात्कालिक प्रभाव (Immediate Effects of War) — युद्ध का तात्कालिक तथा सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि प्रत्येक पक्ष के युद्धकर्ताओं के सार्वजनिक सैन्य दलों को यह अधिकार प्रदत्त कर दिया जाता है कि युद्ध-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार युद्ध आरम्भ कर दें।

राजनयिक तथा वाणिज्य-सम्बन्धी नियम (Diplomatic and Consular Relations) .— इसका यह भी प्रभाव होता है कि राजनयिक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है तथा राजदूतों को घटना-प्रधान पारगोट निकल जाता है। असमय होन वाले दूत को यह अधिकार होता है कि वह अपने देश के वाणिज्य की यात्रा भर में राजनयिक उन्मुक्तियों का उपयोग कर तथा प्रलेखागार छोड़ देना स्या ही तो वह मुद्रावित्त करके रत दिया जाता है।

वाणिज्यदूतों का भी कार्य नहीं करने दिया जाता और उन्मुक्तियाँ रद्द की जाती हैं।

वाणिज्य सम्पर्क (Commercial Intercourse) —युद्ध छिड़ने पर कुछ प्रतिबंधों के साथ दोनों लड़ने वाले राज्यों के बीच के प्रायः वैध सम्बन्ध या तो कुछ समय के लिये स्थगित कर दिये जाते हैं अथवा समाप्त कर दिये जाते हैं । इनका परिणाम यह होता है कि शत्रु प्रजातंत्रों के बीच के मनी व्यापारिक सम्पर्क प्रवृत्त हो जाते हैं । दोनों महायुद्धों के बीच ग्रेट ब्रिटेन ने सन् १९१४ तथा सन् १९३९ के शत्रु से व्यापार सम्बन्धी अधिनियम पारित किए जिसके अनुसार युद्ध के बीच ऐसे मन्त्र लेन देना का निषेध किया गया जिनमें शत्रुदेश में रहने वाले अथवा व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का सुधार हो ।

संवित्तयें (Contracts) —युद्ध करने वाले प्रजातंत्रों के बीच युद्ध के समय में कोई नयी सविदाएँ नहीं की जा सकती तथा यदि वे ऐसे नियोजनों के होते हुये भी की जायें तो न्यायालय उनको मूलतः अत्रैव तथा प्रभावहीन घोषित करते हैं यह शर्त कि वे किसी विशेष लाइसेन्स के अधीन न किए गए हों । युद्ध से पूर्व की गई सविदाएँ या तो विघटित कर दा जाते हैं अथवा कुछ काल के लिए स्थगित कर दा जाते हैं । यदि सविदाएँ प्रशासकीय सविदाएँ हों अथवा यदि समय सविदा के लिए सारभूत तथ्य रहा हो तो वे स्वतः विघटित हो जाती हैं ।

युद्ध का अर्थ परिणाम यह होता है कि युद्ध में लगे हुये देश प्रजातंत्र तथा एक तटस्थ के बीच में हुई कोई सविदा का पूर्ति उस समय तक नहीं हो सकती जब तक युद्ध का क्रम उस समय तक रहता है यदि युद्ध में लगे हुए प्रजातंत्र ने यह सविदा की हो कि वह शत्रु के देश में प्रवेश करेगा ।

साझेदारी वाले फर्म (Partnership Firms) —युद्ध छिड़ने पर यदि साझेदारी शत्रु का लाभ प्राप्त कर ले तो साझेदारी वाले फर्म समाप्त हो जाते हैं किन्तु विदेशी साझेदार को युद्ध के समाप्त होने पर अपना धन वापस प्राप्त करने का अधिकार है ।

ऋणों का भुगतान (Payment of Debts) —युद्ध में सलग्न राज्य द्वारा अन्य राज्य के प्रजातंत्रों को युद्ध छिड़ने के पहले की गई हुई सविदाओं के लिये देय ऋण केवल युद्ध काल के लिए स्थगित हो जाते हैं तथा स्थापित होने वाली शर्तों के अनुसार ऋणदाता के पूर्व अधिकारों को पुनर्जीवित कर देता है । ऐसी दशा में युद्ध चलने के काल तक ऋण की सविधि ऋणदाता के विरुद्ध लागू नहीं होती, किन्तु यदि ऋण शत्रु द्वारा युद्ध काल में लिया जाय तो इसके लिये युद्ध समाप्त होने पर दावा की जा सकता है ।

शत्रु के देश में प्राप्त सम्पत्ति (Property found in the Enemy Country) —अन्तर्राष्ट्रीय रीति पर आचारित आधुनिक नियम से यह प्रकट होता

है कि शत्रु की सम्पत्ति जा युद्ध में सलग्न राज्य के क्षेत्र के भीतर युद्ध के आरम्भ में पाई जाय उसका युद्ध में लूटी हुई सम्पत्ति के रूप में अभिग्रहण तथा अपहरण नहीं हो सकता। फिर भी, नियम प्रायः सधि की शर्तों से अनुशासित होता है। अतः कोई ऐसा अचल अथवा घटल नियम नहीं बनाया जा सकता जिससे समस्त मामले सब समय में अनुशासित हों। शत्रु की आर्थिक सहायता रोकने के लिए सम्पत्ति प्रायः अलग या नष्ट कर दी जाती है। द्वितीय महायुद्ध के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ तक किया कि उसने जर्मनी द्वारा कुचले गए तटस्थ देशों का पावना भी निश्चालन (froze) कर दिया जब वह प्राथमिक तटस्थता की दशा में था। इस नीति का परिणामस्वरूप अमेरिका ने जर्मनी तथा इटली के पावनो को सन् १९४१ में पारित एक प्रशासकीय आदेश द्वारा निश्चालन कर दिया तथा रूमानिया, लेटेविया तथा इथोनियाँ व पावनो को भी जिनपर जर्मनी द्वारा आक्रमण किया गया था, निश्चालित कर दिया था।

यह स्थापित कर दिया गया है कि जब युद्ध की घोषणा स्वतः यह प्राधिकृत नहीं करती कि राज्य के क्षेत्र के भीतर प्राप्त शत्रु की सम्पत्ति को दरुद के रूप में युद्ध में उस समय तक अभिग्रहीत सम्पत्ति के रूप में लूट लिया जाय, जब तक कि इसके प्राधिकृत करने वाला विधायी अधिनियम वाद में पारित न हो।

प्रथम तथा द्वितीय दोनों महायुद्धों के बीच में शत्रु सम्पत्ति के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार ने शत्रु की सम्पत्ति के संरक्षक नियुक्त किये। प्रथम महायुद्ध के उपरांत शान्ति-संधियों द्वारा भूमि पर वैयक्तिक सम्पत्ति को पुनः समायोजन करने की व्यवस्था की गई। सन् १९४७ की शान्ति संधि द्वारा विजेता राज्य इस बात के लिये समर्थ हूये कि वे मित्र-राष्ट्र तथा उनके जाताय जनो के दावों की पूर्ति के लिये शत्रु की सम्पत्ति को अपने पास रखें।

तटस्थ राज्यों में युद्ध-स्थित सम्पत्ति (Belligerent Property in Neutral States).—साधारण नियम के अनुसार युद्ध-स्थित ऐसी सम्पत्ति जो कि तटस्थ राज्यों में पाई जाती है अभिग्रहण से मुक्त है किन्तु ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ ऐसी सम्पत्तियाँ तटस्थ राज्य-क्षेत्र के लिए अपव्यक्त हो सकती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे अवसर आये जब कि मित्र राष्ट्रों के तटस्थ देशों के नाम इस प्रकार विषय को चेतावनी भेजनी पडी कि वे अपने राष्ट्रों के जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों की सम्पत्ति या संप्रहक्षेत्र न बनायें। अतः अमेरिका ने तटस्थ देशों को इस प्रकार की सूचना १९४१ के युद्ध प्राधिकरण के द्वारा ही जर्मनी के विरुद्ध दे दी थी।

युद्ध का संधियों पर परिणाम (Effect of War on Treaties) :—

जैसा कि Judge Cardozo ने *Techt v. Hughes* [(1920) 229 N. Y. 222] में लिखा है : “अन्तर्राष्ट्रीय विधि में युद्ध का संधियों पर प्रभाव एक सबसे बड़े उलझन का प्रश्न बनकर बचा रहता है। (The effect of war on treaties remains as yet one of the most unsettled subjects in International Law.)” इस बात पर एक सामान्य स्वोकारोक्ति है कि संधियाँ तो युद्ध होने पर ही समाप्त हो जाती हैं और कुछ इन प्रकार की हैं जो युद्ध से बिल्कुल ही अप्रभावित रहती हैं। इनके उपरान्त भी कुछ ऐसी संधियाँ हैं जो युद्ध चलने के काल में स्थगित रहती हैं किन्तु युद्ध समाप्त होने पर पुनर्जीवित हो जाती हैं।

विधि की अव्यवस्थित दशा में किसी सगत सिद्धान्त अथवा सिद्धान्त को एकरूपता का बताना कठिन है। इस सम्बन्ध में दो प्रकार से परीक्षा प्रयुक्त की जा सकती है। पहली विषय-वस्तु सम्बन्धी (subjective) परीक्षा इस भाषण की है— क्या संधि पर हस्ताक्षर करने वालों का यह भाषण था कि युद्ध के आरम्भ में यह बाध्यकारी रहे ? दूसरी परीक्षा उद्देश्य-सम्बन्धी (objective) इस भाषण की है— क्या संधि का निष्पादन युद्ध के संचालन के साथ असंगत है ?

संधियाँ जिनमें युद्धसंलग्न तथा अन्य शक्तियाँ पक्षकार हैं (Treaties to which the belligerents and other powers are parties) :— बड़ी संधि विधायक संधियाँ उदाहरणार्थ पेरिस की घोषणा (१८५६) जो राज्यों के समाज के लिये विधान बनाती हैं अपने सदस्यों में से दो अथवा अधिक के बीच में युद्ध से अप्रभावित रहती हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य, स्वच्छता, शोधन सम्बन्धी विधियाँ जो अन्तर्राष्ट्रीय समाज को समस्त सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था करती हैं युद्ध-रत तथा तटस्थों के बीच में बराबर चालू रहती हैं। केवल ऐसी व्यवस्थाएँ जो युद्ध-संचालन से असंगत हो स्थगित कर दी जाती हैं और युद्ध की समाप्ति होने पर पुनर्जीवित होती हैं।

सामान्यतः ऐसी संधियाँ, जैसी विभिन्न राज्यों के बीच मित्रता तथा सम्बन्ध की, जिनमें कि युद्ध-रत राज्य भी सम्मिलित हैं, विग्रह के आरम्भ में ही विनष्ट कर दी जाती हैं, केवल उन शर्तों को छोड़ कर जो स्पष्टतः सम्बन्ध-विच्छेद के सम्बन्ध में की गई हो। व्यापारिक संधियाँ केवल जो युद्ध में वस्तुतः सलग्न हो उनके ही सम्बन्ध में लोप कर दी जाती हैं किन्तु जहाँ तक सीमारे पक्षकार का सम्बन्ध है वे चालू रहती हैं।

ऐसी संधियाँ जिनमें युद्ध की सभाव्यता पर विचार किया गया हो, अथवा जो स्पष्टतः युद्ध की व्यवस्था के लिये की गई हों तथा युद्ध-संचालन से संबंधित हो,

युद्ध के आरम्भ होते ही चालू हो जाती हैं। युद्धकाल में प्रस्वस्थ तथा घायलों की चिकित्सा के सम्बन्ध में सन् १८६४, १९०६ तथा १९४९ के जेनेवा अभिसमयों तथा सन् १८६९ और १९०७ के हेग अभिसमयों जो युद्ध के नियम तथा युद्धमानों को पारस्परिक सम्बन्धों और उनके तटस्थों के प्रतिभावों को निर्धारित करती हैं, सम्पूर्ण युद्धकाल में बधनकारी रहती हैं।

संधियाँ जिनमें केवल युद्ध-संलग्न राज्य ही पक्षकार हैं (Treaties to which the belligerents only are parties) :—संधियाँ जा अन्तिम रूप से विषयों को निर्धारित करती हैं तथा उनके सम्बन्ध में एक स्थायी स्थिति उत्पन्न करती हैं, वह सीमा सम्बन्धित अभिसमय तथा संधियाँ हैं जो एक निश्चित क्षेत्र के तटस्थीकरण के सम्बन्ध में व्यवस्था करती हैं, तथा प्रदान (cession), स्वतन्त्रता अथवा राजवश व्यवस्था सम्बन्धी स्वीकृतियाँ हैं, जो युद्ध से प्रभावित नहीं होती तथा प्रवृत्त रहती हैं।

राजनीतिक संधियाँ, उदाहरणार्थ मित्रता की संधियाँ तथा अभिसमय जो सामान्यतः मैत्री तथा परस्पर के स्नेह में बद्ध करते हैं, अथवा विवाचन सम्बन्धी संधियाँ युद्ध आरम्भ होने पर रद्द हो जाती हैं।

फाइड्स एटियम हास्टाई सर्वेएडा (Fides etiam hosti servanda) :—यह एक सिद्धान्त है, जो कि युद्ध-संलग्न राज्यों के शत्रुता-रहित सबंधों को निर्दोषित करते हैं। यद्यपि युद्ध के आरम्भ होने का तात्पर्य प्रतिद्वन्द्वी राज्यों के बीच के ऐसे समस्त सम्बन्धों को समाप्त कर देना है, फिर भी, परिस्थितियों की आवश्यकताएँ, मानवोचित विचारधाराएँ, तथा अन्य भागों, ऐसी आवश्यकता को उत्पन्न कर सकती हैं कि युद्ध में संलग्न रहने के उपरान्त भी प्रतिद्वन्द्वी राज्यों के बीच कुछ ऐसे सम्बन्ध बने रहें जो शत्रुतापूर्ण न हों। ऐसे शत्रुता-रहित सम्बन्धों के उदाहरण युद्ध-बन्धियों को छोड़ने, वैयक्तिक प्रयोग की सभी सामग्रियों को लौटाने, पत्रों, जवाहरात, आदि के प्रत्यर्पण, आदि हैं। ऐसे शत्रुता-रहित सबंधों की रक्षा तथा उनका निर्वाह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत सुरक्षित हैं।

अध्याय ३६

शत्रु-स्वभाव

(Enemy Character)

व्यक्तियों का शत्रु-स्वभाव (Enemy Character of Individuals) — सामान्य नियम यह है कि युद्ध-स्थित राज्य की जनता युद्ध शुरू होने पर शत्रु-स्वभाव

की बन जाती है। तटस्थ राज्यों के लिये यह बात लागू नहीं होती। सबसे पहली बात जो कि किसी व्यक्ति के शत्रुत्वभाव को सिद्ध करती है, वह है उसकी देश-भक्ति। इस सामान्य नियम क कुछ अपवाद भी हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि भूतकाल में एक घोर ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धतियों में तथा दूसरी ओर महा-द्वितीय देशों में बहुत मिश्रता थी।

लारेंस ने उन व्यक्तियों के वर्ग को जिन्हें शत्रुता का लक्षण रखने वाला समझा जाय, एक आरोहण (ascending) तथा अवरोहण (descending) श्रेणी में उभय मात्रा के अनुसार जिममें कि शत्रुता के लक्षण की उन पर छाप डाली जाय, संक्षिप्त किया है जो निम्नलिखित है—

१ प्रथम महत्व के क्रम में वे व्यक्ति आते हैं जो शत्रु के सैनिक दलों में भर्ती हैं। वे पूर्ण रूप से शत्रु हैं।

२ इसके उपरान्त वे नाविक जो शत्रु-राज्य के व्यापारिक जलयानों को चलाते हैं अथवा शत्रु के व्यापारिक जलयानों के मल्लाहों के अर्थे आते हैं। उनकी स्थिति सैनिक दलों तथा नागरिक जनता के बीच की है। सन् १९०७ के हेग अभि-समय द्वारा वे बन्दी के रूप में रखे जाने के उत्तरदायित्व में इस शर्त पर उन्मुक्त कर दिये गये कि वे इस बात की एक लेखबद्ध प्रतिज्ञा कर दें कि युद्ध के बीच में उनके संचालन सम्बन्धी कोई सेवा न करेंगे।

३. इसके उपरान्त वे व्यक्ति आते हैं जो किसी सेना का अनुगमन बिना प्रत्यक्ष रूप से उससे सम्बन्ध रखते हुए करते हैं। हेग विधान के अनुच्छेद १३ में जो स्थल युद्ध की विधियों तथा रूढ़ियों में सम्बन्ध में हैं, समाचारपत्र के सवाददाता, सूचना देने वालों, सेना का रसद पहुँचाने वालों को उपरान्त वर्ग में बतलाया गया है। ऐसे व्यक्ति रोकें जान पर युद्धबन्दी के रूप में व्यवहार किये जाने के अधिकारी हैं किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनके पास उभय सेना के प्राधिकारियों का प्रमाण-पत्र हो जिसके कि साथ वे हो।

४ वे व्यक्ति जो शत्रु के देश में निवास करने लगे हो चाहे वे जातीयता से तटस्थ ही क्यों न हो, शत्रु के लक्षण प्राप्त कर लेते हैं, शर्त यह कि वे शत्रु के देश में युद्ध की घोषणा के उपरान्त भी व्यापार के प्रयोजना के लिये रहना जारी रखें।

५. वे व्यक्ति जो ऐसे स्थानों में रहने लगे जो शत्रु द्वारा केवल सैनिक दखल रखने वाले के रूप में प्राधिकृत किए गए हो उस समय तक शत्रु समझे जाते हैं जब तक कि दखल रहता है। विग्रह-स्वरूप दखल की समाप्ति पर निवासियों के साथ नागरिकों के, न कि शत्रु-क्षेत्र के निवासियों के, रूप में व्यवहार किया जाता है।

६. जो तटस्थ देश निवासी व्यक्ति जिनकी शत्रु के देश में व्यापारिक कोठियाँ हैं, उनको यह समझा जाता है कि उन्होंने शत्रु का लक्षण प्राप्त कर लिया है। ऐसे व्यक्ति व्यापारियों के रूप में स्थायी निवास प्राप्त कर लेते हैं और तत्संबंधित अपने माल को अभिग्रहीत किये जाने की आपत्ति में डालते हैं।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति जो शत्रु-राष्ट्रीय हैं, यदि वे तटस्थ राज्य के निवासी हो तथा वहाँ व्यापार करते हो तो अवश्य ही वे शत्रु-स्वभाव से पूर्ण हो, आवश्यक नहीं है।

सामान्य नियम यह है कि युद्ध में सलग्न राज्यों के प्रजाजन युद्ध छिड़ने पर शत्रु का लक्षण प्राप्त कर लेते हैं किन्तु युद्ध में भाग न लेने वाले राज्यों के राष्ट्रीय-जन तटस्थ समझे जाते हैं। उपरोक्त नियम उस दशा में लागू नहीं होगा जब तटस्थ राज्यों के प्रजाजन युद्ध में सलग्न किसी की ऐसी सेवाएँ करें जो एक तटस्थ राज्य को न करनी चाहिये अथवा यदि वे शत्रु देश के स्थायी निवासी होकर करो के दान तथा अन्य रीतियों से शत्रु की शक्ति बढ़ाने में अपना हाथ बटाते हो।

अमेरिका के सन् १९१७ के शत्रु के साथ व्यापार सम्बन्धी अधिनियम में 'शत्रु' की परिभाषा इस प्रकार है—(अ) कोई व्यक्ति, माफ़ेदारी अथवा किसी राज्य के व्यक्तियों की अन्य संस्था जो किसी ऐसे राज्य के क्षेत्र के भीतर निवास करती हो जिससे कि संयुक्त राज्य से युद्ध हो रहा हो, (आ) किसी राज्य की सरकार जिससे संयुक्त राज्य से युद्ध हो रहा हो, (इ) ऐसे अन्य व्यक्तिगण अथवा संस्थाएँ अथवा व्यक्तिगणों के वर्ग जो किसी ऐसे राज्य के नागरिक अथवा प्रजाजन हो जिससे संयुक्त राज्य से युद्ध हो रहा हो।

सन् १९३९ के अंग्रेजी शत्रु के साथ व्यापार वाले अधिनियम में व्यक्तियों के सम्बन्ध में 'शत्रु' की परिभाषा इस प्रकार है—“कोई व्यक्ति जो शत्रु के क्षेत्र में रह रहा हो (Any individual residing in enemy territory)।”

स्थायी निवास (Domicil) —स्थायी निवास के प्रश्न पर लार्ड स्टोवल द्वारा The Harmony [(1800) 2 C. Rob. 322] में विचार किया गया। यह कथन किया गया कि स्थायी निवास के निर्णय करने में समय सब से बड़ा अंश है। यह बार-बार कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश में केवल किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये आवे तो उससे उसका स्थायी निवास स्थिर न होना चाहिये। किन्तु यदि प्रयोजन इस प्रकार का हो जिससे उस व्यक्ति को एक दीर्घ-कालीन अवधि तक रुकना पड़े अथवा वास्तव में रुकना पड़ा हो तो उस विशिष्ट प्रयोजन पर एक सामान्य निवास अंकुरित हो सकता है। इतनी लम्बी अवधि तक

निवाम के पश्चात् प्रारम्भिक मूल प्रयोजन की प्रार्थना सार्थक नहीं हो सकती थी, और इससे यह अनुमान होना चाहिये कि प्रारम्भिक आशय में अन्य प्रयोजन प्रवेश कर गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने पक्षकार पर उस देश के लक्षणों की छाप डाल दी है जिसमें कि वह रह रहा है ।

शत्रु-पोत (Enemy Vessels) —किसी जहाज का यह लक्षण कि क्या वह शत्रु का जहाज है या तटस्थ देश का प्रथम दृष्टि में ही उस झुंडे से निश्चित होता है जिसको फहराने को वह प्राधिकृत है । सन् १९०६ की लन्दन की घोषणा ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इस प्रचलित नियम को पुष्ट किया । शत्रु द्वारा शासन पत्र दिया हुआ जहाज अथवा शत्रु द्वारा चालित उसके बप्तान तथा मल्लाहों के दल सहित शत्रु की सम्पत्ति समझी जायेगी चाहे वह किसी तटस्थ मालिक की ही क्या न हो और वही दशा एक तटस्थ जहाज की भी होगी जा स्वभावतः शत्रु के झुंडे के नीचे तैरता हो अथवा शत्रु से आज्ञा-पत्र (पास) अथवा लाइसेन्स प्राप्त किया हो । यह सामान्य नियम कि किसी जहाज के शत्रु अथवा तटस्थ लक्षण निश्चित करने की परीक्षा उस झुंडे से होती है जिसे लगाने का उसे अधिकार है, आजकल कुछ अपवादों से अनुशासित होता है जो निम्नलिखित हैं —

१. ऐसे जहाज जिनके स्वामी शत्रु हो और जो एक तटस्थ झुंडे के नीचे तैर रहे हों, शत्रु का लक्षण प्राप्त कर लेते हैं, यदि वे सैनिक व्यक्तियों तथा सदेशों को अन्य निरपराध क्रायों के माध्यम से ले जा रहे हों ।

२. तटस्थ व्यापारी जहाज यदि वे (अ) विग्रह में प्रत्यक्ष भाग ले (आ) किसी शत्रु के अभिकर्ता के आदेशों अथवा नियन्त्रण के अधीन हों (इ) शत्रु के कार्य में अनन्य रूप से लगे हों अथवा (ई) शत्रु द्वारा अपने ही प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से अपनाये गये हों, तो शत्रु का लक्षण प्राप्त कर लेते हैं ।

३. जहाज जिनके स्वामी शत्रु हो और जो तटस्थ झुंडा लगाये हों अथवा तटस्थ व्यापारी जहाज यदि वे उनको देखने, तलाशी लेने अथवा उनका पकड़ने के वैध अधिकार का विरोध करें, तो शत्रु का लक्षण प्राप्त कर लेते हैं ।

जहाजों का हस्तान्तरण (Transfer of Ships) —१९०७ के अन्तिम ६ के अनुसार यदि युद्ध में सलग्न शक्तियों में से किसी एक का जहाज युद्ध के प्रारम्भ में शत्रु के बन्दरगाह में रहा तो उसे स्वच्छन्द रूप से या तो तत्काल ही अथवा रिभागत की पर्याप्त अवधि के उपरान्त जाने दिया जाता था तथा उसे एक आज्ञा-पत्र (पास) देकर सीधे अपने लक्ष्य बन्दरगाह को अथवा ऐसे अन्य बन्दरगाह को जिसका कि उसमें नाम दिया गया हो, जाने दिया जाता था । यही नियम उन

जहाजों के सम्बन्ध में भी लागू होता था जो युद्ध छिड़ने के पूर्व अपने अतिम बन्दर-गाह से यात्रा आरम्भ कर चुके हो तथा युद्ध छिड़ने का ज्ञान न होने पर शत्रु के बन्दरगाह में प्रविष्ट हो गए हो। (अनुच्छेद १)

यदि किसी व्यापारिक जहाज को देवद्वान (force majeure) के कारणे अथवा अनुच्छेद १ में विचार का गई अवधि के भीतर नहीं जाने दिया गया तो इसको निरुद्ध किया जा सकता था, किन्तु इसे जबरन नहीं किया जा सकता था। अनुच्छेद ३ में उन शत्रु क जहाजों के प्रश्न पर विचार किया गया था जिन्होंने युद्ध के आरम्भ के पूर्व बन्दरगाह को छाड़ दिया था जो मद्रम विग्रह के अस्तित्व का ज्ञान न होने के कारण पाये गये। इनको भी जबरन नहीं किया जा सकता था किन्तु उनको निरुद्ध किया जा सकता था तथा युद्ध के उपरान्त विना क्षतिपूर्ति के वापस किया जा सकता था अथवा मांगा जा सकता था अथवा क्षतिपूर्ति देने पर उनको नष्ट भी किया जा सकता था। शत्रु के माल के साथ जो जहाजा पर था वही व्यवहार किया जाता था जो कि जहाजा के साथ।

नौभार (Cargoes) — ऐसा नौभार जा कि किसी शत्रुपोत द्वारा ले जाया जा रहा हो, उसके राष्ट्रीय चरित्र का निर्धारण करने में शीघ्र भी कठिनाई होती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपाय देश किसी सम्पत्ति के स्वामी की राष्ट्रीयता को ही अधिक महत्त्व देते थे। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और हालैंड इमे देश की निवाम स्थिति पर शत्रु स्वभाव को आधारित करते थे और उनका कहना था कि ऐसे लोग जा शत्रुराज्य में रहते हैं और वहाँ व्यापार करते हैं उनमें शत्रु स्वभाव आ जाता है और उहे वही बनाया जाता है।

तटस्थों का माल युद्ध में सलग्न व्यापारिक जहाजों पर तथा इसी का विपरीत (Neutral Goods on Belligerent Merchant ships and Vice Versa) — ग्रेट ब्रिटेन ने उस नियम का अनुमरण किया जो कौन्सोलेटो डेर्ल मेयर (Consolato del Mare) में दिया गया था जो कि मध्ययुग की बड़ी समुद्रीय संहिता थी, जिसके अनुसार माल का स्वामित्व अभिग्रहण किये जाने के उत्तर दायित्व को कसौटी थी। इसके अनुसार तटस्थ देशों का माल जब वह शत्रु के जहाज में ले जाया जा रहा हो जवनी से उन्मुक्त था किन्तु शत्रु का माल जब वह तटस्थ देश के जहाजों में ले जाया जा रहा हो जब्त कर लिया जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी परम्परागत ब्रिटेन के नियम का अनुसरण किया किन्तु उस दशा को छोड़ कर जब इसके विरुद्ध संधि के अंतर्गत कर्तव्य होते थे। यह विषय पेरिस की घोषणा (१८५६) द्वारा निश्चय किया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि तटस्थ राष्ट्र के शत्रु के माल का संरक्षण होता था केवल उस

माल को छोड़ कर जो युद्ध में विनिषिद्ध हो तथा तटस्थ देशों का माल युद्ध में विनिषिद्ध माल को छोड़कर शत्रु के झंडे के नीचे अभिग्रहण नहीं किये। पेरिस की घोषणा प्रथमतः सात शक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित की गई। इसके उपरान्त अन्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत की गई, परन्तु युद्ध में सलग्न शक्तियों ने इसका पालन सब उत्तरवर्ती सामुद्रिक लड़ाइयों में किया है चाहे उन्होंने हस्ताक्षर किया हो अथवा नहीं।

यहाँ पर पिट् कोवेट की राय उनके 'Leading Cases on International Law' नामक पुस्तक, खंड २ से उद्धृत करना प्रसंग के अनुकूल होगा, क्योंकि वे इस नियम सम्बन्धी सम्पूर्ण झंडे को कि "तटस्थ देशों का झंडा शत्रु के माल का संरक्षण करता है" संक्षेप में ही समाप्त कर देते हैं। उनका कहना है कि —

“विनिषिद्ध” शब्द का विस्तार युद्ध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयाग में आने वाली सब वस्तुओं में करके, अनवरत यात्रा के सिद्धांत का विस्तार करके तथा जान का इष्ट प्रदेश वैरी का होना यह अनुमान लगाकर, यह नियम कि तटस्थ झंडे से शत्रु के माल का, केवल युद्ध की विनिषिद्ध वस्तुओं का अतिरिक्त, संरक्षण हो जाता है प्रायः पूर्णतः निष्प्रभाव हो जाता है।”

'By the extension of the term 'contraband' to cover all commodities of use, direct or indirect, in war, by the extension of the doctrine of continuous voyage and by the presumption of hostile destination the rule that the neutral flag covers enemy goods except contraband of war, has been almost wholly nullified'

शत्रु सम्पत्ति (Enemy Property) :— विरोध के लक्षणों से युक्त शत्रु की सब सम्पत्ति यथा शस्त्रों से सुसज्जित जहाज, तोपें, बन्दूक, गोलाबारूद विधिपूर्वक ग्रहण की जा सकती है, केवल कला की कृतियों अथवा युद्ध से असम्बन्धित अन्य सम्पत्ति को छोड़कर। युद्ध में सलग्न राज्य के क्षेत्र में पढ़ने वाली शत्रु का सार्वजनिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में अभिग्रहण किये जाने से कोई उन्मुक्ति नहीं है यथा शत्रु राष्ट्र की पूंजी (Fund), चलत् अक्षरपूँजी (rolling stock), इत्यादि।

भूमि पर शत्रु के प्रयोजनों की सम्पत्ति सामान्यतः अभिग्रहीत किये जाने से उन्मुक्त है। वे उसी दशा में अभिग्रहण किये जाने योग्य होती हैं यदि वे इस प्रकार की हो कि युद्ध में लाभदायक सिद्ध हो। किन्तु वास्तविक सघर्ष की भावश्यकताओं ने कुछ दशाओं में यह आवश्यक कर दिया कि कोठियों का विनाश

कर दिया जाय अथवा उनको किलेबन्दी के रूप में रखा जाय । युद्ध में भाग लेने वाली जनता की चल-सम्पत्ति उस समय तक अभिग्रहीत नहीं की जा सकती जब तक वे ऐसी वस्तु न हों जैसे शस्त्र, युद्ध-सामग्र्य अथवा सवाद भेजने का यन्त्र तथा उनके अभिग्रहण किये जाने की दशा में भी उनको मुलह होने पर वापस करना होता है । साधारणतः शत्रु की सम्पत्ति को दरइनीय नहीं ठहराया जाता, जब तक कि ऐसा प्राधिकृत करने वाला कोई अधिनियम न हो । दोनो विश्वयुद्धों के बीच ग्रेट ब्रिटेन ने शत्रु की सम्पत्ति के सरक्षक नियुक्त किये इस आशय से कि युद्ध के अन्त में उसके सम्बन्ध में भविष्य व्यवस्था निर्णय किये जाने तक उसे सुरक्षित रखा जाय ।

तटस्थ राज्य में युद्धस्थित की सम्पत्ति शत्रु राज्य द्वारा अभिग्रहण किये जाने से उन्मुक्त है क्योंकि वह पूर्ववर्ती द्वारा सरक्षित रहती है ।

निगम (Corporations) :- निगमों का शत्रु-लक्षण उनके स्थायी निवास से निश्चित होता है । पिट कोबेट के अनुसार किसी निगम का स्थायी निवास वह स्थान है जहाँ कम्पनी का मस्तिष्क जो उसके कार्यों को चालन करता हो, स्थित हो । निगम का मस्तिष्क उस स्थान में स्थित कहा जाता है जहाँ उसके संचालकगण मिलते रहते हैं तथा अपनी नीति निर्धारित करते हैं । यह निरर्थक है कि क्या वह व्यक्ति जो निगम का नियन्त्रण करते हैं संचालकों के नाम से प्रसिद्ध हैं या नहीं । इसमें पथ-प्रदर्शक उन व्यक्तियों का निवास-स्थान है जो कम्पनी के भाग्य का नियन्त्रण करते हैं अथवा उसके कार्य की रीति का संचालन करते हैं । [Pitt Cobbett . Leading Cases on International Law, Vol. 11, p 40 (Ed. V)]. Daimler Co. Ltd. v. Continental Tyre and Rubber Co. (Great Britain) Ltd. [(1916) 2 A. C. 307] वाले मामले में लार्ड पार्कर ने यह निर्णय किया कि एक समवाय जो यूनाइटेड किंगडम में संपुक्त (incorporated) तथा पंजीकृत (registered) हो किन्तु शत्रु के देश में कार्य कर रही हो शत्रु मानी जानी चाहिये तथा वैयक्तिक भ्रंशभागियों का लक्षण स्वतः समवाय के लक्षण को प्रभावित नहीं कर सकती । तथ्य सक्षिप्त में यह है कि काटिनेन्टल टायर तथा रबर कम्पनी लिमिटेड सन् १९०५ में निर्मित हुई तथा उसका पंजीकृत कार्यालय लन्दन में रहा । इसके संचालकगण जर्मन प्रजावर्य थे तथा एक दोसर के अतिरिक्त पूर्ण भ्रंश एक जर्मन समवाय के अथवा जर्मन राष्ट्रीय जनों के अधिभार में थे । काटिनेन्टल टायर तथा रबर कम्पनी लिमिटेड डैमर कम्पनी लिमिटेड पर एक दावा दाये वसूल करने का किया । डैमर कम्पनी ने यह अग्रि-

वचन दिया कि काटिनेन्टल टायर तथा रबर कम्पनी एक विदेशी शत्रु है और उनको शत्रु से व्यापार सम्बन्धी अधिनियम सन् १९१४ के लागू होने के कारण रूपा देन से रोक दिया गया है। हाउस आफ लार्ड्स ने यह निर्णय किया कि दावा मान्य नहीं हो सकता।

लार्ड पार्कर ने निर्णय देते हुये विधि के निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्धारित किया —

१. किसी निगम द्वारा शत्रु का लक्षण उस समय ग्रहण किया जा सकता है जब कि इसके अभिकर्तागण अथवा वे व्यक्ति जो इसका व्यापार को वास्तव में नियंत्रण करते हो, शत्रु के क्षेत्र में रहते हो अथवा चाहे वे कहीं भी रह रहे हो शत्रु की सहायता कर रहे हों अथवा शत्रुओं से अनुदेश प्राप्त करते हो अथवा उनके नियन्त्रण में कार्य करते हो।

२. कोई कम्पनी जो यूनाइटेड किंगडम में संयुक्त की गई हो उस स्थिति में न तो मित्र और न शत्रु हो सकती है किन्तु ऐसी कम्पनी केवल अपने अभिकर्ताओं द्वारा कार्य कर सकती है और ये युद्ध के समय में शत्रु का लक्षण ग्रहण कर लेती हैं यदि वे शत्रु के देश में रहते हो अथवा शत्रु अशभागियों के अनुदेशों पर कार्य कर रहे हो।

३. अशभागियों का वैयक्तिक रूप से अलग अलग लक्षण स्वतः कम्पनी में लक्षण को प्रभावित नहीं कर सकता। यह इस प्रश्न पर आश्रित है कि अथवा कम्पनी के अभिकर्तागण या वे व्यक्ति जो वस्तुतः उसके व्यापार का नियंत्रण करते हैं शत्रुओं का वास्तव में अनुकरण कर रहे हैं अथवा उनसे अनुदेश प्राप्त कर रहे हैं या उनका नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं।

४. कम्पनी जो वि यूनाइटेड किंगडम में पञ्जीकृत हुई हो किन्तु जो एक तटस्थ देश में उचित रूप से प्राधिकृत तथा यहाँ अथवा तटस्थ देश के निवासी अभिकर्ताओं द्वारा एक तटस्थ देश में कार्य कर रहा हो, प्रथम दृष्टि में मित्र समझी जानी चाहिये, परन्तु अपने अभिकर्ताओं अथवा व्यक्तियों द्वारा जो इसके कारोबार को वास्तविक रूप से नियंत्रण करते हैं, शत्रु का लक्षण ग्रहण कर सकती है।

५. एक कम्पनी जो यूनाइटेड किंगडम में पञ्जीकृत हुई हो परन्तु शत्रु के देश में कारोबार कर रही हो, शत्रु समझी जानी चाहिये।

सामान्य नियम से निगमन (Incorporation) तथा वह स्थान जहाँ व्यापार किया जाता हो इसके दो कमीटो हैं जिनसे किनी निगम को शत्रु लक्षण को निश्चित किया जाता है। प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध के बीच इंग्लैंड ने सन् १९१४

तथा सन् १९३६ के सन्धु में व्यापार सम्बन्धी परिचयन बनाये जाने के द्वारा यूनाइटेड किंगडम निवासी निगमों को निम्नी शक्ति में जो सन्धु देना था, अथवा ऐसे क्षेत्र का जो सन्धु के अधिनकार में था, रहना था या अथवा यही व्यापार कर रहा था, व्यापार कर में मना कर दिया गया तथा यह पावला था कि निगम जो सन्धु देना में व्यापार कर रहे हैं सन्धु के सफल में युक्त हो जाते हैं चाहे उनका निगमन कहीं भी अथवा न हुआ हो ।

दखल तथा विजय का प्रभाव (Effect of Occupation and Conquest) — दखल मन्दह नहीं कि जब एक मित्र के क्षेत्र पर सन्धु द्वारा सम्पादित हो तो दखल किया जाता है, तो पक्षी सरकार को मार्बोमिक्ता स्पष्ट कर दी जाती है परन्तु उपरोक्त क्षेत्र तथा उनका निवासी सन्धु का सफल प्राप्त नहीं करा । उभी प्रकार यदि सन्धु के क्षेत्र पर अस्थायी रूप में एक मित्र शक्ति द्वारा दखल किया जाता है तो उभयपक्ष क्षेत्र तथा उनका निवासी सन्धु सफल में सम्मिलित नहीं होत । अतः दखल में स्थानीय नागरिकों का आशयना का कार्य पूर्ण परिवर्तन नहीं होता । राजभक्ति का हस्तान्तरण केवल सम्पादित है तथा युद्ध की अवधि अथवा दखल तक रहता है । संशय सम्पादित दखल पूर्ण विजय तथा संगठन में पूर्ण रूप से भिन्न है क्योंकि पूर्ण विजय तथा समाजन एक स्थायी घटना होती है तथा मार्बोमिक्ता को पूर्णतः स्थानान्तरित कर देती है । परिणाम यही होता है कि जब कोई क्षेत्र पूर्णतः विजित तथा किया जाता है तो यह विजयी के सन्धु अथवा मित्र-राष्ट्र हान के अनुसार सन्धु अथवा मित्र का सफल प्राप्त करता है ।

अध्याय ३७

युद्ध की नई समस्याएँ

(New Problems of Warfare)

युद्ध का उद्देश्य — युद्ध का उद्देश्य चाहे यह भूमि, समुद्र कहीं भी हो एक ही होता है—सन्धु को बलाभिभूत करना । आपेनहेम के अनुसार "जहाँ स्वतन्त्र युद्ध का उद्देश्य शत्रु की सेना को हरा देना और शत्रु के राज्य-क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेना होता है वहाँ समुद्री युद्ध का उद्देश्य होता है शत्रु की नौसेना को पराजित करना, शत्रु व्यापारी पोत का कब्जा करना, शत्रु बन्दरगाहों का विनाश

करना और शत्रु के समुद्री किनारे पर सैनिक नियन्त्रण स्थापित करना, शत्रु का उसक बन्दरगाह से सबध-विच्छेद करना, विनिषिद्ध (contraband) वहन को रोकना, और शत्रु को अतटस्थ सेवा से वंचित करना, स्थल पर सभी प्रकार की सैनिक कार्यवाहिया की सहायता जैसे शत्रु के समुद्री किनारे पर सना का उतारा जाना और अन्तिम रूप से अपने धरेलू समुद्री किनारे की रक्षा करना और धरेलू समुद्री व्यापार की रक्षा करना ।”

सक्षेप में समुद्री युद्ध का उद्देश्य अपने जहाज के लिये संचालन की स्वतन्त्रता प्राप्त करना और शत्रु का समुद्र के उपयोग से वंचित करना होता है ।

युद्ध की नई पद्धतियाँ (New Methods of Warfare) —युद्ध की पुरानी विधियों में आज विनिषिद्ध (contraband) और नाकाबन्दी (blockade) की नवीन धारणाओं का विस्तार का कारण तथा भ्रूट यात्रा के सिद्धांत में विस्तार, किमी तटस्थ राज्य के पोत के माल के सम्बन्ध में यह आभार कि प्रेषक अपने निर्दोष गन्तव्य स्थान का सबूत दे, विनिषिद्ध तालिका की आशातीत वृद्धि, युद्धस्थिति जहाजों के जांच संबंधित अधिकार आदि कारणों से अनेक नवीन परिवर्तन हो गये हैं । इन सभी तथ्यों के ऊपर अणु बम और क्षेप्यास्त्रों का प्रयोग ने पूर्णतया आज के युद्ध को क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तित कर दिया है और सामूहिक रक्षणपात और निरीह जनता की सामूहिक हत्या को बचाते हुये शान्ति को स्थापित करना आज बिल्कुल नई और विकट समस्या है ।

लीग (The League) —राष्ट्रों की लीग ने युद्ध न करने के आभार को स्वीकार करके अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयत्न किया था । किन्तु यह युद्धों का न रोक सकी, फिर भी शान्तिपूर्ण समझौते के लिये अनुज्ञा दे सकी । उसकी अनुज्ञा के प्रवर्तन के पूर्व कोमिल के निर्णय की एकरूपता का होना आवश्यक था । इसके पास अपने निर्णयों के प्रवर्तन के लिए कोई सेना न थी । इसका परिणाम यह हुआ कि १९३६ में इटली-प्रबोसीनिया युद्ध में लीग न आशिक अनुज्ञा जारी की, किन्तु यह अनुज्ञा पूर्णतः विफल रही ।

१९२८ का पेरिस पैक्ट (The Paris Pact, 1928) —केलाग ब्रियान्ड पैक्ट (Kellogg-Briand Pact) जिस साधारणतया अगस्त २७, १९२८, का पेरिस पैक्ट कहा जाता है, राष्ट्रों के बीच युद्ध का बन्द कर देने की दिशा में एक दूसरा आधार स्तम्भ था । हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय झगडा का निपटारा करने के लिये युद्ध का सहारा लेने की पद्धति की निन्दा की और प्रतिज्ञाबद्ध हुये कि ऐस झगडा को शान्ति पूर्ण ढंग से सुलझाएँगे । यह समझौता एक मृतपत्र (dead letter) ही बन कर रह गया क्योंकि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय झगडा को सुलझाने के लिये

कोई विशिष्ट पद्धति न थी, केवल शान्तिपूर्ण मध्यस्थता, सद्भावना कार्य, विवाचन समझौता या झगड़ों को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में निवेदित करने की ही प्रथा का सहारा था ।

सयुक्त राष्ट्र संघ (The United Nations) —राष्ट्रो की लीग की विफलता के कारण एक नये सघ की स्थापना हुई जिसे सयुक्त राष्ट्र सघ कहते हैं । हस्ताक्षर करने वाले राज्यों ने इस बात का आभार अपने ऊपर लिया कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्ण साधनों से घोर इम डग से सुलझाएँगे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े और यह कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में धमकी देने या किसी राज्य के स्वतन्त्र राज्य क्षेत्र में शक्ति के प्रयोग करने या किसी भी तरह से सयुक्त राष्ट्र सघ के उद्देश्यों से विमुख होने से अपने आप को रोकेंगे ।

सयुक्त राष्ट्र सघ के गठन में यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय के प्रति भक्ति की उच्च स्वर से घोषणाएँ की गईं फिर भी कोरिया में युद्ध हुआ, इजिप्ट और हंगरी की घटनाएँ घटी और आक्रामक देशों ने अपने इस आभार को हवा में उड़ा दिया कि वे अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शान्तिपूर्ण ढङ्ग से करेंगे । सयुक्त राष्ट्र सघ को भिन्न-भिन्न स्थलों पर सामूहिक सेना भेजकर हस्तक्षेप करना पडा है ।

लीग और सयुक्त राष्ट्र की शान्ति और सुरक्षा की स्थापना में असफल होने का कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय नौसेना, स्थल सेना और हवाई सेना के अभाव में यह सगठन आक्रामक राज्य को रोकने में समर्थ नहीं हो पाते । इसी कारण सयुक्त राष्ट्र सघ के बाहर राज्यों ने अपने आपको भिन्न-भिन्न सुरक्षा संधियों में बाँध रखा है, जैसे रायडी जैनीरो की १९४७ की संधि, ब्रसेल्स की संधि १९४८, नार्थ, एटलान्टिक ट्रीटी १९४९, अरब लीग, बगदाद पैक्ट (सट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन), आदि । सोवियत ब्लाक ने दूसरी ओर बहुत से द्विपक्षीय समझौते और बहुपक्षीय संधियों में भाग लिया है जैसे ईस्ट यूरोपियन ट्रीटी । ये सैनिक संधियाँ जिन्हें कि तथाकथित रूप से क्षेत्रीय पैक्ट भी कहते हैं मानवता की इस आशा को विदीर्ण कर चुकी हैं कि इनसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था हो सकेगी । इन मर्यादात्मक पैक्टों में एक प्रवृत्ति यह है कि वे दूसरे देशों के मस्तिष्क में आक्रामक पैक्टों का रूप ले लेते हैं । ऐसे पैक्ट जैसे नाटो (NATO), सीटो (SEATO) और ऐन्जूस (ANZUS) यूरोपीय सुरक्षा की धारणाओं के प्रतिफल हैं जो विश्व की शान्ति का और भी खतरे में डालते चले जा रहे हैं । पाकिस्तान सीटो, बगदाद पैक्ट (सट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन) और सयुक्त राज्य-पाकिस्तान सैनिक सहायता पैक्ट, म प्रबिष्ट होकर अन्तर्एशिया देशों में तनावनी का कारण बन चुका है । आज

की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि ऐसे क्षेत्रीय सैनिक पैदलों पर रोक लगा दी जाय और समुचित अन्तर्राष्ट्रीय सेना का गठन किया जाय जिसमें समुक्त राष्ट्र की देख रेख में स्थल सेना, नौसेना और हवाई सेना रहे जो कि शान्ति भंग होने की किसी कार्यवाही को रोक सके और आक्रमण के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा के साधन उपस्थित कर सके।

अध्याय ३८

स्थल-युद्ध की विधियाँ

(Laws of Land Warfare)

वर्तमान युग में युद्ध की उन विधियों में तोड़ परिवर्तन हो गये हैं जिनकी उत्पत्ति रूढ़ियों से है। सन् १९०७ के हेग अभिसमय की प्रस्तावना में यह घोषित किया गया था कि "जनता तथा युद्धमान, राष्ट्रों की विधि के सिद्धान्तों के संरक्षण तथा नियमों के अधीन रहते हैं, क्योंकि वे (सिद्धान्त और नियम) सम्य राष्ट्रों के मध्य स्थापित रूढ़ियों, मानवता की विधियों, और जनता के विवेक की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप निकलने हैं। प्राधुनिक युद्ध प्रतिद्वन्द्वी पक्षकारों के मध्य का एक साधारण युद्ध नहीं है। यह एक संपूर्ण युद्ध है जहाँ संपूर्ण राष्ट्र एक युद्ध के शिविर में परिवर्तित हो जाता है। बहुधा व्याक्त जिन्होंने आयु की एक विशेष अवधि को पार कर लिया है, अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती कर दिये जाते हैं। कारखानों, कार्यालयों, रेलवे संचालन तथा शरण और घायलों की सेवा करने में स्त्रियाँ पुरुषों का स्थान ग्रहण करती हैं। युद्धरत तथा अयुद्धरत तथा सैनिक और असैनिक उद्देश्यों सम्बन्धी पुराना अन्तर भव प्रभावकारी नहीं रह गया है। युद्ध का उद्देश्य अर्थात् शत्रु को परास्त करना पवित्र समझा जाता है और जब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता युद्धस्थित अपने लक्ष्य को पहुँचने के निमित्त प्रत्येक आवश्यक साधन प्रयोग में लाता है। युद्ध-सम्बन्धी सभी मानवता के नियम युद्ध में विजय प्राप्त करने के सर्वोच्च कार्य के समक्ष दब जाते हैं। जर्मनों ने दोनों महायुद्धों के मध्य सैनिक आवश्यकता के दबाव के अधीन नागरिक जनता का बारम्बार क्रूरता से सहार किया था। गत महायुद्ध में अमेरिका द्वारा अणुबम का प्रयोग भी सम्य युद्ध को अनुशासित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का एक बड़ा गम्भीर उल्लंघन था जो बहुत से उन वैज्ञानिकों के विरोध के उल्लंघन में किया गया जिन्होंने उसके अनुसंधान में सहायता की थी।

१८६४ का जेनेवा अभिसमय (Geneva Convention of 1864)—
 आधुनिक मनोवृत्ति के हाते हुए भी सम्य युद्ध के नियम अतीत काल से विद्यमान रहे हैं । सन् १८६४ मे स्विटजरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, स्पेन फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, पोर्चुगाल, प्रशा तथा जर्मन राष्ट्रों मे से अधिकांश ने युद्ध मे घायलों की दशा सुधारने के लिये परस्पर एक स्वीकारोक्ति प्रकट की जो जेनेवा अभिसमय क नाम से प्रसिद्ध है । अभिसमय न रोगियों की गाड़ियों, सैनिक अस्पतालों तथा अस्पताल मे काम करने वाले कर्मचारी वग का तटस्थ लक्षण स्वीकार किया ।

सेंट पीटर्सबर्ग का घोषणा (St Petersburg Declaration) —
 जेनेवा अभिसमय क पीछे सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा हुई जो सन् १८६४ मे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध की आपत्तियों को जहा तक सम्भव हो सके कम करने की दृष्टि से की गई । घोषणा न युद्धरत शत्रु के सैनिक बलों को निश्चय करने अथवा उनक मनुष्यता को सबसे अधिक सख्या मे असमर्थ बनाने के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन दारुनों के ऐसे प्रयोग को निषिद्ध कर दिया जिससे असमर्थ व्यक्तियों के कष्ट निरर्थक ही बढ जाय अथवा उनकी मृत्यु अवश्यम्भावी हो जाय । इसने ४०० ग्राम से नीचे के भार के प्रक्षेपणों (जैसे तोप की गोलियों) का प्रयोग निषेध किया जा घडाके के साथ फटने वाले हो अथवा फटने वाले या जलने वाले पदार्थों से युक्त हो ।

युद्ध की रीतियाँ — भूमि युद्ध की रीतियाँ सन् १९०७ क हेग अभिसमय ४ मे दी गई हैं जो भूमि पर युद्ध की विधियों तथा रूढ़ियों के सम्बन्ध मे हैं, तथा सन् १९४९ के जेनेवा अभिसमय मे भी हैं ।

सन् १९०७ का हेग अभिसमय (Hague Convention of 1907) —
 हेग विनियम के अनुच्छेद २३ मे जा अभिसमय से सलग्न है, युद्ध क ऐसे उपकरणों का निषेध किया गया है जो विनाशकारी हा अथवा दुःखदायी हो । इसके द्वारा विशिष्ट रूप से विष अथवा विपाक्त दारुनों का तथा ऐसे दारुनों, प्रक्षेपणों अथवा वस्तु का उपयोग निषिद्ध किया गया जिससे अकारण दुःख या विनाश का होना सम्भव हो । विनियमों द्वारा प्रक्षेपणों, फटने वाले पदार्थों को गुब्बारों तथा इसी प्रकार का अन्य नयी रीतियों द्वारा फटा जाना निषिद्ध किया गया । फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस तथा जापान ने इस वाक्यसङ्घ को स्वीकृत नहीं किया ।

उन प्रक्षेपणों का प्रयोग रोक दिया गया जिनका उद्देश्य केवल दम घुटने वालों तथा विधेही गैहों को फैलाना था । सशुक्त राज्य अमेरिका क प्रतिनिधिमंडल ने इस पर हस्ताक्षर करने से अस्वीकार कर दिया । सन् १९१४-१८ के महायुद्ध मे भी इन नियम का उग्र रूप मे उल्लंघन हुआ । घातितटन की संधि (१९२२) क अनुच्छेद

५ द्वारा समुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांस, इटली तथा जापान ने युद्ध में दम घुटन वाली, विपैली अथवा अन्य गैरी तथा इसी प्रकार के अन्य तरल पदार्थों, वस्तुओं तथा युक्तियों का प्रयोग किया जाना निषिद्ध स्वीकार किया ।

फैलने वाली (डमडम) गोलियों का प्रयोग भी निषिद्ध कर दिया गया ।

अनुच्छेद २३ द्वारा युद्ध विधाम के भङ्गे, राष्ट्रीय भङ्गे अथवा शत्रु के सैनिक तमगों तथा बर्दों और जेनेवा अभिसमय के विशेष विन्हों के अनुचित उपयोग का निषेध किया गया ।

व्यूह-रचना के नियम जा 'युद्ध-कौशल' के अन्तर्गत आते थे, इस अनुबन्ध के साथ सीमित कर दिये गये कि उनसे सद्भाव का उल्लंघन न हो । अतः शत्रु के राष्ट्र अथवा सेना के व्यक्तियों को धोखा देकर मारना अथवा घायल करना निषिद्ध कर दिया गया ।

ऐसे शत्रु को मारना अथवा घायल करना भी निषिद्ध कर दिया गया जिसने हथियार छोड़ दिया हो, अथवा जिसके पास आत्मरक्षा का कोई उपाय न रह जाने के कारण इच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया हो ।

युद्ध में भाग न लेने वालों को व्यक्तिगत हानि से उन्मुक्त कर दिया गया, केवल उस दशा को छोड़कर जब कि हानि प्रसंगवश युद्ध के समुचित कार्यों के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुई हो अथवा उन अपराधों के लिये दंड स्वरूप दी गई हो जो कि आक्रमणकारियों के विरुद्ध किये गये हों । अनुच्छेद २५ द्वारा अरक्षित नगरी, ग्रामों तथा निवास स्थानों पर किसी प्रकार से भी आक्रमण करना अथवा बम-बपा करना निषिद्ध कर दिया गया । सन् १९१४-१८ के महायुद्ध में लड़ाई न लड़ने वालों पर भी हवाई जहाजों से बम बरसाये गये तथा उनका व्यक्तिगत हानि से उन्मुक्त क मत्र वादा-नुवाद हवा में उड़ गये जब की एक युद्धरत को कथित ज्यादातियों के बदले में दूसरे ने ज्यादातियाँ की । वास्तव में बहुत से मामलों में सैनिक आवश्यकताओं के कारण एक युद्धरत लड़ाई में भाग न लेने वाला की हानि से रक्षा न कर सका । सन् १९१४ में जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया तो बाद में यह आवश्यक समझा गया कि उन निवासियों को जिस प्रकार समझ हो दबाया जाये जो कि जर्मन सेना का विरोध कर रहे थे । अतः लड़ाई में भाग न लेने वाला को सरक्षण न दिया जा सका । द्वितीय महायुद्ध में वे सभी नियम मिट्टी में मिल गये जिनसे लड़ाई न लड़ने वालों को उन्मुक्ति दी गई थी जब कि तटस्थ नगरी जैसे वारसा, लन्दन और ब्रिटेन पर जर्मन हवाई जहाजों द्वारा बम बरसाये गये । इसके बदले में ब्रिटेन तथा अमेरिका के हवाई जहाजों के वेदों ने जर्मन नगरी जैसे बर्लिन, म्यूनिच, हैम्बर्ग, तथा अन्य व्यावसायिक महत्व के स्थानों पर बम बरसाये ।

हेग विनियमों के अनुच्छेद २३ द्वारा युद्धरत का अन्य पक्ष के प्रजाजनों को उन्हीं के देश के विरुद्ध युद्ध-कार्यों में भाग लेने के लिये बाध्य करने को निषिद्ध किया गया चाहे वे युद्ध छिड़ने के पूर्व उसी की सेवा में क्यों न रहे हों ।

हेग विनियमों ने शत्रु की सम्पत्ति का विनाश तथा अभिग्रहण उस समय तक के लिये स्वीकार किया जब तक कि ऐसा विनाश अथवा अभिग्रहण युद्ध की आवश्यकता से अत्यन्त आवश्यक न हो । विनियम के अनुच्छेद २८ के अन्तर्गत आक्रमण द्वारा अधिकार में लिये गये नगर अथवा स्थान को लूटना निषिद्ध किया गया । अत्यन्त आवश्यकता की दशा में शत्रु की सम्पत्ति के विनाश अथवा अभिग्रहण सम्बन्धी नियम ने असन्दिग्ध युद्धरत को बड़ी ढील दे दी । प्रथम महायुद्ध के बीच युद्ध को शासित करने वाले नियमों को समय समय पर भंग किया गया जब पुस्तकालय तथा गिरजा गृह या तो जला दिये गये अथवा विनष्ट कर दिये गये । लेकिन जैसा फेनविक का कहना है "यह द्वितीय महायुद्ध के लिये कहा गया कि वह ऐसे विनाशकारी दृश्य देखे जिससे हेग अभिसमय केवल एक विडम्बना-मात्र रह जाय ।" शत्रु की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति अभिग्रहीत की गयी चाहे वह व्यविनगत हो अथवा सार्वजनिक । जर्मन सेनाओं के आगे बढ़ने के मार्ग में रूस के विस्तृत क्षेत्रों को तथा उनके पीछे हटने के मार्ग में उससे भी अधिक विस्तृत क्षेत्रों को नष्ट कर दिया गया । एक के बाद दूसरे देश पर आक्रमण करते समय ऐतिहासिक स्मारकों को भी नहीं छोड़ा गया ।

स्थल युद्ध की विधियों का विकास (Developments of the Laws of Land Warfare) — स्थल-युद्ध की विधि का विकास का ज्ञान निम्नलिखित संधियों से किया जा सकता है —

१. अगस्त २२ सन् १८६४ का जेनेवा अभिसमय जो युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के घायल सिपाहियों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में था ।

२. दिसम्बर ११ सन् १८६८ की सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा जिसके द्वारा ऐसे प्रक्षेपणों का निषेध किया गया था जो ४०० ग्राम से नीचे के हों तथा फटने वाले पदार्थों से युक्त हों ।

३. सन् १८६६ तथा १९०७ के हेग अभिसमय जो फेंपने वाली गोलियों (डमडम), प्रक्षेपणों, गुबारों से फेंके जाने वाली प्रक्षेपणों तथा फटने वाले पदार्थों, दम घोटाने वाली अथवा हानिकारक गैसों का फेंकने वाले प्रक्षेपणों तथा युद्ध छेड़ने और तटस्थ दलित्थों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा भूमियुद्धों में लगे हुये व्यक्तियों के सम्बन्ध में हैं ।

४. सन् १९२५ का मलस (Protocol) जो युद्ध में दम घोटाने वाली, विषाक्त तथा अन्य गैसों के सम्बन्ध में है ।

५. सन् १९२९ का जेनेवा अभिसमय जो अस्वस्थ तथा घायल और युद्ध-बन्दियों के सम्बन्ध में है ।

६. जेनेवा में सन् १९४९ में किये गये चार अभिसमय ।

सन् १९४९ का जेनेवा अभिसमय—सन् १९४९ में जेनेवा में ४ अभिसमय किये गये जो कि निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में थे—

(१) युद्धबन्दियों से व्यवहार (२) युद्ध में सलग्न सैनिक दलों के घायलों तथा बीमारों की दशा में सुधार, (३) घायल तथा बीमारों की तथा समुद्र में जहाज डूबने पर बचे हुये सैनिक दलों के सदस्यों की दशा का सुधार, तथा (४) युद्ध के समय में नागरिक जनता का संरक्षण ।

युद्धबन्दी (Prisoners of War) — युद्धबन्दियों की देख-रेख होनी चाहिये तथा उनसे मानवता-पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये । बन्दी को पकड़ने वाले वैयक्तिक सिपाहियों को, न कि पदाधिकारियों को उपयोगी कार्य में लगाया जा सकता है जो युद्ध-संचालन के कार्य से किसी प्रकार सम्बन्धित न हो । कार्य भी अत्यधिक न होना चाहिये । प्रत्येक दशा में उनको उनके कार्य के लिये पारिश्रमिक देना चाहिये । सन् १९४९ के हेग अभिसमय के अन्तर्गत अनायुक्त पदाधिकारीगणा से केवल निरोक्षण वा कार्य अपेक्षित है किन्तु वे अन्य कार्य का भी माँग कर सकते हैं । सन् १९०७ के विनियमों के अनुसार बन्दियों को पूजा-सम्बन्धी पूर्ण स्वतन्त्रता का अधिकार है । यदि देश की विधियाँ इस प्रक्रिया की अनुमति देती हों तो उनको उनकी हठ प्रतिज्ञा पर छोड़ा जा सकता है बन्दियों को जो भागने के प्रयत्न में पकड़े जाँय अग्निम उपाय के रूप में गोली मारा जा सकता है । यदि उनको पकड़ लिया जाय तो उन्हें दरिद्रत किया जा सकता है । सन् १८६९ तथा १९०७ के हेग सम्मेलनों ने प्रत्येक युद्धरत का वह कार्यभार सौंपा कि वह अपने प्रदेश में एक सूचनाग्रह स्थापित करे तथा युद्ध समाप्त होने पर अन्य युद्धरत की सरकार के पास आवश्यक सूचना भेजे ।

सन् १९२९ के जेनेवा अभिसमय ने भी युद्ध-बन्दियों से व्यवहार के सम्बन्ध में व्यवस्था की । सत्यापन करने वाले राज्यों के बीच में इस अभिसमय ने सन् १८६४ तथा १९०६ के अभिसमयों का स्थान ग्रहण कर लिया ।

सन् १९४९ में किए गए जेनेवा अभिसमयों में से एक युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में था, जो किसी सैनिक सर्घर्ष में, चाहे वह स्वीकृत हो अथवा न हो, जो कि युद्धरत पक्षकारों के बीच उत्पन्न हुआ हो, लागू है । अभिसमय द्वारा युद्धबन्दियों के जीवन तथा शरीर से बलात्कार, वधक व्यक्ति रखना तथा मान-हानि का कार्य और निष्कण्ट व्यवहार निषिद्ध किया गया है । बन्दियों को उनको सूचना देने के

लिए बाध्य करने के लिए कोई शारीरिक अथवा मानसिक यन्त्रणा नहीं दी जा सकती। अभिग्रहण किए जाने के उपरान्त उनको सतरे वाले क्षेत्र से हटाना आवश्यक है। बन्धन की स्थिति बन्दी के अपने देश को वापस कर दिए जाने पर, तटस्थ देश में स्थान दिए जाने पर, मुक्त किए जाने पर, भाग जाने पर, अथवा उसकी मृत्यु पर समाप्त हो सकती है।

सर राबर्ट फिलिमोर ने निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों की गणना उनमें की है जिनको युद्धबन्दी के रूप में व्यवहार किये जाने का कोई अधिकार नहीं है।

१. लुटेरो के झुंड जो कि सम्राट् अथवा सेनानायक से अधिकार प्राप्त किए बिना कार्य कर रहे हों।

२. अभियुक्ता (deserters) जो दानु की सेना में पकड़े गए हों।

३. भेदिये चाहे वे सामान्य सेना के ही क्यों न हों। युद्ध की विधियों में यह व्यवस्था की गई है कि भेदिये जब उसकी सेना की पक्ति के भीतर अथवा उनकी योजनाओं तथा गतिविधियों की सूचना शत्रु को देते हुये पाये जाय तो उनको प्राणदण्ड दिया जा सकता है।

अस्वस्थ तथा घायल (Sick and Wounded) — अस्वस्थ तथा घायलों के सम्बन्ध में नियम सन् १८६४ के जेनेवा अभिसमय द्वारा निर्धारित किये गये जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वे बाद में सन् १९०६ में जेनेवा में रूप-भेदित किए गए। सन् १९०७ के हेग सम्मेलन ने अस्वस्थ तथा घायलों के प्रति युद्धरत के वर्तमानों को स्वीकार किया। विनियमों के अनुसार अस्वस्थ तथा घायल लड़ाई लड़ने वालों की देख-रेख युद्धरत द्वारा पक्ष अथवा जातीयता का भेदभाव रखे बिना किया जाना चाहिए। विजयी सेनानायकों का यह कर्तव्य था कि रणक्षेत्र में घायल सिपाहियों की लूट अथवा अन्य दुर्व्यवहार से रक्षा करे तथा मृत व्यक्तियों के शरीरों से प्राप्त हुई सब व्यक्तिगत सम्पत्ति को एकत्र करे तथा उन वस्तुओं को शत्रु के देश के प्राधिकारियों के पास उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के पास भेजे जाने के लिये रवाना कर दे। विनियमों में यह भी व्यवस्था की गई कि अस्वस्थ तथा घायलों का अभिग्रहण करने वाली सरकार का यह कर्तव्य है कि उनको भोजन तथा वस्त्र दें तथा इस सम्बन्ध में उनसे अपनी सेना के स्तर के अनुसार व्यवहार करे। प्रथम महायुद्ध के उपरान्त सन् १९०६ के अभिसमय में सन् १९२९ का दूसरा अभिसमय जोड़ दिया गया जिसके द्वारा रणक्षेत्र की सनाओं के अस्वस्थ तथा घायलों के साथ व्यवहार के वर्तमान नियम सशोधित किये गये थे।

सन् १८६४ का जेनेवा अभिसमय अन्त में १९४९ में जेनेवा में हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा सशोधित किया गया। सन् १९४९ के रणक्षेत्र के सैनिक दलों के घायल तथा अस्वस्थ की दशा सुधारने के अभिसमय में यह व्यवस्था की गई है कि सेनाओं से अधिकारी रूप से बन्धित अस्वस्थ तथा घायल व्यक्तियों का सम्मान, सरक्षण तथा देख-रेख, जातीयता, लिंग, कुल, धर्म अथवा राजनैतिक सम्पत्ति के भेद-भाव को भुला कर करना चाहिए। अनुच्छेद ३६ द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी यातायात के रूप में उपयोग किए जाने वाले विमानों को सरक्षण प्रदान किया गया है जब तक वे चिकित्सक वर्ग को तथा चिकित्सा-सम्बन्धी वस्तुओं को ले जाने में तथा घायल और अस्वस्थ के हटाने में लगे हों। यह भी व्यवस्था की गयी है कि पक्षकारों की स्वीकृति से इसकी समावना है कि घायल तथा अस्वस्थ के सरक्षण के लिए अस्पतालों के क्षेत्र स्थापित किये जायें। अनुच्छेद १५ तथा १६ मृत सिपाहियों से व्यवहार के सम्बन्ध में हैं। उनमें इस बात की अनिवार्य व्यवस्था की गई है कि युद्धरत द्वारा घायल तथा मृत व्यक्तियों के नाम तथा उनके परिचय के सम्बन्ध में परस्पर शीघ्र पत्र-व्यवहार कर लिया जाय तथा रण-क्षेत्र में अथवा मृत व्यक्तियों पर प्राप्ति हुई वस्तुओं को एकत्र कर वापस कर दिया जाय।

युद्ध-छल (Ruses of War) — युद्ध-छल ऐसे युद्ध-भेदिये होते हैं जो कि शत्रु सेना को उसकी कार्यवाही में गलत मार्ग दिखाते हैं। हेग अधिनियम के अनुच्छेद २४ में शत्रु को धोखा देने के लिये शत्रु-छल की निष्पत्ति निषिद्ध नहीं कर दी गई है।

युद्ध-भेदिये और धोखेबाज (Stratagem and Decet) — लरिन्स के अनुसार युद्ध भेदिये ऐसे युद्ध-छल है जो कि शत्रु के ऊपर प्रयोग किये जाते हैं जिनका उद्देश्य शत्रु को धोखा देना होता है और उन्हें अरक्षित करना होता है। इनका प्रयोग इसलिये होता है कि युद्ध जितना ही शत्रु से लडा जाता है उतना ही बुद्धि स भी। हेग अधिनियम के अनुच्छेद २४ में शत्रुओं के विषय में आवश्यक सूचना की जानकारी के लिये युद्ध-भेदिया का निष्पत्त किया जाना नियमित माना गया है। ये युद्ध-भेदिये जहाँ तक प्रकट या परोक्ष रूप से युद्ध स्थित राज्यों के कानूनों का उल्लंघन नहीं करते वहाँ तक उनकी निष्पत्ति सर्वथा वैध और नियमित है क्योंकि प्रत्येक सेनानायक अपनी सुरक्षा के लिये अपनी बुद्धि और कौशल के अनुसार सतर्क रहना चाहता है।

अध्याय ३६

युद्ध-स्थित के दखल

(*Belligerent Occupation*)

दखल का अर्थ — क्षेत्र को अधिकार में लेने तथा उस पर दखल करने वाले अथवा प्राप्त करने वाले राज्य के नाम से प्रशासन स्थापित करने से दखल पूर्ण हो जाता है। अतः दखल आक्रमण से भिन्न है जो विजय का केवल एक स्थितिमात्र है तथा उसमें सरकार की स्थापना निहित नहीं है। दखल से सार्वभौमिकता का पूरा हस्तान्तरण व्यक्त नहीं होता किन्तु वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत सैनिक प्राधिकार का द्योतक है। सन् १९०७ के चतुर्थ हेग सम्मेलन से सलग्न हेग विनियम का अनुच्छेद ४२ यह घोषित करता है कि एव क्षेत्र दखल में उस समय कहा जाता है जबकि वह वास्तव में विरोधी सेना के प्राधिकार में आ गया हो तथा ऐसा दखल केवल तभी प्रभावपूर्ण होता है जब इसे ऐसे बल का आश्रय प्राप्त हो जो दखल करने वाले प्राधिकार का स्थायी रखने के लिए पर्याप्त हो। दखल शत्रु के देश पर आक्रमण तथा उसको अधिकार में लेने के उद्देश्य से कब्जा या शक्तिबल में लेना है, चाहे वह अस्थायी रूप से ही बयो न हो।

इसके परिणाम :—जब कोई क्षेत्र शत्रु के हाथ में आ जाता है तो उसके निवासियों की राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। द्वोटन का कथन है कि उनकी (निवासियों की) पूर्व सरकार को सार्वभौमिकता स्थगित हो जाती है और उनकी उससे राजभक्ति उस समय के लिये लुप्त हो जाती है। दखल के बीच वे ऐसी विधियों के अधीन हो जाते हैं जिस प्रकार का विजयी उन पर लगाना चाहे। निवासियों को अपने देश के विरुद्ध अस्त्र ग्रहण करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। उसी समय उनके व्यक्तिगत अधिकार तथा उनके एक दूसरे से सम्बन्ध वही रहते हैं जब तक कि वे विजयी द्वारा विशेष रूप से परिवर्तित न कर दिये जायें। सुदृढ सैनिक दखल पूर्व सरकार से प्राप्त सार्वभौमिकता के सम्पूर्ण अधिकारों को विजयी को हस्तान्तरित कर देता है। अतः वह पहले की सार्वजनिक सम्पत्ति को जिस प्रकार चाहे उस प्रकार उपयोग कर सकता है, तथा उसके देय करों और उपकारों को स्वयं विनियोग कर सकता है। लेकिन यह स्थिति तभी तक रहती है जिस समय तक दखल रहता है। यदि जिला मून सार्वभौम से पुनः ले लिया जाता है तो फिर उसी पूर्व स्थिति में आ जाता है जिसमें वह लोप होने के पूर्व था। सैनिक दखल के प्रभाव चल तथा चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न हैं। यह विजयी को चल सम्पत्ति पर पूर्ण स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त करने का तथा उसको जिते

चाहे उसे हस्तान्तरित करने का अधिकार देता है, किन्तु इसके द्वारा अचल सम्पत्ति पर उसे केवल सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। वह दखल के बीच वास्तविक सम्पत्ति का इच्छानुसार उपयोग कर सकता है किन्तु यदि वह उसका विक्रय करे तो खरीदने वाला मूल स्वामी द्वारा निष्कासन किये जाने के खतरे पर उसे लेता है। ऐसी सम्पत्ति पर आक्रमणकारों के अधिकार केवल शान्ति स्थापित होने के उपरान्त ही स्थायी होते हैं। हेग विनियमों के अनुच्छेद ४३ में यह घोषणा की गई है कि दखल करने वाला यथासम्भव सार्वजनिक सुव्यवस्था तथा सुरक्षा पुनः स्थापित करने के लिये समस्त प्रकार के ऐसे प्रयास करेगा जो उसकी शक्ति में हैं, तथा सर्वथा देश में प्रवृत्त विधियाँ का सम्मान करेगा जब तक वह रोका न जायगा। अतः दखल करने वाली शक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वर्तमान स्थानीय विधियों को जहाँ तक वे दखल करने वाले की सुरक्षा के अनुरूप हों, बनाये रखे।

हेग विनियमों द्वारा दखल करने वाले को दखल किये गये क्षेत्र की जनता को विरोधी शक्ति के पक्ष में राजभक्ति की शपथ लेने को बाध्य करने को निषिद्ध किया गया है, किन्तु उसे यह अनुमति दी गई है कि उनसे तटस्थता की शपथ तथा ऐसी शपथ ले कि वह उसी प्रकार से उसकी आज्ञा पालन करे तथा राजभक्ति दिखलाये जैसा वैध सार्वभौम सत्ता को अधिकार था भले ही वह अस्थायी रूप से हो। दखल करने वाला दखल किये गये क्षेत्र के निवासियों को बाध्य नहीं कर सकता कि वे उसे अपने सैनिक दलों के सम्बन्ध में सूचना दे।

उपासना के लिए समर्पित सस्थायें (Institutions dedicated to worship) — हेग विनियमों के अनुच्छेद ५६ में यह स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है कि सार्वजनिक उपासना, दया, शिक्षा, विज्ञान तथा कला के लिये समर्पित सस्थायों का अभिग्रहण तथा विनाश न किया जाय। इसी प्रकार ऐतिहासिक स्मारक तथा कला अथवा विज्ञान की वृत्तियाँ भी सुरक्षित करने योग्य हैं। यह भी व्यवस्था की गई है कि धर्म, दया, शिक्षा, कला तथा विज्ञान के लिये समर्पित सस्थायों की उपजीविका के निमित्त अलग खाली हुई भूमि से प्राप्त आय उनके लाभकारी प्रयोजनों को हटाकर दखल करने वाली सेना के द्रव्य साधना को बढ़ाने के काम में न लायी जाय।

अचल सम्पत्ति (Immovable Property) — सामान्य नियम के अनुसार अचल सम्पत्ति आक्रमणकारी द्वारा उपभोग किये जाने के अयोग्य मानी गयी है। वे क्षेत्र के साथ बँधी हुई हैं। उनसे उत्पन्न होने वाला लाभ जन्म किये जाने से उन्मुक्त हैं, तथा उनके स्वामी उनके सब प्रकार के विधिपूर्वक उपयोग में

सरक्षित किये जाने चाहिये । (अनुच्छेद ४६) । किन्तु व्यक्तिगत गृहा में सेना क दल रखे जा सकते हैं यद्यपि निवासियों को सिपाहियों के लिए अधिक स्थान प्राप्त करने के हेतु निकाला नहीं जा सकता । तथापि वास्तविक भूगडों की आवश्यकता भाने पर यह न्यायोचित हो सकता है, कि भवनो को विनष्ट कर दिया जाय अथवा उनका दुर्ग के रूप में उपयोग किया जाय । यदि लड़ाई न लड़ने वाले आक्रमणकारी दलों पर अपने रहने के स्थानों में गोली चलावें अथवा उनका उपयोग अन्य अप्राधिकृत विरोध क कार्यों के करने के प्रयोजना के लिये कर, तो युद्ध की विधियाँ युद्धस्थित को जिसकी हानि हुई हो, यह अधिवार देता है कि सम्बन्धित सम्पत्ति को नष्ट करके तथा अपराधियों के विरुद्ध कठोरता का व्यवहार करके दंड दे ।

लड़ाई न लड़ने वालों की चल-सम्पत्ति (Movable Property of Non-Combatants) — दखल किये गये जिलों की लड़ाई न लड़ने वाली जनता की चल-संपत्ति के सम्बन्ध में अनुच्छेद ५३ इसके अभिग्रहण किये जाने से उन्मुक्ति देता है, यदि यह अस्त्र, युद्ध-सामग्री, आदि न हा । ऐसी दशाभा में भी युद्ध समाप्त होने पर उन्हें वापस कर देना चाहिये तथा उनके लिये क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिये ।

सार्वजनिक चल सम्पत्ति (Public Movable Property) — हेग-विनियमों के अनुच्छेद ५३ के वाक्यखंड १ में यह अनुमति दी गई है कि दखल करने वाला राज्य उस राज्य की चल सम्पत्ति का उपयोग करे । व्यक्तिगत सम्पत्ति जो सैनिक प्रयोजनों के लिये उपयोग करने के योग्य है, अनुच्छेद ५३ वाक्यखंड २ के अन्तर्गत अभिग्रहीत की जा सकती है किन्तु जब शान्ति घोषित हो तो इसे वापस कर देना चाहिये और क्षतिपूर्ति निश्चित कर देनी चाहिये ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति (Private Property) — व्यक्तिगत सम्पत्ति का सम्मान होना चाहिये । उसे जब्त नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद ४६) । अनुच्छेद ५२ के अन्तर्गत नगरपालिकाओं अथवा निवासियों से द्रव्य तथा सेवाओं की मांग दखल करने वाली सेना की आवश्यकता के अतिरिक्त और किसी स्थिति में नहीं की जा सकती । वे देश के द्रव्य साधनों के अनुरूप होंगे तथा इस प्रकार के होंगे जिसस निवासी इस बात के लिए बाध्य न हो कि उन्हें अपने देश के ही विरुद्ध सैनिक दखल में भाग लेना पड़े ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति की लूट पूर्ण रूप से निषिद्ध है किन्तु आक्रमणकारी दखल किये गये क्षेत्र में पाई गई तटस्थ की सम्पत्ति को उचित क्षतिपूर्ति देने पर उपयोग कर सकता है ।

युद्ध-कार्य (Operations of War):—हेग विनियम के अनुच्छेद ५२ में दखल करने वाले को यह निषेध है कि वह विरोधी पक्ष के जातियों को अपने ही देश के विरुद्ध संचालित कार्यों में भाग लेने के लिये बाध्य करे और यह प्रतिबन्ध उस दशा में भी सामान्यतः लागू है जब वे उसकी सेवा में युद्ध आरम्भ होने से पूर्व से रहे हों। लड़ाई न लड़ने वाले निवासियों को कोई सैनिक प्रकार की सेवा करने की बाध्य किया जा सकता है। लड़ाई न लड़ने वालों का मुख्यदण्ड के अन्तर्गत यह निषिद्ध किया गया है कि वे दखल करने वाले के विरुद्ध कोई विराध का कार्य न करें जैसे शत्रु को सूचना देना, आदि।

सामूहिक दंड (Collective Penalty)—अनुच्छेद ५० में यह निर्धारित किया गया है कि निवासियों पर वैयक्तिक कार्यों के लिये, जिनके लिये वे सामूहिक प्रकार से उत्तरदायी नहीं समझे जा सकते, धन का अथवा अन्य प्रकार का सामूहिक दंड नहीं दिया जा सकता। जर्मनी द्वारा इस नियम का भंग सन् १९१४-१८ के महायुद्ध तथा १९३९-४५ के विश्वयुद्ध में किया गया, जब उसके द्वारा अनेक मामलों में दखल किये गये क्षेत्र के निवासियों को सामूहिक रूप से दण्डित किया गया।

न्यायालय (Courts)—न्याय-वितरण के सम्बन्ध में यह है कि सैनिक दखल के बीच व्यवहार न्यायालय पूर्व विधियों के अनुसार कार्य करते रहते हैं लेकिन दण्ड न्याय विधि तथा प्रक्रिया में परिवर्तन हो सकते हैं। अनुच्छेद ४३ में यह व्यवस्था की गई है कि दखल करने वाले को यदि उसके मार्ग में बाधा न हो, तो देश में प्रवृत्त विधियों का सम्मान करना चाहिये, लेकिन वह सामान्य न्यायालयों के स्थान में सैनिक न्यायालय स्थापित कर सकता है। न्यायालय दखल करने वाली शक्ति के नाम पर निर्णय न देकर न्यायपूर्वक स्थापित सरकार के नाम पर निर्णय देते हैं, लेकिन दखल करने वाला उनको न्यायपूर्वक स्थापित सरकार के नाम में निर्णय देने से रोक सकता है। उस दशा में जैसा कि व्वाण्टगाली का सुझाव है, न्यायालय एक तटस्थ नियम का अवलम्बन कर सकते हैं तथा निर्णयों को “विधि के नाम में” (“In the name of the law”) दे सकते हैं।

अधिग्रहण, अंशदान तथा अर्थ दंड (Requisitions, Contributions and Fine)—अधिग्रहण दैनिक उपभोग की वे वस्तुएँ हैं जो दखल करने वाली सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सभरण की जाय तथा दखल किये गये प्रदेश के निवासियों से माँगी जाय। हेग विनियम अधिग्रहण के लिये वहाँ तक अनुमति देते हैं जहाँ तक कि वे दखल करने वाली सेना की आवश्यकताओं के लिये

अपेक्षित हो तथा देश के साधनों के अनुरूप हो। वे दखल किये गये क्षेत्र में केवल समादेशक के ही अधिकार से माँगे जा सकते हैं।

अशदान वह धनराशि है जो सामान्य करो के अतिरिक्त एकत्र की जाय। वह समादेश देने वाले जनरल के उत्तरदायित्व पर उसके लिखित आदेश के अन्तर्गत एकत्र किया जा सकता है, तथा सेना की आवश्यकताओं के लिये तथा दखल किये गये क्षेत्र के प्रशासन के व्यय की पूर्ति के लिये लगाया जा सकता है। अशदान केवल उसी दशा में अनुज्ञेय है जब करो से आय कम हो तथा प्रशासन के व्यय की पूर्ति के लिये अपर्याप्त हो, किन्तु सेना की आवश्यकताओं के लिये उनको लगाने की आवश्यकता न्यायविरुद्ध माँग की एक नयी स्थिति उत्पन्न कर देनी है। चन्दा देने वालों को रसीद दी जानी चाहिये, यद्यपि वापसी के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अर्धदण्ड किसी जिले पर लगाई गई वह शास्ति है जो उसके निवासियों द्वारा आक्रमणकारियों के विरुद्ध किये गये किसी कार्य के लिए लगाई जाय। हेग विनियमों के अनुच्छेद ५० में जैसा ऊपर व्यक्त किया गया है यह घोषित किया गया है कि कोई सामान्य शास्ति द्रव्य अथवा अन्य प्रकार की, जनता पर उन कार्यों के लिये नहीं लगायी जा सकती, जो व्यक्तियों द्वारा किये गये हो तथा जिनके लिये उनको सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं समझा जा सकता।

सन् १९४९ का जेनेवा अभिसमय (Geneva Convention, 1949)—जर्मनी द्वारा युद्धस्थित दखल करने वाले के रूप में दखल किये गये क्षेत्र की नागरिक जनता पर द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य किये गये निर्मम क्रूरता के कार्यों के कारण यह आवश्यक हो गया कि हेग विनियमों का पुनरोक्षण किया जाय तथा सन् १९४९ के जेनेवा अभिसमय को अंगीकृत किया जाय। ४७ से ७८ तक अनुच्छेद जो युद्ध के समय में नागरिक व्यक्तियों के संरक्षण के सम्बन्ध में हैं केवल दखल किये गये क्षेत्र के विषय में हैं तथा वर्तमान अनुबन्धों के उद्घोषणात्मक हैं यद्यपि कुछ विषयों में वे हेग विनियमों के सम्बन्धों के बाहर चल गये हैं।

अनुच्छेद ४९ के अन्तर्गत वैयक्तिक अथवा सामूहिक अन्तरण तथा संरक्षित व्यक्तियों का दखल किये गये क्षेत्र से दखल करने वाली शक्ति क क्षेत्र अथवा किसी अन्य क्षेत्र को निवालेना निषिद्ध किया गया है।

अभिसमय में यह निषिद्ध किया गया है कि दखल करने वाली शक्ति दखल किये गये क्षेत्र के निवासियों का यह वाध्य करे कि उसक सैनिक अथवा सहायक दला में कार्य करें। किसी प्रकार के ऐसे दबाव अथवा प्रचार की अनुमति नहीं है जिसका उद्देश्य ऐच्छिक भर्ती कराना हो।

दखल करने वाली शक्ति दखल किये गये क्षेत्रों में सार्वजनिक पदाधिकारियों अथवा न्यायाधीशों की स्थिति बदल नहीं सकती (अनुच्छेद ५४) ।

राज्य के व्यक्तियों अथवा अन्य सार्वजनिक अधिकारियों की वास्तविक अथवा व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश केवल उस दशा को छोड़कर जबकि ऐसा विनाश सैनिक कार्यों के लिये नितान्त आवश्यक हो गया हो, पूर्णतया निषिद्ध है । (अनुच्छेद ५३) ।

दखल किये गये क्षेत्र की दड-विधियाँ इस अपवाद के साथ प्रवर्तित रहेंगी कि उनको दखल करने वाली शक्ति द्वारा उन्हें निरसित तथा स्थगित उन दशाओं में किया जा सकता है जब वे उसकी सुरक्षा के लिये एक घमकी बन जाती हैं । दखल करने वाली शक्ति द्वारा बनाई गई दड-व्यवस्था उसके प्रकाशित किये जाने तथा निवासियों को उन्हीं की भाषा में परिचित कराने के पूर्व प्रवर्तित नहीं होगी । (अनुच्छेद ६४-६५) ।

दखल करने वाली शक्ति द्वारा मृत्युदण्ड नागरिक निवासी को केवल उन्हीं दशाओं में दिया जा सकता है जब वह व्यक्ति जासूसी कार्यों के करने दखल करने वाली शक्ति के सैनिक प्रतिष्ठापनों को तोड़-फोड़ करने के गम्भीर कार्यों अथवा इच्छापूर्वक ऐसे अपराधों का करने का दोषी हो जिनसे एक या अधिक व्यक्तियों को मृत्यु हो जाय, किन्तु अनुबन्ध यह है कि दखल के प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसे अपराध दखल करने वाले प्रदेश की विधि के अन्तर्गत मृत्युदण्ड द्वारा दण्डनीय हों ।

सरक्षित व्यक्ति दखल करने वाली शक्ति द्वारा दखल के पूर्व किये गये कार्यों अथवा प्रकट की गई सम्पत्ति के लिये पकड़े, अभियोजित अथवा सिद्ध-दोष इस अपवाद के साथ नहीं होंगे कि युद्ध की विधियों तथा रूढ़ियों का उल्लंघन न हुआ हो । (अनुच्छेद ७०) । अनुच्छेद ५५ में दखल करने वाली शक्ति पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह जनता के लिये भोजन तथा औषधि का सामान पहुँचाने का निश्चित प्रबन्ध करे ।

अध्याय ४०

समुद्री युद्ध की विधियाँ

(Laws of Maritime Warfare)

उद्देश्य :—समुद्री युद्ध का उद्देश्य शत्रु को उन यातायात के साधनों से वंचित करना है जो समुद्र अनाधिकृत सम्पत्ति के रूप में प्रत्येक राष्ट्र को देने हैं और शत्रु के

समुद्री बेड़े को पराजित करना तथा उसके व्यापारिक बेड़े का मूलोच्छेदन करना है। भूमियुद्ध के असह्य समुद्रीय युद्ध में यह अनुमति प्राप्त है कि शत्रु के जहाजों में प्राप्त व्यक्तिगत सम्पत्ति, अतटस्थ सेवाओं में लगा हुआ तटस्थों का माल तथा उनके जहाज तथा शत्रु का सम्पूर्ण माल जो समुद्र पर हो यदि तटस्थ भंडे से संरक्षित न हो तो ग्रहण कर लिया जाय।

खुदियों के अतिरिक्त समुद्री युद्ध विधियाँ मुख्यतः सन् १८५६ की पेरिस की घोषणा में तथा सन् १९०७ के पष्ठ हेग अभिसमय में समावेशित हैं जिसका निर्देश पूर्व पृष्ठों में किया गया है।

पेरिस की घोषणा (Declaration of Paris) :— पेरिस की घोषणा ने निम्नलिखित चार सिद्धान्तों को सूचित किया :—

(१) निजी जहाजों द्वारा शत्रु के जहाजों को लूटे जाने के प्राधिकरण (Privateering) का उन्मूलन कर दिया जाता है।

(२) तटस्थ भंडे से शत्रु के माल की रक्षा होती है युद्ध में विनिपिद्ध वस्तुओं को छोड़कर।

(३) तटस्थों का माल युद्ध में विनिपिद्ध वस्तुओं को छोड़कर शत्रु के भण्डे के नीचे ग्रहण करने योग्य नहीं है।

(४) नाकेबन्दी वास्तविक तथा बाध्यकारी होने के निमित्त प्रभावपूर्ण होनी चाहिये।

शत्रु के सार्वजनिक तथा वैयक्तिक-पोत पर आक्रमण (Attack on Public and Private Vessels of the Enemy) :— सामान्य नियम के रूप में शत्रु के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जहाजों पर उन्हीं के बन्दरगाहों तथा जल में, आक्रमणकारी शक्ति के बन्दरगाहों तथा जल में तथा खुले हुए समुद्रों में आक्रमण किया जा सकता है लेकिन तटस्थ तथा तटस्थीकृत बन्दरगाहों तथा जल में नहीं। किन्तु सामान्य नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं :—

अपवाद :—

१. अस्पताली जहाज (Hospital Ships).— सन् १८६६ तथा १९०७ के हेग अभिसमय द्वारा उनको पकड़े जाने से इस आधान पर उन्मुक्ति दी गई कि वे उदारता तथा परोपकार के कार्य करते हैं। ऐसे अस्पताली जहाज सफेद रंग के होने चाहिए तथा उनमें जेनेवा का झंडा लगा रहना चाहिए। यह बात स्वीकृत की गई कि अस्पताली जहाज लड़ाई लड़ने वालों की गतिविधि में बाधा न डालें।

२. वे जहाज जो धार्मिक, वैज्ञानिक अथवा सार्वजनिक उपकार के कार्यों में लगे हों, वे भी सन् १९०७ की ग्यारहवीं हेग अभिसमय के अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत पकड़े जाने से उन्मुक्त हैं।

३. कार्टेल जहाज (Cartel Ships) .—यह वे जहाज हैं जो बन्दियों के विनिमय कार्य में लगे रहते हैं तथा युद्धस्थित शक्ति द्वारा अभिग्रहीत करने से उन्मुक्त हैं ।

४. मछली भारने वाले जहाज तथा बाजारी नावे (Fishing Smacks and Market Boats) —ये छोटे-छोटे जहाज किनारे पर मछली पकड़ने अथवा स्थानीय व्यापार में लगे रहने के कारण युद्धस्थित शक्तियों द्वारा अभिग्रहीत करने से उन्मुक्त हैं, लेकिन यदि वे युद्ध के कार्यों में भाग ले ता उन पर यह उन्मुक्ति लागू नहीं होती ।

५ शत्रु के जहाज लाइसेन्सो द्वारा सरक्षित हो, अभिग्रहीत करने से तब तक उन्मुक्त रहते हैं जब तक वे लाइसेन्स म दी हुई शर्तों तथा प्रतिबन्धों क अनुसार नाव चलाते अथवा व्यापार करते हैं ।

६ सन् १९०७ के छोटे हेग अभिसमय ने तीन प्रकार के व्यापारी जहाजों का एक अधूरी तथा सीमित प्रकार की उन्मुक्ति प्रदान की —

(अ) जो युद्ध के आरम्भ में शत्रु के बन्दरगाह में पाय जाय ।

(आ) जो ऐसे बन्दरगाह में लड़ाई छिड़ने से अनभिज्ञ होकर प्रवेश करे तथा जिन्होंने अपने प्रस्थान के अनिम बन्दरगाह को तब छोड़ा हा जब शान्ति रही हो ।

(इ) जिनसे खुले समुद्र पर उसी अनभिज्ञता का दशा में मुठभेड हा तथा जो अन्तिम बन्दरगाह से जिसमें कि वे पहले पहुँचे हो युद्ध आरम्भ होने क पूर्व बच दिये हो ।

अभिसमय द्वारा युद्धस्थित को यह अनुमति दी गई थी कि वह किसी व्यापारी जहाज को क्षतिपूर्ति दिये बिना रोक रखें, किन्तु इस उत्तरदायित्व के साथ कि युद्ध के उपरान्त इसे वापस कर दें । युद्धस्थित क्षतिपूर्ति देकर जहाज को अधि-याचित भी कर सकता था । उन जहाजों के सम्बन्ध में जिन्होंने युद्ध आरम्भ होने के पूर्व बन्दरगाह छोड दिया था, तथा जिनसे उसी अज्ञानता की दशा में खुले समुद्र में मुठभेड हुई हो, उनको इस विफल के साथ विनष्ट करने दिया जाता था कि उसके बदले में क्षतिपूर्ति दी जाय तथा जहाज के कागजों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाय ।

प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धों क मध्य ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस अभिसमय का श्रेष्ठतम सम्मान किया गया तथा युद्ध लड़ने क उपरान्त उनके बन्दरगाहों में तथा खुले समुद्र में पाय गय जहाजों को स्थानबद्ध तथा पकड़ लिया गया और उसके बिना क्षतिपूर्ति दिये चलाया गया ।

शत्रु की सेना में संलग्न तटस्थ व्यापारी जहाज (Neutral Merchant Ships in Enemy Service) :—सन् १९०६ की लन्दन की घोषणा में जो सत्यापित नहीं की गई यह व्यवस्था की गई है कि “तटस्थ जहाज उस समय दोषी ठहराया जायगा तथा सामान्य रीति में उससे निम्नलिखित दशाओं में वही व्यवहार किया जायगा जैसा उससे शत्रु का व्यापारी जहाज होने पर किया जाता, यदि वह —

(१) युद्ध में प्रत्यक्ष भाग लेता ।

(२) किसी अभिकर्ता के आदेशों के अधीन अथवा नियन्त्रण में हो जो जहाज पर शत्रु की सरकार द्वारा रखा गया हो ।

(३) शत्रु के सरकार की अन्य सेवा में हो ।

(४) उस समय अनन्यरूपेण या तो शत्रु की सेनाओं को ले जाने में लगे हो अथवा शत्रु के हित में सूचना देने के कार्य में व्यस्त हो (अनुच्छेद ४६) ।”

तटस्थ व्यापारी जहाज शत्रु के पथरक्षक जहाजों के साथ (Neutral Merchant Ships in Enemy Convoy) :—जर्मनी तथा ग्रीस के, मिश्रित विवाचन न्यायाधिकरण ने *Kyriakides v Germany* (1928) [8 M. A. T. (1929) p. 350] में कथन किया है कि केवल वही तथ्य कि व्यापारी जहाज ने अपने को शत्रु की नौसेना के संरक्षण में रख लिया है तथा इसने यात्रा एक या कई युद्धपोतों के साथ में की इस बात के लिये पर्याप्त है कि उसे शत्रु के युद्धपोतों में मान लिया जाय और उससे शत्रु वस्तु व्यवहार किये जाय ।

तटीय नगरों पर बम बरसाना (Bombardment of Coast Towns) —युद्ध के समय में नौसेना द्वारा बम बरसाये जाने के सम्बन्ध में इस विषय में एक अभिसमय सन् १९०७ के द्वितीय हेग सम्मेलन द्वारा अंगीकृत किया गया । अनुच्छेद १ में यह नियम बनाया गया कि बन्दरगाहों, नगरों, ग्रामों, निवासस्थानों अथवा अन्य भवनों पर नौसेना द्वारा बम बरसाया जाना किसी भी परिस्थित तथा दशा में निषिद्ध है तथा किसी भी स्थान पर बम केवल इस कारण नहीं बरसाया जा सकता कि स्वसंचालित सम्पर्क स्थापित करने वाली सुरंगे बन्दरगाह से हट कर बिछाई हुई हैं । अनुच्छेद २ में यह अनुबन्धित है कि अरक्षित स्थानों के विषय में भी सैनिक अथवा नौसेना के स्थापन, शस्त्र अथवा युद्ध सामग्री के आगार, कारखाने अथवा अन्य जिनका युद्धकार्य में उपयोग किया जा सके, तथा बन्दरगाह में खड़े युद्धपोतों पर भी बम बरसाये जा सकते हैं यदि स्थानों अधिकारीवर्ग सूचना दिये जाने पर भी उनको विनष्ट करने में असमर्थ रहे । युद्धस्थित को यथासम्भव सार्वजनिक उपासना, कला, विज्ञान, अथवा उपकारके हेतु समर्पित सदनों को भी छोड़

देना था जिनको कि निर्धारित दृष्टिगत चिन्हों से लक्षित किया गया था। अभिसमय संरक्षित बन्दरगाह अथवा नगर को परिभाषित करने में असमर्थ रहा जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों विश्वयुद्धों में प्रतिज्ञा का पालन केवल उसके उल्लंघन में ही हुआ।

सुरंगों (Mines) :—सन् १९०७ के हेग सम्मेलन के अभिसमय ८ द्वारा बिना लगर डाली हुई सम्पर्क स्थापित करने वाली सुरंगों का बिछाना निषिद्ध किया गया जब तक उनकी बनावट ऐसी न हो कि वे उनका नियन्त्रण समाप्त होने के एक घंटे भीतर हानिकारक न रह जाय। इसके द्वारा लगर डाली हुई सम्पर्क वाली ऐसी सुरंगों का बिछाना भी निषिद्ध किया गया जो अपने निर्धारित स्थान से छूटने पर निर्दोष न हो जाय तथा ऐसे टारपीडा का उपयोग भी निषिद्ध किया गया जो अपने लक्ष्य को छूकने पर निर्दोष न हो जाय। इसके द्वारा यह भी निषिद्ध किया गया कि शत्रु के तटों तथा बन्दरगाहों से दूर सम्पर्क स्थापित करने वाली सुरंगों व्यापारिक नौचालन में बाधा डालने के लिये न बिछाई जाय।

पनडुब्बियाँ (Submarines) :—प्रथम महायुद्ध के छिड़ने पर जर्मन पनडुब्बियों ने व्यापारिक जहाज, युद्धपोत तथा तटस्थ जहाजों का विनाश किया क्योंकि पनडुब्बियाँ अपनी प्रकृति से ही नाविक युद्ध की परम्परागत विधियों का अनुसरण नहीं कर सकती थी। पनडुब्बियाँ टारपीडो द्वारा प्रभावशाली कार्यवाहियाँ करती हैं। यद्यपि उनके लिये यह सर्वथा उचित है कि शत्रु के युद्धपोतों को बिना कोई सूचना दिये डुबा दें, तथा शत्रु के व्यापारिक जहाजों पर जाकर उनकी तलाशी ले तथा उनको पकड़ें लेकिन उनका प्रमुख दोष प्रोफेसर हॉल के कथनानुसार यह है कि वे जिन जहाजों को डुबाती हैं उन पर स्थित व्यक्तियों की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं तथा किसी-किसी समय उस जहाज को पहिचानने में भी असमर्थ रहती हैं जिस पर वे आक्रमण करती हैं।

सशस्त्र व्यापारिक जहाजों के सम्बन्ध में जर्मनी द्वारा यह तर्क दिया गया कि वे बिना किसी चेतावनी के डुबाये जा सकते हैं क्योंकि कोई चेतावनी अथवा पूर्व-सूचना पनडुब्बियों को स्वयं गम्भीर आपत्ति में डाल देगी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की नौसना ने अपने पदाधिकारियाँ अथवा व्यापारिक जहाजों को पनडुब्बियों पर देखते ही आक्रमण करने का आदेश दिया था अतः कोई चेतावनी देने का अवसर ही नहीं आता। यह विषय यहाँ तक बढ़ा कि ७ मई १९१५ को 'लुसिटानिया', ब्रिटेन का भटलाटिक में चलने वाला एक जहाज, जर्मन टारपीडो द्वारा डुबा दिया गया। उन पर प्रायः २००० यात्री यात्रा कर रहे थे जिनमें से अधिकांश अमेरिका वाले थे। वह तत्काल डूब गया तथा लगभग

१,२०० व्यक्ति प्राणों से हाथ धोये। अमेरिका ने, जो उस समय तक तटस्थ था, जर्मनी से कठोर शब्दों में इसका विरोध प्रकट किया। जर्मन सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि 'लूसिटानिया' एक सामान्य निःशस्त्र व्यापारी जहाज नहीं था वरन् वह एक सहायक सैनिक जहाज था, जिसका नाम ब्रिटिश नौसेना विभाग द्वारा प्रकाशित नौसेना की सूची में सम्मिलित था तथा यह अपनी पिछली यात्राओं में मित्रराष्ट्रों की सहायता के लिये कैनाडा की सेना, शस्त्र और गाला-बारूद ले गया था। मित्रराष्ट्रों द्वारा दिये गये इस तर्क के सम्बन्ध में कि सन् १९०६ की लन्दन-घोषणा में यह अनुबन्धित किया गया है कि किसी जहाज को बिनष्ट करने के पूर्व जहाज पर के व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये, जर्मनी ने यह उत्तर दिया कि सामुद्रिक युद्ध के पूर्वकालीन नियम पनडुब्बियों के प्रकट हो जाने से अब लुप्तप्राय हो गये हैं तथा ऐसी दशा में जबकि परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं, उनसे लड़ाई न लड़ने वाले लोगो तथा यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व नहीं लिया जा सकता।

सन् १९२१ तथा १९२२ के शस्त्रों को परिसीमित करने के वांशिंगटन सम्मेलन में पनडुब्बियों के सम्बन्ध में नियम निर्धारित करने के प्रयास किये गये। सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि समुद्री लड़ाई के वर्तमान नियम पनडुब्बियों पर भी लागू हैं तथा वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सस्थापित भाग माने गये। सन् १९१४-१८ के मध्य जर्मन पनडुब्बियों द्वारा दिखलाये गये पराक्रम के विरुद्ध इसमें एक सामान्य प्रतिक्रिया प्रकट की गई। यह भी निर्णय किया गया कि यदि कोई पनडुब्बी इन नियमों के अनुरूप कार्य न कर सके, तो इसको व्यापारिक जहाज पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। वह सधि जिसमें ये घोषणायें थीं, राज्यों द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी क्योंकि पनडुब्बियों के लिये युद्ध की विधियों के अनुरूप कार्य करना असम्भव था। नौसेना के शस्त्रों को परिसीमित तथा घटाने के सम्बन्ध में किये गये सन् १९३० के लन्दन के सम्मेलन में इसके पूर्व के वांशिंगटन सम्मेलन में निर्धारित किये गये नियमों की पुनर्शक्ति की गई। ये ही नियम सन् १९३६ के लन्दन पनडुब्बी नियमों में प्रशरश समावेशित किये गये। सन् १९३६ तक ३६ राज्य इस मूललिपि के पक्ष कार हो गये थे। इन सब के होते हुये द्वितीय महायुद्ध में पनडुब्बियों के सम्बन्ध में प्राय कोई बन्धनकारी नियम नहीं देखे गये। नाजियों के सपूर्ण युद्ध की विचार धारा ने युद्ध सम्बन्धी सब नियमों को एक प्रहसन बना दिया। सभी वस्तुय युद्ध की सबसे अधिक आवश्यकता के अधीनस्थ हो गईं। खुले समुद्र में नाविकों की अपेक्षा न करते हुए व्यापारिक जहाजों को डुबाना, चाहे वे शस्त्र युक्त हो अथवा निःशस्त्र, एक दिनचर्या हो गई।

डाकू द्वारा पत्र-व्यवहार (Postal Correspondence) — सन् १९०७ के ग्यारहवें हेग अभिसमय द्वारा शत्रु का डाकू द्वारा पत्र व्यवहार अनुत्पन्ननीय माना गया, यद्यपि यह उन्मुक्ति-पत्र ले जाने वाले जहाजों के लिए लागू नहीं थी। नाके-बन्दी बन्दरगाह से अथवा वहाँ के लिये निर्देशित पत्र व्यवहार पकड़े जाने से उन्मुक्त नहीं की गयी। यदि जहाज रोके गये तो यह नियम बनाया गया कि पकड़ने वाले द्वारा पत्रादि यथासंभव शीघ्र भेज देना चाहिये। हेग अभिसमय के अन्तर्गत डाकू द्वारा भेजे गये पार्सलों को उन्मुक्ति नहीं प्रदान की गई थी।

शत्रु के जहाजों को पकड़ने वाले जहाज (Privateers). — ये वे जहाज हैं जो व्यक्तिगत स्वामियों के हैं, जिनको युद्धकाल में राज्य की ओर से एक कमीशन दिया जाता है कि जो 'विशिष्ट पत्र' के नाम से पुकारा जाता है। इससे उनको यह प्राधिकार दिया जाता है कि शत्रु के विरुद्ध युद्ध कर, उसके जहाजों और संपत्ति को पकड़े तथा उसके व्यापार को विनष्ट कर। सन् १८५६ की पैरिस घोषणा के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि "यह प्रथा समाप्त ही रहेगी।"

समुद्री युद्ध में छल (Ruses in Sea Warfare) — जिस प्रकार स्थल-युद्ध में छल एक निश्चित सीमा तक मान्य है, उसी प्रकार समुद्री युद्ध में भी एक निश्चित सीमा तक छल ग्राह्य माना जाता है। युद्ध-स्थित व्यक्ति द्वारा यदि गलत भ्रू के प्रयोग शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, तो उस समय नियमित माना जाता है, जब कि वह किसी शत्रु-पोत का पीछा कर रहा हो या भागने के प्रयत्न में हो। शत्रु-पोत को कार्य-रत करने के उद्देश्य से यदि तटस्थ अथवा शत्रु के भ्रू के प्रयोग किया जाता है, तो वह भी अवैध नहीं माना जाता, किन्तु यदि उसे आक्रमण करना है, तो आक्रमण के पूर्व अवश्य अपना राष्ट्रिय झंडा लगा लेना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन क्रूजर 'येम्डेन' (Emden) ने जापानी झंडा लगाकर अपने का छद्म बना लिया था। वह मलाया राज्य में पेनांग बन्दरगाह पार कर गया था। उसने रूसी क्रूजर 'झेमशुग' (Zhemshug) को सामने पाकर जापानी झंडा का नीचे झुका दिया और जर्मन झंडा का लहरा दिया, तथा गोली चलाना शुरू करके टारपोटो से उस क्रूजर को गिरा दिया।

सन् १९४९ का जेनेवा अभिसमय (Geneva Convention, 1949) — सन् १९४९ के जेनेवा अभिसमय में समुद्री सेना के चापला, अस्त्रव्या तथा हथियार जहाजों के सैनिकों की दशा सुधारण की व्यवस्था विस्तृत रूप से की गई है। अनुच्छेद १२ में यह व्यवस्था की गई है कि सैनिक दला के सदस्य तथा अन्य व्यक्ति जो उनमें सम्मिलित कर लिये गये हों तथा जो समुद्र में हाथ और जिनहा जहाज हूँ

गया हो उनका सम्मान करना चाहिये तथा उनकी प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा होनी चाहिये ।

युद्धस्थित के सब युद्धपोतो को यह अधिकार होगा कि वे घायल, अस्वस्थ अथवा जहाज में डूबे हुए व्यक्तिगो का जो सैनिक अस्पताली जहाजो पर हो तथा सहायता समिति के अथवा व्यक्तिगतजनो के अस्पताली जहाजो का प्रत्यर्पण मांगे, लेकिन अनुबन्ध यह है कि घायल तथा अस्वस्थ ऐसी दशा में हो कि वे हटाये जा सकें तथा युद्धपोतो में आवश्यक चिकित्सा के लिये पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जा सकें । (अनुच्छेद १४)

यदि घायल अस्वस्थ अथवा डूबे हुए जहाज के व्यक्ति एक तटस्थ युद्धपोत पर अथवा तटस्थ सैनिक हवाई जहाज पर ले लिये जाय और यदि अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा ऐसा अपेक्षित हो कि वे युद्ध के कार्यों में और अधिक भाग न ले सकें तो इस बात की निश्चित व्यवस्था कर दी जायगी । (अनुच्छेद १५)

अस्पताली जहाज (Hospital Ships) — सैनिक अस्पताली जहाज प्रत्येक दशा में आक्रमण किये जाने तथा पकड़े जाने से उन्मुक्त हैं, किन्तु अनुबन्ध यह है कि उनके नाम तथा विवरण भण्डे के पक्षकारो को उनके उपयोग में लाये जाने के दस दिन पूर्व अधिसूचित कर दिये गये हो । (अनुच्छेद २२) राष्ट्रीय रेडक्रास समितियाँ अथवा अन्य सहायता समितियों को सैनिक अस्पताली जहाजो के समान सरक्षण मिलेगा तथा वे पकड़े जाने से उन्मुक्त रहेंगे, अनुबन्ध यह है कि उनको अपने राज्य से एक सरकारी कमीशन प्राप्त हो । (अनुच्छेद २४) अस्पताली जहाज किसी भी दशा में किसी सैनिक प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाये जायेंगे और न ऐसे जहाज लड़ाई लड़ने वालो को गति-विधि में बाधा डालेंगे । (अनुच्छेद ३०) अस्पताली जहाजो के अधिकार में अपने वायरलेस के लिये कोई गुप्त कोड अथवा सूचना भेजने का अथ साधन नहीं होना चाहिये तथा न उसका उपयोग होना चाहिये । [अनुच्छेद ३४ (२)] अभिसमय भण्डे के पक्षकारो को यह अधिकार देता है कि उपर्युक्त कर्तव्यों के पालन को निश्चित करने के लिये अस्पताली जहाजो पर नियन्त्रण रखे तथा उनकी तलाशी ले । यह सरक्षण जिसके कि अस्पताली जहाज अधिकारी हैं उस समय समाप्त हो जायेंगे जब वे अपने उदारता के कर्तव्यों से परे ऐसे कर्तव्य करें जो शत्रु के लिए हानिकर हो (अनुच्छेद ३४) ।

वर्ग-चारी वर्ग (Personnel) — अस्पताली जहाजो के धार्मिक, चिकित्सा तथा अस्पताल सम्बन्धी वर्ग-चारी वर्ग का तथा उसके नाविको का सम्मान होना चाहिये तथा उन्हें सरक्षण मिलना चाहिये । उनको उस समय नहीं पकड़ना चाहिये जब वे अस्पताली जहाज की सेवा में हो, चाहे अस्वस्थ तथा घायल जहाज पर हो

अथवा नहीं। यदि वे दानु के हाथों में पड़ जाय तो उनका सम्मान तथा संरक्षण होना चाहिये तथा उनको अपने वर्तव्यों को तब तक बरते रहने देना चाहिए जब तक कि भायलो तथा अस्वस्थों के लिये आवश्यक हो।

अध्याय ४१ नीजितमाल न्यायालय (Prize Courts)

नीजितमाल का अर्थ :—दानु की सम्पत्ति जो शत्रु समुद्र में पकड़ी जाय समुद्रो लूट या नीजितमाल (prize) कहलाती है। यह 'लूट' (booty) से भिन्न है जो दानु ही उस सम्पत्ति के लिये प्रयोग की जाती है जो भूमि पर प्राप्त की गई हो। नीजितमाल के लिये स्वत्व केवल तभी प्राप्त होता है जब यह एक सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराई गई हो तथा जब तक यह निर्णय न हो जाय सम्पत्ति का अधि-कारो एक वैध ऋण सम्पत्ति की दशा में रहता है।

यदि बलात् अभिग्रहण किये जाने योग्य दानु की सम्पत्ति समुद्र में पकड़ी जाय तो मूल स्वामी के अधिकार विनिष्ट हो जाते हैं किन्तु कभी-कभी यह संदेहपूर्ण रह जाता है कि क्या कोई सम्पत्ति वास्तव में किसी दानु के स्वत्व की है, या नहीं अथवा अभिग्रहण ऐसे स्थान पर किया गया जहाँ युद्ध सदृश कार्य किये जाय, तथा यह सर्वदा आवश्यक है कि व्यक्तिगत अभिग्रहण करने वालों को उत्पन्न होने वाले स्वत्वाधिकारों की ठीक-ठीक सीमा निर्दिष्ट की जाय। अतः किसी न्यायालय का हस्तक्षेप उस दशा में भी अत्यंत ही वांछनीय है जब युद्धस्थित की सम्पत्ति ही केवल सम्बन्धित विषय हो। वांछनीयता उस दशा में आवश्यक हो जाती है जब तटस्थों के अधिकार तथा दावे सम्बद्ध हों। अतः सभी सम्बद्ध युद्धस्थित नीजित सम्बन्धी न्याया-लयों को तटस्थों के प्रजाजनों के संरक्षण तथा अभिग्रहण करने वालों के दावा के उचित समीकरण के लिये स्थापित करते हैं।

परिभाषा.—लारेस ने 'नीजितमाल न्यायालय' (prize courts) की परिभाषा इस प्रकार की है कि ये युद्धस्थित राज्यों द्वारा अपने प्रदेश में, अपने सैनिक दल के अग्नीन क्षेत्र में अथवा उसमें जो युद्ध में मित्र राष्ट्र की सम्पत्ति हो, अपने युद्धपोतों द्वारा अभिग्रहीत सम्पत्ति की वैधता निर्णय करने के लिये स्थापित नागरिक न्यायाधिकरण हैं। अन्तिम दशा में मित्रराष्ट्र की अनुमति पहले प्राप्त कर लेनी चाहिये। (Lawrence : The Principles of International Law, p. 460).

नोजितमाल न्यायालयो के कुरय सक्षेप मे निम्नलिखित हैं :—

(१) समुद्रीय अभिग्रहण के मामलो मे जाँच ।

(२) जहाँ अभिग्रहीत सम्पत्ति वेध नोजितमाल सिद्ध हो दण्ड की डिगरी पारित करना ।

(३) जहाँ यह सिद्ध न हो तो असली मालिक को वस्तु न्यायोचित क्षतिपूर्ति सहित दे देना ।

(४) भ्रानुपगिक रूप से सब के हितो को छूट तथा अव्यवस्था से सरक्षण प्रदान करना । (Pitt Cobbett's Leading Cases, Vol. II, Ed. V. p. 258).

क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) :—नोजितमाल न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसके युद्धपोतो द्वारा युद्ध के बीच खुले समुद्र पर किये गये अभिग्रहणो पर, इसके नौसेना द्वारा भूमि पर किये गये अभिग्रहणो पर तथा बन्दी को मुक्त करने के लिये धन और क्षतिपूर्ति के अन्य सम्बन्धित मामलो पर विस्तृत है । इसमे पुनर्ग्रहण भी सम्मिलित है ।

नोजितमाल न्यायालयो को अपना क्षेत्राधिकार उनको स्थापित करने वाले युद्धस्थित राज्य से प्राप्त होता है तथा उसको उसकी नागरिक विधि से प्रदान किया जाता है ।

निर्णय का प्रभाव (Effect of Decision) :—नोजितमाल न्यायालय का निर्णय निश्चयात्मक माना जाता है तथा इसके द्वारा समुद्रो लूट या नोजितमाल सम्बन्धी सम्पूर्ण स्वत्वाधिकारो का निर्णय हो जाता है ।

जर्मनी तथा पुर्तगाल के बीच वाले पचायती मामले मे [(१९३०) (Zeitschrift III (1933) p 5)] न्यायालय ने यह विचार प्रकट किया कि अन्तिम नोजितमाल न्यायालय के निर्णय, चाहे उनका आधार कितना ही अनुचित ही बयो न हो, अन्तर्राष्ट्रीय स्वत्वाधिकार प्रदान करते है, जो सामान्यतः स्वीकृत किये जाने हैं तथा जिनके विरुद्ध कोई न्यायिक सहारा समभव नही है ।

प्रक्रिया (Procedure) :—Katrantsios v. Bulgaria [7 M A. T. (19 8) p 39] मे बल्गेरिया तथा ग्रीस के समिश्रित पचायती न्यायाधिकरण ने इस दृढ स्थापित नियम को पुनः स्थिर किया कि प्रत्येक राज्य अपना नोजितमाल न्यायालय सगठित करने तथा इसकी प्रक्रिया नियमित करने क लिये स्वतन्त्र है । नोजितमाल न्यायालयो के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय रूप हैं जो उनके कृतयो के प्रकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि को युक्तिसंगत रीति मे लगाने के कर्तव्य के परिणामस्वरूप हैं । अतः यह आवश्यक है कि एत ऐवो न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये

जिसके बीच में दोनों पक्षकारों को सुनवाई का मौका मिले तथा निर्णय न केवल राष्ट्रीय व्यवस्थानों तथा हितों पर ही आधारित होने चाहिये वरन् अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर भी ।

नौजितमाल न्यायालयों के कर्तव्य (Duties of Prize Courts) :—

ये कर्तव्य लार्ड स्टोवेल द्वारा बहुत ही ललित भाषा में स्वीडन के रक्षित जहाजों के बेटे मेरिष्वा [(1799) I. C. Rob Adm. Rep., p 340] वाले मामले में निम्न-लिखित शब्दों में वर्णित किए गए हैं :—

“अपना निर्णय देने में मैं विश्वास करता हूँ कि एक क्षण के लिये भी मैंने अपनी स्मृति से यह बात दूर नहीं की है कि जिस पद पर मैं आसीन हूँ उसका कर्तव्य क्या है अर्थात् प्रासंगिक तथा परिवर्तित सम्मतियों को न देना जिससे केवल विशिष्ट राज्य-हित के वर्तमान प्रयोजन ही सफल हो वरन् निष्पक्ष होकर वह न्याय देना जो राष्ट्रों की विधि बिना भेदभाव के स्वतन्त्र राज्यों में फैलती है जिनमें कुछ तटस्थ होते हैं तथा कुछ युद्धस्थित । इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रों की ज्ञात विधि तथा रीति के अनुसार न्यायिक प्राधिकारों का आसन इस स्थान पर है जो युद्धस्थित का देश है लेकिन विधि का स्वयं कोई स्थान नहीं है । यहाँ पर बैठने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि इस प्रश्न का निर्णय यहाँ पर बैठ कर ठीक-ठीक उसी प्रकार से करे जिस प्रकार कि वह इसका निर्णय स्टोकहोम में बैठे करता;—ग्रेट ब्रिटेन की ओर से किसी प्रकार के कृत्रिम व्यवहार पर उसकी ओर से किसी दावे को मान न लेना जो वह उन्हीं परिस्थितियों में स्वीडन की ओर से न दिलाता तथा स्वीडन को कोई ऐसे कर्तव्य न सौंपता जो वह उसी स्वरूप में ग्रेट ब्रिटेन के भी होना न अंगीकृत करे ।”

लार्ड स्टोवेल ने इस विषय को ‘रेकवरी’ (Recovery) वाले मामले [(6 C. Rob. 341 (1807)] में ओर भी स्पष्ट किया है कि “यह स्मरण रखना जाय कि यह राष्ट्रों की विधि का न्यायालय है जो यहाँ ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट् द्वारा प्रदत्त प्राधिकार से बैठा है । यह हमारे सहित अन्य राष्ट्रों का भी है तथा विदेशियों को इससे जो माँगने का अधिकार है वह यह कि राष्ट्रों की विधि को हमारे राष्ट्रीय विधिशास्त्र से लिये गये सिद्धान्तों के प्रवेश किये बिना लागू करे ।”

नौजितमाल न्यायालय की स्थापना (Location of Prize Courts) —

नौजितमाल न्यायालय एक युद्धस्थित राज्य द्वारा एक तटस्थ प्रदेश में तटस्थता की विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का गंभीरता से भग किये बिना नहीं स्थापित किया जा सकता । लारेस के शब्दों में यदि युद्ध का एक पक्षकार यह प्रयत्न करे कि तटस्थ क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र के भीतर ऐसे न्यायालय स्थापित किये जाय तो वह

एक मित्र तथा शान्तिप्रिय राज्य के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रकार की सार्वभौमिकता को प्रयोग में लाने के यत्न द्वारा तटस्थ की स्वतन्त्रता पर बड़ा भारी अत्याचार करता है। ऐसे न्यायालय युद्धस्थित राज्य द्वारा अपने क्षेत्र में, अपने सैनिक दल्ल के अधीन क्षेत्र में तथा एक मित्र राष्ट्र के प्रदेश में उसकी अनुमति द्वारा स्थापित किये जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विधियाँ तथा उनके द्वारा प्रदत्त की जाने वाली विधियों में उनकी स्थिति—नौजितमाल न्यायालयों का एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप है। वह इस अर्थ में कि वे ऐसे सभी व्यक्तियों के लिये खुले हैं जिनके हित उससे प्रभावित हो रहे हो चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। इस विषय में न्यायिक विचारधारा में मतभेद है कि क्या नौजितमाल न्यायालय राष्ट्रीय विधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्थापित करते हैं? लॉरेस को यह सम्मति है कि नौजितमाल न्यायालय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण हैं जिनका अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रीय विधि की स्थापना के प्रयोजन से है। उनका कथन है कि आधुनिक युग में उससे उत्कृष्ट विचार यह है कि नौजितमाल न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है तथा इसके निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय विधि नहीं हैं चाहे वे उसी पर आधारित क्यों न हो। वे केवल अपने ही राष्ट्र द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं और केवल उसी राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी हैं। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय विधि उनके निर्णयों का स्रोत है, फिर भी निर्णय स्वयं राष्ट्रीय विधि के अंग हैं और ऐसी दशा में अन्तर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, वरन्, यदि वे कोई नया नियम निर्धारित नहीं करते तो, वे केवल प्रमाण मात्र हैं। यदि वे कोई नया नियम निर्धारित करें और अन्य राज्य उन्हें अंगीकृत कर ले तो वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नये नियम के स्रोत हो सकते हैं। लेकिन जब तक इम प्रकार अंगीकरण न हो जाय यह नियम राष्ट्र-विधि ही रह जाता है। लॉरेस का कथन है कि सब देश इस बात को स्वीकार करने के लिये सहमत हो जायेंगे कि उनके नौजितमाल न्यायालय उन मामलों में से जो उनके समक्ष निर्णय के लिये आवें, राष्ट्रों की विधि के नियमों को लागू करने के लिये बाध्य हैं और अधिकांश मामलों में इस विषय में व्यवहार सिद्धान्त के अनुकूल हैं। जब तक मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति यही रहती है, जैसी कि इस समय है, अत्यन्त सत्यनिष्ठ तथा योग्य न्यायाधीश भी ऐसा निर्णय देने के लिये बाध्य हो सकते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के स्वीकृत सिद्धान्तों तथा नियमों के विरुद्ध हो, जब कि कोई ऐसा विधान उन पर लाद दिया जाय जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध हो। यह भी सम्भव है कि उनके लिये अपने को जातीय पक्षपातो अथवा ध्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रभावों से अलग करना पूर्णरूप से असम्भव हो। उनका आगे कथन है कि यह मान लिया गया है कि नौजितमाल न्यायालय अन्त-

राष्ट्रीय विधि स्थापित करते हैं, तथा वे ऐसा ही करते हैं जब तक कि उनके अपने राज्यो के सम्यक् रूप में नियुक्त प्राधिकारीगण उनको इसके स्थानो में उससे असंगत नियमो का प्रवर्तन करने के लिये न कहें। सौभाग्यवश ऐसे हस्तक्षेप बहुत ही कम होते हैं और इस प्रकार यह देखा गया है कि नोजितमाल न्यायालयो के निर्णयों का सम्मान उनके न्यायाधीशो की विद्वत्ता, योग्यता, तथा निष्पक्षता की विख्याति के अनुरूप होता है।

ओपेनहेम का यह निश्चित विचार है कि नोजितमाल न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं बरन् राष्ट्र विधि द्वारा सस्थापित एक राष्ट्रीय न्यायालय है। प्रत्येक राज्य के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा बाधित है कि अपने नोजितमाल न्यायालयो के लिये केवल ऐसी ही सविधि तथा विनियम बनावे जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि से संगत हो। उनका कथन है कि यह बात कि ब्रिटेन के नोजितमाल न्यायालय पार्लियामेंट के अधिनियम को लागू करने के लिये बाध्य है, स्पष्ट रूप से यह प्रकट करता है कि जो विधि वे लागू करते हैं वे राष्ट्र विधि हैं, यद्यपि साराश में यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि है जो राष्ट्र विधि द्वारा व्यवहार में लाई गई हैं तथा जिसका निराकरण पार्लियामेंट के किसी ऐसे अधिनियम अथवा किसी आर्डर इन-कोन्सिल द्वारा नहीं हुआ है जिससे उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार में कमी होती।

पकड़े गये तटस्थ जहाजो का नोजितमाल न्यायालयो द्वारा परीक्षण करना राष्ट्रीय विषय है तथा जहाजो के तटस्थ स्वदेशी राज्यो का प्रतिनिधित्व परीक्षण में नहीं होता है। इस प्रकार यद्यपि नोजितमाल न्यायालयो की विधिशास्त्र सम्बन्धी स्थिति उनके कृत्यों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय है फिर भी वे सस्थापन और संगठन में राष्ट्रिय प्रकृति के हैं।

पिट कीबेट का कथन है कि यह नोजितमाल न्यायालय ऐसा विषय नहीं है कि यह वह जांच करे कि क्या उस विधि को जिसको यह लागू करता है राष्ट्रीय विधि द्वारा अनुसरण किया गया है, अथवा नहीं। नोजितमाल न्यायालयो के निर्णय शत्रु तथा तटस्थ राज्यो पर समान तौर से बाध्यकारी हैं तथा नोजितमाल न्यायालय विदेशी प्रजाजनो पर अपना क्षेत्राधिकार नागरिक प्राधिकारियो से नहीं, जो इसे प्रदान करने में असमर्थ हैं बरन् राज्या की सम्मति से प्राप्त करते हैं। उनके अनुसार नोजितमाल न्यायालय निश्चित रूप से राष्ट्रीय न्यायाधिकरण हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय विधि का प्रवर्तन करने के प्रयोजन से नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय विधि-स्थापना के प्रयोजन से बनाये जाते हैं।

फॉक्स (Fox) (Edwards' Adm. Rep., p. 312) के वाद में, जिसका निर्णय १९११ में किया गया था, लॉर्ड स्टोवेल (Lord Stowell) का कथन था कि

“वाद-विवाद के प्रसंग में एक प्रश्न उठाया गया है कि न्यायालय का परिषद् के ऐसे आदेशों के प्रति क्या कर्तव्य होगा जो कि राष्ट्रों की विधि के प्रतिकूल हों ? एक ओर यह तर्क किया गया है कि न्यायालय प्रत्येक परिस्थिति में परिषद् के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, और दूसरी ओर यह कि न्यायालय विशिष्ट विवाद की परिस्थितियों के अनुसार, यहाँ तक कि परिषद् के आदेशों की उपेक्षा करते हुये भी राष्ट्रों की विधि के नियम को व्यवहृति प्रदान करने के लिए बाध्य होगा ।” “यह न्यायालय अन्य देशों की जनता पर विभिन्न ऐसे सम्बन्धों के बीच, जिसमें कि यह देश या सरकार रखी जाय, राष्ट्रों की विधि के प्रशासन के लिए बाध्य है । यही प्रशासन दूसरे देशों द्वारा भी अपनी जनता के सम्बन्ध में माँगा जा सकता है और यदि न प्राप्त कर सक तो वे देश शिकायत कर सकते हैं । यह इसकी एक अलिखित विधि है, इसका साक्ष्य इसके निर्णयों के क्रम में मिला है और इसका समग्र सम्य राज्यों की प्रथाओं से किया गया है । साथ ही साथ यह अक्षरशः सत्य है कि इस देश के गठन द्वारा परिषद् में ‘किंग’ इस न्यायालय के ऊपर विधायी अधिकारों से युक्त हैं और उसे शक्ति है कि आदेश और निर्देश कर सके, जिनके पालन के लिये यह न्यायालय बाध्य है । यही न्यायालय की लिखित विधि का रूप गठित करते हैं । ये दो सूत्र, कि न्यायालय राष्ट्रों की विधि के प्रशासन के लिए बाध्य है, और यह कि वह परिषद् में ‘किंग’ के आदेशों के प्रवर्तन के लिये बाध्य है, एक दूसरे से सर्वथा असंगत में नहीं हैं, क्योंकि ये आदेश और निर्देश प्रस्तुत परिस्थितियों में इसकी अलिखित विधि के सिद्धान्तों के लिए स्वयमेव प्रामाणित हैं ।”

इस सम्बन्ध में प्रमुख मामला ‘जमोरा’ (Zamora) [(1916), 2 A.C 77] पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है —

प्रथम महायुद्ध के बीच सन् १९१५ में ‘जमोरा’ नाम का एक स्वीडन का वाष्पचालित जहाज जो न्युयार्क से स्टोकहोम को अनाज तथा ताँबा लाद कर ले जा रहा था, एक ब्रिटिश युद्धपोत द्वारा रोककर पकड़ा गया तथा नौजितमाल न्यायालय के मार्शल की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया । इसमें सदेह नहीं कि ताँबा विनिपिद्ध वस्तु था लेकिन जहाज प्रकट रूप में एक तटस्थ बन्दरगाह को जा रहा था । अतः प्रश्न जो विचार के लिये उपस्थित हुआ वह यह था कि क्या लदा हुआ माल वास्तव में शत्रु के लिये अभिप्रेत था तथा उसके निर्णय पर मामले का अन्तिम परिणाम आश्रित था, अर्थात् क्या जहाज अथवा उसमें लदा हुआ माल विधि-प्रत्यूह नौजितमाल है या नहीं ?

इस प्रश्न पर कोई निर्णय न होने के कारण प्रोव्युरेटर-जनरल की प्रार्थना पर प्रेसीडेंट ने सन् १९१४ के ब्रिटेन के नौजितमाल न्यायालय के नियमों के अन्तर्गत

एक आदेश दिया जिसके द्वारा युद्ध विभाग को यह अनुमति दी गई कि तांबे को अधियाचित करे किन्तु इस प्रतिज्ञा के अन्तर्गत कि आँके हुए मूल्य का न्यायालय में दे दे। यह आदेश स्वीडन की बम्पनी तथा माल पाने वालों द्वारा अपील किये जाने पर उलट दिया गया। बोर्ड का निर्णय घोषित करते हुये लार्ड पार्कर ने यह मन प्रकट किया कि नोजितमाल न्यायालय का प्रारम्भिक कर्तव्य तथा कृत्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्थापित करना है। नोजितमाल न्यायालय पार्लियामेंट के अधिनियम से बाध्य है लेकिन वह बिग-इन-कौंसिल के किसी ऐसे आदेश से बाध्य नहीं है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिबन्धन हो अथवा जिसका आशय उसके किसी नियम को परिवर्तित करने का हो; यद्यपि अनुमानतः नोजितमाल न्यायालय पार्लियामेंट के अधिनियम को अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अतिक्रमण करके अनुसरण करने को बाध्य है। अतः नोजितमाल न्यायालय पार्लियामेंट के अधिनियमों से बाध्य है, किन्तु यदि वे राष्ट्रों की विधि से असंगत हो, तो नोजितमाल न्यायालय फिर अन्तर्राष्ट्रीय विधि नहीं प्रवर्तित करेंगे। उम क्षेत्र का जो ऐसे अनुबन्धों के अन्तर्गत आते हो, नोजितमाल न्यायालय रूप के उचित दूरियों से वचित कर दिया जायगा। यह भी मान लिया गया कि यह न्यायालय ऐसे कार्यकारी आदेशों की उपेक्षा न करेगा जिससे सम्राट के अधिकार तटस्थ अथवा शत्रु के पक्ष में क्षीण होते हो, तथा उसको उन्हे प्रवृत्त करना चाहिये था।

विचारण के आलम्बित रहने तक नोजितमाल न्यायालय की अभिरक्षा में स्थित सम्पत्ति के विक्रय तथा प्राप्त करने के सम्बन्ध में उसकी शक्ति के विषय में यह कहा गया कि नोजितमाल न्यायालय का प्रधान कर्तव्य सम्पत्ति को उन व्यक्तियों के हस्तगत करने के लिये सुरक्षित रखना है जो उस पर अपना स्वत्व स्थापित कर सके। न्यायालय को अन्नभूय शक्ति के अधीन सम्पत्ति पक्षकारों के हितों में उस दशा में बेचो जा सकती है, यदि वह नाशवान् प्रकृति को हो। यह भी मान लिया गया कि युद्ध-स्थित शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा जहाजों तथा माल को जो नोजितमाल न्यायालय की अभिरक्षा में इस प्रश्न के निर्णय के आलम्बित रहने तक था कि क्या उनको दोषी ठहराया जाय अथवा उन्मोचित कर दिया जाय, अधियाचित करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा अधिकार परिसीमित है। प्रथम यह कि जहाज अथवा माल राज्य की सुरक्षा, युद्ध को चलाने अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित तथा अन्य विषयों से सम्बन्धित अन्य मामलों के लिये अत्यन्त आवश्यक रूप से अपेक्षित होना चाहिये। द्वितीय परीक्षण के लिये एक वास्तविक प्रश्न होना चाहिये। तृतीय नोजितमाल न्यायालय को प्रार्थना-पत्र देकर अधिकार प्रवर्तित करना चाहिये जो इस बात को न्यायिक रूप से निश्चित करे कि क्या, उस मामले

की उन विशिष्ट परिस्थितियों में, अधिकार प्रयोग किया जा सकता है। इस विचाराधीन मामले में यह सिद्ध न होने पर कि ताँबा राज्य की प्रतिरक्षा अथवा युद्ध को चलाने के लिये अत्यन्त आवश्यक था, न्यायालय ने यह निर्णय किया कि अधिवाचन के आदेश न्यायोचित नहीं हैं।

नौजितमाल का विनाश (Destruction of Prizes) :—यह सभी लोगो द्वारा स्वीकार किया जाता है कि, जबकि पकड़े गये जहाज और माल शत्रु की सम्पत्ति हैं, और उनको कुछ कारणों से किनारे तक ले आना खतरे से खाली नहीं है तो वे वही बिना किसी शिकायत का अवसर दिये नष्ट किये जा सकते हैं। यह सिद्धान्त कि आवश्यकता विनाश को भी न्यायोचित कह देती है, बहुत से विवादों में ब्रिटिश तथा फ्रान्सीसी नौजितमाल व्यापारियों द्वारा प्रवर्तित किया गया है। यही नियम तटस्थ राज्यों की सम्पत्ति के विषय में लागू नहीं होता। तटस्थ राज्य अपनी पकड़ी हुई सम्पत्ति का दावा कर सकते हैं और क्षतिपूर्ति के लिए वह राज्य जिम्मेदार होगा जिसने पकड़ा है।

जर्मन नौजितमाल न्यायालय (German Prize Courts) :—इस सम्बन्ध में दोनों महायुद्धों में जर्मन नौजितमाल न्यायालयों द्वारा अनुसरण किये गये विधि के नियम की ओर ध्यान आकर्षित करना उपयुक्त होगा। बर्लिन के सर्वोच्च नौजितमाल न्यायालय ने यह नियम निर्धारित किया कि अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के सिद्धान्त उनके नौजितमाल न्यायालयों में केवल उभी दशा में स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं जब उनके राष्ट्रीय विधान उन्हें अपने में समावेशित कर लें, तथा यह कि नौजितमाल न्यायालय का कृत्य राष्ट्रीय विधि को लागू करना है, न कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि को सक्षेप में जर्मन नौजितमाल न्यायालयों ने सर्वदा यह माना है कि राष्ट्रीय विधि को इस बात की अपेक्षा किये हुये बिना लगाया गया है कि क्या वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के वर्तमान सिद्धान्तों के अनुरूप है अथवा नहीं? इसके उपरान्त जर्मन नौजितमाल न्यायालयों के निर्णयों में राष्ट्रीय विधि पर प्राथमिक निर्णयों के रूप में होने पर विवादपूर्ण विषय अतः पर उठाये गये विषयों पर कोई विस्तृत विवेचना नहीं पाई जाती, लेकिन वे अपने परिणाम पर 'परिणाम से कारण' (a priori) वाली रीति से पहुँचते हैं। वे अधिवाचन विवकहीन तथा मर्मभ्रंशरहित निर्णय हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय नौजितमाल न्यायालय की आवश्यकता (Need for International Prize Court) :—लॉरेंस का कथन है कि यह तथ्य गम्भीर दोष प्रकट करता है कि नौजितमाल न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय हैं। उनके द्वारा मुदस्तिन राज्य व्यवहारतः अपने ही मामले में न्यायाधीन हा जाते हैं। यह

आवश्यक नहीं रहता कि उन योग्य व्यक्तियों पर जो उनमें न्यायाधीश के पद पर आसीन होते हैं, जानबूझ कर पक्षपात का दोषारोपण किया जाय, लेकिन अज्ञात रूप में पक्षपात का होना कठिनाई से ही रक सकता है। यह सत्य है कि युद्ध के दबाव में नौजित-माल न्यायालय वह असंगत पक्षपात का रूप धारण करने की स्थिति में न हो, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से आशा की जाती है। दन दोषो का उपचार करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन तथा जर्मनी दोनों ने सन् १९०७ के हेग सम्मेलन के समक्ष एक अन्तर्राष्ट्रीय नौजितमाल न्यायालय सस्थापित करने की योजना रखी। यद्यपि यह प्रस्ताव उस अभिसमय के १२वें भाग का अंग बना और वहाँ पर एकाग्रत अधिकांश शक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया तथापि यह उन राज्यों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया, मुख्यत इम आधार पर कि समुद्री विधि पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं थी जो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुचारु रूप से संचालन के लिये मूलरूप में आवश्यक है। प्रस्ताव की उत्पत्ति तथा उसके सविधान की बिना विवेचना किये हुये यह निःशक रूप से कहा जा सकता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विकास का मार्ग जो सम्भव है, वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को युद्ध के बीच समुद्रीय अभिग्रहणों के सम्बन्ध में निर्णय देने वाले नागरिक न्यायालयों के निर्णयों से अपीलें सुनने का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाय।



अध्याय ४२

हवाई युद्ध की विधियाँ

(Laws of Air Warfare)

द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य हीरोशीमा तथा नागासाकी में सन् १९४५ में अणुबम के प्रयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि की हवाई युद्ध सम्बन्धी धारणा में ही पूर्ण परिवर्तन कर दिया। इसके द्वारा किये गये निर्मम विनाश तथा अपूर्व विध्वंस ने सम्म युद्ध के सम्पूर्ण नियमों को मिट्टी में मिला दिया। हाइड्रोजन बम के आविष्कार के उपरान्त, जो कि अणुबम से दसगुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है, हवाई युद्ध में और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है तथा इससे सम्बन्धित लौकिक नियम प्रायः अतीत की स्मृति-मात्र रह गये हैं। इस तीव्र परिवर्तन के होते

हुए भी यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न सम्मेलनों में निर्धारित सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाय ।

ब्रसेल्स सम्मेलन (The Brussels Conference) :—रूस के प्रशासक की प्रेरणा से सन् १८७४ में ब्रसेल्स में बुलाए गये सम्मेलन में युद्ध की विधि तथा रूढ़ियाँ निर्धारित की गईं । यद्यपि ये नियम भिन्न-भिन्न राज्यों पर बन्धनकारी नहीं थे तथापि वे अत्यधिक महत्व के थे, क्योंकि उनमें से अनेक को अधिकांश सम्पूर्ण राज्यों द्वारा इस क्षेत्र में स्थित अपने पदाधिकारियों के अनुदेश के लिये निकाले हुए सार-संग्रह में स्थान मिला । नियमों में यह निर्धारित किया गया कि नगर तथा ग्रहो अथवा ग्रामों के समुदायों पर जो खुले अथवा शान्तिपूर्ण थे, आक्रमण अथवा बमवर्षण नहीं किया जा सकता । यदि कोई नगर, किला अथवा ग्राम प्रतिरक्षित हो तो आक्रमणकारी दलों का नायक प्राधिकारियों को सावधान करने के लिए जो कुछ उसकी शक्ति में हो, करेगा । यह भी निर्धारित किया गया कि धर्म, कला, विज्ञान तथा उदारता के कार्यों के लिए समर्पित आवासों, अस्पतालों तथा ऐसे स्थानों को जहाँ अस्वस्थ तथा घायल एकत्र हों, बचाने के लिए यथासम्भव सब आवश्यक उपाय काम में लाए जायेंगे इस प्रतिबन्ध के साथ कि वे उस काल में सैनिक प्रयोजनों के लिये उपयोग न किए जायें ।

हेग सम्मेलन (Hague Conference) :—सन् १८६६ के प्रथम हेग सम्मेलन ने हवाई युद्ध के सम्बन्ध में निश्चित नियमों की व्यवस्था करने का प्रयास किया । अनुच्छेद २५ में शान्तिपूर्ण नगरों, ग्रामों, आवासों अथवा भवनों पर आक्रमण अथवा बमवर्षण निषिद्ध किया गया । सन् १९०७ की प्रतिज्ञा से सलग्न हेग विनियमों द्वारा प्रक्षेपण अथवा विस्फोटक पदार्थों को गुब्बारों से अथवा इसी प्रकार की अन्य रीतियों से फेंकना निषिद्ध किया गया । प्रक्षेपणों का प्रयोग, जिसका उद्देश्य केवल दम घोटने वाली अथवा हानिकारक गैसों का फैलाना था तथा ऐसी गोलियों का प्रयोग भी जो मनुष्य के शरीर में फैलती अथवा चिपटी जाती थी, निषिद्ध किया गया । अभिसमय में यह भी निर्धारित किया गया कि तटस्थ राज्य यह देखने के लिए बाध्य हैं कि युद्धस्थित के मध्य तटस्थ क्षेत्र के ऊपर कोई हवाई लड़ाई न हो ।

हेग विनियमों में प्रक्षेपणों अथवा विस्फोटक पदार्थों को वायुयान से फेंकने वाले निषेधों को दुहराया तथा हेग विनियम के अनुच्छेद २५ में और भी जोड़ा जिसके द्वारा शान्तिपूर्ण नगरों, ग्रामों, आवासों, अथवा भवनों पर आक्रमण अथवा बमवर्षण 'किसी भी प्रकार से' निषिद्ध किया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सस्था ने मैड्रिड में सन् १९११ में यह सिद्धांत स्वीकृत किया कि "हवाई युद्ध की अनुमति है, लेकिन अनुबन्ध यह है कि इससे शान्तिप्रिय

जनता अथवा उसकी सम्पत्ति को स्थलीय अथवा समुद्री युद्ध से और अधिक भय उत्पन्न न हो ।”

प्रथम महायुद्ध (First World War) — प्रथम महायुद्ध में युद्धस्थित में से प्रत्येक ने यह दावा किया कि उन्होंने अपने उडाको को यह निर्देश दे दिया है कि वे अपना आक्रमण केवल सैनिक लक्ष्यों तक ही सीमित रखें, लेकिन उडाको के लिये इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करना असम्भव था क्योंकि अधिक ऊँचाई से तथा तीव्र गति में ठीक-ठीक निशाना मारना कठिन होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि लड़ने तथा न लड़ने वालों का भेद प्रायः लुप्त हो गया तथा युद्ध के अन्त में सैनिक लक्ष्यों के क्षेत्र के बाहर खुले हुये नगरों पर बम बरसाना प्रायः एक सामान्य घटना हो गई।

वार्शिंगटन सम्मेलन (Washington Conference) — प्रथम महायुद्ध के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि युद्ध में हवाई जहाजों के उपयोग संबंधी विनियम परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये सम्पूर्णतः अपर्याप्त थे। अतः शत्रु को सीमित करने के लिये सन् १९२२ में वार्शिंगटन में हुये सम्मेलन में जिनमें समुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान तथा हालैंड सम्मिलित थे, एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि विधि वेत्ताओं का एक आयोग नियुक्त किया जाय जो हवाई युद्ध की समस्या पर विचार करे, और वार्शिंगटन सम्मेलन द्वारा नियुक्त वायुयान समिति ने सन् १९२३ में प्रस्तावित वायुयुद्ध संबंधी नियमों की संहिता की भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं का वर्णन किया। यद्यपि संहिता सत्यापित नहीं की गई तथापि इसकी भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ स्थल तथा हवाई युद्ध में वायुयान के उपयोग के लिये पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगी।

वायु-युद्ध नियम (सन् १९२३) को निम्न रूप में सक्षित किया जा सकता है :—

१. आत्मरक्षा के लिये भी व्यक्तिगत वायुयानों का शस्त्रीकरण पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

२. नागरिक जनता को भयभीत करने व लिये बमवर्षण, सैनिक लक्ष्यों से रहित व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश या उसको अथवा लड़ाई न लड़ने वालों को आघात करना निषिद्ध किया गया।

३. वस्तु अथवा धनरूप में चन्दे की माँग की पूर्ति को बाध्य करने के प्रयोजन से हवाई बमवर्षण निषिद्ध है।

४. हवाई बमवर्षण केवल उसी दशा में वैध है जब कि यह ऐसे सैनिक लक्ष्यों पर किया जाय, जिनका विनाश युद्धस्थित के नियमों के स्पष्ट सैनिक लाभ हो, उदा-

हरणार्थ सैनिक संस्थापन, गोला बारूद के कारखाने, यातायात के मार्ग जो सैनिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाय आदि ।

५. हवाई बमवर्षण उस दशा में भी वैध नहीं है जब यह ऐसे सैनिक लक्ष्यों पर किया जाय जिसको कि नागरिक जनता पर विवेकरहित बम बरसाये बिना नहीं त्याग किया जा सकता ।

६. स्थल सेना के कार्यकारी क्षेत्र के अत्यन्त निकट पड़ोस के नगर, पुर तथा भवनो पर बमवर्षण निषिद्ध है ।

७. उस क्षेत्र के जिसमें स्थल-सेना कार्य कर रही हो, अत्यन्त सन्निहित क्षेत्र पर बम बरसाने की केवल उसी दशा में अनुमति है, जब इस बात का युक्ति-संगत अनुमान हो कि सैनिक एकत्रीकरण पर्याप्त रूप से इतना प्रमुख है, कि ऐसा बमवर्षण न्यायोचित ठहराया जा सके ।

८. ऐसे भवन जो सार्वजनिक पूजा, कला, धर्म, विज्ञान तथा उदारता के लिये समर्पित हैं तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा शरणार्थियों के लिये अस्पताल उन्मुक्त है ।

९. युद्ध तथा तटस्थता की विधियाँ जो भूमि संबन्धी सेनाओं के लिए लागू हैं, वही हवाई युद्ध के लिये भी लागू हैं ।

१०. एक युद्धस्थित राज्य अपने पदाधिकारियों अथवा सैनिक दलों द्वारा उपर्युक्त नियमों के सम्बन्धों के उल्लंघन के कारण व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति को की गई हानियों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य हैं ।

सन् १९२५ के जेनेवा के सलेख (protocol) ने युद्ध में गैस अथवा कीटाणुनाशकों का प्रयोग निषिद्ध किया ।

निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य आयोग ने जुलाई सन् १९३२ में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि नागरिक जनता के विरुद्ध हवाई आक्रमण पूर्ण रूप से निषिद्ध रहेगा ।

अयोधियों की स्थिति (Position of Non-combatants) :—
निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य आयोग ने जुलाई १९३२ में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया कि नागरिक जनता पर हवाई आक्रमण पूर्णतया निषिद्ध रहेगे । द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व अयोधियों की यह उन्मुक्ति कि उन पर हवाई आक्रमण कदापि नहीं किया जायगा, युद्धविधि के एक प्रवर्तित सिद्धान्त के रूप में मानी जाती थी । ओपेनहेम ने तीन बातों का उल्लेख किया है जिनके कारण युद्ध-विधि के इस प्रवर्तित सिद्धान्त को जबर्दस्त धक्का लगा—(क) प्राधुनिक युद्ध-विधि का विस्तार तथा परिवर्तित युद्ध-ढंग जिनमें अयोधियों और अयोधियों का कोई भेद ही नहीं रह गया,

(ख) यह निर्णय करने की कठिनाई कि सैनिक उद्देश्य वस्तुतः किस कृत्य को कहना चाहिए जिससे कि उसके विरुद्ध सीधी कार्यवाही की जा सके; और (ग) हवाई बम-वर्षा के सम्बन्ध में प्राविधिक कठिनाई (technical difficulty) जो कि शत्रुतापूर्ण कार्य के प्रभाव वाले अभीष्ट स्थान को चुनने या आक्रमण के निश्चित स्थान को निर्धारित करने के प्रसंग में है ।

लीग की सभा ने सितम्बर १९३८ के १६वें अधिवेशन में निम्नलिखित सिद्धान्त स्वीकार किया था :—नागरिक जनता पर जानबूझकर बमवर्षा करना भवैध है । हवाई बमवर्षा का उद्देश्य भवश्य ही सैनिक होना चाहिए और वह भी अभिज्ञान के योग्य हो । वहाँ भी, सैनिक उद्देश्य से बमवर्षण इस ढंग से होना चाहिए कि आसपास की नागरिक जनता को कोई क्षति न पहुँचे ।

द्वितीय विश्व-युद्ध (Second World War) :—द्वितीय विश्वयुद्ध में हवाई युद्ध के नियमों का घोर तिरस्कार किया गया । सन् १९३९ में पोलैण्ड के चारसा तथा अन्य नगरों पर विवेकशून्य बमवर्षण द्वारा युद्ध के नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया । इसके उपरान्त मई १४ सन् १९४० को तटस्थ नगर रोटरडम पर विनाशकारी बमवर्षण हुआ । जर्मन हवाई जहाजों द्वारा होलैंड के तटों में स्थित अड्डों से राकेट बमों के प्रयोग द्वारा ब्रिटेन के लंदन तथा अन्य नगरों पर जो भवर्षणीय दुःखद तथा विनाशकारी बमवर्षण किये गये उससे भी यही बात प्रकट हुई कि युद्धस्थित राष्ट्र युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कितने निम्न स्तर तक उतर सकता है । ब्रिटेन तथा अमेरिका के हवाई बेडों ने भी अपनी पारी में जर्मन नगरों पर उसी प्रकार विवेक-शून्य तथा क्रूर बमवर्षण किया । सारी लड़ाई युद्ध के नियमों का विचार त्याग करके लड़ी गई, तथा लड़ाई न लड़ने वाले निर्दयता से मारे गये और सार्वजनिक पूजा, कला तथा धर्म के लिये समर्पित भवनों तथा ऐतिहासिक स्मारकों पर भी बम बरसाये गए । इन सब से अधिक भयावह अमेरिका द्वारा अगस्त ६, तथा ९, सन् १९४५ को होरोशीमा तथा नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग था, जो लड़ाई न लड़ने वालों को बिना उचित चेतावनी दिये हुये तथा उन वैज्ञानिकों के, जिन्होंने इस योजना में कार्य किया था अतुरोध का उल्लंघन करके किया गया था । केवल होरोशीमा पर ही एक अणुबम गिराये जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप प्रायः ६०,००० जापानी स्त्री, पुरुष तथा बच्चे मारे गये, लगभग १,००,००० जनता घायल हुई, तथा प्रायः एक सारे बन्दरगाह का, जिसकी जनसंख्या २,५०,००० थी, धमाके से अथवा अग्नि से विध्वंस हो गया । थोड़े ही दिनों के उपरान्त अणुबमों के गिराने के परिणामस्वरूप होने वाले विनाश के कारण जापान ने हार मान ली तथा द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया ।

अणुबम के प्रयोग की नैतिकता पर विचार (Ethics of Atom Bomb) — अणुबम का प्रयोग कहाँ तक नीतियुक्त है इस पर बहुत ही गरमागरम विचार-विमर्श हुआ। यह एक अत्यन्त गंभीर कार्य था। किसी भी दशा में जापानियों को अमेरिका द्वारा इसके प्रयोग के किये जाने के विचार की तथा इससे होने वाली भीषण काँड की चेतावनी पहले से दी जानी चाहिये थी।

अणुबम का प्रयोग अतीत काल से सम्बन्धित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन था। इसका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। श्री जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि अणुबम उससे सलग्न तथा उसमें अन्तर्हित भयकरता के अतिरिक्त मूर्तिमान पाप का एक प्रतीक हो गया है, तथा यदि परिस्थितियों के दबाव के कारण सत्तार इसका प्रयोग करने के लिये बाध्य हुआ तो इसका यह अर्थ होगा कि सत्तार ने अपने-आप को पूर्णरूप से पाप के हाथों समर्पण कर दिया है।

किसी राष्ट्र का युद्ध में अपने शस्त्रों को प्रयोग करने का अधिकार इस उत्तरदायित्व के अन्तर्गत सीमित है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि में सम्मिलित युद्ध के नियमों का पालन करे। यह स्मरण रखने योग्य है कि जर्मनों पर प्रथम महायुद्ध में जब उन्होंने पनडुब्बियों का प्रयोग किया अन्तर्राष्ट्रीय विधि को उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया क्योंकि उन नवीन आविष्कृत वाहनो का प्रयोग युद्ध की विधियों से असंगत था। जर्मनों ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि नये शस्त्रों के आविष्कार की यह माँग है कि युद्ध की पुरानी विधियों का पुनरीक्षण किया जाय। राजनीतिज्ञ तथा विधि-वेत्ताओं दोनों द्वारा यह तर्क न्याय विरुद्ध माना गया। युक्ति तथा तर्क में कितनी ही खींचा-तानी की जाय फिर भी अमेरिका वाले अब उस विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते जिसे कि जर्मनों को सही रूप से अस्वीकृत किया गया। अणुबम, हाइड्रोजन अथवा बी-बमों को बिना अग्रयमित विनाश तथा अव्यवस्थित हूनन किये हुये उपयोग में नहीं लाया जा सकता जो युद्ध के सब नियमों के विरुद्ध है। अतः हीरोशीमा तथा नागासाकी का प्रमाण पूर्व दृष्टान्त के रूप में नहीं दिया जा सकता तथा वे एक पूर्णरूप से अवैध शस्त्र को वैध रूप नहीं दे सकते।

अणुबम या एन बम का प्रयोग समुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर की प्रकृति के प्रतिकूल है। यह नभ युद्ध कौशल के नियम, १९२३, के भी विपरीत है। इस नियम के अन्तर्गत स्पष्टतः उपबन्धित है कि नभ बमवर्षा केवल तभी वैध हो सकती है, जब कि किसी सैनिक प्रयोजन से की गई हो और जिसके विनाश से युद्ध सलग्न राष्ट्र की निश्चित सैनिक अनुलाभ मिले, जैसे सैनिक व्यवस्था, शस्त्र-निर्माण फैक्ट्रियों, सैनिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त संचार के मार्ग, आदि। निःसस्त्रीकरण के सामान्य

सम्मेलन द्वारा भी जुलाई १९३२, में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि नागरिक जनता पर नभ-आक्रमण निषिद्ध कर दिये जाय । जहाँ तक अणुबमों का प्रश्न है, यदि उन्हें सैनिक प्रयोजनों से ही गिराया गया, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनका फैलाव या प्रभाव केवल उन्हीं उद्देश्यों तक सीमित और नियन्त्रित रहेगा ।

मृत्यु की वर्षा करने वाले ये विनाशक अस्त्र, यू० एन० चार्टर के प्रतिकूल होने के साथ ही स्वयं हमारी अन्तः चेतना के प्रतिकूल हैं, क्योंकि इन अस्त्रों के प्रयोग से सदैव के लिये राष्ट्रों में एक आतंक सा छा जाता है और उस एक राष्ट्र के साथ और भी ऐसे राष्ट्र प्रतिद्वन्द्विता में खड़े होत हैं जो राष्ट्र का अतुल्य धन उस मृतकारों अस्त्रों के निर्माण में भोक देते हैं । यह उस समय होता है, जब कि उसी राष्ट्र के बच्चे पोष्टिक आहार के बिना मरते हैं, और जनता आवास, स्वास्थ्य और काम की कमी के कारण ब्राहि-ब्राहि करती रहती है ।

अणुशक्ति आयोग —संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा ने जनवरी २४, सन् १९४६ को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसके द्वारा एक अणुशक्ति सम्बन्धी आयोग स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य शान्ति के प्रयोजनों के लिये अणुशक्ति का नियन्त्रण तथा राज्यों की ओर से उल्लंघन तथा झूठ-कपट से बचाने के लिये निरीक्षण रूपी प्रभावपूर्ण संरक्षण-स्थापना के लिये सुझाव देना था । सन् १९४८ में साधारण सभा ने आयोग के प्रतिवेदनो पर विचार किया तथा रूस के इस प्रस्ताव को प्रस्वीकृत किया कि अणुशक्ति के निषेध के लिये तथा अणुशक्ति पर प्रभावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित करने के लिये अभिसमयों का मसौदा बनाया जाय । सभा ने आयोग के सामान्य निष्कर्षों को स्वीकृत किया । मुख्य कठिनाई यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बम बन चुके हैं उन पर अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की प्रतिभूति न देकर वह उनका बराबर उत्पादन करते रहना छोड़न को तैयार नहीं है । दूसरी ओर रूस अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की योजना स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नहीं है क्योंकि इससे उसके सार्वभौमिकता के सिद्धान्त में बट्टा लगता है ।

शत्रु के नागरिक जहाज पर आक्रमण (Attack on Enemy Civil Aircraft) —हवाई युद्ध में इस बात का भय बना रहता है कि शत्रु के नागरिक हवाई जहाजों से आक्रमण न हो जाय । इस भय को दृष्टि में रखते हुये हेग अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि युद्ध-स्थिति असेनिक जहाज यदि शत्रु के क्षेत्राधिकार की सीमा में उड़ रहे हो तो उन्हें मार गिराया जा सकता है ।

अध्याय ४३

युद्ध-अपराध

(War Crimes)

युद्ध-अपराध किस प्रकार से स्थापित होता है :—युद्ध-अपराध की परिभाषा करने में एक कठिन समस्या उपस्थित होती है क्योंकि युद्ध के नियमों का प्रत्येक उल्लंघन युद्ध-अपराध में परिणत नहीं हो जाता। ब्रिटेन के सैनिक ग्रथ में यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार के कार्य जैसे आश्रय न देना, युद्ध के बन्दिओं के प्रति दुर्व्यवहार, लूट तथा निष्प्रयोजन विनाश युद्ध-अपराध हैं। सन् १८६६ के हेग सम्मेलन ने भी ऐसे ही अपराधों को युद्धापराध माने जाने का सुझाव दिया था। प्रोफेसर लौटरपेट ने भी सन् १९४४ को ब्रिटिश इपर बुक में सकेत किया है कि यह शब्द ऐसे कार्यों के लिये सीमित होना चाहिये जो अपनी निर्दयता, अमानुषता अथवा युक्ति-संगत सैनिक आवश्यकता से असम्बद्ध सम्पत्ति के सम्बन्ध में मर्यादाहीन उपेक्षा के कारण मनुष्यों द्वारा एक स्वर से निन्दित किये जाय।

प्रोफेसर हिजिन्स (Prof. Higgins) के अनुसार युद्ध अपराधों के अन्तर्गत सैन्य बलों के सदस्यों द्वारा युद्ध-कौशल के मान्य नियमों का अतिक्रमण (*violation of the recognised rules of warfare by members of the armed forces*), ऐसे व्यक्तियों अथवा जो कि सैन्य बलों के सदस्य नहीं हैं, द्वारा शत्रुों को सम्बन्ध में कारित किये गये अवैध शत्रुतापूर्ण हो (*illegitimate hostilities in arms committed by individuals who are not members of the armed forces*), जासूसी (*espionage*) और युद्ध-अभिद्रोह (*war treason*) और लूट-मार (*marauding*) सम्मिलित हैं।

हान्स वेल्सन का कथन है कि

"violations of the rules of warfare are called war crimes
General International Law obligates the States to punish their own war criminals, and authorizes any belligerent State to punish the prisoners of war in its power for having violated the rules of warfare prior to capture. Hence general International Law imposes upon individuals, as private persons, the obligation to refrain from committing war crimes, and establishes individual

criminal responsibility for the commission of such crimes by private persons."

अर्थात् युद्ध-नियमों के अतिक्रमण को युद्धापराध कहते हैं। साधारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों पर यह आभार आरोपित करता है कि वे अपने अपराधियों को श्वेतः दण्डित करें और किसी भी युद्ध-स्थित राज्य को प्राधिकार देता है कि वे युद्ध के बन्धियों को अपनी शक्ति के भीतर बन्दी होने के पूर्व युद्ध की विधियों का उल्लंघन करने के प्रसंग में दण्डित करें। अस्तु सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों पर यह आभार सौंपती है कि वैयक्तिक व्यक्ति रूप में वे युद्ध-अपराध के कृत्यों से अपने को बचावें और व्यक्तियों द्वारा ऐसे युद्धापराध किये जाने पर वैयक्तिक अपराध का दायित्व प्रवर्तित करता है।

ओपेनहेम (Oppenheim) के अनुसार युद्धापराध ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्य हैं, या सैनिकों के अन्य कार्य हैं, या अन्य व्यक्तियों के ऐसे कार्य हैं जिनपर कि शत्रु द्वारा अपराधियों को पकड़े जाने पर दण्ड दिया जा सकता है। उन कार्यों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल ऐसे कृत्य आते हैं, जो कि स्वयं अपराधी द्वारा अपने ही राज्य में किये जाने पर अपराध होते जैसे व्यक्तिगत प्रलोभन या लालच की पूर्ति के लिए बल करना, साथ ही ऐसे अपराधिक कृत्य भी आते हैं जो कि उन युद्ध विधियों के प्रतिकूल हैं जो कि शत्रु-राज्य के आदेश पर या उसकी ओर से कारित किये गये हैं। उपर्युक्त विद्वान् ने युद्धापराधों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है—

(१) युद्ध-कौशल से सम्बन्धित मान्य नियमों का उल्लंघन, जो कि सशस्त्र शक्तियों द्वारा कारित किया जाय,

(२) शस्त्रों द्वारा सपन्न किये गये सभी शत्रुतापूर्ण कार्य, जो कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा कारित किये जाय जो कि शत्रु की सशस्त्र सेना के सदस्य नहीं हैं,

(३) छुफियागिरी और युद्ध के रहस्यों का उद्घाटन, और

(४) लूटमार के कृत्य (marauding acts)।

अन्य बातों के साथही उपर्युक्त विद्वान् ने निम्नलिखित कृत्यों को युद्ध-कौशल के नियमों का उल्लंघन कहा है— विपैली गैस का प्रयोग, धातल अथवा समर्पण किये हुये सैनिकों का बध, युद्ध के मैदानों में मृतकों के प्रति दुर्व्यवहार, या अपमानजनक-व्यवहार, क्वार्टर के लिये आघातकारी आग्रह, बधन के रूप में समर्पित व्यक्तियों का बध, युद्धबन्धियों के प्रति दुर्व्यवहार, हानिरहित व्यक्तिगत शत्रु व्यक्तियों पर आक्रमण या बध, सग्रहालयों, अस्पतालों, उपासना के स्थानों और स्कूलों पर, अथवा अक्षरक्षित खुले नगरों या ऐतिहासिक स्मारकों पर बमबर्षा, अस्पताली पोतों पर आक्रमण, शान्ति के ध्वज के साथ चलने वाली पर आक्रमण, आदि।

नूरम्बर्ग परीक्षण—इसकी उत्पत्ति :—सन् १९४३ में मास्को सम्मेलन में तीनो बड़ी शक्तियों ने समुक्त राष्ट्र के सदस्यों के नाम बोलते हुए यह घोषणा की कि नाजी दल के वे जर्मन पदाधिकारी तथा मनुष्य और सदस्य जो अत्याचारों, मनुष्यों के हत्याकांड तथा उनको प्राणदण्ड देने के लिये उत्तरदायी हों उन देशों को जिनमें उनके घृणित कार्य किये गये परीक्षण तथा दण्डित करने के लिये वास भेजे जायेंगे। सन् १९४५ के याल्टा सम्मेलन में, जिसमें इङ्ग्लैण्ड, अमेरिका तथा रूस पक्षकार थे, युद्धापराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के दृढ़ निश्चय को और भी सुदृढ़ किया गया। इसके उपरान्त युद्धापराधियों की सूची तैयार करने के लिये लॉर्डराइट की अध्यक्षता में समुक्तराष्ट्र युद्धापराध आयोग स्थापित किया गया तथा उसको यह अधिकार प्रदान किया गया कि उन अपराधियों को विश्व के अधिकांश देशों में बन्दी कर ले। चारों राष्ट्रों के अभियोजकों द्वारा एक चार्टर तैयार किया गया। अगस्त ८ सन् १९४५ को समुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस के प्रतिनिधियों के मध्य लन्दन में एक स्वीकारपत्र हस्ताक्षरित किया गया जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यूरोपीय अक्ष के बड़े-बड़े अपराधियों का परीक्षण किया जाय जिनके अपराध करने का कोई विशिष्ट भौगोलिक स्थान नियत न था। इस स्वीकारपत्र के साथ यह अधिपत्र सलग्न था जिसके द्वारा युद्धापराधियों के परीक्षण के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक-न्यायाधिकरण स्थापित किया गया। इसके परिणामस्वरूप नाजी नेताओं का नूरम्बर्ग में परीक्षण हुआ।

नूरम्बर्ग परीक्षण का औचित्य—नूरम्बर्ग परीक्षण के औचित्य को इस आधार पर स्थापित करने का प्रयत्न किया गया कि सितम्बर २४, सन् १९२७ को लीग ऑफ नेशन्स ने, जिसमें जर्मनी सम्मिलित था यह घोषणा की थी कि युद्ध जिसमें अग्रघर्षण (यकाएक आक्रमण) किया जाय एक अपराध है। इसके उपरान्त केलोग त्रिमान्ड पैक्ट अथवा पेरिस पैक्ट द्वारा जो सन् १९२८ में समुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन वैदेशिक सचिव फ्रेक बी केलॉग तथा फ्रांस के वैदेशिक सचिव त्रिमान्ड द्वारा परस्पर सहयोग करके हस्ताक्षरित किया गया था, युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय ऋण्डों को तय करने के लिये उपाय की दृष्टि से निन्दा की गई थी, तथा यह प्रतिज्ञा की गई थी कि ऐसे ऋण्डे शान्तिपूर्ण रीतियों से तय किये जायेंगे। हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र प्रायः सप्ताह के सभी राष्ट्र थे जिनमें जर्मनी, जापान तथा इटली भी सम्मिलित हैं। उन्होंने अपने को बाध्य कर लिया था कि वे युद्ध के उगम का आशय लेना अपनी राष्ट्रीय नीति नहीं रखेंगे।

अभूतपूर्व अत्याचारों के कारण भी सब मित्र-देशों में समुक्त दृढ़ निश्चय उत्पन्न हुआ कि बदला लिया जाय और जर्मनी के दखल द्वारा मित्र देशों की सेनाप्रा की

अन्याय की श्रेणियाँ (Categories of Crimes) :— वार्से के प्रमुख श्रेणियों में अन्धकार को निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अपराधों के समूह में परीक्षण करने का प्राधिकार दिया गया :—

(१) शान्ति के विरुद्ध अपराध (Crimes against Peace) :— इन अपराधों में अग्रगण्य युद्ध के निमित्त योजना बनाया, उसके विरोध देवारी करना, प्रेरणा देना अथवा ऐसी सहायता देना, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, स्वीकारणों अथवा आश्वासनों को उल्लंघन करके युद्ध सड़ना, अथवा उपर्युक्त विषयों में से किसी एक को भी करने के लिए प्रयत्न करना सम्मिलित है।

(२) युद्ध-अपराध (War Crimes) :— इसके अन्तर्गत युद्ध की विधियों अथवा रूढ़ियों का उल्लंघन आता है जिसमें हत्या, दसत किये हुए क्षेत्र में नागरिक जनता से दुर्व्यवहार, युद्धबन्धियों की हत्या अथवा उनसे दुर्व्यवहार, बन्धक के रूप में समर्पित बन्धियों की हत्या, सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत सम्पत्ति को लूट, ज़परो का मर्यादाहीन विनाश सम्मिलित है जिसका भीषण सैनिक आचरण से गहरी उद्धाराया जा सकता।

(३) मानवता के विरुद्ध अपराध (Crimes against Humanity) :— इस श्रेणी के अन्तर्गत पड़ने वाले अपराधों में हत्या, समूल विनाश, दास्य तथा अन्य अमानुषिक कार्य जो युद्ध के पूर्व अथवा मध्य किये गये हों, राजनीतिक, जातीय अथवा धार्मिक आधार पर उत्पीड़न सम्मिलित हैं जो अमानुषिकरण के दोषाधिकार के भीतर पड़ने वाले किसी अपराध के निष्पादन में किये गये हों चाहे वह किये जाने वाले देश को परेसू विधि के उल्लंघन में हों अथवा नहीं।

अभियोग के दस्तावेजों में प्रतिवादियों ने अपनी समाज योजना से अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को स्वीकार-पत्रों अथवा आश्वासनों का उल्लंघन करके अग्रगण्य युद्ध

योजना की ओर युद्ध किया। प्रतिवादियों के मध्य परस्पर उनके पड़्यन्त्र के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को पूरा करने के लिये नाजीदल ने एक सहयोगकारी साधन का कार्य किया। इसके उद्देश्य थे, (अ) वारसलीज की सधि तथा उसके सैनिक पुनः शस्त्रीकरण के निरोधो का निराकरण तथा उसको मिटा देना, (आ) प्रथम महायुद्ध में जर्मनी द्वारा खोये हुए प्रदेशों की प्राप्ति, (इ) यूरोपीय प्रदेश में जर्मन जाति द्वारा अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये पड़ोसी तथा अन्य देशों को हानि करके और अधिक प्रदेश प्राप्त करना (Lebensraum)।

प्रतिरक्षा (Defence) :—प्रतिवादियों की ओर से यह कहा गया कि सभी विधियों का, चाहे वे अन्तर्राष्ट्रीय हों अथवा घरेलू हों, मूलभूत सिद्धान्त यह है, कि बिना पूर्वस्थित विधि के किसी अपराध के लिये दण्ड नहीं दिया जा सकता—(Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)। यह प्रार्थना की गई कि घटनोत्तर (ex post facto) दंड सब समय राष्ट्रों की विधि के लिए धृष्टित है, यह कि किसी भी सार्वभौमिक सत्ता ने अग्रघर्षक युद्ध को उस समय एक अपराध नहीं माना है जिस समय कि कथित अपराध के कार्य किये गये थे, यह कि किसी भी व्यवस्था ने अग्रघर्षण की परिभाषा नहीं की है, यह कि इसके करने के लिये कोई दंड नियत नहीं किया गया है तथा यह कि अपराधियों को दंडित करने के लिए कोई न्यायालय नहीं बनाया गया है।

न्यायाधिकरण के निष्कर्ष (Observations of the Tribunal) :—प्रतिरक्षा द्वारा उठाये गये विवाद का खंडन करते हुये न्यायाधिकरण ने यह निरूपण किया कि पूर्वस्थित विधि वाले सिद्धान्त (maxim nullum crimen sine lege) से सार्वभौमिकता सीमित नहीं होती लेकिन यह सामान्य रूप में न्याय का एक सिद्धान्त है। इस बात को दृढ़तापूर्वक कहना कि उनको दण्ड देना अन्याय है जिन्होंने सन्धियों तथा आश्वासन दिलाने के पश्चात् भी उनका उल्लंघन करके पड़ोसी राष्ट्रों पर बिना चेतावनी दिए हुए आक्रमण किया था, यह स्पष्ट रूप से असत्य है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आक्रमणकारी को यह जानना चाहिये कि उसका कार्य उचित नहीं है, अतः उसको दंड देना तो नहीं बरन् यदि उसके दोष बिना दंडित किये हुए छोड़ दिया जाय तो यह अन्याय होगा। जर्मनी की सरकार में जिन पदों पर वे आसीन थे, उन पदों से प्रतिवादियों को अथवा कम से कम उनमें से कुछ को जर्मनी द्वारा हस्ताक्षरित उन सन्धियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिये युद्ध का आश्रय लेना न्याय-विरुद्ध ठहराया गया था। जब उन्होंने पूर्ण तर्क-वितर्क के उपरान्त अपने आक्रमण तथा अग्रघर्षण के लक्ष्यों को कार्यान्वित किया, तो उन्हें यह अवश्य ज्ञात रहा होगा कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्पूर्ण नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। प्रश्न को

केवल इस दृष्टिकोण से देखने के उपरान्त यह प्रकट होगा कि मामले के तथ्यों में सिद्धान्त लागू नहीं है ।

सन् १९३६ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की स्थिति पर जहाँ तक अग्रघर्षक युद्ध का सम्बन्ध है, विचार करने पर इस दृष्टिकोण ने और भी अधिक दृढ़ता पकड़ ली । युद्ध छिड़ने के समय सन् १९३६ में युद्ध-त्याग सम्बन्धी अग्रस्त २७ सन् १९२८ की सामान्य सन्धि जो सामान्यतः पेरिस पैक्ट अथवा केलोग-ब्रिग्गाड पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है, ६३ राष्ट्रों पर बन्धनकारी था जिनमें जर्मनी, इटली तथा जापान भी सम्मिलित थे ।

इस पैक्ट का वैध प्रभाव यह हुआ कि वे राज्य जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये थे, तथा जो इस पर स्थिर रहे उनका भविष्य में अपनी नीति के साधन के रूप में युद्ध का आश्रय लेने का कार्य अप्रतिबन्धित रूप से निन्दित किया गया, तथा उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसको त्याग दिया । पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त, जिस किसी राज्य ने अपनी राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध का आश्रय लिया उसने पैक्ट का उल्लंघन किया । न्यायाधिकरण को यह ज्ञात हुआ कि युद्ध के राष्ट्रीय नीति के रूप में पवित्र भावना से त्याग में यह साध्य अवश्य ही सम्मिलित था, कि इस प्रकार का युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधि में अवैध है, तथा वे लोग जिन्होंने ऐसे युद्ध की योजना की तथा ऐसा युद्ध लड़ा जिसके इस प्रकार अवश्यम्भावी तथा भयकर परिणाम हूयें, इस प्रकार करने में एक अपराध कर रहे थे ।

प्रतिवादियों ने यह निवेदन किया कि उन्होंने जो कुछ भी किया हिटलर के आदेशानुसार किया, अतः उन आदेशों के पालन करने के परिणामस्वरूप वे अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराये जा सकते । चार्टर के अनुच्छेद ८ में यह विशेष रूप से प्रतिबन्धित था कि "यह तथ्य कि प्रतिवादी ने अपनी सरकार अथवा एक सर्वोच्च के आदेशानुसार कार्य किया, उसको उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा, लेकिन इसका विचार उसके दंड के अन्वीकरण में किया जायगा ।"

यह कि किसी सैनिक को युद्ध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विधि को उल्लंघन करके वध अथवा उत्पीड़न का आदेश दिया गया, ऐसे क्रूर कार्य के लिये कभी प्रतिरक्षा के रूप में नहीं स्वीकृत किया जा सकता, यद्यपि जैसा कि यहाँ चार्टर में अनुबन्धित है यह आदेश दण्ड के न्यूनीकरण के लिये निवेदित किया जा सकता है । परीक्षा की रीति जो दण्डविधि में भिन्न-भिन्न परिमाण में पाई जाती है, वह आदेश की विद्यमानता नहीं, बल्कि यह है कि नैतिक चुनाव अथवा विकल्प वास्तव में सम्भव था ।

न्यायाधिकरण की सम्मति में साक्ष्य से यह स्थापित हो गया कि कुछ प्रतिवादियों द्वारा युद्ध की तैयारी तथा युद्ध करने के लिए सामान्य योजना बनाई गई। न्यायाधिकरण द्वारा यह तर्क अविवेकपूर्ण माना गया कि उस स्थान में जहाँ पूर्ण तानाशाही हो सामान्य योजना नहीं रह सकती। कोई योजना जिसके निष्पादन में बहुत से व्यक्तियों ने भाग लिया हो, फिर भी एक योजना ही है, चाहे वह उनमें से किसी एक ही द्वारा सुझाई गयी हो, तथा वे जिन्होंने योजना का निष्पादन किया यह दिखाकर उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते कि उन्होंने उस व्यक्ति के निदेश पर कार्य किया जिसने उन्हें सुझाया। हिटलर स्वयं ही एक अग्रघर्षक युद्ध नहीं कर सकता था। उस राजनीतिज्ञों, सेनानायकों, कूटनीतिज्ञों तथा व्यापारियों का सहयोग प्राप्त करना पड़ा था। जब उन्होंने उसके लक्ष्यों का ज्ञान रहते हुये उसे अपना सहयोग प्रदान किया तो उन्होंने अपने को उसका द्वारा प्रारम्भ की हुई योजना में पक्षकार बना लिया। जब उन्हें इस बात का ज्ञान था कि वे क्या कर रहे हैं अतः इस आधार पर कि हिटलर ने उनका उपयोग किया वे निर्दोष नहीं ठहराये जा सकते।

परीक्षण की आलोचना (Criticism of the Trial).—सन् १९२८ के पेरिस के पैक्ट अथवा केलोग-ब्रिग्गाड पैक्ट पर बहुत ही विश्वास किया गया। यह तो भी प्रकट है कि पराजित नेताओं तथा जनरलों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए इस प्रकार का शकारहित विश्वास इस पर नहीं रखा जा सकता था। प्रथमतः पेरिस के पैक्ट में सन् १८६६ हेग अभिसमय में उनमें दिये गये अनुबन्धों को प्रवृत्त करने के लिये कोई आज्ञाएँ नहीं दी गई हैं। यह कथन ठीक है कि "पैक्ट की शब्दावली एक दड-व्यवसाय की शब्दावली नहीं है। यह भाषा अध्यात्म-विषयक गई है न कि विधि-विषयक"। द्वितीय यह कि यद्यपि केलोग-ब्रिग्गाड पैक्ट ने अग्रघर्षक युद्धों को अवैध घोषित किया तथापि इस प्रकार की अवैधता किसी प्रकार की खीचातानी के उपरान्त एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय अपराध में परिवर्तित नहीं की जा सकती थी जिसमें भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाय। अन्त में पेरिस के पैक्ट का इसके आरम्भ होने के साथ ही उल्लंघन होना आरम्भ हो गया था जबकि एक दिन सुप्रभात में मित्र-राष्ट्रों ने यह निर्णय किया कि पराजित नेताओं तथा जनरलों का अभियोजन इस पर आधारित किया जाय। सन् १९३१ में जापान ने चीन पर मच्चूरिया में आक्रमण किया लेकिन पेरिस पैक्ट की पुष्टि में जापानी नेताओं पर अभियोजन चलाने के लिए एक भ्रंशुली भी नहीं उठाई गई। इस कार्य की निन्दा किये जाने पर परिणाम यह हुआ कि जापान लीग आफ नेशन्स से हट गया और यही पर बात समाप्त हो गई। सन् १९३५ में इटली ने

का उल्लंघन होता है। "The Charter applied with retrospective effect, which was a rule contrary to Municipal Law of civilized nations, and was, therefore, in violation of International Law"

प्रोफेसर स्मिथ ने आगे यह विचार प्रकट किया है कि सन् १९४२ तक ब्रिटेन की सैनिक विधि की पुस्तिका में एक अनुच्छेद (अध्याय १४ अनुच्छेद ४४३) ऐसा था कि संप्रभु के आदेश युद्धापराधा के आरोपों के लिये एक उपयुक्त प्रतिरक्षा का कार्य करते थे। अप्रैल सन् १९४२ में युद्ध वायुलय ने एक सशोधन द्वारा संप्रभु आदेशों की प्रतिरक्षा समाप्त कर दी। प्रोफेसर स्मिथ का कथन है कि यह घटनोत्तर (ex post facto) विधान के चरमसीमा पर पहुँचे हुये होने का एक सबल उदाहरण है।

परीक्षण के विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह थी कि किसी सरकार के सदस्यों तथा सेवकों पर अपने देश को अग्रघर्षक युद्ध में ले जाने का अभियोग चलाने का अर्थ एक पूर्वकालिक प्रभावकारी दण्डविधान बनाना है। इससे दण्डविधि के उस बर्त्याणकारी सिद्धांत का उल्लंघन होता है जिसके अनुसार किसी कार्य के लिये दण्ड नहीं दिया जा सकता था, जो कि उस समय प्रवर्तित विधि द्वारा परिभाषित न किया गया हो तथा जिसके लिये दण्ड नियत न किया गया हो। यह स्पष्ट है कि नूरखर्ग परीक्षण एकपक्षीय था। युद्धापराधियों को सम्पूर्ण रूप से दण्ड देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया जिनमें मिन राट्ट्रो के भी अपराधी सम्मिलित हैं। अतः जर्मनों द्वारा किये गये अत्याचारों का प्रश्न केवल एक परिमाण मात्र का है। रूस ने सन् १९३६ में फिनलैण्ड पर आक्रमण करने में पेरिस पैक्ट का घोर उल्लंघन किया था कि तु इसमें सन्देह नहीं कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का निश्चय कभी नहीं किया गया।

बौरवेट अपने परिणामों को इस कथन के साथ समाप्त करते हैं कि न्यायाधिकरण की "कायवाहियाँ, चाहे उनकी वर्णनशैली कितनी ही सुंदर रही हो, चाहे उनका पथ प्रदर्शन इस निष्कपट प्रयास द्वारा हुआ हो कि निर्दोष छूट जाय तथा जिनके विरुद्ध अपराध सिद्ध हो जाय उन पर दण्ड समान रूप से पड़े, उचित रूप से तथा कथित न्याय के पद पर नहीं पहुँचता। न्यायाधिकरण का निर्माण, इसके निर्देश की शक्तें तथा परिस्थितियाँ जिनमें कि यह बैठे, इन सब से निष्पत्तियों की बाह्य विषयक प्रतियुक्तियाँ अलग हो जाती हैं, जिनसे कि कठोर न्याय उपलब्ध है। इसके द्वारा आवाहन किये गये सिद्धांतों के बीच वैध स्वरूप के सम्बन्ध में गम्भीर सन्देह निरन्तर जारी है।" उनके शब्द इस प्रकार हैं — "that the proceedings, admirable as they were in tone and guided as they were by a general

effort to spare the innocent and to equate punishment with the proved offence, did not amount to adjudication properly so-called. The structure of the tribunal, its terms of reference, and the circumstances in which it sat, excluded the objective guarantees of impartiality that characterize strict adjudication. There continues to be grave doubt as to the legal character of the principles which it invoked." P. E. Corbett: Law and Society in the Relations of States, p. 235).

टोकियो परीक्षण (The Tokyo Trial) :—जापान के बड़े युद्ध अपराधियों का परीक्षण भी उन्ही सामान्य सिद्धान्तों पर हुआ जिन पर कि जर्मनी के युद्ध अपराधियों का हुआ था। यह कथन किया गया कि २० जुलाई सन् १९४५ को पोट्सडम घोषणा, २ सितम्बर सन् १९४५ के प्रत्यर्पण के सलेख तथा सुदूर पूर्व के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के चार्टर के जो सर्वोच्च सेनानायक जनरल मैक आर्थर द्वारा १९ जनवरी सन् १९४६ को स्वीकृत किया गया, इसी का अभियोजन परिणाम है। परीक्षण जून ४, सन् १९४६ को सुदूरपूर्व के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सर विलियम वेब की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ। न्यायाधिकरण ग्यारह न्यायाधीशों का बना, जिनमें उन राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे जिनका जापान से युद्ध हो रहा था तथा जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, आस्ट्रेलिया, केनाडा, फ्रांस तथा भारत सम्मिलित थे। अभियोजन चलाने वाले ११ राष्ट्रों द्वारा २८ अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग प्रस्तुत किया गया जिनमें से दो तो परीक्षणों के आलम्बित रहने की दशा में ही मर गये, तथा एक कार्यवाहियों से उन्मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसकी मानसिक दशा ने उसे प्रथम स्थिर कर दिया था।

अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत पचपन सूत्र के आरोप लगाये गये थे—

१. शान्ति के विरुद्ध अपराध (Crimes against Peace):—इस वर्ग में पूर्वी एशिया के राज्य प्राप्त करने के पड़्यन्त्र भी सम्मिलित हैं, साथ ही पैसिफिक और हिन्द महासागर, मन्चूरिया और चीन के राज्य हड़पने का पड़्यन्त्र भी था, क्योंकि १६ विशिष्ट देशों के विरुद्ध अवैध युद्ध छेड़कर जर्मनी और इटली से मिलकर विश्व का राज्य हड़पने की भी बात थी, क्योंकि इसके विरुद्ध जो भी देश खड़ा होता, उसी से युद्ध होता।

२. हत्या (Murder) :—इसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की हत्या करने का पड़्यन्त्र भी था। इसके साथ ही जापान की सैन्य-शक्ति को यहाँ तक कि शान्ति के समय में अमेरिका, ब्रिटिश कामनवेल्थ, नीदरलैण्ड्स, और थाईलैण्ड (स्याम)की जनता के वध का पड़्यन्त्र भी था जो कि हेग अभियोग (दुतीय) तथा

अनेक सधियों का अतिक्रमण था। यह आक्रमण जापान की सैन्यशक्ति द्वारा दिसम्बर ७ और ८, १९४१, को पल-हार्बर, हॉगकांग तथा शंघाई पर किया गया था।

३ अन्य अभिसमयात्मक युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराध (Other Conventional War Crimes and Crimes against Humanity) — इनके अन्तर्गत ऐसे अपराध थे जो कि ऐसे व्यक्तियों पर थे जिन्होंने जापानी सैन्य शक्ति एवं युद्ध मिनिस्टरी अफसरों को पड़्यन्त्र करके प्राधिकृत किया था कि वे सधिया तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन सहस्रों युद्ध बन्दि्यों पर नाना प्रकार के अत्याचार द्वारा करें, इसमें समुक्त राज्य, ब्रिटिश कामनवेल्थ, फ्रांस, नीदर लैंड्स चीन, रूस आदि की नागरिक जनता भी सम्मिलित थी।

अभियुक्तों ने अवसर मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र यह प्रकट किया कि तयागठित न्यायाधिकरण के हाथों उनको इस कारण न्याय न पाने का भय है कि न्यायाधिकरण के सदस्य उन राज्यों के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने जापान को हराया है और जो इस मामले में अभियोगी हैं, अतः वे उनके हाथों न्याययुक्त तथा निष्पक्ष परीक्षण की आशा नहीं कर सकते। न्यायाधिकरण ने इस तर्क का खंडन इस आधार पर कर दिया कि इसमें सदेह नहीं कि न्यायाधीश भिन्न-भिन्न विजेता राष्ट्रों में से थे, किन्तु वे वहाँ अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उपस्थित हैं।

न्यायाधिकरण ने मृत्युदण्ड का आदेश केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जो अन्य अपराधों के अतिरिक्त सामान्य युद्ध अपराधों को करने का आदेश देने अथवा अनुमति देने अथवा युद्ध बन्दि्यों तथा नागरिक नजरबन्दि्यों के सम्बन्ध में युद्ध की रूढ़ियों तथा विधियों को रोकने के विषय में पर्याप्त प्रबन्ध करने में असफल रहने के दोषी पाये गये। अभियुक्तों में से अधिकांशों को केवल शान्ति के विरुद्ध अपराधों के लिये ही भिन्न-भिन्न अवधि का कारावास दिया गया।

न्यायाधिकरण का निर्णय ४ नवम्बर, सन् १९४८ को दिया गया।

मतभेद प्रकट करने वाला निर्णय (Dissenting Judgment) — भारत के, डाक्टर राधा विनोद पाल का निर्णय जिसमें मतभेद प्रकट किया गया है, अप्रघर्षरूप युद्ध सम्बन्धी उद्देगजनक प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश डालता है।

विभिन्न प्रमाणों के पुनरीक्षण के उपरान्त वे इस परिणाम पर पहुँचे कि युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में यथापूर्व विधि के क्षेत्र के बाहर है, केवल इसका संचालन विधि के क्षेत्र के भीतर लाया जा सका है। पेरिस का वैध विधि की श्रेणी के भीतर तनिक नहीं आता, अतः यह युद्धस्थित राज्य की वैध स्थित में अथवा युद्ध सलसलता के न्यायिक क्रम में कोई नया परिवर्तन करने में असफल रहा है। कोई ऐसी रूढ़

विधि विकसित नहीं हुई जिससे युद्ध एक अपराध हो जाय। अन्तर्राष्ट्रीय समाज स्वतः ऐसी नींव पर नहीं खड़ा है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में अपराध के विचार का प्रवृत्त करना समुचित हो सके। उनका कथन है कि यह जांच करना आवश्यक नहीं है कि क्या इस सम्बन्ध में द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कोई विकास हुआ है कि नहीं, क्योंकि चाहे विधि में उस समय विकास भी हो गया हो जिससे अब इस प्रकार का युद्ध एक अपराध हो गया हो, फिर भी उससे वर्तमान अभियुक्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ("International community itself is not based on a footing which would justify its introduction of the conception of criminality in international life It is not necessary to examine whether there had been any development of International Law in this respect since the second World War, for even if the law has since developed so as now to make such a war a crime this will not affect the present accused")

डाक्टर पाल का कथन है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज की वर्तमान स्थिति में शब्द आक्रामक (aggressor) वास्तव में "रंगपरिवर्तनशील" (chameleonic) है तथा इसका अर्थ 'हारने वाले पक्षकार के नेनागण' से ही हो सकता है।

सम्पूर्ण साक्ष्य के, जो कि न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित किया गया, सामूहिक प्रभाव से वे इस परिणाम पर पहुँचे कि जो कुछ टोयो तथा उनके समुदाय ने किया वह उन्होंने शुद्ध देशभक्ति से प्रेरित होकर किया। उनकी तुलना हिटलर समुदाय से नहीं की जा सकती, जैसा अभियोजन का सुझाव है, क्योंकि जापान की जनता उस प्रकार दासत्व से नहीं जकड़ी थी जिस प्रकार हिटलर की जर्मनों की, तथा जनता के सदस्यों को अपने धर्म, विश्वास तथा व्यवहार के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इसके अनुसार जनवरी १, सन् १९२८ से सितम्बर २, सन् १९४५ तक अथवा किसी अन्य समय में एक व्याप्त तथा निरन्तर जारी रहने वाले लक्षण का अथवा किसी भी लक्षण तथा स्वरूप का न कोई पड्यन्त्र तो कभी बना अथवा वर्तमान या कार्यशील रहा और न प्रतिवादियों में से, न कोई भी किसी समय, किसी ऐसे पड्यन्त्र का सदस्य रहा।

विद्वान् न्यायाधीश ने यह और भी मन्तव्य प्रकट किया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में पड्यन्त्र स्वतः अभी कोई अपराध नहीं है।

अतः विद्वान् न्यायाधीश ने यह मन्तव्य दिया कि प्रत्येक तथा सब अभियुक्त अभियोग में दिये गये प्रत्येक तथा सब आरोपों के लिए निर्दोष माने जाने चाहिए तथा उनको इन सब आरोपों से विमोचित कर देना चाहिए। ("As a judicial tribunal, we cannot behave in any manner which may

Justify the feeling that the setting up of the Tribunal was only for the attainment of an objective which was essentially political though cloaked by a judicial appearance.....The name of justice should not be allowed to be evoked only for the prolongation of the pursuit of vindictive retaliation. The world is really in need of generous magnanimity and understanding charity..... When time shall have softened passion and prejudice, when reason shall have stripped the mask from misrepresentation, then justice, holding evenly his scales, will require much of past censure and praise to change places.")

“एक न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में, हम किसी ऐसे ढंग से आवरण नहीं कर सकते जो इस भावना को न्यायोचित सिद्ध कर सके कि न्यायाधिकरण का गठन केवल ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था जो कि अनिवार्य रूप से राजनीतिक थे, भले ही उसे एक न्यायिक आवरण में ढँक दिया गया था।

न्याय का नाम केवल इस प्रयोजन से लिये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये कि दंडात्मक बदले के अनुगमन को लक्षित किया जाय। आज के विश्व में वास्तव में उदार आशय और सूझ-बूझ की आवश्यकता है। समय जब सवेगो और भ्रष्टता को दान्त कर सकेगा, जब विवेक भ्रामक प्रस्तुतिकरण का स्थान ग्रहण कर सकेगा, तभी न्याय के लिए बाधित होगा कि वह अपने तराजू को समान रखते हुये अतीत की निन्दा कर सके और स्थान-परिवर्तन की सराहना कर सके :

जनवध (Genocide) :—जनवध के अपराध ने कुछ महत्व का रूप धारण कर लिया है तथा वह नाज़ी युद्ध अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियोगों में सम्मिलित था।

जनवध अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लिए एक नयी धारणा है तथा इसका अर्थ “राष्ट्रीय, जातीय अथवा धार्मिक समूहों का विनाश” है। यह कहा गया है कि नाज़ियों के समय में जनवध का अपराध इतनी अधिक मात्रा में तथा इतने सीमातीत रूप में फैल गया था कि इस समय युद्ध को उस योजना के केवल एक अंग के रूप में देखा जाता है। नाज़ियों द्वारा यहूदी जाति के उन्मूलन का प्रयत्न स्पष्ट रूप से जनवध का अपराध था।

जनवध पर समुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर ने उन वाक्यों को जिनका अर्थ राष्ट्रीय, जातीय अथवा कुल समूहों को विनष्ट करने का है, इस रूप में दण्डनीय बनाया है, चाहे वे राष्ट्र के शासकों, सार्वजनिक पदाधिकारियों अथवा असार्वजनिक

व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं। प्रतिज्ञा जनवरी १९५६ तक ५६ राष्ट्रों द्वारा सत्यापित की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय डाडिक न्यायालय (International Criminal Court) :—अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं को उल्लंघन करने के लिए आरोपित व्यक्तियों को अभियोजित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय दण्ड न्यायालय की स्थापना जो इस प्रकार का सर्वप्रथम न्यायालय होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा द्वारा दिसम्बर सन् १९५० में स्वीकृत किया गया। प्रस्तावित न्यायालय के लिये एक सविधि बनाने के उद्देश्य से इसके पाँचवें अधिवेशन में सत्रह राष्ट्रों को एक समिति बनाई गई।

यह सन्देहजनक है कि न्यायालय राष्ट्रों के मध्य कर्तव्यों को ग्रहण करने के स्वीकार-पत्र के आधार पर बिना पूर्ण ऐक्य तथा सहयोग के प्रभावशाली रीति से कार्य कर सकता है। केवल एक विश्व सरकार ऐसे न्यायालय के लिये क्षेत्राधिकार प्राप्त कर सकती है तथा उसकी प्रतिभूति दे सकती है। फिर भी, ऐसे न्यायालय के लिए एक सविधि का मसौदा सन् १९५३ की अन्तर्राष्ट्रीय दण्ड क्षेत्राधिकार समिति द्वारा तैयार किया गया जिसकी बैठक अगस्त २०, सन् १९५३ को समाप्त हुई। पुनरीक्षित सविधि के मसौदे के अन्तर्गत न्यायालय को उन व्यक्तियों के परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार होगा जिन पर ऐसे अपराधों का आरोप लगा हो जो सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा स्वीकृत हो। नयी सविधि के मसौदे में अपराधों का स्वरूप प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा इनकी परिभाषा भविष्य के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं के लिये छोड़ दी गई है जो राष्ट्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से १९४८ के जनवरी के आभिसमय की तरह सत्यापित की जाएंगी।

बन्धक-व्यक्तियों का घब एक युद्धापराध (The Killing of Hostages as a War Crime)—मोपेनहेम का कथन है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने एक भयावह कार्य आरम्भ किया, और वह कार्य यह था कि वह बंधक व्यक्तियों को अपनी सेना द्वारा दखल किये गये क्षेत्र में ले जाना, और उन्हें उस समय गोली मार देना, जबकि उसे यह आभास हो कि नागरिकों ने जर्मन टुकड़ियों पर गोली चलायी है।^१ ऐसी कार्यवाही द्वितीय विश्व युद्ध में और भी बड़े पैमाने पर की गई। द्वितीय विश्व-युद्ध में बन्धक व्यक्तियों को मार डालने की यह जर्मन नीति, उसके द्वारा विजित क्षेत्रों में वहाँ के आन्दोलन को दबाने के अभिप्राय से अपनायी जाती थी।

1: Oppenheim's International Law, Vol II, p 591

लॉर्ड राइट (Lord Wright) के धनुमार "Hostage means an innocent member of the population of the occupied country who is seized and held in custody and dealt with and generally shot in order to terrorize and repress the resistance movement. These so-called hostages who are slaughtered in this way are simply innocent non-combatants. The term 'reprisal-prisoner' also does not differ essentially in its meaning from hostage."¹ बन्धक का तात्पर्य उस अधीन किये गये क्षेत्र की जनता के ऐसे निर्दोष व्यक्तियों से है, जो कि गिरफ्तार कर लिये जाते हैं और अधिरक्षा में रखे जाते हैं और क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिये, भारतक उत्पन्न करने की दृष्टि से मार डाले जाते हैं। ये तथाकथित बन्धक व्यक्ति, जो कि इस रूप में काट डाले जाते हैं वे सीधे-सादे सैनिक व्यक्ति हुआ करते हैं। 'रेप्राइजल प्रिज़नर' शब्द के अन्तर्गत जो अभिप्राय होता है, सामान्यतः 'बन्धक व्यक्ति' के अन्तर्गत भी वही है।

नूरम्बर्ग परीक्षण में भी बन्धक व्यक्तियों का बधन अपराध माना गया था; और अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक-न्यायाधिकरण का निष्कर्ष था कि बन्धक-व्यक्तियों को रोकने और दंडित करने की जर्मन कार्यवाही उचित नहीं थी।

ग्रोशस (Grotius) का भी कथन है कि बन्धक-व्यक्तियों का उस समय तक बध नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि वे स्वयं कोई ऐसा अपराध करने के भागी न हों।

जेम्स विल्फ्रेड गार्नर (James Wilfred Garner) ने 'इन्टरनेशनल लॉ ऐंड दी वर्ल्ड वार' में अवलोकन किया है कि यद्यपि हेग-अभिसमय में बन्धक व्यक्तियों का विशिष्टतः नाम नहीं लिखा हुआ है, फिर भी, व्यवहारतः प्राथमिक सभी विद्वान् इस बात से सहमत हैं कि बन्धक-व्यक्तियों को युद्ध-बन्धियों के समान व्यवहार मिलना चाहिए। इसलिए वे मृत्यु के भागी नहीं हो सकते, या ऐसी कठोरताओं से अधिक के लिए भी भागी नहीं हैं जिन्हे सामान्यतः सैनिक-बन्धियों को सहन करनी पड़ती है। उन्होंने आगे लिखा है कि जर्मनों द्वारा बन्धकों को ले जाने और मार डालने की संपूर्ण नीति मानवता और न्याय की सामान्य सम्य अवधारणा के सर्वथा प्रतिकूल है, क्योंकि इस नीति से ऐसे व्यक्तियों को दंड मिलता है, जो कि सर्वथा निर्दोष हैं और यह कि जिन पर किसी प्रकार के अपकार का दायित्व नहीं सौंपा जा सकता।

१. Lord Wright's Article in the British Year Book of International Law, 1948, p. 296.

लॉर्ड राइट का निष्कर्ष है कि सिद्धान्त और प्राधिकार दोनों रूपों में बंधकों को मार डालना युद्ध-विधि के प्रतिकूल है और यह कि किसी भी परिस्थिति में यह अनुमत नहीं है। इसे 'हत्या' (Murder) की सजा दी जायेगी।

जेनेवा कन्वेंशन, १९४९ के अनुच्छेद ३४ में, जिसमें कि युद्ध के समय नागरिक जनता के संरक्षण का उपबन्ध है, बन्धक-व्यक्तियों को ले जाने के लिए स्पष्टता निषेध किया गया है।

युद्ध-अपराधियों, क्विजलिंग्स और राज्यद्रोहियों के लिए शरण-स्थान (Asylum for War Criminals, Quislings and Traitors)—द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरान्त से अनेक बहुपक्षीय संधियों में यह उपबन्ध है कि युद्ध-अपराधियों के निष्कासन (extradition) की कार्यवाही की जाय। युद्ध-विधियों के विरुद्ध किये गये अपराध स्वभावेन राजनीतिक अपराध नहीं हुआ करते और इसलिए उनके द्वारा आत्म-समर्पण किये जाने पर आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक अपराधियों की भाँति उन्हें भी परम्परागत आवास में रखा जाय। यह नियम क्विजलिंग्स (Quislings) और राज्यद्रोहियों (traitors) के प्रति व्यवहृत नहीं होता। उनके अपराध राजनीतिक ढंग के होते हैं, भले ही युद्ध के समय उसे सबसे बड़े अपराध की संज्ञा दी जा सके। यहाँ तक कि दिनांक ३० अक्टूबर १९४३ की मास्को उद्घोषणा और संयुक्त राष्ट्रों को साधारण सभा के प्रस्ताव दिनांक १३, फरवरी १९४६ में भी उपबन्धित है कि समर्पण केवल युद्ध-अपराधियों का किया जाय, क्विजलिंग्स (Quislings) और राज्यद्रोहियों (traitors) का नहीं।

युद्धापराध परीक्षण और युद्धविधियाँ (The War Crimes Trials and the Laws of War) :—द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय अपराध-विधि में क्षेत्र का बहुत ही व्यापक विस्तार हो गया है। बहुत से सैनिक-न्यायाधिकरणों, जो कि युद्ध के बाद बनाये गये, ने केवल उन सिपाहियों को ही दोषी नहीं ठहराया जिन्होंने वस्तुतः शारीरिक रूप से युद्ध कार्य में भाग लिया या नाशक अग्नि बरसाया, बल्कि उच्च वर्ग के अफसरों और चीफ आफ स्टाफ तथा नागरिकों को भी इस अपराध से मुक्त नहीं माना।

जहाँ तक इस तर्क का सम्बन्ध है, नृरम्बर्ग परीक्षण तथा अन्य परीक्षण के प्रसंग में कहा जा चुका है कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर किसी अपराध के कृत्य करने पर, उस व्यक्ति को आभार और दायित्व से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि कृत्य करने वाला इस तथ्य को मली-भाँति जानता था, कि वह जो कुछ भी करने जा रहा है, वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से एक अपराध है। ऐसे प्रसंगों में वास्तविक तथा किसी आदेश की उपस्थिति को नहीं, बल्कि इस तथ्य को साधारण माना

जाता है कि क्या कृत्य करने वाले के समक्ष नैतिकता का धरनाया जाना सम्भव था। आदेश की उपस्थिति अपराधी के दण्ड निर्धारण में मात्रा कम करने में भले ही सहायक हो, किन्तु उसे निर्दोष सिद्ध करने में कदापि सहायक नहीं हो सकती।

अध्याय ४४

परावर्तन तथा पुनर्ग्रहण या पुनः बन्दीकरण का सिद्धान्त

(The Doctrine of Postliminium and Recapture)

पृष्ठ भूमि :—परावर्तन (Postliminium) के सिद्धान्त की उत्पत्ति रोमन विधि के नियमों की तुलना से हुई है, जिसके अनुसार जैसा लीरेंट ने बताया है कि व्यक्तियों तथा वस्तुओं को शत्रु के अधिकार से मुक्त करने पर अपनी मूल स्थिति वापस मिल जाती थी। रोमन विधि का परावर्तन नियम जैसा ऊपर कथित है, व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों से सम्बन्धित था। व्यक्ति के सम्बन्ध में नियम यह था कि उसकी बन्दीपृष्ठ से मुक्ति तथा रोमन साम्राज्य में वापस आने पर एक रूमी नागरिक को यह अधिकार था कि अपनी मूल वैध स्थिति में पुनः संस्थापित कर दिया जाय। अभिस्त्यक्त अथवा उनको जो अपने देश में अवैध रूप से वापस आये हों यह अधिकार नहीं दिया जाता था। आधुनिक काल में गुलामी प्रथा के लोप हो जाने से परावर्तन के सिद्धान्त का उपयोग केवल क्षेत्र तथा चल सम्पत्ति के लिये ही सीमित रह गया है। वस्तुओं के सम्बन्ध में रोमन विधि का अभिप्राय यह था कि वे वस्तुएँ जो शत्रु द्वारा ले ली जाती थी, उस अवधि में जिसमें वे शत्रु के अधिकार में रहती थी, प्रत्याहृत मानी जाती थी, किन्तु पुनः प्राप्त होने पर वे रोम-देशवासी पूर्व-स्वामी को लौटा दी जाती थी।

अभिप्राय तथा प्रयोग :—अन्तर्राष्ट्रीय विधि में परावर्तन (Jus postliminium) युद्ध का ही प्रसंग माना गया है, तथा इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई राज्य जो अन्य राज्य की अस्थायी अधीनता में हो अपनी स्वतन्त्रता विजय के पूर्ण होने के पूर्व ही प्राप्त कर सके, चाहे युद्ध चलने के बीच ही में अथवा उसकी समाप्ति पर, तो अधीनता अथवा शत्रुतापूर्ण दखल के पूर्व वस्तुओं की जो वैध स्थिति थी, वह पुनः संस्थापित हो जाती है।

प्रोफेसर हॉल ने परावर्तन इन शब्दों में वर्णन किया है—“जब कोई क्षेत्र जो शत्रु के अधिकार में रहा हो, तथा जनता जिस पर उसका नियन्त्रण रहा हो

युद्ध की प्रगति के बीच अपने राज्य के अधिकार में पुनः वापस आ जाय, भयवा जब कोई राज्य जो पूर्णतः अधीनस्थ कर लिया गया हो विजय के स्पष्ट रूप व्यवस्थित होने के पूर्व ही, अपने को भारोन्मुक्त कर ले, भयवा अन्त में जब कोई राज्य भयवा राज्य का भाग विदेशीय प्रभुत्व से किसी मित्र द्वारा विजय के समेकन के पूर्व ही मुक्त कर दिया जाय तो शत्रुतापूर्ण दलल के पूर्व विद्यमान वस्तुओं को वैध स्थिति पुनः स्थापित हो जाती है।" ("When a territory which has been occupied and a population which has been controlled by an enemy, comes again into the power of its own State, during the progress of a war, or when a State, the whole of which has been subjugated, throws off the yoke which has been placed upon it before a settled conquest has been clearly effected, or finally when a State or a portion of a State is freed from foreign domination by the action of an ally, before a conquest of it has been consolidated, the legal state of things, existing prior to the hostile occupation is re-established.")

तटस्थ देशों में इसके प्रवर्तन की संभावनाएँ (Its Enforceability in Neutral Countries) :—यह अधिकार तटस्थ राज्यों में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि तटस्थ प्रत्येक युद्धस्थित को माँगो को न्याययुक्त समझने के लिये बाध्य है, तथा यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन न हुआ हो, तो दोनों पक्षकारों की प्राप्ति को समुचित समझते हैं।

चल-सम्पत्ति पर प्रभाव (Effect on Movable Property) :—समस्त चल सम्पत्ति अभिग्रहण करने वाले के अधिकार में चली जाती है चाहे नीजितमाल युद्ध के बीच संपुद्र में पकड़ा गया हो भयवा अन्यथा। यदि शत्रु उसे एक तटस्थ का समर्पित कर देता है तो पूर्ववर्ती स्वामी का उसको वापस माँगने का अधिकार चला जाता है। ऐसी व्यक्तिगत चल-सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो युद्ध सामग्री के रूप में अभिग्रहीत की जाय उसके स्वामी ऐसे अभिग्रहण के लिये क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं। यदि सम्पत्ति अभिज्ञात की जा सकती हो तथा उसका पता लगाया जा सकता हो तो वह अपने स्वामी को वापस चली जायगी। युद्ध सामग्री के रूप में अभिग्रहीत सार्वजनिक चल सम्पत्ति, यदि शत्रु के हट जाने के उपरान्त यह पाया जाय कि वह अप्रयुक्त है, तो पूर्ववर्ती राज्य को वापस चली जाती है।

अचल सम्पत्ति पर प्रभाव (Effect on Immovable Property) :—शत्रु द्वारा युद्ध में अभिग्रहीत अचल सम्पत्ति पर अधिकार उस समय तक

नहीं होता है जब तक कि वह प्रदेश जिसमें वह सम्पत्ति स्थित है विजयी द्वारा अधिभूत प्रदेश में संयुक्त न कर लिया जाय अथवा उसे विजित तथा अधीनस्थ न कर लिया जाय । सार्वजनिक अचल सम्पत्ति शत्रु के हट जाने के उपरान्त उस सरकार के पास चली जाती है जो न्यायानुसार उसकी अधिकारिणी हो । व्यक्तिगत संपत्ति युद्धस्थित अधिकारी द्वारा उपभोग नहीं की जा सकती । वह केवल उनका उपयोग कर सकता है । शत्रु के हट जाने पर वैयक्तिक स्वामी उनको वापस पाने का अधिकार रखता है ।

ऋण शोधन (चुकाना) (Payment of Debt) — यदि ऋण विजय के उपरान्त अपनी सरकार स्थापित करने वाले विजयी को दिया गया हो तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि वह चुका दिया गया है, तथा ऋण हो गया है ।

इसका प्रभाव (Its Influence) :—परावर्तन के सिद्धान्त ने वर्तमान समय में अपना अधिकांश महत्व इस कारण खो दिया है कि शान्ति की संधियों में जो बहुत ही प्रवीणता से तैयार की जाती हैं, पूर्व शत्रुओं के बीच का प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण दिया रहता है । जहाँ शान्ति की संधि मौन हो, और उसमें अधिकारी अथवा सम्पत्ति के सम्बन्ध में जिनमें युद्ध के उलट फेर के मध्य वस्तुतः परिवर्तन हुआ हो, कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यवस्था न दी गई हो, तो सम्पत्ति तथा कर्तव्यों तथा वैयक्तिक स्थिति के विषय में यह सिद्धान्त बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है तथा जैसा फिलिमोर का कहना है ये सम्पत्ति के अधिकार वास्तव में शत्रु के बल के दबाव से उन्मुक्त होकर उन्हीं छोटों में बढ़ने लगते हैं जिनमें वे उस बल के दबाव से हटाये जाने के पूर्व बढ़ते थे । फिलिमोर आगे कहते हैं कि मूलतः जिस पर यह सिद्धान्त आधारित है, यह है कि ऐसे अधिकार जो समुचित रूप से प्राप्त किये गये हो बिना उस राज्य की सम्पत्ति के जिसका कि मूल स्वामी निवामी हैं, स्थायी रूप से न तो किसी व्यक्ति द्वारा न किसी शत्रु राज्य के कार्य द्वारा, छीने नहीं जा सकते । अतः यह एक स्थिर नियम रहा है कि अचल सम्पत्ति की दशा में विजयी का वास्तविक वंश भी अन्तरण का ऐसा अधिकार उन समय तक नहीं देता जिसका लक्ष्य मूल स्वामी का अधिकार छीन लेना हो जब तक कि ऐसा परिणाम किसी संधि की शर्तों का अंग न बनाया गया हो अथवा राष्ट्र के किसी सांख्यिक कार्य द्वारा स्थापित न किया गया हो । उन्हीं के शब्दों में -

'The principles upon which the doctrine rests is that rights duly acquired cannot be permanently taken away, either by the act of an individual or by the act of an enemy State, without the consent of the State, to which the original owner belongs. It has therefore, been the

established rule that, in the case of immovable property even actual possession by the conqueror does not confer a right of alienation which, after the conqueror has departed, will ensure to oust the original owner, unless such a result has formed part of the stipulations of a treaty or been ratified by some public act of the State "

—Phillimore.

सिद्धान्त की परिसीमा (Limitations of the Doctrine) :—परावर्तन सिद्धान्त की परिसीमाये निम्नलिखित हैं :—

१ यह सिद्धान्त उस दशा में लागू नहीं है जब कि किसी क्षेत्र का विजयी द्वारा कब्जा करने तथा प्रशासन स्थापन करने द्वारा स्वायत्तीकरण हो गया हो, अथवा जब कोई क्षेत्र सधि द्वारा शत्रु को समर्पित कर दिया गया हो। विजय अर्थात् कब्जा तथा प्रशासन की दशा में विजित राज्य की सार्वभौमिक सत्ता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हेसे-कैसल (Hesse Cassel case) वाले मामले में इस सिद्धान्त का प्रयोग इस आधार पर नहीं किया गया कि विजयी ने सधियों द्वारा पूर्ण स्वत्व प्राप्त कर लिया था तथा निर्वाहक संपत्ति पर अपना स्वत्व स्थापित नहीं कर सकता था। इस सिद्धान्त का प्रयोग केवल अस्थायी दखल अथवा अधोनता की दशा में किया जाता है जब विजय का समेकन न हुआ हो।

२ तटस्थ देशों में इस सिद्धान्त का प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है।

३ अधिकार करने वाले द्वारा किये गये न्यायोचित कार्य इस सिद्धान्त के विषय नहीं हो सकते। ओपेनहेम का कथन है कि परावर्तन का सिद्धान्त पूर्ववर्ति सैनिक अधिकारी के अधिवृत्त क्षेत्र, व्यक्तियों और उस पर स्थित सम्पत्ति से संबंधित ऐसे कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं रखता जिनको वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार करने के लिये समर्थ था, उदाहरणार्थ अपराधियों को दंड देना ऐसी चल सम्पत्ति का विक्रय जिसको अधिकार करने वाला स्वायत्तीकरण के लिये समर्थ था। वास्तव में उस राज्य को जिनके अधिकार में ऐसे क्षेत्र वापस आ गया हो इन न्यायोचित कार्यों को स्वीकृत करना चाहिये।

४ अधिकार करने वाले द्वारा चन्दा लगाना, अधियाचन तथा करो का संग्रह पूर्वस्थिति पर पुनः स्थापन के सिद्धान्त के प्रयोग से उन्मुक्त है।

५. क्षेत्र पर अधिकार करने वाले शत्रु द्वारा अभिग्रहीत राज्य की अथवा व्यक्तिगत अचल सम्पत्ति मूल स्वामी के पास वापस नहीं जानी यदि शत्रु का स्वरूप विजय अथवा सधि द्वारा पूर्ण कर दिया गया हो।

६ सन् १८६४ के नाविक नौजितमाल अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई जहाज अथवा उसमें लदा हुआ सामान उस युद्ध के बीच किसी समय में

पुनर्ग्रहण किया जाय जिसमें कि अभिग्रहण हुआ था तो उसको पुनर्ग्रहण संपत्ति के मूल्य के कुछ अंश दिये जाने पर वास्तविक मालिक को दे देना चाहिये। यह 'दिया जाना' परिभाषानुसार उबार या पुरस्कार (salvage) (जहाज अथवा उस पर की सामग्री को बचाने का पुरस्कार) कहा जाता है तथा एक प्रकार की क्षतिपूर्ति के रूप में उन बचाने वालों को दिया जाता है जिनकी सहायता से कोई जहाज अथवा उसपर की सामग्री समुद्र में भय अथवा नाश से बचाई गई हो। पुरस्कार अथवा उबार का यह दिया जाना भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है तथा इस विषय में कोई एकरूपता नहीं है।

हेसे-कैसल का मामला (Hesse-Cassel Case) —परावर्तन के सिद्धान्त पर प्रमुख विवाद हेसे-कैसल के इलेक्टर के सम्बन्ध में है। विवाद के तथ्य, निस्संदेह कुछ उलझे हुये हैं, किन्तु संक्षेप में वे इस प्रकार हैं :—

फ्रांस और प्रशा के बीच १८०६ के युद्ध के परिणाम हेसे-कैसल के इलेक्टर तक पहुँचे, जो कि एक तटस्थ राज्य-क्षेत्र था। फ्रांस की सेना ने उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और वहाँ के इलेक्टर को मार भगाया। उनका तर्क यह था कि इलेक्टर की तटस्थता फ्रांस की सेना की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

हेसे-कैसल फ्रांस के सैनिक शासन के अन्तर्गत १८०७ में अन्त तक रहा और उस समय नैपोलियन ने इसका बहुत बड़े भाग को नवनिर्मित राज्य वेस्ट-फेलिया में निर्गमित कर लिया। यह टिलसिट की शान्ति (Peace of Tilsit) के परिणाम-स्वरूप हुआ था, जिसके द्वारा रूस और प्रशा ने जेराम बोनापार्ट को वेस्टफेलिया का सम्राट स्वीकार कर लिया था। नैपोलियन और जेराम में २२ अप्रैल १८०८ को वलिन में इस बात पर समझौता हुआ था कि हेसे-कैसल के ध्वंस को व्यवस्थित किया जाय।

जेराम ने घोषित किया कि वह नैपोलियन के क्षेत्र में उन सभी व्यक्तियों को अपनी ओर से श्रद्धामुक्त करता है जो फ्रांस के प्रशासक नैपोलियन का ऋण का मुक्तान कर दें। इसी प्रकार की उदारतापूर्ण घोषणाएँ नैपोलियन की ओर वेस्टफेलिया के प्रजाजन के प्रति की गई थी।

१८१३ में नैपोलियन पेरिस (Paris) के युद्ध में शक्ति-शीला हो गया और हेसे के इलेक्टर का पुत्र अपने पैतृक राज्य क्षेत्र की ओर लौटा और दिसम्बर १८१३ में मित्र शक्तियों द्वारा उसने पिता के स्थल को स्वीकार किया गया, जिनका सत्यावन पुनः १८१४ में पेरिस की शान्ति (Peace of Paris) में हुआ।

बाउएट वॉन हाँन् (Count von Hahn) एक बहुत बड़ी भूमि मालिक का स्वामी था। उसने हेसे-कैसल के राजकुमार से श्रद्धा रूप में घन लिया था।

उमने इस ऋण का केवल एक भाग नैरोलियन को अदा किया, और शेष के लिए उसे नैरोलियन की ओर से उन्मुक्ति मिल गई ।

उस बाउण्ट की मृत्यु के पश्चात्, हेसे-वैसल के राजकुमार ने फिर शक्ति प्राप्त करने के पश्चात् अपने धन की अदायगी की माँग की । उमने नैरोलियन द्वारा प्रदत्त उन्मुक्ति को अवैध ठहराया और यह सिद्ध किया कि उम धन का नैरोलियन द्वारा अभिग्रहण एक डाकू के अभिग्रहण के रूप में था, एक विजेता के रूप में नहीं ।

अपील के अन्तिम न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि राजकुमार का वापस आना अपनी पूर्व-सरकार के तारतम्य में क्रमिक नहीं माना जा सकता और इसलिए निष्कर्ष यह था कि सभी ऋण, भले ही समूचा धन अदा किया गया अथवा नहीं, जिसके लिए नैरोलियन ने उन्मुक्ति प्रदान कर दी, वैध माना जायगा और तथ्यतः उसे भुगतान किया हुआ समझा जायगा ।

परिणाम यह हुआ कि इस विवाद में परावर्तन का सिद्धान्त लागू नहीं हो सका । इसका आधार यह था कि इलेक्टर का विजयता उस पर पूर्ण स्वत्व प्राप्त कर चुका था ।



अध्याय ४५

युद्ध का समापन

(The Termination of War)

युद्ध समापन की रीतियाँ (Modes of Termination of War) — हेफ्टर (Heffter) का कथन है (as quoted by Phillimore in his International Law, Vol, III, p 770) कि युद्ध को समाप्त करने तथा शान्ति पुनः स्थापित करने की तीन रीतियाँ हैं ।

१ दोनों पक्षकारों की ओर से शत्रुतापूर्ण कार्यों को वास्तविक रूप से बन्द किया जाना तथा शान्ति के सम्बन्धों का वास्तविक रूप से नवीनीकरण ।

२ एक युद्धस्थित का बिना किसी शर्त के दूसरे की अधीनता स्वीकार करना अथवा जैसा पिट कोबेट का कथन है कि विजय तथा एक युद्धस्थित राज्य का दूसरे द्वारा अपने में पूर्ण रूप से समावेश किया जाना ।

३ युद्धस्थित के बीच नियमानुसार शान्ति की संधि का किया जाना ।

युद्ध-समाप्ति की प्रथम रीति की ओर ध्यान आकर्षित करने पर शान्ति पुनः स्थापित करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि नियमानुसार युद्ध समाप्ति को एक

घोषणा की जाय। राज्यों द्वारा साधारणतया बर्तों जाने वाली रीति यह है कि ऐसी घोषणा की जाती है किन्तु इस प्रकार के भी उदाहरण हैं जहाँ युद्धकार्य मौन ह्रा से बन्द हो गये तथा वास्तविक रूप में शान्ति हो गई। स्वीडन तथा पोलैंड का युद्ध सन् १७१६ में परस्पर शत्रुतापूर्ण कार्यों के बन्द कर देने से समाप्त हो गया, लेकिन शान्ति न्यायानुसार दस वर्ष बीतने के उपरान्त घोषित की गई। फ्रांस तथा स्पेन के युद्ध (१७२०) और रूस तथा प्रशा के युद्ध (१८०१) की समाप्ति इन रीति के दूसरे अधिक उदाहरण हैं। यह रीति असंतोषप्रद है, क्योंकि इससे तब तक के युद्धस्थित तथा तटस्थों के सम्बन्धों में संदिग्धता तथा अनिश्चितता बनी रह जाती है।

तीसरी रीति अर्थात् युद्ध समाप्ति के लिये शान्ति-संधियों का किया जाना सबसे अधिक सामान्य रूप है। वासाई की संधियों से युद्ध समाप्ति की इन रीति के उदाहरण प्राप्त होते हैं। यह सब से अधिक संतोषपूर्ण रीति है क्योंकि यह प्रादेशिक संमंजसों तथा युद्ध सम्बन्धी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करके भविष्य के सभी वाद-विवाद को समाप्त कर देती है।

शान्ति-संधि का प्रभाव (Effect of Treaty of Peace) :—संधि का तात्कालिक प्रभाव शत्रुतापूर्ण कार्यों का बन्द करना तथा पूर्वस्थिति पर पुनः संस्थापन करना है। इससे सामान्य व्यापारिक सम्बन्ध आरम्भ हो जाते हैं। युद्धबन्दों मुक्त कर दिये जाते हैं। सन् १९४६ के युद्धबन्दियों से व्यवहार सम्बन्धी जेनेवा शान्ति-समय के अनुच्छेद ११८ में यह विशेष रूप से अनुबन्धित है कि क्रियाशील शत्रुतापूर्ण कार्यों के बन्द होने के उपरान्त युद्धबन्दी बिना विलम्ब के मुक्त तथा अपने देश को वापस कर दिये जायेंगे। इस अनुच्छेद का अक्षरशः प्रतिपालन कोरिया युद्ध में विराम-संधि के लिये मुख्य बाधक रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थों ने अनिच्छुक बन्दियों को बलपूर्वक कम्युनिस्टों को वापस करने में इस आधार आपत्ति पर की कि यदि बन्दियों को उन्मोचन के उपरान्त उत्पीडन दिया गया तो अभिसमय का प्रयोजन ही असफल हो जावेगा, किन्तु कम्युनिस्टों ने अनुच्छेद की शर्तों के अनुसार जो स्पष्ट हैं उत्तरी कोरिया निवासी तथा चीनी युद्धबन्दियों को समग्र रूप से कम्युनिस्ट प्रदेश को वापस किये जाने की मांग की। अनुच्छेद ११६ में वापस करने की प्रक्रिया विस्तृत रूप से दी गई है। मूल्यवान् वस्तुएँ जो युद्ध बन्दियों से छीन ली गईं हो उनको वापस कर देनी चाहिये। उनको अपने साथ अपने निजी असबाब को ले जाने की अनुमति है।

शत्रुता के कार्यों को बन्द होने के परिणामस्वरूप कूटनीतिक सम्पर्क पुनः आरम्भ हो जाता है। संधियों में जैसा कहा गया है क्षेत्रों के संयोजन के सम्बन्ध में स्पष्ट शर्तें रहती हैं, लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था न होने की दशा में व्यक्तिगत

सम्पत्ति वापस कर दी जाती है। किन्हीं नये जहाजों का अभिग्रहण तथा क्षेत्रों का दखल समुचित नहीं होता। शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर होने के उपरान्त पुनः अधि-याचन नहीं किये जा सकते, तथा चंदा नहीं लगाया जा सकता।

शान्ति की संधि यदि संधि में कोई विशिष्ट अनुबन्ध इसके विरुद्ध न हुआ हो तो युद्ध से पूर्व लिये गये श्रेणियों अथवा की गई क्षतियों पर आधारित दावों को पुनर्जीवित कर देती है।

यथाधृत (Uti Possidetis) — लॉरेंस का कथन है कि “युद्धस्थित शक्तियों के मध्य स्वतः यह माना गया है कि शान्ति-स्थापना तत्काल विद्यमान अधिकार की स्थिति को उस समय तक वैधकर देती है जब तक इसके विरुद्ध विशिष्ट उपबन्ध संधि में न दिये गये हों। यह ‘यथाधृत का सिद्धान्त’ (Uti Possidetis) कहलाता है। ऐसे नगर, जिले तथा सूबे जो शत्रु द्वारा युद्धस्थित दखल में हों विजय रूपी स्वत्व द्वारा उमके हो जाते हैं जब तक यह स्पष्ट रूप से न कहा गया हो कि उनका परित्याग कर दिया जाय। समुद्र में शत्रु से किये गये अभिग्रहण जो तब तक नौजितमाल न्यायालय द्वारा दोषयुक्त न ठहराये गये हों अभिग्रहण करने वाले की वैध सम्पत्ति हो जाती है, तथा भूमि पर ऐसी वस्तुओं का अभिग्रहण जिनका कि युद्धस्थित द्वारा विनियोग किया जाना युद्ध के नियमों के अनुसार स्वीकृत है, युक्तरूप से उसी की स्वत्व हो जाती है। (Lawrence : The Principles of International Law, p. 562)। यदि संधि में कोई विरुद्ध अनुबन्ध न हो तो विजित क्षेत्र अधिकारी के कब्जे में रह जाता है और उसे यह अधिकार रहता है कि उसे सयोजित कर ले। युद्धस्थित द्वारा अभिग्रहीत राज्य की सब चल-सम्पत्ति से लाभ उसी अधिकार में रह जाते हैं।

युद्ध-विराम सन्धि तथा युद्ध-विश्रान्ति सन्धि (Armistice and Truce) :—

शान्ति संधियों के पहले सामान्यतः युद्ध विराम संधियाँ होती हैं जो युद्धमानों के मध्य शत्रुतापूर्ण कार्यों के प्रस्थायी निलम्बन के लिए स्वीकारोक्तियाँ हैं। लॉरेंस के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के भीतर अल्प काल के लिये तथा एक निश्चित प्रयोजन पूरा करने के उद्देश्य से क्रियाशीलता बन्द कर देना यथा मुद्दों को गाड़ने के लिए सामान्यतः शस्त्र प्रयोग स्थगन कहलाता है, लेकिन इसको युद्ध विराम संधि कहना भी उसी के समान शुद्ध है तथा यही प्रयोग इसका आग्नभाषा में है। इसी प्रकार की स्वीकारोक्ति जो एक लम्बी अवधि तक विस्तृत हो तथा युद्ध के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू हो प्रायः युद्ध-विश्रान्ति संधि या ट्रूस के नाम से प्रचलित है।

सन् १९०७ के चतुर्थ हेग सम्मेलन से सलग्न भूमियुद्ध सम्बन्धी विधियाँ तथा रुडियों के विनियमों का अनुच्छेद ३७ सामान्य तथा स्यानीय विराम संधियों का भेद बतलाता है। सामान्य विराम संधियाँ युद्धस्थित राज्यों की सम्पूर्ण सैनिक क्रिया-

शीलता को प्रत्येक स्थान में स्वयं गत कर देती है, किन्तु स्थानीय विराम संधियाँ उनकी सैनिक क्रियाशीलता को केवल युद्धस्थित सेनाओं के कुछ भागों के बीच तथा एक नियत परिधि के भीतर ही स्थापित करती हैं।

युद्ध-विराम संधि से युद्ध की वैध स्थिति अप्रभावित रहती है। हेग विनियमों में यह व्यवस्था दी गई है कि पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा युद्ध विराम संधि का गम्भीर उल्लंघन पीड़ित पक्षकार को उसे भग करने का तथा आवश्यकता की दशा में शत्रुतापूर्ण कार्यों को तत्काल पुन आरम्भ करने का अधिकार देता है। यदि युद्ध विराम संधि की अवधि निश्चित न की गई हो, तो युद्धमानों में से कोई भी किसी क्षण क्रियाशीलता पुन आरम्भ कर सकता है, लेकिन उपबन्ध यह है कि वह अपने शत्रु को स्पष्ट तथा पर्याप्त सूचना दे।

सामान्य युद्ध-विराम संधि प्रधान सेनानायकों अथवा राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है, तथा इसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा सत्यापन अपेक्षित है। आंशिक अथवा स्थानीय युद्ध-विराम संधि किसी सेनानायक द्वारा की जा सकता है क्योंकि इसमें केवल वे ही सेना बल तथा स्थान सम्मिलित रहते हैं, जो उसके तात्कालिक समादेश के अधीन हैं। इस प्रसंग में सत्यापन आवश्यक नहीं है।

प्रथम विश्व युद्ध — प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों तथा जर्मनी के मध्य समझौता होने पर नवम्बर ११, सन् १९१८ को समाप्त हुआ। इस समझौते का नाम 'युद्ध विराम संधि' (Armistice) रखा गया। इस समझौते का नाम युद्ध-विराम संधि रखना शब्द का असुद्ध प्रयोग था क्योंकि यह एक प्रकार का आत्मसमर्पण था, तथा 'युद्ध समाप्ति' शीर्षक के अन्तर्गत पड़ता था।

द्वितीय विश्व युद्ध — द्वितीय विश्व युद्ध पराजित सेनाओं द्वारा अपने आपको बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने से समाप्त हुआ। इसके उपरान्त संधियाँ जिनसे युद्ध को समाप्ति हुई वे पराजित शक्तियों के साथ नहीं की गईं वरन् उनपर बलपूर्वक लादी गईं। जर्मनी के अनुयायी राज्यों के साथ पेरिस में फरवरी १०, सन् १९४७ को संधियाँ हस्तक्षरित की गईं। जर्मनी तथा आस्ट्रिया के साथ की गई संधियाँ एक और इङ्ग्लैण्ड और अमेरिका तथा दूसरी ओर रूस के मध्य मनुमुटाव के प्रभावशाली कारण बनी हैं। जापान की शान्ति संधि जिसके प्रवर्तक अमेरिका तथा ब्रिटेन थे सैनफ्रांसिस्को में हुये सम्मेलन में सितम्बर ८, सन् १९५१ को हस्ताक्षरित की गईं। रूस ने इस बात पर जापानी शान्ति-संधि की तीव्र आलोचना की कि इससे जापान का युद्धबन्दी के लिए पूर्णरूप से प्रोत्साहित करने की नीति प्रकट होती थी और इसे नए युद्ध का मसौदा नाम दिया गया। भारत ने जापान के साथ ९ जून, १९५२ को एक अलग शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर किए जिसे २७ अगस्त, १९५२ को अनुसमपित किया गया।

भाग ४ तटस्थता की विधि

अध्याय ४६

तटस्थता

(Neutrality)

परिभाषा — लोरेस तटस्थता की परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि यह वह स्थिति उन राज्यों की है जो युद्ध के समय मूठभेड़ में कोई भाग नहीं लेते किन्तु युद्धस्थित के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध जारी रखते हैं। तटस्थता एक अर्थ में पूर्व-कालिक स्थिति को जारी रखने का नाम है। युद्ध में प्रविष्ट होने से युद्धस्थित पारस्परिक सम्बन्धों को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन वे शक्तियाँ जो तटस्थ रहना पसन्द करती हैं याधियाँ में किसी से भी अपने सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं होने देती तथा दोनों पक्षकारों के समान रूप में मित्र बनी रहती हैं। तटस्थता एक स्थिति है जो केवल उसी दशा में विद्यमान रहती है जब युद्ध हो रहा है।

ओपेनहैम की तटस्थता की परिभाषा के अनुसार निष्पक्षता वह प्रवृत्ति है जो एक तीसरे राज्य द्वारा योधियों की ओर ग्रहण की जाय और योधियों द्वारा स्वीकृत की गयी हो तथा जिस (दृग) से निष्पक्ष राज्यों तथा योधियों के बीच अधिकार तथा कर्तव्य उत्पन्न होवे। (Neutrality is the attitude of impartiality adopted by third States towards belligerents and recognised by belligerents, such attitude creating rights and duties between the impartial States and the belligerents — Oppenheim)

अतः तटस्थता शब्द से यह व्यक्त होता है कि यह राज्य की वह वैध स्थिति है, जिससे वह दो या अधिक योधियों के मध्य युद्ध से अपने को अलग रखता है तथा निष्पक्षता का ढग धारण करता है। इस निष्पक्षता की अवस्था से निष्क्रिय निष्पक्षता अथवा अकर्मण्यता उपलक्षित नहीं होती परन्तु इससे एक तटस्थ राज्य को उसके अधिकारों के उल्लंघन किये जाने की अवस्था में अपनी सीमाप्राप्ति के संरक्षण करने तथा अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होता है। तटस्थता से यह भी सम्बद्ध नहीं है कि योधियों में से किसी से भी सम्बन्ध तोड़ दिये जायें। दूसरी ओर यह विधि तटस्थ राज्य को योधियों व विरुद्ध कुछ अधिकारों को प्रदान करती है तथा उसको रूढ़ विधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय से निर्धारित कुछ कर्तव्यों के पालन करने के लिये बाध्य करती है।

अतः विकरशील उन राज्यों को तटस्थ कहते हैं जो युद्धमान राज्यों में से किसी के साथ भी भाग न लें तथा जो उनमें से किसी से भी मैत्री की सधि से सम्बद्ध न हों। ("Those States are neutrals who take part with neither of the belligerent powers, and who are not bound to either by any alliance") यदि वे इस प्रकार से सम्बद्ध हो तो वे फिर तटस्थ नहीं बरन् मित्र हैं।

तटस्थता के भेद (Kinds of Neutrality).—अन्तर्राष्ट्रीय विधि में भिन्न भिन्न प्रकार की तटस्थता मान्य है। तटस्थता पूर्ण अथवा अपूर्ण (Perfect or Imperfect) हो सकती है। प्रत्येक सार्वभौम राज्य को यह अधिकार है कि उन युद्धों के सम्बन्ध में जिनमें अन्य राज्य सलग्न हों, पूर्ण तटस्थता रखें। पूर्ण तटस्थता को निरपेक्ष अथवा नैसर्गिक (Absolute or Natural) तटस्थता भी कहा जाता है। अपूर्ण तटस्थता उस दशा में पायी जाती है जब कोई राज्य भले ही तटस्थ हो, फिर भी युद्ध से पूर्व की गई हुई किसी सधि के परिणामस्वरूप योधियों में से किसी एक को प्रत्यक्षत अथवा अप्रत्यक्षत कुछ सहायता देने को बाध्य हो। इसको संप्रतिबंध तटस्थता (Qualified Neutrality) भी कहा जाता है। इसके उपरान्त चिरकालिक अथवा स्थायी (Perpetual or Permanent) तटस्थता होती है, जिसका उदाहरण स्विटजरलैण्ड है। तटस्थता के अन्य विभाजन इस प्रकार हैं—सामान्य तथा आंशिक तटस्थता (General and Partial Neutrality), स्वेच्छापूर्वक तथा अभिसमयात्मक तटस्थता (Voluntary and Conventional), सशस्त्र तटस्थता (जिसका अर्थ है सेना के स्थायी सज्जाकरण की दशा) (Armed Neutrality) तथा हितैषी तटस्थता (Benevolent Neutrality) जिससे यह प्रकट होता है कि राज्य यद्यपि तटस्थता का बहाना कर रहा है, तथापि उसका ढग पक्षपात युक्त है।

सन् १९०७ के हेग अभिसमय के अनुच्छेद २ में यह व्यवस्था दी गई है कि युद्ध की स्थिति की विद्यमानता तटस्थों को बिना विलम्ब के अधिसूचित कर दी जानी चाहिये तथा इसका प्रवर्तन उनके सम्बन्ध में उस समय तक न होगा जब तक कि अधिसूचना प्राप्त न हो जाय।

किसी युद्धस्थित द्वारा तटस्थता का केवल उल्लंघन तटस्थता को समाप्त नहीं करता बरन् यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन का एक कार्य है। तटस्थता का अन्त युद्ध की समाप्ति पर अथवा युद्धस्थित तथा तटस्थ राज्य के मध्य युद्ध छिड़ जाने से होता है।

तटस्थता तथा तटस्थीकरण (Neutrality and Neutralization) — यह विषय पूर्व प्रसंग में बखित किया जा चुका है।

तटस्थता सम्बन्धी आधुनिक धारणा :—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में तटस्थता की आधुनिक धारणा अज्ञात थी। उन दिनों युद्ध उचित अथवा अनुचित माने जाते थे। ग्रीशस का कथन है कि तटस्थों का कर्तव्य है कि वे ऐसा कोई कार्य न कर जिससे अन्यायपूर्ण कारण के लिये कार्य करने वालों को बल प्राप्त हो अथवा जिससे उसकी प्रगति में बाधा पड़े जो कि एक अन्यायोचित युद्ध लड़ रहा हो। किन्तु यदि कारण सदेहपूर्ण हो तो उन्हें दोनों पक्षकारों की ओर, उनको अपने देश के भीतर से जाने देने से, उनकी सेनाओं के लिये भोजन-सामग्री देने में तथा घिरे हुए को सहायता न पहुँचाने से अपनी निष्पक्षता प्रकट करनी चाहिये।

व्यापार के विकास तथा यातायात साधनों के उन्नत हो जाने से तटस्थता के विचार का महत्व और भी बढ़ा है तथा तटस्थ वाणिज्य और व्यापार के बिना अडचन के चालू रहने के लिये युद्ध को रोकना आवश्यक हो गया है।

उन्नीसवीं शताब्दी में विशिष्ट बातें जो तटस्थता विषयक हुईं, ये हैं — स्विटजरलैंड तथा बेलजियम का स्थायी तटस्थीकरण हुआ तथा पेरिस की घोषणा (१८५६) हुई जिसमें इस बात पर महत्व दिया गया कि शत्रु के जहाजों पर के माल का स्वायत्तीकरण न होना चाहिये।

हेग का द्वितीय सम्मेलन १९०७ (The Second Hague Conference 1907) :—हेग के द्वितीय शान्ति सम्मेलन में जो कि १९०७ में हुआ तटस्थता से सम्बन्धित दो अभिसमय थे। अभिसमय पाँच में तटस्थ शक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों का आरोपण किया गया था, तथा भूमि के उन निवासियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निरूपण था जो कि युद्ध के बीच पड़ गये हैं। अभिसमय १३ में नव युद्ध के समय तटस्थ राज्यों के अधिकार एवं कर्तव्य दिये गये थे।

अभिसमय पाँच अनुच्छेद एक में तटस्थ शक्तियों के राज्य क्षेत्र की अकाट्यता के सम्बन्ध में निरूपण किया गया है। इसी प्रकार उसके अनुच्छेदों १४ और १६ में तथा अनुच्छेद एक के तैरहवें अभिसमय में तटस्थ राज्यों के व्यापक अधिकारों की विवेचना की गई है।

कॉन्वेंशन १३ के अनुच्छेद १ में प्रवर्तित है कि युद्ध सलग्न राष्ट्र तटस्थ शक्तियों के सप्रभु अधिकार का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं और उन्हें तटस्थ क्षेत्र और तटस्थ जल सीमा में प्रवेश करने से अपने-आप को रोकना चाहिए, और ऐसे किसी भी कृत्य से अपने को रोकना चाहिए, जिसे कि यदि जान-बूझ कर किया जाय तो तटस्थता के उल्लंघन की सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद २ में उपबधित है कि शत्रुतापूर्ण किया गया कोई काम, जिसमें कि बंदीकरण और तलाशी का अधिकार

भी सम्मिलित है, जो कि युद्ध-संलग्न सैनिक पोतो द्वारा किसी तटस्थ शक्ति के क्षेत्रीय जल में किया जाता है, तो उसे तटस्थता के उल्लंघन की सजा दी जायेगी और कड़ाई के साथ ऐसे कृत्य निषेधित हैं। अनुच्छेद ३ में उपबधित है कि जबकि कोई पोत किसी तटस्थ शक्ति के क्षेत्रीय जल में पकड़ लिया जाता है और यदि लाभ की वस्तु अब भी उसके क्षेत्र में है तो उस तटस्थ शक्ति को अवश्य ही अपने हर-सम्भव साधनों का प्रयोग करके 'प्राइज', 'मार्फिसरो' और 'क्रू' सभी को मुक्त कर देने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुच्छेद ७ के अन्तर्गत एक तटस्थ शक्ति इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि दोनों में से किसी युद्ध-संलग्न शक्ति द्वारा शस्त्रों या सामान्यतः किसी भी ऐसी वस्तु के यातायात को अवश्य ही राके जिनका कि उपयोग युद्ध में किया जाना है। अनुच्छेद ८ के अन्तर्गत एक तटस्थ राष्ट्र को यथासंभव अपने साधनों का अवश्य ही इस आशय से प्रयोग करना चाहिये कि वह अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे सैनिक पोत की 'फिटिंग' और सैनिक साधनों आदि के लादने के काम को रोके, जिसके लिए उसके पास यह विश्वास करने का आधार है कि उसका उपयोग किसी मैत्रीपूर्ण राष्ट्र के विरुद्ध शत्रुता की कार्यवाही में प्रयोग किया जायेगा। अनुच्छेद १२ के अन्तर्गत, जब तक कि स्थानीय विधि में कोई प्रतिकूल विशिष्ट उपबन्ध न किया गया हो, युद्ध संलग्न सैनिक पोतो या युद्ध के अन्य अभिकरणों को एक तटस्थ राष्ट्र के बंदरगाहों, राजमार्गों या क्षेत्रीय जल में २४ घंटे से अधिक ठहरने की अनुमति नहीं है। कॉन्वेंशन में उल्लिखित विशिष्ट उपबन्ध यहाँ अपवाद माने जायेंगे। युद्ध संलग्न सैनिक पोतो को तटस्थ बंदरगाहों में केवल उनकी ही मरम्मत की अनुमति दी जा सकती है, जितने में कि वे समुद्र में चलने-योग्य हो सकें। कौन-सी मरम्मत आवश्यक हो गई है, इसका निर्णय तटस्थ शक्ति को ही करना है। (अनु० १७)। अनुच्छेद २१ के अन्तर्गत युद्ध में प्राप्त लाभ की मामलियों से युक्त पोत तटस्थ शक्ति की सीमा में केवल समुद्र के प्रकोप, मौसम की प्रतिकूलता या ईंधन की कमी आदि के आधार पर ही प्रवेश कर सकते हैं और ज्योंही ये परिस्थितियाँ अनुकूल हो, उन्हें वह सीमा छोड़ देनी होगी। कॉन्वेंशन की व्यवहृति केवल सविदात्मक पक्षकारों के बीच होगी और तभी जबकि सभी युद्ध-संलग्न शक्तियाँ कॉन्वेंशन की सदस्यता से युक्त हो।

लन्दन की घोषणा (The London Declaration) :—तटस्थता की विधि के सहिताकरण के प्रयत्न लन्दन नौसेना कांग्रेस में १९०८-९ में किया गया था। लन्दन की यह घोषणा सत्यापित न हो सकी। इसमें नाकाबन्दी से सम्बन्धित नियमों का तटस्थों के अधिकार के सम्बन्ध में प्रवर्तन का उल्लेख था। इसमें युद्ध के विनिषिद्ध (Contraband of War) को दो भागों, निषेध विनिषिद्ध (absolute Contraband) और सप्रतिबन्ध विनिषिद्ध (conditional contraband), में विभाजित कर दिया गया था।

अनुच्छेद ४८ में तटस्थ पोत जो कि बन्दी कर लिया गया है के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई है कि उसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि समुचित बन्दरगाह तक ले जाकर उसके बन्दीकरण के प्रश्न की वैधाना का निर्धारण किया जाना चाहिये । यदि नौजितमाल को बन्दरगाह तक ले जाने में बन्दी करने वाले को अपनी सुरक्षा खतरे में दिखाई पड़े तो नौजितमाल को नष्ट भी किया जा सकता है । यदि तटस्थ पोत का बन्दीकरण भवैध पाया गया तो बन्दी करने वाला समुचित पक्षकार को मुमावजा देगा भले ही पोत के विनाश का कारण न्यायोचित रहा हो । इसी प्रकार से अनुच्छेद ५६ व ५७ में भी तटस्थ पोत के भंडे, नाकाबन्दी, आदि के सम्बन्ध में विस्तृत उपबंध किये गये हैं ।

अनुच्छेद ५६ के अन्तर्गत किसी युद्ध-संलग्न शक्ति द्वारा अपने किसी भी पोत का किसी तटस्थ ध्वज में हस्तान्तरण उस समय प्रभावशून्य होगा, यदि वह हस्तान्तरण किसी समुद्री यात्रा या किसी संरोधित (Blockaded) बन्दरगाह में किया जाता है, या उस पोत को फिर से खरीद लेने या प्राप्त कर लेने का अधिकार हस्तान्तरकर्ता द्वारा भारतीय कर दिया गया है, या नागरिक विधि की बांध्यनीयता, जो कि जिस ध्वज के साथ वह पोत जा रहा था, उसके अधिकार को नियंत्रण करने के संबंध में है, पूरी नहीं हुई है ।

घोषणा के अनुच्छेद ५७ में कहा गया है कि किसी पोत की तटस्थता या शत्रुता का निर्धारण उस ध्वज से होगा, जिसके साथ वह जाने के लिए प्राधिकृत है, जब कि किसी शत्रु-पोत में पाये गये माल का निर्धारण उस पोत के स्वामी की तटस्थता या शत्रुता की प्रकृति से किया जायेगा ।

१९वीं शताब्दी में तटस्थता संयुक्त राज्य की तटस्थ प्रकृति से, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रभावित थी । साथ ही इस पर स्विटजरलैंड और बेल्जियम के स्थायी तटस्थीकरण, और १८५६ की पेरिस-घोषणा का भी तटस्थता पर विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है ।

प्रथम विश्वयुद्ध :—प्रथम विश्वयुद्ध में यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह घोषित किया था कि उसके सम्बन्ध युद्ध में संलग्न शक्तियों के साथ मैत्री तथा सौहार्द के हैं तथापि युद्ध के विनाशकारी शस्त्रों विशेषतः पनडुब्बियों और नाकेन्द्रियों तथा प्रतिपिंड वस्तुओं के अभिग्रहण सम्बन्धी मोघियों के बढ़े हुए अधिकारों के कारण समुद्र की स्वतन्त्रता बनाये रखना और तटस्थ व्यापार का संरक्षण असंभव प्रतीत हुआ । जर्मनी की इस घोषणा के उपरान्त कि सब जहाज राष्ट्रीयता की अपेक्षा बिना जो एक निर्धारित क्षेत्र के भीतर पाये जायेंगे उन्हें द्वारा डुबा दिये जायेंगे, अमेरिका ने ६ अप्रैल सन् १९१६ को युद्ध घोषित कर दिया ।

भी सम्मिलित है, जा कि युद्ध-सलग्न सैनिक पोता द्वारा किसी तटस्थ शक्ति के क्षेत्रीय जल में किया जाता है, तो उसे तटस्थता के उल्लंघन की गणा दी जायेगी और वहाई व साथ ऐस टुन्य निर्येधित हैं । मनुच्छेद ३ में उरवधित है कि जबकि कोई पोत किसी तटस्थ शक्ति व क्षेत्रीय जल म पवड किया जाता है और यदि लाभ की वस्तु प्रव भी उरव शत्रु म है तो उर तटस्थ शक्ति को प्रवश्य ही प्रान हर-सभव साधना का प्रयाग करव 'प्राइड', 'माफिंगरा' और 'ट्रू' गभी को मुक्त कर देन का प्रयत्न करना चाहिए । मनुच्छेद ७ व मन्तर्गत एक तटस्थ शक्ति इस बात के लिए वाध्य नहीं है कि शानो म स किसी युद्ध-सलग्न शक्ति द्वारा शम्ना या सामान्यत किसी भी एनी वस्तु व यातामान को प्रवश्य ही राक जिनरा कि उरयोग युद्ध म किया जाता है । मनुच्छेद ८ क मन्तर्गत एक तटस्थ राष्ट्र का मयासभव प्रान साधना का प्रवश्य ही इस माशय रा प्रयोग करता चाहिये कि वड प्रपने दोत्राधिकार में एमे सैनिक पोत की 'फिटिंग' और सैनिक साधना घादि के सादने के काम को रोम, जिनके लिए उसके पास यह विरुदास करने का माधार है कि उनका उरयाग किसी मेशीपूर्ण राष्ट्र क विरुद्ध शत्रुता की कायवाही में प्रयोग किया जायेगा । मनुच्छेद १० के म तर्गत, जब तक कि स्थानीय विधि में कोई प्रतिभूल विशिष्ट उपबन्ध न किया गया हो, युद्ध सलग्न सैनिक पोता या युद्ध के अन्य मभिनरणा को एक तटस्थ राष्ट्र के वदरगाहा, राजमागी या क्षेत्रीय जल म २४ घटे से प्रथिव ठहरने को अनुमति नहीं है । काँ वेंशन म उल्लिखित विशिष्ट उपबध यहाँ मपवाद माने जायेंगे । युद्ध सलग्न सैनिक पोता को तटस्थ वदरगाहो म केवल उननी ही मरम्मत की अनुमति दी जा सकती है, जितने म कि वे समुद्र म चलने योग्य हो सकें । कौन-सी मरम्मत प्रावश्यक हा गई है, इसका निर्णय तटस्थ शक्ति को ही करना है । (मनु० १७) । मनुच्छेद २१ के मन्तर्गत युद्ध में प्राप्त लाभ की मामग्रिया से युक्त पोत तटस्थ शक्ति की सीमा में केवल समुद्र क प्रकोप, मौसम की प्रतिकूलता या ईंधन की कमी मादि के माधार पर ही प्रवेग कर सकते हैं और उकोही ये परिस्थितियाँ मनुकूल हो, उ-हें वह सीमा छोड देनी होगी । काँ वेंशन की व्यवहृति केवल सविदात्मक पक्षकारो के बीच होगी और तभी जबकि सभी युद्ध सलग्न शक्तियाँ काँ वेंशन की सदस्थता से युक्त हो ।

लन्दन की घोषणा (The London Declaration) —तटस्थता की विधि के सहितावरण क प्रयत्न लन्दन नौसेना काफेस में १९०८ ६ में किया गया था । लदन की यह घोषणा सत्याकित न हो सकी । इसमें नाकाब दी से सम्बन्धित नियमो का तटस्थो के अधिकार के सम्बन्ध में प्रवर्तन का उल्लेख था । इसमें युद्ध के विनिषिद्ध (Contraband of War) को दो भागो, निर्येक्ष विनिषिद्ध (absolute Contraband) और सप्रतिबन्ध विनिषिद्ध (conditional contraband), में विभाजित कर दिया गया था ।

को प्रवर्तित न करने के उपायों की व्यवस्था नहीं की गई। यह प्रश्न उठा कि क्या किसी हस्ताक्षर करने वाले द्वारा पैक्ट के अनुबंधों का उल्लंघन किये जाने पर अन्य राज्य उससे विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने को बाध्य हैं? इस सन्धि के बहुमुखी होने के कारण यह अनुमान किया जा सकता था कि प्रत्येक मविदाकार पक्षकार सन्धि के मधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करने को बाध्य है। इस प्रकार किसी हस्ताक्षर करने वाले राज्य द्वारा सन्धि के उल्लंघन किये जाने की दशा में उसे प्रतिकार करना पड़ता था। ऐसे उपायों के हान पर उनका विरोध परम्परागत निष्पक्षता की अवस्था से उत्पन्न होता था। केन्सलन तटस्थता पर पैक्ट के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहते हैं, "इस प्रकार तटस्थ राज्य अर्थात् उस राज्य का जो कि अन्य राज्यों के बीच के युद्ध में सम्मिलित नहीं है, यह कतव्य कि योधियों के सम्बन्ध में कठोर निष्पक्षता का दृष्टिकोण ग्रहण करे, उस दशा में जब युद्ध राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में लड़ा जाय, पैक्ट के पक्षकारों के बीच के सम्बन्ध के विषय में वैध नहीं है।"

"Thus the obligation of a neutral State, that is, a State not involved in the war between other States, to adopt an attitude of strict impartiality toward the belligerents is not valid in the relationship among the parties to the pact in case of war waged as an instrument of national policy"—Kelsen

स्पेन का गृह युद्ध (Spanish Civil War) —स्पेन के गृह-युद्ध (१९३६-३९) में यद्यपि जर्मनी तथा इटली तटस्थता बनाये रहे फिर भी उन्होंने जनरल फ्रैंको के कार्य का समर्थन छुले रूप में किया तथा उसे युद्ध सामग्री प्रदान की। फ्रांस तथा रूस ने भी हस्तक्षेप न करने की भाँड में जनतंत्रवादियों की अधिकाधिक परिमाण में युद्ध-सामग्री प्रदान की।

पनामा की घोषणा (Declaration of Panama) .—पनामा में एक सम्मेलन सितम्बर २३ और अक्टूबर ३, १९३९ को किया गया जिसमें २१ अमेरिकी गणराज्यों ने जिसमें कि समुक्त राज्य भी था एक साधारण घोषणा की जिसने इस आवश्यकता को स्वीकार किया कि एकता की एक सामान्य प्रवृत्ति अपनायी जाय, जो कि Buenos Aires Treaty १९३६ और Declaration of Lima of 1938 में निहित है। उन सबका अनुशीलन उस समय किया जाय जबकि अमेरिकी सुरक्षा को योरोपीय संधियों के कारण खतरा होने की सम्भावना हो। घोषणा में यह कहा गया कि व्यवहार के कुछ ऐसे नियम बनाये जाय जो कि अमेरिकी गणराज्य प्रस्तावित करें और जो तटस्थ राज्य की स्थिति के लिये आवश्यक हो तथा तटस्थ के कर्तव्यों को पूरा करें।

लीग आफ नेशन्स के अधीन तटस्थता:—लीग आफ नेशन्स के अभिसमय ने दो प्रकार के युद्ध सामने रखे अर्थात् प्रथम वे युद्ध जिनसे अभिसमय के वर्तव्यो की उपेक्षा नहीं होती थी अर्थात् जिनका अवलम्बन भगडो के शान्तिपूर्ण समझौते के उपायो को करने के उपरान्त किया जाता था तथा द्वितीय वे युद्ध जिनसे अभिसमय के कर्त्तव्यो की उपेक्षा होती थी। प्रथम दशा में अभिसमय ने लीग के अन्य सदस्यो के ऊपर कोई कर्त्तव्यनहीं आरोपित किया तथा उनको 'तटस्थता' शब्द के परम्परागत अर्थ में बनाये रखने को स्वतंत्र छोड़ दिया।

दूसरी दशा में जहाँ कि युद्ध का अवलम्बन भगडो को तय करने के सम्पूर्ण शान्तिपूर्ण साधनो को बिना अन्त किये हुए ही किया जाय, अभिसमय का बड़ा ही प्रभाव पड़ा। अनुच्छेद १६ में यह व्यवस्था की गई है कि "यदि लीग का कोई सदस्य अनुच्छेद १२, १३ अथवा १५ के अन्तर्गत अपनी प्रतिज्ञामो की उपेक्षा करके युद्ध का आश्रय ग्रहण करे तो उसके द्वारा लीग के सब सदस्यो के विरुद्ध वास्तव में एक युद्ध का कार्य किया हुआ समझा जायगा और वे इसके द्वारा प्रतिज्ञा करते हैं कि वे तत्काल उसमें सब व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध तोड़ देगे, अपने राष्ट्रीय-जनो तथा प्रतिज्ञा भग करने वाले राज्य के राष्ट्रीयजनो के मध्य सब सम्पर्क भग कर दगे तथा प्रतिज्ञा भग करने वाले राज्य के राष्ट्रीयजनो तथा किसी भी अन्य राज्य के राष्ट्रीयजनो के मध्य चाहे वह लीग का सदस्य हो अथवा नहीं सब आर्थिक, व्यापारिक अथवा वैयक्तिक सम्पर्क रोक दगे।" सदस्यो से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे ससद के अमिस्ताव के अनुसार लीग की प्रतिज्ञामो के सरक्षण के लिए उपयोग में लाये जाने वाले सशस्त्र बलों के लिए अपना अशभाग अलग-अलग प्रदान करेगे। इसके अनन्तर सदस्यो से यह अपेक्षा की गई थी कि वे प्रतिज्ञा भग करने वाले राज्य द्वारा उन सदस्यो में से किसी के विरुद्ध प्रयोग में लाये गये किन्ही विशिष्ट उपायो के प्रतिकार करने में परस्पर एक दूसरे की सहायता करेंगे तथा लीग के किसी सदस्य के सैनिक बलों को अपने क्षेत्र में से आने-जाने देगे जो लीग की प्रतिज्ञामो के सरक्षण के लिये कार्य कर रहे थे। प्रतिज्ञा में ऐसे उपायो के समावेश किये जाने का परिणाम स्पष्ट रूप से "पूर्ण निष्पक्षता की अवस्था का परित्याग तथा तटस्थता का उल्लंघन करना था।",

तटस्थता तथा केलोग-ब्रिआड पैक्ट (Neutrality and the Kellogg-Briand Pact) :—सन् १९२८ के केलोग-ब्रिआड पैक्ट के अन्तर्गत जो एक बहुमुखी सन्धि थी हस्ताक्षर करने वाले राज्यों ने जो ससार के प्रायः सभी राष्ट्रों ने युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय भगडो को निपटाने के साधन रूप में निन्दा की, तथा यह प्रतिज्ञा की कि ऐसे भगडों को शान्तिपूर्ण उपायो से निपटायेंगे। पैक्ट में इन कर्त्तव्यो

को प्रवृत्त न करने के उपायो की व्यवस्था नहीं की गई। यह प्रश्न उठा कि क्या किसी हस्ताक्षर करने वाले द्वारा पैक्ट के अनुबन्धों का उल्लंघन किये जाने पर अन्य राज्य उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने को बाध्य हैं ? इस सन्धि के बहुमुखी होने के कारण यह अनुमान किया जा सकता था कि प्रत्येक सविदाकार पक्षकार सन्धि के अधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करने को बाध्य है। इस प्रकार किसी हस्ताक्षर करने वाले राज्य द्वारा सन्धि के उल्लंघन किये जाने की दशा में उसे प्रतिकार करना पड़ता था। ऐसे उपायो के होने पर उनका विरोध परम्परागत निष्पक्षता की अवस्था से उत्पन्न होता था। केलसन तटस्थता पर पैक्ट के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहते हैं : "इस प्रकार तटस्थ राज्य अर्थात् उस राज्य का जो कि अन्य राज्यों के बीच के युद्ध में सम्मिलित नहीं है, यह कर्तव्य कि योधियों के सम्बन्ध में कठोर निष्पक्षता का दृष्टिकोण ग्रहण करे, उस दशा में जब युद्ध राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में लड़ा जाय, पैक्ट के पक्षकारों के बीच के सम्बन्ध के विषय में वैध नहीं है।"

"Thus the obligation of a neutral State, that is, a State not involved in the war between other States, to adopt an attitude of strict impartiality toward the belligerents is not valid in the relationship among the parties to the pact in case of war waged as an instrument of national policy."—Kelsen.

स्पेन का गृह युद्ध (Spanish Civil War) :—स्पेन के गृह-युद्ध (१९३६-३९) में यद्यपि जर्मनी तथा इटली तटस्थता बनाये रहे फिर भी उन्होंने जनरल फ्रैंको के कार्य का समर्थन खुले रूप में किया तथा उसे युद्ध सामग्री प्रदान की। फ्रांस तथा रूस ने भी हस्तक्षेप न करने की भाँड में जनतंत्रवादियों को अधिकाधिक परिमाण में युद्ध-सामग्री प्रदान की।

पनामा की घोषणा (Declaration of Panama) :—पनामा में एक सम्मेलन सितम्बर २३ और दिसम्बर ३, १९३६ को किया गया जिसमें २१ अमेरिकी गणराज्यों ने जिसमें कि संयुक्त राज्य भी था एक साधारण घोषणा की जिसने इस आवश्यकता को स्वीकार किया कि एकता की एक सामान्य प्रवृत्ति अपनायी जाय, जो कि Buenos Aires Treaty १९३६ और Declaration of Lima of 1938 में निहित है। उन सबका अनुशीलन उस समय किया जाय जबकि अमेरिकी सुरक्षा को भूरोपीय संधियों के कारण खतरा होने की सम्भावना हो। घोषणा में यह कहा गया कि व्यवहार के कुछ ऐसे नियम बनाये जाय जो कि अमेरिकी गणराज्य प्रस्तावित करें और जो तटस्थ राज्य की स्थिति के लिये आवश्यक हों तथा तटस्थ के कर्तव्यों को पूरा करें।

पनामा की घोषणा का महत्त्व :—पनामा की यह घोषणा मुनरो सिद्धान्त का ही एक विस्तार था क्योंकि अब इसे एक महाद्वीपी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया गया था । अभी तक यह समुक्त राज्य की ओर से एकपक्षीय नीति थी । मुनरो का सिद्धान्त राष्ट्रपति मुनरो द्वारा २ दिसम्बर १८२३ को कांग्रेस में दिया गया एक सन्देश था जिसमें अमेरिका की नीति का एक सिद्धान्त था जो कि योरोप की ओर से अमेरिकी महाद्वीप के राजनीतिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप का बहिष्कार करता था । पनामा की घोषणा ने इस सिद्धान्त को २१ अमेरिकी गणराज्यों के एक सामूहिक दायित्व के रूप में परिणित कर दिया जिससे यदि किसी बाहरी शक्ति द्वारा उनके किसी भीतरी मामले में हस्तक्षेप हो तो वे अपनी सुरक्षा कर सकें ।

घोषणा ने तटस्थ सुरक्षा के एक नये नियम का प्रतिपादन किया जैसे अमेरिकी गणराज्यों का सुरक्षा-क्षेत्र तक दावा । एक आत्म-सुरक्षा के अधिकार के रूप में यह भी घोषणा की गई कि युद्धस्थित राज्यों के हितों को तटस्थ राज्य क्षेत्रों के अधिकार पर हावी नहीं होने दिया जायेगा ।

इससे तटस्थ गणराज्यों को एक नया अधिकार मिला क्योंकि हस्ताक्षर करने वाली शक्तियों के लिये यह मार्ग खुल गया कि वे आपातक परिस्थितियों में इस बात का परामर्श करें कि वे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से घोषणा की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन-सा कदम उठावे ।

घोषणा में आने यह व्यवस्था दी गई थी कि—“अगर शान्ति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिये क्षेत्रीय जलभाग में सामूहिक शक्ति का प्रयोग करना हो तो अमेरिकी गणराज्यों को यह अधिकार है कि वे ऐसे युद्ध स्थित पक्षधारों के लिये जो उनके दावों का सम्मान न करे, अपने बन्दरगाहों को बन्द कर सकते हैं और इससे किसी प्रकार की शिकायत का आधार नहीं उपस्थित होता । घोषणा में शत्रुता के कार्य में लगे हुये योद्धियों के विरुद्ध समुक्त प्रतिवेदन का अधिकार दिया गया है ।

द्वितीय विश्वयुद्ध (Second World War) :—सन् १९३९ तथा १९४० में जब रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण किया तो यह अतटस्थता-व्यवहार भिन्न-भिन्न राज्यों की ओर से पाया गया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से फिनलैंड को सहायता प्रदान की । द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका ने तटस्थता बनाये हुये जर्मनी द्वारा आक्रान्त तटस्थ देशों के परिसम्पत्ति (assets) को निरबालन करने (freeze) के उपायों का अवलम्बन किया । उसने ग्रेट ब्रिटेन को घन तथा युद्ध-सामग्री देकर क्रियात्मक रूप में सहायता की । “नगद तथा ले जाओ” योजना जो अमेरिकी

तटस्थ अधिनियम सन् १९३६ के अधीन बनाई गई थी तथा उधार पट्टा अधिनियम सन् १९४१ के पारित करने के माध्यम से उसने ग्रेट ब्रिटेन को विशाल परिमाण में बमबर्षक तथा विध्वंसक दिये । संयुक्त राज्य अमेरिका ने आत्म-संरक्षण के आधार पर तटस्थता की परम्परागत नीति से इस विचलन का औचित्य स्थापित किया । लेकिन उसके आचरण का पूर्णतः विचार करने पर उससे सप्रतिबन्ध तटस्थता का उदाहरण मिलता है जिसमें एक युद्धस्थित के विरुद्ध भेदभाव प्रकट किया गया है जिसने युद्ध का भाग्य लेकर अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन किया था ।

चार्टर के अन्तर्गत तटस्थता (Neutrality under the Charter):—
 संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद २ (५) सब सदस्यों पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी कार्यवाही में जो यह चार्टर के अनुसार करे, प्रत्येक सहायता देंगे तथा किसी ऐसे राज्य को सहायता देने से अपने को रोक रखेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ निवारक अथवा प्रवृत्तिकारक कार्यवाही कर रहा हो । अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत सदस्यों ने सुरक्षा परिषद् के निर्णयों को मानना तथा उनका पालन करना स्वीकार कर लिया है । अनुच्छेद ४१, ४२ तथा ४३ ने अपने भिन्न-भिन्न उपबन्धों से तटस्थता का विचार एक वैध पद्धति के रूप में ही समाप्त कर दिया । अनुच्छेद ४१ सदस्यों को बाधित करता है कि यदि सुरक्षा-परिषद् अपेक्षित करे तो वे ऐसे उपायों को प्रयोग में लायें जैसे कि "भाषिक संबंधों तथा रेल, समुद्र, वायु, डाक, तार, रेडियो तथा अन्य यातायात साधनों का पूर्ण अथवा आंशिक अवरोध और राजनयिक सम्बन्धों का विच्छेद ।" यदि सुरक्षा-परिषद् के विचार में उपर्युक्त उपाय अपर्याप्त हो तो वह अनुच्छेद ४२ के अन्तर्गत वायु, समुद्र अथवा भूमि सेना से ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जैसी कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखने अथवा उसके पुनः स्थापित करने के लिये आवश्यक हो । इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की वायु, समुद्र अथवा भूमि बलों की क्रियाशीलता भी सम्मिलित है । अन्त में अनुच्छेद ४३ में यह व्यवस्था की गई है कि "संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित रखने में अपना भाग देने के लिये यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे सुरक्षा परिषद् के माँगने पर अथवा किसी विशेष स्वीकारोक्ति अथवा स्वीकारोक्तियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये सैनिक बल, सहायता तथा सुविधायें प्रदान करेंगे ।" ("All members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance and facilities, including rights of

passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security ")

चार्टर के अनुच्छेद ४८ में यह और व्यवस्था की गई है कि "अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा सस्थापना के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् के निर्णयों के निष्पादन के लिये जो कार्यवाही अपेक्षित है वह सुरक्षा परिषद् के समस्त सदस्यों अथवा उनमें से कुछ ही के द्वारा की जावेगी जैसा सुरक्षा परिषद् निश्चय करे।" ("The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine") इस अनुबन्ध का यह प्रभाव है कि संयुक्त राष्ट्र सभ के कुछ सदस्य तो अग्रघर्षक के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष में आ जाते हैं तथा अन्य सदस्यों की जिन्हें सुरक्षा परिषद् अपने निर्णयों को पालन करने के लिये सहायता देने के लिये नहीं बुलाती, युद्धस्थित के साथ शान्ति अथवा कम से कम अयुध्यमानता रहती है।

अन्त में अनुच्छेद ५१ में तटस्थता को भी यह अनुमति दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण की दशा में वे भी वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मसंरक्षण में भाग ले सकते हैं। इस अनुच्छेद का लक्ष्य सशस्त्र आक्रमण से पीड़ित व्यक्ति को सहायता पहुँचाना है। अनुच्छेद में उल्लिखित है कि "इस चार्टर में दी गई कोई भी बात संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध किए गए आक्रमण की दशा में वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मसंरक्षण के अधिकार को उस समय तक क्षीण न करेगी जब तक कि सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की सस्थापना के लिये आवश्यक उपाय न कर ले।" केलसन का कथन है कि "इस उपबन्ध की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि संयुक्त राष्ट्र सभ के तटस्थ सदस्यों को चार्टर द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वे उस राज्य के विरुद्ध जो सशस्त्र आक्रमण करने का दोषी हो केवल युद्ध ही नहीं, वरन् ऐसे प्रवृत्ति-विषयक कार्य कर सकते हैं, जिनमें सशस्त्र बलों का प्रयोग न करना पड़े लेकिन वे सशस्त्र आक्रमण से उत्पीड़ित ऐसे राज्य के विरुद्ध जो प्रतियुद्ध (counter-war) लड़ रहा हो, प्रवृत्तिविषयक कार्य नहीं करा सकते चाहे उनमें सशस्त्र बल का प्रयोग करना पड़े अथवा नहीं। यदि यह व्याख्या ठीक मान ली जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि का वह सामान्य नियम रद्द हो जाता है जिसके द्वारा तटस्थ राज्यों पर निष्पक्षता का वर्तमान ढाला गया है।" (Principles of International Law, p 87).

सक्षेप में जैसा ओपेनहेम ने कहा है “यद्यपि चार्टर ने सयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के तटस्थ रहने के अधिकार को निश्चित रीति में प्रभावित किया है तथापि इसने सयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के मध्य के अथवा असदस्यों के मध्य के अथवा सदस्यों तथा असदस्यों के मध्य के युद्धों में तटस्थता के उनके अधिकार को वस्तुतः समाप्त नहीं कर दिया है। सिद्धान्त में सयुक्त राष्ट्र सभ का कोई भी सदस्य किसी ऐसे युद्ध में अपनी स्वेच्छा से तटस्थ रहने का अधिकार नहीं रखता जिसमें सुरक्षा परिषद् ने किसी विशिष्ट राज्य को शान्ति भंग करने अथवा किसी अग्रघर्षक कार्य के लिये दोषी ठहराया हो, तथा जिसमें इसने सयुक्त राष्ट्र सभ के सम्बन्धित सदस्य को उस राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने अथवा युद्ध से अभिन्न सैनिक कार्य-वाही करने के लिए आहूत किया हो।” (*International Law, Vol 2, 7th Ed, p 647*)

जून २७, सन् १९५० को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसके द्वारा सयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों से यह अभिस्ताव किया गया कि वे उस क्षेत्र में जो प्रकट में चार्टर के अनुच्छेद ५१ के उपबन्धों के अन्तर्गत था कोरिया के गणतन्त्र को ऐसी सहायता प्रदान कर जैसी सशस्त्र आक्रमण को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक हो लेकिन इसके सदस्यों से जो प्रयुक्तर मिला उसे हम बहुत उत्साहवर्धक नहीं कह सकते जिससे यह अनुमान किया जा सके कि जब कभी सुरक्षा परिषद् चार्टर के अनुच्छेद ४१ अथवा ४२ के अन्तर्गत प्रवृत्तिविषयक उपाय करे तो उसके अनुसरण में उपयुक्त वर्णित वैध परिणाम अवश्य ही होंगे।

तटस्थता और आवश्यकता का सिद्धान्त (*Neutrality and the Doctrine of Necessity*) — तटस्थता का दृढ़ रूप में पालन करना सैनिक आवश्यकताओं के कारण प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में भंग होता रहा है। ‘जमोरा’ में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कुछ प्रतिबन्धों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत युद्धस्थित को अधिकार है कि वह पोट और परस्पर-सामग्री को नौजितमाल न्यायालय के निर्णय के पूर्व कि इसे दरिद्रत किया जाय अथवा मुक्ति प्रदान की जाय, अभिग्रहण कर ले।

तटस्थों के अधिकार तथा कर्तव्य (*Rights and Duties of Neutrals*) — ओपेनहेम बतलाते हैं कि युद्धकाल में तटस्थ राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों दोनों का तटस्थ अथवा युद्धस्थित के दृष्टिकोण से यथाक्रम विचार करने पर उनको निष्पक्षता तथा सहर्ष स्वीकृति में सक्षिप्त किया जा सकता है। तटस्थों के अधिकार युद्धस्थित द्वारा उनके साथ व्यवहार में किए जाने वाले कर्तव्यों से परस्पर

सम्बद्ध हैं। तटस्थ राज्यों का यह अधिकार है कि प्रत्येक योधी से निष्पक्षता के ढंग से व्यवहार करने की माँग करे। इसी प्रकार तटस्थों का योधियों के प्रति यह कर्तव्य है कि वे युद्ध स्थित को तटस्थ क्षेत्रों तथा द्रव्यसाधनों का उपयोग उनके सैनिक तथा नाविक प्रयोजनों के लिए न करने देने से निष्पक्ष बने रहें। इसी प्रकार तटस्थ राज्यों का यह अधिकार है कि युद्धस्थित से यह माँग करें कि उसका (तटस्थ) शत्रु से बिना किसी हस्तक्षेप के सम्पर्क विशेषतः व्यापार का बना रहे। दूसरी ओर तटस्थ राज्यों को युद्धस्थित की ओर से बहुत सी कार्यवाहियों को शान्त रूप से सहन करना पड़ेगा जो वे शान्ति के समय में न करते। तटस्थ जहाजों को युद्धस्थित के उनको देखने तथा ढूँढने के अधिकारों को विनम्र भाव से स्वीकृत करना पड़ता है चाहे यह कितना ही दुःखद तथा उद्वेगपूर्ण बयो न हो। प्रत्येक योधी को यह भी अधिकार रहता है कि तटस्थ राज्य के प्रजाजनों को नाकाबन्दी तोड़ने, विनिषिद्ध वस्तुओं को ले जाने तथा अतटस्थ सेवा के लिए दड दे।

प्रोफेसर लॉरेस ने तटस्थों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को विस्तृत रूप से यथाक्रम गणना की है जिस पर नीचे विचार किया जा रहा है :—

तटस्थ राज्य के अधिकार अथवा युद्धस्थित राज्य का तटस्थ राज्य के प्रति कर्तव्य (Rights of a Neutral State or the Duties of a Belligerent towards a Neutral State) —लॉरेस के मतानुसार ये पाँच हैं :—

१. अपने राज्य क्षेत्र को शत्रुतापूर्ण कार्यों से मुक्त रखना—शत्रुतापूर्ण कार्य युद्धस्थित में से किसी के क्षेत्र में, छुले समुद्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों में जो किसी के भी अधिकार में न हो किये जा सकते हैं। तटस्थ क्षेत्र की भूमि तथा तटस्थ क्षेत्र के क्षेत्रीय जलभाग अस्पृश्य माने जाते हैं। सन् १९०७ के हेग अभिसमय में भूमियुद्ध में तटस्थता के सम्बन्ध में घोषित किया गया है कि “तटस्थ शक्तियों का प्रवेश अनुल्लघनीय है” (अनुच्छेद २) तथा समुद्रीय युद्ध सम्बन्धी तदनु रूप अभिसमय में यह घोषित किया गया है कि “कोई शत्रुतापूर्ण कार्य जिसमें युद्धस्थित के युद्धपोत द्वारा तटस्थ क्षेत्र के क्षेत्रीय जलभागों में अभिग्रहण तथा ढूँढने के अधिकार का प्रयोग भी सम्मिलित है, तटस्थता का उल्लंघन करता है तथा सर्वदा निषिद्ध है।” (अनुच्छेद २)। केवल अत्यधिक आवश्यकता ही इन हितकर सिद्धान्त के प्रस्थापी उल्लंघन का भोचिर्य सिद्ध कर सकती है लेकिन ऐसी आवश्यकता बहुत ही बड़ी होनी चाहिए जो आत्मसंरक्षण की सीमा तक पहुँच जाय, तथा स्पष्टीकरण और क्षतिपूर्ति यदि कोई हो, उसके सहित व्यथित तटस्थ को तत्काल समर्पित करनी चाहिये।

२. अपने समुद्र के गर्भ में स्थित समुद्र तार (cables) के साथ जहाँ तक सम्भव हो उपद्रव न होने देना—जहाँ कोई केबिल किसी युद्धस्थित क्षेत्र के किसी तटस्थ के क्षेत्र से जोड़ता हो वहाँ उसे युद्धस्थित द्वारा अभिग्रहीत अथवा विनिष्ट नहीं करना चाहिए, जब तक यह न पाया जाय कि वह युद्धकारी के आत्मसंरक्षण के लिए परम आवश्यक है, अथवा जब युद्धकारी को वास्तविक भय इस बात का हो कि वह उसके विरुद्ध हानिकारक रूप में उपयोग किया जायेगा। सन् १९०७ में यथा रूप-भेदित भूमि युद्ध सम्बन्धी हेग संहिता के अनुच्छेद ५४ में यह उपबन्धित है कि समुद्र के गर्भ में स्थित केबिल जो युद्धस्थित के अधिकार में स्थित क्षेत्र को तथा तटस्थ क्षेत्र को जोड़े, अत्यधिक आवश्यकता के कारण बाध्यता को छोड़कर अन्य किसी दशा में अभिग्रहीत अथवा विनिष्ट नहीं करना चाहिए। यदि वे काट दिए जाय तो उनको वापस कर देना चाहिए तथा शान्ति स्थापित होने पर क्षतिपूर्ति का प्रबन्ध करना चाहिये।

३. शत्रुतापूर्ण कार्यों की प्रत्यक्ष तैयारी से अपने प्रदेश को उन्मुक्त रखना—सन् १९०७ के पंचम तथा त्रयोदश हेग अभिसमय के भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध सट्टा अभियानों की तटस्थ सीमाओं के भीतर सुसज्जित नहीं होना चाहिये, और न तटस्थ भूमि अथवा जलभाग शत्रु के विरुद्ध क्रियाशीलता के झड्डे बनाना चाहिए। तटस्थ क्षेत्र में योद्धादलों की सख्या न तो बढ़ाई जानी चाहिए, न उनकी भर्तियों की जानी चाहिए तथा न वहाँ पर युद्धस्थित के युद्धपोतों द्वारा शस्त्रों तथा युद्ध-सट्टा सामग्रियों अथवा अन्य सामग्रियों का संचय करना चाहिए जो युद्ध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो। अतः युद्धस्थित का यह कर्तव्य है कि तटस्थ क्षेत्र को क्रियाशीलता के लिए झड्डे के रूप में अथवा युद्ध सट्टा अभियान के सगठन के लिए सुविधाजनक स्थान के रूप में प्रयोग न करें।

४. तटस्थता के लिए बनाये गए विनियमों का युद्धस्थित द्वारा पालन कराना—स्थलयुद्ध सम्बन्धी तटस्थता पर सन् १९०७ के हेग अभिसमय में यह व्यवस्था की गई है कि सघर्ष करने वालों के स्थलीय सैन्यदल तटस्थ सीमाओं को पार नहीं कर सकते, उस दशा को छोड़ कर जब वे युद्धस्थित के सेनाओं के अस्वस्थ तथा घायलों को ले जा रहे हों, अथवा जब मृतसैनिकों के समूह शत्रु द्वारा ले जाय जा रहे हों। इन दो दशाओं को छोड़ कर अन्य किसी भी दशा में जो सैन्यदल तटस्थ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं एक नियत स्थान में रहने को बाध्य (नजरबन्द) किए जाते हैं। समुद्रीय युद्ध में जब तक कोई तटस्थ स्पष्टरूप से युद्धस्थित के युद्धपोतों का प्रवेश निषिद्ध न करे वे उसके बन्दरगाहों तथा जलभागों के आतिथ्य का उपभोग स्वतन्त्र रूप से कर

सकते हैं। युद्धस्थित के सेनानायक यह माँग कर सकते हैं कि तटस्थो द्वारा बनाये गए नियमों को दोनों पक्षों पर निष्पक्षतापूर्वक प्रवर्तन कराया जाय।

५. जिसने अपनी तटस्थता का उल्लंघन किया हो ऐसे युद्धस्थित राज्य से क्षतिपूर्ति करवाना—क्षतिपूर्ति के मूल्य निरूपण के लिये कोई नियत सिद्धान्त नहीं है। कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अनुशासित करने वाले नियम इस विषय में स्पष्ट हैं कि घवैध रूप से पकड़ी गई सम्पत्ति अथवा तटस्थ क्षेत्राधिकार के भीतर अभिग्रहीत जहाज अथवा माल वापस किए जाने चाहिए। लेकिन नियम इससे अधिक नहीं जाते जिससे कि क्षतिपूर्ति की गणना का क्रम अथवा क्षमा याचना के शब्द निर्धारित किए जाय। तथापि क्षतिपूर्ति पर्याप्त तथा अपराध की गम्भीरता के अनुरूप होनी चाहिये।

तटस्थ राज्यों के युद्ध-स्थित राज्यों के प्रति कर्तव्य अथवा युद्धस्थित राज्यों के अधिकार (Duties of Neutral States towards Belligerent States or the Rights of Belligerents) :—युद्ध-स्थित के प्रति तटस्थों के कर्तव्यों को परहेज (अलग रहने के कर्तव्य), रोकने के कर्तव्य, सहर्ष स्वीकृति (उपमति) के कर्तव्य, वापसी के कर्तव्य तथा क्षतिपूर्ति के कर्तव्यों में सक्षिप्त में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सब कर्तव्यों के ऊपर एक तटस्थ से यह भाशा की जाती है कि वह अत्यन्त निष्पक्ष रहे। निष्पक्षता से तटस्थ राज्य की ओर से वे सक्रिय उपाय व्यक्त होते हैं जिनसे वह युद्धस्थित राज्यों को तटस्थ क्षेत्र तथा तटस्थ साधनों को अपने सैनिक तथा नाविक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने से रोकता है। तटस्थ राज्य को किसी प्रकार का अधिक सम्मान अथवा भेदभाव दिखाने से बचा रहना चाहिए क्योंकि यही निर्लेपभाव तटस्थता का मुख्य तत्व है।

परहेज (अलग रहने के कर्तव्य) (Duties of Abstention) :— तटस्थ शक्ति को किसी पक्ष को सैनिक सहायता न देनी चाहिए। इसे युद्धस्थिति में से किसी को भी रुपया उधार देने अथवा युद्ध के उपकरण या गोला बारूद देने अथवा वेबने से अपने आप को अलग रखना चाहिये। इससे अधिक तटस्थ राज्य को शत्रुतापूर्ण कार्यों से सम्बन्धित विषयों में एक पक्ष को ऐसे विशेषाधिकार देने से अपने को वर्जित करना चाहिये जैसा कि यह दूसरो को नहीं देता। लेकिन तटस्थ पर यह कर्तव्य भार नहीं लादा गया है कि वह ऐसे सामान की व्यक्तिगत विक्रय पर रोक लगावे। जैसा लोरेस ने सकेत किया है कि बहुत से अन्य विषयों के समान इस विषय में भी व्यक्तिगत वह कर सकते हैं जो कि उनकी सरकार न करे। इसी आधार पर वेकिंग की सरकार ने कोरिया के युद्ध की प्रारम्भिक अवस्था में, जब यह विषय संयुक्त राष्ट्र सच के समक्ष उठाया गया, उन लाल चीत असेनिक व्यक्तियों का

उत्तरदायित्व लेने से अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने उत्तरी कोरिया वालो को सहायता देने के लिये सीमा को पार कर दिया था । सन् १९०७ के हेग अभिसमय ५ के अनुच्छेद ६ में यह व्यवस्था की गई है, कि केवल इसी बात से कि व्यक्तिगत सीमा को अलग-अलग योधियों में से किसी एक को अपनी सेवाये प्रदान करने के लिये पार करते हैं तटस्थ शक्ति का उत्तरदायित्व लपेट में नहीं आता ।

तटस्थ राज्य से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह युद्धस्थित में से किसी की ओर से भी ऋण की प्रतिभूति करे । लेकिन यदि उसके प्रजाजन युद्धकारियों में से किसी एक को शुद्ध व्यापारिक व्यवहार के रूप में ऋण दे तो इसमें तटस्थ की ओर से कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता ।

रोकने का कर्तव्य (Duties of Prevention) :—सक्षिप्त रूप में कहे जाने पर रोकने के कर्तव्यों में तटस्थ द्वारा अपने सत्त्वाधिकार के भीतर उन बातों का रोकना आता है जिनको युद्धस्थित वहाँ न करने के लिये बाध्य हैं । सन् १९०७ के हेग अभिसमय के भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों में यह व्यवस्था की गई है, कि योधियों के हितों में तटस्थ शक्ति के प्रदेश में लड़न वालों की पलटन नहीं बनाई जानी चाहिये, न वहाँ भर्तियों के कार्यालय खोले जाने चाहिये तथा तटस्थ शक्तियों को वृत्त उपाय करना चाहिये जिससे उनके भूमि-क्षेत्र में युद्धस्थित राज्यों में से किसी एक को भी सेनाओं के लिये मनुष्यों की भर्ती रोकी जा सके । तटस्थ राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र के किसी भाग का भी युद्धस्थित के नाविक अथवा सैनिक क्रियाशीलता में प्रयोग किया जाना अथवा वहाँ से उनके हितों में संगठित युद्ध सहाय अभियानों का सुमज्जित किया जाना अथवा पृथक् होना रोके..... तटस्थ अपने क्षेत्र में योधियों द्वारा नौजितमाल न्यायालय की स्थापना तथा अपनी भूमि के किसी भाग के ऊपर से भूमि सेना का आवागमन रोकने को बाध्य है ।”—
(Lawrence : The Principles of International Law, p. 634)

युद्धपोतों का ठहरना तथा उनकी मरम्मत (Stay and Repairs of Warships) :—तटस्थ राज्य को युद्धस्थित के युद्धपोतों का तथा उनके नौजितमाल का अपने बन्दरगाहों तथा जलभागों में अनुचित ठहरना रोकना चाहिये ।

सन् १९०७ के द्वितीय हेग सम्मेलन के तैरहवें अभिसमय में यह नियत किया गया कि युद्धस्थित के युद्धपोतों की अधिक से अधिक सख्या जो किसी तटस्थ के एक बन्दरगाह में अथवा उसके यातायात मार्गों में एक साथ किसी समय में रह सकती है, वह तीन होनी चाहिये, लेकिन इसने तटस्थ देश को यह अधिकार दिया कि इसके विरुद्ध विरोध उपबन्ध बना सकती है । सन् १९०७ के द्वितीय हेग सम्मेलन में यह भी नियत किया गया कि तटस्थ शक्ति के विधियों में इसके विरुद्ध कोई विरोध

उपबन्धों के न होने की दशा में, किसी युद्धकारी का युद्धपोत उसके किसी एक बन्दरगाह में केवल २४ घंटों के लिये ही ठहर सकता है। जहाज को क्षति भ्रषवा प्रतिकूल मौसम के कारण और अधिक बाल के लिये ठहरने की अनुमति दी जा सकती थी। ऐसी दशा में उसे विलम्ब का कारण समाप्त होते ही विदा हो जाना चाहिये और इसमें चूक होने पर उसे नियंत्रित स्थान में किया रहने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। 'ट्रेक' वाले मामले में यह निर्धारित किया गया, कि युद्धस्थित के जहाजों को गम्भीर आवश्यकता भ्रषवा तीव्र वायु की दशाओं को छोड़ कर भ्रषय किसी दशा में चौबीस घंटों से अधिक ठहरना वजित हैं। उन्हें यह भी वजित किया गया कि अपने देश के सब से निकटवर्ती बन्दरगाह में पहुँचाने के लिये जितनी खाद्य सामग्री आवश्यक हो उससे अधिक वे अपने साथ न ले जायें। 'मन्ज़ूर' वाले मामले में भी इस बात पर महत्व दिया गया कि तटस्थ क्षेत्रों को युद्ध में लगे हुये राज्यों के जहाजों का आश्रय न बनाना चाहिये तथा कोई युद्धस्थित जहाज २४ घंटों से अधिक नहीं ठहर सकता। 'लीना' वाले मामले में यह भी सम्मति प्रकट की गई कि तटस्थ क्षेत्र में केवल असैनिक मरम्मत की जा सकती थी तथा यदि सैनिक मरम्मत की जाय तो जहाज तटस्थ बन्दरगाह में रखना चाहिये तथा उसके नौचालकों को पैगेल पर छोड़ देना चाहिये और उनको राज्य के क्षेत्र से भागने न दिया जाना चाहिये। अन्य शब्दों में उन मरम्मतों का कठोर निषेध था जिनसे जहाज को युद्ध करने की क्षमता तथा कार्यक्षमता बढ़ती थी।

सन् १९०७ के तेरहवें हेग सम्मेलन के अनुच्छेद २३ में यह व्यवस्था की गई है कि तटस्थ राज्य नौजितमाल न्यायालय के निर्णय के आलम्बित रहने तक नौजितमाल को अपने बन्दरगाहों में जमा रहने दे सकता है किन्तु तटस्थ बन्दरगाह युद्धस्थित नौजितमाल के लिये आश्रय भ्रषवा स्थायी भ्रड्डे न बनने चाहिये।

सन् १९२३ के वायु युद्ध सम्बन्धी नियमों की प्रक्रिया के मसौदे में यह व्यवस्था की गई है कि तटस्थ सरकार को युद्ध में लगे हुये राज्य के सैनिक हवाई जहाजों को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रवेश करने से रोकने के लिये उन साधनों का उपयोग करना चाहिये जो उसके अधिकार में हों तथा यदि वे ऐसे क्षेत्राधिकार के भीतर प्रवेश कर जायें तो उन्हें उतरने को बाध्य करें। एक तटस्थ सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि किसी के युद्ध में लगे हुए सैनिक हवाई जहाज को जो इसके क्षेत्राधिकार के भीतर हो, तथा जो किसी भी कारण से उतरा हो, नजरबन्द करने के लिये उन साधनों का उपयोग करे जो उसके अधिकार में हों।

तटस्थ राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र के किसी भाग को युद्धस्थित द्वारा सूचना स्थान के रूप में उपयोग न करने दे। द्वितीय हेग सम्मेलन ने युद्ध में

लगे हुए राज्यों को यह निषिद्ध किया कि तटस्थ क्षेत्र में कोई ऐसा बेतार का गृह भयवा यन्त्र न स्थापित करें जो उनकी भूमि तथा समुद्रीय सेना को सूचना भेजने के साधन के रूप में काम में लाया जा सके ।

उपमति के कर्त्तव्य (Duties of Acquiescence) :—तटस्थ राज्य को समुचित युद्ध सहाय क्रियाशीलता के बीच में पहुँचाई हुई प्रासंगिक क्षति को मौन रूप में ही स्वीकार करना चाहिये । इसे उपमति का कर्त्तव्य कहते हैं । युद्धस्थित के समुद्र में दूँढ़ने तथा अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में यह अपनी उपमति के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये बाध्य है, चाहे वे कितनी ही दुःखद क्यों न हो ।

पुनःस्थापन या वापसी के कर्त्तव्य (Duties of Restoration) :—सौरस यह बतलाते हैं कि ऐसे कर्त्तव्य "तब उत्पन्न होते हैं जब कि युद्धस्थित राज्य विधि को भंग कर देता है तथा तटस्थ सार्वभौमिकता का अपने शत्रु को हानि पहुँचाने में तिरस्कार करता है । उदाहरणार्थ यदि वह तटस्थ जलाशयों के भीतर नौजितमाल अभिग्रहण करे तो द्विगुणित अपकार हो जाता है । वह शक्ति जिसके अधिकार का तिरस्कार किया गया, तथा वह जिसने अपना जहाज गँवाया, दोनों उसके इस दुष्कार्य के कारण हानि उठाते हैं । हानि उठाने वाले युद्धस्थित को क्षतिपूर्ति के लिये उस तटस्थ से प्रार्थना करनी चाहिये, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रवेश कार्य किया गया तथा तटस्थ को हानि पहुँचाने वाले युद्धस्थित के विरुद्ध उसके सार्वभौमिक अधिकारों का तिरस्कार करके शान्ति भङ्ग करने के लिये दावा करने का अधिकार है ।" (Lawrence : *The Principles of International Law*, p. 652) । इसी प्रकार जब कोई नौजितमाल किसी तटस्थ बन्दरगाह में समुद्रयात्रा के लिये प्रयोग्यता, तोड़ हवा, ईंधन अथवा खाद्य-सामग्री का अभाव इत्यादि के अतिरिक्त अन्य किसी नियमविरुद्ध रीति में लाया जाय तो प्रतिदान या वापसी का कर्त्तव्य उत्पन्न होता है । तटस्थ शक्ति का यह कर्त्तव्य है कि जहाज को उसके पदाधिकारियों तथा चालकों सहित उन्मुक्त किये जाने के लिये प्रयत्नशील होवे । तटस्थ राज्य के ऊपर यह कर्त्तव्य भार है कि नौजितमाल को उस युद्धस्थित को वापस कर दे जिसकी हानि हुई हो ।

क्षतिपूर्ति के कर्त्तव्य (Duties of Reparation) :—"जब कोई युद्ध में लगे हुआ राज्य किसी तटस्थ पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों के उसके (तटस्थ के) द्वारा अपनी कुभावना अथवा शिथिलता के कारण पालन किये जाने में असमर्थ रहने के कारण हानि उठावे, तो उस हानि तथा क्षति की पूर्ति के लिये एक वैध अधिकार उत्पन्न हो जाता है ।" (Lawrence : *The Principles*

of International Law, p. 654) । लेकिन यदि निवारण के उपाय किये जाय तथा असफल रहे तो तटस्थ राज्य पर कोई दायित्व नहीं रहता ।

निर्णय विधि (Case Law) :—तटस्थता का स्पष्ट विचार रखने के लिये इस विषय पर मामलो से निर्धारित निम्नलिखित निर्णय-विधि उल्लेखनीय हैं :—

Twee Gebroeders [(1800) 3 C. Rob. 162] में लार्ड स्टोवेल द्वारा यह निरूपण किया गया कि “शत्रुता का कार्य तटस्थ भूमि पर आरम्भ न होना चाहिये । इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि यह वहाँ पूर्ण नहीं हुआ—आपको वहाँ कोई ऐसा उपाय नहीं करना चाहिये जिससे तत्काल हिंसात्मक कार्य उत्पन्न हो, आपको किसी स्थान का ऐसा लाभ न उठाना चाहिये जिससे यह प्रतीत हो कि आप उस तटस्थ क्षेत्र को सुविधानजनक स्थान के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसे दोनों युद्धस्थित राज्यों के मध्य पूर्ण समानता के साथ व्यवहार करना है जिससे उनमें से किसी एक को कोई विशेष लाभ न पहुँचे ।”

Alabama Claims [(1872) 1 Moore, International Arbitration, p. 653] में न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्णय किया गया कि तटस्थ सरकार अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किसी जहाज का सुसज्जित किया जाना अथवा उसके शस्त्रीकरण अथवा साधनयुक्त किया जाना उचित उद्योग के साथ रोकने के लिये बाध्य है, जिसके (जहाज के) लिये उसके पास यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार हो कि उसका (जहाज का) अभिप्राय उस शक्ति के विरुद्ध समुद्र में इधर उधर चक्कर लगाना अथवा युद्ध करना है जिसके साथ उसकी सन्धि हो ।

General Armstrong (*Pitt Cobbett's Leading Cases, Vol. II. Ed. V. p. 351*) वाले मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि यदि कोई युद्धस्थित राज्य आक्रमण किये जाने पर तटस्थ का सरक्षण ढूँढ़े बिना ही अपनी प्रतिरक्षा करना पसन्द करता है तो वह तटस्थ राज्य को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त कर देता है ।

Appam वाले मामले में एक जर्मन जंगी जहाज ने *Appam* नामक एक ब्रिटिश व्यापारिक जहाज को एमडन से १६०० मील दूरी पर बन्दी बना लिया तथा फरवरी १, सन् १९१६ को उसे नारफोक बन्दरगाह (संयुक्त राज्य अमेरिका) पर लाया, यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय तटस्थ था । जहाज के विरुद्ध मानहानि की कार्यवाही इस आधार पर आरम्भ की गई कि बन्दरगाह में उसकी उपस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका की तटस्थता के उल्लंघन स्वरूप था । सर्वोच्च

न्यायालय ने यह निर्णय किया कि एक अमेरिकन बन्दरगाह को बन्दो किये गये जहाजों को वहाँ अनिश्चित काल के लिये रखने के लिये सग्रहस्थान के रूप में उपयोग किये जाने का प्रयत्न करना संयुक्त राज्य अमेरिका की परम्परागत नीति तथा जल-युद्ध में तटस्थ शक्तियों के अधिकार तथा कर्तव्यों के सम्बन्ध में हेग प्रतिज्ञा के अनु-बन्धों के अधीन तटस्थता का भंग करना है ।

जमोरा [(1916) 2 A. C. 77] वाले मामले में निर्णय के लिये नौजितमाल न्यायालय की अभिरक्षा में स्थित अपने जहाजों तथा माल के सम्बन्ध में तटस्थों के अधिकारों की विवेचना करते हुये लार्ड पार्कर ने यह कथन किया कि युद्धस्थित शक्ति को अपने जहाजों अथवा माल को जो नौजितमाल के न्यायालयों की अभिरक्षा में इस प्रश्न के निर्णय के आलम्बित रहने तक पड़े हो कि उनको दोषी ठहराया जाय अथवा उन्मुक्त किया जाय, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अधिमाचना करने का अधिकार है किन्तु ऐसा अधिकार कुछ सीमितियों के अधीन है । प्रथम यह कि विवादग्रस्त जहाज अथवा माल राज्य की प्रतिरक्षा, युद्ध के चलाने अथवा राज्य की सुरक्षा सम्बन्धी अन्य विषयों के लिए अत्यन्त आवश्यक रूप से अपेक्षित होना चाहिये । द्वितीय, परीक्षण के लिये प्रश्न वास्तविक रूप का होना चाहिये जिससे तत्काल उन्मोचित किये जाने का आदेश देना अनुचित हो । तृतीय, यह कि अधिकार नौजितमाल न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर प्रवृत्त कराया जाना चाहिये, जो इस बात का न्यायिक रूप से निर्णय करेगा कि क्या मामले की उन विशिष्ट परिस्थितियों में अधिकार का उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं ।

अध्याय ४७

संकटाधिकार

(Right of Angary)

संकटाधिकार (Right of Angary) से युद्ध में स्थित राज्य की युद्ध अथवा अन्य सार्वजनिक भय उत्पन्न होने पर तटस्थ राज्य की ऐसी सहायता को उपयोग करते अथवा यदि आवश्यकता भा जाय तो उसको विन्दित करने का भी अधिकार होता है जैसा उसके क्षेत्रिक अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशेष समय में हो । यह युद्धस्थित राज्य को सार्वजनिक आवश्यकता के समय जहाजों, रेल के डिब्बों, वायुयानों तथा यातायात के अन्य साधनों का जो तटस्थ शक्तियों के

राष्ट्रीयता के अधिकार में हो, किन्तु जो उस समय उसके अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हो, अधिवाचन अथवा उपयोग करने का अधिकार देता है। यह इस सिद्धान्त पर आधारित होता है कि राज्य का सर्वोच्च हित विधि का प्रति-क्रमण कर जाता है। यह इस सामान्य सिद्धान्त पर भी आधारित है कि युद्धस्थित राज्य के क्षेत्र में स्थित तटस्थ राज्य की सम्पत्ति को वैसे ही सकटों का सामना करना पड़ता है जैसा कि युद्ध में लगे हुए राज्य के राष्ट्रीयताओं की सम्पत्ति को तथा वह युद्ध एव अन्त्य राष्ट्रीय सकट के समय अधिवाचन करने अथवा अंशभाग प्रदान करने के लिये उसी प्रकार के उत्तरदायित्व के अधीन है। इसी अधिकार को *droit d'angarie* अथवा पीतवर्षण (*jus angariae*) भी कहते हैं तथा इसी का रूपान्तर अंग्रेजी में *angary* है जिसे सकटाधिकार के नाम से पुकारते हैं।

इसकी उत्पत्ति :—सकटाधिकार (*Angary*) शब्द की व्युत्पत्ति फारसी शब्द से है जिसका अर्थ मन्नाट् के दूत सेवा में लगे हुए 'दूत' से है। इस शब्द ने तदनन्तर ग्रीस तथा रोम में स्थान प्राप्त किया। ओपेनहेम का कथन है कि शब्द *angaria* की व्युत्पत्ति जिसका अर्थ मध्यकालीन लैटिन में *post-station* ग्रीक भाषा के उस शब्द से हुई है जिसका अर्थ दूत है। अतः *jus angariae* का अर्थ अक्षरशः दुलाई का अधिकार होगा। रोमन विधि में इससे गाड़ियों, घोड़ों, इत्यादि का अधिवाचन प्रकट होता था तथा यह केवल भूमि-सम्बन्धी दुलाई तक ही सीमित था। मध्ययुग में सकटाधिकार (*angary*) से यह व्यक्त होता था कि युद्धस्थित राज्य के बन्दरगाह में स्थित तटस्थ जहाज पकड़ लिये जाय तथा सैन्य दलों और रसद ले जाने को बाध्य किये जाय। आधुनिक युग में यह अधिकार, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, युद्धस्थित को युद्ध अथवा अन्त्य सार्वजनिक भय के समय में इस अधिकार से युक्त करता है कि वह आक्रमण अथवा प्रतिरक्षा के लिये क्षतिपूर्ति देने पर विदेशी जहाजों, हवाई जहाजों तथा यातायात के अन्त्य साधनों का अधिवाचन करे जो उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर हो।

ओपेनहेम (*Oppenheim*) का मत :—मूल *angary* के अधिकार के विपरीत में आधुनिक *angary* का अधिकार युद्धस्थित राज्य का वह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण अथवा प्रतिरक्षा के लिये अपने क्षेत्र में अथवा शत्रु के क्षेत्र में अथवा खुले समुद्र में स्थित तटस्थ राज्य की सम्पत्ति को विनाश करे अथवा उनका उपयोग करे। उनके अनुसार यह अधिकार ऐसा अधिकार है जो युद्ध के विधि से व्युत्पन्न है, तथा इनका भ्रम उस अधिकार से नहीं करना चाहिये जो प्रत्येक राज्य अत्यन्त आवश्यकता की दशा में क्षतिपूर्ति देने के अधीन अपने क्षेत्र में

स्थित किमी विदेशी सम्पत्ति को ध्वंसग्रहण करने का रखता है। अतः किमी का इस प्रकार की उक्ति न करनी चाहिये कि तटस्थों तथा युद्धस्थित से सम्बन्धित नवट का अधिकार है अथवा शान्ति तथा युद्ध में नवट का अधिकार है। (International Law, Vol. 2, 7th Ed. 765).

पिट कोबेट (Pitt Cobbet) का मत — पिट कोबेट सकटाधिकार (angars) को सार्वभौमिक अधिकार मानते हैं।

फिलिमोर का मत — डा० फिलिमोर का कथन है कि “कभी एक अन्य उपाय है जिसमें युद्धस्थित के लक्षण का भी धर है और यद्यपि नहीं जान कही जाय तो उसका प्रयोग शान्ति क समय में भी किया जाता है जिसे धरन की नापा में le droit d'angarie करते हैं। यह राज्य का एक कार्य है जिसके द्वारा विदेशीय तथा निजी धरेलू जहाज भी जा उनके क्षेत्राधिकार व नीतर पाय जाय पकड़ लिये जाने हैं, तथा सैनिकी, गोलाबाद्य अथवा युद्ध के अन्य उपकरण का धरन करने के लिये बाध्य किये जाते हैं। अन्य शब्दा में एक शक्ति क विरुद्ध जिसमें उनकी शक्ति है अपनी इच्छा के प्रतिबन्ध प्रत्यय शत्रुता क कार्य करन में पक्षकार बनन क लिये बाध्य किये जाते हैं।”

सन् १९०७ क द्वितीय हेग सम्मेलन क धर्मिनमय ५ क अनुच्छेद १८ में सकटाधिकार विशेष रूप में स्वीकृत किया गया है जिनके द्वारा शक्ति आवश्यक शक्त में क्षतिपूर्ति दिये जाने के अधीन युद्ध म लगे हुए पक्ष को तटस्था की रेलव मान्यो उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अन्य तटस्थ सम्पत्ति भी यदि सैनिक धार-स्यकता ऐसा निदिष्ट करे तो उपयोग में लाई अथवा विनष्ट की जा सकती है। फिलिमोर का यह मत है कि इस अधिकार का प्रयोग केवल तथा ही न करना है जब नारा पेशगी दिया जाय तथा उनके साथ यह धीर भी धरन है कि नाम अथवा जहाजों के स्वामियों की यह हानि पूर्ति की जाय जा उनको धरन के सानो में विघ्न पडन तथा शिन मान को वे ले जा रहे हैं उनके सम्भाव्य विनाश क धारण उपन हो।

सन् १८७० का फ्रांस तथा जर्मनी का युद्ध (Franco-German War of 1870) :—सन् १८७० के युद्ध तथा जर्मनी के बीच सपादेशक जर्मनी के जनरल न ब्रिटेन के ल जहाजों को मान नदी में टनरवेयर नगर क समीप परहा तथा उनका मान नदी में डुबा दिया जिसमें नदी का मार्ग हफ जाय तथा लोको तोषो से मुमग्बित नावे नदी के ऊपर जाकर जर्मनी की सैनिक धारणा तथा वे विघ्न न डाल सकें। इंग्लैंड युद्ध में तटस्थ था। शिन बिहमार्क ने उनके विनाश क स्विकार किया तथा न्यायाचित धारण क अनुगार मूल्य धन का प्रस्ताव।

उन्होंने यह तर्क किया कि विवादपूर्ण उपाय चाहे उसका स्वरूप कितना ही अलौकिक हो अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध सदृश आचरण की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। एक उत्कट सकट सन्निकट था तथा उसको टालने का कोई भी अन्य उपाय उपलब्ध नहीं था। अतः यह मामला एक आवश्यक विषय था जिसमें शान्ति के समय में भी विदेशी सम्पत्ति का उपयोग अथवा विनाश की क्षतिपूर्ति किये जाने की शर्त के अधीन ग्राह्य होता। इसके उपरान्त जर्मन चान्सेलर ने सर आर० फिलिमर के ग्रथ से उस अनुच्छेद का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। तत्पश्चात् अंग्रेजी जहाज मालिकों को उनकी हानि के लिये क्षतिपूर्ति की धनराशि दी गई।

परिसीमन (Limitations) :—सकटाधिकार (Angary) सार्वभौमिक अधिकार है तथा किसी सार्वभौम राज्य द्वारा राष्ट्रीय सकट में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उपबन्ध यह है कि अधियाचित माल तथा यातायात के साधन उनके अधियाचन करने वाले राज्य के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर पड़े हों। यह अधिकार अधियाचन करने वाले राज्य के क्षेत्रीय जलभागों तक ही सीमित है तथा इनकी क्षेत्रीय सीमाओं को उल्लंघन नहीं करता। भारी राष्ट्रीय सबट उपस्थित होने पर यह अधिकार का प्रयोग तटस्थ राज्य द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसे अधियाचन क्षतिपूर्ति की पूर्ण धनराशि देन की शर्त के अन्तर्गत ही किये जा सकते हैं। इस अधिकार का प्रयोग उस युद्धस्थित राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता जिसके अधिकार में शत्रु का क्षेत्र हो। जहाजों अथवा हवाई जहाजों के विदेशी चालकगणों की सेवाओं के सम्बन्ध में सकटाधिकार (angary) लागू नहीं होता।

जमोरा (The Zamora) :—जमोरा वाले मामले में [(1916) 2 A. C. 77] लकड़ी तथा तैला अधियाचित हुए जो युद्ध को सफलतापूर्वक चालू रखने के लिए आवश्यक थे। लार्ड पार्कर द्वारा यह निरूपण हुआ कि युद्धस्थित को समुचित दशा में तटस्थ के जहाजों तथा माल को अधियाचन का अधिकार है, जो नौजित-माल न्यायालय की अभिरक्षा में निर्णयार्थ रहे हों। इसमें सन्देह नहीं कि सम्पत्ति पर वैध अधिकार अथवा प्राधिपत्य तटस्थ का ही है। अधियाचन का अधिकार एक परिपूर्ण अधिकार नहीं है, किन्तु यह एक अधिकार है जिसका केवल निश्चित परिस्थितियों में तथा निश्चित प्रयोजनों के लिये ही प्रयोग किया जा सकता है। अतः यह निर्णय किया गया कि जहाज अथवा उस पर लदे दूधे तैले का अधियाचन करन का अधिकार मान्य है जो नौजितमाल न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में पड़े

हूए हों किन्तु इस अनुबन्ध के साथ कि (घ) विशालदल्य जहाज अथवा मान्य राज्य की प्रतिरक्षा, युद्ध के संयोजन, अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी अन्य विषयों के लिये परमेश्वर आश्रय रति से स्वीकृत है, (घा) परीक्षण के लिये एक वास्तविक प्रश्न होना चाहिए, और (ङ) शीघ्रतासे स्वाभाविक स्वाधिक स्व म इस बात का निर्णय करेगा कि क्या मानके के उन विनिश्चित परिस्थितियों में अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।



अध्याय ४८

संरोध या नाकाबंदी (Blockade)

परिभाषा :—घोषितहोने के मत्तानुसार "नाकाबन्दी युद्धसमयों द्वारा शत्रु के समुद्रतट अथवा उसके किसी भाग पर सब राज्यों के जहाजों अथवा हवाई जहाजों का प्रवेश तथा निर्यात रोकने के प्रयासों से प्रतिबन्ध अथवा अवरुध लगाना है।"

("Blockade is the blocking by men of war of the approach to the enemy coast, or a part of it, for the purpose of preventing ingress and egress of vessels or aircraft of all nations."—Oppenheim)
इसके अनुसार नाकाबन्दी युद्धस्थित राज्य द्वारा युद्ध के समय में शत्रु के अधिकार में स्थित किसी क्षेत्र अथवा स्थान में प्रवेश अथवा पहुँच को रोकना है। यह युद्ध का एक कार्य है जो युद्धस्थित के युद्धसमयों द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य शत्रु के तटस्थ किसी सीमांकित बन्दरगाह में प्रवेश अथवा उसके प्रस्थान को रोकना है।

संरोध या नाकाबन्दी के लक्षण :—उत्तम परिभाषाएँ नाकाबन्दी के निम्नलिखित लक्षणों को प्रकट करती हैं। प्रथम तो नाकाबन्दी युद्धसमयों द्वारा होनी चाहिये चाहे यह अन्य साधनों द्वारा अधिक प्रबल भी जाय। द्वितीय, केवल शत्रु का समुद्रतट अथवा उसका भाग अथवा शत्रु के बन्दरगाह ही नाकाबन्दी के लक्ष्य होने चाहिये। तृतीय, नाकाबन्दी से प्रवेश अथवा निर्गमन दोनों रोक जा सकते हैं। चतुर्थ, नाकाबन्दी ब्राह्म मानने के लिये सब राज्यों के जहाजों अथवा हवाई जहाजों के विरुद्ध निषेधाज्ञा से लगानी चाहिये। अन्त में नाकाबन्दी एक युद्ध सहस्र क्रियाशीलता है।

नाकाबन्दी का भ्रमात्मक अर्थ घेरा डालन से नहीं लगाना चाहिए जिसका लक्ष्य घिरे हुए स्थान का अभिग्रहण करने का होता है। नाकाबन्दी समुद्र द्वारा प्रत्येक पारस्परिक ससर्ग को रोकती है।

पेरिस की घोषणा १८५६ (Declaration of Paris, 1856) .— १८५६ की पेरिस की घोषणा क चौथे अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया है कि नाकाबन्दी बाध्यकारी होन के लिये प्रभावपूर्ण होनी चाहिए अर्थात् ऐसे बल से स्थापित की जानी चाहिये जो शत्रु के समुद्रतट में पहुँच को रोकने के लिये वस्तुतः पर्याप्त हो। इस नियम ने राष्ट्रों की विधि क एक सिद्धान्त को लेखबद्ध कर दिया किन्तु इस विवादपूर्ण प्रश्न को कि "पर्याप्त बल" (Sufficient Force) क्या है विचारणीय छोड़ रखा है। लार्ड चीफ जस्टिस कीकबर्न ने *Geipel v Smith* वाले मामले में [(1872) L R 7 Q. B. 404, p. 410] यह कथन किया कि "विधि की दृष्टि में नाकाबन्दी नभी प्रभावपूर्ण समझी जाती है जब शत्रु के जहाजों की सरया तथा स्थिति ऐसी हो कि नाकाबन्दी को तोड़कर भाग निकलना अपने को संकट में डालना हो चाहे कुछ जहाज भाग निकलने में समर्थ हों जायें।" (In the eye of the law a blockade is effective if the enemy's ships are in such numbers and positions as to render running the blockade a matter of danger, although some vessels may succeed in getting through) नाकाबन्दी करने वाले दल का स्वरूप तथा उसकी नाकाबन्दी किय गये समुद्रतट से दूरी प्रमुख नहीं मानी जाती। पेरिस की घोषणा ने केवल इन बात पर महत्व दिया कि इसके पूर्व कि नाकाबन्दी पूर्ण मानी जाय यह आवश्यक है कि उसके बीच से होकर निकलने में वास्तव में भारी संकट का सामना करना पड़े।

क्रीमिया के युद्ध (१८५४) में यह माना गया कि ब्रिटेन के समुद्र में इधर-उधर चक्कर लगाने वाले केवल एक युद्धपातन १२० मील की दूरी छापकर नाकाबन्दी संगठित किया। दूसरी ओर फारमोसा की नाकाबन्दी अपूर्ण समझी गयी जो फ्रांस द्वारा १८५४ में अधिसूचित की गई थी जब ब्रिटेन ने उसके विरुद्ध यह आपत्ति की कि फ्रांसीसी नौसेना नायक के अधिकार में जो सैनिक बल था वह अपर्याप्त था। इसके परिणामस्वरूप नाकाबन्दी उस समय त्याग दी गई जब तक उसको पुष्ट करने के लिये और अधिक बल नहीं पहुँचा।

व्हीटन (Wheaton) का कथन है कि नाकाबन्दी इस प्रकार तटस्थ के अधिकारों का अतिक्रमण होने के कारण उसका प्रभाव मामले की परिस्थितियों में जितना आवश्यक है उसमें अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये।

लन्दन की घोषणा १९०६ (Declaration of London, 1909) :—
 लन्दन की असरवापित घोषणा ने पेरिस की घोषणा (१८५६) द्वारा स्थापित इस
 नियम की पुष्टि की कि वन्दनकारी होने के लिये नाकाबन्दी प्रभावपूर्ण होनी
 चाहिये। इसमें आगे यह भी कहा गया कि नाकाबन्दी घोषित तथा अधिसूचित होनी
 चाहिये। लन्दन की घोषणा के अनुसार नाकाबन्दी की घोषणा या तो युद्ध-
 स्थित सरकार द्वारा अथवा उसके राज्य की आर से कार्य करने वाले नौसेना दल के
 ममादेशक द्वारा नाकाबन्दी आरम्भ होने वाले दिनांक नाकाबन्दी के अवीन समुद्र
 तट की सीमाएँ तथा अवधि जिनके भीतर तटस्थ जहाज निाल जा सके उनका
 विशेष रूप से निर्देश करते हुए की जानी चाहिए। यह नियम तटस्था के इस हित
 पर आधारित है कि उनको अपने दायित्व की सीमा सम्पक रूप से विदित होनी
 चाहिये। लन्दन की घोषणा के अनुच्छेद ११ में यह व्यवस्था की गई है कि नाका-
 बन्दी की अधिसूचना उसे स्थापित करने वाले राज्य द्वारा तटस्थ राज्यों को उनकी ①
 सरकारों के नाम पत्र-व्यवहार करके की जानी चाहिये। लन्दन की घोषणा में यह
 भी व्यवस्था की गई है कि नाकाबन्दी शत्रु के अधिकार में अथवा उसके द्वारा अधि- ②
 कार किये हुये बन्दरगाहों अथवा समुद्र तट से बाहर विस्तृत न होनी चाहिए, तथा ③
 नाकाबन्दी करने वाले सैन्यदलों को तटस्थ बन्दरगाहों अथवा समुद्रतटों में पहुँच को
 नहीं रोकना चाहिये। ④

यदि नाकाबन्दी प्रभावपूर्ण हो तथा उसका उल्लंघन हुआ हो तो उसका
 वास्तविक ज्ञान, जहाज को पकड़े जाने तथा अपराधी प्रमाणित किये जाने का
 उत्तरदायी ठहरा देता है। लन्दन की घोषणा के अनुच्छेद १५ के अनुसार यदि
 जहाज ने तटस्थ बन्दरगाह को, क्षेत्रीय शक्ति को नाकाबन्दी की सूचना देने तथा ⑤
 स्थानीय अधिकारियों को उसे प्रकाशन के लिये पर्याप्त समय मिला जाने के उपरान्त,
 छोड़ा हो तो उसे इसका ज्ञान मान लिया जाना है। अनुच्छेद १७ में यह व्यवस्था
 की गई है कि तटस्थ जहाजों को नाकाबन्दी को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये नियम ⑥
 किये गए जमी जहाजों की क्रियाशीलता के क्षेत्र का छोड़कर और कहीं न पकड़ना
 चाहिये। अनुच्छेद १६ में यह व्यवस्था की गई है कि जहाज का अथवा उसके माल ⑦
 का चाहे उसका आगे का लक्ष्य क्षेत्र कोई भी हो, यदि उस समय वह एक-ऐसे
 बन्दरगाह को जा रहा हो जिसमें नाकाबन्दी नहीं है तो उसे नाकाबन्दी तोड़ने के
 लिये नहीं पकड़ना चाहिये। अनुच्छेद २१ में नाकाबन्दी भंग करने पर दण्ड की ⑧
 व्यवस्था की गई है। इसमें यह नियम किया गया है कि जहाज जो नाकाबन्दी भंग
 करने का अपराधी पाया जाय, उसे दण्डित किया जायगा। उसमें सदा हुआ माल
 भी अपराधी समझा जाता है जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि माल सादे

समय व्यापारी को नाकाबन्दी भग किये जाने का न तो ज्ञान था, और न उसको ज्ञान हो सकना सम्भव था ।

नाकाबन्दी के प्रकार (Forms of Blockade) —नाकाबन्दी के कई ढंग हो सकते हैं जैसे प्रभावकारी नाकाबन्दी (Effective Blockade), तथ्यत नाकाबन्दी (Blockade de facto), विज्ञप्ति द्वारा नाकाबन्दी (Blockade by Notification), कागजी नाकाबन्दी (Paper Blockade), सैनिक नाकाबन्दी (Strategic Blockade), व्यापारिक नाकाबन्दी या पैसफिक नाकाबन्दी (Commercial Blockade or Pacific Blockade) साधारण और सार्वजनिक नाकाबन्दी (Simple and Public Blockades), आदि ।

वास्तविक तथा बन्धनकारी नाकाबन्दी के आवश्यक अंग (Essentials of a Real and Binding Blockade) —वास्तविक तथा बन्धनकारी नाकाबन्दी के आवश्यक अंग निम्नलिखित हैं —

१. उचित सस्थापन (Proper Establishment) —इसलिये कि नाकाबन्दी वैध मानी जाय यह युद्धस्थित सरकार के प्राधिकार अथवा किसी विशिष्ट नाकाबन्दी को घोषित करने के लिये विशेष रूप से प्राधिकृत नौसेना के समादेशक के अधीन सस्थापित करना चाहिये ।

२ प्रभावकारिता (Effectiveness) —नाकाबन्दी सम्यक् रूप से प्रभाव शालिनी होनी चाहिये । यह काल्पनिक अथवा कागजी नाकाबन्दी न होनी चाहिये वरन् शत्रु के समुद्रतटों में पहुँच को रोकने के लिये पर्याप्त सैन्यबल से स्थापित करना चाहिये । नाकाबन्दी के इस रूप पर पेरिस की घोषणा (१८५६) तथा लंदन की घोषणा (१९०६) दोनों के द्वारा महत्व दिया गया । जहाजों को उसके बीच से निकलकर जाने के किसी प्रकार के यत्न करने में वास्तविक तथा प्रबल भय होना चाहिये ।

प्रभावशाली नाकाबन्दी के लिये क्या क्या आवश्यक बातें अपेक्षित हैं इसके सम्बन्ध में कोई मतव्य नहीं है । राइट आनरेबुल डाक्टर लुशिंगटन ने Franciska [(1855) Spinks, 217] में नौसेना के उच्च न्यायालय में यह व्यक्त किया कि नाकाबन्दी किये गए स्थान की चौकसी ऐसे सैन्य बल से की जानी चाहिये जो निर्यात तथा आयात को पर्याप्त रूप से सक्त्पूर्ण बना दे अथवा अथ शब्दा में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों जैसे कुहरा, प्रबल हवा, तथा कुछ आवश्यक अनुपस्थितियों को छोड़ कर भीतर प्रवेश करने अथवा बाहर निकलने के प्रयत्न करने वाले जहाजों का अभिग्रहण अत्यधिक सम्भव बना दे ।

लार्ड चीफ जस्टिस कौकबर्न ने *Geipal v. Smith* [(1872) L. R. 7 Q. B. 404] में यह कथन किया कि नाकाबन्दी तभी प्रभावशाली है यदि शत्रुओं के जहाजों की सख्या तथा स्थिति ऐसी हो जिससे नाकाबन्दी तोड़कर निकल भागना एक सकट का विषय हो जाय यद्यपि कुछ जहाज ऐसा करने में सफल भी हो जाय ।

सन् १७८० के प्रथम सैनिक तटस्थता में यह उद्घोषणा करके कुछ कठोर-तम विचार प्रकट किये गये कि "नाकाबन्दी केवल उस समय प्रभावशाली है, जब समुद्रतट पर पहुँच, युद्धपोतों की एक पक्ति से रोक दी गई हो जो उस स्थान पर लगर डाले हों तथा एक दूसरे के इतने समीप हो कि निकलने वाला जहाज प्रकट रूप से बिना सकट का सामना किए हुए निकल नहीं सकता हो (Cf Oppenheim: International Law, Vol. II 7th Ed. p. 779) । फिलिमोर भी इसी प्रकार का विचार इस कथन से व्यक्त करते हैं कि "एक वास्तविक नाकाबन्दी कई जहाजों को खड़ा करने से की जाती है जो निषिद्ध बन्दरगाह के मुख के चारों ओर घेरे का एक मडल बना दे जिसमें कि यदि मडल किसी एक भाग में असफल रहे तो नाकाबन्दी पूर्णतया असफल हो जाती है ।" (III, S 263)।

यह प्रश्न कि क्या कोई नाकाबन्दी प्रभावशाली है अथवा नहीं, एक तथ्य का प्रश्न है [Cf Art 3, Declaration of London 1909, and Oriental Navigation Company (1928) A. J. I. L. 23 (1929), P. 435 at p 442)] ।

३. निरन्तर बनाये रखना (Continuously Maintained) — नाकाबन्दी निरन्तर बनाई रखनी चाहिये । उस दशा में जब नाकाबन्दी करने वाला दल शत्रु के सर्वोच्च दल द्वारा भगा दिया जाय यह माना गया है कि नाकाबन्दी आरम्भ से ही निष्फल तथा दोषपूर्ण है लेकिन यदि नाकाबन्दी करने वाला दल दुर्दिन व कारण अस्थायी रूप से हटा लिया जाय तो नाकाबन्दी में कोई कमी नहीं समझी जायगी ।

४ अधिसूचना (Notification) :—सन्देश की घोषणा में यह निर्धारित किया गया कि नाकाबन्दी स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि यह घोषित की जाय । अधिसूचना या तो विज्ञप्ति या युद्धस्थित सरकार द्वारा अथवा उस राज्य की ओर से कार्य करने वाले नौसेनादल के समादेशक द्वारा होनी चाहिये तथा उसमें नाकाबन्दी आरम्भ होने का दिनांक, नाकाबन्दी के अधीन समुद्रतट की भौगोलिक सीमायें, तथा वह अवधि जिसके भीतर तटस्थ जहाज बाहर निकल या नकें, विशिष्ट प्रकार से वर्णित की जानी चाहिये । नाकाबन्दी की सूचना वास्तविक तथ्यों के अनु-रूप होनी चाहिये अन्यथा नाकाबन्दी निष्प्रभाव हो जायगी ।

५ निष्पक्षता (Impartiality) —नाकाबन्दी करने वाले सैन्यदल को नाकाबन्दी निष्पक्षता से सब जहाजों के विरुद्ध प्रवृत्त करानी चाहिये । तटस्था को बहिष्कृत करके किसी एक युद्ध में लगे हुये राज्य के पक्ष में शिथिलता नाकाबन्दी को निरर्थक कर देती है । नाकाबन्दी केवल तभी ग्राह्य है जब वह सर्वव्यापी हो । Franciska वाले मामले में [(1855) Spinks 287] रूस के विरुद्ध क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटेन द्वारा सीमा की नाकाबन्दी प्रिवी कौन्सिल द्वारा अवैध घोषित की गई क्योंकि तटस्थों को बहिष्कृत करके युद्धस्थित के व्यापारिक जहाजों के सम्बन्ध में शिथिलता दिखलाई गई थी ।

६ नाकाबन्दी करने वाले सैन्य दल को तटस्थ बन्दरगाहों अथवा समुद्रतट तक पहुँचने में नहीं रोकना चाहिये ।

७ नाकाबन्दी उसको स्थापित करने वाले सैन्यदल की क्रियाशीलता से व्याप्त क्षेत्र के बाहर विस्तृत नहीं हो सकती ।

नाकाबन्दी का भङ्ग (Breach of Blockade) —सर विलियम स्वाट का कहना है कि नाकाबन्दी का उल्लंघन स्थापित करने के लिये तीन बातें प्रमाणित होनी चाहिये — प्रथम वास्तविक नाकाबन्दी का अस्तित्व, द्वितीय, ज्ञान उस पक्षकार को अथवा से जिसके सम्बन्ध में यह माना गया है कि उसका अपराध हुआ है, तथा तृतीय, कुछ उल्लंघन का कार्य—नाकाबन्दी अारम्भ होने के उपरान्त लडा हुआ माल लेकर या तो भीतर जाना या बाहर घाना । इस बात को प्रकट करने के लिये कि नाकाबन्दी का उल्लंघन हुआ है उसका अस्तित्व ही नहीं बरन् उसके अस्तित्व का ज्ञान भी पक्षकार को हो जाना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में कि किस बात से नाकाबन्दी का भंग स्थापित होता है राज्यों की रीति में भेद रहा है । इंग्लैंड तथा अमेरिका यह मत रखते हैं कि इस बात का सभाविन रूप से स्थापित करना पर्याप्त है कि तटस्थ जहाज के कार्यभार साधकों को यह ज्ञान था कि नाकाबन्दी स्थापित की गई है । ग्रेट ब्रिटेन ने सर्वदा यह मत रखा है कि नाकाबन्दी की प्रसिद्धि ही उनके अस्तित्व की सूचना दिये जाने के बराबर है । फ्रांसवालों के मतानुसार तटस्थ जहाज नाकाबन्दी के प्रवृत्त रहने अथवा उसके समाप्त होने के अनुमानों से प्रभावित नहीं होता तथा तटस्थ जहाज का समादेशक नाकाबन्दी किये गये क्षेत्र में पहुँचने पर नाकाबन्दी करने वाले नौसेना दल द्वारा नाकाबन्दी के अस्तित्व को चेतावनी दिये जाने का अधिकारी है । फिर भी यह बात स्थिर है कि विजति द्वारा नाकाबन्दी के सम्बन्ध में सूचना का अनुमान कर लिया जाना है यदि सूचना सम्यक् रूप से जारी की गई हो, तथा उस समय से तटस्थ सरकारों को उसे प्राप्त करने के लिये पर्याप्त समय व्यतीत हो गया हो ।

नाकाबन्दी की समाप्ति (Cessation of Blockade) :—निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक के होने पर नाकाबन्दी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है ।

- (१) युद्ध की समाप्ति पर;
- (२) नाकाबन्दी स्थापित करने वाली सरकार को उसे हटा देने पर;
- (३) उसका प्रभाविकता की समाप्ति पर;
- (४) जब नाकाबन्दी करने वाला नौसैन्य दल शत्रु दल द्वारा पराजित कर दिया जाय तथा भगा दिया जाय;

(५) जब यह अनुसरण अथवा युद्ध को लिये हटा लिया जाय,

(६) जब नाकाबन्दी के अधीन स्थान अथवा बन्दरगाह विजयी युद्धस्थित द्वारा अधिकार में ले लिया जाय ।

नाकाबन्दी भंग करने के लिए दंड (Penalty for Breach of Blockade) :—नाकाबन्दी को उल्लंघन करने का केवल विचारमात्र ही अपराधी प्रमाणित किये जाने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है । विचार के साथ ही साथ कोई कार्य भी होना चाहिये जिससे यह प्रकट हो कि बन्दरगाह में प्रवेश करने का यत्न किया गया है । सामान्य नियम यह है कि जहाज नाकाबन्दी भंग करने के लिये अपराधी प्रमाणित किया जाता है, तथा साथ ही साथ उनमें लदे हुए माल की भी वही गति होती है । माल के स्वामीगणों के सम्बन्ध में यह अनुमान कर लिया जाता है कि उनके माल लादते समय उन्हें नाकाबन्दी के अस्तित्व का ज्ञान था, तथा वे नाकाबन्दी उल्लंघन करने में गुप्त रूप से भागी सम्भवे जाते हैं ।

लन्दन की घोषणा के अनुच्छेद २१ में इस नियम को यह कह कर स्पष्ट किया गया है कि जो जहाज नाकाबन्दी भंग करने का अपराधी पाया जाय वह दण्डित किया जायगा । उस पर लदा हुआ माल भी अपराधी प्रमाणित किया जायगा जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि माल लादते समय व्यापारी को नाकाबन्दी भंग करने के विचार का न तो ज्ञान रहा और न ज्ञान रहना सम्भव ही था ।

पकड़े जाने के बाद नाकाबन्दी करने वाला जहाज नौजितमाल द्वारा उसके सम्बन्ध में निर्णय के लिये एक बन्दरगाह को भेजा जाता है । चालरगणों को बन्दी करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें किसी भी दशा में नौजितमाल न्यायालय के निर्णय के उपरान्त छोड़ देना चाहिये । यदि जहाज तथा उस पर लदे हुये माल के स्वामी एक ही हुये तो जहाज तथा उस पर लदा हुआ माल दोनों जम्न कर लिये जाते हैं । यदि वे भिन्न-भिन्न हुए तो माल केवल उनी दशा में जम्न किया जाता है जब वह युद्ध में प्रतिपिड हो अथवा स्वामियों को माल लादने समय नाकाबन्दी का ज्ञान रहा हो ।

निर्णीत वाद (Case Law)—कुछ महत्वपूर्ण वादो का यहाँ उल्लेख आवश्यक है। फ्रान्सिसका (Franciska) क वाद मे, जिसका कि सन्दर्भ पहले ही दिया जा चुका है, स्मरणीय है कि फ्रान्सिसका एक डैनिश पोत था, जो कि एक ब्रिटिश क्रूजर द्वारा उस समय पकडा गया जब कि वह रीगा के लिये जा रहा था और जब कि रीगा नामक बन्दरगाह ब्रिटेन के द्वारा रूस के विरुद्ध किये गये क्रोमिया युद्ध के समय सरोधित कर दिया गया था। पोत के मालिको द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि नाकाबन्दी को तोडने का कोई आशय नहीं था और फ्रान्सिसका को तभी रीगा के लिये आने बढने का आदेश दिया गया था जब कि नाकाबन्दी या सरोध न हो। यह कहा गया कि सरोधित स्थान के प्रति अज्ञान वा तर्क इस विशिष्ट वाद मे इस कारण से अवैध है कि जहाज के कप्तान को नाकाबन्दी को सूचना उमी समय से हो गई थी जब कि जहाज पिछले बन्दरगाह से आगे को बढा। प्रीवी कोर्सिल क न्यायाधीशो का निष्कर्ष था कि नाकाबन्दी, भले ही अन्यथा परिस्थितियो मे वैध हो, किन्तु यहाँ पर अवैध मानो जायगी क्योंकि कुछ ऐसी छूट युद्ध सलमन व्यापारी पोतो को दी गई हैं। जिससे तटस्थ शक्तियाँ वंचित थी।

फ्रेडेरिक मोल्के (Frederic Molke)^१ के वाद मे एक डैनिश पोत एक ब्रिटिश पात द्वारा उस समय बन्दी बना लिया गया जब कि वह हैवर (Havre) नामक बन्दरगाह से बाहर आ रहा था। यह बन्दरगाह फ्रांस से युद्ध के समय ब्रिटेन द्वारा सरोधित कर दिया गया था। डैनिश पोत एक तटस्थ पोत था और वास्तविक उसका गन्तव्य हैवर ही था किन्तु प्रकट रूप से वह कोपेनहेगेन के लिये बुरु किया गया था। लार्ड स्टोवेल (Lord Stowell) ने उस पोत और वेडे की मर्त्सना की क्योंकि पोत वा नाकाबन्दी की अस्तित्व के जानकारी करा दी गई थी। यह अवलोकन किया गया कि एक ऐसा पोत जो कि किसी सरोधित बन्दरगाह से वेडे सहित बाहर आ रहा है, प्रथम दृष्टया बन्दी बना लिये जान क योग्य है।

वाञ्छित साक्ष्य (Proof Required)—बेट्सी (Betsey)^२ के वाद मे, जिसका कि सदर्भ ऊपर दिया जा चुका है, सर विलियम स्कॉट (Sir William Scott) ने लिखा था कि नाकाबन्दी के प्रश्न पर तीन बातो को अवश्य ही प्रमाणित हो जाना चाहिये पहली बात यह कि एक वास्तविक नाकाबन्दी अस्तित्व मे है (The existence of an actual blockade), दूसरी बात यह कि पक्षकार को उसका ज्ञान था (The knowledge of the party), और तीसरी बात यह कि उनके

1. (1798) I C Rob 85.

2. (1793) I. C Rob, 93

भ्रतिलंघन में कोई कार्य किया गया हो (Some act of violation), जैसे नाकाबन्दी के लागू होने के बाद लदे हुए कार्गो का भीतर ले जाना या बाहर ले आना ।

प्राइज केसेज इन री० हिवाथा (Prize cases in re Hiwatha)^१ के वाद में संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अवलोकन किया गया था कि पोत चूँकि संरोधित बन्दरगाह में है तो यह प्रकल्पना की जा सकती है कि वहाँ पहुँचते ही उसे नाकाबन्दी की सूचना मिल गई होगी । राष्ट्रों की विधि में यह निर्णित नियम है । अतः कार्गो और पोत दोनों को एक परिणाम का भागी होना चाहिये ।

जमोरा (Zamora)^२ में लार्ड पार्कर (Lord Parker) का अवलोकन था कि किसी नाकाबन्दी की घोषणा करने वाला आदेश प्रथम दृष्टया रूप में संरोधित बन्दरगाहों में प्रवेश करने वाले पोतों को पकड़ लेने को न्यायोचित घोषित करेगा ।

लियोनोरा (Leonora)^३ के वाद में एक स्वीडिश कम्पनी द्वारा एक डच पोत पकड़ने वाला ब्रिटिश क्रूजर था । इस प्रसंग में यह अवलोकन किया गया कि वह परिपक्व आदेश जिसने कि पोत को पकड़े जाने को प्राधिकृत किया तदस्य बन्दरगाहों की नाकाबन्दी की घोषणा के लिये उपयुक्त नहीं है और यह कि उस आदेश में तदस्थो द्वारा सामानों को ले आने ले जाने का पूर्ण नियम नहीं था ।

लम्बी दूरी की नाकाबन्दी

प्रथम विश्वयुद्ध (First World War) :—प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१८) में ब्रिटेन की नौ सेना ने मुरंगों तथा पनडुब्बियों का भय सामने आने पर अपने जहाजों द्वारा जर्मनी की अत्यधिक दूरी की नाकाबन्दी प्रवृत्त की जो जर्मन बन्दरगाहों से एक हजार मील से भी अधिक दूरी छापे हुये थी । नागरिक जनता को बहुत अधिक कष्ट उठाना पडा तथा जर्मनी ने नाकाबन्दी को अवैध कहकर उसकी निन्दा की । इंग्लैंड द्वारा प्रवृत्त यह अत्यधिक दूरी की नाकाबन्दी जर्मनी के उस निर्णय के प्रतिकार स्वरूप थी जिसके द्वारा उसने ब्रिटिश माइल्स के चारों ओर के जलभागों में स्थित ब्रिटेन तथा मित्रों के व्यापारिक जहाजों पर उनके यात्रियों अथवा चालकगणों की रक्षा का ध्यान दिये बिना आक्रमण करने को कहा था । Stigstad वाले मामले (1919) A. C. 279] में लार्ड समर द्वारा यह निर्णय किया गया कि एक युद्धमान को अन्य युद्धमान की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय विधि के भंग किये जाने पर प्रतिकारक उपायों के करने का अधिकार है तथा यह कि प्रतिपिद्ध वस्तुओं वा

1. (1862) 2 Black, 635.

2. (1916) 2 A. C. 77.

3. (1919) A C. 974.

यातायात, अतटस्थ सेवा तथा नाकावदी के नियमों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए तटस्थ व्यापार को बिना हस्तक्षेप अथवा निराध के निरकुश रूप से जारी रहने का अधिकार नहीं है ।

द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३६-४५) (Second World War) :—द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३६-४५) में ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा सम्पूर्ण आर्थिक युद्ध के अभिक्रमण पर लम्बो दूरी की नाकावदी का पुनः अवलम्बन किया गया किन्तु पूर्व में भी युद्ध छिड़ जाने के कारण इससे अधिक प्रभाव नहीं पड़ा । जर्मनी ने भी सुरंग बिछाना तथा पनडुब्बियों द्वारा युद्ध आरम्भ किया । ग्रेट ब्रिटेन ने प्रतिवार के उपाय स्वरूप नवम्बर २७ सन् १९३६ का एक आर्डर-इन-कौंसिल जारी किया जिसके द्वारा जर्मन बन्दरगाहों अथवा जर्मन उत्पत्ति अथवा स्वामित्व के माल का अतिप्रमाण प्राधिकृत किया गया । जुलाई ३१ सन् १९४० के आर्डर-इन-कौंसिल ने यह निर्देश दिया कि उनकी बचत के लिये नैवीमर्त प्रमाणपत्र (प्रमाण पत्र जो तटस्थ देश के कूटनीतिक प्रतिनिधि द्वारा दिया जाय जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाय कि तटस्थ जहाज में लदा हुआ माल पकड़े जाने योग्य नहीं है) की अनुपस्थिति में माल पकड़ लिया जा सकता है तथा यह व्यवस्था की गई कि यह अनुमान कर लिया जायगा कि माल जिनके लिये नैवीमर्त प्रमाणपत्र न हो शत्रु के प्रदेश को जा रहे हैं । नैवीमर्त, मेलमर्त इत्यादि की पद्धति ने नाकावदी को सरल कर दिया तथा इसका प्रभाव वास्तव में तटस्थ व्यापार को तटस्थ देश के राजनयिक तथा कॉन्सल प्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्रों तथा प्रवेशपत्रों द्वारा नियंत्रण करने का था । ये उपाय कठोरता से नाकावदी के सामान्यतः स्वीकृत नियमों की आवश्यकताओं के अन्तर्गत नहीं लाये जा सकते थे किन्तु नौसेना युद्ध की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गये थे ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जायगा कि पुरानी पद्धति जिसके अन्तर्गत नौशक्तियों को सरोधित कर दिया जाता था, आधुनिक परिस्थितियों में प्रवर्तनीय नहीं है, विशेष रूप में उस समय जब कि टारपीडो नौकायें और सबमरीन्स का ऐसा युग आ गया है जिसमें कि सरोधित किनारों पर को जाने वाली कार्यवाहियाँ झाली से दिखाई तक नहीं पड़ती । नौसेना स्कवाड्रन की नाकावदी भी नभ आक्रमण के चंगुल से नहीं बच सकती । ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि हिजिन्स (Higgins) और कोलम्बस (Colombos) द्वारा कहा गया है, वास्तविक नाकावदी आज एक अव्यवहारिक हो चुकी है । अब नाकावदी सम्बन्धित प्रतिबन्ध ऐस ही द्वितीय दशक के बीच पोतो के आवागमन के प्रसंग में लागू हो सकती है जैसे ग्रेट ब्रिटेन और जापान ।¹

1. Higgins & Colombos The International Law of the Sea, 2nd Ed, p 559

निकट नावाबन्दी (Close Blockades) अब असम्भव हो जाने के कारण दूरवर्ती नाकाबन्दी की वैधता को उम समय चुनौती नहीं दी जा सकती यदि युद्ध सलग्न शक्ति का यह अधिकार मान्य कर लिया है कि वह व्यापारिक पोतों का भी सम्बन्ध विच्छेद कर दे।

अतः यहाँ हिजिन्स और कोलम्बस के शब्दों में कहा जा सकता है कि 'blockades conducted in strict accordance with the old rules are of little strategic value and that in the circumstances of modern naval warfare long range blockades are valid provided that they effectually prevent the ingress to or egress of all vessels and goods from, the blockaded area by sea and provided also that they are properly announced and maintained'

अर्थात् प्राचीन नियमों के अक्षरशः पालन में किया गया सरोध आज के युग में किसी भी सैनिक महत्व का नहीं है और यह कि आधुनिक नौयुद्ध कौशल की परिस्थितियों में ऐसे दूरवर्ती सरोध वैध हैं शर्त यह कि वे प्रभावकारी रूप में सरोधित क्षेत्र से पोत और सामान आने या जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा सकें और शर्त यह भी है कि उन्हें समुचित रूप से घोषित कर दिया जाय और बनाये रखा जाय।

अध्याय ४६

विनिषिद्ध

(Contraband)

परिभाषा — आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में "युद्ध में विनिषिद्ध ऐसी वस्तुओं का नाम है जो युद्धस्थिति में किसी एक के द्वारा शत्रु के पास ले जाय जाने को इस आधार पर निषिद्ध की जाती हैं कि उनसे वह लड़ाई अधिक प्रबलता के साथ लड़ने में समर्थ हो जाता है।" ("Contraband of war is the designation of such goods as are forbidden by either belligerent to be carried to the enemy on the ground that they enable him to carry on the war with greater vigour" Oppenheim International Law, Vol II, p, 799)। केलसन के अनुसार "युद्ध में विनिषिद्ध वे वस्तुएँ हैं जिनका शत्रु के पास परिवहन युध्यमानों में से किसी एक के द्वारा सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार निषिद्ध है" (Contraband of war are goods the transport of

which to the enemy is forbidden by either belligerent in conformity with general International Law. : Hans Kelsen : Principles of International Law, p. 79) । युद्ध में विनिषिद्ध ऐसी वस्तुओं का द्योतक है जिनका तटस्थ द्वारा युद्धस्थित के पास ले जाना आपत्तिजनक समझा जाता है क्योंकि वे युद्ध को जारी रखने में प्रत्यक्षरूप से उपयोगी समझी जाती हैं अथवा अन्य प्रकार से युद्धस्थितों में से एक को युद्ध संचालन में सहायता प्रदान करती हैं ।

जैकसन (Jackson) का कथन है कि विनिषिद्ध वह सम्पत्ति है जो शत्रु के क्षेत्र को जा रही हो और इस प्रकार की हो कि शत्रु को युद्ध में सहायता दे सके ।

इसका आधार (Its Basis) :—पिटकोवेट के अनुसार विनिषिद्ध की विधि का आधार युद्धस्थित का वह अधिकार है जिससे वह उस तटस्थ सम्पत्ति को अपराधी प्रमाणित कर सकता है जो उसके शत्रु के सैनिक उपयोग के लिये जा रही हो ।

पण्य का विभाजन (Division of Commodities) :—ग्रोशस (Grotius) ने पण्य को तीन वर्गों में विभाजित किया है :—(१) वे वस्तुएँ जो केवल युद्ध के लिये उपयोगी हैं, उदाहरणार्थ शस्त्र, प्रक्षेपण, बारूद इत्यादि (२) वे वस्तुएँ जो युद्ध-सदृश प्रयोजनों के लिये निरर्थक हैं, उदाहरणार्थ फेशन की तथा फेशी वस्तुएँ, घड़ियाँ, जेबघड़ियाँ तथा साबुन इत्यादि तथा (३) वे वस्तुएँ जो युद्ध तथा शान्ति की बिना अपेक्षा किये हुए उपयोगी हैं यथा द्रव्य, खाद्य पदार्थ, जहाज, नौसेना सामग्री, इत्यादि । उनके अनुसार प्रथम तो जब वे शत्रु के क्षेत्र को जा रही हो मार्ग में अभिग्रहीत की जा सकती हैं, दूसरी अभिग्रहीत किये जाने से सर्वदा उन्मुक्त हैं तथा तीसरी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर हैं ।

वत्तल (Vattel) कुछ अंशों में इसी प्रकार का भेद करते हैं लेकिन वह लकड़ी तथा नाविक सामग्री को उन वस्तुओं में सम्मिलित करते हैं जो युद्ध के प्रयोजन के लिए उपयोगी हैं तथा ऐसी परिस्थिति में तटस्थों को उन्हें शत्रु के पास ले जाने का निषेध करते हैं ।

इस सम्बन्ध में कि कौन सी वस्तुएँ विनिषिद्ध कही जाय मतभेद है । ब्रिटेन का मत विनिषिद्ध वस्तुओं की एक लम्बी सूची बनाने के पक्ष में है तथा उसके अनुसार वस्तुओं के पूर्णतः विनिषिद्ध, सप्रतिबन्ध प्रासंगिक अथवा सापेक्षिक विनिषिद्ध पदार्थों में विभाजित करता है । पूर्णतः विनिषिद्ध पदार्थों में ऐसी वस्तुएँ सम्मिलित हैं जैसे शस्त्र, उनको बनाने के यंत्र, गोला, बारूद, सैनिक प्रकार का बपड़ा इत्यादि; लेकिन सप्रतिबन्ध, प्रासंगिक अथवा सापेक्षिक विनिषिद्ध वस्तुओं में ऐसे पदार्थ आते हैं जैसे खाद्यसामग्री, कोयला, सोना इत्यादि जो परिस्थितियों के अनुसार विनिषिद्ध

होते हैं अथवा नहीं। फ्रांस वालों के मतानुसार जिसका अनुकरण यूरोप की अन्य शक्तियों द्वारा किया गया इसकी तुलना में बहुत कम वस्तुओं को विनिषिद्ध माना गया तथा यह माना गया कि सप्रतिबन्ध विनिषिद्ध वस्तुएँ नहीं हो सकती हैं। वही वस्तु विनिषिद्ध थी अथवा नहीं थी, तथा वह दोनों नहीं हो सकती थी अर्थात् एक प्रकार की परिस्थितियों में विनिषिद्ध तथा अन्य प्रकार की परिस्थितियों में निर्दोष।

सन् १९०६ की असत्यापित लन्दन की घोषणा ने दो परस्पर विरोधी मतों के इस दीर्घकालीन झगड़े को तय करने का प्रयत्न किया। इसने वस्तुओं को तीन वर्गों में विभाजित कर दिया अर्थात् निरपेक्ष विनिषिद्ध, सप्रतिबन्ध विनिषिद्ध तथा अनिषिद्ध।

निरपेक्ष विनिषिद्ध (Absolute Contraband).—निरपेक्ष विनिषिद्ध माल वे वस्तुएँ हैं जो विशेष रूप से युद्ध के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाने के निमित्त हैं अर्थात् सब प्रकार के शस्त्र, उनको उत्पादन करने के यंत्र, प्रक्षेपण, बारूद, तोपों के आरोपण, कपडा तथा सामान जो स्पष्ट रूप से सैनिक लक्षणों से युक्त हों, विशेष रूप से सैनिक लक्षण की जीन तथा लगाम, कवच, युद्धरोत इत्यादि। ऐसी वस्तुएँ ऐसे रूप तथा लक्षणों से ही दोषयुक्त हैं। वे ऐसी वस्तुएँ हैं जो शत्रु को ऐसा सैनिक लाभ प्रदान करने वाली हैं कि युध्यमान को उनके अभिग्रहण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः घोषण का यह विचार उचित ही है कि तटस्थ जो इस प्रकार से पूर्णतः विनिषिद्ध वस्तुओं को युध्यमान को प्राप्त करवाये "शत्रु के पक्ष का" हो जाता है। ऐसा माल अपराधी प्रमाणित तथा जप्त कर लिया जा सकता है चाहे माल सीधा जा रहा हो अथवा उसे दूर जहाज में लादना हो या भ्रमन्तर स्थान से परिवहन करना हो।

सप्रतिबन्ध विनिषिद्ध (Conditional Contraband).—सप्रतिबन्ध विनिषिद्ध माल में वे वस्तुएँ आती हैं जो युद्ध तथा शान्ति दोनों प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जा सकें। वे इस प्रकार की वस्तुएँ हैं जैसे खाद्य पदार्थ, चारा तथा घनाज, कपड़े, वस्त्र, सोना, तथा चाँदी सिक्कों तथा चाँदी या सोने की ठोस ईंटों के रूप में वाहन, नावें, रेलवे सामान, जलाने की लकड़ी तथा जीन और लगाम, इत्यादि। ऐसी वस्तुएँ यदि वे युध्यमान के सैनिक दलों के लिये जा रही हों अथवा किसी जहाज पर लदी हुई पाई जाय जो ऐसे क्षेत्र को जा रहा हो जो शत्रु के अधिकार अथवा दखल में हो तथा जब वे मध्यवर्ती तटस्थ बन्दरगाह में उतराने जान को न हों तो अभिग्रहीत की जा सकती हैं।

अनिषिद्ध (Non Contraband).—अनिषिद्ध अथवा प्रतिस्पर्धरहित वस्तुओं में कच्ची रूई, ऊन, रेशम, जूट, तिलहन, रबर, बच्चा चमड़ा, चीनी मिट्टी

के पात्र, घड़ियाँ, तथा जेब घड़ियाँ, फैशन तथा फैशियों का माल, कार्यालय का सामान इत्यादि आते हैं। ऐसी वस्तुओं किसी भी देश में विनिपिद्ध घोषित नहीं की जा सकती।

पीटरहोफ़ वाला मामला (The Peterhoff Case) :—विनिपिद्ध के विषय में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान पीटरहोफ़ वाले मामले [(1866) 5 Wallace 58] में आकर्षित किया जिसमें गृहयुद्ध के मध्य इंग्लैण्ड से विनिपिद्ध माल मैटामोरस को भेजा गया था जो रायो डे ग्रेनेड में मेक्सिको की ओर स्थित एक तटस्थ बन्दरगाह था। यह कहा गया कि जहाज का आशय दक्षिणी मध्य के समुद्रतट की नाकाबन्दी को उल्लंघन करने का था यद्यपि वह प्रत्यक्षतः एक तटस्थ बन्दरगाह को जा रहा था। न्यायालय ने व्यक्त किया कि "माल को विनिपिद्ध अथवा अविनिपिद्ध वस्तुओं में वर्गीकरण ने मूलग्रंथ लेखकों तथा विधि विद्वानों को बहुत उद्विग्न किया है। पूर्णरूप से शुद्ध तथा संतोषपूर्ण वर्गीकरण कदाचित् असाध्य है लेकिन यह कहा जा सकता है कि अमेरिका तथा इंग्लैण्ड के नियमों से जो कुछ सबसे अधिक पुष्ट किया गया है उसके अनुसार व्यापारी माल को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् (१) वे वस्तुएँ जिनका उत्पादन तथा मुख्यतः अथवा सामान्यतः उपयोग युद्ध के समय में सैनिक प्रयोजनों के लिये किया जाय, (२) वे वस्तुएँ जो परिस्थितियों के अनुसार युद्ध अथवा शान्ति के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जायें। तथा (३) वे वस्तुएँ जो केवल शान्ति के प्रयोजनों के लिये उपयोग की जायें। प्रथम वर्ग का व्यापारिक माल जो एक युद्धस्थित देश को अथवा युद्धस्थित की सेना अथवा नौसेना द्वारा अधिकृत स्थानों को ले जाया जा रहा हो सर्वदा विनिपिद्ध है, दूसरे वर्ग का व्यापारिक माल केवल उसी देश में विनिपिद्ध है जब वह वास्तव में युद्धस्थित की सेना अथवा नौसेना के उपयोग के लिये ले जाया जा रहा हो और तीसरे वर्ग का व्यापारिक माल किसी प्रकार से भी विनिपिद्ध नहीं है तथापि वह नाकाबन्दी अथवा घेरे के उल्लंघन करने के लिये अभिग्रहण अथवा अपराधी प्रमाणित किय जाने के अधीन है।"

लन्दन की असदर्यापित घोषणा के अनुच्छेद ३० में यह निर्धारित किया गया है कि पूर्णतः विनिपिद्ध माल यदि वह शत्रु के अधीन अथवा शत्रु द्वारा अधिकृत क्षेत्र को अथवा शत्रु के सैनिक दलों को ले जाया जा रहा हो तो वह अभिग्रहीत किया जा सकता है। निरपेक्ष विनिपिद्ध वस्तुओं के लिये केवल जो बात अपेक्षित है वह यह है कि वह किसी भी प्रकार के शत्रु के क्षेत्र को ले जाया जा रहा है। जब जहाज के कागजपत्रों से यह प्रकट हो कि माल शत्रु के किसी बन्दरगाह में उतारा जाने वाला है अथवा उसकी सेनाओं या जंगी जहाजों को दिया जाने वाला है तो शत्रु के क्षेत्र का अनुमान किया जा सकता है।

अनुच्छेद ३३ में यह व्यवस्था की गई है कि संप्रतिबन्ध विनिपिद्ध माल केवल उसी दशा में अभिग्रहीत किया जा सकता है जब वह या तो शत्रुराज्य के सैनिक दलों अथवा सरकारी विभाग तक ले जाया जा रहा हो। संप्रतिबन्ध विनिपिद्ध वस्तुओं के प्रसंग में अभिग्रहण किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि वे शत्रुराज्य के सैनिक दलों अथवा उसके किसी सरकारी विभाग के लिए जाये जा रहे हों। यदि संप्रतिबन्ध विनिपिद्ध माल शत्रु द्वारा अधिकृत किसी सुरक्षित स्थान के लिए अथवा उसकी क्रियाशीलता के आस्थान तक, अथवा उसके प्राधिकारियों अथवा शत्रु देश के किसी ठेकेदार तक जो शत्रु की सरकार को विवादग्रस्त प्रकार की वस्तुओं को पहुँचाता हो, भेजा जा रहा हो तो माल का लक्ष्य शत्रु का क्षेत्र होना अनुमानित किया जा सकता है। लौरेंस उचित रीति से यह व्यक्त करते हैं कि "यह बात कि माल किस उपयोग में लाया जायगा उसके दोषी होने अथवा निर्दोष होने को प्रमाणित करती है। उपयोग का प्रमाण माल का लक्ष्य स्थान है तथा कागज पत्रादि लक्ष्य स्थान के प्रमाण हैं।"

अपराध के आवश्यक अंग (Essentials of Guilt) — लौरेंस विनिपिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में अपराधी होने के अंगों को निम्नलिखित शब्दों में सक्षित करते हैं :— सर्वप्रथम यह कि विनिषेध की विधि का लक्ष्य परिवहन है न कि सीधा या विक्रय। तटस्थ व्यापारीगण तटस्थ क्षेत्र के भीतर शस्त्र तथा अन्य विनिपिद्ध माल युद्धस्थित शक्तियों के अभिकर्ताओं को बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं। केवल उस दशा में जब वे ऐसी वस्तुयें युद्धस्थितों में से किसी एक को निर्यात करते हैं उनके शत्रु को अभिग्रहण का अधिकार प्राप्त होता है।

द्वितीय यह कि युद्धस्थित लक्ष्यक्षेत्र आवश्यक है।

तृतीय यह कि अपराध उसी क्षण पूर्ण हो जाता है जब कोई विनिपिद्ध वस्तुओं से लदा हुआ जहाज तटस्थ जलभाग को युद्धस्थित लक्ष्य क्षेत्र के लिए छोड़ता है। जैसा कि लार्ड स्ट्राबेल ने इमिना (Imina) वाले मामले में (C. Robinson, Admiralty Reports, Vol. III, p. 164) में कहा है "वस्तुओं को शत्रु व किसी बन्दरगाह की यात्रा वास्तविक रूप से कराये जाने में ही दोषी मान लेना चाहिये।"

सन् १९०६ की लन्दन की घोषणा के अनुसार वस्तुएँ जो केवल अस्वस्थ तथा घायलों के उपयोग के लिए अथवा यात्रा के मध्य वहन करने वाले जहाज और उसके चालकगणों तथा यात्रियों के उपयोग के लिए हो, अभिग्रहण किए जाने से उन्मुक्त हैं चाहे उनका लक्ष्य क्षेत्र शत्रु का स्थान ही क्यों न हो क्योंकि ऐसी वस्तुयें विनिपिद्ध नहीं मानी जाती।

विनिषिद्ध का वहन करने के लिए दंड (Penalty for Carrying Contraband) :—सन्धन की घोषणा के अनुच्छेद ३६ तथा ४० में यह व्यवस्था की गई है कि केवल विनिषिद्ध वस्तुएँ ही नहीं वरन् वह जहाज भी जो उनको ले जा रहा हो, यदि विनिषिद्ध माल की गणना उसके मूल्य, भार, राशि अथवा भाड़े से किये जाने पर वह कुल लदे हुए माल के आधे से अधिक हो जब्त किया जा सकता है। उस दशा में जब माल अपराधी प्रमाणित किया जाय तथा जहाज छुड़ा लिया जाय तो उसे अभिग्रहण करने वाले को राष्ट्रीय नौजितमाल न्यायालय की कार्यवाहियों तथा उनके बीच जहाज तथा उस पर लदे हुए माल की अभिरक्षा के सम्बन्ध में लगे हुए कीमत तथा व्यय देने का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इससे विनिषिद्ध माल का स्वामी अपने ऐसे निर्दोष माल की भी हानि उठाने का उत्तरदायी हो जाता है जो कि उसी जहाज पर लदा पाया जाय, किन्तु निर्दोष माल जो अन्य स्वामियों की सम्पत्ति है ऐसे दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है। यदि जहाज में लदे हुए माल में से आधे से कम विनिषिद्ध वस्तु हो तो वह अपराधी प्रमाणित नहीं किया जा सकता तथा उसका मालिक विनिषिद्ध वस्तु को उसे हस्तगत कर सकता है।

व्यावहारिक रूप में ब्रिटेन के तथा यूरोपीय महाद्वीप के देश अभिग्रहीत विनिषिद्ध माल अथवा उनको ले जाने वाले जहाज को युद्धस्थित राज्य द्वारा सस्थापित नौजितमाल न्यायालय के पास निर्णय के लिये भेजते हैं। यदि नौजितमाल न्यायालय अभिग्रहण को पुष्ट कर देता है तो माल अथवा जहाज उपयुक्त नौजितमाल समझा जाता है तथा अभिग्रहण करने वाले राज्य द्वारा जन्म कर लिया जाता है।

सर विलियम स्कॉट द्वारा न्यूट्रैलिटी (The Neutrality : 6 C. Rob. 30) में यह व्यक्त किया गया कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नियम निश्चित रूप से यह है कि जहाज विनिषिद्ध माल ले जाने के लिये अपराधी प्रमाणित किये जाने के अधीन न होगा। किन्तु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जब जहाज माल के स्वामी की सम्पत्ति हो अथवा जब जहाज मिथ्या-क्षेत्र को लक्ष्य दिखा कर अथवा मिथ्या कागज-पत्र लेकर जा रहा हो तो ये परिस्थितियाँ अपराध को बढ़ा देती हैं तथा ऐसे मामले आधुनिक नियम के अपवादस्वरूप हो जाते हैं।

वैध अभिग्रहण के लिये मुआवजा (Compensation for Lawful Seizure) :—तीन दशाओं में जब कि माल वैध रूप से अभिग्रहण किया जाय मुआवजा देना पड़ता है। वे निम्नलिखित हैं :—

१. जब जहाज से समुद्र में मुठभेड़ हो तथा उसका मालिक युद्ध छिड़ने अथवा वस्तुओं के विनिषिद्ध घोषित किये जान से अनभिज्ञ हो।

२. जब मालिक को यह ज्ञात हो जाय कि युद्ध छिड़ गया है किन्तु उसे विनिषिद्ध वस्तुओं को उतारने का अवसर न प्राप्त हुआ हो ।

३. जब अत्यन्त आवश्यकता के दबाव में चिकित्सा-सम्बन्धी सामग्री अभि-
ग्रहीत कर ली जाय ।

लन्दन की घोषणा (१९०६) सत्यापित न किये जाने के कारण प्रवृत्त न हो सकी । प्रथम विश्वयुद्ध के मध्य ग्रेट ब्रिटेन ने असह्य वस्तुओं को लन्दन की घोषणा की पूर्णतः विनिषिद्ध वस्तुओं की सूची में जोड़ दिया । द्वितीय विश्वयुद्ध के सघात ने विनिषिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में लन्दन की घोषणा को पूर्णतः हवा में उड़ा दिया । विनिषिद्ध सम्बन्धी पुराने नियमों की निर्भीकता से उपेक्षा की गई । सितम्बर सन् १९३६ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा विनिषिद्ध पदार्थों की एक नयी सूची घोषित की गई जिसमें प्रत्येक वस्तु जो इस कोटि में आ सकती थी, समावेशित थी ।

अलवाकी (The Alwaki) के वाद में, अलवाकी और तीन अन्य डच पोत नार्वे पोत के साथ थे जो कि दक्षिणी अमेरिकी बन्दरगाहों की ओर शत्रुता आरम्भ होने के पूर्व ही चल पड़े थे, और उनमें ऐसी सामग्रियाँ थी जो कि कुछ तो आशिक रूप से निर्पक्षत विनिषिद्ध थी और कुछ अशत शर्त पर विनिषिद्ध थी । युद्ध आरम्भ होने के बाद यह पोत पकड़ लिये गये । इस प्रसंग में न्यायालय का अभिमत था कि युद्ध के लाभ की सामग्रियों के सम्बन्ध में दावेदार के ऊपर भार है कि वह अपने दावे को सिद्ध कर सके और यह क्राउन का काम नहीं है कि वे एक अस्तिवाची वाद को विशिष्ट बनाने का तर्क उपस्थित करें । अतः यह बन्दीकरण उस समय तक समुचित प्रतीत होता है जब तक कि उसका कोई दावेदार सामने आकर अपने दावे को प्रस्थापित नहीं कर देता । न्यायालय ने पोतों में निहित माल को विनिषिद्ध करार दिया ।

विनिषिद्ध और नाकाबन्दी से सम्बन्ध (Relationship between Contraband and Blockade)—विनिषिद्ध शब्द के अर्न्तगत दो मुख्य बातें आती हैं, पहली यह है कि माल किस प्रकार का है और दूसरी यह कि माल शत्रु के गन्तव्य तक जा रहा है । अतः केवल ऐसे ही माल को पकड़ा जा सकता है जो कि विनिषिद्ध सूची में है और जिसका कि निर्यात शत्रु के क्षेत्र तक होना है । नाकाबन्दी के अर्न्तगत शत्रु के सभी आवागमन को किनारे या बन्दरगाहों तक रोक देने की क्रिया आती है जिससे कि उसका समुद्रों यातायात विशृङ्खलित हो जाय । विनिषिद्ध और नाकाबन्दी में मुख्य अन्तर यह है कि विनिषिद्ध के अर्न्तगत जहाँ केवल निषेधित वस्तुओं के ले आने या ले जान पर रोक लगाई जाती है वहाँ नाकाबन्दी में शत्रु के सभी प्रकार के पोतों और मालों को रोक दिया जाता है ।

विनिषिद्ध का वहन करने के लिए दंड (Penalty for Carrying Contraband) :—लन्दन की घोषणा के अनुच्छेद ३९ तथा ४० में यह व्यवस्था की गई है कि केवल विनिषिद्ध वस्तुएँ ही नहीं वरन् वह जहाज भी जो उनको ले जा रहा हो, यदि विनिषिद्ध माल को गणना उसके मूल्य, भार, राशि अथवा भाड़े से किये जाने पर वह कुल लदे हुए माल के आधे से अधिक हो जब्त किया जा सकता है। उस दशा में जब माल अपराधी प्रमाणित किया जाय तथा जहाज छुड़ा लिया जाय तो उसे अभिग्रहण करने वाले को राष्ट्रीय नौजितमाल न्यायालय की कार्यवाहियों तथा उनके बीच जहाज तथा उस पर लदे हुए माल की अभिरक्षा के सम्बन्ध में लगे हुए कीमत तथा व्यय देने का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इससे विनिषिद्ध माल का स्वामी अपने ऐसे निर्दोष माल की भी हानि उठाने का उत्तरदायी हो जाता है जो कि उसी जहाज पर लदा पाया जाय, किन्तु निर्दोष माल जो अन्य स्वामियों की सम्पत्ति है ऐसे दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है। यदि जहाज में लदे हुए माल में से आधे से कम विनिषिद्ध वस्तु हो तो वह अपराधी प्रमाणित नहीं किया जा सकता तथा उसका मालिक विनिषिद्ध वस्तु को उसे हस्तगत कर सकता है।

व्यावहारिक रूप में ब्रिटेन के तथा यूरोपीय महाद्वीप के देश अभिग्रहीत विनिषिद्ध माल अथवा उनको ले जाने वाले जहाज को युद्धस्थित राज्य द्वारा सस्थापित नौजितमाल न्यायालय के पास निर्णय के लिये भेजते हैं। यदि नौजितमाल न्यायालय अभिग्रहण को पुष्ट कर देता है तो माल अथवा जहाज उपर्युक्त नौजितमाल समझा जाता है तथा अभिग्रहण करने वाले राज्य द्वारा जब्त कर लिया जाता है।

सर विलियम स्वाँट द्वारा न्यूट्रैलिटी (The Neutrality . 6 C. Rob. 30) में यह व्यक्त किया गया कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नियम निश्चित रूप से यह है कि जहाज विनिषिद्ध माल ले जाने के लिये अपराधी प्रमाणित किये जाने के अधीन न होगा। किन्तु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जब जहाज माल के स्वामी की सम्पत्ति हो अथवा जब जहाज मिथ्या-क्षेत्र को लक्ष्य दिखा कर अथवा मिथ्या कागज-पत्र लेकर जा रहा हो तो ये परिस्थितियाँ अपराध को बढ़ा देती हैं तथा ऐसे मामले आधुनिक नियम के अपवादस्वरूप हो जाते हैं।

वैध अभिग्रहण के लिये मुआवजा (Compensation for Lawful Seizure) .—तीन दशकों में जब कि माल वैध रूप से अभिग्रहण किया जाय मुआवजा देना पड़ता है। वे निम्नलिखित हैं .—

१. प्रय जहाज से समुद्र में मुठभेड़ हो तथा उसका मालिक युद्ध छिड़ने अथवा वस्तुओं के विनिषिद्ध घोषित किये जाने से अनभिज्ञ हो।

२. जब मालिक को यह ज्ञान हो जाय कि युद्ध छिड़ गया है किन्तु उसे विनिषिद्ध वस्तुओं को उतारने का भवसर न प्राप्त हुआ है।

३. जब अत्यन्त आवश्यकता के दबाव में विकिरसा-सम्बन्धी सामग्री अभि-
प्रहीत कर ली जाय।

लन्दन की घोषणा (१९०६) सत्यापित न किये जाने के कारण प्रवृत्त न
हो सकी। प्रथम विश्वयुद्ध के मध्य ग्रेट ब्रिटेन ने असह्य वस्तुओं को लन्दन की
घोषणा की पूर्णतः विनिषिद्ध वस्तुओं की सूची में जोड़ दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के
सघात ने विनिषिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में लन्दन की घोषणा को पूर्णतः हवा में उड़ा
दिया। विनिषिद्ध सम्बन्धी पुराने नियमों की निर्मात्रा से अपेक्षा की गई। सितम्बर
सन् १९३६ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा विनिषिद्ध पदार्थों की एक नयी सूची घोषित की गई
जिसमें प्रत्येक वस्तु जो इन कोटि में आ सकती थी, समावेशित थी।

अलवाकी (The Alwaki) के वाद में, अलवाकी और तीन अन्य
डच पोत नार्वे पोत के साथ थे जो कि दक्षिणी अमेरिकी बन्दरगाहों की ओर
शत्रुता प्रारम्भ होने के पूर्व ही चल पड़े थे, और उनमें ऐसी सामग्रियाँ थी जो कि
शुद्ध तो आशिक रूपा से निषेधित। विनिषिद्ध थी और कुछ अंशतः पर विनिषिद्ध
थीं। युद्ध प्रारम्भ होने के बाद यह पोत पकड़ लिये गये। इस प्रसंग में न्यायालय
का अभिमत था कि युद्ध के लाभ की सामग्रियाँ के सम्बन्ध में दावेदार के ऊपर
आधार है कि वह अपने दावे को सिद्ध कर सके और यह क्राउन का काम नहीं है
कि वे एक अस्तिवाची वाद को विशिष्ट बनाने का तर्क उपस्थित करें। अतः यह
बन्दीकरण उस समय तक समुचित प्रतीत होता है जब तक कि उसका कोई दावेदार
सामने आकर अपने दावे को प्रस्थापित नहीं कर देता। न्यायालय ने पोतों में निहित
माल को विनिषिद्ध करार दिया।

विनिषिद्ध और नाकाबन्दी से सम्बन्ध (Relationship between
Contraband and Blockade)—विनिषिद्ध शब्द के अन्तर्गत दो मुख्य बातें
आती हैं, पहली यह है कि माल किस प्रकार का है और दूसरी यह कि माल शत्रु
के अन्तर्गत जा रहा है। अतः केवल ऐसे ही माल को पकड़ा जा सकता है जो
कि विनिषिद्ध सूची में है और जिसका कि निर्यात शत्रु के क्षेत्र तक होना है।
नाकाबन्दी के अन्तर्गत शत्रु के सभी आवागमन को किनारे या बन्दरगाहों तक रोक
 देने की क्रिया आती है जिससे कि उसका समुद्रों यातायात विश्रुल्लित हो जाय।
विनिषिद्ध और नाकाबन्दी में मुख्य अन्तर यह है कि विनिषिद्ध के अन्तर्गत जहाँ
केवल निषेधित वस्तुओं के ले भाने या ले जाने पर रोक लगाई जाती है वहाँ
नाकाबन्दी में शत्रु के सभी प्रकार के पोतों और मालों को रोक दिया जाता है।

नाकाबन्दी के अन्तर्गत किसी पोत की भरसना करने के लिये इतना ही पर्याप्त है कि वह सँरोधित क्षेत्र में घुस रहा था, या घुसने का प्रयत्न कर रहा था ।

पिछले दो विश्व युद्धों ने नाकाबन्दी और विनिपिद्ध के अन्तर को बहुत कुछ मिटा दिया है और आज की समुद्री युद्ध विधि में विनिपिद्ध और नाकाबन्दी दोनों का प्रयोग एक ही प्रयोजन में किया जाने लगा है ।

निरन्तर यात्रा का सिद्धान्त (Doctrine of Continuous Voyage):—

“निरन्तर यात्रा के सिद्धान्त में वह साहसिक कार्य निहित है जिसमें माल प्रथम तो किसी तटस्थ बन्दरगाह को और वहाँ से आगे किसी शत्रु के प्रदेश को ले जाया जाय, जो कुछ प्रयोजनों के लिये केवल एक ही परिवहन हो तथा जिसमें वे सब परिणाम होते यदि तटस्थ बन्दरगाह बीच में न पड़ता ।” (पिट कोर्ट) ।

तटस्थ जहाज अपनी यात्रा दो भागों में विभक्त करके विनिपिद्ध वस्तुओं का अभिग्रहण बचाने का प्रयत्न करते थे । जब वे युद्ध में विनिपिद्ध पदार्थों को शत्रु के देश में ले जाते तो वे प्रकट रूप में अपने फागज पत्रों के अनुसार किसी तटस्थ प्रदेश को रवाना होते, उस प्रकट रूप से लक्ष्य प्रदेश में अर्थात् तटस्थ बन्दरगाह में अपना माल उतारते, यदि आवश्यकता हुई तो कर देते और तब अपने वास्तविक लक्ष्य प्रदेश अर्थात् युद्धस्थित बन्दरगाह में पहुँचने का प्रयास करते । इसी प्रकार नाकाबन्दी तोड़ने के लिये वे किसी तटस्थ बन्दरगाह को जो नाकाबन्दी किये गये समुद्र तट के समीप में स्थित हो अपना प्रकट लक्ष्य प्रदेश मानेंगे तथा तटस्थ बन्दरगाह से माल को नाकाबन्दी किये गये बन्दरगाह में पुनः जहाज से ले जायेंगे । लेकिन निरन्तर यात्रा अथवा निरन्तर परिवहन का सिद्धान्त लागू किये जाने से तटस्थों का युद्ध में विनिपिद्ध अथवा नाकाबन्दी सम्बन्धी नियम को बचाने का प्रयत्न विफल हो गया । सिद्धान्त में यह निर्धारित किया गया कि उस माल को जो यदि शत्रु के बन्दरगाह को ले जाया जाता तो विनिपिद्ध होता बीच में ही विनिपिद्ध के रूप में रोका जा सकता है, चाहे वह प्रकट रूप में किसी तटस्थ बन्दरगाह को ही क्यों न ले जाया जा रहा हो यदि वास्तव में अभिप्राय यह ही कि वह उस तटस्थ बन्दरगाह से भूमि अथवा समुद्र द्वारा किसी शत्रु क्षेत्र को ले जाया जाय ।

निरन्तर यात्रा के सिद्धान्त की नाकाबन्दी, विनिपेध तथा अतटस्थ सेवा में उपयोगिता:—हाइड का कथन है कि “निरन्तर यात्रा का सिद्धान्त नौजितमाल न्यायालयों के हाथों में तटस्थ व्यापारियों द्वारा युद्ध-स्थित के निपेधों को बचाने के प्रयत्नों के विफल करने के उपयोग में लाये जाने का एक साधन प्रदान करता है । वे निपेध इस प्रकार के होते हैं जैसे शत्रु के उपनिवेशों से व्यापार अथवा विनिपिद्ध पदार्थों को उसके क्षेत्र में ले जाना अथवा उसके तटों की नाकाबन्दी तोड़ने का प्रयत्न करना ।”

“यात्राओं के निरन्तर बनी रहने का परीक्षण नाकाबन्दी, शत्रुओं से व्यापार, तटस्थ सेवा, विनिपिद्ध पदार्थों का ले जाना तथा वास्तव में उन सब मामलों में आवश्यक है अथवा हो सकता है जिसमें जहाज का लक्ष्य क्षेत्र अथवा माल महत्व रखता हो। घट्ट यात्रा का परीक्षण मुख्यतः तब होता है जब यह समझा जाय कि अभिग्रहण करने वाली शक्ति का कोई प्रजाजन शत्रु से व्यापार कर रहा है अथवा कोई तटस्थ विनिपिद्ध वस्तुओं को शत्रु के पास अथवा उस नियम के अधीन जिसे “सन् १७५६ का नियम” कहते भेज रहा हैं। यह उस मामले में भी महत्व ग्रहण कर लेता है जब कि नाकाबन्दी तोड़ने के आशय का संदेह हो। यदि कोई माल नाकाबन्दी के भीतर से ले जाये जान क लिए निर्देशित हो तो वह यात्रा के किसी भी स्थिति में पकड़ा जा सकता है। ऐसी दशा में कोई तटस्थ क्षेत्र बीच में डाल दिया जायगा और उतारने, दूसरे जहाज में लादने तथा बिक्री इत्यादि की सब रीतियाँ वैसी ही व्यवहार की जायेंगी जैसी विनिपिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में, और दोनों के विषय में वही जांच तथा तर्क क सिद्धान्त उपयोगी हैं।” (Cf. Wheaton . Elements of International Law, 1936 pp 558-560)

अतः इन सिद्धान्त का उपयोग निपिद्ध व्यापार, नाकाबन्दी तथा विनिपिद्ध वस्तुओं के मामलों में किया गया है। सन् १७५६ के युद्ध के नियम ने जिसकी विवेचना थोड़े ही आगे की गई है युध्यमानों को इस योग्य बनाया कि वे तटस्थों को ऐसा व्यापार करने से वर्जित करें जो उनके लिये शान्तिकाल में बन्द रहा हो। सिद्धान्त के नाकाबन्दी के विषय में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में इसने यह अनुमति दी कि माल यात्रा के किसी भी स्थिति में पकड़ा जा सकता है यदि उसका उद्देश्य नाकाबन्दी के भीतर से ले जाए जाने का हा।

विनिपिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में लन्दन की घोषणा के अनुच्छेद ३६ में यह व्यवस्था की गई है कि पूर्णत विनिपिद्ध माल यदि वह शत्रु के अधिकार वाले अथवा उसके द्वारा अधिकृत क्षेत्र को अथवा उसके सशस्त्र बलों को जा रहा हो तो वह अभिग्रहीत किया जा सकता है। इसने लिये इस बात का विचार आवश्यक है कि माल सीधा जा रहा या अथवा उसे दूसरे जहाज में लादना पड़ता था या कि उसे अन्तर पुनः स्थल से परिवहन करना पड़ता था।

निरन्तर की समुद्री यात्रा के महत्वपूर्ण वाद (Leading Cases on Continuous Voyage)—‘लॉर्ड स्टोवेल’ ने निरन्तर समुद्री यात्रा के सिद्धान्त का तात्पर्य मैरिया (Maria)^१ के वाद में निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया है—

१ . (१७६६) ५ सी० रॉब० ३६८ ।

“यह एक अन्तर्निहित सुनिश्चित सिद्धान्त है कि केवल किसी बन्दरगाह को स्पर्श कर देना ही समुद्री यात्रा की प्रकृति को बदल देने के लिए पर्याप्त नहीं है, निरन्तर समुद्री यात्रा प्रत्येक रूप में वहाँ तक तथैव मानी जायेगी जिस देश के लिए वेडा लक्ष्य मानकर अन्तिम बन्दरगाह तक पहुँचने के लिये चला है।”

पॉली (Polly)^१ के वाद में सर विलियम स्कॉट (Sir William Scott) का अवलोकन था कि “यदि कोई अमेरिकी व्यक्ति (प्रसंग के अन्तर्गत तटस्थ) इस व्यापार संचार के लिए सीधे ढग से (directly) अनुमति नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उसे चक्करदार (circutous) ढग से भी नहीं प्राप्त कर सकता।”

‘बरमूडा’ (Bermuda)^२ के प्रसंग में, जो कि इङ्ग्लैण्ड से नसाऊ तक की समुद्री यात्रा के बीच बन्दी किया गया था, न्यायालय का निष्कर्ष था कि “इससे कोई अन्तर नहीं उत्पन्न होता है कि विद्रोही पोत का गन्तव्य गूढ (ulterior) था, या सीधा (direct)। न तो गन्तव्य का प्रश्न पोत के परिवर्तन से ही प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यदि जहाज का आदान-प्रदान ही आशयित है, तो वह कार्गो के यातायात की निरन्तरता को नहीं भंग कर देता। किसी तटस्थ बन्दरगाह से चलकर किसी युद्ध सलग्न गन्तव्य तक पहुँचने में किसी तटस्थ बन्दरगाह का अन्तरास्थापन (interposition) सदैव से ही विनिषिद्ध और सरोध-गमन व लिए कारण रहा है। एक परिवहन जो कि एक स्थान से आरम्भ होकर कि दूसरे स्थान तक के लिए आशयित है, उस समय तक निरन्तर माना जायेगा, जब तक कि वह आशय ही परिवर्तित नहीं हो जाता। बीच में रुकने के कितने स्थान आये, या पोत में परिवर्तन किया गया, इस बात का उस यात्रा की निरन्तरता में बाधक नहीं है।

‘स्प्रिंगबॉक’ (Springbok)^३ के वाद में समुक्त राज्य अमेरिका के ‘सुप्रीम कोर्ट’ ने एक ब्रिटिश पोत की प्रतारणा की थी, जो कि नसाऊ नामक बन्दरगाह तक पहुँचने के मार्ग में था। कारण यह था कि वेडे की प्रकृति को देखते हुये इस बात में सदेह नहीं रह गया था कि उसका वास्तविक गन्तव्य एक सरोधित बन्दरगाह तक पहुँचने का था।

‘पीटर हॉफ’ (Peter Hoff)^४ के वाद में इस सिद्धान्त को अत्यधिक विस्तार दिया गया, जब कि विनिषिद्ध कार्गो का अन्तिम उद्देश्य भूमि परिवहन पर भी संचारित किया गया।

१. (१८००) २ सी० आर० ३६२ ।

२. ३ वैलेस ५५१ ।

३. (१८५६) ५ वैलेस, १ ।

४. (१८६६) ५ वैलेस, ५६ ।

सयुक्त राज्य अमेरिका ने निरन्तर समुद्री यात्रा के सिद्धान्त का प्रयोग, यहाँ तक कि एक ऐसे सरोधित बन्दरगाह तक के लिये किया है, जहाँ कि एक आशय यह था कि कार्गो तटस्थ बन्दरगाह पर विराम करने के बाद आगे सरोधित बन्दरगाह तक भेजा जाये ।

यद्यपि निरन्तर की यात्रा के सिद्धान्त मुख्यतः राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत कर लिए गये किन्तु उन प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में मतभेद रहा जिनके अधीन विनिपिद्ध वस्तुयें अभिग्रहीत की जा सकती थी । सयुक्त राज्य अमेरिका में तटस्थ बन्दरगाह में उतारे गए विनिपिद्ध पदार्थ यदि युद्धस्थिति के उपयोग के लिये शत्रु के बन्दरगाह में भेजे जान को हो तो वे बिना किसी प्रतिबन्ध के उसी प्रकार से अभिग्रहीत किये जा सकते थे जैसे मानो वे एक अटूट यात्रा द्वारा सीधे शत्रु के बन्दरगाह को जा रहे हो । यह सिद्धान्त फ्रांस के नौजितमाल न्यायालयों द्वारा क्रीमिया के युद्ध के मध्य, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमेरिका के गृहयुद्ध के मध्य तथा ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के युद्ध के मध्य स्वीकृत किया गया । यूरोपीय महाद्वीप ने फिर भी इस सिद्धान्त को नहीं माना तथा इस बात पर हठ किया कि केवल पूर्णतः तथा सप्रतिबन्ध विनिपिद्ध पदार्थों की सूची ही स्वीकृत की जाय । इसके अनुसार सन् १९०६ की लन्दन की असत्यापित घोषणा ने एक समझौता निकाला जिसके अनुसार निरन्तर यात्रा का सिद्धान्त पूर्णतः विनिपिद्ध पदार्थों के सम्बन्ध में यथापूर्व बना रहने दिया गया तथा यह घोषित किया गया कि इस बात का विचार अनावश्यक है कि क्या माल का वहन सीधा है अथवा उसे दूसरे जहाज में लादना पड़ता है या अनन्तर पुनः स्थल से वहन करना पड़ता है, लेकिन इसका उपयोग सप्रतिबन्ध विनिपिद्ध पदार्थों के सम्बन्ध में नहीं किया जाता था बवल उन विरल दशाओं को छोड़ कर जब अन्तिम लक्ष्य प्रदेश ऐसा युध्यमान देश हो जिसमें कोई समुद्र-तट या तट न हो । सन् १९०६ की लन्दन की घोषणा में यह निर्धारित किया गया कि किसी जहाज अथवा उसके माल का आगे का लक्ष्य-प्रदेश चाहे कुछ भी क्यों न हो यदि वह उस समय ऐसे बन्दरगाह का जा रहा हो जिसमें नाकाबन्दी न हो तो उसे नाकाबन्दी भंग करने के निमित्त पकड़ा नहीं जा सकता । लेकिन यह घोषणा असत्यापित रही तथा दो विश्वयुद्धों के मध्य उपर्युक्त नियम का प्रज्जबलत रूप से उल्लंघन किया गया क्योंकि अटूट यात्रा का सिद्धान्त सप्रतिबन्ध तथा पूर्णतः विनिपिद्ध दोनों पदार्थों के सम्बन्ध में लगाया गया ।

प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटिश न्यायालयों ने निरन्तर समुद्री यात्रा के सिद्धान्त को लन्दन डिव्लेयरेसन में प्रस्थापित नियमों से बाहर तक विस्तार दिया । किम् (Kim)^१ के वाद में प्रसंग यह था कि किम् नामक पोत नार्वे के अन्य तीन पोतों

१. (१९१५) प्रोवेट डिजीजन, पृ० २१५ ।

और स्वीडन के एक पोत सहित न्यूयार्क से कोपेनहेगेन के लिए अधिक मात्रा में खाद्य-सामग्रियाँ लादकर आगे को बढ़ रहा था। किम् में कुछ अन्य साधारण सामग्रियाँ और कुछ रबर लदा था। ये सभी पोत नवम्बर १९१४ में बन्दी बना लिये गए और कार्गो को शर्तयुक्त विनिपिद्ध रूप में जब्त कर लिया गया। किम् में भरे हुये रबर को निरपेक्षत, विनिपिद्ध के रूप में माना गया। सर सैमुअल इवान्स (Sir Samuel Evans) ने निर्णय देते हुये कहा था कि "निरन्तर समुद्री यात्रा, या आयात, दोनों के सिद्धान्त का जहाँ तक समुद्रो और स्थलीय परिवहन से सम्बन्ध है, वर्तमान युद्ध व आरम्भ होने के समय यह राष्ट्रों की विधि का एक अंश बन चुका है, और मान्य वैध निर्णयो के सिद्धान्त के अनुरूप है, और आधुनिक विधिशास्त्रियों की अत्यधिक बड़ी सख्या द्वारा और वर्तमान मैरीटाइम युद्ध कौशल के व्यवहारों के रूप में राष्ट्रों द्वारा मान्य है।" जहाँ तक कि शर्तयुक्त विनिपिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में 'लन्दन डिवलियरेशन' के अनुसार आशिक छूट स्वीकृत करने का प्रश्न था, विद्वान् न्यायाधीश ने अवलोकन किया था कि "जहाँ तक समझौते का सम्बन्ध है, यहाँ अपवाद स्थिर करने के लिये सर्कसंगत कारणों का अभाव प्रतीत होता है यदि यह उचित है कि एव युद्ध सलग्न शक्ति को अनुमति दी जानी चाहिए कि वह विभिन्न समुद्री यात्राओं द्वारा ले जाए जाने वाले निरपेक्षत विनिपिद्ध वस्तुओं को पकड़ ले, या ऐसे यातायात को रोक दे जिसका कि अन्तिम गन्तव्य शत्रु के क्षेत्र तक पहुँचना है, तो उसे भी क्यों न अनुमति दी जानी चाहिये कि वह साधारण सभी माल को पकड़ ले, मले ही वह माल निरपेक्षतः विनिपिद्ध हो, क्योंकि वह सभी माल शत्रु की सरकार या उसकी सशस्त्र सेनाओं तक पहुँचकर विनिपिद्धता का रूा ले लेगा। यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि आज के सहज सुलभ यातायात के युग में यदि निरन्तर समुद्री यात्रा के सिद्धान्त, या निरन्तर परिवहन के सिद्धान्त का प्रवर्तन किया जाना है, तो इसके अन्तर्गत समुद्र के एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक की यात्रा ही नहीं, अपितु स्थलीय परिवहन का भी उसमें समावेशन किया जाना चाहिये, जब तक कि माल पहुँचने का गन्तव्य स्थान न मिल जाय।

विद्वान् न्यायाधीश ने निष्कर्ष दिया था कि कार्गो का अन्तिम लक्ष्य डेनमार्क में उपभोग करने का अथवा वहाँ के स्टॉक में माल बढ़ाने का न था और कोपेनहेगेन डेलिवरी का अन्तिम स्थान भी न था, यह तो जर्मन क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर आगे का बढ़ रहा था। यह भी अवलोकन किया गया कि पोत में किसी विशिष्ट माल के हानि की जानकारी का होना जब्त किए जाने या अपराध से छूट के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

सन् १७५६ का युद्धका नियमः—निरन्तर यात्रा का सिद्धान्त "सन् १७५६ के युद्ध के नियम" से सम्बन्धित माना जाता है जिसके अनुसार युद्ध में सगे हुए राज्य

तटस्थो को ऐसा व्यापार करने से निषिद्ध कर सकते थे जो उनके लिए शान्ति के समय बन्द रहा हो । इङ्ग्लैण्ड के साथ सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने यह ज्ञात करके कि इङ्ग्लैण्ड की बडी नौसेना के कारण वह अपना औपनिवेशिक व्यापार नहीं कर सकता, नीदरलैण्ड को जो तटस्थ था, यह अनुमति दी कि आजापत्र द्वारा व्यापार करे । ब्रिटिश सरकार ने डेनमार्क के जहाजो को उनमें लदे हुए माल सहित अभिग्रहण किए जाने की आज्ञा इस आधार पर दी कि उन्होंने अपने को शत्रु के व्यापारिक जहाजो से समुक्त कर लिया है तथा ऐसी स्थिति में वे अभिग्रहण किये जा सकते हैं । संक्षेप में सन् १७५६ का नियम उस रीति को प्रकट करता था, जो वास्तव में सन् १७५६ से भी अधिक पुरानी थी, कि युद्धस्थित के एक बन्दरगाह तथा अन्य बन्दरगाह के बीच की मातृभूमि और उसके उपनिवेश के बीच का व्यापार, जो सामान्यतः शान्ति के समय बन्द रहा हो, अन्य दुष्प्रकारी द्वारा तटस्थ जहाजो के माध्यम से नहीं करने दिया जाता था । लार्ड स्टारवेल ने इमैनुअल (Immanuel) वाले मामले [(1799) 2 C Rob. 186] में कहा कि जहाँ तटीय तथा औपनिवेशिक व्यापार तटस्थो के लिए शान्ति के समय बन्द रहा हो और युद्ध के बीच खोल दिया जाय तो तटस्थ जो ऐसे व्यापार में लगते हैं अपने को शत्रु के व्यापारिक जहाजो से समुक्त कर लेते हैं तथा शत्रुओं में से प्रत्येक के लिए उत्तरदायी होते हैं । सन् १७५६ का नियम बाद में अमेरिका तथा जापान द्वारा अंगीकृत किया गया । लन्दन की असत्यापित घोषणा में सन् १७५६ के नियम पर कोई मत नहीं प्रकट किया गया और इसे अनिश्चित ही छोड़ दिया गया (अनुच्छेद ५७) ।



अध्याय ५०

अतटस्थ सेवा

(Unneutral Service)

इसका अर्थ—“अतटस्थ सेवा” से “उन कार्यों का द्योतन होता है जो कभी तटस्थो द्वारा किए जाय जिसमें कुछ समय के लिए युद्धस्थिति की सेवा में प्रवेश तथा उसके लिए ऐसे कार्य करना भी सम्मिलित है जो युद्ध में उसके लिए प्रत्यक्षरूप से लाभदायक हो” (लौरेंस) । ऐसी अतटस्थ सेवा तटस्थ जहाजो द्वारा युद्धस्थित को वास्तविक सहायता देकर की जाती है । अन्य युद्धस्थित राज्य को यह अधिकार है कि वह उनको अतटस्थ कार्य की गम्भीरता के अनुरूप कम व अधिक दर दे । उदा-

हरण के लिये यदि किसी तटस्थ राज्य का कोई व्यक्तिगत जहाज किसी युद्धस्थित के सैनिक दलों को ले जावे अथवा रेडियो द्वारा सैनिक समाचार उसके उपयोग के लिए भेजे तो यह अतटस्थ सेवा कर रहा है तथा दृष्टिपात होते ही विनष्ट किए जाने योग्य है। इसी प्रकार यदि कोई तटस्थ जहाज सुरंग बिछाये अथवा किसी युद्धस्थित के हित में व्यापारिक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाय तो वह प्रथम दशा में दृष्टिपात होते ही डुबाये जाने की अथवा दूसरी दशा में नोजितमाल के रूप में अभिग्रहीत तथा अपराधी प्रमाणित किये जाने का दायित्व रखता है।

लंदन की घोषणा (Declaration of London) — लंदन की घोषणा (१९०६) में जो सत्यापन के अभाव में प्रवृत्त नहीं हो सकी अतटस्थ सेवा पर एक सम्बद्ध विधि को सर्वप्रथम घोषित किया गया। अनुच्छेद ४५ में यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई तटस्थ जहाज ऐसी यात्रा कर रहा हो जो विशिष्ट रूप से या तो (अ) व्यक्तिगत यात्रियों के वहन करने की दृष्टि से जो शत्रु के सैनिक दलों में समावेशित हो या (आ) शत्रु के हित में समाचार भेजने की दृष्टि से की जा रही हो तो जहाज दरिद्रत किया जा सकता है यदि सेवा जान-बूझ कर की गई हो, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि यह सेवा अवश्यमेव अनन्य (केवल उसी प्रयोजन के लिये) रही हो। जहाज तथा उस पर लदा हुआ माल जो एक ही स्वामी की सम्पत्ति हो दरिद्रत किये जा सकते हैं यदि स्वामी, चार्टर देने वाले अथवा मालिक के ज्ञान में जहाज शत्रु की सेना के किसी अंश को अथवा एक या अधिक व्यक्तियों को वहन कर रहा हो जो यात्रा के बीच शत्रु की क्रियाशीलता को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देते हो। लेकिन यदि युद्ध छिड़ने की अनभिज्ञता में अथवा ज्ञान होने के उपरान्त यात्रियों को उतारने का अवसर न मिलने पर जहाज दरिद्रत किया जा सकता है। अनु ४७ में यह व्यवस्था की गई कि युद्धस्थित का गस्ती जहाज यदि शत्रु के सैन्यदल में समावेशित किसी व्यक्ति को तटस्थ व्यापारिक जहाज में प्राप्त हो तो वह उसके प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है, चाहे जहाज को पकड़ने के लिए कोई आधार न हो, तथा जहाज को अपने मार्ग पर जाने दिया जा सकता है। अनुच्छेद ४६ में यह व्यवस्था की गई कि अधिक गम्भीर तथा भयकर प्रकार की अतटस्थ सेवाओं के कारण जहाज तथा उसके स्वामी का उस पर लदा हुआ माल उसे शत्रु के अभिग्रहीत व्यापारिक जहाज की स्थिति में रख कर जब्त किये जा सकते हैं। ऐसे मामले उम समय उत्पन्न होते हैं जब कोई जहाज शत्रुता के कार्यों में प्रत्यक्ष भाग लेता हो अथवा शत्रु की सरकार द्वारा जहाज पर रथे हुए किसी अभिवर्त्ता के आदेशों अथवा नियंत्रण के अधीन हो अथवा जब तटस्थ जहाज शत्रु का सरकार के अनन्य कार्य में लगा हो अथवा जब जहाज अनन्य रूप से शत्रु के हित में सैनिक दलों को परिवहन करने में अथवा सूचना देने में लगा हो।

लन्दन की असत्यापित घोषणा के अनुच्छेद ४७ में यह व्यवस्था की गई है कि तटस्थ जहाज से केवल वे ही व्यक्ति हटाये जाय जो शत्रु के सैन्य दलों में समावेशित हो अर्थात् जहाज पर के सिपाही अथवा नाविकगण, किन्तु यह नियम प्रथम तथा द्वितीय दोनों विश्वयुद्धों में नहीं स्वीकार किया गया। नवम्बर सन् १९१४ में ब्रिटिश सरकार ने प्रतिकार के उपाय के रूप में यह आदेश किया कि तटस्थ जहाजों पर के शत्रु के प्रारक्षितक (reservists) युद्धबन्दी बना लिए जाय जिसका प्रभाव शत्रु के सेना में भर्तों होने योग्य अवस्था प्राप्त सब प्रजाजनो पर पडा। पुनः जनवरी सन् १९४० में ब्रिटेन के एक गश्ती जहाज ने सेना के लिये वयस्क जर्मन नागरिकों को जापानी जहाज 'आसमा मारु' से उतार लिया।

अटस्थ सेवा तथा विनिपेध.—अतटस्थ सेवा वास्तव में विनिपेध से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। प्रथम तो जैसा लीरेस ने व्यक्त किया है “कार्यों के लक्षणों में ही स्वयं विभेद है। जो कुछ विनिपेध के मामलों में होता है वह केवल व्यापारिक विषय के रूप में ही किया जाता है। इसके विषय पदार्थ हैं तथा इसका उद्देश्य लाभ है। अतटस्थ सेवा में कार्य साधारण व्यापार के कार्य नहीं होते। उनकी विशिष्ट उपाधियाँ युद्धसदृश हैं न कि व्यापारिक, अर्थात् असैनिक व्यक्तियों को शत्रु की सेवा में ले जाना, राजनैतिक सन्देशों को भेजना, इत्यादि। अन्य शब्दों में विनिपेध में केवल कुछ माल रहता है किन्तु अतटस्थ सेवा में व्यक्तियों को ले जाना तथा शत्रु के लिए सन्देश भेजना भी सम्मिलित है। दूसरे यह कि विनिपेध व्यापारिक माल को वैधरूप से जब्त करने के लिये शत्रु लक्ष्य क्षेत्र आवश्यक है, किन्तु अतटस्थ सेवा में लक्ष्य क्षेत्र अनावश्यक है। अतटस्थ सेवा में नियोग (mission) का स्वरूप महत्व रखता है। हाइड का भी कथन है कि शत्रु लक्ष्य की विश्वमानता जिसका प्रमाणित होना विनिपेध के सम्बन्ध में विचार करने में इतना महत्व रखती है शत्रु के सैनिक जनो को ले जाने का औचित्य दर्शाने के लिए सर्वदा ही आवश्यक नहीं है क्योंकि उनको बीच में ही रोकने का अधिकार उस विशेष दशा में उनके नियोग के स्वरूप पर अथवा ले जाये जाने के मध्य में उनके वास्तविक आचरण पर आश्रित रह सकता है। तीसरे यह कि दण्ड में भी भेद है। विनिपेध के असदृश अतटस्थ सेवा की दशा में लदा हुआ माल केवल बिरले ही मामलों में जब्त किया जाता है। विनिपेध की दशा में अहितकारी माल आरम्भ में ही राग्य-सात् कर लिया जाता है तथा आगे बड़े हुए मामलों में जहाज भी दंडित कर दिया जाता है। अतटस्थ सेवा की दशा में जहाज को उन अवैध वस्तुओं सहित जो वह ले जा रहा हो आरम्भ में ही जब्त कर लिया जाता है किन्तु सामान्यतः माल को गम्भीर मामलों को छोड़कर और किसी अन्य दशाओं में जब्त नहीं किया जाता।

अन्त में ओपेनहेम भेद को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि विनिषिद्ध वस्तुओं का पार-वहन अवश्य तथा बहुत सी दशाओं में व्यवहार में भी शत्रु की प्रत्यक्ष सेवा में नहीं होता किन्तु अतटस्थ सेवा में शत्रु के लिये व्यक्तियों का परिवहन तथा सन्देशों का ले जाना सामान्यतः शत्रु की प्रत्यक्ष सेवा में होता है। अतः यह विनिषिद्ध वस्तुओं को वहन करने से कहीं अधिक सहायता का द्योतक है।

अतटस्थ सेवा तथा शत्रुतापूर्ण सेवा :—अतटस्थ सेवा को शत्रुतापूर्ण सेवा से भी पृथक् किया जा सकता है। जिस दशा में सेवा केवल आंशिक हो वह अतटस्थ सेवा होगी, उदाहरणार्थ यदि कोई जहाज आंशिक रूप से निर्दोष सेवा में लगे रहने के साथ ही साथ सैनिक व्यक्तियों अथवा सन्देशों को ले जाने में लगा हो। लन्दन की अस्तित्वापित घोषणा (१९०६) के अनुच्छेद ४६ में शत्रुतापूर्ण सेवा के चार उदाहरण परिगणित किये गए हैं जिनमें तटस्थ जहाज शत्रु के लक्षण प्राप्त कर लेता है तथा उससे वैसा ही व्यवहार किया जा सकता है। वे हैं (१) जब कोई तटस्थ जहाज लडाई में प्रत्यक्ष भाग ले, (२) जब वह शत्रु की सरकार द्वारा जहाज पर रक्खे गए किसी अभिकर्ता के आदेशों अथवा नियन्त्रण के अन्तर्गत हो, (३) जब वह अनन्य रूप से शत्रु के सरकार के अधीन कार्य कर रहा हो तथा (४) जब वह शत्रु के सैन्यदलों को परिवहन करने में अथवा उसके हित में सन्देश भेजने में लगा हो। प्रत्येक दशा में भार अनन्य रूप से लगने में है। ऐसी अतटस्थ सेवाये अधिक गम्भीर तथा भयंकर प्रकार की हैं तथा जहाज और उस पर लदे हुये उसके स्वामी के माल को जवन किए जाने योग्य बना देती हैं और उसको शत्रु के पकड़े गए व्यापारिक जहाज की स्थिति में रख देती हैं।

'अटलांटा' (Atlanta) का बाद एक दृष्टान्त सामने प्रस्तुत करता है कि धासूचना (Intelligence) को शत्रुपक्ष की ओर दे दिया जाय। यह (ब्रेमन का पोत) एक तटस्थ पोत था। आइल-डो-फ्रान्स (Isle de France) की सरकार से गुप्त रखकर इस पोत की सैनिक सामग्रियाँ पेरिस स्थित समुद्री-मन्त्री के पास जा रही थी। तटस्थ पोत के कप्तान को इस तथ्य की जानकारी थी। पोत ब्रिटिश-सरकार द्वारा बन्दी कर लिया गया। ब्रिटिश 'प्राइज-न्यायालय' द्वारा पोत और कार्गो दोनों की मूर्त्सना की गई। यह कहा गया कि पोत द्वारा सैनिक महत्व के सामानों को इस प्रकार ले जाना अत्यधिक शत्रुतापूर्ण काम था अतः वह यान, जिसमें कि सामान ले जाया जा रहा था, भी जब्त कर लिया जाना चाहिए।

'ट्रेण्ट' (Trent) के मामले में, घटना यह थी कि १८६१ में अमेरिकी प्रेजर 'सेन-फांसिण्टो' (San Fancinto) ने ब्रिटिश मेल स्टीमर 'ट्रेण्ट' को उ

समय रोक दिया, जबकि वह हवाना से सेण्ट टॉमस की ओर जा रहा था। वह समय अमेरिकी गृह-युद्ध का समय था। उसके दो यात्री मैसन और स्लीडेल, जो कि दक्षिणी-कॉन्फेडरेसी की ओर से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के लिए राजदूतों के रूप में जा रहे थे, पोत से अपने सचिवों सहित बलान् निकाल दिये गए। संयुक्त राज्य अमेरिका की भ्रवधारणा थी कि, चूंकि पोत में स्पष्ट विनिपिद्ध सामग्रियों का प्रेषण किया जा रहा था, उन्हें ले जाने वाले भी उसी वर्ग में आते हैं। दूसरी ओर, ग्रेट ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की इस भ्रवधारणा का यह कहकर खंडन किया कि जो व्यक्ति पकड़े गये, उनका शील और उनके पद उन्हें विनिपिद्ध नहीं बनाता क्योंकि वे तटस्थ राष्ट्रों को राजदूतों के रूप में भेजे जा रहे थे। अतः ग्रेट ब्रिटेन ने तर्क दिया कि इस प्रकार का जब्त किया जाना सर्वथा न्याय-प्रतिकूल था, क्योंकि एक तटस्थ राष्ट्र को निरपेक्ष अधिकार है कि वह युद्ध-संलग्न राष्ट्र से राजनयिक संबंध बनाए रखे। ग्रेट ब्रिटेन ने तर्क दिया कि अमेरिकी कृत्य ब्रिटिश ध्वज एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्मान के प्रतिकूल था। निरन्तर की मध्यस्थताओं के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने बन्दियों को मुक्त कर दिया और इस वाद में विनिपिद्धता की विधि की व्यवहृति न हो सकी।

एस० एस० चीना (S. S. China), जो कि अमेरिकी मेल और यात्रियों का जहाज था और जो शंघाई से अमेरिकी बन्दरगाहों तक आता-जाता था, के प्रसिद्ध वाद में प्रसंग यह था कि १९१६ में जहाज पर अनेक जर्मनवासी, आस्ट्रिया-वासी, और तुर्क यात्री थे और जो कि मनीला जा रहे थे। एक ब्रिटिश-क्रूजर 'लॉरेंटिक' (Laurentic) ने निरीक्षण के समय इन यात्रियों को जहाज से बाहर निकाल दिया। वार्शिंगटन की सरकार ने इस कृत्य का सबल प्रतिरोध इस आधार पर किया कि ये व्यक्ति लन्दन-डिक्लेयरेशन के अनुच्छेद ४७ के अन्तर्गत नहीं आते, जो कि यह अनुमति देता है कि केवल सेना और नौसेना के व्यक्तियों को बन्दी बनाया जा सकता है। ब्रिटिश-सरकार ने उन व्यक्तियों पर शस्त्रों को चोर-बाजारी का आरोप लगाया। यह मत-भिन्नता का निर्धारण होने के पूर्व ही संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में प्रवेश कर गया और बन्दी छोड़ दिए गए।

आसामा-मारु (Asama Maru), जो कि एक जापानी पोत था, और अमेरिकी बन्दरगाह होनुलूलू से चलकर योकोहामा नामक जापानी बन्दरगाह तक की समुद्री यात्रा कर रहा था उसमें कुछ जर्मन नागरिक भी थे। घटना द्वितीय विश्व-युद्ध के समय १९४० में उस समय घटी, जबकि जापान एक तटस्थ राष्ट्र था। जब कि आसामा-मारु जापानी क्षेत्रीय जल में प्रवेश करने जा रहा था, एक ब्रिटिश क्रूजर द्वारा पकड़ लिया गया। उस क्रूजर ने २१ जर्मन-नागरिकों को उस पर से उतार

दिया। नागरिकों के परिरोधण पर जापान द्वारा विरोध किए जाने पर ब्रिटिश सरकार ने तर्क दिया कि 'जर्मन-सेना संहिता' (German Army Code) के अन्तर्गत प्रत्येक जर्मन पुरुष के लिए १८ वर्ष से ४५ वर्ष तक की आयु तक शस्त्र धारण करना आवश्यक है, और इसलिए ये २१ जर्मन-नागरिक, जो कि अधिकार सैनिक-उम्र के हैं, विनिषिद्ध की स्थिति में थे, क्योंकि यदि वे जर्मनी को पहुँच जाते हैं, तो उन्हें जर्मन-सेना में सेवा करनी पड़ेगी। चैम्बरलेन-सरकार ने परिणामतः २१ जर्मन बन्दि्यों में से ६ को इस आधार पर मुक्त कर दिया कि वे अपेक्षाकृत सैनिक उम्र के नहीं थे, अतः उनसे सैनिक-सेवा की आशा नहीं की जाती थी।

अध्याय ५१

निरीक्षण तथा तलाशी लेने का अधिकार (The Right of Visit and Search)

इसका तात्पर्य — निरीक्षण का अधिकार युद्धस्थितियों का तटस्थ व्यापारिक जहाजों को यह निश्चित रूप से ज्ञात करने के प्रयोजन से निरीक्षण करने तथा यदि आवश्यक हो तो तलाशी लेने का अधिकार है कि क्या वे जहाज वास्तव में तटस्थों के व्यापारिक जहाजों के बेटे के हैं तथा यदि ऐसी दशा हो तो क्या वे नाकाबन्दी तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं अथवा विनिषिद्ध वस्तुओं को ले जा रहे हैं अथवा शत्रु की अतटस्थ सेवाएँ कर रहे हैं। इस विषय का हेतु इतना स्पष्ट है कि यह विचरकाल से व्यवहार में सार्वभौमिक रूप से माना जा रहा है। वास्तव में यह ही केवल एक रीति है जिसके द्वारा युद्धस्थित यह निश्चित रूप से ज्ञात करने में समर्थ होते हैं कि क्या तटस्थ व्यापारिक जहाजों का भाग्य शत्रु की सहायता पहुँचाना तथा उसकी अतटस्थ सेवा करना है। (प्रोपेनहेम)।

उद्देश्य — हाइड का कथन है कि सिद्धान्त में "निरीक्षण तथा तलाशी लेने का उद्देश्य यह है कि युद्धस्थित को सूचना मुख्यतः तटस्थ जहाजों के सम्बन्ध में जिसके (युध्यमान के) युद्धपोतों से उसकी मुठभेड़ हो मिलती रहे जिससे कि वह हम प्रकार पता लगाई गई सूचना की सहायता से अपने अधिकारों का युद्धस्थित के रूप में पूर्ण रूप से प्रयोग करें।"

युद्धस्थित के अधिकार (Rights of Belligerents) —“समुद्र में तटस्थ जहाजों का निरीक्षण करने तथा तलाशी लेने का अधिकार युद्धस्थित का एक अधिकार है जो शत्रु की सम्पत्ति, युद्ध विनिषिद्ध वस्तुएँ तथा नाकाबन्दी भङ्ग करने वाले जहाजों के अभिग्रहण के अधिकार को प्रयोग करने के लिये आवश्यक है।” यह अधिकार व्यक्तिगत जहाजों पर केवल या तो खुले समुद्र में अथवा युद्धस्थित के जलभागों में किया जा सकता है किन्तु तटस्थ जलभागों में कभी नहीं। यह अधिकार युद्ध छिड़ने के उपरान्त तथा युद्ध समाप्त होने के पूर्व युद्धस्थित के सब युद्धपोता तथा सैनिक वायुमानों द्वारा प्रत्येक युद्धस्थित के समुद्रीय अथवा क्षत्रीय पेटों में प्रयोग किया जा सकता है। व्हीटन का कथन है कि यदि कभी शत्रु की सम्पत्ति को अभिग्रहण करने का अधिकार कठोरता से सीमित कर दिया जाय तथा स्वतंत्र जहाज स्वतंत्र माल का नियम अंगीकृत कर लिया जाय उस समय भी निरीक्षण तथा तलाशी का अधिकार इस बात को निश्चित करने के लिये आवश्यक है कि क्या राज्य की विधि तथा संधियों के अनुसार जहाज स्वयं तटस्थ हैं तथा प्रलेखों से ऐसे सिद्ध होने हैं क्योंकि जैसा विकरशीक का कथन है ‘इस बात के केवल भङ्गे ही से नहीं जो धोखे से भी लगा दिया जा सकता है वरन् जहाज पर के लेखा से भी निश्चित रूप से ज्ञात करने के लिये कि क्या वह वास्तव में तटस्थ है, तटस्थ जहाज को रोक लेना वैध है।’

निरीक्षण—रोके जाने के उपरान्त जहाज युद्धस्थित युद्धपोत के एक या दो पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण का प्रयोजन जहाज की राष्ट्रीयता, उस पर लदे हुए माल तथा यात्रियों का लक्षण अथवा चरित्र तथा वह बन्दरगाह जिससे तथा वह लक्ष्य क्षेत्र जिसको वह जा रहा हो निश्चित रूप से ज्ञात करना होता है। यह सामान्यतः जहाज के कागजात अर्थात् पासपोर्ट, मस्टर रोल, लागबुकबिल आफ लेडिंग इत्यादि जो कि या तो जहाज पर पाये जाय अथवा व्यापारिक जहाज के स्वामी को अपने कागजातों सहित युद्धस्थित युद्धपोत पर बुलाकर परीक्षण करके किया जाता है।

तलाशी —यदि जहाज के कागजातों को देखकर यह प्रकट हो कि जहाज विनिषिद्ध वस्तु ले जा रहा है अथवा अतटस्थ सेवा कर रहा है तो वह तत्काल पकड़ लिया जाता है। लेकिन यदि केवल सदेह ही उत्पन्न होता हो तो युद्धस्थित जहाज के एक या दो पदाधिकारियों द्वारा जहाज के स्वामी की उपस्थिति में तलाशी ली जाती है। जहाज अथवा उस पर लदे हुए माल का कोई क्षति नहीं पहुँचानी चाहिये। यदि तलाशी से सदेह दूर हो जाय तो उसे अपनी यात्रा जारी

रखने दिया जाता है। लेकिन यदि उससे जहाज में विनिषिद्ध वस्तुओं की उपस्थिति अथवा जहाज का अतटस्थ मेवा में लगा रहना पुष्ट हो जाता है तो जहाज को पकड़ लिया जाता है। यदि जहाज बन्दरगाह पर तलाशी के लिये लाया जाय और अन्त में वह निर्दोष प्रमाणित हो तो समय की हानि इत्यादि के लिये पूर्ण क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये।

तलाशी करने में तलाशी किये जाने वाले जहाज के लिये कोई अनुचित विलम्ब अथवा असुविधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिये तथा उसके साथ हर प्रकार का विनम्रता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिये।

तलाशी में बाधा - सन् १९०६ की लन्दन की घोषणा क अनुच्छेद ६३ में यह व्यवस्था की गई है कि युद्धस्थिति को रोकने, तलाशी लेने तथा पकड़ने के अधिकार का प्रबल विरोध सब देशों में जहाज को दण्ड का भागी बना देती है।

पथरक्षक जहाज :- पथरक्षक जहाज वे युद्धपोत हैं जो व्यापारिक जहाजों की रक्षा के लिये उनके साथ जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन को छोड़कर प्रायः और सब स्थानों में मतैव्य है कि रक्षित जहाजों की तटस्थता की सम्भावना में विश्वास रखकर तलाशी नहीं लेनी चाहिये क्योंकि वे उन जहाजों को अपने सार्वजनिक जहाजों की सुरक्षा में रख कर एक अर्थ में इस बात की प्रतिभूति देते हैं कि वे किसी अथवा व्यापार में नहीं लगे हैं जो उनकी तटस्थता से असंगत हो। यह मत लन्दन की घोषणा (१९०६) के अनुच्छेद ६१ द्वारा और पुष्ट किया गया है जिसमें यह निर्धारित हुआ है कि तटस्थ जहाज तलाशी से उन्मुक्त हैं जो अपने राज्य के युद्धपोतों की सुरक्षा के अधीन हो। किन्तु शर्त यह है कि सुरक्षित जहाजों का समादेशक, युद्धस्थित युद्धपोत के समादेशक द्वारा मगि जान पर जहाज तथा उस पर लदे हुये माल के लक्षण क सम्बन्ध में लिखित सूचना उपलब्ध करे। यदि पथरक्षक जहाज के समादेशक द्वारा दो गई सूचना से युद्धस्थित युद्धपोत का समादेशक सन्तुष्ट न हो तथा उसके विचार में यह धावे कि तटस्थ युद्धपोत पर किये गये विश्वास का दुरुपयोग किया जा रहा है तो वह अपना सदेह तटस्थ समादेशक को प्रकट कर सकता है जिसे उस विषय का स्वयं अनुसंधान करना चाहिये तथा अपने तथ्यों को युद्धस्थित समादेशक को प्रतिवेदित करना चाहिये। यदि पथरक्षक जहाज का समादेशक अनुसंधान के उपरान्त इस परिणाम पर पहुँचे कि जहाज कुछ विनिषिद्ध वस्तुयें ले जा रहा है अथवा अनुसंधान से जहाज का अभिग्रहण किसी अन्य प्रकार से उपयुक्त जान पड़े तो पथरक्षक जहाज को अपना संरक्षण हटा लेना चाहिये तथा उसे अभिग्रहीत करने दना चाहिये। यदि पथरक्षक समादेशक द्वारा किये गये अनुसंधान का परिणाम युद्ध-

स्थित युद्धपोत के समादेशक को संतोषपूर्ण न प्रतीत हो तो उस विषय का केवल राजनयिक सम्पर्क से ही निर्णय हो सकता है ।

केवल राष्ट्रीय पथरक्षक युद्धपोत ही अपने व्यापारिक जहाजों को उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है तथा अन्य तटस्थ राज्य का पथरक्षक युद्धपोत व्यापारिक जहाज को तलाशी से उन्मुक्ति नहीं प्रदान करता । जब कोई तटस्थ व्यापारिक जहाज किसी युद्धस्थित के पथरक्षक को स्वीकृत करे तो वह शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध तथा उससे उपलक्षित निरीक्षण तथा तलाशी का विरोध करने के आशय के आधार पर दंड का भागी हो जाता है ।

सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जहाज (Public and Private Vessels) :—निरीक्षण तथा तलाशी के विषय में भी सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जहाजों में भेद है । सार्वजनिक जहाजों के सम्बन्ध में इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि ऐसे जहाज के ऊपर खुले समुद्र में तो निरीक्षण अथवा तलाशी के अधिकार न कोई अन्य युद्धस्थित के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है । कोई सार्वजनिक जहाज जो किसी स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता का हो अन्य राज्य के क्षेत्रिक अधिकार क्षेत्र के भीतर निरीक्षण तथा तलाशी से उन्मुक्त है । अतः निरीक्षण तथा तलाशी के अधिकार का उपयोग केवल व्यक्तिगत जहाजों के सम्बन्ध में ही किया जाता है जो तटस्थ व्यापारिक जहाज हो किन्तु सार्वजनिक जहाजों के सम्बन्ध में इन अधिकार का प्रयोग नहीं होता है ।

लौरेंस निरीक्षण तथा तलाशी के नियम के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए यह व्यक्त करते हैं कि सब न्याय विशारद इस बात पर सहमत हैं कि तलाशी का अधिकार युद्धस्थित को तथा केवल युद्धस्थित को ही है तथा जैसा न्यायाधीन स्टोरी ने *Marianna Flora* (*Wheaton : Reports of the Supreme Court, Vol. XI, p. 1*) में कहा है कि यह अधिकार राज्यों की सामान्य सहमति से युद्ध के समय में ही दिया जाता है तथा उन्हीं धवसरो के लिये सीमित है; इस अधिकार का प्रयोग क्वान व्यापारिक जहाजों पर ही किया जा सकता है जो युद्धस्थित के वैधरूप से आयुक्त गश्ती जहाज को अपनी तलाशी लेने के लिये प्रत्यर्पण करने को बाध्य हैं, यद्यपि तटस्थ व्यापारिक जहाजों को तलाशी के लिये युद्धस्थित को अपने को प्रत्यर्पण करना आवश्यक है तथापि तटस्थ युद्धपोत इससे उन्मुक्त हैं; तथा यह कि युद्ध में लगे हुए जहाज भूटा भूटा लगा कर अथवा बिना किसी प्रकार के भंडा लगाये अनुसरण कर सकता है किन्तु निरीक्षण तथा तलाशी

के कार्य को वास्तविक रूप से आरम्भ करने के पूर्व इसे अपने देश का झंडा फहराना चाहिये ।

विवाचन क स्थायी न्यायालय द्वारा कैर्थेज (Carthage) वाले मामले (1913, XIII, p 21C) में निरीक्षण तथा तलाशी का अधिकार स्वीकृत किया गया जिसमें यह कहा गया कि "सार्वजनिक रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार युद्धस्थित युद्धपोत को विशेष परिस्थितियों का छोड़ कर तटस्थ व्यापारिक जहाज का खुले समुद्र में रोकने तथा इस बात को पता लगाने के लिये कि क्या वह तटस्थता के नियमों का विशेषतः प्रतिपिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में पालन कर रहा है कि नहीं उसकी तलाशी लेने का अधिकार है ।"

इस विषय में प्रमुख मामला मैरिया (Maria) [(1799) 1 C. Rob. 340] का है जिसमें निरीक्षण तथा तलाशी के अधिकार के विरोध का प्रतिरोध स्वीडन के युद्धपोतों के पथरक्षक दल के अन्तरास्थापन (interposition) द्वारा किया गया । मैरिया स्वीडन का एक व्यापारिक जहाज था जो स्वीडन के युद्धपोत के संरक्षण में जा रहा था । ब्रिटेन की फ्रांस से लड़ाई हो रही थी । अतः ब्रिटेन के नौसेना विभाग के एक स्वॉर्डन ने निरीक्षण तथा तलाशी के अधिकार का प्रयोग करना चाहा जिसका पथरक्षक जहाज द्वारा बलपूर्वक विरोध किया गया । उसे ब्रिटेन के नौजितमाल न्यायालय ने इस आधार पर दंडित किया कि अपने उपलक्षित रीति से शक्तिशाली युद्धपोत द्वारा किये गये विरोध में भाग लिया है । नौसेना विभाग के उच्च न्यायालय का निर्णय देने में लार्ड स्टोवेल ने विधि के निम्नलिखित तीन सिद्धान्तों को निर्धारित किया :—

१. यह कि खुले समुद्र में व्यापारिक जहाजों का निरीक्षण तथा उनकी तलाशी लेने का अधिकार चाहे जहाज, उन पर लदा हुआ माल और उनका लक्ष्य-क्षेत्र कुछ भी हो युद्धस्थित राज्य के वैधरूप से अधिकृत (कमीशन दिये गये) युद्धपोतों का एक निर्विवाद अधिकार है । "जहाज, उन पर लदा हुआ माल तथा लक्ष्य-क्षेत्र चाहे जो कुछ हो, मैं इसलिये कहता हूँ कि जब तक उनका निरीक्षण तथा उनकी तलाशी न ली जाय यह प्रकट नहीं होता कि जहाज तथा उनका लक्ष्य-क्षेत्र क्या है तथा इन्हीं विषयों को निश्चित रूप से ज्ञात करने के प्रयोजनों से ही निरीक्षण तथा तलाशी के अधिकार की आवश्यकता विद्यमान रहती है ।"

२. यह कि तटस्थ सार्वभौम सत्ता का प्राधिकार भीष में घाता है, यह दान वैध रूप से आयुक्त युद्धस्थित युद्धपोत के अधिकारों को वैधरूप से परिवर्तित नहीं कर सकती ।

३. इस अधिकार के बलपूर्वक विरोध किये जाने के लिये दंड, निरीक्षण तथा तलाशी से रोकी गई सम्पत्ति का जब्न किया जाता है ।

इस मामले में दिये गये दंड के निर्णय के अनुसरण में सन् १८०० में बाल्टिक शक्तियों के बीच सशस्त्र तटस्थता की संधि हुई तथा विवादपूर्ण विषयों की व्यवस्था ५ जून सन् १८०१ की प्रतिज्ञा द्वारा की गई जिसके अनुसार तटस्थ सरक्षण में यात्रा करने वाले व्यापारिक जहाजों की तलाशी सम्बन्धी अधिकार का उसे युग्यमान पक्षकार के सार्वजनिक युद्धपोतों तक सीमित कर दिया गया तथा व्यक्तिगत सशस्त्र जहाजों को अलग कर दिया गया । एक सौ वर्ष के थोड़े ही अधिक उपरान्त यह विचार-विमर्श सन् १९०६ की लन्दन की घोषणा द्वारा समाप्त कर दिया गया जिसमें ब्रिटेन के दावे के विरुद्ध निर्णय दिया गया । लन्दन की घोषणा में यह निर्धारित किया गया कि तटस्थ जहाज अपने राष्ट्रीय पथसरक्षक के मरक्षण में तलाशी से उन्मुक्त है ।

सर विलियम स्कॉट ने *The Catharina Elizabeth* (1 C. Rob. 232) में यह कथन किया कि "यदि कोई तटस्थ कप्तान छुड़ाने अथवा अपने को तलाशी से हटा लेने का प्रयत्न करे तो वह एक कर्तव्य का उल्लंघन करता है जो उस पर राष्ट्रों को विधि द्वारा डाला गया है अथवा अपने को तलाशी के लिये प्रत्यार्ण करना तथा जहाज अथवा उस पर लदे हुए माल की सम्पत्ति के सम्बन्ध में जाँच कराने व लिये आना तथा यदि वह इस कर्तव्य का बलप्रयोग द्वारा उल्लंघन करे तो इसमें सन्देह नहीं कि परिणाम उसके स्वामी की सम्पत्ति पर पहुँचने तथा मेरे विचार में वे परिणाम उसकी रक्षा में सौंपी गई सम्पूर्ण सम्पत्ति पर पड़ेंगे जिसका इस प्रकार धोखा देकर युद्ध के अधिकारों के प्रभाव में हटाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है । यदि स्वामी शत्रु हो तो मामला पूर्णरूप से ही भिन्न होता है क्योंकि ऐसे कार्य में उसकी ओर से किसी कार्य का उल्लंघन नहीं होता तथा यदि वह अपने को हटा सके तो उसे ऐसा करने का अधिकार है ।"

जहाज तथा उस पर लदा हुआ माल कब दंड के भागी होते हैं:—यदि तटस्थ शक्ति का जहाज निरीक्षण तथा तलाशी का विरोध करे अथवा यदि निरीक्षण तथा तलाशी से यह प्रकट हो कि तटस्थ जहाज शत्रु को महायत्ना देने के प्रबंध कार्य में सहाय है अथवा यदि कामज-पत्रों की अनुपस्थिति में जहाज का असली लक्षण जान न हो सके तो तटस्थ जहाज उस पर लदे हुए माल सहित नौजिनमाल न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने पर अभिग्रहीत करने तथा दंडित करने के योग्य हो जाता है । तटस्थ नौजिनमाल को जब तक अनापारण परिस्थितियाँ न हों, बिनष्ट नहीं करना

चाहिये तथा यदि उन्हें विनष्ट किया जाय तो पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये। विनष्ट करने की स्वीकृत होने पर भी उन शत्रु व्यक्तियों को जो जहाज पर हो सुरक्षित स्थान में रख देना चाहिये।

विश्व-युद्धों के मध्य व्यवहार की गई रीति:—प्रारम्भ में निरीक्षण तथा तलाशी के अधिकार को बड़े अवरोध लगा कर घेर दिया गया जिससे तटस्थता को बहुत कम असुविधा हा लेकिन दो विश्वयुद्धों ने इन कल्याणकर शर्तों को उड़ा दिया। विश्वव्यापी युद्ध की आवश्यकताओं के कारण युध्यस्थित, तटस्थ जहाजों का खुल समुद्र में आत्महानि के बिना रोक सक, तथा जहाज के कागज पत्रों के प्रारम्भिक परीक्षण के बिना भी पूर्ण परीक्षण के लिये बन्दरगाह को भेज दिये जाते थे जिससे तटस्थ जहाजों को अत्यधिक विलम्ब तथा असुविधा होती थी। तटस्थ जहाजों का खुल समुद्र के स्थान पर बन्दरगाह में तलाशी लेने की ब्रिटिश रीति के विरुद्ध न्याय विशारदों तथा इस विषय पर अन्य स्वतंत्र लेखकों ने कड़ी आलोचना की किन्तु ब्रिटेन ने उसे जारी रखने का औचित्य इस आधार पर स्थापित किया कि तलाशी के बीच पनडुब्बियों का भय रहता है तथा माल ले जाने वाले जहाजों की संख्या में वृद्धि हो गई है और यह कि निरंतर ही आशातीत ढंग से यह वृद्धि हाती ही जा रही है।



